# भारतीय अब्दकोश

## १९६३

# INDIAN YEAR BOOK

## 1963

सम्पादक
श्रीजगन्नाथप्रसाद मिश्र : श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ
संयुक्त सम्पादक
श्रीरामकिशोर ठाकुर

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
पटना-४

मुख्य वितरक
दिल्ली-पुस्तक-सदन

गोविन्दमित्र रोड
पटना—४

१६, यू० बी० बंगलो रोड
दिल्ली—६

भारती-भवन
चौड़ा रास्ता, जयपुर (राजस्थान)

प्रकाशक
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
पटना-४





शकाब्द १८८४; विक्रमाब्द २०१६; खृष्टाब्द १९६२

मूल्य ८) रुपये मात्र

मुद्रक
घनश्याम प्रेस
नवीन कोठी, पटना-४

# वक्तव्य

परिषद् की ओर से १९६३ ई० सन् का 'भारतीय अब्दकोश', पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। परिषद् अपने अल्पकालीन जीवन में राष्ट्रभाषा हिन्दी की समृद्धि और विकास की दिशा में, अपने प्रकाशनों द्वारा जो थोड़ी-बहुत सेवा कर सकी है, उसपर भारत के लोकनायकों, मनीषी विद्वानों और प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं ने उत्साहवर्द्धक वाणी से हमें अनुप्राणित एवं प्रोत्साहित किया है। सन् १९५९ ई० में परिषद् ने अपने विशिष्ट प्रकाशनों के अतिरिक्त वार्षिक अब्दकोश प्रकाशित करने का भी संकल्प किया। यह अब्दकोश उसी शृंखला की तीसरी कड़ी है। परिषद् चाहती है कि ऐसी कड़ी हर साल जुड़ती चले।

अब्दकोश-जैसी चीजों के निर्माण और उनके संकलन-सम्पादन में बड़े धैर्य और लगन की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिक्षण राजनीतिक धाराओं में परिवर्त्तन आता रहता है। यही कारण है कि हमें प्रेस पर चढ़े हुए मैटर में भी तदनुसार काट-छाँट करनी पड़ी है। हमने चाहा है कि जहाँतक सम्भव हो, चीज अप-टु-डेट निकाली जाय। इस अब्दकोश में अँगरेजी के प्राविधिक शब्दों को लेकर कठिनाई आई। हमने यथासम्भव उपलब्ध कोशों से सहायता लेकर उन शब्दों के स्थानों में हिन्दी-पर्यायों को रखने का प्रयत्न किया है। फिर भी, कुछ अप्रचलित हिन्दी-शब्दों को रखने के लिए हमें बाध्य होना पड़ा।

हम नहीं कह सकते कि प्रस्तुत पुस्तक को सर्वाङ्गपूर्ण बनाने में हमें कहाँतक सफलता मिली है। हमें केवल इसी बात से प्रसन्नता है कि जितनी सतर्कता इस कार्य में बरतनी चाहिए, बरती गई है। सम्पादकों ने इसे सब प्रकार से त्रुटि-रहित बनाने का प्रयत्न किया है और मुझे यह कहने में संतोष का बोध होता है कि वे अपने प्रयत्न में बहुत अंशों में सफल हुए हैं। फिर भी, निःसंदिग्ध भाव से नहीं कहा जा सकता कि यह बिलकुल दोषमुक्त है। सुधी पाठकों से अनुरोध है कि वे त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान दिलायें, जिससे हम उनका सुधार कर इसे भविष्य में और भी सुन्दर एवं आकर्षक बना सकें। पाठकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही इस अब्दकोश को हमने अँगरेजी कलेंडर के हिसाब से वर्ष के आरंभ में प्रकाशित करने का निर्णय किया है। आशा है, इसे सभी पसन्द करेंगे।

जिन पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, इयर-बुकों आदि से हमें सामग्री-संकलन में सहायता मिली, हम उनके लिए भी आभारी हैं। घनश्याम प्रेस ने हमारे इस अनुष्ठान में पूर्ण सहयोग दिया, जिसके लिए हम प्रेस के अधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
३०. ११. '६२

भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'
संचालक

# प्रस्तावना

'भारतीय अब्दकोश' का प्रथम संस्करण सन् १९६० ई० में प्रकाशित हुआ था। हिन्दी-भाषा-भाषी शिक्षित जनों में उसके प्रति जिस प्रकार का आग्रह एवं अभिरुचि दिखलाई पड़ी, उससे हमें अपने इस नवीन प्रयास में उत्साह मिला। श्रीलक्ष्मीनारायण सुधांशुजी ने योजना के आरम्भ से ही इस कार्य में जो दिलचस्पी दिखलाई है और समय-समय पर अपने बहुमूल्य परामर्शों से इस योजना को सफल बनाने के जो कार्य किये हैं, वे निश्चय ही बहुत श्लाघ्य हैं। अब्दकोश-समिति के अन्य सभी सदस्यों का भी सक्रिय हार्दिक सहयोग एवं सुझाव हमें बराबर मिलता रहा है, जिससे अनेक समयानुकूल संशोधन एवं परिवर्द्धन किये गये हैं, सामयिक महत्त्वपूर्ण विषयों एवं सूचनाओं का सन्निवेश किया गया है। यों तो हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों और विभिन्न विषयों की वार्षिक प्रगति के सम्बन्ध में जो सब सूचनाएँ एवं विवरण दिये गये हैं, वे पर्याप्त अथवा अपने-आपमें पूर्ण हैं, फिर भी हमारा प्रयास यह अवश्य रहा है कि कोई आवश्यक ज्ञातव्य विषय छूट न जाय। किन्तु इतने पर भी त्रुटियाँ रह गई होंगी, इसे हम निःसंकोच स्वीकार करते हैं।

आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न देश परस्पर उत्तरोत्तर घनिष्ठ सम्पर्क में आते जा रहे हैं और स्वार्थ-सम्बन्ध की दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भरशील हो रहे हैं। विश्व-शान्ति एवं विश्व-कल्याण की दृष्टि से भी यह अभीष्ट है कि विश्व की विभिन्न जातियों के बीच प्रगाढ़ परिचय हो और मानवीय भावनाओं द्वारा सब मनुष्य एक सूत्र में ग्रथित हों। इस दृष्टि से भी इस प्रकार के अब्दकोश या 'इयर-बुक' के प्रकाशन की आवश्यकता है। यही कारण है कि संसार की प्रायः सभी समुन्नत भाषाओं में वार्षिक प्रगति के विवरण प्रस्तुत करनेवाले 'इयर-बुक' नियमित रूप में प्रकाशित होते रहते हैं। छोटे-बड़े आकारों में उनकी संख्या भी बृहत् है। एक-एक देश या एक-एक विषय के भी अलग-अलग वार्षिक ग्रन्थ हैं और ऐसे बृहदाकार वार्षिक ग्रन्थ भी हैं, जिनमें एक ही जिल्द में एक देश या पृथ्वी के सभी देशों के विविध ज्ञातव्य विषय एक साथ सन्निविष्ट कर दिये जाते हैं। हमारे देश में अँगरेजी भाषा में अनेक डाइरेक्टरी, इयर-बुक आदि छोटे-बड़े आकारों में चालीस-पचास वर्षों से निकल रहे हैं और उनका प्रचार भी यथेष्ट है। किन्तु हिन्दी में इस प्रकार के वार्षिक ग्रन्थों का अभाव है।

देश में इस समय राष्ट्र-निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में जो बहुमुखी प्रयास हो रहे हैं, उनके प्रति जनसाधारण की दिलचस्पी बढ़ रही है और विषयों के जानने और समझने की दिशा में उनकी उत्कंठा उद्दीप्त हो रही है। इसके साथ ही, अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो सब घटनाएँ द्रुत गति से घटित हो रही हैं और जिनका प्रभाव हमारे राष्ट्र-जीवन पर सार्थक रूप में पड़ रहा है, उनका सही-सही ज्ञान लोगों को हो सके, यह भी सर्वथा वांछनीय है। किन्तु देश-विदेश के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष की आवश्यक और उपयोगी जानकारी देनेवाली पुस्तकें अँगरेजी में ही उपलब्ध होने के कारण हिन्दी के पाठक इन विषयों के ज्ञान से सर्वथा वंचित रह जाते हैं। एक स्वाधीन देश के नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभ्य संसार की गति-विधियों के प्रति सचेत होकर

स्वदेश एवं स्वराष्ट्र की समस्याओं पर विचार करें। ज्ञान-विज्ञान की परिधि आज अत्यन्त विस्तृत हो गई है और सब कुछ को ठीक तरह से जाने और समझे बिना हम सही तरीके से दृढ़ता के साथ अपने राष्ट्र को उन्नति एवं कल्याण के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते।

राष्ट्रभाषा हिन्दी में विविधविषयक अब्दकोश के इस अभाव की पूर्ति के लिए परिषद् की ओर से इस 'भारतीय अब्दकोश' का प्रकाशन आरम्भ किया गया है। हिन्दी-पाठकों की ज्ञान-पिपासा जिस रूप में बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह अब्दकोश उनकी उस पिपासा को बहुलांश में शान्त करने में समर्थ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हिन्दी-पाठकों ने यदि इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया और इससे वे लाभान्वित हुए, तो इतने से ही हम अपने श्रम को सार्थक समझेंगे।

हमारी इच्छा थी कि यह अब्दकोश और भी अधिक विविध विषय-संपन्न हो, किन्तु हम इसे वैसा नहीं बना सके, जिसका कारण यह है कि पुस्तक की पृष्ठ-संख्या बढ़ जाने से हमें मूल्य बढ़ाना पड़ता और फिर उस मूल्य में पुस्तक खरीदना औसत हिन्दी-पाठकों के लिए कठिन हो जाता है।

इस अब्दकोश के तैयार करने में हमें देश-विदेश के जिन अनेक अँगरेजी अब्दकोशों, साधारण ज्ञान की पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, सरकारी प्रतिवेदनों आदि से सहायता मिली है, उन सबका नाम गिनाना यहाँ सम्भव नहीं है। भारत-सरकार के 'इण्डिया' और 'भारत' नामक वार्षिक ग्रन्थों से भी हमें विशेष रूप से सहायता मिली है। अतएव, इन सबके सम्पादकों और प्रकाशकों के प्रति हम अपना आभार स्वीकार करते हैं।

पुस्तक में जो त्रुटियाँ रह गई हैं, उनके लिए हम अपने पाठकों से क्षमा-याचना करते हैं। इसे और भी अधिक सुन्दर और उपयोगी बनाने के लिए उनके जो सुझाव और अभिमत होंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। हम अपने पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि यदि वे उदारतापूर्वक इस ग्रन्थ को अपनायेंगे, तो प्रतिवर्ष उन्हें इसकी सामग्री एवं साज-सज्जा में उत्तरोत्तर उत्कर्ष दिखाई पड़ेगा और हिन्दी-संसार के लिए यह एक लोकप्रिय प्रकाशन सिद्ध होगा।

—संपादक

# विषय-सूची

## प्रथम भाग—ब्रह्माण्ड



## द्वितीय भाग—विश्व

विषय | पृष्ठ-संख्या

*विषय* *पृष्ठ-संख्या*

विषय पृष्ठ-संख्या

*विषय* *पृष्ठ-संख्या*

# चतुर्थ भाग—बिहार



★

# भारतीय अब्दकोश

[ १६६३ ]

# प्रथम भाग

## ब्रह्माण्ड

ब्रह्माण्ड की इयत्ता कल्पनातीत है। रात्रि के समय हमें आकाश में जो टिमटिमाते तारे नजर आते हैं, वे हमारी पृथ्वी के ही समान, उससे छोटे और उससे सैकड़ों-सहस्रों, लाखों-करोड़ों गुने बड़े पिंड हैं। खुली आँखों से तो वे सहस्रों की संख्या में ही दिखाई पड़ते हैं रन्तु, दूरवीक्षण-यन्त्र के आविष्कार के बाद तो वे पहले से भी बहुत अधिक संख्या में दिखाई पड़ने लगे हैं। ये दूरवीक्षण-यन्त्र भी ज्यों-ज्यों विशाल बनते गये, त्यों-त्यों आकाशस्थ पिंड इनकी सहायता से अधिकाधिक संख्या में दिखाई पड़ने लगे। अबतक के बने दूरवीक्षण-यन्त्रों से ये पिंड लगभग आधे नील की संख्या में दिखाई पड़ने लगे हैं। इस प्रकार, आशा की जाती है कि उत्तरोत्तर बृहदाकार में बननेवाले दूरवीक्षण-यन्त्रों से ये पिंड अधिकाधिक संख्या में दिखाई पड़ने लगेंगे और फिर इनकी संख्या गणना के परे हो जायगी इस प्रकार, इस अनंत ब्रह्माण्ड की कल्पना करना किसी प्रकार सम्भव नहीं है।

और फिर, इन पिंडों की स्थूलता, दूरी आदि के सम्बन्ध में भी यही बात है। स्थिर-से दीखनेवाले हमारे निकटवर्ती तारे ही हमसे नीलों मील दूर हैं और इनकी आपस की दूरी भी न्यूनाधिक कुछ इसी प्रकार की है। दूरवर्ती तारों की दूरी हम मीलों में नहीं बता सकते। उनकी दूरी निकालने के लिए हमें प्रकाश-वर्ष की इकाई माननी पड़ती है। प्रकाश प्रति सेकेंड १,८६,००० मील की गति से चलकर एक वर्ष में जितनी दूर जाता है, उस दूरी की इकाई को वैज्ञानिक 'प्रकाश-वर्ष' कहते हैं। जब दूरी नापने में इस इकाई से भी काम नहीं चलता, तब और भी लम्बी दूरी की दूसरी-तीसरी इकाई आरम्भ की जाती है।

आकाश के बहुत-से तारे तो हमसे इतनी दूर हैं कि उनके प्रकाश लाखों-करोड़ों वर्षों में, बल्कि इससे भी अधिक दिनों में हमारे पास पहुँचते हैं। तारों के आकार-प्रकार, उपादान एवं गति भी भिन्न-भिन्न हैं और वे ऐसे हैं कि जानकर आश्चर्य होता है।

कहते हैं कि सभी तारे चलायमान हैं, परन्तु उनके अत्यन्त दूर रहने के कारण सबकी गति हम नहीं परख सकते। शायद, हजारों-लाखों वर्षों में हम उन्हें कुछ खिसकते हुए देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों का मत है और आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि शून्य में स्थित सभी पिंड किसी महान् शक्ति को केन्द्र बनाकर सके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। भारतीय उसी महान् शक्ति को 'ब्रह्म' कहते हैं। उसी ब्रह्म के असंख्य अंश किसी विकार-वश उससे अलग होकर भी आकर्षण के कारण उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये सभी पिंड प्रायः अंडाकार वृत्त में घूमते हैं, अतएव इस समस्त पिंड-समूह का नाम 'ब्रह्माण्ड' पड़ा। वैज्ञानिकों का मत है कि बहुत तेजी से घूमनेवाले सभी पिंड प्रायः अंडाकार वृत्त में ही घूमते हैं।

वैज्ञानिक उन्नति बड़ी तीव्र गति से होते रहने से, और विशेषकर इधर मानव-कृत ग्रहों-उपग्रहों के निर्माण से, इस भौतिक जगत् के सम्बन्ध में लोगों को नित्य नई-नई बातों का पता चल

रहा है। एक रूसी प्राणिशास्त्रवेत्ता डॉ० यूरो रॉल ने लिखा है कि हमारे तारक-पुंजों के अन्तर्गत करीब डेढ़ लाख ग्रह हैं, जिनमें बहुतों के अन्दर कई प्रकार के प्राणी विकास की भिन्न-भिन्न स्थिति में हैं। कुछ ग्रहों में मनुष्य से मिलते-जुलते प्राणी भी रहते हैं।

आकाशस्थ पिंडों के प्रायः अलग-अलग समूह हैं। जैसे, हमारा परिवार है, वैसे ही अनगिनत दूसरे सौर परिवार हैं। हमारे सौर परिवार का केन्द्र सूर्य है। घूमते-घूमते सूर्य से ही समय-समय पर कई खंड निकलकर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे। वे सब उसके 'ग्रह' कहलाये। उन ग्रहों के भी अलग-अलग खंड हुए और वे अपने-अपने ग्रहों के चतुर्दिक् घूमने लगे, जो 'उपग्रह' कहलाये। इस सौर परिवार के अन्दर बहुत-से धूमकेतु भी हैं, जो अपनी निराली चाल से घूमते रहते हैं। उल्का भी इसी परिवार के अंग हैं। हमारा सूर्य अपने इस समस्त परिवार को लेकर अन्य सूर्यों की भाँति एक अज्ञात शक्ति 'ब्रह्म' के चारों ओर घूम रहा है।

आकाशस्थ पिंडों में हम केवल अपने सौर परिवार के पिंडों की गति देख सकते हैं। शेष तारे अत्यन्त दूरी के कारण स्थिर-से दीख पड़ते हैं। अतएव, हम अपनी गणना की सुविधा के लिए और अपने सौर परिवार के पिंडों की गति-विधि समझाने के लिए शेष तारों को स्थिर मानकर ही चलते हैं। पृथ्वी अपनी गति के अनुसार अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती रहती है, इसलिए आकाश के सभी तारे सामूहिक रूप से प्रतिकूल दिशा में, अर्थात् पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए मालूम पड़ते हैं। भारतीय ज्योतिषी इसी को प्रवहमान वायु से तारों का चलना कहते हैं।

हमारे सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह बुध है। उसके बाद क्रम से शुक्र, पृथ्वी, मंगल बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं। अन्तिम तीन ग्रहों को देखने के लिए दूरवीक्षण-यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इन ग्रहों में कई के उपग्रह भी हैं, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चन्द्रमा है। अन्य उपग्रहों का पता दूरवीक्षण-यंत्र से लगा है। इन ग्रहों और उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए तथा अपनी कक्षाओं पर चलकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आकाश में खुली आँखों से दिखाई पड़नेवाले सभी ग्रहों के तारे बहुत चमकीले हैं और उनकी गणना प्रथम श्रेणी के तारों में होती है। सभी ग्रहों की, सूर्य की परिक्रमा करने की कक्षा अंडाकार होने के कारण सूर्य से किसी ग्रह की दूरी सदा एक-सी नहीं रहती, बल्कि बदलती रहती है। इसलिए यह दूरी प्रायः औसत रूप में बताई जाती है। सूर्य से जो ग्रह जितनी दूर है, उसका तापमान उतना ही कम है।

सूर्य—सूर्य एक प्रकाशमान और अग्निमय गोलाकार पिंड है, जो गैस से भरा हुआ है। पृथ्वी से इसकी दूरी ९ करोड़ ३० लाख मील और इसका व्यास ८ लाख ६५ हजार मील है। पृथ्वी से इसका गुरुत्व ३,३३,४३४ गुना और आकार १० लाख गुना से अधिक है। इसकी सतह का तापमान १ करोड़ सेंटिग्रेड है। पृथ्वी की भाँति सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है, किन्तु यह अपनी विषुवत्-रेखा पर २५ दिनों में और ध्रुवों पर ३३ दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। घूमने के समय में इस अन्तर का कारण सूर्य का गैसमय होना बताया जाता है। कहते हैं कि सूर्य के आन्तरिक महाताप के कारण उसमें आँधी-सी उठती रहती है और उसी के सिलसिले में कभी-कभी कुछ काले धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं।

सूर्य से ग्रहों की दूरी, ग्रहों का परिमाण, ग्रहों के परिक्रमण की अवधि और उनके उपग्रह इस प्रकार हैं—

| ग्रह | सूर्य से औसत दूरी (लाख मीलों में) | औसत व्यास (मीलों में) | सूर्य के परिक्रमण की अवधि (दिनों में) | उपग्रह-संख्या |
|---|---|---|---|---|
| बुध | ३६० | ३,००० | ८७·६७ | ० |
| शुक्र | ६७० | ७,६०० | २२४·७० | ० |
| पृथ्वी | ९३० | ७,९२० | ३६५·२६ | १ |
| मंगल | १,४१० | ४,२०० | ६८६·९८ | २ |
| वृहस्पति | ४,८४० | ८८,७०० | ४,३३२·५९ | १२ |
| शनि | ८,८६० | ७५,१०० | १०,७५९·२९ | ९ |
| यूरेनस | १७,८२० | ३०,९०० | ३०,६८५·९३ | ५ |
| नेपच्यून | २७,९३० | ३३,००० | ६०,१८७·६४ | २ |
| प्लूटो | ३७,००० | ३,६५० | ९०,४७०·२३ | ० |

बुध—बुध आकार में सभी ग्रहों से छोटा और दूरी में सभी की अपेक्षा सूर्य के निकट है। सूर्य से इसकी दूरी ३ करोड़ ६० लाख मील और इसका औसत व्यास ३ हजार मील है। गगन-मण्डल में यह सूर्य से २१ अंश से अधिक दूर नहीं जाता और प्रति सेकेण्ड ३० मील चलकर ८८ दिनों के अन्दर ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य से निकट होने के कारण इसे हम बहुत कम देख पाते हैं। जब यह आकाश में सूर्य से १२ अंश से अधिक दूरी पर पश्चिम की ओर रहता है, तब हम इसे सूर्योदय के पूर्व बहुत थोड़ी देर के लिए क्षितिज के पास साफ आकाश में देख सकते हैं। उसी प्रकार सूर्य से १२ अंश से अधिक दूरी पर पूरब दिशा में रहने की हालत में सूर्यास्त के बाद थोड़ी देर के लिए यह साफ आकाश में दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि इसका केवल एक ही भाग सूर्य की ओर रहता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है।

शुक्र—शुक्र आकार में पृथ्वी से कुछ ही छोटा है। इसका औसत व्यास ७ हजार ६ सौ मील है। सूर्य से इसकी दूरी ६ करोड़ ७० लाख मील है। सूर्य से निकट होने के कारण यह केवल प्रातः और सायं क्षितिज से ४५ अंश के अन्दर ही दिखाई पड़ता है। सूर्य से पश्चिम रहने पर यह प्रातःकाल पूरब में दिखाई पड़ता है। परन्तु, जब यह सूर्य से पूरब रहता है, तब सन्ध्याकाल में पश्चिम की ओर दिखाई पड़ता है। यह अपनी धुरी पर ३० दिनों में एक बार घूम जाता है। इसकी धुरी सूर्य की कक्षा पर ८ अंश पर झुकी हुई है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे २२५ दिन लगते हैं। यह आकाश का सबसे बड़ा और चमकीला तारा है, इसी से बहुत-से लोग इसे पहचानते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है।

पृथ्वी—पृथ्वी आकार में नारंगी के समान गोल है। इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव चिपटे-से हैं। यदि कोई किसी दूसरे ग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखे, तो यह भी आकाश में एक चमकते हुए तारे के समान दिखाई पड़ेगी। यह ग्रहों में पाँचवाँ बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ९ करोड़, ३० लाख मील है। इसका क्षेत्रफल १९,६९,५०,२८४ वर्गमील है। विषुवत्-रेखा पर इसकी परिधि २४,९०,२३९ मील और व्यास ७,९२० मील है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसकी परिधि २४,८६०·४९ मील है। यह एक ठोस पिंड है। इसके भीतर

जाने पर प्रत्येक ५० फीट पर प्रायः १० डिग्री फारेनहाइट ताप बढ़ता जाता है। भीतर के मध्यभाग में तो इतनी गरमी है कि वह भाग पिघली हुई धातु के समान है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर २४ घंटे में एक बार घूमती है। यह सूर्य के चारों ओर जिस अंडाकार रास्ते से परिक्रमा करती है, उसे कक्षा कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने में इसे ३६५ दिन, ५ घंटे, ४८ मिनट, ४६ $\frac{७}{१०}$ सेकेंड लगते हैं। इतने समय को 'वर्ष' कहते हैं। पृथ्वी के अंडाकार कक्षा पर घूमने और उस पर इसकी धुरी के ६६½ अंश झुके रहने के कारण ऋतुएँ बनती हैं। इसका एक उपग्रह चन्द्रमा है, जिसके विषय में अलग लिखा गया है।

चन्द्रमा—यह पृथ्वी का उपग्रह है, जिसका हमारे जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी २,३८,८६० मील है। यह पृथ्वी के चारों ओर औसतन २७ दिन, ७ घंटे, ४३ मिनट और १२ सेकेंड में घूम जाता है। अपनी धुरी पर इसके घूमने की भी यही अवधि है। किन्तु पृथ्वी के साथ-साथ सूर्य का परिक्रमण करने की अपनी गति के फलस्वरूप चन्द्र मास की औसत अवधि २९ दिन, १२ घंटे, ४४ मिनट और ५ सेकेंड है। इसका सदा आधा भाग ही हमारे सामने रहता है। इसका व्यास २,१६० मील है। इसका अपना प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान रहता है। सूर्य और मुख्यतः चन्द्रमा के कारण समुद्र में ज्वार-भाटा आता है। कहते हैं कि चन्द्रमा पर वायु नहीं है, अतएव यहाँ कोई प्राणी नहीं रह सकता। इसका जो भाग सूर्य की ओर रहता है, उसका तापमान २००° सेण्टिग्रेड है। आधुनिक वैज्ञानिक चन्द्रमा पर जाने की चेष्टा बहुत दिनों से कर रहे हैं। इधर रूस और संयुक्तराज्य अमेरिका की ओर से समय-समय पर चन्द्रमा पर रॉकेट भेजने के प्रयत्न हुए हैं। सर्वप्रथम रूस का एक रॉकेट चन्द्रमा पर सन् १९५९ ई० के १४ सितम्बर को १२ बजे (मास्को-समय) रात के बाद पहुँचा था।

मंगल—मंगल आकाश में चमकता हुआ लाल रंग का एक तारा है। पृथ्वी के नजदीक आने पर यह और भी प्रकाशमान दीखता है। अभी हाल में, यह सन् १९५६ ई० में पृथ्वी के सबसे निकट आया था। उस समय यह पृथ्वी से केवल साढ़े तीन करोड़ मील दूर था। यह स्थिति इसके पहले सन् १९२४ ई० में आई थी और फिर, सन् १९७१ ई० में भी आयेगी। भारतीय ज्योतिषियों के मतानुसार यह पृथ्वी से ही अलग होकर एक दूसरा ग्रह बन गया है, इसी लिए इसको भौम, कुज और महीसुत भी कहा जाता है। इसका व्यास ४,२०० मील है, जो पृथ्वी के आधे व्यास से कुछ ही अधिक है। यह सूर्य से औसतन १४ करोड़, १० लाख मील दूर है। पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर रहने के कारण यहाँ की आबोहवा पृथ्वी की आबोहवा से ठंडी है। यह प्रति सेकेंड १५ मील चलकर ६८७ दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह अपनी धुरी पर २४ घंटे, ३७ मिनट में घूम जाता है। इसकी धुरी पृथ्वी की धुरी की तरह झुकी हुई है। इस कारण, यहाँ भी ऋतु-परिवर्त्तन होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के समान यहाँ भी जीवधारी हैं।

मंगल के दो उपग्रह हैं, जिनके नाम 'फोबस' और 'डिमोस' हैं। इनका पता सन् १८७७ ई० में लगा था। फोबस निकटवर्त्ती उपग्रह है। इसका व्यास १० मील है और यह ७ घंटे में मंगल के चारों ओर घूम जाता है। डिमोस दूरवर्त्ती उपग्रह है। इसका व्यास ५ मील है और यह ३० घंटे में मंगल की परिक्रमा करता है।

बृहस्पति—बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ४८ करोड़ ४० लाख मील है। विषुवत्-रेखा पर इसका औसत व्यास ८८ हजार, ७ सौ मील है। इसका गुरुत्व सभी ग्रहों के सम्मिलित गुरुत्व के दूना से भी अधिक है। आकाश में शुक्र के बाद यही चमकीला ग्रह है। यह केवल १० घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है। इतने बड़े ग्रह का १० घंटे में घूम जाना इसकी आश्चर्यजनक गति प्रकट करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग १२ वर्ष लगते हैं। आकाश में एक राशि को पार करने में इसे एक वर्ष लगता है।

बृहस्पति के १२ उपग्रह हैं, जिनमें ४ बड़े और ८ छोटे हैं। बड़े उपग्रह चन्द्रमा और बुध की तरह बड़े हैं। सबसे पीछे के चार उपग्रह बृहस्पति की अपनी गति की प्रतिकूल दिशा में घूमते हैं, जो आश्चर्यजनक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद ये चार उपग्रह मंगल और बृहस्पति के बीचवाले स्थान में घूमनेवाले लघुग्रह-समूह में से हों, जो बृहस्पति के आकर्षण से इसके दायरे में आ गये हों।

शनि—यह भी एक बड़ा तारा है, पर देखने में कुछ धुँधला-सा है। आकाश में मन्द गति से चलने के कारण इसका नाम 'शनि' या 'शनैश्चर' पड़ा। यह लगभग तीस वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, किन्तु अपनी धुरी पर एक बार घूम जाने में इसे १० घंटे ही लगते हैं। सूर्य से इसकी दूरी ८८ करोड़ ६४ लाख मील है, अर्थात् बृहस्पति की दूरी से भी लगभग दूनी। विषुवत्-रेखा पर इसका औसत व्यास ७५ हजार मील है। दूरवीक्षण-यंत्र से देखने पर इसके चारों ओर मंडलाकार तीन परिवेष्टन मालूम पड़ते हैं। परिवेष्टन का आरम्भ शनि की सतह से ७,००० मील बाद होता है, जो विषुवत्-रेखा के ऊपर ३५,००० मील के घेरे में है। वेष्टनों को मिलाकर शनि का व्यास १ लाख ७० हजार मील है। शनि के ६ उपग्रह हैं, जिनमें तीन बहुत बड़े हैं। एक उपग्रह 'टीटन' का व्यास ३,५०० मील है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि किसी उपग्रह के नष्ट-भ्रष्ट होने से ही ये परिवेष्टन बने हैं।

यूरेनस—यूरेनस दूरवीक्षण-यंत्र से ही स्पष्टतः दिखाई पड़नेवाला ग्रह है। पर, कभी-कभी यह मुश्किल से खुली आँखों से भी देखा जाता है। इसका पता सन् १७८१ ई० में लगा था। सूर्य से इसकी दूरी १ अरब ७८ करोड़ २० लाख मील है। इसका व्यास ३०,९०० मील है। यह ८४ वर्षों में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके पाँच उपग्रह हैं। यूरेनस का भारतीय नाम 'इन्द्र' दिया गया है।

नेपच्यून—यह दूरवीक्षण-यंत्र से ही देखा जा सकता है। इसका पता सन् १८४५ ई० में लगा था। सूर्य से इसकी दूरी २ अरब ७९ करोड़ ३० लाख मील है। इसका औसत व्यास ३३ हजार मील है। यह लगभग १६५ वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके दो उपग्रह हैं। दूसरे उपग्रह का पता सन् १०४८ ई० में लगा था। नेपच्यून का भारतीय नाम 'वरुण' दिया गया है।

प्लूटो—यह सूर्य का सबसे दूरवर्त्ती ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ३ अरब ७० करोड़ मील है। आकार में यह सबसे छोटा ग्रह बुध से कुछ ही बड़ा है। इसका व्यास ३,७५० मील है। यह २४८ वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके उपग्रह का पता नहीं लगा है।

**एक नया ग्रह**—रूस के वैज्ञानिकों ने ११ फरवरी, १९६० ई० को दावा किया था कि मकर राशि के तारक-पुंजों का चित्र लेते समय वे अचानक एक ग्रह का पता लगा सके हैं। सन् १९५७ ई० में ही मास्को-विश्वविद्यालय के छात्र एडवर्ड वेनिशुक ने वैज्ञानिकों का ध्यान इस ग्रह की ओर आकृष्ट किया था।

**छोटे-छोटे ग्रह**—बड़े-बड़े ग्रहों के अतिरिक्त छोटे-छोटे ग्रह भी बहुत हैं, जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच ही दूरवीक्षण-यंत्र से १,५०० से अधिक छोटे-छोटे ग्रह देखे गये हैं। इन ग्रहों में सबसे बड़े 'सिरस' का व्यास ४८५ मील, 'पल्लस' का २८० मील, 'जूनो' का १५० मील और 'वेस्टा' का २४१ मील है।

**नवग्रह**--भारतीय फलित ज्यौतिष में नव ग्रह बताये गये हैं। ग्रहों का पृथ्वी पर प्रभाव बताने में स्वयं पृथ्वी की ग्रहों में गणना करने की आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर प्रभाव डालनेवाले सूर्य और उपग्रह चन्द्रमा को भी ग्रह कहा गया है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि तो ग्रह हैं ही। इस प्रकार सात ग्रह हुए। शेष दो ग्रह राहु और केतु कहलाये। ये दोनों सूर्य और चन्द्रमा की कक्षा के दो सम्पात-बिन्दु हैं। आकाश में उत्तर की ओर बढ़ते हुए चन्द्रमा की कक्षा जब सूर्य की कक्षा को काटती है, तब उस सम्पात-बिन्दु को राहु और दक्षिण की ओर नीचे उतरते हुए चन्द्रमा की कक्षा जब सूर्य की कक्षा को पार करती है, तब उस सम्पात-बिन्दु को केतु कहते हैं। ये दोनों बिन्दु बराबर बदलते रहते हैं। ये ही नौ 'नवग्रह' कहलाये।

**धूमकेतु**—कभी-कभी आकाश में धूमकेतु या पुच्छल तारे दिखाई पड़ते हैं। ये छोटे-बड़े कई प्रकार के हैं। कुछ पुच्छल तारे दूरवीक्षण-यंत्र से ही देखे जा सकते हैं। अबतक लोगों ने लगभग १००० धूमकेतुओं का पता लगाया है। इनमें कुछ की गति आदि का भी पता चल गया है। यह प्रायः दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करता है। सन् १९१० ई० में 'हेली' नामक धूमकेतु पूरब की ओर प्रातःकाल में दिखाई पड़ा और क्रम से बढ़ते हुए सारे आकाश में छा गया तथा कई महीनों तक दिखाई पड़ता रहा। यह पुनः सन् १९८५ ई० में दिखाई देगा। इधर सन् १९५७ ई० के अप्रैल में 'अरैण्ड रोलैण्ड' और अगस्त में 'मारकोज' नामक धूमकेतु उत्तर-पश्चिम दिशा में संध्या समय कई दिनों तक दिखाई पड़े थे। अक्टूबर, १९५८ में 'डोनाटी' नामक धूमकेतु दिखाई पड़ा।

**उल्कापात**—अंतरिक्ष में चक्कर काटनेवाले सौर परिवार के छोटे-छोटे पिंड कभी-कभी पृथ्वी के आकर्षण में आ जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये शायद धूमकेतुओं से आते हैं। इन पिंडों में अधिकांश पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने पर वायु की रगड़ से प्रकाश-रेखा में परिणत होकर नष्ट हो जाते हैं। हम प्रायः प्रत्येक रात्रि में इन प्रकाश-रेखाओं को देखा करते हैं। कुछ बड़े पिंड वायु की रगड़ से क्षीण होते हुए भी पृथ्वी पर पहुँच जाते हैं, पर इनकी संख्या बहुत थोड़ी है। पृथ्वी पर गिरी हुई सबसे बड़ी उल्का दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका के ग्रूटफाउण्टेन नामक स्थान में स्थित बताई जाती है। इसका वजन ७० टन है। दूसरी बड़ी उल्का ग्रीनलैण्ड के केप-यॉर्क नामक स्थान में मिली है और वह न्यूयार्क के एक संग्रहालय में रखी गई है। वह तौल में ३४ टन से भी अधिक है। वहाँ छोटी-बड़ी कई और भी उल्काओं का संग्रह है।

**तारक-पुंज**—आकाश के तारों को पहचानने के लिए उनमें से मुख्य-मुख्य तारों के नाम रख दिये गये हैं। फिर, समस्त तारक-समूह को अलग-अलग पुंजों में बाँटा गया है। हम चीन, भारत, अरब, मिस्र तथा आधुनिक पाश्चात्य देशों के अनुसार तारों के नाम और पुंज भिन्न-भिन्न पाते हैं। आधुनिक ज्योतिषियों ने पहचान के लिए छोटे-छोटे तारों के नम्बर भी दे दिये हैं और समस्त तारक-समूह को ८८ पुंजों में बाँटा है। प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार आकाश के कुछ मुख्य तारे या तारक-पुंज इस प्रकार हैं—सप्तर्षि, शिशुमार-चक्र, शेषनाग, पुलोमा, कालका, कपि (गणेश), हिरण्याक्ष, वराह, उपदानवी, शुनी, हरसर्प, ईश, सुनीति, दशानन, सर्पमाल, वीणा, खगेश; हयशिरा, त्रिक, जलकेतु, ब्रह्मा, कालपुरुष, वैतरणी, अगस्त, त्रिशंकु, क्रौञ्च और काकभुशुण्डि। भारतीय गणना के लिए जिन तारक-पुंजों की विशेष आवश्यकता होती है, वे नक्षत्र और राशि के नाम से जाने जाते हैं। नक्षत्रों की संख्या २७ और राशियों की संख्या १२ है, जिनका विशेष विवरण आगे दिया गया है।

**आकाश-गंगा**—यह छोटे-छोटे धुँधले प्रकाशवाले सघन तारक-पुंजों की चौड़ी पंक्ति है, जो साधारणतः उत्तर से दक्षिण की ओर फैली रहती है। बीच में इसकी दो शाखाएँ भी हो गई हैं, जो आगे चलकर फिर मिल जाती हैं। यह अँधेरी रात में बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है। असंख्य धुँधले तारक-पुंजों की ऐसी पंक्ति क्या है, क्यों है और कितनी दूरी पर है, यह समझ सकना बहुत कठिन है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तारक-पुंजों में भी हमारे सूर्य और ग्रह-उपग्रह-जैसे न मालूम कितने तारे होंगे।

**नक्षत्र**—सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहगण तारों के बीच पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। सूर्य जिस मार्ग से तारों के बीच पश्चिम से पूरब की ओर चलकर वर्ष-भर में चक्कर पूरा करता है, उसे क्रान्ति-वृत्त कहा जाता है। चन्द्रमा भी इसके आसपास ही पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है और मध्य गति से २७ दिन, १९ घड़ी, १८ पल और १६ विपल में उसे पूरा करता है। ६० विपल का एक पल, ६० पल की एक घड़ी या दंड और ६० घड़ी या दंड का एक अहोरात्र होता है। चन्द्रमा के २७ दिनों में चक्कर पूरा करने के कारण गगन-मंडल को २७ भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग के नक्षत्र-पुंज का प्रायः उसके काल्पनिक आकार के अनुसार नाम दे दिया गया है। प्रत्येक नक्षत्र १३⅓ अंश का होता है। चन्द्रमा की गति सदा एक-सी नहीं होती। इसलिए, एक नक्षत्र को पार करने में चन्द्रमा को ५४ से ६५ दंड तक लग जाता है। अतः, प्रत्येक नक्षत्र का मान एक नहीं होता। सूर्योदय-काल से जितने घड़ी-पल या घंटा-मिनट तक चन्द्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है, पञ्चाङ्ग में उस नक्षत्र के नाम के सामने वही अंक लिख दिया जाता है। जो नक्षत्र एक सूर्योदय के पीछे आरम्भ होकर दूसरे सूर्योदय के पूर्व ही समाप्त हो जाता है, उसका समय कोष्ठक में नीचे छोटे अंक में दे दिया जाता है, पर स्थानाभाव से नाम नहीं दिया जाता। आकाश में पश्चिम से पूरब की ओर २७ नक्षत्रों के नाम ये हैं—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा और रेवती। प्रत्येक नक्षत्र को चार चरणों में बाँटते हैं। फलित ज्योतिष में उत्तराषाढ के चौथे चरण और श्रवणा के पहले १५वें भाग को 'अभिजित् नक्षत्र' कहते हैं। कृत्तिका नक्षत्र की साधारण

जन 'कचवचिया' भी कहते हैं और इसे बहुत लोग पहचानते हैं। एक नक्षत्र की पहचान के बाद मोटामोटी १३⅓ अंशों की दूरी पर सूर्य और चन्द्रमा के मार्गों के बीच आकाश में दूसरे नक्षत्रों को पहचानने की चेष्टा की जा सकती है। चन्द्रमा किस दिन किस नक्षत्र पर कितने समय तक रहता है, यह पञ्चाङ्गों में दिया रहता है। उससे भी नक्षत्रों के पहचानने में सहायता मिलती है।

राशि—जिस प्रकार चन्द्रमा की दैनिक गति के अनुसार नक्षत्र की कल्पना की गई है, उसी प्रकार सूर्य की मासिक गति के अनुसार राशि की कल्पना हुई है। आकाश में सूर्य के मार्ग क्रान्ति-वृत्त के १२वें भाग को 'राशि' कहते हैं। इस प्रकार एक राशि ३० अंश की हुई। १२ राशियों के नाम आकाश के १२ भागों के तारों की राशि, अर्थात् समूह के कल्पित रूप के अनुसार पड़े हैं। आकाश में पश्चिम से पूरब की ओर १२ राशियाँ ये हैं—मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन। मेष तारक-राशि का रूप भेड़ के समान और वृष का बैल के समान है। मिथुन का रूप आकाश-गंगा की नौका में बैठे एक स्त्री और पुरुष का है। कर्क का रूप केंकड़ा और सिंह का रूप बैठे सिंह के समान है। कन्या का रूप हाथ में धान का पौधा लिये एक बालिका के समान है। तुला का रूप तराजू, वृश्चिक का बिच्छू और धनु का अश्वारोही धनुर्धारी व्यक्ति के सदृश है। मकर का रूप मगर के समान और कुम्भ का रूप घड़ा से पानी पटाते हुए एक वृद्ध-सा है। मीन की शक्ल दो मछलियों की तरह है। सिंह, वृश्चिक और धनु राशि के रूप इतने स्पष्ट हैं कि आसानी से आकाश में पहचाने जा सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि का आदि बिन्दु एक ही है। प्रत्येक राशि २¼ नक्षत्र की है। सम्पूर्ण अश्विनी और भरणी नक्षत्र तथा कृत्तिका का एक चरण मिलकर मेष राशि, इसी प्रकार कृत्तिका का शेष तीन चरण, रोहिणी सम्पूर्ण तथा मृगशिरा के प्रथम दो चरण मिलकर वृष राशि हुई। इसी तरह अन्य नक्षत्रों और राशियों का सम्बन्ध समझना चाहिए। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब मेष-संक्रान्ति कहलाती है और जब वृष में प्रवेश करता है, तब वृष-संक्रान्ति कही जाती है। इसी प्रकार, अन्य राशियों में सूर्य के प्रवेश की बात समझनी चाहिए।

किसी समय मेष-संक्रान्ति के अवसर पर ही रात-दिन बराबर होते थे, पर क्रमशः हटते-हटते अब २३ दिन पहले ही ऐसा होता है। आकाशस्थ अश्विनी नक्षत्र या मेष राशि के आदि के निश्चित तारों से राशियों की गणना करने पर वे निरयन राशियाँ होती हैं। पर क्रान्ति-वृत्त और विषुवत्-वृत्त के पीछे खिसकते हुए सम्पात-बिन्दु से राशियों की गणना करने पर वे सायन राशियाँ होती हैं। यह सम्पात-बिन्दु प्रतिवर्ष ५६ विकला की गति से पीछे हट रहा है। सायन और निरयन राशि में सं० २०१६ विक्रमाब्द के आरम्भ में २३ अंश, १८ कला और विकला का अन्तर है।

पृथ्वी की दैनिक गति के कारण एक अहोरात्र में राशि-चक्र एक परिक्रमा कर लेता है। इससे भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न राशियाँ पूर्वी क्षितिज पर उदित होती हैं। देश के अक्षांश के अनुसार राशियों का उदय-काल भिन्न-भिन्न होता है। जिस समय जो राशि पूर्वी क्षितिज पर लगी रहती है, उस समय वह राशि 'लग्न' कहलाती है।

ग्रहों की गति—सूर्य, चन्द्र और भिन्न-भिन्न ग्रह कब, किस नक्षत्र और राशि में रहते हैं, यह पञ्चाङ्ग में दिया रहता है। उसके सहारे आकाश में हम उन्हें देख सकते हैं। ये सब प्रतिदिन आकाश के स्थिर तारों के बीच पूरब की ओर कुछ-कुछ खिसकते रहते हैं। इसलिए,

लगातार कई दिनों तक देखते रहने से पहचानना कठिन नहीं होता। ग्रहों की दो गतियाँ होती हैं—मार्गी और वक्री। ग्रहों के साधारणतः अपने मार्ग पर पूरब की ओर चलने को 'मार्गी गति' कहते हैं। कभी-कभी ग्रह थोड़े समय के लिए पश्चिम की ओर पीछे हटते हैं। इसे ही 'वक्री गति' कहते हैं। भारतीय गणनानुसार सूर्य एवं ग्रहों की दैनिक मध्य गति नीचे दी जाती है—

| | अंश | कला | विकला | प्रविकला | पराविकला |
|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | ० | ५९ | ८ | १० | २१ |
| चन्द्र | १३ | १० | ३४ | ३५ | ० |
| बुध | ४ | ५ | ३२ | १८ | ९ |
| शुक्र | १ | ३६ | ७ | ४४ | ३५ |
| मंगल | ० | ३१ | २६ | २८ | ७ |
| बृहस्पति | ० | ४ | ५९ | ९ | ९ |
| शनि | ० | २ | ० | २२ | ५१ |
| यूरेनस | ० | ० | ४२ | १३ | ४८ |
| नेपच्यून | ० | ० | २१ | ३१ | ४८ |
| प्लूटो | ० | ० | १४ | १९ | १२ |
| राहु और केतु | ० | ३ | १० | ४६ | १२ |

## कालमान

भारत में काल का सबसे बड़ा मान ब्रह्मायु है। १०० ब्राह्म वर्ष की एक ब्रह्मायु और ३६० ब्राह्म अहोरात्र का एक ब्राह्म वर्ष माना जाता है। एक ब्राह्म दिन और एक ब्राह्म रात का एक ब्राह्म अहोरात्र होता है। एक ब्राह्म दिन या एक ब्राह्म रात को 'कल्प' भी कहते हैं। एक कल्प में १४ मन्वन्तर, अर्थात् १००० महायुग, दैवयुग या चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग माने जाते हैं। कलियुग का मान ४,३२,००० मानव-वर्ष है। कलियुग से दूना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग है। इस प्रकार, एक महायुग ४३,२०,००० मानव-वर्ष का होता है, और एक ब्रह्मायु में ३१,१०,४०,००,००,००,००० मानव-वर्ष होते हैं। कहते हैं, प्रत्येक कल्प के अन्त में महाप्रलय होता है और उसके बाद फिर सृष्टि होती है। इन सबका कारण पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना और सूर्य का सपरिवार ब्रह्म की परिक्रमा करना बताया जाता है।

प्राचीन भारतीय विद्वानों की गणना के अनुसार इस समय आधी ब्रह्मायु बीत चुकी है। शेष आधी के प्रथम ब्राह्म वर्ष का प्रथम दिवस, अर्थात् प्रथम कल्प है। इस कल्प का नाम श्वेतवाराह कल्प है। इस कल्प के ६ मन्वन्तर—स्वायम्भुव, स्वारोचिष, औत्तमि, तामस, रैवत और चाक्षुष बीत चुके हैं। यह सातवाँ मन्वन्तर वैवस्वत वर्त्तमान है। इस मन्वन्तर के २७ महायुग बीत गये हैं। २८ वें महायुग के भी तीन युग बीत चुके, चौथा कलियुग वर्त्तमान है। कलियुग के भी २०१६ वि० की मेष-संक्रान्ति तक ५,०६३ वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रकार, कल्प से,

अर्थात् सृष्टि से लेकर संवत् २०१६ विक्रमीय तक १,६७,२६,४६,०६३ वर्ष हुए हैं। आज के वैज्ञानिक भी पृथ्वी की आयु स्थूल गणनानुसार २ अरब वर्ष बताते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक शुभ कार्य के संकल्प में सृष्टि के आरम्भ से ही काल की गणना की जाती है।

वर्ष—पृथ्वी जितने समय में सूर्य की परिक्रमा करती है, उतने समय का वर्ष होता है। इस परिक्रमा में ३६५ दिन, ५ घंटे, ४८ मिनट और ४६.७ सेकेण्ड लगते हैं। अतएव, सौर वर्ष ३६५ दिन के होते हैं। जितना समय बचता है, उसे ४ वर्षों तक लगातार जोड़ने पर २३ घंटे, १५ मिनट और १८.८ सेकेण्ड होते हैं। इसलिए, चौथे वर्ष एक निश्चित महीने में एक दिन जोड़कर ३६६ दिन का वर्ष बना लेते हैं। फिर, इसमें जो थोड़ा समय बढ़ा रहता है, उसे पूरा करने के लिए १००वें वर्ष में चौथे वर्ष का एक दिन नहीं बढ़ाते हैं। फिर भी, जो कमी-बेशी रह जाती है, उसे ४०० वर्षों में ठीक कर लेते हैं, अर्थात् १००वें वर्ष में एक नहीं बढ़ाते, पर ४००वें वर्ष में बढ़ा देते हैं।

चन्द्रमा की गति के हिसाब से लोग चान्द्र वर्ष मानते हैं। चन्द्रमा जितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे मास मानकर १२ मास का एक वर्ष मान लेते हैं। चान्द्र वर्ष में लगभग ३५४ दिन, ६ घंटे होते हैं।

संवत्सर—जितने समय में बृहस्पति मध्यम गति से एक राशि पर चलता है, उसे 'संवत्सर' कहते हैं। एक संवत्सर ३६१ दिन, १ घड़ी और ३६ पल के लगभग होता है। यह भी एक प्रकार का वर्ष ही है। सौर वर्ष से यह ४ दिन, १२ घड़ी और ५५ पल कम पड़ता है। भारतीय ज्योतिषियों ने ६० संवत्सरों का एक चक्र माना है। वे क्रमशः एक के बाद दूसरे आते हैं। संवत्सरों के नाम इस प्रकार हैं—प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलम्ब, विलम्ब, विकारी, शर्वरी, प्लव, शुभकृत्, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, नल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुन्दुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन और क्षय।

सन्-संवत्—वर्ष की गणना भिन्न-भिन्न प्रमुख समयों या घटनाओं से की जाती है। यह बात नीचे दिये गये कुछ प्रमुख सन्-संवतों के विवरण से स्पष्ट है—

सृष्टि-संवत् को विक्रम-संवत् के २०१६ में १,६७,२६,४६,०६३ वर्ष हुए हैं। काश्मीर में सप्तर्षि-संवत् का प्रचार रहा, जो ईसा के ३,१७६ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था। इसके मास पूर्णिमान्त हैं तथा वर्ष चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है। कलियुग का आरम्भ ईसा के ३,१०१ वर्ष पहले हुआ था। इस प्रकार सन् १९६२ ई० में ५,०६३ कलियुगाब्द हुआ। इसका सम्बन्ध सौर और चान्द्र दोनों गणनाओं से है। सौर गणनानुसार यह मेष-संक्रान्ति से और चान्द्र गणनानुसार चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा से आरम्भ होता है। बुद्धाब्द का प्रारम्भ ईसा के ५४४ वर्ष पूर्व हुआ। इसके वर्ष का आरम्भ वैशाख-पूर्णिमा से किया जाता है। उस दिन सन् १९६२ ई० में २,५०६ बुद्धाब्द आरम्भ होता है। श्रीलंका में इसका सर्वाधिक प्रचार है। महावीराब्द (वीराब्द) ईसा से ५२७ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था। यह कार्त्तिक शुक्ल-प्रतिपदा से

आरम्भ होता है। सन् १९६२ ई० में उस दिन वीराब्द २४८९ होगा। विक्रमाब्द ईसा से ५७ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था। सन् १९६२ ई० में विक्रमाब्द २०१९ है, जिसका आरम्भ भिन्न-भिन्न स्थानों में आगे लिखी तिथियों के अनुसार होता है। सौर गणनानुसार यह मेष-संक्रांति से प्रारम्भ होता है। चान्द्र गणनानुसार इसका आरम्भ बंगाल को छोड़कर शेष उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा से, गुजरात में कार्तिक शुक्ल-प्रतिपदा से और काठियावाड़ में आषाढ़ शुक्ल-प्रतिपदा से किया जाता है। उत्तर भारत में इसके पूर्णिमान्त मास माने जाते हैं, किन्तु गुजरात और काठियावाड़ में अमान्त मास। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से इस संवत् का आरम्भ माना जाता है। भारत के ज्योतिषियों ने सबसे अधिक शकाब्द का प्रयोग किया है। इसका आरम्भ शक शालिवाहन के समय से, ईसवी सन् ७८ से, माना जाता है। विभिन्न गणनानुसार शकाब्द का आरम्भ विभिन्न तिथियों से होता है। सौर गणनानुसार शकाब्द मेष-संक्रान्ति से चलता है तथा चान्द्र गणनानुसार चैत्र प्रतिपदा से। उत्तर भारत में इसके पूर्णिमान्त मास होते हैं तथा दक्षिण भारत में अमान्त मास। भारत सरकार ने शकाब्द को राष्ट्रीय संवत् के रूप में स्वीकार किया है। इसकी गणना २२ मार्च १९५० ई०, अर्थात् १८८० शकाब्द के १ चैत्र से आरम्भ की गई है। इस गणना के संबंध में विशेष बातें आगे दी गई हैं।

पश्चिमी तथा मध्य भारत में चेदि (कलचुरी)-संवत् का प्रचलन है, जिसका आरम्भ सन् ९४८ ई० में हुआ था। इसके पूर्णिमान्त मास होते हैं और आश्विन शुक्ल-प्रतिपदा से यह प्रारम्भ होता है। काठियावाड़ और सौराष्ट्र में वल्लभी संवत् चलता है, जो ईसवी सन् के ३१८वें वर्ष में आरम्भ हुआ था। इसके पूर्णिमान्त और अमान्त दोनों तरह के महीने होते हैं और कार्तिक शुक्ल-प्रतिपदा से वर्ष का आरम्भ किया जाता है।

गुप्त-साम्राज्य के समय सन् ३१९ ई० से गुप्त-संवत् चला था। इसके वर्ष का आरम्भ चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा से होता है तथा इसके मास पूर्णिमान्त हैं। प्रसिद्ध सम्राट् हर्षवर्द्धन के समय से ६०६ ई० में कन्नौज और, मथुरा में हर्षाब्द का लिखा जाना आरम्भ हुआ। मुसलमानों का हिजरी सन् मुहम्मद साहब के मक्का से मदीना भागने के समय (६२२ ई०) से चला हुआ है। भारत आने पर भी मुसलमानों ने इसका व्यवहार जारी रखा। यह चान्द्र गणनानुसार मुहर्रम मास से आरम्भ होता है। इस समय हिजरी सन् का १३८२वाँ वर्ष है। बंगाल में सन् १५५६ ई० में ९६३ हिजरी सन् को सौर गणना के अनुसार चलाकर बँगला सन् का निर्माण किया गया। इसका आरम्भ मेष-संक्रान्ति से होता है। इस समय बँगला सन् १३६९ है। बंगाल और उड़ीसा में एक और सन् विलायती सन् है। इसका आरम्भ सौर गणनानुसार कन्या-संक्रान्ति से होता है, जो इस समय १३७० है। उड़ीसा-राज्य में एक आमली सन् है। इसके वर्ष का आरम्भ भाद्र शुक्ल-द्वादशी से होता है। इस समय सन् १९६२ ई० में यह सन् भी १३७० है। हिजरी सन् को ही भारतीय सौर और चान्द्र गणनानुसार चलाकर फसली सन् बनाया गया, जो प्रायः सारे भारत में प्रचलित हुआ। स्थान-भेद से यह तीन प्रकार का है। इनमें एक का बंगाल-बिहार में, १५८४ ई० में तत्कालीन ९९२ फसली को भारतीय सौर गणनानुसार चलाकर निर्माण किया गया। इसके मास पूर्णिमान्त होते हैं और वर्ष का आरम्भ भाद्र कृष्ण-प्रतिपदा १ से किया जाता है। इस वर्ष के भाद्र में इस सन् का १३७०वाँ वर्ष हुआ। दूसरा फसली सन् दक्षिण

भारत में प्रचलित है। इसका वर्षारम्भ १ जुलाई से होता है। इस वर्ष की जुलाई में इस सन् का १३७२वाँ वर्ष है। तीसरे प्रकार का फसली सन् बम्बई में प्रचलित है, जिसका आरम्भ सूर्य के मृगशिरा-नक्षत्र में प्रवेश करने के समय से होता है। इस समय इस सन् का १३७२वाँ वर्ष है।

दक्षिण-पूर्व भारत में गंगाब्द का प्रचार है। मालाबार के इलाके में कोल्लम् नामक संवत् चलता है। यह इस समय ११३८ है। उत्तर मालाबार में इसे लोग कन्या-संक्रान्ति से आरम्भ करते हैं और दक्षिण मालाबार में सिंह-संक्रान्ति से। मिथिला में राजा लक्ष्मण सेन का चलाया हुआ लक्ष्मणाब्द प्रचलित है, जो कार्तिक शुक्ल-प्रतिपदा से आरम्भ होता है। इस वर्ष, शकाब्द १८८४ के कार्तिक में यह ८५४ होगा। गुजरात में सिद्धराज जयसिंह द्वारा १११३ ई० में सिंह-सवत् चलाया गया था। इसके अमान्त मास होते हैं और वर्ष का आरम्भ आषाढ़-शुक्ल प्रतिपदा से किया जाता है। सन् १५५५ ई० (९६३ हिजरी) में सम्राट् अकबर द्वारा तारीख इलाही चलाई गई थी, जिसका आरम्भ मेष-संक्रान्ति से किया गया था। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक-काल, सन् १६७३ ई०, से राज-शाक चलाया गया। इसके मास अमान्त होते हैं और इसके वर्ष का आरम्भ ज्येष्ठ शुक्ल-त्रयोदशी से होता है। अभी हाल से कुछ लोग कुछ प्रमुख महापुरुषों के समय से कई नये सन् चलाने लगे हैं; जैसे—तुलसी-संवत्, चैतन्य-संवत्, दयानन्दाब्द आदि।

यहूदी-संवत् यहूदियों में प्रचलित है। अँगरेजों के आने के बाद भारत में ईसवी सन् का बहुत प्रचार हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी यहाँ इसका सार्वजनिक रूप से व्यवहार हो रहा है। इसका विस्तृत विवरण रोमन और ईसाई कलेण्डर के प्रकरण में दिया गया है।

सभी भारतीय संवतों का सम्बन्ध सौर और चान्द्र दोनों गणनाओं से है। अँगरेजी सन् केवल सौर गणना पर और हिजरी सन् केवल चान्द्र गणना पर चलते हैं। चान्द्र गणना पर चलने के कारण हिजरी महीनों को ऋतुओं से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। कभी कोई महीना जाड़ा में, कभी गर्मी में और कभी बरसात में पड़ जाता है। यहूदी-संवत् दोनों पर निर्भर करता है।

संवतों का आरम्भ भिन्न-भिन्न महीनों से होता है। भारतीय संवतों का आरम्भ सौर गणनानुसार साधारणतः मेष-संक्रान्ति, अर्थात् सौर वैशाख से होता है। मेष-संक्रान्ति प्रायः १३ अप्रैल को होती है। उसी प्रकार चान्द्र गणना के हिसाब से संवत् साधारणतः चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा से आरम्भ होते हैं। भारतीय ज्योतिषियों का कहना है कि सृष्टि का आरम्भ इसी दिन हुआ था। वर्षारम्भ की ये दो तिथियाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। सम्भव है कि गणना के आरम्भ में ये दो तिथियाँ एक ही दिन पड़ी हों।

मास—मास सौर और चान्द्र दो प्रकार के होते हैं। सूर्य जितने समय तक एक राशि में रहता है, उतने समय को सौर मास कहते हैं। सूर्य जिस समय जिस राशि में प्रवेश करता है, उस समय उस राशि की संक्रान्ति होती है। कहीं संक्रान्ति के दिन से और कहीं अगले प्रातःकाल से मास का आरम्भ मानते हैं। सौर मास का नाम प्रायः राशि के नाम पर ही रहता है। चान्द्र मास के नाम नक्षत्रों के नाम पर हैं; जैसे—चैत्र का नाम चित्रा नक्षत्र पर, वैशाख का विशाखा पर, ज्येष्ठ का ज्येष्ठा पर आदि। सौर मास को चान्द्र मास के

नाम से भी पुकारते हैं; जैसे मेष सौर मास को वैशाख, वृष को ज्येष्ठ, मिथुन को आषाढ, कर्क को श्रावण, सिंह को भादो, कन्या को आश्विन, तुला को कार्त्तिक, वृश्चिक को अग्रहायण, धनु को पौष, मकर को माघ, कुम्भ को फाल्गुन और मीन को चैत्र सूर्य की गति एक-सी नहीं होती। उसे भिन्न-भिन्न राशियों को पार करने में भिन्न-भिन्न समय लगते हैं, इसलिए सौर मास के दिन में दो-एक दिन का अन्तर हो जाया करता है। स्थूल गणनानुसार कुछ लोगों ने सौर मास के दिन निश्चित कर दिये हैं। मेष, वृष, कर्क, सिंह तथा कन्या के ३१ दिन, मिथुन के ३२ दिन, वृश्चिक और धनु के २६ दिन तथा तुला, मकर, कुम्भ और मीन के ३० दिन माने गये हैं। चौथे वर्ष में कुम्भ के ३१ दिन माने जाते हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक रोला छन्द है—

बत्तिस मिथुन दिनेस दिवस इकतीस शेष गनु। तीस तुला घट मकर मीन उनतीस वृश्चिक धनु॥
विक्रम चौथे बरस कुम्भ इकतीस गिनैये। दिये चार सों भाग शेष जो कुछ न पैये॥

चन्द्रमा के पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण चान्द्र मास होते हैं। चान्द्र मास दो तरह के होते हैं—एक अमान्त और दूसरा पूर्णिमान्त। एक अमावस के बाद से दूसरे अमावस तक के समय को अमान्त चान्द्र मास और एक पूर्णिमा के बाद से दूसरी पूर्णिमा तक के समय को पूर्णिमान्त चान्द्र मास कहते हैं। जब सूर्य और चन्द्र आकाश में एक जगह दिखाई पड़ते हैं, तब उसे 'अमावस' और जब वे दोनों ठीक विपरीत दिशा में आमने-सामने १८० अंश पर होते हैं, तब उसे 'पूर्णिमा' कहते हैं। अमावस को चाँद नहीं दिखाई पड़ता। फिर, वह धीरे-धीरे बढ़ता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण गोल दिखाई पड़ता है। चान्द्र मास के नाम नक्षत्रों के नाम पर पड़े हैं, यह कहा जा चुका है। चैत्र मास का पूर्ण चन्द्र चित्रा नक्षत्र पर या उसके आस-पास रहता है। उसी तरह वैशाख का विशाखा के पास और ज्येष्ठ का ज्येष्ठा के पास रहता है। इसी भाँति और महीनों का समझना चाहिए।

चान्द्र मास कभी २६, कभी ३० और कभी ३१ दिन का होता है। औसत हिसाब से चान्द्र मास २६ दिन, १२ घंटे, ३५ मिनट का होता है और चान्द्र वर्ष ३५४ दिन ६ घंटे का। सौर वर्ष ३६५ दिन, ६ घंटों का होने से दोनों में १० दिन, २१ घंटे का अन्तर पड़ जाता है। अतएव ऋतु और सौर वर्ष का मेल रखने के लिए प्रत्येक ३३वें सौर मास में एक चान्द्र मास अधिक गिन लेते हैं, जिसे 'अधिमास' या 'मलमास' कहते हैं। जिस अमान्त चान्द्र मास में संक्रान्ति नहीं पड़ती, उसी मास को अधिमास कहते हैं। हिसाब पूरा होने में कुछ बाकी रह जाता है, अतएव उसे पूरा करने के लिए कभी-कभी चान्द्र मास का क्षय भी मान लेते हैं। जिस मास में दो संक्रान्ति पड़ जाती है, वही लुप्त माना जाता है। किन्तु, जिस वर्ष में एक क्षयमास होता है, उस वर्ष दो अधिमास होते हैं। क्षयमास कभी १४१ वर्ष में और कभी १६ वर्ष में होता है। आगे २०२० विक्रमाब्द के कार्तिक में, २०३६ के पौष में, २१८० के अगहन में और २१६६ के पौष में क्षयमास होंगे।

ऋतुएँ—ऋतुएँ दो-दो मास की होती हैं। ज्यौतिष के हिसाब से चैत्र-वैशाख को वसन्त, ज्येष्ठ-आषाढ़ को ग्रीष्म, श्रावण-भाद्रपद को वर्षा, आश्विन-कार्त्तिक को शरद्, अगहन-पौष को हेमन्त और माघ-फाल्गुन को शिशिर कहते हैं। वैद्यक रीति से फाल्गुन-चैत्र को वसन्त और वैशाख-ज्येष्ठ को ग्रीष्म कहते हैं। इसी तरह आगे भी समझना चाहिए।

तिथि—मास तिथियों में बँटे होते हैं। भारतीय गणनानुसार सूर्य जिस राशि को जितने दिन में पार करता है, उस और मास में उतनी तिथियाँ होती हैं। अँगरेजी महीने की तारीखें भी इसी हिसाब से निश्चित कर दी गई हैं। हिजरी चान्द्र महीने की तारीखें अमावस के बाद चाँद उगने के दिन से दूसरे दूज के चाँद के पूर्व तक गिन ली जाती हैं। परन्तु, हिन्दू लोग चान्द्र तिथियों की गणना यज्ञ एवं पर्व आदि के निमित्त चन्द्रमा की दैनिक गति के अनुसार करते हैं। पहले मास के दो भाग कर लिये जाते हैं, जिन्हें 'पक्ष' कहते हैं। प्रत्येक पक्ष की १५ तिथियाँ होती हैं। ये १५ तिथियाँ १३ दिनों से १६ दिनों तक में समाप्त होती हैं। पक्ष का अन्त अमावास्या और पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और चन्द्र का मध्य-बिन्दु एक स्थान में एक सीध में हो जाता है, तब अमावस पूरी होती है। उसके बाद चन्द्रमा सूर्य से जितने समय में १२ अंश दूर हट जाता है, उतने समय में एक तिथि होती है। इस प्रकार, प्रत्येक बारह-बारह अंशों पर तिथियाँ बदलती हैं। १५वीं तिथि का अन्त होने पर चन्द्रमा सूर्य से १८० अंश दूर जाकर ठीक आमने-सामने हो जाता है। तब पूर्णिमा की तिथि पूरी होती है। यह शुक्ल पक्ष कहलाता है। इसमें चन्द्रमा क्रमशः बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष आरम्भ होता है और चन्द्रमा घटने लगता है। इसमें भी वही १२-१२ अंशों के अन्तर पर १५ तिथियाँ होती हैं। १५वीं तिथि के अन्त में फिर सूर्य और चन्द्र एक स्थान पर आ जाते हैं और अमावस होती है। तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावास्या और पूर्णिमा हैं।

चन्द्रमा की गति एक-सी नहीं होती, इसलिए उसे १२ अंशों के पार करने में ५४ से ६५ दण्ड तक लगते हैं। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय लगभग ६० दंड का होता है। इसलिए, कभी-कभी दो तिथियाँ एक ही दिन या वार में पूरी होती हैं। सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, उसी की प्रधानता मानी जाती है और पञ्चाङ्गों में वार के सामने वही तिथि लिखी जाती है। उसके नीचे छोटे अक्षरों में दूसरी तिथि का समाप्ति-काल लिख दिया जाता है। आगे दूसरे वार में तीसरी तिथि का नाम दिया जाता है, जो सूर्योदय-काल में रहती है। इस तरह यह दूसरी तिथि व्यवहार में 'क्षय-तिथि' या 'अवम तिथि' कहलाती है। कभी-कभी कोई तिथि एक सूर्योदय-काल से दूसरे सूर्योदय-काल में भी कुछ देर तक जाती है। ऐसी अवस्था में दोनों दिन उस तिथि का नाम लिखा जाता है। इसे ही 'तिथि-वृद्धि' कहते हैं।

करण—तिथि के आधे भाग को 'करण' कहते हैं। शुभाशुभ मुहूर्त का विचार करने में ज्योतिषी इसका उपयोग करते हैं, अतएव पञ्चाङ्गों में इसका उल्लेख रहता है। करण ११ हैं—बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज्, विष्टि, शकुन, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न। प्रथम सात को चर करण और अंतिम चार को स्थिर करण कहते हैं। शुक्ल पक्ष-प्रतिपदा के उत्तरार्द्ध से बव करण का आरम्भ होता है और प्रथम सात पर करण क्रम-क्रम से चलते हैं। अंत में चार स्थिर करण महीने में सिर्फ एक बार आते हैं—कृष्ण-पक्ष चतुर्दशी के उत्तरार्द्ध में शकुनि, अमावस के पूर्वार्द्ध में चतुष्पद, उत्तरार्द्ध में नाग और शुक्ल पक्ष-प्रतिपदा के पूर्वार्द्ध में किंस्तुघ्न। विष्टि का दूसरा नाम भद्रा है।

योग—नक्षत्र की तरह योग की संख्या भी २७ मानी गई है। अश्विनी नक्षत्र के आदि-बिन्दु से सूर्य और चन्द्र जिस समय जितने अंश दूर होते हैं, उनके योगफल में नक्षत्र के मान १३⅓ अंश से भाग देने पर जितना भागफल होता है, उतने योग उस समय बीते हुए माने जाते हैं

और अगला योग वर्त्तमान समझा जाता है। किसी कार्य के करने में फल-सिद्धि के लिए नक्षत्र, योग, करण आदि का विचार किया जाता है। अतएव पञ्चाङ्गों में प्रतिदिन के योग के नाम दिये रहते हैं। २७ योग ये हैं—विष्कुम्भ, प्रीति, आयुष्मान्, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतीपात, वरीयान्, परिघ, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्ल ब्रह्म, ऐन्द्र, वैधृति।

वार—संसार में प्रायःसर्वत्र वार, अर्थात् दिन सात माने गये हैं। उनके नाम भी सब जगह सूर्य एवं ग्रहों के नाम पर रखे गये हैं। क्रम भी एक सिद्धान्त पर स्थिर किया गया है। वारों के नाम ये हैं—रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति या गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। साधारणतः एक सूर्योदय-काल से दूसरे सूर्योदय-काल तक वार की गणना की जाती है। एक वार में एक दिन और एक रात्रि होती है। दिनमान में प्रायः बराबर अन्तर होने पर भी दोनों का योग सदा ६० दण्ड या घड़ी के लगभग होता है। भारत में भी प्राचीन काल में किसी समय आज की पाश्चात पद्धति की तरह दो पहर रात के बाद से वार की परावृत्ति मानी जाती थी।

गोल और अयन, रात्रिमान और दिनमान—यदि आकाश-मंडल के दो समान भाग इस प्रकार किये जायँ कि एक भाग के मध्य में उत्तरी ध्रुव और दूसरे भाग के मध्य में दक्षिणी ध्रुव पड़े, तो पहले भाग को 'उत्तरी गोलार्द्ध' और दूसरे भाग को 'दक्षिणी गोलार्द्ध' कहेंगे। भूमध्य या विषुवत-रेखा के ठीक ऊपर से आकाश विभाजित माना जाता है। उत्तरी गोलार्द्ध में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या—ये ६ राशियाँ रहती हैं और दक्षिणी गोलार्द्ध में शेष ६ राशियाँ।

जब सूर्य भूमध्य-रेखा के सामने सायन मेष पर आता है, तब पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद सूर्य ज्यों-ज्यों उत्तर की ओर बढ़ता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में क्रमशः दिन बड़ा और रात छोटी होती जाती है। इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्द्ध में होता है। जब सूर्य सायन कर्क पर पहुँचता है, तब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात् दक्षिण की ओर मुड़ता है। फिर, उत्तर में क्रम-क्रम से दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है। भूमध्य-रेखा के सामने सायन तुला पर सूर्य के आने पर फिर सर्वत्र दिन-रात दोनों बराबर होते हैं। सूर्य दक्षिणी गोलार्द्ध में प्रवेश कर जब सायन मकर पर पहुँचता है, तब दक्षिण में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। उसका उल्टा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है। वहाँ से सूर्य उत्तरायण होता है, जिससे दक्षिण में दिन क्रम-क्रम से छोटा और रात कुछ-कुछ बड़ी होने लगती है। अन्त में पुनः सूर्य भूमध्य-रेखा के सामने सायन मेष में आता है।

भूमध्य-रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की दूरी ९० अंश की होती है। भूमध्य-रेखा पर दिनमान और रात्रिमान सदा १२ घंटे का होता है। भूमध्य-रेखा से उत्तर या दक्षिण बढ़ने पर दिनमान या रात्रि मान बड़ा होने लगता है। ६६½ अंश पर सबसे बड़ा दिनमान या रात्रिमान २४ घंटे का, ७० अंश पर २ मास का, ७८½ अंश पर ४ मास का और ९० अंश पर छह मास का होता है।

समय का सूक्ष्म मान—भारतीय गणकों ने समय का बड़ा-से-बड़ा मान 'ब्रह्मायु' बताया है, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। उसी प्रकार समय का छोटा-से-छोटा मान भी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सुदीर्घ काल में सूक्ष्म गणना की कई पद्धतियाँ चलीं। घड़ी, दंड

पल और विपल की बात पहले बताई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म मान की दो और पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति के अनुसार सूक्ष्मतम मान त्रुटि और दूसरी के अनुसार तत्परस है। एक दिन-रात में १७,४९,६०,००,००० त्रुटियाँ या ४६,६५,६०,००,००० तत्परस होते हैं। आज के उन्नत पाश्चात्य देशों में समय का सूक्ष्मतम मान सेकेण्ड है, पर हमारे यहाँ लोग सेकेण्ड को भी २,०२,५०० त्रुटियों या ५,४०,००० तत्परसों में बाँट चुके थे। दोनों पद्धतियों के मान इस प्रकार हैं—

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १०० | त्रुटि | = | १ लव | ६० | तत्परस | = | १ परस |
| ३० | लव | = | १ निमेष | ६० | परस | = | १ विलिप्ता |
| २७ | निमेष | = | १ गुर्वाक्षर | ६० | विलिप्ता | = | १ लिप्ता (विपल) |
| १० | गुर्वाक्षर | = | १ प्राण | ६० | लिप्ता | = | १ विघटिका (पल) |
| ६ | प्राण | = | १ विघटिका | ६० | विघटिका | = | १ घटिका (दण्ड) |
| ६० | विघटिका | = | १ घटिका | ६० | घटिका | = | १ दिन-रात |
| ६० | घटिका | = | १ दिन-रात | | | | |

**मिस्री (इजिप्शियन) कलेण्डर**—मिस्रवासियों ने ईसा के हजार-दो हजार वर्ष पूर्व ही प्रकृति-निरीक्षण द्वारा एक सौर कलेण्डर का निर्माण किया था। वर्ष-प्रतिवर्ष नील नदी की बाढ़ के समय को ध्यान में रखकर तथा आकाश के सबसे बड़े तारे शुक्र के पूर्व और पश्चिम में उदय और अस्त होने के काल की गणना कर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि साल में ३६५ दिन होते हैं। बहुत दिनों की गणना के बाद वे यह भी समझने लगे थे कि प्रत्येक चौथे वर्ष साल के ३६६ दिन हो जाते हैं। उन्होंने वर्ष को चार-चार मास की तीन ऋतुओं में बाँट दिया था। ऋतुओं के आरम्भ का समय वे बाढ़ आने का समय, बीज बोने का समय और फसल काटने का समय मानते थे। उन्होंने वर्ष के १२ मास निर्धारित किये और प्रत्येक मास को ३०-३० दिनों में बाँटा। इस प्रकार पूरे वर्ष में ३६० दिन हो जाने पर वे अंत के पांच दिनों को अवकाश में गिनते थे। प्रत्येक मास को उन्होंने १०-१० दिन के तीन दशाहों में बाँटा था। मिस्री कलेण्डर का प्रभाव आस-पास के कई देशों पर पड़ा। कैल्डियन, आर्मेनियन, ईरानी तथा ग्रीक कलेण्डर इससे विशेष प्रभावित थे। इस प्रकार वर्तमान रोमन कलेण्डर का आदि-स्रोत मिस्री कलेण्डर ही था।

**ईरानी कलेण्डर**—इस कलेण्डर को ईरान के सुप्रसिद्ध सम्राट् दारा (डेरियस, ५२० ई०) ने चलाया था। ईरानी साम्राज्य में पीछे मिस्र, मोसोपोटेमिया, सीरिया, एशिया-माइनर आदि कितने ही देश सम्मिलित किये गये। अतः कलेण्डर का प्रचार कालक्रम से इन सभी देशों में हुआ। इसके १२ मास थे, पर मास सप्ताह या दशाह में विभक्त नहीं थे। मास के ३० दिनों के नाम अलग-अलग देवताओं या धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार रखे गये थे। सन् ६४८ ई० में ईरान पर मुस्लिम साम्राज्य का आधिपत्य होने पर यहाँ मुस्लिम कलेण्डर चलाया गया, किन्तु वहाँ वालों को यह कलेण्डर पसन्द नहीं था।

सन् १०७४-७५ ई० में सेलजुग सुलतान जलालुद्दीन मल्लिकशाह ने उमर खैय्याम तथा अन्य सात ज्योतिषियों को मुस्लिम कलेण्डर में सुधार लाने को कहा, जिसका नाम 'तारीख-ई-जलाली' पड़ा। यह १० रमजान, ४७१ हिजरी से, अर्थात् १६ मार्च, १०७९ ई० से आरम्भ किया गया था। वर्तमान काल में ईरान के रीजाशाह पहलवी ने सन् १६२० ई० में मुस्लिम

कलेण्डर का फिर सुधार किया। इस सुधार का उद्देश्य था—चान्द्र गणना को छोड़कर सौर गणना को चलाना। इसके मासों के नाम अलग दिये गये।

**मुस्लिम कलेण्डर**—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मुसलमानों का हिजरी सन् मुहम्मद साहब के मक्का से मदीना चले जाने के समय से प्रारम्भ हुआ है। हिजरी सन् का प्रथम दिन १६ जुलाई, ६२२ ई० होता है। हिजरी विशुद्ध चान्द्र वर्ष है। हिजरी साल की औसत अवधि ३५४ दिन ८ घंटे और ४८ मिनट होती है। चान्द्र मास की अवधि २६ दिन, १२ घंटे, ४४ मिनट और ५ सेकेण्ड की होती है, यह पहले लिखा जा चुका है। साल के १२ महीने होते हैं और महीनों के साधारणत: क्रमशः ३० और २६ दिन। अन्तिम महीने में एक दिन और जोड़ दिया जाता है। ३०वें वर्ष के अन्त में १ दिन जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा हिसाब इसलिए रखा जाता है कि मास का प्रथम दिन उस दिन पड़ सके, जिस दिन नवीन चन्द्र का दर्शन होता है, अर्थात् शुक्ल द्वितीया रहती है। हिजरी महीनों के नाम इस प्रकार हैं—मुहर्रम, सफर, रबिउल औव्वल, रबि उस्सानी, जमादि-उल-औव्वल, जमादि उस्सानी, रज्जब, शाबान, रमजान, सव्वाल, जिकाद और जिलहिज।

**रोमन और ईसाई कलेण्डर**—यूरोप का सबसे पुराना कलेण्डर रोमन कलेण्डर बताया जाता है, जो रोम के स्थापना-काल से, अर्थात् ७५३ ई० पू० से प्रारम्भ हुआ था। इसे रोमुलस नामक व्यक्ति ने आरम्भ किया था। उसने साल के ३०४ दिन माने और साल को मार्च से आरम्भ कर कुल १० महीनों में बाँटा। पीछे नूमा पम्पैलियस ने जनवरी और फरवरी-ये दो मास बढ़ाये। इस प्रकार, साल के १२ मास और ३५५ दिन हुए। प्रत्येक मास क्रमशः ३० और २६ दिन का होने लगा। ईसा से ४५ वर्ष पूर्व रोमन विजेता जूलियस सीजर (१०० ई० पू० से ४४ ई० पू०) ने इस कलेण्डर में कुछ सुधार कर साल में ३६५ दिन बनाये। प्रत्येक चौथे वर्ष को लीपियर माना, जिसमें फरवरी २८ दिन के बदले २६ दिन की होने लगी। यह जूलियन कलेण्डर कहलाया। पोप ग्रेगरी १३वाँ (सन् १५०२–१५८५ ई०) ने इस कलेण्डर में फिर सुधार कर सन् १५८२ ई० के ५ अक्टूबर को १५ अक्टूबर करार दिया और यह भी निश्चित किया कि प्रत्येक १०० वर्ष में लीपियर नहीं होगा, किन्तु ४०० वर्ष पर लीपियर हुआ करेगा। इसीसे सन् १६०० ई० लीपियर नहीं हुआ, किन्तु २००० ई० लीपियर होगा। सन् १५८२ ई० से समस्त कैथोलिक देशों में तथा १७५२ ई० से ब्रिटेन और इसके औपनिवेशिक देशों में ग्रेगोरियन कलेण्डर आरम्भ हुआ। सन् १७५२ ई० से ही पहली जनवरी का दिन वर्ष का प्रथम दिन माना जाने लगा। इसी दिन इंगलैंड का विजेता विलियम राजगद्दी पर बैठा था। रूस ने सन् १६१८ ई० से इस कलेण्डर को आरम्भ किया। अब तो यह अन्तरराष्ट्रीय कलेण्डर हो गया है। ईसवी सन् ईसा के जन्म-काल से चला हुआ माना जाता है, किन्तु अब अनुसंधायकों का कहना है कि ईसा का जन्म सन् १ में नहीं; बल्कि इसके चार वर्ष पूर्व ही हुआ था। अँगरेजी महीनों के प्रथम ६ नाम देवताओं के नाम पर, ७वें-८वें बादशाहों के नाम पर और शेष संख्या के नाम पर हैं।

**यहूदी कलेण्डर**—इस कलेण्डर में वर्ष के अन्दर सौर गणनानुसार ३६५ दिन होते हैं। मास की गणना चान्द्र गणनानुसार होती है। १६ वर्षों के चक्र में पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ, सातवाँ, नौवाँ, दसवाँ, बारहवाँ, तेरहवाँ, पन्द्रहवाँ, सोलहवाँ और अठारहवाँ वर्ष १२ महीनों के और शेष वर्ष १३ महीनों के होते हैं। साधारण वर्ष की अवधि ३५३, ३५४ या ३५५ दिनों की और

लीपियर की अवधि ३८३, ३८४ या ३८५ दिनों की होती है। इस प्रकार, १६ वर्षों के चक्र में औसत वर्ष ३६५ दिनों का होता है। वर्ष का आरम्भ सृष्टि के आरम्भ से माना जाता है। यहूदी लोग सृष्टि का आरम्भ ईसा से केवल ३,७६० वर्ष पूर्व मानते हैं। पर्व-त्योहार आदि में दिन की गणना सूर्यास्त के बाद आरम्भ होती है। इसका समय ग्रीनविच समय से २ घण्टा, २१ मिनट पूर्व ही रहता है; क्योंकि यह जेरूसलम-मेरिडियन का समय मानता है।

**पारसी कलेण्डर**—इसका व्यवहार भारत और ईरान के पारसियों द्वारा होता है। इस कलेण्डर का आरम्भ १६ जून, सन् ६३२ ई० से हुआ था। इसे 'जोरोष्ट्रियन कलेण्डर' भी कहते हैं; क्योंकि यह पारसी-धर्म के प्रवर्त्तक महात्मा जरथुस्त्र या जोरोष्टर के नाम पर चलाया गया है।

**बौद्ध कलेण्डर**—इसकी गणना महात्मा बुद्ध के जन्म-काल, ५४३ ईसवी-पूर्व से प्रारम्भ हुई थी, यद्यपि अब बुद्ध का जन्म-काल ४८७ ई० पू० माना जाता है। बौद्ध संवत् वैशाखी पूर्णिमा से आरम्भ होता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान् बुद्ध का जन्म, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण हुआ था।

**जैन-कलेण्डर**—यह कलेण्डर जैनों के २४वें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर के मृत्यु-काल (ई० पू० ५२७) से आरम्भ होता है।

**भारत का राष्ट्रीय कलेण्डर**—भारत-सरकार ने शक-संवत् को राष्ट्रीय संवत् स्वीकार किया है, यह लिखा जा चुका है। राष्ट्रीय सवत् के साथ ही राष्ट्रीय मास और राष्ट्रीय तिथि भी निश्चित कर दी गई है। यह प्रायः सायन सौर गणनानुसार है। वर्ष का आरम्भ चैत्र से किया जाता है। इस राष्ट्रीय चैत्र मास का आरम्भ २२ मार्च को हुआ करेगा, यह निश्चित कर दिया गया है। यह गणना २२ मार्च, सन् १६५७ ई०, अर्थात् १८८० शकाब्द के १ चैत्र से आरम्भ की गई है। प्रत्येक मास के दिनों की संख्या भी निश्चित कर ली गई है। साधारणतः, चैत्र के दिन ३० होंगे और आगे के ५ मास वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण और भादो के दिन ३१। फिर शेष ६ मास आश्विन, कार्त्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन के दिन ३१ रहेंगे। हाँ, चौथे वर्ष ईसवी सन् के ( लीप-ईयर ) में—वर्ष या चैत्र का आरम्भ २१ मार्च को ही होगा और उस वर्ष चैत्र के दिन ३१ रहेंगे। इस गणना में सुविधा रहेगी, अन्तरराष्ट्रीय अँगरेजी तिथि के साथ राष्ट्रीय तिथि का एक निश्चित सम्बन्ध बना रहेगा, भारतीय सौर या चान्द्र तिथि के साथ भी बहुत कुछ सम्बन्ध कायम रहेगा और सौर वर्ष के ३६५ दिन भी पूरे हो जायेंगे। अँगरेजी के किस मास की किस तिथि से राष्ट्रीय मास की पहली तिथि आरम्भ होगी और उस राष्ट्रीय मास की दिन-संख्या क्या होगी, यह आगे लिखा जा रहा है—

| अँग० मास-तिथि | राष्ट्रीय मास | दिन-संख्या | अँग० मास-तिथि | राष्ट्रीय मास | दिन-संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| मार्च २२ से (लीप-ईयर में २१ मार्च से) | चैत्र | ३०-३१ | सितम्बर २३ से | आश्विन | ३० |
| | | | अक्टूबर २३ से | कार्त्तिक | ३० |
| अप्रैल २१ से | वैशाख | ३१ | नवम्बर २२ से | अगहन | ३० |
| मई २२ से | जेठ | ३१ | दिसम्बर २२ से | पूस | ३० |
| जून २२ से | आषाढ़ | ३१ | जनवरी २१ से | माघ | ३० |
| जुलाई २३ से | श्रावण | ३१ | फरवरी २० से | फाल्गुन | ३० |
| अगस्त २३ से | भादो | ३१ | | | |

इधर कुछ वर्षों से भारत की राष्ट्रीय सरकार इण्डिया मेटिओरॉलॉजिकल डिपार्टमेण्ट से अपना एक वृहत् जहाजी पञ्चाङ्ग 'नॉटिकल अलमेनक' निकालने लगी है। पहले से विश्व में ग्रेटब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रांस, स्पेन और रूस के जहाजी पञ्चाङ्ग निकलते रहे हैं। हमारे जहाजी पञ्चाङ्ग को भी समस्त विश्व से मान्यता प्राप्त हुई है और यह सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें भारत की प्राचीन गणना-पद्धति का भी समावेश किया गया है।

पञ्चाङ्ग-काल—विश्व के पञ्चाङ्गों के नये संस्करणों में काल की माप की एक नई प्रणाली दी गई है। वर्षों के निरीक्षण-पर्यवेक्षण के बाद देखा गया है कि दिनानुदिन पृथ्वी की दैनिक गति मंद पड़ती जा रही है। पृथ्वी की दैनिक गति में १७०० ई० से अबतक ४७ सेकेण्ड की और सन् १६०३ ई० से अबतक ३५ सेकेंड की कमी दीख पड़ी है। इस प्रकार, पृथ्वी की दैनिक गति में प्रति वर्ष औसत एक सेकेंड से कुछ अधिक की कमी हो रही है।

ग्रीनविच मध्यम काल, जिसे बाद को सार्वभौम काल समझा जाने लगा और जो पृथ्वी की दैनिक गति पर आधृत था, अब समय की माप का अनुपयुक्त मापदंड माना जाता है। समय की नई माप का, जिसे पञ्चाङ्ग-काल या 'एफिमेरिज टाइम' कहते हैं, विश्व के समस्त पञ्चाङ्गों में उल्लेख किया जाने लगा है। इसका निर्धारण चन्द्रमा की स्थिति के अनुसार किया जाता है।

स्टैण्डर्ड टाइम—प्रत्येक स्थान का समय कुछ-कुछ भिन्न होने पर भी समूचे देश के लिए एक स्टैण्डर्ड टाइम ठीक कर लिया जाता है। भारत का स्टैण्डर्ड टाइम सन् १६०६ ई० में ८२½° रेखांश या देशान्तर पूर्व के मध्यम काल के आधार पर निश्चय कर लिया गया है। ८२½° देशान्तर रेखा वाराणसी और कोकोनाडा होकर जाती है। यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से ५½ घंटा पहले पड़ता है। सारे भारत के रेलवे, डाक एवं तारघर आदि इसी समय को व्यवहार में लाते हैं। सन् १८८४ ई० में एक अन्तरराष्ट्रीय मेरिडियन कान्फ्रेन्स हुई थी। उसने यह तय कर लिया कि ग्रीनविच, लंदन के पास से होकर जानेवाली मध्याह्न-रेखा (मेरिडियन लाइन) को ही प्रधान मध्याह्न-रेखा माना जाय और संसार के समय का हिसाब उसी से लगाया जाय। ग्रीनविच के मेरिडियन को शून्य अंश पर मानकर वहाँ से १८०° तक पूर्वीय और पश्चिमीय रेखांश की गणना की जाती है। ग्रीनविच के पूरब के किसी स्थान का समय जानने के लिए दूरी के हिसाब से ग्रीनविच के समय में प्रति १५° पर एक घंटा और १° पर चार मिनट का समय घटाना पड़ता है तथा पश्चिम के स्थानों के लिए जोड़ना पड़ता है।

अन्तरराष्ट्रीय तिथि-रेखा—प्रति १५° देशान्तर पर के समय में एक घंटा का अन्तर पड़ता है, अतएव पृथ्वी की परिक्रमा में एक दिन का अन्तर होगा। यदि कोई यात्री किसी स्थान से किसी तारीख को पूरब चलकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करे, तो उसे अपने स्थान पर लौटने पर एक तारीख, अर्थात् एक दिन घटा हुआ ही जान पड़ेगा। उसी प्रकार, यदि कोई पश्चिम की ओर चलकर भ्रमण करता हुआ अपने स्थान पर लौटे, तो एक दिन बढ़ा हुआ जान पड़ेगा। इसलिए, यह मान लिया गया है कि पूरब की ओर से यात्रा करनेवाले प्रशान्त महासागर को १८०° रेखांश पर पार करने पर अपने हिसाब में एक दिन बढ़ा लें और पश्चिम की ओर यात्रा करनेवाले उक्त स्थान को पार करने पर एक दिन अपने हिसाब में घटा लें।

★

# तिथि-पत्रक

शकाब्द १८८४; विक्रमाब्द २०१८-१९; बंगला सन् १३६८-६९; ईसवी सन् १९६२

## राष्ट्रीय चैत्र ( २२ मार्च से २० अप्रैल )

| वार | राष्ट्रीय चैत्र | चान्द्र चैत्र-वैशाख | सौर चैत्र-वैशाख(वं.) | अँगरेजी मार्च-अप्रैल | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| गुरु | १ | चैत्र कृ० १ | चैत्र ८ | मार्च २२ | होली, वसन्तोत्सव। |
| शुक्र | २ | ,, २ | ,, ९ | ,, २३ | [× सूर्य अश्विनी। |
| शनि | ३ | ,, ३ | ,, १० | ,, २४ | गणेश-चतुर्थी, अंगारकी a |
| रवि | ४ | ,, ४ | ,, ११ | ,, २५ | [a चतुर्थी। |
| सोम | ५ | ,, ५ | ,, १२ | ,, २६ | [f निमित्त), दुर्गा-नवमी,† |
| मंगल | ६ | ,, ६ | ,, १३ | ,, २७ | [† मेष-संक्रान्ति, × |
| बुध | ७ | ,, ७ | ,, १४ | ,, २८ | [d सुन्दरी व्रत, जिकाद ११,* |
| गुरु | ८ | ,, ८ | ,, १५ | ,, २९ | शीतलाष्टमी। [* सरहुल। |
| शुक्र | ९ | ,, ९ | ,, १६ | ,, ३० | [b सबके निमित्त। |
| शनि | १० | ,, १० | ,, १७ | ,, ३१ | सूर्य रेवती। |
| रवि | ११ | ,, ११ | ,, १८ | अप्रैल १ | पाप-मोचिनी एकादशी b |
| सोम | १२ | ,, १२ | ,, १९ | ,, २ | प्रदोष। वारुणी-पर्व। |
| मंगल | १३ | ,, १३ | ,, २० | ,, ३ | मास शिवरात्रि। |
| बुध | १४ | ,, १५ | ,, २१ | ,, ४ | अमावस्या। |
| गुरु | १५ | चैत्र शु० १ | ,, २२ | ,, ५ | चान्द्रवर्ष प्रारम्भ, c |
| शुक्र | १६ | ,, २ | ,, २३ | ,, ६ | [c नवरात्रारम्भ। |
| शनि | १७ | ,, ३ | ,, २४ | ,, ७ | श्रीराम दोलोत्सव, सौभाग्य-d |
| रवि | १८ | ,, ४ | ,, २५ | ,, ८ | वैनायकी चतुर्थी। |
| सोम | १९ | ,, ५ | ,, २६ | ,, ९ | श्रीपञ्चमी, रामराज्य महोत्सव। |
| मंगल | २० | ,, ६ | ,, २७ | ,, १० | अशोक षष्ठी, स्कन्द षष्ठी। |
| बुध | २१ | ,, ७ | ,, २८ | ,, ११ | महानिशा-पूजा। |
| गुरु | २२ | ,, ८ | ,, २९ | ,, १२ | दुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी, e |
| शुक्र | २३ | ,, ९ | ,, ३० | ,, १३ | रामनवमी व्रत (सबके f |
| शनि | २४ | ,, १० | वैशाख १ | ,, १४ | [g निमित्त)। |
| रवि | २५ | ,, ११ | ,, २ | ,, १५ | कामदा एकादशी (सबके g |
| सोम | २६ | ,, १२ | ,, ३ | ,, १६ | वामन द्वादशी, मदन द्वादशी। |
| मंगल | २७ | ,, १३ | ,, ४ | ,, १७ | अनंग त्रयोदशी, महावीर h |
| बुध | २८ | ,, १४ | ,, ५ | ,, १८ | [h जयन्ती। भौम प्रदोष। |
| गुरु | २९ | ,, १५ | ,, ६ | ,, १९ | पूर्णिमा। [e अन्नपूर्णा-पूजा। |
| शुक्र | ३० | वैशाख कृ० १ | ,, ७ | ,, २० | गुड फ्राइडे। |

शकाब्द १८८४, विक्रमाब्द २०१९, बँगला सन् १३६९, ईसवी सन् १९६२

## राष्ट्रीय वैशाख ( २१ अप्रैल से २१ मई )

| वार | राष्ट्रीय वैशाख | चान्द्र वैशाख-ज्येष्ठ | सौर वैशाख-ज्येष्ठ(बं.) | अँगरेजी अप्रैल-मई | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि | १ | वैशाख कृ० १ | वैशाख ८ | अप्रैल २१ | |
| रवि | २ | ,, २ | ,, ९ | ,, २२ | |
| सोम | ३ | ,, ३ | ,, १० | ,, २३ | गणेश-चतुर्थी, कुँवरसिंह-a |
| मंगल | ४ | ,, ४ | ,, ११ | ,, २४ | [ a जयन्ती। |
| बुध | ५ | ,, ५ | ,, १२ | ,, २५ | |
| गुरु | ६ | ,, ६ | ,, १३ | ,, २६ | |
| शुक्र | ७ | ,, ८ | ,, १४ | ,, २७ | कालाष्टमी, शीतलाष्टमी, b |
| शनि | ८ | ,, ९ | ,, १५ | ,, २८ | [ b सूर्य भरणी। |
| रवि | ९ | ,, १० | ,, १६ | ,, २९ | [ c निमित्त )। |
| सोम | १० | ,, ११ | ,, १७ | ,, ३० | वरुथिनी एकादशी (सबके c |
| मंगल | ११ | ,, १२ | ,, १८ | मई १ | भौम प्रदोष। |
| बुध | १२ | ,, १३ | ,, १९ | ,, २ | मास शिवरात्रि। |
| गुरु | १३ | ,, १४ | ,, २० | ,, ३ | अमावास्या (श्राद्धादि निमित्त)। |
| शुक्र | १४ | ,, १५ | ,, २१ | ,, ४ | अमावास्या (स्नानादनादि d |
| शनि | १५ | वैशाख शु० १ | ,, २२ | ,, ५ | [d निमित्त)। |
| रवि | १६ | ,, २ | ,, २३ | ,, ६ | जिलहिज्ज १२। |
| सोम | १७ | ,, ३ | ,, २४ | ,, ७ | अक्षय तृतीया, गणेश e |
| मंगल | १८ | ,, ४ | ,, २५ | ,, ८ | [ e चतुर्थी। |
| बुध | १९ | ,, ५ | ,, २६ | ,, ९ | |
| गुरु | २० | ,, ६ | ,, २७ | ,, १० | गंगा सप्तमी। |
| शुक्र | २१ | ,, ७ | ,, २८ | ,, ११ | सूर्य कृत्तिका। |
| शनि | २२ | ,, ८ | ,, २९ | , १२ | |
| रवि | २३ | ,, ९ | ,, ३० | ,, १३ | |
| सोम | २४ | ,, १० | ,, ३१ | ,, १४ | वृष-संक्रान्ति। |
| मंगल | २५ | ,, ११ | ज्येष्ठ १ | ,, १५ | मोहिनी एकादशी। ईद- f |
| बुध | २६ | ,, १२ | ,, २ | ,, १६ | प्रदोष। [ f उज-जुहा। |
| गुरु | २७ | ,, १३ | ,, ३ | ,, १७ | |
| शुक्र | २८ | ,, १४ | ,, ४ | ,, १८ | नृसिंह चतुर्दशी। |
| शनि | २९ | ,, १५ | ,, ५ | ,, १९ | वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध-g |
| रवि | ३० | ज्येष्ठ कृ० १ | ,, ६ | ,, २० | [ g जयन्ती। |
| सोम | ३१ | ,, २ | ,, ७ | ,, २१ | |

शकाब्द १८८४, विक्रमाब्द २०१९, बँगला सन् १३६९, ईसवी सन् १९६२

## राष्ट्रीय ज्येष्ठ ( २२ मई से २१ जून )

| वार | राष्ट्रीय ज्येष्ठ | चान्द्र ज्येष्ठ-आषाढ़ | सौर ज्येष्ठ आषाढ़(बँ.) | अँगरेजी मई-जून | पर्व-त्यौहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| मंगल | १ | ज्येष्ठ कृ० ३ | ज्येष्ठ ८ | मई २२ | गणेश-चतुर्थी। |
| बुध | २ | ,, ४ | ,, ९ | ,, २३ | |
| गुरु | ३ | ,, ५ | ,, १० | ,, २४ | |
| शुक्र | ४ | ,, ६ | ,, ११ | ,, २५ | सूर्य रोहिणी। |
| शनि | ५ | ,, ७ | ,, १२ | ,, २६ | |
| रवि | ६ | ,, ८ | ,, १३ | ,, २७ | |
| सोम | ७ | ,, ९ | ,, १४ | ,, २८ | |
| मंगल | ८ | ,, ११ | ,, १५ | ,, २९ | अचला एकादशी प्रायः a |
| बुध | ९ | ,, १२ | ,, १६ | ,, ३० | ,, ,, (कुछ वैष्णवों के निमित्त)। |
| गुरु | १० | ,, १३ | ,, १७ | ,, ३१ | मास शिवरात्रि, प्रदोष, b |
| शुक्र | ११ | ,, १४ | ,, १८ | जून १ | [a सबके निमित्त। |
| शनि | १२ | ,, १५ | ,, १९ | ,, २ | अमावास्या, वट-सावित्री व्रत। |
| रवि | १३ | ज्येष्ठ शु० १ | ,, २० | ,, ३ | दशहरा स्नानारम्भ, करवीरव्रत। |
| सोम | १४ | ,, २ | ,, २१ | ,, ४ | मुहर्रम १, हिजरी १३८२। |
| मंगल | १५ | ,, ३ | ,, २२ | ,, ५ | लवण तृतीया, रम्भा तृतीया। |
| बुध | १६ | ,, ४ | ,, २३ | ,, ६ | वैनायकी चतुर्थी। |
| गुरु | १७ | ,, ५ | ,, २४ | ,, ७ | [b वट-सावित्री व्रतारम्भ। |
| शुक्र | १८ | ,, ६ | ,, २५ | ,, ८ | सूर्य मृगशिरा। |
| शनि | १९ | ,, ७ | ,, २६ | ,, ९ | |
| रवि | २० | ,, ८ | ,, २७ | ,, १० | [d सावित्री व्रतारम्भ * |
| सोम | २१ | ,, ९ | ,, २८ | ,, ११ | [* (दाक्षिणात्यों के लिए)। × |
| मंगल | २२ | ,, १० | ,, २९ | ,, १२ | गंगा दशहरा। |
| बुध | २३ | ,, ११ | ,, ३० | ,, १३ | मुहर्रम। |
| गुरु | २४ | ,, ११ | ,, ३१ | ,, १४ | निर्जला एकादशी सबके निमित्त। |
| शुक्र | २५ | ,, १२ | ,, ३२ | , १५ | प्रदोष, श्रीराम द्वादशी, वट-† |
| शनि | २६ | ,, १३ | आषाढ़ १ | ,, १६ | [× मिथुन-संक्रान्ति। |
| रवि | २७ | ,, १४ | ,, २ | ,, १७ | पूर्णिमा (व्रत निमित्त)। |
| सोम | २८ | ,, १५ | ,, ३ | ,, १८ | पूर्णिमा (स्नान-दानादि e |
| मंगल | २९ | अषाढ़ कृ० १ | ,, ४ | ,, १९ | [e निमित्त) वट-सावित्री व्रत-† |
| बुध | ३० | ,, २ | ,, ५ | ,, २० | [† समाप्ति (दाक्षिणात्यों के लिए)। |
| गुरु | ३१ | ,, ४ | ,, ६ | ,, २१ | गणेश-चतुर्थी। |

शकाब्द १८८४, विक्रमाब्द २०१६, बँगला सन् १३६६, ईसवी सन् १६६२

## राष्ट्रीय आषाढ़ ( २२ जून से २२ जुलाई )

| वार | राष्ट्रीय आषाढ़ | चान्द्र॰ आषाढ़-श्रावण | सौर आषाढ़-श्रावण (बँ.) | अँगरेजी जून-जुलाई | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र | १ | आषाढ़ कृ० ५ | आषाढ़ ७ | जून २२ | सूर्य आर्द्रा। |
| शनि | २ | ,, ६ | ,, ८ | ,, २३ | |
| रवि | ३ | ,, ७ | ,, ६ | ,, २४ | |
| सोम | ४ | ,, ८ | ,, १० | ,, २५ | शीतलाष्टमी, कालाष्टमी। |
| मंगल | ५ | ,, ६ | ,, ११ | ,, २६ | |
| बुध | ६ | ,, १० | ,, १२ | ,, २७ | |
| गुरु | ७ | ,, ११ | ,, १३ | ,, २८ | योगिनी एकादशी व्रत (सबके a |
| शुक्र | ८ | ,, १२ | ,, १४ | ,, २६ | प्रदोष। [a निमित्त। |
| शनि | ६ | ,, १३ | ,, १५ | ,, ३० | मास शिवरात्रि। |
| रवि | १० | ,, १४ | ,, १६ | जुलाई १ | अमावास्या। |
| सोम | ११ | आषाढ़ शु० १ | ,, १७ | ,, २ | |
| मंगल | १२ | ,, २ | ,, १८ | ,, ३ | रथयात्रा द्वितीया। |
| बुध | १३ | ,, २ | ,, १६ | ,, ४ | सफर २। |
| गुरु | १४ | ,, ३ | ,, २० | ,, ५ | गणेश चतुर्थी। |
| शुक्र | १५ | ,, ४ | ,, २१ | ,, ६ | सूर्य पुनर्वसु। |
| शनि | १६ | ,, ५ | ,, २२ | ,, ७ | |
| रवि | १७ | ,, ६ | ,, २३ | ,, ८ | |
| सोम | १८ | ,, ७ | ,, २४ | ,, ६ | |
| मंगल | १६ | ,, ८ | ,, २५ | ,, १० | |
| बुध | २० | ,, ६ | ,, २६ | ,, ११ | |
| गुरु | २१ | ,, १० | ,, २७ | ,, १२ | [b निमित्त। |
| शुक्र | २२ | ,, ११ | ,, २८ | ,, १३ | हरिशयनी एकादशी (सबके-b |
| शनि | २३ | ,, १२ | ,, २६ | ,, १४ | प्रदोष,वासुदेव द्वादशी, वामन c |
| रवि | २४ | ,, १३ | ,, ३० | ,, १५ | [c द्वादशी, चातुर्मास्य व्रतारम्भ। |
| सोम | २५ | ,, १४ | ,, ३१ | ,, १६ | पूर्णिमा व्रत निमित्त, कर्क-d |
| मंगल | २६ | ,, १५ | श्रावण १ | ,, १७ | पूर्णिमा (स्नान-दानादि निमित्त) e |
| बुध | २७ | श्रावण कृ० १ | ,, २ | ,, १८ | अशून्यशयन व्रत। [d संक्रान्ति। |
| गुरु | २८ | ,, २ | ,, ३ | ,, १६ | [e शिव-शयनोत्सव, गुरुव्यास-पूजा। |
| शुक्र | २६ | ,, ३ | ,, ४ | ,, २० | गणेश-चतुर्थी, अंगारकी चतुर्थी, f |
| शनि | ३० | ,, ४ | ,, ५ | ,, २१ | [f दुर्गा-यात्रा। सूर्य पुष्य। |
| रवि | ३१ | ,, ५ | ,, ६ | ,, २२ | चेहल्लुम। |

शकाब्द १८८४, विक्रमाब्द २०१६, बँगला सन् १३६६, ईसवी सन् १९६२

## राष्ट्रीय श्रावण (२३ जुलाई से २२ अगस्त)

| वार | राष्ट्रीय श्रावण | चान्द्र श्रावण-भाद्र | | सौर श्रावण-भाद्र(बँ.) | | अँगरेजी जुलाई-अगस्त | | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम | १ | श्रावण कृ० | ७ | श्रावण | ७ | जुलाई | २३ | सोम प्रदोष। [a निमित्त)। |
| मंगल | २ | , | ८ | ,, | ८ | ,, | २४ | [b ( पश्चिम में प्रसिद्ध )। |
| बुध | ३ | ,, | ९ | ,, | ९ | ,, | २५ | [c श्रावणी, स्वर्णगौरी-d |
| गुरु | ४ | ,, | १० | ,, | १० | ,, | २६ | [d व्रत, रवि-उल-औव्वल ३, e |
| शुक्र | ५ | ,, | ११ | ,, | ११ | ,, | २७ | कामदा एकादशी (सबके a |
| शनि | ६ | ,, | १२ | ,, | १२ | ,, | २८ | शनि प्रदोष। |
| रवि | ७ | ,, | १३ | ,, | १३ | ,, | २९ | मास शिवरात्रि। |
| सोम | ८ | ,, | १४ | ,, | १४ | ,, | ३० | सोम-प्रदोष। |
| मंगल | ९ | ,, | १५ | ,, | १५ | , | ३१ | अमावास्या, पिठौरा व्रत b |
| बुध | १० | श्रावण शु० | १ | ,, | १६ | अगस्त | १ | [e सूर्य आश्लेषा। |
| गुरु | ११ | ,, | २ | ,, | १७ | ,, | २ | [f निमित्त)। |
| शुक्र | १२ | ,, | ३ | ,, | १८ | ,, | ३ | मधुश्रवा तृतीया, मधु c |
| शनि | १३ | ,, | ४ | ,, | १९ | ,, | ४ | गणेश चतुर्थी। |
| रवि | १४ | ,, | ५ | ,, | २० | ,, | ५ | नागपञ्चमी। |
| सोम | १५ | ,, | ६ | ,, | २१ | ,, | ६ | सोमप्रदोष। |
| मंगल | १६ | ,, | ७ | ,, | २२ | ,, | ७ | [g चतुर्थी, बहुला चतुर्थी। |
| बुध | १७ | ,, | ८ | ,, | २३ | ,, | ८ | दुर्गा-यात्रा। |
| गुरु | १८ | ,, | ९ | ,, | २४ | ,, | ९ | [h और गृहस्थों के निमित्त)। |
| शुक्र | १९ | ,, | ९ | ,, | २५ | ,, | १० | |
| शनि | २० | ,, | १० | ,, | २६ | ,, | ११ | |
| रवि | २१ | ,, | ११ | ,, | २७ | ,, | १२ | पुत्रदा एकादशी ( सबके f |
| सोम | २२ | ,, | १२ | ,, | २८ | ,, | १३ | सोम प्रदोष। |
| मंगल | २३ | ,, | १४ | ,, | २९ | ,, | १४ | फातेहा-द्वाज-दहुम। |
| बुध | २४ | ,, | १५ | ,, | ३० | ,, | १५ | स्वतन्त्रता-दिवस। |
| गुरु | २५ | भाद्र कृ० | १ | ,, | ३१ | ,, | १६ | भीमवराही-व्रत। |
| शुक्र | २६ | ,, | २ | ,, | ३२ | ,, | १७ | सिंह-संक्रान्ति। सूर्य मघा। |
| शनि | २७ | ,, | ३ | भाद्र | १ | ,, | १८ | कज्जली तृतीया, गणेश-g |
| रवि | २८ | ,, | ४ | ,, | २ | ,, | १९ | |
| सोम | २९ | ,, | ५ | ,, | ३ | ,, | २० | |
| मंगल | ३० | ,, | ६ | ,, | ४ | ,, | २१ | हलषष्ठीव्रत। |
| बुध | ३१ | ,, | ७ | ,, | ५ | ,, | २२ | श्रीकृष्णजन्माष्टमी (स्मार्त h |

शकाब्द १८८४, विक्रमाब्द २०१९, बँगला सन् १३६९, ईसवी सन् १९६२

## राष्ट्रीय, भाद्रपद ( २३ अगस्त से २२ सितम्बर )

| | राष्ट्रीय | चान्द्र | | सौर | | अँगरेजी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वार | भाद्र | भाद्र-आश्विन | | भाद्र-आश्विन (बँ०) | | अग०-सित० | | पर्व-त्योहार आदि |
| गुरु | १ | भाद्र कृ० | ८ | भाद्र | ६ | अगस्त | २३ | श्रीकृष्णजन्माष्टमी(वैष्णवोंa |
| शुक्र | २ | ,, | ९ | ,, | ७ | ,, | २४ | [a के निमित्त) । |
| शनि | ३ | ,, | ११ | ,, | ८ | ,, | २५ | जया एकादशी । |
| रवि | ४ | ,, | १२ | ,, | ९ | ,, | २६ | जया एकादशी (वैष्णवादि c |
| सोम | ५ | ,, | १३ | ,, | १० | ,, | २७ | सोम-प्रदोष । |
| मंगल | ६ | ,, | १४ | ,, | ११ | ,, | २८ | मास शिवरात्रि । |
| बुध | ७ | ,, | १५ | ,, | १२ | ,, | २९ | अमावास्या (श्राद्धादि के d |
| गुरु | ८ | ,, | १५ | ,, | १३ | ,, | ३० | अमावास्या (स्नान-दानादि e |
| शुक्र | ९ | भाद्र शु० | १ | ,, | १४ | ,, | ३१ | सूर्य पूर्वा फाल्गुनी । |
| शनि | १० | ,, | २ | ,, | १५ | सितम्बर | १ | रवि-उस्सानी४।[c के निमित्त) |
| रवि | ११ | ,, | ३ | ,, | १६ | ,, | २ | हरितालिका तृतीया (तीज) । |
| सोम | १२ | ,, | ४ | ,, | १७ | ,, | ३ | गणेश चतुर्थी, वरद चतुर्थी । |
| मंगल | १३ | ,, | ५ | ,, | १८ | ,, | ४ | ऋषि-पञ्चमी । [d निमित्त) । |
| बुध | १४ | ,, | ६ | ,, | १९ | ,, | ५ | लोलार्क षष्ठी, सूर्य षष्ठी । |
| गुरु | १५ | ,, | ७ | ,, | २० | ,, | ६ | मुक्ताभरण सप्तमी ।[f व्रतारंभ । |
| शुक्र | १६ | ,, | ८ | ,, | २१ | ,, | ७ | दूर्वाष्टमी व्रत, महालक्ष्मी f |
| शनि | १७ | ,, | ९ | ,, | २२ | ,, | ८ | नन्दा नवमी ।[e निमित्त),‡ |
| रवि | १८ | ,, | १० | ,, | २३ | ,, | ९ | दशावतार व्रत । |
| सोम | १९ | ,, | ११ | ,, | २४ | ,, | १० | पद्मा एकादशी(सबके निमित्त) |
| मंगल | २० | ,, | १२ | ,, | २५ | ,, | ११ | प्रदोष, वामन-द्वादशी । |
| बुध | २१ | ,, | १३ | ,, | २६ | ,, | १२ | [‡कुशोत्पाटिनी अमावास्या । |
| गुरु | २२ | ,, | १४ | ,, | २७ | ,, | १३ | अनन्त चतुर्दशी, पूर्णिमा g |
| शुक्र | २३ | ,, | १५ | ,, | २८ | ,, | १४ | पूर्णिमा ( स्नान-दानादि h |
| शनि | २४ | आश्विन कृ० | १ | ,, | २९ | ,, | १५ | [g (व्रत निमित्त), सूर्य ii |
| रवि | २५ | ,, | ३ | ,, | ३० | ,, | १६ | [ii उत्तरा फाल्गुनी । |
| सोम | २६ | ,, | ४ | ,, | ३१ | ,, | १७ | गणेश चतुर्थी । कन्या- i |
| मंगल | २७ | ,, | ५ | आश्विन | १ | ,, | १८ | [h निमित्त), उमा-महेश्वर j |
| बुध | २८ | ,, | ६ | ,, | २ | ,, | १९ | [j व्रत, महालयारम्भ । |
| गुरु | २९ | ,, | ७ | ,, | ३ | ,, | २० | महालक्ष्मी व्रत ।[i संक्रान्ति । |
| शुक्र | ३० | ,, | ८ | ,, | ४ | ,, | २१ | जीवत्पुत्रिका-व्रत । |
| शनि | ३१ | ,, | ९ | ,, | ५ | ,, | २२ | मातृनवमी । |

शकाब्द १८८४, विक्रमाब्द २०१९, बँगला सन् १३६९, ईसवी सन् १९६२

## राष्ट्रीय आश्विन (२३ सितम्बर से २२ अक्टूबर)

| | राष्ट्रीय | चान्द्र | सौर | अँगरेजी | |
|---|---|---|---|---|---|
| वार | आश्विन | आश्विन-कार्तिक | आश्वि०-कार्त्ति० (बँ०) | सित०-अक्टू० | पर्व-त्योहार आदि |
| रवि | १ | आश्विन कृ० १० | आश्विन ६ | सित० २३ | [a निमित्त) |
| सोम | २ | ,, ११ | ,, ७ | ,, २४ | इन्दिरा एकादशी [ सबके a |
| मंगल | ३ | , १२ | ,, ८ | ,, २५ | [b समाप्ति । |
| बुध | ४ | ,, १३ | ,, ९ | ,, २६ | प्रदोष । मास शिवरात्रि । |
| गुरु | ५ | ,, १४ | ,, १० | ,, २७ | सूर्य हस्त । |
| शुक्र | ६ | ,, १५ | ,, ११ | ,, २८ | अमावास्या । महालय- b |
| शनि | ७ | आश्विन शु० १ | ,, १२ | ,, २९ | शारदीय नवरात्रारम्भ । |
| रवि | ८ | ,, २ | , १३ | ,, ३० | [c गांधी-जन्म-दिवस । |
| सोम | ९ | ,, ३ | ,, १४ | अक्टूबर १ | जमादि-उल-अव्वल ४ । |
| मंगल | १० | ,, ४ | ,, १५ | ,, २ | गणेश चतुर्थी । महात्मा c |
| बुध | ११ | ,, ४ | ,, १६ | ,, ३ | उपांग ललिता-व्रत d |
| गुरु | १२ | ,, ५ | ,, १७ | ,, ४ | [d ( महाराष्ट्र में ) । |
| शुक्र | १३ | ,, ६ | ,, १८ | ,, ५ | [e सबके निमित्त) । |
| शनि | १४ | ,, ७ | ,, १९ | ,, ६ | [f वैष्णवों के लिए) । * |
| रवि | १५ | ,, ८ | ,, २० | ,, ७ | महाष्टमी । |
| सोम | १६ | ,, ९ | ,, २१ | ,, ८ | विजयादशमी । [† चित्रा । |
| मंगल | १७ | ,, ११ | ,, २२ | ,, ९ | पापांकुशा एकादशी (प्रायः e |
| बुध | १८ | ,, १२ | ,, २३ | ,, १० | पापांकुशा एकादशी (कुछ f |
| गुरु | १९ | ,, १३ | ,, २४ | ,, ११ | प्रदोष । |
| शुक्र | २० | ,, १४ | ,, २५ | ,, १२ | वाराह-चतुर्दशी । |
| शनि | २१ | ,, १५ | ,, २६ | ,, १३ | शरद्-पूर्णिमा । कोजागरी g |
| रवि | २२ | कार्तिक कृ० १ | ,, २७ | ,, १४ | [* पद्मनाभ-द्वादशी । सूर्य † |
| सोम | २३ | ,, २ | ,, २८ | ,, १५ | [g पूर्णिमा । |
| मंगल | २४ | ,, ३ | ,, २९ | ,, १६ | गणेश चतुर्थी । |
| बुध | २५ | ,, ४ | ,, ३० | ,, १७ | तुला-संक्रान्ति । |
| गुरु | २६ | ,, ५ | कार्तिक १ | ,, १८ | |
| शुक्र | २७ | वैशाख कृ० ६ | ,, २ | ,, १९ | |
| शनि | २८ | ,, ७ | ,, ३ | ,, २० | अहोई अष्टमी । |
| रवि | २९ | ,, ८ | ,, ४ | ,, २१ | अशोकाष्टमी । राधाष्टमी । |
| सोम | ३० | ,, ९ | ,, ५ | ,, २२ | |

शकाब्द १८८४, विक्रमाब्द २०१९, बँगला सन् १३६९, ईसवी सन् १९६२

## राष्ट्रीय कार्त्तिक ( २३ अक्टूबर से २१ नवम्बर)

| वार | राष्ट्रीय कार्त्तिक | चान्द्र कार्त्तिक-अगहन | | सौर का.-अग.(बँ.) | | अँगरेजी अक्टू.-नव० | | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगल | १ | कार्त्तिक कृ० | १० | कार्त्तिक | ६ | अक्टूबर | २३ | [a निमित्त )। गोवत्स- * |
| बुध | २ | ,, | ११ | ,, | ७ | ,, | २४ | रम्भा-एकादशी ( सबके a |
| गुरु | ३ | ,, | १२ | ,, | ८ | ,, | २५ | प्रदोष । धनत्रयोदशी b |
| शुक्र | ४ | ,, | १३ | ,, | ९ | ,, | २६ | मास शिवरात्रि । |
| शनि | ५ | ,, | १४ | ,, | १० | ,, | २७ | नरक-चतुर्दशी। हनुमान-जन्मc |
| रवि | ६ | ,, | १५ | ,, | ११ | ,, | २८ | दीपावली (काशी से पूरब) ।d |
| सोम | ७ | कार्त्तिक शु० | १ | ,, | १२ | ,, | २९ | अन्नकूट । गोवर्द्धन-पूजा । e |
| मंगल | ८ | ,, | २ | ,, | १३ | ,, | ३० | यम-द्वितीया। भ्रातृ-द्वितीया। f |
| बुध | ९ | ,, | ३ | ,, | १४ | ,, | ३१ | जमादि-उस्सानी ६ । |
| गुरु | १० | ,, | ४ | ,, | १५ | नवम्बर | १ | वैनायकी चतुर्थी । |
| शुक्र | ११ | ,, | ५ | ,, | १६ | ,, | २ | सूर्य-षष्ठी व्रतारम्भ । |
| शनि | १२ | ,, | ६ | ,, | १७ | ,, | ३ | सूर्य-षष्ठी व्रत । |
| रवि | १३ | ,, | ७ | ,, | १८ | ,, | ४ | [* द्वादशी । सूर्य स्वाति । |
| सोम | १४ | ,, | ८ | ,, | १९ | ,, | ५ | गोपाष्टमी ।[‡महाकाली-पूजन। |
| मंगल | १५ | ,, | ९ | ,, | २० | ,, | ६ | अक्षय नवमी । सूर्य विशाखा । |
| बुध | १६ | ,, | १० | ,, | २१ | ,, | ७ | [b (धनतेरस)। धन्वन्तरि × |
| गुरु | १७ | ,, | ११ | ,, | २२ | ,, | ८ | प्रबोधिनी एकादशी (सबके g |
| शुक्र | १८ | ,, | १२ | ,, | २३ | ,, | ९ | प्रदोष ।[§विष्णु त्रिरात्र व्रत- θ |
| शनि | १९ | ,, | १३ | ,, | २४ | ,, | १० | वैकुंठ चतुर्दशी । [θ समाप्ति । |
| रवि | २० | ,, | १४ | ,, | २५ | ,, | ११ | कार्त्तिक पूर्णिमा । |
| सोम | २१ | अगहन कृ० | १ | ,, | २६ | ,, | १२ | [c दीपावली । (काशी से † |
| मंगल | २२ | ,, | २ | ,, | २७ | ,, | १३ | [† पश्चिम) । लक्ष्मी और ‡ |
| बुध | २३ | ,, | ३ | ,, | २८ | ,, | १४ | [d अन्नकूट । गो-क्रीडन + |
| गुरु | २४ | ,, | ४ | ,, | २९ | ,, | १५ | गणेश चतुर्थी।[ × जन्म-दिवस। |
| शुक्र | २५ | ,, | ५ | ,, | ३० | ,, | १६ | वृश्चिक-संक्रान्ति । |
| शनि | २६ | ,, | ६ | अगहन | १ | ,, | १७ | [+ (काशी से पश्चिम)। |
| रवि | २७ | ,, | ७ | ,, | २ | ,, | १८ | [eगो-क्रीडन ( काशी से पूरब)। |
| सोम | २८ | ,, | ८ | ,, | ३ | ,, | १९ | काल भैरवाष्टमी ।सूर्य अनुराधा। |
| मंगल | २९ | ,, | ९ | ,, | ४ | ,, | २० | [f चित्रगुप्त-पूजा । |
| बुध | ३० | ,, | १० | ,, | ५ | ,, | २१ | [gनिमित्त)। भीष्म पञ्चकारम्भ।§ |

शकाब्द १८८४, विक्रमाब्द २०१९, बँगला सन् १३६९, ईसवी सन् १९६२

## राष्ट्रीय अगहन (२२ नवम्बर से २१ दिसम्बर)

| वार | राष्ट्रीय अगहन | चान्द्र अगहन-पौष | | सौर अगहन-पौष (बँ०) | | अँगरेजी नव०-दिस० | | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु | १ | अगहन कृ० | ११ | अगहन | ६ | नवम्बर | २२ | उत्पन्ना एकादशी(सबके निमित्त)। |
| शुक्र | २ | ,, | १२ | ,, | ७ | ,, | २३ | [aस्नानादि निमित्त )। |
| शनि | ३ | ,, | १३ | ,, | ८ | ,, | २४ | शनि-प्रदोष। |
| रवि | ४ | ,, | १३ | ,, | ९ | ,, | २५ | मास शिवरात्रि। |
| सोम | ५ | ,, | १४ | ,, | १० | ,, | २६ | अमावास्या (श्राद्धादि निमित्त)। |
| मंगल | ६ | ,, | १५ | ,, | ११ | ,, | २७ | भौमवती अमावास्या ( व्रत-a |
| बुध | ७ | अगहन शु० | १ | ,, | १२ | ,, | २८ | रुद्रोपवास (पिंड़िया)। |
| गुरु | ८ | ,, | २ | ,, | १३ | ,, | २९ | रम्भाव ७। |
| शुक्र | ९ | ,, | ३ | ,, | १४ | ,, | ३० | |
| शनि | १० | ,, | ४ | ,, | १५ | दिसम्बर | १ | गणेश-चतुर्थी। [* ज्येष्ठा। |
| रवि | ११ | ,, | ५ | ,, | १६ | ,, | २ | स्कन्द षष्ठी। नागपञ्चमी। b |
| सोम | १२ | ,, | ६ | ,, | १७ | ,, | ३ | [b राम-विवाह-दिवस। सूर्य* |
| मंगल | १३ | ,, | ७ | ,, | १८ | ,, | ४ | |
| बुध | १४ | ,, | ९ | ,, | १९ | ,, | ५ | |
| गुरु | १५ | ,, | १० | ,, | २० | ,, | ६ | |
| शुक्र | १६ | ,, | ११ | ,, | २१ | ,, | ७ | मोक्षदा एकादशी(सबके निमित्त)। |
| शनि | १७ | ,, | १२ | ,, | २२ | ,, | ८ | |
| रवि | १८ | ,, | १३ | ,, | २३ | ,, | ९ | प्रदोष। |
| सोम | १९ | ,, | १४ | ,, | २४ | ,, | १० | पूर्णिमा (व्रत-निमित्त)। |
| मंगल | २० | ,, | १५ | ,, | २५ | ,, | ११ | पूर्णिमा (स्नान-दानादि निमित्त। |
| बुध | २१ | पौष कृ० | १ | ,, | २६ | ,, | १२ | |
| गुरु | २२ | ,, | २ | ,, | २७ | ,, | १३ | |
| शुक्र | २३ | ,, | ३ | ,, | २८ | ,, | १४ | गणेश-चतुर्थी। |
| शनि | २४ | ,, | ४ | ,, | २९ | ,, | १५ | धनु-संक्रान्ति। सूर्य मूल। |
| रवि | २५ | ,, | ५ | पौष | १ | ,, | १६ | |
| सोम | २६ | ,, | ६ | ,, | २ | ,, | १७ | |
| मंगल | २७ | ,, | ७ | ,, | ३ | ,, | १८ | |
| बुध | २८ | ,, | ८ | ,, | ४ | ,, | १९ | मालवीय-जयन्ती। |
| गुरु | २९ | ,, | ९ | ,, | ५ | ,, | २० | |
| शुक्र | ३० | ,, | १० | ,, | ६ | ,, | २१ | |

शकाब्द १८८४, विक्रमाब्द २०१६, बँगला सन् १३६६, ईसवी सन् १६६२-६३

## राष्ट्रीय पौष ( २२ दिसम्बर से २० जनवरी )

| | राष्ट्रीय | चान्द्र | | सौर | | अँगरेजी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वार | पौष | पौष-माघ | | पौष-माघ (बँ०) | | दिस०-जन० | | पर्व-त्यौहार आदि |
| शनि | १ | पौष कृ० | ११ | पौष | ७ | दिसम्बर | २२ | सफला एकादशी ( सबके a |
| रवि | २ | ,, | १२ | ,, | ८ | ,, | २३ | [ a निमित्त)। |
| सोम | ३ | ,, | १३ | ,, | ६ | ,, | २४ | सोम प्रदोष। |
| मंगल | ४ | ,, | १४ | ,, | १० | ,, | २५ | मास शिवरात्रि। क्रिशमस। |
| बुध | ५ | ,, | १५ | ,, | ११ | ,, | २६ | अमावास्या। |
| गुरु | ६ | पौष शु० | १ | ,, | १२ | ,, | २७ | |
| शुक्र | ७ | ,, | २ | ,, | १३ | ,, | २८ | |
| शनि | ८ | ,, | ३ | , | १४ | ,, | २६ | सावान ८। सूर्य पूर्वाषाढ। |
| रवि | ६ | ,, | ४ | ,, | १५ | ,, | ३० | गणेश-चतुर्थी। |
| सोम | १० | ,, | ५ | ,, | १६ | ,, | ३१ | |
| मंगल | ११ | ,, | ६ | ,, | १७ | जनवरी | १ | ईसाई नववर्ष-दिवस। b |
| बुध | १२ | ,, | ७ | ,, | १८ | ,, | २ | गुरु गोविन्द सिंह-जन्म-दिवस। |
| गुरु | १३ | ,, | ८ | ,, | १६ | ,, | ३ | [b ई० सन् १६६३। |
| शुक्र | १४ | ,, | ६ | ,, | २० | ,, | ४ | |
| शनि | १५ | ,, | १० | ,, | २१ | ,, | ५ | |
| रवि | १६ | ,, | ११ | ,, | २२ | ,, | ६ | पुत्रदा एकादशी। |
| सोम | १७ | ,, | १२ | ,, | २३ | ,, | ७ | प्रदोष। |
| मंगल | १८ | ,, | १४ | ,, | २४ | ,, | ८ | |
| बुध | १६ | ,, | १५ | ,, | २५ | ,, | ६ | पूर्णिमा। |
| गुरु | २० | माघ कृ० | १ | ,, | २६ | ,, | १० | |
| शुक्र | २१ | ,, | २ | ,, | २७ | ,, | ११ | सूर्य उत्तराषाढा। |
| शनि | २२ | ,, | ३ | ,, | २८ | , | १२ | सवेवरात। |
| रवि | २३ | ,, | ४ | ,, | २६ | ,, | १३ | गणेश-चतुर्थी। गणेशोत्पत्ति। |
| सोम | २४ | ,, | ५ | ,, | ३० | ,, | १४ | मकर-संक्रान्ति। तिला- c |
| मंगल | २५ | ,, | ५ | माघ | १ | ,, | १५ | [c संक्रान्ति। |
| बुध | २६ | ,, | ६ | ,, | २ | ,, | १६ | |
| गुरु | २७ | ,, | ७ | ,, | ३ | ,, | १७ | भानु-सप्तमी। |
| शुक्र | २८ | ,, | ८ | ,, | ४ | ,, | १८ | |
| शनि | २६ | ,, | ६ | ,, | ५ | ,, | १६ | |
| रवि | ३० | ,, | १० | ,, | ६ | ,, | २० | |

शकाब्द १८८४, विक्रमाब्द २०१६, बँगला सन् १३६६, ईसवी सन् १६६३

## राष्ट्रीय माघ ( २१ जनवरी से १६ फरवरी )

| वार | राष्ट्रीय माघ | चान्द्र माघ-फाल्गुन | सौर माघ-फाल्गुन (बँ०) | अँगरेजी जन०-फर० | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| सोम | १ | माघ कृ० ११ | माघ ७ | जनवरी २१ | षट्तिला एकादशी (सबके a |
| मंगल | २ | ,, १२ | ,, ८ | ,, २२ | [a निमित्त)। |
| बुध | ३ | ,, १३ | ,, ९ | ,, २३ | प्रदोष। मास शिवरात्रि। |
| गुरु | ४ | ,, १४ | ,, १० | ,, २४ | सूर्य श्रवणा। |
| शुक्र | ५ | ,, १५ | ,, ११ | ,, २५ | मौनी अमावास्या। |
| शनि | ६ | माघ शु० ० | ,, १२ | ,, २६ | गणतंत्र-दिवस। |
| रवि | ७ | ,, २ | ,, १३ | ,, २७ | रामजान ६। |
| सोम | ८ | ,, ३ | ,, १४ | ,, २८ | गौरी तृतीया। |
| मंगल | ९ | ,, ४ | ,, १५ | ,, २९ | वैनायकी चतुर्थी। |
| बुध | १० | ,, ५ | ,, १६ | ,, ३० | वसन्त-पञ्चमी। |
| गुरु | ११ | ,, ६ | ,, १७ | ,, ३१ | अचला सप्तमी। रथ-सप्तमी। |
| शुक्र | १२ | ,, ८ | ,, १८ | फरवरी १ | भीमाष्टमी। |
| शनि | १३ | ,, ९ | ,, १९ | ,, २ | |
| रवि | १४ | ,, १० | ,, २० | ,, ३ | |
| सोम | १५ | ,, ११ | ,, २१ | ,, ४ | जया एकादशी ( सबके b |
| मंगल | १६ | ,, १२ | ,, २२ | ,, ५ | [b निमित्त )। |
| बुध | १७ | ,, १३ | ,, २३ | ,, ६ | प्रदोष। सूर्य धनिष्ठा। |
| गुरु | १८ | ,, १४ | ,, २४ | ,, ७ | |
| शुक्र | १९ | ,, १५ | ,, २५ | ,, ८ | माघी पूर्णिमा। |
| शनि | २० | फाल्गुन कृ० १ | ,, २६ | ,, ९ | |
| रवि | २१ | ,, २ | ,, २७ | ,, १० | |
| सोम | २२ | ,, ३ | ,, २८ | ,, ११ | |
| मंगल | २३ | ,, ४ | ,, २९ | ,, १२ | गणेश-चतुर्थी। कुम्भ- c |
| बुध | २४ | ,, ५ | फाल्गुन १ | ,, १३ | [c संक्रान्ति। |
| गुरु | २५ | ,, ६ | ,, २ | ,, १४ | |
| शुक्र | २६ | ,, ७ | ,, ३ | ,, १५ | |
| शनि | २७ | ,, ७ | ,, ४ | ,, १६ | |
| रवि | २८ | ,, ८ | ,, ५ | ,, १७ | जानकी-जयन्ती। |
| सोम | २९ | ,, ९ | ,, ६ | ,, १८ | |
| मंगल | ३० | ,, १० | ,, ७ | ,, १९ | सूर्य शतभिषा। |

शकाब्द १८८४, विक्रमाब्द २०१९, वँगला-सन् १३६९, ईसवी-सन् १९६३

## राष्ट्रीय फाल्गुन ( २० फरवरी से २१ मार्च )

| वार | राष्ट्रीय फाल्गुन | चान्द्र फाल्गुन-चैत्र | | सौर फाल्गुन-चैत्र (वँ०) | | अँगरेजी फरवरी-मार्च | | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध | १ | फाल्गुन कृ० | ११ | फाल्गुन | ८ | फरवरी | २० | विजया एकादशी (सबके a |
| गुरु | २ | ,, | १२ | ,, | ९ | ,, | २१ | प्रदोष। [a निमित्त)। |
| शुक्र | ३ | ,, | १३ | ,, | १० | ,, | २२ | महाशिवरात्रि। |
| शनि | ४ | ,, | १४ | ,, | ११ | ,, | २३ | अमावास्या (श्राद्धादि निमित्त)। |
| रवि | ५ | ,, | १५ | ,, | १२ | ,, | २४ | अमावास्या (स्नान-दानादि b |
| सोम | ६ | फाल्गुन शु० | २ | ,, | १३ | ,, | २५ | |
| मंगल | ७ | ,, | ३ | ,, | १४ | ,, | २६ | सव्वाल १०। ईद-उल-फितर। |
| बुध | ८ | ,, | ४ | ,, | १५ | ,, | २७ | गणेश-चतुर्थी। [b निमित्त)। |
| गुरु | ९ | ,, | ५ | ,, | १६ | ,, | २८ | |
| शुक्र | १० | ,, | ६ | ,, | १७ | मार्च | १ | |
| शनि | ११ | ,, | ७ | ,, | १८ | ,, | २ | |
| रवि | १२ | ,, | ८ | ,, | १९ | ,, | ३ | होलाष्टकारम्भ। |
| सोम | १३ | ,, | ९ | ,, | २० | ,, | ४ | सूर्य पूर्वभाद्रपदा। |
| मंगल | १४ | ,, | १० | ,, | २१ | ,, | ५ | [*होलिका-दाह। |
| बुध | १५ | ,, | ११ | ,, | २२ | ,, | ६ | आमलकी एकादशी (सबके c |
| गुरु | १६ | ,, | १२ | ,, | २३ | ,, | ७ | प्रदोष। [c निमित्त)। |
| शुक्र | १७ | ,, | १३ | ,, | २४ | ,, | ८ | [d में ११/१६ के बाद* |
| शनि | १८ | ,, | १४ | ,, | २५ | ,, | ९ | पूर्णिमा (व्रत-निमित्त) रात d |
| रवि | १९ | ,, | १५ | ,, | २६ | ,, | १० | पूर्णिमा (स्नान-दानादि e |
| सोम | २० | चैत्र कृ० | १ | ,, | २७ | ,, | ११ | होली। वसन्तोत्सव। |
| मंगल | २१ | ,, | २ | ,, | २८ | ,, | १२ | |
| बुध | २२ | ,, | ३ | ,, | २९ | ,, | १३ | गणेश-चतुर्थी। [e निमित्त) |
| गुरु | २३ | ,, | ४ | ,, | ३० | ,, | १४ | मीन-संक्रान्ति। |
| शुक्र | २४ | ,, | ५ | चैत्र | १ | ,, | १५ | |
| शनि | २५ | ,, | ६ | ,, | २ | ,, | १६ | |
| रवि | २६ | ,, | ७ | ,, | ३ | ,, | १७ | सूर्य उत्तराभाद्रपदा। |
| सोम | २७ | ,, | ८ | ,, | ४ | ,, | १८ | शीतलाष्टमी। |
| मंगल | २८ | ,, | ९ | ,, | ५ | ,, | १९ | |
| बुध | २९ | ,, | १० | ,, | ६ | ,, | २० | [f (सबके निमित्त) |
| गुरु | ३० | ,, | ११ | ,, | ७ | ,, | २१ | पापमोचिनी एकादशी f |

शकाब्द १८८५, विक्रमाब्द २०१६-२०२०, बँगला-सन् १३६६-७०, ईसवी-सन् १६६३

## राष्ट्रीय चैत्र (२२ मार्च से २० अप्रैल तक)

| वार | राष्ट्रीय चैत्र | चान्द्र चैत्र-वैशाख | सौर चैत्र-वैशाख (बँ०) | अँगरेजी मार्च-अप्रैल | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र | १ | चैत्र कृ० १२ | चैत्र ८ | मार्च २२ | |
| शनि | २ | ,, १३ | ,, ६ | ,, २३ | महावीर-जयन्ती। महावारुणी। a |
| रवि | ३ | ,, १४ | ,, १० | ,, २४ | [a प्रदोष। मास शिवरात्रि। |
| सोम | ४ | ,, १५ | ,, ११ | ,, २५ | अमावास्या (स्नान-दान श्राद्धादि- I |
| मंगल | ५ | चैत्र शु० १ | ,, १२ | ,, २६ | चान्द्रवर्ष २०२० विक्रमाब्द प्रारम्भ।। |
| बुध | ६ | ,, २ | ,, १३ | ,, २७ | जिकाद ११। मत्स्य-जयन्ती। |
| गुरु | ७ | ,, ३ | ,, १४ | ,, २८ | गणगौरी व्रत। सरहुल। |
| शुक्र | ८ | ,, ५ | ,, १५ | ,, २६ | [b निमित्त)। |
| शनि | ६ | ,, ६ | ,, १६ | ,, ३० | [c चन्द्रदर्शन। नवरात्रारम्भ। |
| रवि | १० | ,, ७ | ,, १७ | ,, ३१ | सूर्य रेवती। |
| सोम | ११ | ,, ८ | ,, १८ | अप्रैल १ | |
| मंगल | १२ | ,, ६ | ,, १६ | ,, २ | रामनवमी व्रत। |
| बुध | १३ | ,, १० | ,, २० | ,, ३ | |
| गुरु | १४ | ,, ११ | ,, २१ | ,, ४ | कामदा एकादशी (सबके निमित्त)। d |
| शुक्र | १५ | ,, १२ | ,, २२ | ,, ५ | [d गुरु-उदय। |
| शनि | १६ | ,, १३ | ,, २३ | ,, ६ | |
| रवि | १७ | ,, १४ | ,, २४ | ,, ७ | |
| सोम | १८ | ,, १५ | ,, २५ | ,, ८ | पूर्णिमा। हनुमान्-जयंती। |
| मंगल | १६ | वैशाख कृ० १ | ,, २६ | ,, ६ | |
| बुध | २० | ,, १ | ,, २७ | ,, १० | |
| गुरु | २१ | ,, २ | ,, २८ | ,, ११ | |
| शुक्र | २२ | ,, ३ | ,, २६ | ,, १२ | गुड फ्राइडे। बुधोदय पश्चिम। |
| शनि | २३ | ,, ४ | ,, ३० | ,, १३ | सूर्य अश्विनी और मेष-संक्रान्ति। e |
| रवि | २४ | ,, ५ | वैशाख १ | ,, १४ | बँगला सन् १३७० आरम्भ। |
| सोम | २५ | ,, ६ | ,, २ | ,, १५ | [e वैशाखी। |
| मंगल | २६ | ,, ७ | ,, ३ | ,, १६ | |
| बुध | २७ | ,, ८ | ,, ४ | ,, १७ | |
| गुरु | २८ | ,, ६ | ,, ५ | ,, १८ | |
| शुक्र | २६ | ,, १० | ,, ६ | ,, १६ | प्रदोष। |
| शनि | ३० | ,, ११ | ,, ७ | ,, २० | वरूथिनी एकादशी (सबके निमित्त)। |

शकाब्द १८८५, विक्रमाब्द २०२०, बँगला-सन् १३७०, ईसवी-सन् १९६३

## राष्ट्रीय वैशाख (२१ अप्रैल से २१ मई तक)

| वार | राष्ट्रीय वैशाख | चान्द्र वैशाख-ज्येष्ठ | सौर वैशाख-ज्येष्ठ (बँ०) | अँगरेजी अप्रैल-मई | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि | १ | वैशाख कृ० १२ | वैशाख ८ | अप्रैल २१ | |
| सोम | २ | ,, १३ | ,, ९ | ,, २२ | मासशिवरात्रि। |
| मंगल | ३ | ,, १५ | ,, १० | ,, २३ | अमावास्या (स्नान-श्राद्धादि निमित्त)। |
| बुध | ४ | वैशाख शु० १ | ,, ११ | ,, २४ | सूर्य रोहिणी। |
| गुरु | ५ | ,, २ | ,, १२ | ,, २५ | चन्द्रदर्शन। |
| शुक्र | ६ | ,, ३ | ,, १३ | ,, २६ | अक्षय तृतीया। परशुराम-जयन्ती। f |
| शनि | ७ | ,, ४ | ,, १४ | ,, २७ | सूर्य भरणी। |
| रवि | ८ | ,, ५ | ,, १५ | ,, २८ | [f जिलहिज १२। |
| सोम | ९ | ,, ६ | ,, १६ | ,, २९ | |
| मंगल | १० | ,, ७ | ,, १७ | ,, ३० | |
| बुध | ११ | ,, ८ | ,, १८ | मई १ | |
| गुरु | १२ | ,, ९ | ,, १९ | ,, २ | |
| शुक्र | १३ | ,, १० | ,, २० | ,, ३ | |
| शनि | १४ | ,, ११ | ,, २१ | ,, ४ | मोहिनी एकादशी (सबके निमित्त)। |
| रवि | १५ | ,, १२ | ,, २२ | ,, ५ | बुध-वक्री। ईद-उज-जुहा (बकरीद)। |
| सोम | १६ | ,, १३ | ,, २३ | ,, ६ | |
| मंगल | १७ | ,, १४ | ,, २४ | ,, ७ | नृसिंह-जयन्ती। |
| बुध | १८ | ,, १५ | ,, २५ | ,, ८ | कूर्म-जयन्ती-पूर्णिमा। बुद्ध-जयन्ती। |
| गुरु | १९ | ज्येष्ठ कृ० १ | ,, २६ | ,, ९ | बुधास्त पश्चिम में। |
| शुक्र | २० | ,, २ | ,, २७ | ,, १० | अपरा एकादशी (प्रायः सबके निमित्त)। |
| शनि | २१ | ,, ३ | ,, २८ | ,, ११ | सूर्य कृत्तिका। |
| रवि | २२ | ,, ४ | ,, २९ | ,, १२ | |
| सोम | २३ | ,, ५ | ,, ३० | ,, १३ | |
| मंगल | २४ | ,, ५ | ,, ३१ | ,, १४ | सूर्य वृष। |
| बुध | २५ | ,, ६ | ज्येष्ठ १ | ,, १५ | |
| गुरु | २६ | ,, ७ | ,, २ | ,, १६ | |
| शुक्र | २७ | ,, ९ | ,, ३ | ,, १७ | |
| शनि | २८ | ,, १० | ,, ४ | ,, १८ | |
| रवि | २९ | ,, ११ | ,, ५ | ,, १९ | |
| सोम | ३० | ,, १२ | ,, ६ | ,, २० | |
| मंगल | ३१ | ,, १३ | ,, ७ | ,, २१ | |

शकाब्द १८८५, विक्रमाब्द २०२०, बँगला-सन् १३७०, ईसवी-सन् १९६३

## राष्ट्रीय ज्येष्ठ (२२ मई से २१ जून तक)

| वार | राष्ट्रीय ज्येष्ठ | चान्द्र ज्येष्ठ-आषाढ | सौर ज्येष्ठ-आषाढ (बँ०) | अँगरेजी मई-जून | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध | १ | ज्येष्ठ कृ० १४ | ज्येष्ठ ८ | मई २२ | |
| गुरु | २ | ,, १५ | ,, ९ | ,, २३ | अमावास्या। वट-सावित्री व्रत। |
| शुक्र | ३ | ज्येष्ठ शु० १ | ,, १० | ,, २४ | चन्द्रदर्शन। |
| शनि | ४ | ,, २ | ,, ११ | ,, २५ | मुहर्रम १, हिजरी १३८३। |
| रवि | ५ | ,, ४ | ,, १२ | ,, २६ | |
| सोम | ६ | ,, ५ | ,, १३ | ,, २७ | बुधोदय पूर्व। |
| मंगल | ७ | ,, ६ | ,, १४ | ,, २८ | |
| बुध | ८ | ,, ७ | ,, १५ | ,, २९ | |
| गुरु | ९ | ,, ८ | ,, १६ | ,, ३० | |
| शुक्र | १० | ,, ९ | ,, १७ | ,, ३१ | |
| शनि | ११ | ,, १० | ,, १८ | जून १ | बुध मार्गी। गंगा-दशहरा। |
| रवि | १२ | ,, ११ | ,, १९ | ,, २ | निर्जला एकादशी स्मार्तों के निमित्त। |
| सोम | १३ | ,, १२ | ,, २० | ,, ३ | निर्जला एकादशी वैष्णवों के लिए। a |
| मंगल | १४ | ,, १२ | ,, २१ | ,, ४ | प्रदोष। [a शनि वकरीद। मुहर्रम। |
| बुध | १५ | ,, १३ | ,, २२ | ,, ५ | |
| गुरु | १६ | ,, १४ | ,, २३ | ,, ६ | |
| शुक्र | १७ | ,, १५ | ,, २४ | ,, ७ | पूर्णिमा। |
| शनि | १८ | आषाढ कृ० १ | ,, २५ | ,, ८ | सूर्य मृगशिरा। |
| रवि | १९ | ,, २ | ,, २६ | ,, ९ | |
| सोम | २० | ,, ३ | ,, २७ | ,, १० | |
| मंगल | २१ | ,, ४ | ,, २८ | ,, ११ | |
| बुध | २२ | ,, ५ | ,, २९ | ,, १२ | |
| गुरु | २३ | ,, ६ | ,, ३० | ,, १३ | —[b निमित्त ] |
| शुक्र | २४ | ,, ७ | ,, ३१ | , १४ | |
| शनि | २५ | ,, ८ | ,, ३२ | ,, १५ | सूर्य मिथुन। शीतलाष्टमी। |
| रवि | २६ | ,, ९ | आषाढ १ | ,, १६ | |
| सोम | २७ | ,, १० | ,, २ | ,, १७ | योगिनी एकादशी व्रत (स्मार्तों के b] |
| मंगल | २८ | ,, १२ | ,, ३ | ,, १८ | योगिनी एकादशी (वैष्णवों के निमित्त)। |
| बुध | २९ | ,, १३ | ,, ४ | ,, १९ | मासशिवरात्रि। |
| गुरु | ३० | ,, १४ | ,, ५ | ,, २० | |
| शुक्र | ३१ | ,, १५ | ,, ६ | ,, २१ | अमावास्या (स्नान-श्राद्धादि निमित्त)। |

शकाब्द १८८५: विक्रमाब्द २०२०, बँगला सन् १३७०, ईसवी सन् १९६३

## राष्ट्रीय आषाढ़ (२२ जून से २२ जुलाई तक)

| वार | राष्ट्रीय आषाढ | चान्द्र आषाढ-श्रावण | सौर आषाढ-श्रावण(बँ०) | अँगरेजी जून-जुलाई | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| शनि | १ | आषाढ शु० १ | आषाढ ७ | जून २२ | चन्द्रदर्शन । सूर्य आर्द्रा । |
| रवि | २ | ,, २ | ,, ८ | ,, २३ | सफर २ । |
| सोम | ३ | ,, ३ | ,, ९ | ,, २४ | |
| मंगल | ४ | ,, ४ | ,, १० | ,, २५ | |
| बुध | ५ | ,, ५ | ,, ११ | ,, २६ | |
| गुरु | ६ | ,, ६ | ,, १२ | ,, २७ | |
| शुक्र | ७ | ,, ७ | ,, १३ | ,, २८ | |
| शनि | ८ | ,, ८ | ,, १४ | ,, २९ | |
| रवि | ९ | ,, ९ | ,, १५ | ,, ३० | |
| सोम | १० | ,, १० | ,, १६ | जुलाई १ | बुधास्त पूर्व में । |
| मंगल | ११ | ,, ११ | ,, १७ | ,, २ | हरिशयनी एकादशी (सबके निमित्त) । |
| बुध | १२ | ,, १२ | ,, १८ | ,, ३ | |
| गुरु | १३ | ,, १३ | ,, १९ | ,, ४ | प्रदोष । |
| शुक्र | १४ | ,, १४ | ,, २० | ,, ५ | |
| शनि | १५ | ,, १५ | ,, २१ | ,, ६ | सूर्य पुनर्वसु । गुरु-व्यास-पूजा । c |
| रवि | १३ | श्रावण कृ० १ | ,, २२ | ,, ७ | [c पूर्णिमा खंड चन्द्रग्रहण । d |
| सोम | १७ | ,, २ | ,, २३ | ,, ८ | [d रात्रि २ बजकर ४ मिनट से e |
| मंगल | १८ | ,, ३ | ,, २४ | ,, ९ | [e ५ बजकर २ मिनट तक । |
| बुध | १९ | ,, ४ | ,, २५ | ,, १० | |
| गुरु | २० | ,, ५ | ,, २६ | ,, ११ | चेहल्लुम । |
| शुक्र | २१ | ,, ६ | ,, २७ | ,, १२ | |
| शनि | २२ | ,, ७ | ,, २८ | ,, १३ | |
| रवि | २३ | ,, ८ | ,, २९ | ,, १४ | |
| सोम | २४ | ,, ९ | ,, ३० | ,, १५ | |
| मंगल | २५ | ,, १० | ,, ३१ | ,, १६ | सूर्य कर्क । |
| बुध | २६ | ,, ११ | श्रावण १ | ,, १७ | कामदा एकादशी (सबके निमित्त) । |
| गुरु | २७ | ,, १२ | ,, २ | ,, १८ | |
| शुक्र | २८ | ,, १४ | ,, ३ | ,, १९ | |
| शनि | २९ | ,, १५ | ,, ४ | ,, २० | अमावास्या (स्नान श्राद्धादि f |
| रवि | ३० | श्रावण शु० १ | ,, ५ | ,, २१ | [f निमित्त । सूर्य पुण्य । |
| सोम | ३१ | ,, २ | ,, ६ | ,, २२ | चन्द्रदर्शन । |

शकाब्द १८८५, विक्रमाब्द २०२०, बँगला-सन् १३७०, ईसवी-सन् १९६३

## राष्ट्रीय श्रावण (२३ जुलाई से २२ अगस्त)

| | राष्ट्रीय | चान्द्र | सौर | अँगरेजी | |
|---|---|---|---|---|---|
| वार | श्रावण | श्रावण-भाद्र | श्रावण-भाद्र (बँ०) | जुलाई-अगस्त | पर्व-त्योहार आदि |
| मंगल | १ | श्रावण शु० ३ | श्रावण ७ | जुलाई २३ | रविउल अव्वल ३। मधुश्रावणी। |
| बुध | २ | ,, ४ | ,, ८ | ,, २४ | वरद गणेश चतुर्थी। |
| गुरु | ३ | ,, ५ | ,, ९ | ,, २५ | नागपंचमी। |
| शुक्र | ४ | ,, ६ | ,, १० | ,, २६ | बुधोदय पश्चिम। |
| शनि | ५ | ,, ७ | ,, ११ | ,, २७ | शीतलापूजन। |
| रवि | ६ | ,, ८ | ,, १२ | ,, २८ | दुर्गाष्टमी। |
| सोम | ७ | ,, ८ | ,, १३ | ,, २९ | |
| मंगल | ८ | ,, ९ | ,, १४ | ,, ३० | |
| बुध | ९ | ,, १० | ,, १५ | ,, ३१ | |
| गुरु | १० | ,, ११ | ,, १६ | अगस्त १ | पुत्रदा एकादशी (सबके निमित्त)। |
| शुक्र | ११ | ,, १२ | ,, १७ | ,, २ | प्रदोष। |
| शनि | १२ | ,, १३ | ,, १८ | ,, ३ | सूर्य आश्लेषा। फातेहा द्वाजदहुम। |
| रवि | १३ | ,, १४ | ,, १९ | ,, ४ | |
| सोम | १४ | ,, १५ | ,, २० | ,, ५ | श्रावणी पूर्णिमा। रक्षाबंधन। |
| मंगल | १५ | भाद्र कृ० १ | ,, २१ | ,, ६ | |
| बुध | १६ | ,, २ | ,, २२ | ,, ७ | गुरु वक्री। |
| गुरु | १७ | ,, ३ | ,, २३ | ,, ८ | शुक्रास्त पूर्व। |
| शुक्र | १८ | ,, ४ | ,, २४ | ,, ९ | |
| शनि | १९ | ,, ६ | ,, २५ | ,, १० | |
| रवि | २० | ,, ७ | ,, २६ | ,, ११ | |
| सोम | २१ | ,, ८ | ,, २७ | ,, १२ | जन्माष्टमी (सबके निमित्त)। |
| मंगल | २२ | ,, ९ | ,, २८ | ,, १३ | |
| बुध | २३ | ,, १० | ,, २९ | ,, १४ | |
| गुरु | २४ | ,, ११ | ,, ३० | ,, १५ | जया एकादशी (सबके निमित्त)। |
| शुक्र | २५ | ,, १२ | ,, ३१ | ,, १६ | प्रदोष। |
| शनि | २६ | ,, १३ | ,, ३२ | ,, १७ | सूर्य मघा और सिंह। मास a |
| रवि | २७ | ,, १४ | भाद्र १ | ,, १८ | अमावास्या (श्राद्धादि निमित्त) |
| सोम | २८ | ,, १५ | ,, २ | ,, १९ | अमावास्या स्नानादि निमित्त। b |
| मंगल | २९ | भाद्र शु० १ | ,, ३ | ,, २० | चन्द्रदर्शन [a शिवरात्रि। |
| बुध | ३० | ,, २ | ,, ४ | ,, २१ | रवि उस्सानी ४ [b कुशोत्पाटिनी। |
| गुरु | ३१ | ,, ३ | ,, ५ | ,, २२ | हरितालिकाव्रत। तीज। |

शकाब्द १८८५, विक्रमाब्द २०२०, बँगला-सन् १३७०, ईसवी-सन् १९६३

# राष्ट्रीय भाद्रपद (२३ अगस्त से २२ सितम्बर)

| वार | राष्ट्रीय भाद्र | चान्द्र भाद्र-आश्विन | सौर भाद्र-आश्विन (ब॰) | अँगरेजी अगस्त-सितम्बर | पर्व त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र | १ | भाद्र शु॰ ४ | भाद्र ६ | अगस्त २३ | गणेशचतुर्थी व्रत। |
| शनि | २ | ,, ५ | ,, ७ | ,, २४ | ऋषिपंचमी |
| रवि | ३ | ,, ६ | ,, ८ | ,, २५ | लोलार्कषष्ठी। |
| सोम | ४ | ,, ७ | ,, ९ | ,, २६ | महालक्ष्मीव्रतारम्भ। |
| मंगल | ५ | ,, ८ | ,, १० | ,, २७ | दूर्वाष्टमी |
| बुध | ६ | ,, ९ | ,, ११ | ,, २८ | |
| गुरु | ७ | ,, १० | ,, १२ | ,, २९ | |
| शुक्र | ८ | ,, ११ | ,, १३ | ,, ३० | पद्मा एकादशी स्मार्तों (के निमित्त)। |
| शनि | ९ | ,, १२ | ,, १४ | ,, ३१ | सूर्य पूर्वफाल्गुनी की पद्मा एकादशी a |
| रवि | १० | ,, १३ | ,, १५ | सितम्बर १ | [ a (वैष्णवों के निमित्त)। |
| सोम | ११ | ,, १४ | ,, १६ | ,, २ | अनन्तचतुर्दशी। |
| मंगल | १२ | ,, १५ | ,, १७ | ,, ३ | पूर्णिमा। महालयारम्भ। |
| बुध | १३ | शु॰आ॰कृ॰ १ | ,, १८ | ,, ४ | बुधास्त पश्चिम। |
| गुरु | १४ | ,, २ | ,, १९ | ,, ५ | बुध वक्री। |
| शुक्र | १५ | ,, ३ | ,, २० | ,, ६ | |
| शनि | १६ | ,, ४ | ,, २१ | ,, ७ | |
| रवि | १७ | ,, ५ | ,, २२ | ,, ८ | |
| सोम | १८ | ,, ६ | ,, २३ | ,, ९ | |
| मंगल | १९ | ,, ८ | ,, २४ | ,, १० | जीवत्पुत्रिकाव्रत। |
| बुध | २० | ,, ९ | ,, २५ | ,, ११ | मातृनवमी। |
| गुरु | २१ | ,, १० | ,, २६ | ,, १२ | |
| शुक्र | २२ | ,, ११ | ,, २७ | ,, १३ | सूर्य उत्तराफाल्गुनी। इन्दिरा b |
| शनि | २३ | ,, १२ | ,, २८ | ,, १४ | [b एकादशी (प्रायः सबके निमित्त) |
| रवि | २४ | ,, १३ | ,, २९ | ,, १५ | प्रदोष। |
| सोम | २५ | ,, १४ | ,, ३० | ,, १६ | मासशिवरात्रि। |
| मंगल | २६ | ,, १५ | ,, ३१ | ,, १७ | पितृविसर्जन। सूर्य कन्या। c |
| बुध | २७ | अ॰आ॰शु॰ १ | आश्विन १ | ,, १८ | [c अमावास्या। |
| गुरु | २८ | ,, २ | ,, २ | ,, १९ | चन्द्रदर्शन। |
| शुक्र | २९ | ,, ३ | ,, ३ | ,, २० | जमादि-उल-अव्वल ५। |
| शनि | ३० | ,, ३ | ,, ४ | ,, २१ | |
| रवि | ३१ | ,, ४ | ,, ५ | ,, २२ | |

शकाब्द १८८५, विक्रमाब्द २०२० बँगला-सन् १३७०, ईसवी-सन् १९६३

# राष्ट्रीय आश्विन (२३ सितम्बर से २२ अक्टूबर)

| वार | राष्ट्रीय आश्विन | चान्द्र आश्विन | सौर आश्विन-कार्त्तिक (बँ०) | अँगरेजी सितम्बर-अक्टूबर | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| सोम | १ | अ० आ० शु० ५ | आश्विन ६ | सितम्बर २३ | |
| मंगल | २ | ,, ६ | ,, ७ | ,, २४ | |
| बुध | ३ | ,, ७ | ,, ८ | ,, २५ | |
| गुरु | ४ | ,, ८ | ,, ९ | ,, २६ | |
| शुक्र | ५ | ,, ९ | ,, १० | ,, २७ | सूर्य हस्त। बुधोदय पूर्व। |
| शनि | ६ | ,, १० | ,, ११ | ,, २८ | शुक्रोदय पश्चिम। |
| रवि | ७ | ,, ११ | ,, १२ | ,, २९ | बुध मार्गी। कमला एकादशी व्रत a |
| सोम | ८ | ,, १२ | ,, १३ | ,, ३० | प्रदोष। [a (सबके निमित्त)। |
| मंगल | ९ | ,, १३ | ,, १४ | अक्टूबर १ | |
| बुध | १० | ,, १४ | ,, १५ | ,, २ | पूर्णिमा (व्रत-निमित्त। |
| गुरु | ११ | ,, १५ | ,, १६ | ,, ३ | पूर्णिमा (स्नानदानादि निमित्त)। |
| शुक्र | १२ | अ०आ०कृ०१ | ,, १७ | ,, ४ | |
| शनि | १३ | ,, ३ | ,, १८ | ,, ५ | |
| रवि | १४ | ,, ४ | ,, १९ | ,, ६ | |
| सोम | १५ | ,, ५ | ,, २० | ,, ७ | |
| मंगल | १६ | ,, ६ | ,, २१ | ,, ८ | |
| बुध | १७ | ,, ७ | ,, २२ | ,, ९ | |
| गुरु | १८ | ,, ८ | ,, २३ | ,, १० | |
| शुक्र | १९ | ,, ९ | ,, २४ | ,, ११ | सूर्य चित्रा। |
| शनि | २० | ,, १० | ,, २५ | ,, १२ | |
| रवि | २१ | ,, ११ | ,, २६ | ,, १३ | कमला एकादशीव्रत। |
| सोम | २२ | ,, १२ | ,, २७ | ,, १४ | |
| मंगल | २३ | ,, १३ | ,, २८ | ,, १५ | |
| बुध | २४ | ,, १४ | ,, २९ | ,, १६ | |
| गुरु | २५ | ,, १५ | ,, ३० | ,, १७ | सूर्य तुला। बुधास्त पूर्व। b |
| शुक्र | २६ | शु० आ० शु० १ | कार्तिक १ | ,, १८ | शारदीय नवरात्रारम्भ। मातामह c |
| शनि | २७ | ,, २ | ,, २ | ,, १९ | चन्द्रदर्शन। [b अमावास्या। |
| रवि | २८ | ,, ३ | ,, ३ | ,, २० | जयाद उस्सानी ६। [c श्राद्ध। |
| सोम | २९ | ,, ४ | ,, ४ | ,, २१ | शनि मार्गी। |
| मंगल | ३० | ,, ५ | ,, ५ | ,, २२ | उपांगललिताव्रत। |

शकाब्द १८८५, विक्रमाब्द २०२०, बँगला-सन् १३७०, ईसवी-सन् १९६३

# राष्ट्रीय कार्त्तिक (२३ अक्टूबर से २१ नवम्बर)

| वार | राष्ट्रीय कार्त्तिक | चान्द्र आश्विन-कार्त्तिक | सौर कार्त्तिक-अगहन (बँ०) | अँगरेजी अक्टूबर-नवम्बर | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध | १ | शु० आ० शु० ५ | कार्त्तिक ६ | अक्टूबर २३ | |
| गुरु | २ | ,, ६ | ,, ७ | ,, २४ | सूर्य स्वाती। |
| शुक्र | ३ | ,, ७ | ,, ८ | ,, २५ | |
| शनि | ४ | ,, ८ | ,, ९ | ,, २६ | |
| रवि | ५ | ,, ९ | ,, १० | ,, २७ | विजया दशमी, दशहरा। |
| सोम | ६ | ,, ११ | ,, ११ | ,, २८ | |
| मंगल | ७ | ,, १२ | ,, १२ | ,, २९ | पापाङ्कुशा एकादशी (सबके निमित्त)। |
| बुध | ८ | ,, १३ | ,, १३ | ,, ३० | |
| गुरु | ९ | ,, १४ | ,, १४ | ,, ३१ | |
| शुक्र | १० | ,, १५ | ,, १५ | नवम्बर १ | शरद् पूर्णिमा। कोजागरी कार्त्तिक—a |
| शनि | ११ | कार्त्तिक कृ० १ | ,, १६ | ,, २ | [a स्नानारम्भ। |
| रवि | १२ | ,, २ | ,, १७ | ,, ३ | |
| सोम | १३ | ,, ३ | ,, १८ | ,, ४ | |
| मंगल | १४ | ,, ५ | ,, १९ | ,, ५ | |
| बुध | १५ | ,, ६ | ,, २० | ,, ६ | सूर्य विशाखा। |
| गुरु | १६ | ,, ७ | ,, २१ | ,, ७ | |
| शुक्र | १७ | ,, ८ | ,, २२ | ,, ८ | |
| शनि | १८ | ,, ९ | ,, २३ | ,, ९ | |
| रवि | १९ | ,, १० | ,, २४ | ,, १० | |
| सोम | २० | ,, ११ | ,, २५ | ,, ११ | रमा एकादशीव्रत (स्मार्त्तों के निमित्त)। |
| मंगल | २१ | ,, १२ | ,, २६ | ,, १२ | रमा एकादशीव्रत (वैष्णवों के निमित्त) |
| बुध | २२ | ,, १३ | ,, २७ | ,, १३ | धन्वन्तरि त्रयोदशी (धनतेरस) b |
| गुरु | २३ | ,, १३ | ,, २८ | ,, १४ | मासशिवरात्रि व्रत। |
| शुक्र | २४ | ,, १४ | ,, २९ | ,, १५ | महालक्ष्मीपूजन। दीपावली। |
| शनि | २५ | ,, १५ | ,, ३० | ,, १६ | सूर्य वृश्चिक। अन्नकूट, गोवर्द्धन c |
| रवि | २६ | कार्त्तिक शु० १ | अगहन १ | ,, १७ | चन्द्रदर्शन। [c पूजा। अमावास्या। |
| सोम | २७ | ,, २ | ,, २ | ,, १८ | रज्जब ७। भ्रातृद्वितीया, यम—d |
| मंगल | २८ | ,, ३ | ,, ३ | ,, १९ | [d द्वितीया। चित्रगुप्तपूजन। |
| बुध | २९ | ,, ४ | ,, ४ | ,, २० | सूर्य अनुराधा। |
| गुरु | ३० | ,, ५ | ,, ५ | ,, २१ | [b यमदीपदान। नरकचतुर्दशी। |

शकाब्द १८८५, विक्रमाब्द २०२०; बंगला-सन् १३७०, ईसवी-सन् १९६३

## राष्ट्रीय अगहन (२२ नवम्बर से २१ दिसम्बर)

| वार | राष्ट्रीय अगहन | चान्द्र कार्त्तिक-अगहन-पौष | | सौर अगहन-पौष | ऑगरेजी नवम्बर-दिसम्बर | पर्व-त्योहार आदि। |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र | १ | का० शु० | ६ | ,, ६ | नवम्बर २२ | सूर्यषष्ठी। |
| शनि | २ | ,, | ७ | ,, ७ | ,, २३ | |
| रवि | ३ | ,, | ८ | ,, ८ | ,, २४ | गोपाष्टमी। |
| सोम | ४ | ,, | ९ | ,, ९ | ,, २५ | अक्षयनवमी। |
| मंगल | ५ | ,, | १० | ,, १० | ,, २६ | |
| बुध | ६ | ,, | ११ | ,, ११ | ,, २७ | प्रबोधिनी एकादशी (सबके निमित्त)। |
| गुरु | ७ | ,, | १२ | ,, १२ | ,, २८ | बुधोदय पश्चिम। |
| शुक्र | ८ | ,, | १३ | ,, १३ | ,, २९ | वैकुण्ठचतुर्दशी। |
| शनि | ९ | ,, | १४ | ,, १४ | ,, ३० | पूर्णिमा। |
| रवि | १० | अगहन कृ० | १ | ,, १५ | दिसम्बर १ | |
| सोम | ११ | ,, | २ | ,, १६ | ,, २ | |
| मंगल | १२ | ,, | ३ | ,, १७ | ,, ३ | सूर्य ज्येष्ठा। |
| बुध | १३ | ,, | ४ | ,, १८ | ,, ४ | |
| गुरु | १४ | ,, | ५ | ,, १९ | ,, ५ | |
| शुक्र | १५ | ,, | ६ | ,, २० | ,, ६ | गुरु मार्गी। |
| शनि | १६ | ,, | ७ | ,, २१ | ,, ७ | मंगलास्त पश्चिम में। |
| रवि | १७ | ,, | ८ | ,, २२ | ,, ८ | |
| सोम | १८ | ,, | ९ | ,, २३ | ,, ९ | |
| मंगल | १९ | ,, | १० | ,, २४ | ,, १० | |
| बुध | २० | ,, | ११ | ,, २५ | ,, ११ | उत्पन्ना एकादशी (सबके निमित्त) |
| गुरु | २१ | ,, | १२ | ,, २६ | ,, १२ | |
| शुक्र | २२ | ,, | १३ | ,, २७ | ,, १३ | |
| शनि | २३ | ,, | १४ | ,, २८ | ,, १४ | मास शिवरात्रि। |
| रवि | २४ | ,, | १५ | ,, २९ | ,, १५ | |
| सोम | २५ | ,, | १५ | ,, ३० | ,, १६ | सूर्य मूल और धनु। |
| मंगल | २६ | पौष शु० | १ | पौष १ | ,, १७ | चन्द्रदर्शन। |
| बुध | २७ | ,, | २ | ,, २ | ,, १८ | शावान ८। |
| गुरु | २८ | ,, | ३ | ,, ३ | ,, १९ | [a सोमवती अमावास्या। |
| शुक्र | २९ | ,, | ४ | ,, ४ | ,, २० | |
| शनि | ३० | ,, | ५ | ,, ५ | ,, २१ | |

शकाब्द १८८५, विक्रमाब्द २०२०, बँगला-सन् १३७०, ईसवी-सन् १९६३-६४

## राष्ट्रीय पौष (२२ दिसम्बर से २० जनवरी)

| वार | राष्ट्रीय पौष | चान्द्र पौष-माघ | सौर पौष-माघ | अँगरेजी दिसम्बर-जनवरी | पर्व-त्योहार आदि |
|---|---|---|---|---|---|
| रवि | १ | पौष शु० ६ | पौष ६ | दिसम्बर २२ | |
| सोम | २ | ,, ७ | ,, ७ | ,, २३ | |
| मंगल | ३ | ,, ८ | ,, ८ | ,, २४ | |
| बुध | ४ | ,, ९ | ,, ९ | ,, २५ | बुध वक्री। क्रिसमस। |
| गुरु | ५ | ,, १० | ,, १० | ,, २६ | पुत्रदा एकादशी (स्मार्तों के निमित्त)। |
| शुक्र | ६ | ,, १२ | ,, ११ | ,, २७ | पुत्रदा एकादशी (वैष्णवों के निमित्त)। |
| शनि | ७ | ,, १३ | ,, १२ | ,, २८ | बुधास्त पश्चिम। |
| रवि | ८ | ,, १४ | ,, १३ | ,, २९ | सूर्य पूर्वाषाढ। |
| सोम | ९ | ,, १५ | ,, १४ | ,, ३० | पूर्णिमा। माघस्नान आरम्भ। ग्रस्तो- |
| मंगल | १० | माघ कृ० १ | ,, १५ | ,, ३१ | दय चन्द्रग्रहण दिन में २ बजकर * |
| बुध | ११ | ,, २ | ,, १६ | जनवरी १ | जन० १९६४। ईसाई नववर्ष-दिवस। |
| गुरु | १२ | ,, ३ | ,, १७ | ,, २ | [* ५२ मि० से सायं ६-२१ मि० तक। |
| शुक्र | १३ | ,, ४ | ,, १८ | ,, ३ | |
| शनि | १४ | ,, ५ | ,, १९ | ,, ४ | |
| रवि | १५ | ,, ६ | ,, २० | ,, ५ | |
| सोम | १६ | ,, ७ | ,, २१ | ,, ६ | |
| मंगल | १७ | ,, ८ | ,, २२ | ,, ७ | |
| बुध | १८ | ,, ९ | ,, २३ | ,, ८ | |
| गुरु | १९ | ,, १० | ,, २४ | ,, ९ | |
| शुक्र | २० | ,, ११ | ,, २५ | ,, १० | षट्तिला एकादशी (सबके निमित्त)। * |
| शनि | २१ | ,, १२ | ,, २६ | ,, ११ | सूर्य उत्तराषाढ। |
| रवि | २२ | ,, १३ | ,, २७ | ,, १२ | [* बुधोदय पूर्व। |
| सोम | २३ | ,, १४ | ,, २८ | ,, १३ | मासशिवरात्रि। |
| मंगल | २४ | ,, १५ | ,, २९ | ,, १४ | सूर्य मकर। मकर-संक्रान्ति। मौनी [a |
| बुध | २५ | माघ शु० १ | ,, ३१ | ,, १५ | [a अमावास्या। |
| गुरु | २६ | ,, २ | माघ २ | ,, १६ | चन्द्रदर्शन। बुद्ध मार्गी। |
| शुक्र | २७ | ,, ३ | ,, ३ | ,, १७ | रमजान ६। |
| शनि | २८ | ,, ४ | ,, ४ | ,, १८ | |
| रवि | २९ | ,, ५ | ,, ५ | ,, १९ | वसन्तपंचमी। |
| सोम | ३० | ,, ६ | ,, ६ | ,, २० | |

# द्वितीय भाग

# विश्व

## सामान्य ज्ञान

### प्रमुख प्रजातियाँ और उनके वास-स्थान

| *प्रजातियाँ* | *संख्या (लाख) में* | *मुख्यतः निवास-स्थान* |
|---|---|---|
| मंगोलियन (पीत वर्ण) | ६,८०० | एशिया |
| काकेशियन (श्वेत) | ७,२५० | यूरोप |
| नेग्रो (काला) | २,१०० | अफ्रिका |
| सिमेटिक | १,००० | एशिया, अफ्रिका और यूरोप |
| मलायन | १,०४० | ओसेनिया आदि |
| रेड इण्डियन आदि | ८०० | अमेरिका |

### महादेशों की जन-संख्या और क्षेत्रफल

( संयुक्त राष्ट्रसंघ के सांख्यिकी कार्यालय के १९५५ के आँकड़ों के आधार पर )

| *महादेश* | *क्षेत्रफल* ( कीलोमीटर में ) ( १ मील = १·६१ कीलोमीटर ) | *अनुमित जन-संख्या* |
|---|---|---|
| यूरोप (सोवियत रूस को छोड़कर) | १६,२८,००० | ४१,१०,००,००० |
| सोवियत रूस | २,०४,०३,००० | २०,०२,००,००० |
| एशिया (सोवियत रूस को छोड़कर) | २,७०,४६,००० | १,४८,१०,००,००० |
| उत्तरी अमेरिका | २,४२,२८,००० | २३,८०,००,००० |
| दक्षिणी अमेरिका | १,७८,५०,००० | १२,४०,००,००० |
| ओसेनिया | ८५,२७,००० | ८५,५७,००० |
| अफ्रिका | ३,०२,८४,००० | २२,००,००,००० |
| कुल योग : संसार | १३,३२,६६,००० | २,५८,९०,००,००० |

द्रष्टव्य : सन् १९५२ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ की जन-संख्या-बुलेटिन के अनुसार विश्व की जन-संख्या २ अरब ४० करोड़ के लगभग थी।

## विभिन्न जातियाँ

अक्का—मध्य अफ्रिका के बौने। ४-५ फीट लम्बे और बड़े सिरवाले होते हैं।
अफरीदी—भारत की सीमा पर एशियाई तुर्क।
एस्कीमो—उत्तरी अमेरिका और उत्तरी साइबेरिया के रेड-इण्डियन।
एन्थ्रोफैगी—कास्पियन समुद्र के चारों तरफ पाई जानेवाली एक जाति, जो अपनी ही जाति के मांस का भक्षण करती है। केवल पुराने लेखकों द्वारा उल्लिखित।
काफिर—अफ्रिका के एक प्रकार के नेग्रो, जो बड़े लड़ाकू होते हैं।
काले यहूदी—कोचीन (भारत) में पाई जानेवाली एक जाति।
कुर्द—टर्की, फारस और इराक के बीच बँटे देश कुर्दिस्तान के निवासी।
क्रेओल्स—वेस्टइंडीज के निवासी।
क्रोट्स—क्रोटिया (युगोस्लाविया) के निवासी।
खासी—आसाम की एक जनजाति।
खिरगिज—मध्य-एशिया के निवासी।
गुरखा—नेपाल की एक युद्ध-वीर जाति।
जुलू—दक्षिण-अफ्रिका की एक असभ्य जाति।
टुंग—यूरल पर्वत के निवासी।
टोडा—नीलगिरि के अधिवासी।
डयाक—बोर्नियो की एक असभ्य जाति।
द्रविड़—दक्षिण-भारत और लंका में पाई जानेवाली एक अनार्य-जाति।
नागा—आसाम की पहाड़ियों एवं जंगलों में रहनेवाली एक जनजाति।
नेग्रीटो—कांगो-बेसिन के मूल-निवासी।
नेग्रो—अफ्रिका के निवासी, जिनका रंग काला, बाल घुँघराले और होठ मोटे होते हैं।
फिलिपिनो—फिलिपाइन्स द्वीप के निवासी, जो ईसाई हो गये हैं।
फ्लेमिंग—बेलजियम के निवासी।
बर्बर—उत्तरी अफ्रिका की एक गोरी जाति, जिसमें अधिकतर मुसलमान हैं।
बागिरमी—अफ्रिका की चाड झील के दक्षिण रहनेवाले लोग।
बान्तू—दक्षिण-अफ्रिका के नेग्रो।
बास्क—उत्तरी स्पेन की एक परम स्वतन्त्र जाति। स्पेन के अन्तिम गृह-युद्ध के समय जेनरल फ्रांको द्वारा इनकी स्वतन्त्रता नष्ट कर दी गई।
बेदोऊँ—अरब की एक घुमक्कड़ जाति, जो इराक और अफ्रिका के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है।
बोअर—दक्षिण-अफ्रिका के डच।
ब्राहुई—बलूचिस्तान के निवासी।
भील—प्राचीन द्रविड़-जाति, जो मध्यभारत तथा राजस्थान में निवास करती है।
महसूद—पाकिस्तान की पश्चिमोत्तर सीमा पर निवास करनेवाली एक जनजाति।
माओरी—न्यूजीलैंड के निवासी।

मुंडा—छोटानागपुर (बिहार) एवं उड़ीसा में निवास करनेवाली एक जनजाति।
मूर—अफ्रिका के उत्तरी हिस्से के निवासी, जो अरब-जाति के हैं।
मैग्यार—हंगरी के निवासी।
मोपला—मालाबार (बम्बई) जिले के निवासी, जो अरब-जाति के हैं।
मोहॉक—उत्तरी अमेरिका के निवासी।
यांकी—न्यू इंगलैंड स्टेट के निवासी।
रेड-इण्डियन—उत्तरी अमेरिका की एक आदिम-जाति।
लैप—स्वीडन, नारवे और फिनलैंड के उत्तर लैपलैंड के मूल-निवासी।
वालून—बेलजियम के निवासी।
शेरपा—नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर निवास करनेवाली एक जनजाति।
संताल—छोटानागपुर और उड़ीसा की एक आदिम-जाति।
सोमोयेद—एशिया के टुण्ड्रा-क्षेत्र के मूल-निवासी।
स्लोवेन—युगोस्लाविया में पाई जानेवाली स्लाव-जाति के लोग।
हॉटेण्टॉट—दक्षिण-अफ्रिका की एक आदिम-जाति।
हो—छोटानागपुर (बिहार) की एक जनजाति।
होवा—मडागास्कर द्वीप के निवासी।

## विभिन्न धर्मावलंबियों की संख्या

| धर्मावलंबी | | | संख्या |
|---|---|---|---|
| क्रिश्चियन | ... | ... | ८४,८६,५६,०३८ |
| रोमन कैथोलिक | ... | .... | ५०,६५,०५,००० |
| पूर्वी ऑर्थोडॉक्स | ... | ... | १२,६१,६२,७५५ |
| प्रोटेस्टेण्ट | ... | ... | २०,६६,६१,२८३ |
| यहूदी | ... | ... | १,२०,३५,५७४ |
| मुस्लिम | .... | ... | ४२,४८,१३,००० |
| जोरोष्ट्रियन | ... | .... | १,४०,००० |
| शिन्तो | .... | .... | ३,००,००,००० |
| टाओइस्ट | .... | .... | ५,००,५३,००० |
| कनफ्यूसियन | .... | .... | ३०,०२,६०,५०० |
| बौद्ध | .... | .... | १५,०३,१०,००० |
| हिन्दू | .... | .... | ३२,५६,२६,८०६ |
| आदिम-जाति | ... | ... | १२,११,५०,००० |
| अन्य | ... | ... | ४२,१२,७८,८७६ |
| कुल योग | ... | ... | २,६८,४६,६०,००० |

| भाषाएँ | बोलनेवालों की संख्या |
|---|---|
| कश्मीरी (भारत) .... ... | २०,००,००० |
| किम्बुन्डू (अंगोला, अफ्रिका) ... ... | १०,००,००० |
| किकुयू (केनिया, अफ्रिका) ... ... | १०,००,००० |
| किरगिज़ (सोवियत रूस) ... ... | १०,००,००० |
| कुरदिश (कास्पियन सागर के दक्षिण पश्चिम)... ... | ५०,००,००० |
| कैटेलन (स्पेन, फ्रांस और अंडोरा) ... ... | ५०,००,००० |
| कैण्टोनी (या कैण्टोनीज़) (चीन) ... .. | ४,३०,००,००० |
| कोरियन (कोरिया) .... ... | ३,३०,००,००० |
| क्वेचुआ (दक्षिणी अमेरिका) ... ... | ६०,००,००० |
| खास्कुरा (नेपाल, भारत) ... ... | ३०,००,००० |
| खेरवारी (भारत) ... ... | ३०,००,००० |
| गाण्डा (या लुगाण्डा) (अफ्रिका) ... ... | २०,००,००० |
| गाला (इथोपिया) ... ... | ३०,००,००० |
| गुआरानी (मुख्यतः पाराग्वे) ... ... | २०,००,००० |
| गुजराती (भारत) .... ... | २,००,००,००० |
| गैलिसियन (स्पेन) ... ... | २०,००,००० |
| गोंडी (भारत) ... ... | १०,००,००० |
| ग्रीक (ग्रीस) ... ... | ८०,००,००० |
| चीनी (दे०—मंडारिन, कैण्टोनी, वू, मिन और हक्का) | |
| चुवाश (सोवियत रूस) ... ... | १०,००,००० |
| चेकोस्लोवाक (चेकोस्लोवाकिया) ... ... | ६०,००,००० |
| जावानीज़ (जावा) ... ... | ४,२०,००,००० |
| ज़ुलू (दक्षिणी अफ्रिका) ... ... | ३०,००,००० |
| जॉर्जियन (सोवियत रूस) ... .... | १०,००,००० |
| टागालोग (फिलिपाइन्स) .... ... | ८०,००,००० |
| ट्वीफैण्टी (पश्चिमी अफ्रिका) ... .... | २०,००,००० |
| डच (दे०—नेदरलैण्डी) | |
| डयाक (बोर्नियो) ... ... | १०,००,००० |
| डेनिश (डेनमार्क) ... ... | ५०,००,००० |
| ताजिकी (सोवियत रूस) ... ... | १०,००,००० |
| तमिल (भारत, लंका) ... ... | ३,५०,००,००० |
| तिब्बती (तिब्बत) ... ... | ७०,००,००० |
| तुर्कमान (सोवियत रूस) ... ... | १०,००,००० |
| तुर्की (टर्की) ... ... | २,३०,००,००० |
| तुलू (भारत) .... ... | १०,००,००० |

| भाषाएँ | | | बोलनेवालों की संख्या |
|---|---|---|---|
| मोसी (पश्चिमी अफ्रिका) | .... | ... | २०,००,००० |
| मॉर्डनविन (सोवियत रूस) | ... | .... | १०,००,००० |
| यूक्रेनियन (मुख्यतः सोवियत रूस) | ... | ... | ४,००,००,००० |
| योरुबा (पश्चिमी अफ्रिका) | ... | ... | ४०,००,००० |
| राजस्थानी (भारत) | ... | ... | १,७०,००,००० |
| रुआण्डा (दक्षिणी और मध्य अफ्रिका) | .... | ... | ६०,००,००० |
| रुण्डी (दक्षिणी और मध्य अफ्रिका) | ... | ... | २०,००,००० |
| रूमानियन (रूमानिया) | ... | ... | १,७०,००,००० |
| लाओ (लाओस, एशिया) | ... | ... | १०,००,००० |
| लिंगला (दे०—नगला) | | | |
| लिथुआनियन (लिथुआनिया, सोवियत रूस) | ... | .... | ३०,००,००० |
| लुगांडा (दे०—गांडा) | | | |
| लैटेवियन या लैटिश (लैटेविया) | ... | ... | २०,००,००० |
| वीतनामी (वीतनाम) | ... | ... | २,३०,००,००० |
| वू (चीन) | ... | ... | ३,६०,००,००० |
| वोल्गा टार्टार (सोवियत रूस) | ... | ... | ३०,००,००० |
| श्वेत रूसी या ह्वाइट रशियन (मुख्यतः सोवियत रूस) | | ... | १,००,००,००० |
| सरबो-क्रोट (युगोस्लाविया) | ... | ... | १,६०,००,००० |
| सिंहली (लंका) | ... | ... | ७०,००,००० |
| सिन्धी (भारत, पाकिस्तान) | ... | ... | ५०,००,००० |
| सुंडानी (इण्डोनेशिया) | ... | ... | १,३०,००,००० |
| सोथो, उत्तरी (दक्षिणी अफ्रिका) | ... | ... | १०,००,००० |
| सोथो, दक्षिणी (दक्षिणी अफ्रिका) | ... | ... | १०,००,००० |
| सोमाली (पूर्वी अफ्रिका) | ... | ... | ३०,००,००० |
| स्यामी (स्याम—थाईलैंड) | ... | ... | १,६०,००,००० |
| स्लोवाक (चेकोस्लोवाकिया से पूरब) | ... | ... | ३०,००,००० |
| स्लोविनी (युगोस्लाविया) | ... | ... | २०,००,००० |
| स्वाहिली (पूर्वी अफ्रिका) | ... | ... | १,००,००,००० |
| स्वेडिश (स्वीडन) | ... | ... | ८०,००,००० |
| हंगेरियन या मग्यार (हंगरी) | ... | ... | १,२०,००,००० |
| हक्का (चीन) | ... | ... | १,८०,००,००० |
| हिब्रू | ... | ... | २०,००,००० |
| हौसा (पश्चिमी और मध्य अफ्रिका) | ... | ... | १,३०,००,००० |

★

# देशों के राष्ट्रीय नाम

| देश | राष्ट्रीय नाम | देश | राष्ट्रीय नाम |
|---|---|---|---|
| अबिसीनिया | इथोपिया | पर्शिया (फारस) | ईरान |
| अस्ट्रिया | ऑस्टेरिच | पोलैंड | पोलास्का |
| आयरिश फ्री स्टेट | आयर | फारमोसा | तैवान |
| इजिप्ट | मिस्र | फिनलैंड | सौमी |
| इण्डिया | भारत | बेलजियम | ल-बेलजिक |
| कोरिया | चोसेन | मंचूकुओ | मंचूरिया |
| ईस्ट इण्डीज | इण्डोनेशिया | मेसोपोटामिया | इराक |
| गोल्ड कोस्ट | घाना | रूस | सोवियत साम्यवादी गणतंत्र-संघ |
| ग्रीस (यूनान) | हेलास | | |
| चीन | चुंगकुओ | स्याम | थाईलैंड |
| जर्मनी | ड्युट्सलैंड | स्विट्जरलैंड | हेलविटा |
| जापान | निपोन | हंगरी | मेग्योरोजाग |
| नारवे | नॉरगे | हालैंड | नेदरलैंड |

# देशों के राष्ट्रीय दिवस

| देश का नाम | | दिवस का नाम | | तिथि |
|---|---|---|---|---|
| अफगानिस्तान | ... | स्वतंत्रता-दिवस | ... | २७ मई |
| अर्जेण्टाइना | ... | स्वतंत्रता की घोषणा | ... | ६ जुलाई |
| अस्ट्रेलिया | ... | अस्ट्रेलिया-दिवस | ... | २६ जनवरी |
| आयरलैंड | ... | राष्ट्रीय दिवस | ... | १७ मार्च |
| इजराइल | ... | स्वतंत्रता-दिवस | ... | २७ अप्रैल |
| इटली | ... | गणतन्त्र की स्थापना | .... | १० जून |
| इण्डोनेशिया | ... | स्वतंत्रता-दिवस | ... | १७ अगस्त |
| कनाडा | ... | परिसंघ (कान्फेडरेशन) | ... | १ जुलाई |
| ग्रेटब्रिटेन | ... | राजा या रानी का जन्म-दिवस | | (अभी २१ अप्रैल) |
| चीन | ... | गणतन्त्र-घोषणा | ... | १ अक्टूबर |
| जापान | ... | सम्राट् का जन्म-दिवस | ... | (अभी ११ मार्च) |
| टर्की | ... | गणतन्त्र की घोषणा | ... | २६ अक्टूबर |
| डेनमार्क | ... | राजा का जन्म दिवस | ... | (अभी २६ अप्रैल) |

| देश का नाम | | दिवस का नाम | | तिथि |
|---|---|---|---|---|
| थाईलैंड | ... | राष्ट्रीय दिवस | ... | २४ जून |
| नारवे | ... | संविधान-दिवस | ... | १७ मई |
| नेदरलैंड | ... | राजा या रानी का जन्म-दिवस | | (अभी ३० अप्रैल) |
| नेपाल | ... | दशहरा-दिवस | ... | सितम्बर-अक्टूबर |
| पाकिस्तान | ... | पाकिस्तान-दिवस | ... | १४ अगस्त |
| पेरू | ... | राष्ट्रीय दिवस | ... | २८ जुलाई |
| पोलैंड | ... | राष्ट्रीय दिवस | ... | २२ जुलाई |
| फिनलैंड | ... | स्वतंत्रता की घोषणा | ... | ६ दिसम्बर |
| फिलिपाइन्स | ... | राष्ट्रीय दिवस | ... | ४ जुलाई |
| फ्रांस | ... | बास्टिल किले पर आधिपत्य-प्राप्ति-दिवस | ... | १४ जुलाई |
| बर्मा | ... | स्वतंत्रता-दिवस | ... | ४ जनवरी |
| बेलजियम | ... | राष्ट्रीय दिवस | ... | २१ जुलाई |
| ब्राजिल | ... | स्वतंत्रता की घोषणा | ... | ७ सितम्बर |
| भारत | ... | स्वतंत्रता-दिवस | ... | १५ अगस्त |
| ,, | ... | गणतन्त्र-दिवस | ... | २६ जनवरी |
| मिस्र | ... | स्वातन्त्र्य-युद्ध की वर्षगाँठ | ... | १४ नवम्बर |
| मेक्सिको | ... | स्वतंत्रता-दिवस | ... | १६ नवम्बर |
| रूस | ... | राष्ट्रीय दिवस | ... | ७ नवम्बर |
| श्रीलंका | ... | स्वतंत्रता-दिवस | ... | ४ फरवरी |
| संयुक्तराज्य अमेरिका | ... | स्वतंत्रता-दिवस | .... | ४ जुलाई |
| स्विट्जरलैंड | ... | परिसंघ का स्थापना-दिवस | ... | १ अगस्त |

...

## अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार

### नावेल-पुरस्कार

यह विश्व-पुरस्कार स्वीडन के एक वैज्ञानिक आविष्कारक अलफ्रेड बरनार्ड नॉबेल द्वारा दिये गये ९० लाख पौंड के स्थायी कोष के व्याज से प्रतिवर्ष उन विद्वानों को दिया जाता है, जो साहित्य, रसायन-शास्त्र, भौतिकशास्त्र, शरीर और औषध-विज्ञान तथा विश्व-शान्ति के कार्य-क्षेत्र में विश्व में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। इस कोष का प्रबन्ध एक संचालक-मंडल द्वारा होता है, जिसके प्रधान को स्वीडन की सरकार चुनती है। यह पुरस्कार सन् १९०१ ई० से दिया जाना प्रारम्भ हुआ है। प्रत्येक पुरस्कार की रकम लगभग सवा लाख रुपये की है। साहित्य-विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्वीडन की साहित्य-परिषद् (स्वेडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर) द्वारा तथा रसायन एवं

भौतिकशास्त्र-विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्वीडन की विज्ञान-परिषद् (स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइन्स) द्वारा होता है। शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान-विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्टॉकहोम की कैरोलिस्का इन्स्टिट्यूट नामक संस्था करती है। शान्ति-पुरस्कार-विजेता का चुनाव नारवे की पार्लमेण्ट द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्ति करते हैं। कभी-कभी एक पुरस्कार दो-दो, तीन-तीन विद्वानों में भी विभक्त हो जाता है और कभी उपयुक्त विद्वानों के न मिलने पर पुरस्कार नहीं भी दिया जाता है। भारतीय विद्वानों में साहित्य-विषयक पुरस्कार सन् १९१३ ई० में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को और भौतिकशास्त्र-सम्बधी पुरस्कार सन् १९३० ई० में श्रीचन्द्रशेखर वेंकट रमण को मिला था। गत सात वर्षों के अन्दर कौन पुरस्कार कब किनको मिले, यह नीचे दिया जाता है—

| *पुरस्कारों के नाम* | | *विजेता* | | *देश* |
|---|---|---|---|---|
| | | **१९५५** | | |
| साहित्य | .... | हैलडॉर किलजन लेक्सनेप | ... | आइसलैंड |
| रसायनशास्त्र | ... | डॉ० विन्सेण्ट डूविगन्यूड | ... | सं० रा० अमेरिका |
| भौतिकशास्त्र | ... | (१) डॉ० विलिस ई० लैंब | ... | सं० रा० अमेरिका |
| | ... | (२) डॉ० पोलीकार्पकुश्च | ... | सं० रा० अमेरिका |
| शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान | | डॉ० ह्यूगो थ्योरेल | .... | स्वीडन |
| शान्ति | ... | कोई नहीं | | |
| | | **१९५६** | | |
| साहित्य | ... | जुआन रैमोन जिमेनेज | | पोर्टोरीको (जन्म स्पेन) |
| रसायन-शास्त्र | ... | (१) सर सिरिल एन० हिनशेलऊड | ... | इंगलैंड |
| | ... | (२) प्रो० निकोलाइ एन० सेमेनोव | ... | सोवियत रूस |
| भौतिकशास्त्र | ... | (१) प्रो० जान बारडीन | .... | सं० रा० अमेरिका |
| | ... | (२) डॉ० वाल्टर एच्० ब्रैटेन | ... | ,, ,, |
| | ... | (३) डॉ० विलियम बी० शौकले | ... | ,, ,, |
| शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान | | (१) डॉ० डिकिन्सन डब्ल्यू० रिचार्ड्स | | सं० रा० अमेरिका |
| | ... | (२) डॉ० एण्ड्रे एफ० कोर्नेण्ड | ... | सं० रा० अमेरिका (जन्म फ्रांस) |
| | ... | (३) डॉ० वरनर फोर्समैन | ... | पश्चिमी जर्मनी |
| शान्ति | .... | कोई नहीं | | |
| | | **१९५७** | | |
| साहित्य | ... | अलबर्ट कैमस | ... | फ्रांस |
| रसायन-शास्त्र | ... | सर अलेक्जेण्डर टाड | ... | इंगलैंड |
| भौतिकशास्त्र | ... | (१) डॉ० चेन निंग यांग | ... | चीन |
| | ... | (२) डॉ० सुंग डाओ ली | ... | ,, |

| पुरस्कारों के नाम | | पुरस्कार-विजेता | | देश |
|---|---|---|---|---|
| शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान | | डॉ० डेनियल वोवेट | | इटली (जन्म : स्विट्‌जरलैंड) |
| शान्ति | .... | लेस्टर बी० पियर्सन | ... | कनाडा |
| | | १६५८ | | |
| साहित्य | ... | बोरिस पैस्टरनाक | ... | रूस |
| रसायन-शास्त्र | ... | डॉ० फ्रेडरिक सैंगर | ... | इंगलैंड |
| भौतिकशास्त्र | ... | (१) पेवेल ए० चेरेनकोव | ... | सोवियत रूस |
| | ... | (२) इगोर ई० टाम | ... | ,, |
| | ... | (३) इलिया एम्० फ्रैंक | ... | ,, |
| शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान | | (१) डॉ० जिओ डब्ल्यू० बीडल | ... | सं० रा० अमेरिका |
| | ... | (२) डॉ० ई० एल० टाट्टम | ... | ,, |
| | ... | (३) डॉ० जोशुआ लेडरबर्ग | ... | ,, |
| शान्ति | ... | रेवरेण्ड डोमिनिक जार्ज पायर | ... | वेलजियम |
| | | १६५६ | | |
| साहित्य | ... | सैलवेटोर क्वासीमोडो | ... | इटली |
| रसायन-शास्त्र | ... | प्रो० जैरोस्लाव हेरोवस्की | ... | चेकोस्लोवाकिया |
| भौतिकशास्त्र | ... | (१) प्रो० ओवेन चैम्बरलेन | ... | सं० रा० अमेरिका |
| | ... | (२) प्रो० एमिलियो सेगरे | ... | सं० रा० अमेरिका |
| शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान | | (१) प्रो० सेवेरी ओकावा | ... | सं० रा० अमेरिका |
| | ... | (२) प्रो० आर्थर कौर्नबर्ग | ... | सं० रा० अमेरिका |
| शान्ति | ... | फिलिप जे० नोएल-बेकर | ... | इंगलैंड |
| | | १६६० | | |
| साहित्य | ... | एम्० एलेक्सिस सेण्ट लेजर (सेण्ट जॉन पर्स) | ... | फ्रांस |
| रसायन-शास्त्र | ... | प्रो० विलार्ड एफ० लिवी | ... | सं० रा० अमेरिका |
| भौतिकशास्त्र | ... | डोनाल्ड ए० ग्लेसर | ... | ,, |
| शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान | | (१) प्रो० पिटर ब्रियन मेडावर | ... | ग्रेट-ब्रिटेन |
| | ... | (२) मेकफरलेन वर्नेट | ... | अस्ट्रेलिया |
| शान्ति | ... | एलवर्ट जॉन लुथुली | ... | दक्षिण-अफ्रिका |
| | | १६६१ | | |
| साहित्य | ... | ईवो एन्ड्रिक | ... | युगोस्लाविया |
| रसायन-शास्त्र | ... | प्रो० मेलविन कालविन | ... | कैलिफोर्निया |
| भौतिकशास्त्र | ... | (१) डॉ० रॉबर्ट हौफ्सटैड | ... | सं० रा० अमेरिका |
| | ... | (२) डॉ० रोडोल्फ मोसाबौर | ... | प० जर्मनी |
| शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान | .... | जॉर्ज वॉन बेकेसी | ... | हंगरी |
| शान्ति | ... | डैग हैमरशोल्ड (मृत्यु के पश्चात्) | | स्वीडन |

## कलिंग-पुरस्कार

१,००० स्टर्लिंग पौंड का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लेखकों को युनेस्को की मार्फत कलिंग के एक धनी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है।

| पानेवालों का नाम | | निवासी | | ईसवी |
|---|---|---|---|---|
| लुई डी ब्रोगली | ... | फ्रांस | ... | १९५२ |
| डॉ० जूलियन हक्सले | ... | ब्रिटेन | ... | १९५३ |
| डब्ल्यू काएमफर्ट | .... | सं० रा० अमेरिका | ... | १९५४ |
| डॉ० अगस्त पी सुनर | ... | वेनेजुएला | ... | १९५५ |
| प्रो० जी० गैमौव | ... | सं० रा० अमेरिका | ... | १९५६ |
| बरट्राण्ड रसेल | ... | इंगलैंड | ... | १९५७ |
| कर्लवोन फ्रिश | ... | अस्ट्रिया | ... | १९५८ |

## लेनिन-शान्ति-पुरस्कार

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्रूस इटोन | ... | संयुक्तराज्य अमेरिका | ... | १९६० |
| डॉ० सुकर्णो | ... | राष्ट्रपति इण्डोनेशिया | ... | १९६० |

## जर्मन पुस्तक-व्यवसाय का शान्ति-पुरस्कार

यह पुरस्कार आधुनिक जर्मनी द्वारा दिया जानेवाला सबसे बहुमूल्य एवं सम्मानप्रद पुरस्कार है सन् १९५० ई० से ही यह पुरस्कार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर, जाति एवं राष्ट्र का विचार किये बिना, उन बुद्धिजीवी लेखकों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने कार्य एवं आचरण द्वारा मानव-जाति की शांति के लिए योगदान किया है। सन् १९५४ ई० से पुरस्कार-प्राप्तिकर्त्ताओं के नाम दिये जा रहे हैं—

| प्राप्तिकर्त्ता | | वर्ष | | देश |
|---|---|---|---|---|
| कार्ल जे वर्खार्ट | ... | १९५४ | ... | स्विट्जरलैंड |
| हरमन हेसी | ... | १९५५ | ... | जर्मनी |
| थौर्नटन वाइल्डर | ... | १९५७ | .... | सं० रा० अमेरिका |
| कार्ल जेसपर्स | ... | १९५८ | ... | जर्मनी |
| प्रो० थियोडोर हेस | ... | १९५९ | ... | जर्मनी |
| विक्टर गौलाञ्ज | .... | १९६० | ... | ग्रेट-ब्रिटेन |
| डॉ० राधाकृष्णन् | .... | १९६१ | ... | भारत |

# संसार के सात महाश्चर्य

## प्राचीन महाश्चर्य

(१) मिस्र का पिरामिड (निर्माण-काल ३५०० ई० पू० से ११०० ई० पू०)
(२) बेबिलोन का झूला बाग (६०० ई० पू० में राजा नेबूचादनेजार द्वारा लगाया गया)
(३) इफेसस (रोम) में डायना का मन्दिर।
(४) ओलिम्पिया (ग्रीस) में जूपिटर की मूर्त्ति।
(५) रोड्स द्वीप में अपोलो (यूनान के सूर्य-देवता) की वृहदाकार मूर्त्ति। (इसे 'कोलोसस ऑफ रोड्स' कहा जाता था। यह मूर्त्ति २२० ई० पू० में भूकम्प द्वारा नष्ट हो गई।)
(६) मौसोलस का मकबरा। (३५२ ई० पू० में रानी आर्टेमिसिया द्वारा निर्मित। यह १२वीं से १५वीं शताब्दी के बीच भूकम्प द्वारा नष्ट हो गया।)
(७) फेरॉस द्वीप का प्रकाश-स्तम्भ। (यह अलेक्जेंड्रिया से कुछ दूर स्थित था और सन् १३७५ ई० के भूकम्प में नष्ट हो गया।)

## अन्य प्राचीन महाश्चर्य

(१) चीन की लम्बी दीवाल। (ईसवी-सन् की तीसरी शताब्दी में निर्मित, लम्बाई १५०० मील; मुटाई १७ फुट; ऊँचाई १८ से ३० फुट तक।)
(२) आगरा ताजमहल। (ईसवी सन् की १७वीं शताब्दी में शाहजहाँ द्वारा निर्मित)
(३) मिस्र के करनाक का मन्दिर (३,५०० वर्ष पूर्व निर्मित; इसके केवल भग्नावशेष रह गये हैं।)
(४) पीसा (इटली) की झुकी मीनार।
(५) कम्बोडिया का अंकोर। (यह मन्दिरों का नगर था, जिसके खँडहर वर्त्तमान हैं।)
(६) कुस्तुनतुनिया (कौंस्टैंटिनोपुल) में सेंट सोफिया की मस्जिद।
(७) सेंटपिटर की बेसिलिका। (यह संसार का सबसे बड़ा गिरजाघर है।)

## आधुनिक महाश्चर्य

(१) बेतार-का-तार; (२) रेडियो, टेलिविजन और सिनेमा; (३) एक्स-रे और अल्ट्रा-वायलेट रेज; (४) रेडियम; (५) राडार और जेट-विमान; (६) अणु-बम; (७) अंतरिक्ष-रॉकेट।

# प्रसिद्ध चित्रकला-भवन, संग्रहालय और पुस्तकालय

## चित्रकला-भवन और संग्रहालय

१. नेशनल आर्ट गैलरी, लंदन--यहाँ सन् १८०० ई० तक के सभी प्रसिद्ध कलाकारों की मुख्य चित्र-रचनाएँ संगृहीत हैं। यह देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है।

२. टटे गैलरी, लंदन—यहाँ १८वीं सदी के आरम्भ से अबतक के चित्र और नक्शे संगृहीत हैं।

३. ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन—यहाँ चित्रों, मूर्त्तियों और चित्रित पाण्डुलिपियों के उत्कृष्ट नमूने हैं। यहाँ भारतीय चित्र भी संगृहीत हैं।

४. विक्टोरिया ऐण्ड अलबर्ट म्यूजियम, लंदन—यहाँ मुख्यतः लघुचित्र, छोटी-छोटी कलात्मक वस्तुएँ और ऐतिहासिक अवशेष हैं। यहाँ भी भारतीय चित्र उपलब्ध हैं।

५. रॉयल एकेडमी ऑफ़ आर्ट, लंदन—यहाँ संसार के विभिन्न देशों के चित्र संगृहीत हैं।

६. मूसी-डू-लोडवरे, पेरिस (फ्रांस)—संसार के सुप्रसिद्ध चित्रों और मूर्त्तियों का संग्रहालय। यहाँ ग्रीस, रोम, मिस्र तथा पूर्वी देशों की उत्कृष्ट कला-कृतियाँ भी हैं।

७. मूसी डेस मोनुमेंट फ्रैंकेस, पैलेस-डी-चैलेट, पेरिस—यहाँ फ्रांस की वास्तुकला और मूर्त्तिकला के उत्तम नमूने हैं।

८. मूसी डेस आर्ट्स मॉडर्न, पेरिस—यहाँ फ्रांस की वर्त्तमान कलाकृतियों का संग्रह है।

९. वैटिकन म्यूजियम, वैटिकन सिटी (इटली)—यहाँ रैफेल, माइकेल एंजेलो तथा अन्य जगत्-प्रसिद्ध कलाकारों के चित्र, मूर्त्तियाँ तथा पाण्डुलिपियाँ हैं।

१०. उफिजी गैलरी, फ्लोरेन्स (इटली)—यहाँ राफेल, बोटिसेली, लियोनारडो-डी-विन्सी आदि के चित्र संगृहीत हैं।

११. पिट्टी गैलरी, फ्लोरेन्स (इटली)।

१२. नेशनल म्यूजियम, फ्लोरेन्स (इटली)।

१३. बोरगीज गैलरी, रोम (इटली)।

१४. डूकल पैलेस, वेनिस (इटली)।

१५. ओल्ड प्लेस, फ्लोरेन्स (इटली)।

१६. कैसर-फ्रेडरिक म्यूजियम, बर्लिन (जर्मनी)—देश का सबसे बड़ा म्यूजियम

१७. नेशनल गैलरी, बर्लिन (जर्मनी)।

१८. स्क्लोस म्यूजियम, बर्लिन (जर्मनी)।

१९. ड्रस्डेन म्यूजियम, ड्रस्डेन (जर्मनी)।

२०. रॉयल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, ब्रूसेल्स (बेलजियम)।

२१. स्टेट म्यूजियम, अम्सटरडम (नेदरलैंड)।

२२. मूजेओ डेल पैरेडो, मेड्रिड (स्पेन)।

२३. ट्रेटयाकोव स्टेट आर्ट गैलरी, मास्को (रूस)—इसमें ११वीं सदी से २०वीं सदी तक की रूसी कलाकृतियाँ संगृहीत हैं।

२४. हरमिटेज, लेलिनग्राड (रूस)।

२५. पुश्किन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, मास्को (सोवियत रूस)।

२६. म्यूजियम ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, मास्को (सोवियत रूस)—यहाँ १९वीं सदी और २०वीं सदी के पूर्वार्द्ध के फ्रांसीसी चित्र संगृहीत हैं।

२७. इम्पीरियल हाउस-होल्ड म्यूजियम, टोकियो (जापान)।

२८. नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन (सं० रा० अमेरिका)—१९४१ ई० में स्थापित।

२९. मेट्रोपोलिटन म्यूजियम, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)।

३०. म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)—समकालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध।

३१. ह्विटनी म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट्स, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)—यहाँ केवल आधुनिक कला-कृतियाँ संगृहीत हैं।

३२. एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, पेनसिलवेनिया (सं० रा० अमेरिका)।

३३. कारनेगी इन्स्टिट्यूट, पिट्सबर्ग (सं० रा० अमेरिका)।

३४. म्यूजियम ऑफ आर्ट, फिलाडेल्फिया (सं० रा० अमेरिका)।

३५. नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा, ओटावा (कनाडा)।

३६. आर्ट गैलरी ऑफ टोरीण्टो (कनाडा)।

३७. पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स, मेक्सिको सिटी (मेक्सिको)।

३८. पैलेस म्यूजियम ऑफ दि फॉरबिड्न सिटी, पेकिंग (चीन)—चित्रकारी एवं बहुमूल्य पत्थरों के लिए प्रसिद्ध।

३९. हिस्टोरिकल म्यूजियम, सियान (चीन)—पुरानी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध।

४०. म्यूजियम, संघाई (चीन)—ऐतिहासिक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध।

४१. भारत कला-भवन, वाराणसी।

४२. सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद।

४३. इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता।

४४. प्रिन्स ऑफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई।

४५. विक्टोरिया ऐण्ड अलबर्ट म्यूजियम, बम्बई।

## बड़े पुस्तकालय

| *पुस्तकालयों के नाम* | *स्थिति* | *पुस्तकों की संख्या* |
|---|---|---|
| लेनिन लाइब्रेरी | मास्को (सोवियत रूस) | १,१०,००,००० |
| साल्टिकोव-श्केड्रिन पब्लिक लाइब्रेरी, | लेनिनग्राड (सोवियत रूस) | ६०,००,००० |
| ब्रिटिश म्यूजियम | लंदन (इंगलैंड) | ५०,००,००० |
| बिबलियोथेक नेशनल | पेरिस (फ्रांस) | ५०,००,००० |
| न्यूयार्क पब्लिक लाइब्रेरी | न्यूयार्क (सं० रा० अ०) | ५०,००,००० |
| बिबलियोटेका नेजिओनेल सेंट्रल | फ्लोरेंस (सं० रा० अ०) | ३४,००,००० |
| बिबलियोटेका नेजिओनेल सेंट्रल | नेपुल्स (इटली) | १३,३०,००० |
| ड्यूशे बूचेरी | लिपजिग (जर्मनी) | २०,००,००० |
| नेशनल बिबलियोथेक | वियेना (अस्ट्रिया) | १६,००,००० |
| बिबलियोटेका नेशनल | मैड्रिड (स्पेन) | १५,००,००० |
| युनिवर्सिटी लाइब्रेरी | एम्सटरडम (नेदरलैंड) | १५,००,००० |
| इम्पीरियल युनिवर्सिटी लाइब्रेरी | टोकियो (जापान) | १०,००,००० |
| नेशनल लाइब्रेरी | कलकत्ता (भारत) | १०,००,००० |

# महासागर और सागर

## *महासागर*

| नाम | | क्षेत्रफल (वर्गमीलों में) | | गहराई (फुट में) |
|---|---|---|---|---|
| प्रशान्त महासागर | ... | ६,७७ ००,००० | ... | ३५,६४० |
| अटलांटिक महासागर | ... | ३,४८,००,००० | ... | ३०,२४६ |
| भारतीय महासागर | ... | २,८६,००,००० | .... | २२,९६८ |
| दक्षिणी (अंटार्कटिक) महासागर | ... | ७५,००,००० | .... | १७,८५० |
| उत्तरी (आर्कटिक) महासागर | ... | ५५,४१,६०० | ... | १६,५०० |

## *सागर*

| नाम | | क्षेत्रफल (वर्गमीलों में) | नाम | | क्षेत्रफल (वर्गमीलों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| कोरल सागर | ... | २५,००,००० | हडसन की खाड़ी | ... | ४,७०,००० |
| भूमध्यसागर | ... | ११,४५,००० | जापान-सागर | ... | ४,०५,००० |
| कैरिबियन सागर | ... | १०,४९,५०० | अन्दमन-सागर | ... | ३,०८,३०० |
| दक्षिण चीन-सागर | ... | ८,९५,४०० | उत्तर सागर | ... | २,२०,००० |
| बेरिंग सागर | ... | ८,७५,८०० | कास्पियन सागर | .... | १,६९,००० |
| मेक्सिको की खाड़ी | ... | ७,२०,००० | लाल सागर | ... | १,६९,००० |
| ओखोटस्क सागर | ... | ५,८९,८०० | काला सागर | ... | १,६३,००० |
| पीत सागर | .... | ४,८०,००० | बाल्टिक सागर | .... | १,६०,००० |
| पूर्वी चीन-सागर | ... | ४,८०,००० | | | |

## बड़े द्वीप

| नाम | | सागर | | क्षेत्र फल (वर्गमीलों में) |
|---|---|---|---|---|
| अस्ट्रेलिया | .... | प्रशान्त महासागर | ... | २९,७४,५८० |
| ग्रीनलैंड | ... | उत्तरी अटलांटिक महासागर | ... | ८,३९,७८२ |
| न्यूगीनी | .... | प्रशान्त महासागर | ... | ३,१०,००० |
| बोर्नियो | ... | प्रशान्त महासागर | ... | ३,०६,९०६ |
| मडागास्कर | ... | भारतीय महासागर | ... | २,४१,०९४ |
| बैंफिनलैंड | ... | आर्कटिक महासागर | ... | २,०१,६०० |
| सुमात्रा | .... | भारतीय महासागर | ... | १,६४,१४८ |
| फिलिपाइन द्वीप | ... | प्रशान्त महासागर | ... | १,१४,४०० |
| न्यूज़ीलैंड (उत्तर और दक्षिण) | ... | प्रशान्त महासागर | ... | १,०३,९५४ |
| ग्रेट-ब्रिटेन | ... | अटलांटिक महासागर | ... | ८८,७४५ |
| विक्टोरिया | ... | ब्यूफोर्ट (कनाडा) | ... | ८०,३४० |
| एलेसमेयर | .... | आर्कटिक महासागर | ... | ७७,३९२ |
| जावा | ... | प्रशान्त महासागर | ... | ४८,८४२ |

## प्रमुख झीलें

| नाम | | महादेश | | क्षेत्रफल (वर्गमीलों में) |
|---|---|---|---|---|
| कास्पियन | .... | एशिया-यूरोप | .... | १,७०,००० |
| सुपीरियर | .... | उत्तरी अमेरिका | .... | ३१,८२० |
| विक्टोरिया-न्यांगा | .... | अफ्रिका | .... | २६,२०० |
| अरल | .... | एशिया | .... | २४,४०० |
| ह्यूरन | .... | उत्तरी अमेरिका | .... | २३,०१० |
| मिचिगन | .... | उत्तरी अमेरिका | .... | २२,४०० |
| चाड | .... | अफ्रिका | .... | २०,००० |
| टैंगनिका | .... | अफ्रिका | .... | १२,७०६ |
| बैकाल | .... | साइबेरिया | .... | १२,१५० |
| ग्रेटबीयर | .... | उ० अमेरिका | .... | १२,६६० |
| ग्रेटस्लेव | .... | उ० अमेरिका | .... | ११,१७० |
| न्यासा | .... | अफ्रिका | .... | ११,००० |
| ईरी | .... | उत्तर अमेरिका | .... | ६,६४० |
| विनिपेग | ... | ,, | .... | ६,३६८ |
| ओण्टेरियो | .... | ,, | .... | ७,५४० |
| लादोगा | .... | यूरोप | .... | ७,१०० |
| बालकश | .... | एशिया | .... | ७,०५० |
| उलर | ... | एशिया (भारत) | .... | |

## नदियाँ

| नाम | सागर या खाड़ी, जिसमें गिरती है | लम्बाई (मीलों में) |
|---|---|---|
| मिसिसिपि-मिसौरी (सं० रा० अ०) | मेक्सिको की खाड़ी | ४,२०० |
| आमेजन (दक्षिण अमेरिका) | अटलांटिक महासागर | ४,००० |
| नील (मिस्र) | भूमध्यसागर | ३,७०० |
| ओबी (साइबेरिया) | उत्तरी (आर्कटिक) महासागर | ३,२०० |
| यांग-सिक्यांग (चीन) | प्रशान्त महासागर | ३,१०० |
| आमूर (साइबेरिया) | प्रशान्त महासागर | २,६०० |
| कांगो (अफ्रिका) | अटलांटिक महासागर | २,६०० |
| लीना (साइबेरिया) | आर्कटिक महासागर | २,८६० |
| येनिसी (साइबेरिया) | आर्कटिक महासागर | २,८६० |
| ह्वांगहो (चीन) | प्रशान्त महासागर | २,७०० |
| नाइजर (अफ्रिका) | अटलांटिक महासागर | २,६०० |
| ब्रह्मपुत्र (भारत) | बंगाल की खाड़ी | १,८०० |
| गंगा (भारत) | ,, | १,५०० |
| सिन्ध (भारत और पाकिस्तान) | अरब सागर | १,८०० |

## जहाजी नहरें

| नाम | स्थान | लम्बाई (मीलों में) | नाम | स्थान | लम्बाई (मीलों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| गोटा | स्वीडन | ११५ | मैन्चेस्टर | इंगलैंड | ३५ १/२ |
| स्वेज | मिस्र | १०० | वेलैण्ड | कनाडा | १७ १/२ |
| वोल्गा | मास्को (सो० रूस) | ८० | प्रिन्सेस जालिआना | हॉलैण्ड | २५ |
| कील | जर्मनी | ६१ | अम्सटरडम | हॉलैण्ड | १६ १/२ |
| वोल्गा-डोन | सोवियत रूस | ६० | कोरिन्थ | सं० रा० अमेरिका | ४ |
| पनामा | अमेरिका | ५० | सौल्टे | मैरी (संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा) | २ ३/४ |
| एल्वेदेव | जर्मनी | ४१ | | | |

## मुख्य जल-प्रपात

| नाम | | स्थिति | | ऊँचाई (फुट में) |
|---|---|---|---|---|
| एँजेल | .... | वेनेजुएला | ... | ३,३०० |
| कुकेनाम | ... | ब्रिटिश गायना | ... | २,००० |
| सुदरलैंड | ... | न्यूजीलैंड (दक्षिणी द्वीप) | ... | १,६०४ |
| टुगेला | ... | नैटाल (द० अफ्रिका) | ... | १,८०० |
| रिबोन | ... | कैलिफोर्निया (सं० रा० अमेरिका) | | १,६१२ |
| अपर योसेमाइट | ... | कैलिफोर्निया | ... | १,५३० |
| गैवर्नी | ... | फ्रांस | ... | १,३८५ |
| टक्काकौ | ... | ब्रिटिश कोलम्बिया | ... | १,२०० |
| विडोज टीयर्स (योसेमाइट) | ... | कैलिफोर्निया (सं० रा० अमेरिका) | | १,१७० |
| स्टौबैक | ... | स्विट्जरलैंड | ... | ६८० |
| ग्रोसोपा | ... | मैसूर (भारत) | ... | ६५० |
| मिड्ल कैसकेड | ... | कैलिफोर्निया | ... | ६१० |
| मल्ट नोमाह | ... | संयुक्तराज्य अमेरिका | ... | ८५० |
| किंग एडवर्ड सप्तम | ... | ब्रिटिश गायना | ... | ८४४ |
| फेयरी | ... | वाशिंगटन (संयुक्तराज्य अमेरिका) | | ७०० |
| कालाम्मो | ... | दक्षिण अफ्रिका | ... | ७०५ |
| मैरेडैडफोज (स्कावक्जे फोन) | ... | नारवे | ... | ६५० |
| टर्नी | ... | इटली | ... | ६५० |
| किंग जॉर्ज | ... | दक्षिण-अफ्रिका | ... | ४५० |
| ग्वायरा | ... | पारागुए (दक्षिण-अफ्रिका) | ... | ३७४ |
| स्प्लेण्डर ऑफ सन् | ... | जापान | ... | ३५० |
| विक्टोरिया | ... | दक्षिणी रोडेशिया (अफ्रिका) | | ३४३ |
| सेवेन फॉल्स | ... | कोलोरैडो (सं० रा० अमेरिका) | | २६६ |

| नाम | | स्थिति | ऊँचाई (फुट में) |
|---|---|---|---|
| निआगरा | ... | न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका) | १६७ |
| हुण्ड्रू | ... | राँची (भारत) | — |

## पहाड़ों की ऊँची चोटियाँ

| नाम | | स्थिति | | ऊँचाई (फुट में) |
|---|---|---|---|---|
| एवरेस्ट | ... | नेपाल-तिब्बत | ... | २९,०२८ |
| गॉडविन-ऑस्टिन | ... | कश्मीर | ... | २८,२५० |
| कंचनजंघा | .... | नेपाल-सिक्किम | ... | २८,११६ |
| लोत्से-१ | ... | नेपाल-तिब्बत | ... | २७,८९० |
| मकालू | ... | नेपाल-तिब्बत | ... | २७,८२४ |
| लोत्से-२ | ... | नेपाल-तिब्बत | ... | २७,५६० |
| चो-ओयू | ... | नेपाल-तिब्बत | ... | २६,८६७ |
| धौलागिरि | ... | नेपाल | ... | २६,८११ |
| नागा पर्वत | .... | कश्मीर | .... | २६,६६० |
| मानसालू | ... | नेपाल | ... | २६,६५७ |
| अन्नपूर्णा | ... | नेपाल | ... | २६,५०३ |
| गोशेरब्रुम | .... | कश्मीर | ... | २६,४७० |
| गोसाईं थान | ... | तिब्बत | ... | २६,२८९ |
| डिस्टेगिल | ... | कश्मीर | ... | २५,८६८ |
| हिमालचुली | ... | नेपाल | ... | २५,८०१ |
| नुप्सू | ... | नेपाल-तिब्बत | ... | २५,६८० |
| मशेरब्रुम | ... | कश्मीर | ... | २५,६६० |
| नन्दादेवी | ... | भारत | ... | २५,६४३ |
| कोमोलोजो | ... | नेपाल-तिब्बत | ... | २५,६४० |
| रेखापोशी | ... | कश्मीर | ... | २५,५५० |
| कैमत | ... | भारत-तिब्बत | ... | २५,४४७ |

## प्रसिद्ध पहाड़ी घाटियाँ

| नाम | | स्थिति | | ऊँचाई (फुट में) |
|---|---|---|---|---|
| अल्पिना | ... | कोलोरैडो (सं० रा० अमेरिका) | | १३,५५० |
| सेंट बरनार्ड | ... | स्विस आल्प्स | .... | ८,१०० |
| सेंट गोथार्ड | ... | स्विस आल्प्स | ... | ६,९३६ |
| सिम्पलोन | ... | स्विस आल्प्स | ... | ६,५९५ |
| बोलन | ... | बलूचिस्तान | ... | ५,८८० |
| ब्रेनर | ... | अस्ट्रियन आल्प्स | ... | ४,५८८ |
| शिपकी | ... | भारत-तिब्बत | ... | ४,३०० |
| खैबर | ... | अफगानिस्तान | ... | ३,८७३ |

# प्रमुख ज्वालामुखी

*जीवित*

| नाम | | स्थिति | | ऊँचाई ( फुट में ) |
|---|---|---|---|---|
| कोटोपैक्सी | ... | इक्वेडर | ... | १६,५५० |
| माउण्ट रैंगेल | ... | सं० रा० अमेरिका | ... | १४,००० |
| मौनालोआ | ... | हवाई द्वीप | ... | १३,६७५ |
| एरेबस | ... | अण्टार्कटिक | ... | १३,००० |
| निअरा रागोंगो | ... | बेलजियन कांगो | ... | ११,५६० |
| इलियाम्ना | ... | अल्युशियन द्वीप | ... | ११,००० |
| एटना | ... | सिसिली द्वीप | ... | १०,७४१ |
| चिल्लन | ... | चिली | ... | १०,५०० |
| न्यामुरागिरा | ... | बेलजियन-कांगो | ... | १०,१५० |
| पैरीकुटिन | ... | मेक्सिको | ... | ६,००० |
| असामा | ... | जापान | ... | ८,२०० |
| हेकला | ... | आइसलैंड | ... | ५,१०० |
| किलोई | ... | हवाई द्वीप | ... | ४,०६० |
| विसुवियस | ... | इटली | ... | ३,७०० |
| स्ट्रॉम्बोली | ... | लिपारी द्वीप | ... | ३,००० |
| लिउलैलाको | ... | चिली | ... | २०,२४४ |
| डेमावेण्ड | ... | ईरान | ... | १८,६०० |
| सेमेराओ | ... | जावा | ... | १२,०५० |
| हलकाकाला | ... | हवाई द्वीप | ... | १०,०३२ |
| गुण्टूर | ... | जावा | ... | ७,३०० |
| पिली | ... | पश्चिमी हिन्द-द्वीप-समूह | ... | ४,४३० |
| काकातोआ | ... | सुण्डा मुहाना | ... | २,६०० |
| तू-शिमा | ... | जापान | ... | २,४८० |

*मृत*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अकोंकागुआ | .... | चिली | .... | २२,६७६ |
| चिम्बोराजो | .... | इक्वेडर | ... | २०,५०० |
| किलिमंजारो | ... | टैंगनिका | .... | १६,३४० |
| एण्टिसाना | ... | इक्वेडर | ... | १८,८५० |
| एलबुर्ज | ... | काकेसस(रूस) | .... | १८,५२६ |
| पोपोकैटपेट्ल | ... | मेक्सिको | .... | १७,७५० |
| ओरिजावा | ... | ,, | ... | १७,४०० |
| फ्यूजियामा | ... | जापान | ... | १२,३६५ |

## प्रमुख पर्वतारोहण

| समय (इसवी-सन्) | पर्वतों के नाम | स्थिति | आरोहियों के नाम |
|---|---|---|---|
| १७८६ | ब्लैंक | फ्रांस-इटली | एम० जी० पैकर्ड और जे० वलमट |
| १८११ | जंगफ्रौ | स्विट्जरलैंड | जे० आर० ऐराड एच्० मेयर |
| १८६५ | मैटरहॉर्न | स्विट्जरलैंड | ई० हिम्पर |
| १८६८ | एलबुर्ज | काकेसस (रूस) | डी० डब्ल्यू० फ्रेसफील्ड, ए० डब्ल्यू० मूरे, सी० सी० टकर |
| १८८० | चिम्बोरैंजो | इक्वेडर | ई० हिम्पर |
| १८८२ | कूक | न्यूजीलैंड | डब्ल्यू० एस्० ग्रीन |
| १८८७ | किलिमंजारो | टैंगानिका | मियर |
| १८९७ | अकोंकागुआ | अर्जेनटाइना | एम्० जुब्रिगेन |
| १८९७ | सेंट-एलिआस | अलास्का (सं० रा० अमेरिका) | ड्यूक ऑफ एब्रु जी |
| १८९९ | केनिया | केनिया | एच्० जे० मैक्रिएडर |
| १९०६ | रुवेंझोरी | मध्य उ० अफ्रिका | ड्यूक ऑफ एब्रु जी |
| — | मैक किनले | अलास्का (सं० रा० अमेरिका) | पारकर ब्रोनी |
| १९२५ | लोगन | अलास्का | ए० एच्० मैककार्थी। |
| — | इलाम्पू | बोलिविया | जर्मन-अस्ट्रियन आरोहण |
| १९५० | अन्नपूर्णा | हिमालय | फ्रांसीसी आरोहण (मौरिस हरजोग के नेतृत्व में) |
| १९५३ | एवरेस्ट | हिमालय | ब्रिटिश-आरोहण |
| १९५३ | नागापर्वत | कश्मीर | अस्ट्रिया-जर्मनी-आरोहण |
| १९५३ | नानकुम | जम्मू और कश्मीर | फ्रांसीसी आरोहण |
| १९५४ | गॉडविन ऑस्टिन (काराकोरम) | हिमालय (भारत) | इटालियन आरोहण |
| १९५४ | चो-ओयू | हिमालय-नेपाल | अस्ट्रियन आरोहण |
| १९५५ | कंचनजंघा | हिमालय | चार्ल्स इवान के नेतृत्व में ब्रिटिश आरोहण |
| १९५५ | मकालू | नेपाल | फ्रांसीसी आरोहण |
| १९५६ | लोत्से | नेपाल | स्विस-आरोहण |
| १९५६ | मानसालू | नेपाल | जापानी आरोहण |
| १९६० | एवरेस्ट | हिमालय | भारतीय आरोहण |
| १९६० | ,, | ,, | चीनी आरोहण (उत्तर से) |

## प्रसिद्ध मरुभूमियाँ

| नाम | | देश | | क्षेत्रफल (वर्गमील में) |
|---|---|---|---|---|
| सहारा | ... | उत्तरी अफ्रिका | ... | ३५,००,००० |
| लीबियन मरुभूमि | ... | उत्तरी अफ्रिका | ... | ६,५०,००० |
| अस्ट्रेलियन मरुभूमि | ... | अस्ट्रेलिया | ... | ६,००,००० |
| अरब | ... | अरब | ... | ५,००,००० |
| गोबी | ... | मंगोलिया | ... | ५,००,००० |
| काराकुम | ... | तुर्किस्तान | ... | १,१०,००० |
| क्रिजिलकुम | ... | मध्य तुर्किस्तान | ... | ७०,००० |
| अटकामा | ... | चिली | ... | ७०,००० |
| मोजावे | ... | सं० रा० अ० (कैलिफोर्निया) | ... | १५,००० |
| कोलोरैडो | ... | सं० रा० अ० (कैलिफोर्निया) | ... | २,००० |

## लम्बी सुरंगें

| नाम | | स्थिति | | लम्बाई (मीलों में) |
|---|---|---|---|---|
| ईस्ट फिंचले-मॉर्डेन | ... | इंगलैंड | ... | १७¼ |
| बेन-नेविस | ... | इंगलैंड | ... | १५ |
| टाना | ... | जापान | ... | १३½ |
| सिम्प्लोन | ... | स्विट्‌जरलैंड-इटली | ... | १२¼ |
| एपेनाइन | ... | इटली | ... | ११½ |
| सेंट गोथार्ड | ... | स्विट्‌जरलैंड | ... | ९¼ |
| लोस्चबेग | ... | स्विट्‌जरलैंड | ... | ९ |
| मौण्ट सेनिस | ... | इटली | ... | ८½ |
| कास्केड | ... | सं० रा० अमेरिका | ... | ७¾ |
| अर्लबर्ग | ... | अस्ट्रिया | ... | ६¼ |
| मौफेट | ... | सं० रा० अमेरिका | ... | ६ |
| शिमजू | ... | जापान | ... | ६ |
| रिमुटाका | ... | न्यूजीलैंड | ... | ५½ |
| रिकेन | ... | स्विट्‌जरलैंड | ... | ५¼ |
| ग्रेनचनबर्ग | ... | स्विट्‌जरलैंड | ... | ५¼ |
| टौरेन | ... | अस्ट्रिया | ... | ५¼ |
| नेहरू-बेनियाल | ... | भारत | ... | १¾ |

## ऊँचे बाँध

| नाम | देश | ऊँचाई (फुट में) | नाम | देश | ऊँचाई (फुट में) |
|---|---|---|---|---|---|
| मोडवोइसिन | स्विट्‌जरलैंड | ७८० | हंग्री होर्स | सं० रा० अमेरिका | ५६४ |
| हूवर | सं० रा० अमेरिका | ७२६ | ग्रैण्ड कॉली | सं० रा० अमेरिका | ५५० |
| ग्लेन कैनियन | ,, ,, | ७०० | भाखरा | भारत | ६८० |

| नाम | देश | ऊँचाई (फुट में) | नाम | देश | ऊँचाई (फुट में) |
|---|---|---|---|---|---|
| शास्ता | सं० रा० अमेरिका | ६०२ | फुरोवी | जापान | ५९० |
| टिगनेस | फ्रांस | ५९२ | मैंगृह | डिक्सेन्स स्विट्जरलैंड | ५८० |

## बड़े बाँध

| नाम | देश | जलधारण-शक्ति (१० लाख गैलन में) | निर्माण-काल | नदी |
|---|---|---|---|---|
| ह्यूम | अस्ट्रेलिया | ४०,००,००० | १९३६ | मरें |
| ग्रैंडकौली | सं० रा० अमेरिका | ३१,३१,४२८ | १९४१ | कोलम्बिया |
| अस्वान | मिस्र | १७,३२,००० | १९३० | नील |
| कोगोटी | चिली | १०,८१,००० | १९३२ | लिमारी |
| हूवर | सं० रा० अमेरिका | १०,००,००० | १९३६ | कोलोरैडो |
| नीप्रोस्टोव | सोवियत रूस | ९,६८,००० | १९३२ | नीपर |
| बुरिनजुक | अस्ट्रेलिया | ४,०८,००० | १९२७ | मरें |
| मारथोन | ग्रीस | २,२४,१०० | १९३० | दूरद्रा |
| मेटुर | दक्षिण-भारत | २,००,००० | १९३४ | कावेरी |
| कृष्णराज सागर | दक्षिण-भारत | ४३,९३४ | — | — |
| निजाम सागर | दक्षिण-भारत | २५,५६६ | — | — |
| लॉयड बाँध | सिन्ध | २४,१९८ | — | — |

## प्रमुख रेलवे प्लैटफार्म

| नाम | देश | लम्बाई (फुट में) |
|---|---|---|
| स्टोरविक | स्वीडन | २,४७० |
| सोनपुर | भारत | २,४१५ |
| छपरा | भारत | २,४१५ से अधिक |
| खड्गपुर | भारत | २,३६० |
| न्यू लखनऊ | भारत | २,२५० |
| बुलावायो | रोडेशिया | २,२०२ |
| बेजवाडा | भारत | २,२१० |
| मैनचेस्टर विक्टोरिया एक्सचेंज | इंगलैंड | २,३९४ |
| झाँसी | भारत | २,०२५ |
| कोटरी | पाकिस्तान | १,८९६ |
| मंडाले | बर्मा | १,७७८ |

## बड़े पुल

| नाम | | देश | | लम्बाई (वाटर-वे के फुट में) |
|---|---|---|---|---|
| लोअर जाम्बेजी | ... | पूर्व-अफ्रिका | ... | ११,३२२ फुट |
| स्टार्सस्ट्राम्सब्रोएन | ... | डेनमार्क | ... | १०,४६६ ,, |
| टे-पुल | ... | स्कॉटलैंड | ... | १०,२८६ ,, |
| सोन-पुल | ... | भारत | ... | ६,८३६ ,, |
| गोदावरी | ... | भारत | ... | ८,८८१ ,, |
| फोर्थ पुल | ... | स्कॉटलैंड | ... | ८,२६१ ,, |
| रिओ-सलादो | ... | अर्जेण्टाइना | ... | ६,७०३ ,, |
| गोल्डेन गेट | ... | संयुक्तराज्य अमेरिका | .... | ६,२६० ,, |
| रिओ-डुलस | ... | अर्जेण्टाइना | ... | ५,८६६ ,, |
| हार्डिङ्ग | ... | पाकिस्तान | ... | ५,३८४ ,, |
| विक्टोरिया जुबिली | ... | कनाडा | ... | ५,३२५ ,, |
| मोएरडिजक | ... | नेदरलैंड | .... | ४,६६८ ,, |
| सिडनी बन्दरगाह | ... | अस्ट्रेलिया | ... | ४,१२४ ,, |
| जैक्वेस कार्लियर | ... | कनाडा | ... | ३,८६० ,, |
| क्वीन्स बौरो | .... | संयुक्तराज्य अमेरिका | ... | ३,७२० ,, |
| ब्रुक्लीन | .... | ,, ,, | .... | ३,४५१ ,, |
| टोरन | ... | पोलैंड | ... | ६,२६१ ,, |
| क्यूबेक पुल | ... | कनाडा | ... | ३,२०५ ,, |

## उच्च प्रासाद और मीनारें

| नाम | स्थिति | महल | ऊँचाई (फुट में) |
|---|---|---|---|
| एम्पायर स्टेट | न्यूयार्क (सं० रा० अ०) | १०२ | १,२५० |
| क्रिस्लर | न्यूयार्क (सं० रा० अ०) | ७७ | १,०४६ |
| आइफेल टावर | पेरिस (फ्रांस) | — | ६८४ |
| ६० वाल टावर | न्यूयार्क (सं० रा० अ०) | ६६ | ६५० |
| बैंक ऑफ् मनहटन | न्यूयार्क (सं० रा० अ०) | ७१ | ६२७ |
| आर० सी० ए० | न्यूयार्क (सं० रा० अ०) | ६० | ७६२ |
| उलवर्थ | न्यूयार्क (सं० रा० अ०) | ६० | ७६२ |
| सिटी बैंक | न्यूयार्क (सं० रा० अ०) | ५४ | ७४१ |
| टर्मिनल टावर | (सं० रा० अ०) | ५२ | ७०८ |
| ५०० फिफ्थ एवेन्यू | (सं० रा० अ०) | ६० | ७०० |
| मेट्रोपोलिटन | न्यूयार्क (सं० रा० अ०) | ५० | ७०० |
| चानिन टावर | (सं० रा० अ०) | ५६ | ६८० |

| नाम | स्थिति | महल | ऊँचाई (फुट में) |
|---|---|---|---|
| लिंकन | (सं० रा० अ०) | ५३ | ६७३ |
| इरविंग ट्रस्ट | (सं० रा० अ०) | ५० | ६५४ |
| जेनरल इलेक्ट्रिक | (सं० रा० अ०) | ५० | ६४१ |
| वालडोर्फ अस्टोरिया कैथेड्रल | न्यूयार्क (सं० रा० अ०) | ४७ | ६२५ |
| अलम कैथेड्रल | जर्मनी | — | ५२६ |
| कोलीन कैथेड्रल | — | — | ५१२ |
| सेंट जॉन दी डिवाइन | न्यूयार्क (सं० रा० अ०) | — | ५०० |
| रोएन कैथेड्रल | (फ्रांस) | — | ४८५ |
| स्ट्रॉसवर्ग कैथेड्रल | (जर्मनी) | — | ४६८ |
| सेंट स्टेफेन्स कैथेड्रल | (वियना) | — | ४४१ |
| चर्योप्स का पिरामिड | (मिस्र) | — | ४५० |
| कुतुब-मीनार | दिल्ली (भारत) | — | — |
| चार मीनार | हैदराबाद | — | — |

## बड़े नगरों की जन-संख्या

| शहर का नाम | देश | समय | जन-संख्या |
|---|---|---|---|
| टोकियो | जापान | १ जून १९५८ | ८७,७४,६८३ |
| लंदन | इंगलैंड | अनुमानित १९५८ | ८२,५१,००० |
| न्यूयार्क | सं० रा० अमेरिका | १ अप्रैल, १९५७ | ७७,९५,४७१ |
| संघाई | चीन | अनुमानित १९५७ | ६२,०४,४१७ |
| मास्को | सोवियत रूस | अनुमानित १९५६ | ४८,३९,००० |
| मेक्सिको | मध्य अमेरिका | १९५७ | ४५,००,००० |
| पिपिंग | चीन | अनुमानित १९५७ | ४१,४०,००० |
| ब्युनिस-आयर्स | अर्जेण्टाइना | १९५८ | ३७,०३,००० |
| शिकागो | संयुक्तराज्य अमेरिका | १९५० | ३६,२०,९६२ |
| बर्लिन | जर्मनी (पूर्व और पश्चिम) | १९५६ | ३३,७४,५८२ |
| लेनिनग्राड | रूस | अनुमानित १९५६ | ३१,७६,००० |
| साओपालो | ब्राजिल | अनुमानित १९५७ | ३१,४९,५०४ |
| तियेन्सिन | चीन | अनुमानित १९५७ | ३१,००,००० |
| कलकत्ता | भारत | अनुमानित १९६० | ५०,००,००० |
| राओडिजिनेरो | ब्राजिल | अनुमानित १९५७ | २९,४०,०४५ |
| पेरिस | फ्रान्स | १९५४ | २८,५०,१८९ |
| बम्बई | भारत | १९५१ | २८,४०,०११ |
| जकार्टा | इण्डोनेशिया | अनुमानित १९५४ | २८,००,००० |
| ओसाका | जापान | अनुमानित १९५६ | २६,३२,००० |
| काहिरा (कैरो) | मिस्र | अनुमानित १९५५ | २६,००,००० |

| शहर का नाम | देश | समय | जन-संख्या |
|---|---|---|---|
| हांगकांग | चीन | अनुमानित १९५७ | २६,००,००० |
| सेनयांग | चीन | अनुमानित १९५७ | २२,९०,००० |
| लॉसएंजेल्स | कैलिफोर्निया | ,, १९५६ | २२,४३,९०१ |
| फिलाडेल्फिया | संयुक्तराज्य अमेरिका | ,, १९६० | २०,०२,५१२ |
| मनीला | फिलिपाइन्स | अनुमानित १९५५ | २०,२२,४२० |
| नई दिल्ली | भारत | अनुमानित १९६० | २२,५०,००० |

## प्रान्तों और नगरों के नाम में परिवर्त्तन

| *प्राचीन* | | *नवीन* | *प्राचीन* | | *नवीन* |
|---|---|---|---|---|---|
| अंगोरा | ... | अंकारा | पिपिंग | ... | पेकिंग |
| कौन्सटैंटिनोपुल | ... | इस्ताम्बुल | पेट्रोगार्ड | ... | लेनिनग्राड |
| क्रिश्चियाना (नारवे) | ... | ओसलो | बनारस | ... | वाराणसी |
| क्वीन्स टाउन (आयरलैंड) | | कॉब | विजगापट्टम | ... | विशाखापत्तनम |
| ट्रावणकोर-कोचीन | ... | केरल | बैंकाक | ... | फेनचन्द |
| निजनीनोव गोरैंड | ... | गोर्की | संयुक्तप्रान्त | ... | उत्तर-प्रदेश |
| | | | सैंडविच | .... | हवाईयन |

## उच्चतम, बृहत्तम, महत्तम, दीर्घतम, न्यूनतम

| | |
|---|---|
| सबसे बड़ा और अधिक जन-संख्यावाला महादेश | एशिया । |
| सबसे ज्यादा उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत भूमि | अमेरिका; उत्तर-दक्षिण आर्कटिक से अण्टार्कटिक महासागर तक । |
| सबसे ऊँचा देश | तिब्बत (१६,००० फुट) । |
| सबसे घनी आबादीवाला देश | चीन । |
| सबसे घनी जन-संख्यावाला छोटा देश | मोनाको (यूरोप), ३३,८६८ प्रति वर्गमील । |
| सबसे छोटा स्वतन्त्र राष्ट्र | वैटिकन सिटी, रोम ( इटली ); क्षेत्रफल १०९ एकड़ । |
| सबसे छोटा महाद्वीप | अस्ट्रेलिया । |
| सबसे बड़ा द्वीप-समूह | इण्डोनेशिया । |
| सबसे बड़ा प्रायद्वीप | भारत । |
| सबसे बड़ा नगर | लन्दन (जन-संख्या ८३,४६,०००) । |
| सबसे उत्तर का नगर | हैमरफैस्ट, नार्वे ( आर्कटिक वृत्त से २७५ मील उत्तर ) । |
| सबसे ऊँचा नगर | फारी, तिब्बत (१४,३०० फुट) । |
| सबसे बड़ी इमारत | पिरामिड (मिस्र) । |
| सबसे विशाल भवन | वैटिकन (रोम) । |

| | |
|---|---|
| सबसे बड़ा राजमहल | मैड्रिड (स्पेन) का राजमहल । |
| सबसे बड़ा ऑफिस का मकान | पेण्टागॉन (सं० रा०अमेरिका); ३४ एकड़ में। इसमें ३२,००० आदमी काम करते हैं । |
| सबसे बड़ा कंक्रीट का मकान | ग्रैंड डिक्सेन्स (स्विट्जरलैंड) । |
| सबसे बड़ा गुम्बज | गोल गुम्बज (बीजापुर, भारत); १४४ फुट । |
| सबसे लम्बा चर्च | अलम-कैथेड्रल (जर्मनी); ५२६ फुट ऊँचा । |
| सबसे विशाल चर्च | सेंट पिटर्स का चर्च (रोम) । |
| सबसे लम्बी मूर्ति | स्वाधीनता की मूर्त्ति ( न्यूयार्क, अमेरिका ) एँड़ी से चोटी तक १११ फुट । |
| सबसे बड़ा म्यूजियम | ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन । |
| सबसे बड़ा थियेटर | ब्लैंकिटा थियेटर ( हवाना ); ६,५०० व्यक्तियों के लिए स्थान । |
| सबसे लम्बी दीवाल | चीन की दीवाल (१,४०० मील लम्बी) । |
| सबसे बड़ी वाटिका | एलोस्टोन, नेशनल पार्क ( सं० रा० अमेरिका ); ३,३५० वर्गमील । |
| सबसे बड़ा दूरवीक्षण-यंत्र | माउण्ट पेलोमर ( कैलिफोर्निया, अमेरिका) वाला, व्यास २०० इंच । |
| सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन | ग्रैंड सेण्ट्रल टर्मिनस, न्यूयार्क। इसमें ४७ प्लैटफार्म हैं । |
| सबसे लम्बी रेलवे लाइन | ट्रान्स साइबेरियन रेलवे लाइन; रीगा से ब्लाडिवोस्टक (सोवियत रूस, ६,००० मील)। |
| सबसे लम्बा राजपथ | ब्रॉडवे (न्यूयार्क, अमेरिका) । |
| सबसे ऊँचा हवाई अड्डा | लद्दाख (कश्मीर); १४,२३० फुट । |
| हवाई जहाज की सबसे ऊँची उड़ान | ८३,२३५ फुट । |
| मुसाफिरवाले बैलून की सबसे ऊँची उड़ान | १,०२,००० फुट । |
| सबसे गहरी खान | कोलार गोल्डफील्ड, मैसूर ( लगभग १०,००० फुट गहरी ) । |
| सबसे गहरा सूराख | टेक्सास (सं० रा० अमेरिका) का एक तेल का कुआँ । |
| सबसे बड़ी हीरा की खान | किम्बरली (दक्षिण-अफ्रिका) । |
| सबसे बड़ा हीरा | कुलिनन । |
| सबसे बड़ा मोती | बेरेसफोर्ड-होप (१,८०० ग्राम) । |
| सबसे बड़ा घंटा | सारकोलो कोल, क्रेमलिन ( मास्को ), १८० टन । |
| सबसे ऊँचा वृक्ष | जैण्ट रेडुडपा वृक्ष, हैम्बोल्ट स्टेट पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका (३६८ फुट ऊँचा) । |

| | |
|---|---|
| सबसे अधिक वर्षावाली एवं गीली भूमि | चेरापुंजी ( आसाम )। एक मास में ३६६ इंच। |
| सबसे कम वर्षावाली भूमि | एरिका (चिली), २ इंच। |
| सबसे ठंडा स्थान | वरखोयांस्क ( साइबेरिया ); ६०° फेरेन्हाइट; ५ और ७ फरवरी, १८६२। |
| सबसे गर्म स्थान | अजिजिया ( लीबिया ); १३६° फेरेन्हाइट (१३ सितम्बर, १६२२)। |
| सबसे अधिक वार्षिक तापमानवाला स्थान | सोमालीलैंड (अफ्रिका); ८८° फेरेन्हाइट। |
| सबसे कम वार्षिक तापमानवाला स्थान | फ्रामहीम; अण्टार्कटिक, १४०° फेरेन्हाइट। |
| सबसे बड़ा अन्तर्देशीय समुद्र | मेडिट्रेनियन सागर। |
| सबसे खारा और सबसे छिछला समुद्र | डेड सी। |
| सबसे बड़ी स्वच्छ जलवाली झील | सुपीरियर (उत्तरी अमेरिका)। |
| सबसे बड़ी कृत्रिम झील | मीड (सं० रा० अमेरिका)। |
| सबसे गहरी झील | बैकाल (साइबेरिया)। |
| सबसे विशाल नदी | आमेजन (दक्षिण अमेरिका)। |
| नदी द्वारा सिंचित सबसे बड़ा क्षेत्र | आमेजन का क्षेत्र; २७,२०,८०० वर्गमील। |
| सबसे बड़ा मुहाना | सुन्दरवन; ८,००० वर्गमील। |
| सबसे बड़ी जहाजी नहर | श्वेत सागर की नहर (रूस); १४० मील लंबी। |
| सबसे बड़ा जहाज | क्वीन एलिजाबेथ (८३,६७३ टन)। |
| सबसे बड़ा ग्रह | बृहस्पति। |
| सबसे बड़ी मरुभूमि | सहारा ( अफ्रिका ) क्षेत्रफल ३५,००,००० वर्गमील। |
| सबसे ऊँचा जीवित ज्वालामुखी | कोटोपैक्सी (इक्वेडर); ऊँचाई १६,५५० फीट। |
| सबसे बड़ा डेल्टा | सुन्दरवन (भारत); ८,००० वर्गमील। |
| सबसे ऊँचा प्रकाश-स्तम्भ | बिशॉप रॉक (इंगलैंड); १४६ फीट ऊँचा। |
| सबसे बड़ा चिड़ियाखाना | कौगर नेशनल पार्क (दक्षिण अफ्रिका) |
| सबसे लम्बा बाँध | हीराकुड बाँध (उड़ीसा, भारत); १५.८ मील। |
| सबसे पुराना कंकरीट का बाँध | आस्वान (मिस्र); १६०२ में निर्मित। |
| सबसे बड़ा कंकरीट बाँध | ग्रैंडकौली बांध (सं० रा० अ०) |
| सबसे ऊँचा बाँध | मौवसिन (स्विट्जरलैंड); ७८० फीट। |
| सबसे बड़ा होटल | कोनाड हिल्टन होटल (शिकागो)। |
| सबसे बड़ा क्रीडांगण | स्ट्राहोव स्टेडियम (प्राग)। |

★

## विभिन्न देशों में पेट्रोलियम का उत्पादन

( १,००० मेट्रिक टन में; १ मेट्रिक टन = २२०४·६ पौंड )

| देश | १९५५ | १९५८ | १९५९ | १९६० |
|---|---|---|---|---|
| अर्जेनटाइना | ४,४६६ | ५,१०० | ६,७०० | ६,००० |
| अल्जीरिया | ५६ | ४४२ | १,२६५ | ८,३६० |
| इण्डोनेशिया | ११,७९० | १६,००० | १८,२१५ | १६,५०० |
| इराक | ३३,२०६ | ३५,५०० | ४१,७५० | ४६,५०० |
| ईरान | १६,०२५ | ४०,६०० | ४५,५७० | ५२,००० |
| कनाडा | १७,४२६ | २,२८० | २४,८७५ | २५,७०० |
| कातर | ५,४३८ | ८,१६५ | ८,१०० | ८,३०० |
| कुवैत | ५४,७५६ | ७०,२०० | ६६,५३० | ८४,००० |
| कोलम्बिया | ५,७६८ | ६,६०० | ७,३०० | ८,०७० |
| भारत | ३३० | ४४० | ४२० | ४४० |
| मेक्सिको | १२,५६६ | १३,३०० | १३,७०० | १४,५०० |
| रुमानिया | १०,५७५ | ११,१८० | ११,४३७ | ११,५५० |
| वेनेज़ुएला | १,१२,३७६ | १,३८,६०० | १,४६,५७३ | १,५१,००० |
| संयुक्तराज्य अमेरिका | ३,३४,६३१ | ३,३०,००० | ३,४७,१०० | ३,४५,००० |
| सऊदी अरब | ४७,५३५ | ५०,१३० | ५४,१६० | ६१,५०० |
| सोवियत रूस | ७०,८०० | ११३,५०० | १,२६,५०० | १,४७,००० |

## विभिन्न देशों में जीवन-बीमा

( १० लाख प्रचलित मुद्राओं में )

| देश | मुद्रा | १९४६ | १९५६ | १९५६ के अमेरिकी डालर में | विनिमय-दर डालर = प्रचलित सिक्का |
|---|---|---|---|---|---|
| आस्ट्रेलिया | पौंड (आस्ट्रे०) | ८३३ | ३,६६० | ८,१५४ | २·२२८ = १ |
| इटली | लीरे | ६६,१०० | १८,८७,६१४ | ३,०४२ | १ = ६२०·६ |
| कनाडा | पौंड (कनाडियन) | ११,०६५ | ४२,८७२ | ४४,६८६ | १ = ०·९५३ |
| ग्रेटब्रिटेन | पौंड (स्टर्लिंग) | ४,८०० | १२,४१६ | ३४,७७७ | २·७९६४ = १ |
| जर्मनी (प०) | ड्यूश मार्क. | —— | ५७०६०३ | १३,८१४ | १ = ४ १७ |
| जापान | येन | ८६,२१० | ५३,३५,६५८ | १४,८२१ | १ = ३६० |
| नेदरलैंड | गिल्डर्स | ८,८७५ | २७,६७१ | ७,४१६ | १ = ३·७७ |
| फ्रान्स | फ्रैंक्स | २,१३,६७१ | ४१,००,००० | ८,३५२ | १ = ४६०·६ |
| बेलजियम | फ्रैंक्स | ३६,१७१ | १,७८,२४२ | ३,५६६ | १ = ४६·६४ |
| भारत | रुपया | ६,५१० | १८,६२० | ३,८६३ | १ = ४ ७८३ |
| सं०रा० अमे० | डालर (अमे०) | १,७०,०६६ | ५,४२,१२८ | ५,४२,१२८ | १ = १ |
| स्विट्जरलैंड | फ्रैंक्स | ६ ७०६ | १६,०७५ | ३,७१८ | १ = ४·३२३ |
| स्वीडन | क्रोनोर | ८,१५४ | २१,०१५ | ५,६८६ | १ = ५·१८१ |

# विश्व के विभिन्न देशों के कृषि-उत्पादन

## गेहूँ

| देश | क्षेत्रफल (१००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) | | | उत्पादन (१,००० मैट्रिक टन में) (मैट्रिक टन = २२०४.६ पौंड) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | औसत | | | औसत | | |
| | १९४८–५२ | १९५८–५९ | १९५९–६० | १९४८–५२ | १९५८–५९ | १९५९–६० |
| अर्जेन्टाइना | ४,४८७ | ४,२०२ | ४,३७८ | ५,१७५ | ६,७२० | ५,८३७ |
| आस्ट्रेलिया | ४,६२० | ६,२०८ | ४,८५६ | ५,१६१ | ५,८५५ | ५,३६१ |
| इटली | ४,७०४ | ४,८३१ | ४,६६४ | ७,१७० | ९,८१५ | ८,४६६ |
| कनाडा | १०,४११ | ८,४४७ | ८,३३८ | १३,८७२ | १०,११७ | ११,२४४ |
| चीन | २३,२३४ | २६,७३० | — | १५,९१३ | — | — |
| टर्की | ४,७७० | ७,४६६ | ७,६६६ | ४,७७१ | ८,६७१ | ७,९८७ |
| पाकिस्तान | ४,२१८ | ४,६०९ | ४,९२१ | ३,६८२ | ३,६०१ | ३,९१५ |
| फ्रांस | ४,३६४ | ४,६१५ | ४,४३९ | ७,७९१ | ९,६०१ | ११,५४४ |
| भारत | ९,२९० | ११,८१७ | १२,६०२ | ६,०८७ | ७,८६५ | ९,९२९ |
| सोवियत रूस | ४२,६३३ | ६६,६४२ | ६२,९६७ | ३५,७६७ | ७६,४६८ | ६९,१०१ |
| सं० रा० अमेरिका | २७,७१६ | २१,६१२ | २१,४४८ | ३१,०६६ | ३९,७८२ | ३०,७०४ |
| स्पेन | ४,११६ | ४,३७९ | ४,३७९ | ३,६२२ | ४,५५० | ४,६४४ |

## जौ

| देश | १९४८–५२ | १९५८–५९ | १९५९–६० | १९४८–५२ | १९५८–५९ | १९५९–६० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कनाडा | २,८७० | ३,८६४ | ३,३५४ | ४,२८२ | ५,३२९ | ४,९११ |
| ग्रेटब्रिटेन | ८१८ | १,११५ | १,२३७ | २,०६० | ३,२२२ | ४,०८१ |
| जर्मनी (पूर्वी) | २५९ | ३३७ | ३५४ | ५९३ | ९३१ | १,०३९ |
| जर्मनी पश्चिमी) | ५८४ | ८७८ | ९४८ | १,३९७ | २,४१४ | २,८३४ |
| जापान | ९८२ | ९१० | ८९३ | २,१२० | २,०७६ | २,३०८ |
| टर्की | १,९७२ | २,७०० | २,७५० | २,२७० | ३,६०० | ३,३०० |
| डेनमार्क | ४९५ | ७२१ | ७५२ | १,७०९ | २,४८५ | २,३३८ |
| फ्रान्स | ९५४ | १,७८२ | १,९८९ | १,५३४ | ३,८९२ | ४,९३१ |
| भारत | ३,१२८ | ३,०५५ | ३,३३६ | २,३८४ | २,२७४ | २,७१५ |
| सोवियत रूस | ८,४०७ | ९,६७९ | ९,६३१ | ६,३५४ | १२,९५७ | १०,१५० |
| सं० रा० अमेरिका | ४,०९५ | ६,०३९ | ६,१०० | ५,८४३ | १०,३४६ | ९,१४८ |
| स्पेन | १,५५७ | १,५१३ | १,४५२ | १,९०९ | १,७७८ | २,०९२ |

## धान

| | क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) ( १ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत | | | उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २,२०४'६ पौंड) औसत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| देश | १६४८–५२ | १६५८-५६ | १६५६-६० | १६४८–५२ | १६५८-५६ | १६५६-६० |
| इराडोनेशिया | ५,८७६ | ६,६६० | ७,१६७ | ६,४४१ | ११,६६८ | १२,४०२ |
| कोरिया (दक्षिण) | १,०५० | १ १०८ | १,११३ | २,६२४ | ३,२५४ | ३,२५५ |
| चीन (मुख्य) | २६,८१६ | ३२,७६१ | — | ५८,१८८ | १,१३ ७०० | — |
| जापान | २,६६६ | ३,२४२ | ३,२८६ | ११,६६१ | १४,६६१ | १५,६२६ |
| तैवान | ७६२ | ७७८ | ७७६ | १,६८२ | २,३५६ | २,३०८ |
| थाइलैंड | ५,२११ | ५,१०८ | ५,२२६ | ६,८४६ | ७,०५० | ७,२७५ |
| पाकिस्तान | ६,००३ | ६,१०२ | ६,७६३ | १२,३६६ | १२,०२८ | १४ ४१६ |
| फिलिपाइन | २,३५० | ३,३२६ | ३,३३४ | २,७६७ | ३,६८५ | ३,६६८ |
| बर्मा | ३,७५८ | ३,६६८ | ४,०३४ | ५,५४८ | ६,५६० | ६,८४३ |
| ब्राजिल | १,६२७ | २,७०२ | २,६६० | ३०,२५ | ४,१०६ | ४,३६४ |
| भारत | ३०,०६२ | ३२,६५६ | ३२,६१८ | ३३,३८३ | ४६,२६१ | ४४,७१२ |
| संयुक्त अरब गणतंत्र | २६० | २१८ | ३०७ | ६८४ | १,०८३ | १,५३७ |
| सं० रा० अमेरिका | ७५२ | ५७३ | ६४२ | १,६२५ | २ ०१३ | २,४१० |

## मकई

| देश | १६४८–५२ | १६५८-५६ | १६५६-६० | १६४८–५२ | १६५८-५६ | १६५६-६० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अर्जेएटाइना | १,६६६ | २,३६१ | २,४१५ | २,५०६ | ४,६३२ | ४,८०१ |
| इटली | १,२५३ | १,२१७ | १,१६३ | २,३०६ | ३,६७० | ३,८८० |
| इराडोनेशिया | २,०२० | २,७०२ | २,३०७ | १,५३६ | २,६३४ | २,१०१ |
| चीन | ६,५०० | ६,६०० | ६,६६० | १३,३४० | ३०,६८० | — |
| दक्षिण अफ्रिका-संघ | २ ८११ | ३,२५४ | ३,५५० | २,४५३ | ३,६५६ | ३,७७६ |
| ब्राजिल | ४,७८६ | ६,१०१ | ६,०७० | ५,६१६ | ७ ६८० | ७,७४७ |
| भारत | ३,३४६ | ४ २२२ | ४,२३२ | २,१६५ | ३,४३५ | ३,६७३ |
| मेक्सिको | ४,१०१ | ६,३७२ | ६,३२४ | ३,०६० | ५,२७७ | ५,५६२ |
| युगोस्लाविया | २,२६४ | २,३६० | २,५८० | ३,०७८ | ३,६५० | ६,६७० |
| रूमानिया | ३,०८६ | ३,६४५ | ३,५५४ | २,३६६ | ३,६३७ | ५,६८० |
| सोवियत रूस | ४,३८५ | ८,१३८ | ८,७१० | ६,००१ | १६,७२० | १२,०२० |
| सं० रा० अमेरिका | ३३,४६६ | २६,६७४ | ३४,२४० | ८१,६७१ | ६६,५४६ | १,१०,७७८ |
| हंगरी | १,१६६ | १,३०४ | १,३५८ | २,०६८ | २,८३३ | ३,५५८ |

## बाजरा

| | क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २,४७१ एकड़) | | | उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २,२०४·६ पौंड) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | औसत | | | औसत | | |
| देश | १९४८-४९—१९५२-५३ | १९५८-५९ | १९५९-६० | १९४८-४९—१९५२-५३ | १९५८-५९ | १९५९-६० |
| अर्जेण्टाइना | १८६ | २०८ | २०७ | १५१ | २१६ | २४७ |
| कोरिया | १६० | १५४ | १५३ | ८२ | ६९ | ५२ |
| जापान | ११२ | ६६ | ५८ | १२७ | १०२ | ८६ |
| टर्की | ७६ | ६० | ५८ | ७८ | ६५ | ५६ |
| दक्षिण रोडेशिया | २९७ | — | — | १०० | १४९ | — |
| पाकिस्तान | ९१८ | ७९८ | ८०५ | ३४२ | ३०८ | ३२९ |
| पोलैंड | ६० | ४६ | ४२ | ६१ | ५५ | ५० |
| भारत | १६,६०५ | १८,८६२ | १८,३१३ | ६,०६४ | ५,८६२ | ७,४७४ |
| सूडान | ३५२ | — | — | १८० | — | — |
| सोवियत रूस | ३,५४० | ३,७३० | २,७०० | १,७०० | २,८८० | १,३०० |

## आलू

| | क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २,४७१ एकड़) | | | उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४·६ पौंड) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | औसत | | | औसत | | |
| देश | १९४८-५२ | १९५८-५९ | १९५९-६० | १९४८-५२ | १९५८-५९ | १९५९-६० |
| अस्ट्रिया | १७५ | १७८ | १७१ | २,२७० | ३,५४२ | २,९४६ |
| इटली | ३९२ | ३८४ | ३८६ | २,७३२ | ३,६६८ | ३,९५४ |
| ग्रेटब्रिटेन | ४९७ | ३३३ | ३३१ | ९,४५४ | ५,६५३ | ६ ९३८ |
| चीन | २,४५० | ३,३०० | — | १२,३९० | २४,००० | — |
| जर्मनी (पूर्वी और पश्चिमी) | १,९६८ | १,८४३ | १,८२५ | ३७,४२७ | ३४,३६७ | ३५,१४४ |
| जापान | २०९ | २०५ | २०० | २,४५१ | ३,३९५ | ३,२५२ |
| चेकोस्लोवाकिया | ६२२ | ६०७ | ५८५ | ७,२५५ | ६,५८९ | ६,३३४ |
| नेदरलैंड | १८६ | १४० | १३६ | ४,६७९ | ३,७९९ | ३,१४२ |
| पोलैंड | २,५७५ | २,७५८ | २,७८८ | २९,६४२ | ३४,८०० | ३५,७०० |
| फ्रान्स | १,१२४ | ९७४ | ९७५ | १३,७३४ | १३,६४६ | १२,२६४ |
| भारत | २३७ | ३३३ | ३५३ | १,६४७ | २,३५६ | — |
| रूमानिया | २३५ | २८८ | २९६ | १,७०३ | २,८०१ | २,९३१ |
| स० रा० अमेरिका | ६६२ | ५९४ | ५६२ | १०,६७६ | १२,०५ | ११,३०३५ |
| सोवियत रूस | ८,३९७ | ९,५२५ | ९,५४० | ८८,६०० | ८६,५२७ | ८६,५६१ |
| स्पेन | ३५८ | ३७३ | ४०० | ३,३४८ | ४,२९२ | ४,५८८ |

## कच्ची चीनी

( १,००० मेट्रिक टन में, वर्ष का आरम्भ सितम्बर से )

| देश | औसत १९४८-५२ | १९५७-५८ | १९५८-५९ | १९५९-६० |
|---|---|---|---|---|
| अस्ट्रेलिया | ९१३ | १,३१४ | १,४३५ | १,२७० |
| इटली | ६०० | ८२१ | १,११९ | १ ४०८ |
| क्यूबा | ५,७८६ | ५,७८४ | ५,९६४ | ५,८६२ |
| जर्मनी (पूर्व और पश्चिम) | १,५२८ | २,३८५ | २,७८९ | २ ००९ |
| डोमिनिकन रिपब्लिक | ५४२ | ८०८ | ७८१ | १,१०० |
| फिलिपाइन | ८३० | १,२५० | १,३७१ | १ ३८८ |
| फ्रांस | १,०८५ | १,५३५ | १ ५६१ | १,०५१ |
| ब्राजिल | १,६४९ | २,८३८ | ३,४४५ | ३,२६३ |
| भारत | १,३०३ | २,१८५ | २,११९ | २,६७५ |
| मेक्सिको | ७३३ | १,२२० | १ ३७५ | १,५८५ |
| सोवियत रूस | २,७२८ | ४,५७१ | ५,७१३ | ६,५१३ |
| सं० रा० अमेरिका | १,९२१ | २,४७३ | २,५२१ | २,६८२ |

## रुई

अमेरिकी १,००० चालू गाँठों में; अन्य १,००० गाँठों में ( १ गाँठ = नेट ४७८ पौं० )

| देश | औसत | | | |
|---|---|---|---|---|
| | १९४५-४९ | १९५५-५६ | १९५८-५९ | १९५९-६० |
| अर्जेण्टाइना | ४२७ | ५९० | ५३० | ४०५ |
| ईरान | ८५ | ३०० | ३२५ | ३२० |
| चीन | १,९३९ | ७,००० | ८,७०० | ८,५०० |
| टर्की | २६८ | ७३० | ८२५ | ९०० |
| पाकिस्तान | १,०२४ | १,३६० | १ २५० | १,३०० |
| पेरू | ३०८ | ५०० | ५०० | ६०० |
| ब्राजिल | १,३५२ | १,६८० | १,५५० | १,७०० |
| भारत | २,३०४ | ४,१७० | ४,२०० | ३,३०० |
| मिस्र | १,४५६ | १ ७४० | २,०६० | २,११० |
| मेक्सिको | ५७७ | २,१०० | १,३५० | १,६५० |
| युगाण्डा | २२७ | ३१० | ३३५ | ३०० |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | १२,१०४ | १२ ५५० | ११,५०० | १४,५५० |
| सूडान | २४६ | ४६० | ५९० | ५६० |
| सोवियत रूस | २,३२८ | ६ ७६५ | ६,९०० | ७,३०० |
| स्पेन | १८ | १८० | १९० | २९० |

# प्राणी-शास्त्र-सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातें

## विभिन्न जीवों का गर्भ-धारण-काल

| जीवों के नाम | गर्भ-धारण-काल | जीवों के नाम | गर्भ-धारण-काल |
|---|---|---|---|
| ऊँट | १३ महीना | बिल्ली | २ महीना |
| ऊदबिलाव | ४ महीना | भालू | ७ महीना |
| कंगारू | १$\frac{1}{4}$ महीना | भेड़ | ५ महीना |
| खरगोश | १ महीना | भेड़िया | २ महीना |
| गाय | ६ महीना | मनुष्य | ९ महीना १० दिन ( २८० दिन ) |
| गिलहरी | १ महीना | लोमड़ी | २ महीना |
| घोड़ा | ११ महीना | सिंह | ३$\frac{1}{2}$ महीना |
| चूहा | २० दिन | सूअर | ४ महीना |
| जिराफ | १४ महीना | हाथी | २० से २२ मास |
| बकरी | ६ महीना | | |

## कतिपय पशु-पक्षियों की विशेषताएँ

| | |
|---|---|
| सबसे लम्बा पशु | जिराफ |
| सबसे बड़ा पशु | हाथी |
| सबसे तेज उड़नेवाला पक्षी | स्विफ्ट (गति—प्रति घंटा २०० मील) |
| कुत्ते की जाति में सबसे बड़ा चौपाया | भेड़िया |
| सबसे बड़ा हिंसक जीव | सिंह |
| आकार में मनुष्य से मिलता-जुलता जीव | वनमानुष |
| समुद्री चिड़ियों में सबसे बड़ी चिड़िया | अलबाट्रस (दक्षिणी समुद्र में पाई जानेवाली) |
| शीघ्रतमगामी पशु | चीता |
| सबसे बड़ा समुद्री जीव | नील ह्वेल |
| सबसे छोटी चिड़िया | हमिंग बर्ड (भन-भन शब्द करनेवाली एक प्रकार की चिड़िया) |
| सबसे ज्यादा जीनेवाला जीव | नील ह्वेल ( ५०० वर्ष ) |
| सबसे चौड़ी मछली | हेलिबट |
| सबसे लम्बी गरदनवाला पशु | जिराफ |
| सबसे ज्यादा जीनेवाली चिड़िया | शुतुरमुर्ग |
| सबसे भारी चिड़िया | कोनडोर ( दक्षिण-अमेरिका में पाया जानेवाला एक गृध्र ) |

★

# विभिन्न देशों का जन-स्वास्थ्य

## खाद्य-आपूर्ति

विभिन्न देशों में प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय औसत भोजन की अनुमित ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा इस प्रकार है—

| देश | कैलोरी (भोजन के शक्ति-उत्पादन-मूल्य की इकाई) (संख्या-प्रतिदिन) १९५०-५१ | १९५६-५७ | कुल प्रोटीन (ग्राम-प्रतिदिन) १९५०-५१ | १९५६-५७ |
|---|---|---|---|---|
| अर्जेण्टाइना | ३,१४० | २,९८० | १०२ | ९७ |
| आस्ट्रेलिया | ३,२८० | ३,१९० | ९७ | ८८ |
| इटली | २,४३० | २,५७० | ७७ | ७५ |
| कनाडा | ३,०१० | ३,१४० | ९० | ९७ |
| ग्रीस | २,५१० | २,६०० | ७७ | ८५ |
| ग्रेट ब्रिटेन | ३,१०० | ३,२५० | ८८ | ८४ |
| चिली | २,४०० | २,४९० | ७३ | ७७ |
| जर्मनी (पश्चिम) | २,८१० | ३,००० | ७६ | ७९ |
| जापान | २,१०० | २,२०० | ५४ | ६१ |
| टर्की | २,५१० | २,६७० | ८१ | ८८ |
| पाकिस्तान | २,१६० | २,०४० | ५४ | ४९ |
| पुर्तगाल | २,४६० | २,५५० | ६७ | ६९ |
| फ्रान्स | २,७९० | २,९२० | ८१ | १०३ |
| भारत | १,६३० | १,८५० | ४५ | ५० |
| मिस्र | २,३४० | २,५६० | ६९ | ७३ |
| सं० रा० अमेरिका | ३,१८० | ३,१५० | ९१ | ९५ |

## मानव-जीवन-काल का औसत अनुमान

| देश | ईसवी सन् १९३०-३५ (स्त्री-पुरुष) | ईसवी सन् १९५५-५६ स्त्री | पुरुष |
|---|---|---|---|
| इटली | ५४·९ वर्ष | ६७·३ वर्ष | ६३·८ वर्ष |
| पोलैंड | ४९·८ ,, | ६७·८ ,, | ६१·८ ,, |
| फ्रांस | ५६·७ ,, | ७१·२ ,, | ६५·० ,, |
| भारत | २६·७४ ,, | ३१·६६ ,, | ३२·४५ ,, |
| स्वीडन | ६४·२ ,, | ७३·४ ,, | ७०·५ ,, |
| हंगरी | ४९·८ ,, | ४८·७ ,, | ६४·७ ,, |

## जन्म और मृत्यु-दर

| देश | वर्ष | जन्म-दर | मृत्यु-दर |
|---|---|---|---|
| अफ्रिका | | | |
| अल्जीरिया | १९५५ | ३१·५ | १०·८ |
| दक्षिण-अफ्रिका-संघ | १९५७ | २५·६ | ८·८ |
| मिस्र | १९५३ | ४०·० | १८·४ |
| अमेरिका | | | |
| कनाडा | १९५७ | २८ ६ | ८·३ |
| कोस्टारिका | १९५७ | ५७·५ | १०·१ |
| चिली | १९५७ | ३५·२ | १२·० |
| मेक्सिको | १९५७ | ४७·१ | १३·८ |
| सं० रा० अमेरिका | १९५६ | २५·४० | ९·६ |
| एशिया | | | |
| जापान | १९५७ | १७·२ | ८·३ |
| थाइलैंड | १९५५ | ३४·२ | ९·२ |
| पाकिस्तान | १९५१ | २१·२ | ११·९ |
| बर्मा | १९५६ | ३५ ९ | २१·८ |
| भारत | १९५७ | २३·९ | १२·४ |
| लंका | १९५६ | ३६·४ | ९·८ |
| ओसीनिया | | | |
| अस्ट्रेलिया | १९५७ | २२·३ | ८·५ |
| न्यूजीलैंड | १९५७ | २४·९ | ९·३ |
| यूरोप | | | |
| अस्ट्रिया | १९५७ | १६·८ | १२·७ |
| आयरलैंड | १९५७ | १९·८ | १२·६ |
| इटली | १९५७ | १८ ३ | १०·० |
| ग्रेट-ब्रिटेन | १९५७ | १६·५ | ११·५ |
| जर्मनी (पश्चिम) | १९५७ | १७·० | ११·३ |
| जर्मनी (पूर्व) | १९५७ | १५·५ | १२·८ |
| चेकोस्लोवाकिया | १९५७ | १९·७ | ९·९ |
| डेनमार्क | १९५७ | १६·८ | ९ ३ |
| नारवे | १९५७ | १९·६ | ८·४ |
| नेदरलैंड | १९५७ | २१·२ | ७·५ |
| पुर्त्तगाल | १९५७ | २३·३ | ११·३ |
| पोलैंड | १९५६ | २७·९ | ९·० |
| फिनलैंड | १९५७ | १९·८ | ९·४ |

| देश | वर्ष | जन्म-दर | मृत्यु-दर |
|---|---|---|---|
| फ्रान्स | १९५७ | १८·४ | १२·० |
| बेलजियम | १९५७ | १७·४ | १२·५ |
| बलगेरिया | १९५६ | १९·५ | ९·४ |
| युगोस्लाविया | १९५७ | २३·५ | १०·५ |
| रूमानिया | १९५६ | २४·२ | ९·६ |
| रूस | १९५६ | २५·० | ७·७ |
| स्पेन | १९५७ | २१·२ | ७·६ |
| स्विट्जरलैंड | १९५७ | १७·७ | १०·० |
| स्वीडन | १९५७ | १४·६ | ९·६ |
| हंगरी | १९५७ | १७·० | १०·५ |

## बालकों की मृत्यु-दर

| देश | वर्ष | दर | देश | वर्ष | दर |
|---|---|---|---|---|---|
| अल्जीरिया | १९५५ | ६३ | जर्मनी (पूर्व) | १९५७ | ४६ |
| अस्ट्रिया | १९५७ | ४४ | जापान | १९५७ | ३९ |
| अस्ट्रेलिया | १९५६ | २१ | चेकोस्लोवाकिया | १९५६ | ३१ |
| आयरलैंड | १९५६ | ३६ | डेनमार्क | १९५६ | २५ |
| इटली | १९५७ | ५० | द० अफ्रिका-संघ | १९५६ | ३१ |
| कनाडा | १९५६ | ३२ | नारवे | १९५६ | २१ ४ |
| कोस्टारिका | १९५६ | ९२ | नेदरलैंड | १९५७ | १७ |
| ग्रेटब्रिटेन | १९५७ | २४ | न्यूजीलैंड | १९५६ | २३ |
| चिली | १९५६ | ११२ | पुर्त्तगाल | १९५७ | ८९ |
| जर्मनी (पश्चिम) | १९५७ | ३६ | युगोस्लाविया | १९५७ | १०१ |
| पोलैंड | १९५६ | ७१ | रूमानिया | १९५६ | ८२ |
| फिनलैंड | १९५७ | २८ | रूस | १९५५ | ४८ |
| फ्रान्स | १९५७ | ७२ | लंका | १९५६ | ६७ |
| बर्मा | १९५६ | १६७ | सं० रा० अमेरिका | १९५७ | २६ |
| बलगेरिया | १९५६ | ७२ | स्पेन | १९५६ | ५२ |
| बेलजियम | १९५६ | ३५ | स्विट्जरलैंड | १९५६ | २६ |
| भारत | १९५४ | ११४ | स्वीडन | १९५७ | १७ |
| मिस्र | १९५३ | १४६ | हंगरी | १९५६ | ५९ |
| मेक्सिको | १९५६ | ६९ | | | |

☆

# बड़े वैज्ञानिक आविष्कार

| आविष्कार | ईसवी | आविष्कारकों के नाम | देश |
|---|---|---|---|
| अलमिनियम | १८२७ | वोह्लर | जर्मनी |
| आयरन-लंग | १९२८ | फिलिप ऐण्ड शावड्रिंकर | सं० रा० अमेरिका |
| आइस-मेकिंग मशीन | १८५१ | गोरु | सं० रा० अमेरिका |
| इंजन, ओटोमोबाइल | १८७९ | बेंज | जर्मनी |
| इन्ग्रैविंग हाफ-टोन | १८९३ | इब्स | सं० रा० अमेरिका |
| इण्डिगो सिन्थेटिक | १८८० | बेअर | जर्मनी |
| इलेक्ट्रिक आर्क-लाइट | १८०६ | डैवी | इंगलैंड |
| इलेक्ट्रिक फैन | १८८७ | ह्वीलर | — |
| इलेक्ट्रिक लाइट, इन्कैण्डसेण्ट | १८७९ | एडिसन | सं० रा० अमेरिका |
| एक्स-रे | १८९५ | रोएनजेन | जर्मनी |
| एटॉमिक जेनरेटर | १९५१ | यू० ए० सी० के वैज्ञानिक | सं० रा० अमेरिका |
| एटॉमिक बम | १९४५ | सं० रा० अमेरिका के वैज्ञानिक | ,, |
| ऐडिंग मशीन | १६४२ | पैस्कल | फ्रांस |
| एयर-प्लेन (आजमाइशी) | १८९६ | लैंग्ले | सं० रा० अमेरिका |
| एयर-प्लेन हेलिकॉप्टर | १९१६ | ब्रेनन | इंगलैंड |
| एस्प्रो | १९१५ | जार्ज रिचार्ड निकोलस | इंगलैंड |
| ऑटोमोबाइल गैसोलिन | १८८७ | डैमलर | जर्मनी |
| कैमरा, कोडक | १८८८ | ईस्टमैन | सं० रा० अमेरिका |
| क्रीम-सेपरेटर | १८९७ | डीलेवेल | स्वीडन |
| क्रेस्कोग्राफ | — | जगदीशचन्द्र बोस | भारत |
| क्लॉक-पेण्डुलम | १६५७ | ह्यूगेन्स | नेदरलैंड |
| गैस-बर्नर | १८५५ | बुनसेन | जर्मनी |
| गैस-मैण्टल | १८९३ | वेल्सबैच | अस्ट्रिया |
| गैस-लाइटिंग | १७९२ | मरडॉक | स्कॉटलैंड |
| ग्रामोफोन | १८७७ | बर्घनर | सं० रा० अमेरिका |
| चश्मा | १३१० | आर्मेटस | इटली |
| टाइप-राइटर | १८६८ | शोलस | सं० रा० अमेरिका |
| टेलिग्राफ, मैग्नेटिक | १८३२ | मोरसे | सं० रा० अमेरिका |
| टेलिफोन | १८७६ | बोल | सं० रा० अमेरिका |
| टेलिफोन एम्पलिफायर | १९१२ | डीफोरेस्ट | सं० रा० अमेरिका |
| टेलिविजन | १९२६ | बेयर्ड | स्कॉटलैंड |
| टेलिस्कोप, रिफ्रेक्टिव | १२५० | रोजर बेकन | इंगलैंड |
| टेलिस्कोप, रिफ्लेक्टिंग | १६८८ | न्यूटन | इंगलैंड |
| टैंक, मिलिटरी | १९१४ | स्विण्टन | इंगलैंड |

| आविष्कार | ईसवी | आविष्कारकों के नाम | देश |
|---|---|---|---|
| टॉकिंग मशीन | १८७७ | एडिसन | सं० रा० अमेरिका |
| टॉरपीडो | १८७० | ह्वाइट हीड | इंगलैंड |
| ट्रैक्टर, कैटरपिलर | १९०० | हॉल्ट | सं० रा० अमेरिका |
| डायनामाइट | १८६७ | नोबेल | स्वीडन |
| डायनेमो | १८३१ | माइकेल फराडे | इंगलैंड |
| डिक्टाफोन | १८८५ | सी० टेण्टर | सं० रा० अमेरिका |
| डीजेल इंजिन | १८९५ | डीजेल | जर्मनी |
| थर्मामीटर | १७०१ | र्‌यूमर | फ्रांस |
| थर्मामीटर (एयर) | १५९२ | गैलिलियो | इटली |
| दियासलाई | १८५५ | लैंडस्ट्रोम | स्वीडन |
| नाइलोन | १९३७ | डूपोण्ट | सं० रा० अमेरिका |
| न्युमेटिक रबर-टायर | १८८८ | डनलप | सं० रा० अमेरिका |
| पावर-लूम | १७८५ | कार्टराइट | इंगलैंड |
| पियानो | १९०९ | क्रिस्टोफर | इटली |
| पेण्डुलम | १५८१ | गैलिलियो | इटली |
| पैराशूट | १७८३ | लिनोरमैंड | फ्रांस |
| प्रिंटिंग प्रेस रोटरी | १८४७ | आर० हो० | सं० रा० अमेरिका |
| प्रिंटिंग, मूवेबुल टाइप | १४४० | गुएटेनबर्ग | जर्मनी |
| फाउण्टेनपेन | १८८४ | वाटरमैन | सं० रा० अमेरिका |
| फोटो-कलर | १८९१ | लिपमैन | फ्रांस |
| फोटोग्राफी | १८१६ | नीप्से | फ्रांस |
| फोटो-फिल्म | १८८८ | ईस्टमैन गुडविन | सं० रा० अमेरिका |
| बाइसिकिल (मॉडर्न) | १८८४ | स्टारले | इंगलैंड |
| बैकेलाइट | १९०७ | बाएकलैंड | सं० रा० अमेरिका |
| बैरोमीटर | १६४३ | टोरिसेली | इटली |
| बैलून | १७८३ | मॉण्ट गोलफियर-बन्धु | फ्रांस |
| मशीन-गन | १८६२ | गैटलिंग | सं० रा० अमेरिका |
| माइक्रोफोन | १८७७ | बर्लिनर | सं० रा० अमेरिका |
| मोटर-कार-पेट्रोल | १८८७ | डैमलर | जर्मनी |
| मोटर-साइकिल | १८८५ | डैमलर | जर्मनी |
| मोनोटाइप | १८८७ | लनस्टोन | सं० रा० अमेरिका |
| मूवी-प्रोजेक्टर | १८९४ | जेनकिन्स | सं० रा० अमेरिका |
| मूवी-मशीन | १८९३ | एडिसन | सं० रा० अमेरिका |
| राइफल | १५२० | कोल्टर | जर्मनी |
| राडार | १९२२ | टेलर और युंग | सं० रा० अमेरिका |
| रेयन | १८८३ | स्वान | इंगलैंड |

| आविष्कार | ईसवी | आविष्कारकों के नाम | देश |
|---|---|---|---|
| रिवॉल्वर | १८३० | कोल्ट | सं० रा० अमेरिका |
| रेकर्ड-डिस्क | १८८६ | बर्लिनर | सं० रा० अमेरिका |
| रेडियो | १८६५ | मारकोनी | इटली |
| रेडियो ऐक्टिविटी | १८६६ | बेक्वेरल | फ्रांस |
| रेडियो टेलिफोन | १६०६ | डॉ० फॉरेस्ट | सं० रा० अमेरिका |
| रेलवे, स्टीम | १८२५ | स्टेफेन्सन | इंगलैंड |
| लाइनो-टाइप | १८८४ | मर्गेन्थोलर | सं० रा० अमेरिका |
| लिथोग्राफी | १७६६ | सेनेफेल्डर | जर्मनी |
| लैम्प, आर्क | १८७६ | ब्रश | सं० रा० अमेरिका |
| लैम्प, मरकरी-वेपर | १६१२ | ह्यूटिट | सं० रा० अमेरिका |
| लोकोमोटिव, फर्स्ट प्रैक्टिकल | १८२६ | स्टेफेन्सन | इंगलैंड |
| लोकोमोटिव, स्टीम | १८०४ | ट्रेविथिक | इंगलैंड |
| वाटर-प्रूफिंग, रबर | १८२३ | मकिनटोश | इंगलैंड |
| वायरलेस, टेलिफोन | १६०२ | फेशनडेन | सं० रा० अमेरिका |
| वेल्डिंग इलेक्ट्रिक | १८७७ | थोम्सन | सं० रा० अमेरिका |
| सबमेरिन | १८६१ | हॉलैंड | सं० रा० अमेरिका |
| सिनेमा-स्कोप | १८३१ | हेनरी क्रेटीन | फ्रांस |
| सिनेमेटोग्राफ | १८८६ | फ्रीज़ी-ग्रीनी | इंगलैंड |
| सिनेमेटोग्राफ टॉकिंग | १६२७ | एडिसन | सं० रा० अमेरिका |
| सिमेन्ट, पोर्टलैंड | १८४५ | आस्पडिन | इंगलैंड |
| सीने की मशीन | १८३० | थिमीनर | फ्रांस |
| सेक्सटैण्ट | १५६० | ब्राही | जर्मनी |
| सेफ्टी-पिन | १८४६ | हण्ट | सं० रा० अमेरिका |
| सेलुलॉयड | १८६५ | पार्कस | इंगलैंड |
| सोडा-वाटर | १६०७ | थॉम्सन | इंगलैंड |
| स्टीम-इंजिन | १७६५ | वाट | इंगलैंड |
| स्टीम-बोट | १८०७ | फुलटन | सं० रा० अमेरिका |
| स्टील | १८५७ | बिस्मेयर | इंगलैंड |
| स्टील, स्टेनलेस | १६१६ | बियरली | इंगलैंड |
| स्पिनिंग जेनी | १७६० | हारग्रीव्स | इंगलैंड |
| हाइड्रोजन-बम | १६५० | अणु-बम के वैज्ञानिक | सं० रा० अमेरिका |
| आणविक कैलेण्डर | १६६० | डॉ० लिबी | सं० रा० अमेरिका |
| बबुल-चैम्बर | १६६० | डॉ० ग्लेसर | सं० रा० अमेरिका |

★

## प्रसिद्ध दूरवीक्षण-यंत्र

| नाम | आकार इंच में | वेधशाला |
|---|---|---|
| पैलोमर | २०० | माउण्ट पैलोमर (कैलिफोर्निया, सं० रा० अ०) |
| माउण्ट विलसन | १०० | पैसाडेना (कैलिफोर्निया, सं० रा० अमेरिका) |
| डनलप | ७४ | रिचमोंडहिल (कनाडा) |
| डोमिनियन एस्ट्रो-फिजिकल | ७२ | विक्टोरिया बी० सी० (कनाडा) |
| पर्किन्स | ६९ | डेलावर (सं० रा० अमेरिका) |
| हार्वर्ड | ६१ | हार्वर्ड (सं० रा० अमेरिका) |
| ब्लोएमफोन्टेन | ६० | दक्षिण-अफ्रिका |
| माउण्ट-विलसन | ६० | पैसाडेना (सं० रा० अमेरिका) |
| कोर्डोबा | ६० | अर्जेन्टाइना |
| येर्क्स | ४० | विलियम बे (सं० रा० अमेरिका) |
| लिक | ३६ | माउण्ट हैमिल्टन (कैलिफोर्निया) |
| पेरिस यूनिवर्सिटी | ३२$\frac{1}{2}$ | मेउडन (फ्रांस) |
| एस्ट्रो-फिजिकल | ३१$\frac{1}{2}$ | पोट्सडम (जर्मनी) |
| एलेग्नी | ३० | पिट्सबर्ग (सं० रा० अमेरिका) |
| बिस्कोफशीम | ३० | नाइस (फ्रांस) |
| पौलकोवा | ३० | लेनिनग्राड (रूस) |

# विविध ज्ञातव्य बातें

## भोजन के कुछ आवश्यक तत्त्व तथा उनकी प्राप्ति के साधन

क्षार, खनिज, चिकनई, लवण आदि—

| तत्त्व | कार्य | प्राप्ति के कुछ प्रमुख साधन |
|---|---|---|
| प्रोटीन | पोषण करना; मांस बढ़ाना एवं उष्णता देना। | दाल, दूध, गोश्त, मछली, अंडे एवं तरकारियाँ। |
| स्टार्च (श्वेतसार) | शक्ति एवं उष्णता देना। | आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मकई, चीनी और गुड़। |
| चिकनई (फैट) | आवश्यक ताप और श्रम-शक्ति देना। | घी, मक्खन, तेल, चरबी। |
| खनिज लवण | पाचन-क्रिया में सहायता पहुँचाना, अस्थियों को मजबूत बनाना तथा रक्त को शुद्ध रखना। | अन्न, फल तथा साग-सब्जी। |
| कैलशियम | बच्चों की हड्डी बनाना, हृदय की क्रिया ठीक रखना, फेफड़े को स्वस्थ और मजबूत बनाना। | हरी तरकारियाँ, दाल, हरा साग, दूध, मोती का भस्म, आलू, सहिजन, सन्तरा, चौलाई, मेथी का साग, खजूर, अंजीर, अमरूद, कटहल, जामुन, किशमिश, इमली, बेर। |
| लोहा | रक्त-वर्द्धक। | मेथी, बथुआ और पालक का साग; मुनक्का, अंजीर, अनार, मसूर, मटर, गोभी, गाजर, प्याज, चुकन्दर, इमली, अमरूद, सेव, केला, अंगूर, कटहल, आम, ताड़, पपीता और नासपाती। |
| फास्फोरस | हड्डी बनाना, शरीर और दिमाग को पुष्ट करना। | ककड़ी, गाजर, मूली, दूध, फल, गोभी, सेम, बिना छँटा चावल, गेहूँ, सेव, केला, मकोय, खजूर, अंजीर, कटहल, अमरूद, नींबू, नारंगी, ताड़, नासपाती, किशमिश, टमाटर, इमली, बेर, मांस, मछली और अंडा। |

| तत्त्व | कार्य | प्राप्ति के कुछ प्रमुख साधन |
|---|---|---|
| सलफर | रक्त-शोधन, चर्मरोग-निवारण। | मूली, प्याज, फूलगोभी, पात-गोभी, लालगोभी, शलजम, टमाटर। |
| पोटाशियम | | गाजर, पालक, टमाटर, प्याज। |
| क्लोरिन | पाचन। | पालक, बथुआ, टमाटर, केला। |
| फ्लोरिन | नेत्रदोष-निवारण। | लहसुन, प्याज, पालक, गोभी, चुकन्दर, कॉडलिवर ऑयल, अंडे की जर्दी। |
| ताँबा | पाचन-क्रिया में सहायता देना। | गाजर, मूली, फूलगोभी, शलजम, प्याज, टमाटर, आलू, पालक। |
| मैंगनीज | नपुंसकत्व-निवारण। | गेहूँ का चोकर, चावल का कना। |
| सोडियम | पाचन। | सेंधा नमक, सोडा नमक, शाक, तरकारियाँ। |
| मैगनेसियम | स्नायुओं को सशक्त बनाना। | नींबू, अंजीर, ककड़ी, बादाम, पालक, मूली, पातगोभी, गेहूँ, अंडे की जर्दी। |
| आयोडिन | कोषों को चैतन्य रखना, बालों का पोषण करना। | ककड़ी, सेवार, झींगा मछली, काड-लिवर ऑयल, अनानास, लहसुन, सिंघाड़ा, कमलगट्टा, कसेरु। |
| सिलिकन | बालों को बढ़ाना एवं उन्हें सुन्दर और दृढ़ करना। | गेहूँ, जौ, अंजीर, गोभी, पालक, ककड़ी। |

विटामिन—

विटामिन का अन्वेषण सन् १९१० ई० के लगभग सर फ्रेडरिक कोलैण्ड हॉपकिन्स ने किया। ये कई प्रकार के हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जाता है—

| विटामिन के नाम | कार्य | प्राप्ति के प्रमुख साधन |
|---|---|---|
| विटामिन ए | शरीर-पोषण, रोग-निवारण, नेत्रज्योति-वर्द्धन। | दूध, दही, घी, मक्खन, मट्ठा, पालक, गोभी, टमाटर, मूली, गाजर, नींबू, आलू, चौराई साग, धनिया की पत्ती, सहिजन, पपीता, खजूर, कटहल, आम, नारंगी, बेल, जानवरों की चरबी और यकृत। |
| विटामिन बी | पाचन-शक्ति बढ़ाना। | बिना छाँटा चावल, चोकरदार आटा, दाल, खमीर, बथुआ, पालक, टमाटर, मूली, गोभी, शलजम, प्याज, गाजर, करमकल्ला। |

| विटामिन के नाम | कार्य | प्राप्ति के कुछ प्रमुख साधन |
|---|---|---|
| विटामिन सी | रक्त-शोधन, दाँत और मसूढ़े को मजबूत करना। | हरी पत्तीवाले साग, सन्तरा, नींबू, खट्टा फल, अंकुरित गेहूँ और चना, प्याज, शलजम, अनानास, गाजर, अमरूद, पपीता, नासपाती। |
| विटामिन डी | हड्डी और मांसपेशियों को दृढ़ करना। | सूर्य-किरण, घी, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली और मछली के यकृत का तेल। |
| विटामिन ई | शुक्रदोष-नाशक, प्रजनन-शक्ति देना | हरी पत्तीवाले साग, जैतून का तेल, नारियल का तेल, नारियल, गेहूँ का चोकर, सलाद, मक्खन, सूखा माँस और दूध। |
| विटामिन जी | चमड़े का रूखापन दूर करना। | कोमल साग-तरकारियाँ, ताजा फल, मसूर, मटर, गेहूँ, हाथ-छाँटा चावल, धारोष्ण दूध, ताजा मक्खन, अंडा। |

## कागज के आकार

फुल्सकैप—१७″ × १३½″
डबल फुल्सकैप—२७″ × १७″
क्राउन—२०″ × १४″
डबल क्राउन—२०″ × ३०″
डिमाई—२२″ × १८″ (२२½″ × १७½″ भी)
डबल डिमाई—२२″ × ३६″ (२२½″ × ३५″ भी)
रायल—२६″ × २०″ (२५′ × २०″ भी)
सुपर रायल—२७½″ × २०½″
मीडियम—२३″ × १८″
एटलस—३४″ × २६″
इम्परर—७२″ × ४८″ ( सं० रा० अमेरिका में ४०″ × ६०″ )

★

# विश्व के विभिन्न महादेश और देश

पृथ्वी का धरातल – यह पृथ्वी जल और स्थल दो भागों में बँटी है। इसका दो-तिहाई से अधिक भाग जल और एक-तिहाई से कम भाग स्थल है। किसी विद्वान् ने हिसाब लगाकर जल और स्थल का अनुपात ७०·८ और २६·२ माना है। समुद्र का क्षेत्रफल १४ करोड़ वर्गमील और स्थल का क्षेत्रफल ५ करोड़, ७० लाख वर्गमील है। सारे संसार की जन-संख्या सन् १६५५ के अनुमान के अनुसार, २ अरब, ५८ करोड़, ६० लाख है। समुद्र का आधा से अधिक भाग १२ हजार फुट से २५ हजार फुट तक गहरा है। स्थल का सबसे ऊँचा भाग ( हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट ) समुद्र-तल से २६,१५० फुट ऊँचा है। भारत की प्राचीन पुस्तकों में सप्त समुद्र की बात लिखी है, परन्तु इस समय पाँच महासागरों की ही गणना की जाती है—प्रशान्त महासागर, अतलान्तिक महासागर, भारतीय महासागर, उत्तरी महासागर और दक्षिणी महासागर। पृथ्वी के जल-भाग के आधे में प्रशान्त महासागर और एक चौथाई में अतलान्तिक महासागर हैं। शेष एक चौथाई के अधिकांश भाग में भारतीय महासागर और थोड़े-से भाग में उत्तरीय ध्रुव के चारों ओर का उत्तरी महासागर और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर का दक्षिणी महासागर हैं।

यह पृथ्वी साधारणतः दो गोलार्द्धों में बाँटी जाती है। एक को पूर्वी गोलार्द्ध और दूसरे को पश्चिमी गोलार्द्ध कहते हैं। पूर्वी गोलार्द्ध में एशिया, यूरोप, अफ्रिका और अस्ट्रेलिया या ओसिनिया महादेश हैं तथा पश्चिमी गोलार्द्ध में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पश्चिमी गोलार्द्ध की अपेक्षा पूर्वी गोलार्द्ध में स्थल-भाग अधिक है। फिर, यह भूमंडल भूमध्य-रेखा द्वारा प्राकृतिक रूप से अन्य दो भागों में बाँटा गया है—उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध। दक्षिणी गोलार्द्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्द्ध में स्थल-भाग अधिक है।

## एशिया महादेश

यूरोप और एशिया महादेश एक प्रकार से मिले हुए हैं और इस सम्मिलित महादेश को 'यूरेशिया' कहा जाता है। यूराल पर्वतमाला और यूराल नदी एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। एशिया संसार का सबसे बड़ा महादेश है। इसका विस्तार भू-पृष्ठ के एक तिहाई भाग में है और यहाँ संसार का दो-तिहाई जन-समूह निवास करता है। यह पूरब से पश्चिम ६,७०० मील लम्बा और उत्तर से दक्षिण ५,६०० मील चौड़ा है। यह १½° से ७२½° उत्तरीय अक्षांश और २६° से १७०° पूर्वी रेखांश तक फैला हुआ है। यह महादेश यूरोप के चौगुना से भी कुछ अधिक बड़ा है। यूरोप और अफ्रिका मिलकर या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका मिलकर क्षेत्रफल में इसकी बराबरी कर सकते हैं।

एशिया महादेश का समुद्री किनारा ४४ हजार मील लम्बा है। यह महादेश पाँच प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है—उत्तर-पश्चिम का समतल मैदान, बीच का पहाड़ी भाग, दक्षिण का समतल मैदान, दक्षिण का पहाड़ी भाग और दक्षिण-पूरब के द्वीप-समूह। रूस को छोड़कर इस महादेश का क्षेत्रफल १,६७,६७,४२६ वर्गमील और जन-संख्या १ अरब, ४८ करोड़, १० लाख है। रूस और टर्की एशिया एवं यूरोप दोनों महादेशों के अन्दर हैं, किन्तु दोनों के अधिकांश भाग एशिया में पड़ते हैं।

एशिया प्राचीन काल में सारी दुनिया के लिए सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र-स्थल था। हिन्दू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, कनफूसियनिज्म, यहूदी, पारसी आदि धर्मों की उत्पत्ति यहीं हुई। प्राचीन मानव-वंश के अनुसार यहाँ मुख्यतः मंगोलियन, काकेशियन और मलय-जाति के लोग हैं। चीन, जापान, कोरिया, थाइलैंड (स्याम) और तिब्बत के रहनेवाले मंगोल-जाति के समझे जाते हैं। बर्मा, नेपाल और इण्डोनेशिया के वासी भी मंगोल के ही वंशज हैं। रूसी भी मंगोल ही माने जाते हैं। फारस और अफगानिस्तान के निवासी मुख्यतः काकेशियन हैं। काकेशियन को इंडो-यूरोपियन भी कहते हैं। भारत और अरब के निवासी काकेशियन हैं। गर्म देश में रहने के कारण ये कुछ काले पड़ गये हैं।

राजनीतिक दृष्टि से एशिया को ६ भागों में बाँटा जाता है—(१) पश्चिमी एशिया, जिसे यूरोपवाले निकट-पूर्व (नियर ईस्ट) कहते हैं; (२) उत्तरी एशिया, जिसे रूसी एशिया भी कहा जाता है; (३) पूर्वी एशिया, जिसे यूरोपवाले सुदूरपूर्व (फार ईस्ट) कहते हैं; (४) हिन्द-चीन; (५) भारत और (६) भारतीय महासागर तथा प्रशान्त महासागर के टापू।

पश्चिमी एशिया में तुर्की (एशिया माइनर), इराक, लेबनान, इजरायल, सीरिया, अरब, ईरान (फारस या पर्सिया) और अफगानिस्तान देश हैं। पूर्वी एशिया के अन्दर चीन (दक्षिण मंगोलिया, मंचूरिया, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत-सहित), उत्तर मंगोलिया, कोरिया और जापान हैं।

हिन्द-चीन के अन्दर भारत और चीन के बीच का प्रायद्वीप आता है, जिसमें फ्रांसीसी हिन्द-चीन, थाइलैंड, मलाया, स्ट्रेट सेटलमेण्ट और बर्मा (ब्रह्मदेश) हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत के अन्दर भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान की गिनती हो जाती है। भारत के निकटवर्ती द्वीपों में लंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेबीज, न्यूगीनी और फिलिपाइन द्वीपपुंज हैं।

## अफगानिस्तान

स्थिति—पश्चिम पाकिस्तान से पश्चिम; क्षेत्रफल—२,५०,००० वर्गमील; जन-संख्या—१,२०,००,०००(१९५३); राजधानी—काबुल; मुख्य भाषाएँ—पश्तो और फारसी; धर्म—इस्लाम; सिक्का—अफगानी रुपया; बादशाह—मुहम्मद जहीरशाह (१९३३ से); प्रधान-मंत्री—जेनरल मुहम्मद दाऊद खाँ; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतन्त्र। मुख्य नगर—कन्धार, हेरात, मजारे-शरीफ, जलालाबाद।

अफगानिस्तान सात बड़े प्रान्तों और चार छोटे प्रान्तों में बँटा है। यहाँ की पार्लियामेण्ट के अन्तर्गत बादशाह, सिनेट एवं नेशनल एसेम्बली हैं। इनके अतिरिक्त ग्रैण्ड एसेम्बली और कौंसिल ऑफ् स्टेट भी हैं। यहाँ का मुख्य शहर कंधार है, जिसका प्राचीन नाम गांधार था और जिसका उल्लेख महाभारत आदि ग्रंथों में हुआ है। यहाँ का मुख्य सामुद्रिक द्वार पाकिस्तान के अन्तर्गत

कराची है। अतः, इस देश के व्यापार और यातायात की कुंजी पाकिस्तान के हाथ में है। यह एक मुस्लिम राज्य है। राज्य के अधिकांश निवासी सुन्नी मुसलमान हैं। सन् १९३२ ई० में यहाँ काबुल-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सन् १९५६ ई० के राजीनामे के अनुसार रूस अफगानिस्तान के नव-निर्माण में सहायता पहुँचा रहा है।

## अदन

यह अरब के दक्षिण में दो भागों में विभक्त है—(१) अदन उपनिवेश, और (२) अदन संरक्षित। दोनों भागों के लिए एक ही ब्रिटिश गवर्नर और कमाण्डर-इन-चीफ रहता है।

## अदन उपनिवेश

स्थिति—अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम, अदन खाड़ी के तट पर; क्षेत्रफल—७५ वर्गमील; जन-संख्या—१,३८,४४१; राजधानी—अदन; गवर्नर और कमाण्डर-इन-चीफ—सर चार्ल्स जेम्सटन (अक्टूबर १९६० से); शासन-स्वरूप—ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य; मुख्य नगर—क्रेटर, शेख ओथमान, तावाही और माला।

अदन उपनिवेश के अंतर्गत अदन, छोटा अदन, शेख ओथमान नगर, इमाद और हिसवा ग्राम तथा पेरिम और कुरिया-मुरिया द्वीप हैं। सन् १८३९ ई० में ब्रिटेन ने इसपर आधिपत्य जमाया। तब से सन् १९३२ ई० तक यह बम्बई प्रेसिडेन्सी का राज्य माना जाता रहा। सन् १९३२ ई० में यह भारत-सरकार के अधीन चीफ कमिश्नर का प्रान्त बना। सन् १९३७ ई० में यह सीधे ब्रिटिश सम्राट् के अधीन शाही उपनिवेश बनाया गया तथा यहाँ के शासन के लिए एक गवर्नर और कमाण्डर-इन-चीफ नियुक्त हुआ। इसकी सहायता के लिए एक कार्य-पालिका-समिति और एक विधान-समिति संगठित की गई। सन् १९५९ ई० में इनका पुनस्संगठन किया गया। सन् १९६१ से कार्यपालिका-समिति के सदस्य मंत्री कहलाने लगे। पेरिम और कुरिया-मुरिया टापू एक-एक कमिश्नर की सहायता से सीधे गवर्नर द्वारा शासित हैं। अदन एक प्रसिद्ध बन्दरगाह और हवाई अड्डा है। यहाँ भी पेट्रोलियम की खान है।

## अदन संरक्षित

स्थिति—अदन उपनिवेश के पूरब, पश्चिम और उत्तर; क्षेत्रफल—१,१२,००० वर्गमील; जन-संख्या—६,५०,०००।

यह पूर्वी और पश्चिमी—दो क्षेत्रों में बँटा है। यहाँ ७ सुल्तान, २ अमीर और १० शेख अपने-अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार के साथ हुई सन्धि के अनुसार शासन करते हैं। ये सब अदन उपनिवेश के गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हैं।

## अरब

अरब प्रायद्वीप एशिया के दक्षिण-पश्चिम भाग में लगभग १२ लाख ५० हजार वर्गमील में विस्तृत है। यहाँ की जन-संख्या लगभग सवा करोड़ है। अरब एक अधित्यका (प्लेटो) है, जो पश्चिम से पूरब की ओर ढालुआ है। इसमें कोई नदी या जंगल नहीं है। यह मुख्यतः एक मरुभूमि है, जिसमें जगह-जगह हरित-भूमियाँ हैं।

सातवीं शताब्दी में मुहम्मद साहब ने सभी अरबों को एक संगठन-सूत्र में बाँधा तथा उनके बाद खलीफों ने एक विशाल साम्राज्य कायम किया, जिसकी राजधानी मदीना थी। आगे चलकर इस साम्राज्य की राजधानी दमिश्क और बगदाद हुई। किन्तु मक्का और मदीना-जैसे तीर्थ-स्थलों के कारण इसका महत्त्व सदैव बना रहा। १६वीं और १७वीं सदी में अरब के अधिकांश भाग पर तुर्कों ने नाम-मात्र को अपना शासन कायम किया। १८वीं शताब्दी के मध्य में यह कई राज्यों में विभक्त हो गया। १६वीं शताब्दी में स्थानीय शासक से समझौता कर अँगरेजों ने इसके दक्षिणी एवं पूर्वी तटों पर अपना शासन कायम किया। यहाँ की मिट्टी तेल की खानों तथा फिलस्तीन के साथ हुए झगड़े के कारण द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद इसकी प्रमुखता बढ़ गई। इस समय यह निम्नांकित ६ राज्यों में विभक्त है—(१) सऊदी अरब; (२) कुवैत; (३) बहरीन द्वीपपुंज; (४) कातर; (५) ट्रूशियल कोस्ट; (६) ओमान और मुसकैत; (७) अदन उपनिवेश; (८) अदन संरक्षित राज्य; (६) यमन।

(१) सऊदी अरब—इसका विवरण पृथक् दिया गया है।

(२) कुवैत—यह इराक और सऊदी अरब के बीच फारस की खाड़ी के किनारे एक स्वतंत्र अरब राज्य है। इसका क्षेत्रफल ८,००० वर्गमील, जन-संख्या २,४०,००० और राजधानी कुवैत है। यहाँ संसार-प्रसिद्ध तेल की खानें हैं। यहाँ का शासक शेख अब्दुल्ला है। सन् १६६० ई० में यहाँ की खानों से ८४ लाख टन पेट्रोलियम निकाला गया था।

(३) बहरीन-द्वीप-पुंज—यह द्वीप-पुंज फारस की खाड़ी के पास ग्रेटब्रिटेन के संरक्षण में स्वतंत्र है। इसका क्षेत्रफल २३१ वर्गमील, जन-संख्या १,२५,००० तथा राजधानी मानामाह है। यहाँ पेट्रोलियम की खानें हैं। इसका शासक शेख सुलेमान-बिन-अहमद-अल-खलीफा था, जिसकी मृत्यु २ नवम्बर, १६६१ को हो गई।

(४) कातर—यह फारस की खाड़ी के किनारे एक छोटा-सा प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल ८,५०० वर्गमील और जन-संख्या ३० हजार है। यह ब्रिटिश संरक्षण में एक शेख द्वारा शासित होता है। यहाँ का वर्त्तमान शासक शेख अहमद-बिन अली-बिन अब्दुल्ला अलकानी है। इसकी राजधानी डोहा है। सन् १६६० ई० में यहाँ की खानों से ८३ लाख टन पेट्रोलियम निकाला गया।

(५) ट्रूशियल कोस्ट—यह फारस और ओमान की खाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ का क्षेत्रफल ३२,२७८ वर्गमील और जन-संख्या ८० हजार है। यह सात अर्ध-स्वतंत्र शेखों द्वारा शासित होता है और १८६२ ई० में ब्रिटेन के साथ हुई सन्धियों के अनुसार कोई शेख यहाँ की भूमि का कोई भी भाग किसी दूसरे राष्ट्र को नहीं दे सकता।

(६) ओमान और मुसकैत—यह अरब-सागर के किनारे अरब के दक्षिण-पूरब भाग में स्थित है। यहाँ का क्षेत्रफल ८२,००० वर्गमील और जन-संख्या ५,५०,००० (१६५१) है। १६वीं सदी से यह ब्रिटेन के संरक्षण में है। यहाँ का सुल्तान सैयद-बिन तैमूर है।

(७) अदन उपनिवेश—इसका विवरण अन्यत्र दिया गया है।

(८) अदन संरक्षित—इसका विवरण अलग दिया गया है।

(६) यमन—इसका विवरण अलग दिया गया है।

## आरमेनिया

यह एशिया माइनर का वह भू-भाग है, जहाँ आरमेनियन जाति के लोग रहते हैं। इनकी अपनी एक भिन्न संस्कृति तो है, पर अपनी कोई राष्ट्रीय सरकार नहीं है, जिसके लिए ये सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। इस समय इस भू-भाग के कुछ अंश ईरान में, कुछ तुर्की में और कुछ रूस में हैं।

## इजराइल

स्थिति—एशिया महादेश के भूमध्यसागर, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र देश से घिरा; क्षेत्रफल—७,९९३ वर्गमील; जन-संख्या—२०,८८,००० (१९६०); राजधानी—जेरूसलम; भाषा—हिब्रू; धर्म—यहूदी; सिक्का—इजराइली पौंड; राष्ट्रपति—इजहाक बेन-जवी (१९५७ से); प्रधानमंत्री—डेविड बेन गुरियन (१९५८ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—हैफा, तेलअवीव, जाफा।

यहूदी-जाति एशिया के प्राचीन देश फिलस्तीन (पैलेस्टाइन) में अरबों के साथ ईसा के हजार वर्ष पूर्व से रहती थी। ईसा के ७० वर्ष बाद रोमन लोगों ने इन्हें जीतकर तितर-बितर कर दिया। इधर यहूदी लोग बहुत दिनों से अपने एक देश के निर्माण के लिए आन्दोलन करते आ रहे थे। ग्रेटब्रिटेन ने सन् १९१७ ई० में ही इसके सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। सन् १९४८ ई० में यहूदियों ने राष्ट्रीय कौंसिल में पैलेस्टाइन के अधिकांश भाग इजराइल को यहूदियों का देश घोषित कर दिया। इसपर अरब-राष्ट्रों ने चढ़ाई कर दी, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर उन्हें हटना पड़ा। पैलेस्टाइन के दो भाग कर दिये गये—इजराइल और अरब-राज्य। जेरूसलम का शासन संयुक्त राष्ट्रसंघ के गवर्नर के अधीन रहा। पैलेस्टाइन अब ब्रिटेन का शासनादिष्ट राज्य नहीं रहा। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य हुआ। यहाँ की पार्लियामेण्ट का एक ही सदन है। वही यहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। यह कृषि-प्रधान देश है। यहाँ राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहकारिता का विकसित रूप देखने को मिलता है। थोड़े समय में ही इस राष्ट्र ने अच्छी उन्नति कर ली है।

## इण्डोनेशिया

स्थिति—एशिया महादेश का पूर्वी द्वीप-समूह; क्षेत्रफल—७,३५,८६५ वर्गमील; जन-संख्या—९,००,००,००० (१९५९); राजधानी—जकार्ता; भाषा—बहासा-इण्डोनेशिया; धर्म—मुस्लिम; राष्ट्रपति—डॉ० सुकार्णो (१९४९ से); जुलाई १९५९ ई० से प्रधानमंत्री भी; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

संयुक्तराज्य इंडोनेशिया का विधिवत् उद्घाटन १ जनवरी, १९५० को किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप-समूह है। इसमें पूर्वी द्वीप-समूह (ईस्ट इण्डीज) के जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलेबिज, बाली आदि द्वीपों के अतिरिक्त करीब ३,००० छोटे-छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। यहाँ के अधिकांश बड़े द्वीप प्राचीन काल में भारतीय अधिराज्य थे। अब भी यहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनेक चिह्न वर्त्तमान हैं। हमारे प्राचीन साहित्य में यव (जावा), स्वर्ण-द्वीप (सुमात्रा), बलिन् (बाली) आदि के नाम आये हैं। बाली द्वीप में आज भी हिन्दू-धर्मावलम्बियों की संख्या

सबसे अधिक है। १३वीं सदी में यहाँ मुसलमानों का आक्रमण हुआ। १६वीं सदी में पुर्त्तगाली व्यापारी यहाँ आये। फिर, डच लोगों का आगमन हुआ। उस समय से इन द्वीपों को लोग 'डच इण्डीज' कहने लगे। द्वितीय महासमर के समय सन् १९४२ ई० से १९४५ ई० तक यह जापानियों के अधिकार में रहा और उसके बाद फिर डचों के अधिकार में आ गया। यहाँ मुस्लिम-जाति के लोग अधिक हैं। देश की ८० प्रतिशत जनता कृषि-कार्य में संलग्न है। सन् १९४२ ई० तक यह नेदरलैण्ड का एक उपनिवेश था, परन्तु १९४५ ई० में इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ४ वर्षों के संघर्ष के बाद नेदरलैंड ने १६ दिसम्बर, १९४९ को इसे पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया।

जुलाई, १९५९ ई० में राष्ट्रपति डॉ० सुकर्णो ने संविधान-परिषद् को तोड़कर सन् १९४५ ई० के क्रान्तिकारी संविधान को लागू किया, जिसके अनुसार उसे वास्तव में अधिनायक का अधिकार मिल गया।

## इराक

स्थिति—एशिया महादेश में ईरान, तुर्किस्तान और अरब से घिरा; क्षेत्रफल—१,७५,००० वर्गमील; जन-संख्या—६५,३८,१०९ (१९५७); राजधानी—बगदाद; भाषा—अरबी और खुरदीस; धर्म—मुस्लिम; सिक्का—दीनार; संप्रभुता-परिषद् का अध्यक्ष—जेनरल नजीब-अल-रुबाई (१९५८ से); प्रधानमंत्री—जेनरल अब्दुल करीम-अल-कासिम (१९५८ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र। मुख्य नगर—मोसल और बसरा।

दजला और फुरात नदियों की घाटियों में बसा यह देश प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का पालना कहा जाता है। इस देश का प्राचीन नाम 'बैबिलोन' था। पीछे इसका नाम 'मेसोपो-टामिया' और फिर 'इराक' पड़ा। प्राचीन बैबिलोन नगर का खँडहर बगदाद के पास ही है। यह संसार के बड़े तेल-उत्पादक देशों में एक है। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व यह तुर्की के अधीन था। इस युद्ध के बाद तुर्की से मुक्त होकर ब्रिटेन के संरक्षकत्व में रहा। सन् १९२७ ई० की संधि के अनुसार इसे पूर्ण स्वतंत्रता मिली। जुलाई, १९५८ में यहाँ एक बड़ी जनक्रान्ति हुई, जिसके पीछे सैनिक-शक्ति भी थी। इस क्रान्ति में यहाँ के शाह फैजल, उसके चाचा और प्रधानमंत्री नूरी-अल-सैद मारे गये और जेनरल अब्दुल करीम-अल-कासिम के प्रधानमंत्रित्व में नवीन गणतांत्रिक शासन आरम्भ हुआ। इराक पहले बगदाद सैनिक-संगठन का सदस्य था, किन्तु अब यह संयुक्त अरब-संघ से संबद्ध हो गया है।

## ईरान (फारस या पर्सिया)

स्थिति—एशिया महादेश में अफगानिस्तान, इराक और फारस की खाड़ी से घिरा; क्षेत्र-फल—६,२८,०६० वर्गमील; जन-संख्या—१,८९,४४,८२१ (१९५६); राजधानी—तेहरान; भाषा—ईरानी; धर्म—इस्लाम; सिक्का—रीअल; बादशाह—मुहम्मद रेजा पहलवी; प्रधान-मंत्री—डॉ० जफर शरीफ इमामी (अगस्त, १९६० से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र; मुख्य नगर—तबरेज, इस्फहान, मराद, अबादान, शिराज, करमनशाह, अहवान, रशत और हमदाम।

फारस या पर्सिया एशिया का एक प्राचीन देश है, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी का सन् १९३५ ई० में नया नाम 'ईरान' पड़ा है। इसकी प्राचीन राजधानी अस्फहान थी, फिर शिराज हुई। शिराज में ही यहाँ के दो प्रसिद्ध कवि—हाफिज और शेखसादी—का जन्म हुआ था। इसका बहुत बड़ा भाग मरुभूमि और पर्वतों से से ढका हुआ है। कृषि यहाँ का

मुख्य व्यवसाय है। यहाँ मिट्टी तेल की सबसे बड़ी खान है। यहाँ के निर्यात की वस्तुओं में मुख्य यही है। यहाँ कालीन बनाने का उद्योग भी अत्यन्त विकसित है। यहाँ की पार्लियामेण्ट के दो सदन हैं। शाह ही यहाँ के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, किन्तु प्रधानमंत्री यहाँ की पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

यहाँ की तेल की खानें मुख्यतः ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, नेदरलैंड आदि देशों की कम्पनियों के हाथ में हैं। सन् १६५१ ई० में यहाँ के प्रधानमंत्री डॉ० मुहम्मद मुसादेग ने इन खानों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से विदेशी कम्पनियों क कारोबार बंद कर दिया। इसपर ग्रेट-ब्रिटेन, अमेरिका आदि ने घोर विरोध किया। इधर खानों के बंद होने से देश में बेकारी बढ़ी। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर ग्रेट-ब्रिटेन आदि विदेशी शक्तियों ने यहाँ की सरकार को विघटित कर प्रधानमंत्री मुहम्मद मुसादेग को तीन वर्ष के लिए कैद कर लिया और वे अपने अनुकूल नया शासन कायम करने में समर्थ हुईं।

## कम्बोडिया

स्थिति—हिन्दचीन के दक्षिण-पश्चिम; क्षेत्रफल—८८,७८० वर्गमील; जन-संख्या—५०,४०,००० (१६५८); राजधानी—नोमपेन्ह; भाषा—कम्बोडियन या खमेर; धर्म—बौद्ध; शासक—राजकुमार नॉरोदोम सिहानुक (३ अप्रैल, १६६० से; प्रधानमंत्री—सैमडेक पेन नॉथ (२६ जनवरी, १६६१ से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र। मुख्य नगर—बटमबंग, कोमपोंगछाम।

खमेर-जातियों का यह राज्य प्राचीन भारत में 'कम्बुज' के नाम से प्रसिद्ध था। १६वीं सदी में यह फ्रांसीसियों के संरक्षण में आया और सन् १६४६ ई० में फ्रेंच यूनियन के अन्दर एक एसोसिएट स्टेट हुआ। एक पृथक् राज्य के रूप में कम्बोडिया के निर्माण की चर्चा फ्रांसीसी हिन्द-चीन के प्रसंग में की गई है। यहाँ के राजा नॉरोदोम सुरामृत के बाद उसका पुत्र नॉरोदोम सिहानुक राजा था। अन्तरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण-आयोग से मतभेद होने पर अपने पिता के लिए उसने राजगद्दी छोड़ दी और जनान्दोलन में सम्मिलित हो गया तथा सितम्बर, १६५५ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया। मार्च, १६५८ के निर्वाचन में वह पुनः प्रधानमंत्री हुआ। किन्तु अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् वह प्रधानमंत्री-पद से त्याग-पत्र देकर अप्रैल, १६६० से राजा -न गया। परराष्ट्र-नीति में उसने तटस्थता की नीति अख्तियार की है। यहाँ की संसद् के दो सदन हैं।

## कोरिया

स्थिति—उत्तर-पूर्वी एशिया में मंचूरिया और जापान के बीच; क्षेत्रफल—८५, २६६ वर्गमील; जन-संख्या—३,०६,७३,६६२ (१६५६); राजधानी—सिउल; भाषा—कोरियन, चीनी, जापानी; धर्म—बौद्ध, ताओइष्ट, कनफ्यूसियन और ईसाई। सिक्का—येन।

यह ५०० वर्षों तक चीन के अधीन रहा, परन्तु जापान ने सन् १६१० ई० में इसे अपने अधीन कर लिया। सन् १६४५ ई० में पोट्सडम-सम्मेलन में ३८° अक्षांश-रेखा, कोरिया पर सोवियत और अमेरिकी आधिपत्य की सीमा-रेखा मानी गई। इस प्रकार कोरिया दो भागों में विभक्त हो गया—उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। पीछे दोनों भागों को मिलाने के बराबर प्रयत्न होते रहे, पर इस कार्य में अभी तक सफलता नहीं मिली है।

**उत्तर कोरिया (पिपुल्स डेमोक्रैटिक रिपब्लिक)**—स्थिति—एशिया के पूरब जापान-सागर और पीतसागर से घिरा; क्षेत्रफल—४६, ८१४ वर्गमील; जन-संख्या—८०,००० (१९५९) से अधिक; राजधानी—प्योंगयांग; भाषा—कोरियन, चीनी, जापानी; धर्म—ईसाई, कनफ्यूसियन और बौद्ध; प्रेसिडियम का अध्यक्ष—मौंगब्न चोई (१९४८ से); प्रधान-मंत्री—किम-इल-शुंग (१९४८ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र।

मई, १९४५ में कम्युनिस्टों ने यहाँ 'पिपुल्स डेमोक्रैटिक रिपब्लिक' नाम से स्थायी सरकार कायम की। जून, १९५० में जब इसने दक्षिण-कोरिया पर चढ़ाई की, तब अमेरिकी सेना ने आकर इसका सामना किया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर मामला शान्त हुआ। जुलाई, १९५३ में युद्ध-विराम-संधि हुई, जिसमें कोरिया के संबंध में एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन करने का विचार हुआ। परन्तु यह सम्मेलन नहीं हो सका।

**दक्षिण कोरिया (रिपब्लिक ऑफ कोरिया)**—स्थिति—पूर्वी एशिया में पीतसागर और जापान-सागर से घिरा; क्षेत्रफल—३८,४५२ वर्गमील; जन-संख्या–२,२६,७२,९६२ (१९५९); **राजधानी**—सिउल; भाषा—कोरियन, चीनी; धर्म—ईसाई; **राष्ट्रीय सर्वोच्च परिषद् का प्रधान**—जेनरल पक चुङ्ग हुई; **शासन-स्वरूप**—सैनिक अधिनायकतंत्र (१९६१ से); **मुख्य नगर**—पुसान, तैगू और इंचोन।

इसका निर्माण सन् १९४८ ई० में हुआ। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहाँ का राष्ट्रपति सार्वजनिक मत से चुना जाता है और वही मंत्रिमंडल कायम करता है।

१५ मार्च, १९६० को हुए चतुर्थ निर्वाचन में डॉ० सिंगमन री पुन: राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इससे देश के नवयुवकों, विशेष कर विद्यार्थी-वर्ग, ने १९ अप्रैल, १९६० को विद्रोह कर दिया, जिसके फलस्वरूप २६ अप्रैल को डॉ० री को त्याग-पत्र देना पड़ा। उपराष्ट्रपति ली-की-पुंग ने सपरिवार आत्महत्या कर ली। २९ जुलाई, १९६० को हुए निर्वाचन में डेमोक्रैटिक पार्टी की जीत हुई। ३ मई, १९६० को डॉ० म्युन चांग राष्ट्रपति चुने गये। एक सैनिक-विद्रोह के फलस्वरूप १६ मई, १९६१ से यहाँ सैनिक अधिनायकतंत्र स्थापित है।

## चीन

स्थिति—एशिया का पूर्वी भाग; क्षेत्रफल—२२,७९,१३४ वर्गमील; जन-संख्या–७०,००,००, ००० (१९६१ का अनुमान); **राजधानी**—पीपिंग (पेकिंग); भाषा–चीनी; **धर्म**—बौद्ध, कनफ्यूसियन; सिक्का—चीनी डालर; **राष्ट्रपति**—ल्यु-साओ-ची (१९५९ से); उप-**राष्ट्रपति**—सुंग चिंग-लिंग (श्रीमती सनयात सेन); **प्रधानमंत्री**—चाऊ-एन-लाई; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (सोवियत ढंग का); **मुख्य नगर**—संघाई, तिएन्तसिन, शेन्यांग, वूहन, चुंकिंग, सियांग, कैण्टन, पोर्ट आर्थर-डैरेन, नानकिंग, सिंगताव, हरबिन, तैयुआन और अनशान।

बृहत्तर चीन के अन्दर चीन, मंगोलिया, मंचूरिया, सिक्यांग (चीनी तुर्किस्तान) और तिब्बत हैं। खास चीन के २४ प्रांत हैं। यह कृषि-प्रधान देश है, पर अब यहाँ उद्योग-धन्धे भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। २,२०० वर्ष पूर्व चीनियों ने मध्य एशिया के तातार लोगों के आक्रमण से बचने के लिए १४०० मील लम्बी एक मजबूत और चौड़ी दीवार बनाई थी। इसकी ऊँचाई लगभग १६ से २५ फीट तक है। यह दीवार अब भी ज्यों-की-त्यों खड़ी है।

यहाँ सन् १९१२ ई० में डॉ० सनयात सेन के नेतृत्व में प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। सन् १९२७ ई० से च्यांग-काई-शेक यहाँ का वास्तविक शासक रहा। सन् १९४८ ई० में वह राष्ट्रपति भी बना। यहाँ की राष्ट्रीय सरकार के साथ चीनी कम्युनिस्टों का कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अन्त में कम्युनिस्ट विजयी हुए और अक्टूबर, १९४९ में यहाँ पीविंग (पेकिंग) में माओ-त्से-तुंग के अधीन नई कम्युनिस्ट सरकार कायम हुई। च्यांग-काइ-शेक चीन की मुख्य भूमि से भागकर इसके एक पूर्वी टापू फारमोसा (तैवान) में चला गया और वहीं उसने संयुक्तराज्य अमेरिका की छत्रच्छाया में अपनी राष्ट्रीय सरकार कायम की।

कम्युनिस्ट चीन के राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ की कौंगरेस द्वारा ४ वर्षों के लिए होता है। यही वहाँ का मंत्रिमंडल बनाता है और प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है। माओ-त्से-तुंग के बाद लियो-साओ-ची वहाँ का वर्त्तमान राष्ट्रपति है। कौंगरेस के सदस्यों की संख्या १,२२६ है। ग्रेटब्रिटेन, भारत आदि बहुतेरे राष्ट्रों ने कम्युनिस्ट चीन-सरकार को मान्यता दी, पर संयुक्तराज्य अमेरिका अब भी मान्यता नहीं दे रहा है और न इसे राष्ट्रसंघ का सदस्य होने देता है।

प्राचीन काल से चीन का भारत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है। पर इधर कुछ वर्षों से सीमा-सम्बन्धी प्रश्न पर दोनों के सम्बन्ध में कटुता उत्पन्न हो गई है। सन् १९५५ ई० से ही चीन भारत की उत्तरी सीमावर्ती ५७,००० वर्गमील भूमि को अपने नक्शे में दिखा रहा है। सन् १९५९ ई० से अबतक उसने भारत की उत्तरी सीमा के लोंगजू और लद्दाख-क्षेत्र के लगभग १२,००० वर्गमील भूभाग पर अधिकार भी कर लिया है। भारत-सरकार की ओर से साम्यवादी चीन के इस कार्य को प्रथमाक्रमण बताकर इसका तीव्र विरोध किया जा रहा है। अगस्त, १९६० में चीन ने नेपाल के मुस्तांग-क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग ले लिया है।

मंगोलिया (भीतरी)—यह चीन के उत्तरी भाग में है। सम्पूर्ण मंगोलिया दो भागों में बँटा है—उत्तरी मंगोलिया और दक्षिणी मंगोलिया। उत्तरी मंगोलिया, जो बाहरी मंगोलिया भी कहलाता है, अब एक स्वतन्त्र राष्ट्र है, जिसकी चर्चा अन्यत्र की गई है। दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया कम्युनिस्ट चीन के अधीन है। यह तीन प्रान्तों में विभक्त है। यहाँ का क्षेत्रफल १५ लाख वर्गमील और सन् १९५३ ई० की जन-गणना के अनुसार जन संख्या ६१,००,१०४ है। मई, १९४७ में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे स्वशासित गणतन्त्र बनाया। इसकी राजधानी हुहेहोत (क्वीसुई) है।

मंचूरिया—यह चीन के उत्तर-पूर्वी कोने पर है। इसका क्षेत्रफल ४,०४,४२८ वर्गमील; जन-संख्या (जेहोल प्रान्त-सहित) ४,३२,३३,९५४ (१९४०) है। सन् १९३१ से १९४५ ई० तक यह जापानियों के हाथ में रहा। सन् १९४५ ई० में ही चीन-जापान-युद्ध के बाद यह पुनः चीन को लौटा दिया गया।

सिक्यांग (चीनी तुर्किस्तान)—यह चीन के उत्तर-पश्चिम कोने पर है। इसके अन्तर्गत चीनी तुर्किस्तान, कुलजा और काशगरिया हैं। इसका क्षेत्रफल ६,३३,८०२ वर्गमील तथा जन-संख्या ४०,४७,४५० (१९४८) है। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत पाये जाते हैं। सन् १९३३ ई० में इसे स्वशासन प्रदान किया गया।

तिब्बत—यह चीन के दक्षिणी भाग में है। इसकी दक्षिणी सीमा पर पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बर्मा हैं। इसका क्षेत्रफल ४,७५,००० वर्गमील और जन-संख्या

१०,००,००० है। इसकी राजधानी ल्हासा है। मुख्य नगर—चैम्डो और ग्यांश हैं। यहाँ के निवासी बौद्धधर्मावलम्बी हैं। इसने नाम-मात्र के विरोध के बाद मई, १९५१ की सन्धि के अनुसार साम्यवादी चीन का आधिपत्य स्वीकार किया। दिसम्बर, १९५३ में दलाई लामा और पंचन लामा के अर्द्ध-धार्मिक शासन में सुधार कर साम्यवादी तिब्बती स्वशासित सरकार की घोषणा की गई। अप्रैल, १९५८ में दोनों लामाओं ने चीनी साम्यवादी सरकार से विधिवत् अपील की कि वह स्वशासन का अधिकार तीव्र गति से बढ़ाये। किन्तु, ऐसा होना तो दूर रहा, उल्टे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के प्रति दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध जब चीनी सैनिकों ने कारखाई की, तब दलाई लामा विद्रोह कर बैठा, जिसमें हजारों तिब्बती मारे गये। अन्त में अपने को असमर्थ पाकर सन् १९५९ ई० में उसने भारत की शरण ली। इसपर चीन-सरकार ने पंचन लामा को तिब्बत का शासक बनाया। पीछे तिब्बत की इस गड़बड़ी के सम्बन्ध में मलाया और आयरलैंड ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने प्रश्न उठाये। किन्तु, अबतक संयुक्त राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका है। दलाई लामा के साथ और उसके बाद भी बहुत-से तिब्बती शरणार्थी के रूप में भारत में आकर रह रहे हैं।

## जापान

स्थिति—एशिया महादेश के पूरब; क्षेत्रफल—१,४२,६४४ वर्गमील; जन-संख्या—९,०९,००,००० (१९५७); राजधानी—टोकियो; भाषा—जापानी; धर्म—बौद्ध और सिन्तो; सिक्का—येन; सम्राट्—हिरोहितो (१९२८ से); प्रधानमंत्री—हयाता इकेदा (१८ जुलाई, १९६० से); शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र। मुख्य नगर—ओसाका, क्योतो, नगोया, याकोहामा और कोबे।

इसमें चार मुख्य द्वीपों—होन्शु (मुख्य भू-खंड), होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू—के अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे हजारों द्वीप सम्मिलित हैं। इन सबकी लम्बाई १,२०० मील और चौड़ाई २०० मील है। यहाँ का अधिकांश भाग पर्वतों से ढका है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यह अपने ढंग के उद्योग-धन्धों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह एशिया महादेश का सर्वाधिक उन्नतिशील देश है। द्वितीय महासमर में यह निरन्तर विजय प्राप्त करता हुआ भारत की सीमा तक चला आया था, किन्तु एकाएक संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने से इसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तब से यह अमेरिका के वश में रहा। सितम्बर, १९५१ में संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन आदि ४८ राष्ट्रों ने जापान के साथ सानफ्रांसिस्को में एक शान्ति-सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार जापान को स्वतन्त्र माना गया। भारत ने ९ जून, १९५२ को इसके साथ अलग सन्धि करके इसकी सार्वभौम सत्ता को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने जापान की सद्भावना-यात्राएँ करके दोनों देशों के बीच मैत्री-सम्बन्ध को सुदृढ़ किया है। रूस के साथ इसकी सन् १९५६ ई० में संधि हुई, जिसके अनुसार रूस ने हावोमाई और सिकोतन टापू लौटा देने, राष्ट्रसंघ में इसकी सदस्यता का समर्थन करने तथा एक-दूसरे के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया।

जुलाई, १९६० में संशोधित जापानी-अमेरिकी सुरक्षा-संधि स्वीकार की गई। इसके फल-स्वरूप जापान में विद्रोह फैल गया, जिससे नोबुसुके किशि ने १२ जुलाई, १९६० को प्रधानमंत्रित्व से

त्याग-पत्र दे दिया। इसके बाद इयाता इकेदा प्रधानमंत्री चुना गया। राजा यहाँ का केवल नाम-मात्र का प्रधान है। उसके हाथ में शासन-सत्ता-सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं है। यहाँ की पार्लमेण्ट (डाइट) के दो सदन हैं।

## जॉर्डन

स्थिति—पश्चिमी एशिया; क्षेत्रफल-३७,५०० वर्गमील; जन-संख्या—१६,००,००० (१६५६ का अनुमान); राजधानी—अम्मन; भाषा—अरबी; धर्म—मुस्लिम; सिक्का—जॉर्डनी दीनार; बादशाह—हुसैन प्रथम (१६५३ से); प्रधानमंत्री—बहजात तलहोउनी (अप्रैल, १६६१ से) शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

सन् १६४० ई० तक यह ट्रान्स-जॉर्डन (शर्क अरदन) के नाम से प्रसिद्ध रहा। यहाँ कृषि-योग्य भूमि बहुत कम है। यहाँ का अधिकांश भाग चरागाह है। पहले यह फिलस्तीन (पैलेस्टाइन) के अन्दर ब्रिटेन का एक आदिष्ट राज्य था। सन् १६४६ ई० में यह स्वतंत्र हुआ। मई, १६५६ में मिस्र के साथ इसकी एक सैनिक सन्धि हुई। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। सन् १६५७-५८ ई० में यहाँ के राष्ट्रवादियों ने मिस्र आदि की सहायता से ब्रिटेन के प्रभाव को दूर करने की बहुत कोशिश की, किन्तु वे सफल नहीं हुए। यहाँ मताधिकार केवल वयस्क पुरुषों को ही प्राप्त है। ३० अगस्त, १६६० को यहाँ के प्रधानमंत्री हज्जा-अल-मजाली की बारह अन्य अफसरों के साथ बम-विस्फोट के कारण मृत्यु हो गई। अप्रैल, १६६१ में यहाँ का नया मंत्रिमंडल बना।

## तुर्की (टर्की)

स्थिति—यूरोप और एशिया का मिलन-स्थान; क्षेत्रफल—२,६६,५०० वर्गमील; जन-संख्या—२,७८,०६,८३१ (१६६०); राजधानी—अंकारा; भाषा—तुर्की; लिपि—रोमन; धर्म—इस्लाम; सिक्का—तुर्की पौंड; प्रधानमंत्री—जेनरल सेमाल गुरसेल; शासन-स्वरूप—सैनिक-शासन। मुख्य नगर—इस्ताम्बुल, इजमिर, अदन, बरसा और एस्किसेहिर।

तुर्की (टर्की), अनातोलिया, एशिया-कोचक या एशिया-माइनर—ये सब नाम एक ही प्रायद्वीप के हैं। इस देश का अधिकांश भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में है। यूरोप में यह ६,२५४ वर्गमील तथा एशिया में २,८५,२४६ वर्गमील में फैला हुआ है। इन दोनों भागों के बीच मारमारा सागर है। यहाँ के निवासी तुर्क, आरमेनियन और कुर्द-जाति के लोग हैं। देश की करीब ७५ प्रतिशत जनता अपनी आय कृषि-उत्पादनों से प्राप्त करती है। सन् १६२३ ई० में यह मित्र-राष्ट्रों से स्वतंत्र हुआ। इसका प्रथम राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क था। यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है। यहाँ राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनकर स्वीकृति के लिए पार्लमेण्ट के पास भेजता है। यहाँ सन् १६५० ई० से डेमोक्रैटिक पार्टी ही लगातार सत्तारूढ़ रही, किन्तु उसके शासन की ज्यादती से ऊबकर २७ मई, १६६० को सेनापति सेमाल गुरसेल ने विद्रोह कर दिया और राष्ट्रपति सेलाल बयार, प्रधानमंत्री एडनन मेंडेरेस, मन्त्रिमण्डल के सदस्य, १६ गर्वनर आदि को गिरफ्तार कर स्वयं प्रधान शासक बन बैठा। १८ मास के सैनिक-शासन के बाद यहाँ १५ अक्टूबर, १६६१ को नये संविधानानुसार निर्वाचन किया गया, जिसमें यहाँ की जस्टिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। २५ अक्टूबर को पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया और गुरसेल बहुमत से यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया।

## तैवान (फारमोसा)

स्थिति—चीन का दक्षिण-पूर्व किनारा; क्षेत्रफल—१४,५८६ वर्गमील; जन-संख्या—१,००,००,००० (१९६० का अनुमान); राजधानी—ताइपी; राष्ट्रपति—जेनरलिसिमो च्यांग-काई-शेक; प्रधानमंत्री—जेनरल चेन चेंग।

यह द्वीप-समूह चीन का एक प्रान्त माना जाता है, जो चीन की मुख्य भूमि से ११० मील पूरब प्रशान्त महासागर में स्थित है। सन् १८९५ ई० में जापान ने इसपर अधिकार कर लिया था। द्वितीय विश्व-महायुद्ध में जापान के पराजित होने के बाद सन् १९४५ ई० में यह पुनः चीन के साथ मिला दिया गया। चीन की मुख्य भूमि पर साम्यवादी सरकार का आधिपत्य हो जाने के बाद चीन की राष्ट्रीय सरकार का प्रधान च्यांग काई-शेक भागकर यहीं चला आया और संयुक्तराज्य अमेरिका की छत्रच्छाया में उसने अपनी राष्ट्रीय सरकार कायम की। संयुक्त राष्ट्रसंघ में यही चीन का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसकी सुरक्षा-परिषद् का भी स्थायी सदस्य है। इसके संविधानानुसार यहाँ की नेशनल एसेम्बली का चुनाव छह वर्षों के लिए होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पाँच कौन्सिलें हैं, जिनमें एक मन्त्रिमण्डल की भाँति काम करती है। यहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन छह वर्षों के लिए होता है।

## थाईलैंड (स्याम)

स्थिति—दक्षिण-पूर्वी एशिया; क्षेत्रफल—२,००,१४८ वर्गमील; जन-संख्या—२,५५,००,००० (१९६० का अनुमान); राजधानी—बैंकॉक; भाषा—थाई; धर्म—बौद्ध; सिक्का—बहत, राजा—भूमिबोल अदुलयादेज; प्रधानमंत्री—फील्ड मार्शल सारिस्दी धनराजता; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

स्यामी लोग ईसा की छठी शताब्दी में मध्यचीन से इस देश में आये और तेरहवीं शताब्दी के आते-आते अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी राजधानी सुखोथाई थी। उसके बाद क्रमशः अयोध्या और थामपुरी में यहाँ की राजधानी रही। सन् १८२४ ई० में यहाँ अँगरेजों की सर्वोच्च सत्ता को मान्यता प्राप्त हुई, किन्तु राजा पूर्ववत् बना रहा। २४ जून, १९३२ को यहाँ सैनिक-क्रान्ति हुई, जिसके बाद संवैधानिक शासन कायम हुआ। द्वितीय महासमर के समय, सन् १९४१ से १९४५ ई० तक, यहाँ जापानियों का आधिपत्य रहा। २४ जून, १९३९ को यहाँ की सरकार ने इस देश का नाम स्याम से बदलकर 'थाईलैंड' तथा यहाँ के लोगों की जाति का नाम 'थाई' कर दिया। सन् १९५८ ई० के आरम्भ में यहाँ थोनोम कित्तिकाचोर्न के प्रधानमंत्रित्व में नई सरकार बनी थी, परन्तु अक्टूबर में ही सैनिक-क्रान्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप २० अक्टूबर, १९५८ को यहाँ के प्रधान सेनापति फील्ड-मार्शल सारिस्दी धनराजता ने शासनाधिकार अपने हाथों में ले लिया। तब से यही यहाँ का प्रधानमंत्री है और राजा नाम-मात्र का प्रधान शासक रह गया है। २८ जनवरी, १९५९ को यहाँ एक अन्तर्कालीन संविधान लागू किया गया। इसके अनुसार स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए २४० सदस्यों की एक संविधान-सभा गठित की गई। साथ ही, यह भी व्यवस्था की गई कि इस बीच फील्ड-मार्शल सारिस्दी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेगा।

यहाँ की ७० प्रतिशत भूमि जंगलों से ढकी है। देश के ९० प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर करते हैं। चावल के उत्पादन में संसार के अन्दर इसका छठा स्थान है। यहाँ से चावल, टीक की लकड़ी, रबर आदि विदेश भेजे जाते हैं।

## नेपाल

स्थिति—हिमालय और भारत के बीच; क्षेत्रफल—५४,३६२ वर्गमील; जन-संख्या—८४,७३,४७८ (१९५८); राजधानी—काठमाण्डू; भाषा—नेपाली; धर्म—हिन्दू; सिक्का—नेपाली रुपया; राजा—महेन्द्र वीर विक्रमशाह देव (१९५५ से); शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र।

इसकी लम्बाई ५०० मील और चौड़ाई करीब १५० मील है। हिमालय की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट इसके उत्तरी भाग में है। यहाँ के निवासी गुरखा, मागर, गुरूंग, भुटिया और नेवार-जाति के लोग हैं। पहले यह देश विभिन्न पहाड़ी जातियों की छोटी-छोटी रियासतों में बँटा था। सन् १७६६ ई० में यहाँ गुरखों का बल बढ़ा। समस्त देश के लिए यहाँ एक राज-परिवार और राणाओं का एक मंत्री-परिवार हुआ। राजा और मंत्री दोनों वंश-परम्परागत होते रहे। राजा नाम-मात्र का शासक था। शासन का सारा काम मंत्री-परिवार के लोग करते रहे। राजा 'पाँच-सरकार' और मंत्री 'तीन-सरकार' कहलाते थे। सन् १९५० ई० के विद्रोह के बाद वंश-परम्परागत मंत्री-परिवार का शासन समाप्त हुआ।

नवम्बर, १९५१ में यहाँ नेपाली काँगरेस-पार्टी के नेता मातृकाप्रसाद कोइराला के प्रधान-मंत्रित्व में सर्वप्रथम मंत्रिमंडल कायम किया गया। सन् १९५९ ई० से सर्वप्रथम निर्वाचित पार्लमेंट की दो सभाएँ—प्रतिनिधि-सभा और महासभा—बनाई गईं, जिनके क्रमशः १०९ और ३६ सदस्य हुए। बहुमत-दल नेपाली काँगरेस-पार्टी के नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला के प्रधान-मंत्रित्व में एक मंत्रिमंडल कायम किया गया। १५ दिसम्बर, १९६० को नेपाल-नरेश ने अकस्मात् यहाँ के मंत्रिमंडल तथा संसद् को विघटित कर यहाँ के प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य नेता भी बंदी बना लिये गये और नेपाल-नरेश ने शासन-सूत्र अपने हाथों में ले लिया। २६ दिसम्बर, १९६० को नेपाल-नरेश ने ५ मंत्रियों एवं चार सहायक मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल गठित किया, जो उन्हें शासन कार्य में सहायता दे रहा है। उन्होंने अनिश्चित काल तक के लिए यहाँ की संकट-कालीन स्थिति की अवधि बढ़ा दी है, किन्तु यहाँ आन्तरिक विद्रोह जारी है और छद्मत्व विद्रोह-जनित घटनाएँ घटती ही रहती हैं।

## पाकिस्तान

स्थिति—भारत के पूरब और पश्चिम भाग में; क्षेत्रफल—३,६४,७३७ वर्गमील (पूर्वी पाकिस्तान ५४,५०१ वर्गमील और पश्चिमी पाकिस्तान ३,१०,२३६ वर्गमील); जन-संख्या—९,३८,१२,००० (अस्थायी, १९६१) (पूर्वी पाकिस्तान ५,०८,४४,००० और पश्चिमी पाकिस्तान ४,०८,१५,०००); राजधानी—कराची और रावलपिंडी; भाषा—उर्दू, अँगरेजी और बँगला; धर्म—इस्लाम; सिक्का—पाकिस्तानी रुपया; राष्ट्रपति—जेनरल मुहम्मद अयूब खाँ; शासन-स्वरूप—प्रधानात्मक गणतंत्र; पश्चिमी पाकिस्तान के मुख्य नगर—लाहौर, सियालकोट, पेशावर; पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य नगर—ढाका, चटगाँव, राजशाही, सिलहट, जैसोर, रंगपुर।

इस मुस्लिम-राष्ट्र का निर्माण १४ अगस्त, १९४७ को भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। कायदेआजम मुहम्मद अली जिन्ना, जिनके नेतृत्व में भारत के मुस्लिम लीगी मुसलमानों ने पाकिस्तान का निर्माण किया, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जेनरल हुए।

यह संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम-राष्ट्र है। यह दो भागों में विभक्त है—पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के अन्दर भारत के पुराने प्रान्त बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत, पश्चिम पंजाब, भावलपुर की रियासत तथा अन्य कई छोटी-छोटी मुस्लिम रियासतें हैं। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल और आसाम का सिलहट जिला है। पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्रफल समस्त पाकिस्तान का १६ प्रतिशत भाग है, किन्तु यहाँ की जन-संख्या समस्त पाकिस्तान की जन-संख्या के आधे से भी अधिक है। पाकिस्तान के दोनों भागों में भारत के अन्य प्रान्तों के बहुत-से मुस्लिम निवासी जा बसे हैं तथा वहाँ से बहुत-से हिन्दू भारत आ गये हैं। यह मुख्यतः कृषि-प्रधान देश है। पश्चिमी पाकिस्तान में गेहूँ की तथा पूर्वी पाकिस्तान में चावल, जूट और चाय की उपज होती है। यहाँ उद्योग-धन्धों तथा प्राकृतिक साधनों की बहुत कमी है।

२३ अगस्त, १९५५ को पाकिस्तान बगदाद-संधि ( सेण्ट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ) में सम्मिलित हुआ। १४ अगस्त, १९५५ से पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रान्त मिलाकर एक कर दिये गये। यहाँ के नये संविधान के अनुसार २३ मार्च, १९५६ को यह देश मुस्लिम गणतंत्र घोषित किया गया। ७ अक्टूबर, १९५८ को पाकिस्तान के अस्थायी राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जा ने यहाँ फौजी कानून की घोषणा की। परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारें तथा सभी राजनीतिक दल विघटित कर दिये गये। यहाँ का संविधान स्थगित कर दिया गया। प्रधान सेनापति जेनरल मुहम्मद अयूब खाँ सैनिक शासन का प्रधान प्रशासक नियुक्त किया गया। २८ अक्टूबर, १९५८ को राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जा अपना सारा अधिकार इसे सौंपकर अलग हो गया। अपने पद पर आते ही इसने यहाँ के संसदीय शासन-स्वरूप का अन्त कर प्रधानात्मक शासन-स्वरूप जारी किया। फरवरी, १९६० के जनमत से इसके राष्ट्रपति-पद का पुष्टीकरण हुआ। १ मार्च, १९६२ को यहाँ के नये संविधान की घोषणा की गई। तदनुसार यहाँ का शासन-स्वरूप संघीय एकसदनी और प्रधानात्मक निश्चित किया गया। नये संविधान के अनुसार अब यह देश 'पाकिस्तान गणतंत्र' कहलायगा। यहाँ के राष्ट्रपति के लिए मुसलमान होना आवश्यक है।

सन् १९४७ ई० में पाकिस्तान ने भारत में मिली हुई कश्मीर रियासत पर आक्रमण कर उसका एक तिहाई भाग अपने अधिकार में कर लिया। कश्मीर का यह पश्चिमोत्तर भाग 'आजाद कश्मीर' कहलाता है, जिसका प्रेसिडेण्ट के० एच० खुर्शीद है, जो अपने कुछ मनोनीत मंत्रियों की सहायता से शासन-कार्य चलाता है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है।

## फिलिपाइन्स

स्थिति—एशिया के दक्षिण-पूर्व प्रशान्त महासागर का एक द्वीप-समूह; क्षेत्रफल—१,१५,६०० वर्गमील; जन-संख्या—२,४०,१२,००० ( १९६० ); राजधानी—मनिला (नई राजधानी क्वेजोन सिटी); भाषा—टागालॉग ( एक मलायन बोली ), अँगरेजी और स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—डायोसदा दो (नवम्बर, १९६१ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र ( प्रधानात्मक ); मुख्य नगर—इलोइलो, सेबू, जेम्बोअंगा, दवाओ, बेसिलन, बैकोलोद, बेगुइओ।

इसका समुद्र-तट १४,४४० मील है। इसमें करीब ७,१०० द्वीप सम्मिलित हैं, जिनमें लुजोन, मिनडानाओ, सामार, नेग्रो, पालवान, मिनडोरा, मनिला, पानाय, बोहोल, लेटे और मास-बाटे मुख्य हैं। इस द्वीप-समूह की करीब ६३ प्रतिशत भूमि खेती-योग्य है। कृषि यहाँ का प्रधान

व्यवसाय है। यहाँ ज्वालामुखी पर्वतों की संख्या करीब १० है। इस देश में खानें अधिक हैं, पर अर्थाभाव के कारण उनसे उत्पादन बहुत कम होता है। स्पेनवाले सर्वप्रथम सन् १५२१ ई० में यहाँ आये और अपने देश के राजकुमार 'फिलिप' के नाम पर इस द्वीप-समूह का नाम 'फिलिपाइन्स' रखा। यहाँ सन् १८९८ ई० तक स्पेनवालों का आधिपत्य रहा। स्पेन-अमेरिका-युद्ध के बाद सन् १८९९ ई० में यह संयुक्तराज्य अमेरिका के हाथ में आया। द्वितीय महासमर के समय सन् १९४१ से १९४५ ई० तक यह जापान के अधिकार में रहा। ४ जुलाई, १९४६ को यह संयुक्तराज्य अमेरिका के पंजे से स्वतंत्र हुआ। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है।

## फ्रांसीसी हिन्द-चीन ( इण्डोचाइना )

यह एशिया के दक्षिण-पूरब भाग में है। ईसा के २१३ वर्ष पूर्व दक्षिण चीन के अनामी लोग यहाँ आ बसे थे। तब से यहाँ चीन का राज्य रहा। १७वीं सदी में यूरोपीय व्यापारियों के एशिया में आने पर फ्रांस के व्यापारी इस देश के सम्पर्क में आये। उन लोगों ने एक-एक कर देश के समस्त भू-भाग पर अधिकार कर लिया। साइगॉन इस देश की राजधानी रहा। द्वितीय महासमर के बाद फ्रांसीसियों ने इसे तीन भागों में बाँट दिया—लाओस, कम्बोडिया और वीतनाम। प्रथम दो भागों में वैधानिक राजतन्त्र और अन्तिम भाग में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। वीतनाम के तीन भाग किये गये—उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। फ्रांसीसी हिंद-चीन के इन सभी भू-भागों का सम्बन्ध फ्रांस से बना रहा। सन् १९४६ ई० की गणना के अनुसार इन समस्त भू-भागों का क्षेत्रफल २,८६,००० वर्गमील और जन-संख्या २,७०,३०,००० थी। उत्तरी वीतनाम के साम्यवादियों ने साम्यवादी चीन-सरकार की सहायता प्राप्त कर मध्य और दक्षिणी वीतनाम पर चढ़ाई कर दी, जिसका फ्रांसीसियों ने सामना किया। अन्त में राष्ट्रसंघ के बीच में पड़ने से सन् १९५४ ई० में जिनेवा-सम्मेलन बुलाया गया और युद्ध-विराम-संधि हुई। इस संधि-आयोग का भारत ही अध्यक्ष था। इस संधि के अनुसार वीतनाम के दो खंड कर दिये गये—उत्तरी वीतनाम और दक्षिणी वीतनाम। १७° उत्तर अक्षांश-रेखा दोनों के बीच की सीमा-रेखा मानी गई। इस प्रकार, फ्रांसीसी हिन्द-चीन के अब चार भाग हो गये हैं—(१) उत्तर वीतनाम, (२) दक्षिण वीतनाम, (३) लाओस और (४) कम्बोडिया। इन सबके विवरण अलग-अलग दिये गये हैं।

## बर्मा

स्थिति—भारत की पूर्वी सीमा पर; क्षेत्रफल—२,६१,७८९ वर्गमील; जन-संख्या—१,९२,९५,०४२ (१९६० ई०); राजधानी—रंगून; भाषा—बर्मी; धर्म—बौद्ध; सिक्का—बर्मी रुपया; सैनिक परिषद् का अध्यक्ष—ने विन (२ मार्च, १९६२ ई० से); शासन-स्वरूप—सैनिक शासन; मुख्य नगर—आक्याब, मांडले, मौलमिन, मेम्यो।

यह अनेक छोटे-छोटे राज्यों से बना है। इस समय इसके संवैधानिक प्रांत शॉन, करेन, काचीन, कयाह और चीन के स्पेशल डिवीजन हैं। यह सन् १६१२ ई० से ही ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधीन ब्रिटेन के प्रभाव में रहा। सन् १८८५ ई० से अप्रैल, १९३७ ई० तक यह ब्रिटिश भारत का अंग था। इसके बाद यह ब्रिटिश गवर्नर के अधीन एक अर्द्ध-स्वतंत्र ब्रिटिश उपनिवेश रहा। द्वितीय महासमर के समय यह सन् १९४२ से १९४५ ई० तक जापानियों के अधीन था। ४ जनवरी,

१९४८ को यह ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होकर एक गणतन्त्र-राज्य हो गया। अब यह राष्ट्रमंडल का भी सदस्य नहीं है। गृह-विद्रोह के बाद सन् १९५६ ई० में यहाँ नया चुनाव हुआ। १२ मार्च, १९५७ को यू० विन मौंग यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। २८ अक्टूबर, १९५८ को सेनापति जेनरल ने विन ने यहाँ का शासन-सूत्र अपने हाथों में लिया। फरवरी, १९६० में यहाँ की संसद् के निम्न सदन का निर्वाचन हुआ, जिसमें पीडौंगसू दल ने यू नू के नेतृत्व में बहुमत प्राप्त किया। अप्रैल, १९६१ में यू नू के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल बना। जनवरी, १९६० में चीन के साथ इसका सीमा-निर्धारण-सम्बन्धी समझौता हुआ।

२ मार्च, १९६२ को बर्मा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा वर्त्तमान सेनाध्यक्ष ने विन ने अकस्मात् यहाँ सैनिक-विद्रोह कर यहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया। यहाँ के प्रधानमंत्री यू नू, मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अन्य प्रमुख राजपुरुष अपने-अपने घर पर गिरफ्तार कर लिये गये। विद्रोह का कारण बर्मा-सरकार की, निजी आयात-व्यापार के राष्ट्रीयकरण की योजना बताया जाता है। ने विन ने अपने मंत्रिमंडल का गठन भी कर लिया है।

पहले यहाँ की संसद् के दो सदन थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में पाँच वर्ष के लिए होता था। बर्मा में कुछ भारतीय व्यापारी और जमींदार भी हैं। सन् १९४२ ई० के विद्रोह में लगभग पौने चार लाख भारतीय बर्मा छोड़कर स्वदेश वापस आ गये।

यह कृषि-प्रधान देश है। यहाँ धान की पैदावार सबसे अधिक होती है, किन्तु प्राकृतिक संपदाओं की भी यहाँ प्रचुरता है। चाँदी और ताँबे की खानें, सागवान की लकड़ी और पेट्रोल यहाँ की औद्योगिक संपत्ति के मुख्य साधन हैं।

## भारत

स्थिति—एशिया महादेश के दक्षिण; क्षेत्रफल—१२,५९,९८३ वर्गमील; जन-संख्या—अनुमानतः ४३,६४,२४,४२९ (अस्थायी, १९६१); राजधानी—दिल्ली; भाषा—हिन्दी; धर्म—हिन्दू, इस्लाम; सिक्का—रुपया; राष्ट्रपति—डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्; उप-राष्ट्रपति—डॉ० जाकिर हुसेन ; प्रधानमंत्री—श्रीजवाहरलाल नेहरू।

भारत के सम्बन्ध में विशेष विवरण आगे के खंडों में दिये गये हैं।

## भूटान

स्थिति—हिमालय के दक्षिण-पूर्वी ढाल पर सिक्किम, बंगाल और आसाम से घिरा; क्षेत्रफल—१९,३०५ वर्गमील; जन-संख्या—६,४०,००० (१९५७); राजधानी—पुनखा; भाषा—भूटानी; धर्म—बौद्ध; सिक्का—भारतीय रुपया; शासक—महाराजा जिग्मेडोरजी वांगचुक; शासन-स्वरूप—राजतन्त्र।

ईसा की नवीं शताब्दी में तिब्बती सैनिकों ने भूटान पर आक्रमण कर दिया और वे यहाँ बस गये। सन् १७७४ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने यहाँ के शासक के साथ संधि की। सन् १८६५ ई० की संधि के अनुसार इसे भारत से प्रतिवर्ष ५० हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने लगी। पीछे सन् १९१० ई० से इसकी परराष्ट्र-नीति भारत के हाथ में रही और इसकी आर्थिक सहायता की राशि १ लाख रुपये कर दी गई। सन् १९४२ ई० में यह राशि बढ़ाकर २ लाख की गई। सन् १९४९ ई० में स्वतंत्र भारत के साथ हुई संधि के अनुसार इसे वार्षिक साहाय्य के रूप में ५ लाख दिया जाने लगा।

सन् १९०७ ई० तक यहाँ का शासन पुराने तिब्बती ढंग का द्वैध शासन रहा, जिसमें धर्मराज और देवराज होते थे। धर्मराज को बुद्ध का अवतार ही माना जाता था। उसी वर्ष यहाँ के सर्वप्रथम वंश-परम्परागत महाराजा का निर्वाचन हुआ।

यह भारत-सरकार द्वारा संरक्षित एक अर्द्ध-स्वतन्त्र राष्ट्र है और संधि के अनुसार भारत से सम्बद्ध है। यहाँ भारत-सरकार का एक राजनीतिक अफसर रहता है।

## मंगोलिया (बाहरी)

स्थिति—उत्तर-पूर्वी एशिया; क्षेत्रफल—६,१४,३५० वर्गमील; जन-संख्या—९,५४,००० (१९६१); राजधानी—उलान बाटोर (पहले उर्गा); भाषा—चीनी; धर्म—बौद्ध लामा; राष्ट्रपति—जमसारंगिन साम्बु; प्रधानमंत्री—युमजागिन सेडनबल; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (सोवियत ढंग का)।

मंगोलिया बहुत दिनों से चीन के अन्दर था। पीछे इसके दो भाग हुए—दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया और उत्तरी या बाहरी मंगोलिया। दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया अब भी चीन के साथ है। यह मंगोल-जाति के लोगों का आदि-स्थान था। १३वीं शताब्दी में कुबलई और चंगेज खाँ के अधीन यह एक शक्तिशाली राज्य बना। सन् १६८९ से १९११ ई० तक यह चीन के अधिकार में रहा। सन् १९१२ से १९१९ ई० तक यह रूस के संरक्षण में आया। दो-तीन वर्षों तक पुनः चीन के साथ रहने के बाद इसने अपनी एक अस्थायी सरकार कायम की और सन् १९२४ ई० में अपने को गणतंत्र घोषित किया। सन् १९४५ ई० की रूस-चीन-संधि के अनुसार चीन ने भी इसकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली।

इसका उत्तरी भाग पहाड़ी भूमि है और दक्षिणी भाग मरुभूमि है, जो गोबी मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ खेती नाम-मात्र के लिए होती है। यहां की अधिकांश भूमि गोचर है। यहाँ भेड़ और बकरियाँ पाली जाती हैं। यहाँ के अधिकांश निवासी यायावर या अर्द्ध-यायावर जाति के हैं।

## मलाया राज्य-संघ

स्थिति—दक्षिण-पूर्वी एशिया; क्षेत्रफल—५०,७०० वर्गमील; जन-संख्या—६८,१५ ४५१ (१९५९); राजधानी—कुआलालम्पुर; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्रात्मक अधिराज्य; प्रधान शासक—यांग-डि-पर्तुआन अगोंग; प्रधानमंत्री—टंकु अब्दुल रहमान।

यह ११ राज्यों का एक संघ है, जिसमें जोहोर, केदाह, केलांटन, नग्रीसेंबिलन, पहांग, पेराक, पेरलिस, सेलंगोर, ट्रेंगनू एवं पेनांग और मलक्का उपनिवेश हैं। यह अगस्त, १९५७ ई० में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्दर एक सीमित संवैधानिक राजतन्त्र बनाया गया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्दर ग्रेट-ब्रिटेन को छोड़कर यही एक राजतन्त्रात्मक राज्य है। यहाँ का सर्वोच्च शासक ११ विभिन्न राज्यों के वंशानुगत शासकों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। संसार का एक तिहाई टीन यहाँ के पेराक नामक स्थान में मिलता है। संसार में कुल जितना रबर होता है, उसका आधा अकेले मलाया देश में होता है। यहाँ चीनियों की संख्या भी काफी है। अधिकांश मलाया-वासी मुसलमान हैं। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं।

## मालडिव

स्थिति—भारतीय महासागर का द्वीपपुंज; क्षेत्रफल—११५ वर्गमील; जन-संख्या—८१,६५० (१६५६); राजधानी—माले; धर्म—इस्लाम; सुलतान—अल-अमीर मुहम्मद फरीद डीडी; प्रधानमंत्री—इब्राहिम नसीर; शासन-स्वरूप—ब्रिटिश संरक्षित संवैधानिक राजतंत्र।

भारतीय महासागर में लंका से ४०० मील दक्षिण-पश्चिम यह १२ छोटे-छोटे द्वीपों का पुंज है। यहाँ के निवासी मुसलमान हैं। यहाँ नारियल, सुपारी आदि फल बहुत होते हैं। मछली पकड़ना और उसे तैयार कर बाहर भेजना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। शासन-कार्य के लिए पहले यह लंका के अधीन था। यह सन् १८८७ ई० से ही एक ब्रिटिश-रक्षित राज्य है। ब्रिटिश-संरक्षण में ही सन् १६५३ ई० में यहाँ गणराज्य की घोषणा की गई, किन्तु एक वर्ष बाद फिर राजतंत्र हो गया और यहाँ की एसेम्बली ने अल-अमीर मुहम्मद फरीद डीडी को यहाँ का सुलतान बनाया। लंका का हवाई अड्डा छोड़ देने पर सन् १६५७ ई० में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के गान-द्वीप में एक संधि के अनुसार ३० वर्षों के लिए अपना हवाई अड्डा बनाया है।

## यमन

स्थिति—अरब के दक्षिण-पश्चिम कोने में; क्षेत्रफल—७५,००० वर्गमील; जन-संख्या—४०,५०, ००० (१६५३); राजधानी—साना और ताइज; भाषा—अरबी; धर्म—इस्लाम; राजा—इमाम अहमद; प्रधानमंत्री—युवराज सैफल-अल इस्लाम अबदर; शासन-स्वरूप—राजतंत्र; मुख्य नगर—होडिडा, इब्ब, एरिम।

१२०० से ६५० ई० पू० तक यहाँ मीनानियन राज्य कायम रहा। सन् ६२८ ई० में यहाँ के लोगों ने इस्लाम-धर्म स्वीकार किया। यहाँ सन् १५३८ से १६३० ई० तक और पुनः सन् १८४६ से १६१८ ई० तक तुर्कों का आधिपत्य रहा। सऊदी अरब और ग्रेटब्रिटेन के बीच हुई सन् १६३४ ई० की सन्धि के अनुसार इसकी प्रभुसत्ता स्वीकार की गई। सन् १६४७ ई० में यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य हुआ। मार्च, १६५८ में अपनी स्वतन्त्र राजनीतिक सत्ता कायम रखते हुए संयुक्त अरब राज्य-संघ के निर्माण के लिए यह संयुक्त अरब-गणतन्त्र में सम्मिलित हुआ। जनवरी, १६६२ में इसने संयुक्त अरब-गणतन्त्र से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। यहाँ कोई पार्लियामेंट या राजनीतिक दल नहीं है।

## लंका ( श्रीलंका, सिलोन )

स्थिति—भारत के दक्षिण एक छोटा-सा द्वीप; क्षेत्रफल—२५,३३२ वर्गमील; जन-संख्या—६१,६५,००० (१६५८); राजधानी—कोलम्बो; भाषा—सिंहली; धर्म—बौद्ध; सिक्का—सिलोनी रुपया; गवर्नर जेनरल—सर अलिवर गुणतिलक; प्रधानमंत्री—श्रीमती सिरिमावो भण्डारनायक (२१ जुलाई, १६६० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—जाफना, कैण्डी, गैले, निगोम्बो, कुरनेगला नुवारा-एलिया।

यहाँ के लगभग ८४ लाख व्यक्तियों में ४७½ लाख, अर्थात् आधे से कुछ अधिक सिंहली और शेष दक्षिण-भारतीय मिश्रित जातियाँ और यूरोपवासी हैं। यहाँ चाय, रबर और नारियल की

खेती बहुत अधिक होती है। खाद्यान्न अधिकतर बाहर से मँगाया जाता है। प्राचीन काल में भारतीयों ने इस द्वीप को बसाया था। कहते हैं कि यहाँ के मूल-निवासी सिंहली उन्हीं के वंशज हैं। इस द्वीप को पहले सिंहल-द्वीप भी कहते थे। १६वीं सदी में पुर्त्तगीज और १७वीं सदी में डच लोगों ने इसके समुद्र-तट के कुछ भागों पर अधिकार किया था। सन् १७८६ ई० में यह अँगरेजों के हाथ में आया। उस समय यह बम्बई प्रेसिडेन्सी में मिलाया गया था। सन् १८०२ ई० में यह एक अलग ब्रिटिश उपनिवेश बनाया गया। सन् १६४८ ई० की ४ फरवरी को राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत सुरक्षा और परराष्ट्र-नीति को छोड़कर शेष सभी विषयों में इसने उत्तरदायित्व-पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त किया। जुलाई, १६५६ ई० में यहाँ गणतन्त्र घोषित किया गया। यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य है।

यहाँ के दस प्रतिशत निवासी तमिल हैं। सितम्बर, १६५६ ई० में एक विद्रोही युवक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीभण्डारनायक की हत्या कर दी। इसके बाद विजयानन्द दहनायक एवं डडले सेनानायक प्रधानमंत्री बनाये गये। तत्पश्चात्, २० जुलाई, १६६० को यहाँ की संसद् का नवनिर्वाचन हुआ, जिसमें भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीभण्डारनायक की विधवा पत्नी श्रीमती सिरिमावो भण्डारनायक के नेतृत्व में डेमोक्रैटिक सोशलिस्ट पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। फलस्वरूप २१ जुलाई, १६६० ई० को श्रीमती सिरिमावो लंका की प्रधानमन्त्रिणी बनाई गईं, जो विश्व की एकमात्र महिला प्रधानमन्त्री है। यहाँ की पार्लमेंट में सिनेट के ३० सदस्य और प्रतिनिधि-सभा के १०१ सदस्य हैं।

## लाओस

स्थिति—हिन्द-चीन का मध्य एवं उत्तर-पश्चिम का भाग; क्षेत्रफल—८६,००० वर्गमील जन-संख्या—२०,००,०००(१६५८); शासन-केन्द्र—वियटियाने; भाषा—थाई, इण्डोनेशियन और चीनी; धर्म—बौद्ध; राजा—सवाग वथाना, (अक्टूबर,१६५६ से); प्रधानमंत्री—बॉन ओम, (दक्षिण-पक्षीय दिसम्बर, १६६० से); सोवन्ना फौमा (तटस्थ), सोफान्नो वौंग (साम्यवाद); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र। मुख्य-नगर—लुवांग प्रबंग (राज नगर)। पाकसे, सवन्नखेत।

लाओस पहले हिन्दचीन का अंग था। १६ जुलाई, १६४६ की संधि के अनुसार यह फ्रांसीसी यूनियन के अधीन एक स्वतन्त्र देश हुआ। लाओ-इसारक-आन्दोलन के अधिकांश व्यक्ति तो लाओस लौट आये, किन्तु कुछ विदेशों में ही रह गये। अप्रैल, १६५३ में वीतनामियों ने पैथेट-लाओ के सशस्त्र सैनिकों की सहायता से लाओस पर आक्रमण किया। पेथेट-लाओ दल लाओ-इसारक-आन्दोलन के बचे-खुचे लोगों से ही संगठित हुआ था। इस दल का नेता राजकुमार सोफॉनो वौंग था। यह सन् १६४६ से १६४६ ई० तक देश के बाहर लाओ-इसारक-आन्दोलन का सदस्य था, किन्तु साम्यवादी सहानुभूति प्राप्त करने के कारण उस आन्दोलन से हटा दिया गया।

२० जुलाई, १६५४ के जिनेवा-सम्मेलन के निर्णय के अनुसार वीतनामी और फ्रांसीसी सैनिक वापस बुला लिये गये। नई सेना के आने पर रोक लगा दी गई और कोई राजनीतिक

समझौता होने तक पैथेट-लाओ की सेना को उत्तर-पूर्व के प्रान्तों में चले जाने का आदेश हुआ। लाओस के प्रधानमंत्री राजकुमार सुवन्ना फौमा और राजकुमार सोफॉनो वौंग के बीच नवम्बर १९५७ के वियंटियाने समझौते के अनुसार उत्तर-पूर्वी प्रान्तों पर लाओस सरकार का अधिकार मान लिया गया तथा पैथेट-लाओ सनिकों का सरकारी सेना का अभिन्न अंग होना और पैथेट-लाओ एवं नियो-लाओ-हक-सत का राजनीतिक दल होना स्वीकार किया गया। मई, १९५८ के पूरक निर्वाचन में नियो-लाओ-हक-सत दल को जनता का बहुत समर्थन प्राप्त हुआ। इससे राष्ट्रीय हित-रक्षा-समिति नामक दक्षिण-पक्षीय समूह के निर्माण की प्रेरणा मिली। इस समूह का समर्थन पाकर फुई सानानिकोने ने एक नई सरकार कायम की। सन् १९५९ ई० के ग्रीष्मकाल में वियंटियाने-समझौता के भंग होने पर पैथेट-लाओ का गुरिल्ला-युद्ध आरंभ हुआ। लाओस-सरकार की अपील पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् की एक उप-समिति यहाँ आई। बाद में संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक आर्थिक मिशन कार्य करने लगा। जेनरल फूमी के नेतृत्व में सैनिक दबाव के कारण फुई सानानिकोने ने जनवरी, १९६० में त्याग-पत्र दे दिया। नये निर्वाचन में राष्ट्रीय हित-रक्षा-समिति को बहुमत प्राप्त हुआ। इससे जून, १९६० में सोम सानिथ के अधीन एक दक्षिण-पक्षीय सरकार की स्थापना हुई। ९ अगस्त, १९६० को कैप्टेन कांगले के नेतृत्व में हुए सैनिक-विद्रोह ने सरकार को अपदस्थ कर सोवन्ना फौमा को तटस्थ दल का प्रधानमंत्री बनाया। तत्पश्चात् जेनरल फूमी ने राजकुमार बॉन ओम के अधीन दक्षिण-पक्षीय सरकार कायम की। ९ दिसम्बर, १९६० को राजकुमार सुवन्ना फौमा कम्बोडिया चला गया और विदेशी साम्यवादियों की सहायता से पैथेट-लाओ ने पुनः गृह-युद्ध आरम्भ किया। सन् १९६१ ई० के आरम्भ में वाम-पक्षीय सेना ने उत्तर-पूर्व के तीन प्रान्तों पर अधिकार जमा लिया।

अप्रैल, १९६१ में सोवियत रूस ने ब्रिटेन के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि युद्ध-विराम-सन्धि के बाद लाओस की तटस्थता के लिए १४ राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाय। सन् १९६२ ई० के प्रारम्भ में जेनेवा-कान्फरेंस में लाओस के तीनों राजकुमारों ने भाग लिया, पर वे किसी समझौते पर आने में विफल रहे।

## लेबनान

स्थिति—पश्चिम एशिया में भूमध्यसागर के किनारे सीरिया और इजराइल के बीच; क्षेत्रफल—३,४०० वर्गमील; जन-संख्या—१५,२५, ००० (१९५७); राजधानी—बेरुत; भाषा—अरबी; धर्म—ईसाई; सिक्का—सीरियन लिबियन पौंड; राष्ट्रपति—जेनरल फौआद चेहाब (१९५८ से); प्रधान मंत्री—साएब सलम (२ अगस्त, १९६० ई० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—त्रिपोली, जाहले, सैदा, तीरे।

यह पहले के तुर्की साम्राज्य के पाँच जिलों—उत्तरी लेबनान, माउण्ट लेबनान, दक्षिणी लेबनान, बेरुत और बेका—से बना है। यह सीरिया के साथ सितम्बर, १९२० में स्वतंत्र हुआ, परन्तु सन् १९४१ ई० तक फ्रांस का आदिष्ट राज्य ही बना रहा। सन् १९४६ ई० में यह पूरा स्वतंत्र हो गया। सन् १९५८ ई० में यहाँ पश्चिमी राष्ट्र-समर्थक सरकार को उलटने के लिए व्यापक विद्रोह हुआ, परन्तु अमेरिका की सहायता से वह दबा दिया गया। १२ जून, १९६० से

३ जुलाई, १९६० के मध्य यहाँ की नई निर्वाचन-विधि के आधार पर सर्वप्रथम निर्वाचन हुआ, जिसमें डिपुटीज की संख्या ६६ से बढ़ाकर ६६ कर दी गई।

यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। यहाँ ईसाई और मुसलमान जातियों की संख्या बराबर होने के कारण राष्ट्रपति के लिए ईसाई और प्रधानमंत्री के लिए मुस्लिम होना जरूरी है। लेबनान अरब-राज्य-संघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ का भी सदस्य है।

## वीतनाम

वीतनाम का प्राचीन इतिहास ईसवी सन् के प्रारम्भिक काल से ही आरम्भ होता है। इसका पुराना नाम 'टौंकिंग' था, जो इस समय वीतनाम का उत्तरी क्षेत्र है। सन् १११ ई० में चीन के हान वंशीय राजा ने इसे अपने अधिकार में किया। उन दिनों यह क्षेत्र 'नाम-वीत' कहलाता था। सन् ६३६ ई० में यह चीन से अलग हुआ, किन्तु फिर पीछे कई बार चीन-साम्राज्य के अंतर्गत आया। १५वीं शताब्दी के अंत तक वीतनामियों ने चम्पा के अधिकांश भाग पर तथा १८वीं सदी के अंत तक कोचीन-चीन पर अधिकार जमाया। चम्पा का क्षेत्र इस समय वीतनाम का मध्य भाग और कोचीन-चीन दक्षिणी भाग है। १९वीं सदी के अंत में यहाँ फ्रांसीसियों का स्वार्थ आरम्भ हुआ। सन् १८८५ ई० से यह हिन्द-चीन के साथ फ्रांस का संरक्षित राज्य रहा। द्वितीय विश्व-युद्ध के समय सन् १९४०—४५ ई० तक इसपर जापानियों का अधिकार रहा। जापान की पराजय के बाद यह पुनः हिन्द-चीन के साथ फ्रांसीसियों के संरक्षण में आया। तत्पश्चात् फ्रांसीसियों ने हिन्द-चीन को किस प्रकार तीन भागों में बाँटकर वीतनाम को अलग किया और पुनः वीतनाम किस प्रकार दो भागों में बँट गया—इसकी चर्चा पहले ही हिन्द-चीन के प्रसंग में की जा चुकी है।

### उत्तर वीतनाम

स्थिति—हिन्द-चीन के उत्तर-पूर्व; क्षेत्रफल—६३,३६० वर्गमील; जन-संख्या—१,५६,०३,००० (१९६०); राजधानी—हनोई; भाषा—अनामी, फ्रेंच, कम्बोडियन; धर्म—बौद्ध; राष्ट्रपति—डॉ० हो-ची-मिन्ह; प्रधानमंत्री—फाम-वान-डॉग; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (साम्यवादी ढंग का)।

कृषि एवं खनिज-धन यहाँवालों की प्रधान जीविका है। जुलाई, १९५४ की जेनेवा-सन्धि के अनुसार यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की गई। इसका शासन साम्यवादी ढंग का है। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। यहाँ का नया संविधान, जो साम्यवादी चीन के संविधान के ढंग का है, १ जनवरी १९६० से लागू किया गया है। यहाँ की नेशनल असेम्बली का चुनाव हर चौथे वर्ष होता है। १५ जुलाई, १९६० को यहाँ के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के पद पर पुराने ही व्यक्ति पुनर्निर्वाचित हुए।

### दक्षिण वीतनाम

स्थिति—हिन्द-चीन के दक्षिण-पूर्व; क्षेत्रफल—६५,७२६ वर्गमील; जन-संख्या—१,३८,००,००० (१९५९); राजधानी—साइगॉन; भाषा—अनामी, फ्रेंच; धर्म—बौद्ध; राष्ट्रपति—नगोडीन्ह डीम; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

इसके अन्तर्गत अनाम और कोचीन-चीन हैं। मुख्यतः धान की खेती यहाँ के लोगों का प्रधान पेशा है। यहाँ का शासन संयुक्तराज्य अमेरिका के ढंग का है। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक ही सदन है। यहाँ का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। अप्रैल, १९६१ में यहाँ नया चुनाव हुआ, जिसमें नागो-डीन्ह डीम दुबारे राष्ट्रपति चुने गये।

## सऊदी अरब

स्थिति—अरब के मध्य उसके ⅘ भाग में विस्तृत; क्षेत्रफल—१,५०,००० वर्गमील; जन-संख्या—२० लाख; राजधानी—रियाध और मक्का; भाषा—अरबी; धर्म—मुस्लिम; सिक्का—रियाल; राजा—शाह सऊद इब्न अब्दुल आजीज (दिसम्बर, १९६० से प्रधानमंत्री भी); शासन-स्वरूप— राजतंत्र ( धर्म-सापेक्ष ); मुख्य नगर—बुरैदा, अनैजा, हफूफ, हेल, जौफ और सकाका।

इसका प्रारम्भिक इतिहास अरब का इतिहास है। वर्त्तमान सऊदी अरब-राज्य का निर्माण इब्न सऊद ( १८८०–१९५३ ) ने किया। यह पूर्व के वहावी शासकों का वंशधर था। इसने सन् १९०१ ई० में रियाध के अमीर से उसका राज्य ले लिया और अपने को अरब के राष्ट्रीय आन्दोलन का नेता घोषित किया। इसने सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रारम्भिक सदस्य बनाया। सन् १९४५ ई० में सऊदी अरब अरब-लीग का सदस्य हुआ। इब्न सऊद की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर वर्त्तमान है। अक्टूबर, १९५३ में यहाँ एक प्रधानमंत्री के अधीन मंत्रि-मंडल का गठन किया गया। हेजाज और नेज्द का शासन-प्रबन्ध अलग से होता है। हेजाज में संवैधानिक राजतंत्र कायम है। सन् १९५८ ई० में यहाँ के शाह ने अपने बड़े लड़के अमीर फैजल को प्रधानमंत्री बनाया, किन्तु दिसम्बर, १९६० से वह स्वयं ही प्रधानमंत्री का भी कार्य-संचालन कर रहा है।

## साइबेरिया, रूसी तुर्किस्तान और कोहकाफ

रूस का अधिकांश भाग एशिया में है, पर इसकी राजधानी यूरोपीय भाग के अन्दर होने से यह साधारणतः यूरोपीय राष्ट्र ही समझा जाता है। रूस के उपर्युक्त तीनों खंड एशिया के उत्तर और उत्तर-पश्चिम के बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। साइबेरिया का क्षेत्रफल ५० लाख वर्गमील है। लम्बाई-चौड़ाई में यह यूरोप से बड़ा है। यहाँ के मुख्य निवासी स्लाव-जाति के लोग हैं। रूसी तुर्किस्तान एशिया के उत्तर-पश्चिम भाग में है। यहाँ के निवासी किगिज, उजबेग और तुर्क जाति के हैं, जो सब-के-सब मुसलमान हैं। आरमेनिया की ऊँची जमीन और काकेशस पहाड़ों के बीच की जमीन को 'कोहकाफ' कहते हैं।

## सिंगापुर

स्थिति—दक्षिण-एशिया में मलाया के दक्षिण एक छोटा-सा द्वीप; क्षेत्रफल—२२४.५ वर्गमील; जन-संख्या—१६,१४,१०० ( १९६० ); राजधानी—सिंगापुर; भाषा—चीनी, मलायन; धर्म—बौद्ध; राज्य का प्रधान—इचे यूसुफ बिन-इशाक; प्रधानमंत्री—ली-कुआन-यू (जून, १९५९ ई० से ); शासन-स्वरूप—ब्रिटेन के अधीन स्वायत्त शासन।

सन् १६४६ ई० में स्ट्रेट सेट्लमेण्ट का उपनिवेश तोड़कर पेनांग और मलक्का को मलाया में तथा लेबुआन को ब्रिटिश नॉर्थ बोर्नियो में मिला दिया गया। शेषांश सिंगापुर-उपनिवेश के नाम से कायम हुआ।

यह मलाया से जाहोर जल-डमरूमध्य द्वारा पृथक् होता है। यह २७ मील लम्बा और १४ मील चौड़ा है। रबर यहाँ की मुख्य उपज है। इसका महत्त्व व्यापारिक दृष्टि से अधिक है। प्रशान्त और हिन्द महासागर के मध्य में स्थित होने के कारण यह पूर्व और पश्चिम के समुद्री मार्गों का अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र है। १४० वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहने के बाद ३ जून, १६५६ को इसे ब्रिटेन के अधीन स्वायत्त-शासनाधिकार प्राप्त हुआ।

## सीरिया

स्थिति—एशिया महादेश का पश्चिमी किनारा; क्षेत्रफल—७२,२३४ वर्गमील; जन-संख्या—४४,२०,५८७ ( १६५८ ); राजधानी—दमिश्क; भाषा—अरबी; धर्म—मुस्लिम; सिक्का—सीरियन लिबियन पौंड; राष्ट्रपति—नजीम-इल-कुदसी ( दिसम्बर, १६६१ से ); प्रधानमंत्री—मारूफ दवालिवी; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—अलेपो, होम्स, हामा।

यह संसार का एक पुराना राष्ट्र है। पहले यह तुर्की-साम्राज्य के अन्तर्गत था। पीछे सन् १६२० से १६४० ई० तक फ्रांस का आदिष्ट राज्य रहा। उसके बाद यह गणतंत्र घोषित किया गया, किन्तु फ्रांसीसी सेना यहाँ से अप्रैल, १६४६ ई० में हटी। सन् १६४६ से १६५१ ई० तक यहाँ चार बार सैनिक राज्य-क्रान्तियाँ हुईं। सन् १६५४ ई० में यहाँ सम्मिलित दल का शासन आरम्भ हुआ। जनमत के आधार पर, सन् १६५८ ई० के आरम्भ में मिस्र और सीरिया ने मिलकर 'संयुक्त अरब-गणतंत्र' कायम किया और कर्नल अब्दुल नसीर इस संयुक्त गणतंत्र का राष्ट्रपति हुआ। अक्टूबर, १६६१ में मिस्र-सरकार के व्यवहार से असंतुष्ट होकर सीरिया संयुक्त अरब गणतंत्र से अलग हो गया। किन्तु राष्ट्रपति नसीर जनमत लिये बिना इसे मान्यता नहीं दे रहा था। २८ मार्च, १६६२ को सीरिया में रक्तहीन सैनिक क्रान्ति हुई। संसद् भंग कर राष्ट्रपति नजीम-इ-कुदरिस और प्रधानमन्त्री डॉ० मारूफ दवालिबी-सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों से त्याग-पत्र लिया गया। किन्तु अप्रैल के मध्य में सैनिक-शासन हटाकर नीति में कुछ परिवर्त्तन के साथ पुराने ही मंत्रिमंडल के हाथों में शासन-सत्ता सौंप दी गई।

# यूरोप महादेश

प्राचीन काल में एशिया महादेश सभ्यता और संस्कृति में सभी महादेशों से आगे बढ़ा हुआ था, परन्तु इधर तीन-चार सौ वर्षों में उसकी भौतिक अवनति हुई और उसके प्रतिकूल यूरोप ज्ञान-विज्ञान, उद्योग-धंधे, वाणिज्य-व्यवसाय सबमें बहुत उन्नति कर गया। सौ-दो सौ वर्षों के अन्दर इसने पृथ्वी के सभी महादेशों के प्रायः सब देशों पर अपना अधिकार या धाक जमा ली। हाँ, एशिया अब इसके प्रभुत्व से छुटकारा पा रहा है और अफ्रिका के अधिकांश देश भी यूरोप की दासता से मुक्त हो गये हैं। पर, अस्ट्रेलिया और अमेरिका में आज भी यूरोप के मूल-निवासियों का ही बोलबाला है, यद्यपि वे अपने मूल देशों से स्वतन्त्र हो गये हैं। इधर संयुक्तराज्य अमेरिका की धाक अन्य महादेशों के साथ-साथ यूरोप पर भी जम चुकी है।

यूरोप एक छोटा महादेश है। यदि उससे रूस को अलग कर दिया जाय, तो वह लगभग भारत के बराबर हो जायगा। रूस को छोड़कर उसकी जन-संख्या ४१ करोड़ १० लाख है, जो भारत की जन-संख्या के लगभग बराबर है। यह महादेश तीन प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है—(१) उत्तर-पश्चिम का पहाड़ी भाग, (२) बीच की समतल भूमि और (३) दक्षिण की पहाड़ी भूमि। इसका समुद्र-तट २३ हजार मील लंबा है। यहाँ के निवासी इण्डो-यूरोपियन वंश के कहे जाते हैं। धर्म के हिसाब से यहाँ के प्रायः सभी लोग ईसाई हैं। हाँ, एक करोड़ यहूदी भी होंगे। कुछ मुसलमान भी यहाँ हैं। यूरोप के इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेलजियम, पुर्तगाल, स्पेन, हालैंड आदि देशों ने संसार के विभिन्न भागों में अपना-अपना साम्राज्य स्थापित किया। यूनान और रोम इसके प्राचीन सभ्य देश हैं।

## अंडोरा

स्थिति—फ्रांस और स्पेन के बीच; क्षेत्रफल—१६१ वर्गमील; जन-संख्या—६,४३६ (१६५७); राजधानी—अंडोरा; भाषा—कटलन; मुख्य धर्म—रोमन कैथोलिक; राष्ट्रपति—फ्रैंकस कैरट; उपराष्ट्रपति—रौक रबेल; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

यह ६ गाँवों का राज्य है, जो सन् १२७८ ई० से ही कुछ हद तक स्वतंत्र है। इसका शासन एक कौंसिल-जेनरल द्वारा होता है, जिसमें २४ सदस्य होते हैं। यह फ्रांस और स्पेन के बिशॉप को कर देता है। यहाँ सन् १६४१ ई० से सार्वजनिक मताधिकार को समाप्त कर परिवार के मुखिया द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था की गई है।

## अलबानिया

स्थिति—युगोस्लाविया, ग्रीस और एड्रियाटिक समुद्र से घिरा; क्षेत्रफल—१०,६२६ वर्गमील; जन-संख्या—१६,२५,००० (१६६०); सिक्का—अलबानियन फ्रैंक; राजधानी—तिराना; भाषा—अलबानियन; धर्म—इस्लाम और रोमन कैथोलिक; चेयरमैन ऑफ दी प्रेसिडियम ऑफ पिपुल्स एसेम्बली—मेजर जेनरल हदजी लेशी; मंत्रिमंडल के अध्यक्ष—कर्नल जेनरल मेहमत शेहू; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (सोवियत ढंग का); मुख्य नगर—बेरट, कोर्सी, सकोडर, एलबासान, जीनो कस्टर।

यह कृषकों और पशुपालकों का देश है। यहाँ मुख्यतः घेघ-जाति के लोग हैं। इसमें २६ जिले और २२ नगर हैं। लगभग २,००० वर्षों तक विभिन्न देशों के सैनिक इसे रौंदते रहे। सन् १६१२ ई० में यह टर्की से स्वतन्त्र हुआ। सन् १६२५ ई० में यह गणतंत्र घोषित हुआ, किन्तु १६२८ ई० में यहाँ राजतंत्र स्थापित हो गया। द्वितीय महासमर में जर्मनी और इटली ने इसपर आक्रमण किया। सन् १६४६ ई० में यहाँ पुनः गणतंत्र घोषित किया गया। यह सोवियत गुट के अन्दर है। सन् १६५६ ई० से यहाँ स्टालिनवादी साम्यवादियों का शासन है। सन् १६६० ई० में साम्यवाद के सैद्धान्तिक आदर्शों को लेकर जब रूस और चीन में मतभेद हुआ था, तब यह चीन के साथ था। सोवियत रूस के साथ इसका मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। इधर दोनों देशों ने अपने-अपने राजदूत को वापस बुला लिया है।

## आस्ट्रिया

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—३२,३६६ वर्गमील; जन-संख्या—७०,००,००० (१६५८ ई०); राजधानी—वियना; भाषा—जर्मन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—

शिलिंग; राष्ट्रपति—अडोल्फ स्कर्फ (१९५७ ई० से); चांसलर (प्रधानमंत्री)—डॉ० अल्फोन्स गॉरबक (१९६१ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—ग्राज, लिंज, इन्सब्रुक, सल्जबर्ग।

प्रारंभ में अस्ट्रिया, अस्ट्रिया-हंगरी-साम्राज्य का एक भाग रहा। हैप्सबर्ग घराने का सम्राट् रुडॉल्फ सन् १२७३ ई० में रोम-साम्राज्य का सम्राट् बनाया गया। इस घराने के लोग नेपोलियन बोनापार्ट के उदय-काल, सन् १८०६ ई० तक रोम-साम्राज्य पर शासन करते रहे। प्रथम महासमर के बाद अस्ट्रिया-हंगरी-साम्राज्य विघटित हो गया और अस्ट्रिया-गणतन्त्र की स्थापना हुई। सन् १९३८ से १९४५ ई० तक इसपर जर्मनी का अधिकार रहा। पीछे इसपर इंगलैंड आदि मित्र-राष्ट्रों का कब्जा हो गया। १७ वर्षों की परतन्त्रता के बाद १५ मई, १९५५ को यह स्वतंत्र कर दिया गया। सन् १९५६ ई० में यहाँ आम चुनाव हुआ और पीपुल्स पार्टी तथा सोशलिस्ट पार्टी की संयुक्त सरकार कायम हुई। इसमें ९ प्रान्त हैं। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं।

## आइसलैंड

स्थिति—उत्तरी अटलांटिक में आर्कटिक वृत्त के निकट एक द्वीप; क्षेत्रफल—३९,७५८ वर्गमील; जन-संख्या—१,६६,००० (१९५८); राजधानी—रेकजाविक; भाषा—आइसलैंडिक; धर्म—इभान जेलिकल लुदरन; सिक्का—क्रोन; राष्ट्रपति—असगीर असगीरसन (पुनर्निर्वाचित १९६०); प्रधानमंत्री—ओलाफर थार्स (पुनर्निर्वाचित १९६०); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र। मुख्य नगर—अकुरेरी, अफनर्फजोरी, कोपाभोगर।

दुनिया के ज्वालामुखीवाले देशों में इसका स्थान अग्रगण्य है। यहाँ की जमीन ऊँची-नीची तथा बंजर है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और उसका निर्यात करना है। यह सन् १९४४ ई० में डेनमार्क से स्वतन्त्र हुआ। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है। आइसलैंड के पास उसकी कोई अपनी सेना नहीं है। परन्तु यह उत्तर अटलांटिक-संधि-संगठन का सदस्य है। सन् १९५१ ई० की संधि के अनुसार संयुक्त-राज्य अमेरिका इस देश पर अपनी स्थल, वायु तथा जल-सेना रखता है। जून, १९५९ में यहाँ की पार्लमेण्ट का नवीन निर्वाचन हुआ।

## आयरलैंड (आयरिश रिपब्लिक)

स्थिति—यूरोप महादेश के ग्रेट-ब्रिटेन से पश्चिम अटलांटिक सागर में एक द्वीप; क्षेत्रफल—२६,५९९ वर्गमील; जन-संख्या—२८,९८,२६४ (१९५६); राजधानी—डबलिन; भाषा—आयरिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—आयरिश पौंड; राष्ट्रपति—ईमोन-डी-वेलेरा (जून १९५९ से); प्रधानमंत्री—सीन लेमास (जून १९५९ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—कॉर्क, लिमेरिक, वाटरफोर्ड, गाल्वे, बेलफास्ट।

यह एक कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की किलानी झील बहुत प्रसिद्ध है। इसने अप्रैल, १९१६ ई० में ब्रिटिश सरकार से विद्रोह कर गणतंत्र की घोषणा की, किन्तु यह असफल रहा। सन् १९१९ ई० में पुनः यहाँ की पार्लमेण्ट ने स्वतंत्रता की माँग की। दिसम्बर, १९२१ में ब्रिटेन ने अल्स्टर (उत्तरी आयरलैंड) और दक्षिणी आयरलैंड को अधिराज्य पद प्रदान किया।

उत्तरी आयरलैंड ने इसे स्वीकार कर लिया। दक्षिणी आयरलैंड (आयरिश फ्री स्टेट) अपना अधिकार सम्पूर्ण आयरलैंड पर मानता रहा, किन्तु सन् १९२५ ई० में उत्तरी आयरलैंड ने ब्रिटेन के साथ ही रहने का निश्चय किया। दिसम्बर, १९३७ ई० के संविधान में दक्षिणी आयरलैंड ने पुराना नाम आयरलैंड ही रखा और इसे पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र घोषित किया। अप्रैल, १९४९ से यह इंगलैंड से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहना भी इसने स्वीकार नहीं किया। यह अब भी चाहता है कि अल्स्टर हमारे साथ रहे। आयरलैंड की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव ७ वर्षों के लिए होता है।

## इटली

स्थिति—यूरोप महादेश का दक्षिण-पश्चिम भाग; क्षेत्रफल—१,१७,४७१ वर्गमील; जन-संख्या—४,९५,१०,००० (१९६०); राजधानी—रोम; भाषा—इटालियन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—लीरा; राष्ट्रपति—ऐण्टोनियो सेगनी (६ मई, १९६२ से); प्रधानमंत्री—अमिण्टोर फनफनी (२७ जुलाई, १९६० से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—नेपल्स, जेनोआ, मिलन, टुरिन, वेनिस, पैलर्मो, फ्लॉरेन्स।

यह उत्तर में आल्प्स पर्वत से लेकर भूमध्यसागर के अन्दर दक्षिण-पूरब दिशा में बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसमें मुख्य भूखण्ड के अतिरिक्त सिसली, सारडिनिया, एल्बा और ७० अन्य छोटे-छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। यह दुनिया में मरकरी (पारा) का सबसे बड़ा उत्पादक है। गंधक के उत्पादन में भी इसका प्रमुख स्थान है।

प्राचीन काल में यहाँ का रोम-साम्राज्य अपने सुव्यवस्थित शासन, सभ्यता और संस्कृति के लिए विश्वविख्यात था। द्वितीय महासमर से पूर्व यहाँ फासिस्ट शासन की स्थापना हुई थी, जिसका प्रवर्त्तक मुसोलिनी था। मुसोलिनी के अधिनायकत्व में इटली ने द्वितीय महासमर में नाजी जर्मनी का साथ दिया था। यहाँ के वर्त्तमान गणतन्त्र की स्थापना सन् १९४६ ई० में हुई थी। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। दोनों की सम्मिलित बैठक में राष्ट्रपति सात वर्षों के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, पर वह पार्लमेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

सन् १९५४ ई० में स्वतन्त्र नगर ट्रिस्टे को इटली के साथ सम्बद्ध कर संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् की देख-रेख में रखा गया। विशेष विवरण के लिए देखें 'ट्रिस्टे'।

## ग्रीस (यूनान)

स्थिति—दक्षिणी यूरोप; क्षेत्रफल—५१,२४६ वर्गमील; जन-संख्या—८५,५५,००० (१९५८); राजधानी—एथेन्स; भाषा—ग्रीक और तुर्की; धर्म—ग्रीक ऑर्थोडॉक्स; सिक्का—ड्रॉकमा; शासक—प्रथम किंग पॉल (१९४७ से); प्रधानमंत्री—कान्सटेण्टिन करेमैनलिस (१९५८ से); शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र। मुख्य नगर—वोलोस, हेराकलियोन, थेसालोनिकी, पैट्रॉस।

यह एक प्राचीन देश है, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के प्राचीन नगर-राज्यों में गणतांत्रिक शासन-व्यवस्था थी। इसने महात्मा सुकरात, अरस्तू और प्लेटो-जैसे महापुरुषों को जन्म दिया, जिनकी देन विविध ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में आज भी

महत्त्वपूर्ण है। यह वर्त्तमान पाश्चात्य सभ्यता का जनक समझा जाता है। इसका अधिकांश भाग पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ भूमि है। यहाँ बहुत-से टापू हैं। मई, १९५८ के चुनाव में नेशनल रेडिकल यूनियन पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। सन् १९५२ ई० से महिलाओं को भी मत प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ २१ से ५० वर्ष के उम्रवालों के लिए सैनिक सेवा जरूरी है। यह उत्तर अटलांटिक संधि-संगठन का सदस्य है। सन् १९५४ ई० में इसने तुर्की और युगोस्लाविया के साथ बीस वर्षीय सैनिक साहाय्य सन्धि की।

## ग्रेटब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड

स्थिति—यूरोप के उत्तर-पश्चिम भाग में; ग्रेटब्रिटेन का क्षेत्रफल—८९,०४१ वर्गमील और उत्तरी आयरलैंड का ५,२३८ वर्गमील; ग्रेटब्रिटेन की जन-संख्या—५,१२,२१,००० और उत्तरी आयरलैंड की जन-संख्या—१२,७०,९३२ (१९५१); राजधानी—लन्दन; राजभाषा—अँगरेजी; जनभाषा—अँगरेजी, स्कॉचवेल्स और आयरिश; धर्म—ईसाई; सिक्का—पौंड स्टर्लिङ; रानी—एलिजाबेथ द्वितीय (१९५२ से); प्रधानमंत्री—हेराल्ड मैकमिलन (१९५५ से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र। मुख्य नगर—बरमिंघम, लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, ग्लासगो, साउदम्पटन, कारडिफ, एडिनबरा, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज।

ग्रेटब्रिटेन के अन्तर्गत इंगलैंड, वेल्स, स्कॉटलैण्ड तथा आइल्स ऑफ मैन और चैनेल द्वीप-पुंज हैं। उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर सभी ब्रिटिश-द्वीपपुंज कहलाते हैं। पहले समस्त आयरलैंड ब्रिटिश-द्वीपपुंज के अन्दर माना जाता था और वह ब्रिटिश शासन के अधीन था, किन्तु सन् १९४९ ई० से दक्षिणी आयरलैंड पूर्ण स्वतन्त्र हो गया है और केवल उत्तरी आयरलैंड ब्रिटिश शासन के अधीन रह गया है। ग्रेटब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की वैधानिक सत्ता ब्रिटिश पार्लमेंट के अधीन है, जिसके दो सदन हैं—हाउस ऑफ् लॉर्ड्स (लॉर्ड-सभा) और हाउस ऑफ् कॉमन्स (साधारण सभा)। पहले सदन के ८४० सदस्य होते हैं, जो प्रायः आजीवन सदस्य बने रहते हैं। दूसरे सदन के ६२० निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन ५ वर्षों के लिए होता है। उत्तरी आयरलैंण्ड की भी अपनी पार्लमेण्ट है, किन्तु ब्रिटिश हाउस ऑफ् कॉमन्स में भी इसके १२ प्रतिनिधि रहते हैं। यहाँ के प्रमुख राजनीतिक दल कंजरवेटिव, लेबर और लिबरल हैं।

एक दिन ब्रिटेन का साम्राज्य संसार का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और वह सभी महादेशों में फैला हुआ था। संयुक्तराज्य अमेरिका भी कभी इसी साम्राज्य के अन्तर्गत था। कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी नहीं डूबता। किन्तु घटते-घटते भी इस साम्राज्य का क्षेत्र अभी बहुत बड़ा है। अस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैण्ड, जिनके विवरण अलग दिये गये हैं, अब नाम-मात्र को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हैं। मिस्र, भारत, पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका भी पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर थे। ये सब द्वितीय महासमर के बाद स्वतन्त्र हुए हैं। अफ्रिका, दक्षिण-अमेरिका, अटलांटिक द्वीपपुंज, वेस्ट इंडीज, प्रशान्त द्वीपपुंज और भूमध्यसागर में इसका साम्राज्य कहाँ-कहाँ है, यह नीचे दिया जाता है—

अफ्रिका में—(१) केनिया—क्षेत्रफल—२,२४,९६० वर्गमील और जन-संख्या—५९,४७,००० (१९५४); राजधानी—नैरोबी; निवासी—अधिकतर अफ्रिकी। (२) उगाण्डा—

संरक्षित राज्य; क्षेत्रफल—६३,३८१ वर्गमील और जन-संख्या—५३,४३,०८०; राजधानी—ऐंटिब्बी। (३) जंजीबार—क्षेत्रफल—१,०२० वर्गमील और जन-संख्या—२,६५,८७२ (१६४८); निवासी—अधिकतर अफ्रिकी। (४) फेडरेशन ऑफ रोडेशिया ऐण्ड न्यासालैंड—क्षेत्रफल—४,८६,६७३ वर्गमील और जन-संख्या—६८ लाख (१६५५), जिसमें २½ लाख यूरोपियन। गवर्नर जेनरल का निर्वाचन—ब्रिटेन के राजा या रानी द्वारा; राजधानी—सेलेसबरी। (५) ब्रिटिश गैम्बिया—क्षेत्रफल—४,१०१ वर्गमील और जन-संख्या—२७,२६७ (१६५१); राजधानी—बैथर्स्ट। (६) बेसुटोलैण्ड—क्षेत्रफल—११,७१६ वर्गमील और जन-संख्या—६,०१,००० (१६४६)। (७) बेचुआनालैण्ड—क्षेत्रफल—२,७५,००० वर्गमील और जन-संख्या—२,८४,१२६ (१६४६)। (८) स्वाजीलैण्ड—क्षेत्रफल—६,७०५ वर्गमील और जन-संख्या—१,७५,२१० (१६४८); राजधानी—मलाबेन।

दक्षिणी अमेरिका में—ब्रिटिश गायना—क्षेत्रफल—८३,००० वर्गमील और जन-संख्या—४,५०,०००; निवासी—अधिकतर रेड-इण्डियन; राजधानी—जॉर्ज टाउन।

अटलांटिक द्वीपपुंज—(१) बरमुडा—न्यूयार्क से ६७७ मील दक्षिण-पूरब; ३६० छोटे-छोटे द्वीपों का समूह; क्षेत्रफल—२१ वर्गमील और जन-संख्या—३४,६६५ (१६४६); अमेरिका और ब्रिटेन का सामूहिक अड्डा। (२) फॉकलैण्ड द्वीपपुंज और उनके आश्रित स्थान—दक्षिण अटलांटिक का उपनिवेश; क्षेत्रफल—५,६१८ वर्गमील और जन-संख्या—२,६३३ (१६४७)। (३) न्यूफाउण्डलैंड और लैब्रेडर—क्षेत्रफल—४२,७३४ वर्गमील और जन-संख्या—३,२१,१७१ (१६४५); राजधानी—सेंट जोन्स। (४) ब्रिटिश हाण्डुरास—कैरिबियन समुद्र का उपनिवेश; क्षेत्रफल—८,८६७ वर्गमील और जन-संख्या—६१,४०३ (१६४७), राजधानी—बेलिजा।

पश्चिमी द्वीपपुंज (वेस्ट इंडीज)—एण्टिगुआ, बरबाडो, डोमिनिका, ग्रेनाडा, जमैका, मौण्टसरेट, सेण्टक्रिटोफर, नेविस और एंग्विला, सेण्ट लूसिया, सेंटविन्सेंट तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो। सन् १६५६ ई० में इन सबका एक संघ-राज्य कायम किया गया। मई, १६५७ में इसका प्रथम गवर्नर-जेनरल—लॉर्ड मेलस हुआ।

(१) बहमा द्वीप-समूह—क्षेत्रफल—४,४०४ वर्गमील और जन-संख्या ६६,६६१; निवासी—८५ प्रतिशत अश्वेतांग। (२) बड़बाडो द्वीपपुंज—क्षेत्रफल—१६६ वर्गमील और जन-संख्या—१,६६,०१२। (३) जमैका—क्षेत्रफल—४,४०४ वर्गमील और जन-संख्या—१२,३७,०६३, जिसमें श्वेतांग १४,७०३, अश्वेतांग २,१६,२५०; राजधानी—किंग्सटन। ८ फरवरी, १६६२ को प्रसारित ब्रिटिश सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि ६ अगस्त, १६६२ को जमैका स्वतन्त्र हो जायगा। (४) लीवार्ड द्वीपपुंज—क्षेत्रफल—४२२ वर्गमील और जन-संख्या—१,०८,७४७ (१६४६)। (५) ट्रिनिडाड—क्षेत्रफल—१,८६४ वर्गमील और जन-संख्या—५,५७,६७० (१६४६)। (६) विण्डवार्ड द्वीपपुंज—इसके अन्तर्गत ग्रेनाडा, सेण्ट-विन्सेण्ट, ग्रेनाडाइन्स, सेण्ट लूसिया और डोमिनिका-द्वीप हैं। सबका शासन एक गवर्नर के अधीन है।

प्रशान्त-द्वीपपुंज—(१) फिजी—लगभग ३२२ द्वीपों का समूह; क्षेत्रफल—७,०८३ वर्गमील; जन-संख्या—२,६६,२७४ (१६४७), जिसमें ४,५६४ यूरोपीय, १,१८,०८३ मूल

निवासी और १,२०,४१४ भारतीय; राजधानी—सूवा; शासन के लिए गवर्नर, एक्जिक्यूटिव कौंसिल और लेजिस्लेटिव कौंसिल। लेजिस्लेटिव कौंसिल में ५ भारतीय सदस्य।

अन्य छोटे-छोटे द्वीप-समूह—गिलबर्ट और ऐलिस द्वीपपुंज—उपनिवेश, सोलोमन द्वीपपुंज—रक्षित राज्य, न्यू हेब्रिड्स कोण्डोमीनियन, टोगो द्वीपपुंज, पिटकैर्न द्वीप, स्टारबक द्वीप, माल्डन द्वीप, कैरोलिन और वोस्टॉ-द्वीपपुंज आदि, आदि।

(१) पश्चिम समोआ—क्षेत्रफल—७०० वर्गमील और जन-संख्या—७१,६०५ (१९४७), संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में; (२) नैरो द्वीप—क्षेत्रफल—५,२६३ वर्गमील और जन-संख्या—३,१६० (१९४८), संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में; (३) ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो—क्षेत्रफल—२९,३८२ वर्गमील और जन-संख्या—२,७०,२२३ (१९३१); निवासी—मुख्यतः मुसलमान और आदिवासी। (४) बरनिये—क्षेत्रफल—२,२२६ वर्गमील और जन-संख्या—४०,६७० (१९४७)। (५) सैरेवक—क्षेत्रफल—४७,००० वर्गमील और जन-संख्या—५,४६,३८१ (१९४७); राजधानी—कुचिंग। (६) हाँगकाँग—३२ वर्गमील, दूसरे द्वीपों को मिलाकर क्षेत्रफल ३९१ वर्गमील; कुल जन-संख्या—१७,५०,००० (१९४८); शासन-कार्य के लिए गवर्नर, एक्जिक्यूटिव कौंसिल और लेजिस्लेटिव कौंसिल; साम्यवादी चीन-सरकार के बाद यहाँ जहाजी बेड़ा और टैंक का प्रबन्ध।

भूमध्यसागर में—(१) जिब्राल्टर—स्पेन के दक्षिण-पश्चिम भूमध्यसागर और अतलान्तिक सागर के मिलन-स्थल पर; १९१३ ई० से ब्रिटेन के अधिकार में। (२) माल्टा—सिसली से दक्षिण; क्षेत्रफल—१२२ वर्गमील और जन-संख्या ३ लाख से अधिक।

## चेकोस्लोवाकिया

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—४९,३२१ वर्गमील; जन-संख्या—१,३६,५४,००० (१९६० ई०); राजधानी—प्राग (प्राहा); भाषा—चेक और स्लाव; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—करुणा; राष्ट्रपति—अण्टोनिन नोवोट्नी (१९५७ से); प्रधानमंत्री—विलियम सिरोकी; शासन-स्वरूप—साम्यवादी गणतन्त्र; मुख्य नगर—ब्रनों, ब्राटिस्लावा, ओस्ट्रावा, पीजेन।

यह गणतन्त्र राज्य भूतपूर्व अस्ट्रिया-हंगरी-साम्राज्य का एक खंड है, जिसका निर्माण १९१८ ई० में हुआ था। उस समय बोहेमिया, मोराविया (अस्ट्रियन साइलेशिया-सहित), स्लोवाकिया और रुथेनिया इसके प्रान्त थे। सन् १९४५ ई० में रुथेनिया रूस में मिल गया। सन् १९४८ ई० में इसके १९ प्रान्त बना दिये गये। १ जुलाई, १९६० से यहाँ के प्रान्तों का पुनर्गठन करके कुल ११ प्रान्त बनाये गये हैं, जिनमें एक राजधानी प्राग भी है। सन् १९४८ से यहाँ सोवियत ढंग का संविधान लागू है। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक ही सदन है, जिसके ३०० सदस्य हैं। यहाँ के राष्ट्रपति पार्लमेण्ट द्वारा सात वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यहाँ का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, किन्तु वे पार्लमेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। यह प्राकृतिक साधनों एवं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में यूरोप के सम्पन्न राष्ट्रों में एक है।

## जर्मनी

यह यूरोप का एक प्रमुख राष्ट्र रहा है। यहाँ की राजधानी बर्लिन थी। विश्व के प्रथम और द्वितीय महासमर (क्रमशः १९१४-१८ और १९३९-४५) में इसने अपने नवीन वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों से सारे संसार को चकित एवं आतंकित कर दिया था। प्रथम महासमर-काल में इसके नेता कैसर और द्वितीय महासमर के समय हिटलर थे। हिटलर नाजी-दल का प्रवर्त्तक और नेता था और इस रूप में ही वह जर्मनी का अधिनायक बनकर शासन करता था। दोनों महायुद्धों में बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर भी अन्त में इसे हार खानी पड़ी। द्वितीय महायुद्ध के बाद जर्मनी को चार भागों में विभक्त किया गया—ब्रिटेश, फ्रांसीसी, अमेरिकन और सोवियत इलाके। सन् १९५० ई० में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकन इलाकों को मिलाकर 'फेडरल जर्मन रिपब्लिक' का गठन किया गया। इसके बाद सोवियत-शासित इलाके में 'जर्मन डेमोक्रैटिक रिपब्लिक' का गठन हुआ। इसका दूसरा नाम है—पूर्व जर्मन-सरकार। फेडरल जर्मन रिपब्लिक का दूसरा नाम है—पश्चिम जर्मन-सरकार।

जर्मनी के इन दोनों भागों को लेकर सोवियत रूस और अमेरिका के बीच राजनीतिक दाव-पेंच अर्से से चल रहे हैं। पश्चिम जर्मनी में जिस प्रकार ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकी सेना अबतक कायम है, उसी प्रकार पूर्व जर्मनी में सोवियत रूस की सेना। सोवियत सेना की संख्या लगभग चार लाख होगी। पश्चिम जर्मनी में भी प्रायः उतनी ही सेना होगी। दोनों भागों के पुनः एकीकरण की चर्चा भी चलती रहती है। जर्मनी के मुख्य नगर ये हैं—हैम्बर्ग, कोलोनी, म्युनिक, लिपजिग, एसेन, ड्रेस्डेन, ब्रेस्लॉ, फ्रैन्कफर्ट ऑन मेन, डसेलडोर्फ, डार्टमण्ड, हैनोवर, स्टुटगार्ट।

पश्चिमी जर्मनी (जर्मन फेडरल रिपब्लिक)—क्षेत्रफल—९५,९१८ वर्गमील; जन-संख्या—५,१८,३२,०००; राजधानी—बोन; भाषा—जर्मन; धर्म—ईसाई; सिक्का—ड्यूस मार्क; राष्ट्रपति—हेनेरिच लुबके (जुलाई, १९५९ से); चांसलर (प्रधानमंत्री)—डॉ० कानराड अडेनार (१९५७ से)।

यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहाँ का मंत्रिमंडल साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। राष्ट्रपति का चुनाव ५ वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति चांसलर (प्रधानमंत्री) का चुनाव करता है।

पूर्वी जर्मनी (जर्मन डेमोक्रैटिक रिपब्लिक)—क्षेत्रफल—४१,६४५ वर्गमील; जन-संख्या—१,७२,८५,९०२ (१९५९ ई०); राजधानी—बर्लिन; भाषा—जर्मन; धर्म—ईसाई; सिक्का—ड्यूश मार्क; राष्ट्रपति—विलहम पीक (१९५७ से); प्रधानमंत्री—ऑटो ग्रेटेवोल।

यहाँ का शासन सोवियत रूस के ढंग का है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव पार्लमेण्ट के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में होता है।

## ट्रिस्टे

फरवरी, १९४७ ई० में यह एक स्वतन्त्र नगर बनाया गया था। सन् १९५३ ई० में इसको लेकर इटली और युगोस्लाविया में तनातनी हो गई, किन्तु राष्ट्र-संघ की सुरक्षा-परिषद् ने सन् १९५४ ई० में इसे इटली के साथ सम्बद्ध कर अपनी ही देख-रेख में रखा।

## डेनमार्क

**स्थिति**—यूरोप महादेश में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से घिरा; **क्षेत्रफल**—१६,५७६ वर्गमील; **जन-संख्या**—४५,६३,५०० (१९६०); **राजधानी**—कोपेनहेगेन; **भाषा**—डेनिश; **धर्म**—इवान जेलिकल लुथेरन; **सिक्का**—क्रोन; **शासक**—नवम फ्रेडरिक (१९४७ से); **प्रधानमंत्री**—विगो कम्पमन; **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र; **मुख्य नगर**—आरहुस, ओडेन्स, आलबोर्ग, एस्बजर्ग, रैण्डर्स, होरसेन्स।

यह यूरोप का प्राचीनतम राजतंत्रात्मक देश है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड इसी का एक अंग है। यहाँ के मुख्य निर्यात की वस्तुएँ मक्खन, मांस, फार्म की तैयार की हुई वस्तुएँ आदि हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट में १७९ सदस्य हैं। यहाँ राजा ही मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष होता है। वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है। यहां सन् १९१५ ई० से ही महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ का विदेशी व्यापार संसार में सबसे बड़ा है।

## नारवे

**स्थिति**—यूरोप के उत्तर-पश्चिम; **क्षेत्रफल**—१,२५,०६४ वर्गमील; **जन-संख्या**—३५,७१,४०१ (१९६०); **राजधानी**—ओस्लो; **भाषा**—लैंड्समाल; **धर्म**—इवान जेलिकल लुथेरन; **सिक्का**—क्रोन; **राजा**—पंचम ओलाव (१९५७ से); **प्रधानमंत्री**—इनर गेरहार्डसन (१९५५ से); **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र; **मुख्य बन्दरगाह**—बरगेन, स्टैवेंजर, ट्रोंडहम, नारविक।

नारवे के बिल्कुल उत्तरी भाग नार्थकेप के क्षेत्र में अर्द्धरात्रि में भी सूर्य का दृश्य दिखाई पड़ता है। मई के मध्य से जुलाई के अंत तक यहाँ सूर्यास्त नहीं होता। लगभग १८ नवम्बर से २३ जनवरी तक सूर्य क्षितिज पर ही रहता है। जाड़े के दिनों में यहाँ उत्तर की ओर विविध रंग का प्रकाश दिखाई पड़ता है, जिसे 'अरोरा बोरियलिस' या 'मेरु-प्रभा' कहते हैं। इस देश की लम्बाई १,१०० मील और चौड़ाई ४ मील से २७० मील तक है। यह मुख्यतः नाविकों का देश है। यहां की ७२ प्रतिशत भूमि अनुर्वर है। सदियों तक स्वतन्त्र रहता हुआ यह सन् १३८१ से १८१४ ई० तक डेनमार्क के साथ मिला रहा। सन् १८१४ ई० के संविधानानुसार यहाँ संवैधानिक वंश-परम्परागत राजतन्त्र कायम हुआ। सन् १८१४ ई० से १९०५ ई० तक यह स्वीडन के साथ था। इसके बाद दोनों देश अलग हो गये। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। अक्टूबर, १९५७ में हुए यहाँ के साधारण निर्वाचन में लेबर पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ।

## नेदरलैंड (हालैंड)

**स्थिति**—यूरोप महादेश का उत्तर-पश्चिम भाग; **क्षेत्रफल**—१२,८५० वर्गमील; **जन-संख्या**—१,१४,१७,२५४ (१९५९); **राजधानी**—एम्सटर्डम; **भाषा**—डच; **धर्म**—ईसाई; **सम्राज्ञी**—जुलियाना लाउजी एम्मा मेरी विलहेलमिना (१९४८ से); **प्रधानमंत्री**—जॉन डीक्वे (मई, १९५९ से); **सिक्का**—गिल्डर; **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र; **मुख्य नगर**—हेग, रोटरडम, उट्रेक्ट, हारलेम।

नेदरलैंड या हालैंड एक ही देश का नाम है, जहाँ के रहनेवाले 'डच' कहलाते हैं। यहाँ के लोग बड़े ही सुदक्ष नाविक हुए, जिससे उन्होंने एशिया और अफ्रिका में भी अपना व्यापार और राज्य फैलाया। यहाँ की भूमि का ४० प्रतिशत चरागाह, ३० प्रतिशत कृषि-योग्य, ७ प्रतिशत जंगल और ३ प्रतिशत बागवानी के योग्य है। यहाँ के उद्योग धन्धे भी बहुत उन्नतिशील हैं। यहाँ से दूध की बनी चीजों का पर्याप्त निर्यात होता है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर हेग है, जहां समय-समय पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी यहीं है।

नेदरलैंड का एशिया के अन्दर का उपनिवेश ईस्ट इंडीज सन् १९४९ ई० में स्वतंत्र किया जाकर इंडोनेशिया में सम्मिलित कर दिया गया। केवल न्यूगीनी डचों के हाथ में रहा है। यह ग्रीनलैंड के बाद संसार का दूसरा बड़ा द्वीप गिना जाता है। इसका क्षेत्रफल ३,१६,८६१ वर्गमील है। यहाँ का शासन गवर्नर के हाथ में है, जिसकी सहायता के लिए कौंसिल भी रहती है।

## पुर्त्तगाल

स्थिति—यूरोप के दक्षिण-पश्चिम भाग में; क्षेत्रफल—३५,४६६ वर्गमील; जन-संख्या—८९,०९,००० (१९५७); राजधानी—लिसबन; भाषा—पुर्त्तगाली; धर्म—रोमन कैथोलिक; राष्ट्रपति—रेयर-एडमिरल अमेरिको डेउस रोड्रिगुएस टोमाज (१९५८ से); प्रधानमंत्री—अण्टोनियो डे ओलिविरा सालाजार; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—कोइम्बरा फुंकल, ब्रागा, एवोरा, वोरटा, उलेगाडा, कोविलहा।

यह देश नदियों द्वारा मुख्यतः तीन प्राकृत भागों में विभक्त है। यह १२वीं शताब्दी से स्वतंत्र रहा है। सन् १९१० ई० में यहाँ राजा मानोएल द्वितीय के विरुद्ध क्रांति हुई, जिसके फल-स्वरूप यह गणतंत्र घोषित किया गया। यहाँ की पार्लमेंट का एक सदन है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ७ वर्षों के लिए होता है और यही प्रधानमंत्री-सहित मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है।

पुर्त्तगाल के अधिकार में अब भी समुद्र-पार के निम्नलिखित भू-भाग हैं—

१. केप वरेड द्वीप-समूह—अफ्रिका के पश्चिमी भाग में इस द्वीप-समूह के अन्दर १५ छोटे-छोटे द्वीप हैं। इसका क्षेत्रफल—१,५५७ वर्गमील और जन-संख्या—१,६६,००० (१९५४) है।

२. पुर्त्तगीज गीनी—यह भू-भाग पश्चिम अफ्रिका में है। इसका क्षेत्रफल—१३,९४८ वर्गमील और जन-संख्या—५,५४,००० (१९५७) है।

३. सान टोमे और प्रिंसिपे द्वीप-समूह—यह अफ्रिका के पश्चिमी किनारे से १२५ मील दूर गीनी की खाड़ी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ३७२ वर्गमील और जन-संख्या ५३,००० (१९५४) है।

४. पुर्त्तगीज पश्चिमी अफ्रिका (अंगोला)—यह अफ्रिका के पश्चिम में स्थित है और १५७५ ई० से ही पुर्त्तगाल के कब्जे में है। इसका क्षेत्रफल ४,८१,३५१ वर्गमील और जन-संख्या ४३,५४,००० (१९५७) है। इसकी राजधानी लुआण्डा है।

५. पुर्त्तगीज पूर्वी अफ्रिका (मोजाम्बिक)—यह उत्तर में केप-डेलगाडो से लेकर दक्षिण में दक्षिण अफ्रिका-संघ तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल—२,९७,७३१ वर्गमील और जन-संख्या—६१,७०,००० (१९५७) है। इसकी राजधानी लोरेन्को मारक्विस है।

६. मकाओ—चीन की कैण्टन नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल—६ वर्गमील है।

७. पुर्त्तगीज टिमोर—यह मलाया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल—७,३३० वर्गमील तथा जन-संख्या ४,८४,००० (१९५७) है। सन् १९६१ ई० के १८ दिसम्बर को पुर्त्तगाल-अधिकृत भारत-स्थित उपनिवेश—गोआ, डामन और ड्यू—पर भारत-सरकार का अधिकार हो गया।

## पोलैंड

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—१,२०,३५५ वर्गमील; जन-संख्या—२,९७,३१,००० (१९६०); राजधानी—वारसा; भाषा—पोलिश और जर्मन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—ज्लोटी; राज्य-सभा का अध्यक्ष—एलेक्जेण्डर जावाडस्की; मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष—जोसेफ साइरान कीविज (१९५४ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—लॉज लुब्लिन, क्रैकॉ, डॉजिंग, पोजनान।

यहाँ के मूल-निवासियों में स्लावोनिक जाति के लोग हैं। देश की ४५ प्रतिशत भूमि खेती के काम में लाई जाती है। यहाँ पर प्राकृतिक साधन अधिक हैं। पोलैंड का इतिहास ९वीं सदी के बाद आरम्भ होता है। १४वीं से १७वीं सदी तक यह शक्तिशाली राष्ट्र रहा। उसके बाद यह विभाजित होकर प्रशा, रूस और अस्ट्रिया का अंग बन गया। प्रथम महासमर के बाद यह सन् १९१८ ई० में स्वतंत्र हुआ ही था कि सन् १९३९ ई० में हिटलर ने इसपर पुनः अधिकार जमा लिया और यह फिर जर्मनी और रूस में विभक्त हो गया। सन् १९४१ ई० में जर्मनी ने इसपर पूरा कब्जा कर लिया। अन्त में सन् १९४५ ई० में रूस ने इसे स्वतंत्र किया। तब से रूस के प्रभाव में यहाँ साम्यवादी सरकार कायम है। जुलाई १९५२ में इसका नया संविधान स्वीकृत हुआ। उसी वर्ष २० नवम्बर को गणतंत्र के अध्यक्ष के स्थान पर १५ सदस्यों की एक राज्य-परिषद् गठित हुई। मार्च, १९५६ से यहां की शासन-सत्ता युनाइटेड वर्कर्स पार्टी के हाथ में आई। अप्रैल, १९६१ के आम चुनाव में यहाँ युनाइटेड वर्कर्स पार्टी का बहुमत हुआ।

## फिनलैंड

स्थिति—यूरोप महादेश का उत्तर-पश्चिमी भाग; क्षेत्रफल—१,३०,१६५ वर्गमील; जन-संख्या—४३,९४,९९२ (१९५८); राजधानी—हेलसिन्की; भाषा—फिनिश, स्वेडिश; धर्म—इमान जेलिकल लुदेरन; सिक्का—मार्का; राष्ट्रपति—डॉ० यूरहो केकोनेन (१९५६ से); प्रधानमंत्री—वी० जे० सुक्सेलैनेन; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—टुर्कू, टैम्पेरे, पोरीवासा, ओउलू, लहटी।

इस देश का ७० प्रतिशत भूभाग जंगलों से भरा है। आरम्भ में यहाँ एशिया और यूरोप की विभिन्न जातियों के लोग आकर बसे थे। यहाँ के स्वीडन-निवासियों के प्रयत्न से यह देश सन् ११५४ ई० से १८०९ ई० तक स्वीडन के अधीन रहा। इसके बाद यह रूस-साम्राज्य में मिल गया। दिसम्बर, १९१७ ई० में इसने स्वतन्त्रता की घोषणा की और सन् १९१९ ई० में गणतन्त्र राज्य हो गया। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक ही सदन है। यहाँ के राष्ट्रपति का

चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। सन् १६५८ ई० में यहाँ का साधारण निर्वाचन हुआ, जिसके फलस्वरूप एग्रेरियन पार्टी की सरकार कायम हुई।

## फ्रांस

स्थिति—यूरोप महादेश का पश्चिमी भाग; क्षेत्रफल—२,१२,६५६ वर्गमील; जन-संख्या—४,५७,३०,००० (१६६१ ई०); राजधानी—पेरिस; भाषा—फ्रेंच; धर्म—ईसाई; सिक्का—फ्रैंक; राष्ट्रपति—चार्ल्स दगॉल (१६५६ ई० से); प्रधानमंत्री—माइकेल डेब्रे, शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—मार्सेल्स, लिओन्स, बारडॉक्स, नाइस, टॉलॉस, लिली, नाण्टेस, स्ट्रेसबर्ग।

यह यूरोप का रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है। कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है। शराब के उत्पादन में यह संसार में अग्रणी रहा है। लोहा और बॉक्साइट की खान के लिए भी यह प्रसिद्ध है। ४ अक्तूबर, १६५८ को यहाँ सन् १६४६ के संविधान को रद्द कर पञ्चम गणतंत्र का नया संविधान स्वीकृत किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन ७ वर्षों के लिए होता है। वही प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है। नवम्बर, १६५८ में यहाँ नया साधारण निर्वाचन हुआ।

फ्रांसीसी साम्राज्य अब भी बहुत बड़ा है। फ्रांसीसी कम्युनिटी के अन्दर—(१) फ्रांस; (२) सम्बद्ध राज्य—मोरक्को, ट्युनिशिया और इंडोचाइना (जो हाल में स्वतन्त्र हो गये हैं); (३) न्यस्त भूभाग—टोगो और कैमेरून्स; (४) सह-अधिराज्य (ब्रिटिश के साथ)—न्यूहेब्रिड्स और (५) कुछ समुद्र-पार के देश हैं। समुद्र-पार के देशों के अन्दर निम्नलिखित भू-भाग हैं—

(१) अल्जीरिया (उत्तर-पश्चिम अफ्रिका)

(२) मायोटे और कॉमोरो द्वीपपुंज (अफ्रिका के पूरब छोटे-छोटे द्वीप)—क्षेत्रफल—६५० वर्गमील; जन-संख्या—१, ६८, ८६०; राजधानी—जाओजी।

(३) न्यूकैलेडोनिया (ईस्ट इंडीज)।

(४) ओसीनिया (पूर्वी प्रशांत महासागर का एक द्वीप)।

(५) सेण्टपीरे और मिक्वेलोन (न्यूफाउण्डलैण्ड के दक्षिण)।

(६) अन्य छोटे-छोटे स्थान—मार्टिनिक (वेस्टइंडीज); ग्वाडे लुप (वेस्टइंडीज); गीनी (पश्चिमी अफ्रिका); रीयूनियन (मडागास्कर के पूरब)।

## बलगेरिया

स्थिति—यूरोप के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में—ग्रीस, रुमानिया और युगोस्लाविया से घिरा; क्षेत्रफल—४२,७६६ वर्गमील; जन-संख्या—७७,००,००० (१६६० ई०); राजधानी—सोफिया; भाषा—स्लोवोनिक; धर्म—ग्रीक ऑर्थोडॉक्स; सिक्का—लेव; नेशनल एसेम्बली की प्रेसिडियम का अध्यक्ष—डिमिटार गानेफ; मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष—ऐण्टन यूगोव (१६५६ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—प्लॉवडिव, व्रात्सा, रूसे, वर्गस, डिमिट्रोवो, प्लेवेन।

यहाँ स्लाव-जाति के लोगों की प्रधानता है। इन्होंने सातवीं सदी में इस देश को बसाया। दसवीं सदी में ये लोग ईसाई बने। सन् १३६३ ई० में तुर्कों ने बलगेरिया को जीत लिया। सन् १६०८ ई० में यह जार फर्डिनेण्ड के समय में स्वतन्त्र हुआ। प्रथम और द्वितीय महासमर में यह जर्मनी के साथ था। सन् १६४७ ई० में यहाँ का संविधान सोवियत-संघ के आदर्श पर बनाया गया। यहाँ का शासन 'फादरलैंड फ्रॉण्ट' नामक पार्टी चलाती है। सन् १६५६ ई० में सोवियत-संघ से इसका आर्थिक समझौता (एग्रीमेण्ट) हुआ, जिसके अनुसार देशोन्नति के लिए सोवियत संघ की ओर से इसे सहायता मिलने लगी। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। यही १५ सदस्यों की प्रेसिडियम का चुनाव करता है। प्रेसिडेण्ट नाम-मात्र का प्रधान रहता है। वास्तव में शासन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल चलाता है।

## बेलजियम

स्थिति—उत्तर पश्चिम यूरोप; क्षेत्रफल—११, ७७५ वर्गमील; जन-संख्या ६१,२८,१२४ (१६५६); राजधानी—ब्रूसेल्स; भाषा—फ्रेंच और फ्लेमिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—बेलजियन फ्रैंक; राजा—बौदोई प्रथम; प्रधानमंत्री—थियोडोर लिफेवी (२५ अप्रैल, १६६१ से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक वंश-परम्परागत राजतंत्र; मुख्य नगर—एण्टवर्प, घेण्ट, लीज, मैकेलोन, ब्यूर्न, ओस्टेण्ड, ब्रूगे।

ईस्वी सन् से ६० वर्ष पूर्व रोमन विजेता जूलियस सीजर ने इसपर विजय प्राप्त की थी। १४वीं से १८वीं सदी तक यह क्रमशः फ्रांस, स्पेन और आस्ट्रिया के शासन में रहा। तत्पश्चात् यह पुनः फ्रांस और नेदरलैंड के अधीन हुआ। सन् १८३० ई० में इसने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की। प्रथम और द्वितीय महासमर के समय इसके अधिकांश भाग पर जर्मनी का आधिपत्य हो गया था।

यह यूरोप का एक बहुत घना आबाद देश है, जिसमें एक वर्गमील के अन्दर औसतन ७१७,८ व्यक्ति रहते हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। सन् १६५२ ई० से यह यूरोपीय सुरक्षा-समुदाय में सम्मिलित है। २५ अप्रैल, १६६१ को यहाँ क्रिश्चियन, सोशल और सोशलिस्ट पार्टियों का संयुक्त मन्त्रिमण्डल बना।

## मोनाको

स्थिति- यूरोप में फ्रांस के दक्षिण; क्षेत्रफल—आधा वर्गमील; जन-संख्या—२०,४२२ ( १६५६ ); राजधानी—मॉण्टे-कार्लो; धर्म—ईसाई; राजा—रैनियर तृतीय ( १६४६ से ); सिक्का—फ्रांसीसी फ्रैंक; राजमंत्री—हेनरी सोउम; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

सन् ६६८ ई० से यह स्वतन्त्र रहा। सन् १७६३ ई० में यह फ्रांस में मिला लिया गया। सन १८१५ से १८६१ ई० तक यह सारडिनिया का रक्षित राज्य रहा। सन् १८६१ ई० में यह फ्रांसीसियों के संरक्षत्व में आया। किन्तु यह निरन्तर एक स्वतन्त्र देश माना जाता रहा है। यहाँ बहुत-से अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं।

## युगोस्लाविया

स्थिति—दक्षिणी यूरोप; क्षेत्रफल—९८, ७६६ वर्गमील; जन-संख्या—१, ८४, २१,००० (१९५९); राजधानी—बेलग्रेड; भाषा—युगोस्लाव; धर्म—सरवियन ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक, मुस्लिम; सिक्का—दीनार; राष्ट्रपति—मार्शल जॉसिप ब्रॉज टीटो (पुनर्निर्वाचित अप्रैल, १९५८); शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—ल्जुब्लजाना, जागरेव, सराजेवो, सुब्रोटिका, टीटोग्राड (पॉडगोरिका), स्कोप्जे।

यह ६ स्वतंत्र राज्यों—सरविया, क्रोटिया, स्लोवेनिया, मॉण्टेनिग्रो, बोसनिया-हरसेगोभिना और मेसेडोनिया—का एक संघ है। यहाँ का ७५ प्रतिशत भाग पहाड़ों, पठारों एवं जगंलों से ढका है। यहाँ की करीब ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। द्वितीय महासमर में सन् १९४१ से १९४५ ई० तक इस देश पर जर्मनों का आधिपत्य वना रहा। सन् १९४५ ई० में मार्शल टीटो के नेतृत्व में यह जर्मनी के पंजे से मुक्त हुआ। सन् १९४६ ई० में यहाँ संघीय गणतंत्र कायम किया गया। साम्यवादी मार्शल टीटो उसका प्रधान हुआ। साम्यवादी होते हुए भी टीटो और उसके राजनीतिक दल ने सोवियत रूस के समस्त साम्यवादी देशों पर मनमाना निर्देशन के अधिकार को पसन्द नहीं किया। इससे रुष्ट होकर रूस के साम्यवादी दल के केन्द्रीय संगठन ने मार्शल टीटो को युगोस्लाविया का प्रधान मानना अस्वीकार कर दिया और लिखा कि युगोस्लाविया अपना दूसरा नेता चुने। टीटो ने रूस की बातों की बिलकुल उपेक्षा की और आर्थिक एवं सैनिक सहायता के लिए अमेरिका की ओर हाथ बढ़ाया। ब्रिटेन और फ्रांस से भी इसने विदेशी व्यापार के लिए सहायता प्राप्त की। सन् १९५५ ई० में रूस ने युगोस्लाविया के प्रति की गई अपनी गलती कबूल की और उसके साथ नई सन्धि कर उसे अपनी नीति में स्वतंत्र रहने के अधिकार को मान लिया। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक संघीय कार्यपालिका-परिषद् है।

## रुमानिया

स्थिति—मध्य-पूर्व यूरोप; क्षेत्रफल—९१,५८४ वर्गमील; जन-संख्या—१,८२,५५,५०४ (१९५९); राजधानी—बुखारेस्ट; भाषा—फ्रेंच, ग्रीक, स्लाव, और तुर्क से प्रभावित लैटिन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—ल्यू; पॉलिट ब्यूरो का प्रधान तथा राज्य-परिषद् का अध्यक्ष—घेओरघे घेओरघिउ-देज (१९६१ से); मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष—इओन घेओरघे मौरेर; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—अराग, ब्रैला, सीबीउ, साटुमारे।

यहाँ की करीब ६५ प्रतिशत जनता कृषि और पशु-पालन पर निर्भर करती है। इस देश में प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पेट्रोलियम देश की आर्थिक आय एवं उद्योग-धंधों की रीढ़ माना जाता है। तुर्कों द्वारा वैलेसिया और मोलडाविया—इन दो भू-भागों को मिलाकर सन् १८६१ ई० में रुमानिया का निर्माण किया गया। यह सन् १८७७ ई० में टर्की के शासन से मुक्त हुआ। सन् १८८६ ई० में यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई तथा यहाँ की संसद् के दो सदन हुए। सन् १९५२ ई० के बाद से यहाँ सोवियत रूस के प्रभाव में गणतंत्रात्मक शासन प्रारंभ हुआ। यहाँ की ग्रैंड नेशनल एसेम्बली राज्य-परिषद् तथा मंत्रिपरिषद् का निर्माण करती है।

## लक्जेम्बर्ग

स्थिति—यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और बेलजियम से घिरा; क्षेत्रफल—९९९ वर्गमील; जन-संख्या—३, २२, ०४३ (१९५६); राजधानी—लक्जेम्बर्ग; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—फ्रैंक; प्रधान शासिका—ग्रांड डचेस कारलोट (१९१९ से); शासनाध्यक्ष—पियरे वर्नर (१९५८ से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र। मुख्य नगर—एशअलजेटे, डिफरडेञ्ज, डूडेलेञ्ज, पेटेञ्ज।

यह केवल ५५ मील लम्बा और ३४ मील चौड़ा भू-खण्ड है। यह सन् १८१५ ई० से १८६७ ई० तक जर्मन कन्फेडरेशन का एक अंग था। दोनों महायुद्धों में जर्मनी द्वारा कुचल दिये जाने के पश्चात् इसने सन् १९४८ ई० में अपनी निःशस्त्रीय तटस्थता रद्द की। ४ मई, १९६१ को वंश-परम्परागत ग्रैंड ड्यूक ने राज्य की प्रधान शासिका अपनी माँ के प्रतिनिधि तथा 'लेफ्टिनेण्ट ग्रैंड डक' के रूप में शपथ-ग्रहण किया। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है।

## लिचटेन्सटिन

स्थिति—यूरोप में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अस्ट्रिया के बीच; क्षेत्रफल—६२ वर्ग-मील; जन-संख्या—१६, २८० (१९५६); राजधानी—वैदुज; भाषा—जर्मन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—स्विस फ्रैंक; राजा—फ्रांसिस जोसेफ द्वितीय; सरकार का प्रधान—अलेक्जेण्डर फ्रिक; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

यह छोटा-सा भू-भाग है। सन् १८६६ ई० तक यह जर्मन कन्फेडरेशन (संप्रधान) का सदस्य था, पर वास्तव में सन् १९१८ ई० तक अस्ट्रिया के अधीन रहा। उसी साल यह स्वतंत्र घोषित किया गया। सन् १९२० ई० की संधि के अनुसार स्विट्जरलैंड इसके परराष्ट्र एवं डाक और तार-सम्बन्धी कार्यों का संचालन करता है। सिक्का भी यहां स्विट्जरलैंड का ही चलता है। यहाँ कोई सेना नहीं है, केवल ५० पुलिस हैं।

## वैटिकन सिटी

स्थिति—इटली की राजधानी रोम के उत्तर-पश्चिम भाग में वैटिकन पहाड़ी पर; क्षेत्रफल—१०८·७ एकड़; जन-संख्या—१,००० (१९५७); राजधानी—वैटिकन सिटी; भाषा—रोमन; धर्म—ईसाई; प्रधान—पोप तेईसवें जोन (१९५८ से); शासन-स्वरूप—एकतन्त्र।

सन् १९२९ ई० में इटली के साथ हुई संधि के अनुसार यह एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। इसके अपने सिक्के, पोस्ट ऑफिस, रेडियो और रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ का शासन-प्रबन्ध एक गवर्नर के हाथ में है। पोप को परामर्श देने के लिए ७० व्यक्तियों की समिति भी है। पोप की मृत्यु होने पर यही दूसरे पोप का निर्वाचन करती है। समिति के सदस्य पोप द्वारा जीवन-भर के लिए चुने जाते हैं। अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक मामलों में यह तटस्थ रहता है

## साइप्रस

स्थिति—भूमध्यसागर में टर्की से ४० मील दक्षिण और सीरिया से ६० मील दक्षिण एक द्वीप; क्षेत्रफल—३,५७२ वर्गमील; जन-संख्या—५,६१,४०० (१९५९ का अनुमान); राजधानी—निकोसिया; भाषा—ग्रीक, तुर्की और अँगरेजी; धर्म—ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और मुस्लिम; सिक्का—साइप्रस पौंड; राष्ट्रपति—आर्चबिशॉप मकारिओज; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—लिमासोल, फामागुस्ता, लरनाका, पाफोज, कीरेनिया।

पूरब से पश्चिम तक इसकी अधिक-से-अधिक लम्बाई १४० मील और उत्तर से दक्षिण तक अधिक-से-अधिक चौड़ाई ६० मील है। ऊपर के ६ शहरों के नाम पर इसके ६ जिले हैं। एक नया जिला ट्रूडोज है। यहाँ के मुख्य निवासी ग्रीक और तुर्क-जाति के लोग हैं।

अति प्राचीन काल में यह यूनानियों और फोनिशियनों का उपनिवेश था। पीछे यह फारस और रोम-साम्राज्य के अन्तर्गत रहा। अब भी यहाँ के ७० प्रतिशत निवासी यूनानी मूल के हैं। सन् १५७१ ई० में तुर्कों ने इसे अपने अधिकार में किया, पर सन् १८७८ ई० में इसका शासन अँगरेजों के हाथों में सौंप दिया। तुर्कों से झगड़ा छिड़ने पर अँगरेजों ने सन् १९१४ ई० में इसपर पूरा अधिकार जमा लिया। सन् १९२५ ई० में यह शाही उपनिवेश बनाया गया और हाई कमिश्नर की जगह यहाँ गवर्नर रहने लगा। १९ फरवरी, १९५९ को लंदन में ग्रेट-ब्रिटेन, ग्रीस और टर्की के प्रधानमन्त्रियों ने एक राजीनामे पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार निश्चय किया गया कि एक वर्ष के अन्दर साइप्रस गणतन्त्र घोषित हो जायगा। इसकी कार्यपालिका-शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में रहेगी, जिसके अधीन एक मंत्रिमंडल भी होगा। द्वीप के जिस क्षेत्र में ब्रिटेन का सैनिक अड्डा रहेगा, उसकी संप्रभुता ब्रिटेन के हाथ में रहेगी। तदनुसार १६ अगस्त, १९६० से साइप्रस स्वतन्त्र घोषित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त कर चुका है।

## सान मारिनो

स्थिति—यूरोप में इटली के मध्य; क्षेत्रफल—३८ वर्गमील; जन-संख्या—१५,००० (१९५७); राजधानी—सान मारिनो; भाषा—इटालियन; धर्म—ईसाई; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

इस राज्य की स्थापना चौथी शताब्दी में हुई थी। कृषि और पशु-पालन यहाँ का प्रधान व्यवसाय है। यहाँ ६० सदस्यों की एक ग्रैंड कौंसिल है, जिसके दो सदस्य शासन-प्रबन्ध के लिए चुने जाते हैं। ये 'कैप्टेन्स रेजेण्ट' कहलाते हैं और इनका कार्यकाल ६ मास रहता है। यहाँ १२ वर्षों तक साम्यवादी सरकार कायम रही, पर सन् १९५७ ई० में इसका अन्त कर दिया गया और इसकी जगह पर क्रिश्चियन डेमोक्रैट अधिकार में आये। सन् १९५८ ई० में यहाँ महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इसका अपना सिक्का और पोस्टल स्टाम्प है, किन्तु साधारण व्यवहार में इटली और वैटिकन सिटी के ही सिक्के चलते हैं।

## सोवियत रूस

स्थिति—यूरेशिया का उत्तरी भाग; क्षेत्रफल—७८,७७,५६८ वर्गमील; जन-संख्या—२१,६२,००,००० (१९६१ का अनुमान); राजधानी—मास्को; भाषा—रूसी; धर्म—ईसाई,

मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी; सिक्का—रूबल; चेयरमैन ऑफ दि प्रेसिडियम ऑफ दि सुप्रीम सोवियत—लियोनिड प्रथम ब्रेजनेव; मंत्रिपरिषद् का प्रधान—निकेता सरजेयेविच खुश्चेव (१९५८ से); शासन-स्वरूप—सोवियत समाजवादी गणतन्त्र; मुख्य नगर—लेनिनग्राड, कीव, खारकोव, बाकू, गोर्की, ओडिसा, रोस्टोव, स्टैलिनग्राड, तासकन्द, तिफ्लिस।

क्षेत्र के हिसाब से यह संसार का सबसे बड़ा राष्ट्र है, जो पृथ्वी के स्थल-भाग का छठा अंश है। रूसी राज्य का इतिहास ९वीं सदी से मिलता है। उस समय इसकी राजधानी कीव थी। १३वीं सदी में यह मंगोल लोगों के अधिकार में आया और सन् १४८० ई० में यह उनसे स्वतन्त्र हुआ। सन् १५४७ ई० में सर्वप्रथम चतुर्थ इवान ने अपने को रूस का जार घोषित किया। महान् पीटर ने अपने राज्य का विस्तार कर सन् १७२१ ई० में रूसी साम्राज्य की स्थापना की। सन् १९०५ ई० की जनक्रांति ने साम्राज्य को एक भारी धक्का पहुँचाया, पर सन् १९१७ ई० की क्रांति ने जारशाही का अन्त ही कर दिया। देश का नया संविधान सन् १९१८ ई० में ही बना, पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का संगठन सन् १९२२ ई० में हो सका। उस समय संघ-राज्यों की संख्या केवल चार थी। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक संघ-राज्यों की संख्या ११ हो गई। महायुद्ध के समय में ५ संघ-राज्य और बढ़ाये गये। इस प्रकार संघ-राज्यों की संख्या १६ हो गई। किन्तु १६ जुलाई, १९५६ को केरेलो-फिनिश के सोवियत फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक में मिल जाने के कारण संघ-राज्यों की संख्या १५ रह गई। सन् १९३७ ई० के प्रारम्भ में स्टालिन-संविधान प्रवर्तित किया गया और इसके अनुसार १२ दिसम्बर को सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन हुआ। सन् १९४४ ई० के संशोधित संविधानानुसार सम्बद्ध गणतन्त्रों को सुरक्षा और परराष्ट्र-विभाग के सम्बन्ध में भी स्वतन्त्रता दी गई।

इन दिनों यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक १५ संघ-राज्यों में बँटा है, जिनके नाम राजधानी-सहित इस प्रकार हैं :—१. रसियन सोवियत फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक (मास्को), २. यूक्रेन (कीव), ३. ब्येलोरसा (मिन्स्क), ४. आरमेनिया (इरिवान), ५. उजबेकिस्तान (तासकन्द), ६. कजाकिस्तान (अलमाआता), ७. जॉर्जिया (तिफ्लिस), ८. अजरबैजान (बाकू), ९. लिथुआनिया (विलनिउस), १०. मोल्डाविया (किशिनी), ११. लटविया (रीगा), १२. किर्गिजिया (फ्रुंजे), १३. तादजिकिस्तान (स्टैलिनाबाद), १४. तुर्कमेनिस्तान (अश्कबाद) और १५. एस्टोनिया (तालिन)।

उपर्युक्त राज्यों में प्रथम तीन संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य भी हैं। उपर्युक्त एककों को संविधान में संघ-गणराज्य कहा गया है। प्रत्येक गणराज्य का अपना-अपना संविधान है।

देश की विधायिका सत्ता सुप्रीम सोवियत के हाथ में है, जिसके दो सदन हैं—सोवियत ऑफ दि यूनियन और सोवियत ऑफ नेशनलिस्ट। इनकी बैठकें साल में दो बार हुआ करती हैं और इनका कार्यकाल चार वर्ष के लिए होता है। राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्ति मंत्रिपरिषद् (कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स) में निहित है, जिसका गठन सुप्रीम सोवियत द्वारा होता है। मंत्रिपरिषद् सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी रहती है। सुप्रीम सोवियत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रेसिडियम का निर्वाचन होता है, जिसके एक अध्यक्ष, १५ उपाध्यक्ष, १ सचिव तथा १६ सदस्य होते हैं। यह सुप्रीम सोवियत के सत्र में नहीं रहने पर उसके स्थान पर

सर्वोच्च राज्य-सत्ता के रूप में कार्य करती है तथा सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी रहती है। यहाँ का एकमात्र राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसका सबसे बड़ा संगठन पार्टी-काँगरेस है, जिसकी बैठक ४ वर्षों में एक बार हुआ करती है। काँगरेस की एक सेण्ट्रल कमिटी रहती है। पार्टी-प्रेसिडियम कायम करने का भी इसीको अधिकार है। पार्टी की नीति प्रेसिडियम ही निर्धारित करती है। पिछला निर्वाचन मार्च, १९५८ ई० में हुआ था। इसका २२वाँ अधिवेशन अक्टूबर, १९६१ में हुआ।

रूसी प्रभाव के अन्तर्गत यूरोप के पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रुमानिया, बलगेरिया, अलबानिया आदि राष्ट्र हैं, जो पारस्परिक सुरक्षा और समन्वित सैनिक प्रबन्ध के लिए वारसा-पैक्ट के सदस्य हैं। इन सबको तथा पूर्वी जर्मनी, साम्यवादी चीन, मंगोलियन रिपब्लिक, उत्तरी कोरिया और वीतनाम राष्ट्रों को मिलाकर बने हुए गुट को लोग 'रूसी गुट' कहते हैं। इधर कुछ दिनों से सोवियत रूस और साम्राज्यवादी चीन में सैद्धान्तिक मतभेद आ गया है तथा दिनों-दिन यह मतभेद बढ़ता ही जा रहा है।

यूरोप का पूर्वार्द्ध तथा एशिया का तृतीयांश सोवियत-संघ के राज्य-क्षेत्र में सम्मिलित हैं। वर्त्तमान सोवियत-संविधान अपने समस्त नागरिकों के लिए धार्मिक उपासना तथा धर्म के विरुद्ध प्रचार करने की स्वतन्त्रता को मान्यता प्रदान करता है।

## स्पेन

स्थिति—यूरोप के दक्षिण-पश्चिम; क्षेत्रफल—१,९५,५०४ वर्गमील; जन-संख्या—३,०२,९०,९५३ (१९५९); राजधानी—मैड्रिड; भाषा—प्रधानतः स्पेनिश, साथ ही बास्क और कैटेलिन भी; धर्म—कैथोलिक; सिक्का—पसेटा; राज्य का प्रधान—जेनरलिसिमो फ्रैंसिस्को फ्रैंको बहामोण्डे (प्रधानमंत्री और कमाण्डर-इन-चीफ); शासन-स्वरूप—नाम का राजतन्त्र, पर वास्तव में अधिनायक-तन्त्र; मुख्य नगर—बार्सिलोना, वैलेन्सिया, सेवला, जारागोजा, मलागा, बिलबाओ, मर्सिया।

स्पेन के अन्तर्गत इसकी मुख्य भूमि के अतिरिक्त इसके आस-पास के कुछ द्वीप-समूह भी हैं; जैसे—भूमध्यसागर का बेलारिक द्वीप-समूह, उत्तर अतलान्तिक सागर का कनारी द्वीप-समूह तथा जिब्राल्टर के पास के क्यूटा और मेलिला द्वीप। इस देश के मूल-निवासी आइबेरियन, बास्क और केल्ट थे। चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में इसकी नाविक शक्ति बहुत प्रबल थी। इसके निवासियों ने पूर्वी और पश्चिमी संसार के अनेक देशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। सुप्रसिद्ध अन्वेषक वास्कोडिगामा यहीं का रहनेवाला था। यहाँ बराबर राजतन्त्र रहा है। अब भी नाम-मात्र का राजतंत्र है, पर शासन फेलेंज पार्टी के नेता जेनरल फ्रैंसिस फ्रैंको के अधिनायकत्व में चल रहा है। अक्तूबर, १९५३ ई० की सन्धि के अनुसार संयुक्तराज्य अमेरिका को यहाँ के हवाई और नाविक अड्डे व्यवहार में लाने का अधिकार है। फ्रैंको की सहायता के लिए यहाँ पार्लमेण्ट, नेशनल कौंसिल और मन्त्रिमण्डल हैं। जेनरल फ्रैंको के मरने या असमर्थ होने पर यहाँ की नेशनल कौंसिल और सरकार को अधिकार होगा कि वह पार्लमेण्ट की स्वीकृति से राज-परिवार के किसी योग्यतम व्यक्ति को राजा बनाये। इस समय इसके उपनिवेश केवल अफ्रिका के अन्तर्गत स्पेनिश गीनी, स्पेनिश सहारा और इफनी हैं। इसके अमेरिका के बहुत-से उपनिवेश पहले ही स्वतन्त्र हो चुके हैं।

## स्विट्ज़रलैण्ड

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—१५,६४४ वर्गमील; जन-संख्या—५४,११,००० (१६६०, अस्थायी); राजधानी—बर्न; भाषा—स्विस, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन; धर्म—प्रोटेस्टेण्ट और रोमन कैथोलिक, सिक्का—स्विस फ्रैंक; राष्ट्रपति (१६६१ के लिए)—फ्रेडरिक ट्रॉगॉट वाहलेन (१६६० से); उपराष्ट्रपति (१६६१ के लिए)—पॉल पॉडेट; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—जरिच, बासेल, जेनेवा, लौसाने, सैण्टगैलेन, विण्टरथर।

यह देश २२ प्रान्तों में बँटा है। यूरोप के देशों में यह सबसे अधिक पहाड़ी देश है और अपनी मनोहारी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके २२ प्रान्त हैं, जो अपने भीतरी मामलों में पूरे स्वतन्त्र हैं। नमक यहाँ का प्रधान खनिज पदार्थ है। यह घड़ियों के निर्माण के लिए संसार-प्रसिद्ध है। सन् १६४८ ई० में यह रोमन साम्राज्य से स्वतन्त्र हुआ। अन्तरराष्ट्रीय सन्धियों के आधार पर यह सदा के लिए एक तटस्थ राष्ट्र बना दिया गया है। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं। यहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति फेडरल कौंसिल के सात सदस्यों में से एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रचलित प्रथानुसार उपराष्ट्रपति ही एक साल के बाद राष्ट्रपति बनाया जाता है। फेडरल कौंसिल के सात सदस्य प्रशासकीय विभागों के प्रधान या मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। प्रसिद्ध अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसाइटी एवं अन्तरराष्ट्रीय पोस्टल संघ के प्रधान कार्यालय इसी देश में क्रमशः जेनेवा और बर्न में स्थित हैं। जेनेवा में अक्सर बड़े-बड़े राष्ट्रों के शान्ति-सम्मेलन हुआ करते हैं।

## स्वीडन

स्थिति—यूरोप की उत्तर-पश्चिम सीमा—नारवे और फिनलैंड से घिरा; क्षेत्रफल—१,७३,३७८ वर्गमील; जन-संख्या—७४,७१,३४५ ( १६५६ का अनुमान ); राजधानी—स्टॉकहोम; भाषा—स्विस; धर्म—लुदेरन प्रोटेस्टैण्ट; सिक्का—क्रोन; राजा—गुस्टाफ षष्ठ एडोल्फ; प्रधानमन्त्री—डॉ० टागे एरलाण्डर; शासन स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र; मुख्य नगर—गोटेबोर्ग, माल्मो, नौर्कोपिंग, हलसिंगबोर्ग।

स्वीडन तीन प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है—उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग अधिकतर जंगलों से भरा है। मध्यभाग में बहुत-सी झीलें एवं खनिज-क्षेत्र हैं। दक्षिण का समुद्र-तट उपजाऊ है। सारे देश का करीब ५५ प्रतिशत भाग जंगलों से भरा है। इस देश के उद्योग-धन्धों में मुख्य प्राकृतिक साधन जंगल, लोहा आदि खनिज पदार्थ तथा जल-शक्ति हैं। राष्ट्रीय उत्पादन का पंचमांश विदेशी व्यापार पर निर्भर करता है। यहाँ के ६० प्रतिशत कारोबार गैर-सरकारी हैं।

यहाँ की कार्यपालिका-शक्ति राजा के हाथों में है, जो मंत्रिपरिषद् की राय से कार्य करता है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। पिछले तीन निर्वाचनों में यहाँ सोशल डेमोक्रैट्स का बहुमत रहा है।

## हंगरी

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—३५,६१२ वर्गमील; जन-संख्या—६६,७७,८७० (१६६०); राजधानी—बुडापेस्ट; भाषा—हंगरियन; धर्म—रोमन कैथोलिक, ग्रीक कैथोलिक, प्रोटेस्टैण्ट; सिक्का—फोरिण्ट; गणतन्त्र की अध्यक्षीय परिषद् का प्रधान—इस्टवान डोबी

( १६५२ से ); मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष—फ्रैंक म्युनिच ( १६५८ से ); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र ( सोवियत ढंग का ); मुख्य नगर—मिस्कोल्फ, गेब्रिसीन, पेक्स, तवसेजेड ।

यहाँ के प्राचीन मूल निवासियों में प्रधानतः स्लाव और जर्मेनिक जातियाँ थीं, जिनको बाद में पूरब से आनेवाली हूण और मग्यार जातियों ने कुचल डाला। सन् १५२६ ई० में तुर्कों ने इस देश पर आक्रमण किया। मग्यार जाति यहाँ की जन-संख्या का ६५ प्रतिशत है। सन् १८५४ ई० में मग्यार देश की राजभाषा भी रही। द्वितीय विश्वयुद्ध में यह जर्मनी के साथ था। सन् १६४६ ई० में यहाँ गणतन्त्र की घोषणा की गई।

यह कृषि-प्रधान देश है। बॉक्साइट के उत्पादन में यह संसार में अग्रगण्य है। अगस्त, १६४६ से यहाँ सोवियत ढंग का संविधान स्वीकार किया गया है। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। इस देश पर सोवियत रूस का गहरा प्रभाव है, जिससे छुटकारा पाने के लिए १६५६ ई० में व्यापक विद्रोह हुआ। इमरेनागी ने १ नवम्बर को एक सम्मिलित दल की सरकार कायम की, किन्तु रूस ने तुरत चढ़ाई कर सैनिकों की देख-रेख में ४ नवम्बर को पीजेन्ट पार्टी के नेता जनोस कादर के नेतृत्व में नई सरकार कायम कर दी। जनवरी, १६५८ ई० में कादर ने त्याग-पत्र दे दिया। इसके बाद नेशनल एसेम्बली ने फ्रैंक म्युनिच को प्रधानमन्त्री बनाया।

## अफ्रिका महादेश

एशिया के बाद दूसरा बड़ा महादेश अफ्रिका ही है। इसका क्षेत्रफल १,१५,२६,४८० वर्गमील और समुद्री किनारा १६,००० मील है। विषुवत्-रेखा इस महादेश को लगभग दो बराबर भागों में बाँटती है। इसका उत्तरी भाग ३७° उ० अक्षांश तक और दक्षिणी भाग ३५° द० अक्षांश तक फैला हुआ है। पश्चिम में यह २०° पश्चिम देशान्तर और पूर्व में ५०° पूर्व देशान्तर तक विस्तृत है। उत्तरी गोलार्द्ध में इसकी चौड़ाई अधिक होने के कारण क्षेत्रफल के विचार से इसका दो-तिहाई भाग उत्तरी गोलार्द्ध में और एक-तिहाई भाग दक्षिणी गोलार्द्ध में है। सारा अफ्रिका एक बड़ी अधित्यका-सा है। उत्तर की ओर सहारा नामक एक बड़ी मरुभूमि है। इसके उत्तर में काकेशियन और दक्षिण में मूल-निवासियों के अन्तर्गत निग्रो जाति के लोग रहते हैं। इस महादेश में मिस्र अपनी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। १६वीं शताब्दी में क्रम-क्रम से इंगलैंड, फ्रांस, इटली, बेलजियम, पुर्त्तगाल और स्पेन के लोगों ने आकर इस महादेश की एक-एक इंच भूमि को अपने अधिकार में कर लिया। किंतु, द्वितीय महासमर के बाद स्वतंत्रता की जो लहर एशिया से प्रारम्भ हुई, वह अफ्रिका में भी पहुँची। सन् १६५५ ई० के पूर्व मिस्र, इथोपिया, लीबिया और लाइबेरिया—केवल ये चार देश ही स्वतंत्र थे। पर अब ट्युनिशिया, मोरोको, सूडान, टोगो, अपर वोल्टा, आइवोरी-कोस्ट, कांगो, कैमेरून, गीनी, गैबोन, घाना, चाड, दक्षिण-अफ्रिका-संघ, दहोमी, नाइजर, नाइजीरिया, मडागास्कर, मध्य अफ्रिकी गणतंत्र, माली, सेनेगल, टैंगनिका, सियरालियोन आदि राष्ट्र यूरोपवासियों के पंजे से अपने को मुक्त कर चुके हैं। इन राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी है। मौरिटेनिया, गैम्बिया, केनिया, युगाण्डा, रुआण्डा-उरुण्डी तथा अन्य देश भी स्वतंत्रता के पथ पर अग्रसर हैं।

इस महादेश की जन-संख्या २२ करोड़ है, जिसमें करीब ५० लाख यूरोप की गोरी जातियाँ और ६ लाख भारतीय तथा पाकिस्तानी हैं।

## अपर वोल्टा

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका—घाना और सूडान (फ्रेंच) के बीच; क्षेत्रफल—२,७४,१२२ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—४०,०७,००० (१९६०); राजधानी—आउगाडॉगो; सिक्का—फ्रैंक; राष्ट्रपति—मॉरिस यामियोगो; शासन-स्वरूप—फ्रेंच कम्युनिटी की सदस्यता के साथ गणतंत्र।

सन् १९१९ ई० में अपर सेनेगल और नाइजर से कुछ भू-भाग काटकर अपर वोल्टा का निर्माण किया गया, किंतु सन् १९३२ ई० में यह भू-भाग पुनः आइवोरी-कोस्ट, सूडान और नाइजर के बीच बँट गया। ४ सितम्बर, १९४७ को इस राज्य का पुनर्निर्माण किया गया। यहाँ की कुल जन-संख्या में ४,००० यूरोपीय एवं अन्य मिश्रित जातियों के लोग हैं। ५ अगस्त, १९६० को यह देश स्वतंत्र घोषित किया गया। यहाँ का प्रशासन १२ मंत्रियों की एक राजकीय परिषद् द्वारा चलता है। यहाँ की नेशनल असेम्बली के ७० सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है।

## अल्जीरिया

स्थिति—उत्तरी अफ्रिका—भूमध्यसागर के किनारे; क्षेत्रफल—२२,७५,०३२ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—१,०४,८४,००० (१९६० अनुमान); धर्म—इस्लाम; राजधानी—अल्जियर्स; सिक्का—फ्रैंक; डिलेग जेनरल—जीन मॉरिन; सेक्रेटरी जेनरल—रोजर मॉरिस; शासन-स्वरूप—फ्रांसीसी उपनिवेश; मुख्य नगर—ओरान, कौंस्टैण्टाइन, बोन, सीदी-बेल-अब्बास।

यह देश दो प्राकृतिक भागों में बँटा है—उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इसके दक्षिणी भाग में सहारा मरुभूमि है। प्राचीन काल में अल्जीरिया को 'नोमीडिया' कहा जाता था। यह ईसवी सन् से १४५ वर्ष पूर्व रोमन उपनिवेश बना। सन् ४४० ई० के लगभग यह वाण्डाल नामक खूँख्वार जाति द्वारा विजित हुआ, जो उत्तर-पूर्व जर्मनी से चलकर गॉल और स्पेन को रौंदती हुई यहाँ पहुँची थी। उस समय यह देश समृद्धि और सभ्यता की ऊँची चोटी से नीचे उतरकर बर्बरता की स्थिति को प्राप्त हुआ। सन् ६५० ई० में मुस्लिम आक्रमण के बाद इसकी स्थिति में आंशिक सुधार आया। सन् १४९२ ई० में स्पेन से निष्कासित मूर और यहूदी जातियाँ यहाँ आ बसीं। सन् १५१८ ई० में यह तुर्कों के अधिकार में आया। लगभग तीन शताब्दियों तक यह बारबरी जाति के समुद्री लुटेरों का अड्डा बना रहा, जो भूमध्यसागर होकर जहाज ले जानेवाले यूरोपियनों और अमेरिकनों से चुंगी लिया करते थे। सन् १८३० ई० में यह फ्रांसीसियों के शासन के अंतर्गत आया। यहाँ के निवासियों में ८० प्रतिशत अरब हैं।

यहाँ बहुत पहले से ही मूल-निवासियों द्वारा स्वातंत्र्य-आन्दोलन चल रहा था। अतः उन्हें खुश करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस की नेशनल एसेम्बली में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया। फिर भी आन्दोलन शान्त नहीं हुआ और सन् १९५५ ई० से गुरिल्ला युद्ध आरम्भ हो गया। इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों आदमी मारे गये। सन् १९५८ ई० में आन्दोलनकारियों ने

काहिरा में एक समानान्तर सरकार कायम की। इस स्थिति का सामना करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति जेनरल दगाल ने आत्म-निर्णय एवं जनमत के आधार पर अल्जीरिया को स्वतंत्रता देने का आश्वासन दिया। विद्रोहियों की ओर से यह माँग की गई कि जनमत-ग्रहण करने के पूर्व फ्रांसीसी सेना अल्जीरिया से हटा ली जाय, किन्तु दगाल इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आठ वर्षों के लगातार युद्ध के बाद १६ मार्च, १६६२ को कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रवादियों ने युद्ध-विराम-संधि-स्वीकार की, किन्तु 'सेकरेट आर्मी ऑरगेनिजेशन' (O. A. S.) नामक संस्था ने इस स्वीकार नहीं कर युद्ध जारी रखा। ७ अप्रैल, १६६२ को यहाँ अस्थायी सरकार के १२ मंत्रियों के मंत्रिमण्डल ने श थ-ग्रहण किया। उक्त मंत्रिमण्डल में ६ अरब तथा ३ अल्जीरिया में बसे यूरोपीय हैं।

## आइवोरी-कोस्ट

स्थिति—अफ्रिका महादेश के पश्चिमी भाग में लाइबेरिया और घाना के बीच, क्षेत्रफल—३,३२,४६३ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—३१,१५,१०० (१६६०); राजधानी—आबिदजान; सिक्का—फ्रैंक; राष्ट्रपति एवं परराष्ट्रमन्त्री—फेलिक्स हाउफोएट बोईग्नी; शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—बिनजेरविल, ग्रैण्ड बासाम और बोआके।

सर्वप्रथम सन् १८४२ ई० में इसपर फ्रांसीसियों ने अधिकार जमाया, लेकिन सन् १८८२ ई० तक उनका लगातार और सक्रिय अधिकार नहीं रहा। ४ दिसम्बर, १६५८ को यहाँ फ्रांसीसी कम्युनिटी के अन्तर्गत गणतंत्र की स्थापना हुई। किन्तु ७ अगस्त, १६६० से यह पूर्ण स्वतन्त्र हो गया। यहाँ का प्रशासन १५ सदस्यों के एक मंत्रिमंडल द्वारा होता है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है।

## इथोपिया (अबिसीनिया)

स्थिति—अफ्रिका का उत्तर-पूर्वी भाग; क्षेत्रफल—लगभग ३,६५,००० वर्गमील; जन-संख्या—१,६५,००,००० (१६५६); राजधानी—अदीसअबाबा; भाषा—अम्हारिक, अँगरेजी; धर्म—ईसाई; सिक्का—इथोपियन डालर; राजा—हेल सिलासी (१६५५ से); प्रधान-मंत्री—तेशाफी तेज़ाज अकलीलू हैब्टे बोल्ड (१७ अप्रैल, १६६१ से); शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र। मुख्य नगर—जिम्मा, डिस्सी, असमारा, गोण्डर।

यहाँ के प्राचीन मूल-निवासियों में हेमाइट और सेमाइट जाति के लोग हैं। यहाँ का मुख्य उद्योग-धन्धा कृषि और पशु-पालन है। आधुनिक औद्योगिक कार्य अमेरिकी आदि विदेशी फर्मों द्वारा होता है। सन् १६३५ ई० में यह इटली के अधिकार में आया और सन् १६४१ ई० में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मुक्त किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन और एक मंत्रिमंडल हैं। सबके सदस्य सम्राट् द्वारा ही नियुक्त होते हैं।

इथोपिया के उत्तर में स्थित इरीट्रिया पहले इटली का उपनिवेश था। सन् १६५२ ई० में उसे इथोपिया के साथ मिलाकर स्वायत्त शासन प्रदान किया गया। इसकी अपनी निर्वाचित एसेम्बली है, जो यहाँ की कार्यकारिणी परिषद् का चुनाव करती है।

सन् १६६० ई० के उत्तरार्द्ध में यहाँ के राजा हेल सिलासी के यूरोप जाने पर कुछ विद्रोहियों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया। यह समाचार पाते ही हेल सिलासी तुरत स्वदेश लौट आया और अपने राजभक्त सैनिकों की सहायता से विद्रोहियों का दमन कर स्थिति सँभाल ली। १७ अप्रैल, १६६१ को सम्राट् ने एक नवीन मंत्रिमंडल का गठन किया।

## कांगो (ब्राजाविल)

### ( भूतपूर्व फ्रांसीसी कांगो )

स्थिति—मध्य अफ्रिका; क्षेत्रफल—१,३८,००० वर्गमील; जन-संख्या—७,६४,५७७ (१९५९); राजधानी—ब्राजाविल; सिक्का—फ्रैंक; राष्ट्रपति—अब्बे फुलबर्ट योऊ लोऊ; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—मकोआ, फ्रांसवि ', फोर्ट रूसेट, लौदिमा।

यह पहले फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। १५ अगस्त, १९६० को यह स्वतंत्र हुआ। कांगो नदी भूतपूर्व बेलजियन कांगो और फ्रेंच कांगो के बीच सीमा का काम करती है तथा दोनों कांगो की राजधानियाँ इसी नदी के किनारे आर-पार स्थित हैं। फ्रांस के साथ हुए करार के अनुसार इसने फ्रेंच कम्युनिटी की सदस्यता स्वीकार की है। २० सितम्बर, १९६० से यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन चुका है। उष्णकटिबंधीय लकड़ियाँ, चीनाबादाम, ईख, पाम-कैरनेल आदि यहाँ की मुख्य उपज हैं। खनिज पदार्थों में ताँबा और टिन पाये जाते हैं।

## कांगो (लियोपोल्डविल)

### (भूतपूर्व बेलजियन कांगो)

स्थिति—मध्य अफ्रिका; क्षेत्रफल—२३,४४,९३२ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—१,३५,४०,१८२ आदिवासी और १,१२,७५९ गोरी जातियाँ (१९५९); राजधानी—लियोपोल्ड-विल; भाषाएँ—किसवाहली या किंगवाना, शिलूबा या किलूबा, लिंगाला, किकौंगो; राष्ट्रपति—जोसेफ कासावुबु; प्रधानमंत्री—सिराइल अदौला; शासन-स्वरूप—गणतंत्र। सिक्का—कांगोली फ्रैंक; मुख्य नगर—एलिजाबेथविल।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण से सन् १९५९ ई० तक यह राज्य बेलजियम के अधिकार में था। यहाँ का शासन एक गवर्नर-जेनरल द्वारा होता था, जो बेलजियम के राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। जुलाई, १९६० में यह स्वतंत्र हुआ। किन्तु इसकी स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव भीषण रक्तपात और विद्रोह के बीच हुआ और दुर्भाग्यवश वह स्थिति अबतक जारी है। ४ सितम्बर, १९६० को यहाँ के प्रधानमंत्री लुमुम्बा ने राष्ट्रपति जोसेफ कासावुबु को हटाकर प्रधानमंत्री के साथ-साथ स्वयं राष्ट्रपति होने की घोषणा कर दी। परिणाम-स्वरूप ६ सितम्बर को कासावुबु ने भी प्रधान-मंत्री लुमुम्बा को हटाकर जोसेफ इलियो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। लुमुम्बा लियोपोल्डविल-स्थित अपने निवास-स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया, किन्तु करीब दो महीने के बाद २ दिसम्बर को वह वहाँ से भाग निकला। लेकिन थोड़े ही दिन बाद वह पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। किन्तु वह फिर भाग निकला। इसके बाद कटंगा की आदिम-जातियों द्वारा लुमुम्बा का अपहरण किया गया और सन् १९६१ ई० की फरवरी के प्रारम्भ में ही अज्ञात रूप से उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। प्रायः समस्त संसार में लुमुम्बा की हत्या की तीव्र भर्त्सना की गई। कांगो के स्वतंत्र होने के बाद ही बेलजियम की फौज सिमटकर इसके दक्षिणी प्रांत कटंगा में एकत्र हो गई तथा कटंगा कांगो से पृथक् एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। मोआजी शॉम्बे इसका राष्ट्रपति बनाया गया, जिसका बेलजियम, ब्रिटेन आदि यूरोपीय राष्ट्रों ने समर्थन किया। अब कटंगा और कांगो के बीच शत्रुतामूलक काररवाइयाँ शुरू हो गईं। अतएव शान्ति-स्थापन के निमित्त संयुक्त-राष्ट्रसंघ ने अपनी सेना भेजी, जिसमें भारतीय सेना भी सम्मिलित थी। मार्च, १९६१ में कटंगा

सहित कांगो के विभिन्न राज्यों का कान्फेडरेशन कायम करने की चेष्टा की गई, पर वह चेष्टा निष्फल रही। कांगो के प्रधानमन्त्री जोसेफ इलियो की सरकार के पद-त्याग करने पर सिराइल अदौला २ अगस्त, १९६१ से वहाँ का प्रधानमन्त्री हुआ। इसके तीन उपमंत्री भी नियुक्त हुए, जिनमें एक लुमुम्बावादी ऐण्टोनी गिजेंगा भी था, जो पीछे गिरफ्तार हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ कटंगा का अलग देश होना पसन्द नहीं करता, पर बेलजियम, ब्रिटेन आदि यूरोपीय राष्ट्र कटंगा का समर्थन कर रहे हैं, जिससे उसकी आड़ में वे कटंगा से झगड़ा बनाये रखकर उसे दबाये रख सकें।

## कैमेरून

स्थिति—अफ्रिका के मध्य भाग में नाइजीरिया और फ्रांसीसी विषुवत्-रेखीय अफ्रिका के बीच; क्षेत्रफल—१,४३,४१५ वर्गमील; जन-संख्या—३२,२३,००० (१९५७); राजधानी—याओउण्डे; राष्ट्रपति—अहमदोउ आहिद जो; प्रधानमंत्री—चार्ल्स एसाली; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

सन् १८८४ ई० में कैमेरून एक जर्मन उपनिवेश हुआ। प्रथम महासमर में जर्मनी के परास्त होने पर राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) के आदेशानुसार यह भू-भाग ब्रिटेन और फ्रांस में बाँट दिया गया। इसका ⅘ भाग फ्रांस के अधीन रहा। सन् १९४६ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनाइटेड नेशन्स) के आदेश से यह फ्रांस के ट्रस्टीशिप में रखा गया। अतः यहाँ के शासन के लिए एक फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त हुआ। १ जनवरी, १९६० को यह पूर्ण स्वतंत्र कर दिया गया। तत्पश्चात् यहाँ का अपना नया संविधान बनाया गया और नये निर्वाचन की तैयारी हुई।

## गीनी

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका में दक्षिण अटलांटिक महासागर के तट पर पुर्तगीज गीनी और सियारालियोन के बीच; क्षेत्रफल—२,४५,८५७ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—२७,२६,८६८ (१९६०); राजधानी—कोनाक्री; सिक्का—फ्रैंक; भाषा—फ्रेंच; राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री—एम० सेकोऊ टौरी; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—कनकन, किन्दिया, लाबे, सिगुइरी।

यह पहले फ्रांसीसियों के अधिकार में था, किन्तु २ अक्टूबर, १९५८ को स्वतंत्र हुआ। यह फ्रेंच कम्युनिटी में तो नहीं है, किन्तु कई राजीनामों के अनुसार इसने फ्रैंक-क्षेत्र में रहना और फ्रांसीसी भाषा को राजभाषा बनाना स्वीकार कर लिया है। यह अन्य संभाव्य साहाय्य और सहयोग के लिए फ्रांस से आशा रखता है। यहाँ की प्रमुख उपज में कहवा और केला हैं, जिनका निर्यात होता है। यहाँ के खनिज पदार्थों में बॉक्साइट और लोहा हैं।

## गैबोन

स्थिति—गीनी की खाड़ी के किनारे फ्रांसीसी विषुवत् रेखीय अफ्रिका का दक्षिण-पश्चिमी भाग; क्षेत्रफल—२,६७,००० वर्ग कीलोमीटर (१,०३,००० वर्गमील); जन-संख्या—४,२०,७०६ (१९५९); राजधानी—लिब्रेविल; शासन स्वरूप—गणतंत्र; राष्ट्रपति—एम० लियोन एम' बा; सिक्का—फ्रैंक; मुख्य नगर—पोर्ट जेंटिल, बेज, मकोकू और मइला।

यह राज्य पहले फ्रांस के अधीन था। १७ अगस्त, १९६० को यह फ्रांस की अधीनता से मुक्त हुआ। फ्रांस के साथ हुए राजीनामे के अनुसार यह फ्रांसीसी कम्युनिटी का सदस्य बना

रहेगा। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की भी सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। यहाँ की उपज में आबनूस नामक लकड़ी का विशेष महत्त्व है। पेट्रोलियम, मैंगनीज, लोहा और यूरेनियम यहाँ के प्रमुख खनिज पदार्थ हैं।

## घाना ( गोल्डकोस्ट )

स्थिति—पश्चिमी अफ्रीका; क्षेत्रफल—९२,१०० वर्गमील; जन-संख्या—६६,९०,७३० (१९६०); राजधानी—अकरा; राष्ट्रपति—डॉ० क्वामे नक्रुमा (१ जुलाई, १९६० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—सेकोण्डी-टाकोराडी, ओबुयासी, एबोसो।

यह देश बहुत वर्षों तक गोल्डकोस्ट के नाम से अँगरेजों के अधीन रहा। द्वितीय महासमर के बाद जर्मनी के अधीनस्थ टोगो का भाग भी इसमें मिला दिया गया। यहाँ सोना, हीरा, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि खनिज पदार्थ बहुतायत से पाये जाते हैं। मार्च, १९५७ में यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्दर एक स्वतन्त्र राज्य घोषित किया गया। यहाँ की पर्लमेण्ट का एक सदन है। यहाँ का गवर्नर-जेनरल ब्रिटिश सम्राट् द्वारा नियुक्त होता है। गवर्नर-जेनरल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल रहता है, जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है। १ जुलाई, १९६० से यह पूर्ण स्वतन्त्र गणतन्त्र राज्य घोषित किया गया था। डॉ० क्वामे नक्रुमा इसके प्रथम राष्ट्रपति हुए। यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है। २६ दिसम्बर, १९६० को घाना, गीनी और माली ने अपनी परराष्ट्र, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति एक रखने का समझौता किया।

## चाड

स्थिति—मध्य अफ्रिका; क्षेत्रफल—१२,८४,००० वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—२५,८१,०८० (जिसमें ४,८८० यूरोपीय जातियाँ); राजधानी—फोर्टलामी; प्रधानमंत्री—एम० फ्रैंकोइस टॉम्बल बाए; सिक्का—फ्रैंक; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—मसेन्या, मोएडआफा, आटी, फया, ओम्नौर।

यह राज्य पहले फ्रांस के अधीन था। ११ अगस्त, १९६० को यह स्वतन्त्र हुआ। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व इसने फ्रांस के साथ एक राजीनामे पर हस्ताक्षर किया, जिसमें पारस्परिक सहयोग एवं फ्रेंच कम्युनिटी की सदस्यता बनाये रखने की शर्तें थीं। यह कांगो और मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र के साथ मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र-संघ में सम्मिलित है तथा इसकी सुरक्षा, परराष्ट्र-नीति एवं आर्थिक मामले संघ को सुपुर्द हैं।

## टैंगनिका

स्थिति—अफ्रिका महादेश का दक्षिण-पूर्वी भाग; क्षेत्रफल—३,६१,८०० वर्गमील; जन-संख्या—९२,३३,००० (१९६०); राजधानी—दार-एस-सलम; सिक्का—पूर्वी अफ्रिकी शिलिंग; भाषा—स्वाहिली; गवर्नर-जेनरल—सर रिचार्ड टर्नबुल; प्रधानमंत्री—कवावा; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—डोडोमा, टैबोरा, मवारा, लिण्डी।

टैंगनिका टैंगनिका झील से पूरब हिन्द-महासागर के तट तक फैला हुआ है। विक्टोरिया झील का करीब आधा भाग इसी देश के अन्तर्गत है। इसका समुद्र-तट ४५० मील लम्बा है। अफ्रिका का सर्वोच्च पर्वत-शिखर कीलमंजारो इसी देश में है। यह देश नौ प्रान्तों में बँटा है।

यहाँ लगभग १०० जन-जातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी-अपनी भाषाएँ और रीति-रिवाज हैं। इनमें से अधिकांश जन-जातियाँ बान्तू मूल की हैं। यहाँ भारतीयों तथा पाकिस्तान-निवासियों की संख्या ८७,३०० और यूरोप-वासियों की संख्या २२,३०० है।

सन् १८८४ ई० में इस देश पर जर्मनों का अधिकार हुआ। यह सन् १९१८ ई० तक जर्मन-पूर्व अफ्रिका के अन्तर्गत जर्मन उपनिवेश बना रहा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्रसंघ ने इसे ब्रिटेन के अधीन एक आदिष्ट राज्य बनाया। द्वितीय महायुद्ध के बाद ब्रिटेन के अधीन यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का न्यस्त राज्य रहा। सितम्बर, १९६० में इसे स्वशासनाधिकार प्राप्त हुआ। ९ दिसम्बर, १९६१ से यह पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। इसके प्रधानमंत्री जूलियस निरेरी ने जनवरी, १९६२ में अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया।

## टोगो गणतंत्र

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका का दक्षिणी भाग ( घाना और नाइजीरिया के बीच); क्षेत्रफल—५०,००० वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—१०,८९,८७७ अफ्रिकी और १,२७७ यूरोपीय (१९५५); राजधानी—लोमी; प्रधानमंत्री—सिलवेनस ओलिम्पियो; सिक्का—फ्रैंक; प्रमुख भाषाएँ—इवे, मीना, डागोम्ब, टिम और कब्राइस; धर्म—पगान; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—एनोको, पालिमी, बसारी।

यह अफ्रिका के स्वतन्त्र राज्यों में सबसे छोटा है। सन् १८९४ ई० से १९१४ ई० के पूर्व तक यह जर्मनी के अधिकार में रहा। सन् १९१४ ई० में यह अँगरेजों और फ्रांसीसियों के अधिकार में आया और सन् १९२२ ई० में इसके दो भाग हो गये, जिनके नाम क्रमशः ब्रिटिश टोगोलैंड तथा फ्रेंच टोगोलैंड हुए। यह १९४६ ई० के पूर्व तक राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) का आदिष्ट राज्य था, जिसका शासन फ्रांस द्वारा होता था। सन् १९४६ ई० में यह फ्रांसीसी राजीनामे के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में आ गया। सन् १९५६ ई० के जनमत-संग्रह के अनुसार यहाँ ट्रस्टीशिप का अंत कर इसे फ्रांसीसी राज्य-संघ ( फ्रेंच कम्युनिटी ) के अन्तर्गत स्वतंत्र रखने का निर्णय किया गया। तदनुसार सुरक्षा, वैदेशिक मामले और सिक्के फ्रांस के अधीन रखे गये, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा के प्रस्तावानुसार २७ अप्रैल, १९६० को इसकी संरक्षकता का अंत कर पूर्ण गणतन्त्र की घोषणा की गई।

## ट्यूनिशिया

स्थिति—अफ्रिका का उत्तरी किनारा; क्षेत्रफल—४८,३३२ वर्गमील; जन-संख्या—४०,००,००० (१९६१ का अनुमान), जिसमें १,१०,००० फ्रांसीसी और ४५,००० इटालियन; राजधानी—ट्युनिश; भाषा—अरबी; धर्म—मुस्लिम; राष्ट्रपति—हबीब बौरगुइबा (निर्वाचित १९५७ और पुनः १९५९); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—स्फैक्स, सौसे, बिजार्टा, कैरोआन, मेंजेल-बौरगुइबा।

यहाँ के मूल-निवासियों में अरब और बर्बर जाति के लोग हैं। इसके उत्तरी भाग में पहाड़ और दक्षिणी भाग में मरुभूमि है। इसके पूरब के समतल भाग में खेती होती है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ फास्फेट की खानें अधिक हैं। यह पहले रोम-साम्राज्य का अंग था। सन् ६४६ ई० से १५७० ई० के पूर्व तक यह अरबों के अधिकार में रहा। फिर यह

तुर्कों के अधीन एक बारबरी राज्य हुआ। सन् १८८१ ई० में यह फ्रांस के संरक्षण में चला आया। १ सितम्बर, १९५५ को इसे आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और सन् १९५७ ई० में यह पूर्ण स्वतंत्र हुआ। जुलाई, १९६१ में फ्रांसीसी और ट्यूनिशियन सैनिकों में बिजार्टा में मुठभेड़ हो गई, किन्तु दो महीने बाद दोनों देशों में समझौता हो जाने पर उपद्रव शान्त हुआ। यहाँ का राष्ट्रपति पाँच वर्षों के लिए चुना जाता है तथा एक मंत्रिमंडल की सहायता से शासन-कार्य चलाता है। यहाँ की विधायिका शक्ति ९० सदस्यों की एक राष्ट्रीय विधान-सभा में निहित है, जिसका निर्वाचन बालिग-मताधिकार के आधार पर पाँच वर्षों के लिए होता है।

## दक्षिण अफ्रिका-गणतंत्र

स्थिति—दक्षिण-अफ्रिका; क्षेत्रफल—४,७२,७३३ वर्गमील (दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका छोड़कर); जन-संख्या—१,५८,४१,१२८ (१९६०), जिसमें गोरी जातियों की संख्या ३०,६७,६३८ है। राजधानी—प्रीटोरिया और केपटाउन; भाषा—अँगरेजी और डच; धर्म—ईसाई; सिक्का—पौंड; राष्ट्रपति—चार्ल्स राबर्ट स्वार्ट; प्रधानमंत्री—डॉ० एच० एफ० वरवर्ड; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—जोहान्सबर्ग, केपटाउन, डरबन, प्रीटोरिया, पोर्ट एलिजाबेथ, जरमिस्टन, ब्लोइमफॉण्टेन।

सन् १९०९ ई० में ब्रिटिश-अधिकृत प्रान्त ट्रांसवाल, उत्तमाशान्तरीप (केप ऑफ गुड होप), ऑरेंज फ्री स्टेट, केप-कॉलोनी और नेटाल के मिलने से इस संघ का निर्माण हुआ। पीछे जर्मन-अधिकृत दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका भी इस संघ में मिला लिया गया। इस संघ को ब्रिटिश सरकार ने भीतरी मामलों में पूरा अधिकार दे रखा था। यहाँ की गोरी जातियों का मूल-निवासियों एवं प्रवासी भारतीयों के प्रति बहुत बुरा व्यवहार रहा है। यहाँ की सरकार की रंगभेद-नीति का तीव्र विरोध किया जा रहा है। सोना, हीरा और यूरेनियम के उत्पादन के लिए संसार में इसका उच्च स्थान है। इस देश की आर्थिक आय मुख्यतः प्राकृतिक साधनों द्वारा होती है। ५ अक्टूबर, १९६० को गोरी जातियों के बीच की गई जनमत-गणना के अनुसार यह ३१ मई, १९६१ से औपनिवेशिक संघ-राज्य न रखा जाकर पूर्ण गणतन्त्र घोषित किया गया। यहाँ संसद् के दो सदन हैं। रंगभेद-नीति के सम्बन्ध में अन्य सदस्य-राष्ट्रों से मतभेद होने के कारण इसने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है।

## दहोमी

स्थिति—पूर्व में नाइजीरिया से लेकर पश्चिम में टोगो तक; क्षेत्रफल—१,१५,७६२ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—२०,०३,००० (१९६०); राजधानी—पोर्टोनोवो; शासन-स्वरूप-गणतंत्र; राष्ट्रपति—हूबर्ट मागा; मुख्य नगर—कोटोनोऊ, ओईदह, अबोमी, पाराकोऊ।

इसका समुद्र-तट केवल ७० मील है, किन्तु उत्तर की ओर इसकी भूमि विस्तृत होती गई है। यह पहले फ्रांसीसी-अधिकृत राज्य था। यहाँ सन् १८५१ ई० में सर्वप्रथम फ्रांसीसियों का आगमन हुआ और उन्होंने धीरे-धीरे सन् १८९४ ई० तक इसपर पूरा अधिकार कर लिया। दिसम्बर, १९५८ में यहाँ गणतन्त्र की घोषणा हुई तथा फ्रांस की सिनेट एवं नेशनल एसेम्बली में इसके दो-दो प्रतिनिधि लिये जाने लगे। यहाँ का प्रशासन-कार्य १२ मंत्रियों की एक राजकीय परिषद् द्वारा होता था। २ अप्रैल, १९५९ को इसका पिछला निर्वाचन सम्पन्न हुआ। १ अगस्त,

१९६० से यह एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य घोषित किया जा चुका है। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हो चुकी है।

## नाइजर

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका; क्षेत्रफल—११,८८,७९४ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—२८,००,००० (१९६०), जिसमें यूरोपवासी ३,०००; राजधानी—नियामे; सिक्का—फ्रैंक; राष्ट्रपति—हमानी डियोरी; शासन-स्वरूप—गणतंत्र।

फ्रांसीसी सरकार के सन् १९२२ और सन् १९२६ ई० के निर्णय के अनुसार इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। सन् १९४७ ई० में फादा-एन-गोरमा और डोरी—इन दो जिलों को इससे पृथक् कर अपर वोल्टा का निर्माण किया गया। यहाँ के मूल-निवासियों में होसा, जर्मा, संघाई, प्यूलह और तुआरेग प्रमुख हैं। १ अगस्त, १९६० को यह पूर्ण गणतंत्र घोषित हुआ। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी है।

## नाइजीरिया

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका का दक्षिणी भाग—गीनी की खाड़ी के किनारे; क्षेत्रफल—३,३९,१७० वर्गमील; जन-संख्या—३,५२,९७,००० (१९६०); राजधानी—लागोस; धर्म—ईसाई और मुस्लिम; सिक्का—पौंड (स्टर्लिंग); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; गवर्नर जेनरल—नामडी अजीकी-वे; प्रधानमंत्री—अलहाजी अबू-बकर-तफावा बलेवा; मुख्य नगर—इबादान, ओंगबोमोसो, कानो, ओसगबो, इफे और इबो।

यह देश उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी—इन तीन भू-भागों में बँटा है। यह विगत १०० वर्षों से ब्रिटिश अधिकार में था। १४ दिसम्बर, १९४६ के राजीनामे के अनुसार कैमेरून को इसका अभिन्न अंग बनाया गया। यह भू-भाग कई क्षेत्रों के मिलने से बना है, जिनका अलग-अलग शासन-प्रबंध था। १ अक्टूबर, १९५४ को एक गवर्नर जेनरल के अधीन नाइजीरिया-संघ-राज्य का निर्माण किया गया। १ अक्टूबर, १९६० को यह पूर्ण गणतंत्र घोषित हुआ। यह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य है। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हो चुकी है।

## मध्य अफ्रिकी गणतंत्र

स्थिति—मध्य अफ्रिका (फ्रांसीसी विषुवत्-रेखीय अफ्रिका); क्षेत्रफल—६,१७,००० वर्ग कीलोमीटर (२,४१,००० वर्गमील); जन-संख्या—११,९३,००० (१९६०); राजधानी—बांगुई; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; राष्ट्रपति—एम० डेविड डाको; मुख्य नगर—बरबेराती, फोर्ट आर्चम्बौल्ट, फोर्ट कैम्पेल, बोअर।

इस देश का पुराना नाम उबंगुई-शारी है। यह पहले फ्रांसीसी साम्राज्य का अंग था। १३ अगस्त, १९६० को इसे स्वतंत्रता मिली। फ्रांस के साथ हुए राजीनामे के अनुसार यह फ्रेंच कम्युनिटी का सदस्य बना रहेगा। इस वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी है।

## मालागासी (मडागास्कर) प्रजातन्त्र

स्थिति—अफ्रिका के दक्षिण-पूर्व समुद्र-तट से २४० मील पूरब एक द्वीप; क्षेत्रफल—५,९२,००० वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—५१,८४,००० (१९६०), जिसमें ७४,०००

यूरोपीय और मिश्रित जातियाँ; राजधानी—तानानारिव; सिक्का—मालागासी फ्रैंक; राष्ट्रपति—फिलीवर्ट सिरानाना; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—मजूंगा, ऐण्टसिराबे, थिनारान्त-सोआ, टामाटामे।

सन् १५०० ई० में यहाँ सर्वप्रथम पुर्त्तगीजों का आगमन हुआ। उन्होंने 'री-मोगा-डी-सो' से इस द्वीप का नाम 'मडागास्कर' कर दिया। इस द्वीप की अन्तिम रानी रानावालोना थी, जो सन् १८८३ ई० में गद्दी पर बैठी थी। ५ अगस्त, १८६० के राजीनामे के अनुसार ब्रिटेन ने इसे फ्रांसीसी-रक्षित राज्य स्वीकार किया। १५ अक्टूबर, १६५८ को यह फ्रांसीसी कम्युनिटी के अधीन एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। किंतु २६ जून, १६६० को यह पूर्ण स्वतन्त्र हो गया। यहाँ की संसद् के दो सदन हैं। इसके छह प्रान्त हैं, जिनकी अपनी-अपनी विधान-सभाएँ हैं। प्रान्त जिलों में और जिले कैण्टोन में बंटे हैं। यहाँ मालागासी जाति के लोग रहते हैं। यहाँ भारतीय, चीनी, अरब एवं अन्य एशियाई भी हैं, जो छोटे-छोटे वाणिज्य-व्यवसायों में लगे हैं।

## माली

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका; क्षेत्रफल—१२,०४,०२१ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—४३,०७,०००; राजधानी—बोमाको; कौंसिल का प्रेसिडेण्ट तथा प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा-मंत्री—मोडिबो केइटा; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—कायेस, सिगउ, मोप्टी, सिकासो।

मध्ययुग में माली एक शक्तिशाली राज्य था। सन् १३०७ ई० में अबू बकर का पुत्र मूसा प्रथम माली का शासक बना। शीघ्र ही इसका राज्य सेनेगल के अटलांटिक समुद्र-तट से लेकर नाइजर के नियामे-क्षेत्र तक और मौरिटेनिया के अद्रार-पर्वत से अपर गीनी तक विस्तृत हो गया। यह क्षेत्र १५०० मील लम्बा और ८०० मील चौड़ा था। अरब के विभिन्न भूगोल एवं इतिहास-वेत्ता अपने-अपने समय में ११वीं से १६वीं सदी तक अपनी रचनाओं के अन्तर्गत माली का उल्लेख करते रहे हैं।

माली-गणराज्य २० सितम्बर, १६६० को स्वतन्त्र हुआ। इसके पूर्व यह फ्रांसीसी सूडान का क्षेत्र तथा २८ नवम्बर, १६५८ से फ्रांसीसी कम्युनिटी का एक सदस्य-राष्ट्र था। जनवरी, १६५८ से २२ सितम्बर, १६६० तक यह सेनेगल के साथ माली-राज्य-संघ का सदस्य रहा, २८ सितम्बर, १६६० से यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है।

## संयुक्त अरब-गणतंत्र (मिस्र)

स्थिति—भूमध्यसागर के किनारे अफ्रिका का उत्तर-पूर्वी भाग; क्षेत्रफल—३,८६,१६८ वर्गमील; जन-संख्या—२,५६,२५,००० (१६५६); राजधानी—काहिरा (कैरो); भाषा—अरबी; धर्म—मुस्लिम; सिक्का—मिस्री पौंड; राष्ट्रपति—गैमेल अब्दुल नसीर; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (अधानात्मक); मुख्य नगर—अलेक्जेण्ड्रिया, पोर्टसईद, स्वेज, तांता, मनसुरा, इस्मालिया।

मिस्र की सभ्यता सात हजार वर्ष पुरानी बताई जाती है। प्राचीनकाल में यह देश बहुत उन्नत था। यहां के पुराने राजाओं का कब्रिस्तान पिरामिड, संसार के सप्त महाश्चर्यों में एक है। पीछे इस देश पर असीरिया, फारस, ग्रीस, रोम, सारडिनिया, तुर्की, फ्रांस और ब्रिटेन ने अधिकार जमाया। यह देश सन् १८८२ ई० के बाद ब्रिटेन की देख-रेख में आया। सन् १६१४ ई० में यह

उसका संरक्षित राज्य हो गया और सन् १६२२ ई० की फरवरी तक इसी स्थिति में रहा। इसके बाद ब्रिटेन ने इसे स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकार किया, किन्तु इसकी सुरक्षा, स्वेज-नहर में ब्रिटिश यातायात का संरक्षण तथा सूडान का शासन-भार अपने हाथ में रखा। मिस्र का सुलतान १५ मार्च, १६२२ से बादशाह 'फैआद प्रथम' कहलाने लगा और सन् १६२३ ई० में इसका नया संविधान बना। मिस्र सन् १६२२ ई० की संधि से संतुष्ट नहीं था, अतः सन् १६३६ ई० में ब्रिटेन को मिस्र से दूसरी सन्धि करनी पड़ी, जिसके अनुसार स्वेज और सूडान पर दोनों देशों का सम्मिलित शासन कायम हुआ। अक्टूबर, १६५१ में मिस्र ने १६३६ ई० में ब्रिटेन के साथ की गई सन्धि को मानने से इनकार कर दिया तथा स्वेज नहर और सूडान पर पूरा अधिकार जमाया। जून, १६५३ में गणतंत्र घोषित होने पर बादशाह का पद उठा दिया गया और जेनरल नगीब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया गया। दूसरे ही वर्ष गैमेल अब्दुल नसीर राष्ट्रपति हुआ, जो अबतक अपने पद पर बना हुआ है। सन् १६५६ ई० में सूडान स्वतन्त्र हो गया।

१ फरवरी, १६५८ को मिस्र और सीरिया ने मिलकर संयुक्त अरब-गणतंत्र (युनाइटेड अरब रिपब्लिक) कायम किया। इसके अनुसार इन दोनों देशों के एक प्रधान शासक, एक ही विधान-मंडल, एक ही सम्मिलित सेना तथा एक ही राष्ट्र-ध्वज हुए। ८ मार्च को स्वतन्त्र यमन अपना अस्तित्व कायम रखते हुए भी अरब राज्य-संघ के निर्माण के लिए संयुक्त अरब-गणतंत्र में सम्मिलित हुआ। अक्टूबर, १६६१ में मिस्र-सरकार के व्यवहार से असन्तुष्ट होकर सीरिया संयुक्त अरब-गणतंत्र से अलग हो गया। जनवरी, १६६२ में यमन ने भी इससे अपना संबंध-विच्छेद कर लिया।

## मोरोक्को

स्थिति—अफ्रिका महादेश की उत्तरी सीमा; क्षेत्रफल—१,७४,५५३ वर्गमील; जन-संख्या—६०,००,००० से अधिक (यूरोपीय ५,००,००० और यहूदी २,००,०००); राजधानी—राबाट; भाषा—मूरिश, अरबी और बेर-बेर; राजभाषा—अरबी; धर्म—इस्लाम; बादशाह—हसन द्वितीय ( फरवरी, १६६१ से ); शासन-स्वरूप—राजतंत्र; मुख्य नगर—कासाब्लांका, मरकेश, फेज, टैंजियर, रैबेट, मेक्निस।

यहाँ के मूल-निवासी मुसलमान हुए बर्बर-जाति और अरब-जाति के लोग हैं। १७वीं एवं १८वीं शताब्दी में यह समुद्री डाकुओं का प्रमुख अड्डा था। बहुत दिनों से यहाँ का शासक एक सुलतान था, किन्तु सन् १६१२ ई० में फ्रांस और स्पेन के लोग यहाँ आ बसे और इसपर अधिकार कर इसे दो भागों में बाँट लिया। एक 'फ्रेंच मोरक्को' और दूसरा 'स्पेनिश मोरोक्को' कहलाने लगा। सन् १६२३ ई० में स्पेनिश मोरोक्को का टैंजियर-क्षेत्र तटस्थ और निःशस्त्र बनाकर एक अन्तरराष्ट्रीय समिति के अधिकार में रखा गया। स्वतन्त्रता-आन्दोलन के फलस्वरूप सन् १६५६ ई० में फ्रांस और स्पेन की सरकार तथा अन्तरराष्ट्रीय समिति ने यहाँ से अपना अधिकार हटा लिया और उक्त तीनों भाग फिर एक हो गये और वह सम्पूर्ण भाग स्वतंत्र भी हुआ। तब से यहाँ का सुलतान एक मंत्रिमण्डल की सहायता से शासन चला रहा है। यहाँ की मंत्रिपरिषद् में ११ सदस्य होते हैं, जो वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप से बादशाह के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। कृषि-उत्पादन एवं खनिज पदार्थ यहाँ की सम्पत्ति के प्रमुख साधन हैं।

## मॉरिटेनिया

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका; क्षेत्रफल—१०,८५,८०५ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—७,२७,००० (१९६०); राजधानी—नवाकचोट; प्रधानमंत्री—सी० मोख्तार ओल्ड ददाद; शासन-स्वरूप—इस्लामी गणतंत्र; मुख्य नगर—केडी, अतार, रोसो, पोर्ट इटर्न।

यह सन् १९०३ ई० में फ्रांसीसी-रक्षित राज्य बना। ४ दिसम्बर, १९२० को यह फ्रांस का औपनिवेशिक राज्य हुआ। ४ अक्टूबर, १९५८ को यह फ्रांसीसी राष्ट्रमण्डल (फ्रेंच कम्युनिटी) के अंतर्गत गणतन्त्र घोषित किया गया। २८ नवम्बर, १९६० को यह फ्रांस के शासन से मुक्त होकर पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र बना।

यह देश ग्यारह जिलों में बँटा है। यहाँ के प्रमुख निवासी मूर, तोकोल्यूर. साराकोले, प्यूलह, बम्बर और आउलोफ जाति के लोग हैं। यहाँ लोहा और ताँबा की खानों के बड़े क्षेत्र हैं, जहाँ खनन का काम नहीं हुआ है। कृषि और पशु-पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ज्वार, मक्का, खजूर आदि यहाँ की प्रधान उपज हैं।

## रुआण्डा-उरुण्डी

स्थिति—मध्य अफ्रिका (कांगो से पूर्व); क्षेत्रफल—५४,१७२ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—४८,४७,६२१ (१९५६ (यूरोपियन ८,१२७; एशियाई २,८६६); राजधानी—उसुम्बुरा; सिक्का—फ्रैंक; राष्ट्रपति—मोनिमुटवा; प्रधानमंत्री—एम० ग्रेगायर काइबाण्डा; शासन-स्वरूप—बेलजियम का संरक्षित उपनिवेश; मुख्य नगर—नगोजी, किटेगा, किसेनी।

यह देश रुआण्डा और उरुण्डी नामक दो भागों में बँटा हुआ है। यह भू-भाग पहले जर्मन पूर्वी अफ्रिका के अन्तर्गत था। प्रथम महायुद्ध के बाद यह राष्ट्रसंघ के आदेशानुसार बेलजियम के अधीन रखा गया। १३ दिसम्बर, १९४६ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा द्वारा इसकी न्यस्तता स्वीकार की गई। यहाँ के शासन के लिए एक गवर्नर रहता था, जो बेलजियन कांगो के गवर्नर-जेनरल के अधीन कार्य करता था। उसे वाइस-गवर्नर-जेनरल भी कहा जाता था। यह आर्थिक मामलों में बेलजियन कांगो से संबद्ध था। २८ जनवरी, ११६१ को रुआण्डा ने गणतंत्र होने की घोषणा कर ग्रेगायर काइबाण्डा के प्रधानमंत्रित्व में एक अस्थायी सरकार कायम की। सन् १९६२ ई० के मध्य तक संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा इसकी स्वतंत्रता के स्वीकृत होने की चर्चा है। कृषि और पशु-पालन यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। उरुण्डी में अबतक राजतन्त्र बना हुआ है।

## लाइबेरिया

स्थिति—दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका का गीनी कोस्ट; क्षेत्रफल—४३,००० वर्गमील; जन-संख्या—लगभग १२,५०,००० (१९५६); राजधानी—मानरोविया; भाषा—अँगरेजी धर्म—ईसाई; सिक्का—अमेरिकी डालर; राष्ट्रपति—विलियम वी० एस० टबमैन (पुनर्निर्वाचित १९५६); उप-राष्ट्रपति—विलियम रिचार्ड टालबर्ट; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

यह निग्रो-जाति का एक गणतन्त्र राज्य है। इसका अधिकांश भाग जंगलों से ढका है। इसका निर्माण सन् १८२० ई० में अमेरिका से मुक्त किये गये दासों को बसाने के लिए किया गया। यह जुलाई, १८४७ में पूर्ण स्वतंत्र हुआ। इसका संविधान अमेरिकी ढंग का है। यहाँ मत-दाताओं के लिए भू-स्वामी और निग्रो खून का होना आवश्यक है। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं।

राष्ट्रपति का चुनाव ८ वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रि-मंडल की व्यवस्था है।

यहाँ के निवासियों की मुख्य जीविका कृषि है। कच्चा लोहा तथा सोना की भी खानें हैं।

## लीबिया

स्थिति—अफ्रिका का उत्तरी किनारा; क्षेत्रफल—६,७६,३५८ वर्गमील; जन-संख्या—१०,६१,८३० (१९५४); राजधानी—ट्रिपोली और बेंगाजी; भाषा—अरबी; धर्म—इस्लाम; राजा—इद्रिस प्रथम (१९५१ से); प्रधानमंत्री—मुहम्मद उथमान; शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र।

यह तीन प्रान्तों—ट्रिपोलिटानिया, साइरेनाइका और फेजन—का एक संघ-राज्य है। सोलहवीं शताब्दी से लेकर सन् १९११ ई० तक यह तुर्की साम्राज्य का अंग रहा। सन् १९१२ ई० में इटली और तुर्की के युद्ध के परिणाम-स्वरूप यह इटली के हाथ में चला गया। सन् १९४३ ई० में जब इटली की पराजय हुई, तब इसके ट्रिपोलिटानिया और साइरेनाइका प्रांत ब्रिटेन के तथा फेजन फ्रांस के अधीन हो गये। सन् १९५१ ई० में यह संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा एक स्वतन्त्र राष्ट्र बना दिया गया। यहाँ की संसद् के दो सदन हैं। मंत्रिमंडल संसद् के प्रति उत्तरदायी रहता है। कृषि एवं पशु-पालन यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा है।

## सियरालियोन

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका का दक्षिणी अटलांटिक-तट; क्षेत्रफल—२७,९२५ वर्गमील; जन-संख्या—२५,००,००० (जिसमें २००० यूरोपीय तथा ३००० एशियाई); राजधानी—फ्री-टाउन; प्रधानमन्त्री—सर मिल्टन मारगेई; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (२७ अप्रैल, १९६१ से)।

यह पहले ब्रिटिश-रक्षित राज्य और उपनिवेश—इन दो क्षेत्रों में बँटा था। सन् १९५८ ई० में इसका संविधान बना, जिसके अनुसार यहाँ की प्रतिनिधि-सभा में ५१ निर्वाचित और २ मनोनीत सदस्य होते रहे। निर्वाचित सदस्यों में १४ उपनिवेश से, २४ रक्षित राज्य से और १ ग्रामीण क्षेत्र से चुने जाते थे। शेष १२ जिला-परिषदों से लिये गये बड़े सरदार होते थे। गवर्नर इसकी कार्यपालिका-परिषद् के अध्यक्ष थे। प्रधानमन्त्री के अतिरिक्त इसके ११ गैरसरकारी सदस्य भी होते रहे। नये संविधानानुसार रक्षित राज्य के मुख्यायुक्त का पद हटा दिया गया है।

## सूडान

स्थिति—अफ्रिका का पूर्वी भाग; क्षेत्रफल—९,६७,५०० वर्गमील; जन-संख्या—१,०२,५५,९१२ (१९५७); राजधानी—खारतूम; सिक्का—सूडानी पौंड; भाषा—अरबी; धर्म—इस्लाम; सशस्त्र सैनिकों की सर्वोच्च परिषद् के प्रधान और प्रधानमंत्री—जेनरल इब्राहिम अबूद; शासन-स्वरूप—सैनिक तानाशाह (१९५८ से); मुख्य नगर—सूडान और हल्फा।

इसके उत्तर-पश्चिम भाग में मरुभूमि है। नील नदी इस देश के मध्य होकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसके आसपास कृषि-योग्य भूमि है। संसार को अधिकांश गोंद मुख्यतः इसी देश से प्राप्त होता है।

सूडान का प्राचीन इतिहास नूबिया का इतिहास है, जहाँ रोमन-युग में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ था। सन् १८८२ ई० में यह मिस्र के मुहम्मद अली पाशा द्वारा विजित हुआ।

महदी विद्रोह में सन् १८८१ ई० से १८६८ ई० के बीच मिस्र की सेना यहाँ से हटा दी गई। सन् १८६६ ई० में यह ब्रिटिश और मिस्र के सम्मिलित शासन के अंतर्गत आया। सन् १६५३ ई० में इसे स्वशासन का अधिकार मिला, किन्तु १ जनवरी, सन् १६५६ को यह पूर्ण स्वतन्त्र हो गया। इस्माइल अल-अजहरी की सरकार के पतन के बाद ५ जुलाई, १६५६ से उम्मा पार्टी के नेता अब्दुल्ला खलील के प्रधानमन्त्रित्व में शासन आरम्भ हुआ था। सन् १६५८ ई० के फरवरी-मार्च में यहाँ सर्वप्रथम चुनाव किया गया। उसमें भी अब्दुल्ला खलील का ही मन्त्रिमण्डल बना, किन्तु उसी वर्ष यहाँ १७ नवम्बर से जेनरल इब्राहिम अबूद के नेतृत्व में सैनिक-शासन आरम्भ हुआ, जो अवतक चल रहा है।

## सेनेगल

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका में अटलांटिक महासागर के तट पर; क्षेत्रफल—१,६७,१६१ वर्ग कीलोमीटर; जन-संख्या—२५,६७,००० ( १६६० ); राजधानी—डकार; राष्ट्रपति—लियोपोल्ड सेंघॉर; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—रुफिस्क, काओलैक, सेंट लुई, थीज।

यहाँ यूरोपवासियों में सर्वप्रथम पुर्त्तगालियों ने १५वीं सदी में सेनेगल नदी के तट पर अपने कुछ अड्डे कायम किये। फ्रांसीसियों ने सन् १६५० ई० में सेंटलुई नामक स्थान पर अपनी बस्तियाँ बसाईं। विभिन्न समयों में अँगरेजों ने सेनेगल के कुछ हिस्से अधिकृत किये। किन्तु सन् १८४० ई० में फ्रांसीसियों ने सबपर अपना अधिकार जमा लिया। सन् १६०४ ई० में उन्होंने सूडान-क्षेत्र को भी संगठित किया। सन् १६४६ ई० में फ्रांसीसी पश्चिमी अफ्रिका के अन्य भागों के साथ सेनेगल भी फ्रांसीसी राज्य-संघ का एक भाग बना। जनवरी, १६५६ से २० अगस्त, १६६० तक यह सूडान के साथ माली राज्य-संघ का सदस्य रहा। २० अगस्त, १६६० को यह पूर्ण गणतन्त्र घोषित किया गया। २८ सितम्बर, १६६० को यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना।

## सोमालिया-गणतन्त्र

स्थिति—पूर्वी अफ्रिका में लाल सागर और भारतीय महासागर के तट पर; क्षेत्रफल—३,५०,००० वर्गमील से अधिक; जन-संख्या—लगभग १६,००,०००; राजधानी—मोगाडस्को; सिक्का—सोमालो; प्रधान मंत्री—डॉ० आब्दी रशीद अली शिरमार्के; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—हरजीसा, बरबेरा, बुराओ।

सोमालिया-गणतन्त्र का निर्माण १ जुलाई, १६६० को ब्रिटिश सोमालीलैंड और इटालियन सोमालिया के मिलने से हुआ है। ब्रिटिश सोमालीलैंड एक ब्रिटिश-रक्षित राज्य था, जिसका ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध शताधिक वर्षों से रहा। यह २२ जुलाई, १६६० ई० को स्वतन्त्र हुआ।

सोमालीलैंड के दक्षिण-पूर्व भारतीय महासागर के तट पर स्थित सोमालिया सन् १६५० ई० से संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में इटली द्वारा शासित हो रहा था। उसके सम्बन्ध में १५ मई, १६६० को इटली-सरकार ने निश्चय किया कि वह इसे १ जुलाई, १६६० से स्वतन्त्र कर देगी। इसके पूर्व अप्रैल मास में ही ब्रिटिश सोमालीलैंड और सोमालिया के नेताओं ने सोमालिया की राजधानी मोगाडिस्को में ६ दिनों तक सम्मेलन कर सर्वसम्मति से यह निर्णय किया था कि वे इन दोनों देशों को मिलाकर १ जुलाई, १६६० से सोमालिया-गणतन्त्र का निर्माण

करेंगे। तदनुसार २२ जुलाई, १९६० से इस गणतंत्र की स्थापना की गई और इसके प्रथम अस्थायी राष्ट्रपति अदन अब्दुला उस्मान बनाये गये।

सोमालिया-गणतन्त्र के लोग एक बृहत्तर सोमालिया की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें उत्तर केनिया के १ लाख, इथोपिया के ५ लाख और फ्रांसीसी सोमालीलैंड के ३० हजार सोमालियों के क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने का स्वप्न है। इथोपिया, केनिया आदि सम्बन्धित देश उनके इस स्वप्न का विरोध कर रहे हैं।

## अफ्रिका के विदेशी-अधिकृत क्षेत्र

### पुर्त्तगीज-अधिकृत क्षेत्र

अंगोला और मोजाम्बिक प्रान्त, पुर्त्तगीज गीनी, केप वर्डे (टापू), सैंटोरा (टापू) और एजोर (टापू)।

### फ्रांसीसी-अधिकृत क्षेत्र

फ्रेंच सोमालीलैंड, सहारा, फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रिका और रीयूनियन (टापू)।

### ब्रिटिश-अधिकृत क्षेत्र

दक्षिण अफ्रिका-संघ के अतिरिक्त केनिया, उगांडा, रोडेशिया, न्यासालैंड, जंजीबार मॉरिशस, सेंटहेलेना, एसन्सन, गैम्बिया, बेचुआनालैंड, स्वाजीलैंड, बसुटोलैंड तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की देख-रेख में दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका।

### स्पेनिश-अधिकृत क्षेत्र

रिओडिओरा, स्पेनिश गीनी, कनारी द्वीप-समूह और स्पेनिश सहारा।

## अस्ट्रेलेशिया (ओसीनिया)

अस्ट्रेलिया, टस्मानिया, न्यूजीलैंड, न्यूगीनी, फीजी तथा पास के कुछ छोटे-छोटे द्वीपों को मिलाकर अस्ट्रेलेशिया या ओसीनिया महादेश कहलाता है। यहाँ की जन-संख्या लगभग डेढ़ करोड़ है। न्यूगीनी के कुछ भागों को छोड़कर ये सभी द्वीप ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत हैं। इन द्वीपों के मूल-निवासी धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। सर्वत्र गोरी जातियों का प्रभुत्व है। अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के विवरण अलग दिये जा रहे हैं।

### अस्ट्रेलिया

स्थिति—एशिया के दक्षिण; क्षेत्रफल—२९,७१,०८१ वर्गमील (टस्मानिया-सहित); जन-संख्या—१,०२,२७,३८९ (१९६०); राजधानी—केनबेरा; भाषा—अँगरेजी; धर्म—ईसाई; सिक्का—अस्ट्रेलियन पौंड; सम्राज्ञी—ग्रेट-ब्रिटेन की द्वितीय एलिजाबेथ; गवर्नर-जेनरल—वाइकाउण्ट डी० लेस्ले (१० अप्रैल, १९६१ से); प्रधानमन्त्री—रॉबर्ट गॉर्डन मेंजिज

(१६४६ से); शासन-स्वरूप—अधिराज्य; मुख्य नगर—सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न, पर्थ, एडिलेड, होबर्ट, डार्विन।

इस देश को यदि द्वीप कहा जाय, तो यह संसार का सबसे बड़ा द्वीप है और यदि महादेश कहा जाय, तो संसार का सबसे छोटा महादेश है। सन् १८५० ई० तक यह 'न्यू-हालैंड' कहलाता था; क्योंकि यूरोपवासियों में सर्वप्रथम हालैंडवासी ही सन् १६१२–२७ ई० के बीच यहाँ आये थे।

डेढ़ सौ वर्ष पहले इस देश के मूल-निवासियों की संख्या ३,००,००० थी, पर अब लगभग ८७,००० मात्र रह गई है। अँगरेजों ने इस देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया और वे गोरी जाति के अतिरिक्त दूसरे किसी को यहाँ बसने नहीं देते। यह देश ८ प्रांतों में बँटा है—१. टस्मानिया, २. पश्चिमी अस्ट्रेलिया, ३. क्वींसलैंड, ४. नार्दर्न टेरिटरी, ५. दक्षिणी अस्ट्रेलिया, ६. न्यू-साउथवेल्स, ७. विक्टोरिया और ८. अस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। पहले प्रत्येक प्रान्त का ब्रिटिश सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध था, पर १ जनवरी, १६०१ से यहाँ संघ-शासन कायम हुआ है, जिसे 'कॉमनवेल्थ ऑफ अस्ट्रेलिया' कहते हैं। यह राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है। सन् १६४६ ई० से यहाँ लिबरल और कंट्री पार्टी का सम्मिलित मंत्रिमंडल कायम है। यहाँ की जन-संख्या हमारे यहाँ की एक कमिश्नरी की जन-संख्या के बराबर है। यह सन् १६५४ ई० में स्थापित दक्षिण-पूर्वी एशिया संधि संगठन का प्रमुख सदस्य है।

इस देश के शासनान्तर्गत निम्नलिखित सुदूरस्थ छोटे बड़े द्वीप भी हैं—पपुआ, संयुक्त राष्ट्रसंघ के संन्यस्त क्षेत्र नौरु और न्यूगीनी, अस्ट्रेलियन अंटार्कटिक क्षेत्र, क्रिसमस द्वीप और कोको-कीलिंग द्वीप-समूह।

## न्यूजीलैंड

स्थिति—दक्षिण प्रशान्त महासागर में एक द्वीप; क्षेत्रफल—१,०३,७४० वर्गमील; जन-संख्या—२३,११,८११ (१६६०); राजधानी—वेलिंगटन; धर्म—ईसाई; सम्राज्ञी—इंगलैंड की रानी द्वितीय एलिजाबेथ; गवर्नर-जेनरल—वायकौंट कोभम; प्रधानमन्त्री—के० जे० होलिओक; शासन-स्वरूप—अधिराज्य (ब्रिटिश); मुख्य नगर—ऑकलैण्ड, क्राइस्टचर्च, डुनेडिन।

यहाँ के प्राचीन मूल-निवासी पोलीनेशियन जाति के हैं, जिन्हें 'माओरी' कहते हैं। यह कुक मुहाना द्वारा मुख्यतः दो द्वीप-समूहों में विभक्त है—उत्तरी द्वीप-समूह और दक्षिणी द्वीप-समूह। यह ज्वालामुखी पर्वतों और गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अधिकतर गोचर भूमि है, जिससे भेंड़ पालने का व्यवसाय अधिक होता है। भेंड़ का मांस, मक्खन, पनीर, ऊन और जमा हुआ दूध के निर्यात में इसका स्थान संसार में अग्रगण्य है।

पहले सन् १६८२ ई० में यहाँ डच लोग आये। सन् १८४० ई० में यह ब्रिटेन के अन्तर्गत आया। सन् १८५२ ई० में इसे स्वशासन का अधिकार मिला। इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत सन् १६०७ ई० में अधिराज्यत्व प्रदान किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। गवर्नर-जेनरल ही ब्रिटिश सम्राज्ञी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल है। यहाँ के मूल-निवासियों और गोरी जातियों में रंगभेद की नीति नहीं है।

☆

# उत्तरी अमेरिका महादेश

यह महादेश भूमध्यरेखा से उत्तर लगभग १०° उ० अक्षांश से लेकर लगभग ८०° उ० अक्षांश तक फैला हुआ है। इसकी लम्बाई लगभग ४,२०० मील है। इसका क्षेत्रफल ६३,५८,६७६ वर्गमील और जन-संख्या लगभग २४ करोड़ है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच स्थित होने से एशिया और यूरोप दोनों महादेशों के साथ इसे व्यापार करने की सुविधा है। यह चार प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है—पश्चिम का पहाड़ी भाग, बीच की समतल भूमि, पूरब की अधित्यका और अटलांटिक महासागर का तट। पुरातत्त्वविदों का कहना है कि प्राचीन काल में भारत का अमेरिका से सम्बन्ध था। परन्तु आधुनिक युग में यूरोपवालों ने ही अमेरिका का पता लगाया। वे लोग यहाँ आ बसे। उनके यहाँ बसने पर यहाँ के मूल-निवासियों की संख्या धीरे-धीरे बहुत कम हो गई है। यहाँ के मूल-निवासियों में एस्किमो, रेड-इण्डियन आदि हैं। इनका समाज या राजनीति में कोई विशेष स्थान नहीं है। दिनों-दिन इनकी जन-संख्या घटती आ रही है। अफ्रिका के जो हब्शी खेतों में काम करने के लिए यहाँ जानवरों की तरह खरीदकर लाये गये थे, वे भी लाखों की संख्या में हैं। दासता-उन्मूलन-आन्दोलन की सफलता के बाद इन्हें नागरिक अधिकार दिये गये हैं। उत्तरी अमेरिका कई देशों में बँटा हुआ है, पर इनमें मुख्य संयुक्तराज्य और कनाडा हैं। कनाडा से उत्तर-पूरब एक बहुत बड़ा भू-भाग 'ग्रीनलैंड' कहलाता है। उत्तरी ध्रुव के निकट होने के कारण यहाँ अत्यधिक ठंढक पड़ती है। संयुक्तराज्य के दक्षिण के भाग को 'मध्य अमेरिका' भी कहते हैं।

## एल-सालवेडर

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—८,२६६ वर्गमील; जन-संख्या—२६,१३,००० (१९६०); राजधानी—सान-सालवेडर; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; राष्ट्रपति—लेफ्टिनेण्ट कर्नल जोसे मारिया लेमस (१९५६ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—साण्टाआना, सान मिगुएल, न्यू साम सालवेडर ( साण्टा टेकला ), सोनसोनेट सान विसेण्ट।

यह अमेरिका महादेश का सबसे छोटा देश है। यहाँ के निवासी यूरोप की गोरी जातियाँ, मेसटिजो और रेड-इंडियन हैं। सर्वप्रथम सन् १६२५ ई० में यहाँ स्पेनवासी आये थे। सन् १८२१ ई० में यह स्पेन से स्वतन्त्र हुआ। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए सार्वजनिक मत से होता है और वही मंत्रिमंडल को संगठित करता है। राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होता। यहाँ १८ वर्ष से अधिक उम्रवालों के लिए मत प्रदान करना अनिवार्य है।

## कनाडा

स्थिति—उत्तर-अमेरिका; क्षेत्रफल—३८,५१,८०९ वर्गमील; जन-संख्या—१,८०,८५,००० (१९६१); राजधानी—ओटावा; भाषा—अँगरेजी और फ्रेंच; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—कैनेडियन डालर; गवर्नर जेनरल—जॉर्ज फिलियास वेंनियर (१९५८ ई० से); प्रधानमंत्री—जॉन जार्ज डिफेनबेकर; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—मौण्ट्रियल, टोरण्टो, वेंकोवर, विनिपेग, हैमिल्टन, एडमोण्टन, क्वेबेक, विण्डसर।

यूरोपवासियों में सर्वप्रथम जॉन केबॉट ने सन् १४६७ ई० में कनाडा के समुद्री तट का पता लगाया। सत्रहवीं शताब्दी के प्रथम दशक में यहाँ फ्रांसीसी उपनिवेश बसा। सन् १७६३ ई० में फ्रांस ने यह उपनिवेश अँगरेजों को दे दिया। सन् १८६७ ई० में इसे औपनिवेशिक स्वराज्य मिला।

ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत यह एक संघ-राज्य है, जिसके अन्दर १२ प्रांत हैं। यहाँ के अधिकांश निवासी यूरोपीय जाति के हैं, जिनमें अँगरेज और फ्रांसीसी मुख्य हैं। यह कृषि-प्रधान देश है, पर अपने खनिज पदार्थों के लिए भी धनी गिना जाता है। सन् १९५७ ई० के चुनाव में प्रोग्रेसिव कंजरवेटिव पार्टी की जीत हुई है, और उसी के नेता इस समय प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं—सिनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश पार्लमेण्ट की तरह यहाँ की सिनेट के सदस्य जीवन-भर के लिए मनोनीत होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए भी यह स्टर्लिंग-क्षेत्र के अन्दर नहीं है, और इसी प्रकार अमेरिका महादेश के अन्दर रहकर भी यह अमेरिकन राज्य-संघ से बाहर है।

## कोस्टा-रीका

स्थिति—मध्य अमेरिका का दक्खिनी भाग; क्षेत्रफल—१६,६९० वर्गमील; जन-संख्या—११,४६,५३७ (१९५९); राजधानी—सानजोसे; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—कोलोन; राष्ट्रपति—मैरियो एकेएडी जिमेनेज (१९५८ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—सान जोसे, अलाजुएला, कारटागो, हेरेडिया; गुआनाकास्टे, पुएटारेनॉस, लिमोन आदि।

सन् १५०२ ई० में सेंट कोलम्बस ने इसका पता लगाया। यहाँ का पोआज ज्वालामुखी संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ अधिकतर यूरोपीय मूल-निवासी हैं, जिनमें सबसे अधिक स्पेनवासी हैं। आदिमजातियों की संख्या दिनों-दिन घट रही है।

यहाँ की पार्लमेण्ट का केवल एक सदन है। २० वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी पुरुषों को यहाँ मताधिकार प्राप्त है। शिक्षकों और विवाहित लोगों के लिए मताधिकार की निम्नतम आयु १८ वर्ष ही रखी गई है।

## क्यूबा

स्थिति—वेस्ट इंडीज; क्षेत्रफल—४४,२०६ वर्गमील; जन-संख्या—६५,००,००० (१९६०); राजधानी—हवाना; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—ओसवाल्डो डॉरटिकोज टोरेडो (१९५९ ई० से); प्रधानमंत्री—डॉ० फिडेल कास्त्रो रुज; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (मंत्रिमंडलात्मक)।

सन् १४९२ ई० में कोलम्बस ने इसका पता लगाया। सन् १८९८ ई० तक यह स्पेन का उपनिवेश रहा। तत्पश्चात् सन् १९०२ ई० तक यह संयुक्तराज्य के सैनिक शासन के अंतर्गत था। उसके बाद यह स्वतंत्र हुआ। अक्टूबर, १९४० के संविधान के अनुसार यहाँ के राष्ट्रपति की पदावधि ४ वर्ष की रखी गई थी। साथ ही ५४ सदस्यों की एक सिनेट तथा १४० सदस्यों के निचले सदन की व्यवस्था थी। धीरे-धीरे यहाँ साम्यवादियों की संख्या बढ़ने से एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनवरी, १९५९ में साम्यवादी विचारधारा के समर्थक

डॉ० फिडेल कास्ट्रो रुज के नेतृत्व में विद्रोहियों ने तत्कालीन सरकार को अपदस्थ कर दिया। इन दिनों यहाँ का संविधान स्थगित है। सन् १९६० ई० से डॉ० फिडेल कास्ट्रो रुज यहाँ का प्रधान-मंत्री है। इसके प्रधानमंत्री होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा का आपसी सम्बन्ध और भी बिगड़ चुका है तथा दोनों देशों के दौत्य-सम्बन्ध विच्छिन्न हो गये हैं। क्यूबा-स्थित अमेरिकी कारोबार का राष्ट्रीयकरण करके साम्यवादी चीन से प्रचुर ऋण लिया गया है। अप्रैल, १९६१ में यहाँ की सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसे दबा दिया गया। इधर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा ने क्यूबा से अपना व्यापारिक सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है।

यह संसार का सबसे बड़ा ऊख-उत्पादक देश है। यहाँ की दूसरी मुख्य उपज तम्बाकू है। यहाँ लोहा अधिक पाया जाता है।

## गुवाटेमाला

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—४२ ०४२ वर्गमील; जन-संख्या—३४,३०,००० (१९५७ ई०); राजधानी—गुवाटेमाला सिटी; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; राष्ट्रपति—मिगुएल एडिगोरास फूएन्टस (१९५८ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—क्वेजालटेनानगो, कोबँन, जाकापा, पुएर्टो, बोरिओस, मेजेटेनानगो।

ईसा की १०वीं शताब्दी में यहाँ रेड-इंडियनों का माया-साम्राज्य कायम था। सन् १५२४ ई० में स्पेनवालों ने इस देश पर अपना आधिपत्य जमाया। सन् १८३९ ई० में यहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ। यहाँ का वर्त्तमान संविधान सन् १९५६ ई० का बना हुआ है। अब भी इस देश में अधिकांश रेड-इंडियन तथा शेष मिश्रित रेड-इंडियन और स्पेनिश हैं। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ १८ से ५० वर्ष के उम्रवालों के लिए सैनिक सेवा जरूरी है। यहाँ की काँगरेस का एक ही सदन है, जिसके सदस्यों का चुनाव ४ वर्षों की अवधि के लिए होता है। इसके आधे सदस्य हर दो वर्ष पर बदल जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है।

## डोमिनिकन गणतंत्र

स्थिति—वेस्ट इंडीज; क्षेत्रफल—१९,३३३ वर्गमील; जन-संख्या—२६,९८,००० (१९५७ ई०); राजधानी—सिउडाड ट्रुजिलो; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—सेनोर राफेल बोनेली (जनवरी, १९६२ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—सान्टिआगोडी लॉस कैबेलरॉस, सानफ्रांसिस्को डी मैकोरिज।

कोलम्बस ने सन् १४९२ ई० में इसका पता लगाया और इसका नामकरण ला-स्पेनोला (अर्थात् लघु स्पेन) किया। सन् १८२१ ई० में इसने स्पेन से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया और तीन वर्षों तक हेटी के अधीन रहा। २७ फरवरी, १८४४ को यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। सन् १९१६—२४ ई० तक यह संयुक्तराज्य अमेरिका के जहाजी सैनिकों के कब्जे में रहा। उसके बाद संयुक्तराज्य अमेरिका के ही आदर्श पर यहाँ का संविधान बना। ३१ मई, १९६१ को यहाँ के राष्ट्रपति जेनरल राफेल लियोनिडास ट्रुजिलो मोलिना की हत्या कर दी गई। उसके बाद उनका पुत्र अधिनायक बना। सन् १९६२ ई० की जनवरी के तीसरे सप्ताह में यहाँ सैनिक-विद्रोह हुआ, जिसके फलस्वरूप यहाँ की सरकार बदल दी गई और सेनोर राफेल बोनेली नये राष्ट्रपति बनाये गये। यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव ५ वर्षों के लिए सार्वजनिक मत से होता है। वह मन्त्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। यहाँ की काँगरेस के दो सदन हैं।

## निकारागुआ

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—५७,१४३ वर्गमील; जन-संख्या—१४,५०,३४६ (१६५६ ई०); राजधानी—मानागुआ; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—कौरडोवा; राष्ट्रपति—डॉन लुई ए० सोमोजा डेबायल (१६५७ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—लिओन, माटागलपा, चिनोटेगा, ग्रैनाडा, मासाया, चिननडेगा।

इसका समुद्री तट कैरिबियन सागर की ओर ३०० मील में एवं प्रशान्त महासागर की ओर २०० मील में फैला हुआ है। सर्वप्रथम कोलम्बस ने सन् १५०२ ई० में इसके समुद्री तट का पता लगाया। सन् १५२२ ई० में यह स्पेन के अधिकार में आया। यह एक कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की मुख्य जातियाँ स्पेनवासी और रेड-इंडियन के सम्मिश्रण से बनी हैं। यह सन् १८२१ ई० में स्पेन से मुक्त हुआ। यह प्रशासनिक दृष्टि से १६ भागों और एक क्षेत्र में बँटा है। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। यहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति सिनेट के आजीवन सदस्य होते हैं।

## पनामा

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—२८,५७६ वर्गमील; जन-संख्या—१०,६६,३१२ (१६६० ई०); राजधानी—पनामा सिटी; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—बलबोआ; राष्ट्रपति—रॉबर्टो एफ्० चियारी (८ मई, १६६० से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—सानटिआगो, डैविड, कोलोन, पेनोनोमे, लास-टेबलस।

सन् १५०२ ई० में कोलम्बस ने इसका पता लगाया। इसका समुद्री किनारा अटलांटिक महासागर की ओर ४२६ मील और प्रशान्त महासागर की ओर ७७६ मील है। पनामा नहर इसे दो भागों में बाँटती है। यहाँ के निवासियों में ५०% मेसटिजो जाति के लोग हैं। यहाँ की केवल ५०% भूमि खेती के योग्य है, शेष भाग विस्तृत जंगलों से ढका है। संयुक्तराज्य अमेरिका के प्रयत्नों से इसे कोलम्बिया ने सन् १६०३ ई० में स्वतन्त्र कर दिया। उसी साल इसने एक संधि द्वारा संयुक्त-राज्य अमेरिका को पनामा नहर दे दी। पनामा-सरकार को उसकी राष्ट्रीय आय की एक-तिहाई नहर से मिलती है। यहाँ की पार्लमेंट का एक सदन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष मत से चार वर्षों के लिए होता है। उसे लगातार दो बार पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होता।

## मेक्सिको

स्थिति—उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग; क्षेत्रफल—७,६०,३७३ वर्गमील; जन-संख्या—३,४६,२५,६०१ (१६६०); राजधानी—मेक्सिको; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—अडोल्फो लोपेज माटेओस (१६५८ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—गुआडालाजारा, मौंटेरी, पुएब्ला, सिउडाड-जुआरेज, लिओन।

यह उत्तरी अमेरिका में २६ राज्यों का एक संघ-राज्य है। यह प्राचीन काल में माया, टॉलटेक और अजटेक सभ्यताओं का केन्द्र-स्थल रहा है। सन् १५२१ ई० में यहाँ स्पेनवासियों का

आगमन हुआ। लगातार अनेक विद्रोहों के बाद सन् १८१८ ई० में यह स्वतंत्र हुआ। इसके बाद के वर्ष भी मेक्सिको के लिए अशान्तिपूर्ण रहे; क्योंकि फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों की सेनाएँ अपने हितों की रक्षा के लिए यहाँ आ जुटीं, जिसके परिणामस्वरूप टेक्साज का क्षेत्र इसके हाथ से निकल गया। संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ हुए सन् १८४६-४८ ई० के युद्ध में मेक्सिको की हार होने पर कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटा, अरिजोना और न्यु-मेक्सिको तो पूर्णतः तथा वोमिग और कोलोरैडो के कुछ अंश संयुक्तराज्य के अधिकार में आ गये। फ्रांसीसी आक्रमण के बाद अस्ट्रिया का राजा मेक्सिलियन सन् १८६३ ई० में यहाँ का सम्राट् हुआ। उसके पतन के बाद १८७७-१९११ ई० के बीच यहाँ अधिनायक-तंत्र रहा। सन् १९१७ ई० में यहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ।

यहाँ के निवासी रेड-इण्डियन तथा उपनिवेश बसानेवाले स्पेनवासियों के वंशज हैं। खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के लिए इसकी गणना संसार के सम्पन्न देशों में होती है। यहाँ चाँदी का उत्पादन सभी देशों से अधिक है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है।

## संयुक्तराज्य अमेरिका

स्थिति—उत्तरी अमेरिका का मध्य भाग; क्षेत्रफल—३५,५७,१०३ वर्गमील; जन-संख्या—१८,१६,०६,५४२ ( १९६० ); राजधानी—वाशिंगटन; भाषा—अँगरेजी; धर्म—ईसाई; सिक्का—अमेरिकन डालर; राष्ट्रपति—जॉन फिज गेराल्ड केनेडी (२० जनवरी, १९६१ ई० से); उप-राष्ट्रपति—लिण्डन बी० जॉन्सन; राज्यमंत्री—डीन रस्क; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—न्यूयार्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, डेट्रआयट, लॉस्ऐंजेलस, बाल्टीमोर, क्लीवलैंड, बोस्टन, सैनफ्रान्सिस्को।

इस देश पर सर्वप्रथम स्पेन-निवासियों ने सन् १५६५ ई० में अपना उपनिवेश कायम किया। इसके बाद फ्रांसीसी आये। अन्त में अँगरेज यहाँ इतनी अधिक संख्या में पहुँचे कि देश में वे सब जगह छा गये। फिर तो यहाँ भाषा, धर्म, विधि-विधान और शासन-पद्धति भी अँगरेजों की ही चालू हुई। यहाँ के मूल-निवासी दिन-दिन घटते गये। यहाँ प्राकृतिक साधन प्रचुर परिमाण में मिलने के कारण उपनिवेश बसानेवाले कुछ ही दिनों में बहुत सम्पन्न हो गये। फल यह हुआ कि स्वार्थ के कारण उनका अपने मातृ-देश के साथ संघर्ष चल पड़ा। संघर्ष चाय-कानून लेकर आरम्भ हुआ था। सन् १७७५ ई० से तो इंगलैंड के साथ उनका युद्ध ही आरम्भ हो गया। अन्त में अमेरिकी ही विजयी हुए। सन् १७८८ ई० की पेरिस संधि के अनुसार अमेरिका की स्वतन्त्रता स्वीकार की गई। यहाँ पूर्ण स्वतन्त्र संघ-राज्य कायम हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन सन् १७८९ ई० में इसके प्रथम राष्ट्रपति हुए। स्वतन्त्र होकर अमेरिका शीघ्र ही एक उन्नतिशील और शक्तिशाली राष्ट्र हो गया। सन् १८२३ ई० में यहाँ के राष्ट्रपति मुनरो ने अपना यह सिद्धान्त बनाया कि कोई यूरोपीय शक्ति उत्तरी या दक्षिण अमेरिका के अन्दर अपना राज्य नहीं स्थापित करे। निग्रो की दासता-प्रथा आदि को लेकर सन् १८६१ से १८६५ ई० तक यहाँ गृह-युद्ध चलता रहा। १९वीं सदी का अन्त होने के पूर्व ही संयुक्तराज्य अमेरिका एक विश्व-शक्ति माना जाने लगा। प्रथम महासमर में जर्मनी को परास्त करने में इसका काफी हाथ था। द्वितीय महासमर के अन्त में तो यह संसार के अन्दर

सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाने लगा। इस समय भी संयुक्तराज्य अमेरिका और रूस ही संसार के देशों में अग्रगण्य हैं।

संयुक्तराज्य अमेरिका ५० राज्यों का एक संघ है। यहाँ एक राष्ट्रपति और एक उप-राष्ट्रपति होते हैं, जो ४ वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यों का शासन-भार विभिन्न विभागों के हाथों में रहता है, जिनके प्रधान राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट को 'कॉंगरेस' कहा जाता है, जिसके दो सदन हैं—सिनेट और प्रतिनिधि-सभा। सिनेट में विभिन्न राज्यों से दो-दो सदस्य ५ वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इन सदस्यों में से एक तिहाई दो वर्ष के बाद बदल जाते हैं। प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या ४३५ है। उनका चुनाव दो वर्षों पर होता है। यहाँ के मुख्य राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन हैं। नवम्बर, १९६० के निर्वाचन में डेमोक्रैटिक पार्टी का नेता जॉन फिज गेराल्ड केनेडी राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ।

संयुक्तराज्य अमेरिका के अधीनस्थ क्षेत्र इस प्रकार हैं—प्रशान्त महासागर में—(१) वेक और मिड-वे, (२) अमेरिकन समोआ और (३) गुआम; मध्य अमेरिका में—(१) पनामा केनाल और (२) केनाल-क्षेत्र; अतलांतिक सागर में—पुएर्टोरिको; वेस्ट इण्डीज में—वर्जिन द्वीप-पुंज।

## हैटी

स्थिति—वेस्ट इण्डीज; क्षेत्रफल—१०,७१४ वर्गमील; जन-संख्या—लगभग ४०,००,००० (१९६०); राजधानी—पोर्ट-औ-प्रिंस; भाषा—फ्रेंच; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—गुर्ड; राष्ट्रपति—डॉ० फ्रैंकोइस डुवेलियर (१९५७ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—कैपहैटन, गोनेवस, लेस-काएस, जेरेमी।

पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्द्ध में यह निग्रो जाति के लोगों का एकमात्र प्रजातन्त्र राज्य है। निग्रो जाति के अलावा यहाँ मोलैटोज जाति के भी लोग हैं। यहाँ गोरी जातियों की संख्या केवल दो हजार है। सन् १४९२ ई० में कोलम्बस ने इस देश का पता लगाया था। १७वीं सदी में यह फ्रांस के अधिकार में आया। यहाँ के कुल ५ लाख दासों ने सन् १७९१ ई० में टॉसेण्ट-एल-ओवर्चर के नेतृत्व में विद्रोह किया था। इसके फलस्वरूप १ जनवरी, १८०३ ई० को यह स्वतन्त्र हुआ। अव्यवस्थित राजनीतिक परिस्थिति के कारण यह सन् १९१५ से १९३४ ई० के बीच संयुक्तराज्य अमेरिका के अधिकार में रहा। सन् १९६३ ई० से इसका एक नया संविधान बननेवाला है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से ६ वर्षों के लिए होगा और पार्लमेण्ट का केवल एक सदन रहेगा।

## होंडुरास

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—४३,२२७ वर्गमील; जन-संख्या—१८,८७,३८९ (१९५९); राजधानी—टेगुसिगाल्पा; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—लेम्पिरा; राष्ट्रपति—डॉ० जोसे रैमॉन विलेडा मोरालस (१९५७ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—सैन-पेड्रोसुला, आम्पाला, ला-सीबा, टेला।

यहाँ के निवासियों में करीब ३५,००० आदिवासी हैं, जो अपनी विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। पहले-पहल सन् १५२५ ई० में स्पेनवाले यहाँ आकर बसे और उन्होंने इस भूमि पर अधिकार जमाया। सन् १८२१ ई० में ये लोग अपने मूल देश स्पेन से सम्बन्ध-विच्छेद कर स्वतन्त्र हो गये और होंडुरास को मध्य अमेरिका-संघ का एक अंग बनाया। किन्तु, सन् १८३८ ई० से यह उससे भी अलग हो गया। संयुक्तराज्य अमेरिका से इसे कई बार संघर्ष करना पड़ा। इसके अन्दर ३१ जिले हैं। सन् १९५७ ई० के विधानानुसार यहाँ की काँगरेस का एक सदन है। सन् १९५५ ई० से यहाँ महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

# दक्षिणी अमेरिका महादेश

उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आकार-प्रकार तथा अन्य प्राकृतिक बनावट में बहुत-कुछ मिलते-जुलते-से हैं। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रफल से कुछ ही कम है, पर इसकी जन-संख्या उत्तरी अमेरिका की जन-संख्या की आधी भी नहीं है। यदि भारत से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि भारत की जन-संख्या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की कुल जन-संख्या के योग से भी अधिक है। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल ६८,२५,८७६ वर्गमील और जन-संख्या लगभग १३ करोड़ है। इस देश के मूल-निवासी 'अमेरिकन इण्डियन' कहलाते हैं। यह नाम १४वीं सदी में इस देश में पहले-पहल आनेवाले यूरोपियनों द्वारा दिया गया था। यहाँ के पुराने निवासियों में अधिकांश जंगल में ही रहते हैं। अब तो यहाँ के निवासी प्रधानतः पहले आये हुए स्पेन और पुर्तगालवासियों के वंशज हैं। वैसे तो कुछ अन्य यूरोपियन भी हैं ही। उत्तर में कुछ निग्रो भी रहते हैं, । जिनके पूर्व खेतों में काम करने के लिए यहाँ लाये गये थे। हाल में कुछ इटालियन दक्षिणी भाग में आये हैं। ब्राजिल में कुछ जापानी भी बस गये हैं। इस महादेश के उत्तर में ट्रिनीडाड टापू एवं दक्षिण में फॉकलैंड टापू अँगरेजों के अधिकार में हैं।

## अर्जेण्टाइना

स्थिति—दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग; क्षेत्रफल—१०,७८,७६६ वर्गमील; जन-संख्या—२,०६,५६,१०० (१९६० ); राजधानी—बुएनॉस-एरिज ; भाषा—स्पेनिश ; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति —जोसेमोरिया गुडियो( ३० मार्च, १९६२ से ) शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); तत्काल सैनिक शासन; मुख्य नगर—रोसारियो, कॉरडोवा, सान्ताफे, टुकुमान, मेण्डोजा, लाप्लाटा।

यह दक्षिणी अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है। इसके अन्दर ६ प्रान्त और एक फेडरल जिला हैं। यहाँ पहले-पहल स्पेनिश लोग सन् १५१६ ई० में आये थे। सन् १८१६ ई० में यह स्पेन से स्वतंत्र हुआ। इस समय यहाँ के मुख्य निवासी स्पेनिश और इटालियन हैं।

यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ, जौ, जई, तीसी, री और अलफाल्फा है। यहाँ खनिज पदार्थ भी काफी पाये जाते हैं।

यहाँ का संविधान संयुक्तराज्य अमेरिका के ढंग का है। यहाँ की काँगरेस के दो सदन हैं, जिनमें क्रम से ३० और १५८ सदस्य हैं। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति होने के लिए यहाँ का निवासी और रोमन कैथोलिक होना आवश्यक है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष सार्वजनिक मत से ६ वर्षों के लिए होता है। यहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन में अपना मत प्रदान करना यहाँ अनिवार्य माना जाता है। अर्जेण्टाइना में २६ मार्च, १९६२ को रक्तपातहीन सैनिक क्रान्ति हुई, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति फ्रौंडिजी गिरफ्तार कर मार्टिन ग र्सिया द्वीप भेज दिया गया और सिनेट का अध्यक्ष जोसे मोरिया गुडियो ३० मार्च से राष्ट्रपति बनाया गया।

## इक्वेडर

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी सीमा; क्षेत्रफल—१,१६,२७० वर्गमील; जन-संख्या—४३,९६,००० (१९६० ई०); राजधानी—क्वीटो; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—सुके; राष्ट्रपति—डॉ० कामिलो पोन्से इनरीक्वेज (१९५६ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—गुआयाक्विल, कुएनका, अमवैटो, रियोबम्बा, लोजा, लाटाकुंगा।

सन् १५३२ ई० में फ्रैंसिस्को पिजारो के नेतृत्व में स्पेनवालों ने यहाँ के स्थानीय शासक को हराकर इस भू-भाग को अपने अधिकार में कर लिया। सन् १८२२ ई० में यह कोलम्बिया के साथ मिला दिया गया। उस समय यह क्वीटो प्रेसिडेन्सी कहलाता था। सन् १८३० ई० से यह अलग होकर इक्वेडर गणतंत्र कहलाने लगा। यहाँ के निवासियों में रेड-इण्डियन, मूलैटो और गोरी जातियाँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से चार वर्षों के लिए होता है। यहाँ सन् १९३९ ई० से महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त है।

## उरुगुए

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण-पूरब भाग में; क्षेत्रफल—७२,१७२ वर्गमील; जन-संख्या—२८,००,००० (१९५८); राजधानी—मॉण्टे विडिओ; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; प्रेसिडेण्ट ऑफ् दि नेशनल कौंसिल ऑफ् स्टेट—बेनिटो नारडोन (१९६०-६१ ई०); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—पैसाण्डू, साल्टो, रिवेरा।

यह दक्षिणी अमेरिका का एक छोटा, किन्तु बहुत उन्नत देश है। यूरोपवासियों में सबसे पहले सन् १५१६ ई० में यहाँ स्पेनवाले आये। किन्तु, यहाँ सबसे पहले बसनेवाले पुर्त्तगाली हुए, जो सन् १६८० ई० में यहाँ बसे थे। पीछे सन् १७७८ ई० में स्पेन ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर, यह ब्राजिल का एक प्रान्त बना। सन् १८२५ ई० में यह उससे भी स्वतन्त्र हो गया। सन् १८३० ई० में यहाँ गणतन्त्र की स्थापना हुई। सन् १९५१ ई० के पहले इसके राष्ट्रपति चार वर्षों के लिए चुने जाते थे, किन्तु उसके बाद किसी व्यक्ति-विशेष का राष्ट्रपति होना बंद कर शासन-प्रबन्ध का सारा अधिकार ९ सदस्यों की एक नेशनल कौंसिल को दिया गया, जिसका अध्यक्ष बहुमत-दल के सदस्यों में से एक वर्ष के लिए चुना जाता है। कौंसिल एक मंत्रिमंडल भी बनाती है।

यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। १ मार्च, १९५९ को जिस कौंसिल का गठन किया गया, वह २८ फरवरी, १९६३ ई० तक काम करेगी। यहाँ के उद्योग-धन्धों में सबसे मुख्य पशु-पक्षियों का पालन है।

## कोलम्बिया

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का उत्तर-पश्चिमी हिस्सा; क्षेत्रफल—४,३९,५२० वर्गमील; जन-संख्या—१,४४,४६,५८०; राजधानी—बागोट; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—अलवर्टोइलिरास कॉमरगो (१९५८ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—मेडेलिन, कैली, वैरेन्किला, कारटेगेना, मैनिजालेस।

सन् १५३६ ई० में स्पेनवालों ने इसे अपना उपनिवेश बनाया। सन् १८१९ ई० में यह स्पेन से अपना संबंध-विच्छेद कर स्वतंत्र हुआ। उस समय पनामा, वेनेजुएला और इक्वेडर इसके साथ थे। सन् १८३० ई० में वेनेजुएला और इक्वेडर इससे अलग हो गये और यह 'न्यूग्रानाडा' के नाम से अलग रहा। सन् १८५८ ई० के संविधानानुसार ८ राज्यों का यह संघ 'ग्रानेडिना-संघ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ५ वर्षों के बाद यह संयुक्त राज्य 'कोलम्बिया' कहलाया। सन् १८८६ ई० से यह कोलम्बिया-गणतंत्र कहलाने लगा। उस समय से राज्यों की संप्रभुता का अंत कर वहाँ का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त गवर्नरों को सौंपा गया है। सन् १९०३ ई० में पनामा इससे अलग होकर एक गणतंत्र बन गया। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं—सिनेट और प्रतिनिधि-सभा। सिनेट के सदस्य ४ वर्षों के लिए तथा प्रतिनिधि-सभा के सदस्य दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं। सन् १९५८ ई० के निर्वाचन में सिनेट के ८० और प्रतिनिधि-सभा के १४८ सदस्य चुने गये। यहाँ महिलाओं को मत-प्रदान का अधिकार नहीं है और न वे कोई निर्वाचित पद ही ग्रहण कर सकती हैं।

यहाँ का टेक्वेनडामा जल-प्रपात तथा हिम-मंडित पर्वत-शिखर सुन्दर दृश्य उपस्थित करते हैं। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत पाये जाते हैं। कहवा के निर्यात में संसार में इसका दूसरा स्थान है।

## गायना

दक्षिणी अमेरिका के उत्तर-पूरब भाग में अटलांटिक महासागर के तट पर गायना नाम का देश है, जो तीन राजनीतिक भागों में बँटा है। इन तीन भागों पर यूरोप के तीन राष्ट्रों—ब्रिटिश, डच और फ्रेंच—का अलग-अलग अधिकार है और ये क्रमशः ब्रिटिश गायना, डच गायना और फ्रेंच गायना कहलाते हैं। इनके विवरण नीचे दिये जाते हैं—

### ब्रिटिश गायना

इसका क्षेत्रफल ८३,००० वर्गमील और सन् १९५८ ई० के अनुमानानुसार जन-संख्या ५,५७, ९६० है, जिसमें २,६८,७१० भारतीय हैं। इसकी राजधानी जॉर्ज-टाउन है। सन् १६२० ई० के लगभग डच लोग यहाँ आ बसे थे और सन् १७९६ ई० तक वहाँ उनका

कब्जा रहा। उसके बाद यह अँगरेजों के अधिकार में आया। यहाँ के वर्त्तमान गवर्नर सर रॉल्फ ग्रे हैं। सन् १९५६ ई० के संविधानानुसार यहाँ एक लेजिस्लेटिव कौंसिल का निर्माण किया गया है। तदनुसार अगस्त, १९५७ ई० में हुए आम चुनाव के अनुसार यहाँ की पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। उक्त दल का नेता डॉ० छेदी जगन है, जो भारतीय मूल का है। सन् १९६१ ई० के अगस्त में नया संविधान लागू किया गया, जिसके अनुसार इसको सभी आन्तरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गई तथा डॉ० छेदी जगन मुख्य मंत्री बनाया गया। प्रतिरक्षा और परराष्ट्र-नीति ब्रिटिश सरकार के हाथ में पड़ी।

## डच गायना (सुरिनाम)

इसका दूसरा नाम 'सुरिनाम' है। इसका क्षेत्रफल १,४२,८२२ वर्ग कीलोमीटर है और सन् १९५९ ई० के अनुसार निर्बंधित जन-संख्या ३,०२,००० है, जिसमें ९६,००० हिन्दू और ६८,००० मुसलमान हैं। इसकी राजधानी पारामैरिबो है। यह भूभाग प्रारम्भ में अँगरेजों के अधिकार में था। सन् १६६७ ई० में यह उत्तरी अमेरिका के न्यू नेदरलैंड के बदले नेदरलैंड को दे दिया गया; उसके बाद यह फिर दो बार सन् १७९९ से १८०२ ई० और १८०४ से १८१६ ई० तक ब्रिटेन के अधिकार में रहा। तत्पश्चात् यह पुनः नेदरलैंड के हाथ में आया। यह ७ जिलों में बँटा है। यहाँ के शासन-कार्य के लिए गवर्नर, मंत्रिमंडल और लेजिस्लेटिव कौंसिल हैं। यहाँ के गवर्नर जे० वान टिलबर्ग हैं।

## फ्रेंच गायना

इसका क्षेत्रफल ९०,००० वर्ग कीलोमीटर और सन् १९५५ ई० के गणनानुसार इनिनी-सहित इसकी जन-संख्या ३२,००० (१९५९) है। इसकी राजधानी कायने है। सन् १८५४ ई० से १९३८ ई० तक पुराने अपराधियों को कठिन श्रम के लिए यहाँ भेजा जाता था। सन् १९४५ ई० में बचे-खुचे अपराधियों को फ्रांस वापस भेज दिया गया। सन् १९३० ई० में इनिनी का क्षेत्र इससे अलग किया गया था, परन्तु सन् १९४६ ई० में यह पुनः सम्मिलित कर दिया गया। सन् १९५१ ई० में इसे अंतिम रूप से पृथक् कर दिया गया है।

यहाँ के अधिकांश भाग में जंगल है, जिसमें कई तरह की कीमती लकड़ियाँ मिलती हैं।

## चिली

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी किनारा; क्षेत्रफल—२,८६,३९७ वर्गमील; जन-संख्या—७४,७६,०७० ( १९६० ई० ); राजधानी—सांटियगो; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—जॉर्ज आले-सान्द्री; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र ( प्रधानात्मक ); मुख्य नगर—वॉलपैरैसो, कोनसेपसियोन, वीनाडेलमार, एण्टफेगेस्टा।

यहाँ के मूल निवासियों में मुख्यतः फुएदियन्स, अरौकानियन्स और चानोस हैं। यहाँ स्पेनवासी सर्वप्रथम सन् १५३६ ई० में आये और १५४० ई० में उन लोगों ने इस देश को अपने कब्जे में कर लिया। बहुत दिनों तक पेरू से यहाँ का शासन-कार्य चलाया जाता रहा। सन् १८१८ ई० में यह स्पेन के शासन से मुक्त होकर एक स्वतन्त्र राज्य हो गया। यह संसार में

नाइट्रेट और आयोडिन के उत्पादन में प्रथम तथा ताँबे के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ की नेशनल काँगरेस में सिनेट के ४५ सदस्य और डिप्टियों के १४७ सदस्य हैं। यहाँ सन् १६३६ ई० से ही राष्ट्र-निर्माण के लिए उत्पादन-विकास-निगम की स्थापना की गई है, जो राष्ट्र के बहुमुखी विकास में काफी योग दे रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन सार्वजनिक मत से ६ वर्षों के लिए होता है।

## पारागुए

स्थित—दक्षिणी अमेरिका; क्षेत्रफल—१,५६,००० वर्गमील; जन-संख्या—१७, ६०,००० ( १६६० ई० ); राजधानी—असुन-सिओन; भाषा—स्पेनिश और गुआरानी; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—गुआरानी; राष्ट्रपति—जेनरल अल्फ्रेडो स्ट्रोएसनर (१६५८ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक) मुख्य नगर—कनसेप्सियोन, सैनपेड्रो, काकूपे।

यहाँ के निवासियों में स्पेनवासी, रेड-इंडियन और मेस्टिजो-जाति के लोग हैं। स्पेनवासी यहाँ १५२७ ई० में आये और यहाँ शासन करने लगे। सन् १८११ ई० में यह देश स्वतंत्र हुआ। सन् १८१५ ई० से १८४० ई० तक यहाँ अधिनायक-तंत्र रहा। सन् १८७० ई० में इसका लोकतंत्रात्मक संविधान बना। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से ५ वर्षों के लिए होता है।

## पेरू

स्थिति—दक्षिण अमेरिका; क्षेत्रफल—५,१४,०५६ वर्गमील; जन-संख्या—१,०५,२४,००० (१६५६ ई०); राजधानी—लीमा; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—सोल; राष्ट्रपति—मैनुएल प्रैडो उगारटेक (१६५६ ई०); शासन-स्वरूप—गणतंत्र, मुख्य नगर—कलाओ, एरेक्विया, ट्रुजिलो, चीक्लादो।

इस देश में पहले शक्तिशाली 'इन्का' साम्राज्य था, जिसका केन्द्र ऐण्डीज पर्वत-श्रेणी-स्थित 'कुजको' से था। स्पेनिश विजेता फ्रेंसिस्को पिजारो ने सन् १५३२ ई० में इसपर आक्रमण किया। उसने यहाँ के राजा अटाहु अल्पा को मारकर प्रचुर परिमाण में सोना प्राप्त किया तथा यहाँ के मूल-निवासियों को दास बना लिया। सन् १८२१ ई० तक यहाँ स्पेनवालों का शासन रहा। उसके बाद सन् १८२४ ई० में यह स्वतंत्र हुआ। सन् १८७६-८४ ई० के बीच चिली ने इसपर चढ़ाई की और इसके दो प्रान्त ले लिये।

सन् १६३३ ई० के संविधानानुसार यहाँ के राष्ट्रपति तथा दो उप-राष्ट्रपतियों का चुनाव ६ वर्षों के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। वही प्रधानमंत्री-सहित मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है। यहाँ की 'काँगरेस' के दो सदन हैं।

यह देश तीन प्राकृतिक विभागों में बँटा हुआ है। इसका समुद्री किनारा प्रशांत महासागर की ओर १,४१० मील में फैला हुआ है। यहाँ के ८५ प्रतिशत लोग कृषि और पशु-पालन पर निर्भर करते हैं। पहाड़ी भागों में खानें अधिक पाई जाती हैं। संसार के अन्दर चाँदी के उत्पादन में इसका स्थान पाँचवाँ और वेनाडियम के उत्पादन में चौथा है।

## बोलिविया

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से का मध्य भाग; क्षेत्रफल—४,१६,०४० वर्गमील; जन-संख्या—३४,६२,००० (१६६० ई०); राजधानी—लापाज; मान्यता-प्राप्त भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—बोलिवियानो; राष्ट्रपति—डॉ० विक्टर पाज स्टेन्सोरो (१६६० ई० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक)। मुख्य नगर—कोचाबम्बा, ओरुरो, सान्ताक्रूज, सुक्रे, पोतोसी, तारिजा।

यहाँ के अधिकांश निवासी रेड-इण्डियन हैं, जो अपनी भाषा बोलते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ गोरी और मिश्रित जातियाँ हैं। गोरी जातियाँ १३ प्रतिशत और मिश्रित जातियाँ २५ प्रतिशत हैं। इनका साम्राज्य का यह भू-भाग सन् १५८३ ई० में स्पेन के हाथ में आया और सन् १८२५ ई०में साइमन बोलिवर के नेतृत्व में इसने स्वतंत्रता प्राप्त की। सन् १८२७ से १६३५ ई० के बीच इसका आधा से अधिक क्षेत्र पड़ोसी राष्ट्रों के हाथ में चला गया। पीछे बोलिवर के नाम पर ही देश का नाम बोलिविया पड़ा। अक्टूबर, १६६१ ई० में यहाँ नया चुनाव हुआ, जिसमें डॉ० विक्टरपाज स्टेन्सोरो राष्ट्रपति चुना गया। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव चार वर्षों के लिए होता है। ये तुरत दुबारा नहीं चुने जाते। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। सिनेट का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। इसके एक तिहाई सदस्य दो वर्षों पर बदल जाते हैं। चेम्बर ऑफ डिपुटीज के सदस्य ६ वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा आधे दो वर्षों पर बदलते रहते हैं।

## ब्राजिल

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका; क्षेत्रफल—३२,८८,०५० वर्गमील; जन-संख्या—५,१२,४४,३६७ (१६५८ ई०); राजधानी—ब्राजिलिया (२१ अप्रैल, १६६० से); भाषा—पुर्त्तगाली; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—क्रुजिरो; राष्ट्रपति—डॉ० जानियो क्वाड्रॉस (१६६१ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—रायोडिजेनेरो; साओपॉलो; सल्वाडोर, रेसिफे, वेलो होरिजेण्टे, पोर्टो एलेगरी।

सन् १५०० ई० में पुर्त्तगीज जहाजी पेड्रो आलवेयर्स कैबरल ने इस देश का पता लगाया। सन् १५४६ ई० में यह पुर्त्तगाल का उपनिवेश बना। सन् १८२२ ई० में उससे मुक्त होकर ब्राजिल ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसने पुर्त्तगाल के राजा जॉन षष्ठ के पुत्र पेड्रो प्रथम को अपना राजा बनाया। सन् १८८६ ई० में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र के स्थापना-काल से अबतक इसके चार संविधान बन चुके हैं। सन् १६३० ई० में गेटलियो वारगस के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, जिसके फलस्वरूप वह अस्थायी राष्ट्रपति बन गया।

सन् १६४६ ई० के संविधानानुसार यहाँ के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्षों के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इन्हें पुनः चुने जाने का अधिकार नहीं रहता। यहाँ की 'काँगरेस' के दो सदन हैं—सिनेट और चैम्बर ऑफ डिपुटीज। सिनेट के सदस्य ८ वर्षों के लिए तथा डिपुटी ४ वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं।

यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश और २० राज्यों, ५ क्षेत्रों एवं एक संघीय जिले का संघ-राज्य है। यहाँ के निवासियों में रेड-इण्डियन, मिश्रित जातियाँ तथा अन्य आदिम जातियों के अतिरिक्त इटालियन, जर्मन, पुर्त्तगाली और जापानी भी हैं। संसार का यह सबसे बड़ा कहवा-उत्पादक देश है।

## वेनेजुएला

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग; क्षेत्रफल—३,५२,१४३ वर्गमील; जन-संख्या—६६,०७,४७५ (१९५६); राजधानी—काराकास; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—बोलिवर; राष्ट्रपति—रोमुलो बेटान कोर्ट; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—माराकैबो, कुमाना, सानत ओरिस्टोबल, कोरो, बरक्विसिमेटो।

इसमें २० प्रांत और दो क्षेत्र-राज्य सम्मिलित हैं। इसके साथ पास के ७२ छोटे-छोटे द्वीप भी हैं। यहाँ का अञ्जेल नाम का झरना दुनिया का सबसे ऊँचा झरना कहा जाता है। कृषि-पशु-पालन एवं खान खोदना यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। पेट्रोलियम के उत्पादन में संयुक्त-राज्य अमेरिका के बाद संसार में इसी का स्थान है।

सन् १४९८ ई० में कोलम्बस यहाँ आया था। सन् १८१९ ई० तक यह स्पेन के अधिकार में रहा। उस समय यह कोलम्बिया के साथ था, पर सन् १८३० ई० में यह उससे अलग होकर एक स्वतन्त्र राज्य बन गया। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से ५ वर्षों के लिए होता है।

## अंटार्कटिक महाद्वीप

दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित विशाल भू-भाग को 'अंटार्कटिक महाद्वीप', 'अंटार्कटिका' या 'अंध-महाद्वीप' कहते हैं। इसका नाम 'दक्षिणी ध्रुव-क्षेत्र' भी दिया जा सकता है। यह भू-भाग ६६½° दक्षिणी अक्षांश रेखा के, जिसे 'अण्टार्कटिक सर्किल' भी कहते हैं, प्रायः भीतर ही पड़ता है। भयानक सागरों, हिम-शिलाओं तथा झंझावातों से घिरे रहने के कारण यहाँ मनुष्य का आना अत्यन्त कठिन था, जिससे लोगों को इसके संबंध में जानकारी नहीं हो सकी थी। इसीलिए लोग इसे 'अन्ध-महाद्वीप' कहने लगे थे। इसका क्षेत्रफल संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा के सम्मिलित क्षेत्रफल के बराबर है। यह भू-भाग कई क्षेत्रों में बँटा हुआ है, जिनके नामकरण भी हो गये हैं। ये क्षेत्र यूरोप और अमेरिका के समृद्धिशाली उन्नत राष्ट्रों के अधिकार में आ गये हैं।

इस भू-भाग की खोज १७वीं सदी से ही जारी है। सन् १७६९ से १७७३ ई० तक कप्तान कुक १०६° ५४' पश्चिम देशान्तर पर ७१° १०' दक्षिण अक्षांश तक जा सका। सन् १८१९ ई० में शेटलैंड का और १८३३ ई० में केपलैंड का पता चला। सन् १८४१-४२ ई० में रॉस ने ज्वालामुखी पर्वत 'इरेबस' और शान्त पर्वत 'टरेर' का पता लगाया। पीछे गरशेल ने यहाँ के सौ द्वीपों की खोज की। सन् १९१० ई० में यहाँ पाँच अनुसन्धायक-दल काम कर रहे थे। उन्हीं में से क्रमशः अमंडसेन और स्कॉट के दल दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुँचे थे। सन् १९५० ई० में ब्रिटेन, नारवे और स्वीडन के दलों ने सम्मिलित रूप से तथा सन् १९५० से १९५२ ई० के बीच अकेले फ्रांसीसी दल ने अन्वेषण का काम किया। सन् १९५८ ई० में रूसी वैज्ञानिकों ने यहाँ लोहे और कोयले का पता लगाया। सन् १९५९-६० ई० के अन्तरराष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष में संयुक्तराज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन आदि १२ राष्ट्रों ने अन्वेषण-कार्य कर ५७ वैज्ञानिक अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किये।

दक्षिणी ध्रुव दस हजार फुट ऊँचे पठार पर है, जिसका क्षेत्रफल ५० लाख वर्गमील है। इसके अधिकांश पर बर्फ की मुटाई दो हजार फुट तक रहती है। यहाँ के करीब सौ वर्गमील को छोड़कर शेष भाग बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की चट्टानें भारत, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका तथा दक्षिणी अमेरिका की चट्टानों से मिलती-जुलती हैं। यहाँ ११०० मील लम्बी पर्वत-श्रेणी है, जिसका धरातल बलुआही पत्थर तथा चूने के पत्थर से बना है। यह ८ हजार से १५ हजार फुट तक ऊँचा है।

जलवायु—ग्रीष्म ऋतु में ६०° से ७८° दक्षिण अक्षांश तक का तापमान २८° फेरेनहाइट रहता है। जाड़े में ७१½° दक्षिण अक्षांश पर ४५° तापमान होता है। महाद्वीप के मध्य भाग का ताप १००° फारेनहाइट से भी नीचे चला जाता है।

वनस्पति तथा पशु-पक्षी—दक्षिणी ध्रुव-महासागर में पौधे तथा छोटी-छोटी वनस्पतियाँ बहुत हैं। इस महाद्वीप में करीब १५ प्रकार के पौधे मिलते हैं, जिनमें तीन मीठे पानी के पौधे हैं। यहां का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव ह्वेल है। यहां तेरह प्रकार के 'सील' नामक समुद्री जीव का पता लगा है, जिनमें चार उत्तरी प्रशान्त महासागर में पाये जानेवाले सीलों से मिलते-जुलते हैं। इन्हें समुद्री सिंह और समुद्री हाथी भी कहते हैं। यहाँ ग्यारह प्रकार की ऐसी मछलियों का पता लगा है, जो अन्यत्र नहीं पाई जातीं। यहाँ बड़े आकार के किंग पेंगुइन तथा अलट्रॉस नामक पक्षी भी मिलते हैं। यहाँ धरती पर रहनेवाले पशु नहीं पाये जाते।

उत्पादन—यहाँ की ह्वेल मछलियों से प्रतिवर्ष साढ़े चार करोड़ रुपये की आमदनी होती है।

दक्षिणी ध्रुव-क्षेत्र की स्थिति उत्तरी ध्रुव-क्षेत्र से बहुत-कुछ भिन्न है। उत्तरी ध्रुव-क्षेत्र के चारों ओर कोई विशाल भूखंड नही है और न वह इसके समान अत्यधिक शीत-प्रधान है। यहा चारों ओर छोटे-छोटे द्वीप फैले हुए हैं, जिनपर पास के किसी-न-किसी शक्तिशाली देश का पहले से अधिकार है।

## संयुक्त राष्ट्रसंघ

प्रथम विश्व-महायुद्ध (सन् १९१४—१८ ई०) की विभीषिका तथा उसकी विनाश-लीला से संत्रस्त होकर संसार के प्रमुख राष्ट्रों ने भावी महायुद्ध की संभावना को कम करने के लिए, पारस्परिक सुरक्षा, शान्ति एवं कल्याण को दृष्टि में रखते हुए, एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव किया और उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए सन् १९२० ई० में राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) की स्थापना की। राष्ट्रसंघ का प्रारंभ ४२ प्रारंभिक सदस्यों को लेकर हुआ था। संयुक्तराज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विलसन ने इसकी स्थापना में पर्याप्त योगदान किया था। राष्ट्रसंघ अपने जीवन-काल में कई ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य किये, जिनसे भविष्य में अन्तरराष्ट्रीय पैमाने पर होनेवाले राष्ट्र-संगठनों का मार्ग-निर्देश संभव हुआ। किन्तु, कई कारणों से राष्ट्रसंघ राजनीतिक क्षेत्र में पूरा सफल नहीं रहा और इसके रहते ही सन् १९३९ ई० में द्वितीय विश्व-महायुद्ध का श्रीगणेश हो गया और राष्ट्रसंघ का काम ठप पड़ गया।

इस द्वितीय महायुद्ध से होनेवाली क्षति प्रथम विश्व-महायुद्ध की अपेक्षा कहीं बढ़कर थी। यद्यपि राष्ट्रसंघ की स्थापना ने विश्व-शांति एवं सुरक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय संगठन का महत्त्व स्पष्ट ही कर दिया था, फिर भी कतिपय कारणों से तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रसंघ को पुनर्जीवित करना उचित नहीं समझा और विश्व-शांति एवं सुरक्षा की दिशा में अलग से प्रयत्न किये जाने लगे।

द्वितीय महायुद्ध में धुरी-राष्ट्रों ( जर्मनी, इटली और जापान ) के विरुद्ध लड़नेवाले मित्रराष्ट्रों को 'संयुक्त राष्ट्र' या 'युनाइटेड नेशन्स' कहा जाने लगा था। युद्ध के दौरान में ही मित्रराष्ट्र राष्ट्रसंघ ( लीग ऑफ् नेशन्स ) के ढाँचे पर आपस का एक नया संगठन करने लगे। पहली जनवरी, सन् १६४२ ई० को एक संयुक्त घोषणा-पत्र में सर्वप्रथम इस नाम का उपयोग किया गया, जबकि २६ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने देश की सरकार की ओर से यह प्रतिश्रुति दी कि वे सम्मिलित होकर धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध करेंगे। ३० अक्टूबर, १६४३ ई० को मास्को में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस के विदेश-मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें अन्तरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को कायम रखने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके बाद काहिरा, तेहरान, ब्रिटेन-उड्स और हॉटस्प्रिंग में इस सम्बन्ध में सम्मेलन हुए।

सन् १६४४ ई० के अगस्त—अक्टूबर में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें चीन, सोवियत रूस, इंगलैण्ड और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसके बाद २५ अप्रैल से २६ जून तक धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध लड़नेवाले राष्ट्रों का एक सम्मेलन सानफ्रांसिस्को में बुलाया गया। सम्मेलन में पचास विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पूर्वोक्त चार राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जो प्रारूप प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर ही संयुक्त राष्ट्रसंघ का अधिकार-पत्र (चार्टर) निष्पन्न किया। २६ जून, १६४५ ई० को इस घोषणा-पत्र पर ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये। बाद में एक और राष्ट्र पोलैण्ड ने हस्ताक्षर किया। इस प्रकार कुल ५१ राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रारंभिक सदस्य हुए।

२४ अक्टूबर, १६४५ ई० को संयुक्त राष्ट्रसंघ की अधिकृत रूप में स्थापना हुई, जबकि उसके अधिकार-पत्र को चीन, फ्रांस, सोवियत रूस, इंगलैण्ड और अमेरिका तथा अन्य स्वाक्षरकारी राष्ट्रों के बहुमत ने संपुष्ट किया।

## उद्देश्य और सिद्धान्त

**संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य**—संयुक्त राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित चार उद्देश्य हैं—(१) अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना; (२) राष्ट्रों के बीच, उनके सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना; (३) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव-हितवादी अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाने और मानवीय अधिकारों तथा सबके लिए मौलिक स्वाधीनताओं के प्रति सम्मान-भावना अभिवर्द्धित करने में अन्तरराष्ट्रीय रूप में

सहयोग करना और (४) इन समान उद्देश्यों की सिद्धि के लिए राज्यों द्वारा किये जानेवाले कार्यों के सामंजस्य का केन्द्र बनाना।

सिद्धान्त—उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ निम्नांकित सिद्धान्तों के आधार पर अपना कार्य-संपादन करता है—

(१) संघ का संगठन अपने सभी सदस्यों की संप्रभुता की समता के आधार पर बना है; (२) घोषणा-पत्र के अनुसार जो दायित्व या कर्त्तव्य सदस्य-राष्ट्रों ने स्वीकार किये हैं, उन्हें सत्य-निष्ठा के साथ पूरा करना है; (३) सदस्यों को अपने अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से और इस ढंग से हल करना है, जिससे शान्ति, सुरक्षा एवं न्याय पर खतरा न पहुँचे; (४) अपने अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में अन्य राज्यों के विरुद्ध धमकी या बल-प्रयोग से विरत रहना; (५) अधिकार-पत्र के अनुकूल जो भी काम संयुक्त राष्ट्रसंघ करे, उसमें सदस्यों को हर प्रकार की मदद करनी है और ऐसे किसी भी राष्ट्र को सहायता नहीं देनी है, जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ निरोधात्मक या विवश करने के उद्देश्य (Enforcement action) से कोई कारखाई कर रहा हो; (६) संयुक्त राष्ट्रसंघ को यह दृढ़ता के साथ देखना है कि जो राज्य राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी, जहाँतक अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना आवश्यक है, इन सिद्धान्तों के अनुसार आचरण करें; (७) संयुक्त राष्ट्रसंघ को उन मामलों में दखल नहीं देनी है, जो तत्त्वतः किसी राष्ट्र के आन्तरिक या राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर आते हों। पर, जहाँ शान्ति-भंग का खतरा हो, शान्ति-भंग या आक्रमण किया गया हो और उसके सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ विवश करने के उद्देश्य से कार्यवाही कर रहा हो, वहाँ यह धारा लागू नहीं होगी।

## सदस्यता

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता का द्वार उन सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रों के लिए खुला है, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र में उल्लिखित दायित्वों को स्वीकार करते हैं और इस संस्था के विचार से इन दायित्वों का पालन करने में समर्थ और इच्छुक हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मौलिक या प्रारम्भिक सदस्यों में वे देश हैं, जिन्होंने एक जनवरी, १९४२ ई० को इसके अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये या २६ जून, १९४५ ई० को सानफ्रांसिस्को-सम्मेलन में इसपर हस्ताक्षर किये और सम्पुष्टि की। इन दिनों सदस्य-राष्ट्रों की संख्या १०४ है। सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश पर आम सभा के दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन द्वारा नये सदस्य संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल किये जाते हैं। किसी भी सदस्य-राष्ट्र की सदस्यता सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश पर रद्द की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अधिकार-पत्र के सिद्धान्तों का 'बार-बार' उल्लंघन करने पर भी किसी सदस्य को संघ से निकाला जा सकता है। आम सभा (जेनरल एसेम्बली) को अधिकार है कि जिन सदस्यों के विरुद्ध सुरक्षा-परिषद् ने निरोधात्मक या उन्हें विवश करने के उद्देश्य से कारखाई की हो, उनकी सदस्यता सुरक्षा-परिषद् की अभ्यर्थना पर दो-तिहाई सदस्यों के वोट से निलम्बित कर दे। जिस सदस्य-राष्ट्र की सदस्यता इस प्रकार निलम्बित की गई हो, वह संयुक्त राष्ट्रसंघ की किसी भी शाखा की बैठकों में शामिल नहीं हो सकता। सुरक्षा-परिषद् किसी निलम्बित सदस्य के अधिकारों को प्रत्यर्पित कर सकती है। अभी तक कोई भी सदस्य संघ से बाहर नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्रों के नाम निम्नांकित हैं—

सभा वस्तुतः एक विचार-विमर्श करनेवाली संस्था है, जो मुख्यतः सुझाव देने या सिफारिश करने का कार्य करती है। शांति एवं सुरक्षा-सम्बन्धी समस्याएँ सुरक्षा-परिषद् को ही सौंप दी गई हैं। आम सभा को कुछ प्रशासन, व्यवस्था, आय-व्ययक (बजट) तथा निर्वाचन-संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं। इसके अध्यक्ष का चुनाव प्रतिवर्ष होता है।

आम सभा का कार्य ७ प्रमुख समितियों में बँटा है—(१) राजनीतिक सुरक्षा-समिति; (२) आर्थिक एवं वित्त-समिति; (३) सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति; (४) प्रन्यास परिषद्; (५) प्रशासकीय और आय-व्ययक-समिति; (६) विधि--समिति और (७) विशेष राजनीतिक समिति। इनके अतिरिक्त आम सभा तथा समितियों के कार्यों में समन्वय के लिए एक सामान्य समिति होती है। आम सभा में किसी भी महत्त्वपूर्ण समस्या पर कोई निर्णय मतदान करनेवाले उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत से होता है; जैसे—शान्ति एवं सुरक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें, अंगों के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का प्रवेश, निलंबन और निष्कासन, प्रन्यास-सम्बन्धी प्रश्न तथा आय-व्ययक-सम्बन्धी विषय। अन्य विषयों का निर्णय केवल बहुमत से होता है। ऐसी समस्याओं में अन्तरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा-परिषदों के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र-संघ में नये सदस्यों की नियुक्ति, किसी सदस्य की सदस्यता का निलंबन, बजट-सम्बन्धी प्रश्न आदि मुख्य हैं। किन्तु, अपने निर्णयों को लागू करने लिए किसी सदस्य-राष्ट्र पर जोर डालने का अधिकार इसे नहीं है। फिर भी, सन् १९५० ई० में जब कोरिया का संकट गंभीर रूप धारण कर रहा था, इसके ६० सदस्य-राष्ट्रों ने यह फैसला किया कि आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सुनिश्चित कारवाई करने की जिम्मेदारी आम सभा अपने ऊपर ले, चाहे सुरक्षा-परिषद् इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करे या नहीं। निःशस्त्रीकरण के निर्देशक सिद्धान्तों और शस्त्रास्त्रों के नियमन-सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार करने और अपने सुझाव देने का अधिकार भी आम सभा को है। सुरक्षा-परिषद् के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन दो वर्ष की अवधि के लिए आम सभा ही करती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् के सदस्यों का चुनाव (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) आम सभा ही करती है। यह सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश और सुझाव पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री को नियुक्त करती है। यह सुरक्षा-परिषद् के साथ अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी निर्वाचन करती है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्य अधीनस्थ संस्थाओं के प्रतिवेदन आम सभा ही स्वीकार करती है। महामंत्री का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सुरक्षा-परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन आम सभा में ही पेश होते हैं, जिनपर आवश्यक विचार-विमर्श के बाद, वह उन्हें पारित करती है। वार्षिक आय-व्ययक के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न विभागों के बीच व्यय की जानेवाली राशि का बँटवारा आम सभा ही करती है। इसे विशेष परिस्थिति में कार्यों के सफलतापूर्वक संपादन के लिए अस्थायी उप-समितियाँ गठित करने का भी अधिकार है। इसका मुख्यालय संयुक्तराज्य अमेरिका के न्यूयार्क नगर में है।

आम सभा का प्रथम अधिवेशन सन् १९४६ ई० में १० जनवरी से १४ फरवरी तक लंदन में और २३ अक्टूबर से १५ दिसम्बर तक न्यूयार्क में हुआ था।

इसका १५वाँ अधिवेशन न्यूयार्क में सन् १९६० ई० में २० सितम्बर से २० दिसम्बर तक और १९६१ ई० में ७ मार्च से २२ अप्रैल तक हुआ।

२. सुरक्षा-परिषद्—यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है। इसके कुल ११ सदस्य होते हैं, जिनमें पाँच स्थायी सदस्य हैं तथा छह दो वर्ष की अवधि के लिए आम सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक वर्ष तीन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये अस्थायी सदस्य तुरन्त दुबारे चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत अस्थायी सदस्य की एक अवधि पूरी कर चुका है। सुरक्षा-परिषद् के वर्त्तमान अस्थायी सदस्य इस प्रकार हैं—सुरक्षा-परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों में 'पाँच बड़े राष्ट्र'—अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, और चीन (राष्ट्रवादी)—हैं। अल्पकालीन या परिस्थिति-विशेष के लिए भी सदस्यों की व्यवस्था है। ऐसे सदस्य उन राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं अथवा सुरक्षा-परिषद् में विचारार्थ उपस्थित समस्याओं से सम्बद्ध होते हैं। इन विशेष सदस्यों को सुरक्षा-परिषद् की बैठकों में केवल भाग लेने का अधिकार होता है, ये किसी भी निर्णय में मतदान नहीं कर सकते। प्रत्येक परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत गिना जाता है। किसी भी निर्णय की स्वीकृति के लिए सात सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, किन्तु महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख विषयों के निर्णय के लिए पाच स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। स्थायी सदस्यों की सदस्यता में परिवर्त्तन लाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र का संशोधन आवश्यक है। सुरक्षा-परिषद् बराबर अधिवेशन में रहती है। इसके प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र के एक-एक प्रतिनिधि सब समय संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्यालय में अवश्य उपस्थित रहते हैं। इसके सदस्यों की बैठक सामान्यतः १५ दिनों में कम-से-कम एकबार अवश्य होती है। सुरक्षा-परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है।

सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्यों में प्रत्येक को निषेधाधिकार प्राप्त है और किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इसका प्रयोग होने पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा मतदान नहीं करने पर उसे निषेधात्मक मत नहीं समझा जाता।

सुरक्षा-परिषद् का प्रमुख उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थिति को बनाये रखना है। इसके लिए यह निम्नलिखित कार्य करती है—

( १ ) संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुकूल अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को कायम रखना; (२) उन झगड़ों की तहकीकात करना, जिनसे अन्तरराष्ट्रीय शान्ति के भंग होने की आशंका हो; (३) उपस्थित विवाद या झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करना; (४) शस्त्रास्त्रों के नियमन की योजनाएँ बनाना; (५) किसी भी झगड़े या आक्रमण के कारणों का पता लगाना, जिनसे विश्व-शान्ति पर खतरा हो और इन्हें तय करने के लिए ठोस कदम उठाना; (६) किसी भी राष्ट्र के अनुचित्त वर्त्ताव या आक्रमण को रोकने के लिए स्वीकृत धन का उपयोग करना तथा आक्रमण के विरुद्ध सैनिक कारखाई करना; (७) संयुक्त राष्ट्रसंघ का नया सदस्य बनाने के लिए किसी भी राष्ट्र की ओर से सिफारिश करना तथा अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव आम सभा ( जेनरल एसेम्बली ) के साथ स्वतंत्र मतदान द्वारा करना और आम सभा में अपने वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन उपस्थित करना।

सभा वस्तुतः एक विचार-विमर्श करनेवाली संस्था है, जो मुख्यतः सुझाव देने या सिफारिश करने का कार्य करती है। शांति एवं सुरक्षा-सम्बन्धी समस्याएँ सुरक्षा-परिषद् को ही सौंप दी गई हैं। आम सभा को कुछ प्रशासन, व्यवस्था, आय-व्ययक (बजट) तथा निर्वाचन-संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं। इसके अध्यक्ष का चुनाव प्रतिवर्ष होता है।

आम सभा का कार्य ७ प्रमुख समितियों में बँटा है—(१) राजनीतिक सुरक्षा-समिति; (२) आर्थिक एवं वित्त-समिति; (३) सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति; (४) प्रन्यास परिषद्; (५) प्रशासकीय और आय-व्ययक-समिति; (६) विधि--समिति और (७) विशेष राजनीतिक समिति। इनके अतिरिक्त आम सभा तथा समितियों के कार्यों में समन्वय के लिए एक सामान्य समिति होती है। आम सभा में किसी भी महत्त्वपूर्ण समस्या पर कोई निर्णय मतदान करनेवाले उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत से होता है; जैसे—शान्ति एवं सुरक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें, अंगों के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का प्रवेश, निलंबन और निष्कासन, प्रन्यास-सम्बन्धी प्रश्न तथा आय-व्ययक-सम्बन्धी विषय। अन्य विषयों का निर्णय केवल बहुमत से होता है। ऐसी समस्याओं में अन्तरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा-परिषदों के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र-संघ में नये सदस्यों की नियुक्ति, किसी सदस्य की सदस्यता का निलंबन, बजट-सम्बन्धी प्रश्न आदि मुख्य हैं। किन्तु, अपने निर्णयों को लागू करने लिए किसी सदस्य-राष्ट्र पर जोर डालने का अधिकार इसे नहीं है। फिर भी, सन् १९५० ई० में जब कोरिया का संकट गंभीर रूप धारण कर रहा था, इसके ६० सदस्य-राष्ट्रों ने यह फैसला किया कि आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सुनिश्चित काररवाई करने की जिम्मेदारी आम सभा अपने ऊपर ले, चाहे सुरक्षा-परिषद् इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करे या नहीं। निःशस्त्रीकरण के निर्देशक सिद्धान्तों और शस्त्रास्त्रों के नियमन-सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार करने और अपने सुझाव देने का अधिकार भी आम सभा को है। सुरक्षा-परिषद् के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन दो वर्ष की अवधि के लिए आम सभा ही करती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् के सदस्यों का चुनाव (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) आम सभा ही करती है। यह सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश और सुझाव पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री को नियुक्त करती है। यह सुरक्षा-परिषद् के साथ अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी निर्वाचन करती है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्य अधीनस्थ संस्थाओं के प्रतिवेदन आम सभा ही स्वीकार करती है। महामंत्री का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सुरक्षा-परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन आम सभा में ही पेश होते हैं, जिनपर आवश्यक विचार-विमर्श के बाद, वह उन्हें पारित करती है। वार्षिक आय-व्ययक के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न विभागों के बीच व्यय की जानेवाली राशि का बँटवारा आम सभा ही करती है। इसे विशेष परिस्थिति में कार्यों के सफलतापूर्वक संपादन के लिए अस्थायी उप-समितियाँ गठित करने का भी अधिकार है। इसका मुख्यालय संयुक्तराज्य अमेरिका के न्यूयार्क नगर में है।

आम सभा का प्रथम अधिवेशन सन् १९४६ ई० में १० जनवरी से १४ फरवरी तक लंदन में और २३ अक्टूबर से १५ दिसम्बर तक न्यूयार्क में हुआ था।

इसका १५वाँ अधिवेशन न्यूयार्क में सन् १९६० ई० में २० सितम्बर से २० दिसम्बर तक और १९६१ ई० में ७ मार्च से २२ अप्रैल तक हुआ।

२. सुरक्षा-परिषद्—यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है। इसके कुल ११ सदस्य होते हैं, जिनमें पाँच स्थायी सदस्य हैं तथा छह दो वर्ष की अवधि के लिए आम सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक वर्ष तीन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये अस्थायी सदस्य तुरन्त दुबारे चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत अस्थायी सदस्य की एक अवधि पूरी कर चुका है। सुरक्षा-परिषद् के वर्त्तमान अस्थायी सदस्य इस प्रकार हैं—सुरक्षा-परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों में 'पाँच बड़े राष्ट्र'—अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, और चीन (राष्ट्रवादी)—हैं। अल्पकालीन या परिस्थिति-विशेष के लिए भी सदस्यों की व्यवस्था है। ऐसे सदस्य उन राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं अथवा सुरक्षा-परिषद् में विचारार्थ उपस्थित समस्याओं से सम्बद्ध होते हैं। इन विशेष सदस्यों को सुरक्षा-परिषद् की बैठकों में केवल भाग लेने का अधिकार होता है, ये किसी भी निर्णय में मतदान नहीं कर सकते। प्रत्येक परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत गिना जाता है। किसी भी निर्णय की स्वीकृति के लिए सात सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, किन्तु महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख विषयों के निर्णय के लिए पाँच स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। स्थायी सदस्यों की सदस्यता में परिवर्त्तन लाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र का संशोधन आवश्यक है। सुरक्षा-परिषद् बराबर अधिवेशन में रहती है। इसके प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र के एक-एक प्रतिनिधि सब समय संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्यालय में अवश्य उपस्थित रहते हैं। इसके सदस्यों की बैठक सामान्यतः १५ दिनों में कम-से-कम एकबार अवश्य होती है। सुरक्षा-परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है।

सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्यों में प्रत्येक को निषेधाधिकार प्राप्त है और किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इसका प्रयोग होने पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा मतदान नहीं करने पर उसे निषेधात्मक मत नहीं समझा जाता।

सुरक्षा-परिषद् का प्रमुख उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थिति को बनाये रखना है। इसके लिए यह निम्नलिखित कार्य करती है—

( १ ) संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुकूल अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को कायम रखना; (२) उन झगड़ों की तहकीकात करना, जिनसे अन्तरराष्ट्रीय शान्ति के भंग होने की आशंका हो; (३) उपस्थित विवाद या झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करना; (४) शस्त्रास्त्रों के नियमन की योजनाएँ बनाना; (५) किसी भी झगड़े या आक्रमण के कारणों का पता लगाना, जिनसे विश्व-शान्ति पर खतरा हो और इन्हें तय करने के लिए ठोस कदम उठाना; (६) किसी भी राष्ट्र के अनुचित्त वर्त्ताव या आक्रमण को रोकने के लिए स्वीकृत धन का उपयोग करना तथा आक्रमण के विरुद्ध सैनिक काररवाई करना; (७) संयुक्त राष्ट्रसंघ का नया सदस्य बनाने के लिए किसी भी राष्ट्र की ओर से सिफारिश करना तथा अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव आम सभा ( जेनरल एसेम्बली ) के साथ स्वतंत्र मतदान द्वारा करना और आम सभा में अपने वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन उपस्थित करना।

सुरक्षा-परिषद् के पाँच अंग हैं—(१) सैनिक कर्मचारी-समिति; (२) अणु-शक्ति-आयोग; (३) स्वीकृत सेना-समिति; (४) स्थायी समितियाँ तथा (५) तदर्थ समितियाँ और आयोग।

**सैनिक कर्मचारिवर्ग-समिति**—( मिलिटरी स्टाफ कमिटी )—इसमें सुरक्षा-परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों के कर्मचारिवर्ग के प्रधान या उनके प्रतिनिधि रहते हैं। यह समिति शान्ति बनाये रखने के लिए सुरक्षा-परिषद् को सैनिक आवश्यकता, शस्त्रास्त्रों के विनियमन तथा निरस्त्रीकरण कहाँतक संभव है, जैसे प्रश्नों पर सलाह और सहायता देती है।

**अणु-शक्ति-आयोग**—(एटॉमिक एनर्जी कमीशन)—इस आयोग की नियुक्ति आम सभा द्वारा होती है, पर यह सुरक्षा-परिषद् के अधीन ही काम करता है। सुरक्षा-परिषद् के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। कनाडा के प्रतिनिधि भी इसमें अवश्य रहते हैं।

**स्वीकृत सेना-समिति**—(कमिटी फॉर कन्वेन्शनल आर्मामेंट)—यह समिति राष्ट्रों की सेना और अस्त्र-शस्त्र को नियमित रखने के सम्बन्ध में काम करती है।

**स्थायी समितियाँ**—( स्टैंडिंग कमिटीज )—इस समिति में विशेषज्ञों की समिति, नियम और कार्य-क्रम सम्बन्धी समिति, सदस्य-नियुक्ति-समिति आदि हैं।

**निःशस्त्रीकरण-आयोग**—( डिसआर्मामेंट कमीशन )—आम सभा द्वारा ११ जनवरी, सन् १९५२ ई० को सुरक्षा-परिषद् के अधीन निःशस्त्रीकरण-आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने पूर्व-स्थापित अणुशक्ति-आयोग तथा स्वीकृति सेना-आयोग ( कमीशन फॉर कन्वेन्शनल आर्मामेंट ) का स्थान ले लिया है। इसका उद्देश्य है—ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करना, जिनसे समस्त सैन्य-शक्तियों एवं शस्त्रास्त्रों का विनियमन, परिसीमन एवं सन्तुलित ह्रास और उन बड़े-बड़े आयुधों का विलोपन हो सके, जो सामूहिक विध्वंस के लिए प्रयुक्त किये जा सकते हैं। इसके साथ ही इसका उद्देश्य यह भी है कि आणविक शक्ति के ऊपर इस रूप में सार्थक अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण रखा जाय, जिससे आणविक आयुधों का निषेध सुनिश्चित हो सके और उस शक्ति का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों में हो। यह सुरक्षा-परिषद् के ही अधीन कार्य करता है तथा अन्तरराष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए योजनाएँ बनाता है।

**तदर्थ समितियाँ और आयोग** (एडहॉक कमिटीज ऐण्ड कमीशन)—आवश्यकता पड़ने पर सामयिक तथा अस्थायी प्रश्नों पर विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र में संशोधन के लिए आम सभा के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के अतिरिक्त सुरक्षा-परिषद् के सभी स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है।

**३. आर्थिक और सामाजिक परिषद्** (इकॉनॉमिक ऐण्ड सोशल कौंसिल : E.S.C )—इसका गठन आम सभा द्वारा निर्वाचित १८ सदस्यों को मिलाकर होता है, जिनमें ६ प्रति वर्ष आम सभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अवधि पूरी होने पर किसी भी सदस्य को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। इस परिषद् में सुरक्षा-परिषद् की भाँति स्थायी सदस्यों की कोई व्यवस्था नहीं है और न भौगोलिक विविधता का या औद्योगिक तथा पिछड़े हुए राष्ट्रों या साम्राज्य-सम्पन्न और उपनिवेशहीन राष्ट्रों के बीच संतुलन का कोई विचार रखा गया है। फिर भी, पाँच बड़े राष्ट्र हमेशा निर्वाचित होते रहे हैं और वे सचमुच परिषद् के स्थायी सदस्य बन गये हैं।

पश्चिमी समोआ का प्रशासन-भार न्यूजीलैंड पर है। पहले जापान के आदिष्ट प्रशान्त महासागर के द्वीप-पुंज अब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशासित होते हैं।

न्यस्त प्रदेशों के निवासियों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना तथा उन्हें इस योग्य बनाना कि वे स्वायत्त शासन तथा स्वाधीनता की दिशा में प्रगति कर सकें, अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, मौलिक मानव-अधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना और संसार की जातियों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध की स्वीकृति को प्रोत्साहित करना प्रन्यास-परिषद् के प्रमुख उद्देश्य हैं।

प्रन्यास-परिषद् की बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं। उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही कोई निर्णय हो पाता है। प्रन्यास-परिषद् आम सभा के अधीन ऐसे न्यस्त प्रदेशों के संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के कर्त्तव्यों को पूरा करती है, जिन्हें 'महत्त्वपूर्ण' नहीं घोषित किया गया है। जो न्यस्त प्रदेश 'महत्त्वपूर्ण' घोषित किये जा चुके हैं, उनके ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं में संयुक्त राष्ट्रसंघ के कर्त्तव्यों को सुरक्षा-परिषद् प्रन्यास-परिषद् की सहायता से पूरा करती है। प्रन्यास-परिषद् प्रशासकीय अधिकारियों के प्रतिवेदनों पर विचार करती है। समय-समय पर न्यस्त प्रदेशों में अपने पर्यवेक्षक-मंडल को भेजती है तथा प्रन्यास-समझौतों के अनुकूल कदम उठाती है। यह न्यस्त प्रदेशों के निवासियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक उन्नति के संबंध में प्रश्नावली तैयार करती है, जिसके आधार पर प्रशासकीय अधिकारियों को अपने प्रतिवेदन देने होते हैं।

५. अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय—अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रधान न्यायिक अंग है। यह राजनीतिक झगड़ों पर नहीं, बल्कि कानूनी झगड़ों पर विचार करता है। इसका अपना परिनियम है, जिसके अनुसार यह कार्य करता है। जो सब देश इसके परिनियम को मान चुके हैं, वे अपना कोई भी मामला, यदि चाहें तो, इसे निर्देशन के लिए सौंप सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा-परिषद् कोई कानूनी झगड़ा इसके सुपुर्द कर सकती है। आम सभा और सुरक्षा-परिषद् किसी कानूनी प्रश्न पर इस न्यायालय से सलाहकार के रूप में राय ले सकती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य अंग तथा विशिष्ट अभिकरण भी आम सभा की अनुमति से अपने कार्य-कलाप के सीमा-क्षेत्र से सम्बद्ध कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार के रूप में इससे राय ले सकते हैं।

सुरक्षा-परिषद् द्वारा अभिस्तावित और आम सभा द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार वे राष्ट्र भी अपने मामले अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में पेश कर सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की अधिकार-सीमा में वे मामले भी आते हैं, जिन्हें उनसे संबद्ध दोनों पक्ष न्यायालय के सम्मुख लाना चाहते हैं।

मुकदमों के फैसले करते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता है—

(१) अन्तरराष्ट्रीय इकरारनामों द्वारा प्रतिपादित नियम, जिन्हें विवादी राज्यों ने मान लिया है; (२) अन्तरराष्ट्रीय प्रथा, जो सामान्य आचार के रूप में विधि द्वारा स्वीकृत है; (३) सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धान्त और (४) न्यायालयों के अधिनिर्णय और विविध देशों के सर्वाधिक उच्च योग्यता-प्राप्त अन्तरराष्ट्रीय विधानशास्त्रियों के उपदेश।

जहाँ झगड़े के उभय पक्ष स्वीकार करें, वहाँ न्यायालय न्याय के सिद्धान्तों और संबद्ध राष्ट्रों के सामान्य कल्याण के सिद्धान्तों का उपयोग कर सकता है।

अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का गठन १५ न्यायाधीशों द्वारा होता है, जो ९ वर्षों की अवधि के लिए आम सभा तथा सुरक्षा-परिषद् के स्वतंत्र मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। इन न्यायाधीशों को सदस्य कहा जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव योग्यता के आधार पर ही किया जाता है, राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं। ९ वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कोई भी न्यायाधीश पुनर्निर्वाचन के योग्य समझे जाते हैं। जबतक न्यायाधीश कार्य-भार ग्रहण करते हैं, तबतक उन्हें किसी अन्य पेशे को अपनाने का अधिकार नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी समस्या पर कोई निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर होता है तथा ९ सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होता है। न्यायालय के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इसका कार्यालय हेग नगर (निदरलैंड) में है।

६. सचिवालय—यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का स्थायी कार्यालय है, जिसके प्रधान प्रशासनाधिकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री ( सेक्रेटरी जेनरल ) होते हैं। महामंत्री की नियुक्ति सुरक्षा-परिषद् के अभिस्ताव पर आम सभा द्वारा पाँच वर्ष के लिए होती है। वह आम सभा, सुरक्षा-परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् की बैठकों में इसी हैसियत से काम करता है। महामंत्री के कुछ प्रमुख कर्त्तव्य निम्नांकित हैं—

(१) यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सर्वप्रधान प्रशासनाधिकारी होता है।

(२) यह परिषद् का ध्यान किसी ऐसे विषय की ओर आकृष्ट करता है, जिससे उसकी राय में विश्व-शान्ति के भंग होने की आशंका तथा सुरक्षा पर खतरे की संभावना रहती है।

(३) संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के संबंध में यह वार्षिक तथा पूरक प्रतिवेदन आम सभा में प्रस्तुत करता है।

इन दिनों संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यकारी महामंत्री बर्मा के श्री यू थान्त तथा मंत्रिपरिषद् के प्रधान संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के भूतपूर्व अस्थायी प्रतिनिधि श्री सी० बी० नरसिंहम् हैं।

आम सभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार महामंत्री सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करते समय न्यायोचित भौगोलिक विभाजन का भी ध्यान रखा जाता है। महामंत्री और कर्मचारिवर्ग में से किसी को भी किसी भी सरकार या ऐसे प्राधिकार से कोई भी निर्देश प्राप्त करने या माँगने की अनुमति नहीं है, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन से बाहर हो। दूसरी ओर राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्र भी अपनी ओर से इस बात का वादा करते हैं कि वे महामंत्री और उसके कर्मचारिवर्ग के अनन्य अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप का सम्मान करेंगे और अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति में उन्हें किसी तरह भी प्रभावित नहीं करेंगे।

सचिवालय का गठन इस प्रकार है—महासचिव का कार्यालय, जिसके अन्दर महासचिव का कार्यपालक कार्यालय, कानूनी विषयों से सम्बद्ध कार्यालय, नियंत्रक का कार्यालय और कर्मचारि-दल का कार्यालय है; राजनीतिक एवं सुरक्षा-परिषद्-कार्य-विभाग; आर्थिक एवं सामाजिक कार्य-विभाग; प्रन्यास-परिषद् और स्वशासन-रहित देश-सम्बन्धी कार्य-विभाग; सार्वजनिक सूचना-विभाग कान्फ्रेंस-सेवा और सामान्य सेवा-कार्य-विभाग तथा प्राविधिक (तकनीकी) साहाय्य प्रशासन-विभाग।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यालय का काम अँगरेजी, फ्रेंच और स्पेनिश—इन तीन भाषाओं में होता है। इनके अतिरिक्त रूसी और चीनी भी कार्यालयी भाषा के रूप में स्वीकृत हैं।

## विशिष्ट अभिकरण ( स्पेशियलाइज्ड एजेन्सीज)

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है। ये विविध संस्थाएँ संयुक्त राष्ट्रसंघ की खास एजेन्सी के रूप में काम करती हैं—

(१) **अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन** (इण्टरनेशनल लेबर ऑरगेनिजेशन : I. L.O.)—इसकी स्थापना ११ अप्रैल, १९१९ को वर्सेलीज की संधि के अनुसार हुई थी। अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन राष्ट्रसंघ की एक शाखा के रूप में काम करता था, जो सन् १९४६ ई० में पुनःसंगठित होकर संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। यह अभिकरण सरकारों को इस सम्बन्ध में परामर्श देता है कि वे मजदूरों की रक्षा करनेवाले आधुनिकतम विधान किस प्रकार प्रतिष्ठित करें। अन्तरराष्ट्रीय कार्य द्वारा मजदूरों की अवस्था और रहन-सहन के स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता में अभिवृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। रोजगार-सम्बन्धी पर्यवेक्षणों और आँकड़ों तथा औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी विकास यह संगठन करता है। इसका प्रतिवर्ष एक सम्मेलन हुआ करता है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र से दो सरकार के, एक मजदूरों के तथा एक पूँजीपतियों के प्रतिनिधि रहते हैं।

इसकी ४० सदस्यों की एक प्रबंध-समिति है। यह अन्तरराष्ट्रीय श्रम-कार्यालय, समितियों तथा आयोगों के कार्यों का निरीक्षण करती है। यह संगठन व्यापक रूप में सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और सामाजिक, औद्योगिक तथा श्रम-सम्बन्धी प्रश्नों पर सामयिक पत्रिकाएँ और प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा में है।

(२) **खाद्य और कृषि-संगठन** (फुड ऐण्ड एग्रिकल्चरल ऑरगेनिजेशन : F. A. O.)—इसकी स्थापना सन् १९४५ ई० के अक्टूबर में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना, पोषण-शक्ति बढ़ाना तथा खेत, जंगल और मीन-क्षेत्रों से जो खाद्य एवं कृषि-सम्बन्धी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, उनके उत्पादन एवं वितरण में सुधार करना है। यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सबसे उत्तम संगठनों में से है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की अवस्था में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है—भूमि की उत्पादन-शक्ति तथा जलस्रोतों का विकास; कृषि-उत्पादन के लिए स्थायी अन्तरराष्ट्रीय बाजार की स्थापना; नये प्रकार के पौधों का संसार-व्यापी विनिमय; सुधरे हुए कृषि-यन्त्रों तथा कृषि-प्रणाली का प्रचार और प्रसार; पशु-रोगों की रोक-थाम; पौष्टिक खाद्यान्नों की व्यवस्था; भूमि-क्षरण पर नियंत्रण; सिंचाई-अभियंत्रण; संचित खाद्य-सामग्री की रक्षा; कृत्रिम खाद का उत्पादन आदि।

२५ सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक परिषद् होती है, जिसका कार्य अन्तरराजकीय खाद्य-पदाधिकारियों को कृषि-उत्पादन, उपभोग तथा वितरण में सहायता पहुँचाना है। इसके वर्त्तमान डायरेक्टर जेनरल भारत के श्रीविनयरंजन सेन हैं। इसका प्रधान कार्यालय इटली के रोम नगर में है।

(३) शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति-संबंधी संगठन (युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइण्टिफिक ऐण्ड कल्चरल ऑरगेनिजेशन : U. N. E. S. C. O.)—इसकी स्थापना ४ नवम्बर, १६४६ ई० को हुई थी। यह एक विशेषज्ञों की संस्था है, जिसका सम्बन्ध शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास से है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र में दृढ़ता के साथ यह जो घोषणा की गई है कि संसार के सब लोगों को जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेद-भाव के बिना मानवीय अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त होंगी, इसके प्रति तथा न्याय एवं विधिवत् शासन के प्रति विश्वासियों में आदर-भाव की वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है।

इसके कार्य संचालन के लिए सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक सामान्य परिषद् है, जिसकी बैठक हर दूसरे वर्ष हुआ करती है। इसमें युनेस्को के कार्य-क्रम तथा नीति निर्धारित की जाती है। सामान्य परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक कार्यकारिणी समिति का गठन होता है, जिसमें २४ सदस्य रहते हैं। इस समिति की बैठक वर्ष में दो बार होती है तथा यह अपने कार्यों के लिए परिषद् के समक्ष उत्तरदायी होती है। सदस्य-राष्ट्रों के राष्ट्रीय आयोगों के द्वारा इसके कार्यक्रम सम्पन्न किये जाते हैं। इसका मुख्य कार्यालय पेरिस (फ्रांस) में है।

(४) विश्व-स्वास्थ्य-संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑरगेनिजेशन : W. H. O.)—इस संगठन की स्थापना सन् १६४७ ई० के ७ अप्रैल को हुई थी, जब २६ सदस्यों ने इसके विधान को स्वीकार कर लिया। संसार की सभी जातियों के लोग स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त करें, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी सेवाएँ दो प्रकार की हैं — परामर्श-मूलक तथा प्राविधिक। पहली प्रकार की सेवा में मलेरिया, यक्ष्मा, यौनरोग, प्रसूतिका तथा शिशु-स्वास्थ्य, पुष्टिकर आहार, वातावरण की सफाई आदि के सम्बन्ध में जानकारी कराने के लिए प्रचार-कार्य तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कृषि-उत्पादन तथा आर्थिक विकास से सम्बद्ध विशेष प्रकार के रोगों की रोक-थाम के लिए आधुनिक यंत्रों एवं तरीकों को अपनाकर सामान्यतः स्वास्थ्य की अवस्था में सुधार लाना इसकी प्राविधिक सेवा है।

इसके कार्य-सम्पादन के लिए एक विश्व-स्वास्थ्य-सभा का गठन किया गया है, जिसमें सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं तथा जिसकी बैठक नियमित रूप से प्रतिवर्ष हुआ करती है। यह सभा इस संगठन के नीति-निर्धारण का कार्य करती है। विश्व-स्वास्थ्य-सभा द्वारा निर्वाचित १८ सदस्यों की एक कार्य-समिति होती है, जिसकी बैठक वर्ष में दो बार हुआ करती है। यह सभा के कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करती है। इसका प्रधान कार्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा नगर में है।

(५) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय बैंक (इण्टरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऐण्ड डेवलपमेंट : I. B. R. D.)—सदस्य-राष्ट्रों तथा उनके अधिदेशों के पुनर्निर्माण और विका-सकार्य में में सहायता देना तथा उत्पादन-कार्य के लिए पूँजी की व्यवस्था करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। जब किसी देश में उत्पादन-कार्य के लिए पूँजी उपल-ध नहीं होती है, तब अपने संचित कोष से यह संस्था उसे कर्ज देती है। अन्तरराष्ट्रीय बैंक को सदस्य-राष्ट्रों के उत्पादन के साधनों के विकास तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की संतुलित वृद्धि के लिए भी आवश्यक पूँजी का प्रबन्ध करना पड़ता है। यह कर्ज सदस्य-राष्ट्रों, उनके

राजनीतिक उपविभागों तथा उनके सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत निजी व्यवसायों के लिए भी दिया जाता है। यह बैंक केवल कर्ज का ही प्रबन्ध नहीं करता, बल्कि सदस्य-राष्ट्रों की अभ्यर्थना पर आवश्यक कार्यों के लिए अपने प्रतिनिधि-मण्डलों को भी भेजता है। इस बैंक की अधिकृत पूँजी २१ अरब अमेरिकी डालर है। सन् १९६० ई० तक ५ अरब १५ करोड़ ६० लाख डालर (अमेरिकी स्वर्ण-मुद्रा) विभिन्न राष्ट्रों को कर्ज के रूप दिये जा चुके हैं। इसकी स्थापना २७ दिसम्बर, १९४५ ई० को हुई थी, जबकि २८ देशों के प्रतिनिधियों ने संविदा के अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर किये थे। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है

(६) अन्तरराष्ट्रीय वित्त-निगम (इण्टरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन : I. F. C.)—इसकी स्थापना जुलाई, १९५६ ई० में की गई। २० फरवरी, १९५७ ई० से यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक विशिष्ट अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। यह यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय बैंक से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है, तथापि इसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व है। इसका कोष अन्तरराष्ट्रीय बैंक के कोष से बिलकुल पृथक् है।

इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्रों, विशेषकर कम विकसित क्षेत्रों में उत्पादक निजी उद्यम की बढ़ती को उत्साहित करके उनके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। यह निजी उद्योगों की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिए कर्ज देता है। इन कर्जों की अदायगी के लिए संबद्ध राष्ट्रों की सरकारों से किसी तरह की गारण्टी नहीं ली जाती। अधिकांशतः ऐसे सदस्य-राष्ट्रों को कर्ज दिये जाते हैं, जो औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं तथा जिनको पर्याप्त निजी पूँजी की कमी है। गृह एवं वैदेशिक क्षेत्रों में उत्पादन-लागत की वृद्धि करने में यह निगम सहायक होता है। इसकी अधिकृत पूँजी (ऑथोराइज्ड कैपिटल) ९ करोड़ ६६ लाख डालर है। ३१ जनवरी, १९६१ ई० तक इसने १७ देशों को ४½ करोड़ डालर दिये हैं। इसके कार्य-संचालन के निमित्त एक संचालक-मंडल है, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय बैंक के सभी कार्यपालक निर्देशक, जो कम-से-कम एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सदस्य होते हैं। अन्तरराष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष ही अन्तरराष्ट्रीय वित्त-निगम के संचालक-मण्डल के अध्यक्ष होते हैं। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है।

(७) अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (इण्टरनेशनल मनीटरी फंड : I. M. F.)—इसकी स्थापना २७ दिसम्बर, १९४५ ई० को हुई थी, जबकि ब्रिटेन-उड्स संविदा-पत्र के अनुसार इसके कोष का ८० प्रतिशत भाग विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जमा कर दिया था। १ अप्रैल, १९६१ ई० को स्वर्ण एवं विभिन्न देशों की मुद्राओं में इसकी प्राप्त पूँजी १ अरब ४८ करोड़ ५०७ डालर है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को पारस्परिक सहयोग के आधार पर सुदृढ़ एवं विस्तृत करना, अन्तरराष्ट्रीय भुगतान में कृत्रिम रुकावट को शीघ्र हटाना; न्यून अवधि के विनियम की सुविधा देना, अन्तरराष्ट्रीय विनिमय को सुदृढ करना, सदस्य-राष्ट्रों के बीच भुगतान की बहुपार्श्व-प्रणालियों की स्थापना करना आदि इसके उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए अन्तरराष्ट्रीय द्रव्य-कोष वैदेशिक मुद्रा या सोना की बिक्री सदस्यों के बीच करता है, जिससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलती है। यह विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों को आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श भी देता है। यह लागत के मामले में मुद्रा-स्फीति को रोकता है तथा आयात पर होनेवाले नियन्त्रण में कमी लाने की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त यह वैदेशिक विनिमय के

सदस्यों के लिए सुलभ करता है। अभ्यर्थना पर यह किसी भी सदस्य-राष्ट्र के पास उसकी आर्थिक एवं मुद्रा-सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों को भेजता है। इसके १७ कार्यकारी संचालकों में ५ ऐसे होते हैं, जो सबसे अधिक राशि प्रदान करनेवाले सदस्यों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। शेष १२ सदस्य-राष्ट्रों के गवर्नरों द्वारा चुने जाते हैं। इसका एक प्रबन्ध-संचालक और एक उपप्रबन्ध-संचालक होता है। इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में है।

(८) अन्तरराष्ट्रीय असामरिक उड्डयन-संगठन (इण्टरनेशनल सिविल एवियेशन ऑर्गेनिजेशन : I. C .A O.)—सन् १९४४ ई० में शिकागो के अन्तरराष्ट्रीय असामरिक उड्डयन-सम्मेलन में २८ राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत इकरारनामे के अनुसार इसकी स्थापना ४ अप्रैल, १९४७ ई० को हुई। अन्तरराष्ट्रीय उड्डयन-संबन्धी प्रतिमान एवं विनियमन निश्चित करना तथा उड्डयन-संबन्धी अन्य समस्याओं का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह अन्तरराष्ट्रीय उड्डयन-विधियों एवं समझौतों का प्रारूप तैयार करता है। इसका संबन्ध अन्तरराष्ट्रीय अन्तरिक्ष-यातायात से सम्बद्ध अनेक आर्थिक समस्याओं से है। इस संगठन के कार्य-सम्पादन के लिए सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक सामान्य समिति होती है। इस समिति की बैठक वर्ष में एक बार हुआ करती है, जिसमें इसका अनुमित व्यय निश्चित किया जाता है। समिति द्वारा चुने गये २१ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से एक परिषद् का गठन होता है। इसके गठन में अन्तरिक्ष-यातायात की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देशों, अन्तरराष्ट्रीय असामरिक उड्डयन में सुविधाएँ प्रदान करनेवाले देशों एवं भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र में फैले देशों का ध्यान रखा जाता है। यह परिषद् इस संगठन की कार्यकारिणी समिति है, जो सदस्य-राष्ट्रों को उड्डयन-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करती है। परिषद् अपने एक अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इसका प्रधान कार्यालय मौण्ट्रियल ( कनाडा ) में है। इसके महामंत्री हैं—रोनाल्ड मैक्डोनल। इसके अतिरिक्त पाँच क्षेत्रीय कार्यालय मौण्ट्रिल (मुख्य कार्यालय) लीया, पेरिस, कैरो और बैंकाक में है।

(९) विश्व-डाक-संघ (युनिवर्सल पोस्टल यूनियन : U. P. U.)—इसकी स्थापना ९ अक्टूबर, १८७४ ई० को बर्न में हुए डाक-सम्मेलन के स्वीकृत इकरारनामे के आधार पर १ जुलाई, १८७५ ई० को की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं—इस संघ में सम्मिलित हुए सभी देशों में डाक-सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करना, डाक-संबंधी कठिनाइयों का निराकरण करना, एक देश की डाक दूसरे देश में भेजने की दर, नियमादि निश्चित करना आदि। इस प्रकार, प्रत्येक सदस्य यह मान लेता है कि 'उसके अपने देश की डाक को भेजने के लिए जो सर्वोत्तम साधन हैं, उन्हीं साधनों द्वारा वह अन्य सदस्य-राष्ट्रों की डाक को भेजने की व्यवस्था करेगा। इसका कार्य-संचालन विश्व-डाक-महासभा द्वारा निर्वाचित बीस सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति करती है। इसके वर्त्तमान निर्देशक एडवर्ड वेबर हैं। इसका प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न नामक स्थान में है।

(१०) अन्तरराष्ट्रीय दूर-संचार-संघ (इण्टरनेशल टेलि-कम्युनिकेशन यूनियन : I. T. U. )–इसकी स्थापना सर्वप्रथम सन् १८६५ ई० में 'इण्टरनेशल टेलिग्राफ यूनियन' के नाम से हुई। सन् १९३२ ई० में मैड्रिड में हुए रेडियो-टेलीग्राफ-सम्मेलन में स्वीकृत अनुबन्ध के अनुसार इसका नाम अन्तरराष्ट्रीय दूर-संचार-संघ (इण्टरनेशनल टेलि-कम्युनिकेशन यूनियन) पड़ा। सन् १९४७ ई० में इसका पुनर्गठन हुआ। २२ दिसम्बर, १९५१ ई० को व्युनिस-एरीज में हुए पूर्णा-धिकृत राजदूत-सम्मेलन में स्वीकृत अनुबन्ध के अनुसार १ जनवरी, १९५४ ई० से इसका शासन-

कार्य चल रहा है। तार, टेलिफोन और रेडियो की सेवाओं के उत्तरोत्तर प्रसार एवं विकास तथा सर्वसाधारण को कम-से-कम दर पर इनकी सेवाएँ सुलभ कराने के लिए अन्तरराष्ट्रीय नियमादि बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह हर प्रकार के दूर-संचार (टेलि-कम्युनिकेशन) के व्यवहार के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है तथा प्राविधिक सुविधाओं में वृद्धि करता है। यह सभी राष्ट्रों के दूर-संचार-विषयक समान उद्देश्य में सामंजस्य स्थापित करता है।

इसके कार्य-संचालन के लिए पूर्णाधिकृत राजदूतों का एक संघ है, जिसकी बैठक हर पाँचवें वर्ष हुआ करती है। १८ सदस्यों की इसकी एक प्रशासकीय परिषद् है। इसकी बैठक वर्ष में साधारणतया एक बार होती है, किन्तु किन्हीं ६ सदस्यों की अभ्यर्थना पर अधिक बैठकें भी हो सकती हैं। इसके वर्त्तमान महामन्त्री गेराल्ड ग्रॉस हैं। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा (स्विटजरलैंड) में है।

(११) विश्व-अन्तरिक्ष-विज्ञान-संघ (दी वर्ल्ड मेटियरोलॉजिकल ऑरगेनिजेशन : W. M. O.)—इसकी स्थापना २३ मार्च, १९५० ई० को हुई। इसका उद्देश्य ऋतु-विज्ञान-संबंधी कार्यों एवं पर्यवेक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी पर जगह-जगह केन्द्रों एवं स्टेशनों की स्थापना करना तथा विश्व में होनेवाले ऋतु-विज्ञान-संबंधी प्रशिक्षण एवं शोध-कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना और उनके स्तर को ऊँचा उठाना है। विश्व अन्तरिक्ष-विज्ञान-संघ संसार के विभिन्न देशों को ऋतु-विज्ञान-संबंधी सभी आवश्यक सूचनाएँ देता है। यह ऋतु-पर्यवेक्षण-संबंधी प्रकाशनों एवं सूचनाओं में एकरूपता लाना चाहता है तथा उड्डयन, जहाजरानी, कृषि एवं अन्य कार्यों में अन्तरिक्ष-विज्ञान-संबंधी सूचनाओं के उपयोग में वृद्धि करता है।

इसकी एक कार्य-समिति है, जो अन्तरिक्ष-विज्ञान-संबंधी प्राविधिक कार्यों, अध्ययनों एवं अनुसंधानों का निरीक्षण करती है। इसकी बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य होती है। इसके वर्त्तमान महामंत्री डेविड ए० डेविज हैं। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में है।

(१२) अन्तरराष्ट्रीय समुद्र-परामर्श-संगठन (इंटर-गवर्नमेण्ट मेरिटाइम कंसल्टेटिव ऑरगेनिजेशन : I. M. C. O.)—६ मार्च, १९४८ ई० को जिनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक सम्मेलन में, जिसमें ३५ राष्ट्र सम्मिलित हुए थे, अन्तरराष्ट्रीय समुद्र-परामर्श-संगठन की स्थापना के लिए इकरारनामा प्रस्तुत किया गया, जिसपर सभी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिये। सन् १९५८ ई० के आरंभ में २१ राष्ट्रों ने, जिनमें से ७ राष्ट्रों के पास कुल १० लाख टन वजन से कम पोत-समूह नहीं थे, उक्त इकरारनामे को स्वीकार किया। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारों द्वारा जलपोतों के ले जाने तथा लाने के संबंध में निर्मित नियमों पर विचार, विभेदक नीति का उन्मूलन, जलपोत-संबंधी प्राविधिक समस्याओं का समाधान तथा सरकारों द्वारा अनुचित रोक को हटाकर सभी सरकारों के बीच पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करना है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी भी अंग या विशिष्ट अभिकरण द्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत जलपोत-संबंधी समस्याओं पर विचार कर अपना परामर्श देता है। इधर हाल में इसने एक सामुद्रिक सुरक्षा-परिषद् स्थापित की है। मई-जून, १९६० ई० में इसके तत्त्वावधान में समुद्र में मानव-जीवन की रक्षा के उद्देश्य से १४ राष्ट्रों का एक सम्मेलन किया गया। इसके वर्त्तमान महामन्त्री ओव नेल्सन (डेनमार्क) हैं।

(१३) अन्तरराष्ट्रीय अणुशक्ति-अभिकरण (इण्टरनेशनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सी : I. A. E. A.)—इसकी स्थापना २९ जुलाई, सन् १९५७ ई० को की गई। इसका विधान

न्यूयार्क में हुए एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में २६ अक्तूबर, १९५६ ई० को ही स्वीकृत हो चुका था। समग्र संसार में अणुशक्ति का प्रयोग शान्ति, सुरक्षा एवं निर्माण की दशा में करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह संस्था अणु-शक्ति के ऐसे प्रयोगों को प्रोत्साहन नहीं देती, जिनसे युद्ध की संभावना तथा विध्वंस की आशंका हो।

इसके विधान में एक साधारण सभा, प्रशासन-परिषद् और एक महानिर्देशक की व्यवस्था है। प्रशासन-परिषद् में अधिक-से-अधिक २३ सदस्य होते हैं। साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है तथा अभिकरण के सभी सदस्यों द्वारा इसका गठन होता है। इसके विधान के अनुसार एक प्रशासन-परिषद् अभिकरण के कार्यों को संपादित करती है। इसी प्रशासन-परिषद् द्वारा महानिर्देशक की नियुक्ति चार वर्षों के लिए होती है। इसके वर्त्तमान महानिर्देशक डब्ल्यू० स्टर्लिंग कोल हैं। इसका प्रधान कार्यालय वियना (आस्ट्रिया) में है।

(१४) प्रशुल्क और व्यापार-सम्बन्धी सामान्य समझौता (जेनरल एग्रीमेण्ट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड : G. A. T. T.)—सन् १९४६ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आर्थिक और सामाजिक समिति ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की कर आदि सम्बन्धी दिक्कतें दूर करने के उद्देश्य से अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक सनद का मसविदा तैयार करने के लिए एक उपसमिति गठित की। यह सनद, जिसे हवाना घोषणा-पत्र कहा जाता है, सन् १९४८ ई० में पूरी की गई, परन्तु इसे संयुक्तराज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त नहीं होने से यह ज्यों-की-त्यों पड़ी रह गई। ऐसी अवस्था में उस सनद को तैयार करनेवाले सदस्य-राष्ट्रों ने सन् १९४७ ई० में प्रशुल्क और व्यापार के संबंध में एक सामान्य समझौता (जेनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऐण्ड ट्रेड : G.A.T.T.) तैयार किया, जो सन् १९४८ ई० की पहली जनवरी से व्यवहार में लाया जाने लगा। उस समय २३ राष्ट्रों ने इस समझौते को स्वीकार किया था। सन् १९६१ ई० में उसे स्वीकार करनेवाले राष्ट्रों की संख्या ३८ हो गई। विशेष प्रबन्ध पर १० अन्य राष्ट्र भी इसमें सम्मिलित हैं तथा अन्य २७ राष्ट्र पर्यवेक्षक के रूप में इसकी बैठकों में उपस्थित होते हैं। ये राष्ट्र विश्व के ८० प्रतिशत व्यापार के लिए उत्तरदायी हैं। इस समझौते में सम्मिलित कोई भी राष्ट्र किसी खास वस्तु के व्यापार में किसी दूसरे राष्ट्र को जो सुविधा प्रदान करेगा, वही सुविधा उस समझौते में सम्मिलित अन्य सभी राष्ट्रों को देनी होगी। इन राष्ट्रों को अन्य देशों से आयात की जानेवाली वस्तुओं के लिए कर तथा परिवहन-संबंधी वे ही सुविधाएँ देनी होंगी, जो अपने देश में उत्पादित वैसी वस्तुओं को मिलेंगी। कोई भी राष्ट्र वस्तुराशि-पातन द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेगा। इस समझौते में सम्मिलित राष्ट्रों का अधिवेशन साल में दो बार हुआ करेगा। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।

उपर्युक्त विशिष्ट अभिकरणों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ की और भी कई शाखा-संस्थाएँ हैं, जो अपने-अपने उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इनमें से दो प्रमुख संस्थाओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है—

१. अन्तरराष्ट्रीय बाल-संकट-कोश (युनाइटेड नेशन्स इण्टरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेन्सी फण्ड : U. N. I. C. E. F.)—इसकी स्थापना आम सभा द्वारा ११ दिसम्बर, १९४६ ई० को युद्ध-पीड़ित बालकों की सहायता तथा साधारण रूप से बालकों के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए

हुई थी। सन् १९५० ई० में आम सभा ने इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाकर विश्व-भर के, खासकर अविकसित देशों के, बालकों की हर तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की। सन् १९५२ ई० में यह विभाग स्थायी बना दिया गया। इन दिनों इसका कार्य संसार के लगभग १०० देशों में चल रहा है। इसके द्वारा मलेरिया, यक्ष्मा आदि कठिन रोगों का निवारण, प्रसूतिका-गृहों एवं शिशु-कल्याण-केन्द्रों की स्थापना, धातृविद्या-प्रशिक्षण, शिशु-आहार की व्यवस्था, दुग्ध-संरक्षण और वितरण आदि कार्य किये जाते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त भूकम्प, बाढ़ आदि के समय यह विभाग प्रसूतिकाओं एवं शिशुओं की अपेक्षित सहायता करता है।

इस संस्था की सहायता से भारत के विभिन्न स्थानों में अस्पतालों और स्कूलों में १०० से अधिक प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित हो चुके हैं; जहां परिचारिकाओं को धातृविद्या की शिक्षा दी जाती है। मातृ-मंगल एवं शिशु-कल्याण के लिए यह संस्था विशेष रूप से कार्य कर रही है।

२. विश्व-शरणार्थी-संघटन (युनाइटेड नेशन्स हाइ कमिश्नर फॉर रिफ्युजीज : U.N. H. C. R.)—इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा द्वारा १ जनवरी, सन् १९५१ ई० को हुई थी। प्रारम्भ में इसका कार्य-काल सन् १९५८ ई० तक ही रखा गया था, किन्तु पुनः इसकी अवधि-वृद्धि सन् १९६३ ई० तक के लिए की गई है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों को अन्तरराष्ट्रीय संरक्षण देना है। यह संस्था शरणार्थियों को स्वदेश लौटाकर अथवा उनका एक नवीन समुदाय स्थापित कर उनकी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान करने का प्रयत्न करती है। शरणार्थियों के लिए काम-धंधे, न्याय, शिक्षा, धार्मिक स्वतन्त्रता, साहाय्य आदि प्राप्त करने के अधिकार इस संस्था द्वारा स्वीकार किये गये हैं। शरणार्थियों को विभिन्न देशों में यात्रा करने के लिए पारपत्र ( पासपोर्ट ) भी दिये जाते हैं।

जो शरणार्थी बसाये नहीं जा सके थे, उनकी संख्या सन् १९६१ ई० के आरम्भ में १ लाख ५ हजार से घटकर ८० हजार हो गई है। उसी प्रकार उक्त काल में कैम्प में रहनेवालों की संख्या २१ हजार से घटकर १५ हजार रह गई।

## मानवीय अधिकार की विश्वजनीन घोषणा

सन् १९४८ ई० की १० जनवरी को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानवीय अधिकार के संबंध में एक अन्तरराष्ट्रीय घोषणा-पत्र स्वीकृत किया, जिसमें कुल ३० अनुच्छेदों में मनुष्य के मौलिक अधिकार एवं स्वाधीनता की व्याख्या की गई है। शकाब्द १८८२ के भारतीय अब्दकोश में उक्त घोषणा प्रकाशित की जा चुकी है।

## संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्य

गत २४ अक्टूबर, १९६१ ई० को संयुक्त राष्ट्रसंघ को स्थापित हुए १६ वर्ष हो गये। इस अवधि में इस संगठन ने जो कार्य किये, वे बहुत हदतक प्रशंसनीय हैं। विश्व के मानव-समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में इसकी विविध एजेन्सियां अन्तरराष्ट्रीय स्तर के जो महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, उससे समस्त राष्ट्रों को बड़ा लाभ पहुंचा है। समय-समय पर छोटे-मोटे राजनीतिक मामलों को सुलझाकर इसने विश्व में शान्ति-स्थापना के अनेक कार्य किये हैं, इनमें कुछ प्रमुख कार्यों का यहां उल्लेख किया जाता है—

(१) अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों के बाद १९४६ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने ईरान से रूसी सैनिकों को हट जाने के लिए बाध्य किया। (२) सन् १९४८ ई० में जब यहूदियों ने इजराइल को अपना स्वतन्त्र देश घोषित किया, तब अरब राष्ट्रों ने इसपर चढ़ाई कर दी। उस समय संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर ही अरबों को हटना पड़ा। (३) सन् १९४९ ई० में इंडोनेशिया को डच लोगों के पंजे से छुड़ाकर स्वतन्त्र करने में संघ का बहुत हाथ था। (४) सन् १९५१ ई० में स्वेज नहर पर मिस्र के अधिकार कर लेने पर जब इंगलैंड और फ्रांस की फौजों ने मिस्र पर चढ़ाई कर दी तब संघ के बीच में पड़ने पर ही मामला सुलझ सका। (५) उसी वर्ष ईरान के तेल-क्षेत्र को लेकर ईरान और इंगलैंड में जो संघर्ष हुआ, उसे मिटाने में संयुक्त राष्ट्रसंघ ही सहायक हुआ। (६) इसी समय मध्यपूर्व के देशों में शान्ति-स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ को अपनी सेना रखनी पड़ी। (७) उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया में जब संघर्ष हो गया, तब संघ के हस्तक्षेप करने पर ही मामला शान्त हो सका और सन् १९५३ ई० में युद्ध-विराम-सन्धि हुई। (८) अरबों और इजराइल की अनबन में जब इजराइल के सैनिक सन १९५६ ई० में मिस्र की सीमा में चले आये, तब संघ ने 'युद्ध रोको' का आदेश देकर शान्तिभंग होने से रोका। (९) सन् १९५७-५८ ई० में लेबनान और जोर्डन के क्षेत्र से अमेरिकी और अँगरेजी सेना को हटाने में यह सफल हुआ। (१०) पिछले दो-तीन वर्षों के अन्दर अफ्रिका के दो दर्जन से भी अधिक पद दलित देशों को साम्राज्यवादी देशों के पंजे से मुक्त होने में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने बड़ी सहायता पहुँचाई। इस प्रकार, अपने अस्तित्व को सार्थक बनाने की इसने भरपूर चेष्टा की।

इतनी सफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्रसंघ बहुत-से मामलों में असफल भी रहा। (१) भारत ने सन् १९४७ ई० में ही कश्मीर की समस्या संघ की सुरक्षा-परिषद् के सामने रखी थी, पर वह निष्पक्ष होकर अबतक भी उस समस्या को हल नहीं कर सकी है। (२) बार-बार प्रयत्न करके भी संघ दक्षिण अफ्रिका-सरकार की रंगभेद-नीति को दूर नहीं कर पाया है। वहाँ की गोरी जातियाँ बहुत दिनों से काले लोगों के प्रति अत्याचार करती आ रही है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सन् १९५५ और १९६१ ई० के अधिवेशनों में यह प्रश्न बहुत जोरों से लाया गया, पर नतीजा कुछ नहीं हुआ। (३) अलजीरिया फ्रांस के कब्जे से छुटकारा पाने के लिए घोर प्रयत्न करता रहा। इसके चलते उसे धन-जन की अपार हानियाँ उठानी पड़ीं, पर संघ अभी तक कुछ नहीं कर सका है। (४) कांगो-कटंगा के मामले में भी संघ पूरी सफलता नहीं प्राप्त कर सका। (५) अणु बम और हाइड्रोजन बम के परीक्षण को रोकने के सम्बन्ध में विश्व के कोने-कोने से आवाज उठाई गई, पर अबतक इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। (६) बड़े-बड़े राष्ट्रों की सैन्य-शक्ति और अस्त्र-शस्त्र को कम करने के सम्बन्ध में भी बातें उठाई गई, पर इस सम्बन्ध में कुछ नही हुआ। (७) चीन द्वारा तिब्बत की स्वतन्त्रता और संस्कृति को नष्ट करने की भी बात भी संघ के सामने लाई गई, पर चीन के आक्रमण को रोकने का संघ ने प्रयत्न नहीं किया। (८) वर्षों पूर्व चीन की सुविशाल भूमि पर चीन की अपनी साम्यवादी सरकार कायम होने पर भी चीन के नाम पर फारमोसा टापू में संयुक्त राष्ट्रसंघ अमेरिका के बल पर स्थित सरकार का ही प्रतिनिधि संघ में लिया जाता है और वह सुरक्षा-परिषद् का स्थायी सदस्य होता है, जिसे 'वीटो' का अधिकार प्राप्त है। बात असल यह है अबतक संयुक्त राष्ट्रसंघ पर संयुक्तराज्य अमेरिका और इंगलैंड, फ्रांस आदि यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों का ही जबरदस्त प्रभाव है, इसलिए संघ की ओर से ऐसा कोई

कार्य होने नहीं देते, जो उनके स्वार्थ में बाधा डालनेवाले होते हैं। अब एशिया और अफ्रिका के बहुत-से देश संघ के सदस्य हुए हैं, पर उनमें अभी इतनी ताकत नहीं आ पाई है कि वे यूरोप और अमेरिका के पुराने शक्तिशाली राष्ट्रों को सभी मामलों में न्याय करने को वाध्य कर सकें।

# कुछ प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय संगठन एवं सन्धियाँ

## राष्ट्रमण्डल (कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स)

राष्ट्रमण्डल का जन्म एक प्रकार से सन् १८६७ ई० में हुआ, जबकि इंगलैण्ड की रानी विक्टोरिया की हीरक-जयन्ती के महोत्सव में लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त-शासनाधिकार-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। महोत्सव के बाद यह अनुभव किया गया कि प्रधान मंत्रियों का इस प्रकार एक स्थान पर मिलना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है और भविष्य में भी जब कभी सम्भव हो, इस प्रकार की बैठकें की जायँ। इसके बाद यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक चार वर्ष के बाद साम्राज्य-सम्मेलन किया जाय, जिसमें ब्रिटिश सरकार और समुद्र-पार के स्वायत्त-शासनाधिकार-प्राप्त उपनिवेशों के बीच ऐसे प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया जाय, जो दोनों के सामान्य स्वार्थ से सम्बद्ध हों। इस सम्मेलन का सभापतित्व इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री करेंगे और स्वायत्त-शासनाधिकार-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मंत्री पदेन इसके सदस्य होंगे। सन् १९२६ ई० तक 'ब्रिटिश राष्ट्रमंडल' शब्द का व्यवहार स्वच्छन्द रूप से होता रहा। इसी समय ब्रिटेन के परराष्ट्र-सचिव लार्ड बालफोर ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की परिभाषा इस प्रकार की—"ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत आत्मशासित जन-समुदाय, जिनकी पद-स्थिति एक समान है, जो आन्तरिक या बाह्य विषयों के किसी भी पहलू के सम्बन्ध में किसी के अधीनस्थ नहीं हैं, यद्यपि सम्राट् के प्रति सामान्य आनुगत्य के नाते परस्पर संयुक्त हैं और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में स्वतंत्र भाव से सम्मिलित हैं।"

द्वितीय महायुद्ध के बाद सन् १९४९ ई० में लंदन में साम्राज्य-सम्मेलन हुआ, उसमें समवेत प्रधान मंत्रियों ने एक सूत्र ढूँढ़ निकाला, जिसके द्वारा भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका-जैसे गणतांत्रिक राज्यों को राष्ट्रमण्डल के ढांचे के अन्दर स्थान दिया जा सके और ब्रिटिश अधिपति उसके नाम-मात्र के प्रधान माने जायँ। इसके बाद ग्रेट-ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रिका, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने अपना यह निश्चय घोषित किया कि 'राष्ट्रमण्डल के स्वतन्त्र एवं समान सदस्यों के रूप में एक साथ मिले हुए रहेंगे और शान्ति, स्वतन्त्रता एवं प्रगति के प्रयत्न में स्वच्छन्द भाव से सहयोग प्रदान करते रहेंगे।' राष्ट्रमण्डल के साथ जो 'ब्रिटिश' विशेषण लगा हुआ था, वह हटा दिया गया और साम्राज्य-दिवस का नया नामकरण 'राष्ट्रमण्डल-दिवस' हुआ।

राष्ट्रमण्डल का ऐसा कोई संविधान या सामान्य विधि नहीं है, जो उसके सब सदस्यों के प्रति प्रयुक्त हो। किसी एक सदस्य-राष्ट्र की प्रतिरक्षा के लिए कोई अन्य राष्ट्र वचनबद्ध नहीं है। यह एक ऐसी संस्था है, जिससे कोई भी सदस्य जब चाहे, पदत्याग कर सकता है और विद्यमान सदस्यों की सहमति के बिना कोई नया सदस्य प्रविष्ट नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रमण्डल के सदस्यों का एकमात्र सामान्य लक्षण यही है कि सब-के-सब पहले ब्रिटेन के उपनिवेश या रक्षित राज्य थे या हैं। भावना, स्वार्थ एवं विचार की सहचारिता के ऐसे बहुत-से बन्धन हैं, जो इन विभिन्न देशों को संयुक्त किये हुए हैं, किन्तु एकमात्र वैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष कड़ी राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में रानी हैं। यद्यपि ब्रिटेन की रानी अब भारत, पाकिस्तान और मलाया की सम्राज्ञी नहीं हैं, तथापि ये सब देश राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। राष्ट्रमण्डल के प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपने देश के आन्तरिक एवं बाह्य विषयों में अबाध नियंत्रण है। सदस्य-राष्ट्रों के प्रधान मंत्री अपने सार्वभौम राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी-अपनी संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं। जब वे एकत्र होकर ऐसे विषयों पर बातचीत करते हैं, जिनका विश्वव्यापी महत्त्व होता है, तब वे निजी रूप में ऐसा करते हैं और वाद-विवाद के लिए कोई औपचारिक कार्य-सूची प्रकाशित नहीं की जाती। स्वतन्त्र राष्ट्रों की इस संस्था में विचार, दृष्टि और राय में मतभेद होना अपरिहार्य है। राष्ट्रमण्डल का महत्त्व इस बात में है कि यह अपने सदस्यों को पूर्ण एवं निश्छल रूप में विचार-विनिमय करने का मौका देता है और इस विचार-विनिमय के प्रकाश में राष्ट्रमण्डल की प्रत्येक सदस्य-सरकार अपने सहयोगी सदस्यों के विचार और स्वार्थों की गहरी जानकारी हासिल करके और उन्हें समझकर अपनी पृथक् नीतियों को सूत्रबद्ध करती है और उनका अनुसरण करती है।

राष्ट्रमण्डल के सदस्यों में ब्रिटेन के अतिरिक्त पूर्ण स्वतन्त्र हुए राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, घाना, श्रीलंका, नाइजीरिया, साइप्रस सियरालियोन और टैगानिका हैं तथा अधिराज्यों में कनाडा अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पश्चिमी द्वीप-समूह राज्य-संघ ( फेडरेशन ऑफ वेस्ट इण्डीज ) और मलाया राज्य-संघ हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से हाल में स्वतंत्र हुए राष्ट्र आयरलैंड, बर्मा, सूडान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रिका-संघ राष्ट्रमण्डल के सदस्य नहीं रहे। राष्ट्रमण्डल की कोई एक केन्द्रीय सरकार, सेना या न्यायपालिका नहीं है। इसके सदस्य-राष्ट्रों के बीच विशेष संधि या किसी किस्म की शर्त्तें नहीं हैं। इसका कोई लिखित संविधान भी नहीं है। इसके सदस्य-राष्ट्र केवल शांति-स्थापना, स्वाधीनता तथा विश्व-सुरक्षा के उद्देश्य से परस्पर सम्बद्ध हैं।

राष्ट्रमण्डल का प्रधान कार्यालय लंदन में है। राष्ट्रमण्डल के स्वतंत्र सदस्य-राष्ट्र भारत-पाकिस्तान और श्रीलंका-ब्रिटेन के राजा या रानी को राष्ट्रमण्डल का प्रतीकात्मक प्रधान मात्र मानते हैं, प्रधान शासक नहीं; किन्तु शेष सभी सदस्य-राष्ट्र प्रधान शासक मानते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद अप्रैल १९४६, अक्तूबर १९४८, अप्रैल १९४९, जनवरी १९५१, जून १९५३, फरवरी १९५५, जून १९५६, जून १९५७, सितम्बर १९५८, मई १९६० और मार्च १९६१ में राष्ट्रमण्डल के राष्ट्रों के प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन हुए। मार्च, १९६१ के अधिवेशन की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि जाति एवं रंगभेद-नीति-संबंधी प्रस्ताव के प्रतिरोध में दक्षिण अफ्रिका-संघ ने राष्ट्रमण्डल से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया।

## कोलम्बो-योजना

जनवरी, १९५० ई० में राष्ट्रमण्डल के परराष्ट्र-मंत्रियों का एक सम्मेलन कोलम्बो ( लंका ) में हुआ। उसके निर्णय के अनुसार २८ नवम्बर, १९५० को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के सामूहिक आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और औद्योगिक उन्नति के

लिए एक योजना प्रकाशित की गई, जिसका नाम कोलम्बो-योजना पड़ा। १ जुलाई, १९५१ ई० से कोलम्बो-योजना का कार्य आरम्भ किया गया और यह निश्चय किया गया कि ३० जून, १९५७ ई० तक के लिए एशिया के सदस्य-राष्ट्रों के विकास-कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की जाय। प्रत्येक राष्ट्र को अपने कार्य-क्रम में इच्छानुसार संशोधन-परिवर्द्धन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। सन् १९५५ ई० में परामर्शदात्री समिति की बैठक सिंगापुर में हुई, जिसमें योजना की अवधि ३० जून, १९६१ ई० तक के लिए बढ़ाई गई थी। उसके बाद दिसम्बर, १९५६ ई० में वेलिंगटन में; अक्टूबर, १९५७ ई० में सैगोन में तथा अक्टूबर, १९५८ ई० में सीटल में इसकी बैठकें हुईं। इण्डोनेशिया-स्थित जोगजकार्त्ता में सन् १९५९ ई० के ११ से १४ नवम्बर तक इसकी परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई, जिसमें योजना की अवधि सन् १९६१ ई० से पाँच वर्ष के लिए बढ़ाई गई। उक्त बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि सन् १९६४ ई० के वार्षिक अधिवेशन में इसकी आगामी अवधि-वृद्धि के सम्बन्ध में विचार किया जाय। इसकी परामर्शदात्री समिति में ग्रेट-ब्रिटेन, अस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, भारत, मलाया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ब्रिटिश बोर्नियो तथा सिंगापुर प्रारम्भिक सदस्य-राष्ट्र हैं। वीतनाम, कम्बोडिया और लाओस सन् १९५० ई० में, बर्मा और नेपाल सन् १९५२ ई० में, इण्डोनेशिया सन् १९५३ ई० में तथा जापान, फिलिपाइन्स और थाईलैंड सन् १९५४ ई० में इसके सदस्य हुए। संयुक्तराज्य अमेरिका भी इससे सम्बद्ध है तथा पूर्ण सदस्य की भाँति इसकी बैठकों में भाग लेता है। इन सदस्य-राष्ट्रों में अस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ग्रेट-ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका कार्य-क्षेत्र से बाहर के राष्ट्र हैं। फिर भी, इन राष्ट्रों द्वारा योजना-क्षेत्र के देशों को समय-समय आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता मिलती रहती है।

इसके उद्देश्यों में विकास-कार्यक्रम द्वारा सम्बद्ध राष्ट्रों में निर्धनता को दूर कर साम्यवाद के प्रसार को रोकने का लक्ष्य रखा गया है। इसका कार्यालय कोलम्बो में है। इस योजना में सम्मिलित देशों को परस्पर के देशों में प्राविधिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। अन्तरराष्ट्रीय बैंक द्वारा कोलम्बो-योजना में सम्मिलित देशों को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ३० जून, सन् १९६० ई० तक दिये गये ऋण की राशि १ अरब १० करोड़ ७० लाख डालर थी। उक्त समय तक अस्ट्रेलिया ने ३ करोड़ ५१ लाख पौंड, कनाडा ने २८ करोड़ १७ लाख डालर, न्यूजीलैंड ने १ करोड़ ३ लाख पौंड, संयुक्तराज्य अमेरिका ने ७ अरब ३७ करोड़ ८० लाख डालर और ग्रेट-ब्रिटेन ने १७ करोड़ ७ लाख पौंड ऋण के रूप में दिये।

सन् १९५९-६० ई० में दक्षिणी और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों ने एक-दूसरे के आर्थिक विकास में अधिक सहायता दी। प्राविधिक (शिल्पिक) साहाय्य-कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई ४,२३८ छात्र-वृत्तियों में ३०९ छात्र-वृत्तियाँ सदस्य-राष्ट्रों द्वारा दी गईं।

सन् १९५० ई० से ३० जून, १९६० ई० तक २२ हजार से भी अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। योजना के सदस्य-देशों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की शाखाओं ने सदस्य-राष्ट्रों को ११,६०० विशेषज्ञ दिये।

सन् १९६०-६१ ई० में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में विकास-कार्य के लिए कुल १ अरब ५४ करोड़ ६२ लाख पौंड खर्च हुए।

## अरब-लीग

२२ मार्च, १६४५ ई० को काहिरा (कैरो) में अरब-राष्ट्रों ने अरब की एकता को कायम रखने के लिए एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर एक संघ का निर्माण किया। इस राज्य-संघ में मिस्र, इराक, जोर्डन, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, यमन, लीबिया, सूडान (१६५६ ई० से), ट्यूनिशिया तथा मोरोक्को (१६५८ ई० से) सम्मिलित हैं। इसका प्रमुख लक्ष्य है—सदस्य-राष्ट्रों के बीच हुए समझौतों को क्रियात्मक रूप देना; सदस्य-राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाना; समय-समय पर इसकी बैठकें बुलाना; राजनीतिक क्षेत्र में सामजस्यपूर्ण सहयोग; सदस्य-राष्ट्रों की स्वाधीनता एवं प्रभुसत्ता की रक्षा; अरब-राष्ट्रों से सम्बद्ध कार्यों पर विचार-विमर्श तथा आर्थिक, वित्तीय, सांस्कृतिक एवं परिवहन-सम्बन्धी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग।

अरब-लीग की एक सामान्य-परिषद, एक विशेष समिति तथा एक सचिवालय हैं। इसके अतिरिक्त एक राजनीतिक समिति है, जिसमें सभी सदस्य-राष्ट्रों के परराष्ट्र-मंत्री सदस्य के रूप में रहते हैं। इसकी कौंसिल की बैठकें वर्ष में दो बार हुआ करती हैं। इसका सचिवालय काहिरा में है। सन् १६५२ ई० से इसके महामंत्री अब्दुल खालिक हासाउना हैं, जो मिस्र के भूतपूर्व परराष्ट्र-मंत्री रह चुके हैं। सदस्य-राष्ट्रों के आपसी झगड़े, वैमनस्य एवं कटुता के कारण लीग का अभी तक कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाया है।

## अरब-सुरक्षा-संधि

अरब-सुरक्षा-सन्धि (अरब-सेक्युरिटी पैक्ट) का पूरा नाम 'अरब-राज्य-संघ सामूहिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग-सन्धि' (अरब-लीग कलेक्टिव सेक्युरिटी ऐण्ड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन पैक्ट) है। इसकी स्थापना १७ जुलाई, १६५० ई० को की गई। इस सन्धि को पांच देशों—मिस्र, इराक, सीरिया, जोर्डन और लेबनान—ने स्वीकार किया। यह सन्धि प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले उपर्युक्त देशों के बीच, सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करते हुए किसी भी सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध की व्यवस्था करती है तथा अरब-लीग के अन्तर्गत सम्बद्ध देशों के दायित्व को निर्धारित करती है।

## केन्द्रीय संधि-संगठन (बगदाद-संधि)

२४ फरवरी, १६५५ ई० को बगदाद में टर्की और इराक द्वारा पारस्परिक सुरक्षा के निमित्त एक समझौता किया गया, जो 'बगदाद-संधि' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी वर्ष ४ अप्रैल को ग्रेट-ब्रिटेन, २३ सितम्बर को पाकिस्तान तथा ३ नवम्बर को ईरान इसमें सम्मिलित हुए। अप्रैल, १६५६ ई० में संयुक्तराज्य अमेरिका इसकी आर्थिक एवं विध्वंस-विरोधी समितियों में तथा मार्च, १६५७ ई० में इसकी सैन्य-समिति में पूर्ण सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ और तबसे उसके प्रतिनिधि इसकी बैठकों में भाग लेते रहे। २८ जुलाई, १६५८ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने इसके प्रतिज्ञा-पत्र को स्वीकार कर लिया। ५ मार्च, १६५६ ई० को अंकारा में संयुक्तराज्य अमेरिका और टर्की के बीच तथा ईरान और पाकिस्तान के बीच द्विभुजी सुरक्षा-समझौते हुए। जुलाई, १६५८ ई० की क्रान्ति के बाद से इराक ने बगदाद-समझौता में सम्मिलित देशों की कार्यवाहियों में भाग लेना बन्द कर दिया तथा २४ मार्च, १६५६ ई० से उसने बाजाप्ता अपने को पृथक् कर लिया। अक्टूबर,

१६५८ ई० में इसका मुख्य कार्यालय वगदाद से अंकारा स्थानान्तरित कर दिया गया और इराकी महामन्त्री अवनी खलीदी की जगह एम० ओ० ए० वेग (पाकिस्तान) इसके महामन्त्री वनाये गये। वगदाद-सन्धि-समिति की एक वैठक जनवरी, १६५६ ई० के अन्तिम सप्ताह में कराची में हुई, जिसमें सन्धि में सम्मिलित देशों का सामरिक संगठन दृढ़ करने का निश्चय किया गया। २१ अगस्त, १६५६ ई० को वगदाद-सन्धि के सचिवालय की घोषणा के अनुसार इस सन्धि का नाम वगदाद-सन्धि से वदलकर 'केन्द्रीय सन्धि-संगठन' (C. E. N. T. O.) किया गया।

इस सन्धि-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं—

(१) इस सन्धि में सम्मिलित देश पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे।

(२) सन्धि में सम्मिलित कोई भी देश एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा आपसी झगड़ों का निपटारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से स्वयं कर लेगा।

(३) सन्धि में सम्मिलित राष्ट्र किसी भी ऐसी अन्तरराष्ट्रीय संस्था में सम्मिलित नहीं होंगे, जिनके उद्देश्यों का सामंजस्य इस सन्धि के उद्देश्यों के साथ नहीं है।

(४) इस सन्धि का द्वार अरव-लीग के किसी भी सदस्य-राष्ट्र तथा दूसरे राष्ट्र के लिए खुला हुआ है, जो इस क्षेत्र की सुरक्षा और शान्ति से सक्रिय रूप से सम्वद्ध रहे हैं तथा जिन्हें टर्की और इराक स्वीकार करें।

(५) इस समझौता की अवधि पाँच वर्ष की है और आगामी पाँच वर्ष के लिए फिर इसकी अवधि वढ़ाई जा सकती है। कोई भी सदस्य-राष्ट्र उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के ६ मास पूर्व अन्य सदस्य-राष्ट्रों को सूचना देकर सदस्यता से पृथक् हो सकता है।

## त्रिदलीय सुरक्षा-संधि

१ सितम्वर, १६५१ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर सानफ्रांसिस्को में एक सन्धि की, जिसके अनुसार किसी भी अन्तरराष्ट्रीय झगड़े को शांतिपूर्ण रीति से तय करने का निश्चय किया गया। यह भी निर्णय हुआ कि प्रशान्त महासागर के तटवर्त्ती देशों में सन्धि के अन्तर्गत किसी भी पार्टी की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतन्त्रता या सुरक्षा पर खतरा हो, तो उस सम्वन्ध में सम्मिलित रूप से विचार किया जाय। दलों ने यह भी तय किया कि वे किसी भी सशस्त्र आक्रमण को रोकने के लिए अपनी वैयक्तिक एवं सामूहिक शक्ति वढ़ायेंगे। साथ ही यह भी निश्चित हुआ कि इस सन्धि को लागू करने के लिए एक परिषद् की स्थापना की जाय, जिसमें तीनों दलों के परराष्ट्र-मन्त्री या डिपुटी सम्मिलित हों। यह सन्धि अनिश्चित काल तक लागू रहेगी।

## दक्षिण-पूर्व एशिया सामूहिक सुरक्षा-संधि

८ सितम्वर, १६५४ ई० को अस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रेट-व्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, फिलिपाइन और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने मिलकर मनिला (फिलिपाइन) में दक्षिण-

पूर्व एशिया की सुरक्षा एवं आर्थिक साधनों का विकास के लिए उक्त सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये। इस सन्धि को अँगरेजी में 'साउथ-ईस्ट एशिया कलेक्टिव डिफेन्स ट्रिटी' कहते हैं। इसका दूसरा नाम 'साउथ-ईस्ट एशिया ट्रिटी ऑरगेनिजेशन' (S. E. A. T. O.) है। इस सन्धि के अनुसार खड़े किये गये सैनिक और असैनिक सभी संगठनों के कार्यालय बैंकॉक (थाईलैंड) में हैं। वहीं इसकी कौंसिल की बैठकें भी हुआ करती हैं।

## बांडुंग-सम्मेलन

सन् १६५५ ई० के १८ अप्रैल से २४ अप्रैल तक एशिया तथा अफ्रिका के ३० स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन बांडुंग (इण्डोनेशिया) में सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस सम्मेलन की सफलता का श्रेय भारत, वर्मा, लंका, इण्डोनेशिया तथा पाकिस्तान की सरकारों को है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व-शांति एवं पारस्परिक मैत्री की भावना से आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा उपनिवेशवाद का विरोध करना था। उक्त सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव की प्रमुख बातें निम्नांकित हैं—

(१) उपनिवेशवाद की मनोवृत्ति का अन्त हो तथा जो लोग दूसरों द्वारा शापित, शोषित और दास बनाये गये हैं, उन्हें स्वतन्त्रता दी जाय।

(२) 'पंचशील' के सिद्धान्तों का पालन हो।

(३) विश्व के सभी देशों का निःशस्त्रीकरण किया जाय।

(४) अणु-अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

(५) संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में एशिया तथा अफ्रिका के देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय और उन एशियाई एवं अफ्रिकी देशों को, जो अबतक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं, सदस्य बनाया जाय।

(६) सभी देश पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक-दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करें।

## अफ्रिका-एशिया समैक्य-सम्मेलन

अफ्रिका-एशिया समैक्य-सम्मेलन ( अफ्रो-एशियन सॉलिडैरिटी कॉन्फ्रेंस ) का अधिवेशन अराजकीय स्तर पर काहिरा ( मिस्र ) में सन् १६५७ ई० के २६ दिसम्बर से सन् १६५८ ई० की १ जनवरी तक हुआ। इस सम्मेलन में दोनों महादेशों के अनेक देशों एवं औपनिवेशिक क्षेत्रों से ५०० प्रतिनिधि आये थे। कुछ राष्ट्रों ने इसका स्वरूप साम्यवादी समझकर इसमें अपना प्रतिनिधि भेजना अस्वीकार कर दिया। ये राष्ट्र थे—लाइबेरिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलिपाइन, दक्षिण-वीतनाम, मोरोक्को, मलाया, कम्बोडिया और लाओस। सोवियत-संघ से यहाँ २७ व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि-मंडल आया था। इस सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किये गये—साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जाति-भेदवाद, ट्रस्टीशिप आदि की निन्दा की गई। केनिया, कैमेरून, उगाण्डा, मडागास्कर, सोमालीलैंड आदि देशों की स्वतन्त्रता एवं साइप्रस के आत्मनिर्णय की माँग

की गई, उत्तर और दक्षिण कोरिया एवं उत्तर और दक्षिण वीतनाम को मिला देने का समर्थन किया गया, बगदाद-सन्धि और आइसन हॉवर-सिद्धान्त को अरब-राष्ट्रों की स्वतंत्रता का बाधक तथा इजराइल को साम्राज्यवाद का एक अड्डा कहा गया एवं राष्ट्रसंघ में साम्यवादी चीन और मंगोलिया को सम्मिलित करने पर जोर दिया गया। काहिरा में इन संगठन की एक स्थायी संस्था कायम करने का भी निश्चय हुआ। इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन अप्रैल, १९६० ई० में कोमकरी में हुआ।

## अफ्रिका-एशिया आर्थिक सम्मेलन

यह समेम्लन १९५८ ई० के ८ से ११ दिसम्बर तक काहिरा ( मिस्र ) में हुआ, जिसमें अफ्रिका और एशिया के ३० देशों से व्यवसाय-मंडल के प्रतिनिधि आगे थे। भारत भी इसमें सम्मिलित था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के महम्मद रशीद ने की। सम्मेलन ने दोनों महादेशों के आर्थिक सहयोग के लिए एक स्थायी संस्था—अफ्रिका-एशिया आर्थिक सहयोग-संगठन (अफ्रो-एशियन इकोनॉमिक को-ऑपरेशन ऑरगेनिजेशन)—की स्थापना की, जिसका तात्कालिक कार्यालय काहिरा में रखा गया। संगठन की एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई, जिसमें चीन, इथोपिया, घाना, इंडोनेशिया, भारत, इराक, गीनी, लीबिया, पाकिस्तान, सूडान और संयुक्त अरब-गणतंत्र के प्रतिनिधि रखे गये। संगठन की रूपरेखा तैयार करने का भार इसी समिति पर छोड़ा गया। सम्मेलन में दोनों महादेशों के उद्योग-धंधों और वाणिज्य-व्यवसाय की उन्नति के संबंध में कई दूसरे प्रस्ताव भी पास किये गये। इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन ३० अप्रैल, १९६० ई० को काहिरा में हुआ।

## अखिल अफ्रिकी जन-सम्मेलन

इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन १९५८ ई० के ८ से १३ दिसम्बर तक अकरा (घाना) में हुआ, जिसमें ५० राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों, छात्र-आन्दोलनों एवं अन्य संस्थाओं के २०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में अफ्रिका के निम्नलिखित राष्ट्रों, उपनिवेशों तथा अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हुआ था—अलजीरिया, अंगोला, बासुटोलैंड, कैमेरून, दहोमी, इथोपिया, घाना, गीनी, केनिया, लाइबेरिया, लीबिया, मोरोक्को, नाइजीरिया, उत्तरी रोडेशिया, सियरालियोन, दक्षिण-रोडेशिया, टैंगनिका, टोगोलैंड, ट्यूनिशिया, उगाण्डा, संयुक्त अरब-गणतन्त्र और जंजीबार। केनिया के एक श्रमिक नेता टॉम मबोआ ने इसकी अध्यक्षता की। यद्यपि यह सम्मेलन अराजकीय संस्थाओं का था, तथापि दक्षिण-अफ्रिका और सूडान के अतिरिक्त सभी अफ्रिकी स्वतन्त्र राष्ट्रों के शासक दलों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था—अफ्रिका में अहिंसात्मक क्रांति लाने के लिए गांधीजी की पद्धति पर योजना तैयार करना और उसे काम में लाना। सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास हुए। एक प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया गया कि वह साम्राज्यवादी राष्ट्रों से अनुरोध करे कि वे अफ्रिका से बिलकुल हट जायँ और शासन-सत्ता विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय जनता के मताधिकार से कायम हुई गणतन्त्रीय सरकार के हाथ में सौंप दें। अफ्रिका के स्वतन्त्र राष्ट्रों से अनुरोध किया गया कि वे अफ्रिका के परतन्त्र लोगों को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध खड़े किये गये संघर्ष में हर तरह से सहायता पहुँचायें और दक्षिण-अफ्रिका आदि की रंग-भेद माननेवाली सरकारों से अपना राजदौत्य-सम्बन्ध

विच्छिन्न कर लें, अलजीरिया की निष्कासित सरकार को मान्यता प्रदान करें और अफ्रिकी लोगों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एक अफ्रिकी स्वयंसेवक-दल तैयार करें।

एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्रों का एक मंडल (कॉमनवेल्थ) भी तैयार करने का निश्चय किया गया। समस्त अफ्रिकी राष्ट्रों को पाँच समूहों में विभक्त कर देने का विचार हुआ, जो एक अखिल अफ्रिकी मण्डल (कॉमनवेल्थ) में सम्मिलित रहेंगे। ये पाँच समूह होंगे—उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केन्द्रीय समूह।

## अकरा-सम्मेलन

अफ्रिका के स्वतन्त्र राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन १६५८ ई० के १५ से २२ अप्रैल तक अकरा (घाना) में हुआ। इसमें भाग लेनेवाले राष्ट्र थे—इथोपिया, घाना, लीबिया, लाइबेरिया, मोरोक्को, सूडान, ट्युनिशिया और संयुक्त अरब-गणतन्त्र। सम्मेलन का उद्घाटन घाना के प्रधान मंत्री डॉ० नक्रुमा ने किया था, जिसके निमंत्रण पर उपर्युक्त देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था—सामान्य हितों के प्रश्न पर विचार-विनिमय करना, अफ्रिकी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना, औपनिवेशिक शासन के अधीन पड़े हुए राष्ट्रों को सहायता पहुँचाने का रास्ता ढूँढ़ना, शान्ति-रक्षा के प्रश्नों पर विचार-विमर्श करना तथा विश्व के महान् राष्ट्रों से निःशस्त्रीकरण के लिए अपील करना, जिससे सभी राष्ट्र ध्वस्त होने से बच सकें। सम्मेलन में विविध विषयों पर प्रस्ताव पास किये गये। अफ्रिकी राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करने तथा प्रतिवर्ष १५ अप्रैल को अफ्रिकी स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का निश्चय किया गया। साम्राज्यवादी राष्ट्रों से अफ्रिकी उपनिवेशों को स्वतन्त्र करने का निश्चित समय बताने के लिए आग्रह हुआ, अल्जीरिया के स्वातन्त्र्य-आन्दोलन का समर्थन किया गया, फ्रांसीसी कैमेरून पर शस्त्र-प्रयोग करने की निन्दा की गई एवं जाति-भेद दूर करने, आणविक अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग बन्द करने तथा पैलेस्टाइन की समस्या को न्यायपूर्ण ढंग से हल करने की अपील की गई।

## अटलाण्टिक घोषणा-पत्र

द्वितीय विश्व-महायुद्ध के दौरान में १४ अगस्त, १६४१ ई० को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विन्स-टन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अटलांटिक प्रदेश के किसी स्थान पर हुई बैठक के परिणाम-स्वरूप एक संयुक्त घोषणा-पत्र प्रकाशित किया था, जो 'अटलांटिक घोषणा-पत्र' (अटलांटिक चार्टर) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घोषणा-पत्र की प्रमुख शर्तें निम्नांकित थीं—

(१) क्षेत्रीय या किसी अन्य प्रकार के प्रसार या विस्तार का अंत हो।

(२) किसी भी क्षेत्र से सम्बद्ध जनता की प्रकट इच्छा के बिना उस क्षेत्र में कोई परिवर्त्तन न किया जाय।

(३) सभी लोगों को अपने इच्छानुसार अपनी सरकार का स्वरूप निश्चित करने का अधिकार रहे।

(४) जिन राष्ट्रों को प्रभुसत्ता-सम्बन्धी अधिकारों एवं स्वशासन से बलपूर्वक वंचित कर दिया गया है, उन्हें वे लौटाये जायँ।

(५) संसार के व्यापार एवं कच्चे माल तक सभी राष्ट्रों की पहुँच समानता के आधार पर हो।

(६) आर्थिक क्षेत्र में सभी राष्ट्रों के बीच पूर्णतम सहयोग रहे।

(७) नाजी जुल्म का अन्त कर निखिल विश्व में शान्ति की स्थापना की जाय।

(८) ऐसे आक्रामक राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण हो, जो सामान्य सुरक्षा एवं विस्तृत तथा स्थायी व्यवस्था में बाधक हों, और ऐसे राष्ट्रों को प्रोत्साहित एवं सहायता दी जाय, जो शस्त्रीकरण के बोझ को हल्का करने के लिए व्यावहारिक कदम उठा चुके हों।

## कौमिनफार्म

कौमिनफार्म (कम्युनिस्ट इनफॉरमेशन ब्यूरो—साम्यवादी सूचना-विभाग) की स्थापना का निश्चय ५ अक्टूबर, १६४७ ई० को पोलैण्ड की राजधानी वारसा में होनेवाली एक गुप्त बैठक में किया गया, जिसमें यूरोप के नौ देशों—सोवियत-संघ, पोलैण्ड, बलगेरिया, रूमानिया, युगोस्लाविया चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, इटली और फ्रांस—के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 'कौमिनफार्म' कौमिण्टर्न (कम्युनिस्ट इंटरनेशनल) का दूसरा नाम है, जिसे २२ मई, १६४३ ई० को कानूनी दृष्टि से विघटित कर दिया गया था। यह संस्था रूस के साम्यवादी दल का संबंध बाहर के साम्यवादी दलों के साथ स्थापित करती है। इसका प्रधान कार्यालय युगोस्लाविया में था, किन्तु वहाँ के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का कौमिनफार्म के साथ मतभेद होने के कारण युगोस्लाविया को कौमिनफार्म से अलग कर दिया गया और इस संस्था का कार्यालय सोवियत रूस ले जाया गया।

## पश्चिमी यूरोपीय संघ

१७ मार्च, १६४८ ई० को ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैण्ड, बेलजियम और लक्जेम्बर्ग के परराष्ट्र-मन्त्रियों ने ब्रुसेल्स (बेलजियम) में एकत्र होकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में एक साथ काम करने तथा सामूहिक आत्मरक्षा के लिए एक पचासवर्षीय सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये, जिसे 'ब्रुसेल्स-सन्धि' कहते हैं। इस सन्धि के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय संघ (वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन) कायम किया गया। पीछे पश्चिमी जर्मनी और इटली भी इस संघ में सम्मिलित हुए। इस संघ का बाजाब्ता उद्घाटन ६ मई, १६५५ ई० को किया गया। संघ की कौंसिल में उक्त सात राष्ट्रों के परराष्ट्र-मन्त्री या उनके प्रतिनिधि रहते हैं। युद्ध-उपकरणों के नियंत्रण के लिए पेरिस में इसका एक अभिकरण तथा एक स्थायी युद्ध-उपकरण-समिति बनाई गई है। इसके अन्तर्गत कई सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएँ कार्य कर रही थीं। १ जून, १६६० ई० को इसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य यूरोपीय कौन्सिल (कौंसिल ऑफ यूरोप) को सुपुर्द किये गये। इसका कार्यालय ६, ग्रॉस वेनोर प्लेस, लन्दन (एस० डब्ल्यू० आई०) में है। इसके वर्त्तमान महामन्त्री लुई गॉफिन हैं।

## यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन

### आर्थिक सहयोग और विकास-संगठन

द्वितीय विश्व-महायुद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा मार्शल-योजना के अन्तर्गत अमेरिकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से १६ अप्रैल, १६४८ ई०

को यूरोप के १७ राष्ट्रों ने पेरिस में एक बैठक बुलाकर यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन (ऑरगेनिजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन : O.E.E.C.) का निर्माण किया। प्रारम्भ में इस संघ में ब्रिटेन, फ्रांस, अस्ट्रिया, बेलजियम, डेनमार्क, ग्रीस, आइसलैंड, आयरिश गणतन्त्र, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, नारवे, पुर्त्तगाल, स्वीडन, टर्की और पश्चिमी जर्मनी सम्मिलित हुए थे। सन् १९५० ई० में संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा ने पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के सम्मिलित स्वार्थ से संबद्ध आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए संगठन को सहयोग देना स्वीकार किया। सन् १९५९ ई० में स्पेन भी संगठन का १८वाँ पूर्ण सदस्य बना। खाद्य एवं कृषि-संबंधी कार्यों में युगोस्लाविया को भी सदस्यता प्राप्त है तथा वह इसके 'यूरोपीय उत्पादन-अभिकरण' में भाग लेता है। आरम्भिक काल में इस संगठन के दो प्रमुख उद्देश्य थे—सदस्य-राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग की वृद्धि तथा संयुक्तराज्य अमेरिका को साहाय्य-कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता देना। जून, १९५२ ई० में मार्शल-योजना के अंतर्गत दी जानेवाली सहायता का काम पूरा हो चुका, किंतु संगठन के सदस्य-राष्ट्रों द्वारा विभिन्न आर्थिक समस्याओं के संबंध में विचार-विमर्श का काम जारी रहा। सन् १९५३ ई० के बाद से यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन ने व्यापार, उत्पादन-वृद्धि तथा अणु-शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। सन् १९६० ई० में संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा को इस संस्था में सम्मिलित करने के लिए इस संस्था का पुनर्गठन कर इसका नाम आर्थिक सहयोग और विकास-संगठन ऑरगेनिजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऐण्ड डेवलपमेंट (O. E. C. D.) रखा गया। इसके कार्य-संचालन के लिए एक कौंसिल तथा एक कार्य-समिति है। कौंसिल में सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि रहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। इसका प्रधान कार्यालय पेरिस में है। इसकी कौंसिल का अध्यक्ष-पद ग्रेट-ब्रिटेन को दिया गया है। इसके वर्त्तमान महामंत्री थॉरकिल क्रिस्टेन्सेन ( डेनमार्क ) हैं।

## यूरोपीय कौंसिल

यूरोपीय कौंसिल ( कौंसिल ऑफ यूरोप ) की स्थापना ५ मई, १९४९ ई० को हुई। पहले ब्रिटेन, फ्रांस, बेलजियम, डेनमार्क, आयरलैंड, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरलैंड, नारवे और स्वीडन इसके सदस्य थे। ९ अगस्त, १९४९ ई० को टर्की और ग्रीस तथा ७ मार्च, १९५० ई० को आइसलैंड भी इसके सदस्य हुए। १३ मई, १९५० ई० को सारलैंड तथा १३ जुलाई, १९५० ई० को पश्चिमी जर्मनी इसके एसोसिएट मेम्बर बने। २ मई, १९५१ ई० को पश्चिमी जर्मनी तथा १६ अप्रैल, १९५६ ई० को आस्ट्रिया इसके पूर्ण सदस्य हुए। १ जनवरी, १९५७ ई० को जर्मनी में मिल जाने के फलस्वरूप सारलैंड की सदस्यता रद्द कर दी गई। मई, १९६१ ई० में साइप्रस इसका सदस्य बना। इसका उद्देश्य अपने सामान्य आदर्शों और सिद्धान्तों की सुरक्षा के निमित्त सदस्यों के बीच अधिकतर एकता कायम करना तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन देना है। इसकी एक मन्त्रिपरिषद् ( कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स ) और एक परामर्शदात्री सभा (कनसल्टेटिव असेम्बली) हैं। इसका कार्यालय स्ट्रॉसबर्ग ( फ्रांस ) में है। इसके प्रधान मंत्री लोडोविको बेनवेनुटी हैं।

## उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन

उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन (नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनिजेशन : N. A. T. O.)—यह संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप के कुछ राष्ट्रों का संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है—रूस या अन्य साम्यवादी राष्ट्रों के आक्रमण करने पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करना; संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र के अनुसार आपसी झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना, जिससे अन्तरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय पर कोई खतरा नहीं आने पाये; अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक नीति-संबंधी विवाद को दूर करना तथा पारस्परिक आर्थिक सहायता को प्रोत्साहन देना आदि। संगठन की शर्तों पर ४ अप्रैल, १९४९ ई० को वाशिंगटन में संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, बेलजियम, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरलैंड, और नार्वे के परराष्ट्र-मन्त्रियों ने हस्ताक्षर किये। ६ फरवरी, १९५२ ई० को ग्रीस और टर्की तथा मई, १९५५ ई० में पश्चिमी जर्मनी भी इस संगठन के अन्दर आ गये। इस संगठन की एक कौंसिल है, जिसमें सभी सदस्य-राष्ट्रों के स्थायी प्रतिनिधि रहते हैं। इसके वर्त्तमान महामन्त्री डॉ० डर्क स्टिकर (अप्रैल, १९६१ ई० से) हैं। इसका प्रधान कार्यालय पेरिस (फ्रांस) में है। इसकी अपनी एक सेना भी है।

लंदन में १९५९ ई० के ५ जून से १० जून तक उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन का १०वाँ वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें १४ सदस्य-राष्ट्रों के ६५० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उक्त सम्मेलन में अगले १० वर्षों के कार्यक्रम पर विचार किया गया। सम्मेलन में विचारार्थ मुख्य विषय थे—राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में 'नाटो'-देशों के आपसी सम्बन्ध; उन देशों के साथ सम्बन्ध, जो संगठन में सम्मिलित नहीं हैं तथा साम्यवादी गुट के देशों के साथ सम्बन्ध।

उक्त सम्मेलन में कई सामरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श हुए। एक उपसमिति द्वारा झगड़ों को निपटाने के कुछ नये सुझाव पेश किये गये, जिनमें संगठन में सम्मिलित राष्ट्रों के लिए एक न्यायालय की स्थापना का भी सुझाव था।

## वारसा-सन्धि

वारसा-सन्धि (वारसा-पैक्ट) सोवियत रूस तथा अन्य सात साम्यवादी राष्ट्रों—अलबानिया, बल्गेरिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रूमानिया और चेकोस्लोवाकिया—द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य पश्चिमी राष्ट्रों के उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन के मुकाबले एक संस्था, खड़ी करना था। रूस ने पहले उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन-निर्माण को ही रोकने की चेष्टा की थी। किन्तु इस कार्य में सफल न होने पर उसके मुकाबले दूसरी संस्था खड़ी करने के सम्बन्ध में मार्च, १९५१ ई० से ही साम्यवादी राष्ट्रों में विचार-विमर्श होने लगा। दिसम्बर, १९५४ ई० में मास्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें साम्यवादी राष्ट्रों ने निश्चय किया कि यदि पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण का प्रयत्न किया जायगा, तो यूरोप के साम्यवादी राष्ट्र भी आपस में एक संधि करेंगे। फलस्वरूप, इन राष्ट्रों ने १४ मई, १९५५ ई० को वारसा (पोलैंड) में शान्ति और सुरक्षा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के निमित्त एक सन्धि की। इसके अनुसार

उपर्युक्त कार्य-संचालन के लिए आठ राष्ट्रों की एक राजनीतिक परामर्शदात्री समिति और एक संयुक्त सैनिक कमांड संगठित हुए। इसकी राजनीतिक परामर्शदात्री समिति की बैठक आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय हो सकती है, यों साल में दो बार इसकी बैठकों का होना अनिवार्य है। इस संधि के अधिनियम प्रायः वे ही हैं, जो उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन के हैं। राजनीतिक परामर्शदात्री समिति का महामंत्री इसका कार्य-संचालन करता है। सन् १९५६ ई० में इसके सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा मास्को में एक संयुक्त सचिवालय स्थापित किया गया। अंतरराष्ट्रीय नीति का लगातार अध्ययन कर परराष्ट्र-नीति-संबंधी अभिस्ताव करने के लिए सन् १९५६ ई० के अंत में एक स्थायी आयोग भी गठित किया गया। इस संधि के कुछ प्रमुख उद्देश्य ये हैं—आतंक तथा शक्ति-प्रयोग की नीति से अपने को अलग रखना और शांतिपूर्ण ढंग से आपसी झगड़ों का निपटारा; शस्त्रीकरण में कमी कर आणविक, उद्जन तथा अन्य शस्त्रास्त्रों पर रोक लगाना; सशस्त्र आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर सामूहिक रूप से विचार करना; आवश्यकता पड़ने पर सहायक अभिकरण स्थापित करना आदि। यह सन्धि २० वर्षों तक कायम रहेगी। इसका प्रधान कार्यालय मास्को ( रूस ) में रखा गया है।

## यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय

सन् १९५१ ई० के १८ अप्रैल को उपर्युक्त छह राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके अनुसार १० अगस्त, १९५२ को यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय ( यूरोपियन कोल ऐण्ड स्टील कम्युनिटी : E. C. S. C. ) नामक संस्था का जन्म हुआ। इसका काम है—सदस्य राष्ट्रों के बीच कोयला और इस्पात के व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाना। इस समुदाय द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच कोयले तथा इस्पात के उद्योग में होनेवाली प्रतिस्पर्द्धा को दूर कर एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें सम्मिलित देशों को कोयला तथा इस्पात के साधनों तक समान शर्तों के आधार पर पहुँचने की सुविधा है। सदस्य-राष्ट्रों के लिए एक सम्मिलित बाजार की व्यवस्था की गई है। उक्त वस्तुओं पर लगनेवाले कई प्रकार के व्यावसायिक कर उठा दिये गये हैं तथा भेदपूर्ण नीति का बहिष्कार किया गया है। ऐसा समझा जाता है कि समुदाय का गठन संयुक्त यूरोप के निर्माण की दिशा में एक कदम है। इसके अन्तर्गत उच्च अधिकारी (हाइ ऑथोरिटी), परामर्शदात्री समिति कन्सल्टेटिव कमिटी और मन्त्रिपरिषद् (कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स) हैं। उच्च अधिकारी सदस्य-राष्ट्रों की सरकार के प्रति उत्तरदायी न होकर समुदाय के प्रति उत्तरदायी हैं। इसका कार्यालय लक्जेम्बर्ग में है।

इधर आस्ट्रिया, डेनमार्क, जापान, नार्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ग्रेट-ब्रिटेन तथा संयुक्त-राज्य अमेरिका ने भी समुदाय के लिए अपने प्रतिनिधि-मण्डल नियुक्त किये हैं। २१ दिसम्बर, १९५४ ई० को ब्रिटेन-समुदाय के उच्चाधिकारी तथा सदस्य-राष्ट्रों की सरकारों के बीच समझौता हुआ, जिसके अनुसार 'स्टैंडिंग कौंसिल ऑफ एसोसिएशन' की स्थापना की गई। मार्च, १९६० ई० में इस सन्धि में कुछ संशोधन किया गया है। जनवरी, १९६१ ई० में सदस्य-राष्ट्रों की शक्ति-संबंधी नीति में एकरूपता लाने का प्रस्ताव लाया गया। इसके उच्चाधिकारी के वर्त्तमान अध्यक्ष इटली के पीरो मालवेस्टीटी हैं।

## यूरोपीय आर्थिक समुदाय

उक्त छह राष्ट्रों ने २५ मार्च, १९५७ ई० को रोम की एक बैठक में कोयला और इस्पात के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का भी एक सम्मिलित बाजार कायम करने, आर्थिक ऐक्य स्थापित करने, व्यावसायिक नीति के एकीकरण आदि के उद्देश्य से एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके फलस्वरूप १ जनवरी, १९५८ ई० को यूरोपीय आर्थिक समुदाय ( यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी : E. E. C. ) नामक संस्था की नींव पड़ी। मार्च, १९६१ ई० में ग्रीस इस समुदाय में सम्मिलित हुआ। इसका दूसरा नाम रोम-सन्धि है। इसके अन्दर मन्त्रिपरिषद् (कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स), यूरोपियन कमीशन एवं आर्थिक और सामाजिक समिति हैं। कमीशन के वर्त्तमान अध्यक्ष जर्मनी के वाल्टर हैल्स्टीन हैं।

## यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदाय

यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदाय ( यूरोपियन एटोमिक इनर्जी कम्युनिटी ) : EURATOM ) नामक संस्था के संगठन के लिए उपर्युक्त छह राष्ट्रों ने २५ मार्च १९५७ ई० को रोम में एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया। तदनुसार, १ जनवरी, १९५८ ई० को इस संस्था का जन्म हुआ। यह संस्था आणविक शक्ति के सम्बन्ध में कार्य करती है। सदस्य-राष्ट्रों में पाये जानेवाले यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम पर समुदाय का प्राथमिक अधिकार होता है और वही बिना किसी भेद-भाव के इनका वितरण अणु-शक्ति-प्रतिष्ठानों के बीच करता है। इसका कार्य-संचालन ५ सदस्यों के एक कमीशन द्वारा होता है, जिसको परामर्श देने के लिए दो समितियां हैं—(१) वैज्ञानिक तथा तकनीकी समिति और (२) आर्थिक एवं सामाजिक समिति। इस समुदाय का संक्षिप्त नाम 'यूरेटम' है। इस समुदाय को सन् १९५८ ई० से संयुक्तराज्य अमेरिका का तथा १९५९ ई० से कनाडा और ग्रेट-ब्रिटेन का किसी-न-किसी रूप में सहयोग प्राप्त है।

## अमेरिकी राष्ट्रों का संगठन

अमेरिकी राष्ट्रों का प्रथम अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन १४ अप्रैल, १८९० ई० को वाशिंगटन में हुआ। इसमें अमेरिकी गणतंत्रों का एक अन्तरराष्ट्रीय संघ कायम किया गया। इसका उद्देश्य पश्चिमी गोलार्द्ध के राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सद्भावना और सहयोग स्थापित करना है। बाद के सम्मेलनों ने इसके कार्य-क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया है। इस समय २१ अमेरिकी गणतन्त्र राष्ट्र समानता के आधार पर इसके सदस्य हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—अर्जेंटिना, बोलिविया, ब्राजिल, चीली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडर, इलसालवेडर, गुआटेमाला, हैटी, होण्डुरास, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पारागुए, पेरू, संयुक्तराज्य अमेरिका, उरुगुए और वेनेजुएला। इस संस्था के कार्य इसके विभिन्न अंगों द्वारा सम्पादित होते हैं। ये अंग हैं—१. अन्तःअमेरिकी सम्मेलन, २. परराष्ट्रमंत्रियों का परामर्श-सम्मेलन, ३. कौंसिल, ४. अखिल अमेरिकी संघ, ५. विशेष सम्मेलन और ६. विभिन्नविषयक संगठन। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है। इसके प्रधान मन्त्री उरुगुए के जोसे ए० मोरा हैं।

## राओ-संधि

अगस्त, सन् १६४७ ई० में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के कुल २१ स्वतन्त्र राष्ट्रों ने राओ-डि-जेनीरो नामक स्थान में एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे राओ-सन्धि कहते हैं। इस सन्धि के अनुसार इन राष्ट्रों में से किसी एक राष्ट्र पर भी आक्रमण होने पर शेष सभी राष्ट्रों को अधिकार हो जाता है कि आह्वान किये जाने पर वे उसकी रक्षा करें।

## संयुक्तराज्य अन्तरराष्ट्रीय सहयोग-प्रशासन

संयुक्तराज्य अन्तरराष्ट्रीय सहयोग-प्रशासन ( युनाइटेड स्टेट्स इण्टरनेशनल को-ऑपरेशन ऐडमिनिस्ट्रेशन : I. C. A. ) नामक संयुक्तराज्य अमेरिका की यह संस्था परराष्ट्र-सम्बन्धी आर्थिक और प्राविधिक साहाय्य-कार्यक्रम की व्यवस्था करती है। पहले इस काम को अमेरिका की तीन संस्थाएँ करती थीं। उन सबको बन्द कर यह संस्था स्वराष्ट्र-विभाग के अन्तर्गत एक अर्द्ध-स्वतन्त्र संस्था के रूप में स्थापित की गई। द्वितीय महासमर के समय से सन् १६५७ ई० के आर्थिक वर्ष तक अमेरिका ने ६० विभिन्न देशों को इसके द्वारा आर्थिक सहायता पहुंचाई है। इस संस्था के डायरेक्टर जेम्स डब्ल्यू० रिड्लवर्गर हैं।

## विश्व-चर्च-परिषद्

विश्व-चर्च-परिषद् ( वर्ल्ड कौंसिल ऑफ् चर्चेज ) का बाजाप्ता संगठन २३ अगस्त, सन् १६४८ ई० को एम्सटरडम ( नेदरलैंड )-सम्मेलन में किया गया, जिसमें ४४ देशों के १४७ चर्चों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। दूसरा सम्मेलन सन् १६५४ ई० के अगस्त में इवान्सटॉव (अमेरिका) में हुआ। इस सम्मेलन में १६३ सदस्य-चर्चों के प्रतिनिधि आये थे। अप्रैल, सन् सन् १६५६ ई० तक सदस्य-चर्चों की संख्या १६७ हुई। इसका तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली में नवम्बर-दिसबर, १६६१ ई० में हुआ। इसके कार्यों की देखरेख के लिए एक पंचक ( प्रेजिडियम ) तथा एक केन्द्रीय समिति है। परिषद् का प्रधान कार्यालय १७, रोटे-डी मेलेगनोड, जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में है। इसके प्रधान मन्त्री हैं—डॉ॰ डब्ल्यू० ए० विसर्ट हूफ्ट। परिषद् का कार्य कई भागों में विभक्त है।

सर्वप्रथम ईसाई मिशनों का एक विश्व-सम्मेलन विदेशों में होनेवाले मिशनरियों के कार्यों में सहयोग स्थापित करने के लिए सन् १६१० ई० में एडिनवरा (ग्रेट-ब्रिटेन) में हुआ था। सन् १६२१ ई० में एक इण्टरनेशनल मिशनरी कौंसिल बनी। इस कौंसिल ने सन् १६२८ ई० में जेरूसेलम में, सन् १६३८-३६ ई० में ताम्बरम ( मद्रास ) में, सन् १६५२ ई० में विलिंगेन ( जर्मनी ) में तथा सन १६५७-५८ ई० में घाना ( अफ्रिका ) में सम्मेलन बुलाये। ईसाई धर्म-सम्बन्धी विश्वासों और व्यवस्थाओं पर विचार करने के लिए सन् १६२७ ई०, १६३७ ई० और १६५२ ई० में विश्व-सम्मेलन किये गये। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से सम्बन्ध रखने-वाले प्रश्नों पर विचार करने के लिए सन् १६२५ ई० ( स्टॉकहॉम) और १६३७ ई० ( ऑक्सफोर्ड ) में सम्मेलन बुलाये गये। विश्व-चर्च-परिषद् की रूपरेखा तैयार करने के लिए सन् १६३८ ई० में ही एक समिति बनाई गई थी। इसी की रूपरेखा के आधार पर सन् १६४८ ई० में विश्व-चर्च-परिषद् नामक स्थायी संस्था की स्थापना हुई।

## यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार-पर्षद्

सन् १९५८ ई० में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ( यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ) से बाहर के ११ राष्ट्रों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय से संयुक्त कर यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार-क्षेत्र के निर्माण का प्रयास किया था, जो विफल रहा। फलस्वरूप २० नवम्बर, १९५९ को स्टॉकहॉम में एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर कर यूरोप के सात राष्ट्रों ने यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार-पर्षद् ( यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन : E. F. T. A. ) को जन्म दिया। वे सात राष्ट्र थे—ब्रिटेन, आस्ट्रिया, डेनमार्क, नारवे, पुर्त्तगाल, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। २७ मार्च, १९६१ ई० को फिनलैंड भी इसमें सम्मिलित हुआ। इसका उद्देश्य सदस्य-राष्ट्रों के बीच होनेवाले व्यापार की कठिनाइयों को दूर कर विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादनों पर लगनेवाले आन्तरिक करों में क्रमशः कमी करना तथा उन्हें उठाना है। इसके योजनानुसार सन् १९७० ई० तक सभी आयात-कर तथा वाणिज्य-प्रशुल्क उठाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके कार्य-संचालन के लिए इसकी एक मंत्रिपरिषद् है। यह पर्षद् समस्त पश्चिमी यूरोप को एक ही आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत लाना चाहती है। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा ( स्विट्ज़रलैंड ) में है। इसके वर्त्तमान महामंत्री ग्रेट-ब्रिटेन के एफ० ई० फिगुरस हैं।

## अण्टार्कटिक (दक्षिणी ध्रुव-प्रदेश)-सन्धि

सन् १९५७-५८ ई० के अन्तरराष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष में संसार के जिन १२ प्रमुख राष्ट्रों ने अण्टार्कटिक महादेश-सम्बन्धी अन्वेषण-कार्यक्रम में भाग लिया था, उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन १५ अक्टूबर, १९५९ ई० से वाशिंगटन में प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य अण्टार्कटिक महादेश को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने के लिए विचार-विमर्श कर एक सन्धि करना था। उक्त सम्मेलन में सम्मिलित होनेवाले राष्ट्र थे—ग्रेट-ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, अस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेण्टाइना, चिली, बेलजियम, जापान और नारवे। इन १२ राष्ट्रों ने सात सप्ताह तक विचार-विमर्श करने के बाद १ दिसम्बर, १९५९ ई० को एक सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किये। सन्धि के शर्त्तों के अनुसार निर्णय किया गया कि अण्टार्कटिक महादेश का उपयोग सदा शान्तिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए किया जाय। महादेश के ५० लाख वर्ग-मील के क्षेत्र में सैनिक शस्त्रास्त्रों, आणविक विस्फोट एवं तेजष्क्रिय पदार्थों के क्षेपण पर रोक लगाई गई। यह भी निश्चय किया गया कि किसी भी राष्ट्र द्वारा उसके वर्त्तमान क्षेत्रीय अधिकार में वृद्धि नहीं की जा सकती। सभी हस्ताक्षरी राष्ट्रों को महादेश के समस्त क्षेत्र में अपने पर्यवेक्षक भेजने की स्वतंत्रता रहेगी तथा वायवी निरीक्षण-पर्यवेक्षण-कार्य किसी भी समय किया जा सकेगा। यह सन्धि ६०° द० अक्षांश से दक्षिण के क्षेत्रों पर ही लागू होगी। सन्धि की शर्त्तों से सम्बद्ध किसी भी प्रकार का विवाद उपस्थित होने पर इसमें सम्मिलित राष्ट्र आपस में विचार-विमर्श कर उसका निपटारा करेंगे। उपर्युक्त १२ राष्ट्रों की सहमति से संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी भी सदस्य-राष्ट्र को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। ३० वर्षों के बाद कोई भी सदस्य-राष्ट्र एक सम्मेलन बुलाकर बहुमत द्वारा सन्धि की शर्त्तों में परिवर्त्तन ला सकेगा।

## यूरोपीय समुदाय

पश्चिमी यूरोप के छह राष्ट्रों—बेलजियम, फ्रांस, फेडरल जर्मनी, लक्जेम्बर्ग, इटली और नेदरलैंड—ने अपने देशों की प्रगतिशील आर्थिक अखंडता कायम करने के उद्देश्य से तीन समुदायों की स्थापना की है तथा इन्हें अपनी बृहत्तर राजनीतिक एकता का साधन बनाया है। ये तीन समुदाय हैं—(१) यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय, (२) यूरोपीय आर्थिक समुदाय और (३) यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदाय। इन तीनों समुदायों की दो सम्मिलित संस्थाएँ—(१) यूरोपीय पार्लियामेंट और (२) न्यायाधिकरण (कोर्ट ऑफ जस्टिस)।

यूरोपीय पार्लियामेंट में उपर्युक्त छह देशों से १४२ सदस्य लिये जाते हैं। यह उक्त तीन समुदायों के वार्षिक आय-व्ययक तथा अन्य विषयों पर प्रतिवर्ष इससे परामर्श किया जाता है। इसकी बैठकें स्ट्रॉसवर्ग ( अस्ट्रिया ) में वर्ष में कई बार होती हैं। इसके वर्त्तमान अध्यक्ष जर्मनी के हैन्स फरलर हैं। इसका कार्यालय लक्जेम्बर्ग में है।

न्यायाधिकरण के सात न्यायाधीश होते हैं, जिनका काम तीनों समुदाय-सम्बन्धी सन्धियों को लागू करने विषयक विवादों को सुलझाना है। इसके वर्त्तमान अध्यक्ष नेदरलैंड ए० एम० डीनर हैं।

## अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक-संघवाद

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करनेवाले श्रमिक-संघों में तीन संघ प्रमुख हैं। जिन के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं—

१. स्वतंत्र श्रमिक-संघों का अन्तरराष्ट्रीय प्रसंधान ( इण्टरनेशनल कनफेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन्स : I. C. F. T. U)—गणतांत्रिक देशों का यह प्रसंधान सन् १६१३ ई० में संगठित हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन सन् १६४६ ई० के दिसम्बर माह में लन्दन में हुआ था। इसका अधिवेशन प्रति तीन वर्ष पर हुआ करता है। सन् १६६० ई० में १०३ देशों के अन्तर्गत इसके ५ करोड़ ७० लाख सदस्य थे। इसके क्षेत्रीय संगठन यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रिका में हैं। एशिया क्षेत्र का प्रधान कार्यलय ब्रुसेल्स (बेलजियम) में है।

२. श्रमिक-संघों का विश्व-संघ ( वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन : W. F. T. U. )—विश्व के ५० साम्यवादी और असाम्यवादी देशों के श्रमिक-संघों को मिलाकर इस विश्व-संघ की स्थापना ३ अक्टूबर, १६४५ ई० को हुई थी। जर्मनी और जापान जैसे प्रमुख देश इसमें सम्मिलित नहीं थे। जब इसपर पूर्ण साम्यवादी नियंत्रण हो गया, तब जनवरी, १६४१ ई० में ग्रेट-ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका और नेदरलैंड के सभी श्रमिक-संघ इससे अलग हो गये। जून, १६५१ ई० तक सभी असाम्यवादी देशों ने इससे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। युगोस्लाविया भी इससे अलग हो गया। इसका अधिवेशन हर चौथे वर्ष हुआ करता है। सन् १६५७ ई० में इसके सदस्यों की संख्या १ करोड़ २० लाख थी। इसका प्रधान कार्यालय प्राग (चेकोस्लोवाकिया) में है।

३. ईसाई श्रमिक-संघों का अन्तरराष्ट्रीय संघ (इण्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्रिश्चियन ट्रेड यूनियन्स : I. F. C. T. U.)—इसकी स्थापना सन् १६२० ई० में हुई थी। सन् १६५८ ई० के अन्त में २३ देशों के अन्तर्गत इसके ५० लाख सदस्य थे। यूरोप, लैटिन अमेरिका और

अफ्रिका में इसके क्षेत्रीय संगठन हैं। अधिवेशन हर तीसरे वर्ष हुआ करता है। इसका प्रधान कार्यालय ब्रूसेल्स ( बेलजियम ) में है।

उपर्युक्त अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक संघों के अतिरिक्त विभिन्न उद्योग-धंधों के भी अपने-अपने श्रमिक-संघ हैं।

## तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन

१ सितम्बर, १९६१ ई० को युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संसार के २४ तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन आरम्भ हुआ। सन् १९५५ ई० के अप्रैल में बांडुंग में जो ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, उसके बाद यह दूसरा सम्मेलन था। बांडुंग-सम्मेलन में केवल एशिया और अफ्रिका के राष्ट्रों ने भाग लिया था। किन्तु, बेलग्रेड के तटस्थ राष्ट्र-सम्मेलन में सारे संसार के तटस्थ राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। भारत का अंश-दान इस सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण था। प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने केवल भारत के प्रतिनिधि के रूप में ही नहीं; बल्कि एक विश्वशान्ति का भी महान् नेता के रूप में तटस्थ राष्ट्र-सम्मेलन की कार्य-प्रणाली का निर्देशन किया। उन्होंने कहा कि युद्ध और शान्ति का प्रश्न ही सम्मेलन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। सम्मेलन के सामने मुख्य विचारणीय विषय थे—(१) अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार-विनिमय, (२) अन्तरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना और दृढीकरण; (३) आर्थिक उन्नयन और अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगिता में वृद्धि। सम्मेलन में निरपेक्ष राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव इस आशय का पारित किया कि विश्व-उत्तेजना की शान्ति एवं विश्व में स्थायी शान्ति-स्थापना के हेतु वे वर्त्तमान जगत् के दो महान् राष्ट्रनायक श्रीख्रुश्चेव और श्रीकेनेडी से आवेदन करते हैं। आवेदन-पत्र रूस और अमेरिका के राजदूतों द्वारा भेजे जाने का निश्चय किया गया। यह भी निश्चय हुआ कि एकाधिक तटस्थ राष्ट्रों के कर्णधार इस कार्य के लिए मास्को और वाशिंगटन की यात्रा करेंगे।

## लागोस-सम्मेलन

पश्चिमी अफ्रिका के गिनी उपसागर के तट पर अवस्थित नाइजेरिया देश के एक शहर लागोस में जनवरी, १९६२ ई० के अन्तिम सप्ताह में अफ्रिका के २० राज्यों का एक प्रतिनिधि-सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जो सब राज्य सम्मिलित हुए थे, उनकी आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से एक सनद स्वीकृत की गई। इसके निम्नलिखित सिद्धान्त उल्लेखनीय हैं—

(१) सम्मेलन में योगदान करनेवाले देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक बंधन दृढ़ करने की चेष्टा की जायगी, जिससे भविष्य में सारे अफ्रिका में एक अखण्ड आर्थिक व्यवस्था का गठन हो सके और विभिन्न राज्यों के अधिवासियों के बीच सामाजिक सम्पर्क स्थापित हो।

(२) अफ्रिका के विभिन्न राज्यों के राजनीतिक क्रिया-कलाप के बीच समन्वय-साधन। इसके फलस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से अफ्रिका की आर्थिक उन्नति होगी।

(३) योगदान करनेवाले देशों में उन्नततर शिक्षा-प्रणाली प्रवर्त्तित करना। इसके फलस्वरूप अनुन्नत अफ्रिका की आर्थिक सम्पद् के व्यवहार के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था की उन्नति होने से सुविधा होगी।

(४) विभिन्न देशों की स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यवस्था में परस्पर सहयोगिता।

सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि योगदान करनेवाले देशों की आर्थिक सहयोगिता के उद्देश्य से एक संस्था गठित की जाय। विभिन्न देशों के बीच जो वाणिज्यिक प्रतिबंध हैं, उन्हें दूर करने की चेष्टा की जाय। यूरोप में जिस प्रकार एक साझे का बाजार कायम किया गया है, उसी प्रकार एक साधारण-प्रशुल्क-इलाका कायम किया जाय। सदस्य देश एक ही दर पर वहिःशुल्क का प्रवर्त्तन करके एक साझे का बाजार गठित करने के मार्ग में अग्रसर होंगे।

सम्मिलित होनेवाले देश नाइजेरिया, इथोपिया, गैम्बिया, सियरालियोन, अलजीरिया, ट्युनिसिया, अंगोला, केनिया, टैंगनिका; सोमाली, कांगो, उगांडा, सूडान, कैमरून, टोगोलैण्ड, लीबिया, मडागास्कर, रोडेसिया, लाइबेरिया और दक्षिण अफ्रिका थे।

# विश्व की वैज्ञानिक प्रगति

## कुछ प्रमुख अन्तरिक्ष-भ्रमण

इस युग का सबसे अधिक विस्मयकारी वैज्ञानिक कार्य ग्रह-उपग्रहों में राकेटों का भेजा जाना और कृत्रिम ग्रह-उपग्रह तैयार करना है। इस कार्य में रूस और अमेरिका सबसे अग्रगण्य हैं। कुछ दूसरे राष्ट्र भी इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। कालक्रमानुसार इस कार्य में कैसी प्रगति हुई, उसे नीचे दिया जा रहा है—

४ अक्टूबर, १९५७ ई० को सर्वप्रथम रूस ने स्पुटनिक प्रथम नामक राकेट को अन्तरिक्ष में भेजा, जो वजन में १८४ पौंड था और ५६० मील की ऊँचाई तक उड़ सका था। तीन महीने के बाद वह नष्ट हो गया।

३ नवम्बर, १९५७ ई० को रूस ने स्पुटनिक द्वितीय नामक राकेट को छोड़ा, जो तौल में १,१२० पौंड था और जिसपर एक कुत्ता भी सवार था। यह १,०५६ मील की ऊँचाई तक उड़ा और पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ साढ़े चार मास के बाद नष्ट हो गया।

३० जून, १९५८ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने एक्सप्लोरर प्रथम नामक राकेट शून्य में प्रेषित किया, जो करीब ३१ पौंड भारी था। यह १५,८७ मील तक ऊपर गया।

१७ मार्च, १९५८ ई० को सं० रा० अमेरिका ने वानगार्ड, प्रथम नामक राकेट को आकाश में भेजा। यह ३¼ पौंड का था और २,४६६ मील तक ऊपर गया। कहते हैं, यह अब भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और कई सौ वर्षों तक करता रहेगा।

२६ मार्च, १९५८ ई० को सं० रा० अमेरिका ने एक्सप्लोरर तृतीय को शून्य में भेजा। यह ३१ पौंड का था और १,७४१ मील तक ऊपर गया। तीन मास के बाद यह नष्ट हो गया।

१५ मई, १९५८ ई० को रूस ने स्पुटनिक तृतीय को ऊपर भेजा, जो २,९२५¾ पौंड भारी था। यह १,१६८ मील ऊपर जाकर पृथ्वी की १०,०३७ मील परिक्रमा कर चुकने पर ६ अप्रैल, १९६० ई० को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जल गया।

२६ जुलाई, १९५९ ई० को सं० रा० अमेरिका ने एक्सप्लोरर चतुर्थ को उड़ाया। यह ३८ पौंड भारी था और १,८१० मील ऊपर उड़ा। इससे कुछ वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने की आशा थी।

११ अक्टूबर, १९५८ ई० को सं० रा० अमेरिका ने चन्द्रमा तक पहुँचने या उसकी परिक्रमा करने के लिए पायोनियर प्रथम को उड़ाया। वह ७१,३०० मील ऊपर गया और वहाँ से गिरकर चूर-चूर हो गया।

८ नवम्बर, १९५८ ई० को फिर चन्द्रमा तक पहुंचने के लिए सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर द्वितीय को भेजा। यह ७,५०० मील ऊपर जाने पर टूटकर गिर पड़ा।

६ दिसम्बर, १९५८ ई० को फिर सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर तृतीय चन्द्रमा के पास रवाना किया। वह ६६,६५४ मील ऊपर पहुँचकर गिर पड़ा।

१८ दिसम्बर, १९५८ ई० को सं० रा० अमेरिका ने एटलस प्रथम को, जो ८७,०० पौंड भारी था, आकाश में भेजा। वह ९२८ मील ऊपर जाकर ही गिर पड़ा।

२ जनवरी, १९५९ ई० को रूस ने लुनिक नामक राकेट उड़ाया, जो ३,२४५ पौंड भारी था। सूर्य का यह १०वाँ ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच की कक्षा में १५ महीने में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए भेजा गया है और वह अपनी परिक्रमा में निरत है।

१७ फरवरी, १९५९ ई० को सं० रा० अमेरिका ने वानगार्ड द्वितीय को शून्य में प्रेषित किया। यह २,०५० मील की ऊँचाई पर गया।

२८ फरवरी, १९५९ ई० को सं रा० अमेरिका ने डिसकवरर प्रथम को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की परिक्रमा करने के लिए भेजा। यह ४० पौंड भारी था और इसका जीवन-काल केवल दो सप्ताह था।

३ मार्च, १९५९ ई० को सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर चतुर्थ को अन्तरिक्ष में भेजा। यह चन्द्रमा से ३७,००० मील ऊपर चला गया और १३ महीने में पृथ्वी और मंगल की कक्षा के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहा है।

१२ सितम्बर, १९५९ ई० को रूस ने चन्द्रमा पर एक राकेट भेजा, जो वहां पहुँचकर रुक गया। रूस के प्रधान मंत्री ख़ुश्चेव के अमेरिका जाने के एक दिन पूर्व की यह घटना थी।

११ मार्च, १९६० ई० को सं० रा० अमेरिका ने ९० पौंड वजन का एक छोटा-सा ग्रह शुक्र के पास भेजा, पर वह शुक्र पर न जाकर पृथ्वी और शुक्र की मध्यवर्त्ती कक्षा से सूर्य की परिक्रमा करने लगा। यह ग्रह पृथ्वी से प्रति सेकेंड ७ मील की गति से उड़ा और ३११ दिन में सूर्य की परिक्रमा की।

२१ अगस्त, १९६० ई० को सोवियत रूस ने महाशून्य में जो राकेट को कुत्ते एवं कई अन्य प्राणियों और पौधों को लेकर भेजा था, वह धरती की सतह से २०० मील ऊँचा अपने कक्ष पर १८ बार पृथ्वी की परिक्रमा निर्विघ्न समाप्त कर फिर धरती पर लौट आया।

१२ फरवरी, १९६१ ई० को रूस ने एक राकेट, जिसका नाम ग्रहान्तरीय स्टेशन है, शुक्र ग्रह की दिशा में प्रक्षिप्त किया। ग्रहान्तर अन्तरिक्ष पर विजय प्राप्त करने में मनुष्य की सफलता

की यह एक नई मंजिल है। इस राकेट का वजन ६४३'५ किलोग्राम (लगभग १,४२० पाउण्ड) था।

१२ अप्रैल, १९६१ ई० को सोवियत रूस ने सर्वप्रथम एक मानव को अन्तरिक्ष में भेजा और उसे सकुशल पृथ्वी पर उतार लिया। अन्तरिक्ष में जानेवाले व्यक्ति का नाम यूरी अलेक्सेयेविच गेगारिन है। वह साढ़े चार टन सुपर वजन के राकेट में अन्तरिक्ष में १०८ मिनट तक रहा। वह पूर्व-निर्धारित क्षेत्र में मास्को-समय के अनुसार पूर्वाह्ण में १० बजकर ५५ मिनट पर, लंदन समय के अनुसार ७ बजकर ५५ मिनट पर उतर गया।

५ मई, १९६१ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने एलन बी० शेपर्ड नामक अपने उड़ाकू को फ्लोरिडा के पूर्वी तट से अन्तरिक्ष में ११५ मील ऊपर भेजा। इसका २००० पौ० अन्तरिक्ष-यान राकेट से अलग होने के पूर्व प्रति घंटा ३१०० मील की गति से उड़ा। १६½ मिनट की उड़ान के बाद वह उड़ने के स्थान से ३०२ मील दूर धीरे-धीरे अतलान्तिक समुद्र में उतरा। अन्तरिक्ष-यान के उड़ने का दृश्य देश-विदेश के लगभग ६०० पत्रकार देख रहे थे।

१४ जुलाई, १९६१ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने अपने दूसरे अन्तरिक्ष-उड़ाकू को अन्तरिक्ष में भेजा, जिसका नाम वर्जिल ग्रेसम था। वह वहाँ के पहले के उड़ाकू शेपर्ड की भाँति ही १६ मिनट तक ११८ मील की ऊँचाई पर ३०३ मील दूर गया। उसका यान समुद्र में गिरकर नष्ट हो गया, पर वह किसी प्रकार बचा लिया गया।

६ अगस्त, १९६१ ई० को रूस ने अपने वोस्टोक द्वितीय नाम के अन्तरिक्ष-यान में २६ वर्षीय मेजर थेरमैन टिटोव नामक द्वितीय उड़ाकू अन्तरिक्ष में भेजा। उसका यान २५ घंटे तक पृथ्वी की १७ बार परिक्रमा कर मास्को से ४०० मील की दूरी पर सैरेटोव नामक स्थान पर उतरा। पृथ्वी की सात बार परिक्रमा करके ४,३५,००० मील की यात्रा कर चुकने पर उस उड़ाकू ने यान पर नियन्त्रण रखकर अपनी इच्छा के अनुसार उसका संचालन किया। उसे दस दिन तक की यात्रा के लिए सामान दिये गये थे। उसने बताया कि मार्ग में उसकी भूख साधारण नहीं रही। उसने तीन बार भोजन किया, पर प्रथम दो बार के भोजन उसे आनन्ददायक नहीं मालूम पड़े। उसने कहा कि उसे पृथ्वी पर लौटने की आकुलता थी, पर साथ ही उसे अन्तरिक्ष का आनन्द भी मिल रहा था। उसे पृथ्वी गोल मालूम पड़ती थी और क्षितिज पर नील प्रभामंडल अवर्णनीय रूप से सुन्दर नजर आ रहा था। यान स्थिर-सा जान पड़ता था और चन्द्रमा प्रवहमान-सा। तारे अधिक चमकीले जान पड़ते थे। उसे रास्ते में बेचैनी या मूर्च्छा-सी मालूम पड़ी, पर ८ घंटे की निद्रा के बाद वह बेचैनी दूर हुई। आजमाइश के लिए वह उड़ाकू पाराशूट से नीचे उतरा और उसका यान भी सुरक्षित रूप से पास ही नीचे आया। उड़ाकू के नीचे उतरने पर डाक्टर ने उसके शारीरिक या मानसिक दशा में कोई परिवर्त्तन नहीं पाया।

८ फरवरी, १९६२ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने केनेवेरल अन्तरीप, फ्लोरिडा से टिरोज चतुर्थ नामक एक नये उपग्रह को मौसम की जाँच करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने को भेजा। यह संयुक्तराज्य अमेरिका का ६६वाँ और १९६२ ई० का उसका दूसरा उपग्रह था।

२० फरवरी, १९६२ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने ४० वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल जोन एच० ग्लेन को केनेवेरल अन्तरीप से अन्तरिक्ष में भेजा। वह चार घंटा ५० मिनट में पृथ्वी

की तीन बार परिक्रमा कर अतलान्तिक समुद्र पर उतरा। पृथ्वी की परिक्रमा करनेवाला यह संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला अन्तरिक्ष-यान था।

१६ मार्च, १९६२ ई० को ३ बजे दिन में सोवियत रूस ने पृथ्वी के चारों ओर के वायुमण्डल की ऊपरी सतह की स्थिति का अध्ययन जारी रखने के लिए पहला स्पुटनिक अन्तरिक्ष में भेजा। इस स्पुटनिक पर कोई मनुष्य नहीं था।

६ अप्रैल, १९६२ ई० को रूस ने पृथ्वी के चारों ओर के वायुमण्डल की ऊपरी सतह की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कौसमौस-२ नामक एक दूसरा स्पुटनिक भी अन्तरिक्ष में भेजा। यह स्पुटनिक १०२'५ मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ १३३ मील से ६७५ मील की ऊँचाई तक भ्रमण करता रहा। अन्तरिक्ष की स्थिति के अध्ययन के लिए भी स्पुटनिक में यन्त्र लगाये गये थे। इसके अतरिक्त अनेक चैनेलवाले रेडियो टेलिमिट्रिक प्रणाली और रेडियो तकनीकी प्रणाली भी उनमें बैठाई गई थी। इस स्पुटनिक में भी किसी मनुष्य के होने की चर्चा नहीं है।

२६ अप्रैल, १९६२ ई० को अमरिका का रेंजर चतुर्थ नामक अन्तरिक्ष-यान चन्द्रमा की दूसरी ओर टकराकर चूर हो गया। अमेरिका द्वारा निक्षेपित ६ अन्तरिक्ष-यानों में यह प्रथम अन्तरिक्ष यान है, जो चन्द्रलोक तक पहुँचा है। यह यान प्रति घंटा ५,९६३ मील की चाल से चला था।

## महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान

डॉ० एलेन आर सैण्डेज ने कैलिफोर्निया के पालोमर पर्वत पर स्थित २०६ इंच व्यासवाले दूरवीक्षण-यंत्र का प्रयोग करके एक ऐसे नक्षत्र-पुंज की खोज की है, जो नक्षत्रों की आयु के सम्बन्ध में आधुनिक सिद्धान्तों के अनुसार २४ अरब वर्ष प्राचीन प्रतीत होता है।

इसी दूरवीक्षण-यंत्र की सहायता से डॉ० रुडोल्फ मिन्कीवसी ने पृथ्वी से ६ अरब प्रकाश-वर्ष दूर-स्थित एक नक्षत्रावली का चित्र खींचा। इसके पूर्व केवल ३ अरब प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित अन्तरिक्षीय पिण्ड का चित्र ही लिया जा सका था।

मिशिगन-विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्रियों ने वलयावृत्त-ग्रह शनि का रेडियो दूरवीक्षण-यंत्र द्वारा पर्यवेक्षण किये जाने की सूचना दी। इससे इस खोज की पुष्टि हुई है कि शनि ग्रह के वातावरण का तापमान २८३ अंश फारेनहाइट है।

स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सूर्य के प्रभा-मण्डल के साथ राडर-सम्पर्क स्थापित किया। रसायन-विज्ञान के क्षेत्र में हार्वर्ड-विश्वविद्यालय के डॉ० आर० बी० वुडवर्ड ने पूर्ण रूप से मानव-निर्मित प्रथम क्लोरोफिल के तैयार होने की घोषणा की। इस हरे रसायन की सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और वायु को आत्मसात् करके शर्करा उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं।

पिट्सबर्ग-विश्वविद्यालय के एक अन्य रसायनशास्त्री डॉ० पैर्नाटांटिस काटसोयानिस्न तथा उनके जापानी सहयोगी डॉ० के० टी० सुजुकी ने इन्सुलिन के सूक्ष्माणु के दो तिहाई अंश का कृत्रिम रूप से निर्माण करने की घोषणा की। इन्सुलिन के अभाव के कारण ही शरीर के भीतर रक्त और चीनी के अनुपात में असन्तुलन उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप मधुमेह का रोग उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों ने उस प्रक्रिया के प्रथम वैज्ञानिक तालिका-परीक्षण की सूचना दी, जिसके द्वारा कीटाणु

हवा के नाइट्रोजन को परिवर्तित करके उसे ऐसा बना देते हैं कि उसका उपयोग पौधों के विकास में हो सकता है।

कोलंबिया-विश्वविद्यालय के भू-गर्भशास्त्रियों ने दक्षिणी अफ्रिका के छोर के दक्षिण में महासागर के तल-प्रदेश में एक ऐसी दरार की खोज की, जो इसी प्रकार की उन दरारों से सम्बद्ध है, जो अटलांटिक, हिन्द और प्रशान्त महासागरों के तल में स्थित हैं। खोज से इस सिद्धान्त की सम्पुष्टि हुई कि ये सभी दरारें एक ही दरार के अंग हैं, जो सागर के तल में ४५,००० मील लम्बी है।

स्क्रिप्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ओसनोग्राफी के डॉ० विक्टर ने यह खोज की कि सम्भवतः कई लाख वर्ष पूर्व कैलिफोर्निया से दूर-स्थित महासागर का धरातल एक भूकम्पीय दरार के साथ-साथ फिसलकर ६०० मील दूर हट गया। इस दरार के उत्तर में धरातल पश्चिम की ओर मुड़ गया, जबकि इसका दक्षिणी भाग पूर्व दिशा की ओर मुड़ा।

डॉ० मौरिस इविंग के निर्देशन के अन्तर्गत कोलंबिया-विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टोली ने आस्ट्रेलिया के दक्षिण सुदूर महासागर में पानी के भीतर एक विस्फोटक धमाका उत्पन्न किया। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न ध्वनि पानी के नीचे प्रवाहित एक जलधारा के साथ-साथ अफ्रिका का चक्कर लगाती हुई अटलाण्टिक महासागर तक गई। धमाके से उत्पन्न ध्वनि विस्फोट-स्थल से १२ हजार मील दूर-स्थित बरमूदा में सुनी गई।

ब्रुकहेवेन राष्ट्रीय प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एक नवीन अणुभंजक-यंत्र द्वारा प्रोटोन-कणों को आघात पहुँचाकर ३०,००,००,००,००० इलेक्ट्रोन वोल्ट की शक्ति उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। यह यंत्र संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली अणुभंजक-यंत्र है।

ब्रिटेन की रॉयल एरो-नॉटिकल सोसाइटी की एक घोषणा में कहा गया है कि इतिहास में पहली बार मनुष्य ने अपनी ताकत से डेढ़ मील की उड़ान भरी है। पफिन नामक एक यंत्र की सहायता से प्रति घंटे साढ़े उन्नीस मील की रफ्तार से वह उड़ता रहा। १३ सदस्य-देशों के पर्यवेक्षक इस उड़ान को देखने के लिए वहाँ उपस्थित थे। उक्त यंत्र का संचालन पैर की शक्ति से होता है।

हाल में संयुक्तराज्य अमेरिका के डॉ० विलियम आर० बरटेलसेन ने एक ऐसी गाड़ी का निर्माण किया है, जो धरती से एक फुट की ऊँचाई पर प्रति घंटा ६० मील की गति से चलती है। इसमें दो इंजन लगे होते हैं। एक इंजन गाड़ी को पृथ्वी-तल से ऊपर उठाता है तथा दूसरा इसे आगे बढ़ाता है। यह गाड़ी वायु की गद्दी (एयर-कुशन) पर चलती है, अतः इसे 'वायु-चालित गाड़ी' नाम दिया गया है। यह गाड़ी जल की सतह पर भी सफलतापूर्वक चल सकती है।

अमेरिकी मेरिटाइम ऐडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा जहाज बनाने की योजना बनाई है, जो १०० नॉट की गति से अपने तल और जल की सतह के बीच उत्पन्न हवा की गद्दी पर फिसलता हुआ चलेगा।

अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कैमरे का निर्माण किया, जिससे दिन के समय में भी ग्रहों एवं उप-ग्रहों के चित्र लिये जा सकते हैं। यह पाँच इंच व्यासवाले उन्नीस टेलिस्कोपों द्वारा ऐसा करने में समर्थ है।

अमेरिका के वैज्ञानिक श्रीहरोल्ड पी० ओवेनकर्क ने कृत्रिम हीरा बनाने की एक उन्नत विधि ढूँढ़ निकाली। इस विधि द्वारा बनाये गये हीरे किस्म और घनत्व में बिलकुल असली प्रतीत होते हैं।

इस विधि के अन्तर्गत कार्बन के हीरा-विहीन पदार्थों, जैसे ग्रेफाइट तथा विभिन्न धात्विक घोलों के तत्त्वों को एक-दूसरे पर एक विशेष प्रकार के प्रतिक्रिया-कक्ष में रखा जाता है। उसके बाद उनपर तीव्र दबाव और ताप का प्रयोग किया जाता है। फलस्वरूप कार्बन हीरे में परिणत हो जाता है।

सुपरसोनिक—शब्द की गति से भी जिसकी गति द्रुत होती है, उसे 'सुपरसोनिक' कहते हैं। इस प्रकार के वेगवाले लड़ाकू विमान को 'सुपरसोनिक फाइटर' कहा जाता है। भारत में भी यह विमान निर्मित हुआ है। संसार के पाँच ही देश अबतक इस प्रकार के विमान निर्मित कर सके थे। अब भारत छठा देश हुआ। एशिया में सर्वप्रथम भारत ही यह विमान निर्मित कर सका है। यह विमान भारतीय वायुसेना का अंग होगा। इसका नामकरण हुआ है एच-एफ २४। यह बंगलोर के कारखाने में एक जर्मन इंजीनियर की देख-रेख में यह निर्मित हुआ है। सुपरसोनिक विमान प्रति घंटा ७२० मील से अधिक उड़ सकता है।

आणविक अस्त्र-परीक्षण—सन् १९४५ ई० के ६ अगस्त को अणु-बम के विस्फोट द्वारा जापान के दो-बड़े नगर हिरोशिमा और नागासाकी धराशायी हो गये और धन-जन की भीषण क्षति हुई। उस समय से ही अणुबम के प्रयोग को निषिद्ध करने और इसकी विपत्ति से बचने के लिए संसार के सभी देशों के शान्तिकामी व्यक्ति चेष्टा कर रहे हैं। कहा जाता है कि जापान के उक्त दोनों नगरों पर १७ वर्ष पूर्व जो अणु बम बरसाया गया, उसकी प्रतिक्रिया आज भी चल रही है और बहुत-से जापानी स्त्री-पुरुष कठिन रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। अमेरिका और रूस आणविक अस्त्रों का संचय कर रहे हैं। आठ वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री नेहरू ने प्रस्ताव किया था कि मानव-जाति के स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर शान्ति-काल में अणु-शस्त्रों की विस्फारण-परीक्षा बंद रखी जाय। सन् १९५४ से १९५८ ई० तक इस प्रस्ताव को लेकर वाद-विवाद चलता रहा। इसके बाद आणविक अस्त्र-विस्फारण परीक्षा निषिद्ध करने के उद्देश्य से जेनेवा में बैठक शुरू हुई। सन् १९५८ ई० के अन्तिम काल से लेकर सन् १९६१ ई० के मध्य तक दोनों पक्षों की ओर से आणविक अस्त्रों की विस्फारण-परीक्षा बंद रही, किन्तु फ्रांस की ओर से सहारा मरुभूमि में आणविक अस्त्र की विस्फारण-परीक्षा कई बार की गई।

जेनेवा की बैठक में आणविक अस्त्र-विस्फारण के प्रश्न को लेकर इतने दिनों तक वाद-विवाद चलते रहने पर भी कोई निर्णय नहीं हो सका। कोई पक्ष गुप्त रूप से आणविक अस्त्र-परीक्षा जारी नहीं रखे, इसलिए एक-एक नियंत्रण-आयोग गठित करने की आवश्यकता समझी गई। किन्तु इस आयोग का गठन किस रूप में होगा और उसकी अधिकार-सीमा क्या होगी, इस बात को लेकर दोनों पक्ष उलझे रहे। इस बीच अमेरिका को यह प्रबल सन्देह बना रहा कि रूस ने गुप्त रूप से आणविक अस्त्र-विस्फारण-परीक्षा जारी रखी है। दूसरी ओर श्रीख्रुश्चेव का भी अमेरिका के ऊपर यह अभियोग था कि उसने जमीन के नीचे आणविक अस्त्र-परीक्षा चलाई है। इसके बाद ही गत ३१ अगस्त, १९६१ ई० को सोवियत रूस की ओर से यह घोषित किया गया कि उसने पुनः आणविक अस्त्र परीक्षा आरम्भ कर दी है। २ करोड़ टन से लेकर १० करोड़ टन टि-एन-टि के समान भयंकर शक्ति-संपन्न आणविक बम (सुपर बम) तैयार करने के लिए रूस ने एक योजना बनाई है।

मध्य एशिया के वायुमण्डल में रूस द्वारा पुनः आणविक विस्फारण-परीक्षा आरम्भ होने का संवाद प्रचारित होने पर इंगलैंड और अमेरिका की ओर से एक सम्मिलित प्रस्ताव उपस्थित

किया गया कि रूस वायुमण्डल में आणविक परीक्षा बन्द कर दे। किन्तु, रूस ने पुनः ५ सितम्बर, १९६१ ई० को वायुमण्डल में विस्फारण किया और इंगलैंड-अमेरिका के सम्मिलित प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। २१ सितम्बर को राष्ट्रसंघ की साधारण परिषद् में अमेरिका द्वारा यह माँग की गई कि अणु-अस्त्र-परीक्षा निषिद्ध करने के सम्बन्ध में विचार किया जाय। रूस की ओर से यह कहा गया कि सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव पर विचार हो। इस बीच १५ सितम्बर को अमेरिका ने सन् १९५८ ई० के बाद पहली बार आणविक अस्त्रों का विस्फारण भूमि के नीचे किया। विस्फारण की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति केनेडी ने कहा कि इच्छा न रहते हुए भी अमेरिका को मजबूर होकर पुनः आणविक अस्त्रों की विस्फारण-परीक्षा करनी पड़ी है; क्योंकि सोवियत रूस ने बिना चेतावनी दिये वायुमण्डल में विस्फारण-परीक्षा आरम्भ कर दी। इसके पूर्व रूस दस बार परीक्षा कर चुका है।

२५ सितम्बर, १९६१ ई० को राष्ट्रसंघ की साधारण परिषद् में राष्ट्रपति केनेडी ने अपने भाषण में सोवियत रूस को आह्वान करते हुए कहा कि वह आणविक अस्त्रों की परीक्षा बंद करे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि क्रमशः सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण होना चाहिए और बर्लिन-समस्या का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से हो। अमेरिका द्वारा सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण की एक योजना राष्ट्रसंघ में उपस्थापित की गई, जिसका समर्थन इंगलैंड और फ्रांस ने किया। २७ सितम्बर को राष्ट्रपति केनेडी के आणविक परीक्षा निषिद्ध करने के प्रस्ताव को रूस ने अग्राह्य कर दिया और इस प्रश्न को सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण के अन्तर्गत रखने का दावा किया। सामान्य परिषद् में रूस ने निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में एक पृथक् प्रस्ताव उपस्थित किया। ३० अक्टूबर को रूस ने अति उच्च वायुमण्डल में ५० मेगाटन शक्ति-सम्पन्न आणविक बम का विस्फारण किया। अबतक जितने विस्फारण मनुष्य द्वारा हुए थे, उनमें यह सबसे बढ़कर शक्तिशाली था। २ नवम्बर को राष्ट्रसंघ की राजनीतिक कमिटी में भारत के नेतृत्व में एक प्रस्ताव लाया गया कि आणविक अस्त्रों की परीक्षा स्थगित रखी जाय। अमेरिका और रूस इन दोनों पक्षों के राष्ट्रों द्वारा आपत्ति किये जाने पर भी प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ।

## अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक समीक्षा

सन् १९६१ ई० में अन्तरराष्ट्रीय जगत् में यद्यपि कोई ऐसी घटना नहीं हुई, जिसे ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाय, फिर भी शीतयुद्ध का वातावरण पूर्ववत् सक्रिय बना रहा और विश्व-शान्ति की आशा निराशा में परिणत होती रही। शीतयुद्ध की तीव्रता में कुछ भी कमी नहीं हुई और साधारण मनुष्य आणविक युद्ध की आशंका से संत्रस्त बने रहे। कांगो, बर्लिन, अलजीरिया, लाओस—इन सब स्थानों में साल-भर अशान्ति रही और उपद्रव होते रहे। किन्तु सन् १९६२ ई० के मध्य में लाओस और अल्जीरिया की समस्या कुछ हद तक सुलझ गई।

सन् १९६१ ई० की जनवरी में जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मि० जॉन फित्जराल्ड केनेडी ने शासन भार ग्रहण किया, तब सारी दुनिया में एक नई आशा का संचार हुआ था। किन्तु, मात्र तीन मास के अन्तर ही केन्द्रीय गुप्तचर-विभाग के परामर्श से क्यूबा का अभियान शुरू हुआ। अप्रैल में क्यूबा की क्रान्ति-परिषद् द्वारा वहाँ की सरकार के विरुद्ध यह अभियान प्रारम्भ किया गया था। अभियानकारी दल को अमेरिका की सरकार का समर्थन प्राप्त था। अभियान सफल नहीं हुआ और कैस्ट्रो की सरकार पूर्ववत् कायम रही।

**वर्लिन-समस्या**—जून में राष्ट्रपति केनेडी वियना गये और वहाँ सोवियत प्रधान मंत्री ख्रुश्चेव से वार्त्तालाप किया। ख्रुश्चेव ने उन्हें जर्मनी और वर्लिन के सम्बन्ध में एक स्मृति-पत्र दिया। पश्चिम और पूर्व जर्मनी की स्वतंत्र सत्ता की स्वीकृति, जर्मनी के साथ सन्धि और पश्चिम वर्लिन को निरस्त्र स्वाधीन नगर के रूप में परिणत करना—यही स्मृति-पत्र का प्रस्ताव था। उस समय से ही जर्मनी और वर्लिन के प्रश्न को लेकर यूरोप की राजनीति विक्षुब्ध हो रही है। जर्मनी के सम्बन्ध में सोवियत प्रस्ताव उपस्थित किये जाने के साथ-साथ पूर्व जर्मनी में पड़नेवाले वर्लिन के इलाके के साथ पश्चिमी राष्ट्रों के यातायात की सम्बन्ध-रक्षा तथा वर्लिनवासियों की स्वाधीन जीवन-यात्रा के प्रश्न को लेकर उत्तेजना उत्पन्न हुई और क्रमशः आशंकाजनक रूप धारण करती गई।

**कांगो**—राष्ट्रसंघ की ओर से कांगो में शान्ति-स्थापन के लिए वरावर प्रयत्न जारी रहे, फिर भी उपद्रव कम नहीं हुए। इन उपद्रवों के पीछे साम्राज्यवादी शक्तियों का छिपा हाथ वताया जाता है। कांगो से विच्छिन्न प्रदेश कटंगा के राष्ट्रपति (?) शोम्बे ने राष्ट्रसंघ के सैन्य-दल का वरावर तिरस्कार किया। कांगो के प्रधान मंत्री पेट्रिस लुमुम्बा और राष्ट्रसंघ के महामंत्री डाग हेमरशौल्ड की मृत्यु में शोम्बे का छिपा हाथ वताया जाता है।

२१ फरवरी, १९६१ ई० को सुरक्षा-परिषद् ने अफ्रिका-एशिया के राष्ट्रों द्वारा उपस्थापित एक प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसमें कहा गया था कि कांगो में गृह-युद्ध रोकने के लिए आवश्यक होने पर राष्ट्रसंघ वल-प्रयोग करे।

१२ मार्च, १९६१ ई० को एक गोलमेज-सम्मेलन हुआ, जिसमें ३ कांगों के नेताओं ने—जिनमें शोम्बे भी शामिल थे—कांगो के विभिन्न राज्यों का एक महासंघ स्थापित करने का निश्चय किया। इस महासंघ के सभापति जोसेफ कसाम्बू होते। किन्तु, २ अप्रैल को शोम्बे महासंघ में सम्मिलित होने के निश्चय से निकल भागे। जुलाई में राष्ट्रसंघ के तत्त्वावधान में कांगोली पार्लमेण्ट का एक अधिवेशन वुलाया गया। इसके दूसरे दिन प्रधान मंत्री जोसेफ इलियो की सरकार ने नया मंत्रिमण्डल गठित होने की प्रत्याशा में पदत्याग किया। २ अगस्त को मि० साइरिल अदौला प्रधान मंत्री वनाये गये तथा मि० गिजेंगा तीन उपप्रधान मंत्रियों में से एक निर्वाचित हुए। इसके वाद से कांगो की केन्द्रीय सरकार के प्रति मि० शोम्बे का रुख और भी अवज्ञापूर्ण हो गया और राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग करने से उन्होंने इनकार कर दिया। १ सितम्वर को राष्ट्रसंघ ने कटंगा-सरकार के साथ सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया और १३ सितम्वर को कटंगा-प्रदेश पर नियंत्रण रखने तथा केन्द्रीय कांगो-सरकार के अधिकार में उसे लाने के लिए एलिजावेथविल के सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने कटंगा में राष्ट्रसंघ

के इस कार्य की निन्दा की और इसे अवैध एवं अनुचित बताया। ब्रिटिश समाचार-पत्र और ब्रिटिश रेडियो ने कटंगा में अवस्थित भारतीय सैन्य-दल के विरुद्ध लगातार निन्दा-भाषण शुरू किया। भारतीय सैनिकों द्वारा कटंगा के नागरिकों पर किये गये तथाकथित अत्याचारों की कहानियाँ प्रचारित कीं। २० सितम्बर को कटंगा और राष्ट्रसंघ के बीच युद्ध बन्द करने के निमित्त एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर हुए, किन्तु ३ अक्टूबर को शॉम्बे ने राष्ट्रसंघ के ऊपर इकरारनामा भंग करने का आरोप लगाकर राष्ट्रसंघ के अधिकारियों और कटंगा के प्रतिनिधियों के बीच समझौते की जो बातचीत चल रही थी, उसे भंग कर दिया। १३ अक्टूबर को राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधि और मि० शोम्बे ने अन्तिम रूप में युद्ध बंद करने के एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये, जिससे दोनों पक्षों के बीच शत्रुतामूलक काररवाई बंद हो गई। किन्तु, केन्द्रीय कांगो-सरकार ने इस इकरार को नहीं माना, जिससे राष्ट्रसंघ की सेना और कटंगा की सेना के बीच दिसम्बर में शत्रुता-मूलक काररवाई फिर शुरू हो गई। इस बार राष्ट्रसंघ एक पृथक् प्रदेश के रूप में कटंगा के अस्तित्व को सदा के लिए मिटा देने का दृढ़ संकल्प कर चुका था, किन्तु ब्रिटिश सरकार की चालों के कारण उसके समस्त प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। ब्रिटिश सरकार की नीति से क्षुब्ध होकर कटंगा में राष्ट्रसंघ के विशेष प्रतिनिधि डॉ० कोनर ओब्रायन ने पदत्याग कर दिया। राष्ट्रसंघ द्वारा कांगो में जो सैनिक काररवाइयाँ की जा रही है, उनका समर्थन करना तो दूर, ब्रिटिश सरकार खुल्लमखुल्ला शोम्बे-शासन का पक्ष ग्रहण कर रही है। राष्ट्रमण्डल के तीन देश भारत, नाइजीरिया और मलाया के सैन्यदल कटंगा में युद्धरत रहे। इस प्रकार, कटंगा साम्राज्यवादी शक्तियों की दुरभिसन्धियों का अखाड़ा बन गया है।

**लाओस**—सन् १९६१ ई० में लाओस की अवस्था भी उद्वेगजनक बनी रही। अमेरिका ने नीति के रूप में यह स्वीकार कर लिया था कि लाओस को निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा।

२४ अप्रैल, १९६१ ई० को ब्रिटेन और रूस ने सम्मिलित भाव से लाओस में युद्ध बंद करने का आह्वान किया। इसके चार दिनों के बाद नई दिल्ली में लाओस के सम्बन्ध में सन् १९५४ ई० के संगठित अन्तरराष्ट्रीय आयोग को पुनरुज्जीवित किया गया और लाओस में सेनापतियों ने युद्धबंदी का आदेश जारी किया।

१२ मई, १९६१ ई० को १४ राष्ट्रों का एक सम्मेलन जेनेवा में हुआ, किन्तु उसमें लाओस का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं हो सका, पीछे अमेरिका और रूस इस बात पर सहमत हुए कि सम्मेलन में लाओस के तीनों पक्ष के प्रतिनिधि-मण्डल भाग लेंगे। १७ मई को तीनों प्रतिनिधिमण्डलों ने इस सिद्धान्त को मान लिया कि एक संयुक्त सरकार का गठन किया जाय। २१ जून को दक्षिणपक्षीय, वामपक्षीय और तटस्थ लाओस के राजकुमारों के प्रतिनिधियों ने लाओस की विरोधी शक्तियों के एकीकरण के सम्बन्ध में एक इकरार को कबूल किया। दूसरे दिन लाओस के तीनों राजकुमार ज्यूरिच (स्विट्जरलैण्ड) में लाओस की एक राष्ट्रीय संघ-सरकार गठित करने पर राजी हो गये। ८ अक्टूबर, १९६१ ई० को तटस्थ नेता राजकुमार सोवन्ना फौउमा को भावी अन्तवर्त्ती अस्थायी सरकार का प्रधान मंत्री बनाना स्वीकार कर लिया गया। १४ अक्टूबर को लाओस से राष्ट्रसंघ का विशिष्ट मण्डल वापस बुला लिया गया,

दिसम्बर, १६६१ ई० के आरम्भ में १४ राष्ट्रों के लाओस-सम्मेलन में लाओस की तटस्थता के सम्बन्ध में मुख्य पहलुओं पर मतैक्य हुआ।

१६ जनवरी, १६६२ ई० को लाओस के संयुक्त मन्त्रिमण्डल के गठन पर लाओस के राजकुमार एकमत हुए। २३ जून को यहाँ संयुक्त मन्त्रिमंडल संगठित किया गया, जिसके प्रधान मन्त्री सुवन्ना फौमा बनाये गये।

अलजीरिया—२२ अप्रैल, १६६१ ई० को कुछ फ्रांसीसी अवसर-प्राप्त सैनिक अधिकारियों ने सहसा रक्तपातहीन आक्रमण द्वारा अल्जियर्स पर कब्जा कर लिया। किन्तु, फ्रांस के राष्ट्रपति दगाल ने सैनिक विद्रोह को दबा दिया।

२० मई, १६६१ ई० को फ्रांसीसी सरकार और अलजीरिया के राष्ट्रवादियों के बीच सन्धि-वार्त्ता आरम्भ हुई किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला।

३० दिसम्बर, १६६१ ई० को राष्ट्रपति दगाल ने स्वतंत्र अलजीरिया के साथ एक समझौता करने की घोषणा की।

१८ मार्च, १६६२ ई० को फ्रांसीसी सरकार की ओर से घोषणा की गई कि अलजीरिया और फ्रांस के बीच युद्ध-विराम-समझौता संपन्न हुआ है।

१ नवम्बर, १६५४ ई० को अलजीरियन युद्ध का आरम्भ हुआ था। फ्रांसीसी विवरण के अनुसार सन् १८६१ ई० के अंत तक इस युद्ध में १,४१,००० मुस्लिम विद्रोही सैनिक और १७,२५० फ्रांसीसी सैनिक निहत हुए। असामरिक हताहतों की संख्या इसमें सम्मिलित नहीं है। अलजीरिया के शहरों में मारे गये असामरिक मनुष्यों की संख्या महीने में पाँच सौ से अधिक है। अलजीरिया के राष्ट्रीयतावादी नेताओं का कथन है कि अबतक १० लाख से अधिक मुसलमान मारे गये हैं। अलजीरिया की कुल एक करोड़ जन-संख्या में ६० लाख अरब मुसलमान और बाकी १० लाख फ्रांसीसी 'कोलोन' हैं। ये अलजीरिया के निवासी हैं और अलजीरिया को ही अपनी मातृभूमि मानते हैं। अलजीरिया को स्वायत्त शासन या स्वाधीनता-प्रदान के प्रश्न को लेकर गत कई वर्षों तक फ्रांस की राजनीति में दक्षिणपंथी, मध्यपंथी और वामपंथियों के बीच तुमुल संघर्ष चलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप फ्रांस में चतुर्थ गणराज्य का विलोप और जेनरल दगाल के नेतृत्व में पंचम गणराज्य की प्रतिष्ठा हुई। अलजीरिया में बसनेवाले १७ लाख फ्रांसीसी 'कोलोन' ही अबतक दगाल के समस्त शान्ति-प्रयत्नों को विफल करते आ रहे थे। फ्रांसीसी सेना के एक अंश ने दगाल की सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भी घोषणा की थी। किन्तु, उसके विद्रोह को दबा दिया गया।

यहाँ की गुप्त सामरिक संस्था ओ० ए० एस०, की मार काट के बावजूद १ जुलाई १६६२ की जनमत-गणना के फलस्वरूप फ्रांस के राष्ट्रपति दगाल ने इसकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।

दक्षिण कोरिया—दक्षिण कोरिया में एक आकस्मिक सैनिक विद्रोह के फलस्वरूप १६ मई, १६६१ ई० को क्रान्तिकारी सैनिक-कमिटी ने वहाँ की सम्पूर्ण शासन-सत्ता को अपने हाथ में कर लिया। सेना का सर्वप्रथम जेनरल दो यूंग चांग शासक-दल का नेता बना। प्रधान मंत्री डॉ० जान चुंग अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ६ जून को एक नया संविधान

प्रचारित कर सैनिक परिषद् को सम्पूर्ण शासनाधिकार प्रदान किया गया। ११ जून, १९६१ ई० को राष्ट्रीय सर्वोच्च परिषद् ने सात सदस्यों की एक स्थायी समिति को सारे अधिकार सुपुर्द कर दिये, जिसका प्रधान जेनरल पक चुंग हुई बना। ६ जुलाई को राजधानी सिउल में घोषणा की गई कि पूर्ववर्ती सैनिक नेता जनरल दो यूंग चांग तथा अन्य १२ अधिकारी के प्रति विद्रोह और जेनरल पक चुंग हुई का वध करने की साजिश करने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिये गये। इसके बाद से दक्षिण कोरिया में सुदृढ़ सैनिक अधिनायक तंत्र स्थापित है।

**पुर्त्तगाली उपनिवेश**—पुर्त्तगाल एक छोटा राष्ट्र होने पर भी अपने समुद्र-पार के उपनिवेशों को सहज ही छोड़ना नहीं चाहता। सन् १९६० ई० के दिसम्बर में राष्ट्रसंघ की सभा ने पुर्त्तगाल के इस दावे को नहीं माना कि समुद्र-पार के उसके उपनिवेश पुर्त्तगाल के प्रदेश हैं। पुर्त्तगाल के उपनिवेश उसके कठोर शासन से मुक्त होने के लिए संग्राम कर रहे हैं। सन् १९६१ ई० की फरवरी में अफ्रिका के पुर्त्तगाली उपनिवेश अंगोला में दंगा-फसाद शुरू हुए। हजारों आदमी मारे गये और पुर्त्तगाली भी क्षति ग्रस्त हुए। अंगोला में पुर्त्तगाल की ओर से जोर-जुल्म और हत्याकाण्ड हुए। वहाँ से भागकर बहुत से अफ्रिकी शरणार्थियों ने मराडी ( कांगो ) में आश्रय ग्रहण किया। राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् ने ९ जून को पुर्त्तगाल को निर्देश किया कि वह अंगोला में दमनमूलक कारखाइयों को बन्द करे।

पुर्त्तगाल अपने भारतीय उपनिवेश गोआ में भी सैन्य-समावेश करने लगा था। १७-१८ दिसम्बर को भारतीय सैनिकों ने गोआ में प्रवेश किया और गोआ, डामन, ड्यू पर बिना रक्तपात के ही अधिकार कर लिया।

**सीरिया**—८ सितम्बर, १९६१ ई० को सीरिया में सहसा विद्रोह की आग भड़क उठी और विद्रोहियों ने डॉ० मेमौन कुजबरी के नेतृत्व में एक पृथक् सरकार की स्थापना की। जार्डन और तुर्की ने सीरिया के इस नये राज्य-शासन को मान लिया और मिस्र के राष्ट्रपति नसीर ने इन दो देशों के साथ अपना कूटनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। अन्ततः, रक्तपात से बचने के लिए राष्ट्रपति नसीर भी संयुक्त अरब-गणतंत्र से पृथक् होने की सीरिया की स्वतंत्रता को मान लिया। इस प्रकार, लगभग तीन वर्षों तक स्वेच्छा से मिस्र के साथ संयुक्त रहने के बाद सीरिया पृथक् हुआ और १३ अक्टूबर, १९६१ ई० को वह राष्ट्रसंघ में १०१ वें सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ। २८ मार्च, १९६२ ई० को सीरिया में रक्तहीन सैनिक क्रान्ति हुई। फलस्वरूप, संसद् भंग कर दी गई और राष्ट्रपति नजीम-इ-कुदरिस तथा प्रधान मंत्री डॉ० मारूफ खालिबी से अपने मंत्रि-मंडल के सदस्यों के साथ त्यागपत्र ले लिया गया। १७ अप्रैल को प्रधान मंत्री बशीर अजमे के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ-ग्रहण किया। सीरिया की नई सरकार संयुक्त अरब-गणतंत्र के साथ अपना अच्छा सम्बन्ध बनाये रखेगी, ऐसी घोषणा की गई है।

**तुर्की**—तुर्की में डेढ़ वर्ष तक सैनिक शासन कायम रहने के बाद नया संविधान बना है। १५ अक्तूबर, १९६१ ई० को नये संविधान के अनुसार निर्वाचन हुआ। सन् १९६० ई० के मई महीने में जेनरल गुर्सेल के नेतृत्व में जो आकस्मिक सैनिक आक्रमण हुआ था, उनके बाद सर्वप्रथम तुर्की पार्लमेण्ट का यह चुनाव था। जस्टिस पार्टी को चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ और २५ अक्टूबर, १९६१ ई० को पार्लमेण्ट का उद्घाटन किया गया।

ईरियन-समस्या—डच न्यूगिनी का नाम 'ईरियन' है। इस अंचल की राजधानी हलडिया का नाम 'कोताबाहरू' है। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णों ने यह नामकरण किया। उन्होंने डच न्यूगिनी को इंडोनेशिया का एक प्रदेश घोषित करके उसे यह नाम दिया और कहा कि डचों के अधिकार में रहते समय ही से यहां एक शासक नियुक्त करेंगे और पार्लामेण्ट के सदस्यों का मनोनयन करेंगे। गोआ का भारत के साथ मिलन हुए बिना जिस प्रकार भारत की स्वाधीनता अपूर्ण थी, उसी प्रकार न्यूगिनी का एक अंश जबतक हालैंड के अधीन रहेगा, तबतक इंडोनेशिया की स्वाधीनता अपूर्ण रहेगी। पुर्त्तगाल के अधिकार से गोआ के मुक्त होने के बाद इंडोनेशिया की सरकार ने यह घोषणा की कि अब वह अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करेगी। सामरिक शक्ति का प्रयोग करके इंडोनेशिया के इस अंश को मुक्त करने के लिए वह प्रस्तुत है। हालैंड की सरकार ने समझौता करने का रुख दिखलाया है। इंडोनेशिया की ओर से कहा गया है कि न्यूगिनी से डचों के हट जाने के बाद ही समझौते की बातचीत चलाई जा सकती है।

दक्षिण अफ्रिका—३१ मई, १९६१ ई० को दक्षिण अफ्रिका एक प्रजातंत्र राज्य के रूप में घोषित हुआ और राष्ट्रमंडल से पृथक् हो गया। इस प्रकार, गत १५५ वर्षों से ब्रिटिश साम्राज्य के साथ उसका जो सम्बन्ध चला आ रहा था, वह सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया। आयरलैंड और बर्मा के बाद दक्षिण अफ्रिका तीसरा देश है, जिसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का परित्याग किया है। दक्षिण अफ्रिका की सरकार अपनी रंगभेद की नीति छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्य इसके लिए उस पर दबाव डाल रहे थे और राष्ट्रमण्डल का सदस्य उसे रहने देना नहीं चाहते थे। अतः, बाध्य होकर उसे राष्ट्रमण्डल से हटना पड़ा है। दक्षिण अफ्रिका के प्रजातंत्र राज्य घोषित होने के बाद पार्लामेण्ट का जो पहला चुनाव अक्टूबर में हुआ, उसमें डॉ० हेरिड्क वरवर्ड के राष्ट्रीय दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ।

बर्मा में फौजी शासन—२ मार्च, १९६२ ई० को सेनापति विन ने बिना रक्तपात के बर्मा का शासनाधिकार अपने हाथ में ले लिया। राष्ट्रपति यू० तवन मौंग और प्रधान मंत्री यूऊ नू के साथ अन्य पचास राजनीतिक नेता उसी दिन गिरफ्तार कर लिये गये। दूसरे दिन बर्मा की पार्लामेण्ट भंग कर दी गई और क्रान्तिकारी ने शासन-सत्ता हस्त गत कर ली। उनके एक सहयोगी आउनगी ने यह विश्वास दिलाया कि हम गणतंत्र में विश्वास रखते हैं और संविधान के उद्देश्यानुसार शासन-कार्य का परिचालन करेंगे। सामरिक शासन कबतक कायम रहेगा, यह उन्होंने नहीं बताया। देश के विभिन्न वामपंथी दलों ने विन का स्वागत किया। सन् १९५८ ई० के अक्टूबर में बर्मा के विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उपजातियों के ध्वंसात्मक क्रियाकलाप से विवश होकर प्रधान मंत्री यूऊ नू ने स्वयं जेनरल विन के हाथ में बर्मा का शासनाधिकार सौंप दिया था। इसके डेढ़ वर्ष के बाद जब बर्मा में अपेक्षाकृत शान्ति स्थापित दिखाई पड़ी, जेनरल विन ने गणतांत्रिक शासन को पुनः प्रवर्त्तित किया और स्वयं शासन-कार्य से पृथक् हो गये थे।

★

# तृतीय भाग

## भारत

### भारत-भूमि

भारत, एशिया महादेश के दक्षिण समुद्र के किनारे एक त्रिभुजाकार प्रायद्वीप है। इसके दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब समुद्र तथा पश्चिमी पाकिस्तान हैं। उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से चीन, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान और फिर तिब्बत और चीन हैं। इसके सारे उत्तरी भाग में हिमालय की पर्वतमाला है, जिसकी लम्बाई करीब १५०० मील है। इसके पूरब में वर्मा, पूर्वी पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी है। भारत और वर्मा के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई पटकोई, नागा, जयन्तिया, खासी, गारो, लुशाई और अराकान-योमा पर्वत-मालाएँ हैं। ये पर्वत-मालाएँ नेगराइस अन्तरीप होती हुई अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह तक चली गई हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय की गोद में नेपाल, सिक्किम और भूटान हैं। इनमें सिक्किम और भूटान विशेष संधियों द्वारा भारत के साथ संबद्ध हैं।

प्राकृतिक रचना—भारत का क्षेत्रफल १२,५६,६८३ वर्गमील है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई २००० मील और पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई १,८५० मील है। इसकी स्थल-सीमा-रेखा ६,४२५ मील है, जिसमें ४००० मील की लम्बाई पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर है। इसके समुद्री किनारे की लम्बाई २,५३५ मील है। यह देश भूमध्यरेखा के उत्तर में ८° से ३७°१०' उत्तरी अक्षांश-रेखाओं तथा ६८° से ६७°२५' पूर्वी देशान्तर-रेखाओं के बीच स्थित है। आकार की दृष्टि से यह विश्व का सातवाँ बड़ा देश है। बंगाल की खाड़ी के अन्दर अंदमन और निकोबार द्वीप-समूह तथा अरब सागर के अन्दर लक्ष-द्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह भी भारतीय संघ के अंग हैं।

यह देश इतना विस्तृत है कि इसके विभिन्न स्थानों के तापमान और वर्षा में बहुत अन्तर पड़ता है। कश्मीर में यहाँ का तापमान ४६° फेरेनहाइट है, तो राजस्थान में १२° फेरेनहाइट। उसी प्रकार इसकी औसत वार्षिक वर्षा थार मरुभूमि (राजस्थान) में ४ इंच है, तो चेरापुंजी आसाम में ४२५ इंच।

इसका समुद्र-तट लम्बा होने पर भी पश्चिमी तट चट्टानों से भरा है, तो पूर्वी तट छिछला है, जिससे यहाँ अधिक बन्दरगाह नहीं हैं। इसके प्राकृतिक बन्दरगाह केवल बम्बई और गोआ हैं। मद्रास, विशाखापत्तनम् और ओखा विशुद्ध कृत्रिम बन्दरगाह हैं। पश्चिम से पूरब की ओर इसके मुख्य बन्दरगाह ये हैं—कंडला, बेलीबन्दर, पोर्ट ओखा, पोरबन्दर, सूरत, बम्बई, मरमूगाओ, मंगलोर, कोझीकोड (कालीकट), कोचीन, अलीपी, क्विलोन, तूतीकोरिन, धनुषकोटि, नागापट्टनम्, कारीकल, कुडालोर, पांडीचेरी, मद्रास, मछलीपट्टम्, काकीनाड, विशाखापत्तनम् और कलकत्ता।

भारत तीन प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है—(१) हिमालय का पहाड़ी प्रदेश, (२) सिन्धु-गंगा का मैदान तथा (३) दक्षिणी अधित्यका। हिमालय प्रायः तीन समानान्तर पर्वत-श्रेणियों से मिलकर बना है। इसकी एवरेस्ट, माउण्ट गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंघा आदि संसार की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं। इन पर्वत-श्रेणियों के बीच में लम्बे-चौड़े पठार और घाटियां हैं। इनमें से कश्मीर तथा कुल्लू की घाटियाँ उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न हैं। आवागमन के लिए कश्मीर में जोजिला और पंजाब में शिपकी घाटियाँ हैं। शिपकी से दार्जिलिंग तक कोई घाटी नहीं है। भारत के उत्तर-पूरब में मुख्य चुम्बी घाटी है।

सिन्धु-गंगा का मैदान १,५०० मील लम्बा तथा १५० से २०० मील चौड़ा है। यह मैदान सिन्धु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र—इन तीनों नदी-क्षेत्रों से मिलकर बना है। यह संसार का एक सबसे अधिक लम्बा-चौड़ा उपजाऊ मैदान है और संसार के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र में भी एक है। दिल्ली में यमुना नदी से बंगाल की खाड़ी तक के लगभग १,००० मील लम्बे क्षेत्र में यदि कहीं सबसे अधिक ऊँचाई है, तो वह भी समुद्र-तल से ७०० फुट से अधिक नहीं।

दक्षिणी अधित्यका १,५०० से ४,००० फुट ऊँचे पहाड़ों और पर्वत-श्रेणियों के द्वारा सिन्धु-गंगा के मैदान से अलग पड़ जाती है। अरावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मैकल तथा अजन्ता पहाड़ियाँ इनमें मुख्य हैं, प्रायद्वीप के एक ओर औसतन २,००० फुट ऊँचे पूर्वी घाट और दूसरी ओर ३,०००-४,००० फुट ऊँचे पश्चिमी घाट हैं, जिनकी ऊँचाई कहीं-कहीं पर ८,८४० फुट तक भी हो जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिण में नीलगिरि पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। पश्चिमी घाट में कार्डेमम पहाड़ियों तक फैला हुआ है।

नदियाँ—भारत की नदियाँ चार प्रकार की हैं—(१) हिमालय से निकलनेवाली नदियाँ, (२) दक्षिण के पठार की नदियाँ, (३) तटीय नदियाँ तथा (४) आन्तरिक नदी-क्षेत्र की नदियाँ। हिमालय से निकलनेवाली नदियों में वर्फीले स्थानों से निकलने के कारण पूरे वर्ष-भर पानी रहता है। वर्षा-ऋतु में इन नदियों के कारण बहुधा बाढ़ भी आ जाया करती है। दक्षिण के पठार की नदियों में सामान्यतः वर्षा का ही पानी होने के कारण पानी कभी कम, तो कभी अधिक रहता है और इनमें से बहुत-सी नदियाँ वर्ष के अधिक समय में सूखी रहती हैं। तटीय नदियाँ, विशेष कर पश्चिमी तट की, छोटी होती हैं और इनका जल-क्षेत्र भी सीमित होता है। इनमें से भी अधिकांश नदियाँ काफी समय तक सूखी रहती हैं। पश्चिमी राजस्थान की आन्तरिक क्षेत्रवाली नदियाँ बहुत कम हैं, जो अपने-अपने नदी-क्षेत्रों में ही अथवा साम्भर झील-जैसी नमक की झीलों तक जाकर सूख जाती हैं और किसी समुद्र तक नहीं पहुंचती।

गंगा का नदी-क्षेत्र सबसे बड़ा है, जिसको भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक-चौथाई भाग से पानी मिलता है। इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्य पर्वत हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ भी काफी हैं। गंगा भागीरथी तथा अलकनन्दा के रूप में हिमालय से निकलती है। यमुना, घाघरा, गण्डक तथा कोशी नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा में जा मिलती हैं।

भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी-क्षेत्र गोदावरी का नदी-क्षेत्र है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम में सिन्धु के नदी-क्षेत्र भी लगभग इसी के बराबर हैं। भारत के प्रायद्वीपवाले भाग में कृष्णा नदी-क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नदी-क्षेत्र है। महानदी, प्रायद्वीपवाले भाग के तीसरे सबसे बड़े

नदी-क्षेत्र में से होकर बहती है। इसके उत्तर में नर्मदा तथा सुदूर दक्षिण में कावेरी के नदी-क्षेत्र भी लगभग इतने ही बड़े हैं।

उत्तर का ताप्ती नदी-क्षेत्र तथा दक्षिण का पेरणार नदी-क्षेत्र छोटे, किन्तु कृषि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

**जलवायु**—भारत की जलवायु मुख्यतः उष्ण-मौनसूनी है, जो स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न है। यहाँ छह ऋतुएँ हैं, पर मुख्य तीन ही हैं—जाड़ा, गरमी और बरसात। जलवायु के अनुसार वर्षा पर आधारित भारत के प्रदेशों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

(क) ८० इंच से अधिक वर्षावाले प्रदेश; जैसे—पश्चिमी तट, बंगाल तथा आसाम; (ख) ४० से ८० इंच तक वर्षावाले प्रदेश; जैसे—उत्तर-पूर्वी पठार तथा गंगा-घाटी का मध्य भाग, और (ग) २० से ४० इंच तक वर्षावाले प्रदेश; जैसे—मद्रास, दक्षिण के पठार का दक्षिणी तथा उत्तर-पश्चिमी भाग गंगा के मैदान का उत्तरी क्षेत्र।

# भारतीय जनसंख्या

## ( १९६१ की जनगणना के अस्थायी आँकड़े )

### भारत

| | |
|---|---|
| क्षेत्रफल | ११,२७,३४५ वर्गमील |
| जन-संख्या | ४३,६४,२४,४२६ (शहरी जन-संख्या ७,७८,३६,३६,६००; ग्रामीण जनसंख्या ३५,८५,८४,५२६) |
| पुरुष | २२,४६,५७,६४८ |
| स्त्रियाँ | २१,१४,६६,४८१ |
| १९५१ से वृद्धि | ७,७२,०७,५२४ |
| प्रतिशत वृद्धि | २१·४६ |
| प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ९४० (९४६) |
| प्रति वर्गमील सघनता | ३८४(३१६) |

मणिपुर, नागलैंड और पूर्वोत्तर सीमान्त अधिकरण के आँकड़े इसमें सम्मिलित नहीं हैं। प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियों की संख्या तथा सघनता के आँकड़ों में जम्मू और कश्मीर के आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

## भारत के राज्य

### आसाम

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | ४७,०९८ वर्गमील | १९५१ से वृद्धि | ३०,२६,३२७ |
| जनसंख्या | १,१८,६०,०५९ | प्रतिशत वृद्धि | ३४·३० |
| पुरुष | ६३,१८,२२९ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ८७७ (८७७) |
| स्त्रियाँ | ५५,४१,८३० | प्रति वर्गमील सघनता | २५२ (१८८)* |

* कोष्ठकों के आँकड़े १९५१ के हैं।

## आन्ध्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | १,०६,०५२ वर्गमील | १९५१ से वृद्धि | ४८,६२,७४० |
| जनसंख्या | ३,५९,७७,९९९ | प्रतिशत वृद्धि | १५·६३ |
| पुरुष | १,८१,७५,३४९ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियों | ९९९ (९८६) |
| स्त्रियाँ | १,७८,०२,६५० | प्रति वर्गमील सघनता | २३९ (२९३) |

## उड़ीसा

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | ६०,१६२ वर्गमील | १९५१ से वृद्धि | २९,१९,६९९ |
| जनसंख्या | १,७५,६५,६४५ | प्रतिशत वृद्धि | १९·६४ |
| पुरुष | ३७,७२,१९४ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | १,००२ (१,०२२) |
| स्त्रियाँ | ३७,९३,४५१ | प्रति वर्गमील सघनता | २९२ (२४३) |

## उत्तरप्रदेश

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | १,१३,४५४ वर्गमील | सन् १९५१ से वृद्धि | १,०५,३७,१७२ |
| जनसंख्या | ७,३७,५२,९१४ | प्रतिशत वृद्धि | १६·६१ |
| पुरुष | ३,८६,६४,४६३ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ९०८ (९१०) |
| स्त्रियाँ | ३,५०,८८,४५१ | प्रति वर्गमील सघनता | ६५७ (५५७) |

## केरल

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | १५,००३ वर्गमील | सन् १९५१ ई० से वृद्धि | ३३,२६,०८१ |
| जनसंख्या | १,६८,७५,१९९ | प्रतिशत वृद्धि | २४·५५ |
| पुरुष | ८३,४५,८९७ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | १०२२ (१,०२८) |
| स्त्रियाँ | ८५,२९,३०२ | प्रति वर्गमील सघनता | १,१२५ (९०३) |

## गुजरात

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | ७२,१५४ वर्गमील | सन् १९५१ ई० से वृद्धि | ४३,५८,६२० |
| जनसंख्या | २,०६,२१,२८३ | प्रतिशत वृद्धि | २६·८० |
| पुरुष | १,०६,३६,४७० | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ९३९ (९५२) |
| स्त्रियाँ | ९९,८४,८१३ | प्रति वर्गमील सघनता | २८६ (२२५)* |

## जम्मू और कश्मीर

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | अप्राप्य | जम्मू और कश्मीर में पिछली | |
| जनसंख्या | ३५,८३,५८५ | जन-गणना सन् १९४१ ई० में हुई थी। | |
| पुरुष | १९,०२,९०२ | प्रतिशत वृद्धि (सन् १९४१ ई० के बाद) | ९·७३ |
| स्त्रियाँ | १६,८०,६८३ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ८८३ |
| सन् १९५१ से वृद्धि | ३,१७;७३९ | प्रति वर्गमील सघनता — | अप्राप्य |

---

* कोष्ठकों के आंकड़े १९५१ के हैं।

## पंजाब

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | ४७,०८४ वर्गमील | सन् १९५१ ई० से वृद्धि | ४१,६३,२६१ |
| जनसंख्या | २,०२,९८,१५१ | प्रतिशत वृद्धि | २५·८० |
| पुरुष | १,०८,६६,९१० | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ८६८ (८५८) |
| स्त्रियाँ | ९४,३१,२४१ | प्रति वर्गमील सघनता | ४३१ (३४३) |

## पश्चिम बंगाल

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | ३३,९२८ वर्गमील | सन् १९५१ ई० से वृद्धि | ८६,६५,२४८ |
| जनसंख्या | २,९९,६७,६३४ | प्रतिशत वृद्धि | ३२·९४ |
| पुरुष | १,८६,११,०८५ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ८७९ (८६५) |
| स्त्रियाँ | १,६३,५६,५४९ | प्रति वर्गमील सघनता | १,०३१ (७७५) |

## बिहार

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | ६७,१९८ वर्गमील | सन् १९५१ ई० से वृद्धि | ७६,७३,२६४ |
| जनसंख्या | ४,६४,५७,०४२ | प्रतिशत वृद्धि | १९·७८ |
| पुरुष | २,३३,२८,१७८ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ९९१ (९९०) |
| स्त्रियाँ | २,३१,२८,८६४ | प्रति वर्गमील सघनता | ६९१ (५७७) |

## मद्रास

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | ५०,१३२ वर्गमील | सन् १९५१ ई० से वृद्धि | ३,५३,८७६ |
| जनसंख्या | ३,३६,५०,९१७ | प्रतिशत वृद्धि | ११·७३ |
| पुरुष | १,६९,१५,४५४ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ९८९ (१,००७) |
| स्त्रियाँ | १,३७,३५,४६३ | प्रति वर्गमील सघनता | ६७१ (६०१) |

## मध्यप्रदेश

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | १,७१,२१० वर्गमील | सन् १९५१ ई० से वृद्धि | ६३,२२,७३८ |
| जनसंख्या | ३,२३,९४,३७५ | प्रतिशत वृद्धि | २४·२५ |
| पुरुष | १,६५,९८,५२६ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ९५२ (९६७) |
| स्त्रियाँ | १,५७,९५,८४९ | प्रति वर्गमील सघनता | १८९ (१५२) |

## महाराष्ट्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | १,१८,८८४ वर्गमील | सन् १९५१ ई० से वृद्धि | ७५,०१,५३० |
| जनसंख्या | ३,९५,०४,२९४ | प्रतिशत वृद्धि | २३·४४ |
| पुरुष | २,०४,१९,०५९ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ९३५ (९४१) |
| स्त्रियाँ | १,९०,८५,२३५ | प्रति वर्गमील सघनता | ३३२ (२६९)* |

## मैसूर

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | ७४,१२२ वर्गमील | सन् १९५१ ई० में वृद्धि | ४१,४५,१२५ |
| जनसंख्या | २,३५,४७,०८१ | प्रतिशत वृद्धि | २१·३६ |

---

* कोष्ठकों के आँकड़े १९५१ के हैं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| पुरुष | १,२०,२१,२४८ | प्रतिशत पुरुषों में स्त्रियाँ | ६५६ (६६६) |
| स्त्रियाँ | १,१५,७५,८३३ | प्रति वर्गमील सघनता | ३१८ (२६२) |

## राजस्थान

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | १,३२,१५० वर्गमील | सन् १६५१ ई० से वृद्धि | ४१,७५,३६६ |
| जनसंख्या | २,०१,४६,१७३ | प्रतिशत वृद्धि | २६ १४ |
| पुरुष | १,०५,५८,१३८ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ६०८ (६२१) |
| स्त्रियाँ | ६५,८८,०३५ | प्रति वर्गमील सघनता | १५२ (१२१) |

# संघीय क्षेत्र

## अन्दमन निकोवार द्वीप

| | | | |
|---|---|---|---|
| क्षेत्रफल | ३,११५ वर्गमील | प्रतिशत वृद्धि | १०४·८३ |
| जनसंख्या | ६३,४३८ | प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ | ६१६ |
| पुरुष | ३६,२५६ | प्रति वर्गमील सघनता | २० (१०)* |
| स्त्रियाँ | २४,१७६ | | |

भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत व्यक्ति किस राज्य में हैं और वहाँ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कौन-सा प्रतिशत है, यह नीचे लिखा है।

| राज्य | भारतीय जन-संख्या का प्रतिशत | भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत |
|---|---|---|
| आसाम | २·७२ | ४·१८ |
| आन्ध्र | ८·२४ | ६·४१ |
| उड़ीसा | ४·०२ | ५·३४ |
| उत्तरप्रदेश | १६·६० | १०·०६ |
| केरल | ३·८७ | १ ३३ |
| गुजरात | ४·७३ | ६·४० |
| जम्मू और कश्मीर | अप्राप्य | अप्राप्य |
| पंजाब | ४·६५ | ४·१८ |
| पश्चिम बंगाल | ३ ८१ | ३·०१ |
| बिहार | १० ६४ | ५·६६ |
| मद्रास | ७ ७१ | ४·४५ |
| मध्यप्रदेश | ७ ४२ | १५·१६ |
| महाराष्ट्र | ६·०५ | १०·५५ |
| मैसूर | ५·४० | ६·५७ |
| राजस्थान | ४·६२ | ११ ७२ |

* कोष्ठकों के आँकड़े १६५१ के हैं।

## संघीय क्षेत्र

| राज्य | भारतीय जन-संख्या का प्रतिशत | भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत |
|---|---|---|
| अन्दमन निकोबार | ०·०१ | अप्राप्य |
| त्रिपुरा | ० २६ | ०·३६ |
| दिल्ली | ०·६१ | ०·०५ |
| लंकाद्वीप, मिनीकोय | | |
| अमीनदीवी-द्वीप समूह | ०·०१ | अप्राप्य |
| हिमाचल-प्रदेश | ० ३१ | ०·६७ |

विभिन्न राज्यों के अन्दर नागरिक जन-संख्या में प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियों की संख्या इस प्रकार है—

| राज्य | १६६१ | १६५१ |
|---|---|---|
| आसाम | ६८० | ६८२ |
| आन्ध्र | ६५० | ६८७ |
| उड़ीसा | ८१७ | ८८१ |
| उत्तरप्रदेश | ८१४ | ८२० |
| केरल | —— | ६६० |
| गुजरात | ८६३ | ६२० |
| जम्मू और कश्मीर | ८४७ | —— |
| पंजाब | ८१३ | ८१२ |
| पश्चिम बंगाल | ७०० | ६६० |
| बिहार | ८०६ | ८४२ |
| मद्रास | ६६२ | ६८६ |
| मध्यप्रदेश | ८५३ | ६०७ |
| महाराष्ट्र | ८०० | ८०८ |
| मैसूर | ६१२ | ६१४ |
| राजस्थान | ६०२ | ६२८ |

विभिन्न राज्यों के अन्दर प्रति सहस्र व्यक्तियों में पढ़े-लिखे व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है—

| राज्य | १६६१ | १६५१ |
|---|---|---|
| आसाम | २५८ | १८३ |
| आन्ध्र | २०८ | १३१ |
| उड़ीसा | २१५ | १५८ |
| उत्तरप्रदेश | १७५ | १०८ |
| केरल | ४६२ | ४०७ |
| गुजरात | ३०३ | २३१ |
| जम्मू और कश्मीर | १०७ | अप्राप्य |

| राज्य | १९६१ | १९५१ |
|---|---|---|
| पंजाब | २३७ | १५२ |
| पश्चिम बंगाल | २९१ | २४० |
| बिहार | १८२ | १२२ |
| महाराष्ट्र | २९७ | २०१ |
| मद्रास | ३०२ | २०८ |
| मध्यप्रदेश | १६९ | ९८ |
| मैसूर | २५३ | १९३ |
| राजस्थान | १४७ | ८९ |
| अन्दमन निकोबार द्वीप-समूह | ३३६ | २५८ |
| दिल्ली | ५१० | ३८४ |
| त्रिपुरा | २२२ | १५५ |
| हिमाचल-प्रदेश | १४३ | ५७ |

## जनसंख्या में नर-नारी का अनुपात

भारत की जनसंख्या में स्त्री-पुरुष के अनुपात का विश्लेषण करने से पता चला है कि गत ६० वर्षों से, अर्थात् सन १९०१ से १९६१ ई० तक स्त्री की संख्या में ह्रास होता चला आ रहा है। राज्य के हिसाब से केरल, आन्ध्र और राजस्थान में उक्त अवधि के बीच नारियों की संख्या में कभी वृद्धि कभी ह्रास हुआ है। सन् १९६१ ई० के बीच आसाम और बिहार में नर-नारियों की संख्या का अनुपात प्रायः स्थिर रहा है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश में स्त्रियों की संख्या में उल्लेखनीय और गुजरात में सामान्य ह्रास हुआ है। प्रति एक हजार पुरुषों में राजस्थान में स्त्रियों की आनुपातिक संख्या ९०८, जम्मू और कश्मीर में ८८३, आसाम में ८७७, पंजाब में ८६८ केरल में १०२२, उड़ीसा में १००२, मद्रास में ९८९, आंध्र में ९७९, मैसूर में ९५९, गुजरात में ९३९, महाराष्ट्र में ९३५, बिहार में ९९१ और मध्यप्रदेश में ९५२ है।

पुरुषों की संख्या के अनुपात से स्त्रियों की सर्वाधिक संख्या केरल और उड़ीसा में है। वहाँ प्रति दो हजार की जनसंख्या में २४ स्त्रियों का आधिक्य है। पंजाब में यह संख्या सबसे कम है—प्रति एक हजार पुरुषों में ८६८ स्त्रियाँ, अर्थात् प्रति हजार में १३२ कम स्त्री। प्रति एक हजार पुरुष पीछे स्त्रियों की कम संख्या विभिन्न राज्यों में इस प्रकार है—राजस्थान ९२, जम्मू और कश्मीर ११७, पश्चिम बंगाल १२१, आसाम १२३, मद्रास ११, आंध्र २१, मैसूर ४१, गुजरात ६१, महाराष्ट्र ६५, बिहार ९ और मध्यप्रदेश विदेशों में ४८।

★

# विदेशों में भारतीय

| देशों के नाम | भारतीयों की संख्या | आनुमानिक वर्ष |
|---|---|---|
| अदन | १५,८१७ | १९५५ |
| अस्ट्रेलिया | २,५०० | १९५८ |
| वर्बाडोस | १४० | १९५५ |
| वासुटोलैंड | २४७ | १९५६ |
| वेचुआनालैंड | ६२ | १९३६ |
| ब्रिटिश गायना | २,१०,००० | १९५४ |
| ब्रिटिश हौण्डुरास | २,००० | १९४६ |
| ब्रिटिश उत्तरी वोर्नियो | २,००० | १९५४ |
| ब्रिटिश सोमालीलैंड | २५० | १९४६ |
| ब्रूनेई | २,००० | १९५८ |
| कनाडा | ७,९६४ | १९५७ |
| श्रीलंका | ८,२९,६१९ | १९५८ |
| डोमिनिका | ५ | १९५० |
| फिजी द्वीप-समूह | १,८४,०९० | १९५८ |
| जिब्राल्टर | ४१ | १९४६ |
| घाना | ४७५ | १९५९ |
| ग्रेनाडा | ६,००० | १९५९ |
| हाँगकाँग | ३,००० | १९५७ |
| जमैका | ३६,००० | १९५४ |
| केनिया | १,६५,००० | १९५९ |
| लीवार्ड द्वीप-समूह | ९९ | १९४६ |
| मलाया | ७,४०,४३६ | १९५६ |
| माल्टा | ३७ | १९४८ |
| मॉरिशस | ४,०१,८७१ | १९५९ |
| न्यूजीलैंड | २६०० | १९५९ |
| नाइजीरिया | ३९० | १९५९ |
| न्यासालैंड | १०,००० | १९५९ |
| रोडेशिया (उत्तरी) | ६,००० | १९५७ |
| रोडेशिया (दक्षिणी) | ५,५०० | १९५९ |
| सारावक | २,००० | १९५८ |
| सीचेलीज | २५० | १९५९ |
| सियरालियोन | १०० | १९५९ |

| देशों के नाम | भारतीयों की संख्या | आनुमानिक वर्ष |
|---|---|---|
| सिंगापुर | १,२४,०८४ | १९५७ |
| दक्षिण अफ्रिका | ४,३१,००० (अनुमान) | १९५८ |
| सेण्टक्रिट्स | ६७ | १९५० |
| सेण्ट लूशिया | ३,००० | १९५४ |
| सेण्ट विन्सेण्ट | २,००० | १९५४ |
| स्वाजीलैंड | ७१,६६० | १९५७ |
| टैंगनिका | ८०,००० | १९५७ |
| ट्रिनिडाड और टोवैगो | २,६७,००० | १९५७ |
| उगाण्डा | ५८,७०० | १९५६ |
| युनाइटेड किंगडम | १,७०,००० (लगभग) | १९५८ |
| जंजीवार और पांवा | १५,६०० | १९४६ |
| अदन प्रोटेक्टरेट | १०० | १९५६ |
| अफगानिस्तान | २३६ | १९५४ |
| अर्जेण्टाइना | २५० (लगभग) | १९५८ |
| अस्ट्रिया | ४१ | १९५५ |
| वहरेन | ३,००० | १९५४ |
| कांगो (रुआण्डा उरुण्डी-सहित) | २,००० | १९५६ |
| वेलजियम | ७२ | १९५५ |
| ब्राज़िल | ६० | १९५५ |
| वलगेरिया | ३ | १९५३ |
| वर्मा | ७,००,००० | १९५८ |
| कम्बोडिया | २०० | १९५७ |
| चिली | ५ | १९५८ |
| चीन | २१० | १९५७ |
| क्यूवा | २३ (लगभग) | १९५८ |
| जेकोस्लोवाकिया | ४ | (मई) १९५५ |
| डेनमार्क | २२ | १९५५ |
| डच गायना | ७१,००० | १९५६ |
| मिस्र | १०० | १९५६ |
| इथोपिया और इरिट्रिया | २,००० | १९५७ |
| फिनलैंड | १ | १९५५ |
| फ्रान्स | २६५ | १९५७ |
| जर्मनी (पश्चिमी और पूरबी) | ३५ | १९५३ |
| पश्चिम जर्मनी | १,३०० (छात्र और प्रशिक्षणार्थी) | — |

| देशों के नाम | | भारतीयों की संख्या | | आनुमानिक वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| इण्डोचाइना | .... | २,३०० | .... | १९५० |
| इण्डोनेशिया-गणराज्य | .... | ३०,००० | .... | १९५८ |
| ईरान | .... | १,००६ | .... | १९५७ |
| इराक | .... | ८५० | .... | १९५४ |
| इटालियन सोमालीलैंड | .... | १,००० | .... | १९४७ |
| इटली | .... | ११३ | .... | (मार्च) १९५५ |
| जापान | .... | ५०१ | .... | १९५४ |
| कुवैत | .... | २,५०० | .... | १९५४ |
| लेबनान | .... | ५६ | .... | १९५५ |
| लीबिया | .... | २७ | .... | १९५६ |
| लक्जेमबर्ग | .... | — | .... | १९५२ |
| मडागास्कर | .... | १३,१५३ | .... | १९५६ |
| मेक्सिको | .... | १२ (लगभग) | .... | १९५८ |
| मसकट | .... | १,१४५ | .... | १९४७ |
| नेपाल | .... | १०,४४१ | .... | १९४१ |
| नेदरलैंड | .... | ३ | .... | १९५७ |
| पैलेस्टाइन | .... | ५६ | .... | १९४७ |
| पनामा | .... | ५-८ सौ के बीच | .... | १९५६ |
| फिलिपाइन | .... | १,६७५ | .... | १९५८ |
| पुर्त्तगाल | .... | १ | .... | १९५२ |
| पुर्त्तगीज पूर्व अफ्रिका | .... | ६,००० | .... | १९५६ |
| कातर (फारस की खाड़ी) | .... | ८०० | .... | १९५४ |
| रियूनियन द्वीप-समूह | .... | ५०० | .... | १९५६ |
| सऊदी अरब | .... | ५,००० | .... | १९५६ |
| शरजाह दुबाई | .... | २५० | .... | १९५४ |
| सूडान | .... | २,५०० | .... | १९५७ |
| स्वीडन | .... | ७६ | .... | १९५५ |
| स्विट्जरलैंड | .... | २५० | .... | १९५७ |
| सीरिया | .... | १३ | .... | १९५४ |
| थाइलैंड | .... | १०,००० | .... | १९५५ |
| सं० रा० अमेरिका | .... | ५,०६३ | .... | १९५८ |
| रूस | .... | १५ | .... | १९५३ |
| यमन | .... | ५० | .... | १९५६ |
| युगोस्लाविया | .... | — | .... | — |

# विदेशों में भारतीय उद्भव के लोग

सन् १९५७ तथा १९५८ में स्वदेश से कितने व्यक्ति बाहर गये तथा कितने व्यक्ति लौटकर आये, इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है—

| देश | भारत से जानेवाले भारतीय | | विदेशों से लौटकर आनेवाले भारतीय | |
|---|---|---|---|---|
| | १९५७ | १९५८ | १९५७ | १९५८ |
| अफ्रिका | २८७ | ३५४ | ३६ | २३ |
| बर्मा | ४३ | ८ | ४ | १५ |
| मलय | ८३ | १४ | १,५१८ | २,१८९ |
| श्रीलंका | १४८ | ५४ | १०४ | — |
| अन्य देश | २,६१४ | २,१३४ | १,२३४ | १,०८६ |
| जोड़— | ३,१७५ | २,५६४ | २,८९६ | ३,३१३ |

विदेशों में रहनेवाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या लगभग ५० लाख है। केनिया, ट्रिनिडाड, ग्रेट-ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रिका, फिजी द्वीप-समूह, बर्मा, ब्रिटिश गायना, मलय-संघ, मॉरिशस, श्रीलंका तथा सिंगापुर में से प्रत्येक देश में एक लाख से अधिक तथा इण्डोनेशिया, जमैका, टैंगनिका, डच गायना तथा उगांडा में से प्रत्येक देश में २५,००० से अधिक भारतीय हैं। सन् १९५८ ई० में श्रीलंका तथा बर्मा में क्रमशः ८,२९,६१९ तथा ७,००,००० भारतीय थे।

# भारत के दर्शनीय स्थान

## आंध्र

**गोलकुण्डा**—हैदराबाद से ५ मील पर। यहाँ एक पुराना किला है।

**तिरुपति बालाजी**—यहाँ श्रीवेंकटेश्वर का भारत-प्रसिद्ध मन्दिर है।

**मल्लिकार्जुन**—यहाँ श्रीशैल द्वादशज्योतिर्लिंगों में एक मल्लिकार्जुन-लिंग है, जो एक प्राचीन मन्दिर में अवस्थित है। यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान तथा ५१ शक्तिपीठों में एक है।

**विशाखापत्तनम्**—यहाँ एक बड़ा बन्दरगाह और जहाज बनाने का कारखाना है। यहाँ प्रति वर्ष १५ हजार टन तक के चार जहाज बन सकते हैं। यहाँ कलटेक्स का तेल-शोधक कारखाना भी है।

**हैदराबाद-सिकन्दराबाद**—यह आंध्र-प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में चारमीनार, उस्मानिया-विश्वविद्यालय, संग्रहालय और चित्रशाला, शालारजंग म्युजियम, हेल्थ म्युजियम और पब्लिक गार्डेन प्रमुख हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गोलकुण्डा का किला है।

## आसाम

**कामाख्या**—यह भारत के सिद्धपीठों में सर्वप्रमुख है। यहाँ कामाक्षी देवी का मन्दिर है, जो कूचविहार के राजा विश्वसिंह एवं शिवसिंह का बनवाया हुआ है। यहाँ के प्राचीन मन्दिर को सन् १५६४ ई० में कालापहाड़ ने ध्वस्त कर दिया। उसके भग्नावशेष अब भी वर्त्तमान हैं।

शिलांग—यह आसाम की राजधानी है। यहाँ ३६ मील पर चेरापुंजी नामक स्थान है, जहाँ साल में लगभग ५००" वर्षा होती है। यह संसार में सबसे अधिक वर्षावाला स्थान माना जाता है।

## उड़ीसा

कटक—यह उड़ीसा का प्रमुख नगर तथा तीर्थस्थान है। यहाँ महानदी के किनारे धवलेश्वर महादेव का मन्दिर तथा अन्य अनेक देव-मन्दिर हैं। यह हाल तक उड़ीसा-प्रान्त की राजधानी था।

कोणार्क—यहाँ का सूर्य-मन्दिर अपनी प्राचीन स्थापत्य-कला के लिए प्रसिद्ध है। यह पुरी से पचास मील तथा भुवनेश्वर से चालीस मील की दूरी पर है।

पुरी—समुद्र के किनारे इस नगर में सुप्रसिद्ध जगन्नाथजी का मन्दिर है। इसकी गणना चार धामों में की जाती है।

भुवनेश्वर—उड़ीसा की यह नई राजधानी और हिन्दुओं का तीर्थस्थान है। यहाँ हजारों मन्दिर थे, पर अब ये सैकड़ों की संख्या में ही हैं। इनमें लिंगराज-मन्दिर, मुक्तेश्वर-मन्दिर, परशुरामेश्वर-मन्दिर, राजरानी-मन्दिर प्रसिद्ध हैं। पास ही खंडगिरि और उदयगिरि में जैनों और बौद्धों की गुफाएँ और धौली में अशोक के शिलाभिलेख हैं। भुवनेश्वर कटक से २० मील और पुरी से ३८ मील की दूरी पर है।

रूरकेला—इस स्थान पर सरकारी सहायता से एक लोहे का कारखाना चल रहा है।

हीराकुण्ड—महानदी पर तीस करोड़ रुपये के खर्च से सिंचाई और विद्युत्-उत्पादन-कार्य के लिए इसका निर्माण किया गया है। यहाँ से उत्पन्न विद्युत् का उपयोग रूरकेला के लोहे के कारखाने तथा अन्य उद्योग-धंधों में किया जाता है।

## उत्तरप्रदेश

अयोध्या—यह हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान तथा एक सुप्रसिद्ध नगर है। इक्ष्वाकु से श्रीरामचन्द्र तक सभी चक्रवर्ती राजाओं की यह राजधानी रह चुकी है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। यहाँ अनेक मन्दिर हैं, जिनमें कनक-मन्दिर, हनुमानगढ़ी, तुलसीचौरा आदि मुख्य हैं। यह बौद्धों एवं जैनों का भी तीर्थस्थान है।

आगरा—यह नगर यमुना नदी के किनारे है, जिसकी जनसंख्या ४ लाख है। यह मुगल-सम्राट् बाबर, अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के समय भारत की राजधानी था। यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं—ताजमहल, किला, जुमा मस्जिद, मोती मस्जिद, इतमादुद्दौला का मकबरा, ५ मील दूर सिकन्दरा में अकबर का मकबरा और दयालबाग। यहाँ से २५ मील दूर फतहपुर-सिकरी है, अकबर ने जिसका निर्माण कराया था।

ऋषिकेश—यह हिमालय के अंचल में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त ही मनोरम है। यहाँ का प्राचीन भरत-मन्दिर अति प्रसिद्ध है। इसके पास ही लक्ष्मण-झूला तथा स्वर्गाश्रम हैं।

कन्नौज (कान्यकुब्ज)—यह एक वैभवपूर्ण नगर रह चुका है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है। यहाँ अब भी प्राचीन खँडहर पाये जाते हैं। प्राचीन काल में महर्षि ऋचीक ने यहीं महाराज गाधि की कन्या से विवाह किया था।

काशी—वाराणसी (बनारस) का दूसरा नाम। दे० वाराणसी।

कुशीनगर—गोरखपुर जिले का कसिया ग्राम ही प्राचीन कुशीनगर है। यह बौद्धतीर्थ है। ८० वर्ष की अवस्था में भगवान् तथागत ने यहीं महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था।

नैनीताल—उत्तरप्रदेश का यह प्रसिद्ध शीतल पहाड़ी स्थान है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से २२ मील चलकर यहाँ मोटर-बस पहुँचती है। यह स्थान समुद्र-तल से ६३५० फुट ऊँचा है। यह नगर एक बड़ी झील के किनारे-किनारे बसा है। यहाँ से हिमालय का सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ता है।

नैमिषारण्य—उत्तरप्रदेश में बालामऊ स्टेशन से १६ मील दूर यह स्थान स्थित है। यह हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान है। यहीं सूतजी ने शौनकजी को अठारहों पुराणों की कथा सुनाई थी। इसके आसपास अनेक मन्दिर हैं, जिनमें मुख्य भूतनाथ महादेव का मन्दिर है।

पिपरी—मिरजापुर जिले में इस स्थान में ४६ करोड़ रुपये के खर्च से रिहंद नामक नदी पर बाँध बाँधकर विद्युत्-उत्पादन का काम किया जा रहा है। यहाँ अलमुनियम का एक बहुत बड़ा कारखाना खुल रहा है।

प्रयाग (इलाहाबाद)—गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर यह हिन्दुओं का परम पावन तीर्थ है। सरस्वती नदी अब नहीं रह गई है। पास में एक पुराना किला है, जहाँ एक अशोक-स्तम्भ है। यहाँ जमीन के नीचे एक मन्दिर है, जहाँ अक्षयवट वृक्ष बताया जाता है। संगम पर ६ वर्ष पर अर्द्धकुम्भ और १२ वर्ष पर कुम्भ का मेला लगता है। भारत के प्रधान मंत्री श्रीजवाहरलाल नेहरू का यहीं निवास-स्थान है।

फतहपुर-सिकरी—आगरा से २३ मील पर इस स्थान में सम्राट् अकबर ने १५६९ ई० में एक नगर बसाया और इसे राजधानी बनाने के लिए यहाँ महल बनवाये। अकबर के पुत्र जहाँगीर का जन्म यहीं हुआ था। किन्तु, कुछ ही दिनों के बाद जल के अभाव से इस स्थान को छोड़ देना पड़ा। यहाँ के महल, मस्जिद आदि उजले और लाल पत्थर के बने हैं। यहाँ की इमारतों में बुलन्द दरवाजा, जामी मस्जिद, पंचमहल, दीवान-ए-खास, मरियम-भवन, जोधाबाई-महल, बीरबल-भवन, हाथी-टावर और खास महल हैं।

मथुरा-वृन्दावन—मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित भगवान् श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ द्वारकाधीश का मन्दिर प्रसिद्ध है। यहाँ एक म्युजियम भी है। मथुरा से ६ मील पर इसी नदी के किनारे वृन्दावन है। यह नगर मन्दिरमय है। यहाँ श्रीरंगजी का सबसे बड़ा मन्दिर है। व्रज-मंडल में इन दो स्थानों के अतिरिक्त गोकुल, बलदाऊ, बरसाने और गोवर्धन पर्वत हिन्दुओं के तीर्थस्थान हैं।

मसूरी—यह स्वास्थ्यप्रद पहाड़ी स्थान देहरादून से १८ मील पर है। यह समुद्र-तल से ६५८० फुट ऊँचा है। यहाँ से हिमालय की चोटियों के मनोहर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ अनेक जल-प्रपात हैं।

**मेरठ**—यह नगर दिल्ली से ५० मील की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि द्वापर में यही खाण्डव-वन था। दानव विश्वकर्मा मय यहीं रहा करता था।

**लखनऊ**—यह मुगलकालीन भारत का एक सांस्कृतिक केन्द्र था। इस समय यह उत्तर-प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, वाजिद अली शाह और उनकी बेगम का मकबरा, कैसरबाग महल, दिलखुश महल, मोती महल, जुम्मा मस्जिद, चारबाग, आलाबाग, सिकन्दरबाग, मूसाबाग, म्युजियम, चिड़ियाखाना, वेधशाला आदि हैं।

**वाराणसी (बनारस)**—गंगा नदी के किनारे यह प्राचीन नगरी हिन्दुओं का एक पवित्र तीर्थस्थान है, जिसका सम्बन्ध मुख्यतः विश्वनाथ महादेव से है। यह शिव की नगरी समझी जाती है। इसका दूसरा नाम काशी है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं—विश्वनाथ-मन्दिर, मान-मन्दिर (सवाई जयसिंह-निर्मित वेधशाला), भारतमाता का मन्दिर, औरंगजेब की मस्जिद, ज्ञानवापी, बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय और रामनगर का किला।

**श्रावस्ती**—यह गोंडा जिले में बलरामपुर स्टेशन से १२ मील की दूरी पर स्थित है। यह कोसल-राज्य की राजधानी रह चुकी है। यह बौद्धों एवं जैनों का तीर्थस्थान है।

**सारनाथ**—वाराणसी के पास बौद्धों का तीर्थस्थान, जहाँ पुरातत्त्व-विभाग के उत्खनन से अशोककालीन स्तूप आदि अनेक वस्तुएँ मिली हैं। यहीं भगवान् बुद्ध ने बौद्धधर्म का प्रचार आरम्भ किया था।

**हरद्वार**—हिमालय की तराई में गंगा के दाहिने तट पर यह हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ है। यहाँ का दृश्य मनोरम है। यहीं से गंगा समतल भूमि पर उतरती है। यहाँ प्रति बारहवें वर्ष कुम्भ का तथा प्रति छठे वर्ष अर्द्धकुम्भ का मेला लगता है। यहाँ की पाँच मायापुरियों में कनखल भी है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है।

**हस्तिनापुर**—यह स्थान मेरठ नगर से २२ मील की दूरी पर स्थित है। द्वापर-युग में पाण्डवों की राजधानी यहीं थी। यह जैनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है।

## कश्मीर

**अमरनाथ**—यह कश्मीर-राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। समुद्र-तल से १६००० फुट की ऊँचाई पर लगभग ६० फुट लम्बी, २५ से ३० फुट चौड़ी और १५ फुट ऊँची यहाँ एक प्राकृतिक गुफा है, जिसमें हिम-निर्मित प्राकृतिक शिवलिङ्ग है। यहाँ प्रति वर्ष हजारों तीर्थयात्री तीर्थयात्रा के लिए आते हैं।

**बूढ़े अमरनाथ**—यह कश्मीर-राज्य में पुंछ नगर से १४ मील दूर एक तीर्थस्थान है। यहाँ ऊँची-ऊँची पहाड़ियों से घिरा एक मन्दिर है, जो एक ही उजले पत्थर से निर्मित है। अमरनाथ महादेव की मूर्ति के नीचे से निरन्तर जल निकला करता है। इसके समीप ही पुलस्ता नदी है, जिसके तट पर महर्षि पुलस्त्य का आश्रम था।

## केरल

**त्रिवेन्द्रम्**—यह केरल-राज्य की राजधानी है। इसे दक्षिण-भारत का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पुराने महल, म्युजियम, चित्रशाला, चिड़ियाखाना, पद्मनाभ का मन्दिर आदि दर्शनीय स्थान हैं।

## गुजरात

**अहमदाबाद**—भारत का यह सबसे बड़ा सूती वस्त्रोत्पादक केन्द्र है। यहां १५वीं और १६वीं सदी की अनेक प्रसिद्ध मुस्लिम इमारतें हैं। यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थान हैं—महात्मा गांधी का साबरमती-आश्रम, गुजरात-विद्यापीठ; गुजरात-विश्वविद्यालय, टेक्स्टाइल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आदि।

**आनन्द**—बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच इस शहर में दूध और मक्खन तैयार करनेवाली सहकारी समिति का प्रधान कार्यालय है।यह सहकारी दुग्धशाला बिलकुल आधुनिक ढंग से बनी हुई है। इसके अन्तर्गत एक हजार तीन सौ वर्गमील के चालीस हजार कृषक सम्मिलित हैं।

**काम्बे**—यह प्राचीन ऐतिहासिक स्थान और बन्दरगाह है। यहाँ लूनेज नामक स्थानों में तेल और प्राकृतिक गैस का पता चला है। यहाँ रूसी सहायता से इस समय तेल का बहुत बड़ा कारखाना चल रहा है।

**जूनागढ़**—गुजरात में यह गिरनार पर्वत के नीचे बसा है। पर्वत के ऊपर स्थित मंदिर अपनी स्थापत्य-कला और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अशोक का शिलालेख है।

**द्वारकाधाम**—यह हिन्दुओं के चार धामों में एक है। यह समुद्र के किनारे स्थित है। यदुराज श्रीकृष्ण मथुरा छोड़कर यहीं आ बसे थे। यहाँ द्वारकाधीश या रणछोड़जी का सतमंजिला मन्दिर है। यहीं जगद्गुरु शंकराचार्य का शारदा-मठ है।

**पोरबन्दर**—यह विश्ववंद्य महात्मा गांधी का जन्म-स्थान है। यहीं श्रीकृष्ण के सखा सुदामाजी का निवास-स्थान था। इससे यह एक तीर्थस्थान बन गया है।

**प्रभासपाटम (सोमनाथ)**—यहाँ सुप्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर था। उसी स्थान पर सन् १९५१ ई० में नवीन मंदिर तथा मूर्त्ति का निर्माण किया गया है।

**बड़ौदा**—यह गुजरात का प्रसिद्ध नगर है।

## दिल्ली

**दिल्ली**—यह भारत की हजारों वर्ष पुरानी राजधानी है। जहाँ पुरानी राजधानी थी, उसे दिल्ली और जहाँ आज नई राजधानी बनी है, उसे नई दिल्ली कहते हैं। समय-समय पर दिल्ली के कई नाम पड़े; जैसे तुगलकाबाद, जहानाबाद, फ़िरोजाबाद, शाहजहाँबाद आदि। यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं—लाल किला, जामा मस्जिद, अशोक-स्तम्भ, कुतुबमीनार, हुमायूँ का मकबरा, फ़िरोजशाह कोटला, पुराना किला, नेशनल म्युजियम, जन्तर-मन्तर, (पुरानी वेधशाला), राष्ट्रपति-भवन, संसद्-भवन, पालम (हवाई अड्डा), राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि।

## पंजाब

**अमृतसर**—यह उत्तर रेलवे का जंक्शन तथा पंजाब का प्रसिद्ध नगर है। यहाँ का स्वर्ण-मंदिर सिखों का मुख्य गुरुद्वारा है। नगर के मध्य में 'अमृतसर' नामक एक सरोवर है, जिसके नाम पर इस नगर का नाम पड़ा है। इस नगर का जलियानवाला बाग, जहाँ जेनरल डायर ने सन् १९१९ ई० में निरीह नागरिकों पर गोलियाँ चलवाई थीं, राष्ट्रीय महत्त्व का स्थान बन

गया है। अन्य दर्शनीय स्थानों में बाबा अटल टावर, अकाल तख्त, रामबाग, गोविन्दगढ़, आदि हैं।

कुरुक्षेत्र—कहते हैं कि इसी पावन भू-क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों ने सर्व-प्रथम वेदमन्त्रोच्चार किया था। यह महाभारत-युद्ध की समर-भूमि रह चुका है, जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता का अमर संदेश सुनाया था। थानेश्वर, पानीपत, तरावड़ी, कैथल, करनाल इत्यादि युद्ध-क्षेत्र इसी भूमि में स्थित हैं। यहाँ सूर्यग्रहण तथा कुम्भ के अवसर पर मेला लगता है।

चंडीगढ़— यह पंजाब की नई राजनगरी है, जो नये ढंग से निर्मित की गई है। यह उत्तरी रेलवे के कालका स्टेशन के पास है।

ज्वालामुखी —यहाँ पेट्रोलियम की खान का पता चला है। रूमानिया-सरकार की सहायता से यहाँ तेल निकालने के कुएँ खोदने का काम चल रहा है।

भाखरा-नांगल—सतलज नदी के किनारे इन दो नगरों में लगभग दो अरब के खर्च से जल-विद्युत् का कारखाना चल रहा है। यह देश का सबसे बड़ा कारखाना है। यहाँ सतलज का पानी बाँध द्वारा संचित होकर सिंचाई तथा विद्युत्-उत्पादन के कार्य में आता है।

## पश्चिम बंगाल

कलकत्ता—भारत का सबसे बड़ा नगर और प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र है। यह अँगरेजी शासन-काल में सन् १९१२ ई० तक भारत की राजधानी रहा। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में विक्टोरिया मेमोरियल (चित्रशाला और संग्रहालय), इंडियन म्युजियम, चिड़ियाखाना, कालीघाट-मन्दिर, पारसनाथ-मन्दिर, नेशनल लाइब्रेरी, राजभवन, बेलवेडियर हाउस, फोर्ट विलियम, इडेन गार्डेन, टाउन हॉल, हॉग्स मार्केट, डलहौसी स्क्वायर, घुड़दौड़ का मैदान, ढकुरिया झील आदि हैं। पास के देखने योग्य स्थानों में बेलूर मठ (रामकृष्ण मिशन का प्रधान केन्द्र), बोटैनिकल गार्डेन, डायमण्ड हार्बर, दमदम (हवाई अड्डा) आदि हैं।

गङ्गा-सागर—कलकत्ता से लगभग ६० मील दक्षिण, जहाँ गङ्गा नदी समुद्र में गिरती है, सागर-द्वीप है। यहीं मकर-संक्रान्ति के अवसर पर गङ्गा-सागर का मेला लगता है। प्राचीन काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था।

तारकेश्वर—हवड़ा से लगभग ३५ मील दूर तारकेश्वर नामक तीर्थस्थान है। यहाँ का तारकेश्वर-मन्दिर भारत-प्रसिद्ध है। मन्दिर के पास ही दुग्धगङ्गा नामक सरोवर तथा काली-मन्दिर है।

दक्षिणेश्वर—कलकत्ता के समीप ही गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर नामक स्थान है, जहाँ एक काली-मन्दिर है। मन्दिर के घेरे में ११ शिव-मन्दिर हैं। यहां रामकृष्ण परमहंसदेव ने महाकाली की आराधना की थी। मन्दिर के पास ही परमहंसदेव का वह कमरा है, जिसमें वे निवास करते थे। उस कमरे में उनका पलंग तथा अन्य स्मृति-चिह्न सुरक्षित हैं। पास ही परमहंस की धर्मपत्नी श्रीशारदा माता तथा रानी रासमणि के समाधि-मन्दिर हैं।

दार्जिलिंग—यह पश्चिम बंगाल का पर्वतीय स्थान है, जो समुद्र-तल से ७,११० फुट ऊँचा है। यहाँ से हिमालय की कंचनजंघा आदि चोटियों के दृश्य सुन्दर दिखाई पड़ते हैं। साफ

दिनों में एवरेस्ट की चोटी भी देखने में आती है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में गवर्मेंण्ट हाउस, म्युजियम, ऑवज़र्वेटरी हिल, बोटैनिकल गार्डेन, संचाल झील, घूम-मठ आदि हैं।

दुर्गापुर—यहाँ ब्रिटेन की सहायता से बहुत बड़ा लोहे का कारखाना चल रहा है। यहाँ कोयला तैयार करने का कारखाना, दामोदर वैली-कारपोरेशन का ताप-विद्युत्-कारखाना और नहर चालू हैं। पास ही चश्मे के शीशे का कारखाना खोलने की तैयारी हो रही है।

नवद्वीप—हवड़ा से ६६ मील दूर नवद्वीप-धाम स्टेशन है, जहाँ से एक मील दूर नवद्वीप नगर है। यह चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि होने के कारण वैष्णवों का महातीर्थ बन गया है। श्रीगौराङ्ग महाप्रभु-मन्दिर यहाँ का प्रमुख-मन्दिर है।

बर्नपुर और कुल्टी—बिहार और बंगाल की सीमा पर आसनसोल के पास यहाँ इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी का बहुत बड़ा कारखाना है।

बाटानगर—कलकत्ता के पास इस नगर में बाटा-कम्पनी का बहुत बड़ा जूते का कारखाना है।

शान्ति-निकेतन—बोलपुर से दो मील पर इस स्थान पर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्व-भारती नामक अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो अब भारत-सरकार के अधीन है।

## बिहार

अजगैबीनाथ—सुलतानगंज स्टेशन से लगभग एक मील दूर गङ्गा नदी की बीच धारा में एक ऊँची चट्टान पर अजगैबीनाथ महादेव का मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ जह्नु ऋषि का आश्रम था।

कोशी बाँध—उत्तर बिहार की कोशी नदी पर ४५ करोड़ रु० के खर्च से बाँध बाँधकर इसकी बाढ़ के पानी और इसकी बराबर बदलनेवाली धारा को रोका गया है। यहाँ जल-विद्युत् तैयार करने की भी योजना है।

गया—यहाँ के मन्दिरों में विष्णुपद का मन्दिर मुख्य है। यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है। यहाँ सारे भारत से हिन्दू लोग अपने पितरों को पिंड-दान देने के लिए आते हैं। इसके पास ही बौद्धों का तीर्थस्थान बोधगया है, जिसका विवरण अलग दिया गया है।

जमशेदपुर—पिछले साठ वर्षों से यहाँ लोहे के कई बड़े-बड़े कारखाने चल रहे हैं, यह बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी ताता के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा है।

डालमियानगर—शाहाबाद जिले के इस स्थान पर रामकृष्ण डालमिया के प्रयत्न से सीमेंट, कागज, चीनी, बनस्पति घी, अस्बेस्टस आदि के कारखाने चल रहे हैं और यहाँ एक बड़ा नगर ही बन गया है। इससे लगा हुआ रेलवे लाइन के दूसरी ओर डेहरी-ऑन-सोन नगर है।

दामोदर घाटी-निगम-केन्द्र—बिहार और बंगाल के अन्तर्गत दामोदर नदी पर बाँध जलाशय, नहर और कई विद्युत्-केन्द्र निर्मित किये गये हैं। इसके चार बाँध तिलैया, कोनार, मैथन

और पंचेत पहाड़ी इन चार स्थानों पर बने हुए हैं। पिछले तीन स्थानों पर जल-विद्युत्-केन्द्र तथा बोकारो और दुर्गापुर में ताप-विद्युत्-केन्द्र हैं। इसके प्रत्येक जल-भाण्डार से नहरें निकाली गई हैं।

**नालन्दा**—पटना जिला के अन्तर्गत इस स्थान पर प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था, जहाँ चीन, तिब्बत, जापान, इंडोनेशिया आदि सभी बौद्ध देशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इसके खँड़हर आज भी विद्यमान हैं। यहाँ पालि-साहित्य के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए नवनालंदा महाविहार की स्थापना की गई है। यहाँ एक छोटा-सा म्युजियम भी है।

**पटना**—यह प्राचीन मगधराज्य की राजधानी है, जिसके पुराने नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद आदि थे। इस समय यह बिहार-राज्य की राजधानी है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में पाटलिपुत्र के खँड़हर, म्युजियम, गोलघर, खुदाबख्श खाँ लाइब्रेरी, हर-मन्दिर (गुरु गोविन्दसिंह का जन्म-स्थान) तथा बड़ी और छोटी पटनदेवी के मन्दिर प्रमुख हैं।

**पावापुरी**—यह पटना जिले में स्थित जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ जैनों के चौबीसवें तीर्थङ्कर वर्द्धमान महावीर का निर्वाण हुआ था। यहाँ झील के बीच में एक मन्दिर है, जहाँ पुल से जाने का रास्ता है। यहाँ बहुत-से ताम्रपत्रों एवं शिलाओं पर उत्कीर्ण प्राचीन अभिलेख भी हैं।

**बक्सर**—यह शाहाबाद जिले में पटना-मुगलसराय लाइन पर स्थित है। यहाँ त्रेता युग में सिद्धाश्रम था। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम भी यहीं था। श्रीराम-लक्ष्मण ने यहीं मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि से ऋषि के यज्ञ की रक्षा की थी।

**बोधगया**—गया से छह मील दूरी पर यह बौद्धों का तीर्थस्थान है, जहाँ भगवान् बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इस स्थान पर मध्य-युग का बना एक विशाल मन्दिर है। यहाँ के अन्य मन्दिर और धर्मशालाएँ भी देखने योग्य हैं।

**मुँगेर**—गंगा के किनारे यह एक ऐतिहासिक स्थान है। महाभारत-काल में इसका नाम मोदगिरि या मुद्गलपुरी था। दानवीर कर्ण की यहाँ राजधानी थी। कष्टहरणीघाट पर १०वीं शताब्दी का एक शिलालेख है। यहाँ से ५ मील दूर सीताकुण्ड नामक गरम जल का कुण्ड है। यहाँ गंगातट पर अर्द्धगोलाकार चण्डी देवी का मन्दिर है, जो चट्टान काटकर बनाया गया है। यह एक सिद्ध उप-पीठ माना जाता है। यहाँ एक बहुत प्राचीन किला है, जिसकी मरम्मत विभिन्न कालों में होती रही है। यह नगर मीरकासिम की भी राजधानी रह चुका है। यहाँ सिगरेट का बहुत बड़ा कारखाना है। पास के जमालपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे का बहुत बड़ा कारखाना है।

**राँची**—यह बिहार-राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसके पास ही हटिया में भारी मशीन-निर्माण का एक बड़ा कारखाना खुल रहा है।

**राजगृह**—इसका प्रचीन नाम गिरिव्रज है। यह हिन्दू, बौद्ध तथा जैन—तीनों का ही तीर्थस्थल है। पाटलिपुत्र के पूर्व मगध-राज्य की राजधानी यहीं थी। यहाँ मलमास में मेला लगता है। यहाँ गरम जल के कई कुण्ड हैं। यहाँ का मणियार मठ, ब्रह्मकुण्ड, गृध्रकूट पर्वत, सोनभण्डार, जरासंध का अखाड़ा, सप्तपर्णी गुफा आदि दर्शनीय हैं।

**विक्रमशिला**—आठवीं से बारहवी सदी तक यहाँ बौद्धों का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, जहाँ भारत के अतिरिक्त चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, इण्डोनेशिया आदि देशों के छात्र विद्याध्ययन के लिए आते थे। इन दिनों यहाँ खुदाई का कार्य चल रहा है।

**वैद्यनाथधाम**—यह भारत-प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ का शिवलिङ्ग बारह ज्योतिर्लिङ्गों में एक है। यह एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ वैद्यनाथ-मन्दिर के अतिरिक्त पार्वती-मन्दिर, लक्ष्मी-नारायण-मन्दिर आदि दर्शनीय हैं। यहाँ से ४ मील की दूरी पर तपोवन तथा २८ मील पर वासुकिनाथ का मन्दिर है।

**वैशाली**—यह प्राचीन वैशाली-जनपद का राजधानी तथा जैनो के चौबीसवें तीर्थङ्कर वर्द्धमान महावीर की जन्मभूमि है। भगवान् बुद्ध यहाँ कई बार आये थे, अतः यह बौद्धों एवं जैनों का पवित्र तीर्थस्थल है। यहाँ एक अशोक-स्तंभ है। पुराने विशालगढ़ की खुदाई हो रही है।

**सासाराम**—शाहाबाद जिले के अन्तर्गत इस स्थान पर दिल्ली-सम्राट् शेरशाह का अपना बनाया मकबरा है।

**सिंदरी**—धनबाद जिले में इस स्थान पर एशिया का एक बहुत बड़ा कृत्रिम खाद का कारखाना चल रहा है।

**सीतामढ़ी**—मुजफ्फरपुर जिले में, दरभंगा-रक्सौल रेलवे-लाइन पर सीतामढ़ी स्टेशन है। यहाँ रामनवमी के अवसर पर मेला लगता है। कहते हैं कि महाराज जनक के हलाग्र से यहीं सीताजी प्रकट हुई थीं। यहाँ सीताजी के मन्दिर के अतिरिक्त और भी कई मन्दिर हैं।

**हरिहर-क्षेत्र**—छपरा से २६ मील दूर पूर्वोत्तर रेलवे का सोनपुर स्टेशन है। इसके पास ही गंगा और गण्डकी का संगम है। इसी स्थान पर हरिहर-क्षेत्र का भारत-प्रसिद्ध मेला लगता है, जो भारत का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ हरिहरनाथ का एक मन्दिर है। कहते हैं, यहीं गज-ग्राह-युद्ध हुआ था और भगवान् ने गज की रक्षा की थी।

## मद्रास

**ऊटकमंड**—यह मद्रास-राज्य में नीलगिरि के अन्तर्गत प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है। यह समुद्र-तट से ७५०० फुट ऊँचा है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में बोटेनिकल गार्डेन, घुड़दौड़ का मैदान आदि प्रमुख हैं।

**कन्याकुमारी**—भारत के दक्षिणी भाग का वह स्थान है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम-स्थल है। यहाँ समुद्र में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए दूर-दूर के लोग आते हैं। यह एक देवी, कन्याकुमारी, का मन्दिर है।

**कांजीवरम्**—मद्रास से ४५ मील दक्षिण-पश्चिम यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ हजार से अधिक मन्दिर हैं। यह नगर तीन भागों में विभक्त है—शिवकांजीवरम्, विष्णुकांजी-वरम् और पिल्लायर पलियम्। दर्शनीय स्थान ये हैं—कैलासनाथ मन्दिर, वैकुंठ पेरुमल मन्दिर (दोनों हजार वर्ष से अधिक पुराना), एकम्बरेश्वर मन्दिर (४०० वर्ष पुराना), वेदराजा पेरुमल मन्दिर आदि।

**कुन्नूर**—मद्रास-राज्य की नीलगिरि-पर्वतमाला में एक स्वास्थ्यप्रद स्थान है, जो समुद्र-तल से ६०० फुट ऊँचा है। उटकमंट और कोटागिरि इन दो पर्वतीय स्थानों से यह सड़क द्वारा सम्बद्ध है।

**तंजोर**—कावेरी नदी के डेल्टा पर बसा हुआ यह एक ऐतिहासिक नगर है। प्राचीन काल में यह चोल राजाओं की राजधानी रह चुका है। यह एक तीर्थस्थान भी है। यहाँ का प्राचीन वृद्धेश्वरमन्दिर भारत-प्रसिद्ध है।

**तिरुचिरपल्ली ( त्रिचनापल्ली )**—मद्रास-राज्य का यह तीसरा बड़ा शहर है। यह चोल आदि राजाओं की राजधानी थी। यहाँ हिन्दुओं के कई मंदिर हैं।

**नई वेली**—दक्षिण आरकाट जिले में लिगनाइट की खान है। यहाँ बिजली, खाद और कच्चा लिगनाइट के कारखाने हैं।

**पेरम्बरम्**—मद्रास के पास इस स्थान पर रेलवे डब्बा बनाने का कारखाना है।

**मदुरा**—यह प्राचीन काल में पाण्ड्य-राज्य की राजधानी था। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में मीनाक्षी और शिव का मंदिर, तिरुमल नायक का राजभवन और गांधी-म्युजियम प्रमुख हैं। हाथ-करघा से तैयार यहाँ के रेशमी तथा सूती वस्त्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं।

**मद्रास**—यह भारत का तीसरा बड़ा नगर और मद्रास-राज्य की राजधानी है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थान सेण्ट जॉर्ज का किला, लाइट हाउस, मेरीना, म्युजियम, कैनमारा लाइब्रेरी, चिड़ियाखाना, वेधशाला, थियोसोफिस्टों का प्रधान कार्यालय ( अडेयर ) और कला-क्षेत्र हैं।

**मल्लपुरम् ( तुंगभद्रा )**—बेलारी जिले में इस स्थान पर ६० करोड़ रुपये के खर्च से तुंगभद्रा नदी पर बाँध बाँधकर विद्युत्-उत्पादन का काम किया जा रहा है।

**महाबलीपुरम्**—यह मद्रास के दक्षिणी किनारे स्थित है। यहाँ सात पैगोडा हैं। यहाँ के मंदिर चट्टानों को काटकर बनाये गये हैं। यहाँ की मूर्त्तियों में गंगावतरण की मूर्त्ति प्रमुख है, जो सातवीं सदी में ६० फुट लम्बी और ४३ फुट ऊँची चट्टान को काटकर बनाई गई है। अन्य मूर्त्तियों में अनन्तशायी भगवान् विष्णु की मूर्त्ति तथा तपस्या करते हुए अर्जुन की मूर्त्ति हैं।

**रामेश्वरम्**—यह भारत की दक्षिणी सीमा पर एक छोटे-से द्वीप के अन्तर्गत हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान है। यहाँ रामेश्वरनाथ का मंदिर है। कहते हैं कि लंका से लौटकर रामचन्द्रजी ने यहाँ शिव की पूजा की थी। यह चार धामों के अन्तर्गत है। यहाँ से कुछ दूर पर धनुष्कोटि नामक तीर्थ है। धनुष्कोटि से श्रीलंका के लिए जहाज जाता है।

**श्रीरंगम्**—यह तिरुचिरपल्ली से २ मील उत्तर कावेरी नदी के टापू पर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मन्दिर है, जिसमें १००० हजार स्तम्भ हैं। यह मन्दिर २६६ बीघे के घेरे में है। इस मन्दिर में श्रीरंगनाथ ( विष्णु ) की मूर्त्ति है। ईसा की ९वीं से १६वीं सदी तक में इसमें बहुत परिवर्त्तन हुए हैं। यहाँ चोल, पाण्ड्य, होयसल और विजयनगर-काल के अभिलेख हैं।

## मध्यप्रदेश

**अमरकण्टक**—यह एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान तथा नगर है। यहाँ नर्मदेश्वर, अमरकण्टकेश्वर, अमरनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ आदि के मन्दिर हैं।

**उज्जैन**—राजा विक्रमादित्य के समय में यह भारत की राजधानी था। यह हिन्दुओं का तीर्थस्थान है। यहाँ बारह ज्योतिर्लिङ्गों में एक महाकाल का मन्दिर है। यह शक्तिपीठ भी है। प्रत्येक बारहवें वर्ष यहाँ कुम्भ का मेला लगता है।

**कोरबा**—यहाँ कोयले की खान तथा ताप-विद्युत्-केन्द्र है। मुख्यतः यहीं के कोयला और विद्युत् से भिलाई का कारखाना चलता है।

**खजुराहो**—यह बुंदेलखंड में स्थित है, जहाँ भगवान् शिव और विष्णु के अतिरिक्त कितने ही जैनमन्दिर हैं। ये मन्दिर ६१० ई० से १०५० ई० सन् के बीच निर्मित हुए हैं।

**ग्वालियर**—यहाँ हिन्दू राजाओं के पुराने किले हैं। यहाँ की इमारतों में मानसिंह का महल, तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई और मराठा शासकों की छतरियाँ, जामी मस्जिद, चिड़ियाखाना, मोतीमहल आदि प्रमुख हैं। यहाँ की जनसंख्या करीब तीन लाख है।

**चित्रकूट**—यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। भगवान् राम ने यहाँ वनवास काल में निवास किया था।

**जबलपुर**—यह पहले मध्यप्रदेश की राजधानी था। यहाँ से चौदह मील पर संगमरमर की चट्टानें और धुआंधार नामक जल-प्रपात हैं।

**नेपानगर**—भारत में केवल इसी स्थान पर न्यूज प्रिंट कागज का कारखाना है।

**पंचमढ़ी**—यह मध्यप्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ कई झीलें, झरने और जल-प्रपात हैं।

**भरहुत** - यहाँ अनेक बौद्ध स्तूप हैं, जिनपर भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्म-सम्बन्धी अनेक चित्र अंकित हैं। अनुमान है कि यहाँ के स्तूप ई० पूर्व की द्वितीय शताब्दी के हैं।

**भिलाई**—दुर्ग नामक जिले में इस स्थान पर रूस की सहायता से लोहा तथा इस्पात का कारखाना चल रहा है।

**साँची**—यह भोपाल से २८ मील तथा भेलसा से ६ मील पूरब स्थित है। यहाँ का बौद्ध स्तूप अपनी कला के लिए प्रख्यात है। यहाँ के एक सरोवर की सीढ़ियाँ बुद्ध-काल की बताई जाती हैं। स्तूप के चारों ओर के दरवाजों पर जातक-कथामाला की बहुत-सी कहानियाँ अंकित हैं। भगवान् बुद्ध के दो प्रिय शिष्य—सारिपुत्त और मोग्गलायन के अस्थि-अवशेष यहाँ सुरक्षित हैं।

## महाराष्ट्र

**अजन्ता-गुफा**—यह बम्बई—राज्य के औरंगाबाद स्थान से ६६ मील उत्तर है। यहाँ बौद्धकालीन २९ गुफाएँ हैं, जिनमें ५ चैत्य और २४ विहार हैं। यहाँ २०० ई० पू० से ७७० ई० तक की स्थापत्य-कला, वास्तुकला और चित्रकला के नमूने हैं।

**औरंगाबाद**—इस नगर के पास ८ बौद्धकालीन गुफाएँ, मुस्लिमकालीन मस्जिद और मकबरे हैं। इनमें बीबी ( औरंगजेब की पत्नी ) का मकबरा मुख्य है।

**एलिफेण्टा गुफा**—बम्बई-बन्दरगाह से ६ मील पर एलिफेण्टा नामक टापू में उक्त गुफा के अन्दर शिव की मूर्त्तियाँ विविध रूप में निर्मित हैं। ये मूर्त्तियाँ ७वीं-८वीं सदी की हैं। मुख्य गुफा १२५ फुट लम्बा और १२५ फुट चौड़ा है। तीन शिरोंवाली शिव की मूर्त्ति अपनी विशालता और सुन्दरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है।

**एलोरा गुफाएँ**—ये गुफाएँ औरंगाबाद से १५ मील उत्तर-पश्चिम लगभग सवा मील में फैली हुई हैं। इनमें १२ बौद्ध गुफाएँ, १७ हिन्दू गुफाएँ और ५ जैन गुफाएँ हैं। अन्य गुफाओं से हिन्दू-गुफाएँ अधिक विचित्र हैं। यहाँ का कैलास-मन्दिर भारत का सबसे बड़ा गुफा-मन्दिर है। ये गुफाएँ लगभग हजार वर्ष पुरानी हैं।

**कार्ली गुफा**—यह एक प्रसिद्ध बौद्ध गुफा है, जिसकी लम्बाई १२४ फुट और चौड़ाई ४५ फुट है। इस गुफा के सभी मन्दिर चट्टान काटकर बनाये गये हैं। इसमें कई चैत्य तथा बुद्ध की मूर्त्तियाँ हैं। इस गुफा का निर्माण-काल ई० पू० की पहली शताब्दी है। इसके पास ही भाजा की गुफाएँ हैं, जहाँ के चैत्य तथा मूर्तियाँ दर्शनीय हैं।

**किर्लोस्करवाड़ी**—सतारा जिले में ४६ वर्षों से चालू यह औद्योगिक केन्द्र है, जहाँ कृषि और इंजिनियरिंग-सम्बन्धी औजार तैयार किये जाते हैं।

**कोयना नगर**—यहाँ ३० करोड़ रुपये के खर्च से कोयना नदी के जल के सुरंग से निकालकर पहाड़ी के दूसरी ओर ले जाकर जमीन के भीतर विद्युत् तैयार करने का कारखाना खोला गया है।

**दौलताबाद**—यहाँ की एक पहाड़ी पर १२वीं सदी का एक किला है। एक समय यह इतना समुन्नत था कि दिल्ली के बादशाह मुहम्मद-बिन तुगलक ने अपनी राजधानी यहीं लानी चाही। उसकी दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली राजधानी ले जाने की कहानी प्रसिद्ध है। औरंगजेब का मकबरा यहीं है।

**नासिक**—गोदावरी के तट पर यह एक प्रमुख नगर तथा तीर्थस्थान है। यहाँ त्र्यम्बकेश्वर महादेव का मन्दिर है। भगवान् रामचन्द्र ने यहीं पंचवटी में वनवास की एक लम्बी अवधि बिताई थी। यहाँ प्रति बारहवें वर्ष कुम्भ का मेला लगता है। यहाँ भारत-सरकार का सिक्युरिटी प्रेस है।

**पिम्परी**—पूना के पास इस स्थान पर एण्टि-बॉयटिक दवाओं का कारखाना है, जहाँ पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि बनते हैं।

**पूना**—यह पुराना ऐतिहासिक स्थान है। इस समय यहाँ कई कल-कारखाने तथा अनुसंधान-शालाएँ चल रही हैं।

**बम्बई**—यह भारत का द्वितीय बड़ा नगर और बन्दरगाह है। सूती वस्त्र-उद्योग तथा फिल्म-उद्योग का यह प्रसिद्ध केन्द्र है। यहाँ का विदेशी व्यापार भारत के कुल व्यापार का ४६ प्रतिशत है। यह रेल-मार्ग और वायु-मार्ग का मुख्य केन्द्र है। यहाँ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थान ये हैं—भारत का गेट-वे, अपोलो-बन्दर, प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युजियम, टाउनहॉल, सेण्ट्रल लाइब्रेरी, विक्टोरिया टरमिनस, चौपाटी का मैदान, मालाबार हिल्स का हैंगिंग गार्डेन, घुड़दौड़ का मैदान, विक्टोरिया गार्डेन और अलबर्ट म्युजियम। आसपास के देखने योग्य स्थान—जुहू, मैरिनड्राइव, विहार झील, कन्हेरी गुफा, जोगेश्वरी गुफा, वज्रेश्वरी मन्दिर, मंडपेश्वर, एलिफेण्टा गुफा, ट्राम्बे ( अणुशक्ति-केन्द्र ) आदि।

**महाबलेश्वर**—यह महाराष्ट्र-राज्य का स्वास्थ्यप्रद पहाड़ी स्थल है। यहाँ मराठों के कई पहाड़ी किले, झील, जल-प्रपात और महाबलेश्वर के मन्दिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं।

यह पाँच नदियों—सावित्री, कृष्णा, वेगया, ककुद्मती (कोयन) और गायत्री के संगम पर बसा है। यहाँ के महाबलेश्वर के प्राचीन मन्दिर में शिवजी की मूर्त्ति है।

रायगढ़—यहाँ छत्रपति शिवाजी का प्रसिद्ध दुर्ग और समाधि है।

सतारा—यह महाराष्ट्र-राज्य की राजधानी रहा है।

सेवाग्राम—वर्धा जिले के इस ग्राम में महात्मा गांधी ने एक आश्रम स्थापित किया था।

## मैसूर

कोलार—यह मैसूर-राज्य के अन्तर्गत सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तीन सोने की खानें सरकारी प्रबन्ध में चालू हैं।

जोग-प्रपात—यह संसार के बड़े जल-प्रपातों में है। इसे गरुशोप्पा जल-प्रपात भी कहते हैं। सारावती नदी का यह जल-प्रपात ८८० फुट ऊँचे पर्वत पर से २३० फुट की चौड़ाई में गिरता है। इसे देखने का सबसे सुन्दर समय दिसम्बर मास है।

बीजापुर—यह पुराने बीजापुर-राज्य की राजधानी है। यहां प्राचीन महलों, मन्दिरों, मस्जिदों और मकबरों के ध्वंसावशेष बहुत हैं।

बंगलोर—यह मैसूर का सबसे बड़ा नगर और स्वास्थ्यप्रद स्थान है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में टीपू सुलतान का महल, वर्त्तमान महाराज का महल, कई प्रकार के औद्योगिक केन्द्र, मन्दिर और बाग-बगीचे हैं।

बदामी—यहाँ बहुत-से प्राचीन हिन्दू-मन्दिर और छठी सदी की गुफाएँ हैं, जिनमें कुछ मूर्त्तियाँ भी मिलती हैं। इसी के पास अइहोली नामक स्थान में भी प्राचीन हिन्दू-मन्दिर हैं।

भद्रावती—यहाँ मैसूर-सरकार के लोहा तथा इस्पात के कारखाने हैं।

मैसूर—यह प्राचीन काल से ही मैसूर-राज्य की राजधानी रहा है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में पुराने राजाओं के राजमहल, पास की पहाड़ी पर का चामुण्डा-मन्दिर, चिड़ियाखाना, चन्दन की लकड़ी का कारखाना, रेशम का कारखाना आदि हैं।

श्रवणबेलगोल—यह जैनमन्दिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ९८३ ई० में निर्मित ६५ फुट ऊँची जैनाचार्य गोम्मटेश्वर की मूर्त्ति है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूर्त्ति है, जो एक पहाड़ी की चोटी पर एक ही प्रस्तर-खण्ड को काटकर बनाई गई है।

हालेबिद—यहाँ भगवान् हालेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर है, जो दक्षिण के मन्दिरों में, कला एवं संस्कृति की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

अजमेर—यहाँ हिन्दू और मुस्लिम युग के बहुत-से ऐतिहासिक ध्वंसावशेष हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह, अकबर का किला (अब म्युजियम), अनासागर, ढाई दिन का झोपड़ा, तारागढ़ आदि यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं। हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ पुष्कर यहाँ से ७ मील की दूरी पर है।

आबू पर्वत—यह राजस्थान में ४५०० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ श्री रघुनाथजी का विशाल मन्दिर है। पहाड़ियों के बीच यहाँ एक सुन्दर झील है, जिसका दृश्य अत्यन्त मनोरम है। यह जैनों का भी तीर्थस्थान है। यहाँ संगमरमर-निर्मित दिलवारा नामक एक विशाल जैनमन्दिर है।

उदयपुर—यह राजस्थान का प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नगर है। यह मेवाड़ के राणाओं की राजधानी रह चुका है। यहाँ महाराणा प्रताप के खड्ग, कवच, भाला और अन्य शस्त्रास्त्र सुरक्षित हैं। यहाँ महाराणा प्रताप के प्रिय अश्व चेतक की ज़िन भी मौजूद है। यहाँ से कुछ ही मील दूर हल्दीघाटी की युद्ध-स्थली है।

चित्तौरगढ़—यहाँ राजपूत-कालीन क़िलों और भवनों के अवशेष विद्यमान हैं। यह ऐतिहासिक स्थान उदयपुर से ७० मील पर है। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी था। यहाँ राणा कुंभ द्वारा निर्मित विजय-स्तम्भ है। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस स्तम्भ का निर्माण कराया था।

जयपुर—यह राजस्थान की राजधानी है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं—महाराजा का राजभवन, जयसिंह की वेधशाला, प्राचीन राजधानी अम्बर का भग्नावशेष, हवा-महल, राज-भवन का शस्त्रागार, कला-चित्रालय, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि।

नाथद्वारा—यह वल्लभ-सम्प्रदाय का प्रधान पीठ है। यहाँ श्रीनाथजी का मंदिर है।

पुष्करतीर्थ—यह अजमेर से ७ मील की दूरी पर स्थित है। पुष्कर-सरोवर से सरस्वती नदी निकलकर साबरमती नदी में मिलती है। यहाँ का मुख्य मंदिर ब्रह्मा का है।

## हिमाचल-प्रदेश

शिमला—यह हिमाचल-प्रदेश की राजधानी तथा पहाड़ी पड़ाव है। यह पहले भारत-सरकार का ग्रीष्मकालीन आवास-नगर था। यह ७,२०० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ के घुड़दौड़-मैदान, वेधशाला पहाड़ी आदि स्थान दर्शनीय हैं।

कुलूघाटी—शिमला से उत्तर यह स्थान अपने प्राकृतिक दृश्य और ऐतिहासिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध है। यह चारों ओर पर्वतों से घिरा है। समुद्र-तल से ४,७०० फुट की ऊँचाई पर यह स्थित है।

## हिमालय के अंचल में

केदारनाथ—हिमालय के अंचल में स्थित यह हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है। यहाँ का ज्योतिर्लिङ्ग द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में एक है। यहाँ एक प्राचीन मन्दिर है। इसके पास कई कुण्ड हैं। मन्दिर में ऊषा, अनिरुद्ध, पंचपांडव, श्रीकृष्ण तथा शिव-पार्वती की मूर्त्तियाँ हैं।

कुमायूँ पहाड़ी—यह हिमालय के अंचल में अपने मनोहर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा, नैनीताल और रानीखेत इसी के अन्तर्गत हैं।

**कैलास**—यह भगवान् शंकर का निवास-स्थान समझा जाता है। इसकी आकृति एक विराट् शिवलिंग-जैसी है। इसकी परिक्रमा ३१ मील की है। मुख्य कैलास पर्वत कसौटी के काले पत्थर का बना है और सदा बर्फ से ढका रहता है। यह मानससरोवर से २० मील पर है।

**गङ्गोत्तरी**—यह स्थान समुद्र-तल से १०,०२० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ गङ्गा की चौड़ाई केवल ४४ फुट और गहराई लगभग तीन फुट है। यहाँ श्रीगङ्गाजी का मन्दिर है, जिसमें श्रीगङ्गाजी की मूर्त्ति के अतिरिक्त भगीरथ, शंकराचार्य, यमुना तथा सरस्वती की भी मूर्त्तियाँ हैं। यहाँ से १८ मील दूर गोमुख नामक स्थान है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। यह एक प्रमुख तीर्थस्थान है।

**जनकपुर**—यह दरभंगा जिले के जयनगर स्टेशन से १८ मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ प्राचीन मिथिला की राजधानी थी। यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। इसके चारों ओर कई प्राचीन सरोवर, कुण्ड तथा तीर्थ हैं। यहाँ के मन्दिरों में श्रीजानकी-मन्दिर, श्रीराम-मन्दिर, जनक-मन्दिर, रंगभूमि, रत्नसागर-मन्दिर आदि मुख्य हैं। जनकपुर से १४ मील दूर धनुषा है, जहाँ धनुष-यज्ञ में तोड़े गये शिवधनुष का खण्ड बताया जाता है।

**पशुपतिनाथ ( नेपाल )**—नेपाल की राजधानी काटमांडू में विष्णुमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मन्दिर है। मन्दिर में पंचमुख शिवलिंग है, जो अष्टधातु मूर्त्तियों में एक माना जाता है।

**बदरीनाथ**—यह हिमालय के अंचल में स्थित एक तीर्थस्थान है। यहाँ के मंदिर में श्रीबदरीनाथ की चतुर्भुज मूर्त्ति है, जो शालग्राम-शिला से निर्मित है। इसके पास ही अलकनन्दा नदी बहती है। इसके आसपास कई तप्त कुण्ड हैं।

**मानस-सरोवर**—यह नेपाल के पश्चिमोत्तर कोने के पास हिमालय की उत्तरी सीमा पर एक प्रसिद्ध सरोवर है, जो इस समय तिब्बती सीमा के अन्तर्गत है। इस सरोवर का घेरा करीब २२ मील है। इसका जल अत्यन्त स्वच्छ रहता है। यह ५१ सिद्धिपीठों में एक है। पास में इससे भी बड़ी झील राक्षसताल है, जहाँ, कहते हैं, रावण ने शिव की आराधना की थी। यहाँ से कैलास पर्वत २० मील की दूरी पर है।

**यमुनोत्तरी**—समुद्र-तल से दस हजार फुट की ऊँचाई पर स्थित यह हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ गरम जल के कई ऐसे कुण्ड हैं, जिनका जल खौलता रहता है। पास ही कलिन्दगिरि पर्वत है, जहाँ से यमुना नदी ( कालिन्दी ) निकली है। कालिन्दी का उद्गम-स्थान अत्यन्त मनोरम है।

**लुम्बिनी**—यह नेपाल के अन्तर्गत बौद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ एक अशोक-स्तम्भ तथा एक समाधि-स्तूप है।

★

# पर्व-त्यौहार

## हिन्दू-पर्व

हिन्दूधर्म एक समन्वयात्मक धर्म है। इसमें एक ईश्वर की सत्ता सर्वमान्य है, जिसके प्रतिपादक वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति आदि हैं। फिर भी, इसमें विभिन्न सम्प्रदायों, अनेक उपास्य देवों और विविध रस्म-रिवाजों के कारण पर्व-त्यौहार की भी बहुलता हो गई है। वर्ष के बारहों महीनों में कोई ऐसा मास या पक्ष नहीं है, जिसमें दो-चार पर्व-त्यौहार न आते हों। इन पर्वों में कुछ तो सार्वदेशिक और सार्वसाम्प्रदायिक होते हैं और कुछ प्रान्तीय, स्थानीय या तत्तत् सम्प्रदायों से सम्बद्ध। यहाँ कुछ प्रसिद्ध सार्वदेशिक एवं प्रान्तीय पर्वों के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं—

**रामनवमी**—यह पर्व चैत्र-शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। इसी दिन मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र का जन्म हुआ था। इस दिन प्रायः १२ बजे दिन तक उपवास रखकर लोग पूजा-पाठ करते हैं और मध्याह्न में राम-जन्मोत्सव मनाकर विशेष पक्वान्न आदि खाते हैं। यह पर्व सामान्यतः हिन्दू-मात्र में और विशेषतः वैष्णव-सम्प्रदायों में प्रचलित है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार चैत्र-शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक वासन्तिक नवरात्र भी मनाया जाता है। इसमें कहीं दुर्गा-सप्तशती का पाठ और कहीं भगवान् राम की पूजा तथा रामायणादि का पाठ होता है।

**मेष-संक्रान्ति**—उत्तर-भारत में इस पर्व का पूरा प्रचलन है। इसे विहार-प्रदेश में 'सतुआनी', 'सतुआ-संक्रान्ति', या 'सिरुआ-विसुआ' तथा उत्तरप्रदेश में 'विश्वा' और पंजाब में 'वैशाखी' कहते हैं। पंजाब तथा पश्चिमी प्रदेशों में एवं बंगाल और नेपाल में इसी दिन से नववर्षारम्भ मानते हैं। इस दिन नवान्न-भक्षण का उत्सव मनाया जाता है। इसमें नये जौ-चने का सत्तू, आम आदि मौसमी फल, नया पंखा और नये घड़ों का प्रयोग किया जाता है। पंजाब तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इस दिन प्याऊ पर पानी-शरबत, फल आदि से लोगों का स्वागत-सत्कार किया जाता है।

**महावीर-जयन्ती**—जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व हुआ था। ये अन्तिम जैन तीर्थंकर माने जाते हैं। चैत्र-शुक्ल त्रयोदशी को जैनलोग सर्वत्र इनकी जयन्ती धूमधाम से मनाया करते हैं। इसी अवसर पर इनकी जन्मभूमि वैशाली ( मुजफ्फरपुर ) में प्रतिवर्ष वृहत् समारोह का आयोजन होता है।

**वैशाख-पूर्णिमा**—वैशाख-पूर्णिमा को आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बुद्धत्व की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण का समय भी लोग वैशाख-पूर्णिमा को ही मानते हैं। बौद्धधर्म में इस दिन महान् उत्सव का विधान है। श्रीलंका, वर्मा, थाइलैंड आदि बौद्ध देशों में यह राष्ट्रीय पर्व है। सन् १९५६ ई० के बाद इस पर्व को भारत सरकार ने अखिल-भारतीय स्तर का घोषित कर इस दिन को सार्वजनिक अवकाश का दिन निर्धारित कर दिया है।

**गंगा-दशहरा**—ज्येष्ठ-शुक्ल दशमी के दिन गंगा-जन्मोत्सव और गंगा दशहरा-पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगास्नान तथा गंगापूजा सामूहिक और वैयक्तिक रूप से की जाती है। कहते हैं कि इस दिन से गंगा नदी में पानी बढ़ने लगता है।

**नाग-पंचमी**—यह पर्व श्रावण-शुक्ल पंचमी को पड़ता है। इस दिन उत्तर भारत के प्रायः सभी राज्यों में नाग की पूजा होती है और उन्हें दूध-लावा या अन्य वस्तुएँ चढ़ाई जाती हैं। यह प्राचीन काल की नाग-पूजा की स्मृति का अवशेष-मात्र है। इस दिन घरों में गोबर और चूना की रेखाएँ खींची जाती हैं और उनपर सिन्दूर आदि डाले जाते हैं। वाराणसी में प्रचलित रीति के अनुसार इस दिन नाग के चित्रों की खरीद-बिक्री होती है तथा पण्डित अपराह्ण में यहाँ के नागकूप पर एकत्र होकर शास्त्रार्थ करते हैं। उनकी धारणा है कि यह दिन व्याकरण के महाभाष्यकार पतञ्जलि की स्मृति का है।

**रक्षा-बन्धन**—यह पर्व श्रावण-शुक्ल पूर्णिमा को पड़ता है। इसे 'राखी-पर्व' भी कहते हैं। इसका महत्त्व उत्तर-भारत के सभी राज्यों में है। इस दिन पुरोहित राखी के सूत्र लेकर घर-घर जाते हैं तथा लोगों को बाँधते हैं और उसके बदले में दक्षिणा पाते हैं। पश्चिमी प्रदेशों में यह भाई-बहन का पर्व माना जाता है और बहनें अपने भाइयों को राखी बाँधती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को यथाशक्ति पुरस्कार देता है। किंवदन्ती है कि मुसलमानी राज्य में बहुत-सी हिन्दू-ललनाओं ने मुसलमानों को भाई मानकर राखी बाँधी थी और उन मुस्लिम भाइयों ने संकट-काल में उनकी रक्षा की थी। प्राचीन काल में इस दिन उपाकर्म-विधि होती थी और आचार्य अपने शिष्यों को वेदों का पढ़ाना आरम्भ करते थे।

**कृष्णाष्टमी**—यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध पर्व है और प्रायः सम्पूर्ण भारत में भाद्र-कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। आज से लगभग ५००० वर्ष पूर्व इसी तिथि को वसुदेव के घर भगवान् कृष्ण का अवतार हुआ था। इस दिन दिन-भर उपवास रखा जाता है और १२ बजे रात्रि में चन्द्रोदय के समय लोग भगवान् कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। मथुरा और वृन्दावन में इसका सर्वाधिक महत्त्व है।

**हरितालिका-व्रत**—यह भाद्र-शुक्ल तृतीया को पड़ता है। इसे 'तीज' भी कहते हैं। इस दिन स्त्रियाँ व्रत-उपवास करके पति के मंगलार्थ शिव-पार्वती की पूजा करती हैं। स्त्रियों का यह एक महत्त्वपूर्ण पर्व है और सौभाग्यवती स्त्रियाँ इसे जीवन-भर निभाती हैं।

**अनन्त-चतुर्दशी**—यह पर्व भाद्र-शुक्ल-चतुर्दशी के दिन पड़ता है। इस दिन मध्याह्न तक उपवास करके अनन्त भगवान् ( विष्णु ) की पूजा होती है और किसी पात्र में दूध रखकर उसमें क्षीर-सागर की कल्पना करके अनन्त-सूत्र की खोज की जाती है। पश्चात्, वही अनन्त-सूत्र बाँह में पहना जाता है। यह पर्व न्यूनाधिक रूप में उत्तर-भारत के सभी प्रदेशों में मनाया जाता है।

**गणेश-चतुर्थी**—यह भाद्र-शुक्ल चतुर्थी को पड़ती है। महाराष्ट्र में इसे गणेश या गणपति-चतुर्थी कहते हैं और उत्तर-भारत में 'चौथचन्दा' या 'चौकचन्दा'। महाराष्ट्र में यह एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन गणेश की प्रतिमा की स्थापना और पूजा की जाती है। गणेश-मंदिरों में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है और प्रदर्शन के साथ मूर्त्ति का विसर्जन होता है। उत्तर-भारत में इस दिन शाम को स्त्रियाँ चन्द्रमा को अर्घ्यदान दे फल-मिष्टान्न से पूजा करती हैं। इस दिन के विषय में श्रीकृष्ण और स्यमन्तक मणि की कथा कही जाती है।

**महालया**—यह आश्विन के कृष्ण-पक्ष में पड़ती है और पूरे एक पक्ष तक लोग इसे मनाते हैं। इसे 'पितृ-पक्ष' या 'श्राद्ध-पक्ष' भी कहते हैं। १५ दिनों के अन्दर प्रतिदिन या

कभी एक दिन भी प्रायः सभी हिन्दू-गृहस्थ अपने मृत पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं और उनके निमित्त ब्राह्मण-भोजन कराते हैं। पक्ष-भर गया में एक बड़ा मेला लगा रहता है। भारत के भिन्न-भिन्न भागों से हिन्दू लोग यहाँ आकर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं।

**जीवत्पुत्रिका**—इसे लोकभाषा में 'जिउतिया' या 'जितिया' कहते हैं। यह स्त्रियों का पर्व है। इस दिन स्त्रियाँ अपनी संतान के कुशल-क्षेम के लिए उपवास रखती हैं और जीमूतवाहन की कथा कहती-सुनती हैं। प्रायः सभी संतानवती नारियाँ यह व्रत अनिवार्य रूप से किया करती हैं।

**दशहरा**—इसे 'नवरात्र', 'दुर्गापूजा' या केवल 'पूजा' भी कहते हैं। यह संपूर्ण भारत का एक बहुत बड़ा पर्व है। यह पर्व आश्विन-शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक मनाया जाता है। अष्टमी, नवमी और दशमी—ये तीन दिन अधिक महत्त्व और चहल-पहल के होते हैं। मन्त्र-सिद्धि करनेवाले तान्त्रिक इन नौ दिनों में अपने-अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए जप आदि किया करते हैं। विजयादशमी के दिन देवी की मूर्त्ति का विसर्जन, सीमान्त-गमन, नीलकंठ-दर्शन और शमी-पूजन होता है। नवरात्र का महत्त्व बंगाल, आसाम, उड़ीसा और बिहार में बहुत अधिक है। जगह-जगह दुर्गा की मूर्त्ति की प्रतिष्ठा और पूजा धूमधाम से होती है। भारत के पश्चिमी राज्यों में दशमी के दिन रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद की मूर्त्तियाँ बनाकर उनमें आग लगाई जाती है। इस अवसर पर सर्वत्र रामलीला की जाती है, किन्तु वाराणसी के रामनगर की रामलीला अति प्रसिद्ध है।

**भरत-मिलाप**—यह आश्विन-शुक्ल एकादशी को पड़ता है। दशमी को रावणवध हुआ था और एकादशी के दिन राम वन से लौटकर शृंगवेरपुर में भरत से मिले थे। इसी उपलक्ष्य में इस दिन भरत-मिलाप का दृश्य दिखाया जाता है। काशी-नरेश की ओर से होनेवाले 'नाटी इमली' ( वाराणसी ) तथा रामलीला मैदान ( दिल्ली ) का भरत-मिलाप भारत-प्रसिद्ध है।

**कौमुदी-महोत्सव**—यह एक प्राचीनकालीन महोत्सव है, किन्तु अब इसे लोग भूल-से गये हैं। फिर भी, साहित्यिक-समाज इसे समारोहपूर्वक मनाने का आयोजन कर पुनः जीवित करने का प्रयत्न कर रहा है।

**दीवाली**—यह पर्व कार्त्तिक-अमावस को पड़ता है। इस दिन प्रायः सम्पूर्ण भारत में घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी-पूजा होती है और दीपोत्सव मनाया जाता है। व्यापारी-वर्ग के लिए यह पर्व विशेष महत्त्वपूर्ण है। वे इस दिन अपने बही-खाते को बदलकर नये वर्ष का हिसाब शुरू करते हैं। दीपावली की रात में बिहार के उत्तरी एवं पूर्वी भागों में लोग सन की संठियों में आग लगाकर 'हुक्का-पाँती' खेलते हैं। 'हुक्का-पाँती' शब्द 'उल्का-पंक्ति' का अपभ्रंश है। जनश्रुति है कि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र की लंका विजय के उपलक्ष्य में विजयादशमी और राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दीवाली मनाई जाती है। इसके पूर्व त्रयोदशी तिथि को धन्वन्तरि-जयन्ती और चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान् श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। दीवाली के दूसरे दिन गोवर्धन-पूजा और अन्नकूट-उत्सव होता है। बिहार में इस दिन मवेशियों को सजा-सँवारकर पशु-क्रीड़ा का उत्सव मनाया जाता है।

**भ्रातृ-द्वितीया**—इसे 'भैया-दूज' भी कहते हैं। यह कार्त्तिक-शुक्ल द्वितीया को पड़ती है। यह भाई-बहन का त्योहार है। इस दिन बहन भाई को टीका लगाकर मिष्टान्न खिलाती है और

भाई उसे पारितोपिक देता है। इसका प्रचलन उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में अधिक है। कहा जाता है कि इसी दिन यमी ने अपने भाई यम की पूजा-प्रतिष्ठा की थी और तभी से यह पर्व चालू है। राजस्थान में इसे 'टिक्का' कहते हैं।

**चित्रगुप्त-पूजा**—कार्तिक-शुक्ल द्वितीया को ही चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। इस दिन दावात-कलम की भी पूजा होती है; इसलिए इसे दावात-पूजा भी कहते हैं। इस पर्व का प्रचलन कायस्थ-जाति में ही है।

**अक्षय नवमी**—कार्तिक-शुक्ल नवमी के दिन आँवले के पेड़ के नीचे भोजन, आँवला और कूष्मांड आदि का गुप्तदान इस पर्व की मुख्य प्रक्रियाएँ हैं।

**छठ**—कार्तिक-शुक्ल षष्ठी को सूर्य-व्रत किया जाता है। विहार तथा उत्तर-प्रदेश के पूर्वी भाग में इसका प्रचलन बहुत है। कई जगहों में चैत मास में भी छठ-व्रत किया जाता है।

**देवोत्थान**—यह कार्तिक-शुक्ल एकादशी को पड़ता है। समझा जाता है कि इस दिन भगवान् विष्णु चार मास शयन के पश्चात् जगते हैं। बिहार में इस दिन सायंकाल ऊख, नया गुड़ एवं रस, सुथनी, शकरकंद आदि से भगवान् की पूजा की जाती है और अर्घ्य दिया जाता है। इसके चार मास पूर्व आषाढ़-शुक्ल एकादशी को मन्दिरों में हरिशयनी व्रतोत्सव मनाया जाता है। साधु लोग हरिशयनी से देवोत्थान तक चातुर्मास मनाते हैं और इस अवधि में वे कहीं एक ही स्थान में रहते हैं।

**गोपाष्टमी**—गोपाष्टमी कार्तिक-शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन गाय बैल को नहला-धुलाकर और तेल-सिंदूर आदि से सजाकर उनकी पूजा की जाती है तथा उत्सव मनाया जाता है। पिंजरापोलों और गोशालाओं में यह उत्सव विशेष धूमधाम से होता है।

**कार्त्तिक-पूर्णिमा**—इस दिन जगह जगह गंगा-स्नान और दान होता है। इसी दिन सोनपुर का संसार-प्रसिद्ध मेला लगता है और हरिहरनाथ महादेव की पूजा होती है।

**विवाह-पंचमी**—अगहन-शुक्ल पंचमी के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इसका प्रचलन मिथिला और अयोध्या के वैष्णवों में अधिक है। जनकपुर में इस समय मेला लगता है और पंचकोशी की परिक्रमा की जाती है। कहते हैं, इसी दिन भगवान् राम और महारानी सीता का विवाह-संस्कार हुआ था।

**तिलसंक्रान्ति**—तिलसंक्रान्ति या मकर-संक्रान्ति दोनों एक ही हैं। चूँकि, मकर-संक्रान्ति के दिन तिलदान, तिलस्नान और तिल-भोजन शुभ माना जाता है, इसलिए इसे तिल-संक्रान्ति भी कहते हैं। यह पूस-माघ महीने में १३ या १४ जनवरी को पड़ता है। प्रयाग में प्रायः एक मास तक लोग संगम पर स्नान-दान आदि किया करते हैं।

**कुम्भ-पर्व**—यह माघ महीने में होता है। यह छठे वर्ष अर्द्धकुम्भ और बारहवें वर्ष कुम्भ या महाकुम्भ पर्व होता है। प्रयाग, हरद्वार, उज्जैन और नासिक में इस अवसर पर बड़े मेले लगते हैं और लाखों हिन्दू आकर स्नान करते हैं। मेला एक महीने तक लगा रहता है।

**वसन्त-पंचमी**—वसन्त-पंचमी माघ-शुक्ल पंचमी को पड़ती है। इसमें सरस्वती-पूजा, बालकों का अक्षरारम्भ, नवीन हल-कर्षण आदि कार्य किये जाते हैं। बिहार-बंगाल में लोग इस

दिन सरस्वती की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन और विसर्जन करते हैं। इस अवसर पर पंजाब में पीला हलुआ आदि खाने, पीले वस्त्र पहनने और पीली गुड्डी उड़ाने का अधिक प्रचलन है। वसंत का आरम्भ इसी दिन से माना जाता है।

माघी पूर्णिमा—कार्त्तिक-पूर्णिमा की तरह माघ की पूर्णिमा भी पवित्र पर्व मानी जाती है और इस दिन सर्वत्र तीर्थों में स्नान-दान किया जाता है।

शिवरात्रि—यह पर्व फाल्गुन-कृष्ण त्रयोदशी को पड़ता है। यह भगवान् शिव और पार्वती का विवाह-दिन समझा जाता है। पशुपतिनाथ विश्वनाथ वैद्यनाथ, महाकालेश्वर आदि प्रधान शिवमंदिरों में धूमधाम से पूजन आदि होते हैं।

होली—यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध पर्व है, जो फाल्गुन-पूर्णिमा से चैत्र प्रतिपद् तक चलता है। इस अवसर पर लोग एक-दूसरे पर रंग-अबीर डालते हैं और पूआ पकवान-खाते हैं। होलिका-दहन पूर्णिमा की रात्रि के अन्तिम प्रहर में होता है। इसे उत्तरी भारत में 'संवत् जलाना' भी कहते हैं। होलिका-दहन के पश्चात् रजोत्सव ( धुरखेल ) प्रारम्भ होता है। यह पर्व वसन्त और शस्य दोनों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

## मुस्लिम पर्व

ईद—इसे 'रमजान की ईद' या 'इदुलफित्र' कहते हैं। यह रमजान महीने का अन्त होने पर दूज के चाँद के दर्शन के बाद मनाई जाती है। इस दिन सभी मुसलमान प्रायः नये-नये कपड़े पहनकर मस्जिद में या किसी बड़े मैदान में एकत्र होकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं।

बकरीद—इसे 'इदुज्जुहा' भी कहते हैं। यह अब्राहम के बलिदान की स्मृति में मनाई जाती है। कहते हैं कि अब्राहम को ईश्वर की आज्ञा हुई कि अपने पुत्र इस्माइल का बलिदान कर दे। उसने ऐसा ही किया। किन्तु, जब ऊपर से चादर हटाई गई, तो इस्माइल जीवित निकला और उसकी जगह पर एक कटी भेड़ पाई गई। मुसलमान इस पर्व के दिन भेड़ों और बकरों की कुरबानी करते हैं।

मुहर्रम—यह मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे केवल शिया-मुसलमान मनाते हैं। यह मुहम्मद साहब के नाती हसन इमाम साहब के बलिदान की स्मृति में १० दिनों तक मनाया जाता है। हसन इमाम अपने को पैगम्बर साहब का उत्तराधिकारी बताते थे, जबकि दूसरी ओर मजीद खलीफा बना दिये गये थे। इसी बात पर वहाँ युद्ध छिड़ गया और दोनों दलों की सेना दमिश्क के कर्बला नामक मैदान में आ जुटी। घनघोर युद्ध के बाद हसन साहब की पराजय हुई और वे सपरिवार मारे गये। उन्होंने अन्तिम समय में पानी के बिना तड़प-तड़पकर अपने प्राण छोड़े। इस अवसर पर प्रतीक के रूप में मुसलमान ताजिया निकालते हैं, जिसे प्रदर्शन के बाद एक निश्चित स्थान में दफना दिया जाता है।

चेहल्लुम - मुहर्रम के ४०वीं दिन सफर महीने की २०वीं तारीख को चेहल्लुम मनाया जाता है। इस अवसर पर भी मुसलमान ताजिया निकालते हैं और उसे दफनाते हैं।

शबे-बरात—यह शाबान की १६वीं तारीख को मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस रात सभी मनुष्यों के कर्मों की जाँच-पड़ताल कर उनके कर्मानुसार उनका भाग्य निर्धारित किया जाता है। इस दिन आतिशबाजी आदि की जाती है और खुशियाँ मनाई जाती हैं।

आखिरी चहार शुम्बा—सफर महीने के बुधवार को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन पैगम्बर साहब अन्तिम रोग-शय्या पर पड़े-पड़े थोड़ा स्वस्थ हो गये थे।

बारा वफात—इसे 'ईदे मिलाद' भी कहते हैं। रबी-उल-अव्वल महीने की १२वीं तारीख को यह पर्व पड़ता है। मुहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मृत्यु की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है।

## ईसाई पर्व

नववर्ष-दिवस—पहली जनवरी को ईसवी-सन् का नववर्ष-दिवस मनाया जाता है।

ईस्टर—यह ईसाइयों का प्रधान पर्व है। इस समय ईसामसीह पुनरुज्जीवित हुए थे। यह २२ मार्च और २५ अप्रैल के बीच पड़ता है।

गुड-फ्राइडे—ईस्टर के रविवार के ठीक पहले पड़नेवाले शुक्रवार को यह पर्व मनाया जाता है।

फूल्स-डे—यह पहली अप्रैल को पड़ता है। इस दिन ईसाई एक-दूसरे से हँसी-मजाक करते हैं और एक-दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। यह वसन्त का पर्व है।

क्रिसमस-दिवस—यह ईसामसीह के जन्म-दिवस से सम्बद्ध पर्व है, जो दिसम्बर की २५वीं तारीख को पड़ता है। इस दिन लोग उत्सव मनाते हैं तथा उपहार और बधाइयाँ दी जाती हैं।

## प्रान्तीय पर्व

### कश्मीर

शिवरात्रि—यह फाल्गुन कृष्ण-चतुर्दशी को पड़ती है। कश्मीरी लोग शिवरात्रि को 'हेरथ' कहते हैं। इस दिन शिव-पार्वती के विवाहोत्सव का समारोह होता है।

नौ-रोज—चैत्र-शुक्ल प्रतिपदा के दिन का 'नववर्ष का उत्सव' यहाँ 'नौ-रोज' कहलाता है।

किच्छ-मावस—पूस महीने में होनेवाला यह कुत्तों का एक उत्सव है, जबकि लोग कुत्ते को माला आदि पहनाकर उनका स्वागत-सत्कार करते हैं। कश्मीरियों का विश्वास है कि इस दिन यक्ष अदृश्य रूप से कुत्ते आदि के रूप में घूमते हैं। इस दिन छप्पर पर स्वादिष्ठ खिचड़ी का थाल रखा जाता है और समझा जाता है कि यक्ष आकर इसे खा लेगा।

### पंजाब

लोरी—इसे लोहरी या 'लोरी' कहते हैं। यह पर्व माघ के मकर-संक्रान्ति के अवसर पर होता है। रात्रि में बड़ा धूर या कौरा जलाया जाता है और उसके चारों ओर लोग बैठकर लोकगीत गाते हैं तथा उसमें नवीन अन्न, ईख आदि छोड़ते हैं। यह एक हेमन्तोत्सव है।

बैशाखी—सन् १६९९ ई० में मेष-संक्रान्ति के दिन गुरु गोविन्दसिंह ने 'खालसा-पंथ' की स्थापना की थी। तबसे सिक्खों के बीच इस दिन का महत्त्व बढ़ गया है। यह नव वर्ष का पहला दिन होता है।

टिक्का—'भ्रातृ-द्वितीया' या 'भैयादूज' को ही पंजाब में 'टिक्का' कहते हैं; क्योंकि इस दिन बहन भाई को टीका लगाकर भोजन कराती है और स्वागत-सत्कार करती है।

**गुरु नानक-जयन्ती**—यह कार्त्तिक-पूर्णिमा को मनाई जाती है। सिक्ख-धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब का यह जन्म-दिवस है। इस समय दो दिनों तक 'गुरुग्रंथ' साहब का अखंड पाठ होता है और समारोह के साथ भजन-कीर्त्तन, सभा, भोज आदि होते हैं।

**गुरु गोविन्दसिंह-जयन्ती**—यह पूस महीने में शुक्ल-सप्तमी को पड़ती है। गुरु गोविन्दसिंह का जन्म-स्थान पटना ही है, जहाँ आज बहुत बड़ा गुरुद्वारा और संगत है। पंजाब में गुरु तेगबहादुर, गुरु अर्जुनदेव आदि की जयन्तियाँ भी यथासमय मनाई जाती हैं।

## हिमाचल-प्रदेश

**दशहरा**—भारत के दूसरे भागों की तरह यहाँ भी दशहरा मनाया जाता है। कुलू में बजौरा-नृत्य इस अवसर पर अवश्य होता है।

**ज्वालामुखी**—काँगड़ा जिले में ज्वलामुखी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ मेला लगता है। दशहरा के अवसर पर यहाँ पहाड़ी रीति-रस्म के साथ पूजा-पाठ होता है।

इसी प्रकार, इस प्रदेश के वैजनाथ, चिंतिपूर्णी आदि स्थानों में मेले लगते हैं और विशेष अवसरों पर पर्व मनाये जाते हैं।

## दिल्ली

**सैंटे गुल फरोशन**—हिन्दुओं और मुसलमानों का यह सम्मिलित मेला है। इसमें एक बड़े ताड़ के पंखे को फूलों से सजाकर मेहरोली ले जाया जाता है और वहाँ जाकर हिन्दू योगमाया-मंदिर में चले जाते हैं और मुसलमान ख्वाजा साहब की दरगाह में। वहाँ दोनों अपनी-अपनी पद्धति के अनुसार धार्मिक कृत्य करते हैं।

**उर्स हजरत निजामुद्दीन**—हजरत निजामुद्दीन औलिया (१२३८—१३२४) साहब के नाम पर यह मेला लगता है। सभी प्रकार के मुसलमान इसमें सम्मिलित होते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ के तालाब के जल से बीमारियाँ अच्छी हो जाती हैं।

## उत्तरप्रदेश

उत्तरप्रदेश में सामान्यतः वे पर्व मनाये जाते हैं, जो अखिलभारतीय हैं। किन्तु कुछ स्थानीय पर्व भी हैं, जो अधिकतर मथुरा-वृंदावन में मनाये जाते हैं।

**रथोत्सव**—यह उत्सव चैत्र में वृन्दावन के श्रीरंग-मंदिर में मनाया जाता है।

**गजोद्धार**—श्रावण में ग्राह से गज की मुक्ति का उत्सव मनाया जाता है।

**वनयात्रा**—भादों में भगवान् कृष्ण के गोवर्द्धन पर्वत के धारण करने के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन भगवान् कृष्ण ने इन्द्र के वृष्टि-कोप से जनता की रक्षा गोवर्द्धन धारण करके की थी।

**कंस का मेला**—मथुरा में ही यह उत्सव मनाया जाता है। यह कार्त्तिक मास में होता है और कंसवध के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

## बिहार

सरहुल—यह आदिवासियों का प्रसिद्ध पर्व है, जो चैत्र-शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है।

## आसाम

भोगली बिहु—आसाम का यह पर्व पूस मास में धनकटनी के बाद मनाया जाता है। रात-भर लोग एक समारोह करते हैं और भैंसों को लड़ाते हैं।

रोंगली बिहु—यह चैत्र-शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे गोरु बिहु भी कहते हैं। यह नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन पशुओं को नहला-धुलाकर उनकी पूजा की जाती है।

रासलीला—कार्त्तिक में भगवान् कृष्ण के जन्म पर आधृत मणिपुरी नृत्य में रासलीला प्रस्तुत की जाती है।

## बंगाल

गंगासागर-मेला—पूस के अंत में यह मेला लगता है। डायमंड हारबर से ४० मील आगे समुद्र में गंगासागर-संगम पर जाकर लोग स्नान-दान आदि किया करते हैं।

## उड़ीसा

रथयात्रा—आषाढ-शुक्ल द्वितीया को पुरी में रथयात्रा-उत्सव होता है। इसमें जगन्नाथजी की मूर्त्ति सर्वत्र रथ पर घुमाई जाती है। जगन्नाथ (कृष्ण) की मूर्त्ति के साथ बलभद्र और सुभद्रा की भी मूर्त्तियाँ रखी जाती हैं।

## राजस्थान और मध्यप्रदेश

पुष्कर का मेला—कार्त्तिक-पूर्णिमा के दिन पुष्कर-क्षेत्र में यह मेला लगता है। पुष्कर-क्षेत्र अजमेर से ७ मील पर है। यहाँ ब्रह्माजी का मंदिर है। इस समय ऊँट और घोड़ों का भी मेला लगता है।

उर्स मोइनुद्दीन चिश्ती—फकीर मोइनुद्दीन चिश्ती महान् सिद्ध हो गये हैं। वे अजमेर में रहा करते थे और यहीं उनकी समाधि है। यहाँ सात दिनों तक उर्स का मेला लगता है। कहते हैं, बादशाह अकबर भी पैदल ही यहाँ आते थे और उर्स में सम्मिलित होते थे। आज भी भारत-पाकिस्तान के सभी क्षेत्रों के मुसलमान इस उर्स में सम्मिलित होते हैं।

## मैसूर

गोम्मटेश्वर-उत्सव—श्रवणबेलगोला-स्थित जैनसिद्ध आचार्य गोम्मटेश्वर की प्रस्तर-मूर्त्ति के पास जैनधर्मावलम्बी हजारों-हजार की संख्या में एकत्र होकर श्रद्धा-पुष्प चढ़ाते हैं। यह उत्सव प्रति १५ वर्ष पर एक बार होता है।

## मद्रास-आंध्र

पोंगल—मकर-संक्रान्ति के समय यह पर्व मनाया जाता है और तीन दिनों तक चलता है। तमिलों का यह महत्त्वपूर्ण पर्व है। तीन दिनों में प्रथम दिन भोगि-पुंगल बनता है, जो इष्ट-

मित्रों को खिलाया जाता है। दूसरे दिन सूर्य-पुंगल बनता है, जिसकी बलि सूर्य को दी जाती है। इस दिन खीर बनती है। तीसरे दिन मत्तु-पुंगल बनता है, जिसकी बलि पशु-पक्षियों को दी जाती है। इस दिन पशुओं को नहला-धुलाकर फूल-घंटी आदि से सजाया जाता है। कहीं-कहीं बैलों को लड़ाया भी जाता है। इस उत्सव में इष्ट-मित्रों एवं अतिथियों को खिलाने-पिलाने की भी रीति है। रात्रि में खिचड़ी खाई जाती है। पुंगल खिचड़ी को कहते हैं।

**मदुराई नदी-उत्सव**—वैशाखी पूर्णिमा को वैगाई नदी के तट पर सुन्दरेश ( शिव ) और मीनाक्षी देवी का विवाहोत्सव-समारोह होता है।

**कावेरी नदी-उत्सव**—यह भादो महीने में होता है। इस उत्सव में ग्रामीण देव-मूर्त्तियों का जुलूस निकाला जाता है। चावल, दूध, माला, चूड़ी आदि के साथ नदी में उनका विसर्जन कर दिया जाता है।

**गोकुल-अष्टमी**—मद्रास में कृष्ण-जन्माष्टमी को गोकुल-अष्टमी कहते हैं।

**दशहरा**—आश्विन के नवरात्र में प्रथम तीन दिनों तक लक्ष्मी-पूजा, दूसरे तीन दिनों तक शक्ति-पूजा और अंतिम तीन दिनों तक सरस्वती-पूजा होती है। आठवें या दसवें दिन अयोध्या-पूजा होती है। उस दिन अस्त्रों-शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। विजयादशमी को सरस्वती की पूजा और पुस्तकों एवं संगीत-वाद्यों की पूजा होती है। हैदराबाद में इस दिन बनजारों का नृत्य होता है, जो देखने योग्य होता है।

**दीवाली**—यहाँ उत्तर-भारत की तरह कार्त्तिक-अमावस्या के दिन दीवाली नहीं मनाई जाती है, बल्कि एक दिन पहले चतुर्दशी को ही।

**कार्त्तिकी पूर्णिमा**—मद्रास में कार्तिक-पूर्णिमा के दिन दीवाली मनाई जाती है। इस सम्बन्ध में महाबली और भगवान् शंकर से संबद्ध अलग-अलग कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

**वैकुण्ठ-एकादशी**—पौष-शुक्ल एकादशी को 'वैकुण्ठ-एकादशी' कहते हैं। यह पर्व मोहिनी अप्सरा और राजा रुक्मांगद की स्मृति में मनाया जाता है। श्रीरंगपट्टम् में यह उत्सव लगातार २० दिनों तक चलता है।

**आग पर चलना**—यह उत्सव भी वर्ष में एक बार होता है। इसमें पुरोहित और आग पर चलनेवाला व्यक्ति जुलूस के साथ नदी में स्नान करने जाता है और वहाँ से नाचते-गाते आकर मंदिर में २० हाथ लम्बे गड्ढे से होकर, जिसमें कोयला जलता रहता है, नंगे पैरों पार करता है। रात में गाना-बजाना और उत्सव होता है।

**ब्रह्मोत्सव**—तिरुपति के मन्दिर में आश्विन में और श्रीरंगम् के मन्दिर में चैत्र और पौष में यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का उत्सव मदुरा, कांचीपुरम् और तिरुपति के मीनाक्षी-मन्दिर में १० दिनों तक चलता है।

नव वर्ष के उपलक्ष्य में चैत्र में रथयात्रा-उत्सव होता है। यह मद्रास का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पर्व है।

## केरल

विशु—यह मलयाली लोगों का नववर्ष-दिवस है, जो मेष-संक्रान्ति को पड़ता है। इस दिन दान-पुण्य किया जाता है और समारोह के साथ सहभोज आदि होते हैं।

अनाम—यह कृषि एवं फसल का त्यौहार है और मलयाली लोग इसे चार दिनों तक सहभोज, नौका-भ्रमण और नाच-गान के साथ मनाते हैं। यह भाद्र-शुक्ल, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को चार दिनों तक मनाया जाता है। विश्वास है कि इस दिन बलि मर्त्यलोक में आते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। इस उत्सव में कथाकली नृत्य भी होता है। इसमें नावों की दौड़ का विशेष महत्त्व है। रात्रि में नायर-बालाएँ नृत्य करती हैं। यह केरल का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उत्सव है।

## महापुरुषों की जयन्तियाँ

| | |
|---|---|
| ईसामसीह | २५ दिसम्बर |
| कबीरदास | ज्येष्ठ-पूर्णिमा |
| कालिदास, महाकवि | कार्तिक-शुक्ल एकादशी |
| कृष्ण, भगवान् | भाद्रपद कृष्णाष्टमी |
| गान्धी, महात्मा, मोहनदास करमचन्द | २ अक्टूबर |
| गुरु गोविंदसिंह | पौष-शुक्ल सप्तमी |
| गुरु नानक | कार्तिक-पूर्णिमा |
| जयप्रकाश नारायण | विजयादशमी |
| जवाहरलाल नेहरू | १४ नवम्बर |
| तुलसीदास, गोस्वामी | श्रावण-शुक्ल सप्तमी |
| दयानन्द सरस्वती, महर्षि | शिवरात्रि |
| धन्वन्तरि | कार्तिक-कृष्ण त्रयोदशी |
| निराला, महाप्राण | माघ-शुक्ल वसन्त-पंचमी |
| परशुराम, भगवान् | वैशाख-शुक्ल तृतीया |
| प्रताप, महाराणा | ज्येष्ठ-शुक्ल तृतीया |
| 'प्रसाद' जयशंकर | माघ-शुक्ल दशमी |
| प्रेमचन्द | श्रावण-कृष्ण दशमी |
| बालगंगाधर तिलक, लोकमान्य | १ अगस्त |
| बुद्ध, भगवान् | वैशाखी पूर्णिमा |
| मदनमोहन मालवीय, महामना | २५ दिसम्बर |
| महावीर, वर्द्धमान | चैत्र-शुक्ल त्रयोदशी |
| महावीरप्रसाद द्विवेदी | २१ दिसम्बर |
| मीराँ | वैशाख-शुक्ल द्वितीया |

| | |
|---|---|
| मुहम्मद साहब | रबी-उल-अव्वल की १२वीं तारीख। |
| मैथिलीशरण गुप्त | ३ अगस्त। |
| रविदास | माघी पूर्णिमा। |
| रवीन्द्रनाथ ठाकुर | वैशाख-शुक्ल द्वादशी। |
| राजेन्द्रप्रसाद, डॉक्टर, भू० पू० राष्ट्रपति | ३ दिसम्बर |
| रामकृष्ण परमहंस, स्वामी | १८ फरवरी। |
| रामचन्द्र, भगवान् | चैत्र-शुक्ल नवमी। |
| रामतीर्थ, स्वामी | २२ अक्टूबर। |
| राहुल सांकृत्यायन | वैशाख-कृष्ण अष्टमी। |
| लाजपत राय, लाला | १७ नवम्बर। |
| वल्लभभाई पटेल, सरदार | ३१ अक्टूबर। |
| वाल्मीकि, महर्षि | आश्विन-शुक्ल तृतीया। |
| विद्यापति | कार्त्तिक-शुक्ल त्रयोदशी। |
| विनोबा भावे, संत | ११ सितम्बर। |
| वेदव्यास | आषाढ-शुक्ल पूर्णिमा। |
| शंकराचार्य, स्वामी | वैशाख-शुक्ल पंचमी। |
| शिवपूजन सहाय, आचार्य | श्रावण-कृष्ण त्रयोदशी। |
| शिवाजी, छत्रपति | वैशाख-शुक्ल द्वितीया। |
| श्रीकृष्ण सिंह, डॉ० | २१ अक्टूबर। |
| सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ० | ५ दिसम्बर। |
| सहजानन्द सरस्वती; स्वामी | फाल्गुन शिवरात्रि। |
| सुभाषचन्द्र बोस, नेताजी | २३ जनवरी। |
| सुमित्रानन्दन पन्त | २० मई। |
| सूरदास | वैशाख-शुक्ल पंचमी। |
| हनुमान् | कार्त्तिक-कृष्ण चतुर्दशी। |
| हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु | भाद्र-शुक्ल ऋषि-सप्तमी। |

# राजनीतिक और सामाजिक दल

## राजनीतिक दल

**इण्डियन नेशनल कॉंगरेस**—कॉंगरेस की स्थापना सन् १८८५ ई० में अवसर-प्राप्त अँगरेज सिविलियन एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा हुई थी। आरम्भ में इसकी नीति शासकों से आवेदन-निवेदन द्वारा राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति थी। सन् १९०६ ई० में दादाभाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्वराज्य घोषित किया था। सन् १९०७ ई० में कॉंगरेस के अंदर दो दल हो गये—गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक थे, जो अपने दल के साथ इस संस्था से अलग हो गये। यह दल आवेदन-निवेदन की

नीति में विश्वास नहीं करता था। लोकमान्य तिलक ने यह घोषणा की कि 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।' सन् १९२० ई० में कॉंगरेस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने ग्रहण किया और असहयोग-आन्दोलन का प्रवर्त्तन किया गया। इस आन्दोलन के द्वारा कॉंगरेस का संदेश गाँव-गाँव में पहुँच गया। सन् १९२९ ई० में पं० जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए कॉंगरेस का उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति घोषित किया। सन् १९३० ई० में सत्याग्रह-आन्दोलन सारे देश में चलाया गया। सन् १९४२ ई० में महात्मा गांधी ने 'अँगरेज भारत छोड़ दें'—आन्दोलन आरम्भ किया। इस आन्दोलन ने सारे देश में क्रान्ति की लहर पैदा कर दी। इस आन्दोलन का ही यह परिणाम था कि अँगरेज-शासकों ने १९४७ ई० के १५ अगस्त को शासन-सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी और देश स्वाधीन हुआ।

इस समय कॉंगरेस के आदर्श, नीति एवं उद्देश्य में बहुत कुछ परिवर्त्तन हो गया है। इसका वर्त्तमान उद्देश्य भारतवासियों की उन्नति और कल्याण करना तथा भारत में शान्तिपूर्ण एवं वैध उपायों से सहकारिता के आधार पर धर्म-निरपेक्ष समाजवादी प्रजातंत्र एवं कल्याण-राज्य कायम करना है। यह राज्य सब लोगों के लिए समान अवसर तथा राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों की समानता पर आधृत होगा।

जिला कांगरेस-कमिटियाँ, कॉंगरेस-संगठन के अन्दर कार्य-समिति, अखिल-भारतीय कॉंगरेस-कमिटी, प्रदेश कॉंगरेस-कमिटियाँ, और मण्डल-कॉंगरेस-कमिटियाँ हैं। प्रादेशिक स्तर की कॉंगरेस-कमिटियों की संख्या १७ है—आन्ध्र, आसाम, बिहार, बम्बई, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाड, उत्तरप्रदेश, उत्कल, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्यप्रदेश और हिमाचल-प्रदेश। मण्डल कॉंगरेस-कमिटियों की कुल संख्या लगभग १८ हजार है। कॉंगरेस के जो प्राथमिक सदस्य बनते हैं, वे ही मण्डल की आम-सभा के सदस्य होते हैं। सदस्य दो प्रकार के होते हैं—साधारण सदस्य और सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य के लिए किसी-न-किसी प्रकार का रचनात्मक कार्य करना आवश्यक है।

कॉंगरेस का गत ६७वाँ अधिवेशन जनवरी, १९६२ ई० के प्रथम सप्ताह में पटना में सम्पन्न हुआ, उक्त अधिवेशन के अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी थे। जून, १९६२ से श्री डी० संजीवैया इसके अध्यक्ष बनाये गये हैं। इसका अगला अधिवेशन १९६३ ई० के जनवरी मास में उड़ीसा के किसी स्थान में होनेवाला है। सन् १९६२ ई० के आम चुनाव में लोक-सभा के लिए इस दल के ३५४ तथा राज्य-विधान-सभाओं के लिए १८५२ सदस्य निर्वाचित हुए।

कम्युनिस्ट पार्टी—वर्त्तमान रूप में इस दल का संगठन सन् १९३४ ई० में हुआ था। पहले इस दल के सदस्य कॉंगरेस के भी सदस्य हुआ करते थे, परन्तु गत द्वितीय विश्वयुद्ध के समय इस दल ने स्वातन्त्र्य-संग्राम में भाग न लेकर कॉंगरेस-नीति के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार की सहायता की, जिसके कारण इस दल के सदस्य कॉंगरेस से हटा दिये गये। अन्तरराष्ट्रीय विषयों में रूस की जो नीति होती है, उसके अनुसार ही कम्युनिस्ट पार्टी अपनी नीति निर्धारित करती है, न कि भारतीय परिस्थितियों पर ध्यान रखकर। यह दल रूस से पथ-प्रदर्शन एवं अनुप्रेरणा ग्रहण कर कट्टरपंथी अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट भावधारा का अनुसरण करता है। कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य है—साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए श्रमिकों और किसानों को संगठित करना, श्रमिक-दल के नेतृत्व में गणतांत्रिक राज्य की स्थपना करना और मार्क्स तथा लेनिन के उपदेशों के अनुसार समाजवादी समाज का गठन करना, जिससे सर्वहारा-वर्ग का अधिनायक-तंत्र चरितार्थ हो सके। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सन् १९५७ ई० से लगभग ढाई वर्षों तक इस दल की सरकार रही।

सन् १९६२ ई० के निर्वाचन में लोक-सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या और राज्य-सभा में ३० है। लोक-सभा में यह दल विपक्षी दल के रूप में काम करता है। राज्य-विधान-सभाओं में कम्युनिस्ट-सदस्यों की संख्या लगभग १९९ है।

कम्युनिस्ट पार्टी के वर्त्तमान अध्यक्ष श्री एस० ए० डाँगे तथा महामन्त्री श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद हैं। भारत-चीन-सीमान्त-विवाद के सम्बन्ध में इस दल की नीति सन्दिग्ध है। यह चीन को भारत के सम्बन्ध में एक आक्रामक के रूप में नहीं स्वीकार करता।

स्वतन्त्र-पार्टी—सन् १९५९ ई० के १ और २ अगस्त को स्वतंत्र-पार्टी की स्थापना बम्बई में विधिवत् की गई। इस पार्टी का प्रथम अखिलभारतीय सम्मेलन १९ मार्च, १९६० ई० को पटना में किया गया, जिसमें पार्टी का संविधान स्वीकृत हुआ। इसकी मूलभूत नीति का उल्लेख इस रूप में किया गया है—धर्म, जाति, पेशा या राजनीतिक लगाव का विचार न करके सब लोगों को सामाजिक न्याय एवं समान सुयोग प्राप्त होने चाहिए। पार्टी का विश्वास है कि जनता की उन्नति, कल्याण एवं सुख व्यक्तिगत उपक्रम, उद्यम एवं कर्मशक्ति पर निर्भर करते हैं। पार्टी इस सिद्धान्त को मानती है कि व्यक्ति को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य द्वारा कम-से-कम हस्तक्षेप होना चाहिए। समाज-विरोधी कार्यों का प्रतिषेध करना, ऐसे कार्य करनेवालों को दण्ड देना और ऐसी अवस्थाओं की सृष्टि करना, जिनमें व्यक्तिगत उपक्रम फले-फूले और सफल हो।

इस दल के सभापति प्रो० एन० जी० रंगा और उपसभापति श्री के० एम० मुंशी तथा श्रीकामाख्यानारायण सिंह हैं। श्री एम० आर मसानी इसके महामंत्री हैं। श्रीचक्रवर्त्ती राजगोपालाचारी इस दल के प्रमुख नेता हैं। लोकसभा में इस दल के १८ तथा राज्य-विधान-सभाओं में १९९ सदस्य हैं।

द्रविड मुन्नेत्र कजगम—दक्षिण-भारत (तमिलनाड) की यह एक पार्टी है, जो ब्राह्मण-धर्म के विरुद्ध है तथा द्रविडनाड के नाम से एक सार्वभौम स्वतंत्र समाजवादी प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। इस स्वतंत्र द्रविडनाड प्रजातंत्र राज्य के अन्तर्गत तमिलनाड, आंध्र, कर्णाटक और केरल—ये चार विभिन्न भाषा-भाषी राज्य होंगे। द्रविडनाड प्रजातंत्र-संघ में प्रत्येक को अपने-अपने राज्य के आन्तरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता होगी और संघ से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने का अधिकार होगा। इस प्रजातंत्र-राज्य की अपनी स्वतंत्र परराष्ट्र एवं प्रतिरक्षा-नीति होगी। इस दल का विश्वास है कि भारत एक राष्ट्र न होकर कई राष्ट्रों का महादेश है। यह दल राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का विरोध करता है। इसकी शाखाएँ मद्रास-राज्य, आंध्र, मैसूर और केरल में हैं। मद्रास-विधान-सभा में इस दल के ५० और लोक-सभा में ७ सदस्य हैं।

गणतंत्र-परिषद्—इस दल का जन्म उड़ीसा-राज्य में हुआ था और इसका मुख्य कार्यालय कटक में है। सन् १९५८ ई० के मई महीने में इस दल का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था, उसमें यह निश्चय किया गया कि दल को एक अखिलभारतीय दल का रूप दिया जाय।

इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित हैं—अल्पसंख्य सम्प्रदायों और पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अभिरक्षा; भूमि-राजस्व का उन्मूलन और इसके स्थान पर कृषि-सम्बन्धी आय पर क्रमशः वर्धमान कर-स्थापना; वर्धित उत्पादन, कृषि-श्रमिकों को पर्याप्त और उचित मजदूरी, भूमि-संरक्षण, बहूद्देश्यीय सहकारीसमितियों की स्थापना

तथा ग्रामीण अंचलों में कृषि-ऋण की व्यवस्था; भोगरा भूमि का रैयतवारी भूमि में परिवर्त्तन; पशु-धन की रक्षा तथा गोहत्या-निरोध; सरकारी सहायता से स्थापित अधिकतम रूप में उद्योगों का तथा भविष्य में काम में लाई जानेवाली खानों का राष्ट्रीयीकरण। पूँजीपति और मजदूरों द्वारा उद्योगों का प्रबन्ध-संचालन और लाभ में मजदूरों की साझेदारी; मध्यम श्रेणी के स्वार्थों की अभिरक्षा तथा कर-स्थापन में कमी; सरायकेला और खरसावाँ, जो इस समय बिहार-राज्य में हैं, उन्हें उड़ीसा में मिला देना।

जून, १९६१ ई० के मध्यावधि निर्वाचन में इस दल के ३७ उम्मीदवार विधान-सभा के लिए निर्वाचित हुए। लोकसभा में इसके ४ सदस्य हैं।

**सोशलिस्ट पार्टी**—जनतांत्रिक एवं शान्तिपूर्ण क्रान्ति के द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना करना इस दल का प्रमुख उद्देश्य है। अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में यह राष्ट्रों के बीच असमानता का अंत कर एक विश्व-पार्लमेण्ट तथा समाजवादी विश्व की स्थापना करना चाहता है। दल का विचार है कि पाँच व्यक्तियों के एक परिवार का उतनी ही जोत-जमीन पर निजी स्वत्व होना चाहिए जितनी जमीन को वह बिना खेतिहर मजदूर या भारी मशीन की सहायता के जोत सके। इससे अधिक जितनी जमीन हो, सब गरीब किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के बीच बाँट दी जाय। लोहा और इस्पात, इंजीनियरिंग, चीनी, सूती कपड़ा, सीमेण्ट, खान, बिजली और रासायनिक पदार्थ-जैसे प्रधान व्यवसायों तथा देश में विनियोजित विदेशी पूँजी का राष्ट्रीयीकरण होना चाहिए। सरकारी कामों में अँगरेजी का प्रयोग अविलम्ब बन्द हो तथा भारत राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध-विच्छेद कर ले। डॉ० राममनोहर लोहिया इस दल के सर्वप्रधान नेता हैं। लोकसभा में इसके ५ सदस्य हैं।

**प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी**—समाजवादी दल की स्थापना की कल्पना सन् १९३२-३३ ई० में की गई, जब श्रीजयप्रकाश नारायण, श्रीअच्युत पटवर्द्धन और श्रीअशोक मेहता नासिक-जेल में थे। इस दल का प्रथम अधिवेशन सन् १९३४ ई० के मई महीने में अखिलभारतीय काँगरेस-कमिटी की बैठक के अवसर पर पटना में हुआ। प्रारम्भ में यह दल काँगरेस का वामपक्षी दल था, और अपने समाजवादी आदर्शों के अनुसार कार्य करने पर जोर देता था। यह दल किसानों और मजदूरों के बीच विशेष रूप से काम करता रहा। धीरे-धीरे काँगरेस के दक्षिण पक्षवालों के साथ इसका मतभेद बढ़ता गया। फलतः, सन् १९४७ ई० के मार्च महीने में इसने काँगरेस से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। कुछ दिनों के बाद किसान-मजदूर-प्रजा-पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के मिल जाने से 'प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी' बनी। शान्तिपूर्ण क्रान्ति द्वारा प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज की स्थापना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस समय इसके अध्यक्ष श्रीअशोक मेहता तथा महामंत्री एन० जी० गोरे हैं। लोकसभा में इस दल के १२ तथा राज्य-विधान-सभाओं में १४६ सदस्य हैं।

इस दल की १८ प्रान्तीय शाखाएँ हैं। तीन विभिन्न मोर्चों से यह दल काम करता है—किसान ( हिंद-किसान-पंचायत ), श्रमिक (हिंद-मजदूर-सभा) और युवक (समाजवादी-युवक-सभा)। लोकसभा में इस दल के १८ और राज्य-सभा में ८ सदस्य हैं।

**अग्रगामी दल ( फारवर्ड ब्लॉक )**—अग्रगामी दल की स्थापना सन् १९३८ ई० में नेताजी श्रीसुभाषचन्द्र बोस द्वारा की गई थी। श्रीबोस को आशंका थी कि काँगरेस महायुद्ध के समय ब्रिटिश सरकार से समझौता करके कहीं पूर्ण स्वाधीनता-प्राप्ति से कुछ कम पर ही न राजी हो जाय।

इसलिए, उन्होंने इस दल की स्थापना की। सन् १९४८ ई० में यह दल दो शाखाओं में विभक्त हो गया। एक दल के नेता आर० एस० रुईकर और दूसरे के श्री के० एन० जोगलेकर थे।

सन् १९५० ई० की जनवरी में दोनों शाखाएँ फिर एक साथ हो गईं। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद कर भारत में समाजवादी सरकार कायम करना अब इस दल का उद्देश्य है। लोकसभा में इसके २ सदस्य हैं।

अखिलभारतीय हिन्दू-महासभा—हिन्दू-महासभा का कार्य मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सन् १९०६ ई० के लगभग ही आरम्भ हुआ। स्व० महामना मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भाई परमानन्द, वीर सावरकर, डॉ० मुंजे, डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी आदि इसके नेता थे। लोकसभा में इसका एक सदस्य है।

प्रारम्भ में यह संस्था मुख्यतः अपने संस्कृति-रक्षा-सम्बधी कार्यों में ही लगी रही। पीछे अँगरेजी सरकार और देश के प्रमुख राजनीति दल कांगरेस को मुसलमानों का पक्षपाती समझकर उसकी नीति का विरोध करने के लिए इसने राजनीति में विशेष रूप से भाग लेना शुरू किया। सन् १९३५ ई० में केन्द्रीय और प्रान्तीय एसेम्बलियों एवं कौंसिलों के चुनाव में भी इसने भाग लिया, पर कॉंगरेस की प्रतिद्वन्द्विता में यह टिक नहीं सकी।

डेमोक्रैटिक वानगार्ड—यह पार्टी सन् १९४३ ई० में उन लोगों के द्वारा कायम की गई, जो रेडिकल डेमोक्रैटिक पार्टी से अलग हो गये थे। इसका उद्देश्य गणतंत्रात्मक क्रान्ति उत्पन्न करना है।

रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी—यह पार्टी सन् १९४८ ई० में स्व० श्रीशरत्चन्द्र बोस द्वारा कायम की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता को विदेशी प्रभाव से अलग रखना है। इसके कुछ सदस्य सिर्फ पश्चिम बंगाल में हैं।

रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया—यह पार्टी कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रचार करती है और क्रान्ति द्वारा भारत में समाजवादी राज्य कायम करना चाहती है।

रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया—इस पार्टी के सदस्य अपने को लेनिन के अनुयायी बताते हैं। यह पार्टी रूस की नीति के विरुद्ध है। यह अखिलभारतीय कॉंगरेस की भी आलोचना करती है। लोकसभा में इसके २ सदस्य हैं।

पीजेण्ट्स ऐण्ड वर्कर्स पार्टी—किसानों और मजदूरों की इस पार्टी के नेता श्री एस० एस० मोर और श्री के० एम० जेडे हैं। पार्टी का कार्यक्षेत्र केवल महाराष्ट्र है। बिना मुआवजा दिये ही जमींदारी-उन्मूलन इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह पार्टी बैंकों और उद्योगों में लगी विदेशी पूँजी को जब्त कर लेने के पक्ष है। उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण में इस पार्टी का पूर्ण विश्वास है।

भारतीय जनसंघ—स्व० डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने सन् १९५१ ई० में इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। अखण्ड भारत में इसका पूर्ण विश्वास है। लोकसभ में इस दल के १४ तथा राज्य-विधान-सभाओं में ११५ सदस्य हैं।

शियापॉलिटिकल कान्फ्रेन्स—यह मुसलमानों के शिया-सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व और राजनीति में कॉंगरेस का समर्थन करती है।

**मोमिन अन्सार कान्फ्रेन्स**—मुसलमानों के मोमिन-सम्प्रदाय की यह पार्टी मुस्लिम लीग का विरोध और काँगरेस की नीति का समर्थन करती रही है।

**अकाली दल**—इस दल के नेता मास्टर तारासिंह हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तरह सिखिस्तान के लिए आन्दोलन कर रखा है। लोकसभा में इसके ३ सदस्य हैं।

**पन्थिक दरबार**—इसके नेता पटियाला के महाराजा हैं, जो सिखिस्तान के विरोधी हैं।

**किसान-पार्टी**—समाजवादी मापदण्ड पर इसका कार्य-क्रम भारतीय किसानों के आन्दोलन को बढ़ाने का है। यह दल काँगरेस से पृथक् है, फिर भी कुछ बातों में उसका साथ देता है।

**झारखण्ड पार्टी**—यह दल बिहार के दक्षिणी भाग झारखण्ड ( छोटानागपुर एवं संथाल परगना का कुछ भाग ) का एक राजनीतिक दल है, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथक् झारखण्ड प्रान्त का निर्माण करना है। इसके नेता श्रीजयपाल सिंह हैं। लोकसभा में इसके ३ सदस्य हैं।

**रामराज्य-परिषद्**—धर्म-सापेक्ष राज्य की स्थापना के लिए अखिलभारतीय स्तर पर इसकी स्थापना हुई है। लोकसभा में इसके २ सदस्य हैं।

## सामाजिक दल

**राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ**—इसकी स्थापना डॉ० हेडगेवार द्वारा सन् १९२५ ई० में हुई। इसका वास्तविक उद्देश्य हिन्दू-राष्ट्र कायम करना, हिन्दुओं को सैनिक शिक्षा देना और हिन्दू-समाज में सब प्रकार की जागृति लाना है। इसकी शाखाएँ भारत में सर्वत्र फैली हुई हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद यह संघ गैरकानूनी करार दिया गया था, पर अब इस पर से प्रतिबन्ध हट गया है। इसके प्रधान श्रीमाधव राव सदाशिव गोलवलकर हैं, जिन्हें संघवाले 'गुरुजी' कहा करते हैं।

**सर्वोदय समाज**—यह गांधीवाद के सिद्धान्त में विश्वास रखनेवाले लोगों की एक संस्था है। गांधीवादी विचारधारा के अनुसार चलनेवाले एवं रचनात्मक कार्यक्रम में होगे देश-सेवकों की यह एक ऐसी संस्था है, जिसमें व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए विश्व-बन्धुत्व की भावना से काम करता है। खादी, हरिजनोद्धार, आदिवासी-सेवा, कुष्ठ-निवारण तथा समाज की सर्वतोमुखी सेवा ही इसके प्रमुख कार्य हैं। आचार्य विनोबा भावे इसके साम्प्रतिक सूत्रधार हैं।

**भारत-सेवक-समाज**—भारत-सेवक-समाज एक नई राष्ट्रीय संस्था है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए तथा देश को शक्तिशाली बनाने के निमित्त इसकी स्थापना की गई है। इस संस्था में हरेक विचार के लोगों का स्वागत किया जाता है। हिंसा और तोड़-फोड़ में विश्वास रखनेवालों तथा साम्प्रदायिक एवं धार्मिक आदर्शों के माननेवाले प्रतिक्रियावादियों को इसमें स्थान नहीं मिलता।

**पिछड़ा वर्ग-संघ**—इसकी स्थापना स्व० डॉ० अम्बेदकर ने की थी। इसका कार्य राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों से पृथक् है। पिछड़े लोगों को विशेष सुविधाएँ दिलाना ही इसका प्राथमिक लक्ष्य था। भारत के खण्डित होने के बाद से इसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है।

★

# प्रमुख साहित्यिक संस्थाएँ

## हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

### जन्म और विकास

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा हिन्दी-साहित्य और देवनागरी-लिपि का व्यापक प्रचार करने के उद्देश्य से नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ने अखिलभारतीय स्तर पर एक साहित्य-सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया था। तदनुसार विक्रमी संवत् १९६७, दिनांक १ मई, १९१० को महामना स्व० पं० मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में काशी में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का एक अधिवेशन सम्पन्न हुआ, जिसमें हर प्रदेश के साहित्यकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उक्त अधिवेशन में बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन का यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि इसी प्रकार के सम्मेलन प्रति वर्ष विभिन्न स्थानों में किये जायँ। आगामी अधिवेशन तक के लिए 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' नाम की एक समिति बना दी गई, जिसके प्रधान मन्त्री बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन नियुक्त किये गये। आगामी अधिवेशन प्रयाग में होना था और समिति के प्रधान मन्त्री प्रयाग के ही निवासी थे, इसलिए एक वर्ष के लिए सम्मेलन का अस्थायी कार्यालय प्रयाग चला आया।

सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन संवत् १९६८ ई० में स्व० पं० गोविन्दनारायण मिश्र के सभापतित्व में प्रयाग में सम्पन्न हुआ। श्रीटण्डन जी की अपूर्व कार्य-क्षमता और हिन्दी के प्रति उनकी अगाध निष्ठा के परिणाम-स्वरूप सम्मेलन का कार्यालय स्थायी रूप से प्रयाग में रह गया।

इसके बाद से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ अपने उद्देश्य की उस सीमा तक पहुँच गया, जिसकी पूर्ति के लिए इसका जन्म हुआ। आज हिन्दी समस्त भारत की राष्ट्र-भाषा के सिंहासन पर आरूढ होकर अपने उन्नायक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कीर्त्ति-पताका समुद्र पार तक फहरा रही है।

### सम्मेलन के सभापति और अधिवेशन

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन कब, कहाँ और किनके सभापतित्व में हुए, यह नीचे लिखा है—

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | महामना पं० मदनमोहन मालवीय | सं० १९६७ | काशी अधिवेशन |
| २. | पं० गोविन्द नारायण मिश्र | सं० १९६८ | प्रयाग ,, |
| ३. | उपाध्याय पं० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' | सं० १९६९ | कलकत्ता ,, |
| ४. | महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) | सं० १९७० | भागलपुर ,, |
| ५. | पं० श्रीधर पाठक | सं० १९७१ | लखनऊ ,, |
| ६. | रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ए० | सं० १९७२ | प्रयाग ,, |
| ७. | महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा, सा० आ० | सं० १९७३ | जबलपुर ,, |
| ८. | कर्मवीर मोहनदास कर्मचन्द गाधी | सं० १९७४ | इन्दौर ,, |
| ९. | महामना पं० मदनमोहन मालवीय | सं० १९७५ | बम्बई ,, |
| १०. | रायबहादुर पं० विष्णुदत्त शुक्ल | सं० १९७६ | पटना ,, |
| ११. | डॉ० भगवानदास, एम० ए०, डी० लिट्० | सं० १९७७ | कलकत्ता ,, |
| १२. | पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, एम्०आर०ए०एस्० | सं० १९७८ | लाहौर ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| १३. | श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन, एम्०ए०, एल्-एल्०बी० | सं० १६७६ | कानपुर | ,, |
| १४. | पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' | सं० १६८० | दिल्ली | ,, |
| १५. | पं० माधवराव सप्रे | सं० १६८१ | देहरादून | ,, |
| १६. | पं० अमृतलाल चक्रवर्त्ती | सं० १६८२ | वृन्दावन | ,, |
| १७. | म० म० रा० व० पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा | सं० १६८३ | भरतपुर | ,, |
| १८. | पं० पद्मसिंह शर्मा | सं० १६८५ | मुजफ्फरपुर | ,, |
| १९. | श्री गणेशशंकर विद्यार्थी | सं० १६८६ | गोरखपुर | ,, |
| २०. | बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर', बी० ए० | सं० १६८७ | कलकत्ता | ,, |
| २१. | पं० किशोरीलाल गोस्वामी | सं० १६८८ | झाँसी | ,, |
| २२. | रावराजा डॉ० श्यामबिहारी मिश्र, एम० ए० | सं० १६८९ | ग्वालियर | ,, |
| २३. | महाराज सर सयाजीराव गायकवाड़ (बड़ौदा) | सं० १६९० | दिल्ली | ,, |
| २४. | महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी | सं० १६९२ | इन्दौर | ,, |
| २५. | डॉ० राजेन्द्रप्रसाद | सं० १६९३ | नागपुर | ,, |
| २६. | सेठ जमनालाल बजाज | सं० १६९४ | मद्रास | ,, |
| २७. | पं० बाबूराव विष्णु पराडकर | सं० १६९५ | सिमला | ,, |
| २८. | पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी | सं० १६९६ | काशी | ,, |
| २९. | श्रीसंपूर्णानन्द | सं० १६९७ | पूना | ,, |
| ३०. | डॉ० अमरनाथ झा | सं० १६९८ | अबोहर | ,, |
| ३१. | पं० माखनलाल चतुर्वेदी | सं० २००० | हरद्वार | ,, |
| ३२. | गोस्वामी गणेशदत्त | सं० २००१ | जयपुर | ,, |
| ३३. | श्रीकन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी | सं० २००२ | उदयपुर | ,, |
| ३४. | श्रीवियोगी हरि | सं० २००३ | कराची | ,, |
| ३५. | महापण्डित राहुल सांकृत्यायन | सं० २००४ | बम्बई | ,, |
| ३६. | सेठ गोविन्ददास | सं० २००५ | मेरठ | ,, |
| ३७. | आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय | सं० २००६ | हैदराबाद | ,, |
| ३८. | श्रीजयचन्द्र विद्यालंकार | सं० २००७ | कोटा | ,, |

**कार्यालय**

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का कार्यालय प्रारम्भ से ही प्रयाग में रहा है। इस समय इसके कई विशाल भवन हैं। सम्मेलन के कार्य निम्नलिखित विभिन्न विभागों में बँटे हैं—

**विभिन्न विभाग**

**साहित्य-विभाग**—इस विभाग के अंतर्गत पुस्तकों का प्रकाशन मुख्य है। यहाँ से अबतक विभिन्न विषयों के दर्जनों ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं।

**सम्मेलन-पत्रिका-विभाग**—सम्मेलन की ओर से एक अनुशीलन तथा शोध-प्रधान त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है।

**हिन्दी-संग्रहालय**—संग्रहालय का विशाल भवन भारतीय वास्तु-कला का एक सुन्दर नमूना है। इस समय इस संग्रहालय में २० हजार से अधिक पुस्तकें संगृहीत हैं।

**सम्मेलन-मुद्रणालय**—३० अक्टूबर, १६४८ को सम्मेलन-मुद्रणालय का उद्घाटन किया गया। यह एक सुव्यवस्थित एवं सम्पन्न मुद्रणालय है।

**प्रबन्ध-विभाग**—सम्मेलन के हर प्रकार के प्रवन्ध का दायित्व इसी विभाग पर है। संकेत-लिपि-विद्यालय तथा हिन्दी-टाइप-विद्यालय का संचालन यही विभाग करता है।

**प्रचार-विभाग**—इस विभाग द्वारा सम्मेलन का प्रचार-कार्य होता है।

**परीक्षा-विभाग**—इस विभाग के अन्तर्गत सम्मेलन-परीक्षाओं का प्रबन्ध होता है। सम्मेलन की परीक्षाओं ने भारत के प्रान्तों के अतिरिक्त विदेशों में भी पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की है। सम्मेलन की परीक्षाओं को देश की कई प्रान्तीय सरकारों और विश्वविद्यालयों ने भी मान्यता दी है। परीक्षा-विभाग का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

सम्मेलन का परीक्षा-विभाग उत्तमा ( प्रथम एवं द्वितीय खंड ) मध्यमा, प्रथमा, उप-वैद्य, वैद्य-विशारद ( प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड ), कृषि-विशारद, शिक्षा-विशारद, संपादन-कला-विशारद, शीघ्र-लिपि-विशारद, हिन्दी-परिचय (मॉरिशस)–इन बारह परीक्षाओं का प्रति वर्ष संचालन करता है। परीक्षा-विभाग के संचालन के लिए स्थायी रूप से रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है।

**हिन्दी-विश्वविद्यालय**—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का हिन्दी-विश्वविद्यालय सम्मेलन की अलग संस्था के रूप में निर्मित हुआ है।

हिन्दी-विश्वविद्यालय की ओर से कश्मीर और पंजाब में 'हिन्दी-परिचय' और 'हिन्दी-कोविद' नाम की दो परीक्षाएँ संचालित की जा रही हैं, जो वर्ष में दो बार होती हैं।

**साहित्य-महोपाध्याय-परीक्षा**—यह सम्मेलन की सर्वोच्च परीक्षा है। इसमें पी-एच० डी० या डी० लिट्० के समान किसी भी विषय पर हिन्दी में अनुसंधानपूर्ण निबंध लिखना पड़ता है।

**हिन्दी-विद्यापीठ, प्रयाग**—हिन्दी-भाषा और साहित्य के प्रचार के लिए सं० १६७५ में हिन्दी-विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ। पिछले ४४ वर्षों की अवधि में इस विद्यापीठ के द्वारा अहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों में सैकड़ों हिन्दीसेवी प्रचारक तैयार किये गये, जो आज भी आन्ध्र से मालाबार तक और बम्बई से आसाम तक अनेक श्लाघ्य संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं।

## सम्मेलन के पारितोपिक

साहित्य के संवर्द्धन और साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष सम्मेलन की ओर से विभिन्न विषयों की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं पर भिन्न-भिन्न पारितोपिक प्रदान किये जाते हैं। इन पारितोषिकों की संख्या ६ है, जिनका आयोजन और संगठन स्थायी समिति की ओर से नियुक्त उपसमितियाँ अलग-अलग किया करती हैं। प्रत्येक पारितोपिक सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन पर अध्यक्ष द्वारा विजेता को प्रदान किया जाता है। पारितोपिक द्रव्य के साथ ही एक ताम्रपत्र भी प्रदान किया जाता है, जिसमें पारितोपिक का विवरण अंकित रहता है। इन पारितोपिकों में मंगलाप्रसाद पारितोपिक हिन्दी का गौरवमय पारितोपिक है।

**मंगलाप्रसाद-पारितोपिक**—प्रतिवर्ष बारह सौ रुपयों का 'मंगलाप्रसाद-पारितोपिक' हिन्दी की किसी मौलिक रचना के सम्मानार्थ सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। पूरा पारितोपिक एक ही लेखक को दिया जाता है। प्रतिवर्ष स्थायी समिति द्वारा 'मंगलाप्रसाद-पारितोपिक-समिति' का संगठन हुआ करता है, जिसमें ५ सदस्यों के अतिरिक्त पुरस्कारदाता का एक प्रतिनिधि रहता है। पारितोपिक-निर्णय के लिए आई हुई पुस्तकें उस विषय के विशेषज्ञों के पास भेजी जाती हैं।

पारितोषिक-वितरण के लिए १. काव्य, २. निबन्ध, ३. इतिहास, ४. समाजशास्त्र, ५. दर्शन, ६. तात्त्विक विज्ञान, ७. व्यावहारिक विज्ञान—ये सात विषय हैं। प्रत्येक कृति के सम्बन्ध में पारितोषिक-समिति निश्चय करती है कि वह किस विषय के अन्तर्गत है। इस पारितोषिक के दाता श्रीगोकुलचन्द्र रईस हैं। इसका प्रारम्भ संवत् १६७६ में हुआ।

**सेकसरिया महिला-पारितोषिक**—सम्मेलन के अधिवेशन में प्रतिवर्ष ५००) रु० का सेकसरिया महिला-पारितोषिक किसी भी महिला को उसकी हिन्दी की किसी मौलिक रचना के सम्मानार्थ दिया जाता है। इस पारितोषिक में ५ सदस्यों की एक उपसमिति संगठित होती है। इस पुरस्कार के दाता श्रीसीताराम सेकसरिया हैं। इसका प्रारम्भ संवत् १६८८ से हुआ।

**श्रीराधामोहन गोकुलजी-पुरस्कार**—समाज-सुधार विषय पर किसी मौलिक पुस्तक की रचना के सम्मानार्थ प्रतिवर्ष २५०) का यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पारितोषिक श्रीराधा-मोहन गोकुलजी की स्मृति में दिया जाता है। इसका आरम्भ-काल सन् १६३७ ई० है।

**मुरारका-पारितोषिक**—५००) का मुरारका-पारितोषिक अब कुछ वर्षों से बँगला, उड़िया और असमिया-भाषा-भाषी सज्जन द्वारा लिखी गई हिन्दी की किसी रचना के सम्मानार्थ दिया जाता है। इस पारितोषिक के दाता श्रीवसंतलाल मुरारका हैं। इसका प्रारम्भ संवत् १६६४ से हुआ।

**रत्नकुमारी-पुरस्कार**—२५०) का रत्नकुमारी-पुरस्कार हिन्दी के किसी मौलिक नाटक के लिए दिया जाता है। श्रीरत्नकुमारी इस पुरस्कार की दात्री हैं। इसका प्रारंभ संवत् १६६५ से हुआ।

**समय-समय पर सम्मेलन से संबद्ध हुई संस्थाएँ**—(१) राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा; (२) दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन; (३) बिहार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन; (४) उत्तरप्रदेश-साहित्य-सम्मेलन; (५) विन्ध्य-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, रीवाँ; (६) बंग-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन; (७) गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति; (८) महाराष्ट्र-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, पूना; (६) मणिपुर-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, इम्फाल; (१०) उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा; (११) पश्चिम बंगाल-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति; (१२) सिंध-राजस्थान-प्रचार-समिति, जयपुर; (१३) हिन्दी-प्रचार-सभा, हैदराबाद; (१३) मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति, इंदौर; (१५) मैसूर हिन्दी-प्रचार-परिषद्; (१६) सनातन धर्म हिन्दी-विद्यापीठ, जयपुर; (१७) हिन्दी-साहित्य-समिति, भरतपुर; (१८) ग्रामोत्थान-विद्यापीठ, संगरिया, राजस्थान; (१६) बजरंग-परिषद्, कलकत्ता; (२०) पंजाब प्रान्तीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन; (२१) पेप्सू-प्रदेश हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटियाला; (२२) आसाम राज्य राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, शिलांग; (२३) बम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा; (२४) कर्नाटक प्रान्तीय रा० भा० प्रचार समिति, हुबली; (२५) साहित्य-सदन, अबोहर (पंजाब); (२६) मैसूर हिन्दी-प्रचार-परिषद्, बंगलोर नगर; (२७) हिन्दी-साहित्य-समिति, बूंदी; (२८) बम्बई प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, बम्बई; (२६) हैदराबाद-राज्य हिन्दी-प्रचार-सभा, हैदराबाद; (३०) मध्यप्रदेश-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, नागपुर; (३१) मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, ग्वालियर।

संवत् २००७ में श्रीजयचन्द्र विद्यालंकार की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन के कोटा-अधिवेशन के कुछ ही दिनों के बाद आपसी कलह आरंभ हो गया, जिसके परिणाम-स्वरूप सम्मेलन सरकार रिसीवर के हाथ में चला गया। लगभग ग्यारह वर्षों के बाद सन् १६६२ में भारतीय संसद् ने

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सम्बन्ध में एक अधिनियम बनाया। जिसके अनुसार सम्मेलन के संचालन के लिए श्री श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति संगठित कर दी गई है। सेठ गोविन्ददास, वियोगी हरि, मौलिचन्द्र शर्मा, कमलाकांत वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर आदि इसके १४ सदस्य हैं। इनमें केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय के दो पदाधिकारी भी पदेन सदस्य हैं।

## नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी

नागरी-प्रचारिणीसभा, वाराणसी का बीज-वपन आज से प्रायः पैंसठ वर्ष पूर्व वाराणसी के क्वींस कॉलेजिएट स्कूल की पाँचवीं कक्षा में पढ़नेवाले कतिपय उत्साही छात्रों ने किया था, जिनका मूल उद्देश्य एक वाद-समिति की स्थापना करना था। उन्होंने स्थिर किया था कि नागरी-प्रचार को उद्देश्य बनाकर एक सभा की स्थापना की जाय। इस निश्चय के अनुसार २७ फाल्गुन, सं० १६४६ (१० मार्च, १८६३ ई०) को सभा की स्थापना हुई, जिसका नाम 'नागरी-प्रचारिणी सभा' रखा गया। उस समय सर्वश्री गोपालप्रसाद खत्री, रामसूरत मिश्र, उमरावसिंह, शिवकुमार सिंह तथा रामनारायण मिश्र इसके प्रमुख कार्यकर्त्ता थे। थोड़े ही समय पश्चात् श्रीश्यामसुन्दर दास भी इसमें सम्मिलित हो गये और वही मंत्री हुए।

प्रारंभ में इसे बालसभा मात्र समझकर बड़े-बूढ़े इसमें आने से संकोच करते थे, पर कार्य-कर्त्ताओं के सतत उद्योग से शीघ्र ही सर्वश्री राधाकृष्ण दास, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, राय बहादुर लक्ष्मीशंकर मिश्र, डा० छन्नूलाल और रायबहादुर प्रमदादास मित्र जैसे तत्कालीन हिन्दी-हितैषी प्रतिष्ठित विद्वान् पथ-प्रदर्शक के रूप में प्राप्त हो गये। धीरे-धीरे सभा अपनी ओर भारत-भर के हिन्दी प्रेमियों का ध्यान खींचने लगी। सर्वश्री महामना पं० मदनमोहन मालवीय, काला-कांकर-नरेश राजा रामपालसिंह, राजा शशिशेखर राय, कॉंकरौली-नरेश महाराज बालकृष्ण लाल, अंबिकादत्त व्यास, बदरीनारायण चौधरी, राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, ज्वालादत्त शर्मा (लाहौर), नन्दकिशोरदेव शर्मा (अमृतसर), कुँवर जोधसिंह मेहता (उदयपुर), समर्थदान (अजमेर), और डॉ० जार्ज ग्रियर्सन जैसे लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने पहले ही वर्ष सभा की संरक्षकता और सदस्यता स्वीकार कर ली।

सभा ने आरम्भ से ही ठोस रचनात्मक कामों को अपने हाथ में लिया। हिन्दी की प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज कराना, हिन्दी के वृहत् कोश का निर्माण कराना, हिन्दी-भाषा और साहित्य का इतिहास तैयार करना, शोध-कार्य कराना, नागरी-लिपि का प्रचार आदि सभा के प्रमुख काम थे।

सन् १८८२ ई० में सभा ने प्रांतीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि 'समन' आदि हिन्दी और उर्दू दोनों में भरे जाने चाहिए। इन्हीं दिनों रोमन-लिपि को दफ्तर की लिपि बनाने का भी कुछ प्रयत्न हुआ था। इसपर सभा ने २५ अगस्त, १८६५ के निश्चय के अनुसार नागरी-लिपि और रोमन अक्षरों के विषय में एक पुस्तिका तैयार करके अँगरेजी में प्रकाशित की। ३ अगस्त, १८६६ को सभा ने निश्चय किया कि संयुक्त प्रांत (उत्तरप्रदेश) के राजकीय कार्यालयों में देवनागरी-लिपि को स्थान दिया जाय। इस अवसर पर महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी ने 'कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एडुकेशन' नामक बड़ा और महत्त्वपूर्ण निबंध तैयार किया। सभा ने आन्दोलन करके निवेदन-पत्र पर साठ हजार हस्ताक्षर कराये। सभा का

प्रतिनिधि-मंडल २ मार्च १८९८ को प्रांत के गवर्नर से मिला और उनके सम्मुख साठ हजार हस्ताक्षरों की सोलह जिल्दें तथा मालवीय जी के 'कोर्टकैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन' की एक प्रति के साथ निवेदन-पत्र उपस्थित किया। परिणाम-स्वरूप संयुक्त प्रांत की सरकार को बाध्य होकर १८ अप्रैल, १९०० को यह आज्ञा निकालनी पड़ी कि १. सभी अपनी इच्छा के अनुसार नागरी वा फारसी लिपि में लिखकर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। २. सरकारी आदेश और सूचनाएँ नागरी और फारसी दोनों लिपियों में निकलेंगी। ३. सरकारी कर्मचारियों के लिए नागरी और फारसी दोनों लिपियों का ज्ञान लेना आवश्यक होगा।

सभा ने नागरी-लिपि और हिन्दी-भाषा को प्रचलित करने के लिए 'कचहरी-हिन्दी-कोश' तैयार कराकर प्रकाशित किया और नागरी-लिपि में सुधार के लिए भी उद्योग किया।

प्रारम्भ से ही सभा ने एक हिन्दी-पुस्तकालय स्थापित किया, जिसका नाम 'नागरी-भण्डार' था। सभा को श्रीगदाधर सिंह का पुस्तकालय मिल जाने के बाद इस पुस्तकालय का नाम 'आर्यभाषा-पुस्तकालय' रखा गया। इस पुस्तकालय में लगभग ५,००० हस्तलिखित तथा ४०,००० मुद्रित ग्रंथ संगृहीत हैं। प्राचीन पत्र-पत्रिकाओं का संग्रह भी पुस्तकालय में है। विभिन्न विश्व विद्यालयों से हिन्दी में डी० फिल्०, पी-एच० डी०, और डी० लिट्० के शोध-विद्यार्थी बराबर सभा के इस पुस्तकालय में अध्ययन के लिए आते हैं और यहीं टिककर अध्ययन करते हैं।

हस्तलिखित हिन्दी-ग्रंथों की खोज का कार्य आरम्भ में सभा ने एशियाटिक सोसायटी (बंगाल) के द्वारा कराया था। इसके परिणाम-स्वरूप सं० १९८५ तक ६०० महत्त्वपूर्ण ग्रंथ मिले थे। सन् १९०० ई० के बाद हस्तलिखित हिन्दी-ग्रंथों की खोज का काम सभा ने स्वतंत्र रूप से कराना प्रारम्भ किया। डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल, रायबहादुर डॉ० हीरालाल और राय बहादुर गौरीशंकर हीराचन्द ओझा का सहयोग सभा के खोज-विभाग को बराबर मिलता रहा।

सभा के प्रकाशनों में 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सभा के प्रकाशनों में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है 'हिन्दी-शब्दसागर'। इस बृहत् कोश की तैयारी में सन् १९०८ से १९२९ ई० तक लगभग २२ वर्ष लगे। अब इस कोष का संशोधन-कार्य चल रहा है। हिन्दी शब्दसागर के अलावा 'हिन्दी-वैज्ञानिक शब्दावली' भी सभा का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है।

सन् १९१९ में सभा ने पं० कामताप्रसाद गुरु द्वारा सम्पादित हिन्दी का एक प्रामाणिक व्याकरण और सन् १९६० में पं० किशोरीदास वाजपेयी-प्रणीत 'हिन्दी-शब्दानुशासन' प्रकाशित किया।

यहां से प्रकाशित होनेवाले पुस्तकमालाओं में मनोरंजन-पुस्तकमाला, देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला, सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला, बालाबक्स-राजपूत-चारण-पुस्तकमाला, देव-पुरस्कार-ग्रंथावली रुक्मिणी तिवारी-पुस्तकमाला, रामविलास पोद्दार स्मारक-ग्रंथमाला, महेंदुलाल गर्ग विज्ञान-ग्रंथावली, नवभारत-ग्रंथमाला, महिला-पुस्तकमाला और विदूता-पुस्तकमाला आदि प्रमुख हैं। इन ग्रंथ-मालाओं में अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है। सं० १९५१ में सभा ने हिन्दी-संकेत-लिपि का निर्माण कराया एवं उसे उत्तरोत्तर परिष्कृत करवाती रही। संकेतलिपि तथा टंकण (टाइप-राइटिंग) की शिक्षा के लिए सभा ने एक विद्यालय भी खोला है।

श्रीरायकृष्णदास जी के उद्योग से सभा ने भारतीय संस्कृति और कला की विपुल सामग्री का संग्रह भारत-कला-भवन में कराया। संग्रह बहुत अधिक बढ़ जाने पर यह कला-भवन काशी-विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

सन् २०१० में सभा ने अपनी हीरक-जयंती बड़े समारोहपूर्वक भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी के सभापतित्व में मनाई। सभा की ओर से हिन्दी-साहित्य का एक वृहत् इतिहास १७ भागों में प्रकाशित किया जा रहा है। हिन्दी-विश्वकोश के प्रणयन-प्रकाशन का कार्य सभा केन्द्रीय सरकार के वित्तीय संरक्षण में कर रही है। लगभग छह-छह सौ पृष्ठों के दस भागों में यह विश्वकोश पूर्ण होगा।

## राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति, वर्धा

स्थापना—म० गांधी की प्रेरणा से सन् १९३६ के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के नागपुर-अधिवेशन में, जिसके सभापति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद थे, एक प्रस्ताव के अनुसार हिन्दीतर प्रदेशों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार के लिए राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, का निर्माण हुआ। सर्वश्री महात्मा गांधी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, राजर्षि पुरुषोत्तम-दास टण्डन, सेठ जमनालाल बजाज, आचार्य नरेन्द्रदेव, काका कालेलकर, बाबा राघवदास, शंकररावदेव, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, हरिहर शर्मा आदि इसके प्राथमिक सदस्य हुए।

कार्य-क्षेत्र का विस्तार—सन् १९३७ ई० से ही राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का कार्य-क्षेत्र दक्षिण-भारत के कुछ भागों को छोड़कर शेष हिन्दीतर प्रदेशों में है। आज भारत में दिल्ली, आसाम, बंगाल, मणिपुर, उत्कल, महाराष्ट्र, गुजरात, बम्बई, विदर्भ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मराठवाड़ा, कर्नाटक, आन्ध्र, पंजाब, कश्मीर तथा अन्दमान आदि प्रदेशों में इसका कार्य चल रहा है। विदेशों में लंका, बर्मा, अफ्रिका, स्याम, जावा, सुमात्रा, मॉरिशस, अदन, सूडान, इंगलैंड आदि स्थानों में भी समिति के केन्द्र हैं।

कार्य-संचालन—राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का केन्द्रीय कार्यालय वर्धा में है। परीक्षा-संचालन के अलावा साहित्य-निर्माण, पाठ्य-पुस्तक-प्रकाशन, विद्यालय-संचालन तथा 'राष्ट्रभाषा' (समिति का मुख-पत्र) और 'राष्ट्रभारती' (मासिक) का सम्पादन एवं प्रकाशन, राष्ट्रभाषा की शिक्षा आदि की व्यवस्था समिति के अन्य कार्य हैं।

समिति ने पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दीतर भाषा-भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा की प्रारम्भिक पुस्तकें, कहानी-संग्रह, एकांकी-संग्रह, कविता-संग्रह, निबन्ध-संग्रह, व्याकरण आदि का प्रकाशन किया है।

समिति ने अपनी साहित्य-निर्माण-योजना के अन्तर्गत राष्ट्रभाषा-कोश, फ्रेंच स्वयं-शिक्षक, भारतीय वाङ्मय के तीन भाग, मराठी का वर्णनात्मक व्याकरण, सोरठ तेरा बहता पानी (गुजराती उपन्यास), धरती की ओर (कन्नड उपन्यास), 'लोकमान्य तिलक' (जीवन-ग्रन्थ), भारत-भारती (तमिल, तेलुगु कन्नड, मराठी, गुजराती) प्रकाशित किये हैं। समिति के पास अपना एक बड़ा प्रेस है, जिसमें समिति अपनी सभी चीजों की छपाई का कार्य करती है। समिति का कार्य विभिन्न विभागों में विभक्त है। समस्त विभागों में तथा प्रेस में करीब १५० कार्यकर्त्ता कार्य करते हैं।

**परीक्षाएँ**—राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा द्वारा राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में निम्नलिखित परीक्षाएँ ली जाती हैं :—

१ प्राथमिक, २. प्रारम्भिक, ३. प्रवेश, ४. परिचय, ५. कोविद, ६. रत्न, ७. आचार्य, ८. अध्यापन-विशारद ९. अध्यापन-कोविद, १०. प्रान्तीय भाषा-परीक्षा, ११. महाजनी प्रवेश, १२. बातचीत। उक्त परीक्षाओं में 'राष्ट्रभाषा-कोविद', 'राष्ट्रभाषा-रत्न' तथा 'राष्ट्रभाषा-आचार्य' उपाधि-परीक्षाएँ हैं।

अबतक समिति की परीक्षाओं में २२ लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हो चुके हैं। अबतक परीक्षार्थियों की संख्या २७,७८,२१८ पहुंच चुकी है।

**प्रचार-कार्य**—समिति के प्रचारक समिति की विभिन्न परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी तैयार करते हैं और स्थान-स्थान पर उनके द्वारा राष्ट्रभाषा-वर्ग भी चलाये जाते हैं। समिति के ऐसे प्रमाणित प्रचारकों की संख्या करीब ७,५०० है। विभिन्न हिन्दीतर प्रदेशों में समिति की परीक्षाओं के करीब ३,५०० परीक्षा-केन्द्र और करीब ३,५०० परीक्षक हैं। समिति द्वारा मान्य शिक्षण-केन्द्रों की संख्या ५२५ तथा विद्यालयों की संख्या ५२४ है। ३५ महाविद्यालय भी राष्ट्रभाषा की उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न प्रदेशों में चल रहे हैं।

**समिति का वर्त्तमान गठन**—राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति ३५ सदस्यों की एक समिति है, जिसमें १९ सदस्य विभिन्न हिन्दीतर प्रदेशों के प्रतिनिधि, ९ सदस्य हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा नियुक्त तथा ७ सम्मेलन के पदाधिकारी हैं।

**प्रान्तीय समितियाँ**—गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, विदर्भ, मध्यप्रदेश, सिन्ध-राजस्थान, आसाम, बंगाल, मणिपुर, उत्कल, मराठवाड़ा, दिल्ली, कर्नाटक और हैदराबाद में प्रान्तीय स्तर की समितियां हैं। प्रत्येक समिति के एक-एक संचालक उन प्रदेशों में नियुक्त हैं।

**'राष्ट्रभाषा' तथा 'राष्ट्रभारती'**—समिति की ओर से 'राष्ट्रभाषा' तथा 'राष्ट्रभारती' दो मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं। 'राष्ट्रभाषा' प्रचार सम्बन्धी तथा 'राष्ट्रभारती' अन्तर-प्रान्तीय साहित्य-सम्बन्धी पत्रिका है।

**राष्ट्रभाषा-महाविद्यालय**—वर्धा में एक महाविद्यालय चलाया जा रहा है, जिसमें अहिन्दी भाषा-भाषियों के लिए 'राष्ट्रभाषा-रत्न', 'परिचय' तथा 'कोविद' परीक्षाओं की पढ़ाई की व्यवस्था है। देश की विभिन्न राज्य-सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं ने इन परीक्षाओं को मान्यता दे दी है।

**राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन**—प्रान्त-प्रान्त के कार्यकर्त्तागण एकत्र होकर राष्ट्रभाषा की समस्याओं पर विचार विनिमय कर सकें, इस दृष्टि से राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के तत्त्वावधान में प्रतिवर्ष राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन विविध प्रदेशों में होता है।

**महात्मा गांधी-पुरस्कार**—समिति प्रतिवर्ष एक अहिन्दी-भाषा-भाषी हिन्दी-लेखक को उनकी श्रेष्ठ रचना के लिए १५०१ का महात्मा गांधी-पुरस्कार देती है।

**हिन्दी-दिवस**—१४ सितम्बर, १९४९ से, जिस दिन भारतीय संविधान-सभा ने राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दी को तथा राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकृत किया था, उसकी स्मृति में

प्रतिवर्ष १४ सितम्बर को समिति के तत्त्वावधान में हिन्दी-दिवस मनाया जाता है। समिति की रजत जयन्ती २६, २७, २८ मई, १९६२ को वर्धा में मनाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन का ११ वाँ अधिवेशन किया गया, प्रचार-प्रदर्शनी लगाई गई, महात्मागांधी आदि की मूर्तियों का अनावरण किया गया, रजत-जयन्ती ग्रन्थ और परिवार ग्रन्थ प्रकाशित किये गये, कवि श्रीमाला का प्रकाशन आदि कई कार्य हुए।

## दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा

सन् १९१८ ई० में दक्षिण-भारत में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के लिए महात्मा गांधी ने 'दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा' की स्थापना की थी। यह सभा एक रजिस्टर्ड सार्वजनिक संस्था है, जो दक्षिण के आन्ध्र, तमिल, केरल और कर्नाटक प्रांतों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करती है। इस सभा का कार्य एक कार्यकारिणी समिति द्वारा होता है। सभा की संपत्ति की रक्षा के लिए एक निधि-पालक-मंडल है। यहाँ एक शिक्षा-परिषद् भी है। सभा के अपने निजी भवन हैं, जिनमें सभा-कार्यालय, प्रेस, विद्यालय, छात्रावास आदि हैं। चारों राज्यों में चार शाखा-कार्यालय भी काम करते हैं।

सभा का कार्य उसके प्रचार, परीक्षा, प्रकाशन, प्रेस, साहित्य-निर्माण, छपाई, पुस्तक-बिक्री, शिक्षा, विद्यालय, पत्रिका, पुस्तकालय, अर्थ व लेखा-परीक्षा शीघ्रलिपि और मुद्रालेखन, नाटक व कला-प्रदर्शन, नगर-प्रचार, कार्य-विस्तार आदि विभागों के जरिये होता है। कोई भी हिन्दी-प्रेमी १० रुपये देकर प्रान्तीय तथा केन्द्र-सभा के संयुक्त सदस्य हो सकते हैं। आजीवन सदस्य का शुल्क २५० रुपये, पोषक का १,००० रुपये तथा संरक्षक का ५,००० रुपये हैं।

सभा की ओर से एक मासिक और एक द्वैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती हैं। यहाँ से अभीतक करीब ढाई सौ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। योग्य तथा चरित्रवान् कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए सभा अनेक विद्यालय तथा छात्रावास चलाती है। आजतक हजारों कार्य-कर्त्ता इन विद्यालयों द्वारा तैयार हो चुके हैं। सभा अपने केन्द्र-स्थान मद्रास तथा प्रान्तीय कार्यालयों में जगह-जगह पर अच्छे-अच्छे पुस्तकालयों का संगठन करती है। दक्षिण-भारत में इस समय करीब ८ हजार हिन्दी-प्रचारक काम कर रहे हैं।

सभा द्वारा संचालित, 'प्राथमिक', 'मध्यमा', 'राष्ट्रभाषा', 'प्रवेशिका', 'विशारद' तथा 'प्रवीण' परीक्षाओं में सन् १९५९ ई० तक १९,६४,७६५, विद्यार्थियों ने भाग लिया।

## मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति, इन्दौर

मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति की स्थापना १० जनवरी, १९१५ को हुई और इसके भवन का शिलान्यास महात्मा गांधी द्वारा ३० मार्च, १९१८ को किया गया। इसके प्रथम सभापति सेठ हुकुमचन्द जी और प्रधानमंत्री डॉक्टर सरजूप्रसाद तिवारी थे। सन् १९३० ई० में समिति का भवन बनकर तैयार हो गया। सन् १९२७ ई० में प्रेस खरीद कर 'वीणा' नामक मासिक का प्रकाशन आरम्भ किया गया। समिति डॉक्टर सरयूप्रसाद-ग्रन्थमाला के अन्तर्गत गम्भीर और मननशील गवेषणात्मक साहित्य तथा सेठ हुकुमचन्द-ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ललित साहित्य का

प्रकाशन करती है। समिति का समस्त कार्य सात भागों में विभक्त है—(१) प्रेस, (२) साहित्य, (३) अर्थ, (४) प्रबन्ध, (५) पुस्तकालय, (६) परीक्षा और (७) प्रचार। प्रत्येक विभाग के संचालन का उत्तरदायित्व मंत्री पर रहता है। अबतक यहाँ से साठ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके गांधी-विद्यापीठ में सैकड़ों विद्यार्थी रहते हैं तथा लगभग दो हजार परीक्षार्थी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं।

## अखिलभारतीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन, दिल्ली

संस्कृत-भाषा के सार्वभौम प्रचार, संस्कृत शिक्षा-पद्धति के परिष्कार और संस्कृतानुरागियों के सुदृढ़ संगठन के लिए महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी की प्रेरणा से संवत् १९७० में संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना हरद्वार में हुई थी। इसके प्रथम प्रधान मंत्री पण्डित गिरिधर शर्म्मा जी चतुर्वेदी और स्वर्गीय श्री पण्डित बुलाकी राम जी विद्यासागर ( अमृतसर ) थे। इसके सबसे पहले सभापति पण्डित शिवकुमार शास्त्री थे। सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन समय-समय पर विभिन्न स्थानों में होते रहे हैं। इसका प्रधान कार्यालय—हरद्वार, कलकत्ता, बीकानेर, काशी और जयपुर में घूमता हुआ अब स्थायी रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में केन्द्रित हो गया है। यहाँ इसके नये भवन का निर्माण हो रहा है। इस समय सम्मेलन के प्रधान मंत्री डॉक्टर मण्डल मिश्र हैं। सम्मेलन की ओर से विश्व-संस्कृत-शताब्दी-ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है। इसके प्रधान सम्पादक पण्डित गिरिधर शर्म्मा चतुर्वेदी हैं। सम्मेलन की ओर से नियमित रूप से 'संस्कृत-रत्नाकर' नाम का पत्र भी निकलता है। संस्कृत में भारती-प्रबोध, भारती-विनोद, भारती-प्रकाश, भारती-प्रवीण, भारती-वैभव एवं भारती-भूषण नाम की परीक्षाएँ ली जाती हैं।

☆

## प्रेस और पत्र-पत्रिकाएँ

कहते हैं कि आधुनिक मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार के पहले सातवीं सदी में चीन से 'किंगयाउ' और 'कियल' आदि तथा रोम से 'रोमन एक्टा डिकोरमा' नामक पत्र निकलते थे। मुद्रण-ग्रन्थ के आविष्कार के बाद इटली, जर्मनी और फ्रांस से पत्र निकने लगे। इंगलैंड से पहला पत्र ऑक्सफोर्ड-गजट १३६५ ई० में प्रकाशित हुआ था। लन्दन का 'टाइम्स' नामक पत्र १८८५ से निकलने लगा।

भारत का पहला पत्र 'बंगाल गजट', १७८० ई० की २६ 'जनवरी से निकलना आरम्भ हुआ था। इसके बाद १७८४ में 'कलकत्ता गजट', १७८५ में मद्रास कूरियर और १९८६ में 'बम्बई हेरल्ड', फिर 'बम्बई कूरियर' और १७६१ में 'बम्बई गजट' निकलने लगे। ये सभी पत्र अँगरेजों के थे और अँगरेजी में निकलते थे।

भारतीयों का पहला समाचार पत्र 'बंगाल गजट' १८१६ ई० में प्रकाशित हुआ। १८२१ में यूरोपीय व्यापारियों ने कलकत्ता से 'जॉन बुल इन दि ईस्ट' नामक पत्र निकाला जो १८३६ में 'आकर्र इंगलिश मैन' कहलाने लगा। बम्बई के व्यापारियों ने १८३८ में 'बम्बई टाइम्स' पत्र निकाला, जो पीछे 'टाइम्स ऑफ् इण्डिया' नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन् १८३५ से १८५७ ई० तक दिल्ली, आगरा, मेरठ, ग्वालियर और लाहौर से भी पत्र निकलने लगे। इस समय

तक १६ एंग्लो-इंडियन और २५ भारतीय पत्र हो गये थे; पर जनता के बीच इनका प्रचार बहुत कम था। उत्तर भारत में उन दिनों 'मोफसिस्लाइट' पत्र बहुत नामी था।

सन् १८५७ ई० के विद्रोह के बाद देश में एक नई जागृति आई और अगले दस-बीस वर्षों के अन्दर बहुत-सी पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगीं। 'टाइम्स ऑफ इण्डिया', 'पायोनियर', 'मद्रास मेल', 'अमृत बाजार-पत्रिका', 'स्टेटसमैन', सिविल ऐण्ड मिलिटरी गजट' और 'हिन्दू' का प्रकाशन उन्हीं दिनों प्रारम्भ हुआ। उस समय बिहार से निकलनेवाले पत्र 'बिहार हेरल्ड' (१८७४), 'बिहार टाइम्स' (१८६६), 'बिहार' (१९०६) और 'एक्सप्रेस' थे। किन्तु इनसे भी पहले जमालपुर (मुँगेर) से अँगरेजी और हिन्दी में एक धार्मिक मासिक पत्र निकलने लगा था।

'समाचार-दर्पण भारतीय भाषा का पहला पत्र था, जो १८१८ में सेरामपुर मिशनरी द्वारा बँगला-भाषा में प्रकाशित किया गया था। १८२२ में बम्बई से 'बम्बई-समाचार' नामक गुजराती पत्र निकला जो अबभी प्रकाशित हो रहा है। कुछ ही दिनों के बाद मराठी में भी पत्र निकाला गया। १८३३ ई० में दिल्ली से उर्दू का पहला अखबार निकला। फिर, १८५० में लाहौर से 'कोहेनूर' नामक एक उर्दू-पत्र प्रकाशित हुआ। इसके बाद 'अवध अखबार', 'अखबारे आम' आदि कई पत्र निकले।

हिन्दी में पहला समाचार-पत्र १८४५ ई० में राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने प्रकाशित कराया, जिसका सम्पादक एक मराठी सज्जन, श्रीगोविन्द रघुनाथ भत्ते, करते थे। इसके बाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने १८६८ में 'कवि-वचन-सुधा' नामक मासिक पत्रिका निकाली। पीछे इसके पाक्षिक और साप्ताहिक संस्करण भी निकले। १८७१ में अलमोड़ा से 'अलमोड़ा-समाचार' नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ। १८७२ में बाँकीपुर (पटना) से 'बिहार-बन्धु' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ, जो हिन्दी का तीसरा पत्र था। इसके प्रकाशन में पं० केशवराम भट्ट और पं० साधोराम भट्ट का प्रमुख हाथ था। इसके बाद १८७४ में दिल्ली से 'सदादर्श' और १८७६ में अलीगढ़ से 'भारत-बन्धु नामक पत्र निकले। फिर तो धीरे-धीरे और भी पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगीं।

**प्रेस-सम्बन्धी कानून**—पहले यहाँ के अधिकांश पत्रों के प्रकाशक और सम्पादक केवल अँगरेज ही होते थे। अतएव, उनके पत्र के साथ शासनाधिकारियों का बहुत मतभेद होने पर वे इंगलैंड भेज दिये जाते थे। डाक से पत्र का प्रेषण भी बन्द कर दिया जाता था। १७९९ में लार्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता से प्रकाशित होनेवाले समाचार-पत्रों के नियन्त्रण के लिए कुछ नियम बनाये। प्रत्येक समाचार-पत्र पर मुद्रक का नाम देना आवश्यक कर दिया गया, सम्पादक और प्रकाशक के नाम-पते सरकार के पास भेजना भी जरूरी हुआ और प्रकाशन के पूर्व सरकारी सेंसर अफसर को पत्र दिखला देना अनिवार्य कर दिया गया। १८१८ ई० से सभी प्रकार के प्रकाशनों पर मुद्रक का नाम देना आवश्यक हुआ।

सन् १८२३ ई० में बंगाल के लिए प्रेस-सम्बन्धी कानून बना, जो 'एडेम्स रेगुलेशन' कहलाया। वैसा ही रेगुलेशन फिर बम्बई के लिए भी बना। इसके अनुसार पत्र निकालने के लिए सरकार से लाइसेन्स लेना जरूरी कर दिया गया। सन् १८३५ ई० में सर चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस को बहुत हद तक स्वतन्त्रता दी, जिससे लोगों को पत्र निकालने का प्रोत्साहन मिला।

१८५७ और १८६७ में परिस्थिति के अनुसार प्रेस-सम्बन्धी कानून में फिर संशोधन हुआ। इस अधिनियम के कारण भारतीय भाषाओं में पत्रों का निकालना अत्यन्त कठिन हो गया। 'अमृत-बाजार पत्रिका', जो अवतक अँगरेजी और बंगला दोनों भाषाओं में छपती थी, सिर्फ अँगरेजी में ही छपने लगी। सन् १८८१ में लार्ड रिपन ने इस कानून को रद्द कर दिया।

सन् १८८५ ई० में इंडियन नेशनल कॉंगरेस की स्थापना के वाद भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। १६०५ में 'वंग-भंग', के वाद वह और भी तीव्र हो चला। जहाँ-तहाँ राजनीतिक हत्याएँ होने लगी। ऐसे समाचारों के प्रकाशन पर प्रतिवन्ध लगाने के लिए १६०८ में एक कानून वना; पर उससे काम नहीं चला। अतएव, १६१० में नया प्रेस कानून वनाया गया, जिसके अनुसार समाचार पत्रों से जमानत माँगी जाने लगी।

राष्ट्रीय जागरण के साथ ही पत्रों की संख्या वढ़ी और उनका प्रचार भी अधिक होने लगा। राष्ट्रीय आन्दोलन को दवाने के लिए पत्रों के साथ कड़ाई करने के उद्देश्य से प्रेस-कानून में संशोधन किया गया। १६३० ई० में सत्याग्रह छिड़ने पर प्रेस आर्डिनेन्स निकाला गया, जिसे १६३१ ई० में कानून का रूप दिया गया। १६३२ में घोर दमन के कारण वहुत-से पत्रों का प्रकाशन वन्द हो गया। १६३४ में भारतीय रियासतों को जनआन्दोलन से वचाने के लिए प्रेस-सम्बन्धी नया कानून वनाया गया।

द्वितीय विश्व-महासमर के छिड़ने पर युद्ध-विरोधी कोई वात छापने पर प्रतिवन्ध लगाने के लिए १६४० में सरकारी सूचना निकाली गई। इसके परिणामस्वरूप समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों की प्रेस-सलाहकार-कमिटियाँ केन्द्र और प्रान्तों में वनाई गईं। १६४२ ई० की देशव्यापी क्रान्ति के समय भी समाचार-पत्रों को क्रान्ति-सम्बन्धी समाचार छापने से रोका गया। इसके फलस्वरूप अधिकांश समाचार-पत्रों का प्रकाशन कुछ समय के लिए वन्द कर दिया गया।

स्वाधीनता-प्राप्ति (अगस्त, १६४७) के वाद से भारतीय समाचार-पत्रों के लिए एक नवयुग का प्रारम्भ हुआ, जिसे सार्वजनिक दायित्व का युग कहा जा सकता है। सरकार तथा जनता के वीच का विरोध-भाव मिट गया और सरकार एवं समाचार-पत्रों के वीच के सम्बन्ध का एक नया अध्याय शुरू हुआ। देश के विभिन्न समुदायों में शांति एवं एकता के लिए जनमत-निर्माण करना, आज समाचार-पत्रों का प्रथम कर्त्तव्य है। मार्च, १६४७ ई० में प्रेस-सम्वन्धी कानूनों की सारी वातों की पूरी तरह जाँच कर उनमें आवश्यक परिवर्त्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेस लॉ इन्क्वायरी कमिटी कायम की गई। उक्त कमिटी ने मार्च, १६४७ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार १६३१ का इण्डियन प्रेस ऐक्ट, १६३४ का स्टेट्स (प्रोटेक्शन) ऐक्ट रद्द कर दिये गये तथा अन्य कई कानूनों में परिवर्त्तन लाया गया। उक्त समिति ने यह भी अभिस्ताव किया कि राज्य-सरकार प्रेस के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के पूर्व परामर्श-समितियों से परामर्श ले। अमेरिका तथा अन्य देशों के संविधान के विपरीत, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के मौलिक अधिकारों में समाविष्ट किया है, भारत का संविधान केवल 'भाषण एवं अभिव्यक्ति' की स्वतन्त्रता की पुष्टि करता है। सन् १६५१ ई० में जो संविधान में संशोधन हुआ, उसके अनुसार भारतीय संसद् को विशेष परिस्थिति में भाषण एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य पर भी उचित प्रतिवन्ध लगाने का अधिकार दिया गया है।

**समाचार-पत्र-आयोग**—भारतीय समाचार-पत्र, आयोग ने २६ जुलाई १६५४ को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नांकित थीं—

(१) पत्रकारिता के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक अखिलभारतीय समाचार-पत्र-परिषद् (ऑल इण्डिया प्रेस-कौंसिल) स्थापित की जाय। (२) समाचार-अभिकरण (न्यूज एजेंसी) एक से अधिक रहें। इन पर सरकार का अधिकरण या नियंत्रण नहीं हो। (३) श्रमजीवी पत्रकारों को वेतन, अवकाश, प्रोविडेण्ट फण्ड, ग्रेचुटी आदि की सुविधाएँ दी जायँ। (४) सभी प्रकार के अखबारी कागज विदेशों से आयात करने के लिए एक 'स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन' स्थापित किया जाय। यह भारत की सभी मिलों के अखबारी कागज का क्रय कर समान मूल्य पर बेचे। (५) समाचार-पत्रों के लिए मूल्य एवं पृष्ठ की सूची तैयार होनी चाहिए। साथ ही इसकी भी देख-रेख हो कि समाचार-पत्रों में विज्ञापन का स्थान ४०% से अधिक नहीं रहे। (६) समाचार-पत्रों के वैयक्तिक स्वामित्व को प्रोत्साहन नहीं दिया जाय। (७) प्रत्येक समाचार-पत्र का पृथक् हिसाब-किताब रखा जाय, जिससे उसकी लाभ-हानि का स्पष्ट पता चल सके। (८) समाचार-पत्र-उद्योग-सम्बन्धी तथ्य एवं आँकड़ों का संकलन करने के लिए एक प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाय। प्रत्येक समाचार-पत्र के लिए उक्त रजिस्ट्रार के पास समय-समय पर विवरण भेजना अनिवार्य रहे।

**मूल्य और पृष्ठ-सूची**—भारत सरकार ने अक्टूबर, १६६० में दैनिक पत्रों के लिए एक मूल्य और पृष्ठ-सूची आदेश जारी किया है। इस आदेश का सम्बन्ध पत्रों के मूल्य तथा उनके साप्ताहिक संस्करणों एवं विशेषांकों की पृष्ठ-संख्या के नियंत्रण से है।

**समाचार-पत्र की परिभाषा**—'पोस्ट-ऑफिस ऐक्ट' तथा 'प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ऐक्ट' में दी गई समाचार-पत्र की परिभाषाओं में विभिन्नता होने के कारण पत्रों एवं डाकघरों को समाचार-पत्र-सम्बन्धी डाक के प्रेषण में कठिनाई होती थी। इसे दूर करने के विचार से १० तोले तक ८ नये पैसे और प्रत्येक अतिरिक्त पाँच तोले पर ३ नये पैसे के टिकट लगाने की नई व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार समाचार-पत्रों के प्रथम या अन्तिम पृष्ठ पर यह लिखा रहना आवश्यक है—'भारत के समाचार-पत्र-निबन्धक के यहाँ निबन्धन-संख्या........ के अन्तर्गत निबंधित।'

**समाचार-पत्रों की शृंखला, समूह और बहुविध इकाइयाँ**—भारत के समाचार-पत्र-निबन्धक ने समाचार-पत्रों को निम्नांकित तीन श्रेणियों में विभक्त किया है—

(१) **शृंखला**—एक ही स्वामित्व के अन्तर्गत एकाधिक स्थानों से निकलनेवाले एक से अधिक पत्र। (२) **समूह**—एक ही स्वामित्व के अन्तर्गत एक ही स्थान से निकलनेवाले एक से अधिक पत्र और (३) **बहुविध इकाइयाँ**—एक ही स्वामित्व के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों से निकलनेवाले एक ही नाम और एक ही भाषा तथा एक ही अवधि के एकाधिक-समाचार-पत्र।

सन् १६६० ई० में भारत के अन्दर १७ शृंखलाएँ, ११५ समूह और २३ बहुविध इकाइयाँ थीं। सन् १६६० ई० में स्वामित्व का सर्वाधिक प्रमुख रूप वैयक्तिक स्वामित्व था, जिसके अन्तर्गत भारत के ४४.६ प्रतिशत समाचार-पत्र थे। राजनीतिक दलों द्वारा संचालित पत्रों में २४ समाचार-पत्र साम्यवादी दल के थे।

इन दिनों प्रेस एवं समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में निम्नांकित कतिपय नियम लागू हैं—

(१) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें तथा विविध नियम)-अधिनियम (१९५५)।

(२) कर्मचारी भविष्य-निधि (इम्पलायीज प्रोविडेंट फंड)-अधिनियम (१९५२)।

(३) पारितोषिक-प्रतियोगिता (प्राइज कम्पीटिशन)-अधिनियम।

(४) प्रेस तथा पुस्तक-पंजीयन-अधिनियम (१८१७)।

(५) पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों का समर्पण (शासकीय पुस्तकालय)-अधिनियम (१९५४)

(६) संसदीय कार्यवाही (सुरक्षा एवं प्रकाशन)-अधिनियम २४, (१९५६)।

इनके अतिरिक्त आपत्तिजनक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए भी दी ड्रग्स ऐण्ड मैजिक रेमिडीज ऐक्ट, कॉपीराइट ऐक्ट, १४ (१९५७), समाचार-पत्र (मूल्य एवं पृष्ठ) अधिनियम (१९५४) औद्योगिक नियुक्ति-अधिनियम, (१९५६) औद्योगिक विवाद-अधिनियम आदि भी लागू हैं।

**पत्रकार-परिषदें**—भारतीय समाचार-पत्रों की उन्नति के लिए तथा पत्रकारों के हित के निमित्त इस समय कई अखिलभारतीय और प्रान्तीय संस्थाएँ काम कर रही हैं। एक संस्था इण्डियन ऐण्ड ईस्टर्न न्यूज-पेपर सोसाइटी (भारतीय तथा पूर्वी समाचार-पत्र-परिषद्) है। जो सन् १९३९ ई० की फरवरी में कायम हुई थी। इसमें भारत, वर्मा तथा लंका के प्रतिनिधि हैं। इसका कार्यालय २७ वड़ाखम्भा रोड, नई दिल्ली में है। दूसरी संस्था 'ऑल इंडियान्यूज-पेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस' (अखिलभारतीय समाचार-पत्र-संपादक-सम्मेलन) है, जिसकी स्थापना सन् १९४० ई० में हुई। तीसरी संस्था इंडियन लैंग्वेजेज़ न्यूज पेपर एसोसिएशन (भारतीय भाषा-समाचार-पत्र-परिषद्) है, जो सन् १९४१ ई० में स्थापित हुई थी। चौथी संस्था 'इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' है, जो अक्टूबर १९५० ई० में स्थापित की गई। इसी प्रकार, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न प्रान्तों के पत्रकारों के भी संघ हैं, जैसे—अखिलभारतीय हिन्दी-पत्रकार-संघ; मराठी पत्रकार-सम्मेलन, पूना; आसाम पत्रकार-परिषद्, गोहाटी; प्रेस क्लब, कलकत्ता; प्रेस ओनर्स एसोसियेशन, वम्बई; इंडियन न्यूज-पेपर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी, विदेशी संवाददाता परिषद्, उत्तर-प्रदेशीय पत्रकार-संघ, विहार-पत्रकार-संघ आदि। दक्षिण भारत के लिए 'सदर्न इण्डियन जर्नलिस्ट्स फेडरेशन' है, जिसका कार्यालय माउण्ट रोड, मद्रास में है।

**प्रचार-अंकेक्षा कार्यालय (ऑडिट ब्यूरो ऑफ सरकुलेशन—A. B. C.)**—समाचार-पत्रों की प्रामाणिक प्रचार-संख्या के आँकड़े एकत्र कर उन्हें प्रमाण-पत्र देना इसका मुख्य कार्य है।

**राष्ट्रमंडल-समाचार-पत्र-संघ ( कामनवेल्थ प्रेस-यूनियन )**—इसका पुराना नाम इम्पायर प्रेस यूनियन था। यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के देशों के समाचार-पत्र-स्वामियों की संस्था है। इसका प्रधान कार्यालय लन्दन में तथा शाखाएँ राष्ट्रमंडल के देशों में हैं।

## ।चार-प्राप्ति के साधन

### न्यूज एजेन्सियाँ

समाचार-पत्रों को विभिन्न सरकारों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से समाचार मिला करते हैं। समाचार मिलने के सबसे मुख्य साधन न्यूज-एजेन्सियाँ हैं। ये न्यूज-एजेन्सियाँ व्यावसायिक दृष्टि से संगठित कम्पनियाँ हैं, जो जगह-जगह अपने संवाददाता रखकर समाचार इकट्ठा करती हैं और

उन्हें समाचार-पत्रों के हाथ बेचती हैं। भारतीय और विदेशी न्यूज-एजेन्सिया इस प्रकार हैं—

*भारतीय न्यूज-एजेन्सियाँ*

**प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया**—भारतीय न्यूज-एजेन्सियों में सबसे पहली न्यूज एजेन्सी के० सी० राय के द्वारा कायम की हुई एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इण्डिया थी, जो पीछे रायटर की सहायक न्यूज एजेन्सी बन गई। किन्तु सन् १९४७ ई० में भारतीय समाचार-पत्रों ने अपनी न्यूज-एजेन्सी कायम की है, जिसका नाम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया है। इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। यह सहकारिता के सिद्धान्त पर कायम हुआ है। रायटर और इण्डियन ऐण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर-सोसाइटी की रजामन्दी से ऐसा किया गया है। संसार के समाचार-संग्रह के कार्य में यह एक नया विकास है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया संयुक्त-राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पत्रों के साथ-साथ रायटर कम्पनी का हिस्सेदार हो गया है। रायटर कम्पनी में इसका एक ट्रस्टी और एक डाइरेक्टर है।

सन् १९४९ ई० की २ फरवरी से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया ने भारत में रायटर और एसोसियेटेड प्रेस का सब काम ले लिया है और रायटर के वर्ल्ड न्यूज ऑर्गेनिजेशन में इसकी साझेदारी भी हो गई है।

**नियर ऐण्ड फार ईस्ट न्यूज (एशिया)**—इसकी स्थापना ३१ अप्रैल, १९५२ ई० को की गई। इसका संक्षिप्त नाम 'नाफेन' ( NAFEN ) है। यह अपने चार केन्द्रों से अंगरेजी तथा प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में अपनी न्यूज-बुलेटिन निर्गमित करता है।

**धीमान प्रेस ऑफ इण्डिया**—इसका कार्यालय सन् १९३५ ई० में स्थापित हुआ। इसका प्रधान कार्यालय लुधियाना में है। यह संसार के विभिन्न भागों से समाचार, समाचार-चित्र, फीचर आदि प्राप्त कर भारत के १०० दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रों को भेजता है।

**हिन्दुस्थान-समाचार लिमिटेड**—यह न्यूज-एजेन्सी सन् १९४८ से अखिलभारतीय स्तर पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इसके कार्यालय में हिन्दी-टेलिप्रिण्टर की भी व्यवस्था है।

**फ्री प्रेस ऑफ इण्डिया**—यह न्यूज-एजेन्सी सन् १९२३ ई० में स्थापित की गई थी, किन्तु सन् १९३५ ई० में इसका काम बन्द हो गया। सन् १९४५ ई० से यह फिर काम कर रही है। इसके समाचार बम्बई के कुछ खास पत्रों को ही मिलते हैं।

**इनफा ( शचिस )**—यह न्यूज-एजेन्सी हाल ही में स्थापित हुई है। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।

उपर्युक्त समाचार-एजेन्सियों के अतिरिक्त पाँच और भी न्यूज-एजेन्सियाँ हैं—युनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया, इण्डियन न्यूज सर्विस, राव प्रेस फीचर्स (बंगलोर), प्रेस न्यूज फीचर्स (नई दिल्ली) और एसोसियेटेड न्यूज सर्विस (हैदराबाद)।

*विदेशी न्यूज-एजेन्सियाँ*

**ब्रिटिश**—(१) रायटर, (२) ग्लोब एजेन्सी, (३) एसोसिएटेड प्रेस।

**फ्रांसीसी**—एजेन्स फ्रांस प्रेसी।

**रूस**—तास न्यूज एजेन्सी।

**अमेरिका**—(१) एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, (२) युनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, (३) सेण्ट्रल न्यूज एजेन्सी और (४) इण्टरनेशनल न्यूज सर्विस ऑफ अमेरिका।

चीन—सिन हुआ (न्यू चाइना न्यूज एजेन्सी, पेकिंग)।

जापान—(१) क्योडो न्यूज एजेन्सी (टोकियो); (२) जी० जी० न्यूज एजेन्सी (टोकियो)।

पाकिस्तान—(१) एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान; (२) युनाइटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान।

अफगानिस्तान—बख्तर (काबुल)।

एसिया—नियर ऐण्ड फार ईस्ट न्यूज लि० (NAFEN)।

## सूचना-सेवाएँ

### भारत सरकार तथा राज्य-सरकारों के सूचना एवं प्रसार-विभाग

भारत-सरकार का प्रचार-कार्य मुख्यतया सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मंत्रालय पर निम्नांकित संस्थाओं के कार्यों के दायित्व हैं—

(१) ऑल इण्डिया रेडियो, (२) प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो, (३) डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऐण्ड विजुअल पब्लिसिटी, (४) पब्लिकेशन्स डिवीजन, (५) फिल्म्स डिवीजन, (६) रिसर्च ऐण्ड रेफरेंस डिवीजन, (७) रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फॉर इण्डिया, (८) पंचवर्षीय योजना-प्रचार और (९) साउण्ड ऐण्ड ड्रामा डिवीजन।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अधीन प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो और उसके प्रचार-अफसरों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में एक सूचना-मंत्री होता है, जो निर्देशक के अधीनस्थ सूचना-विभागों पर नियंत्रण रखता है।

**विदेशी सूचना-सेवाएँ**—(१) युनाइटेड नेशन्स इनफॉरमेशन सेण्टर; (२) युनाइटेड स्टेट्स इनफॉरमेशन सर्विस; (३) ब्रिटिश इनफॉरमेशन सर्विस; (४) फुड ऐण्ड एग्रिकल्चर आर्गेनिजेशन (F. A. O.) इनफॉरमेशन सेण्टर; (५) वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनिजेशन (W. H. O.) पब्लिक इनफौरमेशन युनिट; (६) डोमिनियन ऑफ कनाडा; (७) अस्ट्रेलिया।

**पत्रकारिता की शिक्षा**—भारत में पत्रकारिता की शिक्षा मद्रास, कलकत्ता, मैसूर, पंजाब गुजरात और उस्मानिया-विश्वविद्यालयों में दी जाती है। इसमें पंजाब-विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की शिक्षा दी जाती है। पंजाब-विश्व विद्यालय के अधीन कैम्प कॉलेज, नई दिल्ली में एक पत्रकारिता-विभाग है, जहाँ स्नातकोत्तर-शिक्षा की व्यवस्था है। मद्रास से प्रकाशित अँगरेजी दैनिक 'हिन्दू' की ओर से प्रतिवर्ष एक छात्र को पत्रकारिता की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

## प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ

इधर भारत में पत्र-पत्रिकाओं की संख्या बराबर बढ़ती रही है। सन् १९५७ ई० में ५,९३२ पत्र-पत्रिकाएँ थीं। सन् १९५८ ई० में इनकी संख्या ६,९१८, सन् १९५९ ई० में ७,६५१ और सन् १९६० ई० में ८,०२६ हुई। भाषाओं और प्रान्तों के अनुसार पत्र-पत्रकाओं का ब्योरा इस प्रकार है—

### भाषानुसार पत्रों की संख्या (१९६० ई०)

| पत्र | संख्या | पत्र | संख्या |
|---|---|---|---|
| अँगरेजी | १६४७ | मलयाला | १६६ |
| हिन्दी | १५३२ | पंजाबी | १३५ |

| पत्र | संख्या | पत्र | संख्या |
| --- | --- | --- | --- |
| उर्दू | ६८० | उड़िया | ७६ |
| बँगला | ५२६ | असमिया | १६ |
| गुजराती | ५१९ | संस्कृत | १२ |
| मराठी | ४०४ | द्विभाषी | ८२५ |
| तमिल | ३७७ | बहुभाषी | ४८७ |
| तेलुगु | २५६ | अन्य | १८५ |
| कन्नड | २१० | | कुल योग—८,०२६ |

प्रान्तों के अनुसार पत्रों की संख्या (१९६० ई०)

| प्रान्त | संख्या | प्रान्त | संख्या |
| --- | --- | --- | --- |
| महाराष्ट्र | १,२७२ | राजस्थान | २५२ |
| पश्चिम बंगाल | १,१०७ | मध्यप्रदेश | २४९ |
| उत्तरप्रदेश | १,००३ | बिहार | १९५ |
| दिल्ली | ८४४ | उड़ीसा | १३९ |
| मद्रास | ७८६ | आसाम | ६१ |
| पंजाब | ५८४ | मणिपुर | २७ |
| गुजरात | ४४१ | त्रिपुरा | १२ |
| आंध्र | ३६० | हिमाचल प्रदेश | ४ |
| केरल | ३३६ | अन्दमान निकोबार | ३ |
| मैसूर | ३१८ | | |

समाचार-पत्रों की प्रचार-संख्या (१९६० ई०)

| पत्र | प्रचार-संख्या | पत्र | प्रचार-संख्या |
| --- | --- | --- | --- |
| अँगरेजी | ४१,४७,००० | तेलुगु | ६,३१,००० |
| हिन्दी | ३५,८३,००० | कन्नड | ४,४९,० ० |
| तमिल | २४,८६,००० | पंजाबी | २,०३,००० |
| गुजराती | १२,०२,००० | उड़िया | १,३४,००० |
| मलयाला | ११,३०,००० | असमिया | ५२,००० |
| मराठी | १०,७१,००० | संस्कृत | ७,००० |
| उर्दू | १०,५५,००० | अन्य | ११,३०,००० |
| बँगला | ९,३९,००० | | कुल योग—१,८२,१९,००० |

दैनिक समाचार-पत्रों की संख्या (१९६० ई०)

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| हिन्दी | ११६ | तमिल | २६ |
| उर्दू | ७३ | तेलुगु | १४ |
| अँगरेजी | ५० | पंजाबी | १३ |
| मराठी | ४२ | बँगला | ४ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| गुजराती | ३५ | उड़िया | ५ |
| कन्नड | ३० | अन्य | २४ |
| मलयालम | ३० | | कुल— ४६५ |

## राज्यों के अनुसार दैनिक-पत्रों की संख्या (१९६० ई०)

| राज्य | संख्या | राज्य | संख्या |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | ८० | पंजाब | २७ |
| उत्तर-प्रदेश | ५४ | दिल्ली | २७ |
| मध्यप्रदेश | ४६ | पश्चिम बंगाल | २५ |
| केरल | ३९ | राजस्थान | १५ |
| मैसूर | ३६ | बिहार | ९ |
| आंध्रप्रदेश | ३४ | उड़ीसा | ६ |
| मद्रास | ३१ | आसाम | २ |
| गुजरात | २९ | | |

## कुछ प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र (१९६० ई०)

( जिनकी प्रचार-संख्या १०,००० से अधिक थी )

### अँगरेजी

| पत्र | प्रचार-संख्या | पत्र | प्रचार-संख्या |
|---|---|---|---|
| टाइम्स ऑफ इण्डिया, बम्बई | १,२१,११७ | इंडियन एक्सप्रेस, चित्तूर | ३०,०४९ |
| हिन्दू, मद्रास | १,२०,८६६ | डेकान हेरल्ड, बंगलोर | २८,३७५ |
| अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता | ९०,०९८ | इण्डियननेशन, पटना | २३,३२२ |
| फ्री प्रेस जर्नल, बम्बई | ८७,९७७ | इण्डियन एक्सप्रेस, विजयवाड़ा | २२,२७७ |
| स्टेट्समैन, कलकत्ता | ८७,९२४ | स्टेट्समैन, नई दिल्ली | २१,८२५ |
| हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली | ७९,२७७ | नॉर्दर्न इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद | १७,३३८ |
| इण्डियन एक्सप्रेस, बम्बई | ५९,७४३ | नेशनल हेरल्ड, लखनऊ | १५,०९१ |
| ,, ,, नई दिल्ली | ५०,९४० | फ्री प्रेस बुलेटिन, बम्बई | १४,०५० |
| ,, ,, मदुराई | ४३,४७० | डेकान क्रॉनिकल, सिकन्दराबाद | १२,८१४ |
| मेल, मद्रास | ४१,०१७ | पायोनियर, लखनऊ | १२,६६८ |
| हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड, कलकत्ता | ४०,२७४ | आसाम ट्रिब्यून, गोहाटी | ११,९३२ |
| टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली | ३७,८३७ | इवनिंग न्यूज ऑफ इण्डिया, बम्बई | ११,०१९ |
| ट्रिब्यून, अम्बाला | ३२,९१० | | |

## हिन्दी

| नवभारत टाइम्स, दिल्ली | ६६,८६६ | जागरण, इन्दौर सिटी | १३,२९७ |
|---|---|---|---|
| हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | ६०,८९९ | इन्दौर-समाचार, इन्दौर | १२,२६२ |
| विश्वमित्र, कलकत्ता | ३३,३४३ | विश्वमित्र, कानपुर | १२,०४१ |
| नवभारत टाइम्स, बम्बई | ३३,०४१ | नवराष्ट्र, पटना | १२,०[illegible]८ |
| आर्यावर्त, पटना | ३२,७८० | लोकमान्य, कलकत्ता | ११,९०४ |
| वीर अर्जुन, नई दिल्ली | १८,३९० | नवभारत, नागपुर | ११,५४४ |
| अमर उजाला, आगरा | १८,१०४ | राष्ट्रदूत, जयपुर | १०,९९४ |
| सैनिक, आगरा | १८,०८५ | विश्वमित्र, पटना | १०,६६० |
| जागरण, कानपुर | १६,१०२ | प्रताप, कानपुर | १०,५८१ |
| आज, वाराणसी | १६,०४६ | जागरण, झाँसी | १०,२४७ |
| नई दुनिया, इन्दौर सिटी | १६,६०६ | विश्वबन्धु, कलकत्ता | १०,०२० |
| सन्मार्ग, कलकत्ता | १४,१११ | | |

## मलयाला

| पत्र | प्रचार-संख्या | पत्र | प्रचार-संख्या |
|---|---|---|---|
| मलयाला मनोरमा, कोट्टायम | ९२,४६४ | प्रभातम्, क्विलन | १५,८६८ |
| मातृभूमि, कोझीकोड | ७९,८७३ | प्रदीपम्, कोझीकोड | १४,९११ |
| देशाभिमानी, कोझीकांड | ३३,९९४ | नवकेरलम्, त्रिवेन्द्रम | १४,५५३ |
| जनयुगम, क्विलन | २६,३०६ | थोजीलाली, त्रिचूर | १३,९४९ |
| केरल-ध्वनि, कोट्टायम | २४,६७६ | नवजीवन, त्रिचूर | १२,७७० |
| केरल भूषनम, कोट्टायम | २२,१७९ | केरल-प्रकाशम्, एर्नाकुलम् | ११,३७९ |
| दीपिका, कोट्टायम | २१,०९४ | दीनबन्धु, एर्नाकुलम् | १०,७२८ |
| मलयाला राज्यम्, क्विलन | २०,९२६ | चन्द्रिका, कोझीकोड | १०,६८३ |
| एक्सप्रेस, त्रिचूर | २०,७३८ | | |

## गुजराती

| गुजरात-समाचार, अहमदाबाद | ३९,१९१ | गुजरात-मित्र, सूरत | १३,३९० |
|---|---|---|---|
| जनसत्ता, अहमदाबाद | ३७,१३५ | फुलछाब, राजकोट | १३,२८४ |
| बम्बई-समाचार, बम्बई | ३६,९७० | प्रताप, सूरत | १२,०१६ |
| सन्देश, अहमदाबाद | ३३,२४८ | लोकसत्ता, बड़ौदा | ११,७६० |
| प्रजातंत्र, बम्बई | २५,७८६ | नूतन सौराष्ट्र, राजकोट | १०,९६० |
| हिन्द, राजकोट | २५,६३९ | लोकतन्त्र, बम्बई | १०,६५० |
| जन्मभूमि, बम्बई | २१,४३६ | जनशक्ति, बम्बई | १०,४५४ |
| प्रभात, अहमदाबाद | १३,५१३ | | |

## तमिल

| | | | |
|---|---|---|---|
| दिनमणि, मदुराई | ६७,७८८ | थिना सेइथी, मद्रास | २२,४८५ |
| तांति, मद्रास | ५४,४५१ | नव इण्डिया, मद्रास | १६,६२७ |
| तांति, तिरुचिरापल्ली | ५४,३५० | नवशक्ति, मद्रास | १६,०१५ |
| स्वदेश मित्रम्, मद्रास | ४८,५०३ | जनशक्ति, मद्रास | १५,८६१ |
| तांति, मदुराई | ३३,४०८ | नव इण्डिया, कोयम्बटूर | १३,५१५ |
| दिनमणि, चित्तूर | २६,३८७ | दिनामालर, तिरुनेलवेली | १३,३८१ |
| तमिलनाडु, मदुराई | २४,१२३ | कोविल मलाई मुरासू, कोयम्बूटर | १२,२१० |
| थानियारासू, मद्रास | २३,६२६ | | |

## मराठी

| | | | |
|---|---|---|---|
| लोकसत्ता, बम्बई | ८५,३७० | नवशक्ति, बम्बई | २६,७५८ |
| साकल, पूना | ५३,११२ | तरुण भारत, नागपुर | १६,४२७ |
| मराठा, बम्बई | ३७,११८ | संध्याकाल, बम्बई | १४,५७८ |
| प्रजामित्र, बम्बई | ३३,११६ | साँझ मराठा, बम्बई | १२,६८६ |

## उर्दू

| | | | |
|---|---|---|---|
| मिलाप, दिल्ली | २४,४८४ | मिलाप, जलंधर सिटी | १२,०३७ |
| प्रताप, नई दिल्ली | १६,५६६ | साथी, पटना | १०,५५० |
| प्रताप, जालंधर | १३,४३६ | असरे जदीद, कलकत्ता | १०,३६५ |

## तेलुगु

| | | | |
|---|---|---|---|
| आंध्र पत्रिका, मद्रास | ४७,०७२ | विशालांध्र, विजयवाडा | १८,६२३ |
| आंध्र-प्रभा, विजयवाड़ा | ४६,६४६ | आंध्र-प्रभा, चित्तूर | १०,११८ |
| आंध्र-ज्योति, विजयवाड़ा | २३,८७१ | | |

## कन्नड

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रजा-वाणी, बंगलोर | ३३,८६८ | नव भारत, बंगलोर | १४,१०१ |
| संयुक्त कर्नाटक, हुबली | २५,४१४ | संयुक्त कर्नाटक, बंगलोर | १०,८५६ |
| तेमाडु, बंगलोर | २२,०१२ | | |

## बँगला

| | | | |
|---|---|---|---|
| युगान्तर, कलकत्ता | ८६,६११ | वसुमती, कलकत्ता | २०,८४८ |
| आनन्द-बाजार-पत्रिका, कलकत्ता | ८७,३७७ | स्वाधीनता, कलकत्ता | ११,०८८ |

## उड़िया

| | | | |
|---|---|---|---|
| समाज, कटक | १६,८३६ | मातृभूमि, कटक | ११,६६८ |
| प्रजातंत्र, कटक | १३,७८६ | | |

## प्रमुख साप्ताहिक पत्र (१६६० ई०)

( जिनकी प्रचार-संख्या ५०,००० से अधिक थी )

| पत्र | प्रचार-संख्या |
|---|---|
| कुमुदम् (तमिल), मद्रास | १,६३,६७६ |
| आनन्द विकातम (तमिल), मद्रास | १,७२,६४२ |
| मलयाला मनोरमा (मलयाला) कोट्टायम् | १,२७,२०५ |
| ब्लिज (अँगरेजी), बम्बई | १,१६,०२० |
| काकली (तमिल), मद्रास | १,१५,२०६ |
| सिने चित्र (हिन्दी), कलकत्ता | ८०,१८७ |
| इलस्ट्रेटेड वीक्ली ऑफ इण्डिया (अँग्रे०), बम्बई | ७७,-४३ |
| आंध्र सचित्रवारा पत्रिका (तेलुगु), मद्रास | ६६,८५० |
| धर्मयुग (हिन्दी), बम्बई | ६१,८९७ |
| स्क्रीन (अँगरेजी), बम्बई | ५७,६८६ |
| मातृभूमि (मलयाला), कोभीकोड | ५३,६३१ |

## अन्य सावधिक पत्र

| पत्र | प्रचार-संख्या |
|---|---|
| कल्याण (हिन्दी मासिक) गोरखपुर | १,२२,६५१ |
| दीनदुनिया (उर्दू मासिक), दिल्ली | १,१८,२७२ |
| फिल्मफेयर (अँगरेजी पाक्षिक) बम्बई | १,०६,५१६ |
| रीडर्स डाइजेस्ट (अँगरेजी मासिक) बम्बई | ७२,८७७ |
| शमा (उर्दू मासिक), दिल्ली | ६६,७५० |
| मनोहर कहानियाँ (हिन्दी मासिक), इलाहाबाद | ६६,३३२ |
| माया (हिन्दी मासिक), इलाहाबाद | ६२,७५० |
| बेतार जगत (बँगला पाक्षिक) कलकत्ता | ६०,४६२ |
| चन्दा मामा (हिन्दी मासिक), मद्रास | ६०,१६५ |
| पेसुम पदम् (तमिल मासिक), मद्रास | ५४,६८५ |
| पराग (हिन्दी मासिक), बम्बई | ५१,१६० |

# भारतीय समाचारपत्र

१६ अगस्त, १६६१ को लोक-सभा में भारतीय समाचारपत्रों के निबंधक का जो प्रतिवेदन (१६६०) उपस्थित किया गया, उससे पता चलता है कि प्रायः सभी भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों की संख्या में जिस प्रकार वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार उनके पाठकों की संख्या में भी। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित प्रथम ६ दैनिकों की प्रचार-संख्या का जो उल्लेख किया गया है, वह पाश्चात्य इंगलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान के विख्यात समाचारपत्रों की प्रचार-संख्या की तुलना में बहुत कम है। मात्र एक केन्द्र से भारतीय भाषा में मुद्रित दैनिक पत्रों में मलायलम भाषा का 'मनोरमा' पत्र सर्वाधिक प्रचारित है। इसकी प्रचार-संख्या ६२,४६४ है। विभिन्न केन्द्रों से एक साथ प्रकाशित भारतीय भाषाओं के पत्रों में 'तांति' नामक तमिल-पत्र की प्रचार-संख्या सबसे अधिक १ लाख ४२ हजार है। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचारपत्रों की संख्या लगभग १ लाख है। अँगरेजी भाषा में मात्र एक केन्द्र से प्रकाशित पत्रों में मद्रास के 'हिन्दू' पत्र की प्रचार-संख्या सबसे अधिक अर्थात् १ लाख २० हजार ८ सौ और इसके बाद कलकत्ते से प्रकाशित 'अमृतबाजार पत्रिका' की प्रचार-संख्या ६० हजार है। इन दो पत्रों को छोड़कर और कोई पत्र देशी भाषाओं में प्रकाशित पत्रों की प्रचार-संख्या की दृष्टि से प्रतिद्वन्द्वी नहीं है। अवश्य ही इसमें अँगरेजी के वे पत्र शामिल नहीं हैं, जो शृङ्खलाबद्ध रूप में (Chain Newspapers) अनेक केन्द्रों से प्रकाशित होते हैं। उपर्युक्त दो अँगरेजी दैनिक और कलकत्ता से प्रकाशित दो बँगला दैनिक 'आनन्द-बाजार-पत्रिका' और 'युगान्तर' के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के जो अन्य

तीन अँगरेजी दैनिक हैं, वे सब-के-सब शृङ्खलाबद्ध हैं: अर्थात् उनके मालिक एक हैं और वे विभिन्न केन्द्रों से प्रकाशित होते हैं।

## संविधान

भारत की संविधान-सभा का सर्वप्रथम अधिवेशन ६ सितम्बर, १६४६ को हुआ। २२ जनवरी, १६४७ को इसने अपना उद्देश्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तथा प्रस्तावित संविधान के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए कई समितियां नियुक्त कीं। इन समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर ही संविधान-सभा की प्रारूप-समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जो फरवरी १६४८ में प्रकाशित हुआ। ४ नवम्बर, १६४८ को इसे सामान्य विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया। इसी बीच, भारतीय स्वाधीनता-अधिनियम स्वीकृत होने तथा १५ अगस्त १६४७ को सत्ता के हस्तान्तरण के फलस्वरूप संविधान-सभा उन सब प्रतिबन्धों से मुक्त हो गई जिनकी छाया में उसका जन्म हुआ था। इस प्रकार एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न निकाय के रूप में उसने भारत का संविधान बनाने का कार्य आरम्भ किया। संविधान-सभा ने ३६५ अनुच्छेदों तथा ८ अनुसूचियों से युक्त संविधान को २६ नवम्बर, १६५६ को अन्तिम रूप देकर स्वीकार कर लिया तथा २६ जनवरी, १६५० से वह लागू हो गया है। तबसे अबतक संविधान में १२ संशोधन हो चुके हैं।

संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने और सबमें व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करनेवाली बन्धुता बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जायगा।

### संघ तथा उसका राज्य-क्षेत्र

भारत राज्यों का एक संघ है जिसके राज्य-क्षेत्र में आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, केरल, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और राजस्थान तथा अन्दमान और निकोबार-द्वीपसमूह, दिल्ली, मणिपुर, लक्कद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी-द्वीपसमूह, हिमाचलप्रदेश और त्रिपुरा के संघीय क्षेत्र हैं। *

### नागरिकता तथा मताधिकार †

संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए एकल तथा एकसम नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संघ के राज्य-क्षेत्र में जन्म लेने, भारतीय माता-पिता की सन्तान होने अथवा संविधान

* संविधान के सातवें संशोधन से पूर्व संविधान की प्रथम अनुसूची में भाग 'क' के १०, भाग 'ख' ८ और भाग 'ग' के ६ राज्यों तथा भाग 'घ' के एक क्षेत्र का उल्लेख था। १ मई, १६६० से बम्बई-राज्य का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक दो राज्य बना दिये गये हैं।

† संविधान के ये उपबन्ध संविधान के आरम्भ होने के समय नागरिकता की सामान्य योग्यताओं से ही सम्बन्ध हैं। विस्तृत विवरण संसदीय कानूनों-द्वारा निश्चित किये जायेंगे। तदनुसार नागरिकता अधिनियम, १६५५ के अधीन संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने, नागरिकता का अधिकार छीनने आदि की व्यवस्था कर दी गई है।

लागू होने से ठीक पहले पाँच वर्ष तक भारत का निवासी होने की शर्त पूरी करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद ६ और ७ के अनुसार पाकिस्तान से आनेवाले वे विस्थापित व्यक्ति, जो कुछ शर्तों को पूरा करते हों, भारत के नागरिक बन सकते हैं। विदेशों में रहनेवाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। बशर्ते कि वे अपने निवासवाले देश में स्थित भारतीय राजनीतिक अथवा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के पास अपना नाम दर्ज करा लें। ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, भारत का नागरिक नहीं बन सकता।

संविधान के अनुच्छेद ३२६ के अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार दिया गया है, जो भारत का नागरिक हो तथा निर्धारित तिथि पर २१ वर्ष से कम आयु का न हो तथा जिसको संविधान अथवा यथोचित विधानमण्डल के किसी कानून द्वारा अनिवास, पागलपन, अपराध, भ्रष्टाचार या गैर-कानूनी कार्य के आधार पर अयोग्य न ठहरा दिया गया हो।

## मौलिक अधिकार

संविधान के तीसरे भाग में मोटे तौर पर सात प्रकार के मौलिक अधिकार गिनाये गये हैं: समता का अधिकार (अनुच्छेद १४ से १८); अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद १६;) एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्ड न पा सकने, अपने ही विरुद्ध साक्षी न बनाये जा सकने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अथवा जीवन से वंचित न किये जा सकने का अधिकार (अनुच्छेद २० और २१); शोषण से रक्षा का अधिकार (अनुच्छेद २३ और २४); धर्मस्वातन्त्र्य का अधिकार (अनुच्छेद २५ से २८); संस्कृति और शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद २६ तथा ३०); सम्पत्ति का अधिकार (अनुच्छेद ३१); तथा सांवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद ३२)। इस अन्तिम अधिकार के अन्तर्गत सभी अधिकार निर्णेय हैं और उनको लागू करवाने के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है।

समता के अधिकार के अन्तर्गत कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म, जाति, लिंग भेद अथवा जन्म-स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता जायगा। सरकारी नौकरी के मामले में सबको समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। अस्पृश्यता का भी उन्मूलन कर दिया गया है। संसद् के एक कानून के अनुसार अस्पृश्यता का व्यवहार करनेवाले व्यक्ति को कानूनी रूप से दण्ड दिया जा सकता है।

## राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवाये जा सकते, तथापि 'देश के शासन में उनका ध्यान रखना आवश्यक' माना जाता है। इनमें कहा गया है: "सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी, जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो।" इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार सरकार का यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवन-यापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दे; समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे; अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार

सभी को काम करने का समान अधिकार दे और बेरोजगारी, बुढ़ापा तथा बीमारी की अवस्था में सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे।

राज्य-नीति के अन्य निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि तथा पशु-पालन का संगठन करने; ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर-उद्योगों को प्रोत्साहन देने; मादक पेयों और ओषधियों पर रोक लगाने; १४ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने; ग्राम-पंचायतें बनाने तथा रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की व्यवस्था है।

## केन्द्र

### कार्यपालिका

संविधान के पाँचवें भाग के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय कार्यपालिका के अन्तर्गत राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् होती है।

राष्ट्रपति—राष्ट्रपति का चुनाव सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा एक निर्वाचन-मण्डल करता है। जिसमें संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति कम-से-कम ३५ वर्ष की आयु का भारत का नागरिक हो तथा लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल ५ वर्ष होता है और वह राष्ट्रपति के पद के लिए दूसरी बार भी खड़ा हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद ६० के अन्तर्गत संविधान की रक्षा करना राष्ट्रपति का परम कर्त्तव्य है। यदि वह संविधान के विरुद्ध जाता है, तो महाभियोग लगाकर उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। राज्य का प्रधान होने की हैसियत से राष्ट्रपति को नियुक्तियाँ करने, संसद् का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थगित करने, उसमें भाषण देने और उसे सन्देश भेजने तथा लोक-सभा को भंग करने, संसद् की अनुपस्थिति में अध्यादेश (आर्डिनेंस) जारी करने, धन-विधेयक पेश करने तथा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमा-प्रदान करने, दण्ड को रोक रखने अथवा उसमें कमी करने आदि के अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के जो अधिकार प्रदान किये गये हैं, उनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा सरकारी अधिकारियों के माध्यम से करता है।

उप-राष्ट्रपति—उप-राष्ट्रपति का चुनाव सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संसद् के दोनों सदनों के सदस्य एक संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। यह आवश्यक है कि उप-राष्ट्रपति भी कम-से-कम ३५ वर्ष की आयु का भारतीय नागरिक तथा राज्य-सभा का सदस्य बनने का पात्र हो। उप-राष्ट्रपति का कार्य-काल भी ५ वर्ष का होता है तथा वह राज्य-सभा का पदेन सभापति होता है। इसके अतिरिक्त बीमारी, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति के कार्य न कर सकने की अवस्था में अथवा राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पदच्युति के परिणामस्वरूप पद-रिक्त होने के बाद, जबतक नये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लिया जाता, तबतक उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यकाल में उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति में निहित समस्त अधिकारों और कार्यों का वहन करेगा और वह राज्य-सभा का सभापति नहीं रह जायेगा।

**मन्त्रिपरिषद्**—संविधान के अनुच्छेद ७४ के अन्तर्गत राष्ट्रपति को उसको कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था है। प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल यद्यपि राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर है, तथापि वह लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार प्रधान मन्त्री का कर्त्तव्य है कि मन्त्रिपरिषद् केन्द्रीय प्रशासन-कार्यों तथा नये कानून-सम्बन्धी जो निर्णय करे, उनसे वह राष्ट्रपति को अवगत कराता रहे।

**महान्यायवादी (एटर्नी जनरल)**—महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी भारत-सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है तथा अन्य ऐसे कानूनी कार्य करता है, जो राष्ट्रपति उसको सौंपे। महान्यायवादी संविधान द्वारा सौंपे गये अथवा संविधान के अन्तर्गत मिले अन्य कार्य भी करता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है तथा वह देश के सभी न्यायालयों में पैरवी कर सकता है।

## संसद्

केन्द्रीय विधान-मण्डल के अन्तर्गत जिसे 'संसद्' कहते हैं, राष्ट्रपति तथा संसद् के दो सदन होते हैं। ये सदन राज्य-सभा तथा लोक-सभा कहलाते हैं।

**राज्य-सभा**—राज्य-सभा की अधिकतम सदस्य-संख्या २५० है, जिसमें १२ सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में अपनी ख्याति के कारण राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं। शेष सदस्यों का चुनाव होता है। राज्य-सभा भंग नहीं होती। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति कर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्य-सभा के सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से होता है तथा प्रत्येक राज्य के लिए संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार निर्धारित सदस्यों (संख्या) का निर्वाचन उस राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि संसद् द्वारा निहित विधि के अनुसार चुने जाते हैं। राज्य-सभा की सदस्यता के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, साथ ही आयु भी ३० वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

**लोक-सभा**—लोक-सभा की अधिकतम सदस्य-संख्या ५०० है। ये सदस्य वयस्क-मताधिकार के आधार पर राज्यों के निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि उस राज्य के विधान-मण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। संसद् के एक नियम के अनुसार लोक-सभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिक-से-अधिक २० सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के यह समझने की स्थिति में कि आंग्ल-भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, उनके प्रतिनिधित्व के लिए संविधान आरम्भ होने के बाद १० वर्ष तक लोक-सभा में राष्ट्रपति द्वारा दो आंग्ल भारतीय सदस्य नामनिर्दिष्ट करने की व्यवस्था थी। अब इस अवधि को १० वर्ष और बढ़ा दिया गया है।

## न्यायपालिका

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक-से-अधिक १३ न्यायाधीश* होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है तथा वह किसी एक या दो उच्च न्यायालयों में लगातार कम-से-कम ५ वर्ष तक न्यायाधीश अथवा किसी एक या दो उच्च न्यायालयों में कम-से-कम १० वर्ष तक वकील रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की सम्मति में कानून का प्रकाण्ड पण्डित हो। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की भी व्यवस्था कर दी गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में अथवा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल उसी दशा में उसके पद से हटा सकता है, जब कि प्रमाणित दुराचरण अथवा अयोग्यता के आधार पर संसद् का प्रत्येक सदन उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई के बहुमत तथा मतदान से इस आशय का प्रस्ताव पास कर दे।

## भारत का लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक

संविधान के अनुच्छेद १४८ से १५१ में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों के हिसाब-किताब पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भारत का एक लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। उसके अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का निश्चय संसद् द्वारा बनाये गये कानून द्वारा किया जाता है। यह अधिकारी राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के समक्ष जो प्रतिवेदन उपस्थित करता है, उनको संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधान-मण्डलों में पेश किया जाता है।

## राज्य

संविधान के छठे भाग के अनुसार राज्यों की शासन-पद्धति केन्द्रीय सरकार के समान है।

### कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत राज्यपाल तथा मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् होती है।

राज्यपाल—राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ५ वर्षों के लिए करता है, किन्तु उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ३५ वर्ष से अधिक आयुवाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल संसद् अथवा राज्य के

*मूल रूप में संविधान में इनकी संख्या ७ निश्चित की गई थी, जिसे 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, १९५६ द्वारा इसे बढ़ाकर १० कर दिया गया था। हाल ही में 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, १९६० द्वारा यह संख्या बढ़ाकर १३ कर दी गई।

विधान-मण्डल के किसी भी सदन की सदस्यता अथवा अन्य कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता।

**मन्त्रिपरिषद्**—संविधान में राज्यपाल को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने के लिए मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था है। मुख्य मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल को परामर्श देता है। मन्त्रिपरिषद् राज्यपाल की इच्छापर्यन्त ही अपने पद पर बनी रहती है तथा सामूहिक रूप से राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

**महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)**—महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह अधिकारी राज्यपाल अथवा संविधान अथवा अन्य किसी विधान द्वारा सौंपे गये कानूनी कर्त्तव्यों का पालन करता है तथा राज्य-सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है। राज्यपाल की इच्छापर्यन्त ही वह अपने पद पर बना रहता है।

## विधान-मण्डल

प्रत्येक राज्य में एक-एक विधान-मण्डल होता है, जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त दो सदन होते हैं; किन्तु असम, उड़ीसा, केरल, गुजरात तथा राजस्थान में केवल एक-एक सदन की ही व्यवस्था है। उच्च सदन विधान-परिषद् कहलाता है तथा निचला सदन विधान-सभा। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि संसद् किसी वर्त्तमान विधान-परिषद् को समाप्त करने अथवा किसी राज्य में उसकी स्थापना करने की व्यवस्था कर सकती है।

**विधान-परिषद्**—प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधान-सभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में ४० से कम नहीं होगी। परिषद् के लगभग एक-तिहाई सदस्य, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जो विधान-सभा के सदस्य नहीं हैं। एक-तिहाई सदस्य नगर-पालिकाओं, जिला-मण्डलों तथा अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक-मण्डल चुनते हैं; १/१२ सदस्य शिक्षालयों (माध्यमिक स्तर से नीचे के नहीं) के पंजीकृत अध्यापक चुनते हैं तथा १/१२ सदस्य ३ वर्षों से अधिक पुराने पंजीकृत स्नातक चुनते हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन तथा समाज-सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो। राज्य-सभा की भाँति ही विधान-परिषदें भी स्थायी हैं तथा इनके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते रहते हैं।

**विधान-सभा**—संविधान के अनुच्छेद १७० के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अधिक-से-अधिक ५०० तथा कम-से-कम ६० सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव राज्य के निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधान-सभा का कार्यकाल भी सामान्यतः ५ वर्ष का होता है।

## न्यायपालिका

प्रत्येक राज्य में न्याय-प्रशासन के शीर्ष पर उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा उतने न्यायाधीश होते हैं, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियुक्त कर दे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की

नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया जाता है। मुख्य न्यायाधिपति तथा न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रहते हैं। इन्हें अपने पद से हटाने की विधि भी वही है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने के लिए निर्धारित है। संविधान में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना के लिए भी व्यवस्था है।

## केन्द्र तथा राज्य

केन्द्र तथा राज्य-सरकारों के बीच के वैधानिक तथा प्रशासनिक सम्बन्धों का विवरण संविधान के ग्यारहवें भाग में दिया गया है। नये राज्यों की स्थापना करने अथवा क्षेत्रफल, सीमाएँ अथवा वर्त्तमान राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद् को ही है।

**वैधानिक सम्बन्ध**—केन्द्र तथा राज्यों के बीच वैधानिक अधिकारों के विभाजन की व्यवस्था सातवीं अनुसूची के उपबन्धों द्वारा कर दी गई है, जो केन्द्रीय सूची, राज्य-सूची तथा समवर्त्ती सूची नामक तीन सूचियों में निहित हैं। केन्द्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद् को तथा राज्य-सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार राज्यों के विधान-मण्डलों को है। समवर्त्ती सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद् तथा राज्यों के विधानमण्डलों—दोनों को है।

क्षेत्रीय दृष्टि से संसद् के वैधानिक अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त देश अथवा उसका कोई भी भाग आ सकता है, जब कि राज्य के विधान-मण्डल का वैधानिक अधिकार-क्षेत्र राज्य अथवा उसके किसी भाग तक ही सीमित है। संसद् भारत के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए भी, जो किसी राज्य में नहीं है, ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कानून बना सकती है, जो राज्यों के विधान-मण्डलों के ही अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। इसके अतिरिक्त 'अवशिष्ट अधिकार', यानी जिनकी गणना किसी भी सूची में नहीं की गई है, संसद् में निहित है।

**प्रशासनिक सम्बन्ध**—केन्द्र तथा राज्यों के कार्यपालिका-सम्बन्धी अधिकार यद्यपि उनके अपने-अपने वैधानिक अधिकारों के साथ सम्बद्ध हैं, तथापि संविधान की व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार अपने कुछ कार्य राज्य-सरकारों अथवा उनके अधिकारियों को सौंप सकती है तथा उन्हें आदेश दे सकती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य की सीमा में राष्ट्रीय अथवा सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संचार-साधनों का निर्माण आदि करने, अन्तर-राज्यीय नदी आदि के पानी के विभाजन-सम्बन्धी विवादों का निर्णय करने तथा अन्तर-राज्यीय परिषदें स्थापित करने का भी अधिकार है।

## वित्त

संविधान के बारहवें भाग में वित्त, सम्पत्ति, ठेकों आदि सम्बन्धी व्यवस्थाओं का वर्णन है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की एक व्यापक योजना के लिए भी संविधान में व्यवस्था कर दी गई है।

केन्द्र को केन्द्रीय सूची के अनुसार कर और शुल्क उगाहने तथा राज्यों को राज्य-सूची के अनुसार कर और शुल्क उगाहने का अधिकार मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त संविधान में

करों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों का भी उल्लेख कर दिया गया है, जिनका बँटवारा राज्य तथा केन्द्र के बीच विभिन्न परिमाणों में किया जाता है।

संविधान ने केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया है कि वह भारत की समेकित निधि के आधार पर संसद् द्वारा निर्धारित की गई सीमा तक ऋण ले सकती है। केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को ऋण तथा उनके द्वारा जारी किये गये ऋणों के सम्बन्ध में गारण्टी भी दे सकती है। राज्यों को भी अपनी-अपनी समेकित निधियों के आधार पर ऋण जारी करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर एक वित्त-आयोग की स्थापना किये जाने की भी संविधान में व्यवस्था कर दी गई है, जो करों से होनेवाली शुद्ध आय का केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारों के बीच वितरण करने तथा राज्यों को सहायता-अनुदान देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। पहला वित्त-आयोग नवम्बर, १९५१ ई० में तथा दूसरा आयोग अप्रैल, १९५६ ई० में नियुक्त किया गया था। तीसरा आयोग श्री ए० के० चन्द की अध्यक्षता में २ दिसम्बर, १९६० ई० को नियुक्त किया गया। विस्तृत वर्णन अध्याय १६ में देखिए।

इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्यों के हिसाब-किताब की जाँच करने के लिए स्वतन्त्र प्राधिकारी की भी व्यवस्था है।

## व्यापार तथा वाणिज्य

संविधान के तेरहवें भाग में सम्पूर्ण भारत में व्यापार, वाणिज्य तथा आदान-प्रदान की स्वतन्त्रता के सामान्य सिद्धान्तों की व्यवस्था है। संसद् अथवा विधान-मण्डलों को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जिससे व्यापार आदि के बारे में एक राज्य को दूसरे राज्य की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ दी जा सकें अथवा जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रति भेद-भाव प्रदर्शित हो।

## सार्वजनिक सेवाएँ

संविधान के चौदहवें भाग का सम्बन्ध केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों में काम करनेवाले कर्मचारियों की भरती, उनकी सेवा की शर्तों, पदावधि तथा सेवामुक्ति, पदच्युति अथवा पदावनति से है। इसी भाग में केन्द्रीय तथा राज्यीय लोकसेवा-आयोगों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। विस्तृत विवरण अध्याय ५ में देखिए।

## चुनाव

संसद् और विधान-मण्डलों तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के लिए होनेवाले सभी चुनावों के नियन्त्रण तथा निरीक्षण का काम चुनाव-आयोग को सौंपा गया है। चुनाव-आयोग में एक मुख्य चुनाव-आयुक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य चुनाव-आयुक्त भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयुक्तों की सेवा तथा पदावधि की शर्त्त का निर्णय राष्ट्र करता है। मुख्य चुनाव-आयुक्त को भी उसी विधि से पदच्युत किया जा सकता है, जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जाता है।

## राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी तथा सरकारी कार्यों के लिए भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा। किन्तु, राजभाषा के रूप में अंगरेजी का प्रयोग संविधान लागू होने के बाद अधिक-से-अधिक १५ वर्ष तक जारी रहेगा। अनुच्छेद ३४४ के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के समय से पाँच वर्षों की समाप्ति और इसके बाद संविधान लागू होने के समय से दस वर्षों की अवधि की समाप्ति पर हिन्दी के विकास तथा प्रचार के सम्बन्ध में जाँच कराने और निर्धारित अवधि की समाप्ति पर अंगरेजी के स्थान पर पूर्ण रूप से हिन्दी का उपयोग आरम्भ कराने के विचार से केन्द्र के सभी अथवा किसी सरकारी कार्य के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक विशेष आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में आठवीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि हों। संविधान की एक अन्य व्यवस्था के अनुसार ३० संसत्सदस्यों की एक संसदीय समिति द्वारा आयोग की सिफारिशों की जाँच करने की भी व्यवस्था है। अनुच्छेद ३४४ की धारा (६) के अधीन राष्ट्रपति को संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उस पूरी रिपोर्ट अथवा उसके किसी अंश के अनुसार निर्देश देने का अधिकार दिया गया है।

संविधान के अनुसार किसी राज्य का विधान-मण्डल कानून बनाकर राज्य में प्रचलित एक अथवा कई प्रादेशिक भाषाओं को अथवा हिन्दी को सभी कार्यों अथवा किसी विशेष सरकारी कार्य के लिए राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। राज्यों के बीच तथा राज्य और केन्द्र के बीच पत्र-व्यवहार के लिए कुछ समय तक उसी भाषा का प्रयोग होता रहेगा, जिसका प्रयोग अभी हो रहा है। संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह १५ वर्ष की निर्धारित अवधि से पूर्व किसी भी सरकारी काम के लिए अंगरेजी के साथ-साथ हिन्दी का भी प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है।

## संकटकालीन तथा अन्य विशेष व्यवस्थाएँ

संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय इस बात का समाधान हो जाय कि युद्ध अथवा आन्तरिक उपद्रव के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा संकट में है अथवा इसके फलस्वरूप संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह एक घोषणा-द्वारा राज्यों को विशेष आदेश दे सकता है तथा संविधान के अनेक अनुच्छेदों (२६८ से २८०) को स्थगित कर सकता है। किन्तु, राष्ट्रपति की घोषणा को, दो महीने के अन्दर ही, संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति के लिए उपस्थित करना आवश्यक है।

राज्य के सांवैधानिक तन्त्र के असफल होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति एक घोषणा द्वारा राज्य-सरकार के सभी अथवा किसी कर्त्तव्य का उत्तरदायित्व स्वयं ले सकता है। ऐसा वह राज्यपाल से सूचना प्राप्त होने के आधार पर अथवा निश्चित रूप से यह मालूम कर लेने पर करता है कि ऐसी स्थिति में राज्य का शासन संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।

**अनुसूचित जातियाँ तथा आदिमजातियाँ**—सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार निश्चित करने की सामान्य व्यवस्था के साथ-साथ संविधान में आंग्ल-

भारतीयों-जैसे अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों-जैसे पिछड़े और अविकसित वर्गों के हितों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए विशेष व्यवस्था है, जिससे इन लोगों को उन्नति के अवसर मिलें। इनमें पहले १० वर्षों के लिए ( जिसे अब १० वर्ष और बढ़ा दिया गया है) संसद् तथा राज्यों के विधान-मण्डलों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने, सरकारी नौकरियों में उन्हें रियायत देने तथा शिक्षा की अधिक सुविधाएँ देने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण का भी विशेष उत्तरदायित्व डाला गया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अध्याय १४ में देखिए।

**असम के आदिमजातीय क्षेत्र**—असम के आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी संविधान में एक विशेष व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों में कुछ स्वायतशासी जिलों तथा प्रदेशों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। असम के राज्यपाल को राष्ट्रपति की ओर से इन क्षेत्रों का काम सौंपा गया है और इन जिलों तथा प्रदेशों के लिए परिषदें बनाने का अधिकार दिया गया है। इन परिषदों को अपने-अपने क्षेत्र के प्रशासन के लिए स्वयं नियम बनाने, कुछ मामलों में कानून बनाने, मुकदमों और विवादों की सुनवाई के लिए ग्राम-न्यायालय गठित करने, जिले और प्रादेशिक कोष का प्रशासन करने तथा स्कूल, दवाखाने, बाजार आदि स्थापित करने के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकार भी दिये गये हैं। असम के राज्यपाल के स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों के प्रशासन की जाँच-पड़ताल करने तथा उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया है। उत्तर-पूर्व सीमान्त-प्रदेश तथा त्वेनसांग-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से असम का राज्यपाल करता है।*

**विशेष अधिकारी**—अनुच्छेद ३३८ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद ३५० (ख) के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अन्य विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था है।

## संविधान में संशोधन

अनुच्छेद ३६८ में यह व्यवस्था है कि संविधान में संशोधन संसद् के किसी भी सदन में इस उद्देश्य का विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। यदि प्रत्येक सदन उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत तथा मतदान से ऐसे विधेयक को पास कर दे, तो उसके बाद उसकी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायगा तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही संविधान संशोधित माना जायेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केन्द्र तथा राज्यों के बीच कानून बनाने के अधिकारों का वितरण, संसद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा संविधान में संशोधन करने की विधि—इनके बारे में संशोधन करने के लिए राज्यों के कम-से-कम आधे विधान-मण्डलों द्वारा संशोधन की पुष्टि होना भी आवश्यक है।

---

*भारत के राष्ट्रपति-द्वारा २४ जनवरी, १९६१ को जारी किये गये 'नागालैण्ड (संक्रमण-कालीन व्यवस्थाएँ) विनियम, १९६१ के अधीन नागा पहाड़ियाँ—त्वेनसांग क्षेत्रवाला क्षेत्र केन्द्र द्वारा प्रशासित है और नागालैंड कहलाता है।

२६ जनवरी, १६५० ई० को संविधान लागू होने के बाद से अबतक संविधान में १२ बार संशोधन किये जा चुके हैं। 'संविधान ( सातवाँ संशोधन ) अधिनियम, १६५६' द्वारा न केवल नये राज्यों की स्थापना हुई अथवा राज्यों की सीमाओं में फेर-बदल हुआ, बल्कि राज्यों के वर्गीकरण की प्रथा का भी अन्त कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों को संघीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 'संविधान (आठवाँ संशोधन) अधिनियम, १६५६' के अन्तर्गत लोक-सभा तथा राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने तथा आंग्ल-भारतीय जातियों के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने की अवधि २६ जनवरी, १६६० ई० से १० वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। 'संविधान (नवाँ संशोधन) अधिनियम, १६६०' द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर दिया गया है, जिससे सितम्बर, १६५८ ई० में भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसार पश्चिमी बंगाल का बेरुबारी क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को हस्तान्तरित किये जा सकें।

संविधान का दसवाँ संशोधन सर्वसम्मति से १४ अगस्त १६६१ ई० को हुआ। यह सर्वसम्मति से स्वीकृत होनेवाला पहला संशोधन था। इस संशोधन द्वारा पुर्त्तगाल-अधिकृत क्षेत्र दादरा और नागर हवेली का भारत में विलयन किया गया। ग्यारहवाँ संशोधन ५ दिसम्बर १६६१ को हुआ। तदनुसार, उपर्युक्त निर्वाचक-मंडल के किसी स्थान के रिक्त होने के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उपाहृत नहीं किया जा सकता, अर्थात् उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। बारहवाँ संशोधन १४ मार्च, १६६२ ई० को हुआ। इसके अनुसार पुर्त्तगाल-अधिकृत क्षेत्र गोआ, दामन और ड्यू को संविधान की प्रथम अनुसूची में दर्ज कर उन्हें केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र बनाया गया। इस क्षेत्र को लोक-सभा में दो स्थान दिये गये और यह क्षेत्र बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया।

## राष्ट्रीय चिह्न, झण्डा, गीत और दिवस

राष्ट्रीय चिह्न—भारत का राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ-स्थित अशोक के सिंह-स्तम्भ के उस रूप का प्रतिरूप है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल रूप से यह स्तम्भ सम्राट् अशोक द्वारा उस स्थान पर स्थापित किया गया था, जहाँ भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को अष्टांग-मार्ग की दीक्षा सर्वप्रथम दी थी। इसमें चार सिंह हैं, जो स्तम्भ के शीर्ष-भाग में एक चौरस पट्टी के ऊपर एक-दूसरे की ओर पीठ किये हुए स्थित हैं। स्तम्भ के चारों ओर की इस चौरस पट्टी में एक हाथी, दौड़ता हुआ, एक घोड़ा, एक साँड़ तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्त्तियाँ हैं, जिनके बीच-बीच में घण्टीनुमा कमल के ऊपर एक चक्र है। सबसे ऊपर एक ही पत्थर से काटकर बनाया हुआ एक 'धर्मचक्र' है।

२६ जनवरी, १६५० ई० को भारत-सरकार द्वारा अपनाये गये इस राष्ट्रीय चिह्न में केवल तीन ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नकाशी में एक चक्र है, जिसकी दाईं तथा बाईं ओर क्रमशः एक साँड़ और एक घोड़ा है। चिह्न के नीचे देवनागरी लिपि में मुण्डकोपनिषद् का वाक्य—'सत्यमेव जयते' अंकित है। इसका अर्थ है—'सत्य ही जयी होता है'।

राष्ट्रीय झण्डा—आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा सन् १६०६ ई० में कलकत्ता में फहराया गया था। इसमें लाल, पीला और हरा—तीन रंग थे। दूसरा झण्डा भी इसी तरह का था, जिसे श्रीमती कामा आदि निष्कासित क्रान्तिकारियों ने पेरिस में फहराया था। तीसरा झण्डा सन् १६१७ ई० के होमरूल-आन्दोलन में श्रीमती ऐनीबेसेण्ट और लोकमान्य तिलक ने फहराया। चौथी बार कॉंगरेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र के लिए एक तिरंगा झण्डा सन् १६२१ ई० में तैयार किया। वही झण्डा कुछ परिवर्त्तन के बाद २२ जुलाई, १६४७ ई० को भारत की संविधान-सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। यह बराबर की आयताकार तीन पट्टियों से बना है। ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है, मध्य की श्वेत रंग की तथा नीचे की गहरे हरे रंग की। झण्डे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात ३ और २ है। श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जो चरखे का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र सारनाथ के सिंह-स्तम्भवाले धर्मचक्र की बनावट का है।

झण्डे के फहराये जाने और उचित रूप से प्रयुक्त किये जाने के लिए भारत-सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किये हैं। इसको किसी के लिए झुकाया नहीं जा सकता तथा कोई और झण्डा या चिह्न इसके ऊपर अथवा दाईं ओर स्थान नहीं पा सकता। यदि एक ही पंक्ति में अनेक झण्डे फहराने हों, तो वे सब राष्ट्रीय झण्डे की बाईं ओर ही रहेंगे। जब अन्य झण्डों को ऊँचा फहराना हो, तब राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रहना चाहिए।

जब एक ध्वज-दण्ड पर कई झण्डे फहराने हों, तब भी राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। झण्डे को लिटाकर अथवा झुकी हुई दशा में कभी न ले जाया जाय। जुलूस में यह झण्डा ध्वजवाहक के दायें कन्धे पर और सबसे आगे रहना चाहिए। यदि किसी डण्डे पर इसे सीधा या किसी खिड़की, छज्जे अथवा मकान के मुख-भाग से इसे झुकी हुई स्थिति में फहराना हो, तो केसरिया भाग ऊपर की ओर रहना चाहिए।

सामान्यतः यह झण्डा उच्च न्यायालय, सचिवालय, जेल आदि जैसे सरकारी भवनों पर ही फहराया जाना चाहिए। भारत-गणराज्य के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों के अपने-अपने निजी झण्डे हैं।

स्वतन्त्रता-दिवस, गणतन्त्र-दिवस, महात्मा गांधी का जन्म-दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह तथा ऐसे अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय झण्डा, कोई भी व्यक्ति फहरा सकता है।

राष्ट्रीय गीत—विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित 'जन-गण-मन' को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में २४ जनवरी, १६५० ई० को अपनाया गया। यह गीत सर्वप्रथम २७ दिसम्बर, १६११ ई० को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कॉंगरेस के अधिवेशन में गाया गया था। कवीन्द्र रवीन्द्र के पूरे गीत में पाँच पद हैं। इसका प्रथम पद, जिसे भारत की प्रतिरक्षा-सेनाओं ने अपना लिया है, तथा जो साधारणतया समारोहों में गाया जाता है, इस प्रकार है—

जन-गण-मन अधिनायक, जय हे<br>
भारत-भाग्य विधाता!<br>
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा-द्राविड़-उत्कल-बंग<br>
विंध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा-उच्छल-जलधि-तरंग<br>
तव शुभ नामे जागे,<br>
तव शुभ आशिष माँगे,

गाहे तव जय-गाथा ।
जन-गण-मंगलदायक, जय हे
भारत-भाग्य-विधाता !
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे !

राष्ट्रीय गान—राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति देने के साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया कि श्रीवंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा लिखित 'वंदे मातरम्' को भी 'जन-गण-मन' के समान ही दर्जा दिया जाय; क्योंकि स्वतंत्रता-संग्राम में 'वंदे मातरम्' जन-जन का प्रेरणा-स्रोत था। मूल रूप में यह श्रीवंकिमचन्द्र चटर्जी के सन् १८८२ ई० में प्रकाशित 'आनन्दमठ' नामक उपन्यास में छपा था। राजनीतिक रंगमंच से यह गान सर्वप्रथम सन् १८९६ ई० में भारतीय राष्ट्रीय काँगरेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसके प्रथम पद का पाठ इस प्रकार है—

वन्दे मातरम् ।
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलां, मातरम् ।
शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदां, वरदां, मातरम् ।

राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय सप्ताह—भारत में राष्ट्रीय दिवस सन् १९१९ ई० के ६ अप्रैल से मनाना आरम्भ हुआ। उस दिन महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण रॉलेट विल के विरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह करने की अपील की थी। उस दिन लोगों को उपवास रखना, ईश्वर-प्रार्थना करना और देशभर में सार्वजनिक सभा का रॉलेट विल के विरुद्ध एक शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करना था कि यदि इस विल को कानून का रूप दिया गया, तो जबतक इसे वापस नहीं ले लिया जाय तबतक इस कानून को तथा अन्य कानूनों को भी, जिन्हें पीछे निश्चित किया जायगा, मानने से नम्रतापूर्वक इनकार कर देंगे। यह पहला देशव्यापी सत्याग्रह था। इस घटना को लेकर दिल्ली, अमृतसर, गुजरानवाला, अहमदाबाद, कलकत्ता आदि कितने ही स्थानों में सरकारी दमन के कारण उपद्रव मचे। दमनकारी घटनाओं में १३ अप्रैल का अमृतसर का जालियाँवाला बाग का हत्याकांड प्रमुख था। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सन् १९२० ई० में असहयोग-आन्दोलन छिड़ने पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से ६ अप्रैल को राष्ट्रीय दिवस और ६ से १३ अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाने लगा और स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक नियमित रूप से सर्वत्र मनाया जाता रहा। दिवस और सप्ताह मनाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम होते थे।

स्वतन्त्रता-दिवस और गणतन्त्र-दिवस—सन् १९२९ ई० में इण्डियन नेशनल कांगरेस के लाहौर-अधिवेशन में कांगरेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता घोषित किया गया। पीछे कांगरेस-कार्य-समिति के नियम के अनुसार २६ जनवरी को सारे देश के अन्दर गाँव-गाँव और नगर-नगर में सभा कर स्वतन्त्रता-सम्बन्धी एक घोषणा-पत्र पढ़ा गया। तब से प्रतिवर्ष २६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस मनाया जाने लगा। सन् १९५० ई० के इसी पुनीत दिवस को भारत का नया संविधान लागू

कर भारत को गणतन्त्र घोषित किया गया। उसके बाद प्रतिवर्ष २६ जनवरी को गणतन्त्र-दिवस और १५ अगस्त को, जिस दिन (१९४७) में भारत स्वतन्त्र हुआ था, स्वतन्त्रता-दिवस मनाया जाने लगा और अब भी मनाया जा रहा है।

## भारतीय शासन

भारतीय संघ का प्रधान राष्ट्रपति है। संघ की सम्पूर्ण कार्यपालिका शक्ति, जिसमें प्रतिरक्षा-सेनाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व भी सम्मिलित है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित है। सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किये जाते हैं। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को उसके कार्य-पालन में परामर्श तथा सहायता प्रदान करती है।

मंत्रिपरिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं: (१) मंत्री—जो मंत्रिपरिषद् केबिनेट के सदस्य होते हैं; (२) राज्यमंत्री—जो मंत्रिमण्डल के सदस्य तो नहीं होते, किन्तु मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ही पद के होते हैं; तथा (३) उप-मंत्री। सरकारी नीतियाँ आदि बनाने का कार्य मंत्रिमंडल के ही हाथ में होता है।

राष्ट्रपति : सर्वपल्ली राधाकृष्णन।

उपराष्ट्रपति : डॉ० जाकिर हुसैन।

| मन्त्रिमण्डल के सदस्य | | विभाग |
|---|---|---|
| १. जवाहरलाल नेहरू | — | प्रधानमन्त्री और परराष्ट्र और अणुशक्ति |
| २. मोरारजी देसाई | — | वित्त। |
| ३. जगजीवन राम | — | परिवहन और संचार। |
| ४ गुलजारी लाल नन्दा | — | योजना, श्रम और नियुक्ति। |
| ५. लालबहादुर शास्त्री | — | स्वराष्ट्र। |
| ६. सरदार स्वर्ण सिंह | — | रेलवे। |
| ७. के० सी० रेड्डी | — | वाणिज्य और उद्योग। |
| ८. वी० के० कृष्ण मेनन Y B.Chavan | | प्रतिरक्षा। |
| ९. एस० के० पाटिल | — | खाद्य और कृषि। |
| १०. हाफिज मुहम्मद इब्राहिम | — | सिंचाई और विद्युत्। |
| ११. अशोककुमार सेन | — | विधि। |
| १२. केशवदेव मालवीय | — | खनिज और इन्धन। |
| १३. बी० गोपाल रेड्डी | — | सूचना और प्रसार। |
| १४. सी० सुब्रह्मण्यम् | — | इस्पात और मूल उद्योग। |
| १५. कालू लाल श्रीमाली | — | शिक्षा। |
| १६. हुमायूँ कबीर | — | वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति। |
| १७. सत्यनारायण सिंह | — | संसदीय कार्य। |
| १८. टी०टी० कृष्णामाचारी | — | आर्थिक सामंजस्य। |

| राज्य-मन्त्री | | विभाग |
|---|---|---|
| १. मेहरचन्द खन्ना | — | जनकार्य, गृह-निर्माण और आपूर्ति । |
| २. मनुभाई शाह | — | अन्तरराष्ट्रीय व्यापार । |
| ३. नित्यानन्द कानूनगो | — | उद्योग । |
| ४. राजबहादुर | — | जहाजरानी । |
| ५. एस० के० डे | — | सामुदायिक विकास, पंचायती राज्य और सहकारिता । |
| ६. डॉ० सुशीला नायर | — | स्वास्थ्य । |
| ७. बलवन्त नागेश दातार | — | गृह । |
| ८. जयसुखलाल हाथी | — | श्रम और नियोजन । |
| ९. लक्ष्मी एन० मेनन (श्रीमती) | — | विदेश । |
| १०. के० रघुरमैया | — | प्रतिरक्षा । |
| ११. ओ० वी० अलगेशन | — | सिंचाई और विद्युत । |
| १२. रामसुभग सिंह | — | खाद्य और कृषि । |

| उपमन्त्री | | विभाग |
|---|---|---|
| १. बलिराम भगत | — | वित्त । |
| २. डॉ० मनमोहन दास | — | वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य । |
| ३. शाहनवाज खाँ | — | रेल । |
| ४. ए० एम० थोमस | — | खाद्य । |
| ५. आर० एम० हाजरनवीस | — | विधि । |
| ६. एस० वी० रामस्वामी | — | रेल । |
| ७. अहमद मुहिउद्दीन | — | परिवहन और संचार । |
| ८. तारकेश्वरी सिन्हा (श्रीमती) | — | वित्त । |
| ९. पी० एस० नस्कर | — | निर्माण, आवास और संभरण । |
| १०. वी० एस० मूर्ति | — | सामुदायिक विकास, पंचायत-राज और सहकारिता । |
| ११. सुन्दरम् रामचन्द्रन् (श्रीमती) | — | शिक्षा । |
| १२. टी० आर० चौहान | — | प्रतिरक्षा । |
| १३. सी० आर० पट्टाभिरमण | — | योजना, श्रम और नियोजन । |
| १४. मरगाथम चन्द्रशेखर (श्रीमती) | — | स्वराष्ट्र । |
| १५. जगन्नाथ राव | — | गृह, कार्य और आपूर्ति । |
| १६. श्यामनाथ | — | सूचना और प्रसारण । |
| १७. डॉ० डी० एस० राजू | — | स्वास्थ्य । |
| १८. दिनेश सिंह | — | परराष्ट्र । |
| १९. विभुदेव मिश्र | — | विधि । |
| २०. वी० भागवती | — | यातायात और संचार । |

| उपमन्त्री | | विभाग |
|---|---|---|
| २१. श्यामधर मिश्र | — | सामुदायिक विकास, पंचायती राज्य और सहकारिता। |
| २२. प्रकाशचन्द्र सेठी | — | इस्पात और भारी उद्योग। |

### संसदीय सचिव

संसदीय कार्यों में मन्त्रियों की सहायता के लिए कुछ मन्त्रालयों में संसदीय सचिव होते हैं। इस समय संसदीय सचिव इस प्रकार हैं —

| | | |
|---|---|---|
| १. अन्नासाहेब सिन्धी | — | खाद्य एवं कृषि-मंत्रालय। |
| २. डी० इरिंग | — | परराष्ट्र-मंत्रालय। |
| ३. एस० सी० जमित | — | परराष्ट्र-मंत्रालय। |
| ४. एस० अहमद मेहदी | — | सिंचाई एवं शक्ति-मंत्रालय। |
| ५. दोदाइ थिमय्या | — | खान एवं इंधन-मंत्रालय। |
| ६. एम० आर० कृष्ण | — | शिक्षा-मंत्रालय। |
| ७ रतनलाल-किशोरीलाल मालवीय | — | श्रम एवं नियोजन-मंत्रालय। |

## प्रशासनिक संगठन

प्रत्येक मन्त्री का काम प्रधान मन्त्री की सलाह से राष्ट्रपति निर्धारित करता है। एक मन्त्री को एक मन्त्रालय अथवा किसी मन्त्रालय का एक भाग अथवा एक से अधिक मन्त्रालयों का भार सौंपा जाता है। मन्त्रियों की सहायता के लिए प्रायः उप-मन्त्री भी नियुक्त किये जाते हैं।

मन्त्रालय के मुख्य प्रशासन-पदाधिकारी को सचिव कहते हैं, जो मन्त्रालय के प्रशासन तथा नीति-सम्बन्धी सभी मामलों में मन्त्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है। प्रत्येक मन्त्रालय विभागों, शाखाओं तथा अनुभागों में विभाजित होता है, जिनका कार्य-संचालन क्रमशः उप-सचिव ( डिप्टी सेक्रेटरी), अवर-सचिव ( अण्डर सेक्रेटरी ) तथा अनुभागाधिकारी ( सेक्शन-आफिसर ) के अधीन होते है।

**संगठन तथा प्रक्रिया-विभाग**—मार्च, १९५४ ई० में स्थापित संगठन तथा प्रक्रिया-विभाग का मुख्य कार्य प्रशासनिक सुधारों के प्रति कार्यालयों में चेतना पैदा करना, इनमें समन्वय स्थापित करना और नई परियोजनाओं का कार्य आरम्भ करना है। सरकार की कार्य-क्षमता में सुधार करने, संगठनों के कार्य-सम्बन्धी अध्ययनों की व्यवस्था करने तथा परियोजनाओं के व्यय में कमी करने की व्यवस्था करना इस विभाग का उद्देश्य रखा गया है।

**वेतन-आयोग**—केन्द्रीय सरकार केकर्मचारियों को नौकरी की शर्तों आदि के बारे में जाँच-पड़ताल करने के लिए भारत-सरकार ने अगस्त, १९५७ ई० में एक जाँच-आयोग नियुक्त किया था। इसकी सिफारिशों के अनुसार सरकार ने ८० रु० प्रतिमास का न्यूनतम वेतन, महँगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय, भविष्य-निधि में अनिवार्य अंशदान तथा काम करने के दिनों की संख्या में वृद्धि करने की बातों को स्वीकार कर लिया। सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति-सम्बन्धी अनेक सिफारिशें भी स्वीकृत हुईं। परन्तु, सेवा-निवृत्ति की आयु ५५ से ५८ करने में सरकार ने असमर्थता प्रकट की। सरकार ने वेतन-आयोग की अधिकांश शेष सिफारिशों पर भी अपनी स्वीकृति की घोषणा की, जिनपर १ जुलाई, १९५९ ई० से अमल किया गया। इसके साथ-साथ सरकार ने

परिवर्द्धित वेतन-स्तरों पर अमल किये जाने के लिए केन्द्रीय असैनिक सेवाएँ (परिवर्द्धित वेतन) नियम, १९६० भी लागू किया।

## राज्य

केन्द्र की भाँति राज्यों में भी संसदीय शासन-पद्धति है। प्रत्येक राज्य के सांविधानिक प्रधान 'राज्यपाल' कहलाता है। राज्य के सभी कार्यपालिका-सम्बन्धी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किये जाते हैं। राज्यपाल के कुछ महत्त्वपूर्ण अधिकार ये हैं—राज्य के मन्त्रियों की नियुक्ति करना; उनके बीच सरकारी काम-काज का बँटवारा करना; राज्यीय विधान-मण्डल की बैठक बुलाना तथा स्थगित करना; विधान-सभा को भंग करना; क्षमा-दान तथा दण्ड में कमी करना आदि। कुछ विशेष परिस्थितियों में पास किये गये विधेयकों को छोड़कर राज्यीय विधान-मण्डल द्वारा पास किये जानेवाले शेष सभी विधेयकों को कानून का रूप देने के लिए उनपर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

## संगठनात्मक रूप

राज्य के सभी कार्यपालिका-सम्बन्धी कार्य यद्यपि राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं, तथापि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका तो मन्त्रिपरिषद् होती है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य मन्त्री करता है। परन्तु, मुख्य मन्त्री का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्यपाल को राज्यीय मामलों के प्रशासन-सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् के सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों से अवगत कराता रहे और जो जानकारी वह चाहे, उसे दे।

**सरकारी कार्य-संचालन**—केन्द्र की भाँति राज्यों के मन्त्रियों के बीच भी विभागों के आधार पर कार्य-विभाजन किया जाता है। प्रत्येक मन्त्री संविधान के अनुच्छेद १६६ (३) के अधीन राज्यपाल द्वारा उसमें मन्त्रालय को सौंपे गये नित्यप्रति के कार्य के लिए अन्तिम रूप से उत्तरदायी होता है। केवल नीतिविषयक मामले तथा वे मामले, जिनका सम्बन्ध एक से अधिक मन्त्रालयों से होता है अथवा जिनके सम्बन्ध में उनके बीच मतभेद पाया जाता है, मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख उपस्थित किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों की भाँति राज्यीय मन्त्रालयों में भी सचिव होते हैं। राज्यों में मुख्य सचिवों की नियुक्ति करने की भी व्यवस्था है। राज्यों के सचिवालयों का काम-काज बहुत कुछ केन्द्रीय सचिवालय-जैसा ही होता है।

सचिवों के अतिरिक्त राज्यीय मन्त्रालयों के अधीन कई विभागाध्यक्ष भी होते हैं।

## प्रशासनिक इकाइयाँ

प्रशासन की मुख्य इकाई जिला है, जो कलक्टर तथा जिलाधीश के अधीन होता है। कलक्टर की हैसियत से यह अधिकारी राजस्व उगाहने तथा भूमि-प्रबन्ध की सब बातों (सिंचाई, कृषि और वन-सम्बन्धी प्राविधिक पहलुओं तथा पंजीकरण को छोड़कर) की व्यवस्था करने के लिए डिवीजन के प्रधान 'कमिश्नर' अथवा राजस्व-मण्डल (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) के प्रति तथा उसके माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। जिलाधीश के रूप में वह जिले में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने और उसके उच्च प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इस

कार्य के लिए जिले में कलक्टर के अधीन एक पुलिस-विभाग होता है, जिसका प्रधान अधिकारी 'पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट' कहलाता है। असिस्टेण्ट अथवा डिप्टी कलक्टरों और मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त उसकी सहायता के लिए एक्जीक्युटिव इंजीनियर तथा वन-अधिकारी जैसे कई अन्य जिला-अधिकारी भी होते हैं।

कुछ राज्यों में जिला कई सब-डिवीजनों में बँटा हुआ होता है, जो उप-जिलाधीशों के अधीन होते हैं। अन्य राज्यों में जिला तालुकों अथवा तहसीलों में बँटा होता है, जो तहसीलें तहसीलदारों अथवा मामलातदारों के अधीन होती हैं।

विभिन्न विकास-विभागों के सचिवों की एक अन्तर्विभागीय समिति के माध्यम से राज्य के मुख्यालयों के विकास-कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जाता है। मुख्य सचिव अथवा आयोजन-विभाग का सचिव इस समिति का अध्यक्ष होता है। अधिकांश राज्यों में राज्यीय योजना-मण्डल स्थापित कर दिये गये हैं, जिनमें प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्ति भी होते हैं।

## स्वायत्त-शासन

स्थानीय निकाय मोटे तौर पर दो प्रकार के हैं—नागरिक तथा ग्रामीण। बड़े नगरों में इन निकायों को निगम और मध्यम तथा छोटे नगरों में नगरपालिकाएँ (म्युनिसिपल कमेटियाँ अथवा म्युनिसिपल बोर्ड) कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की नित्यप्रति की आवश्यकताओं की देखभाल जिला-मण्डल अथवा तालुका-मण्डल तथा ग्राम-पंचायत करती है।

**निगम (कारपोरेशन)**—नगर-निगम के अध्यक्ष 'महापौर' (मेयर) कहलाते हैं, जो निगम के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। निगम के अन्तर्गत नगर के प्रशासन का कार्य निगम की तीन समितियाँ करती हैं। निगम की कार्यपालिका-शक्ति आयुक्त ( कमिश्नर ) में निहित होती है, जो विभिन्न संस्थाओं के कर्त्तव्यों का निश्चय तथा उनके काम की देखभाल करता है।

**नगरपालिकाएँ**—निर्वाचित अध्यक्षों से युक्त नगरपालिकाओं का कार्य-संचालन भी समितियों के द्वारा होता है। इनके नित्यप्रति के कार्य का संचालन एक कार्यपालक अधिकारी करता है।

नगरपालिकाएँ सामान्यतः सड़कों की सफाई तथा बस्ती को साफ-सुथरा रखने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त ये श्मशान-घाटों, सार्वजनिक सड़कों, शौचालयों तथा नालियों, प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं।

हाल के वर्षों में कई बड़े नगरों के सुधार तथा विस्तार के लिए सुधार-न्यास तथा नगर योजना-निकाय ( इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट एवं टाउन प्लानिंग बॉडीज ) स्थापित किये गये हैं। इस दिशा में १९५६ में संसद् ने 'गन्दी बस्ती ( सुधार तथा उन्मूलन ) अधिनियम' पास किया।

**जिलों में स्वायत्त-शासन**—पंचायत-राज अथवा लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण की नई प्रणाली के अधीन गाँव, खण्ड तथा जिला-स्तरों पर अलग-अलग स्वायत्त शासन निकाय होते हैं। कई राज्यों में जिला-मण्डलों का उन्मूलन कर दिया गया है तथा तत्सम्बन्धी कार्य इनके स्थान पर आंशिक रूप से जिला-स्तर पर जिला-परिषदों को तथा आंशिक रूप से खण्ड-स्तर पर पंचायत-

समितियों अथवा तालुका-मण्डलों को सौंप दिया गया है। असम, आंध्रप्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की जा चुकी है और शेष राज्यों में इस सम्बन्ध में कानून लागू किये जा चुके अथवा किये जा रहे हैं।

**ग्राम-पंचायतें**—संविधान में राज्य-नीति के एक निदेशक सिद्धान्त के अनुसार राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह ग्राम-पंचायतों का संगठन करे तथा उन्हें स्वायत्त-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए समुचित अधिकार दे। इसके अनुसार अधिकांश राज्यों में आवश्यक कानून पास किये जा चुके हैं तथा देश के आधे सेअधिक गाँवों में ग्राम-पंचायतें स्थापित कर दी गई हैं। ३१ मार्च, १९६१ को देश में ग्राम-पंचायतों की संख्या १,९३,५२७ थी।

पंचायतों का चुनाव गांव-सभाएँ करती है। गांव-सभाओं में गाँव के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं। पंचायतें ग्रामीणों के लिए उचित रहन-सहन-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं। कुछ स्थानों की पंचायतें प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं।

प्रशासनिक तथा नागरिक कार्यों के अतिरिक्त ग्राम-पंचायतों में न्याय-पंचायतें भी होती हैं, जिनके पंच ग्राम-पंचायतों में से चुने जाते हैं। न्याय-पंचायतें छोटे-मोटे अपराधों का निर्णय करती हैं। वकीलों को ग्राम-पंचायतों में पैरवी करने की अनुमति नहीं है।

**वित्त**—स्थानीय वित्त के वर्त्तमान साधन ये हैं : ( १ ) स्थानीय निकायों-द्वारा लगाये जानेवाले कर; ( २ ) स्थानीय निकायों-द्वारा लगाये जानेवाले तथा उनकी ओर से राज्य-सरकार द्वारा उगाहे जानेवाले कर; ( ३ ) राज्य-सरकारों-द्वारा लगाये तथा उगाहे जानेवाले करों में भाग; ( ४ ) राज्य-सरकारों द्वारा दिये जानेवाले सहायता-अनुदान तथा ( ५ ) कर-भिन्न स्रोत से होनेवाली आय।

## सार्वजनिक सेवाएँ

**केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग**—केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद ३१५ (१) के अधीन नियुक्त एक स्वतन्त्र अनुविहित संस्था है। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, जो नियुक्ति के समय तक भारत-सरकार अथवा राज्य-सरकारों के पदों पर कम-से-कम दस वर्ष तक कार्य कर चुके हों। आयोग के सदस्य अपने पद पर ६५ वर्ष की आयु तक अथवा ६ वर्ष की अवधि तक रह सकते हैं। आयोग के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष को दुराचरण के अधार पर केवल राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय-द्वारा जाँच करवाने के बाद पदच्युत कर सकता है।

आयोग की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार इसका अध्यक्ष भारत-सरकार अथवा किसी राज्य-सरकार का कोई अन्य सरकारी पद स्वीकार नहीं कर सकता। अध्यक्ष के अतिरिक्त केन्द्रीय आयोग का अन्य कोई भी सदस्य इस आयोग अथवा किसी भी राज्यीय लोक-सेवा-आयोग के अध्यक्ष-पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु किसी अन्य सरकारी पद पर उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती।

इस समय (२० मार्च, १९६२) आयोग के सदस्य इस प्रकार है—सर्वश्री वी० एन० झा (अध्यक्ष); पी० एल० वर्मा; एस० एच० जहीर; जी० एस० महाजनी; ए० टी० सेन; एम० एल० चतुर्वेदी; एम० ए० वेंकट रमण नायडू और ए० वी० रामस्वामी।

**आयोग के कार्य**—संविधान के अनुच्छेद ३२० की व्यवस्था के अनुसार आयोग (१) लिखित एवं मौलिक परीक्षाओं और पदोन्नति-द्वारा केन्द्रीय सरकार की सभी असैनिक सेवाओं तथा अन्य पदों के लिए उम्मीदवार चुनता है तथा (२) नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देता है। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, सरकारी कर्मचारियों-द्वारा की गई हर्जाने की माँग पर सम्मति प्रकट करना आदि जैसे कार्य भी इसके अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे मामलों में सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। परन्तु राष्ट्रपति विनियमों की रचना करके ऐसे विषय भी निर्धारित कर सकता है, जिनके सम्बन्ध में साधारणतः अथवा किसी विशेष परिस्थिति में सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हो। इन विनियमों को संसद् के समक्ष रखना आवश्यक है। संसद्-द्वारा निर्मित कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग को अतिरिक्त कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। असैनिक सेवाओं तथा केन्द्रीय सरकार के पदों की भर्ती के लिए परीक्षाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त आयोग प्रतिरक्षा-सेवाओं के लिए परीक्षाओं की व्यवस्था करके प्रतिरक्षा-मन्त्रालय की भी सहायता करता है।

अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगिता-परीक्षाओं के स्तर तथा पाठ्यक्रम का निश्चय लोक-सेवा-आयोग भारतसरकार के मन्त्रालयों तथा प्रतिष्ठित शिक्षा-शास्त्रियों के साथ परामर्श करके निर्धारित करता है। इन सेवाओं की प्रतियोगिता-परीक्षाओं में बैठनेवाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ मौखिक परीक्षा भी देनी होती है। इन मौखिक परीक्षाओं की अध्यक्षता आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य करता है तथा वरिष्ठ प्रशासक तथा अन्य विशेषज्ञ इस कार्य में आयोग की सहायता करते हैं।

जिन पदों पर वर्तमान कर्मचारियों में से नियुक्ति नहीं की जा सकती, उनके लिए लोक-सेवा-आयोग सीधी भर्ती करता है। ऐसे पदों के लिए मौखिक परीक्षाओं के अवसर पर सम्बद्ध मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि तथा मन्त्रालय से स्वतन्त्र एक-दो विशेषज्ञ भी उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सीधे सम्पर्क स्थापित करके भी पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति ढूँढ़ने का प्रयास करता है।

**अखिल भारतीय सेवाएँ**—अखिल भारतीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा) तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग चुनता है। केन्द्रीय सरकार की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का नियमन संसद् के अधिनियमों-द्वारा होता है। अनुच्छेद ३११ के अधीन केन्द्र अथवा राज्य-सरकारों की किसी अखिल भारतीय सेवा अथवा असैनिक सेवा में नियुक्त कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे अधिकारी-द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता, जो उसे नियुक्त करनेवाले अधिकारी के अधीन हो।

**प्रशिक्षण**—अखिल भारतीय सेवाओं के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए १ सितम्बर, सन् १९५९ से मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन-अकादेमी की स्थापना कर दी गई है, जिसमें शिमला

का 'आई० ए० एस० स्टाफ-कॉलेज' तथा दिल्ली का 'आई० ए० एस० ट्रेनिंग-स्कूल' भी सम्मिलित हैं। इस अकादेमी में भारतीय प्रशासन-सेवा के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय पुलिस-सेवा के प्रशिक्षणार्थी आबू के केन्द्रीय पुलिस-प्रशिक्षण-कॉलेज में प्रशिक्षण पाते हैं। अकादेमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों को भी प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जिनका सेवा-काल ६ से १० वर्ष तक हो चुका है।

**केन्द्रीय सचिवालय सेवा**—केन्द्रीय सचिवालय तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों के पदों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से १९५० में केन्द्रीय सचिवालय-सेवा आरम्भ की गई। आरम्भ में यह सेवा चार श्रेणियों में बँटी हुई थी : प्रथम श्रेणी—अवर-सचिव अथवा उसके समाधिकारी; द्वितीय श्रेणी—अधीक्षक (सुपरिंटेण्डेण्ट); तृतीय श्रेणी—सहायक अधीक्षक तथा चतुर्थ श्रेणी—असिस्टेण्ट। इसके बाद इसमें 'चुनाव-श्रेणी' के नाम से एक नई श्रेणी और सम्मिलित कर दी गई, जिसमें भारत-सरकार के उपसचिव तथा उसके समान पद पर नियुक्त किये जानेवाले अधिकारी आते हैं।

द्वितीय वेतन-आयोग की सिफारिश पर द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी (अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक) को मिलाकर अनुभागाधिकारी की एक ही श्रेणी कर दी गई है।

**औद्योगिक प्रबन्ध समुच्चय**—केन्द्रीय मन्त्रालयों के अधीन सार्वजनिक उद्योगों में वरिष्ठ प्रबन्धाधिकारियों की नियुक्ति के लिए भारत-सरकार ने १९५७ में एक औद्योगिक प्रबन्ध समुच्चय की स्थापना की।

**राज्यकीय सेवाएँ**—राज्यों के आधार पर ही संगठित की जानेवाली भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस-सेवा के अतिरिक्त राज्यों की अपनी-अपनी अलग असैनिक सेवाएँ भी हैं जो उनके शासन-क्षेत्र-सम्बन्धी विषयों के प्रशासन का कार्य करती हैं। केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग की भाँति राज्यों में भी राज्यीय लोक-सेवा-आयोग हैं, जो अपनी-अपनी असैनिक सेवाओं के लिए कर्मचारी नियुक्त करते हैं। राज्यीय असैनिक सेवा की कार्यपालिका-शाखा (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अन्य दो महत्त्वपूर्ण शाखाएँ हैं—राज्यीय पुलिस-सेवा तथा राज्यीय न्याय-सेवा।

## विधान-मण्डल

भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है, जिसमें शासन की संसदीय पद्धति अपनाई गई है तथा प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण प्रभुत्व अन्ततः जनता में निहित है। कार्यपालिका अपने सभी निर्णयों तथा कार्यकलापों के लिए विधान-मण्डलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है।

# संसद्

वर्तमान राज्य-सभा के सदस्यों की कुल संख्या २३६ है, जिनमें से २२४ राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि और १२ राष्ट्रपति-द्वारा कला, विज्ञान आदि के क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट किये गये हैं। वर्तमान लोक-सभा की कुल सदस्य-संख्या ५० है, जिनमें से ५०० सदस्य १५ राज्यों और दिल्ली, हिमाचलप्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के ४ संघीय क्षेत्रों-द्वारा सीधे चुने गये हैं। इनमें जम्मू और कश्मीर से ६ सदस्य वहां के विधान-मंडल के अभिस्ताव पर राष्ट्रपति-द्वारा नाम-निर्दिष्ट होते हैं। सदस्य आंग्ल-भारतीयों, छठी अनुसूची के भाग 'ख' वाले क्षेत्रों, अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह और लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह, दादरा और नागर-हवेली तथा गोआ, डामन और ड्यू के संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति-द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये हैं। उपर्युक्त ५०० की सदस्य-संख्या में जम्मू-कश्मीर के ६ प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति इस राज्य के विधान-मण्डल की सिफारिश पर करते हैं।

## संसद् में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या

| राज्य तथा संघीय क्षेत्र | राज्य-सभा | लोक-सभा |
|---|---|---|
| असम | ७ | १२ |
| आन्ध्रप्रदेश | १८ | ४३ |
| उड़ीसा | १० | २० |
| उत्तरप्रदेश | ३६ | ८६ |
| केरल | ९३ | १८ |
| गुजरात | १० | २२ |
| जम्मू-कश्मीर | ४ | ६ |
| पंजाब | १३ | २२ |
| पश्चिम-बंगाल | १६ | ३६ |
| बिहार | २७ | ५३ |
| मद्रास | १६ | ४१ |
| मध्यप्रदेश | २० | ३६ |
| महाराष्ट्र | २२ | ४४ |
| मैसूर | १४ | २६ |
| राजस्थान | १० | २२ |
| दिल्ली | ३ | ५ |
| मणिपुर | १ | २ |
| हिमाचलप्रदेश | २ | ४ |
| त्रिपुरा | १ | २ |
| राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत | १२ | ६ |
| | २३६ | ५०६ |

**संसद् के पदाधिकारी**—संसद् के पदाधिकारियों में राज्य-सभा के सभापति और उप-सभापति तथा लोक-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष प्रमुख हैं। अपने-अपने सदन की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त ये पदाधिकारी उनके विशेषाधिकारों के संरक्षक भी हैं। सदनों के नियमों आदि की व्याख्या भी वही करते हैं। लोक-सभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। संसद् के वर्तमान मुख्य पदाधिकारी ये हैं :

| | | | |
|---|---|---|---|
| राज्य-सभा के सभापति | .... | .... | डा० जाकिर हुसैन |
| राज्य-सभा के उप-सभापति | .... | .... | वायलेट अल्वा (श्रीमती) |
| लोक-सभा के अध्यक्ष | .... | .... | हुकम सिंह |
| लोक-सभा के उपाध्यक्ष | .... | .... | एस० वी० कृष्णमूर्ति राव |

**संसद् के कार्य तथा अधिकार** :—देश के लिए कानून बनाना तथा सरकार की आवश्यकताओं और राष्ट्र की सेवाओं के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना संसद् के मुख्य कार्य हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद् के दोनों सदन एक निर्वाचक-मण्डल के अंग माने जाते हैं तथा उप-राष्ट्रपति का चुनाव इन्हीं दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त निर्वाचक-मण्डल करता है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है और यही सदन मन्त्रियों के वेतन तथा भत्तों की स्वीकृति देता है। लोक-सभा सरकार के बजट को अथवा उसके किसी अन्य बड़े वैधानिक प्रस्ताव को पास करने से इन्कार करके अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मन्त्रिपरिषद् को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है।

प्रत्येक कानून के लिए संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यद्यपि वित्त-सम्बन्धी सभी प्रकार के कानूनों की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए, तथापि अनुदानों कर-सम्बन्धी प्रस्तावों तथा विनियोजनों की स्वीकृति केवल लोक-सभा ही दे सकती है। संसद् को सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करने तथा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संकटकालीन परिस्थितियों में संसद् को राज्य-सूचीवाले विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव-आयुक्त और लेख-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक को पदच्युत करने के अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त हैं।

**संसद् की कार्य-विधि**—दोनों सदनों की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद ११८ में निर्धारित कार्यविधि तथा कार्यसंचालन-सम्बन्धी नियमों के अनुसार होती है।

धन तथा अन्य वित्तीय विधेयकों को छोड़कर, कोई भी विधेयक संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत तथा मतदान से करते हैं, परन्तु कुछ मामलों में निर्धारित बहुमत आवश्यक होता है। संसद् का कोरम पूरा करने के लिए कुल सदस्य-संख्या का दसवाँ भाग उपस्थित होना आवश्यक है।

विधेयक पास करने की प्रक्रिया दोनों सदनों में एक-जैसी है। प्रत्येक विधेयक को क्रमानुसार इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है : (१) पहले विधेयक को प्रस्तुत तथा प्रकाशित किया जाता है ; (२) फिर उस पर सामान्य बहस होती है; (३) इसके बाद एक-एक धारा पर विचार

किया जाता है और तब (४) सदन विधेयक को पास करता है। महत्त्वपूर्ण तथा विवादास्पद विधेयकों को पास करने से पूर्व उन्हें किसी प्रवर-समिति अथवा संयुक्त प्रवर-समिति के पास विचारार्थ भेजा जाता है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही उसे कानून का रूप प्राप्त होता है। किसी मामले में दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति को दोनों सदनोंकी संयुक्त बैठक बुलाने तथा उस पर मतदान लेने का अधिकार है। संयुक्त बैठक में निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाता है।

धन-विधेयकों के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। धन-विधेयक केवल लोक-सभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। लोक-सभा विधेयक को पास करके राज्य सभा के पास भेजती है तथा राज्य-सभा विधेयक प्राप्त होने के चौदह दिन के अन्दर-अन्दर अपनी सिफारिशों के साथ उसे लौटा देती है। इन सिफारिशों को स्वीकार करना अथवा न करना लोक-सभा की इच्छा पर निर्भर करता है।

**संसदीय कार्य-विभाग**—संसद् के कार्यक्रम की योजना बनाने आदि के लिए संसदीय कार्य-विभाग है। यह विभाग प्रत्येक सत्र ( सेशन ) का कार्यक्रम बनाता है, विभिन्न मुद्दों की प्राथमिकता निश्चित करता है तथा प्रत्येक मुद्दे के लिए समय निर्धारित करने के सुझाव भी देता है। इसके अतिरिक्त संसद् में मन्त्रिगण सरकार की ओर से जो आश्वासन देते हैं, उनको यह विभाग सम्बन्धित मन्त्रालयों के पास कार्यान्वित करने के लिए भेजता है।

**संसदीय समितियाँ**—संसदीय समितियाँ संसद् के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। इन समितियों के तीन वर्ग हैं—(१) पहले वर्ग में वे समितियाँ हैं, जो मुख्यतः सदन के संगठन तथा अधिकारों-सम्बन्धी कार्यों के लिए नियुक्त की जाती हैं, (२) दूसरे वर्ग में वे समितियाँ हैं, जो सदनों को कानून-निर्माण के कार्यों में सहायता प्रदान करती हैं तथा (३) तीसरे वर्ग में वे समितियाँ हैं, जिनको वित्तीय कार्य सौंपे जाते हैं। तीसरे वर्ग की समितियों में कार्यवाही-परामर्श-समिति तथा विशेषाधिकार-समिति प्रमुख हैं। इनकी बैठक के लिए इनके एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किये जाते हैं।

**कार्यपालिका पर नियन्त्रण**—सामान्यतः वित्त-नियन्त्रण रखने के अतिरिक्त संसद् अपनी सार्वजनिक लेखा तथा प्राक्कलन- समितियों-द्वारा सरकार के वित्त-प्रशासन का नियन्त्रण तथा देख-भाल भी करती है। संसद् के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकारी नीतियों आदि पर प्रकाश डाला जाता है। इसलिए उस पर जो बहस होती है, उसमें संसद् को सरकारी नीतियों पर विचार करने का अच्छा अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त कोई भी संसत्सदस्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक बातों के बारे में विचार करने के लिए संसद् में प्रस्ताव आदि रख सकता है। गम्भीर मामलों में निर्धारित रीति से मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव प्रस्तुत करने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त संसत्सदस्य संवैधानिक तरीकों से सरकारी नीतियों तथा सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर बहस करने या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने या शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रस्ताव आदि रख सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं।

# राज्यों के विधान-मण्डल

भारतीय संघ के १५ राज्यों में से १० राज्यों में दो सदनवाले तथा ५ राज्यों में एक सदनवाला विधान-मण्डल हैं। राज्यों की विधान-परिषदों तथा विधान-सभाओं में सदस्यों की संख्या का विवरण इस प्रकार है :—

| राज्य | विधान-परिषद् की सदस्य-संख्या | विधान-सभा की सदस्य-संख्या |
|---|---|---|
| आसाम .... .... .... | — | १०५ |
| आन्ध्रप्रदेश .... .... .... | ६० | ३०१ |
| उड़ीसा .... .... .... | — | १४० |
| उत्तरप्रदेश .... .... .... | १०८ | ४३० |
| केरल .... .... .... | — | १२७ |
| गुजरात .... .... .... | — | १५४ |
| जम्मू-कश्मीर .... .... .... | ३६ | ७५ |
| पंजाब .... .... .... | ५१ | १५४ |
| पश्चिम-बंगाल .... .... .... | ७५ | २५६ |
| बिहार .... .... .... | ९६ | ३१८ |
| मद्रास .... .... .... | ६३ | २०७ |
| मध्यप्रदेश .... .... .... | — | २८८ |
| महाराष्ट्र .... .... .... | ७८ | २६५ |
| मैसूर .... .... .... | ६३ | २० |
| राजस्थान .... .... .... | — | १७६ |

संघीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा की क्षेत्रीय परिषदों में क्रमशः ४१, ३० और ३० सदस्य हैं। नागा पहाड़ियाँ और त्वेनसांग क्षेत्र (नागालैंड) की अंतःकालीन परिषद् में ४२ तथा पांडिचेरी की प्रतिनिधि-सभा में ३६ सदस्य हैं।

**विधान-मण्डल के पदाधिकारी**—विधान-परिषद् का एक सभापति और एक उप-सभापति तथा विधान-सभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। विधान-परिषद् के सभापति तथा विधान-सभा के अध्यक्ष को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो संसद् के सभापति तथा अध्यक्ष को हैं।

**कार्य**—राज्यीय विधान-मण्डलों को संविधान की सातवीं अनुसूची की सं० २ में उल्लिखित विषयों पर एकमात्र अधिकार तथा सूची सं० ३ में उल्लिखित विषयों पर केन्द्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त हैं। मन्त्रिपरिषद् राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा राज्यपाल-द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों के लिए विधान-मण्डल की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

**कार्य-विधि**—भारत के संविधान के अनुच्छेद १८८-२१२ में कार्य संचालन, सदस्यों की अनर्हता तथा राज्यीय विधान-मण्डलों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण

नियमों का विवरण है। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यीय विधान-मण्डलों को कार्य-विधि के लिए अपने निज के नियम बनाने के भी अधिकार दिये हैं।

राज्यों में सामान्य विधेयक तथा वित्तीय विधेयक पास करने की भी वैसी ही व्यवस्था है, जैसी केन्द्र में है। पर, दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में संसद् की भाँति राज्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि विधान-सभा किसी विधेयक को उसके विधान-परिषद् में भेजे जाने की तिथि से ३ महीने के बाद द्वितीय वाचन में पास कर देती है, तो पास किये जाने के एक महीने के बाद वह विधेयक स्वतः कानून का रूप ले लेता है, चाहे विधान-परिषद् का निर्णय उसके पक्ष में हो अथवा विपक्ष में।

धन-विधेयक प्रस्तुत करने तथा उसपर विचार करने का अधिकार केवल विधान-सभा को है। विधान-परिषद् परिवर्त्तन के लिए केवल सुझाव ही दे सकती है—वह भी विधेयक प्राप्त होने की तिथि से १४ दिन के अन्दर-अन्दर। परन्तु, विधान-सभा उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र होती है।

**विधेयकों को रोके रखना**—राज्यीय विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक तबतक कानून का रूप नहीं ले सकता, जबतक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न हो जाये। स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति रोके रखने के अलावा राज्यपाल कुछ विधेयकों को उनपर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विचार किये जाने के लिए भी रोके रख सकता है।

**कार्यपालिका पर नियन्त्रण**—कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण रखने के अधिकार का उपयोग करने के अलावा राज्यीय विधान-मण्डलों में कार्य-संचालन की सभी संसदीय पद्धतियाँ उपयोग में आती हैं। इस प्रकार, राज्य का विधान-मण्डल कार्यपालिका के नित्यप्रति के कार्य-संचालन पर निगरानी रखता है। इसकी अपनी प्राक्कलन तथा लेखा-समितियाँ भी होती हैं।

★

## न्यायपालिका

**सर्वोच्च न्यायालय**—भारत का सर्वोच्च न्यायालय सम्पूर्ण देश की एकीकृत न्याय-प्रणाली का सबसे ऊँचा न्यायालय है। जहाँतक अपील सुनने के अधिकार का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का कर्त्तव्य न केवल केन्द्र तथा राज्यों के बीच न्यायपूर्ण स्थिति बनाये रखना है, बल्कि नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना भी है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में १३ न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश श्रीभुवनेश्वरप्रसाद सिंह हैं। भारत सरकार के विधि-अधिकारी ये हैं—महान्यायवादी (एटर्नी जेनरल)—श्री एम० सी० सीतलवाद; महावादेक्षक (सालिसिटर जेनरल)—श्री सी० के० दफ्तरी; अतिरिक्त; महावादेक्षक—श्री एच० एन० सान्याल।

**व्याख्या के अधिकार**—भारत की न्यायपालिका को कानून में परिवर्त्तन अथवा संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यह विधान-मण्डल के अधिनियमों को रद्द करने तथा वैधानिक नीति की समीक्षा करने का भी अधिकार नहीं रखता।

किन्तु, सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि देश में कानूनों का प्रशासन पूर्ण निष्पक्षता के साथ हो तथा किसी भी नागरिक को किसी भी न्यायालय

अथवा न्यायाधिकरण में न्याय से वंचित न रखा जाय। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित प्रत्येक कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए निर्विवाद रूप से मान्य होता है।

**न्यायाधिकार-क्षेत्र**—सर्वोच्च न्यायालय को सीधे मुकदमे लेने तथा अपील सुनने का अधिकार है। केन्द्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के झगड़े अथवा दो से अधिक राज्यों के पारस्परिक झगड़ों का निर्णय करने का अधिकार भी एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार लागू कराने के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार प्रदान किये हैं। कोई भी व्यक्ति, जो समझता हो कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठने की सम्भावनावाले मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, जारी की गई डिग्री अथवा अन्तिम आदेश के सम्बन्ध में अथवा ऐसे दीवानी मामलों में, जिनमें झगड़े के विषय से सम्बद्ध राशि २०,००० रु० से कम न हो, अथवा जिनके निर्णय, डिग्री अथवा अन्तिम आदेश में इतनी ही राशि की सम्पत्ति के लिए दावा किया गया हो, उसी उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने पर अथवा उपर्युक्त उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित किये जाने पर कि अमुक मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय अपील सुन सकता है। फौजदारीवाले मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है, जब उच्च न्यायालय (क) अभियुक्त को मुक्त करने के आदेश को रद्द करके उसे मृत्यु-दण्ड सुना दे, (ख) किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथों में ले ले और अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड सुना दे अथवा (ग) यह प्रमाणित कर दे कि अमुक मामले के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त भारत के सभी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के अपील सुनने के व्यापक न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी मामले में दिये गये निर्णय, डिग्री, दण्ड अथवा आदेश पर अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से सौंपे गये मामलों में भी परामर्श देने का विशेष-अधिकार प्राप्त है।

**न्यायालय का कार्य-संचालन**—सर्वोच्च न्यायालय को कार्य-संचालन के लिए निज के नियम बनाने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को निबटाने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकता है तथा एक न्यायाधीशवाले तथा डिवीजन न्यायालयों के लिए अधिकारों की व्यवस्था कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो सदा खुली अदालत में ही दिये जाने चाहिए, उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत से किये जाते हैं। इस बहुमत से सहमत न होनेवाला न्यायाधीश अपना विमतवाला निर्णय दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा वकीलों के माध्यम से मुकदमा दायर कर सकता है। ३० नवम्बर, ई० १९६१ को सर्वोच्च न्यायालय में ३,२५७ वकील पंजीकृत थे।

## विधि-आयोग

५ अगस्त, सन् १९५५ ई० को लोक-सभा में विधि-मन्त्री की घोषणा के अनुसार एक विधिआयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग से कहा गया कि वह न्याय-प्रणाली की समीक्षा करके

उसमें सुधार करने तथा उसे शीघ्रतापूर्वक निवटाये जा सकने योग्य और सस्ता वनाने तथा केन्द्र के सामान्य और महत्त्वपूर्ण अधिनियमों की परीक्षा करके उनमें संशोधन-परिवर्त्तन करने के सुझाव दे। आयोग को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक विभाग ने न्याय-प्रशासन में सुधार से सम्बद्ध काम हाथ में लिया तथा दूसरे विभाग ने अनुविहित कानूनों के पुर्निरीक्षण का काम सँभाला। आयोग की अधिकांश सिफारिशों की जाँच की जा चुकी है तथा उनके सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है।

न्याय-प्रशासन-सुधार-सम्बन्धी रिपोर्ट देने के साथ ही सन् १९५५ ई० में गठित विधि-आयोग समाप्त हो गया। परन्तु, अनुविहित कानूनों के पुनरीक्षण का काम जारी रखने के लिए २० दिसम्बर, १९५८ ई० को आयोग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित आयोग में एक अध्यक्ष ( सर्वोच्च न्यायालय का अवकाशप्राप्त न्यायाधीश ), तीन पूरे समय के सदस्य ( उच्च न्यायालयों के दो अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तथा भारत-सरकार के विधि-मन्त्रालय का विशेष सचिव ) और दो थोड़े समय के सदस्य ( वकील ) हैं। केन्द्र के सामान्य तथा महत्त्वपूर्ण अधिनियमों की परीक्षा करना और उनमें परिवर्त्तन तथा संशोधन करने के लिए उपाय सुझाना आदि आयोग के विचारणीय विषय हैं।

आयोग कई अधिनियमों पर, जिनमें असैनिक विधान तथा दण्ड-विधान-संहिताएँ सम्मिलित हैं, विचार कर रहा है। इसने हाल ही में ईसाइयों के विवाह तथा विवाहविच्छेद-सम्बन्धी कानून पर अपनी रिपोर्ट दी है।

२७ अप्रैल, १९६० ई० को राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्यालयी भाषा-आयोग (ऑफिसियल लैंग्वेज कमीशन) की स्थापना स्थायी रूप से की गई है। इसका काम न्यायालय में व्यवहृत अँगरेजी के पारिभाषिक शब्दों तथा विभिन्न विधि-विधानों का हिन्दीकरण है।

## उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य के न्याय-प्रशासन में सबसे ऊपर उच्च न्यायालय होता है। इस समय भारत के प्रत्यक्ष राज्य में एक-एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। उच्च न्यायालयों की सूची नीचे दी जा रही है—

| | नाम | क्षेत्राधिकार | स्थान |
|---|---|---|---|
| १. | इलाहाबाद | उत्तरप्रदेश | इलाहाबाद (लखनऊ में बेंच) |
| २. | आंध्रप्रदेश | आंध्रप्रदेश | हैदराबाद |
| ३. | आसाम | आसाम | गोहाटी |
| ४. | बम्बई | महाराष्ट्र | बम्बई (नागपुर में बेंच) |
| ५. | कलकत्ता | पश्चिम बंगाल अन्दमन और निकोबार द्वीप-समूह | कलकत्ता |
| ६. | गुजरात | गुजरात | अहमदाबाद |
| ७. | जम्मू और कश्मीर | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर और जम्मू |
| ८. | केरल | केरल, लक्कादीप, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह | एर्नाकुलम (त्रिवेन्द्रम में बेंच) |

| नाम | क्षेत्राधिकार | स्थान |
|---|---|---|
| ९. मध्यप्रदेश | मध्यप्रदेश | जबलपुर (इन्दौर तथा ग्वालियर में बेंच) |
| १०. मद्रास | मद्रास | मद्रास |
| ११. मैसूर | मैसूर | बंगलोर |
| १२. उड़ीसा | उड़ीसा | कटक |
| १३. पटना | बिहार | पटना |
| १४. पंजाब | पंजाब और दिल्ली | चंडीगढ़ (दिल्ली में बेंच) |
| १५. राजस्थान | राजस्थान | जोधपुर |

सामान्यतः प्रत्येक उच्च न्यायालय उस राज्य के प्रशासन का एक अंग माना जाता है, जिस राज्य में वह स्थित है, किन्तु राज्य के विधान-मण्डल को उच्च न्यायालय की रचना अथवा संगठन में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत भी संसद् ही कर सकती है।

उच्च न्यायालयों को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करने का अधिकार रहता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को मूल अधिकार लागू करने अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति, प्राधिकारी अथवा सरकार के नाम निर्देश, अथवा आदेश आदि जारी करने का अधिकार है।

## अधीनस्थ न्यायालय

जिला-न्यायाधीश, जो मुख्य दीवानी न्यायालयों में न्याय-प्रशासन का कार्य करते हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं। राज्य की न्याय-सेवा में अन्य नियुक्तियाँ (जिला-न्यायाधीशों को छोड़कर) राज्यपाल द्वारा राज्यीय लोक सेवा-आयोग तथा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती हैं और न्याय-सेवा के पदाधिकारियों तथा जिला-न्यायाधीशों से नीचे के पदाधिकारियों को तैनात करने तथा उनकी पदोन्नति करने आदि का अधिकार उच्च न्यायालय में निहित है।

कुछ स्थानीय भिन्नता के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों का ढाँचा तथा उनके कर्त्तव्य देश-भर में बहुत कुछ एक-से ही हैं। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बँटा होता है, जो जिला-न्यायाधीशों की अध्यक्षता में प्रमुख दीवानी न्यायालय के न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। उसके नीचे दीवानी न्यायालयों के विभिन्न अधिकारी होते हैं।

**कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण**—कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से सम्बद्ध निदेशक सिद्धान्त के अनुसार आन्ध्रप्रदेश; उत्तरप्रदेश के ४७ जिलों; केरल; गुजरात; पंजाब के पेप्सू-प्रदेश तथा ५ जिलों; पश्चिम बंगाल; उड़ीसा के ६ जिलों; बिहार के १२ जिलों; मद्रास; मध्यप्रदेश के मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश तथा भोपाल-क्षेत्र; महाराष्ट्र और मैसूर में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है।

★

# प्रतिरक्षा

भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति है। सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन तथा प्रयोग पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व प्रतिरक्षा-मन्त्रालय तथा तीनों सेनाओं के मुख्यालयों पर है। प्रतिरक्षा-मन्त्रालय का मुख्य कार्य इस बात का निश्चय करना है कि सेना की तीनों शाखाओं की गतिविधियों तथा उनके विकास में समुचित सामंजस्य रखा जाय; नीति-विषयक जिन मामलों का निर्णय सरकार करती है, उनसे तीनों मुख्यालयों को अवगत कराया जाय और उन्हें कार्यान्वित किया जाय; तथा संसद् से प्रतिरक्षा-सम्बन्धी व्यय के लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति ली जाय।

## संगठन

सेना की तीनों शाखाओं का कार्य-संचालन सामान्यतः सीधे तौर पर उनके अपने-अपने प्रधान सेनाध्यक्षों के नियन्त्रण में होता है। इस समय, **स्थल-सेनाध्यक्ष** जनरल पी० एन० थापर, **जल-सेनाध्यक्ष** रियर-एडमिरल बी० एस० सोमण और **वायु-सेनाध्यक्ष** एयर-मार्शल ए० एम० इंजीनियर हैं। इनके अतिरिक्त हर शाखा में एक-एक उप-सेनाध्यक्ष भी होता है।

**स्थल-सेना**—स्थल-सेना तीन कमानों में संगठित है—दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान तथा पश्चिमी कमान। प्रत्येक कमान का मुख्य अधिकारी लेफ्टिनेण्ट जनरल के पद का एक 'जनरल आफिसर कमाण्डिंग-इन-चीफ' होता है। प्रत्येक कमान विभिन्न शाखाओं में बँटी होती है तथा प्रत्येक शाखा मेजर-जनरल के पद के एक 'जनरल आफिसर कमाण्डिंग' के अधीन होती है। ये शाखाएँ भी उप-शाखाओं में बँट जाती हैं और प्रत्येक उप-शाखा एक 'ब्रिगेडियर' के अधीन होती है।

स्थल-सेना का मुख्यालय, जो दिल्ली में है, स्थल-सेनाध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। इसकी चार मुख्य शाखाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक लेफ्टिनेण्ट-जनरल के पद के 'मुख्य स्टाफ अधिकारी' के अधीन काम करती हैं। ये शाखाएँ हैं—'जनरल स्टाफ शाखा'; एडजुटेण्ट-जनरल की शाखा'; 'क्वार्टर मास्टर-जनरल की शाखा'; तथा 'आर्डनेन्स मास्टर-जनरल की शाखा'। दो अन्य शाखाएँ हैं—'इंजीनियर-इन-चीफ शाखा', तथा 'सैनिक सचिव शाखा' जो एक-एक मेजर-जनरल के अधीन हैं।

**जल-सेना**—जल-सेना का भी मुख्यालय दिल्ली में ही है। जल-सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए चार मुख्य स्टाफ अधिकारी हैं। जल-सेनाध्यक्ष के अधीन निम्नलिखित चार संकार्य और प्रशासनिक कमानें (एक समुद्र पर तथा तीन तट पर) हैं—(१) फ्लैग आफिसर कमाण्डिंग, भारतीय जहाजी बेड़ा, (२) फ्लैग आफिसर, बम्बई; (३) कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन; तथा (४) कमोडोर, पूर्वी तट, विशाखापत्तनम्।

भारतीय जहाजी बेड़े में इस समय 'आई० एन० एस० मैसूर', 'आई० एन० एस०, दिल्ली' तथा अनेक विध्वंसक, युद्धपोत, खान साफ करनेवाले पोत तथा अन्य जहाज हैं। सन् १९६१ ई० में 'विक्रान्त' नामक वायुयान-वाहक जलपोत तैयार किया गया है। यहाँ के जहाजी बेड़े को अत्याधुनिक बनाने के कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत-से नये जलपोत प्राप्त किये गये हैं।

**वायु-सेना**—वायु-सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए तीन स्टाफ अधिकारी हैं, जिनके नियन्त्रण में वायु-सेना के मुख्यालय की मुख्य शाखाएँ हैं। वायु-सेना के मुख्यालय के अधीन चार बड़ी कमानें हैं, जो 'संकार्य कमान', 'प्रशिक्षण कमान', 'रख रखाव कमान' तथा 'पूर्वी वायु

कमान' कहलाती हैं। सन् १६५२ ई० में संसद् द्वारा स्वीकृत सुरक्षित तथा सहायक वायु-सेना-अधिनियम के अन्तर्गत सात सहायक वायु-सेना-टुकड़ियाँ स्थापित कर दी गई हैं।

## प्रशिक्षण-संस्थान

**राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-कॉलेज**—सन् १६६० ई० में नई दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-कॉलेज में स्थल, जल तथा वायु-सेना में वरिष्ठ अधिकारियों को युद्ध के सैनिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पहलुओं तथा युद्ध-कला के उच्च निर्देशन तथा सैन्य-संचालन की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

**राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादेमी**—खडकवासला-स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादेमी में प्रवेश पाने के लिए केन्द्रीय लोक सेवा-आयोग की लिखित और मौखिक परीक्षाएँ पास करनी पड़ती हैं। ये परीक्षाएँ साल में दो बार होती हैं तथा १५ से १७ १/२ वर्ष की आयु के मैट्रिकपास अविवाहित लड़के इसमें प्रवेश पा सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान में भी इन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं है।

अकादेमी तीनों सेनाओं के शिक्षार्थियों के लिए ३ वर्ष के एक मिले-जुले पाठ्यक्रम की व्यवस्था करती है। इसके बाद सैन्य-शिक्षार्थी अपने-अपने सैन्य-सेवा-प्रतिष्ठानों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

**प्रतिरक्षा-सेवाएँ-कर्मचारी-कॉलेज**—दक्षिण-भारत के विलिंगटन-स्थित प्रतिरक्षा-सेवाएँ-कर्मचारी-कॉलेज में प्रतिवर्ष सेना की तीनों शाखाओं के लगभग १०० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ का पाठ्यक्रम १० मास का है।

**सशस्त्र सेना-चिकित्सा-कॉलेज**—पूना-स्थित सशस्त्र सेना-चिकित्सा-कॉलेज में नये राजादिष्ट ( कमीशन प्राप्त ) चिकित्सा-अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा-अधिकारियों के लिए प्रत्यास्मरणीय पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था है।

**राष्ट्रीय भारतीय सेना-कॉलेज**—देहरादून-स्थित इस कॉलेज में उन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो बाद में सेना में नौकरी करने के इच्छुक होते हैं।

**स्थल-सेना के कॉलेज तथा स्कूल**—देहरादून-स्थित भारतीय सैनिक-अकादेमी स्थल-सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रधान केन्द्र है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादेमी से उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को सेना में नियुक्त करने के पूर्व यहाँ एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी इसमें प्रवेश पा सकते हैं।

किर्की-स्थित सैनिक इंजीनियरी-कॉलेज में अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को सैनिक-इंजीनियरी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके अतिरिक्त स्थल-सेना के अन्य प्रमुख प्रशिक्षण-केन्द्र हैं—मऊ का स्कूल ऑफ सिग्नल्स, देवलाली का स्कूल ऑफ आर्टिलरी, मऊ का इन्फैण्ट्री स्कूल, जबलपुर का आर्डनेन्स स्कूल, तथा अहमदनगर का आर्मर्ड कोर सेण्टर तथा स्कूल।

**जल-सेना के प्रशिक्षण-केन्द्र**—विशिष्ट प्राविधिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण को छोड़कर जल-सेना के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य कोचीन, बम्बई तथा विशाखा-पत्तनम्-स्थित जल-सेना-प्रशिक्षण-केन्द्रों में होता है। कोचीन-स्थित 'आई० एन० एस० वेन्दुरुथि' तथा जल-सेना का विमान-केन्द्र 'गरुड' जल-सेना के मुख्य प्रशिक्षण-केन्द्र हैं। लोनावला (महाराष्ट्र)

स्थित 'आई० एन० एस० शिवाजी' पर मैकेनिकल इंजीनियरों तथा शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जल-सेना के जामनगर-स्थित इलेक्ट्रिकल स्कूल 'आई० एन० एस० वलसुरा' में बिजली-सम्बन्धी कार्यों का प्रशिक्षण होता है। जल-सेना में भरती होनेवाले नये रंगरूटों को विशाखापत्तनम्-स्थित 'आई० एन० एस० सिरकार' पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

**वायु-सेना के कॉलेज तथा स्कूल**—विमान चलाने की शिक्षा ग्रहण करनेवाले चालकों को जोधपुर-स्थित वायु-सेना-उड्डयन कॉलेज में एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे आगे का प्रशिक्षण हैदराबाद के वायु-सेना-केन्द्र के जेट-प्रशिक्षण तथा परिवहन-प्रशिक्षण-विभागों में होता है।

कोयमुत्तूर-स्थित वायु-सेना-प्रशासनिक कॉलेज में वायु-सेना के प्रशासनिक अधिकारियों का तथा बंगलोर में स्थापित उड्डयन-चिकित्सा-स्कूल में चिकित्सा-अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। जलाहाली-स्थित वायु-सेना-प्राविधिक कॉलेज में इंजीनियरी-अधिकारियों को प्रौद्योगिक इंजीनियरी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। उड्डयन-संशिक्षकों को ताम्बरम-स्थित एक स्कूल में अलग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

## प्रतिरक्षा-उत्पादन

उत्पादन में वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेना की तीनों शाखाओं के प्राविधिक विकास-प्रतिष्ठानों और प्रतिरक्षा-विज्ञान-संगठन को मिलाकर जनवरी, १६५८ ई० में प्रतिरक्षा-मन्त्री के वैज्ञानिक परामर्शदाता के अधीन एक अनुसन्धान और विकास-संगठन स्थापित किया गया।

**शस्त्रास्त्र-कारखाने**—शस्त्रास्त्र-कारखानों द्वारा कुछ समय पूर्व तक मुख्य रूप से स्थल-सेना की आवश्यकताओं की ही पूर्ति की जाती थी, परन्तु अब उनमें जल-सेना तथा वायु-सेना के लिए भी सामग्री बनाई जाने लगी है।

अम्बरनाथ ( महाराष्ट्र )-स्थित मशीनी औजार-कारखाने में शस्त्रास्त्रों और मशीनी औजारों के प्रारूप-(प्रोटोटाइप) तथा छोटे-मोटे शस्त्रास्त्र तैयार करने का काम होता है।

**विमान-कारखाना**—बंगलोर-स्थित हिन्दुस्तान-विमान-कारखाना-लिमिटेड सन् १६५२ ई० से भारतीय वायु-सेना के विमानों की मरम्मत और उसका निर्माण कर रहा है।

यहाँ पूर्ण धातु के सवारी डिब्बे तथा बसों के ढाँचे आदि भी बनते हैं। हाल में ही भारत-सरकार ने कुछ विशिष्ट प्रकार के विमान बनाने के लिए दो विदेशी कम्पनियों के साथ करार किये हैं।

पिछले १० वर्षों में एच०-२ वम्पायर, नैट, पुष्पक, कृषक तथा अभी हाल में निर्मित सुपर-सॉनिक वायुयान एच० एफ० २४, इसके प्रमुख उत्पादन रहे हैं। इनके अलावा प्रिस्टस, ऑरफियस रौल्सरॉस आदि वायुयान इंजन भी यहाँ तैयार हुए हैं। भारत-सरकार ने कानपुर के वायु-सैनिक अड्डे में दूसरा विमान कारखाना स्थापित किया है, जिसने गत वर्ष एवरो ७४८ नामक परिवहन-वायुयान तैयार किया।

**भारत विद्युदणु (इलेक्ट्रॉनिक्स)**—बंगलोर के निकट जलाहाली-स्थित भारत-विद्युदणु-लिमिटेड में प्रारम्भिक उत्पादन-कार्य सितम्बर, सन् १६५५ ई० में आरम्भ हुआ।

## विशेष कार्य

देश की रक्षा करने के अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त भारत की सशस्त्र सेनाएँ समय-समय पर कई अन्य आपात-कार्यों में भी हाथ बँटाती हैं। इनमें मुख्य हैं (क) बाढ़, अकाल तथा भूचाल से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता; (ख) पन-बिजली तथा अन्य योजनाओं के विकास तथा आयोजन के काम आनेवाले फोटो-सर्वेक्षण; तथा (ग) बेकार भूमि का पुनरुद्धार। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारतीय सेनाओं ने कोरिया-विराम-संधि करार तथा २० जुलाई, १९५४ ई० को जेनेवा में हुई युद्धविराम-सन्धि के अन्तर्गत स्थापित 'वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया अन्तरराष्ट्रीय नियन्त्रण तथा अधीक्षण सम्बन्धी आयोगों' की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में भी सहायता दी। १६ नवम्बर, १९५६ ई० को संयुक्त राष्ट्रसंघीय आपात-सेना में सम्मिलित होने के लिए एक भारतीय सैन्य-टुकड़ी मिस्र भी भेजी गई, जहाँ उसने शान्ति-स्थापन में पर्याप्त योगदान किया। सन् १९५८ ई० में लगभग ७० सैनिक अधिकारियों ने लेबनॉन में संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक-दल के साथ कार्य किया। कांगो में संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेना के साथ भी भारतीय सैनिक कार्य करते रहे हैं। लगभग ७० भारतीय सैन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त, मार्च, १९६१ ई० में लड़ाका फौजियों का एक ब्रिगेड वहाँ भेजा गया।

## प्रतिरक्षा-व्यय

सन् १९५५-५६ ई० से सेनाओं पर जो व्यय हुआ है उसका विवरण नीचे लिखा है—

प्रतिरक्षा (करोड़ रु०)

| वर्ष | प्रचलित | | | अप्रचलित | व्यय (पूँजीगत) | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थल | जल | वायु | | | |
| १९५५-५६ (वास्तविक) | ११८ | १२ | २८ | १४ | १८ | १९० |
| १९५६-५७ (वास्तविक) | १२९ | १२ | ३७ | १४ | २० | २१२ |
| १९५७-५८ (वास्तविक) | १५९ | १४ | ७० | १४ | २३ | २८० |
| १९५८-५९ (वास्तविक) | १४६ | १६ | ७५ | १४ | २८ | २७६ |
| १९५९-६० (वास्तविक) | १४२ | १४ | ५९ | १५ | ३६ | २६६ |
| १९६०-६१ (अनुमान) | १५५ | १८ | ४६ | ०५ | ३६ | ३०२ |
| १९६१-६२ (अनुमान) | १८४ | १६ | ६१ | १८ | ४२ | ३१४ |

## क्षेत्रीय सेना

क्षेत्रीय सेना सर्वप्रथम अक्तूबर, सन् १९४९ ई० में संगठित की गई थी। इसका उद्देश्य देश के नवयुवकों को अवकाश के समय सैनिक प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना है। संकट-काल में इस सेना को सशस्त्र सेनाओं की सहायता के लिए बुलाया जा सकता है।

आवश्यक योग्यता रखनेवाला १८ से ३५ वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ पुरुष क्षेत्रीय सेना में भरती हो सकता है। क्षेत्रीय सेना दो प्रकार की है—प्रादेशिक तथा नागरिक। रंगरूटों का प्रशिक्षण प्रादेशिक सेना में ३० दिन का तथा नागरिक सेना में ३२ दिन का होता है। नागरिक सेना में प्रशिक्षण शाम को सप्ताहान्त में अथवा छुट्टियों के दिन दिया जाता है। प्रशिक्षण देते हुए

अथवा अन्य प्रकार से नियुक्त क्षेत्रीय सेना के अधिकारियों और जवानों को लगभग वही वेतन भत्ता, राशन तथा चिकित्सा की सुविधाएँ दी जाती हैं, जो नियमित सेना के उनके समान पदाधिकारियों को उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें उपदान (ग्रेच्युटी), असमर्थता-पेंशन और परिवार-पेंशन भी प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय सेना के कर्मचारी पदक, पुरस्कार आदि भी प्राप्त कर सकते हैं।

## लोक-सहायक सेना

सहायक क्षेत्रीय सेना, जो सन् १६५४ ई० में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के रूप में पुनस्संगठित की गई थी, अब लोक-सहायक सेना कहलाती है।

भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैन्य-शिक्षार्थियों को छोड़कर १८ से ४० वर्ष तक के सभी स्वस्थ पुरुष सहायक सेना में भरती हो सकते हैं। सीमान्त-प्रदेशों में रहनेवाले लोगों को भी सैन्य-शिक्षा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नये रंगरूटों को ३० दिन प्रशिक्षण दिया जाता है।

## राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी-दल

इस दल में स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्र और छात्राएँ भरती हो सकती हैं। इसमें तीन टुकड़ियाँ होती हैं : सीनियर, जूनियर और बालिका। प्रथम दोनों टुकड़ियों की स्थल, जल तथा वायु-शाखाएँ हैं।

कुछ सैन्य-विद्यार्थियों को सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। १ जनवरी, १६६१ ई० को इस दल में कुल २,६३,४६६ सैन्य-शिक्षार्थी थे। सन् १६६० ई० में अधिकारी-प्रशिक्षण-विभाग तथा राइफल-विभाग स्थापित किये गये।

## सहायक सैन्य-शिक्षार्थी-दल

सहायक सैन्य-शिक्षार्थी-दल स्कूलों के उन छात्रों तथा छात्राओं को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी-दल में प्रवेश नहीं मिलता। यह दल देश के युवकों और युवतियों में अनुशासन, देश-भक्ति तथा सहयोग की भावना पैदा करने का प्रयास करता है। सन् १६६० ई० के अन्त में सहायक सैन्य-शिक्षार्थियों की संख्या लगभग १०,१७,००० थी।

## भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा गैरसरकारी नौकरियों, व्यावसायिक और प्रौद्योगिक धन्धों, कृषि-भूमि तथा परिवहन-सेवाओं में काम दिलाने के लिए प्रतिरक्षा-मंत्रालय में एक पुनर्वास-निदेशालय है। भूतपूर्व सैनिकों को कृषि की भी शिक्षा दी जा रही है, ताकि वे सामुदायिक विकास-योजनाओं में ग्रामसेवक के रूप में नियुक्त किये जा सकें। पुलिस, चौकसी तथा आबकारी विभागों में, जहाँ सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, नियुक्तियाँ करते समय भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है। केन्द्र तथा राज्य-सरकारों और निजी संगठनों के मिले-जुले प्रयास के फलस्वरूप विगत १० वर्षों में १,४१,००० भूतपूर्व सैनिकों को काम दिलाया गया है।

'सैनिक, नाविक तथा वायुसैनिक-मण्डल' नामक एक गैर-सरकारी संगठन भी भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारवालों को उपयोगी सहायता प्रदान करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण योग दे

रहा है। मण्डल का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वह राज्यीय मण्डलों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करता है। राज्यीय मण्डल भी जिला-मण्डलों के कार्यों की देख-रेख करते हैं। इस समय इस प्रकार के २०४ मण्डल हैं। उपर्युक्त मण्डल की निधि के अतिरिक्त (जिसमें से अन्ध भूतपूर्व सैनिकों को विशेष पेंशनें दी जाती हैं) कई अन्य केन्द्रीय निधियाँ भी हैं, जिनमें झण्डा-दिवस-निधि, सशस्त्र सेना-कल्याण-निधि तथा सशस्त्र सेना-पुनर्निर्माण-निधि प्रमुख हैं। इन निधियों में से भूतपूर्व सैनिकों को प्रभूत सहायता प्रदान की जाती है।

# सांस्कृतिक विकास

'राष्ट्रीय संस्कृति-न्यास' (ट्रस्ट) की स्थापना कला और संस्कृति की अभिवृद्धि तथा जनता में कला के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई है। इन उद्देश्यों की पूर्ति ललित-कला-अकादेमी, संगीत-नाटक-अकादेमी तथा साहित्य-अकादेमी के माध्यम से की जाती है। अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति जनता को जागरूक बनाये रखने के लिए सरकार जन-सम्पर्क के उपलब्ध साधनों का भी यथाशक्य उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाएँ भी परम्परागत कला-कौशलों के प्रचार-प्रसार में योग दे रही हैं।

## कला

**ललित-कला-अकादेमी**—सन् १९५४ ई० में स्थापित ललित-कला-अकादेमी ललित-कलाओं की अभिवृद्धि में योग देने के अतिरिक्त चित्रकला, मूर्त्तिकला आदि के विकास तथा पोषण के कार्य-क्रम भी बनाती है। साथ ही, यह अकादेमी प्रादेशिक अथवा राज्यीय अकादेमियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करती है, विभिन्न कला-शैलियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती है तथा तत्सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करने के अतिरिक्त प्रदर्शनियों तथा कलाकारों और कलाकृतियों का आदान-प्रदान करके अन्तरप्रादेशिक और अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने में योग देती है।

ललित-कला-अकादेमी प्रतिवर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला-प्रदर्शनी का आयोजन करती है, जो बाद में विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त वह भारत में प्राच्य तथा पाश्चात्य देशों की कला तथा विदेशों में भारतीय कला की प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है। कला की विभिन्न विधाओं के विषय में विचार-गोष्ठियों का भी समय-समय पर आयोजन किया जाता है।

ललित-कला-अकादेमी ने देश के विभिन्न भागों के कला-कौशलों का सर्वेक्षण करने का काम भी आरम्भ किया है। देश के कारीगरों, चित्रकारों और मूर्त्तिकारों के काम तथा जीवन की दशाओं का भी विशेष अध्ययन किया जा रहा है।

ललित-कला-अकादेमी के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों में प्राचीन स्मारकों, मूर्त्तियों तथा चित्रों के फोटो उतारना तथा नष्टप्राय कलाकृतियों की प्रतिलिपियाँ बनाना उल्लेखनीय हैं। यह अकादेमी राष्ट्रीय कला-प्रदर्शनी में भाग लेनेवाले प्रमुख कलाकारों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती है।

**प्रकाशन**—ललित-कला अकादेमी अबतक कला-सम्बन्धी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी है, जिनमें मुगल, अजन्ता, मेवाड़, किशनगढ़, बूँदी आदि की चित्रकला पर प्रकाशित पुस्तकें विशेष महत्त्व की हैं। इसके अतिरिक्त अकादेमी 'ललित-कला' नामक एक अर्द्धवार्षिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है। 'चावड़ा', 'बेन्द्रे', रवि वर्मा' तथा 'हेब्बर' जैसे प्रसिद्ध कलाकार-सम्बन्धी पुस्तिकाएँ ललितकला-समसामयिक भारतीय कला-माला के अधीन प्रकाशित की जा चुकी हैं।

सूचना और प्रसारण-मंत्रालय के प्रकाशन-विभाग ने भी कला-सम्बन्धी कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं, जिनमें 'काँगड़ा-वैली-पेंटिंग', 'द वे ऑफ् द बुद्धा', 'बसौली-पेंटिंग' 'भारतीय कला का सिंहावलोकन', 'भारत की वस्तु तथा मूर्त्तिकला' आदि उल्लेखनीय हैं।

**राष्ट्रीय कला-संग्रहालय**—सन् १६५४ ई० में स्थापित राष्ट्रीय आधुनिक कला-संग्रहालय में २,०५६ कलाकृतियाँ संगृहीत हैं, जो विगत सौ वर्षों की कला-प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराती हैं। इस संग्रहालय में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, डी० पी० राय चौधरी, अमृता शेरगिल तथा सुधीर खास्तगीर जैसे लब्धप्रतिष्ठ कलाकारों तथा अन्य अनेक आधुनिक कलाकारों और शिल्पकारों की कृतियाँ संगृहीत हैं।

सन् १६५६ ई० में स्थापित केन्द्रीय अजायबघर-मण्डल देश के विभिन्न अजायबघरों के विकास तथा पुनस्संगठन-सम्बन्धी मामलों पर भारत-सरकार को परामर्श देता है।

## नृत्य, नाटक तथा संगीत

**संगीत-नाटक-अकादेमी**—सन् १६५३ ई० में स्थापित संगीत-नाटक-अकादेमी नृत्य, नाटक, संगीत तथा चलचित्रों को प्रोत्साहन देने और उनके द्वारा सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास करती है। यह अकादेमी अनुसन्धान-कार्य करती, नाटक-केन्द्रों तथा प्रशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना में सहयोग देती, विचारगोष्ठियों तथा समारोहों की व्यवस्था करती, पुरस्कार बाँटती, साहित्य प्रकाशित करती और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है।

अकादेमी पुनस्संगठित तथा असम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर, केरल, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान-स्थित प्रादेशिक अकादेमियों से सम्बद्ध संस्थानों के साथ सम्पर्क बनाये रखती है। ये प्रादेशिक अकादेमियाँ देश की विभिन्न कलाओं का सर्वेक्षण करनेवाले राष्ट्रीय संगठनों को अपना सहयोग देती रहती हैं। नाटकों को प्रोत्साहन देने के लिए अकादेमी नाटक-प्रतियोगिताओं की भी व्यवस्था करती है।

अकादेमी इस समय नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाटक-विद्यालय तथा एशियाई रंगमंच-संस्था और मणिपुर के इम्फाल-नृत्य-कॉलेज का संचालन करती है।

संगीत-नाटक-अकादेमी प्रतिवर्ष संगीत, नृत्य, नाटक तथा चलचित्रों के क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकारों को पुरस्कार भी देती है।

**आकाशवाणी-नाटक**—राष्ट्रीय नाटक-समारोह में विगत ७५ वर्षों के अत्युत्तम ज्ञात नाटक तथा नाटक-सम्बन्धी साहित्य प्रस्तुत किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से समस्त प्रादेशिक भाषाओं में एक साथ प्रसारित किया जाता है।

**संगीत समारोह**—संगीत-नाटक अकादेमी के तत्वावधान में समय-समय संगीत-समारोह का आयोजन होता रहता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय संगीत-समारोह सन् १९५४ ई० में दिल्ली में तथा द्वितीय समारोह सन् १९५६ ई० में पटना में आयोजित किया गया था।

**आकाशवाणी-संगीत-सम्मेलन**—आकाशवाणी के इस नियमित वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य जनता में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करना और हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक-संगीत के कलाकारों द्वारा विभिन्न रागों तथा रागिनियों में गायन प्रस्तुत कराना है। इसी प्रसंग में सुगम-संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त एकवार्षिक संगीत-प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिभाशाली नवयुवक कलाकार पुरस्कृत किये जाते हैं। सम्मेलन के साथ-साथ संगीत-गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है जिनमें संगीत के विकास-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार-विनिमय होता है।

**राष्ट्रीय संगीत-कार्यक्रम**—सन् १९५२ ई० में आरम्भ किये गये आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत-कार्यक्रम में चोटी के कलाकार प्रस्तुत किये जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के बीच अधिक-से-अधिक तारतम्य स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रादेशिक संगीत, लोक-संगीत और गीति-नाट्यों का भी प्रसारण होता रहता है।

**राष्ट्रीय गीतिनाट्य-कार्यक्रम**—यह कार्यक्रम प्रत्येक दो महीनों में एक बार दिल्ली-केन्द्र से प्रसारित किया जाता है, जिसे आकाशवाणी के अन्य सभी केन्द्र रिले करते हैं।

**वाद्यवृन्द**—सन् १९५२ ई० में स्थापित आकाशवाणी का राष्ट्रीय वाद्यवृन्द वाद्य-संगीत का कार्य-क्रम प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कई रचनाएँ प्रसारित की जा चुकी हैं।

**अन्य आकाशवाणी-कार्यक्रम**—थोड़े समय के शास्त्रीय संगीत-कार्यक्रम (सुबद्ध संगीत) भी प्रसारित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त संगीत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आकाशवाणी वृन्दगान, सुगम-संगीत, लोक-संगीत तथा भक्ति-संगीत के कार्यक्रम भी प्रसारित करता है।

## साहित्य

**साहित्य-अकादेमी**—सन् १९५४ ई० में स्थापित साहित्य-अकादेमी एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य भारतीय वाङ्मय का विकास तथा उच्च साहित्यिक मानदंड स्थिर करना, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य-रचना को प्रोत्साहन देना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और उसके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ बनाना है।

भारतीय साहित्य की एक राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची तैयार करना साहित्य-अकादेमी का एक प्रमुख कार्य है। इस ग्रंथ-सूची में बीसवीं शताब्दी में रचित १४ भारतीय भाषाओं के साहित्यिक महत्त्व के समस्त ग्रंथों तथा भारत में प्रकाशित अथवा भारतीयों द्वारा रचित अँगरेजी ग्रन्थों का उल्लेख रहेगा। हाल ही में अकादेमी ने एक सविस्तर भारतीय लेखक-परिचय-ग्रन्थ प्रकाशित किया है।

साहित्य-अकादेमी अबतक ये ग्रंथ प्रकाशित कर चुकी है: कालिदास-रचित 'मेघदूत' का सटीक संस्करण; मलयालम-साहित्य का इतिहास; बँगला-साहित्य का इतिहास; 'एन्थॉलॉजी ऑफ् संस्कृत लिटरेचर' का द्वितीय खण्ड; असमिया, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, तमिल तथा तेलुगु-कविताओं के काव्य-संग्रह; बंगाल का वैष्णव-गीतिकाव्य; गुजराती के एकांकी; गुजराती, तमिल तथा तेलुगु की

कहानियाँ; तमिल में भारती की कुछ कविताओं का संग्रह, मराठी में आगरकर तथा राजवाडे के गद्य-संग्रह और सिन्धी में दीवान कौड़ामल के गद्य का संग्रह; सम-सामयिक भारतीय साहित्य एवं कहानियों के संग्रह तथा रूसी-हिन्दी शब्दकोश। इनके अतिरिक्त कालिदास-रचित 'विक्रमोर्वशीयम्' तथा 'कुमारसंभवम्' के सटीक संस्करण; असमिया तथा उड़िया साहित्य के इतिहास तथा 'एन्थॉलॉजी ऑफ् संस्कृत लिटरेचर' का एक और खण्ड भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेंगे।

'भारतीय कविता-१९५३' शीर्षक से एक काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसमें १४ मुख्य भाषाओं की कविताओं तथा उनके हिन्दी-पद्यानुवादों का संग्रह है। दूसरा काव्य-संग्रह (१९५४-५५) तथा तीसरा काव्य-संग्रह (१९५६-५७) तैयार हो रहे हैं।

अधिकांश भारतीय तथा कई विदेशी साहित्यिक ग्रंथों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और ये प्रकाशित हो चुके हैं। श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएँ (मूल बँगला देवनागरी-लिपि में) आठ खण्डों में प्रकाशित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत दो खण्ड 'एकोत्तरशती' तथा 'गीत-पंचशती' शीर्षक से प्रकाशित किये जा चुके हैं। एकविंशती (२१ लघुकथाएँ) के गुजराती, पंजाबी तथा मराठी-संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। ठाकुर-शताब्दी के सम्बन्ध में अँगरेजी में 'टैगोर होमेज' शीर्षक एक श्रद्धांजलि-ग्रंथ भी प्रकाशित किया जा रहा है।

साहित्य-अकादेमी अँगरेजी तथा संस्कृत में क्रमशः 'इंडियन लिटरेचर' और 'संस्कृत प्रतिभा' नामक दो अर्द्धवार्षिक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित कर रही है। यह प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट ग्रंथ पर पुरस्कार भी प्रदान करती है।

सन् १९६१ ई० में अकादमी ने अन्तरराष्ट्रीय साहित्य-सम्मेलन का आयोजन किया तथा स्टॉकहोम में हुए अन्तरराष्ट्रीय अकादमी-संघ के समारोह में भाग लिया।

**सम्पूर्ण गान्धी-वाङ्मय**—सन् १९५६ ई० के आरम्भ में सूचना और प्रसारण-मंत्रालय ने महात्मा गान्धी के भाषणों, पत्रों, लेखों आदि का एक सम्पूर्ण संग्रह प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। सन् १८८४ से १९०५ ई० तक की रचनाओं के प्रथम छह खण्ड प्रकाशित किये जा चुके हैं।

**साहित्यिक प्रसारण**—सन् १९५६ ई० में सर्वप्रथम आकाशवाणी द्वारा एक सर्वभाषा कवि-सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह कवि-सम्मेलन अब प्रतिवर्ष होता है, जिसमें देश के प्रमुख कवि भाग लेते हैं।

देश के विभिन्न साहित्यकारों का एक सम्मेलन सन् १९५६ ई० में बुलाया गया था। इस साहित्य-समारोह में समसामयिक भारतीय काव्य की प्रवृत्तियों तथा भारतीय साहित्य की प्रमुख समस्याओं पर विचार किया गया। दूसरा साहित्य-समारोह सन् १९५७ ई० में हुआ, जिसमें समसामयिक भारतीय उपन्यास, कथा-साहित्य तथा जन-सम्पर्क के लिए भाषा के प्रयोग के बारे में विचार-विमर्श किया गया। तीसरा साहित्य-समारोह सन् १९५८ ई० में हुआ, जिसमें समसामयिक नाट्य-साहित्य की समस्याओं पर विचार किया गया। चौथे तथा पाँचवें साहित्य-समारोहों में क्रमशः भारतीय साहित्य में हास्यरस तथा गद्य के विकास पर विचार-विमर्श किया गया।

सन् १९६० ई० से आरम्भ किये गये राष्ट्रीय समसामयिक साहित्य-कार्यक्रम में भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की आलोचनात्मक तथा सर्जनात्मक रचनाओं के सम्बन्ध में श्रोताओं को अवगत कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक तीन महीनों के बाद अन्तिम गुरुवार को आकाश-

वाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है और इसमें कविताओं, छोटी कहानियों तथा अन्य साहित्यिक रचनाओं का समावेश रहता है।

सन् १६५५ ई० से प्रतिवर्ष व्यवस्थित पटेल-स्मारक व्याख्यान-माला में प्रतिष्ठित व्यक्तियों-द्वारा दिये जानेवाले व्याख्यानों का उद्देश्य लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना है। सन् १६५८ ई० से आयोजित लाड-स्मारक व्याख्यान मराठी में मराठी-भाषी क्षेत्र के प्रसारण-केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं।

**राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास (नेशनल बुक-ट्रस्ट)**—उच्च कोटि के साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा उसे उचित मूल्य पर सुलभ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास की स्थापना सन् १६५७ ई० में की गई। अबतक ऐसे १२ प्रकाशन प्रकाश में आ चुके हैं। यह न्यास शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा विज्ञानेतर विषयों के उत्कृष्ट ग्रंथ प्रकाशित करेगा तथा भारतीय साहित्यिक ग्रन्थों, विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों के अनुवाद तथा एक प्रादेशिक भाषा से दूसरी प्रादेशिक भाषा में भारतीय साहित्यिक ग्रन्थो के अनुवाद प्रकाशित करने की ओर ध्यान देगा। इसकी ओर से प्रकाशन का काम सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय का प्रकाशन-विभाग करता है।

**आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास**—भारत-सरकार ने सन् १६५८-६१ ई० की अवधि में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए २० लाख रु० की एक योजना तैयार की थी, जिसके अन्तर्गत विश्वकोषों, ज्ञान-ग्रन्थों तथा भारतीय भाषाओं के द्विभाषी शब्दकोशों का प्रणयन तथा प्रकाशन किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के ग्रन्थ भी प्रकाशित करने का विचार है।

## अन्तरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सद्भावना-प्रसार

**अन्तरराज्यीय दलों का आदान-प्रदान**—सन् १६५६-६० ई० से आरम्भ हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के लोगों के बीच सांस्कृतिक तथा भावनात्मक एकता की भावना को प्रोत्साहन देना है।

**कलाकारों का आदान-प्रदान**—इस कार्यक्रम का उद्देश्य दक्षिण तथा उत्तर-भारत में एक-दूसरे के संगीत, नृत्य आदि के प्रति रुचि उत्पन्न करना है।

**खुले रंगमंच**—ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गति-विधियों को प्रोत्साहन देने के लिए खुले रंगमंचों की व्यवस्था की जा रही है। सन् १६६०-६१ ई० में असम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मद्रास, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर तथा राजस्थान की सरकारों को अनुदान दिये गये।

**रंगमंच को सहायता**—'संस्था-पंजीयन-अधिनियम १८६०' के अधीन पंजीकृत रंगमंच-मण्डलियों तथा उन मण्डलियों को, जिन्होंने पिछले ५ वर्षों में कम-से-कम ३ नाटक और पिछले वर्ष कम-से-कम १०० अभिनय किये हों, सन् १६६०-६१ ई० में आरम्भ एक योजना के अधीन अनुदान दिये जाते हैं।

## विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

**वैदेशिक सम्पर्क-विभाग**—केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति-मन्त्रालय में एक वैदेशिक सम्पर्क-विभाग स्थापित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक

गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ मैत्री तथा सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है।

**शिष्ट-मण्डल**—सन् १९६० ई० में जो भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल विदेश गये, उनमें से प्रमुख ये थे : नेपाल को कवियों तथा संगीतज्ञों की एक मण्डली; कराची को श्रीमती इन्द्राणी रहमान तथा उसका दल ; सिक्किम को भारतीय प्रगतिशील नृत्य-नाट्य-दल; पेरिस को राष्ट्रीय रंगमंच-समारोह तथा ब्रसेल्स के बेल्जियन रंगमंच-समारोह में भाग लेने और बाद को मोरक्को तथा ट्यूनीसिया को छोटा नृत्य-नाट्य-दल; मंगोलिया को संगीतज्ञों तथा नर्त्तकों का एक दल, जिसने लौटते समय ताशकन्द में भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया; बगदाद को भारतीय नर्त्तकों तथा संगीतज्ञों का एक दल; प्राग के वसन्तोत्सव में भाग लेने के लिए रविशंकर तथा उनके साथी; मास्को में हुए २५वें अन्तरराष्ट्रीय प्राच्यवादी सम्मेलन में भाग लेने के लिए १३ व्यक्तियों का एक दल; पेरिस को पृथ्वीश नियोगी; वियेना को श्री वाई० के० बुखारी; दक्षिण-पूर्व एशिया को एक व्याख्यान-यात्रा पर स्वामी रंगनाथानन्द; अफगानिस्तान को संगीतज्ञों तथा खिलाड़ियों के दल और सूडान, तुर्की, यूनान, संयुक्त अरब-गणराज्य, ईरान तथा अदन को नर्त्तकों तथा संगीतज्ञों के दल।

भारत आये विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों में रूमानिया, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी, युगोस्लाविया लाओस, जापान, सं० रा० अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया, प्राग, इटली, फ्रांस और यूनान के प्रतिनिधि-मंडल प्रमुख थे।

सन् १९६१ ई० में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल नेपाल, पाकिस्तान, वर्मा, कम्बोडिया, मोरक्को, फिलिपाइन्स, अफगानिस्तान, जापान, अस्ट्रेलिया, सं० रा० अमेरिका, सोवियत रूस तथा यूरोप के विभिन्न देशों में गये। इस वर्ष सिक्किम, नेपाल, फिजी, बलगेरिया, ब्राजिल, हालैंड और मंगोलिया के प्रतिनिधि-मण्डल भारत आये।

**सांस्कृतिक करार**—सन् १९६१ ई० में भारत और यूनान तथा नारवे के बीच सांस्कृतिक करार सम्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त जापान, इंडोनेशिया, रूमानिया पोलैण्ड, तुर्की, इराक, संयुक्त अरब-गणराज्य, ईरान, चेकोस्लोवाकिया युगोस्लाविया, सोवियत रूस तथा मंगोलिया के साथ भारत के सांस्कृतिक करार पहले से ही है।

**अनुदान**—भारत तथा अन्य देशों के बीच निकटतम सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने में लगे भारत तथा विदेश-स्थित संस्थानों को अनुदानों के रूप में सहायता दी जाती है।

**भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क-परिषद्**—भारत तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें सुदृढ बनाने के उद्देश्य से नवम्बर, १९४६ ई० में इस परिषद् की स्थापना की गई थी। यद्यपि इसका सारा खर्च भारत-सरकार उठाती है, तथापि यह परिषद् अपने-आपमें एक स्वतन्त्र संस्था है। यह परिषद् एक त्रैमासिक पत्रिका अँगरेजी में तथा दूसरी अरबी भाषा में प्रकाशित करती है। दुर्लभ पाण्डुलिपियों तथा भारत-सम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन और भारतीय प्रकाशनों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद कराने का भी काम यह परिषद् कर रही है। सन् १९६१ ई० में इस परिषद् ने प्रथम एशियाई इतिहास-सम्मेलन का आयोजन किया।

★

# वैज्ञानिक अनुसन्धान

एक पृथक् मंत्रालय के रूप में यह विभाग अप्रैल, १६५८ ई० से कार्यरत है। वैज्ञानिक अनुसन्धान का प्रधान उद्देश्य विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान की अभिवृद्धि करना; देश में उच्च कोटि के वैज्ञानिक तैयार करना; वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों के लिए यथाशीघ्र प्रशिक्षण-कार्यक्रम आरम्भ करना; जनता की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना; व्यक्तिगत रूप में भी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करना तथा देशवासियों को वैज्ञानिक ज्ञान की उपलब्धियों से लाभान्वित कराना है।

## वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्

भारत में सरकारी तत्त्वावधान में वैज्ञानिक अनुसन्धान का काम मुख्यतः वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्, उसके नियन्त्रण में स्थापित विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ अथवा संस्थाएँ और उससे सहायता प्राप्त करनेवाले विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान-संस्थाएँ करती हैं। यह परिषद् अनुसन्धान-संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में लगे वैज्ञानिकों को सहायता-अनुदान देती है और योग्य व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ देने तथा विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करने का कार्य करती है। विदेशों से लौटनेवाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिल्पविज्ञों को अस्थायी रूप से काम पर लगाने का उत्तरदायित्व भी इसी परिषद् पर है। यह परिषद् देश के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों की सूची रखने की भी व्यवस्था करती है। संक्षेप में, भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान की अभिवृद्धि तथा उसमें सामंजस्य स्थापित करने की सरकार की जो नीति है, उसे कार्यरूप देने का मुख्य माध्यम यही परिषद् है।

वित्त—अनुसन्धान-परिषद् के सभी कार्यों का व्यय मुख्यतः केन्द्रीय सरकार उठाती है। परिषद् को राज्य-सरकारों तथा अन्य व्यक्तियों से भूमि, भवन, धन और उद्योगपतियों से चन्दा भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त परिषद् को प्रकाशनों की बिक्री आदि से रॉयल्टी की भी आय होती है। सन् १६६०-६१ ई० में परिषद् का आवर्त्तक व्यय ४.४ करोड़ रु० तथा पूँजीगत व्यय २.५ करोड़ रु० था।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ—स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से परिषद् देश के विभिन्न स्थानों में निम्नलिखित २७ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त नई दिल्ली में वर्षा तथा बादल भौतिकी अनुसन्धान-विभाग, उदक-मण्डलम्, कानपुर तथा बंगलोर में आवश्यक तेल-अनुसन्धान-केन्द्र और कानपुर में गैस-टर्बाइन अनुसन्धान-केन्द्र भी स्थापित कर चुकी है।

(१) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना; (२) राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली; (३) केन्द्रीय ईंधन-अनुसन्धान-संस्था, जीलगोड़ा (बिहार); (४) केन्द्रीय काँच और कुम्हार-कार्य-अनुसन्धान संस्था, यादवपुर; (५) केन्द्रीय खाद्य-प्रौद्योगिकी अनुसन्धान-संस्था, मैसूर; (६) राष्ट्रीय धातु-प्रयोगशाला, जमशेदपुर; (७) केन्द्रीय भेषज-अनुसन्धान-संस्था, लखनऊ; (८) केन्द्रीय सड़क-अनुसन्धान-संस्था, नई दिल्ली; (६) केन्द्रीय बिजली-रासायनिक अनुसन्धान-संस्था, कराइकुडी (मद्रास); (१०) केन्द्रीय चमड़ा-अनुसन्धान-संस्था, मद्रास; (११) केन्द्रीय भवन-अनुसन्धान-संस्था, रुड़की; (१२) केन्द्रीय विद्युदणु इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था,

पिलानी ( राजस्थान ); ( १३ ) राष्ट्रीय वनस्पति-उद्यान, लखनऊ; ( १४ ) केन्द्रीय नमक-अनुसन्धान-संस्था, भावनगर; ( १५ ) केन्द्रीय खनिज-अनुसन्धान-केन्द्र, धनबाद; ( १६ ) प्रादेशिक अनुसन्धान-शाला, हैदराबाद; ( १७ ) भारतीय जीव-रसायन तथा परीक्षणात्मक औषध-संस्था, कलकत्ता; (१८ ) बिड़ला-औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता; ( १६ ) प्रादेशिक अनुसन्धानशाला, जम्मू-तावी ( जम्मू-कश्मीर ); ( २० ) केन्द्रीय यान्त्रिकी इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था, दुर्गापुर ( पश्चिम बंगाल ); ( २१ ) केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य-इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था, नागपुर; ( २२ ) राष्ट्रीय उड्डयन-प्रयोगशाला, बंगलोर; ( २३ ) प्रादेशिक अनुसन्धान-शाला, जोरहाट; ( २४ ) केन्द्रीय भारतीय औषध-वनस्पति-संगठन, नई दिल्ली; ( २५ ) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण-संगठन, नई दिल्ली; (२६) भारतीय पेट्रोलियम-अनुसंधान-संस्थान, देहरादून तथा (२७) भू-भौतिकी केन्द्रीय परिषद्, हैदराबाद।

**अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन**— अन्य प्राविधिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को भी सहायता-अनुदान दिये जाते हैं। सहायता-अनुदान देने की ३६३ योजनाएँ ६० अनुसन्धान-केन्द्रों में चल रही हैं। व्यावहारिक परिणामों के अतिरिक्त इससे एक लाभ यह भी हो रहा है कि इन योजनाओं के माध्यम से युवक अनुसन्धानकर्त्ताओं को प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं तथा स्वतन्त्र अनुसंधान-कार्य के लिए क्रियाशील केन्द्रोंका विकास होता है। अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता दी जाने के अतिरिक्त होनहार नवयुवकों को जूनियर तथा सीनियर शिष्य-वृत्तियाँ भी दी जाती हैं।

पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में मार्ग-दर्शक संयन्त्रों के संबंध में जाँच-पड़ताल के कार्य पर अधिक बल दिया जा रहा है। सन् १९५७–६० ई० में ऐसे ४६ मार्ग-दर्शक संयन्त्र स्थापित किये गये।

जनसम्पर्क तथा विस्तार-कार्य प्रयोगशालाओं के स्तर पर किया जाता है। नई दिल्ली के औद्योगिक सम्पर्क तथा विस्तार-विभाग के प्रादेशिक कार्यालय कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थित हैं और जयपुर का औद्योगिक सम्पर्क-कार्यालय इस विभाग के साथ सम्बद्ध है।

**विज्ञान-मन्दिर**—सामुदायिक विकास-परियोजना-क्षेत्रों में 'विज्ञान-मन्दिर' नामक ४१ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला और योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। ये केन्द्र ग्रामीण जनता में वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते तथा उन्हें इसके उपयोग की सार्थकता के विषय में समझाते हैं।

## परमाणु-अनुसन्धान तथा अणु-शक्ति

अणुशक्ति-विभाग अणु-शक्तिविषयक सभी मामलों के सम्बन्ध में नीतियाँ बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग का वैज्ञानिक तथा प्राविधिक काम ट्राम्बे-स्थित अणुशक्ति-प्रतिष्ठान तथा आणविक खनिज विभाग करते हैं। औद्योगिक गतिविधियाँ भारतीय दुर्लभ मृत्तिका-लिमिटेड तथा तिरुवांकुर-खनिज-लिमिटेड के दायित्व में आती हैं।

बम्बई के निकट ट्राम्बे-स्थित प्रतिष्ठान अणु-शक्ति के क्षेत्र में अनुसन्धान तथा विकासकार्य करने का राष्ट्रीय केन्द्र है, जिसमें २,८०० अधिक वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। कर्मचारियों के प्रशिक्षण-विद्यालय में प्रतिवर्ष १५० प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। इस प्रतिष्ठान में १५ विभाग हैं। इस समय दो आणविक भट्ठियाँ चालू हैं—पहली 'अप्सरा', जिसका

कार्य सन् १९५६ ई० में आरम्भ हुआ और दूसरी 'कनाडा-भारत' जो पूरी होने पर संसार की सबसे बड़ी आइसोटोप-उत्पादक भट्टी होगी। जनवरी, १९६१ ई० में शून्य शक्ति की एक और अणु-भट्टी 'जरलीना' का कार्य आरम्भ हुआ। इन भट्ठियों के लिए ईंधन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ट्राम्बे-प्रतिष्ठान में परमाणु-उपयोगी यूरेनियम तैयार करनेवाले संयन्त्र का कार्य आरम्भ हुआ। आणविक खनिज-विभाग आणविक खनिज प्राप्त करने तथा उनके सर्वेक्षण और विकास के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग रेडियो-सक्रिय खनिजों का पता लगाने में भी जनता को सहायता देता है।

अणुशक्ति-विभाग द्वारा केरल तथा मद्रास-सरकारों के सहयोग से अक्तूबर, १९५६ ई० में तिरुवांकुर-खनिज-लिमिटेड नामक कम्पनी की स्थापना की गई। इसमें मुख्य रूप से इलेमेनाइट तथा मोनाजाइट तैयार होते हैं। इलेमेनाइट विदेशी मुद्रा के अर्जन का एक महत्त्वपूर्ण साधन है तथा मोनाजाइट अलवाए-स्थित भारतीय दुर्लभ मृत्तिका ( प्राइवेट ) लिमिटेड को भेज दिया जाता है। अलवाए का यह कारखाना भी संयुक्त रूप से विभाग तथा केरल-सरकार के अधीन है। इस कारखाने में मोनाजाइट रेत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। घाटशिला ( बिहार )-स्थित एक मार्ग-दर्शक संयन्त्र में ताँबे की कतरनों से यूरेनियम निकाला जाता है। नंगल में स्थापित किये जा रहे उर्वरक संयन्त्र में उपोत्पाद के रूप में 'हैवी वाटर' का उत्पादन भी किया जायगा।

अणुशक्ति-विभाग भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप एक परमाणु-शक्ति-कार्यक्रम बनाने में संलग्न है। बम्बई के निकट तारापुर में ३०० एम्० डब्ल्यू० क्षमता का सर्वप्रथम अणु-शक्ति, केन्द्र स्थापित किया जायगा, जिसका कार्य सन् १९६४-६५ ई० में आरम्भ होने की आशा है।

परमाणु-विज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं तथा अनुसन्धान-संस्थानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। बम्बई-स्थित टाटा-मूलभूत अनुसन्धान-संस्था इस कार्य का राष्ट्रीय केन्द्र है। कलकत्ता की साहा-परमाणु-भौतिकी संस्था तथा अहमदाबाद की भौतिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला को अणुशक्ति-विभाग से सहयोग प्राप्त होता है। कश्मीर में ६,००० फुट की ऊँचाई पर गुलमर्ग में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में तथा विज्ञान-संस्थाओं में इस विभाग की ओर से स्नातकों तथा उत्तर-स्नातकों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

## अन्य विभागों द्वारा अनुसंधान-कार्य

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-मण्डल के तत्त्वावधान में देश में ११ जलगति (हाइड्रालिक) अनुसंधान-केन्द्र हैं। पूना के निकट खडकवासला-स्थित केन्द्रीय जल-बिजली तथा सिंचाई-अनुसंधान-केन्द्र इनमें प्रमुख हैं।

संचार-मंत्रालय के असैनिक उड्डयन-महानिदेशालय के अधीन स्थापित अनुसंधान तथा विकास-निदेशालय विमान-निर्माण के कार्यों की देखभाल करता है।

भारतीय वनस्पति-सर्वेक्षण-विभाग देश की वनस्पति-सम्पत्ति से सम्बद्ध कार्य करता है कलकत्ता में इसका एक संग्रहालय भी है।

भारत का प्राणी-विज्ञान-सम्बन्धी सर्वेक्षण-कार्यालय प्राणी-विज्ञान-सम्बन्धी मानक वस्तुओं का तथा भारत की भौगोलिक प्राणी-विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी का संग्रह करता है। जबलपुर, जोधपुर, देहरादून, पूना तथा शिलाँग में इसके पाँच प्रादेशिक केन्द्र हैं।

भारत का भू-विज्ञान-सम्बन्धी सर्वेक्षण-कार्यालय भारत के भू-विज्ञान-सम्बन्धी मानचित्र तैयार करता है। इसके अधीन ८ प्रादेशिक केन्द्र हैं।

कलकत्ता का नृतत्त्वशास्त्र-विभाग देश में तत्सम्बन्धी सर्वेक्षण-कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग अनुसंधान-कार्य भी करता है।

देहरादून-स्थित भारतीय सर्वेक्षण-विभाग तलरूप सर्वेक्षण करता है, साथ ही आजतक की स्थितियों से युक्त भारत के मानचित्र भी तैयार करता है।

देहरादून की वन-अनुसंधान-संस्था भवन-निर्माण के लिए इमारती लकड़ी के उपयोग से सम्बद्ध कार्य करती है।

नई दिल्ली में आकाशवाणी की एक अनुसंधान-इकाई है, जो रेडियो-तरंगों तथा रेडियो-रिसीवरों के डिजाइन तथा कार्यकुशलता-सम्बन्धी समस्याओं की जाँच करती है।

रेल-कारखानों की समस्याओं के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिए रेल-मण्डल ने लखनऊ में एक अनुसंधान-केन्द्र खोल रखा है, जिसके दो उप-केन्द्र लोनावला तथा चितरंजन में हैं।

सड़क-विकास तथा सड़क बनाने की सामग्री, राजपथों तथा पुलों का निर्माण और बन्दरगाह-सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का कार्य परिवहन-मंत्रालय के अधीन स्थापित सड़क-संगठन करता है।

भारतीय मानक-संस्था, जो उद्योग-मन्त्रालय के अधीन है, सामग्री तथा उत्पादनों के मानक स्थिर करने की दिशा में कार्य करती है।

## अन्य संस्थाएँ

वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में देश के और भी कई अनुसंधान-संगठन कार्य कर रहे हैं, जिनके वित्त की व्यवस्था या तो गैर-संस्थाएँ करती हैं अथवा सरकार उन्हें सहायता देती है। इनमें बीरबल साहनी-प्राचीन वनस्पति-विज्ञान-संस्था, लखनऊ; बोस-संस्था, कलकत्ता; भारतीय विज्ञान-प्रोत्साहन-संघ, कलकत्ता; भारतीय विज्ञान-संस्था, बंगलोर; भौतिक अनुसंधानशाला, अहमदाबाद तथा श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान-संस्था, दिल्ली आदि प्रमुख हैं।

## चिकित्सा-अनुसन्धान

सन् १९१२ ई० में स्थापित भारतीय चिकित्सा-अनुसंधान-परिषद् देश में होनेवाले चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसंधान-कार्यों में समन्वय स्थापित करने में महान् योग दे रही है।

चिकित्सा-कॉलेजों तथा सम्बद्ध अस्पतालों के अलावा देश में विशेष अध्ययन के लिए अनेक संस्थाएँ हैं। कलकत्ता की अखिलभारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान तथा लोक-स्वास्थ्य-संस्था में उन बीमारियों के लिए चिकित्सा-सम्बन्धी तथा निरोधात्मक ओषधियों के प्रयोग का परीक्षण किया जाता है,जो भारत के लिए नई हैं। कलकत्ता के उष्णकटिबन्धीय ओषधि-विद्यालय में उष्णकटि-बन्धीय क्षेत्रों में पाई जानेवाली बीमारियों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाता है। गिण्डी (मद्रास)-स्थित क्रिंग-निरोधात्मक औषध-संस्था में बैक्टीरिया-सम्बन्धी रोगों का अनुसंधान तथा

टीके तैयार किये जाते हैं। दिल्ली की वल्लभभाई पटेल वक्ष-संस्था में क्षय-रोग तथा अन्य वक्ष-रोगों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाता है। चिंगलपट के लेडी विलिंगडन-कोढ़-उपचारालय तथा सदापेट के सिलवरजुबिली-बाल-उपचारालय को मद्रास-सरकार से हस्तगत करके उनके स्थान पर केन्द्रीय कोढ़-अनुसंधान-संस्था स्थापित कर दी गई है। बम्बई की हाफकिन-संस्था में बड़े पैमाने पर टीके तैयार किये जाते हैं। प्लेग की रोकथाम तथा इलाज का यह प्रमुख केन्द्र है। अब पौष्टिकता, मलेरिया तथा विषैली बीमारियों के क्षेत्र में भी इस संस्था ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

बम्बई के भारतीय नासूर-अनुसंधान-केन्द्र में नासूर के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की जाती है। इस केन्द्र ने भारत में नासूर की व्यापकता का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है।

कसौली की केन्द्रीय अनुसंधान-संस्था में जीव-रसायन आदि की समस्याओं की जाँच-पड़ताल की जाती है। इस संस्था का एक संग्रहालय भी है।

कुन्नूर-स्थित पास्च्योर-संस्था में इन्फ्ल्यूएंजा, रेबीज आदि के सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य किया जाता है।

केन्द्रीय भोजन-प्रयोगशाला, कलकत्ता में ओषधियों का रासायनिक अनुसन्धान किया जाता है।

इनके अलावा जो अन्य कई गैर-सरकारी अनुसन्धान-संगठन हैं, उनमें बंगाल-व्याधि-उन्मुक्ति-अनुसन्धान-संस्था विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

## कृषि-अनुसन्धान

सन् १९२९ ई० में संस्थापित भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् कृषि तथा पशु-पालन-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन देती है।

दिल्ली की भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्था कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य करनेवाली सबसे पुरानी संस्था है। खाद्य फसलों के बारे में जाँच करने के लिए इस संस्था में एक प्रयोगशाला तथा विस्तृत खेत हैं। इज्जतनगर की भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसन्धान-संस्था में पशुओं की बीमारियों का अध्ययन और उपचार होता है। करनाल राष्ट्रीय दुग्धशाला-अनुसन्धान-संस्था में दूध की किस्म के सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य किया जाता है। कलकत्ता की केन्द्रीय चावल-अनुसंधान-संस्था तथा शिमला की केन्द्रीय आलू-अनुसंधान-संस्था में चावल तथा आलू-सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाता है। कपास, पटसन, नारियल, तम्बाकू, तेलहन, सुपारी तथा लाख के बारे में अनुसन्धान करने के लिए ८ जिन्स-समितियाँ हैं। इनकी अपनी-अपनी प्रयोगशालाएँ तथा अनुसन्धान-संस्थाएँ हैं।

मण्डपम्-स्थित केन्द्रीय तटवर्ती मछली अनुसन्धान-केन्द्र में समुद्र-तट पर पाई जानेवाली खाद्य मछलियों की जाँच-पड़ताल की जाती है। इसके अतिरिक्त बम्बई, कच्छ की खाड़ी विशाखापत्तनम् तथा अन्दमान में भी अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। कलकत्ता का केन्द्रीय अन्तरदेशीय मछली-अनुसन्धान-केन्द्र तालाबों तथा नदियों में पाई जानेवाली (अन्तरदेशीय) मछलियों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करता है। कोचीन के केन्द्रीय मछली-प्रौद्योगिक अनुसन्धान-केन्द्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री के विषय में अध्ययन किया जाता है।

★

# भारतीय पुरातत्व

**भारत में पुरातत्त्व-अध्ययन का आरम्भ**—सर्वप्रथम प्राच्य पुरावृत्त, साहित्य और संस्कृति के अनुशीलन और अध्ययन की बात कलकत्ता-सर्वोच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश श्रीविलियम जोन्स के मन में उठी थी। उसके भारत पहुँचने के चार मास के अन्दर जनवरी, १७८४ ई० में उन्हीं की देख-रेख में एशिया-भर के इतिहास, पुरावृत्त, साहित्य, कला और विज्ञान के अनुशीलन के लिए कलकत्ता में 'बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' नामक संस्था की स्थापना हुई। किन्तु १८३३ ई० तक इस विषय में कोई क्रमिक एवं महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाया।

सन् १८३३ ई० में कलकत्ता-टकसाल के परीक्षणाध्यक्ष और 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' के मंत्री श्रीजेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के पढ़ने की कुंजी ढूँढ़ निकाली। तदनंतर लेफ्टिनेण्ट कनिंघम ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। सन् १८४८ ई० में उन्होंने पुरातात्त्विक सर्वेक्षण के लिए एक योजना प्रस्तुत की, किन्तु तत्काल उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। तेरह वर्ष बाद, सन् १८६१ ई० में, वे भारत के प्रथम पुरातात्त्विक सर्वेक्षक नियुक्त हुए और सन् १८८६ ई० में भारतीय पुरातत्त्व-विभाग की स्थापना हुई। किन्तु, सन् १८६६ ई० में वह पद उठा दिया गया। इसके बाद सन् १८७० ई० में भारतीय पुरातत्त्व के सर्वेक्षण के लिए प्रधान निर्देशक (डाइरेक्टर-जेनरल) के पद का निर्माण किया गया और ले० कनिंघम ही उसके प्रथम प्रधान निर्देशक नियुक्त हुए। किन्तु, इनके विभाग के अधिकार में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण का काम नहीं था, बल्कि यह काम प्रान्तीय सरकारों के लोक-निर्माण-विभाग के हाथ में था। सन् १८७८ ई० में प्राचीन स्मारकों और कलाकृतियों की देखभाल के लिए एक संग्रहालयाध्यक्ष (क्यूरेटर) का पद बनाया गया। उसका काम प्रत्येक प्रान्त में फैले हुए प्राचीन स्मारकों की वर्गीकृत सूची बनाना तथा सरकार को यह परामर्श देना था कि कौन प्राचीन स्मारक सुधार के योग्य है और कौन पूर्णतया नष्ट हो गया है। कुछ दिनों के पश्चात् यह पद भी समाप्त कर दिया गया और पुनः यह कार्य प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में चला गया। सन १८७८ ई० में पुरातत्त्व के सम्बन्ध में 'ट्रेजर-ट्रोव एक्ट चतुर्थ' नामक एक महत्त्वपूर्ण ऐक्ट पास किया गया।

सन् १८८५ ई० में उत्तरी और दक्षिणी भारत के पुरातात्त्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रधान निर्देशक के हाथों में दे दिया गया और सर्वेक्षण की सुविधा के लिए सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत को इन पाच भागों में विभक्त कर दिया गया—(१) मद्रास, (२) बम्बई, (३) पंजाब (सिन्ध और राजपुताना-सहित), (४) पश्चिमोत्तर प्रान्त (मध्यप्रदेश मध्यभारत-सहित) और (५) बंगाल (आसाम-सहित)। किन्तु, सन् १८८६ ई० में पुनः इसका कार्य ठप पड़ गया क्योंकि; सर्वेक्षण के कुछ महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की गईं और यह स्थिति उन्नीसवीं सदी के अन्त तक रही।

सन् १६०४ ई० में 'प्राचीन स्मारक-सुरक्षा-अधिनियम' (एन्शियेण्ट मानुमेण्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट) बनी; जिससे पुरातत्त्व के क्षेत्र में नवीन युग का पदार्पण हुआ। इस अधिनियम द्वारा धार्मिक स्थानों को छोड़कर सभी प्रकार के वैयक्तिक और दूसरे अरक्षित स्मारकों के सुधार, अनधिकारी व्यक्तियों द्वारा ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई का निषेध और प्राचीन ध्वंसावशेषवाले स्थानों में यातायात का नियंत्रण किया गया।

सन् १६१६ ई० के सुधार ने पुरातत्त्व को केन्द्रीय विषय बना दिया और तब से अभी तक यह उसी रूप में है। अबतक के पुरातात्त्विक सर्वेक्षण से यह समझा जाता था कि सभ्यता के इतिहास का प्रारम्भ आर्य-सभ्यता से ही होता है तथा मौर्यकाल से पूर्व किसी प्रकार बुद्ध-काल तक की पुरातात्त्विक सामग्री प्राप्त की जा सकती है। किन्तु, सन् १६२४ ई० में जब हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो की खुदाई की गई, तब भारतीय इतिहास की प्रकाश-किरणें ईसा से पाँच हजार वर्ष पूर्व तक जा पहुँचीं।

अगस्त, १६४७ ई० में स्वाधीनता-प्राप्ति और भारत विभाजन के पश्चात् सिन्धु-घाटी के कांठे और गान्धार-क्षेत्र के भारत से निकल जाने तथा देशी रियासतों के भारतीय संघ में मिल जाने पर देशी रजवाड़ों की एक लाख साठ हजार वर्गमील भूमि इस विभाग के अधिकार में आ जाने के कारण इस विभाग का पुनस्संगठन करना पड़ा। विभाजन के पश्चात् इस विभाग का नाम 'भारत का पुरातात्त्विक सर्वेक्षण' से बदलकर 'पुरातत्त्व-विभाग' कर दिया गया, जो अबतक प्रचलित है।

**प्रशासन**—'पुरातत्त्व-विभाग' के केन्द्र राज्यों के अनुसार नहीं हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए सम्पूर्ण देश को दस केन्द्रों या मण्डलों में विभक्त कर दिया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्र की पुरातात्त्विक सामग्री की देख-रेख और व्यवस्था करते हैं। इन मण्डलों में एक अवर निर्देशक और उनके सहायक रहते हैं। ये मण्डल निम्नलिखित हैं—(१) उत्तरीय मण्डल, आगरा; (२) मध्य-पूर्वीय मण्डल, पटना; (३) पूर्वीय मण्डल, कलकत्ता; (४) दक्षिण पूर्वीय मण्डल, विशाखापत्तनम्; (५) दक्षिणीय मण्डल, मद्रास; (६) दक्षिण-पश्चिमीय मण्डल, औरंगाबाद; (७) पश्चिमीय मण्डल, बड़ौदा; (८) मध्य मण्डल, भोपाल और (६) उत्तर-पश्चिमीय मंडल, दिल्ली (१०) जम्मू और कश्मीर-मण्डल। इसकी एक केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति है, जिसके, भारतीय संसद्, भारत के विभिन्न राज्यों एवं विद्वत्परिषदों (वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक) के प्रतिनिधि और केन्द्रीय पुरातत्त्व-विभाग के अधिकारी सदस्य होते हैं।

पुरातत्त्व-विभाग के प्रधान अधिकारी प्रधान निर्देशक होते हैं। यह विभाग देश के राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। साथ ही, यह ऐतिहासिक शोधों एवं पुरातात्त्विक उत्खनन का कार्य भी करता है। यह विभाग ऐतिहासिक शोध एवं उत्खनन के कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संस्थाओं को भी सहायता देता है। नये अधिनियम के अनुसार १० राज्यों में पुरातत्त्व-विभाग खोले गये हैं।

देश के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण स्मारक में प्रवेश के लिए सरकार ने प्रति व्यक्ति २० नये पैसे प्रवेश-शुल्क निर्धारित कर दिया है। यह शुल्क १५ वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं लगता। देश के कुछ प्रमुख स्मारक ये हैं—हैदराबाद की चार मीनार (आन्ध्रप्रदेश); बिहार के कुम्हरार (पटना) का मौर्य-राजप्रासाद का स्थल और नालन्दा का बौद्ध विहार; महाराष्ट्र की अजन्ता की गुफाएँ; एलिफेंटा की गुफाएँ और कार्ली की गुफाएँ, दिल्ली का लाल किला और कुतुबमीनार; मध्य-प्रदेश के खजुराहो के मन्दिर, बाग की बौद्ध गुफाएँ और साँची के बौद्धस्तूप; मद्रास-राज्य का गिंजी किला (राजगिरि तथा कृष्णागिरी पहाड़ियों के स्मारक-समेत); बीजापुर का गोल-गुंबज; सेरिंगपत्तम् का दरिया दौलतबाग; उत्तर-प्रदेश का आगरा का किला; सिकन्दरा का अकबर का मकबरा और लखनऊ की रेजीडेंसी बिल्डिंग। केन्द्रीय सरकारी सूची में १,१०० प्राचीन स्मारक हैं तथा इसमें समय-समय पर नये स्मारकों के नाम जोड़े जाते हैं।

**संरक्षण**—प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व के स्थानों एवं ध्वंसावशेषों के संरक्षण के लिए सन् १६५८ ई० में एक अधिनियम बनाया गया, जो १५ अक्तूबर से लागू हुआ। इसके अनुसार (१) संरक्षित स्मारकों को नष्ट करना, हटाना; विकृत करना या दुरुपयोग करना अपराध माना गया; (२) प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई; (३) केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के बिना प्राचीन स्थानों के स्वामी आदि व्यक्तियों को उस स्थान पर भवन बनाकर, उसे खोदकर, काटकर या अन्य विध्वंसकारी कार्यों द्वारा नष्ट करने से रोका गया तथा (४) ऐतिहासिक और पुरातत्त्व-संबंधी स्थानों को अनिवार्य रूप से अधिकार में करने की व्यवस्था की गई।

**पुरातत्त्व-विषयक शोध**—इस विभाग के कार्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं : एक तो संरक्षण, दूसरा शोध एवं अन्वेषण। इसकी चार शाखाएँ हैं—उत्खनन-शाखा, पुरालेख-शाखा, संग्रहालय-शाखा और रसायन-शाखा। इनके परिचय नीचे दिये जा रहे हैं—

**(१) उत्खनन-शाखा**—इस शाखा का कार्य सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ है। इसके कार्यों के फलस्वरूप बहुत-से पुरातात्त्विक स्थानों मन्दिरों, पुरालेखों, मूर्त्तियों, ध्वंसावशेषों और कंकालों का पता लग सका है।

**(२) पुरालेख-शाखा**—इस शाखा का कार्य भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त पुरालेखों का शोध और संग्रह करना है। भारत में प्राचीन पुरालेख हजारों की संख्या में पाये गये हैं। यहाँ के पुरालेख मुख्यतः ताम्रपत्रों और शिलालेखों के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त मुद्रालेख भी प्रचुर परिमाण में मिले हैं।

**(३) संग्रहालय-शाखा**—पुरातत्त्व-विभाग में संग्रहालय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। समग्र देश में पुरातत्त्व-सम्बन्धी कार्यों की प्रगति एवं विस्तार के फलस्वरूप अनेक स्थानों में उत्खनन-कार्य हुए, जिससे देश में बहुत-से संग्रहालय स्थापित हुए हैं।

**(४) रसायन-शाखा**—पुरातत्त्व-विभाग में इस शाखा की स्थापना सर्वप्रथम १६१७ ई० में हुई। इस शाखा का मुख्य कार्य है—रासायनिक प्रयोग द्वारा संग्रहालय की एवं अन्य पुरातात्त्विक वस्तुओं की सुरक्षा करना। यह विभाग प्राप्त वस्तुओं की रासायनिक परीक्षा एवं वैज्ञानिक विश्लेषण करता है।

**पुरातत्त्व-विद्यालय**—दिल्ली में १५ अक्टूबर, १६५६ ई० को एक पुरातत्त्व-विद्यालय की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को पुरातत्त्व-सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान देकर उन्हें पुरातत्त्व-सम्बन्धी कार्य के लिए निपुण बनाना है। यहाँ के पाठ्य-क्रम की अवधि २० महीनों की है और इसके अंत में परीक्षा लेकर छात्रों को डिप्लोमा दिया जाता है।

**प्रकाशन**—पुरातत्त्व-विभाग ने अपने विभागीय शोधों और उत्खननों के विवरणों को पुस्तक-रूप में प्रकाशित किया है। 'आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' नाम से प्रकाशित इस विभाग के शोध-विवरण इतिहास-प्रेमियों और ऐतिहासिक अनुशीलन करनेवालों के लिए विशेष उपादेय सिद्ध हुए हैं। इस विभाग ने 'एन्शियेएट इंडिया' नाम से अपने १२ बुलेटिन और गाइड भी प्रकाशित किये हैं। इसके प्रकाशन में 'एपिग्राफिया इंडिका', 'कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकारम्' आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

ऐतिहासिक अभिलेख-आयोग—भारत-सरकार ने एक विधेयक द्वारा सन् १९१९ ई० में इस आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग में वे विद्वान् और संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, जो ऐतिहासिक अनुशीलन, ऐतिहासिक हस्त-लेखों और अभिलेखों के अध्ययन में संलग्न हैं। इस आयोग के अध्यक्ष पदेन शिक्षा-मंत्री और सचिव 'नेशनल आर्चिव्स' के निर्देशक हुआ करते हैं।

## पुरातत्त्व की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

१७८४ ई० में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई।

१८६२ ई० में 'आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' नामक राजकीय संस्था कायम हुई।

१८७२ ई० में 'इण्डियन एण्टिक्वेरी' का प्रकाशन आरम्भ हुआ।

१८६७ ई० में 'कार्पस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकारम्' नामक ग्रन्थ का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ, जिसमें अशोक और उसके पोते के शिलालेखों की अविकल प्रतिलिपि और उनका अनुवाद प्रकाशित हुआ।

१८७८ ई० में प्राचीन वस्तुओं का नाश करनेवालों के प्रतिरोधक के लिए 'ट्रेजस्ट्रोव ऐक्ट' स्वीकृत हुआ।

१९०४ ई० में प्राचीन अवशेषों के संरक्षण के लिए 'एन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट' पास हुआ।

१९४५ ई० में 'सेण्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ऑर्कियोलॉजी' का निर्माण हुआ।

१९४८ ई० में 'अर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' का नाम 'डिपार्टमेण्ट ऑफ आर्कियोलॉजी' रखा गया।

१९४९ ई० में नई दिल्ली में 'नेशनल म्यूजियम' और 'आर्कियोलॉजिकल स्कूल' का उद्घाटन हुआ।

१९५८ ई० में 'ऐन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स ऐंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऐण्ड रिमेन्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट' पास हुआ।

१९५९ ई० में १५ अक्टूबर को नई दिल्ली में एक पुरातत्त्व-विद्यालय की स्थापना हुई।

१९६२ ई० में पुरातत्त्व-विभाग का शताब्दी-महोत्सव मनाया गया।

## संग्रहालय

संग्रहालय या म्यूजियम पुरातत्त्व-विभाग की ही एक शाखा है। इसमें शोध और उत्खनन से प्राप्त एवं दूसरे पुरातत्त्वविषयक अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, मूर्त्ति, मृत्खंड आदि वस्तुएँ संगृहीत और संरक्षित की जाती हैं। सबसे पहला म्यूजियम 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' ने १८१४ ई० में स्थापित किया था, जो कालान्तर में 'इण्डियन म्यूजियम' कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात् प्रायः भारत के प्रत्येक प्रदेश में म्यूजियम स्थापित हुए। सन् १८७८ ई० में सर्वप्रथम 'क्यूरेटर ऑफ एन्शियेण्ट मानुमेण्ट्स' के एक केन्द्रीय पद का निर्माण किया गया।

सन् १९४५ ई० में पुरातत्त्व-विभाग के जिम्मे भारत-भर के संग्रहालयों की देखरेख का कार्य आ गया। इस समय भारत में लगभग १०० म्यूजियम हैं, जिनमें ईसा-पूर्व पाँच हजार वर्ष से ब्रिटिश शासन-काल की पुरातत्त्व एवं इतिहास से सम्बद्ध बहुत-सी सामग्री ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन में सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता होने पर भी अवतक भारत-सरकार उन वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर सकी है। बहुत-सी सामग्री देश-विभाजन होने पर पाकिस्तान के म्यूजियमों में पड़ी रह गई है।

इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में प्रमुख म्यूजियम निम्नलिखित हैं—

### पश्चिम बंगाल

१. इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता।
२. आशुतोष म्यूजियम, कलकत्ता-विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
३. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता।
४. गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल म्यूजियम, कलकत्ता।
५. वंगीय साहित्य-परिषद्-म्यूजियम, कलकत्ता।
६. कॉमर्शियल म्यूजियम, कलकत्ता।
७. म्युनिसिपल म्यूजियम, कलकत्ता।
८. एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम, कलकत्ता।
९. शिवपुर बोटानिकल गार्डेन हर्बेरियन, शिवपुर, हवड़ा।
१०. नेचुरल हिस्टोरिकल म्यूजियम, दार्जिलिंग।
११. बी० आर० सेन म्यूजियम, मालदह।
१२. रवीन्द्र सदन (टैगोर-म्यूजियम) शान्ति-निकेतन।

### बिहार

१३. पटना म्यूजियम, पटना।
१४. राधाकृष्ण जालान-म्यूजियम, पटना सिटी।
१५. नालन्दा म्यूजियम, नालन्दा (पटना)।
१६. वैशाली म्यूजियम, वैशाली (मुजफ्फरपुर)।
१७. बोधगया म्यूजियम, बोधगया।
१८. चन्द्रधारी-संग्रहालय, दरभंगा।
१९. गया म्यूजियम, गया।

### उत्तरप्रदेश

२०. सारनाथ म्यूजियम, सारनाथ (बनारस)।
२१. भारत कलाभवन, काशी।
२२. म्युनिसिपल म्यूजियम, प्रयाग।
२३. स्टेट म्यूजियम, लखनऊ।
२४. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, मथुरा।
२५. ताज म्यूजियम, आगरा।

२६. फैजाबाद म्यूजियम, फैजाबाद ।
२७. गुरुकुल कॉंगड़ी म्यूजियम, कॉंगड़ी, हरद्वार ।
२८. कौसाम्बी संग्रहालय (प्रयाग) ।
२९. महात्मा गांधी हिन्दी-संग्रहालय, कालपी ।

## दिल्ली

३०. नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली ।
३१. सेण्ट्रल एशियन एंटिक्विटीज म्यूजियम, नई दिल्ली ।
३२. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, लाल किला, दिल्ली ।
३३. वार मेमोरियल म्यूजियम, नई दिल्ली ।
३४. गांधी-स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली ।
३५. नेशनल गैलरी ऑफ मार्डन आर्ट, नई दिल्ली ।
३६. नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ।

## पंजाब

३७. सेण्ट्रल सिख म्यूजियम, अमृतसर ।
३८. प्रान्तीय म्यूजियम, पटियाला ।
३९. स्टेट म्यूजियम, चंडीगढ़ (पंजाब) ।

## हिमाचल-प्रदेश

४०. राजकीय संग्रहालय, शिमला ।
४१. भूरीसिंह म्यूजियम, चंबा ।

## राजस्थान

४२. सेण्ट्रल म्यूजियम, जयपुर ।
४३. विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, उदयपुर ।
४४. सरदार म्यूजियम, जोधपुर ।
४५. राजपुताना म्यूजियम, अजमेर ।
४६. गंगा गोल्डेन जुबिली म्यूजियम, बीकानेर ।
४७. गवर्नमेंट म्यूजियम, अलवर ।
४८. अंबर म्यूजियम, आमेर, जयपुर ।
४९. स्टेट म्यूजियम, भरतपुर ।
५०. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, झालावार ।
५१. म्यूजियम ऐंड सरस्वती भंडार, कोटा ।
५२. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, अम्बर ।
५३. एन० एस० पी० एच० म्यूजियम, बुन्दी ।
५४. चोतूराम म्यूजियम, संगरिया ।
५५. सीकर म्यूजियम, सीकर ।

## मध्य-प्रदेश

५६. सेण्ट्रल म्यूजियम, भोपाल ।
५७. अमरावती म्यूजियम, अमरावती ।
५८. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, धार ।
५९. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ग्वालियर ।
६०. स्टेट म्यूजियम, ग्वालियर ।
६१. सेण्ट्रल म्यूजियम, इन्दौर ।
६२. महन्त घासीदास म्यूजियम, रायपुर ।
६३. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, खजूराहो ।
६४. दिगम्बर जैन म्यूजियम, सोनागीर ।
६५. स्टेट म्यूजियम, नौगाँव ।
६६. विदिशा म्यूजियम, विदिशा ।
६७. म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी, सांची ।
६८. सागर-विश्वविद्यालय-पुरातत्त्व-संग्रहालय, सागर ।

## गुजरात

६९. म्युनिसिपल म्यूजियम, अहमदाबाद ।
७०. जूनागढ़-म्यूजियम, जूनागढ़ ।
७१. कच्छ-म्यूजियम, भुज ।
७२. जामनगर म्यूजियम, जामनगर ।
७३. सर प्रतापसिंह म्यूजियम, भावनगर ।
७४. बड़ौदा म्यूजियम, बड़ौदा ।
७५. लोयल म्यूजियम, लोयल ।

## महाराष्ट्र

७६. प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई ।
७७. सेंटजेवियर कॉलेज-म्यूजियम, बम्बई ।
७८. भारतीय विद्याभवन-म्यूजियम, बम्बई ।
७९. विक्टोरिया ऐण्ड अलबर्ट म्यूजियम, बम्बई ।
८०. कोल्हापुर म्यूजियम, कोल्हापुर ।
८१. हिस्टोरिकल म्यूजियम, सतारा ।
८२. भारत इतिहास-संशोधक-मंडल, पूना ।
८३. सेण्ट्रल म्यूजियम, नागपुर ।
८४. श्रीभवानी म्यूजियम, औंध ।
८५. गांधी-स्मारक संग्रहालय, सेवाग्राम, वर्धा ।

## मैसूर

८६. गवर्नमेंट म्यूजियम, बंगलोर ।
८७. महात्मा गांधी-म्यूजियम, मंगलोर ।

१२०. वेलखंडी म्यूजियम, वेलखंडी।

१२१. खिचिंग म्यूजियम, खिचिंग, (मयूरभंज)।

### आसाम

१२२. गौहाटी म्यूजियम, गौहाटी, आसाम।

### जम्मू और कश्मीर

१२३. डोगरा आर्ट गैलरी, जम्मू।

१२४. एस० पी० एस० गवर्नमेंट म्यूजियम, श्रीनगर।

# सम्मान और पुरस्कार

## भारतरत्न

भारत-सरकार द्वारा सम्मानार्थ दी हुई यह श्रेष्ठतम उपाधि है। यह सम्मान कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए किये गये असाधारण कार्य और सर्वोत्कृष्ट देश-सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इस सम्मान का सूचना-पदक, पीपल के पत्तों के आकार का होता है, जो २ ५/१६ इंच लम्बा १ ७/८ इंच चौड़ा और १/८ इंच मोटा रहता है। यह ठोस काँसे का बना होता है। इसके ऊपरी भाग से सूर्य की उभरी हुई आकृति होती है, जिसके नीचे उभरे हुए हिन्दी-अक्षरों में 'भारतरत्न' लिखा होता है। इसके पिछले भाग पर राजचिह्न और हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होते हैं। सूर्य की आकृति, राजचिह्न और चारों ओर का किनारा प्लैटिनम का होता है और 'भारतरत्न' के अक्षर चमकीले काँसे के होते हैं।

अबतक यह निम्नांकित व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है—

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
डॉ० राधाकृष्णन्
डॉ० सी० वी० रमण
डॉ० भगवानदास
डॉ० एम्० विश्वेश्वरैया
पं० जवाहरलाल नेहरू
पं० गोविन्दवल्लभ पन्त
डॉ० डी० के० कर्वे
श्री के० आर० आई० दोराइस्वामी
श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन
डॉ० विधानचन्द्र राय
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

८८. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, बीजापुर ।
८९. कन्नड रिसर्च इंस्टिच्यूट म्यूजियम, धारवार ।
९०. आर्कियोलॉजिकल, म्यूजियम, हाम्पी ।

केरल

९१. म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज, पद्मनाभपुरम् ।
९२. इंडोनेशियन गैलेरी एण्ड म्यूजियम ऑफ ईस्टर्न आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, त्रिवेन्द्रम् ।
९३. स्टेट म्यूजियम, त्रिचूर, कोचीन ।
९४. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, त्रिचूर ।
९५. स्टेट म्यूजियम, त्रिचुर ।
९६. गवर्नमेंट म्यूजियम, त्रिवेन्द्रम् ।
९७. श्रीचित्रालयम्, त्रिवेन्द्रम् ।

मद्रास

९८. गवर्नमेंट म्यूजियम, मद्रास ।
९९. फोर्ट जार्जसेंट म्यूजियम, मद्रास ।
१००. गांधी-स्मारक संग्रहालय, मदुराई ।
१०१. मीनाक्षी-मंदिर संग्रहालय, मदुराई ।
१०२. श्रीरंगनाथ स्वामी देवस्थान म्यूजियम, श्रीरंगम् ।
१०३. गवर्नमेंट म्यूजियम, पद्दुकोट्टाई ।
१०४. तंजोर-कलामंदिर-संग्रहालय, तंजोर ।

आन्ध्र

१०५. सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद ।
१०६. मस्किस साइट म्यूजियम, हैदराबाद ।
१०७. कोंडपुर साइट म्यूजियम, हैदराबाद ।
१०८. हैदराबाद म्यूजियम, हैदराबाद ।
१०९. विक्टोरिया जुबिली म्यूजियम, विजयवाडा ।
११०. आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, बीजापुर ।
१११. अमरावती संग्रहालय ।
११२. श्रीवेङ्कटेश्वर संग्रहालय ।
११३. मदन्नापल्ल संग्रहालय ।
११४. आलमपुर संग्रहालय ।
११५. नागार्जुन कोंडा पुरातत्त्व-संग्रहालय ।
११६. आंध्र ऐतिहासिक अनुसन्धान-समिति संग्रहालय, राजामुन्द्री ।
११७. श्रीवेंकटेश्वर-संग्रहालय, तिरुपति ।

उड़ीसा

११८. स्टेट म्यूजियम, भुवनेश्वर ।
११९. बारीपद-म्यूजियम, बारीपद ।

१२०. वेलखंडी म्यूजियम, वेलखंडी ।

१२१. खिचिंग म्यूजियम, खिचिंग, (मयूरभंज) ।

### आसाम

१२२. गौहाटी म्यूजियम, गौहाटी, आसाम ।

### जम्मू और कश्मीर

१२३. डोगरा आर्ट गैलरी, जम्मू ।

१२४. एस० बी० एस० गवर्नमेंट म्यूजियम, श्रीनगर ।

# सम्मान और पुरस्कार

## भारतरत्न

भारत-सरकार द्वारा सम्मानार्थ दी हुई यह श्रेष्ठतम उपाधि है। यह सम्मान कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए किये गये असाधारण कार्य और सर्वोत्कृष्ट देश-सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इस सम्मान का सूचना-पदक, पीपल के पत्तों के आकार का होता है, जो २ ५/१६ इंच लम्बा १ ७/८ इंच चौड़ा और १/८ इंच मोटा रहता है। यह ठोस काँसे का बना होता है। इसके ऊपरी भाग से सूर्य की उभरी हुई आकृति होती है, जिसके नीचे उभरे हुए हिन्दी-अक्षरों में 'भारतरत्न' लिखा होता है। इसके पिछले भाग पर राजचिह्न और हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होते हैं। सूर्य की आकृति, राजचिह्न और चारों ओर का किनारा प्लैटिनम का होता है और 'भारतरत्न' के अक्षर चमकीले काँसे के होते हैं।

अबतक यह निम्नांकित व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है—

चक्रवर्त्ती राजगोपालाचारी
डॉ० राधाकृष्णन्
डॉ० सी० वी० रमण
डॉ० भगवानदास
डॉ० एम्० विश्वेश्वरैया
पं० जवाहरलाल नेहरू
पं० गोविन्दवल्लभ पन्त
डॉ० डी० के० कर्वे
श्री के० आर० आई० दोराइस्वामी
श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन
डॉ० विधानचन्द्र राय
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

## पद्मविभूषण

यह सम्मान असामान्य और विशिष्ट सेवा करनेवाले व्यक्तियों को, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, दिया जाता है।

इस सम्मान का सूचक पदक गोल आकार का होता है, जिसपर एक ज्यामितिक आकार उभरा हुआ होता है। इसके गोलाकार भाग का व्यास १$\frac{3}{4}$ इंच होता है और मोटाई $\frac{1}{8}$ इंच। ऊपर के भाग के गोल हिस्से में कमल का पुष्प उभरा हुआ होता है। पुष्प के ऊपर 'पद्म' और नीचे 'विभूषण' शब्द हिन्दी में उभरे हुए होते हैं। पिछली ओर राजचिह्न और हिन्दी में सूक्ति होती है। ये भी ठोस काँसे के होते हैं। सन् १९६२ ई० में तीन व्यक्तियों को यह सम्मान प्रदान किया गया—श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, कुमारी पद्मजा नायडू और श्रीहरभुवरदराज आयंगर ( रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के भूतपूर्व गवर्नर )।

## पद्मभूषण

यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी भी इसके पाने के अधिकारी हैं।

इसकी बनावट भी 'पद्मविभूषण' के पदक-जैसी ही है। उपरले भाग में 'पद्म' शब्द कमल के पुष्प के ऊपर और 'भूषण' शब्द पुष्प के नीचे उभरे होते हैं। इसका घेरा 'पद्मभूषण' के अक्षर और दोनों ओर के ज्यामितिक आकार के चमकीले काँसे के होते हैं। दोनों ओर का उभरा हुआ भाग 'स्टैण्डर्ड सोने' का होता है।

सन् १९६२ ई० में यह उपाधि निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान की गई है—श्रीआसफ अली असगर फैजी, जम्मू और कश्मीर-विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति; श्रीउस्ताद बड़े गुलाम अली खाँ, संगीतज्ञ; डॉ० दौलत सिंह कोठारी, युनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन के अध्यक्ष; डॉ० दुखन राम, नेत्ररोग-विशेषज्ञ, पटना; श्रीगणेशचन्द्र चटर्जी, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष; श्रीमिर्जा जाफर अली खाँ (आसार लखनवी), उर्दू कवि; डॉ० जाल आर० पटेल, बम्बई के चिकित्सक; कर्नल सीताराम राव, शल्य-चिकित्सक, नई दिल्ली; श्रीमती मिथन जे० लाम, अध्यक्षा, अखिलभारतीय महिला-परिषद्; श्रीमोतुरी सत्यनारायण, संसद्-सदस्य; श्रीनारायण सीताराम फडके, मराठी-उपन्यासकार; श्रीनियाज मुहम्मद खाँ (नियाज फतहपुरी), उर्दू-कवि; डॉ० प्रेमचन्द्र टण्डन, चिकित्सक, नई दिल्ली; डॉ० राधाकमल मुखर्जी, अर्थशास्त्री; श्रीराजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, हिन्दी के उपन्यासकार ( बिहार ); डॉ० रघुनाथशरण, चिकित्सक, पटना; कर्नल रामस्वामी दुराइस्वामी अय्यर, चिकित्सक, नई दिल्ली; डॉ० रामचन्द्र नारायण दाण्डेकर, प्राध्यापक, संस्कृत, पूना-विश्वविद्यालय; डॉ० संतोषकुमार सेन, शल्य-चिकित्सक, नई दिल्ली; श्रीमती डॉ० सुन्दरम् रामचन्द्रन, सामाजिक कार्यकर्त्री, मदुराई; डॉ० शिशिरकुमार मित्र, प्राध्यापक, कलकत्ता-विश्वविद्यालय; श्रीसीताराम सेक्सरिया, सामाजिक कार्यकर्त्ता, कलकत्ता; कर्नल सुधांशुशोभन मैत्र, राष्ट्रपति के शल्य-चिकित्सक, नई दिल्ली; श्रीसुधीन्द्रनाथ मुखर्जी, सचिव, राज्य-सभा; श्रीमती ताराबाई मोदक, सामाजिक कार्यकर्त्री, महाराष्ट्र; श्रीत्रिलोक सिंह, अवर सचिव, आयोजना-आयोग; डॉ० वेंकट रामाराघवन प्राध्यापक, संस्कृत, मद्रास-विश्वविद्यालय।

## पद्मश्री

यह सम्मान भी किसी व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी क्यों न हो, किसी भी असामान्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इसका नाम उपरले भाग में उभरे हुए हिन्दी के अक्षरों में लिखा होता है। 'पद्म' शब्द कमल के पुष्प के ऊपर और 'श्री' शब्द नीचे लिखा रहता है। इसका घेरा, दोनों ओर के ज्यामितिक आकार और 'पद्मश्री' के अक्षर चमकीले काँसे के होते हैं। दोनों ओर का उभरा हुआ काम स्टेनलेस इस्पात का होता है।

सन् १९६२ ई० में यह उपाधि निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान की गई है—श्रीअमलानन्द घोष, महानिदेशक, पुरातत्त्व-विभाग; श्रीअशोककुमार गांगुली, सिने-कलाकार, बम्बई; श्रीविष्णुपद मुखर्जी, महानिदेशक, ड्रग-रिसर्च इन्स्टीट्यूट; मदर बोजाक्जिउ मेरी टेरेसा, सामाजिक कार्यकर्त्री, कलकत्ता; श्रीचल्ला-गल्ला नरसिंहम्, सचिव, आंध्रप्रदेश; श्रीचन्ना पतना कृष्णप्पा वेंकट रामय्या, कन्नड-विद्वान्; श्रीदुलाभाया काग, लोक-कवि, गुजराती; श्रीगोष्ठविहारी पाल, फुटबॉल के खेलाड़ी; श्रीजॉसेफ दुराईराज, इंजीनियर; श्रीनारी जे० कण्ट्रैक्टर, क्रिकेट-खिलाडी; श्रीनटेसन गणपति गल रामस्वामी अय्यर, सामाजिक कार्यकर्त्ता, मद्रास; डॉ० कृष्णराव एस० म्हस्कर, सामाजिक कार्यकर्त्ता; श्रीनथी सिंह, कृषक उत्तरप्रदेश; श्री पी० आर० उमरीगर, क्रिकेट-खिलाड़ी; श्रीरामनाथन कृष्णन, टेनिस-खिलाडी; डॉ० संतोषकुमार मुखर्जी, चिकित्सक, मध्यप्रदेश; सन्तू जौहरमल साहनी, डायरेक्टर जेनरल, ऑर्डनेन्स फैक्टरीज, कलकत्ता; मेजर जेनरल शारदानन्द सिंह, जेनरल मैनेजर, गोहाटी रिफाइनरी प्रोजेक्ट; श्रीशान्तिकुमार त्रिभुवनदास राजा, मैनेजिंग डायरेक्टर, हिन्दुस्तान ऐण्टी-बायोटिक्स लि०, पिम्परी; श्रीश्रीधर शर्मा वैद्य; श्रीसोची राउत राय, उड़िया-लेखक; श्रीसोनम ग्यात्सो, पर्वतारोही, गंगटोक; श्रीताराशंकर वन्द्योपाध्याय, बँगला-लेखक; श्रीवेल्लोर पोन्नुरंगम् अप्पादुराई, चीफ इंजीनियर, विद्युत्, मद्रास-सरकार; श्रीवेंकटेश रामचन्द्र वज्रमुष्टी, रेलवे-इंजीनियर, कलकत्ता।

## वीरता के लिए पुरस्कार

वीरता के लिए भारत-सरकार की ओर से सम्मानार्थ प्रतिवर्ष परम वीरचक्र, महावीर-चक्र और वीरचक्र दिये गये हैं। फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय—इन तीनों श्रेणियों के अशोकचक्र हैं। उपयुक्त पात्रों के नहीं मिलने पर ये पदक नहीं भी दिये जाते हैं।

परम वीरचक्र—वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान का सूचक 'परम वीरचक्र' पदक है, जो स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्म-बलिदान के लिए भेंट किया जाता है। सन् १९६२ ई० में यह पदक कैप्टेन गुरुबचन सिंह सलारिया, गोरखा-राइफल्स को मिला। 'परम वीरचक्र' काँसे का बना हुआ तथा वृत्ताकार होता है। इसके मुख-भाग के मध्य में राजचिह्न के चारों ओर 'इन्द्र के वज्र' की चार प्रतिकृतियाँ उत्कीर्ण होती हैं और पृष्ठ-भाग पर मध्य में दो कमल-पुष्प तथा हिन्दी और अँगरेजी में 'परम वीरचक्र' शब्द अंकित रहते हैं। यह पदक सवा इंच चौड़ी गुलाबी पट्टी के साथ वाम पक्ष पर लगाया जाता है। यह पदक सन् १९६२ ई० में कैप्टेन गुरुबचन सिंह सलारिया को दिया गया है।

**महावीर-चक्र**—'महावीर-चक्र' का स्थान सम्मान की दृष्टि से दूसरा है और यह स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य-प्रदर्शन के लिए भेंट किया जाता है। 'महावीर-चक्र' प्रामाणिक चाँदी का तथा वृत्ताकार होता है और इसके मुख-भाग पर एक पंचकोण नक्षत्र उत्कीर्ण होता है, जिसके गुम्बदाकार मध्य भाग में स्वर्ण-मण्डित राजचिह्न की उभरी हुई आकृति रहती है। पदक के पृष्ठ-भाग पर मध्य में दो कमल-पुष्प तथा हिन्दी और अँगरेजी में 'महावीर-चक' शब्द उत्कीर्ण होते हैं। यह पदक सवा इंच चौड़ी सफेद और नारंगी रंग की पट्टी के साथ वाम पक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी पट्टी बायें कन्धे की ओर रहे। यह पदक सन् १९६२ ई० में किसी को नहीं मिला।

**वीरचक्र**—'वीरचक्र' का स्थान स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख शौर्य-प्रदर्शन के लिए दिये जानेवाले पदकों में तीसरा है। 'वीरचक्र' चाँदी का तथा वृत्ताकार होता है। इसके मुख-भाग पर एक पंचकोण नक्षत्र होता है, जिसके मध्य में अशोकचक्र अंकित रहता है। अशोकचक्र के गुम्बदाकार मध्य भाग पर स्वर्णमण्डित राजचिह्न अंकित होता है। पदक के पृष्ठ-भाग पर मध्य में दो कमल-पुष्प तथा हिन्दी और अँगरेजी में 'वीरचक्र' शब्द उत्कीर्ण रहते हैं।

यह चक्र सवा इंच चौड़ी नीली और नारंगी रंग की पट्टी के साथ वाम पक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी रंग की पट्टी बायें कन्धे की ओर रहे। सन् १९६२ ई० में यह पदक किसीको नहीं मिला।

**अशोकचक्र, श्रेणी १**—यह पदक स्थल, जल अथवा आकाश में असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्म-बलिदान के लिए भेंट किया जाता है। यह पदक सोने से मढ़ा हुआ तथा वृत्ताकार होता है और इसके मुख-भाग पर कमल-माल से घिरा हुआ अशोकचक्र उत्कीर्ण होता है। पदक के किनारे-किनारे कमल की पंखुड़ियों, पुष्पों और कलियों की आकृतियाँ बनी रहती हैं। पृष्ठ-भाग पर हिन्दी तथा अँगरेजी में 'अशोकचक्र' शब्द उत्कीर्ण रहते हैं, जिनके मध्य का स्थान कमल-पुष्पों से सुशोभित रहता है।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिसके मध्य में उसको दो समान भागों में विभक्त करनेवाली एक खड़ी नारंगी रेखा होती है, वाम वक्ष पर लगाया जाता है। सन् १९६२ ई० में यह पदक कैप्टेन मानबहादुर राय और सूबेदार मेजर खड्गबहादुर लिम्बो (मृत्यु के बाद) को दिया गया।

**अशोकचक्र, श्रेणी २**—यह गोलाकार रजत पदक असीम शौर्य-प्रदर्शन के लिए भेंट किया जाता है। इसके दोनों ओर ठीक उसी प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, जैसी 'अशोकचक्र, श्रेणी १' की। यह चक्र सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ; जिसपर तीन बराबर भागों में विभक्त करनेवाली दो खड़ी नारंगी रेखाएँ होती हैं, वाम पक्ष पर लगाया जाता है। सन् १९६२ ई० में यह पदक निम्नांकित व्यक्तियों को दिया गया—

(१) फील्ड-लेफ्टिनेंट बालकृष्ण देशोअरेस, (२) फील्ड-लेफ्टिनेंट राजकुमार मेहता (मरणोपरान्त); (३) फील्ड-अफसर वैद्यनाथन् गणेशन् (मरणोपरान्त); (४) सूबेदार मंगलबहादुर लिम्बो; (५) जमादार दलबहादुर थापा और (६) जमादार दलबहादुर राणा।

अशोकचक्र, श्रेणी ३—यह पदक वीरतापूर्ण कार्यों के लिए भेंट किया जाता है। काँसे के बने होने के अतिरिक्त यह पदक 'अशोकचक्र, श्रेणी १ तथा २' जैसा ही होता है। यह पदक सवा इंच चौड़ी दो रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिसपर चार बराबर भागों में विभक्त करनेवाली तीन खड़ी नारंगी रेखाएँ होती हैं, वाम पक्ष पर लगाया जाता है। सन् १९६२ ई० में यह पदक निम्नांकित व्यक्तियों को दिया गया—

श्रीजगदीशलाल, भूतपूर्व मेजर ( अब कप्तान ); बलवन्तसिंह, लांस-नायक कालू राय, (मरणोपरान्त); लांस-नायक अल्वाई डीक्रूज, लांस-नायक तीरथसिंह (मरणोपरान्त), सिपाही दारासिंह (मरणोपरान्त); नायक केहरसिंह डोमाइ; राइफलमैन बेवेला लुशाई; ले० कर्नल रॉबिन जॉसेफ सोलेमन; कैप्टेन भोलानाथ; जमादार भीमबहादुर गुरुंग; हवलदार नरबहादुर गुरुंग; नायक रामप्रसाद लिम्बो; ले० नायक रिसाल सिंह पठानिया; हवलदार गोपाल सिंह गुरुंगः राइफलमैन तारादत्त जैसी।

## राष्ट्रीय प्राध्यापक

सन् १९४९ ई० में भारत-सरकार ने राष्ट्रीय प्राध्यापकों के कुछ पद निर्माण किये। उन प्राध्यापकों को प्रतिमास २,५०० रुपये वेतन के रूप में इस उद्देश्य से दिये जाते हैं कि वे अनुसंधान-सम्बन्धी कार्यों में अपनी पूरी शक्ति और समय लगा सकें। उन्हें यह भी अधिकार है कि वे अपनी इच्छा से किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था में जाकर अनुसंधान-कार्य कर सकते हैं। सन् १९४९ से १९५९ ई० तक निम्नांकित व्यक्तियों को उक्त पद पर नियुक्त किया गया है—

१९४९ : डॉ० सी० वी० रमण,
१९५८ : श्री एस्० एन्० बोस, एफ्० आर० एस्०
१९५८ : डॉ० के० एस्० कृष्णन्
१९५९ : डॉ० राधाविनोद पाल ( राष्ट्रीय प्राध्यापक, न्याय-व्यवस्था )
डॉ० पी० वी० काणे ( राष्ट्रीय प्राध्यापक, भारतीय शास्त्र )

## विद्वानों को पुरस्कार

संस्कृत, फारसी तथा अरबी के प्रसिद्ध विद्वानों को सन् १९५८ ई० से प्रतिवर्ष सम्मान-प्रमाण-पत्र तथा १,५०० रुपये के वित्तीय अनुदान आजकल दिये जाते हैं। सन् १९५८ और १९५९ ई० में ये प्रमाण-पत्र तथा अनुदान निम्नांकित विद्वानों को दिये गये—

१९५८

संस्कृत—श्रीविधुशेखर भट्टाचार्य, श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, श्रीपाण्डुरंग वामन काणे और श्रीश्रीपाद कृष्णमूर्त्ति शास्त्री।

अरबी—मुहम्मद जुबैर सिद्दीकी।

१९५९

संस्कृत—डॉ० गोपीनाथ कविराज, पं० श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर, पण्डिराज फुरैलत्त पाम अतम्बापू शर्मा, श्रीउत्तमुर तिरुमलाई मल्लन, चक्रवर्त्ती वीरराघवाचार्य।

फारसी—डॉ० हादी हसन।

१९६०

संस्कृत—श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर, एन० सुब्रह्मण्य उपाध्याय अनन्तकृष्ण शास्त्री, कालीपद तर्काचार्य, काशी कृष्णाचार्य।

अरबी—मुस्तफ़ा हसन आलवी

१९६१

संस्कृत—श्रीकोलंगोडा पी० गोपालन नायर; श्रीदत्त वामन पोद्दार; पं० सुखलाल; संघजीवी महामहोपाध्याय हरिदास सिद्धान्तवागीश।

अरबी—डॉ० अब्दुस्सत्तार सिद्दिकी।

## साहित्य-अकादमी के पुरस्कार, १९६१

साहित्य-अकादमी की कार्य-समिति ने विभिन्न भाषाओं की निम्नलिखित पुस्तकों पर सन् १९६१ ई० के लिए उनके लेखकों को ५००० रु० के सम्मान-पुरस्कार दिये हैं—

असमिया—'ईयारुईंगम' : श्रीवीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य।

उड़िया—'अर्द्धशताब्दीर उड़ीसा ओ तान्हीरे मो स्थान' : श्रीगोदावरी मिश्र ( लेखक की मृत्यु के पश्चात् सन् १९५८ ई० में प्रकाशित रचना)

उर्दू—'दीवान-ए-गालिब' : श्रीइम्तियाज अली आरसी

कन्नड—'बंगाली कादम्बरीकार वंकिमचन्द्र' : श्री ए० आर० कृष्णाशास्त्री।

कश्मीरी—'नौरोज-ए-सबा' : श्रीरहमान 'राही'।

गुजराती—'कच्छनन् संस्कृति-दर्शन' : श्रीरामसिंहजी राठौर।

तमिल—'अगल विलाक्कू' : श्री एम० वरदराजन्।

तेलुगु—'आन्ध्र वागेयाकर चरित्रमु' : श्रीबालान्धरापु रजनीकंठ राव।

पंजाबी—'एक म्यान दो तलवारें' : श्रीनानक सिंह

बंगला—'भारतेर शक्ति-साधना ओ शाक्त-साहित्य' : डॉ० शशिभूषणदास गुप्त

मराठी—'डॉ० केतकर' : श्रीडी० एन० गोखले।

संस्कृत (हिन्दी में शोध)—'वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति' : महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी।

हिन्दी—'भूले-बिसरे चित्र' : श्रीभगवतीचरण वर्मा।

## सहित्य-अकादमी टैगोर-शताब्दी-पुरस्कार १०,००० रु०

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

श्रीअकुराती चालमाया

श्रीप्रभातकुमार मुखर्जी

श्रीपुलिनविहारी सेन

## ललित-कला-अकादमी के पुरस्कार, १९६२

चित्रकला

हिम्मतलाल शाह

अरुण बोस

एम० रेड्डेप्पा नायडू

ए० ए० रायबा

गुलाम मुहम्मद शेख

ए० पी० सन्थानाराज

अकबर पदम्सी

शिल्पकला

एस० धनपाल

इन्द्रजीत

## संगीत, नाटक अकादमी के पुरस्कार, १९६१-६२

संगीत—बड़े गुलाम अली खाँ (हिन्दुस्तानी कण्ठगीत)
पं० रविशंकर (हिन्दुस्तानी वाद्य—सितार)
श्रीमती डी० के० पट्टामल (कर्नाटक-कण्ठगीत)
श्री-टी० सुब्रह्मण्य पिल्लई (कर्नाटक वाद्य—नागस्वरम्)

नृत्य— श्रीमती मुथुरत्नाम्बल (भरतनाट्यम्)
श्री एम० एस० कल्याणपुरकर (कत्थक)

नाटक—श्री ई० अलकाजी (निर्देशन)
श्रीमती तृप्ति मित्र (बँगला-अभिनय)
श्री टी० के० सन्मुगम (तमिल-अभिनय)

# विभिन्न खेल-प्रतियोगिताएँ

## ओलिम्पिक

ओलिम्पिक खेलों का इतिहास बहुत प्राचीन है, पर इसका वृत्तान्त ई० पूर्व ७०६ से ३९२ ई० तक ही मिलता है। प्राचीन काल में यूनान के 'ओलिम्पस' पर्वत की विशाल घाटी में खेल-महोत्सव मनाया जाता था, अतः यह 'ओलिम्पिक' नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूनानी शब्द 'ओलिम्पियाड' का अर्थ चार वर्ष की अवधि होता है। यूनानी लोग प्राचीन काल में हर चार वर्ष पर यह पवित्र खेल-महोत्सव मनाते थे और यही परम्परा आजकल भी प्रचलित है।

ई० पू० १४६ तक ओलिम्पिक महोत्सव यूनान तक ही सीमित था। जब रोमनों ने यूनान पर कब्जा किया, तब वे भी इसमें भाग लेने लगे, पर वे खेल-सम्बन्धी आचार-संहिता का पालन नहीं करते थे, जिसकी शिकायतें यूनानी किया करते थे। गुस्से में आकर रोमनों ने क्रीडांगणों तथा प्रतियोगियों के निवासों को जला डाला और इस प्रकार ११०० वर्षों से आ रहा ओलिम्पिक-महोत्सव का सिलसिला ३९३ ई० में टूट गया।

वर्त्तमान विश्व-खेल-प्रतियोगिता को पुनर्जीवित करने का श्रेय फ्रांस के रईस पियरे-द-कुबेर्टी को है। ४ वर्षों के अथक परिश्रम के बाद सन् १८९६ ई० में प्रथम बार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ओलिम्पिक खेलों का आरम्भ हुआ।

ओलिम्पिक खेल-महोत्सव में यूनान के ओलिम्पिया शहर का अब भी महत्त्व बना हुआ है। इस पवित्र स्थान से ही ओलिम्पिक ज्योति प्रज्वलित कर आधुनिक ओलिम्पिक प्रतियोगिता-स्थल पर लाई जाती है। प्रतियोगिता-महोत्सव संसार के किसी स्थल में क्यों नहीं होता हो, ओलिम्पिक ज्योति की परिपाटी अटूट रूप से वर्त्तमान है। जल, थल और वायु-मार्ग द्वारा बड़ी धूमधाम से ओलिम्पिक ज्योति लाई जाती है

भारतीय राष्ट्रीय खेल-प्रतियोगिता के समय भी ज्योति जलाने की परिपाटी हो गई है। यहाँ ज्वालामुखी (पंजाब) में सूर्य-किरणों से ज्योति जलाई जाती है।

कालक्रमानुसार प्रचलित ओलिम्पिक खेल-महोत्सव के स्थानों की सूची इस प्रकार है— १८९६ एथेन्स (यूनान); १९०० पेरिस (फ्रांस); १९०४ सेंटलुई (अमेरिका); १९०८ लंदन (ब्रिटेन); १९१२ स्टॉकहोम (स्वीडन); १९१६ प्रथम महायुद्ध के कारण नहीं हुआ; १९२० एएटवर्प (बेल्जियम); १९२४ पेरिस; १९२८ एमस्टरडम (हालैंड); १९३२ लॉस-ऐंजिलस (अमेरिका), १९३६ वर्लिन (जर्मनी); १९४० और १९४४ में द्वितीय महायुद्ध के कारण खेल स्थगित; १९४८ लंदन; १९५२ हेलसिंकी (फिनलैंड); १९५६ मेलबोर्न (अस्ट्रेलिया); १९६० रोम (इटली)

सन् १९६० ई० के २५ अगस्त से १० सितम्बर तक हुई १७वीं ओलिम्पिक-प्रतियोगिता में ८० देशों के खेलाड़ियों ने भाग लिया था। उक्त प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करनेवाले देशों की योग्यता-क्रम से सूची इस प्रकार है—

| | पदक | | | | पदक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
| रूस | ४३ | २६ | ३१ | नार्वे | १ | ० | ० |
| अमेरिका | ३४ | २० | १६ | स्विट्जरलैंड | ० | २ | ३ |
| इटली | १३ | १० | १२ | फ्रांस | ० | २ | ३ |
| जर्मनी | ११ | १६ | ११ | बेल्जियम | ० | १ | २ |
| अस्ट्रेलिया | ८ | ८ | ६ | ईरान | ० | १ | ३ |
| तुर्की | ७ | २ | ० | हालैंड | ० | १ | २ |
| हंगरी | ६ | ८ | ७ | द० अफ्रिका | ० | १ | २ |
| जापान | ४ | ७ | ७ | अर्जेण्टाइना | ० | १ | १ |
| पोलैंड | ३ | ६ | ११ | संयुक्त अरब-संघ | ० | १ | १ |
| चेकोस्लोवाकिया | ३ | २ | ३ | कनाडा | ० | १ | ० |
| रूमानिया | ३ | १ | ६ | फारमोसा | ० | १ | ० |
| ब्रिटेन | २ | ६ | १२ | घाना | ० | १ | ० |
| डेनमार्क | २ | ३ | १ | भारत | ० | १ | ० |
| न्यूजीलैंड | २ | ० | १ | मोरक्को | ० | १ | ० |
| बलगेरिया | १ | ३ | ३ | पुर्त्तगाल | ० | १ | ० |
| स्वीडेन | १ | २ | ३ | सिंगापुर | ० | १ | ० |
| फिनलैंड | १ | १ | ३ | ब्राजिल | ० | ० | २ |
| आस्ट्रिया | १ | १ | ० | वेस्ट इण्डीज | ० | ० | १ |
| युगोस्लाविया | १ | १ | ० | इराक | ० | ० | १ |
| पाकिस्तान | १ | ० | १ | मेक्सिको | ० | १ | १ |
| यूथोपिया | १ | ० | ० | स्पेन | ० | ० | १ |
| यूनान | १ | ० | ० | वेनेजुएला | ० | ० | १ |

सन् १९६४ ई० का ओलिम्पिक-महोत्सव टोकियो में ६ अक्टूबर से १६ दिनों तक होगा।

## एशियाई खेल

विश्व ओलिम्पिक खेल-समारोह की तरह सन् १९५१ ई० से चार-चार वर्षों पर एशियाई खेल-समारोह भी होने लगा है, जिसमें केवल एशियाई देश ही भाग लेते हैं। प्रथम समारोह नई दिल्ली-स्थित राष्ट्रीय क्रीडांगण में हुआ। दूसरा समारोह मनीला में, १९५६ ई० में तथा तीसरा टोकियो में, १९५८ ई० में हुआ, जिसमें पदक प्राप्त करनेवाले देशों का क्रम इस प्रकार है—

| | पदक | | | | पदक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य |
| जापान | ६७ | ४१ | ३० | बर्मा | १ | २ | १ |
| फिलिपाइन्स | ८ | १६ | २१ | सिंगापुर | १ | १ | १ |
| ईरान | ७ | १४ | ११ | लंका | १ | ० | १ |
| कोरिया | ८ | ७ | १२ | थाइलैंड | ० | १ | ३ |
| चीन | ६ | ११ | १७ | हांगकांग | ० | १ | १ |
| पाकिस्तान | ६ | ११ | ९ | इण्डोनेशिया | ० | ० | ६ |
| भारत | ५ | ४ | ३ | मलाया | ० | ० | ३ |
| वियतनाम | २ | ० | ४ | इजरायल | ० | ० | २ |

सन् १९६२ ई० का एशियाई खेल-समारोह जकार्त्ता में हो रहा है।

## विश्व-शतरंज-विजेता

आरम्भ १८५१ : १९३५-३७; डॉ० एमयूवे (हालैंड); १९३७—४६ ए० अलेखाइन (रूस); १९४६-४७ खेल नहीं हुआ; १९४८—५७ एम बोटविनिक (रूस); १९५७ वी० स्मिस्लोव (रूस); १९५७ एम० बोटविनिक (रूस); १९६० टाल (लटाविया)।

## ओलिम्पिक फुटबॉल

१९०४ डेनमार्क; १९०८ और १९१२ ब्रिटेन; १९२० बेल्जियम; १९२४ और १९२८ उरुग्वे; १९३६ इटली; १९४८ स्वीडन; १९५२ हंगरी; १९५६ रूस; १९६० युगोस्लाविया।

## विश्व फुटबॉल-प्रतियोगिता

विजय प्रतीक जुलेस रिमेट कप; आरम्भ १९३०; प्रति चार वर्षों पर प्रतियोगिता; १९३० उरुग्वे; १९३४ और १९३८ इटली; १९५० उरुग्वे; १९५४ पश्चिम जर्मनी; १९५८ ब्राजिल; १९६२ ब्राजिल ने चेकोस्लोवाकिया को ३-१ से हराया।

ओलिम्पिक हॉकी—१९०८ ब्रिटेन; १९२० ब्रिटेन; १९२८ से १९५६ तक हर बार भारत; १९६० पाकिस्तान।

## लॉन टेनिस

डेविस कप—१९४६ से १९४९ अमेरिका; १९५० से १९५३ अस्ट्रेलिया; १९५४ अमेरिका; १९५५ से १९५७ अस्ट्रेलिया; १९५८ अमेरिका; १९५९ तथा ६० अस्ट्रेलिया। १९६१ तथा १९६२ के पूर्वी क्षेत्र डेविस कप में भारत विजयी।

### विम्बलेडन प्रतियोगिता

पुरुष एकल—१९५५ ट्रेबेगट (अमेरिका); १९५६ और १९५७ ल्युहीड (आस्ट्रेलिया); १९५८ एशलेकूपर (आस्ट्रेलिया); १९५९ आलमेडी (अमेरिका); १९६० नील फ्रेजर (आस्ट्रेलिया); १९६१ तथा १९६२ रॉड लेवर (आस्ट्रेलिया)।

महिला एकल—१९५३ से १९५८ अमेरिका; १९५९ और १९६० ब्राजील; १९६१ एंगेला मोर्टीमर (इंगलैंड); १९६२ श्रीमती करेन हेंजी सुसमैन (अमेरिका)।

## कुछ उल्लेखनीय विश्व-अभिलेख

**मोटर कार की गति (मील प्रति घंटा)** सन् १८९८ ई० में ३९·२४ मील—सी० लौबट; १९०४ में ९१·३७ मील—हेनरी फोर्ड; १९१० में १३१·७२४ मील—बी ओल्डफील; १९१९ में १४९·८७५ मील—रॉल्फ डी० पाल्मा; १९३५ में ३०१·१३ मील—सर एम० कैम्पबेल; १९४७ में ३९४·१९७ मील—जोन काब।

**तने हुए रस्से पर चलने का रेकार्ड**—सन् १९५५ ई० में विली पिस्चलर ११३ घंटे लगातार चलता रहा।

डुबकी लगाना—जैक ब्राउन, सन् १९४५ ई० में ५५० फुट नीचे गहराई में चला गया था।

ऊँचाई से पानी में कूद—अलेक्स विकहम (सोलोमन द्वीप-समूह)—२०५ फुट ९ इंच।

डुबकी लगाकर तैराकी—अमेरिका के फ्रेड बाल्डासारे ने ११ जुलाई, १९६२ ई० को १९ घण्टों में गोताखोर की पोशाक में इंगलिश चैनल को सर्वप्रथम पार किया।

पर्वतारोहण—सर एडमण्ड हिलेरी और शेरपा तेनसिंह नोरके—सन् १९५३ में एवरेस्ट की चोटी (२९,०१८ फुट) पर चढ़े।

रेलवे-गति का विश्व-रेकार्ड—पेरिस-लीओन्स मार्ग, २४३ किलोमीटर (१५२ मील) प्रति घंटा।

मोटर साइकिल—विलहेम दर्ज (जर्मनी), २१०·६४ मील प्रतिघंटा, १९५६।

डुबकी लगाना—जार्ज बुक्ले, ६०० फुट गोताखोर की पोशाक में, १९५६।

विश्व का सबसे तेज मोटर कार-चालक—जोन काब (इंगलैंड), ३९४·१९६ मील प्रतिघण्टा, १९४७।

२४ घंटे लगातार मोटर कार चलाने का रेकार्ड—आइस्टन (इंगलैंड) ३५७८·१ मील।

## क्रिकेट

### भारत में आई विदेशी क्रिकेट-टीमें

सन् १८८९-९० ई० में सर्वप्रथम अँगरेज-टीम जी० एफ० वर्नन के नायकत्व में आई। १३ खेल, १० जीत, १ हार, २ बराबर।

सन् १८९३-९४ ई० में लार्ड हॉक के नायकत्व में अँगरेज-टीम आई। २३ खेल, १५ जीत, २ हार, ६ बराबर।

सन् १९०२-३ ई० में ऑक्सफोर्ड-विश्वविद्यालय की टीम के० जे० के नायकत्व में आई। १९ खेल, १२ जीत, २ हार, ५ बराबर।

सन् १६२६-२७ ई० में एम० सी० सी० ( इंगलैंड की राष्ट्रीय टीम मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब ) की अनौपचारिक टीम आर्थर गिलिगन के नायकत्व में आई। ३४ खेल, ११ जीत, २३ बराबर।

सन् १६३३-३४ ई० में एम० सी० सी० टीम डी० आर० जार्डिन के नायकत्व में आई। ३४ खेल, १७ जीत, १ हार, १६ बराबर; ३ टेस्ट खेल, २ जीत, १ बराबर।

सन् १६३७-३८ ई० में लार्ड टेनिसन के नायकत्व में टीम आई। २४ खेल, ८ जीत, ५ हार, ११ बराबर।

सन् १६३५-३६ ई० में जे० एस० राइडर के नायकत्व में अस्ट्रेलियन टीम अनौपचारिक रूप में आई। २३ खेल, ११ जीत, ३ हार, ६ बराबर।

सन् १६४५ ई० में ए० एल० हैसेट के नायकत्व में अस्ट्रेलिया की सैनिक एकादश टीम आई। ६ खेल, १ जीत, २ हार, ६ बराबर।

सन् १६४८-४६ ई० में जीन गोडार्ड के नायकत्व में वेस्ट इण्डीज की टीम आई। १६ खेल, ५ जीत, १ हार, ११ बराबर; ५ टेस्ट खेल, १ जीत, ० हार, ४ बराबर।

सन् १६४६-५० में एल० लिविंगटन के नायकत्व में राष्ट्रमंडल-टीम आई। १७ खेल, ८ जीत, २ हार, ७ बराबर; अनौपचारिक ५ टेस्ट खेल, १ जीत, २ हार, २ बराबर।

सन् १६५०-५१ ई० में एल० ई० जी० एमेंस के नायकत्व में राष्ट्रमंडल-टीम आई। २६ खेल, १४ जीत, १२ बराबर; ५ अनौपचारिक; ५ टेस्ट खेल, २ जीत, ३ बराबर।

सन् १६५१-५२ ई० में एन० डी हार्वर्ड के नायकत्व में एम० सी० सी० टीम आई। १८ खेल, ७ जीत, १ हार, १७ बराबर; ५ टेस्ट खेल, १ जीत, १ हार, ३ बराबर।

सन् १६५२ ई० में पाकिस्तान की टीम ए० एच० करदार के नायकत्व में आई। ११ खेल, १ जीत, २ हार, ८ बराबर; ५ टेस्ट खेल, १ जीत, २ हार, २ बराबर।

सन् १६५३-५४ ई० में समुद्रपारीन रजत-जयन्ती क्रिकेट-खेलाड़ियों की टीम आई। २१ खेल, ३ जीत, ५ हार, १३ बराबर।

सन् १६५५-५६ ई० में न्यूजीलैंड की टीम आई। १० खेल, २ जीत, ३ हार, ५ बराबर; ५ टेस्ट खेल, ० जीत, २ हार, ३ बराबर।

सन् १६५६ ई० में अस्ट्रेलिया की टीम आई। ३ खेल, २ जीत, १ बराबर; ३ टेस्ट खेल, २ जीत, ० हार, १ बराबर।

सन् १६५७-५८ ई० में .८ इण्डीज की टीम एफ० सी० एम० अलेक्जेण्डर के नायकत्व में आई। खेल १७, ६ जीत, ८ बराबर; ५ टेस्ट खेल, ३ जीत, २ बराबर।

सन् १६५६-६० ई में आर० बेनी के नायकत्व में आस्ट्रेलियन टीम आई। ७ खेल, २ जीत, १ हार, ४ बराबर; ५ टेस्ट खेल, २ जीत, १ हार, २ बराबर।

सन् १६६०-६१ ई० में फजल महमूद के नायकत्व में पाकिस्तान की टीम आई (भारतीय कप्तान नारी कारट्रैक्टर)—१४ खेल, ० जीत, ० हार, १४ बराबर; ५ टेस्ट खेल, ० जीत, ० हार, ५ बराबर।

सन् १६६१-६२ ई० में इंगलैड की टीम आई। १५ खेल, ४ जीत, ६ बराबर; ५ टेस्ट खेल, ० जीत, २ हार, ३ बराबर।

## भारतीय टीम विदेशों में

सन् १६११ ई० में पटियाला के महाराजा भूपेन्द्रसिंह के नेतृत्व में उनकी टीम इंगलैंड गई। २३ खेल, ६ जीत, १५ हार, २ बराबर।

सन् १६३२ ई० में अ० भा० टीम कर्नल सी० के० नायडू के नायकत्व में इंगलैंड गई। ३१ खेल, १३ जीत, ६ हार, ६ बराबर; १ टेस्ट खेल, ० जीत, १ हार, ० बराबर।

सन् १६३६ ई० में विजयानगरम् के महाराज कुमार सर विजय के नायकत्व में अ० भा० टीम इंगलैंड गई। ३१ खेल, ५ जीत, १३ हार, १३ बराबर; ३ टेस्ट खेल, ० जीत, २ हार, १ बराबर।

सन् १६४५ ई० में वी० एम० मर्चेण्ट के नायकत्व में अ० भा० टीम लंका गई। ५ खेल, २ जीत, ३ बराबर।

सन् १६४६ ई० में पटौदी के नवाब के नायकत्व में अ० भा० टीम इंगलैंड गई। ३३ खेल, १३ जीत, ४ हार, १६ बराबर; ३ टेस्ट खेल, ० जीत, १ हार, २ बराबर।

सन् १६४७-४८ ई० में लाला अमरनाथ के नायकत्व में अ० भा० टीम अस्ट्रेलिया गई। १६ खेल, ४ जीत, ७ हार, ८ बराबर; ५ टेस्ट खेल, ० जीत, ४ हार, १ बराबर।

सन् १६५२ ई० में वी० एस० हजारी के नायकत्व में अ० भा० टीम इंगलैंड गई। १५ खेल, ६ जीत, ५ हार, २४ बराबर; ४ टेस्ट खेल, ३ हार, १ बराबर।

सन् १६५३ ई० में वी० एस० हजारी के नायकत्व में अ० भा० टीम वेस्ट इण्डीज गई। ११ खेल, १ जीत, १ हार, ६ बराबर ; ५ टेस्ट खेल, १ हार, ४ बराबर।

सन् १६५४-५५ ई० में वीनू मनकड के नायकत्व में भारतीय टीम पाकिस्तान गई। १४ खेल, ५ जीत, ६ बराबर; ५ टेस्ट खेल, सभी बराबर रहे।

सन् १६५६ ई० में डी० के० गायकवाड़ के नायकत्व में भारतीय टीम इंगलैंड गई। ३३ खेल, ६ जीत, १ हार, १६ बराबर; इनमें ५ टेस्ट थे, सभी में हार हो गई।

सन् १६६२ ई० में भारतीय टीम नारी काण्ट्रैक्टर के नेतृत्व में वेस्ट इण्डीज गई। ५ टेस्ट हुए और पाँचों में भारत की हार हो गई।

### टेस्ट खेलों में भारत के उल्लेखनीय अभिलेख ( रेकर्ड )

अधिकतम रन, खेलाड़ी विशेषता—वीनू मनकद ने २३१ रन न्यूजीलैंड के साथ खेल (१६५५-५६) में मद्रास में बनाया था।

अधिकतम कुल रन एक पारी में—न्यूजीलैंड के साथ मद्रास टेस्ट में ५३७ ( तीन विकेट पर ) ( १६५६ ); ५३६ रन ( ६ विकेट पर ) पाकिस्तान के साथ मद्रास में ( १६६१ )।

हर पारी में शतक—अस्ट्रेलिया के साथ अडेलडेल में वी० एस० हजारी का ११६ और १४५ ( १६४७-४८ )।

पहले खेल में ही शतक—इंगलैंड के साथ बम्बई में लाला अमरनाथ का ११८ ( १६३३-३४ )।

पाकिस्तान के साथ कलकत्ता में डी० एच० शोधन का ११० ( १६५२ )। न्यूजीलैंड के साथ हैदराबाद में कृपालसिंह का १०० ( अविजित )। इंगलैंड के साथ अब्बास अली बेग का १०५ रन ( १६५६ )।

जोड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम रन एक विकेट में—मनकद और पंकज राय (प्रथम विकेट) की जोड़ी द्वारा न्यूजीलैंड के साथ मद्रास में ४१३ रन ( १९५५-५६ )।

अधिकतम विकेट तोड़नेवाले गेंदबाज—अस्ट्रेलिया के साथ सन् १९५९-६० ई० कानपुर-टेस्ट में जसु पटेल ने प्रथम पारी के ९ तथा दूसरी पारी के ५ कुल १४ विकेट तोड़े और केवल ११४ रन बनने दिये। इंगलैंड के साथ १९५२ में मद्रास टेस्ट ( पाँचवें टेस्ट ) में वीनू मनकद ने प्रथम पारी में ८ तथा द्वितीय में ४ कुल १२ विकेट तोड़े। वेस्ट इण्डीज के साथ एस० पी० गुप्ते ने कानपुर में ( १९५८ ) ९ विकेट तोड़े।

## राष्ट्रीय क्रिकेट-प्रतियोगिता ( रणजी-ट्रॉफी )

भारत के सुप्रसिद्ध क्रिकेट-खिलाड़ी और विश्व के प्रसिद्ध बल्लेबाज (बैट्समैन) नाभानगर के जाम साहेब स्व० रणजीत सिंह के स्मारक-स्वरूप सन् १९३४ ई० में महाराजा पटियाला ने एक स्वर्ण-कप प्रदान कर अन्तरप्रान्तीय क्रिकेट-प्रतियोगिता चलाई, जो रणजी-ट्रॉफी के नाम से प्रचलित है।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १९३४-३५ | बम्बई | १९४३-४४ | पश्चिम भारत | १९५२-५३ | होल्कर |
| १९३५-३६ | बम्बई | १९४४-४५ | बम्बई | १९५३-५४ | बम्बई |
| १९३६-३७ | नाभानगर | १९४५-४६ | होल्कर | १९५४-५५ | मद्रास |
| १९३७-३८ | हैदराबाद | १९४६-४७ | बड़ौदा | १९५५-५६ | बम्बई |
| १९३८-३९ | बंगाल | १९४७-४८ | होल्कर | १९५६-५७ | बम्बई |
| १९३९-४० | महाराष्ट्र | १९४८-४९ | बम्बई | १९५७-५८ | बड़ौदा |
| १९४०-४१ | महाराष्ट्र | १९४९-५० | बड़ौदा | १९५८-५९ | बम्बई |
| १९४१-४२ | बम्बई | १९५०-५१ | होल्कर | १९५९ ६० | बम्बई |
| १९४२-४३ | बड़ौदा | १९५१-५२ | बम्बई | १९६०-६१ | बम्बई |
| | | | | १९६१-६२ | बम्बई |
| | | | | की राजस्थान पर १ पारी २८७ रन से जीत | |

### टेस्ट-खेलों में विश्व-अभिलेख

खिलाड़ी विशेष का अधिकतम रन—सन् १९५८ ई० में वेस्ट इण्डीज के सोवर्स ने किंग्सटन में पाकिस्तान के साथ खेल में ३६५ रन ( अविजित ) बनाये।

सन् १९३८ ई० में अस्ट्रेलिया के साथ इंगलैंड के लेन हट्टन ने ओवल क्रीडांगण में ३६४ रन बनाये; सन् १९३२-३३ ई० में वेस्ट इण्डीज के साथ खेल में इंगलैंड के डब्ल्यू० आर० हैमॉण्ड ने आकलैंड में ३३६ रन ( अविजित ) बनाये; सन् १९३० ई० में अस्ट्रेलिया के डी० जी० ब्रैडमैन ने इंगलैंड के साथ खेल में लीड्स में ३३४ रन बनाये।

एक पारी में अधिकतम रन—सन् १९२९-३० ई० के वेस्ट इण्डीज के साथ खेल में इंगलैंड ने ७ विकेट घोषित पर ९०३ रन किंग्स्टन में बनाये।

एक पारी में न्यूनतम रन—आकलैंड में ( १९५५ ) न्यूजीलैंड के इंगलैंड के साथ खेल में २६ रन।

एक खेल में न्यूनतम रन—१९३१-३२ ई० में अस्ट्रेलिया के साथ मेलबोर्न ७ में दक्षिण अफ्रिका के ८१ रन ( प्रथम पारी ३६ + दूसरी पारी ४५ )।

लगातार पारियों में शतक—वेस्ट इण्डीज के ईवरटन वीक्स के सन् १९४७-४९ ई० में इंगलैंड के साथ खेल में १ शतक तथा भारत के साथ खेल में ४ शतक।

लगातार खेलों में शतक—इंगलैंड के साथ अस्ट्रेलिया डी० जी० ब्रैडमैन द्वारा सन् १९३६-३८ ई० और सन् १९४६-४७ ई० में ८ शतक।

लगातार खेलों में द्विशतक—सन् १९१८-१९ ई० में अस्ट्रेलिया के साथ दूसरे और तीसरे टेस्टों में डब्ल्यू० आर० हैमॉण्ड ( इंगलैंड ) के २५१ तथा २०० रन तथा १९३२-३३ में वेस्ट इण्डीज के साथ खेल में उसी के पहले और दूसरे टेस्टों में २२७ और ३३६ (अविजित) रन; ब्रैडमैन ( अस्ट्रेलिया ) के सन् १९४४ ई० में इंगलैंड के साथ चौथे और पाँचवें टेस्टों में ३०४ और २४४ रन।

टेस्टों में अधिकतम शतक—ब्रैडमैन के २९ हैमॉण्ड के २२, सटक्लिफ के १६, होब्स के १५, हट्टन के १२, हेटले ( वेस्ट इण्डीज ) के १०, डी० काम्पटन के १०।

## फुटबॉल-प्रतियोगिता

संतोष ट्राफी—बंगाल के सुप्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल-संघ आइ० एफ० ए० ने संतोष के स्वर्गीय राजा मन्मथ राय चौधरी की स्मृति में यह प्रतियोगिता चलाइ, जो राज्य-रेलवे तथा सैनिक टीमों के बीच प्रतिवर्ष होती है। यह संतोष-ट्रॉफी के नाम से विख्यात है। सन् १९४१ ई० बंगाल; १९४२-४३ में खेल नहीं हुआ; १९४४ दिल्ली; १९४५ बंगाल, १९४६ मैसूर; १९४७ बंगाल; १९४८ से ५१ तक बंगाल; १९५२ मैसूर; १९५३ बंगाल; १९५४ बंबई; १९५५ बंगाल; १९५६ और ५७ हैदराबाद; १९५८ और ५९ बंगाल; १९६०-६१ सेना १९६१-६२ रेलवे ने महाराष्ट्र को ३—०, गोल से हराया।

आइ० एफ० ए शील्ड कलकत्ता—आरम्भ १८९३। १९५६ मोहन बगान; १९५७ मोहम्मडन स्पोर्टिंग; १९५८ ईस्ट बंगाल; १९५९ अनिर्णीत; १९६० मोहन बगान; १९६१ मोहन बगान और ईस्ट बंगाल।

रोवर्स कप बम्बई—आरम्भ १८९१: १९५५ मोहन बगान; १९५६ मोहम्मडन स्पोर्टिंग; १९५७ हैदराबाद-पुलिस; १९५८ कैलटेक्स (बम्बई); १९५९ मोहम्मडन स्पोर्टिंग; १९६० आन्ध्र-पुलिस; १९६१ ई० एम० ई० सेण्टर ( सिकन्दराबाद )।

डुरण्ड-कप, दिल्ली—आरंभ १८८८। १९५६ ईस्ट बंगाल; १९५७ हैदराबाद-पुलिस १९५८ मद्रास रे० सें०; १९५९ मोहन बगान; १९६० मोहन बगान और ईस्ट बंगाल; १९६१ आन्ध्र-पुलिस।

दिल्ली क्लॉथ मिल-प्रतियोगिता—आरंभ १९४९। १९५७ ईस्ट बंगाल; १९५८ मोहम्मडन स्पोर्टिंग; १९५९ हैदराबाद-पुलिस; १९६० ईस्ट बंगाल; १९६१ मोहम्मडन स्पोर्टिंग।

श्रीकृष्ण गोल्ड-कप, पटना—सन् १९५७ ई० में तत्कालीन बिहार के मुख्य मंत्री डॉ० श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर संचालित। विजेता—१९५७ राजस्थान-क्लब, कलकत्ता; १९५८ मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, कलकत्ता; १९५९ मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, कलकत्ता; १९६० तथा १९६१ मद्रास रेजीमेंटल सेण्टर।

अन्तर-विश्वविद्यालय-प्रतियोगिता—आरम्भ १९५४ । १९५५-५६ उस्मानिया; १९५७ कलकत्ता; १९५८ पंजाब; १९५९ उस्मानिया; १९६० कलकत्ता ।

कलकत्ता फुटबॉल-लीग—आरम्भ १८९८ । १९५४—५६ मोहन बगान; १९५७ मोहम्मडन स्पोर्टिंग; १९५८ पूर्व-रेलवे; १९५९-६० मोहन बगान; १९६१ ईस्ट बंगाल और मोहन बगान ।

## हॉकी

राष्ट्रीय हॉकी-प्रतियोगिता—आरम्भ १९२८ । विजय-प्रतीक रंगास्वामी-कप कहलाता है । १९५५ में मद्रास और सेना (संयुक्त रूप से विजयी); १९५६ सेना; १९५७—१९५९ रेलवे; १९६० सेना; १९६१ रेलवे; १९६२ पंजाब की भोपाल पर १-० से जीत ।

बाइटन कप कलकत्ता—आरम्भ १८९५ । १९५५ पश्चिम रेलवे (बम्बई) और उत्तरप्रदेश एकादश संयुक्त रूप में विजयी; १९५६ सेना; १९५७ ईस्ट बंगाल; १९५८ मोहन बगान; १९५९ सैन्य इंजिनियर किर्की; १९६० मोहन बगान; १९६१ मध्य (सेण्ट्रल) रेलवे; १९६२ ईस्ट बंगाल में मध्य रेलवे को (१-०) हराया ।

आगाखाँ-कप, बम्बई—आरम्भ १९३४ । १९५५ पंजाब-पुलिस; १९५६ बम्बई-राज्य पुलिस; १९५७ मद्रास इंजीनियर दल (बंगलोर); १९५८ बर्मा-शेल; १९६० पंजाब-पुलिस; १९६१ मराठा पदाति-सेना ।

महिला राष्ट्रीय हॉकी-प्रतियोगिता—आरम्भ १९३८ । विजय-प्रतीक लेडी रतन ताता-कप के नाम से प्रसिद्ध है । १९३८ खड्गपुर; १९३९ कलकत्ता; १९४७—४९ बम्बई; १९५० मध्यप्रदेश; १९५१-५२, १९५३ बम्बई और बंगाल; १९५४-५५ मध्यप्रदेश; १९५७—५९ बम्बई; १९६० मैसूर ।

गोल्ड-कप हॉकी—१९५८ पंजाब-पुलिस; १९५९ पंजाब-पुलिस ने मध्य रेलवे को (३-२) हराया; १९६० लुसिटैनियन स्पोर्ट्स क्लब ने बर्मा शेल को (१—०) हराया; १९६१ मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप; १९६२ सेण्ट्रल रेलवे ।

अन्तर-विश्वविद्यालय हॉकी—१९५६—५७ मद्रास-विश्वविद्यालय; १९५७—५८ अलीगढ़-विश्वविद्यालय; १९५९-६० जबलपुर-विश्वविद्यालय;(महिला) पंजाब-विश्वविद्यालय ने पूना-विश्वविद्यालय को (२—०) हराया; पंजाब ने मद्रास को (२—०) हराया ।

अन्तरराज्य हॉकी—१९५७ पश्चिम बंगाल ने महाराष्ट्र को (२ ०); हराया १९५८ महाराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को (२—१) हराया; १९५९ बंगाल (गोल औसत से) ।

## राष्ट्रीय वॉलीबाल-प्रतियोगिता

पुरुष—१९५५ पंजाब; १९५६ पंजाब; १९५७ सेना, १९५८ रेलवे; १९५९ सेना; १९६० रेलवे; १९६१ पंजाब, हराया केरल ।

महिला—१९५५ से १९६१ तक पंजाब ।

## राष्ट्रीय कबड्डी

पुरुष—१९६२ रेलवे, हराया महाराष्ट्र । महिला—१९६२ महाराष्ट्र, हराया विदर्भ ।

## १९६१ के (सर्वोत्तम खेलाड़ी) अर्जुन पुरस्कार-विजेता

ए० एन० घोष (भार-उद्वाहक); एन० लम्स्डेन (महिला-हॉकी); बजरंगी प्रसाद (तैराकी); गुरुबचन सिंह (एथलेटिक), जे० सी० वोरा (टेबुल-टेनिस); महाराज कर्णी सिंह (बंदूक की निशानेबाजी); कप्तान के० एस० जैन (स्क्वाश); एल० दसूजा (घूँसेबाजी); एन० एम० नटेकर (बैडमिंटन); कप्तान पी० जी० सेठी (गोल्फ); पी० के० बनर्जी (फुटबॉल); पृथ्वीपाल सिंह (हॉकी); आर० कृष्णन (लॉन टेनिस); सर्वजीत सिंह (बास्केट बाल); शामलाल (व्यायाम); सलीम दुर्रानी (क्रिकेट); उदयचंद (कुश्ती); ए० पलानीचामी (वॉलीबाल) मैनुएल आरों (शतरंज); महाराज प्रेमसिंह (पोलो)

## राष्ट्रीय मार्ग तथा क्षेत्र-खेलकूद-प्रतियोगिता, १९६२

### पुरुष

५० किलोमीटर : (१) अजितसिंह (सेना) ४ घं० ३२ मिनट, ४ घं० ५३.८ से०; (२) बलबीर सिंह (सेना) ३४ मि० ३४.८ से०; (३) सुरेशकुमार (दिल्ली) ५ घं० ४३ मि० ५७.६ से।

१०,००० मीटर : (१) त्रिलोक सिंह (सेना) ३१ मि० ७.२ से; (२) हकमसिंह (सेना) ३१ मि० २३ से० (३) नारायणसिंह (सेना) ३२ मि० ४२ से०।

४०० मीटर (हर्डल) : (१) बलवंतसिंह (पंजाब) ५३.५ से; (२) मलकियात सिंह (सेना) ५४.२ से; (३) कलविन्दर सिंह (सेना)।

भाला-फेंक : (१) महीन्द्र सिंह (सेना) २०८ फुट ६ इ०; (२) गुरबचन सिंह (दिल्ली) २०. फुट १० इ; (३) पीटर अके (बिहार) १९१ फुट १०½ इ०।

८०० मीटर : (१) दलजीत सिंह (सेना) १ मि० ५२.६ से०; (२) हजारी राम, राजस्थान; (३) भानसिंह (सेना)।

२०० मीटर : (१) माखनसिंह (सेना) २१-५ से०; (२) नागभूषण राम (आन्ध्र) २२ से; (३) एन० सी० देव (उत्तरप्रदेश)।

दौड़कर डंडा-कूद : (१) तखवीर सिंह (पंजाब) १३ फुट; (२) उदय प्रताप सिंह (सेना) १३ फुट; (३) अजाइब सिंह (पंजाब) १३ फुट; (४) ए० रामचन्द्रन (मद्रास) १३ फुट।

४ × १०० मीटर रीले दौड़ : प्रथम हीट मद्रास ४२.७ से; उत्तरप्रदेश दिल्ली; द्वितीय हीट सेना ४२.४ से० महाराष्ट्र; पंजाब।

५००० मीटर; (१) त्रिलोकसिंह (सेना) १४ मि० ४६.२ से०; (२) हकम सिंह (सेना); (३) पीटर (मैसूर)।

ऊँची कूद : (१) भँवर सिंह (सेना) ६ फुट २ इं०; (२) सरनजीत सिंह (पंजाब) ६ फुट २ इं; (३) अजित सिंह (सेना) ६ फु० २ इं।

गोला-फेंक : (१, देवीदयाल (सेना) १६६ फु० २ इं; (२) बलवीर सिंह (सेना) १६२ फुट १½ इं०; (३) अमर सिंह (पंजाब) १६० फु० ४ इंच।

### महिला

८० मीटर हर्डल : (१) वायलेट पीटर (महाराष्ट्र) १२.२ से; (२) जेनिस स्पिक (मद्रास) १२.३ से०; (३) डियाना साइमी (मैसूर)।

ऊँची कूद : (१) जी० ब्राउन (पश्चिम बंगाल) ५ फुट; (२) मिगनन डिकुट्ठ (मध्यप्रदेश) ४ फु० ८ इं०; (३) डियाना साइमी ( मैसूर )।

२०० मीटर : (१) एस० डीसूजा ( महाराष्ट्र ) २५-४ से०; (२) एम० हार्किंस (प० बंगाल); (३) वायलेट मीटर ( महाराष्ट्र )।

शॉटपुट : (१) ई डेवेन्पोर्ट ( राजस्थान ) ३३ फु० ६½; (२) ए० रिचसन (प० बंगाल) ३२ फु० १ इं; (३) फारकुरुड खातून ( मैसूर )।

८०० मीटर : (१) सी० आसेफ ( केरल ) २ मि० ४३.४ से०; (२) शोभा सक्सेना ( उत्तरप्रदेश ); (३) तृप्ति मुखर्जी ( प० बंगाल )।

थाल-फेंक : (१) एम० ओबेराय (दिल्ली) १०६ फु० ४½ इ०; (२) एफ० खातून (मैसूर) १०० फु० ६½ इं०; (३) इन्द्रमोहिनी ओबेराय ६८ फु० १½ इं०।

लम्बी फांद : (१) एम० ब्राउन ( मद्रास ) १७ फु० १० इं०; (२) डियाना साइमी ( मैसूर ) १६ फु० ८ इं०; (३) शीला पाल ( मैसूर ) १५ फु० ४½ इं०।

बालक

गोला-फेंक : (१) लक्खा सिंह (सेना) १४८ फु० ८ इं०; (२) हरगोपाल सिंह ( पंजाब ) (३) हरनेक सिंह ( सेना )।

(१) के० पी० सिंह लंबा (मैसूर) ४४ फु० ६½ इ०; (२) पी जाफे (मद्रास) ४३ फु० ६½ इ०; (३) तपन घोष ( प० बंगाल ) ४३ फु० ८¾ इं०।

४०० मीटर : (१) संग्राम सिंह ( सेना ) ५१.५ से०; (२) समीर चटर्जी; (३) आर० हावे ( बंगाल )।

ऊँची-डंडा कूद : (१) के० हवान देवन ( केरल ) १० फु०; (२) आर बोस ( बंगाल ); (३) वी धर्मराजम् ( केरल ) तथा (४) डी० के० मिश्र (उत्तर प्रदेश )।

शॉटपुट : (१) गुरमेज सिंह (राजस्थान) ४८ फु० ६½ इं० (२) बलदेवराज (राजस्थान) ४३ फु० ६¾ इं०; (३) सुकमिन्दर सिंह ( पंजाब ) ४२ फु० ८¾ इं०।

२०० मीटर : पहला हीट (१) संग्राम सिंह ( सेना ) ६४.८ से०; (२) एरिक दसूजा ( राजस्थान ) : दूसरा हीट—(१) समीर चटर्जी (बंगाल) २३.७ से०; (२) माखन सिंह (पंजाब); तीसरा हीट—(१) नरेन्द्र कुमार ( सेना ) २३.६ से०; (२) एस० ए० रफीक ( मध्यप्रदेश )।

बालिका

५० मीटर : (१) शीला पाल (मैसूर) ६.१ से०; (२) क्रिश्चिनी फोरेज (महाराष्ट्र) ७.२ से०; (३) मनोरमा ओबेराय ( दिल्ली ) ७.३ से०; (४) चित्रा पाटिल ( उ० प्रदेश ) ७.३ से०।

८० मीटर हर्डल : (१) सी० फोरेज ( महाराष्ट्र ) १२.६ से०; (२) शीला पाल (मैसूर); (३) जया भट्टाचार्य ( बंगाल )।

थाल-फेंक—(१) सी० फोरेज (महाराष्ट्र); ६२ फु० ५¾ इं०; (२) सुमन साई ( दिल्ली ); (३) शिप्रा (मध्यप्रदेश)।

२०० मीटर : (१) शीला पाल ( मैसूर ) २८.१ से०; (२) मनोरमा ओबेराय ( दिल्ली ) २८.६ से०; (३) चित्रा पाटिल ( उ० प्रदेश )।

भाला-फेंक : (१) सी० फोरेज ६६ फु० ८३/४ इं०; (२) राधा राघवाचारी (मद्रास) ७८ फु० ६ इं०; (३) टी० राधाप्पा ( केरल )।

४×१०० मीटर रीले : (१) महाराष्ट्र ५४.६ से०; (२) दिल्ली ५४.८ से०; (३) मध्यप्रदेश ५५.६ से०।

## राष्ट्रीय कुश्ती-प्रतियोगिता १९६२

लाइट वेट : उदय चाँद ( सेना ), हराया पाटिल ( कोल्हापुर )
फ्लाइ वेट : जिला सिंह ( सेना ), हराया चरित्र ( बंगाल )
बंटम वेट : ध्यानचन्द ( मध्यप्रदेश ), हराया छोटेलाल ( पंजाब )
वेल्टर वेट : गर्जराज ( रेलवे ), हराया ज्ञानी सिंह ( बंगाल )
मिडल वेट : विस्ना पाटिल ( महाराष्ट्र ), हराया मनोहर ( बिहार )
लाइट-हेवी वेट : रामचंद सेना ), हराया प्रभात सिंह ( राजस्थान )
हेवी वेट : श्रीपति एकसम्बेकर, हराया एन० राय ( रेलवे )
फेदर वेट : बसन्ना मंटू ( महाराष्ट्र ), हराया जी० माया पात्र ( उड़ीसा )

## चलचित्र-निर्माण-उद्योग

भारतीय चलचित्र-निर्माण-उद्योग का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इस छोटी अवधि में ही इसका पर्याप्त विकास एवं उन्नति हुई है। सन् १९१२ ई० में दादा साहब फल्के ने 'राजा हरिश्चन्द्र' नामक सर्वप्रथम भारतीय चित्र का निर्माण किया, जो १७ मई, १९१३ ई० को बम्बई के कोरोनेशन थियेटर में प्रदर्शित हुआ। सन् १९१७ ई० में कलकत्ता में श्री जे० एफ० मदन द्वारा भारत का सर्वप्रथम चलचित्र-प्रतिष्ठान स्थापित किया गया। बंगाल में प्रस्तुत सबसे पहली फीचर-फिल्म का नाम 'नल-दमयन्ती' था। सन् १९२८ ई० तक यहाँ प्रतिवर्ष ८० चित्र निर्मित होने लगे। किन्तु, सन् १९३० ई० तक बननेवाले चित्र मूकचित्र ही थे। सन् १९३१ ई० में इम्पीरियल फिल्म कम्पनी, बम्बई द्वारा 'आलमआरा' नामक सर्वप्रथम सवाक् चित्र का निर्माण हुआ। उस समय फीचर-फिल्मों की संख्या २८ थी। इसी वर्ष 'शीरीं-फरहाद' नामक दूसरा सवाक् चित्र कलकत्ता के मदन थियेटर द्वारा निर्मित हुआ। उक्त दोनों चित्रों को काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसके बाद धड़ल्ले से सवाक् चित्र बनने लगे, जिससे इस उद्योग को काफी बल प्राप्त हुआ। बाहर से चित्रों का आना कम हो गया और भारतीय चित्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व सन् १९३९ ई० तक भारतीय चित्रों की संख्या १६५ और सिनेमा-घरों की संख्या ११६५ हो गई थी। इन दिनों भारत में प्रतिवर्ष ३०० फीचर-फिल्म तैयार होते हैं। इनमें हिन्दी-फिल्मों की औसत संख्या १२५, तमिल की ७५, तेलुगु की ५०, बँगला की ४०, मराठी की १०, असमिया और कन्नड में से प्रत्येक की ५, मलयालय की ३, उड़िया की २, पंजाबी की १ और अँगरेजी की १ होती है। अमेरिका और जापान के बाद इस क्षेत्र में भारतवर्ष का ही स्थान है। इस उद्योग में यहाँ प्रतिवर्ष लगभग, २०,००,००,००० फुट कच्ची फिल्मों की

खपत होती है और लगभग १ लाख व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं। इस समय देश में ४२०० से अधिक सिनेमा-गृह हैं। सन् १६२८ ई० में इनकी संख्या ३२० थी, जो सन् १६३८ ई० में बढ़कर १५०० हो गई। भारतवर्ष के उद्योग-धन्धों में चलचित्र-निर्माण-उद्योग का आठवाँ स्थान है।

प्रमुख रूप से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चलचित्रों का निर्माण होता है। लगभग ५० प्रतिशत चलचित्र केवल बम्बई में ही बनते हैं। कलकत्ता और मद्रास में २० से २५ प्रतिशत तक चलचित्र निर्मित होते हैं। सम्पूर्ण देश में कुल ६३ स्टूडियो हैं, जिनमें २८ पश्चिमी अंचल में, २४ दक्षिण में और ११ पूर्व भारत में हैं। सन् १६५१ ई० में २१६ और सन् १६५८ ई० में २६५ वृत्त-चित्रों (फीचर-फिल्म्स) का निर्माण-कार्य हुआ। विगत ६ वर्षों में सामाजिक चित्रों की संख्या में ह्रास और अपराध-चित्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। जहाँ सन् १६५४ ई० में २०४ सामाजिक चित्रों का निर्माण हुआ, वहाँ सन् १६५८ ई० में केवल १५० सामाजिक चित्र निर्मित हुए। इसके विपरीत अपराध-चित्रों की संख्या ४ से २८ तक पहुँच गई। समूचे देश में वितरकों और वितरण-अभिकरणों (एजेन्सीज) की कुल संख्या अनुमानतः ७०० से ६०० तक है। इनके अतिरिक्त विदेशी चलचित्र-वितरकों की संख्या २० है। यहाँ मोटे तौर पर अनुमानतः हर साल ७० करोड़ से अधिक व्यक्ति सिनेमा देखते हैं, यानी एक भारतीय वर्ष में लगभग दो चित्र देखता है।

भारतवर्ष में प्रमुख रूप से हिन्दी, बँगला, तमिल, तेलुगु, मराठी और गुजराती के चलचित्र बनते हैं। इनमें से अनेक हिन्दी और बँगला-चित्र अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं।

**चित्रों पर सरकारी नियंत्रण**—भारत-सरकार का सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय भारतीय चलचित्रों से सम्बद्ध सभी चीजों पर नियंत्रण रखता है। केन्द्रीय सरकार के 'फिल्म-डिवीजन' पर भी इसका नियंत्रण है।

**फिल्म-डिवीजन**—फिल्म-डिवीजन सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय की ही एक शाखा है। इसका मुख्यालय मालाबार-हिल (बम्बई) में है। इसका प्रधान उद्देश्य भारत-सरकार के समाचार और वृत्त-चित्रों का विभिन्न भाषाओं में निर्माण और वितरण करना है। इसके दो प्रधान विभाग हैं—(१) 'भारतीय वृत्तचित्र-विभाग' और (२) 'समाचार-समीक्षा-विभाग'। फिल्म-डिवीजन के अतिरिक्त कुछ स्वतन्त्र चित्र-निर्माताओं को भी खास विषयों पर वृत्त-चित्रों के निर्माण का भार सौंपा जाता है। इधर भारत-सरकार ने २० से २५ लाख की पूँजी से 'फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन' नामक एक संस्था की स्थापना की है। सन् १६५६ ई० में इसने १५२ डॉकुमेंटरी चित्र (समाचार-चित्रावली के अतिरिक्त) तैयार किये। ये चित्र विभिन्न देशों में सिनेमा-गृहों की टेलीविजन पर प्रदर्शित किये जाते हैं।

**बच्चों के लिए चित्र**—भारत-सरकार बच्चों के हित को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए उपादेय चलचित्रों के निर्माण में विशेष दिलचस्पी ले रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् १६५५ ई० में दिल्ली में 'चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी' की स्थापना की गई। इस सोसाइटी ने अबतक ८ बड़े वृत्तचित्र और ११ लघुचित्र तैयार किये हैं। साथ ही, इसने कुछ भारतीय, ब्रिटिश और रूसी चित्रों को भी बच्चों के लायक बनाया है। बच्चों एवं किशोरों के लिए विशेष उपयुक्त एवं उनकी अभिरुचि के चित्रों का निर्माण करना, उन्हें संरक्षण एवं प्रोत्साहन देना तथा निर्माण, वितरण एवं प्रदर्शन में समन्वय स्थापित करना सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। सोसाइटी

को बच्चों के लिए विशेष उपादेय चित्रों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान भी मिलता है।

**चलचित्र-परामर्शदात्री समिति (फिल्म एडवाइजरी बोर्ड)**—सन् १९४९ ई० में केन्द्रीय सरकार ने सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय के फिल्म-डिवीजन को परामर्श देने के लिए एक 'चलचित्र-परामर्शदात्री समिति' की स्थापना की। उक्त समिति फिल्म-डिवीजन के द्वारा अथवा स्वतंत्र निर्माताओं के द्वारा निर्मित समाचार तथा वृत्त-चित्रों के प्रदर्शन की स्वीकृति प्रदान करती है। अतः, चित्रों के निर्माण के सम्बन्ध में यह समिति 'फिल्म-डिवीजन' को परामर्श भी देती है।

**सेन्सर-बोर्ड**—सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट, १९५२ (सन् १९५७ में संशोधित) के अन्तर्गत 'सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेन्सर्स' नवनिर्मित चलचित्रों के परीक्षण तथा उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के उपयुक्त ठहराने के लिए उत्तरदायी है। यह कुछ सिद्धान्तों के आधार पर नवनिर्मित चलचित्रों की सर्वप्रथम परीक्षा कर यह देखता है कि वस्तुतः कोई चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन के लायक है या नहीं। बोर्ड की सहायता के लिए कुछ ऐसे गैर सरकारी व्यक्ति रहते हैं, जिन्हें सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सार्वजनिक विषयों में रुचि तथा अनुभव है। *सेन्सर-बोर्ड जिन चित्रों को सार्वजनिक प्रदर्शन के उपयुक्त समझता है, उन्हें* 'यू' (U) वाला प्रमाण-पत्र देता है। जिन चित्रों को वह केवल वयस्कों के ही देखने लायक समझता है, उनके लिए 'ए' (A) वाला प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष ( चेयरमैन ) तथा छह गैरसरकारी सदस्य होते हैं। बोर्ड का मुख्यालय बम्बई में तथा इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। चलचित्र-निर्माताओं की ओर से सेंसर-बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार के पास अपील की जा सकती है। हाल ही भारत-सरकार ने घोषणा की है कि निर्माताओं को प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद उनके द्वारा निर्मित चित्र दुबारे जांच के लिए सेंसर-बोर्ड के समक्ष दाखिल करने होंगे। एक फिल्म-लाइब्रेरी की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने कानून बना दिया है कि हर चित्र-निर्माता अपने द्वारा निर्मित चित्रों की प्रतियाँ सेंसर-बोर्ड के पास भेजेगा।

**चलचित्रों पर कर-निर्धारण**—चलचित्र-उद्योग पर केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा अलग-अलग कर लगाये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा कच्ची फिल्मों के आयात-कर, चलचित्र-सम्बन्धी प्रसाधनों के आयात-कर, फिल्म-डिवीजन द्वारा निर्मित चित्रों के प्रदर्शन का शुल्क, सेंसर-बोर्ड के प्रमाण-पत्र के शुल्क आदि के रूप में कर लगाये जाते हैं। इसी प्रकार राज्य-सरकारों द्वारा भी मनोरंजन-कर, विक्रय-कर, बिजली-कर, थियेटर टैक्स, लाइसेंस-शुल्क आदि कई तरह के कर लगाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त नगर-पालिकाओं एवं नगर-निगमों द्वारा भी ऑक्ट्राय-चुंगी, लाइसेंस-शुल्क, संपत्ति-कर, पोस्टर और विज्ञापन-कर आदि लगाये जाते हैं।

**भारतीय चलचित्र-संघ**—इस संघ का प्रधान उद्देश्य है चलचित्र-व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करना, उसका निरीक्षण करना तथा संरक्षण देना। यह संघ चलचित्र-उद्योग और उसमें लगे लोगों के हितों की रक्षा करता है। यह उनके व्यापार के तरीकों का नियमन करता है, उद्योग-सम्बन्धी नियम, कानून एवं रीतियों में एकरूपता स्थापित करता है, पंचायत या अन्य तरीकों द्वारा आपसी झगड़ों का निपटारा करता है, चलचित्र-उद्योग को प्रोत्साहन देता है तथा फिल्म-उद्योग की लाभ-हानि की दृष्टि से विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करता है।

**फिल्म-सम्बन्धी प्रशिक्षण**—२० मार्च, १९६१ ई० को पूना में एक फिल्म-संस्थान स्थापित किया गया है, जिसमें फिल्म-निर्माण के विभिन्न अंगों—सिनेमेटोग्राफी, ध्वनि-अभियंत्रण, निर्देशन, रूप-सज्जा, सजीवता इत्यादि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

**फिल्म-वित्त-निगम**—उच्च कोटि के चित्र-निर्माण के निमित्त आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन देने के लिए भारत-सरकार ने ११ अप्रैल, १९६० ई० को फिल्म-वित्त-निगम (फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन) की स्थापना की है। यह निगम मध्यवित्तवाले चलचित्र-निर्माताओं को उनकी फिल्म की पाण्डुलिपि देखकर कुल लागत के ६०-७० प्रतिशत तक ऋण देता है। इसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ रुपये है। इसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है। सन् १९६१ ई० के अक्तूबर तक निगम से ऋण प्राप्त करने के लिए कुल २२ आवेदन-पत्र (१४,७० लाख रु०) दिये गये थे, जिनमें से पाँच आवेदकों को कुल मिलाकर १८ लाख रुपये दिये गये।

**सर्वश्रेष्ठ चित्रों को राजकीय पुरस्कार**—उच्च स्तर के चलचित्रों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के हेतु केन्द्रीय सरकार सन् १९५४ ई० से प्रतिवर्ष फिल्म-कम्पनियों एवं चित्रों के निर्माताओं और निर्देशकों को पुरस्कार देती है। अखिलभारतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विशिष्टता के प्रमाण-पत्र के अलावा स्वर्ण-पदक, रजत-पदक तथा नकद पुरस्कार भी दिये जाते हैं। पुरस्कार एक वर्ष पूर्व के निर्मित चित्रों पर मिलते हैं।

सन् १९५३ ई० से १९६१ ई० तक के नौ वर्षों में निर्मित सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करनेवाले वृत्तचित्र निम्नलिखित हैं—

१९५३ : 'शामची आई' (मराठी)—निर्देशक : पी० के० आत्रे।
१९५४ : 'मिर्जा गालिब' (हिन्दी)—सोहराब मोदी।
१९५५ : 'पथेर पंचाली' (बँगला)—सत्यजित राय।
१९५६ : 'काबुलीवाला' (बँगला)—तपन सिंह।
१९५७ : 'दो आँखें, बारह हाथ' (हिन्दी)—वी० शांताराम।
१९५८ : 'सागर-संगम' (बँगला)—देवकीकुमार बसु।
१९५९ : 'अपूर संसार' (बँगला)—सत्यजित राय।
१९६० : 'अनुराधा' (हिन्दी)—हृषीकेश मुखोपाध्याय।
१९६१ : 'भगिनी निवेदिता' (बँगला)—विजय बसु।

सन् १९६१ ई० का दूसरा श्रेष्ठ वृत्तचित्र तमिल का 'ख मनिप्पू' और तीसरा मराठी का 'प्रपंच' समझा गया है। बच्चों की फिल्मों में हिन्दी के चित्र 'हट्टोगोल-विजय' को पहला स्थान, 'सावित्री' को दूसरा स्थान और 'नन्हें-मुन्ने सितारे' को तीसरा स्थान मिला है। अँगरेजी वृत्त-चित्रों में प्रथम स्थान 'रवीन्द्रनाथ टैगोर' को, द्वितीय स्थान 'ऑवर फेदर्ड फ्रेण्ड्स' को और तृतीय स्थान 'रोमान्स ऑफ द इण्डियन क्वायन्स' को प्राप्त हुआ है। शैक्षणिक फिल्मों में अँगरेजी की 'साइट्रा कल्टिवेशन' को प्रथम, 'क्वायर वर्कर' को द्वितीय और हिन्दी के 'आह्वान' को तृतीय घोषित किया गया है।

**विदेशों में भारतीय चित्रों की माँग**—सफल चित्रों के राजस्व का १५ से २० प्रतिशत विदेशों से प्राप्त होता है। जापान और चीन को छोड़कर समस्त एशिया, पूर्वी अफ्रिका, मिस्र, लीबिया और वेस्ट इण्डीज में भारतीय चित्रों की अच्छी माँग है। रूस और पूर्वी यूरोपीय

देशों में अधिकाधिक भारतीय चित्र दिखाये जा रहे हैं। इस प्रकार, चलचित्रों द्वारा विदेशों से प्रतिवर्ष लगभग दो करोड़ रुपये की आय होती है। सन् १९५९ ई० में सोवियत रूस, सं० रा० अमेरिका, इंगलैंड, इटली और चिली में जो अन्तरराष्ट्रीय फिल्म-महोत्सव हुए, उनमें ४ भारतीय फीचर-फिल्म और २ डॉक्युमेंटरी चित्र पुरस्कृत हुए। वेनिस में समाचार-चित्रावली फिल्मों की जो अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई थी, उसमें एक भारतीय न्यूज रील 'कैमरा-मैन' को पुरस्कार मिला। सन् १९५९ ई० में भारतीय फिल्मों के निर्यात से १ करोड़ ७१ लाख मूल्य की विदेशी मुद्राएँ प्राप्त हुईं। विदेशों में भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म-निर्यात-प्रोत्साहन-समिति गठित की गई है।

**भारत के प्रमुख चलचित्र-निर्माता :** कलकत्ता—(१) न्यू थियेटर्स, (२) ईस्ट इण्डियन फिल्म्स, (३) डीलक्स पिक्चर्स, (४) इण्डियन नेशनल आर्ट पिक्चर्स, (५) एम० पी० प्रोडक्शन्स लि०, (६) रूपश्री लिमिटेड, (७) अरोड़ा फिल्म्स कारपोरेशन, (८) वसुमित्र, (९) इन्द्रपुरी स्टूडियो, (१०) सत्यजित प्रोडक्शन, (११) राधा फिल्म्स। बम्बई—(१२) राजकमल-कला-मंदिर, (१३) बॉम्बे टॉकीज लि०, (१४) कारदार प्रोडक्शन्स, (१५) श्रीरणजीत मूवीटोन, (१६) फिल्मिस्तान, (१७) बॉम्बे सीनेटोन, (१८) आर० के फिल्म्स, (१९) वाडिया मूवीटोन, (२०) पंचोली प्रोडक्शन्स, (२१) गुरुदत्त फिल्म्स, (२२) महबूब प्रोडक्शन्स, (२३) अशोककुमार प्रोडक्शन्स। (२४) प्रकाश पिक्चर्स। पूना—(२५) रणजीत मूवीटोन। मद्रास—(२६) जेमिनी स्टूडियोज, (२७) भारत मूवीटोन, (२८) जय फिल्म्स, (२९) ए० वी० एम० प्रोडक्शन्स, (३०) रागिनी फिल्म्स, (३१) प्रकाश प्रोडक्शन्स।

### सन् १९५६ से १९६० ई० तक विभिन्न भाषाओं में बने भारतीय वृत्तचित्रों की संख्या

| | १९५६ | १९५७ | १९५८ | १९५९ | १९६० |
|---|---|---|---|---|---|
| हिन्दी | १२३ | ११५ | ११६ | १२१ | १२० |
| गुजराती | ३ | — | — | — | २ |
| मराठी | १३ | १४ | १६ | १० | १५ |
| बँगला | ५४ | ५५ | ४५ | ३८ | ३८ |
| तमिल | ५१ | ४६ | ६१ | ८० | ६३ |
| तेलुगु | २७ | ३६ | ३६ | ४६ | ५४ |
| कन्नड | १४ | १४ | ११ | ५ | १२ |
| पंजाबी | — | २ | १ | १ | ४ |
| मलयालम | ५ | ७ | ४ | ३ | ६ |
| असमिया | ३ | ३ | २ | ५ | — |
| अँगरेजी | — | १ | — | १ | १ |
| परसियन | — | १ | — | — | — |
| उर्दू | — | १ | — | — | ३ |
| उड़िया | २ | १ | — | २ | ५ |
| सिंधी | — | — | ३ | — | १ |
| कुल | २९५ | २९६ | २९५ | ३१२ | ३२४ |
| संक्षिप्त चित्र | — | — | — | ५८२ | ६२८ |

## सिनेमा-फिल्म, सामान आदि का आयात

| | १९५७ | १९५८ | १९५९ | १९६० |
|---|---|---|---|---|
| कच्ची फिल्म (हजार फुट में) | २,७१,३१९ | २,१४,२७० | २,१३,२०१ | २,७१,४०८ |
| ,, ,, मूल्य (हजार रुपये में) | २०,५२६ | १६,४०६ | २७,७३२ | १९,४३३ |
| व्यवहृत फिल्म (हजार फुट में) | १६,८७३ | ११,११३ | १७,३६१ | १६,७०१ |
| ,, ,, मूल्य (हजार रुपये में) | ४,५३६ | ३,२२३ | ३,८५८ | ३,७७३ |
| ध्वनि-रेकार्ड के सामान (हजार रुपये में) | १,३१० | ४५६ | ३१७ | १४१ |
| प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)-मूल्य (हजार रु० में) | ५,६३९ | ३,६४५ | २,४३२ | ३,२४३ |

## भारत में सिनेमा की कुछ प्रमुख बातें

१८९६ : भारत में सिनेमा का प्रथम प्रदर्शन, ७ जुलाई को लुमियर बन्धु द्वारा।

१९०७ : कलकत्ता में प्रथम सिनेमा-भवन का निर्माण, श्री जे० एफ० मदन द्वारा।

१९१३ : प्रथम भारतीय फिल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' का निर्माण, बम्बई के डी० फलके द्वारा।

१९१७ : बंगाल में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म 'नल-दमयंती, का निर्माण, श्री जे० एफ० मदन द्वारा।

१९१८ : भारतीय सिनेमेटोग्राफ-अधिनियम स्वीकृत।

१९२० : फिल्मों का सेंसर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में प्रारम्भ।

१९२१ : दक्षिण भारत का पहला चित्र 'भीष्म-प्रतिज्ञा' स्टार ऑफ द इस्ट कम्पनी द्वारा निर्मित।

१९२२ : मनोरंजन-कर बंगाल में लागू।

१९२७ : सिनेमेटोग्राफ-कमिटी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा।

१९२९ : प्रथम सवाक् चित्र एलफिन्सटन पिक्चर पैलेस, कलकत्ता में प्रदर्शित।

१९३१ : (क) प्रथम भारतीय सवाक् चित्र 'आलमआरा' १४ मार्च को इम्पीरियल फिल्म स्टूडियो द्वारा निर्मित।

(ख) द्वितीय सवाक् चित्र 'शीरीं-फरहाद' मदन थियेटर लि०, कलकत्ता द्वारा निर्मित।

(ग) प्रथम भारतीय रंगीन चित्र 'सैरन्ध्री' प्रभात स्टूडियो द्वारा जर्मनी में रंजित।

१९३२ : पार्श्व-संगीत सर्वप्रथम बँगला-फिल्म 'चंडीदास' में प्रयुक्त।

१९३९ : भारतीय फिल्म-उद्योग की रजत-जयंती।

१९४३ : भारत-सरकार द्वारा समाचार-चित्र का प्रतिष्ठापन।

१९४९ : भारत-सरकार द्वारा फिल्म-जाँच-समिति की नियुक्ति।

(क) नये संविधान की संघीय सूची में फिल्म-सेंसर का समावेश।

१९५१ : फिल्म-सेंसर की केन्द्रीय परिषद् जनवरी में बम्बई में स्थापित।

१९५२ : प्रथम अंतरराष्ट्रीय फिल्म-महोत्सव केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई में आयोजित।

१९५४ : भारत-सरकार द्वारा फिल्म-पुरस्कार प्रारम्भ।

१९५६ : भारतीय सवाक् चित्र की रजत-जयंती का आयोजन।

१९६० : बालकों के लिए प्रथम रंगीन व्यंग्य-चित्र फिल्म-डिवीजन द्वारा निर्मित।

११६१ : अंतरराष्ट्रीय फिल्म-महोत्सव दिल्ली में आयोजित।

✶

# द्वितीय लोकसभा का सिंहावलोकन

गत ३१ मार्च, १९६२ ई० को जो लोकसभा विघटित हुई, उसके पंचवर्षीय जीवन-काल में भारत के परराष्ट्र-सम्बन्ध में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुईं, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लोकसभा के पिछले तीन वर्षों में जो वाद-विवाद हुए, उनमें प्रधानता परराष्ट्र-सम्बन्ध और विशेष कर चीन के साथ भारत के सम्बन्ध की रही। सन् १९५७ ई० के वसन्त में जिस समय लोकसभा का सत्र प्रारम्भ हुआ, उस समय चीन के साथ भारत का सम्बन्ध सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण था। २६ नवम्बर, १९५७ ई० को जब चीन के प्रधान मंत्री ने संसद् के दोनों सदनों के समक्ष भाषण किया था, उस समय उनका अत्यन्त स्नेहपूर्ण स्वागत किया गया था। अपने भाषण में उन्होंने भारत द्वारा किये जानेवाले शान्ति-प्रयत्नों की बड़ी प्रशंसा की थी और भारत-चीन के बीच स्थायी मैत्री-सम्बन्ध की महत्ता पर जोर दिया था।

इसके पन्द्रह मास के बाद तिब्बत में विद्रोह हुआ और इसके साथ-साथ चीन-भारत-सम्बन्ध की जो इमारत खड़ी की गई थी, वह टूटकर ढहने लगी। सन् १९५९ ई० के वसन्त से अन्तिम समय तक, जब कि परराष्ट्र-सम्बन्ध विषय को लेकर वाद-विवाद हुए, चीन की आक्रामक नीति की विशेष रूप से चर्चा की गई। भारत-चीन-सम्बन्ध के वाद-विवाद के सिलसिले में विभिन्न दलों और उनके प्रमुख मुखपात्रों ने अपने राजनीतिक एवं आदर्शगत विश्वासों की भी अभिव्यक्ति की। दक्षिणपंथी दलों और प्रजा-समाजवादी दल ने ऐसा भाव प्रकट किया कि चीन की आक्रामक नीति को देखते हुए भारत का रुझान प्रत्यक्ष रूप से न सही, मानसिक रूप में पश्चिमी गुट की ओर होना चाहिए। किन्तु प्रधान-मंत्री ने बराबर इस बात पर जोर दिया कि चीन के अनाक्रमण को शीतयुद्ध के वृहत्तर प्रश्न से पृथक् रखना चाहिए।

लोकसभा की अन्तिम अवधि में चीन और भारत के सीमान्त-विवाद में यद्यपि कोई सुधार नहीं हुआ, किन्तु चीन की ओर से यह आग्रह प्रकट किया गया कि तिब्बत और भारत के बीच जो सन्धि हुई थी और जिसका कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो रहा है, उसका नवीकरण किया जाय। भारत की ओर से इसका यह उत्तर दिया गया कि चीन ने भारत के सीमान्त पर आक्रमण करके जिन स्थानों पर अधिकार कर लिया है, वहाँ से अपना अधिकार हटाकर शान्ति के अनुकूल वातावरण की सृष्टि में जबतक सहायक नहीं होता, तबतक सन्धि का नवीकरण व्यर्थ होगा।

चीन के अतिरिक्त पाकिस्तान के साथ भारत का जो सम्बन्ध है उस पर लोकसभा में विशेष रूप से चर्चा हुई। कुछ सदस्यों की ओर से यह संकेत भी किया गया कि भारत महादेश की चीन के विरुद्ध रक्षा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैनिक-समझौता हो। नहर के पानी को लेकर दोनों पड़ोसी देशों के बीच जो विवाद चला आ रहा था, उसका अंत सन् १९५८ ई० में एक इकरारनामे के द्वारा हुआ, जिसका अनुमोदन लोकसभा ने किया।

सन् १९५७-५८ ई० में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमान्त पर अनेक दुर्घटनाएँ हुईं, किन्तु इसके बाद सीमान्त-परिसीमन का कार्य तत्परता के साथ आरम्भ हुआ और सन् १९६१ ई० के अन्त तक सम्पूर्ण भारत-पाकिस्तान-सीमान्त परिसीमित हो गया और इसके बाद कोई दुर्घटना नहीं सुनी गई।

लोकसभा के पांच वर्ष के जीवन-काल में विश्व-शान्ति-समस्या की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। शीतयुद्ध पूर्ववत् चलता रहा। पेरिस-शिखर-सम्मेलन के भंग हो जाने के बाद उसमें और भी उग्रता आ गई। एशिया और अफ्रिका महादेशों में बराबर हलचल और उत्तेजना बनी रही। सन् १९५७ ई० में इंगलैंड, फ्रान्स और इजरायल की आक्रमणकारी सेनाओं ने मिस्र को खाली नहीं किया था। सन् १९५८ ई० में अमेरिका के सैनिक-हस्तक्षेप के कारण लेबनान में संकट उपस्थित हुआ। उसी साल इराक में क्रान्ति हुई और इसके तुरन्त बाद ही तुर्की और पाकिस्तान में सैनिक-विप्लव हुआ। सन् १९५८ ई० के अन्तिम भाग में लाओस में राजनीतिक संकट उपस्थित हुआ। उसी साल बर्मा में सैनिक-शासन के बाद प्रतिनिधिमूलक शासन की स्थापना हुई और उसके दो वर्ष के बाद ही एक सैनिक-विप्लव द्वारा उसका अन्त कर दिया गया। अफ्रिका महादेश के कितने ही छोटे-छोटे देश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य बने। दक्षिण अफ्रिका एक गणराज्य के रूप में परिणत हुआ और राष्ट्रमण्डल से उसे बहिष्कृत कर दिया गया। कांगो में गृहयुद्ध आरम्भ हुआ, किन्तु राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से शान्ति की स्थापना हुई, लेकिन अमेरिका में भी कुछ खलबली मची। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में ८ वर्षों के बाद वहाँ के डिमोक्रैटिक दल के हाथ में पुनः सत्ता आई। सोवियत रूस में तथा अन्य कम्युनिस्ट देशों में भी बड़े-बड़े परिवर्त्तन हुए।

इन सब नाटकीय घटनाओं की ओर लोकसभा का ध्यान आकृष्ट हुआ और उसने अपने अभिमत प्रकट किये। लोकसभा के लिए यह प्रशंसा कि बात रही कि अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनके प्रति उसने अपनी पूर्ण जागरूकता दिखलाई और मध्य-पूर्व लाओस और कांगो में भारत-सरकार ने अपना जो अन्तरराष्ट्रीय दायित्व ग्रहण किया, उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया। पाकिस्तान, बर्मा और नेपाल में जनतांत्रिक शासन के विघटित हो जाने से लोक-सभा ने भारत की गणतान्त्रिक संस्थाओं के प्रति और भी अधिक उत्साह एवं आग्रह प्रकट किया।

स्वदेश में बम्बई-राज्य महाराष्ट्र और गुजरात इन दो राज्यों में विभक्त कर दिया गया। आसाम के सीमान्त पर नागा-भूमि की सृष्टि करके नागा-अंचलों के उपद्रवों को शान्त किया गया और उसके स्थायी भविष्य की नींव डाली गई।

आसाम में भाषा को लेकर हुए उपद्रव और पंजाब में अकाली दल की ओर से पंजाबी सूबा की माँग राष्ट्रीय एकता के लिए चिन्ता के कारण हुए। उसी प्रकार मध्यप्रदेश और उत्तर-प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों के कारण स्थिति की गम्भीरता और भी बढ़ गई। पिछले दो वर्षों में लोकसभा के सामने सबसे प्रमुख गृह-समस्या राष्ट्रीय अखण्डता की थी और संसद् ने इस समस्या को बड़ी चुनौती के रूप में देश के सामने रखा।

केरल में कम्युनिस्ट-सरकार के विरुद्ध प्रबल जनान्दोलन उठा। सरकार ने पदत्याग किया और नया चुनाव हुआ, जिसके फलस्वरूप कोंगरेस-प्रजा-समाजवादी दल और मुस्लिम-लीग की संयुक्त सरकार कायम हुई। इस प्रश्न पर भी लोक सभा में काफी वाद-विवाद हुआ। सन् १९५९ ई० के सितम्बर में भारत के प्रधान सेनापति जेनरल थिमैया ने पदत्याग किया। मंत्रिमण्डल के सदस्य श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने मुन्ध्रा-काण्ड के कारण इस्तीफा दिया। सन् १९५९ ई० के अगस्त में श्रीअजित प्रसाद जैन ने मंत्रिपद का त्याग इसलिए किया कि संसद् में उनके विभाग की तीव्र समालोचना की गई थी। लोकसभा के शक्तिशाली सदस्य अबुल कलाम आजाद सन् १९५८ ई० में और गोविन्द

वल्लभ पंत सन् १९६१ ई० में स्वर्गवासी हुए। दोनों ही मंत्रिमण्डल के सदस्य थे। श्रीफिरोज गांधी भी लोकसभा के एक प्रसिद्ध सदस्य थे, जिनकी मृत्यु हुई।

गत लोकसभा के जीवन-काल में देश की आर्थिक अवस्था में भी बहुत कुछ परिवर्त्तन हुआ। दूसरे योजना-काल में देश के औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया और तीन इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। और भी कई बड़े-बड़े उद्योग चालू किये गये।

परिवहन, संचार और विद्युत्-शक्ति के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। जिसका प्रभाव देश की अर्थनीति पर पड़ा। द्वितीय योजना के जो लक्ष्य थे, उनके अधिकांश की पूर्त्ति हुई। देश की अर्थनीति को लेकर लोकसभा में जो वाद-विवाद हुए, उनमें उतनी सरगर्मी और दिलचस्पी नहीं देखी गई, जितनी राजनीतिक और अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं के वाद-विवाद में। इसका कारण सम्भवतः यह है कि लोकसभा के अधिकांश सदस्य आर्थिक समस्याओं की जटिलताओं से विशेष परिचित नहीं है। सन् १९५८ ई० के मई में ज्वालामुखी में भूमि के नीचे तेल के स्रोत का पता लगा। इसके बाद आसाम, महाराष्ट्र और गुजरात में तेल-स्रोतों के आविष्कार किये गये। तेल के व्यवसाय को सरकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने विदेशी राष्ट्रों की सहायता ली और दो तेल-शोधनागार स्थापित किये गये। तेल-उद्योग-समस्याओं के सम्बन्ध में भी लोक-सभा में बार-बार वाद-विवाद हुए।

द्वितीय लोकसभा की कुल बैठकें ७७१ दिनों में हुई और बैठकों की औसत वार्षिक कालावधि ८०६ घंटों की थी। द्वितीय लोकसभा में नये सदस्यों की संख्या २६२ थी और सदस्यों की औसत आयु ६२ वर्ष थी। प्रथम लोक-सभा के अधिकांश सदस्य ५०—५५ वर्ष की आयु के थे, जबकि द्वितीय लोकसभा के अधिकांश सदस्य ३५—४० वर्ष की आयु के। सन् १९६१ ई० के दिसम्बर तक लोकसभा में कुल ३६५१ घंटा और ३५ मिनट तक काम हुआ। समाज-सुधार के क्षेत्र में कोई विशेष विधेयक पारित नहीं हुआ। आर्थिक क्षेत्र में सम्पत्ति-कर, व्यय-कर और दान-कर ये तीन नये कानून पास हुए। कुल ८३ संकल्पों पर वाद-विवाद हुए। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम जो संकल्प पारित हुआ था, उसमें विश्व के महान् शक्तिशाली राष्ट्रों से अपील की गई थी कि वे आणविक अस्त्रों का परीक्षण निलम्बित रखें।

सन् १९६१ ई० के दिसम्बर के अन्त तक सदस्यों ने १ लाख ३३ हजार ३२८ प्रश्नों के पूछने की सूचना दी थी। प्रथम लोकसभा में ७२ हजार प्रश्नों के पूछने की सूचना दी गई थी। सन् १९६१ ई० के दिसम्बर तक कार्य-स्थगन के १२६२ प्रस्तावों की सूचना दी गई, जिनमें ५०२ सदन के समक्ष उपस्थापित किये गये और केवल तीन वाद-विवाद के लिए स्वीकृत हुए।

द्वितीय लोकसभा की कालावधि में १०४ सदस्य ऐसे थे, जो एक बार भी नहीं बोले। बोलनेवालों में काँगरेस-दल के श्रीठाकुरदास भार्गव सबसे अधिक समय तक बोले। इसके बाद बोलनेवालों में प्रधान मंत्री का स्थान था। मंत्रिमण्डल के सदस्यों में प्रतिरक्षा-मंत्री श्रीकृष्णमेनन बहुत कम बोले। उपमंत्री श्रीनस्कर केवल एक बार बोले और वह भी दो मिनटों के लिए। महिला सदस्याओं में श्रीमती रेणु चक्रवर्ती सबसे अधिक समय तक बोलीं।

*

# साधारण निर्वाचन, १९६२

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से अवतक भारत में तीन साधारण निर्वाचन हो चुके हैं—सन् १९५२ ई० में, सन् १९५७ ई० में और सन् १९६२ ई० में। सन् १९५२ ई० में १७३०,००००० मतदाताओं में ८,४६,००,००० ने मत-प्रदान किया। इस प्रकार, मत-प्रदान करनेवालों का प्रतिशत ५१·१५ रहा। सन् १९५७ ई० के द्वितीय साधारण निर्वाचन में मत-प्रदान करनेवालों का यह प्रतिशत घटकर ४७·५७ रह गया। उस वर्ष देश के १९,३०,००००० मतदाताओं में ९,२०,००,००० मतदाताओं ने मत-प्रदान किया था। लेकिन, यह औसत संसार के अधिकांश देशों में देखा जाता है। सन् १९६२ ई० के साधारण निर्वाचन में मतदाताओं की संख्या वढ़कर २१ करोड़ ६० लाख हो गई। इस वार निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या भी वढ़ी है; क्योंकि दो सदस्यवाले सभी निर्वाचन-क्षेत्र टूटकर एक निर्वाचन-क्षेत्रवाले हो गये। मतदान केन्द्रों की संख्या तो वढ़कर सवा दो लाख हो गई; क्योंकि करीव ६०० मतदाताओं पर ही एक मतदान-केन्द्र वनाया गया था। पहले के दो निर्वाचनों में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक-एक मत-पेटिका की व्यवस्था रहती थी और मतदाता अपने इच्छानुसार किसी मत-पेटिका में अपना मत-पत्र डालता था। परन्तु, इस तृतीय साधारण निर्वाचन में एक ही मत-पत्र को उसपर छपे उम्मीदवारों के नामों में से अपने अभीष्ट उम्मीदवार के नाम को मुहर से चिह्नित कर एक ही मत-पेटिका में सभी मतदाता डालते थे। इसके फलस्वरूप पिछले निर्वाचनों में जहाँ २६ लाख मत-पेटिकाओं की आवश्यकता पड़ी थी, इस वार केवल ५ लाख मत-पेटिकाओं से ही काम चल गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मतदान-केन्द्र में दो मत-पेटिकाएँ थीं—एक राज्य-विधान-सभा के उम्मीदवारों के लिए तथा दूसरी लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए। दोनों के मत-पत्र दो रंगों के थे—लोकसभा के लिए सफेद राज्य-विधान-सभा के लिए गुलावी रंग के। मतदान-कार्य १९ फरवरी से २४ फरवरी तक सम्पन्न हुआ।

अवतक के सभी निर्वाचनों में चाहे वह लोक-सभा का हो या राज्य-विधान-सभाओं का, कॉंगरेस-दल का अत्यधिक वहुमत रहा है।

तृतीय साधारण निर्वाचन में लोकसभा में कॉंगरेस तथा विपक्षी दलों की शक्ति में कोई विशेष परिवर्त्तन नहीं हुआ है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या ५०९ है, जिसमें कांगरेस ने ३६१ स्थान प्राप्त किये हैं। अन्यान्य सभी दलों तथा निर्दलीय सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर १३३ है। जम्मू और कश्मीर-राज्य के विधान-मंडल के अभिस्ताव पर ६ प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर आये हैं। राष्ट्रपति ने ९ सदस्यों को मनोनीत किया है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ये ९ सदस्य ऐंग्लो-इण्डियन, संघीय क्षेत्र अन्दमान निकोवार द्वीप-समूह, लक्कादीव मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप-समूह तथा दादर और नागरहवेली; गोआ डामन् और डिउ का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसके पहले की लोकसभा में कॉंगरेस-सदस्यों की संख्या ३७६ और विपक्षी दलों की सदस्य-संख्या ११९ थी। लोकसभा में कांगरेस के वाद ही कम्युनिस्ट दल का स्थान है।

जिसकी सदस्य-संख्या २६ है। पूर्ववर्त्ती लोकसभा में प्रजा-समाजवादी दल की सदस्य-संख्या १६ थीं; इस बार घटकर १२ हो गई है। स्वतंत्र पार्टी ने १८ स्थान प्राप्त किये हैं। उड़ीसा की गणतंत्र-परिषद् के उसके साथ मिल जाने से स्वतंत्र पार्टी की सदस्य-संख्या २२ हो गई है। गत लोकसभा में जनसंघ के सदस्यों की संख्या ६ थी। इस बार वह बढ़कर १४ हो गई है। यह तीसरा विपक्षी दल है। समाजवादी दल की सदस्य-संख्या ७ से घटकर ६ हो गई है। मद्रास के द्रविड मुन्नेत्र कज़गम-दल ने ७ और पंजाब के अकाली-दल ने ३ स्थान प्राप्त किये हैं। शेष दलों तथा निर्दलीय सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर ३८ है।

लोक-सभा के कुल उम्मीदवारों की संख्या १६८३ थी, जिनमें कॉंगरेस-दल के ४८८; जनसंघ के १६८; स्वतन्त्र पार्टी के १७२; प्रजा-समाजवादी दल के १६६; कम्युनिस्ट पार्टी के १३७; सोशलिस्ट पार्टी के १०७; रिपब्लिकन पार्टी के ८०; हिन्दू-महासभा के ४२; रामराज्य-परिषद् के ४१; द्रविड मुन्नेत्र कज़गम के १८; झारखण्ड पार्टी के ११ और उड़ीसा की गणतन्त्र-परिषद् के १० उम्मीदवार थे। इनके अतिरिक्त अन्य दलों के तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या ५१३ थी। कॉंगरेस ने केरल में ४ स्थान प्रसोपा दल के लिए छोड़ दिये थे। बीकानेर के स्थानों के लिए कॉंगरेस का कोई उम्मीदवार नहीं था। मध्यप्रदेश के एक स्थान के लिए कॉंगरेसी उम्मीदवार का मनोनयन-पत्र रद्द हो गया।।

लोकसभा के ४८५ स्थानों के चुनाव में सन् १९६२ ई० के २१ करोड़ ६० लाख मतदाताओं में से १० करोड़ ३० लाख से कुछ अधिक मतदाताओं ने मत-प्रदान किये। इसमें कॉंगरेस को ४ करोड़ ४६ लाख, अर्थात् प्रतिशत लगभग ४५·२४, कम्युनिस्ट दल को प्रतिशत १०·६७, स्वतन्त्र दल को ८४ लाख, जनसंघ को ६१ लाख, प्रजा-समाजवादी दल को ७० लाख, समाजवादी दल को २७ लाख और द्रविड मुन्नेत्र कज़गम को २३ लाख वोट मिले। ३६ लाख वोट, अर्थात् ३८ प्रतिशत रद्द किये गये।

## राज्य और राजनीतिक दलों के अनुसार १९६२ में लोकसभा के स्थान

**आन्ध्र—४३**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | ३४ |
| साम्यवादी दल | ७ |
| स्वतन्त्र पार्टी | १ |
| अन्य | १ |

**आसाम—१२**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | ६ |
| प्रजा-समाजवादी | २ |
| निर्दलीय | १ |

**उड़ीसा—२०**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | १४ |
| प्रजा-समाजवादी | १ |
| अन्य दल | ५ |

**उत्तरप्रदेश—८६**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | ६२ |
| जनसंघ | ७ |
| स्वतन्त्र | ३ |
| रिपब्लिकन | ३ |
| साम्यवादी | २ |

| | |
|---|---|
| प्रजा-समाजवादी | २ |
| समाजवादी | १ |
| हिन्दू-महासभा | १ |
| निर्दलीय | ५ |

**केरल—१८**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | ६ |
| साम्यवादी | ६ |
| निर्दलीय | ४ |
| अन्य दल | २ |

**गुजरात—२२**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | १६ |
| स्वतन्त्र | ४ |
| प्रजा-समाजवादी | १ |
| निर्दलीय | १ |

**जम्मू-कश्मीर—६**

| | |
|---|---|
| राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत | ६ |

**पंजाब—२२**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | १४ |
| अकाली | २ |
| जनसंघ | ३ |
| समाजवादी | १ |
| निर्दलीय | १ |

**पश्चिम बंगाल—३६**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | २२ |
| साम्यवादी | ९ |
| अग्रगामी दल | १ |
| प्रजा-समाजवादी | १ |
| लोकसेवक-संघ | १ |
| निर्दलीय | २ |

**बिहार—५३**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | ३९ |
| स्वतन्त्र | ७ |
| प्रजा-समाजवादी | २ |
| साम्यवादी | १ |
| समाजवादी | १ |
| अन्य दल | ३ |

**मद्रास—४१**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | ३१ |
| द्र० मु० कजगम | ७ |
| साम्यवादी दल | २ |
| अग्रगामी दल | १ |

**मध्यप्रदेश—३६**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | २४ |
| प्रजा-समाजवादी | ३ |
| जनसंघ | ३ |
| समाजवादी | १ |
| अन्य दल | १ |
| निर्दलीय | ४ |

**महाराष्ट्र—४४**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | ४१ |
| प्रजा-समाजवादी | १ |
| निर्दलीय | २ |

**मैसूर—२६**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | २५ |
| निर्दलीय | १ |

**राजस्थान—२२**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | १४ |
| स्वतन्त्र | ३ |
| जनसंघ | १ |
| अन्य दल | १ |
| निर्दलीय | ३ |

**दिल्ली—५**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | ५ |

**मणिपुर—२**

| | |
|---|---|
| साम्यवादी | १ |
| समाजवादी | १ |

**हिमाचल-प्रदेश—४**

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | ४ |

**त्रिपुरा—२**

| | |
|---|---|
| साम्यवादी | १ |

## राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्कदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप-समूह—१; दादर और नागर-हवेली—१ ; गोआ, डामन और डिउ—२ ; उत्तर-पूर्व सीमान्त-क्षेत्र—१ : नागा पहाड़िया और त्वेनसांग-क्षेत्र—१ ; एँग्लो-इण्डियन—२ ।

## राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या

( १५ मई, १९६२ तक की स्थिति )

| राज्य | संख्या | राज्य | संख्या |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र | १८ | मद्रास | १८ |
| आसाम | ७ | मध्यप्रदेश | १६ |
| उड़ीसा | १० | महाराष्ट्र | १९ |
| उत्तरप्रदेश | ३४ | मैसूर | १२ |
| केरल | ९ | राजस्थान | १० |
| गुजरात | ११ | दिल्ली | ३ |
| जम्मू और कश्मीर | ४ | मणिपुर | १ |
| पंजाब | ११ | हिमाचल-प्रदेश | २ |
| पश्चिम बंगाल | १६ | त्रिपुरा | १ |
| बिहार | २२ | राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत | १२ |

सदन के सदस्यों की कुल संख्या २३६

## राज्य-विधान-सभाओं का निर्वाचन १९६२

**आंध्र—३०१**

| दल | संख्या |
|---|---|
| काँगरेस | १७८ |
| साम्यवादी | ५१ |
| स्वतन्त्र | १९ |
| समाजवादी | २ |
| निर्दलीय | ५० |
| मनोनीत | १ |

**आसाम—१०५**

| दल | संख्या |
|---|---|
| कोंगरेस | ७९ |
| हिल लीडर्स कान्फ्रेंस | ११ |
| प्रजा-समाजवादी | ६ |
| क्रांतिकारी साम्यवादी दल | १ |
| निर्दलीय | ८ |

**उड़ीसा—१४०**

| दल | संख्या |
|---|---|
| काँगरेस | ८३ |
| प्रजा-समाजवादी दल | ११ |
| साम्यवादी दल | ४ |
| अन्य दल | ३५ |
| निर्दलीय | ७ |

**उत्तरप्रदेश—४३०**

| दल | संख्या |
|---|---|
| काँगरेस | २४९ |
| जनसंघ | ४९ |
| प्रजा-समाजवादी दल | ३८ |
| समाजवादी दल | २४ |
| स्वतन्त्र पार्टी | १५ |
| साम्यवादी दल | १४ |
| रिपब्लिकन | ८ |
| हिन्दू-महासभा | २ |
| निर्दलीय | ३१ |

**केरल—१२७**

| दल | संख्या |
|---|---|
| काँगरेस | ६३ |
| साम्यवादी दल | २७ |

| | |
|---|---|
| निर्दलीय | ३७ |
| मनोनीत | १ |

### राजस्थान—१७६

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | ८८ |
| स्वतन्त्र पार्टी | ३६ |
| जनसंघ | १५ |
| समाजवादी दल | ५ |
| साम्यवादी दल | ५ |
| प्रजा-समाजवादी दल | २ |
| राम-राज्य-परिषद् | ३ |
| निर्दलीय | २२ |

### मणिपुर—३०

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | १५ |
| समाजवादी दल | ५ |
| निर्दलीय | १० |

### हिमाचल-प्रदेश—४१

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | ३२ |
| स्वतन्त्र पार्टी | ४ |
| निर्दलीय | ३ |

( दो स्थानों के परिणाम अज्ञात )

### त्रिपुरा—३०

| | |
|---|---|
| कॉंगरेस | १७ |
| साम्यवादी | १३ |

## तुलनात्मक विवेचन

भारत के तृतीय साधारण निर्वाचन में केन्द्र और समस्त राज्यों में कॉंगरेस-दल को ही, बहुमत प्राप्त होने के कारण, शासनाधिकार मिला। १२ राज्यों में ८ राज्यों की विधान-सभाओं में कॉंगरेस-दल के सदस्यों की संख्या में पहले की अपेक्षा ह्रास हुआ। महाराष्ट्र, आसाम और पश्चिम बंगाल की विधान-सभाओं में कॉंगरेस-दल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। लोकसभा में कॉंगरेस-दल के सदस्यों की संख्या में सामान्य ह्रास हुआ।

वामपंथी दलों की अपेक्षा दक्षिणपंथी दलों ने इस निर्वाचन में अपनी शक्ति वृद्धि की है। कम्युनिस्ट और प्रजा-समाजवादी दलों की कुल सदस्य-संख्या में ह्रास हुआ है, जबकि जनसंघ और नवगठित स्वतंत्र पार्टी के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई।

प्रान्तीय और स्थानीय माँगों के आधार पर गठित दलों ने अपने-अपने राज्यों में अपनी-अपनी शक्ति बढ़ाई है। उदाहरण के लिए, मद्रास में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम दल, पंजाब में अकाली दल, आसाम में पहाड़ी नेता-सम्मेलन और बंगभाषा-भाषी समिति, पश्चिम बंगाल में गोरखा-लीग, विदर्भ में नागा विदर्भ-आन्दोलन संस्था इत्यादि।

तृतीय साधारण निर्वाचन के बाद भी भारत में अभी तक सामूहिक रूप में किसी ऐसे विपक्षी दल का गठन नहीं हो सका है, जो सब राज्यों में प्रधान विपक्षी दल की भूमिका ग्रहण कर सके। लोकसभा में प्रधान विरोधी दल की स्वीकृति प्राप्त करने लायक पचास सदस्यों का कोई एक दल नहीं है।

निर्वाचन के सम्बन्ध में जो आँकड़े प्राप्त हुए हैं, उनसे पता चलता है कि लोकसभा के ४६४ स्थानों में ४८६ स्थानों के जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उन्हें कुल ११ करोड़ ४५ लाख वोट मिले हैं। इस संख्या में कॉंगरेस-दल को लगभग ५ करोड़ १५ लाख और कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग १ करोड़ १२ लाख वोट मिले हैं। बाकी ५ करोड़ में अधिक वोट स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, प्रजा-समाजवादी और निर्दलीय सदस्यों को मिले हैं।

लोकसभा में कॉंगरेस-दल को इस बार पहले की अपेक्षा १७ स्थान कम मिले हैं। इसमें ५ स्थानों के निर्वाचन का परिणाम सम्मिलित नहीं है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, मद्रास, बिहार,

पंजाब, आंध्र, मैसूर और राजस्थान की विधान-सभाओं में काँगरेस की शक्ति में ह्रास हुआ है। नवगठित स्वतंत्र पार्टी ने राज्य-विधान-सभाओं में १६७ स्थान प्राप्त किये हैं। सदस्य-संख्या की दृष्टि से काँगरेस के बाद इस दल का ही दूसरा स्थान है। गुजरात, बिहार और राजस्थान की विधान-सभाओं में स्वतंत्र पार्टी ही प्रधान विपक्षी दल के रूप में कार्य करेगी। लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी के १८ और उड़ीसा की गणतन्त्र-परिषद् के चार सदस्य मिलाकर कुल २२ सदस्य होंगे, जो द्वितीय विपक्षी दल के रूप में माने जायँगे। राज्य-विधान-सभाओं में द्वितीय निर्वाचन की तुलना में इस बार १६० अधिक स्थानों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किये थे, किन्तु उनकी सदस्य-संख्या १६१ से घटकर १५३ हो गई है।

लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी २७ अधिक स्थानों के लिए उम्मीदवार खड़ा करके भी केवल दो अधिक स्थान प्राप्त कर सकी है, अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या २७ से २९ हो गई है। लोकसभा में इसबार भी कम्युनिस्ट पार्टी ही प्रधान विपक्षी दल के रूप में कार्य करेगी।

लोकसभा एवं राज्य-विधान-सभाओं में प्रजा-समाजवादी दल की सदस्य-संख्या में क्रमशः ७ और ४३ की कमी हुई। लोकसभा में इस दल के सदस्यों की संख्या १९ से १२ और राज्य-विधान-सभाओं में १९५ से घटकर १४९ हो गई है। तृतीय निर्वाचन में अखिल भारतीय दलों के बीच जनसंघ को अधिक सफलता मिली है। लोकसभा और विधान-सभाओं में जनसंघ के सदस्यों की संख्या क्रमशः ४ से १४ और ४६ से ११५ हो गई है। जनसंघ के टिकट पर इस बार एक मुसलमान उम्मीदवार भी निर्वाचित हुआ है। भारत के बृहत्तम राज्य मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की विधान-सभाओं में प्रधान विपक्षी दल के रूप में जनसंघ कार्य करेगा।

विभिन्न राज्यों के साधारण निर्वाचन-संबंधी विवरण नीचे दिये जा रहे हैं—

## आसाम

विधान-सभा के सदस्यों की कुल संख्या १०५ है, जिनसे काँगरेसी सदस्यों की संख्या ७१ से बढ़कर ७९ हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी में सदस्यों की संख्या पहले की विधान-सभा में जहाँ चार थी, वहाँ इस बार यह दल एक भी स्थान प्राप्त नहीं कर सका। प्रजा-समाजवादी दल की सदस्य-संख्या ८ से घटकर ६ हो गई है। पहाड़ी नेता-सम्मेलन के सदस्यों की संख्या ११ है, यही दल प्रमुख विरोधी दल के रूप में कार्य करेगा।

## आन्ध्र

विधान-सभा के कुल सदस्यों की संख्या ३०० है। कांगरेस-दल को इस बार ५७ स्थान कम मिले हैं। अर्थात्, सदस्यों की संख्या २३७ से घटकर १७८ हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या में १६ की वृद्धि ६ हुई है, अर्थात् ३५ से ५१। नवगठित स्वतंत्र पार्टी ने पहली बार १९ स्थान प्राप्त किये हैं। समाजवादी दल को केवल दो स्थान मिले हैं। निर्दलीय उम्मीद-वारों ने कुल ५० स्थान प्राप्त किये हैं।

## उत्तरप्रदेश

उत्तरप्रदेश-विधान-सभा की सदस्य-संख्या ४३० है। इस बार के निर्वाचन में कोंगरेस को १४२ कम स्थान मिले हैं। सन् १९५२ और १९५७ ई० में कोंगरेस-दल की सदस्य-संख्या क्रमशः ३९० और २८६ थी। सन् १९६२ ई० में कॉंगरेस-दल को २४९ स्थान प्राप्त हुए हैं और विरोधी-दलों को १८०। सन् १९५२ और १९५७ ई० में जनसंघ के सदस्यों की संख्या क्रमशः २ और

१७ थी। सन् १९६२ ई० में इस दल की सदस्य संख्या ४९ हो गई है। प्रधान विपत्ती दल का कार्य यही दल करेगा। प्रजा-समाजवादी दल के सदस्यों की संख्या ४४ से घटकर ३८ हो गई है। समाजवादी दल की सदस्य-संख्या २४ है। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या ९ से बढ़कर १४ हो गई है। स्वतंत्र पार्टी की सदस्य संख्या १५ है। इसके पहले की विधान-सभा में इस दल में सम्मिलित होनेवाले सदस्यों की संख्या १८ थी। इन दलों के अतिरिक्त हिन्दू-महासभा, रिपब्लिक और निर्दलीय सदस्य हैं।

## गुजरात

यहाँ की विधान-सभा की सदस्य-संख्या १५४ है। जिसमें काँगरेस-दल के सदस्यों की संख्या ११३ है। नवगठित गुजरात-राज्य में इस बार प्रथम साधारण निर्वाचन हुआ है। निर्दलीय एवं विरोधी दलों की सदस्य संख्या ४१ है। इनमें प्रधान विपत्ती दल स्वतंत्र पार्टी है, जिसने २६ स्थान प्राप्त किये हैं। प्रजा-समाजवादी दल के ७ तथा निर्दलीय ८ सदस्य हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी स्थान नहीं मिला है।

## पश्चिम बंगाल

विधान-सभा के सदस्यों की कुल संख्या २५२ है, जिनमें काँगरेस-दल के १५७, कम्युनिस्ट ५० तथा अन्यान्य दलों के ४५ सदस्य हैं। पहले की विधान-सभा में काँगरेस-दल की सदस्य संख्या १५१ थी। इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या में ५ की वृद्धि हुई है। सन् १९५७ ई० की विधान-सभा में प्रधान विपत्ती दल कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या ४५ थी, जो इस बार बढ़कर ५० हो गई है। प्रजा-समाजवादी दल का स्थान विपत्ती दलों में दूसरा था, जो कि इस बार चतुर्थ हो गया है। इस दल को पहले की अपेक्षा विधान-सभा में २१ स्थान प्राप्त थे, जो इस बार घटकर केवल ५ रह गये हैं।

## पंजाब

पंजाब-विधान-सभा के सदस्यों की कुल संख्या १५४ है। इनमें ९० स्थान काँगरेस-दल को मिले हैं। काँगरेस-दल की सदस्य संख्या इस बार २८ कम हो गई है। दूसरी ओर अकाली दल ने १९ स्थान प्राप्त किये हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या ६ से ९ हो गई है। जनसंघ की सदस्य संख्या ९ से घटकर ८ और सोशलिस्ट पार्टी की बढ़कर ४ हो गई है। प्रजा-समाजवादी दल को एक भी स्थान नहीं मिला है।

## बिहार

बिहार-विधान-सभा के सदस्यों की कुल संख्या ३१८ है, जिनमें काँगरेस-दल के १८३ सदस्य हैं। सन् १९५७ ई० की विधान-सभा की अपेक्षा उनकी संख्या २६ कम हो गई है। नवगठित स्वतंत्र पार्टी ने प्रधान विपत्ती दल के रूप में ५० स्थान प्राप्त किये हैं। भारखंड पार्टी की सदस्य-संख्या ३५ से घटकर २० हो गई है। प्रजा-समाजवादी दल की संख्या ३१ से २९ और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या ६ से बढ़कर १२ हो गई है। सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या १ से ७ हो गई है। जनसंघ ने प्रथम बार ४ स्थान प्राप्त किये हैं। निर्दलीय सदस्यों की संख्या १२ है।

## महाराष्ट्र

यहाँ की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या २६४ है, जिनमें काँगरेस-दल के २१५ सदस्य हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या १३ से घटकर ६ और प्रजा-समाजवादी दल की

संख्या ३३ से ६ हो गई है। जनसंघ को इस बार एक भी स्थान नहीं मिला है। अन्यान्य दलों के तथा निर्दलीय २३ सदस्य हैं।

### मद्रास

विधान-सभा की कुल सदस्य-संख्या २०६ है, जिनमें कॉंगरेस दल के १३६ सदस्य हैं। पहले की विधान-सभा में इनकी संख्या १५१ थी। द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम-दल की सदस्य-संख्या १२ से ५० हो गई है। यह स्थानीय दल ही प्रधान विपक्षी दल के रूप में कार्य करेगा। स्वतंत्र पार्टी को ६ स्थान प्राप्त हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या ४ से २ हो गई है। प्रजा-समाजवादी दल को पहले की विधान-सभा में २ स्थान प्राप्त थे, किन्तु इस बार एक भी स्थान नहीं प्राप्त हुआ।

### मध्यप्रदेश

विधान-सभा के कुल २८८ स्थानों में कॉंगरेस-दल ने १४२ स्थान प्राप्त किये। गत विधान-सभा की तुलना में इस बार कॉंगरेस को ८६ स्थान कम मिले हैं। एक दल के रूप में कॉंगरेस ने विधान-सभा में एकक बहुमत प्राप्त नहीं किया है। जनसंघ के सदस्यों की संख्या १० से बढ़कर ४१ हो गई है। यही दल प्रधान विपक्षी दल के रूप में कार्य करेगा। प्रजा-समाजवादी दल की संख्या १२ से बढ़कर ३३ और कम्युनिस्ट पार्टी की २ से घटकर १ हो गई है।

### मैसूर

मैसूर-विधान-सभा के स्थानों की कुल संख्या २०८ है, जिनमें कॉंगरेस को इस बार १३८ स्थान प्राप्त हुए। गत बार की तुलना में इस बार १० स्थान कम मिले हैं। प्रजा-समाजवादी दल प्रधान विपक्षी दल का कार्य करेगा। इस दल की सदस्या-संख्या १८ से बढ़कर २० हो गई है। दूसरे विपक्षी दल के रूप में स्वतंत्र पार्टी ने ६ स्थान प्राप्त किये हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य-संख्या १ से बढ़कर ३ हो गई है। सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार १ स्थान प्राप्त किया है। निर्दलीय सदस्यों की संख्या ३७ है।

### राजस्थान

राजस्थान-विधान सभा में कॉंगरेस-दल एकक बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। ८८ स्थान कॉंगरेस को तथा ८८ स्थान कॉंगरेस-विरोधी दलों तथा निर्दलीय सदस्यों को प्राप्त हुए। गत बार की तुलना में कॉंगरेस को ३६ स्थान कम प्राप्त हुए। स्वतंत्र पार्टी प्रधान विपक्षी दल के रूप में कार्य करेगी। इस दल को ३६ और जनसंघ को १५ स्थान मिले हैं। गत बार जनसंघ की संख्या केवल ७ थी। साम्यवादी और समाजवादी दलों में प्रत्येक ने पाँच-पाँच स्थान प्राप्त किये हैं। गत बार इन दोनों दलों की संख्या क्रमशः १ और २ थी। प्रजा-समाजवादी दल की संख्या १ से बढ़-कर इस बार २ हो गई है। रामराज्य-परिषद् की सदस्य-संख्या १७ से घटकर ३ हो गई है। २२ निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इनमें कतिपय सदस्यों के कॉंगरेस-दल में मिल जाने के कारण कॉंगरेस-दल की सरकार कायम हुई है।

सन् १९५२ ई० के प्रथम साधारण निर्वाचन में मतदाताओं की कुल संख्या १७ करोड़ ३० लाख थी। सन् १९५७ ई० में यह संख्या बढ़कर १९ करोड़ ३० लाख हो गई। सन् १९६२ ई० के निर्वाचन में मतदाताओं की संख्या २१ करोड़ १० लाख थी। सन् १९५२ ई० में ८८ लाख ६ हजार; सन् १९५७ ई० में १ करोड़ १ लाख और सन् १९६२ ई० में १ करोड़ ३० लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया।

★

# शिक्षा

देश की शिक्षा का उत्तरदायित्व विशेष रूप से राज्य-सरकार पर है। भारत-सरकार विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा का मानदण्ड निर्धारित करती है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए अखिलभारतीय परिषदें हैं। भारत-सरकार अलीगढ़, दिल्ली, बनारस तथा विश्वभारती-विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य संस्थानों के संचालन के लिए भी उत्तरदायी है। अन्य देशों के साथ तथा शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति-संगठन (यूनेस्को) जैसे अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार छात्रवृत्तियाँ आदि भी देती हैं। सन् १६५६-६० ई० में भारत में कुल ४,४२.०१६ शिक्षालय थे, जिनमें ४ करोड़ ४६ लाख ३६ हजार विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे। पिछले वर्ष की तुलना में सन् १६५६-६० ई० में अध्यापकों की संख्या तथा शिक्षा पर होनेवाले व्यय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। सन् १६५६-६० ई० में ४,४२,०१६ स्वीकृत शिक्षालयों में १,३५१ पूर्व-प्राथमिक ३,२०,५८६ प्राथमिक, ५७८६३ माध्यमिक, ३,८३६ व्यावसायिक और प्राविधिक, ५६,४३४ विशेष शिक्षा के, ६४६ कला और विज्ञान के, ७२८ व्यावसायिक शिक्षालय तथा १७७ विशेष शिक्षा के महाविद्यालय, ४२ अनुसंधान-संस्थाएँ, १३ शिक्षा-बोर्ड और ४० विश्वविद्यालय थे।

**साक्षरता**—सन् १६५१ ई० की जनगणना के अनुसार भारत में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या १६.६१ प्रतिशत थी। इनमें २४.८८ प्रतिशत पुरुष तथा ७.८७ प्रतिशत महिलाएँ थीं। सन् १६६१ ई० की जनगणना के अनुसार साक्षरों का प्रतिशत २३.७ है। भारत के विभिन्न राज्यों की साक्षरता का व्योरा जनसंख्या के प्रकरण में पहले ही दिया जा चुका है।

**योजना तथा शिक्षा**—पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास के लिए १ अरब ३३ करोड़ रु० की व्यवस्था थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनुमित व्यय-राशि २ अरब ४ करोड़ रु० की कर दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४ अरब ८ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है

## पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पिछले १० वर्षों में इस प्रकार रही—

| वर्ष | विद्यालयों की संख्या | छात्रों की संख्या | शिक्षकों की संख्या | प्रत्यक्ष व्यय (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|
| १६५०-५१ | ३०३ | २१,६४० | ८६६ | ११.६८ |
| १६५५-५६ | ६३० | ४५,८२८ | १,८८० | २४.६६ |
| १६५६-५७ | ७६६ | ५४,०१७ | २,१३१ | २८.८७ |
| १६५७-५८ | ६२८ | ६२,४२८ | २,४५२ | ३३.०० |
| १६५८-५६ | १,१६० | ८२,३१३ | २,६६८ | ४५.१४ |
| १६५६-६० | १,३५१ | १,४८,३७२ | ३,५०८ | ५१.०६ |

## प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देने के लिए एक अखिलभारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद् विद्यमान है। आन्ध्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, मैसूर, पंजाब और दिल्ली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कानून बनाये गये हैं। विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने की योजनाएँ बनाई गई हैं तथा सन् १९६६ ई० तक १५ लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य-क्रम निश्चित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का, पिछले दस वर्षों का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

| वर्ष | स्वीकृत विद्यालय | छात्रों की संख्या | शिक्षकों की संख्या | प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|
| १९५०-५१ | २,०९,६७१ | १,८२,९३,९६७ | ५,३७,९१८ | ३६.४९ |
| १९५५-५६ | २,७८,१३५ | २,२९,१९,७३४ | ६,९१,२४९ | ५३.७३ |
| १९५६-५७ | २,८७,२९८ | २,३९,२२,५६७ | ७,१०,१३९ | ५८.४८ |
| १९५७-५८ | २,९८,२४७ | २,४७,८८,२९९ | ७,२९,२३९ | ६६.७४ |
| १९५८-५९ | ३,०१,५६४ | २,४३,७२,१८१ | ६,९५,२८० | ६३.६४ |
| १९५९-६० | ३,२०,५८६ | २,५९,१८,८६४ | ७,३३,२८२ | ६९.६३ |

## माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा-आयोग की सिफारिशों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार किया गया है। केन्द्र तथा राज्य-सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए एक अखिलभारतीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद् की स्थापना की गई है। माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का पिछले दस वर्षों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है —

| वर्ष | विद्यालयों की संख्या | छात्रों की संख्या | शिक्षकों की संख्या | प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|
| १९५०-५१ | २०,८८४ | ५२,३२,००९ | २,१२,००० | ३०.७४ |
| १९५५-५६ | ३२,५६८ | ८५,२६,५०९ | ३,३८,१८८ | ५३.०२ |
| १९५६-५७ | ३६,२९१ | ९५,७९,१६४ | ३,७२,१८० | ५८.७३ |
| १९५७-५८ | ३९,६५४ | १,०६,२१,४९९ | ४,०६,७६८ | ६७.२१ |
| १९५८-५९ | ५३,९२३ | १,४३,४१,०४३ | ५,१०,३८८ | ८४.४३ |
| १९५९-६० | ५७,८६३ | १,५७,०६,२०० | ५,६१,९५९ | ९५.६५ |

## बुनियादी शिक्षा

बुनियादी शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा कताई, बुनाई, बागवानी बढ़ईगिरी आदि जैसे उत्पादन-कार्यों के माध्यम से दी जाती है। मार्च, १९६१ ई० तक २९.३ प्रतिशत माध्यमिक स्कूल बुनियादी शिक्षावाले स्कूलों में बदले जा चुके हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह प्रतिशत ३५.९ तक पहुंच जाने का अनुमान है। प्रारंभिक स्कूल-अध्यापकों के प्रशिक्षण-संस्थानों को धीरे-धीरे बुनियादी शिक्षा के आधार पर संगठित किया जा रहा है।

जूनियर तथा सीनियर बुनियादी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले विद्यार्थियों के लिए उत्तर-बुनियादी स्कूल कायम किये गये हैं। ये संस्थान मुख्यतः स्वयंसेवी संगठनों द्वारा ही स्थापित किये जाते हैं, इसलिए इनसे शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले विद्यार्थियों को बाद में अपना अध्ययन आगे जारी रखने तथा नौकरी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। उसने बुनियादी तथा गैर-बुनियादी स्कूलों के लिए एक समान परीक्षा की योजना का सुझाव दिया है।

सन् १९५६ ई० में स्थापित राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा-संस्थान बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अध्यापकों आदि का पथ-प्रदर्शन के कार्य में लगा हुआ है।

सन् १९५०-५१ ई० में जूनियर बुनियादी स्कूलों तथा सीनियर बुनियादी स्कूलों की संख्या क्रमशः ३३,३७९ और ३५१ थी, जिनमें क्रमशः २८,४३,२४० और ६६,४८२ विद्यार्थी थे। इनपर व्यय क्रमशः ३.९४ करोड़ और २१ लाख रु० हुआ था। सन् १९५९-६० ई० में जूनियर, सीनियर और उत्तर-बुनियादी स्कूलों की संख्या क्रमशः ६१,९९०; १२,५४७ और ३१; विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः ५९,९२,६१९; २९,८८,८४१ और ३,४९५ तथा व्यय-राशि क्रमशः १२.९३, ११ और ०,०४ करोड़ है।

## व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा

सन् १९५०-५१ ई० में उपर्युक्त प्रकार की शिक्षा के २,३३९ संस्थान थे, जिनमें १,८७,१९४ विद्यार्थी और ११, ५९८ अध्यापक थे। इनपर करीब ३ करोड़ ६९ लाख रु० व्यय हुआ। १९५८-५९ में संस्थानों, विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः ३,८३६; २,६२,८९३ और २३,६६० हो गई तथा खर्च ९ करोड़ २५ लाख रुपये हुआ।

## विशेष-शिक्षा

विशेष शिक्षा के अन्तर्गत विकलांगों की शिक्षा, संगीत, नृत्य और ललित-कला की शिक्षा तथा प्रौढ-शिक्षा आदि की गणना है। सन् १९५०-५१ ई० में देश में इस प्रकार के ५२.८१२ संस्थान थे, जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः १४,०४,४४२ और १६,६८६ थी और इनपर २.३३ करोड़ रु० व्यय हुआ था। सन् १९५९-६० ई० में इन संस्थानों, विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः ५६,४२४;१५,६२,४८२ और ३१,८८३ हो गई, जिनपर २ करोड़ ९७ लाख रुपये व्यय हुआ।

## उच्चतर तथा विश्वविद्यालयिक शिक्षा

उत्तर-माध्यमिक शिक्षा कला तथा विज्ञान-कॉलेजों, व्यावसायिक शिक्षावाले कॉलेजों, विशेष शिक्षावाले कॉलेजों, अनुसन्धान-संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाती है। जिन राज्यों में

इण्टरमीडिएट शिक्षा-मण्डल हैं, वहा इण्टरमीडिएट से आगे के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं तथा उपाधि-वितरण आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालयों के हाथ में है।

विश्वविद्यालयों में कतिपय विश्वविद्यालय केवल परीक्षाओं के संचालन आदि की व्यवस्था करते हैं; कुछ उपर्युक्त काम के साथ-साथ अध्यापन तथा अनुसंधान-कार्य की सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं; और कुछ सभी प्रकार के अध्यापन-कार्य की व्यवस्था करते हैं।

अन्तर्विश्वविद्यालय-मण्डल की स्थापना सन् १९२५ ई० में हुई थी। यह विश्वविद्यालय-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जानेवाली उपाधियों को परस्पर मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करता है।

विश्वविद्यालयों के अलावा देश में ऐसे बहुत-से संस्थान है, जो उच्चतर शिक्षा प्रदान करते हैं। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्थान, दिल्ली; भारतीय विज्ञान-संस्थान, बंगलोर और इण्डियन स्कूल ऑफ इण्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली की स्थिति अन्य विश्वविद्यालयों—जैसी है, यद्यपि इनकी स्थापना केन्द्रीय या राज्य-सरकार द्वारा पारित किसी अधिनियम के अनुसार विश्व-विद्यालय के रूप में नहीं हुई थी। 'वैज्ञानिक अनुसन्धान' शीर्षक अध्याय में उल्लिखित अनेक प्रयोगशालाओं और संस्थानों को अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय-मण्डल ने उच्चतर अनुसंधान-केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान कर रखी है। इनके अतिरिक्त कुछ राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; गुरुकुल काँगड़ी-विश्वविद्यालय, हरिद्वार; गुरुकुल-विश्वविद्यालय, वृन्दावन और काशी-विद्यापीठ, वाराणसी, जिनकी उपाधियों और प्रमाण-पत्रों को भारत-सरकार नियुक्ति में स्वीकृत विश्वविद्यालयों की उपाधियों और प्रमाण-पत्रों के समकक्ष मानती है। सन् १९६२ ई० में जामिया मिलिया इस्लामिया और गुरुकुल काँगड़ी-विश्वविद्यालय को अस्थायी रूप से विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

सन् १९५०-५१ ई० में देश में २७ विश्वविद्यालय, ५ शिक्षा-मण्डल, १८ अनुसन्धान-संस्थान, ९२ विशेष शिक्षा-कॉलेज, २०८ व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षावाले कॉलेज तथा ४९८ कला और विज्ञान-कॉलेज थे, जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः ४,०३,५१९ और २४,४५३ तथा व्यय-राशि १७.९८ करोड़ रु० थी। सन् १९५९-६० ई० में ४० विश्वविद्यालय, १३ शिक्षा-मण्डल, ४२ अनुसन्धान-संस्थान, १७७ विशेष शिक्षा-कॉलेज, ७२८ व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षावाले कॉलेज तथा ९४६ कला और विज्ञान-कॉलेज थे, जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः ९,४०,४८४ और ५५,४९३ थी तथा कुल व्यय ४७.७१ करोड़ रु० हुआ।

**विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा**—सामान्य शिक्षा सम्बन्धी दो योजनाएँ बनाई गई हैं। मुख्य योजना के अनुसार समस्त स्नातक-पूर्व गैर-व्यावसायिक संकायों के लिए प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि से सम्बद्ध मूल विषयों के अध्ययन को अनिवार्य कर दिया जायगा। दूसरी योजना के अनुसार डिग्री-पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे वर्ष में सप्ताह में ६ पीरियड सामान्य शिक्षा के लिए रखे जायेंगे। सामान्य शिक्षा-पाठ्यक्रम आरम्भ करने की योजना को भारत के प्रायः समस्त विश्वविद्यालयों ने स्वीकार कर लिया है तथा कुछेक ने तो किसी-न-किसी रूप में उन्हें आरम्भ भी कर दिया है।

**विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग**—विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग की नियुक्ति सन् १६४८ ई० में हुई थी। इसकी सिफारिशों के अनुसार सन् १६५३ ई० में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की स्थापना की गई, जिसे विश्वविद्यालयिक शिक्षा-सम्बन्धी अधिकांश समस्याओं तथा अध्ययन और अनुसन्धान-सम्बन्धी मानदण्डों और सुविधाओं को सुनिश्चित और समन्वित करने के कार्य सौंपे गये। विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार भी इस आयोग को प्रदान किया गया। इस समय (२०, मार्च १६६२ ई०) श्री डी० एस० कोठारी विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के अध्यक्ष तथा सर्वश्री हृदयनाथ कुंजरू, दीवान आनन्दकुमार, ए० सी० जोशी, डी० सी० पवटे, पी० एन० कृपाल, एस० गुथालिंगम, एस० आर० दास और ए० आर० वाडिया सदस्य हैं। श्री समुएल मथाई आयोग के सचिव हैं।

## भारत के विश्वविद्यालय

(स्थापना-क्रम से)

| क्र० सं० | नाम | स्थान | संस्थापन-काल | कॉलेज-सं० |
|---|---|---|---|---|
| १. | कलकत्ता-विश्वविद्यालय | कलकत्ता | १८५७ | १५१ |
| २. | बम्बई-विश्वविद्यालय | बम्बई | १८५७ | ३४ |
| ३. | मद्रास-विश्वविद्यालय | मद्रास | १८५७ | १०५ |
| ४. | इलाहाबाद-विश्वविद्यालय | इलाहाबाद | १८८७ | ४ |
| ५. | बनारस-विश्वविद्यालय | बनारस | १६१६ | १६ |
| ६. | मैसूर-विश्वविद्यालय | मैसूर | १६१६ | ५३ |
| ७. | पटना-विश्वविद्यालय | पटना | १६१७ | १० |
| ८. | उस्मानिया-विश्वविद्यालय | हैदराबाद | १६१८ | ३६ |
| ६. | अलीगढ़-विश्वविद्यालय | अलीगढ़ | १६२१ | १ |
| १०. | लखनऊ-विश्वविद्यालय | लखनऊ | १६२१ | १६ |
| ११. | दिल्ली-विश्वविद्यालय | दिल्ली | १६२२ | २० |
| १२. | नागपुर-विश्वविद्यालय | नागपुर | १६२३ | ३० |
| १३. | आन्ध्र-विश्वविद्यालय | वालटेयर | १६२६ | ४६ |
| १४. | आगरा-विश्वविद्यालय | आगरा | १६२७ | ८८ |
| १५. | अन्नामलाई-विश्वविद्यालय | अन्नामलाई | १६२६ | — |
| १६. | केरल-विश्वविद्यालय | त्रिवेन्द्रम | १६३७ | ७५ |
| १७. | श्रीवेंकटेश्वर-विश्वविद्यालय | तिरुपति | १६५४ | २० |
| १८. | उत्कल-विश्वविद्यालय | कटक | १६४३ | ३१ |
| १६. | सागर-विश्वविद्यालय | सागर | १६४६ | ४० |

| क्र० सं० | नाम | स्थान | संस्थापन-काल | कॉलेज-सं० |
|---|---|---|---|---|
| २०. | पंजाब-विश्वविद्यालय | चंडीगढ़ | १६४७ | १३७ |
| २१. | राजस्थान-विश्वविद्यालय | जयपुर | १६४७ | ६४ |
| २२. | गोहाटी-विश्वविद्यालय | गोहाटी | १६४८ | ३४ |
| २३. | जम्मू एवं कश्मीर-विश्वविद्यालय | श्रीनगर | १६४८ | २६ |
| २४ | पूना-विश्वविद्यालय | पूना | १६४६ | ३५ |
| २५. | रुड़की-विश्वविद्यालय | रुड़की | १६४६ | — |
| २६. | बड़ौदा-विश्वविद्यालय | पूना | १६४६ | १४ |
| २७. | कर्नाटक-विश्वविद्यालय | धारवाड़ | १६४६ | २८ |
| २८. | गुजरात-विश्वविद्यालय | अहमदाबाद | १६५० | ४६ |
| २६. | एस० एन० डी० टी० महिला-वि० वि० | बम्बई | १६५१ | ८ |
| ३० | विश्वभारती-विश्वविद्यालय | शान्ति-निकेतन | १६५१ | ६ |
| ३१. | बिहार-विश्वविद्यालय | मुजफ्फरपुर | १६५२ | ३६ |
| ३२. | यादवपुर-विश्वविद्यालय | कलकत्ता | १६५५ | २ |
| ३३. | सरदारवल्लभभाई विद्यापीठ | वल्लभनगर, आनन्द | १६५५ | ५ |
| ३४. | कुरुक्षेत्र-विश्वविद्यालय | कुरुक्षेत्र | १६५६ | — |
| ३५. | गोरखपुर-विश्वविद्यालय | गोरखपुर | १६५७ | १७ |
| ३६. | जबलपुर-विश्वविद्यालय | जबलपुर | १६५७ | २० |
| ३७. | विक्रम-विश्वविद्यालय | उज्जैन | १६५७ | ४१ |
| ३८. | इन्दिरा कला-संगीत-वि० वि० | खैरागढ़ | १६५८ | २२ |
| ३६ | वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय | वाराणसी | १६५८ | — |
| ४०. | मराठवाड़ा-विश्वविद्यालय | औरंगाबाद | १६५८ | १२ |
| ४१ | उ० प्र० कृषि-विश्व-विद्यालय, पंतनगर | नैनीताल | १६६० | २ |
| ४२. | वर्दवान-विश्वविद्यालय | वर्दवान | १६६० | — |
| ४३. | कल्याणी-विश्वविद्यालय | कल्याणी | १६६० | २ |
| ४४. | भागलपुर-विश्वविद्यालय | भागलपुर | १६६० | ३६ |
| ४५. | राँची-विश्वविद्यालय | राँची | १६६० | १८ |
| ४६. | कामेश्वरसिंह संस्कृत-विश्वविद्यालय | दरभंगा | १६६० | २ |
| ४७. | मगध-विश्वविद्यालय | गया | १६६२ | — |

## राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार उच्चतर शिक्षा-संस्थान (१९५९-६०)

| राज्य और क्षेत्र | विश्व-विद्यालय | शिक्षा-मंडल | अनुसंधान-संस्थान | कला और विज्ञान-महाविद्यालय | व्यावसायिक कॉलेज | विशेष शिक्षा-कॉलेज | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र | २ | १ | — | ६० | २९ | २४ | ११७ |
| आसाम | १ | — | — | ३४ | ९ | १ | ४५ |
| उड़ीसा | १ | १ | — | २३ | १९ | ६ | ५० |
| उत्तरप्रदेश | ८ | १ | ४ | १०९ | ५४ | १० | १८६ |
| केरल | १ | — | — | ४५ | २६ | ८ | ८० |
| गुजरात | ३ | — | ७ | ३६ | ३२ | ६ | ३ ५ |
| जम्मू-कश्मीर | १ | — | — | १२ | ३ | १० | २६ |
| पंजाब | २ | — | — | ८९ | ४२ | १ | १३४ |
| पश्चिम बंगाल | ३ | १ | ४ | ११७ | ४५ | १२ | १८२ |
| पांडिचेरी | — | — | — | २ | २ | — | ४ |
| बिहार | २ | १ | ४ | ९२ | २७ | ७ | १३३ |
| मद्रास | २ | १ | — | ५६ | १४७ | २१ | २२७ |
| मध्यप्रदेश | ४ | २ | १ | ७२ | ६७ | ३० | १७६ |
| महाराष्ट्र | ५ | २ | १६ | ६४ | १२५ | ९ | २२१ |
| मैसूर | २ | — | ३ | ५० | ६५ | ७ | १२७ |
| राजस्थान | १ | २ | — | ५६ | २२ | १८ | ९९ |
| दिल्ली | १ | १ | ३ | १९ | १० | ३ | ३७ |
| मणिपुर | — | — | — | २ | — | १ | ३ |
| हिमाचल-प्रदेश | — | — | — | ६ | १ | २ | ९ |
| त्रिपुरा | — | — | — | २ | ३ | १ | ६ |
| कुल योग | ४२ | १३ | ४२ | ९४६ | ७२८ | १७७ | १,९४६ |

## राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार मेडिकल, आयुर्वेदिक, तिब्बी, पशु-चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा कृषि-कालेजों की संख्या (१९५९-६०)

| राज्य | मेडिकल कॉलेज | आयुर्वेदिक कॉलेज | तिब्बी कॉलेज | पशु-चिकित्सा-कॉलेज | इंजीनियरिंग कॉलेज | कृषि-कॉलेज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आन्ध्र | ८ | ४ | १ | — | ८ | १ |
| आसाम | २ | १ | — | १ | २ | १ |
| उड़ीसा | ३ | १ | — | १ | १ | १ |
| उत्तरप्रदेश | ५ | १४ | ३ | २ | ११ | ६ |
| केरल | ३ | ५ | — | १ | ५ | १ |
| गुजरात | ३ | ७ | — | — | ५ | — |

| राज्य | मेडिकल कॉलेज | आयुर्वेदिक कॉलेज | तिब्बी कॉलेज | पशु-चिकित्सा कॉलेज | इंजीनियरिंग कॉलेज | कृषि-कॉलेज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जम्मू और कश्मीर | १ | — | — | — | १ | — |
| पंजाब | ४ | ४ | — | २ | ६ | १ |
| पश्चिम बंगाल | ५ | ६ | — | १ | १० | १ |
| पांडिचेरी | १ | — | — | — | — | — |
| बिहार | ३ | ५ | १ | २ | ७ | ३ |
| मद्रास | ६ | १ | — | १ | १२ | १ |
| मध्यप्रदेश | ४ | ७ | — | २ | ७ | २ |
| महाराष्ट्र | ६ | १५ | — | १ | १० | — |
| मैसूर | ५ | १० | — | १ | ११ | १ |
| राजस्थान | ३ | ८ | — | १ | ३ | २ |
| दिल्ली | ३ | २ | २ | — | १ | १ |
| मणिपुर | — | — | — | — | — | — |
| हिमाचल-प्रदेश | — | — | — | — | — | — |
| त्रिपुरा | — | — | — | — | — | — |

## उच्च प्राविधिक शिक्षा

देश में प्राविधिक शिक्षा ( इंजीनियरी तथा टेक्नोलॉजी ) की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार रहा है। सन् १९५१ ई० में देश में इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी की शिक्षा देनेवाले कुल ५३ डिग्री-संस्थान और ८६ डिप्लोमा-संस्थान थे।

सन् १९६० ई० में इन संस्थानों की संख्या क्रमशः ९७ और १९२ हो गई।

राज्य-सरकारों की दूसरी योजना के अन्तर्गत १० इंजीनियरी तथा ५२ वहु-धन्धी शिक्षावाले संस्थान खोलने का जो कार्यक्रम रखा गया था, उसके अन्तर्गत ६ वहु-धन्धी शिक्षावाले संस्थानों को छोड़कर शेष सभी संस्थान खुल गये हैं। इनके अतिरिक्त ६ गैर-सरकारी इंजीनियरी-कॉलेजों तथा २३ वहु-धन्धी शिक्षावाले संस्थानों ने भी कार्य आरम्भ कर दिया है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी प्राप्त करने के लिए भारत-सरकार ने देश के विभिन्न भागों में ६ प्रादेशिक इंजीनियरिंग-कॉलेजों तथा २६ वहुधन्धी शिक्षावाले संस्थानों और दिल्ली में एक इंजीनियरी-प्रौद्योगिकी कॉलेज की स्थापना करने की एक योजना वनाई थी। इनमें से ७ प्रादेशिक कॉलेजों का कार्य पहले आरम्भ हो चुका था। अव इलाहावाद तथा दिल्ली के कॉलेजों का कार्य सन् १९६१-६२ ई० में आरम्भ हो गया है। २६ वहुधन्धी शिक्षावाले संस्थानों में से भी १५ संस्थान स्थापित किये जा चुके हैं। कई संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

खड्गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य सन् १९५१ ई० में आरम्भ किया गया। वम्वई तथा मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी-संस्थानों में विद्यार्थियों को सवसे पहले क्रमशः सन् १९५८ ई० और सन् १९५९ ई० में प्रवेश दिया गया और कानपुर के संस्थान में सन् १९६० ई० में।

## ग्रामीण उच्चतर शिक्षा

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के विकास-सम्बन्धी सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए सन् १९५६ ई० में एक राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-परिषद् की स्थापना हुई। परिषद् ने ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए १३ संस्थाएँ चुनीं, जिन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।

## समाज-शिक्षा

समाज-शिक्षा के अन्तर्गत साक्षरता, पुस्तकालयों का प्रयोग, नागरिकता की शिक्षा, सांस्कृतिक और मनोरंजन-कार्य, दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग तथा सामुदायिक विकास के लिए युवक और महिला-मण्डल संगठित करने की व्यवस्था है।

समाज-शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण देने तथा विशिष्ट समस्याओं पर समुचित अनुसन्धान करने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र स्थापित है। दिल्ली-विश्वविद्यालय में स्थापित पुस्तकालय-संस्थान पुस्तकालयों के क्षेत्र में इसी प्रकार का कार्य करता है। भारत-सरकार भी दिल्ली-सार्वजनिक पुस्तकालय चला रही है। इन्दौर में भी श्रमिकों के लिए एक समाज-शिक्षा-संस्था स्थापित की गई है।

**दृश्य-श्रव्य साधन**—राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा-संस्थान की स्थापना जनवरी, १९५९ ई० में की गई। यह प्रशिक्षण, उत्पादन तथा अनुसन्धान-केन्द्र के रूप में कार्य करने के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य शिक्षा-सम्बन्धी जानकारी भी उपलब्ध कराता है। केन्द्रीय चलचित्र-संग्रहालय शिक्षा-संस्थाओं को चलचित्र आदि निःशुल्क उपलब्ध कराता है। अध्यापकों तथा समाज-सेवकों में दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है।

## विकलांगों की शिक्षा

मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा तथा उनको काम दिलाने-सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकार-परिषद् की व्यवस्था है। अन्धे, बहरे तथा विकलांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगों के लिए विकास-कार्य चलानेवाली संस्थाओं को भी अनुदान दिया जाता है।

देहरादून के अन्धे प्रौढ़ों के प्रशिक्षण-केन्द्र में करीब १५० अन्धे व्यक्तियों को दस्तकारियों की शिक्षा दी जाती है। इस केन्द्र में एक महिला-विभाग भी खोल दिया गया है। अन्धे व्यक्तियों को काम दिलाने के लिए जुलाई, १९५४ ई० से मद्रास में एक कार्यालय चल रहा है।

अक्तूबर, १९५० ई० में देहरादून में स्थापित केन्द्रीय ब्रेल प्रेस भारतीय भाषाओं में ब्रेल-साहित्य प्रकाशित करती है। अन्धे बालकों और बालिकाओं के लिए जनवरी, १९५९ ई० से देहरादून में स्थापित एक स्कूल में किण्डरगार्टन तथा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है।

## हिन्दी का विकास

हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं—

(१) पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्द-रचना-मण्डल द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ-समितियाँ २,९९,८८९ पारिभाषिक शब्दों की रचना कर चुकी हैं।

(२) आधुनिक हिन्दी के मूलभूत व्याकरण के द्वितीय अँगरेजी-संस्करण की रचना की जा रही है।

(३) भारत-सरकार में नियुक्तियों के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों द्वारा संचालित परीक्षाओं को मान्यता दी जाने लगी है।

(४) हिन्दी टंकण-यन्त्रों (टाइपराइटरों) तथा दूरमुद्रकों (टेलीप्रिंटरों) के अक्षरफलकों का एक रूप निर्धारित कर लिया गया है।

(५) हिन्दी-शीघ्रलिपि (शार्टहैंड) की एक प्रामाणिक प्रणाली तैयार की जा रही है।

(६) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में मण्डलों के आधार पर हिन्दी-अध्यापक-प्रशिक्षण-कॉलेज संगठित किये जा रहे हैं।

(७) अहिन्दी-भाषी राज्यों के स्कूलों के पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकें दी जा रही हैं।

(८) इन्दौर, पटना, बम्बई तथा लखनऊ में हिन्दी के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक साहित्य की प्रदर्शनियाँ की गईं।

(९) नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा हिन्दी-विश्वकोश के रचना-कार्य में प्रगति हुई है। इस ग्रन्थ का प्रथम खण्ड छप चुका है।

(१०) विभिन्न विषयों के प्रामाणिक ग्रन्थ तैयार किये जा रहे हैं।

(११) हिन्दी की १४ प्रामाणिक रचनाओं की परिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी अनुक्रमणिकाएँ तैयार करने और १६ प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं को प्रकाशित करने का कार्य आरम्भ किया गया है।

(१२) हिन्दी-भाषी तथा अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विद्वानों की भाषण-यात्राओं के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है।

(१३) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा हिन्दी-अध्यापकों के लिए पुस्तको आदि के प्रबन्ध के लिए राज्य-सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिये गये।

(१४) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में पाये जानेवाले समान शब्दों की सूचियाँ तैयार की जा रही हैं।

(१५) द्विभाषा-भाषी और बहुभाषा-भाषी शब्दकोश तैयार किये जा रहे हैं।

(१६) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में द्विभाषी वर्णमाला-पट तैयार किये जा रहे हैं।

(१७) प्रसिद्ध हिन्दी-ग्रंथों पर पुरस्कार दिये जा रहे हैं।

(१८) विदेशी भाषाओं की ख्यातिप्राप्त पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है।

(१९) देवनागरी लिपि का सर्वमान्य रूप निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

(२०) कला और हस्तशिल्प के शब्दों का संकलन किया जा रहा है।

(२१) अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की ध्वनियों के लिए देवनागरी में संकेत-चिह्नों का विकास किया जा रहा है।

(२२) विदेशियों के लिए प्रारम्भिक पाठ्य-पुस्तकें तैयार हो रही हैं।

(२३) ऐसे ग्रन्थों के समीक्षात्मक एवं संशोधित संस्करण के प्रकाशन की व्यवस्था, जिनके संस्करण अप्राप्य हैं, की जा रही है।

(२४) हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए एक केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है। इस निदेशालय की ओर से हिन्दी में 'भाषा' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

(२५) वैज्ञानिक और प्राविधिक शब्दावलियों के लिए स्थायी आयोग की स्थापना की गई है।

## युवा-कल्याण

युवा-कल्याण के लिए विभिन्न प्रयत्न किये गये हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय कार्य ये हैं—(क) सन् १९५४ ई० से प्रतिवर्ष अन्तर्विश्वविद्यालय-समारोह आयोजित किये जाते हैं तथा अन्तःकॉलेज-समारोह संगठित करने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाती है; (ख) युवा-नेतृत्व-प्रशिक्षण-शिविर लगाये जाते हैं, जिनमें अध्यापकों को इन कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है; (ग) ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों की यात्रा करने के लिए युवा लोगों को किराये में रियायत तथा वित्तीय सहायता दी जाती है; (घ) देश में युवा-विश्रामगृह स्थापित करने के लिए युवा-विश्रामगृह-संस्था तथा राज्य-सरकारों को सहायता दी जाती है; (ङ) विश्व-विद्यालयों को युवा-कल्याण-मण्डल तथा समितियाँ संगठित करने के लिए सहायता दी जाती है; (च) विद्यार्थियों में शारीरिक श्रम के प्रति प्रतिष्ठा-भाव जाग्रत् करने का प्रयास किया जाता है।

## शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद

**शारीरिक शिक्षा**—शारीरिक शिक्षा की उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन-योजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य शारीरिक शिक्षा-पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करना, शारीरिक शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देना, व्यायामशालाओं तथा अखाड़ों को सहायता प्रदान करना, शारीरिक दक्षता-सप्ताहों और समारोहों का आयोजन करना तथा शारीरिक शिक्षा-सम्बन्धी चलचित्र आदि तैयार करवाना है।

सर्वप्रथम सन् १९५७ ई० में ग्वालियर में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा-कॉलेज स्थापित किया गया, जिसमें त्रिवर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। शारीरिक-शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार-मण्डल स्थापित किया गया है।

**खेल-कूद**—खेल-कूदविषयक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए (क) राष्ट्रीय खेलकूद-संगठनों को सहायता दी जाती है, भारतीय टीमों को विदेशों में खेलने के लिए भेजा जाता है, विदेशी टीमों को भारत में आकर खेलने के लिए आमन्त्रित किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है; (ख) राजकुमारी खेलकूद-प्रशिक्षण-योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जा रहे हैं तथा (ग) अधिकांश राज्यों में राज्यीय खेल कूद-परिषदें स्थापित की गई हैं। एक केन्द्रीय शिक्षण संस्था स्थापित हुई है। अखिलभारतीय खेलकूद-परिषद् खेल-कूद के विकास के सम्बन्ध में भारत-सरकार तथा खेलकूद-संघ को परामर्श देती रहती है।

**राष्ट्रीय अनुशासन-योजना**—जुलाई, १९५४ ई० में विस्थापित बालक-बालिकाओं के लिए शारीरिक तथा सामान्य सामाजिक शिक्षा-योजना आरम्भ की गई थी। इसका आरम्भ सर्वप्रथम दिल्ली के कस्तूरबा-निकेतन में हुआ। विभिन्न राज्यों में ८ लाख से अधिक बच्चे इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पा रहे हैं।

★

# जन-स्वास्थ्य

सन् १९४१—६१ ई० की अवधि में भारतीय पुरुषों तथा महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति इस प्रकार थी—

सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति

| वर्ष | जनसंख्या (प्रति सहस्र में) | | शिशु-मृत्यु-दर (प्रति सहस्र जन्म में) | | औसत जीवन-काल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जन्म-दर | मृत्यु-दर | बालक | बालिका | पुरुष | स्त्री |
| १९४१—५१ | ३९.९ | २७.४ | १९०.० | १७५.० | ३२ ४५ | ३१.६६ |
| १९५१—५६ | ४१.७ | २५.९ | १६१.४ | १४६.७ | ३७.४९ | ३७.४९ |
| १९५६—६१ | ४०.७ | २१.६ | १४२.३ | १२७.९ | ४१.६८ | ४२.०६ |

## जन-स्वास्थ्य

स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यक्रम को पूरा करने का दायित्व राज्य-सरकारों पर है; किन्तु केन्द्रीय सरकार ने भी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत मलेरिया और फीलपाँव नियन्त्रण, परिवार-नियोजन, जल-व्यवस्था तथा सफाई, छूत के रोगों की रोकथाम तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के कुछ कार्यक्रम प्रारम्भ किये और वह उनका व्यय-भार भी वहन कर रही है।

## रोगों की रोकथाम और उनका नियन्त्रण

**मलेरिया**—सन् १९५३ ई० में शुरू किया गया राष्ट्रीय मलेरिया-नियन्त्रण-कार्यक्रम को १ अप्रैल, १९५८ ई० से राष्ट्रीय मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम में बदल दिया गया। इस कार्यक्रम को पूरा करने में राज्य-सरकारों तथा अमेरिकी प्राविधिक सहयोग-मण्डल और विश्व स्वास्थ्य-संगठन योगदान कर रहे हैं।

मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा साज-सामान प्राप्त करने के कार्य में समन्वय लाने का प्रयत्न केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्रालय करता है। इसके अलावा केन्द्रीय मलेरिया-संस्था अनुसंधान करने और कर्मचारियों को मलेरिया-उन्मूलन का प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। कटक, बंगलोर, लखनऊ, बड़ौदा, शिलाँग और हैदराबाद में छह क्षेत्रीय समन्वय-संगठन भी स्थापित किये गये हैं।

३१ मार्च, १९६१ ई० तक करीब ३८.२४ करोड़ लोगों को मलेरिया से सुरक्षा प्रदान की गई तथा उस समय तक ३९० मलेरिया-इकाइयाँ कार्य कर रही थीं।

देश के विभिन्न भागों में ३४४.५ टुकड़ियों द्वारा निरीक्षण का कार्य चालू है। सीमान्त-क्षेत्रों में २५ टुकड़ियाँ कीट-नाशक ओषधि छिड़कने में लगी हुई हैं। मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम शुरू होने के बाद से अस्पतालों तथा दवाखानों में उपचार के अधीन रोगियों का प्रतिशत सन् १९५३-५४ ई० में १०.८ था, जो घटकर सन् १९६०-६१ ई० में १.३ तथा सन् १९६१ ई० के सितम्बर के अंत तक ०.६ रह गया।

**फीलपाँव**—राष्ट्रीय फीलपाँव-नियन्त्रण-कार्यक्रम सन् १९५४-५५ ई० में आरम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत इस रोग से पीड़ित रोगियों को ओषधियाँ बाँटी जाती हैं तथा मच्छरों का नाश

करने के उपाय किये जाते हैं। विभिन्न राज्यों में इस समय ४७ नियन्त्रण-इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। देश में ६ करोड़, ४० लाख से अधिक व्यक्ति फीलपाँववाले क्षेत्रों में रहते हैं। अवतक इस रोग से पीड़ित ६२ लाख व्यक्तियों की चिकित्सा की जा चुकी है तथा लगभग ४१ लाख निवास-स्थानों में कीटनाशक ओषधियाँ छिड़की गई हैं। एरनाकुलम में व्यावहारिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र से अवतक ८० चिकित्साधिकारी, २७ कीटविज्ञानी तथा २१४ निरीक्षक (इंस्पेक्टर) प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

**क्षयरोग**—इस समय देश में क्षयरोग से प्रतिवर्ष लगभग ५० लाख व्यक्ति पीड़ित होते हैं, जिनमें से लगभग ५ लाख मौत के मुँह में चले जाते हैं।

बी० सी० जी० टीका-आन्दोलन सन् १९५८ ई० में प्रारम्भ किया गया। इसने अवतक १६ करोड़ ४० लाख व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की, जिसमें ७ करोड़ ८० लाख व्यक्ति १५ वर्ष से कम आयु के थे। इस काम में १७४ क्षयरोग-निवारक टुकड़ियाँ लगी हुई हैं, जिनमें १२२ चिकित्सक तथा ८८४ विशेषज्ञ हैं। सन् १९६१ ई० के अक्तूबर के अन्त तक १७ करोड़ ४७ लाख व्यक्तियों की जाँच की गई तथा उनमें से लगभग ६ करोड़ १० लाख व्यक्तियों को टीके लगाये गये।

बंगलोर, नई दिल्ली, नागपुर, पटना, मद्रास, हैदराबाद, पटियाला तथा त्रिवेन्द्रम् में प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए ८ केन्द्र स्थापित किये गये हैं। दिल्ली के वल्लभभाई पटेल वक्ष-संस्था जैसी अन्य कई संस्थाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तरराष्ट्रीय बाल-सहायता-कोष तथा विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की सहायता से बंगलोर में भी राष्ट्रीय क्षय-संस्थान स्थापित किया गया है। ६ विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण-केन्द्रों में भी चिकित्सकों को क्षयरोग-सम्बन्धी डिप्लोमा-पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है।

सन् १९६० ई० में देश में क्षयरोग की चिकित्सा के ६६ आरोग्य-गृह (सैनेटोरियम), ७० अस्पताल, २२३ उपचारालय (क्लिनिक), १६५२ वार्ड तथा २६.४४३ रोगी-शय्याएँ थीं।

क्षयरोग से मुक्ति पानेवाले व्यक्तियों की देखभाल तथा उनके पुनर्वास के लिए देश में १५ देखभाल-बस्तियाँ हैं। घरेलू उपचार-व्यवस्था के अंतर्गत मद्रास में रोगियों को तत्सम्बन्धी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का एक केन्द्र खोला जा चुका है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में २०० चिकित्सालय, २५ भ्रमणशील चिकित्सालय, ५ यक्ष्मा-प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण-केन्द्र, ३५०० रोगी-शय्याएँ और ७ पुनर्वास-केन्द्र की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत का क्षयरोग-संघ सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जो सन् १९३९ ई० से वैज्ञानिक तथा समन्वित ढंग से क्षयरोग के उन्मूलन का कार्य कर रहा है।

**कुष्ठरोग**—इस समय देश में लगभग २० लाख व्यक्ति कुष्ठरोग से पीड़ित हैं। आसाम, आन्ध्रप्रदेश, केरल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में इसका सबसे अधिक प्रकोप है।

पहली योजना की अवधि में कुष्ठरोग-नियन्त्रण-योजना के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश, पश्चिम-बंगाल, मद्रास तथा मध्यप्रदेश में एक-एक उपचार और अध्ययन-केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में २६

सहायक केन्द्र स्थापित किये गये थे। जून, १९६१ ई० के अन्त तक चार चिकित्सा एवं अध्ययन-केन्द्र तथा १२३ सहायक केन्द्र खोले गये।

नागपुर के चिकित्सा-कॉलेज में चिकित्सकों के लिए कुष्ठरोग-सम्बन्धी अल्पकालीन परिचर-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। आन्ध्रप्रदेश के चिलकलपल्लि-स्थित गांधी स्मारक कुष्ठ-प्रतिष्ठान-केन्द्र में भी दिसम्बर, १९६० से प्रशिक्षण-कार्यक्रम को पूरा किया जा रहा है। चिंगलपट-स्थित केन्द्रीय कुष्ठ-अध्यापन तथा अनुसन्धान-संस्था के दो अस्पतालों में कुष्ठरोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था है। सन् १८७५ ई० में स्थापित 'मिशन टु लेपर्स', हिन्द-कुष्ठ-निवारण-संघ, महारोगी सेवा-मण्डल, गान्धी-स्मारक कुष्ठ-प्रतिष्ठान, रामकृष्ण-मिशन तथा विदर्भ-महारोगी-सेवामण्डल आदि संस्थाएँ कार्य कर रही हैं।

**यौनरोग**—अनुमानतः लगभग ५ प्रतिशत व्यक्ति उपदंश (सिफलिस) रोग से पीड़ित रहते हैं और इतने ही व्यक्ति सूज़ाक से। आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र के जिलों में फफोला रोग का प्रचलन है।

सन् १९४९ ई० में विश्व स्वास्थ्य-संगठन द्वारा हिमाचल-प्रदेश में नियुक्त एक प्रदर्शन-मण्डली ने सर्वेक्षण तथा लोगों का उपचार करने का कार्य किया और विभिन्न राज्य-सरकारों द्वारा भेजी गई १६ मण्डलियों को प्रशिक्षण दिया।

मार्च, १९६१ ई० तक राज्यों के मुख्यालयों में ५ तथा जिलों में ६१ यौनरोग-चिकित्सालय स्थापित किये गये। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ६ राज्यीय स्तर के तथा १०० जिला-स्तर के यौनरोग-चिकित्सालय खोलने का लक्ष्य है। सितम्बर, १९५९ ई० में पंजाब की कुल्लू-घाटी के सभी लोगों के उपचार का कार्य आरम्भ किया गया। फफोला-रोगविरोधी टुकड़ियों ने आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश की अधिकांश जनसंख्या का उपचार आदि किया।

नई दिल्ली के प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन-केन्द्र और मद्रास की यौनरोग-विज्ञान-संस्था में चिकित्सा-कर्मचारियों को यौनरोगों के आधुनिकतम उपचार-सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया।

**इन्फ्ल्युएंजा**—कुन्नूर की पास्च्योर-संस्था में सन् १९५० ई० में एक इन्फ्ल्युएंजा-केन्द्र खोला गया था। सन् १९५४ ई० में स्थापित एक मार्ग-दर्शक कारखाने में इन्फ्ल्युएंजा-विरोधी टीके तैयार किये जाते हैं और उन्हें तैयार करने की विधि में सुधार का प्रयत्न किया जा रहा है।

**नासूर (कैंसर)**—बम्बई के भारतीय नासूर-अनुसन्धान-केन्द्र तथा कलकत्ता के चित्त-रंजन-राष्ट्रीय अनुसन्धान-केन्द्र में नासूर-सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन का कार्य होता है। बम्बई के टाटा-स्मारक अस्पताल में चिकित्सा की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। विभिन्न राज्यों के वर्त्तमान अस्पतालों में नासूर-वार्ड खोलने में केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता दी जा रही है।

## पोषण तथा खाद्य में मिलावट की रोकथाम

यह देखा गया है कि मात्रा तथा पौष्टिकता की दृष्टि से भारतीयों का भोजन पूर्ण नहीं है। भारतीयों के भोजन में प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, खनिज तथा विटामिन जैसे आवश्यक खाद्य-तत्त्वों का अभाव रहता है।

प्रोटीन-पूरक खाद्यों के सम्बन्ध में परीक्षण किया गया है। पता चला कि मैसूर की केन्द्रीय खाद्य-प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा तैयार किया गया खाद्य-पदार्थ रुचिकर ही नहीं, लाभकर भी है।

जून, १९६० ई० में स्थापित भारतीय चिकित्सा-शोध-परिषद् की राष्ट्रीय पोषण-परामर्श-समिति भारत-सरकार को पोषण-सम्बन्धी मामलों में परामर्श देने के अतिरिक्त पोषण-शोधन-सम्बन्धी योजनाएँ तैयार करती है।

कलकत्ता की अखिलभारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्था में आहार-शास्त्रियों के लिए सन् १९५७ ई० से डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में पोषण के अभाव के कारण उत्पन्न रोगों के उपचार के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए १२ शोध-पाकघर स्थापित किये गये हैं।

'खाद्य में मिलावट-निवारण-अधिनियम, १९५४' सम्पूर्ण देश में लागू कर अपराधियों को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था की गई है और एक केन्द्रीय खाद्य-प्रयोगशाला की स्थापना भी हुई है। नवम्बर, १९६० ई० में हैदराबाद में हुई एक विचार-गोष्ठी में इस अधिनयम को अच्छी तरह लागू करने के लिए महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गईं।

**राष्ट्रीय जल-व्यवस्था तथा सफाई-कार्यक्रम**—इस सम्बन्ध में आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और उन्हें पूरा करने में धन-सम्बन्धी सुझाव देने के लिए सन् १९६० ई० में एक जल-व्यवस्था और सफाई-समिति बनाई गई थी।

## चिकित्सा की सुविधाएँ

चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्यों पर है। इस सम्बन्ध में कुछ धर्मार्थ संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त होती है। देश में सन् १९६० ई० के अन्त में ११,८५४ अस्पताल और डिस्पेन्सरियाँ; ८८,३८९ पंजीकृत चिकित्सक; ३२,७३३ नर्सें; ३८,५२८ दाइयाँ और ६,१४२ टीका लगानेवाले थे।

**अंशदायी स्वास्थ्य-सेवा-योजना**—यह योजना १ जुलाई, १९५४ ई० से आरम्भ की गई है। यह योजना केवल दिल्ली तथा नई दिल्ली में ही लागू है। कुछ स्वायत्तशासी तथा अर्द्ध-सरकारी संगठनों तथा संसत्सदस्यों को भी ये सुविधाएँ दी जा रही हैं। सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन के अनुसार ५० नये पैसे से १२ रु० तक का मासिक चन्दा देना पड़ता है। सन् १९६१-६२ ई० में ५२,९६,४५१ कर्मचारियों ने इस योजना से लाभ उठाया।

**स्वास्थ्य-बीमा**—स्वास्थ्य-बीमा-योजना द्वारा 'कर्मचारी-राज्य-बीमा अधिनियम, १९४८' के अन्तर्गत औद्योगिक मजदूरों को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ चिकित्सा की सुविधाएँ भी दी जाती हैं। इस समय लगभग १७ लाख मजदूरों को ये सुविधाएँ दी जा रही हैं। कोयला-खान तथा अभ्रक-खान-मजदूरों को कोयला-खान-श्रमकल्याण-निधि तथा अभ्रक-खान-श्रमकल्याण-निधि द्वारा संचालित संस्थाओं से चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता प्राप्त होती है।

**ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र**—पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खण्डों में ७४ प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र स्थापित किये गये थे। नवम्बर, सन् १९६१ ई० के अन्त तक ऐसे २,९४६ केन्द्र स्थापित किये गये।

## देशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणालियाँ

सरकार देशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणालियों को यथासम्भव प्रोत्साहन देती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में ९ करोड़ ८० लाख रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सवा छह करोड़ रुपये खर्च किये गये।

**उडुपा-समिति**—आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से डॉ० के० एन० उडुपा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की एक सिफारिश के अनुसार एक केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान-परिषद् स्थापित की गई है। यह परिषद् आयुर्वेदिक अनुसन्धान-सम्बन्धी एक समन्वित नीति बनाने, अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने तथा आयुर्वेदिक अनुसन्धान करनेवाली संस्थाओं को सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार को उत्साह दिया करेगी।

**केन्द्रीय देशी चिकित्सा-प्रणाली-अनुसन्धान-संस्था**—जामनगर की यह संस्था २४ अगस्त, १९५३ ई० से कार्य कर रही है। इस संस्था में पाण्डु, ग्रहणी, जलोदर आदि रोगों पर अनुसन्धान और कुछ जड़ी-बूटियों की पहचान तथा उनकी खेती की जाती है। सन् १९५६-५७ ई० में इसमें एक सिद्ध-विभाग भी स्थापित किया गया।

**होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणाली**—सन् १९५५ ई० में भारत-सरकार ने होमियोपैथिक का एक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम स्वीकार किया है। इस समय देश में होमियोपैथी की शिक्षा देनेवाली संस्थाएँ तीस हैं, जिनमें कुछ को स्टेट बोर्ड से मान्यता भी प्राप्त है। होमियोपैथी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की एक परामर्शदात्री समिति भी है।

## ओषधि-निर्माण तथा नियन्त्रण

**ओषधि-नियन्त्रण**—केन्द्रीय सरकार आयात की जानेवाली ओषधियों की किस्मों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल भी करती है। देश में तैयार की जानेवाली ओषधियों के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों पर है।

केन्द्रीय सरकार ने एक ओषधि-प्राविधिक परामर्श-मण्डल संगठित किया है, केन्द्र और राज्य-सरकारों को परामर्श देने के उद्देश्य से ओषधि-समिति की भी स्थापना की गई है।

सर्वप्रथम भारतीय भेषज-संहिता सन् १९५५ ई० में प्रकाशित हुई तथा सन् १९६० ई० में इसका पूरक-पत्र प्रकाशित हुआ। कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय ओषधि-प्रयोगशाला में ओषधियों के नमूनों की जाँच-पड़ताल की जाती है।

१ अप्रैल, १९५५ ई० से उन सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, जिनमें गुप्त रोगों तथा स्त्री-रोगों के अद्‌भुत उपचार तथा वासनोत्तेजक ओषधियों का प्रचार किया जाता है।

**ओषधि-निर्माण**—मद्रास के गिण्डी नामक स्थान में सन् १९४८ ई० में बी० सी० जी० टीका-प्रयोगशाला स्थापित की गई। इस प्रयोगशाला ने नवम्बर सन् १९६१ ई० के अन्त तक भारत में ओषधि-विक्रेताओं को १,६३,०१,५१० घ० से० (घन सेण्टीमीटर) यक्ष्मि (ट्यूबर-कुलीन, अर्थात् क्षयरोग के कीटाणुओं से बनाई हुई क्षयरोग की ओषधि) तथा बी० सी० जी० के ६४,९४,६५४ घ० से० टीके दिये तथा अफगानिस्तान, थाइलैण्ड, पाकिस्तान, बर्मा, मलय, श्रीलंका और सिंगापुर को भी ने दवाइयाँ भेजीं।

सन् १९०६ ई० में स्थापित हुए कसौली की केन्द्रीय अनुसंधान-संस्था में टी० ए० बी०, हैजा तथा कुत्ते के काटने से उत्पन्न होनेवाले रोग आदि की ओषधि तैयार की जाती है।

पिम्परी-स्थित हिन्दुस्तान-एण्टीबॉयोटिक्स लिमिटेड तथा दिल्ली-स्थित डी० डी० टी० कारखाने में उत्पादन-कार्य प्रारम्भ हो गया है।

अधिक कुनैन तैयार करने के लिए भारत में सिन्कोना की खेती की उन्नति के लिए भी कई उपाय किये गये हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा-शोध-परिषद् मलेरिया-उपचार के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी कुनैन का उपयोग किये जाने की सम्भावना की जाँच कर रही हैं।

बम्बई की हाफकिन-संस्था गन्धक से बननेवाली ओषधि तैयार करती है और इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड तथा टाटा-उद्योग बी० एच० सी० (बेंजीन हैक्जाक्लोराइड) तैयार करते हैं। करनाल, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में ४ भेषजीय डिपो हैं, जो सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं को स्वीकृत कोटि की ओषधि देते हैं।

**मुदालियर कमिटी की सिफारिशें**—स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-सेवा के क्षेत्र में हुए विकासमूलक कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए भारत-सरकार ने डॉ० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक स्वास्थ्य-सर्वेक्षण एवं आयोजन-कमिटी नियुक्त की थी। कमिटी का प्रतिवेदन नवम्बर, १९६१ ई० में प्रकाशित हुआ। कमिटी की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं—सब लोगों को निःशुल्क चिकित्सा-सेवा उपलब्ध हो, यह व्यवहार्य नहीं जान पड़ता। यथार्थतः दरिद्र रोगियों को छोड़कर अन्य श्रेणी के रोगियों से अस्पताल में क्रमोन्नत शुल्क लिया जाना चाहिए। जिला-अस्पतालों के साथ जिला में सेवा-कार्य के लिए विशेषज्ञों के भ्रमणशील दल संलग्न किये जायें। ग्रामीणों की सेवा के लिए चल-स्वास्थ्य-वाहनों का प्रबन्ध होना चाहिए। चतुर्थ योजना के अन्त तक प्रति ३,५०० की आबादी पर एक डॉक्टर का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जाय। प्रति ५० लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज के हिसाब से इस समय ६० मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम अँगरेजी भाषा रहे। विभिन्न राज्यों में स्नातकोत्तर चिकित्सा-शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार के ऊपर होनी चाहिए। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, लखनऊ और चंडीगढ़ में छह आंचलिक स्नातकोत्तर केन्द्र विकसित किये जायँ। आंचलिक स्वास्थ्य-समितियों की स्थापना की जाय।

☆

## परिवार-नियोजन

सन् १९०१ ई० में भारत की जनसंख्या साढ़े तेईस करोड़ थी, किन्तु सन् १९६१ ई० में यहाँ की जनसंख्या ४४ करोड़ हो गई है, जबकि सन् १९०१ ई० के भारत के दो बड़े खंड, वर्मा और पाकिस्तान इससे अलग हो गये हैं। हिसाब करने से पता चलता है कि यहाँ की जन-संख्या में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, अर्थात् यहाँ करीब ७० लाख खानेवाले नये व्यक्ति जन्म ले रहे हैं। किन्तु हमारी भूमि बढ़ नहीं रही है और न पर्याप्त गति से उत्पादन के साधन ही बढ़ रहे हैं। ऐसी अवस्था में जनसंख्या को एक नियोजित ढंग से ही बढ़ने देना होगा। अन्यथा देश में हाहाकार मच जायगा। इसी स्थिति के कारण भारत में परिवार-नियोजन के आन्दोलन का जन्म हुआ। सर्वप्रथम परिवार-नियोजन-चिकित्सालय (बर्थ-कंट्रोल क्लिनिक) की स्थापना सन् १९२९ ई० में मैसूर की सरकार द्वारा की गई। उसके पश्चात् अखिलभारतीय काँगरेस ने अपने एक विशेष प्रस्ताव द्वारा देश में इस आन्दोलन के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप कुछ दिनों के बाद बम्बई में डॉ० कर्वे एवं डॉ० पिल्ले आदि के अथक प्रयास से संतति-निरोध के हेतु कुछ कुटुम्ब-सुधार-केन्द्र खोले गये।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद हमारे देश में इस आन्दोलन को सरकारी स्तर पर और अधिक प्रश्रय मिला और परिवार-नियोजन-केन्द्र खोले गये। इन केन्द्रों में दम्पतियों को संतति-निरोध की सारी बातों की शिक्षा दी जाती है तथा संतति-निरोधक ओषधियों तथा अन्य उपादान निःशुल्क अथवा उचित मूल्य पर वितरित किये जाते हैं। प्रायः ३०० रु० से कम आमदनीवाले व्यक्ति को ये उपादान निःशुल्क दिये जाते हैं। इन केन्द्रों में 'सुरक्षित काल' की विधि बतलाने की व्यवस्था है।

**संचालन एवं प्रशिक्षण**—सम्पूर्ण भारत के परिवार-नियोजन-आन्दोलन का संचालन सितम्बर, १९५६ ई० में स्थापित एक 'सेण्ट्रल फैमिली-प्लानिंग बोर्ड' से होता है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्री हैं। इसकी शाखाएँ प्रत्येक राज्य में अपना कार्य कर रही हैं। प्रत्येक राज्य-सरकार ने अपने स्वास्थ्य-निदेशक के कार्यालय में एक 'स्टेट फैमिली प्लानिंग अफसर' की नियुक्ति की है। इस कार्य के लिए जिला-समितियाँ भी बनाई गई हैं।

योजना-आयोग के अनुसार परिवार-नियोजन-कार्यक्रम का उद्देश्य है—(क) देश की तेजी से बढ़ती हुई जन-संख्या के कारणों का सही-सही पता लगाना; (ख) परिवार-नियोजन के लिए उपयुक्त उपाय खोजना और उनका व्यापक रूप से प्रचार करना तथा (ग) सरकारी अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्थाओं में परिवार-नियोजन-सम्बन्धी सलाह आदि देना।

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में १४५ उपचारालय (२० ग्रामीण तथा १२५ नागरिक क्षेत्रों में) खोले गये थे। दूसरी योजना की अवधि में करीब १,५०० उपचारालय (१,०७९ ग्रामीण तथा ४२१ नागरिक क्षेत्रों में) खोले गये। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अक्टूबर, १९६१ ई० तक १९२ ग्रामीण क्षेत्रों में और १९६ नागरिक क्षेत्रों में उपचार के केन्द्र खोले गये हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य-सम्बन्धी अन्य २,१८४ केन्द्र भी लोगों को इस सम्बन्ध में सलाह देते हैं। इस प्रकार इस समय सब मिलाकर ४,१९७ केन्द्र इस काम लगे हुए हैं। जनता को पुस्तिकाओं, प्रदर्शनियों तथा फिल्मों की सहायता से परिवार-नियोजन-सम्बन्धी कार्यक्रम से अवगत कराया जाता है।

**अनुसंधान-कार्य**—बम्बई में एक जनांकिक प्रशिक्षण अनुसंधान-केन्द्र (डियोग्राफिक ट्रेनिंग रिसर्च सेण्टर) पहले से काम कर रहा है। इधर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मैसूर और केरल में भी इस प्रकार के केन्द्र खोले गये हैं।

## समाज-कल्याण

### मद्यनिषेध

भारतीय संविधान में देश-भर में मादक पेयों तथा द्रव्यों का उपयोग क्रमशः बन्द करने का आदेश दिया गया है। अतः, दिसम्बर, १९५४ ई० में भारत-सरकार ने मद्यनिषेध-जाँच-समिति की नियुक्ति की। मद्यनिषेध-आयोग ने मद्यनिषेध-सम्बन्धी जिम्मेदारियाँ राज्यों पर छोड़ दी हैं कि वे स्वयं मद्यनिषेध की तिथि निश्चित करें तथा स्थानीय अवस्थाओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप अपनी-अपनी नीतियाँ बनायें। आयोग ने मद्य के विज्ञापनों तथा अन्य प्रलोभनों पर रोक लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान बन्द करने, इस सम्बन्ध में विशिष्ट तकनीकी समितियाँ बनाने, सस्ते तथा

स्वास्थ्यकर हल्के पेयों का प्रचार तथा उत्पादन करने, सामुदायिक विकास-खण्डों में मद्यनिषेध लागू करने के काम को रचनात्मक कार्य का प्रमुख अंग बनाने आदि की सिफारिश भी की है।

मद्यनिषेध-कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने, विभिन्न राज्यों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों से परिचित रहने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय मद्यनिषेध-समिति की स्थापना की गई है। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में मद्यनिषेध की प्रगति संक्षेप में इस प्रकार है—

आसाम-राज्य के अन्तर्गत कामरूप तथा नवगाँव जिलों में मद्यनिषेध लागू है। सन् १९४७ ई० से अफीम का और जुलाई, १९५९ ई० से गाँजा तथा भांग का भी पूर्ण निषेध कर दिया गया।

**आन्ध्रप्रदेश** में अनन्तपुर, कडपा, कुरनूल, कृष्णा, गुण्टूर, चित्तूर, नेल्लोर, पश्चिम गोदावरी, पूर्व गोदावरी, विशाखापत्तनम तथा श्रीकाकुलम जिलों में पूर्ण मद्यनिषेध है। **उड़ीसा** में मद्यनिषेध-सम्बन्धी कानून कटक, कोरापुट, गंजम, पुरी तथा बालासोर जिलों में लागू है। १ अप्रैल, १९५९ ई० में अफीम के उपभोग का भी निषेध कर दिया गया। **उत्तरप्रदेश** में ऋषिकेश, वृन्दावन तथा हरिद्वार के तीर्थ-केन्द्रों और उन्नाव, एटा, कानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, बदायूँ, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी; रायबरेली तथा सुलतानपुर जिलों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। गाँजा की बिक्री का भी निषेध किया गया है और अफीम के उपभोग पर १ जुलाई, १९५९ ई० से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। **केरल** में कोजीकोड, पालघाट, त्रिवेन्द्रम, कन्ननूर जिलों और क्विलोन तथा त्रिचूर जिलों के ५ ताल्लुकों और एर्नाकुलम जिले के फोर्ट कोचीन क्षेत्र में पूर्ण मद्यनिषेध है। १ अप्रैल, १९५९ ई० से राज्य में अफीम तथा गाँजा की सभी दूकानें बन्द की जा चुकी हैं। **गुजरात** में सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। **पंजाब** में पूर्ण मद्यनिषेध केवल रोहतक जिले में है। अफीम के उपभोग का १ अप्रैल, १९५९ ई० से पूर्ण निषेध कर दिया गया है। **पश्चिम बंगाल** में अबतक किसी भी क्षेत्र में मद्यनिषेध लागू नहीं हुआ है। **बिहार** में अफीम के उपभोग पर १ अप्रैल, १९५९ ई० से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। **मद्रास-राज्य** में पूर्ण मद्यनिषेध २ अक्तूबर, १९५८ ई० से लागू है। **मध्यप्रदेश** में दमोह, नरसिंहपुर, नमीड़ ( खण्डवा ), विदिशा, सागर तथा होशंगाबाद जिलों में पूर्ण और दुर्ग, बिलासपुर तथा रायपुर जिलों में कहीं-कहीं मद्यनिषेध लागू है। १ अप्रैल, १९५९ ई० से अफीम के उपयोग का पूर्ण निषेध कर दिया गया है। **महाराष्ट्र** में १ अप्रैल, १९६१ ई० से पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। **मैसूर** में गुलबर्गा, बंगलोर और रायचूर जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण राज्य में मद्यनिषेध लागू है। कुछ जिलों में गाँजा की बिक्री का तथा १ अप्रैल, १९५९ ई० से अफीम के उपयोग का पूर्ण निषेध कर दिया गया है। **राजस्थान** में केवल सिरोही जिले के आबू तालुके में मद्यनिषेध लागू किया गया है।

संघीय क्षेत्रों में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। ताड़ी की सभी दूकानें बन्द कर दी गई हैं। शराब की दूकानें सप्ताह में ५ दिन बन्द रखी जाती हैं। अन्दमान तथा निकोबार-द्वीप-समूह में विदेशी शराब के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। दिल्ली में देशी शराब की दूकानों पर प्रतिबन्ध है। १ अप्रैल, १९५९ ई० से अफीम केवल उसके आदी लोगों को ही डॉक्टरी-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है। मणिपुर में स्थानीय रूप से देशी शराब तैयार करनेवालों को सन् १९५८ ई० से लाइसेंस देना बन्द कर दिया गया है। धार्मिक अवसरों तथा उत्सवों पर स्थानीय रूप से शराब बनाने के अनुमति-पत्र आदिमजातीय लोगों को ही दिये जाते हैं।

हिमाचल-प्रदेश के बिलासपुर जिले तथा माहसू, माण्डी और चम्बा जिलों के कुछ सबडिवीजनों में मद्यनिषेध लागू है। त्रिपुरा में शराब की दूकानें सप्ताह में एक दिन बन्द रखी जाती हैं। १ अप्रैल, १९५९ ई० से वहां गाँजा की बिक्री समाप्त कर दी गई है।

## दुर्व्यवहृत लोगों के कल्याण के उपाय

**स्त्रियों का अनैतिक व्यापार**—भारतीय दण्ड-विधान में १८ वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की वेश्यावृत्ति के लिए खरीद-बिक्री करनेवालों को १० वर्ष तक जेल देने तथा जुरमाना भी करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार, वेश्यावृत्ति करवाने के लिए २१ वर्ष से कम आयु की स्त्रियों को विदेशों से लानेवालों को भी दण्ड दिया जाता है। वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने के लिए 'महिला तथा बालिका-अनैतिक व्यापार-दमन-अधिनियम, १९५६' भी विद्यमान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति से उबारी गई स्त्रियों के पुनर्वास तथा उनको पढ़ाने-लिखाने और कोई काम-धन्धा सिखाने के उद्देश्य से कुछ आश्रम बनाने की भी व्यवस्था है। पतिता स्त्रियों के उत्थान के लिए तथा उन्हें अच्छे नागरिक बनाने के लिए राज्यों में कई अन्य संस्थाएँ भी कार्य कर रही हैं, जिनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण ये हैं : मद्रासराज्य के स्त्री-सदन, बम्बई का श्रद्धानन्द-अनाथ-महिलाश्रम, मद्रास का गुड शैफर्ड-होम, पूना का क्रिस्पिन-होम, पश्चिम-बंगाल का फैण्डल-होम और अखिल बंग-महिला-अनाथालय तथा गोरखपुर का खुशालबाग-मिशन-अनाथालय। इस समय देश में १०० रक्षा-गृह हैं।

**बाल-अपराधी**—इन दिनों आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, गुजरात, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, मध्यप्रदेश और मैसूर-राज्यों तथा दिल्ली के संघीय क्षेत्र में बाल-अधिनियम लागू हैं। आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मद्रास तथा मैसूर में 'किशोरबन्दी (बोर्स्टल) स्कूल-अधिनियम' भी लागू कर दिया गया है। सन् १८९७ ई० का 'सुधार-विद्यालय-अधिनियम' सभी बड़े राज्यों तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में भी लागू है।

बाल-अपराध-समस्या के समाधान का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों पर है। बालकों के पालन-पोषण-कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों में विभिन्न प्रकार की लगभग ८० सुधार-संस्थाएँ हैं। इनमें बहुतों को केन्द्रीय सरकार सहायता देती है।

**भिखारी**—दण्ड-विधान-संहिता की नजर में आवारा लोग तथा भीख माँगनेवाले, दोनों ही समान हैं तथा ऐसे लोगों को कानूनन दण्ड देने की व्यवस्था है। १५ फरवरी, १९४१ ई० से एक कानून द्वारा रेलवे-स्टेशनों पर भीख माँगना रोक दिया गया है। अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक स्थानों में भीख माँगने पर रोक लगाने के लिए विशेष अधिनियम स्वीकार किये जा चुके हैं। अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में नगरपालिका तथा पुलिस-नियम लागू हैं। भिक्षावृत्ति करवाने के उद्देश्य से बच्चों को उठा ले जाना, उनका अपहरण और अंग-भंग करना अपराध माना गया है।

भिखारियों की देख-रेख तथा उनके पुनर्वास में योग देनेवाली संस्थाएँ विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसी १८, पश्चिम-बंगाल में ८, मद्रास में ७, केरल में ८ तथा दिल्ली में ३ संस्थाएँ हैं। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा मैसूर में एक-एक भिखारी-गृह है। नई दिल्ली में आवारा लोगों के हित के लिए एक ऐसी संस्था है, जिसमें उन्हें काम-धन्धे सिखाये जाते हैं।

## केन्द्रीय समाज-कल्याण-मण्डल

श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में अगस्त, १९५३ ई० में स्थापित केन्द्रीय समाज-कल्याण-मण्डल महिलाओं, बच्चों तथा विकलांगों के कल्याण की योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा उनका विकास करने की मुख्य संस्था है। यह विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलों तथा राज्य-सरकारों की कल्याण-योजनाओं में समन्वय स्थापित करता है। अगस्त, १९६२ ई० से केन्द्रीय समाज-कल्याण-मण्डल की अध्यक्षा के पद पर श्रीमती जॉन मथाई कार्य कर रही हैं।

फरवरी, १९६२ ई० तक मंडल ने ७,६०७ स्वयंसेवी कल्याण-संस्थाओं को सवा पाँच करोड़ रुपये का अनुदान दिया है।

**ग्रामीण कल्याण-विस्तार-परियोजना**—मण्डल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावित योजनाओं में ग्रामीण कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ तथा प्रशिक्षण-कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं के कार्यक्रम में बाल-बाड़ियाँ, मातृकल्याण तथा शिशु-स्वास्थ्य-सेवाएँ, महिला-साक्षरता तथा समाज-शिक्षा, कलाकौशल-केन्द्र और मनोरंजन-केन्द्रों की व्यवस्था करने का कार्य सम्मिलित है। प्रत्येक परियोजना-क्षेत्र में सामान्यतः ५-५ गाँव के ५ केन्द्र होते हैं।

अगस्त, १९५४ ई० से फरवरी, १९६२ ई० तक ४३९ परियोजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया, जिनके अन्तर्गत २,१३४ केन्द्र थे। सन् १९५७ ई० से फरवरी, १९६२ ई० तक ३२१ समन्वित ढंग की परियोजनाएँ चालू थीं, जिनके अन्तर्गत ३,३४० केन्द्र थे।

मण्डल, कल्याण-परियोजनाओं में परियोजना-केन्द्रों को भवन-सम्बन्धी अनुदान देता है। फरवरी, १९६२ ई० के अन्त तक इस कार्य के लिए ४४·३३ लाख रुपये के अनुदानों की स्वीकृति दी गई।

**प्रशिक्षण-कार्यक्रम**—ग्रामीण कल्याण-कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कस्तूरबा-गान्धी राष्ट्रीय स्मारक-न्यास तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों के प्रशिक्षण-केन्द्रों में ३१७ मुख्य सेविकाओं, ३,७६७ ग्रामसेविकाओं, २२१ धात्रियों तथा ३३५ दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रौढ़ महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए भी संक्षिप्त पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई।

**शहरी कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ**—इन परियोजनाओं का उद्देश्य गन्दे क्षेत्रों के निवासियों के लिए सामुदायिक कल्याण-केन्द्रों की व्यवस्था करना है।

**बाल-अवकाश-गृह**—पहाड़ी तथा ठण्डे स्थानों में कम आयवाले लोगों के बच्चों के लिए अवकाश-शिविरों की व्यवस्था की जाती है।

**रात्रिकालीन विश्राम-गृह**—विभिन्न राज्यों के बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए स्थायी विश्राम-स्थल की व्यवस्था के निमित्त ३८ रात्रिकालीन विश्राम-गृह खोले गये हैं। तत्सम्बन्धी कार्य भारत-सेवक-समाज को सौंपा गया है।

**सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम**—विकलांग व्यक्तियों तथा काम चाहनेवाली महिलाओं के लिए कई उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने की एक योजना का कार्य आरम्भ किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पचीस से तीस हजार महिलाओं को रोजगार मिलने की आशा है।

**सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य विज्ञान और देखभाल-कार्यक्रम**—इसके अनुसार आरम्भ किये गये कार्य का उद्देश्य सुधार-संस्थानों से निकले प्रौढ़ व्यक्तियों, महिलाओं तथा बच्चों की देखभाल तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है। फरवरी, १९६२ ई० तक ऐसे ४६ देखभाल-गृहों तथा ८९ जिला-संरक्षण-गृहों को स्वीकृति दी गई है।

*

# अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आदिमजातियाँ तथा पिछड़े वर्ग

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से उन्नति करने और उनकी परम्परागत सामाजिक असमर्थताओं को दूर करने के उद्देश्य से भारत के संविधान में आवश्यक सुरक्षा तथा संरक्षण की व्यवस्था है। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि (१) अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाय; (२) इन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा हो और सामाजिक अन्याय तथा शोषण से उन्हें बचाया जाय; (३) हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थान समस्त वर्गों के हिन्दुओं के लिए खुले रखे जायँ; (४) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुओं, ताल-तालाबों, स्नान-घाटों और सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने पर लगी सभी रुकावटें दूर हों; (५) इन जातियों को कोई भी रोजी-रोजगार अपनाने का अधिकार दिया जाय; (६) सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी कोष से सहायता पानेवाले शिक्षालयों में उनके प्रवेश पर कोई रुकावट न हो; (७) सरकारी नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जायँ; (८) संसद् तथा राज्यीय विधान-मण्डलों में २० वर्ष की अवधि तक इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व की सुविधा हो; (९) इनके कल्याण तथा हितों की सुरक्षा के प्रयोजन से राज्यों में सलाहकार-परिषदों और पृथक् विभागों की स्थापना की जाय तथा केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति हो तथा (१०) अनुसूचित और आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियन्त्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जाय। भारत में इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या क्रमशः ५.५३ करोड़ तथा २.२५ करोड़ है। निरविसूचित (डिनोटिफाइड) आदिमजातीय लोगों की संख्या लगभग ४० लाख है।

## अस्पृश्यता-निवारण के उपाय

**अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५**—उपर्युक्त जातियों को संविधानानुसार सुविधाएँ देने तथा उनपर लगाये गये सामाजिक प्रतिबन्धों को हटाने के लिए भारतीय संसद् ने एक अधिनियम बनाया है। इसके अनुसार प्रतिबन्ध लगानेवालों को दंड देने की व्यवस्था भी की गई है। यह अधिनियम १ जून, १९५५ ई० से लागू है।

**अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन**—सन् १९५४ ई० से भारत-सरकार अस्पृश्यता-उन्मूलन-आन्दोलन के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। राज्य-सरकारों ने अपने जिलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे इस कुरीति का अन्त करने पर जोर दें। जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए प्रायः सभी राज्यों में हरिजन-दिवस तथा हरिजन-सप्ताह

मनाये जाते हैं। इस कार्य के लिए पुस्तक-पुस्तिकाओं, इश्तहारों और अन्य साधनों का भी उपयोग किया जा रहा है।

देश की कुछ सार्वजनिक संस्थाओं से हरिजन-सेवक-संघ, भारतीय दलित-वर्ग-संघ, भारत-दलित-सेवक-संघ, इलाहाबाद के हरिजन-आश्रम आदि को अस्पृश्यता-निरोधी कार्य के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जाती है।

इन संस्थाओं को पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में करीब ६२ लाख रुपये और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६६ लाख रुपये दिये गये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन्हें सवा करोड़ रुपये देने का निश्चय किया गया है।

## विधान-मण्डलों में प्रतिनिधित्व

राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों की जनसंख्या के अनुपात से इन लोगों के लिए लोकसभा तथा राज्यों की विधान-सभाओं में संविधान लागू होने के बाद से २० वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए क्रमशः ७६ और ३१ स्थान सुरक्षित हैं। राज्यों के विधान-मण्डलों में इन जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः ४७० तथा २२१ है)

## सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व

जिन पदों पर नियुक्तियाँ खुली प्रतियोगिता-द्वारा देशव्यापी आधार पर की जाती हैं, उनमें १२-१/२ प्रतिशत स्थान तथा जो नियुक्तियाँ अन्य प्रकार से की जाती हैं, उनमें १६⅔ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं। अनुसूचित आदिमजातियों के लिए दोनों दशाओं में पांच-पाँच प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।

नौकरियों में इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के विचार से आयु-सीमा में छूट, योग्यताओं के मानदंड में रियायत आदि जैसी सुविधाएँ भी दी जाती हैं। इन दोनों जातियों में से उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर ही कोई पद अरक्षित माना जाता है।

१ जनवरी, १६५१ ई० को इन वर्गों के २,१६,६६८ व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

## अनुसूचित तथा आदिमजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार संयुक्त खासी-जैन्तिया-पहाड़ियों, गारो पहाड़ियों, मिजो-पहाड़ियों, उत्तर-कछार-पहाड़ियों तथा मिकिर-पहाड़ियों के जिलों में एक प्रादेशिक परिषद् तथा पाँच जिला-परिषदें स्थापित की गई हैं। पाँचवीं सूची के अनुसार प्रायः सभी राज्यों में एक आदिमजाति परामर्श-समिति भी स्थापित की गई है, जहाँ अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जातियाँ हैं।

## कल्याणकार तथा सलाहकारी संस्थाएँ

**अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजातीय आयुक्त**—संविधान में की गई सुरक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था की जाँच-पड़ताल करने तथा इनको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए एक आयुक्त तथा दस सहायक आयुक्त हैं।

**आदिमजाति-कल्याण-अधिकारी**—भारत-सरकार की ओर से एक आदिम-जाति-कल्याण-अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो आसाम में आदिमजातीय लोगों में हुए कार्य की समीक्षा करके भारत-सरकार को रिपोर्ट पेश करता है।

**केन्द्रीय सलाहकार-मण्डल**—आदिमजातीय क्षेत्रों के विकास और अनुसूचित आदिम-जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण-सम्बन्धी मामलों में संसत्सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत-सरकार ने दो केन्द्रीय सलाहकार-मण्डल नियुक्त किये हैं—एक आदिमजातियों के कल्याण के लिए तथा दूसरा हरिजनों के कल्याण के लिए।

**राज्यों के कल्याण-विभाग**—भारत के प्रायः सभी राज्यों में एक-एक कल्याण विभाग की स्थापना की गई है।

## कल्याणकारी योजनाएँ

**शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ**—इन जातियों को शिक्षा की अधिक-से-अधिक सुविधाएँ दी जा रही हैं। व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है। विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाई, छात्रावृत्तियाँ, पुस्तकें, लेखन-सामग्री आदि की सुविधाएँ भी दी जाती हैं। कितने ही स्थानों पर इनके लिए दोपहर में भोजन की भी व्यवस्था है।

भारत-सरकार ने इन वर्गों के सुपात्र विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्र-वृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की है।

सभी प्राविधिक संस्थाओं तथा शिक्षालयों से सिफारिश की गई है कि इन वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायँ, आवश्यक उत्तीर्ण-अंकों की संख्या में कमी करें तथा अधिकतम आयु-सीमा बढ़ायें।

**आर्थिक उन्नति के अवसर**—२.२५ करोड़ आदिमजातीय लोगों में से लगभग २६ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष २२,५५,८१६ एकड़ भूमि में स्थान बदल-बदलकर खेती करते हैं। यह समस्या आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश के राज्यों और मणिपुर तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। इस सिलसिले में अबतक असम में १६ मार्गदर्शक परियोजना-केन्द्र तथा आन्ध्रप्रदेश में ६ बस्ती-योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में २,६६०, बिहार में १,५४८, मध्यप्रदेश में ३६६ तथा त्रिपुरा में १३,२२६ परिवार बसाये जा चुके हैं।

आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र और मद्रास में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार लाकर, बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाने तथा उसे अनुसूचित जातियों एवं अनु-सूचित आदिमजातियों के लोगों में बाँट देने की कई योजनाएँ आरम्भ की जा चुकी हैं। इसके अलावा इन्हें पशु, उर्वरक, कृषि-औजार, उन्नत बीज आदि खरीदने के लिए भी सुविधाएँ दी जा रही हैं।

आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र में कई राज्यों में ऋण, आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिमजातियों के बीच कुटीर-उद्योगों का विकास किया जा रहा है। कई राज्यों में उनके लिए ऋण देनेवाली बहूद्देश्यीय सहकारी-समितियाँ भी स्थापित कर दी गई हैं।

अन्य कल्याणकारी कार्यों के अन्तर्गत इन्हें मकान बनाने के लिए निःशुल्क अथवा नाममात्र मूल्य पर भूमि दी जाती है। हरिजन-कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को सहायता-अनुदान भी दिये जाते हैं। आवश्यकतानुसार इन्हें ऋण देने की भी व्यवस्था है। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों के लोगों को कानूनी सहायता भी दी जाती है।

**आदिमजाति-अनुसन्धान-संस्थान**—उड़ीसा, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में आदिमजातीय अनुसंधान-संस्थान स्थापित हैं, जहाँ आदिमजातीय कला, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों का अध्ययन-अनुसन्धान किया जाता है। आन्ध्र-विश्वविद्यालय में एक आदिमजातीय अनुसन्धान-संस्थान स्थापित किया गया है।

गौहाटी-विश्वविद्यालय में आसाम की आदिमजातियों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। महाराष्ट्र तथा गुजरात-राज्यों में बम्बई की नृतत्त्व-शास्त्र-समिति, गुजरात-अनुसन्धान-समिति तथा बम्बई-विश्वविद्यालय में आदिम-जातियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक अनुसन्धान संस्थान ने राज्य की आदिमजातियों के जीवन के कई पहलुओं पर महत्त्व-पूर्ण रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। भारत-सरकार के नृतत्त्व-शास्त्र-विभाग में देश की कुछ आदिमजातियों तथा वर्गों के पारस्परिक आचार-सम्बन्धों के अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है।

उत्तर-पूर्व सीमान्त-प्रदेश के अनुसन्धान-विभाग में भी उस क्षेत्र के लोगों की भाषाओं तथा संस्कृति के सम्बन्ध में अध्ययन-कार्य जारी है। उड़ीसा के आदिमजातीय अनुसन्धान-संस्थान में भी कई महत्त्वपूर्ण आदिमजातीय समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश की संस्था में महाकोसल-क्षेत्र के ५ जिलों की सहकारी संस्थाओं के विकास का अध्ययन-कार्य पूरा हो चुका है।

बिहार संस्थान द्वारा भी संताल-परगना की एक आदिमजाति के अध्ययन का कार्य पूरा किया जा चुका है। उदयपुर के भारतीय लोक-कला-मण्डल ने भूतपूर्व मध्यभारत तथा राजस्थान की आदिमजातियों की संस्कृति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण-कार्य सम्पन्न किया है।

### उपर्युक्त जातियों के कल्याणार्थ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत व्यय
### ( करोड़ रुपयों में )

| | प्रथम योजना | द्वितीय योजना (अनुमान) | तृतीय योजना (संभावित व्यय) |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित आदिमजातियाँ | १७·३७ | ४२·१६ | ६८·६० |
| अनुसूचित जातियाँ | ५·६६ | २८·६१ | ४०·४२ |
| अन्य ( निरधिसूचित जातियों-सहित ) | २·६५ | ११·०६ | १२·३० |

# कृषि और पशु-पालन

## कृषि

भारत के लगभग ७० प्रतिशत व्यक्ति अपनी जीविका के लिए भूमि पर निर्भर करते हैं तथा देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि और उससे सम्बद्ध व्यवसायों से प्राप्त होती है। देश से सूतीवस्त्र-उद्योग, पटसन से बनी वस्तुओं के उद्योग तथा चीनी-उद्योग जैसे कुछ बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। इस प्रकार, देश से निर्यात की जानेवाली वस्तुओं का बहुत बड़ा भाग कृषि पर ही निर्भर करता है। मूँगफली और चाय के उत्पादन में भारत का स्थान संसार-भर में प्रथम है तथा लाख केवल भारत में ही पैदा होती है। चावल, पटसन, खाँडसारी, तिल, राई तथा अरंडी के उत्पादन में संसार में भारत का स्थान दूसरा है।

### भूमि का उपयोग

भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८०.६३ करोड़ एकड़ है। इसमें से ७५.३० करोड़ एकड़ भूमि, अर्थात् कुल क्षेत्रफल के ८६.७ प्रतिशत भाग के ही आँकड़े उपलब्ध हैं। सन् १९५८-५९ ई० में यहाँ १२. ८१ करोड़ एकड़ भूमि में जंगल; ६.७४ करोड़ एकड़ भूमि में चरागाह, वृक्ष, कुंज आदि थे तथा ५.६४ करोड़ एकड़ भूमि बंजर थी। इसके अलावा ११ ५६ करोड़ एकड़ भूमि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं थी। कुल ३७.२२ करोड़ एकड़ भूमि में कृषि होती थी, जिसमें ३२ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि हल से जोती जाती थी।

**सिंचित भूमि**—यहाँ खेती के काम में आनेवाली कुल भूमि में से लगभग १६ प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। सन् १९५०-५१ ई० में नहरों, ताल-तालाबों, कुओं आदि से ५.१५ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी, किन्तु सन् १९५८-५९ ई० में ५.७९ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई हुई।

भारत में कृषि की दो मुख्य विशेषताएँ हैं—एक तो यह कि यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं; और दूसरी यह कि अनाज की फसलों को अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है।

**फसलें**—भारत में फसलों के दो मौसम हैं—खरीफ तथा रबी। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, गन्ना, तिल तथा मूँगफली मुख्य हैं तथा रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, अलसी, राई तथा सरसों।

**मुख्य फसलों का क्षेत्र और उत्पादन**—सन् १९५०-५१ ई० तथा सन् १९६०-६१ ई० के आँकड़े यहाँ दिये जा रहे हैं—

कृषि-उत्पादन (सभी जिन्सें) का सूचनांक, जो सन् १९५६-५७ ई० में १२४.३ था, वह सन् १९५७-५८ ई० घटकर ११५.९ हो गया। सन् १९५८-५९ ई० में यह सूचनांक बढ़कर १३२ हो गया।

## मुख्य फसलों का क्षेत्र और उत्पादन

| फसल | क्षेत्र (एकड़) | | उत्पादन | |
|---|---|---|---|---|
| | १९५०–५१ | १९६०–६१ | १९५०–५१ | १९६०–६१ |
| चावल | ७,६१,३५ | ८,३३,३५ | २,०२,५१ हजार टन | ३,३७,०० हजार टन |
| ज्वार | ३,८४,७७ | ४,२१,०८ | ५४,०८ ,, | ९०,८५ ,, |
| बाजरा | २,२२,९६ | २,८०,६[illegible] | २५,५४ ,, | ३१,३४ ,, |
| मकई | ७८,०७ | १,०७,५८ | १७,०२ ,, | [illegible]९,१५ ,, |
| रागी | ५४,४४ | ५७,६० | १४,०७ ,, | १६,४० ,, |
| जई | १,१३,८० | १,२२,४५ | १७,२२ , | १९,४९ ,, |
| गेहूं | २,४०,८२ | ३,१७,५१ | ६३,६० ,, | १,०६,४८ ,, |
| जौ | ७६,९३ | ७९,१६ | २३,४० ,, | २७,३४ ,, |
| चना | १,८७,०६ | २,३४,८३ | ३५,९३ ,, | ६२,०७ ,, |
| अरहर | ५३,८९ | ५८,३० | १६,९२ ,, | २०,४४ ,, |
| अन्य दालें | २,३०,८० | २,८३,५४ | २९,९३ ,, | ४२,१६ ,, |
| आलू | ५,९२ | ८,८४ | १६,३४ ,, | २६,५६ ,, |
| गन्ना | ४२,१७ | ५७,३४ | ५,६१,५० ,, | ८,५०,४५ ,, |
| काली मिर्च | १,९७ | २,३५ | २१ ,, | २६ ,, |
| लाल मिर्च | १४,६४ | १४,२२ | ३,४५ ,, | ३,६२ ,, |
| सोंठ | ४० | ४४ | १४ ,, | १६ ,, |
| तम्बाकू | ८,८३ | ९,६८ | २,५७ ,, | २,९४ ,, |
| मूंगफली | १,११,०६ | १,५४,५५ | ३४,२६ ,, | ४३,५४ ,, |
| अरण्डी | १३,७२ | ११,३५ | १,०१ ,, | ९८ ,, |
| तिल | ५४,४५ | ४८,५८ | ४,३८ ,, | २,८८ ,, |
| राई और सरसों | ५१,१८ | ७२,६५ | ७,५० ,, | १३,८० ,, |
| अलसी | ३४,६७ | ४२,२२ | ३,६१ ,, | ४,१० ,, |
| कपास | १,४५,३८ | १,८९,७१ | २९,१० हजार गाँठ | ५३,९४ हजार गाँठ* |
| पटसन | १४,११ | १५,२९ | ३२,८३ ,, | ४०,३० ,, ,,† |
| चाय | ७,७७ | अनुपलब्ध | ६,०७ लाख पौंड | अनुपलब्ध |
| कहवा | २,२४ | ,, | ५४ ,, | ,, |
| रबर | १,४४ | ,, | ३२ ,, | ,, |
| नारियल | १५,३६ | ,, | ३,५८,००,००,००० | ,, |

*३९२ पौंड प्रति गाँठ। †४०० पौंड प्रति गाँठ।

सन् १६६०-६१ ई० में कृषि-उत्पादन के सूचनांक इस प्रकार थे : खाद्यान्न १३५.०; अन्य फसलें (तिलहन, वस्त्र, बागान-उत्पादन आदि) १४७·३ और समस्त पदार्थों का सामान्य सूचनांक १३६.१। सन् १६५०-५१ ई० में ये सूचनांक इस प्रकार थे—खाद्यान्न ६०·५; अन्य फसलें १०५·६ और सामान्य सूचनांक ६५·६।

**खाद्यान्न का आयात**—सन् १६६१ ई० में खाद्यान्न के आयात के सम्बन्ध में दो इकरारनामे हुए। उनमें पहला फरवरी, १६६१ ई० में हुए मिस्र से ५० हजार टन चावल मँगवाने के सम्बन्ध में था और दूसरा, अक्टूबर, १६६१ ई० में कनाडा से गेहूँ मँगाने के सम्बन्ध में। बर्मा, संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा और अस्ट्रेलिया से भी पहले के इकरारनामों के अनुसार खाद्यान्न आते रहे।

**खाद्यान्न की सामान्य स्थिति**—सन् १६६१ ई० में सामान्यतः देश की खाद्य-स्थिति संतोषजनक रही। इसका कारण यह था कि इस वर्ष खाद्यान्नों की उपज में वृद्धि हुई; कई राज्यों में चावल और गेहूँ का क्रम स्थगित रहा; आयात का क्रम बराबर जारी रहा; वितरण का कार्य न्यायोचित ढंग से हुआ; स्वावलम्बी अन्न-क्षेत्रों को बड़ा बनाया गया तथा देश के एक भाग से दूसरे भाग में गेहूँ का भेजा जाना अबाध रूप से जारी रहा।

## विकास-कार्यक्रम

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि-उत्पादन पर ६ अरब रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगभग २ अरब, ६१ करोड़ के व्यय का लक्ष्य था। यह व्यय सहकारिता के ८० करोड़ और सिंचाई-योजनाओं के ६ अरब रुपये के अतिरिक्त रखा गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत भूमि-संरक्षण; छोटे सिंचाई-कार्य, उन्नत बीज, खाद तथा उर्वरक पौधा-संरक्षण तथा टिड्डी-नियन्त्रण, भरपूर कृषि-जिला-कार्यक्रम आदि आते हैं।

प्रथम दो योजनाओं में २० लाख ७ हजार एकड़ भूमि का संरक्षण किया गया तथा ३० लाख ६० हजार भूमि का उद्धार हुआ। भूमि-संरक्षण तथा भूमि उद्धार के कार्यक्रम के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में ७२ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है; जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १८ करोड़ रुपये व्यय किये गये। छोटे सिंचाई-कार्य के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में १ करोड़ २८ लाख एकड़ भूमि के सिंचित होने का अनुमान है; जिसपर लगभग ढाई अरब रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में ४ हजार बीज-बहुगुणन-केन्द्र थे। सन् १६६१-६२ ई० में ऐसे ७१ केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। सन् १६६०-६१ ई० में शहरी कूड़े-कचड़े से करीब २७ लाख टन कम्पोस्ट खाद तैयार की गई। सन् १६६०-६१ ई० में ११५ लाख एकड़ भूमि में हरी खाद डाली गई और आशा की जाती है कि सन् १६६१-६२ ई० में १५० लाख एकड़ में यह खाद दी जा सकेगी। सन् १६६१-६२ ई० में करीब २७ लाख टन नेत्रजन-युक्त खाद की माँग थी, जबकि केवल १५ लाख टन खाद उपलब्ध हो सकी। गत वर्ष लगभग ३ लाख टन सुपरफास्फेट खाद की खपत हुई, किन्तु सन् १६६१-६२ ई० में लगभग ६ लाख टन की जरूरत महसूस हुई।

इस समय देश में पौधा-संरक्षण के १४ केन्द्र काम कर रहे हैं। सन् १६६१-६२ ई० में पश्चिम से टिड्डियों के ८४ दलों का प्रवेश हुआ। यथासमय उनपर नियंत्रण होने से विशेष

क्षति नहीं हो सकी। देश के अन्दर पर्याप्त उत्पादन-वृद्धि के उद्देश्य से कुछ अच्छी भूमि में सिंचाई की अधिकाधिक सुविधा के साथ सन् १९६१-६२ ई० में भरपूर कृषि-जिला-कार्यक्रम लागू किया गया है। यह योजना अभी पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र), शाहाबाद (बिहार), तंजोर (मद्रास), रायपुर (मध्यप्रदेश), लुधियाना (पंजाब), पाली (राजस्थान) और अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश)—इन सात स्थानों में चालू की गई है।

सन् १९५६ ई० में राजस्थान के सूरतगढ़ नामक स्थान में लगभग ३० हजार एकड़ भूमि में पूर्णतः यन्त्रों की सहायता से खेती आरम्भ की गई थी। सन् १९६१ ई० में वहाँ ८,५५५ एकड़ भूमि में खरीफ फसल बोई गई थी। सन् १९६१-६२ ई० में २६ हजार एकड़ में रबी फसल बोई गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस तरह के दो-एक और कृषि-कार्य खोलने का विचार है।

## कृषि-हाट-व्यवस्था

कृषि-हाट-व्यवस्था का काम भारत-सरकार के हाट-व्यवस्था तथा निरीक्षण-निदेशालय के जिम्मे है।

देश में नियमित रूप से कृषि-हाट-व्यवस्था को उन्नत करने के लिए (१) कृषि-उत्पादनों का वर्गीकरण तथा मान निश्चित करना; (२) मण्डियों तथा उनके कार्य का नियमन; (३) मण्डियों की जाँच-पड़ताल और सर्वेक्षण; (४) कृषि-मण्डियों के कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण; (५) फल-उत्पादन-आदेश, सन् १९५५ ई० का प्रशासन। ३२ प्रकार की जिन्सों को १२४ प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 'समुद्री चुंगी-अधिनियम' के खण्ड १६ के अधीन तम्बाकू, सन, ऊन, सूअर के बाल, चन्दन का तेल आदि जैसी वस्तुओं के निर्यात के लिए अनिवार्य वर्गीकरण की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त आन्तरिक व्यापार के लिए घी, तेल, मक्खन, कपास, अण्डे, गेहूं के आटे, चावल, आलू, गन्ना-गुड़ और फलों आदि के वर्गीकरण की भी व्यवस्था है। नागपुर में केन्द्रीय नियन्त्रण-प्रयोगशाला तथा कोचीन में प्रादेशिक सहायक प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। सन् १९६१ ई० में गुण्टूर में एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित की गई है। कानपुर में भी एक प्रयोगशाला के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

अनुचित पद्धतियों को समाप्त करने तथा हाट-व्यवस्था-व्यय में कमी करने के उद्देश्य से अबतक ७३० मण्डियों का नियमन किया जा चुका है।

कृषि-पदार्थों की हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी जाँच-पड़ताल तथा सर्वेक्षण करके निदेशालय की ओर से सन् १९३७ से १९६० ई० तक १०० से अधिक सर्वेक्षण-रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। सन् १९६१-६२ ई० में १० और प्रकाशन हुए हैं।

**कृषि-हाट-व्यवस्था के कर्मचारियों का प्रशिक्षण**—कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दो पाठ्यक्रम हैं—राज्यों की हाट-व्यवस्था से सम्बद्ध उच्च कर्मचारियों के लिए नागपुर में एकवर्षीय पाठ्यक्रम और हाट-व्यवस्था-सचिवों तथा अधीक्षकों के लिए सांगली तथा हैदराबाद में ५ मास के पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। सन् १९६०-६१ ई० तक दोनों पाठ्यक्रमों का ३७६ व्यक्ति प्रशिक्षण ले चुके थे तथा ७४ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

'फल-उत्पादन-आदेश, १६५५'—इस आदेश के अन्तर्गत इस उद्योग की वैज्ञानिक रीति से अभिवृद्धि करने के कार्य किये गये और ६०३ लाइसेन्स दिये गये या उनका नवीकरण किया गया। ४,२८४ कारखानों का निरीक्षण किया गया तथा फलों के ६२६६ नमूनों की जाँच की गई।

## वन-उद्योग

यहाँ वनों का कुल क्षेत्रफल २'७४ लाख वर्गमील है, जो देश की कुल भूमि का लगभग २२ प्रतिशत है। यहाँ का वन-क्षेत्र अनुपात की दृष्टि से थोड़ा है। ये वन जहाँ-तहाँ बड़े बेढंगे रूप से फैले हुए हैं तथा उनकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इन बातों को देखते हुए निश्चय किया गया है कि कुल भूमि के ३३'३ प्रतिशत भाग में वन लगाये जायँ।

सन् १६५७-५८ ई० में भारतीय वनों से अनुमानतः लगभग २६ करोड़ रु० के मूल्य की ५५,२४,४६,००० घनफुट लकड़ी निकाली गई। वनों से दियासलाई, कागज तथा प्लाइवुड-उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलने के अतिरिक्त गोंद, राल, ओषधि-सम्बन्धी जड़ी-बूटियाँ आदि भी प्राप्त होती हैं। सन् १६५७-५८ ई० में वनों से अनुमानतः साढ़े आठ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की उपर्युक्त तथा अन्य फुटकर वस्तुएँ प्राप्त हुईं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में वन-विकास-कार्य के लिए भारत-सरकार की ओर से करीब चार करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य है। देहरादून, जबलपुर, गोहाटी और कोयम्बटूर में काष्ठ-प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार है।

# पशुपालन तथा मत्स्य-पालन

सन् १६५६ ई० में गाय-बैल, भैंस-भैंसे, भेड़-बकरियाँ, घोड़े तथा अन्य पशुओं की संख्या ३० करोड़ ६५ लाख थी। उस वर्ष मुर्ग-मुर्गियों की संख्या ६ करोड़ ८७ लाख थी।

पशुपालन-विकास का उद्देश्य देश में चुनी हुई नस्लों के पशुओं तथा अन्य पशुओं की किस्मों में सुधार करके उनकी दुग्ध-उत्पादन-क्षमता को बढ़ाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रग्राम-योजना, गोशाला-विकास तथा गोसदन-योजनाएँ चालू की गई हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए लगभग ५४ करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक की अवधि में स्थापित किये गये ११४ कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्रों का विस्तार हुआ और २६० नये केन्द्र-ग्राम-प्रखंड और ७२ विस्तार-केन्द्रों की स्थापना हुई। साथ ही, ३१,११६ हृष्ट-पुष्ट बछड़ों के पालन-पोषण का काम हाथ में लिया गया। इसके अतिरिक्त २१ लाख पशुओं का कृत्रिम और प्राकृतिक गर्भाधान कराया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक प्रखंड में कृत्रिम गर्भाधान की १० इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य है।

३२ सरकारी फार्मों में चरागाह-विकास का काम आरम्भ किया गया और ७७ चरागाह-सम्बन्धी प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किये गये। तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में एक चरागाह-अनुसंधान-संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य है।

**गोशाला-विकास-योजना**—गोशाला-विकास-योजना सन् १९६०-६१ ई० की अवधि में १२ नई गोशालाओं के विकास का काम आरम्भ किया गया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित गोशालाओं की संख्या २४६ हो गई।

**गोसदन-योजना**—गोसदन-योजना का उद्देश्य वृद्ध, पंगु तथा बेकार पशुओं को अलग स्थान में रखना है। इसके अधीन दूसरी योजना में ३७ गोसदन स्थापित किये गये हैं। इनमें से ११ गोसदनों में खाल आदि का वैज्ञानिक ढंग से, कम व्यय पर, उपयोग करने के लिए चर्मालय भी स्थापित किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत आवारा पशुओं को पकड़ने तथा उन्हें पालने का काम भी किया जा रहा है। बख्शी-का-तालाब (लखनऊ) में स्थापित आदर्श प्रशिक्षण तथा उत्पादन-संस्थान एवं दिल्ली के केन्द्रीय प्रशिक्षण-केन्द्र में खाल उतारने तथा खाल कमाने से सम्बद्ध कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

**दुग्धशाला-योजनाएँ**—देश की बड़ी दुग्धशालाओं में दिल्ली, मद्रास, हरिणघाट (कलकत्ता), कल्याणी, आरे-दुग्ध-बस्ती (बम्बई), वोर्ली (बम्बई) आदि का काम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अलीगढ़, राजकोट, अमृतसर, जूनागढ़ और बरौनी में दुग्ध-जन्य पदार्थ के कारखाने स्थापित हुए हैं। आनन्द के खेरा सहकारी दुग्ध-संघ का विस्तार किया गया है। दुग्धशाला-संयन्त्रों के चलाने का प्रशिक्षण आनन्द, आरे (बम्बई) और हरिणघाट (कलकत्ता) में दिया जाता है। अमृतसर और राजकोट में मिल्क-पाउडर-फैक्टरी का निर्माण हो रहा है।

**मुर्गी-पालन**—दूसरे योजना-काल में ५ प्रादेशिक मुर्गी-पालन-केन्द्र उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र, मैसूर तथा हिमाचल-प्रदेश में स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अलावा सन् १९६०-६१ ई० में ६० मुर्गी-पालन-विस्तार तथा विकास-केन्द्र स्थापित किये गये। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ६० राज्य मुर्गी-पालन-केन्द्र, तीन क्षेत्रीय केन्द्र तथा ५० विस्तार सह-विकास-केन्द्र खोले जायेंगे। १७ बत्तख-विस्तार-केन्द्र तथा एक एग-पाउडर-फैक्टरी और १५ पोल्ट्री फीड्स-फैक्टरी खोलने की योजना है।

**सुअर-पालन-विकास-योजना**—सन् १९५७-५८ ई० में आरम्भ की गई इस योजना का उद्देश्य २-२ प्रादेशिक सुअर-पालन-केन्द्र, १० सुअर-नस्ल-सुधार-विभाग तथा ५१ सुअर-पालन-विकास-खण्ड स्थापित करना है। हरिणघाट (पश्चिम बंगाल) और अलीगढ़ में सुअर-पालन-केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। अबतक १५ सुअर-नस्ल-सुधार-विभाग खोले जा चुके हैं तथा ३१ खण्ड स्थापित किये जा चुके हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में दो और केन्द्र खोलने का विचार है।

**मत्स्य-पालन**—भारत में मछलियों तथा मछलियों से बने खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में विदेशी व्यापार प्रतिवर्ष करीब ८ करोड़ रुपये का होता है। सन् १९६० ई० में लगभग साढ़े ग्यारह लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। सन् १९६१ ई० में ४½ करोड़ का निर्यात तथा ३½ करोड़ का आयात हुआ।

मत्स्य-पालन-विकास-कार्यक्रम दो भागों में कार्यान्वित किया जाता है—सामुद्रिक मत्स्य-पालन तथा अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन।

मछली-उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में मछली-हाट-व्यवस्था-संगठनों का धीरे-धीरे विकास किया जा रहा है। कलकत्ता के केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन-शोध-केन्द्र में अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन के सम्बन्ध में तथा मण्डपम के केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य-पालन-शोध-केन्द्र में सामुद्रिक मत्स्यपालन के सम्बन्ध में शोधकार्य किया जाता है। बम्बई के गहरा समुद्र-मछली-केन्द्र और कोचीन, तुत्तुकुडि तथा विशाखापत्तनम् के तटवर्त्ती केन्द्रों में सर्वेक्षण-कार्य किये गये।

मछली मारने की सुविधा के लिए कुड्डालोर (मद्रास) और वेरावल (गुजरात) में दो नौकाश्रय बनाये जा रहे हैं। निकट भविष्य में करवार (मैसूर), विर्जिंघम (केरल), सासुमडौक्स (मद्रास), कंडला (गुजरात), रोआपुरम (मद्रास) में ऐसे नौकाश्रय शीघ्र ही निर्मित होनेवाले हैं।

✲

# सिंचाई और बिजली

## सिंचाई

भारत के जल-संसाधन के १ अरब ३५ करोड़ ६० लाख एकड़ फुट होने का अनुमान है। इनमें से लगभग ४५ करोड़ एकड़-फुट का ही उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। सन् १६५१ ई० तक सिंचाई के लिए अनुमानतः ८.८ करोड़ एकड़-फुट पानी, अर्थात् कुल जल-संसाधन का ६.५ प्रतिशत अथवा उपयोग में लाये जा सकनेवाले पानी का १६.५ प्रतिशत ही उपयोग में लाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक १२ करोड़ एकड़-फुट जल, जो उपयोग में लाये जानेवाले बहाव का २७ प्रतिशत या वार्षिक बहाव का ८.६ प्रतिशत है, काम में लाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में १४ करोड़ एकड़-फुट जल के काम में लाये जाने का लक्ष्य है, जो उपयोग में आनेवाले बहाव के ३६ प्रतिशत तक पहुँच जायगा।

नदियों को सिंचाई की नहरों में मोड़ने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। अतः, भविष्य में सिंचाई के विकास की योजनाओं का उद्देश्य वर्षाऋतु में नदियों में बहनेवाले अतिरिक्त जल का बाँध बनाकर संग्रह करना है, जिससे वर्षाभाव के दिनों में उसे काम में लाया जा सके। जो क्षेत्र नदियों अथवा नहरों से सिंचाई के उपयुक्त नहीं हैं, उन क्षेत्रों में तालाबों और कुओं का निर्माण तथा अन्य साधनों से सिंचाई करने की व्यवस्था हो रही है।

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-मण्डल, जो सन् १६२७ ई० में स्थापित हुआ था, देश में सिंचाई और बिजली के सम्बन्ध में आधारभूत अनुसन्धान-कार्य करने तथा देश के विभिन्न भागों में स्थापित १६ अनुसन्धान-केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।

राज्य-सरकारों के परामर्श से बाढ़-नियन्त्रण, सिंचाई, जहाजरानी तथा पन-बिजली के उत्पादन के लिए सम्पूर्ण देश के जल-साधनों का नियन्त्रण, उपयोग तथा संरक्षण करने की योजनाएँ आरम्भ करने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने का काम केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग को सौंपा गया है। देश-भर में तापीय (थर्मल) बिजली का विकास करने की योजनाओं तथा बिजली का वितरण और उपयोग करने का भी काम इसी आयोग पर है।

## बाढ़ की रोकथाम

सन् १६५४ ई० के बाढ़-नियन्त्रण के कार्यक्रम के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में, तटबन्धों तथा नाले-नालियों का सुधार करके बाढ़-सुरक्षा के उपाय करने का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्रीय बाढ़-नियन्त्रण-मण्डल के अतिरिक्त १३ राज्यों में बाढ़-नियन्त्रण मण्डल हैं, जिन्हें प्राविधिक मामलों में सलाहकार-समितियाँ सहायता देती हैं। ४ नदी-आयोग (बाढ़) भी केन्द्रीय मण्डल की सहायता करते हैं। भारत का सर्वेक्षण-विभाग आकाश से फोटो आदि लेने का कार्य कर रहा है। विभिन्न राज्यों में तटबन्ध आदि बनाने के काम में अच्छी प्रगति हुई है। ५२ नगरों को बाढ़ अथवा भूमि-क्षरण से बचाने के उपाय किये गये हैं तथा ४,११६ गाँवों को बाढ़-स्तर से ऊँचा किया गया है।

सन् १६६० ई० में देश में भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर बाढ़ आई। बाढ़-नियन्त्रण के सम्बन्ध में अबतक जो निर्माण-कार्य किये गये, उनसे बाढ़ों को रोकने में काफी सहायता मिली। सन् १६६१ ई० में कई राज्यों में भीषण बाढ़ आई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़-नियंत्रण-कार्य सिंचाई-योजना के अंतर्गत रखा गया है और इस पर ६१ करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है।

## अन्तर्देशीय नौकानयन

देश की बहूद्देश्यीय योजनाओं का एक उद्देश्य अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्रदान करना भी है। दामोदर-घाटी-निगम के अंतर्गत नौकानयन के योग्य ८५ मील लम्बी नहर बनाने का लक्ष्य है। हीराकुड-बाँध-परियोजना का कार्य पूरा होने पर धौलपुर से कटक तक १०६ मील पर्यन्त अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। तुंगभद्रा-परियोजना में आन्ध्र-प्रदेश की ओर एक नौकानयन तथा सिंचाई-नहर बनाने का भी लक्ष्य है।

## नदी-घाटी-परियोजनाएँ

सिंचाई की सुविधाओं के विकास का उद्देश्य है कि पन्द्रह-बीस वर्ष में अब से दुगुने क्षेत्र में सिंचाई होने लगे। पहली योजना में लगभग २.२० करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई के लिए ३०० छोटी तथा बड़ी योजनाएँ कार्यान्वित करने की व्यवस्था थी।

भारत की प्रमुख नदी-घाटी-परियोजनाओं में भाखड़ा-नंगल, बीज, हीराकुड बाँध, राजस्थान-नहर, दामोदर-घाटी, तुंगभद्रा, कोसी, गंडक, चम्बल, नागार्जुनसागर, कोयना, रिहन्द-बाँध भद्रा-जलाशय, काकरापाड़ा, मचकुण्ड तथा मयूराक्षी-परियोजनाएँ उल्लेखनीय हैं।

**सिन्धु-जल-सन्धि सन् १६६०**—सन् १६४७ ई० में निर्धारित भारत-पाकिस्तान-सीमारेखा सिन्धु एवं उसकी सहायक नदियों तथा दो नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र में पड़ती है। सिन्धु नदी-क्षेत्र में प्रतिवर्ष २.६० करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई होती है, इसमें से लगभग २.१० करोड़ एकड़ भूमि पाकिस्तान में तथा ५० लाख एकड़ भूमि भारत में पड़ती है।

इस स्थिति से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए बारह वर्षों तक प्रबंध होता रहा। अन्त में १६ सितम्बर, १६६० ई० को सिन्धु तथा उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सन्धि हुई। १ अप्रैल, १६६० ई० से यह लागू समझी गई है। इस सन्धि के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान की ओर से सिन्धुनदी-जल के लिए एक-एक स्थायी आयुक्त की नियुक्ति भी की गई है।

## विकास-कार्यक्रम

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में सभी साधनों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्रफल ५·१५ करोड़ एकड़ था, जिसमें २·२० करोड़ एकड़ भूमि बड़ी तथा मँझोली सिंचाई-योजनाओं द्वारा सींची जाती थी। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में सिंचाई की प्रगति तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य इस प्रकार हैं—

( लाख एकड़ में )

| वर्ष | बड़ी एवं मँझोली परियोजनाएँ | लघु सिंचाई-परियोजनाएँ | कुल |
|---|---|---|---|
| १९५०-५१ | २,२० | २,९५ | ५,१५ |
| १९५५-५६ | २,४६ | ३,१३ | ५,६२ |
| १९६०-६१ | ३,१० | ३,९० | ७,०० |
| १९६५-६६ | ४,२५ | ७,७५ | ९,०० |

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत ३२ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा सकी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में १२८ लाख एकड़ भूमि के सिंचित होने का अनुमान है। इस अवधि में ९५ नई मँझोली योजनाएँ प्रारम्भ होंगी। पंजाब में बीज पर जल-संचय की परियोजना जारी होगी। तृतीय योजना में सिंचाई तथा बाढ़-नियंत्रण पर ६६१ करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

## बिजली

सन् १९२५ ई० तक विद्युत्-उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता केवल १,६२,३४१ किलोवाट थी, किन्तु सन् १९६० ई० में सार्वजनिक उपयोग के बिजली-घरों की स्थापित क्षमता ३८,७३,१६६ किलोवाट तक जा पहुँची। इसी कालावधि में बिजली का उत्पादन भी ४ अरब ९० करोड़ ९३ लाख किलोवाट-घण्टे से बढ़कर १४ अरब ९९ करोड़ १२ लाख किलोवाट-घण्टे हो गया।

**संसाधन**—भारत में नदियों के जल से ४ करोड़ किलोवाट जल-विद्युत् का उत्पादन किया जा सकता है। उड़ीसा, केरल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा मैसूर में मुख्यतः जल-विद्युत्; गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में मुख्यतः तापीय विद्युत्; आन्ध्र-प्रदेश, उत्तरप्रदेश, मद्रास तथा महाराष्ट्र में आंशिक तापीय विद्युत् और आसाम, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में आंशिक जल-विद्युत् का उत्पादन होता है।

**बिजली-उत्पादन का विकास**—यहाँ बिजली-उत्पादन तथा उसके वितरण की व्यवस्था बहुत दिनों तक सन् १९१० ई० के 'भारतीय बिजली-अधिनियम' के अनुसार ही होती रही है। फिर, सन् १९४८ ई० के 'बिजली (उपलब्धि)-अधिनियम' के अन्तर्गत सन् १९५० ई० में केन्द्रीय बिजली-प्राधिकार-संगठन की स्थापना हुई तथा भारत के प्रायः सभी राज्यों में भी बिजली-मण्डल स्थापित किये गये।

**स्वामित्व**—सन् १९२५ ई० तक बिजली-विकास का कार्य अधिकतर प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में था। सन् १९२५-३० ई० के बीच कुछ राज्यों ने बिजली-विकास की योजनाएँ आरम्भ कीं। मार्च, सन् १९६१ ई० में निजी कम्पनियों के अधिकार में ७८·१ प्रतिशत सार्वजनिक बिजली-घर तथा २९·७ प्रतिशत कुल स्थापित-क्षमता थी, जैसा कि आगे की तालिका में दरसाया गया है।

## लोकोपकारी विद्युत्-संस्थाओं का स्वामित्व

| स्वामित्व | संस्थाओं की संख्या | उत्पादन-क्षमता (किलोवाट में) |
|---|---|---|
| राज्य-सरकार | २० | २६,११,२५१ |
| विद्युत्-निगम | २ | ५,०१,५०० |
| नगर-पालिकाएँ | ५२ | ६४,८०८ |
| निजी कम्पनियाँ | २६३ | १२,५५,६४२ |
| | ३३७ | ४५,६३,२०१ |

**गाँवों में बिजली**—ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में अभी तक आन्ध्र-प्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र तथा मैसूर में कुछ प्रगति हुई है। मार्च, १९६० ई० के अन्त में लगभग २१,३६६ तथा मार्च, १९६१ ई० में २२,६०० नगरों तथा गाँवों में बिजली की व्यवस्था थी।

**वृहत्तम विद्युत्-उत्पादन-स्टेशन**—२० अप्रैल, १९६२ ई० को कलकत्ता से ३० मील दूर बंडेल में भारत के सबसे बड़े थर्मल बिजली-स्टेशन के निर्माण का उद्घाटन अमरीकी राजदूत जान केनेथ गालब्रेथ ने किया। इसका कुल लागत खर्च २५ करोड़ ८० लाख रुपया है, जो अमेरिका से ऋण के रूप में मिला है। ४० वर्षों से अधिक में यह ऋण चुकाया जा सकेगा। इस स्टेशन से ३ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी।

सन् १९६०-६१ ई० में विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के उपयोग का विवरण नीचे की तालिका में दिया जा रहा है—

| उपयोग का प्रकार | उपभोक्ताओं की संख्या | | सम्बद्ध भार | | बिजली की बिक्री | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | हजार में | कुल योग का प्रतिशत | कुल (हजार किलोवाट में) | प्रतिशत | करोड़ किलो-वाट में | कुल योग का प्रतिशत |
| घरेलू | ३४,५७.४ | ७५.५ | २०,४७.८ | २५.९ | १४,९२.४ | १०.८ |
| व्यावसायिक | ७,०७.६ | १५.५ | ५५६.१ | ७.० | ८,४७.७ | ६.१ |
| औद्योगिक (जल-कार्य आदि समेत) | २,३९.९ | ५.२ | ४५,२५.४ | ५७.५ | १,०४,८२.६ | ७५.६ |
| राजकीय प्रकाश | ७.९ | ०.२ | ६१.७ | ०.८ | १९३.२ | १.४ |
| सिंचाई | १,५९.२ | ३.६ | ६,९०.२ | ८.८ | ८३२.९ | ६.१ |
| | ४५,७२.० | १००.० | ७८,७९.२ | १००.० | १,३८.४८.७ | १००.० |

**पंचवर्षीय योजनाओं में बिजली-योजनाएँ**—पहली पंचवर्षीय योजना के सरकारी क्षेत्र में १४२ बिजली-विकास-योजनाएँ थीं। इनमें भाखड़ा-नंगल, हीराकुड, दामोदरघाटी-निगम, चम्बल, रिहन्द, कोयना तथा कोसी बड़ी बहूद्देश्यीय नदी-घाटी-परियोजनाएँ थीं।

प्रथम योजना-काल में नीचे लिखी मुख्य बिजली-योजनाओं का कार्य पूरा हो गया तथा उनमें बिजली-उत्पादन आरम्भ हुआ। उनकी स्थापित-क्षमता भी (किलोवाट में) दी गई है—

## दूसरी योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत्-उत्पादन-योजनाएँ

| योजना तथा राज्य | कुल व्यय (लाख रु०) | लाभ (हज़ार किलोवाट में) जब पूरी हो जायगी | दूसरी योजना की अवधि में |
|---|---|---|---|
| तुंगभद्रा (आन्ध्रप्रदेश और मैसूर) पहला चरण ... ... | ६००० | ४५ | ३६ |
| भाखड़ा-नंगल (पंजाब और राजस्थान) | १,७००० | ६०४ | ३१८ |
| हीराकुड (उड़ीसा) पहला चरण ... | ७०,७८ | १२३ | १२३ |
| दामोदर-घाटी निगम (बंगाल और बिहार) ... .... | १०,५३८ | २५४ | १०० |
| चम्बल (मध्यप्रदेश और राजस्थान) पहला चरण ... ... | ६,३६० | ९२ | ९२ |
| मचकुंड आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा) ... | २,७३२ | ९३ | ५९ |
| उम्त्रु (आसाम) ... ... | २१२ | ८·४ | ८·४ |
| कोयना (महाराष्ट्र) ... | ३,७१५ | २४० | — |
| पेरियार (मद्रास) ... ... | १,०४८ | १०५ | १०५ |
| मद्रास तापीय बिजली-केन्द्र का विस्तार (मद्रास) ... ... | ९५६ | ६० | ३० |
| रिहंद (उत्तरप्रदेश) ... .... | ४,६०५ | २५० | १०० |
| रामगुंडम् (आन्ध्रप्रदेश) ... | ४०६ | ३.७५ | ३७.५ |
| तापीय बिजली-केन्द्र ... ... | ३४८ | २४.२ | २२.४ |
| नेरियामंगलम् (केरल) ... ... | २९० | ४५ | ४५ |
| ओंगलकुतु (केरल) ... ... | .९९ | ३२ | ३२ |
| काडला भाप-घर (गुजरात) ... | ११२ | ६ | ६ |
| तुंगभद्रा बायाँ किनारा (मैसूर) पहला चरण ... ... | ६४३ | १८ | ९ |
| **नई योजनाएँ** | | | |
| सिलेरू (आन्ध्रप्रदेश) ... ... | ९२८ | १२० | — |
| मचकुंड का विस्तार (आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा) .... ... | २१० | २१·२५ | २.·२५ |
| तुंगभद्रा-नेलोर-योजना (आन्ध्रप्रदेश और मैसूर) ... ... | ७७० | ५७ | — |
| उमियम पनबिजली-परियोजना (आसाम) ... ... | ७०५ | ५७ | — |
| बरौनी भाप-घर बिहार) ... | ३०९ | ३० | — |
| दक्षिण गुजरात बिजली ग्रिड (गुजरात) दूसरा चरण .... ... | ४०० | ४५ | ४५ |
| कोरबा तापीय बिजली-केन्द्र (मध्यप्रदेश) ... | १,२०४ | ९० | ९० |
| दक्षिणी ग्रिड का विकास (महाराष्ट्र) ... | ८१७ | ६० | ६० |

| योजना तथा राज्य | कुल व्यय (लाख रु०) | लाभ (हजार किलोवाट में) जब पूरी हो जायगी | दूसरी योजना की अवधि में |
|---|---|---|---|
| कुण्डा (मद्रास) पहला और दूसरा चरण ... | ३,५४४ | १८० | . १४५ |
| हीराकुंड (उड़ीसा) दूसरा चरण .... | १,५५६ | १४७ | १,०६.५ |
| यमुना पनबिजली-योजना (उत्तरप्रदेश) ... | ४,२४४ | ३२० | — |
| रामगंगा पनबिजली-योजना ... | २,६६२ | १२७ | — |
| हरदुआगंज भाप-घर का विस्तार (उत्तरप्रदेश) ... .... ... | ७६४ | ६० | — |
| माताटीला पनबिजली-योजना (उत्तरप्रदेश) | ६४५ | ३० | — |
| कानपुर बिजली-केन्द्र-विस्तार (उत्तरप्रदेश) | १७० | १५ | १५ |
| जलढाका पनबिजली-योजना (पश्चिम बंगाल) ... ... ... | ४४५ | १८ | — |
| दुर्गापुर तापीय बिजली-केन्द्र (दामोदर घाटी-निगम, बंगाल और बिहार) ... | १२,५० | १,५० | १,५० |
| बोकारो का विस्तार (दामोदर घाटी-निगम, बंगाल और बिहार) ... ... ... | ४,५६ | ७५ | ७५ |
| चन्द्रपुर (दुगडा) तापीय बिजली-केन्द्र (दामोदर घाटी-निगम, बंगाल और बिहार) ... | ३४,६५ | [illegible],५० | — |
| तुंगभद्रा का विस्तार (मैसूर) ... | ५० | ६ | — |
| गंदरबल बिजली-घर (जम्मू-कश्मीर) ... | ७३ | ६ | ६ |
| मोहोरा बिजली-घर (जम्मू-कश्मीर) ... | १,४० | ६ | ६ |
| भद्रा (मैसूर) ... ... ... ... | ३८० | ३३·२ | ३३·२ |
| शरावती पनबिजली-योजना (मैसूर) ... | ३६,६० | १७८ | — |
| जोधपुर (राजस्थान) ... ... ... | ३० | ३ | — |
| राजकोट बिजली-केन्द्र का विस्तार (गुजरात) | ६१ | ३ | ३ |
| पोरबन्दर भाप-शक्ति-केन्द्र (गुजरात) ... | २,०० | १५ | १५ |
| सिक्का-भाप-केन्द्र (गुजरात) ... | ६५ | ८ | ८ |
| शाहपुर भाप-घर (गुजरात) ... | १,०० | १० | — |
| परिणयार (केरल) ... ... ... | ३,२४ | ३० | — |
| शोलायार (केरल) ... ... ... | ४,३२ | ५४ | — |
| पांबा (केरल) ... ... ... | २४,६१ | ३०० | — |
| वीरसिंहपुर तापीय बिजली-केन्द्र (मध्यप्रदेश) ... ... ... | १०,६३ | ६० | — |

## दूसरी योजना में सिंचाई की मुख्य परियोजनाएँ

| योजना तथा राज्य | कुल लागत (लाख रु०) | वार्षिक लाभ (हज़ार एकड़) जब पूरी हो जायगी | दूसरी योजना की अवधि में |
|---|---|---|---|
| **जिन योजनाओं का काम जारी है** | | | |
| भाखड़ा-नंगल (पंजाब और राजस्थान) | १,७०,०० | ३६,०० | २२,५० |
| दामोदर घाटी (पश्चिम बंगाल और बिहार)... | १,३१,७१ | १३,४४ | ६,८५ |
| हीराकुड, महानदी डेल्टा-सहित (उड़ीसा) पहला चरण ... | ६३,२४ | १५५८ | २,५० |
| चम्बल (राजस्थान और मध्यप्रदेश) पहला चरण | ६,१६६ | ११०० | ३,७५ |
| तुंगभद्रा (आंध्र और मैसूर) ... | ६०,३६ | ८३० | ४,५८ |
| मयूराक्षी (पश्चिम बंगाल) ... | २,०४६ | ७२० | ४,४५ |
| भद्रा (मैसूर) ... ... ... | ३३,५३ | २,४५ | ३२ |
| कोसी (बिहार)... ... ... | ४४,७६ | १४,०५ | — |
| नागार्जुनसागर (आंध्रप्रदेश) पहला चरण... | ६१,१२ | २०,६० | — |
| काकरापाड़ा नहर (निचली तापी) बम्बई) ... ... ... | १८,६५ | ६५४ | ३,४६ |
| **नई योजनाएँ** | | | |
| तुंगभद्रा उच्च-स्तरीय नहर (आंध्र और मैसूर) पहला चरण ... ... | १,३०० | १८७ | — |
| उकई (गुजरात) ... ... | ६१,६४ | ३६२ | — |
| तावा (मध्यप्रदेश) ... ... | २,७५० | ७५० | — |
| पूर्णा (महाराष्ट्र) ... ... | १२,८४ | १६० | १५ |
| वंशधारा (आंध्र) .... ... | १,२५६ | ३१० | — |
| नर्मदा (गुजरात) ... ... | ४,३१० | ६६३ | — |
| बनास (गुजरात) ... ... | ६११ | ११० | १५ |
| मूला (महाराष्ट्र) ... | ६४० | १३१ | — |
| गिरना (महाराष्ट्र) ... ... | ६६२ | १४३ | ५२ |
| नवीन खड़कवासला (महाराष्ट्र) ... | १,१६१ | ७७ | — |
| नवीन कट्टलिया (मद्रास) ... | १५७ | २१ | १२ |
| सलन्दी (उड़ीसा) ... | ४६६ | ३२७ | — |
| गुड़गाँवाँ नहर (पंजाब) ... | १६६ | ५६ | ५० |
| कंकावती (पश्चिम बंगाल) ... | २,५२६ | ६५० | १० |
| चन्द्रकेशर (मध्यप्रदेश) ... | ८६ | १२ | — |
| काबिनी (मैसूर) ... | ३२० | ३० | — |
| बनास (राजस्थान) ... | ७७६ | २०० | — |

| योजना तथा राज्य | कुल लागत (लाख रु०) | वार्षिक लाभ (हजार एकड़) जब पूरी हो जायगी | दूसरी योजना की अवधि में |
|---|---|---|---|
| भादर (बम्बई) ... ... | २६५ | ४५ | — |
| भूतत्न्केतु (केरल) ... ... | ३४८ | ६३ | — |
| लिदर नहर (जम्मू-कश्मीर) ... ... | २४४ | ७ | २ |
| बरना (मध्यप्रदेश) ... ... | ४७७ | १६४ | — |
| लक्ष्मणतीर्थ (मैसूर) ... ... | ३१ | ३ | — |
| ऊपरी केन (मध्यप्रदेश) ... ... | १२५ | ४० | — |
| विदुर (पांडिचेरी और मद्रास) ... ... | ६२ | ३ | ३ |

*

# भूमि-सुधार

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषक का शोषण करनेवाली भूमि-व्यवस्था में धीरे-धीरे परिवर्त्तन करके एक ऐसी पद्धति के लिए कुछ सिफारिशें की गई थीं, जिससे किसानों को अपने श्रम का अधिक-से-अधिक लाभ और कृषि-उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त हो। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस नीति का पुनः निरूपण किया गया। भूमि-नीति के सम्बन्ध में यह उद्देश्य रखा गया कि कृषि-उत्पादन के मार्ग में जो अड़चनें पैदा होती हैं, उनका निराकरण कर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायें जिनसे यथाशीघ्र एक ऐसी कृषि-अर्थव्यवस्था का जन्म हो, जिसमें कार्य-क्षमता तथा उत्पादन, दोनों में वृद्धि हो और साथ ही सामाजिक असमानताओं को मिटाकर समाज में समानता की स्थापना हो।

तृतीय योजना की अवधि में भूमि-सुधार के क्षेत्र में प्रमुख कार्य यह होगा कि द्वितीय योजना के समय जो नीतियाँ निश्चित की गई हैं और राज्य-सरकारों ने उन नीतियों के अनुसार जो कानून बनाये हैं, उन्हें शीघ्र लागू किया जाय। भूमि-सुधार-सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने के क्रम में इस बात पर जोर डाला गया है कि भूमि-सुधार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अविलंब हो।

## मध्यवर्त्तियों की समाप्ति

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग २ करोड़ रैयतों का सीधा सम्बन्ध राज्य से हो गया है। इस सम्बन्ध में बने कानूनों के परिणाम-स्वरूप आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास के कुछ इनामों तथा छोटी कारतों को छोड़कर प्रायः सभी मध्यवर्त्तियों का अंत हो चुका है। वह भूमि, जिसमें खेती नहीं की जाती, इसके अतिरिक्त जंगल आदि पर राज्य का अधिकार हो चुका है। उनकी व्यवस्था का काम राज्य अथवा ग्राम-पंचायतों जैसी स्थानीय संस्थाएँ कर रही हैं। राज्य-सरकारों के समक्ष इस समय सबसे प्रमुख समस्या क्षतिपूर्त्ति अदायगी की है। क्षतिपूर्त्ति की देय राशि ६४० करोड़ है, जिसमें अबतक २१६ करोड़ दिया जा सका है।

मध्यवर्त्तियों को दी जानेवाली तथा दी गई क्षतिपूर्त्ति की राशियों का राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है—

| राज्य | दी जानेवाली क्षतिपूर्त्ति | दी गई क्षतिपूर्त्ति |
|---|---|---|
| आन्ध्र | १७·५७ | १४·८७ |
| आसाम | ५·०० | ०·३८ |
| उड़ीसा | ८·२५ | २·२३ |
| उत्तरप्रदेश | १६८·३६ | ११६.२६ |
| केरल | ०·२० | — |
| गुजरात और महाराष्ट्र | १२·२२ | ४·४६ |
| पश्चिम बंगाल | ७०·०० | ७·१५ |
| बिहार | २३८·६८ | १४·७६ |
| मद्रास | ७·१६ | ६·२४ |
| मध्यप्रदेश | २२·१० | १३·५७ |
| मैसूर | ३·६० | १·०७ |
| राजस्थान | ५०·२१ | २६·०३ |
| कुल योग | ६३६·५७ | २१५·६३ |

मध्यवर्त्तियोंकी समाप्ति के कार्यक्रम के सिलसिले में केन्द्रीय सरकारों ने राज्य-सरकार को परामर्श दिया है कि अबतक बाकी पड़ी हुई क्षतिपूर्त्ति की राशियों के भुगतान के लिए वे तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में बाँड जारी करने की व्यवस्था करें।

काश्त-सुधार—योजना-आयोग ने काश्त-सम्बन्धी सुधार के लिए जो सिफारिशें की हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है—(१) लगान में कमी करना; (२) पट्टे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना तथा (३) काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अच्छी प्रगति हुई है।

## जोत की अधिकतम सीमा

जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने का सिद्धान्त पहली पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था। इस कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़ों का संग्रह करने के लिए जोतों तथा कृषि-सम्बन्धी गणना करने का सुझाव भी था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस सिफारिश पर फिर से जोर दिया गया कि जोतों की सीमा 'तीन पारिवारिक जोत' में 'निश्चित की जाये। दूसरी योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में वर्त्तमान जोतों की सीमा निर्धारित कर देने की सिफारिश की गई।

सीमा-निर्धारण दो प्रकार का होता है—(क) भविष्य के लिए तथा (ख) वर्त्तमान जोतों के लिए। भविष्य के लिए जोतों की सीमा अधिकांश राज्यों में इस प्रकार निर्धारित कर दी गई है—आन्ध्र-प्रदेश में १८ से ३१६ एकड़; आसाम में यह अधिकतम सीमा ५० एकड़; उड़ीसा में २५ से १०० एकड़; उत्तर-प्रदेश में ४० से ८० एकड़; केरल में १५ से ३७½ एकड़; गुजरात में १६ से १३२ एकड़; जम्मू-कश्मीर में २२¾ एकड़; पंजाब में ३० स्टैण्डर्ड एकड़; पश्चिम बंगाल में २५ एकड़; बिहार में २० से ६० एकड़; मद्रास में २४ से १२० एकड़; मध्यप्रदेश में२५ से ७५ एकड़; महाराष्ट्र में १८ से १२६ एकड़; मैसूर में १८ से १४४ एकड़; राजस्थान में ३० स्टैण्डर्ड एकड़; दिल्ली में ३० स्टैण्डर्ड एकड़; मणिपुर में २५ एकड़; हिमाचल-प्रदेश में, चम्बा जिले में ३० एकड़ तथा अन्य क्षेत्रों में १२५ रु० मालगुजारी के अन्तर्गत आनेवाली भूमि और त्रिपुरा में २५ से ७५ एकड़ निश्चित कर दी गई है।

वर्त्तमान जोतों के सम्बन्ध में जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, वह आन्ध्र में २७ से ३२४ एकड़ तथा मैसूर में २७ से २१६ एकड़ रखी गई है। अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ है।

पहले के पंजाब-क्षेत्र में भू-स्वामियों की ३० स्टैण्डर्ड एकड़ से अधिक खुद-काश्तवाली भूमि पर असामियों को बसाने का अधिकार सरकार को दे दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में वर्त्तमान जोतों की अधिकतम सीमा-सम्बन्धी कानून लागू किया जा चुका है तथा २·३ लाख एकड़ भूमि बाँटी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में सरकार ने २·७ लाख एकड़ कृषि-भूमि हस्तगत की है। यह भूमि भूमिहीन लोगों को सालाना लगान पर दी जा रही है।

## चकबन्दी

पहली तथा दूसरी योजनाओं में चकबन्दी की आवश्यकता पर काफी जोर दिया गया। चकबन्दी का कार्य सामुदायिक परियोजना-क्षेत्रों में करने का विचार है।

मार्च, १९६१ ई० के अन्त तक चकबन्दी-सम्बन्धी कार्य २ करोड़ ६३ लाख एकड़ भूमि में पूरा हो चुका था तथा १ करोड़ ७ लाख एकड़ भूमि में जारी था। तीसरी योजना में ३ करोड़ १३ लाख एकड़ भूमि में चकबन्दी करने का लक्ष्य है।

## भूमि का छोटे टुकड़ों में विभाजन

पुराने उत्तराधिकारी-सम्बन्धी कानूनों, अनियमित हस्तान्तरणों तथा पट्टों का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि जोतों के उत्तरोत्तर छोटे-छोटे टुकड़े होते चले गये, जिससे कृषि-उत्पादन को बड़ा धक्का पहुँचा है। अब सरकार की नीति यह है कि हस्तान्तरण, विभाजन तथा पट्टों का नियमन करके इस प्रवृत्ति को रोका जाय।

इस सम्बन्ध में आसाम तथा उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्रप्रदेश तथा मैसूर के भूतपूर्व हैदराबाद क्षेत्र में कानून बनाये जा चुके हैं। किन्तु, उड़ीसा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल में अभी ये कानून लागू नहीं किये गये हैं। आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर में विधेयकों पर विचार किया जा रहा है।

## सहकारी कृषि

पूर्ववर्त्ती योजनाओं में कहा गया है कि भूमि-समस्या केवल सहकारी ग्राम-व्यवस्था द्वारा ही हल की जा सकती है। छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसान सहकारी कृषि के माध्यम से ही बड़े-बड़े खेतों की व्यवस्था कर सकते हैं और तभी भूमि की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना सम्भव होगा।

११ जून, १९५९ ई० को भारत-सरकार ने स्वेच्छा से संयुक्त कृषि-समितियाँ स्थापित करनेवालों को वित्तीय आदि सुविधाएँ, प्राविधिक जानकारी तथा मार्गदर्शन देने के लिए एक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से अध्ययन-दल नियुक्त किया। इसकी सिफारिशें सामान्यतः स्वीकार कर ली गई हैं।

तीसरी योजना की अवधि में कुछ चुने हुए सामुदायिक विकास-खण्डों में ३२० आदर्श परियोजनाओं के संगठन का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक परियोजना में १० सहकारी कृषि-समितियाँ होंगी। आशा की जाती है कि लगभग ४,००० समितियाँ परियोजना-क्षेत्रों के बाहर भी स्थापित की जायेंगी।

दिसम्बर, १९६१ ई० के अन्त तक १५० सहकारी कृषि-समितियाँ मार्गदर्शक परियोजनाओं के अन्तर्गत तथा २८२ परियोजना-क्षेत्र के बाहर स्थापित की गईं। सन् १९६२-६३ ई०में मार्गदर्शक योजना क्षेत्र में ७८४ और परियोजना-क्षेत्र के बाहर १०१५ ऐसी समितियों के स्थापित किये जाने की आशा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में अन्य सहकारी कृषि-समितियों के विकास के लिए केन्द्रीय योजना के ६ करोड़ रुपये के अतिरिक्त ६ करोड़ रुपये मार्गदर्शक परियोजनाओं के निमित्त राज्यीय योजनाओं के लिए दिये गये हैं।

चुने हुए विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्रों में १४ प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किये जाने की आशा है। ऐसे केन्द्र आसाम, गुजरात, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और उत्तरप्रदेश में खोले जायेंगे।

स्वेच्छा से सहकारी कृषि के कार्यक्रम के आयोजन तथा इसको प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी कृषि-परामर्श-मण्डल स्थापित किया जा चुका है। १३ राज्यों में सहकारी कृषि के लिए परामर्श-मण्डल स्थापित किये चुके हैं।

सन् १९४५ ई० से सहकारी कृषि-समितियाँ ४ श्रेणियों में बाँट दी गई हैं : (१) उत्तम कृषि, (२) कास्त-कृषि, (३) संयुक्त कृषि तथा (४) सामूहिक कृषि। जून, १९६० ई० के अन्त में ऐसी सहकारी कृषि-समितियों की संख्या ५,६३१ थी।

## भूदान

भूदान-आन्दोलन चलाने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। आचार्य विनोबा भावे का कहना है कि 'न्याय और समानता के सिद्धान्त पर आधृत समाज में भूमि सबकी होनी चाहिए। इसलिए, हम भूमि की भिक्षा नहीं माँग रहे हैं, बल्कि उन गरीबों का हिस्सा माँग रहे हैं, जो भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं।' वे आन्दोलन द्वारा बिना किसी भीषण संघर्ष के देश में सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करना चाहते हैं।

भूदान-आन्दोलन व्यावहारिक रूप में भूमिहीन व्यक्तियों में बाँटने के लिए लोगों से उनकी अपनी-भूमि के ⅙ भाग का स्वेच्छा से दान करने का अनुरोध करता है। कृषि-भिन्न क्षेत्रों में यह आन्दोलन 'सम्पत्ति-दान', 'बुद्धि-दान', 'जीवन-दान', 'साधन-दान' तथा 'गृह-दान' का रूप ग्रहण करता है।

यह आन्दोलन १८ अप्रैल, १९५१ ई० को आरम्भ हुआ था। अब यह सम्पूर्ण देश में फैल गया है। ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करना इस आन्दोलन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कृषि के लिए कुछ-न-कुछ भूमि मिल सके। इसने अब ग्रामदान का व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है।

यलवाल (मैसूर-राज्य) में अखिलभारत सर्व-सेवा-संघ द्वारा आयोजित सितम्बर, १९५७ ई० के एक सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया था कि सामुदायिक विकास-कार्यक्रम तथा ग्रामदान-आन्दोलन के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाय। मई, १९५८ ई० में माउण्ट आबू में हुए विकास-आयुक्त-सम्मेलन में भूदान और ग्रामदान के बीच निकटतर सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय

किया गया। उक्त निर्णय के अनुसार सामुदायिक विकास-खंड स्थापित करने और सामुदायिक विकास के अन्य नये कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में ग्रामदानवाले गाँवों को प्राथमिकता दी जा रही है।

भूदान में भूमि प्राप्त करने तथा ऐसी भूमि का वितरण करने के उद्देश्य से अधिकांश राज्यों में कानून बन गये हैं तथा वित्तीय सहायता दी जा रही है। आसाम और राजस्थान में ग्रामदान के प्रबन्ध के निमित्त कानून बन गये हैं। अन्य राज्यों में इस संबंध के कानून विचाराधीन हैं।

भूदान-आन्दोलन के लिए भारत-सरकार ने सन् १९५६-५७ ई० में ११·६२ लाख रु० तथा सन् १९५७-५८ ई० में १० लाख रु० की स्वीकृति दी। सामुदायिक विकास और सहकारिता-मन्त्रालय सामुदायिक विकास-खंडों को भूदान-सम्बन्धी साहित्य वितरित करता है। इस योजना पर सन् १९५८-५९ई० में १·८२ लाख रु० व्यय किया गया और सन् १९५९-६०ई० में २·६५ लाख रु०। इसके अतिरिक्त, इस मन्त्रालय ने ग्रामदान तथा ग्राम-संकल्प के गाँवों में सन् १९५९-६० ई० में ग्राम-विकास तथा छोटे उद्योग चलाने की योजना के लिए १·६६ लाख तथा २·१ लाख रु० की स्वीकृति दी।

३० नवम्बर, १९५९ ई० तक देश में ४४,०६,६१३ एकड़ भूमि ग्रामदान में मिली, जिसमें से ८,४०,९०६ एकड़ भूमि बाँटी गई। इसके अतिरिक्त, ४,५६५ गाँव दान में मिले।

दिसम्बर, १९६१ ई० तक भूदान-सम्बन्धी प्रगति

| राज्य तथा संघीय क्षेत्र | भूदान-यज्ञ में प्राप्त भूमि ( एकड़ में ) | वितरित भूमि (एकड़ में) | ग्रामदान (संख्या) |
|---|---|---|---|
| आंध्र | २,४१,९५२ | ९६,९४७ | ५८७ |
| आसाम | ९,७५२ | — | ४१५ |
| उड़ीसा | १,५३,०४२ | १२,९४२ | १,९२९ |
| उत्तरप्रदेश | ४,१९,५४५ | १,२६,२६७ | ५७ |
| केरल | २६,००२ | ५,२६१ | ४०३ |
| गुजरात | १,०३,१३२ | ४६,९५८ | १४८ |
| पंजाब | १२,८६७ | २,७०६ | ६ |
| पश्चिम बंगाल | १२,६०८ | ३,४८८ | २५ |
| बिहार | २१,५३,०९४ | २,५७,०६६ | ८५ |
| मद्रास | ८०,४३० | १८,३८० | २५४ |
| मध्यप्रदेश | ३,८५,८९० | १,११,०३६ | १५३ |
| महाराष्ट्र | १,४६,०८७ | ८६,६४७ | २८२ |
| मैसूर | १९,९८३ | २,९१५ | ५८ |
| राजस्थान | ३,५३,२५८ | ८६,८९० | २३४ |
| हिमाचल-प्रदेश | १,५६,८०० | २,१०० | ४ |
| कुल योग | ४१,७७,५७२ | ८,६८,७३७ | ४,६४० |

उपर्युक्त तालिका के आँकड़े अखिलभारत सर्वसेवा-संघ की रिपोर्ट के आधार पर है।

# खनिज पदार्थ

खनिज सम्पत्ति के मामले में भारत को एक समृद्ध देश कहा जा सकता है। संसार के खनिज-उत्पादक देशों में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। मैंगनीज और इल्मेनाइट के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अभ्रक के संचित परिमाण एवं किस्म तथा मैगनेसाइट और बॉक्साइट के प्रचुर संचय के कारण भारत को खनिज-उत्पादक देशों में यह महत्त्व प्राप्त है। कच्चा लोहा, कोयला तथा कई अन्य खनिजों की भी यहां प्रचुरता है। पेट्रोलियम, जस्ता, एण्टीमनी, टिन, प्लाटिनम, सेलीनम बोरैक्स, आयोडिन, पोटाश, गन्धक, शोरा, फास्फेट और टेलुरियम आदि खनिज पदार्थों का उत्पादन सर्वथा अपर्याप्त है। निर्माण-कार्य में प्रयुक्त होनेवाले सामान, जैसे चूना, पत्थर, फर्श, बालू, जिप्सम आदि यहां प्रचुर परिमाण में प्राप्य हैं। सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अणु-शक्ति-सम्बन्धी खनिज पदार्थों की भारत में प्रचुरता है। इन खनिजों में मुख्य यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकोनियम, टिटेनियम और लीथियम प्रमुख हैं। थोरियम का हमारे यहां प्रचुर संचय है। यूरेनियम का जो परिमाण हमारे यहां उपलब्ध है, वह हमारे उद्योगों के संचालन के लिए शक्ति उत्पन्न कर आत्म-निर्भरता ला सकता है।

भारत के खनिज पदार्थ चार श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं—(१) पहली श्रेणी में वे खनिज पदार्थ आते हैं, जिनका उत्पादन यहाँ की खपत से अधिक होता है और जो दुनिया के बाजार में पर्याप्त परिमाण में भेजे जाते हैं। ऐसे खनिज पदार्थ कच्चा लोहा, टिटेनियम और अभ्रख हैं। (२) दूसरी श्रेणी में वे खनिज पदार्थ हैं, जिनका निर्यात एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मैंगनीज, बॉक्साइट, मैगनेसाइट, प्रकृत अब्रेसिव्स, स्टीटाइट, सिलिका, जिप्सम, ग्रेनाइट, मॉनेजाइट, कोरण्डम तथा सीमेंट के सामान ऐसे ही खनिज पदार्थ हैं। (३) तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत वे खनिज पदार्थ आते हैं, जिनका उत्पादन देश की वर्त्तमान आवश्यकता के लिए पर्याप्त समझा जाता है। ऐसे खनिज पदार्थ हैं—कोयला, अल्युमिनियम, खनिज रंग, क्रोम, गृह-निर्माण के पत्थर, संगमरमर, स्लेट, चूना-पत्थर, औद्योगिक मिट्टी, डोलोमाइट, सोडियम साल्ट और अलक्ली, दुष्प्राप्य मिट्टी, बेरिलियम, एल्यूम शीशा की बालू, पिराइटस, बोरैक्स, नाइट्रेट्स, जिरकॉन, वेनेडियम, कीमती पत्थर, फॉस्फेट आदि। (४) चौथी श्रेणी में वे खनिज पदार्थ हैं, जो बहुत कम परिमाण में पाये जाते हैं और जिनके लिए भारत को अधिकतर विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। ऐसे पदार्थों में तांबा, चाँदी, निकेल, पेट्रोलियम, गन्धक, शीशा, जस्ता, टिन, फ्लोराइड, पारा, प्लाटिनम, ग्रेफाइट, एस्फाल्ट, मोलिबडेनम, टंगस्टेन और पोटाश हैं।

खानों एवं खनिज पदार्थों का संरक्षण—सितम्बर, १९५७ ई० में माइन्स एण्ड मिनरल्स ( रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट ) नामक कानून पास किया गया, जिसमें सन् १९५८ ई० के ऐक्ट १५ द्वारा संशोधन लाया गया। यह कानून केन्द्रीय सरकार को खानों एवं खनिज पदार्थों के संरक्षण एवं विकास तथा लाइसेंस, लीज आदि की शर्तों के नियमन का अधिकार प्रदान करता है।

**खान-सम्बन्धी सरकारी विभाग**—भारत-सरकार के इस्पात, खान और ईंधन-मंत्रालय के दो विभाग हैं—(१) लोहा और इस्पात-विभाग तथा (२) खान और ईंधन-विभाग। इस दूसरे विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यालय और संगठन (संस्थाएँ) हैं—

(१) जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, (२) इण्डियन ब्यूरो ऑफ्-माइन्स, (३) ऑयल ऐण्ड नेचुरल गैस-कमीशन, (४) ऑफिस ऑफ द कोल-कण्ट्रोलर, (५) कोलबोर्ड, (६) नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० और (७) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०।

**खनिज पदार्थ-सम्बन्धी संस्थाएँ**—खनिज पदार्थ-सम्बन्धी निम्नांकित संस्थाएँ हैं—

**(१) जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया**— सन १८५१ ई० में स्थापित यह संस्था भारत के भूगर्भ-सम्बन्धी मानचित्र तैयार करती है, जिनके आधार पर देश के खनिज साधनों का मूल्यांकन होता है तथा भूगर्भ-सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता है।

**(२) मिनरल इनफारमेशन ब्यूरो**—इस संस्था की स्थापना सन् १६४८ ई० में की गई। अप्राविधिक भाषा में भारतीय खनिजों, ईंधन, कच्चा लोहा, लौह-मिश्रण खनिज, बहुमूल्य द्रव्य, जवाहरात, रासायनिक उद्योगों के खनिज, औद्योगिक मिट्टी, बालू . एवं अन्य मिश्रित खनिजों के सम्बन्ध में तथ्य का विस्तार करना इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

**(३) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन**—१५ करोड़ की अधिकृत पूँजी से इस विभाग की स्थापना १५ नवम्बर, १६५८ ई० को की गई। यह कारपोरेशन तेल, प्रकृत गैस और कोयला के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रों में अन्य खनिजों के उपयोग के कार्य को सम्पन्न करेगा।

**(४) उड़ीसा माइनिङ्ग कारपोरेशन लिमिटेड**—सार्वजनिक क्षेत्र में कच्चे लोहे के उपयोग के उद्देश्य से भारत-सरकार तथा उड़ीसा-सरकार के संयुक्त प्रयास से इसकी स्थापना मई, १६५६ ई० में हुई।

**(५) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स**—इसकी स्थापना सन् १६४८ ई० में हुई और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में रखा गया। यह खान-विशेषज्ञों की संस्था है, जो खनिज के विकास के सम्बन्ध में समय-समय पर अपना परामर्श सरकार को दिया करती है। यह संस्था 'माइन्स ऐण्ड मिनरल (रेगुलेशन डेवलपमेंट) ऐक्ट १६५८' के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के एक अभिकरण के रूप में कार्य करती है। इसे उत्खनन प्रणालियों में सुधार एवं विकास, खनिज के अधिकतम परिमाण की उपलब्धि तथा खनिजों के अपव्यय को रोकने के लिए खानों का निरीक्षण करना पड़ता है। यह संस्था खनिज पदार्थों के रियायत, रॉयल्टी, लगान, कर-निर्धारण, निर्यात-नीति आदि के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देती है और खनिजों के उत्पादकों और व्यावसायिकों को विश्लेषण तथा परीक्षण की सुविधाएँ प्रदान करती है।

खनिज-उद्योग से सम्बद्ध सभी विषयों में सरकार को परामर्श देने के लिए सन् १६५३ ई० में 'खनिज-परामर्श-मंडल' (मिनरल एडवाइजरी बोर्ड) की स्थापना की गई। यह मण्डल खनिज एवं खनिज-उत्पादनों के आयात-निर्यात-मूल्य के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देता है तथा खनिज पदार्थों के उत्पादन, अन्तर्देशीय वितरण तथा खपत की आलोचना करता है।

खान-सम्बन्धी शिक्षा—सन् १६२६ ई० में धनबाद में 'इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स ऐण्ड अप्लायड जियोलॉजी' नामक संस्था स्थापित की गई, जहाँ खनिज-अभियंत्रण एवं प्रायोगिक भूगर्भ-शास्त्र का प्राविधिक उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त यहाँ विद्युत् और मेकेनिकल इंजीनियरिंग, रसायन-शास्त्र-फ्यूएल टेक्नोलॉजी, धातु-विज्ञान-गणित, विदेशी भाषाएँ आदि की शिक्षा दी जाती है। नये कार्यक्रम में यहाँ धातु-विज्ञान, फ्यूएल-टेक्नोलॉजी, रिफ्रैक्टरीज और सेरामिक्स जैसे विषयों पर अधिक जोर दिया जाता है। इस विद्यालय में खान तथा प्रायोगिक भूगर्भ-शास्त्र की शिक्षा के लिए 'नेशनल स्कूल ऑफ माइन्स' नामक एक संस्थान की स्थापना की गई है। हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी के 'कॉलेज ऑफ् माइनिंग एण्ड मेटालर्जी' में भी खान-सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है।

## विभिन्न खनिज पदार्थ

कोयला—सब प्रकार के उद्योग-धंधों के लिए कोयला परम आवश्यक वस्तु है। संसार में कोयले के उत्पादन भारत का चौथा स्थान है। भारत में कोयला गोंडवाना और टरशियरी इन दो क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाना-क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और आन्ध्र में फैला हुआ है। टरशियरी क्षेत्र आसाम और राजस्थान में है। गोंडवाना-क्षेत्र से ६८ प्रतिशत कोयला और टरशियरी-क्षेत्र से २ प्रतिशत कोयला निकलता है। इस समय कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग साढ़े ३ करोड़ टन है। इसमें ५५ प्रतिशत बिहार से, २८ प्रतिशत बंगाल से, ६ प्रतिशत मध्यप्रदेश से, ५ प्रतिशत उड़ीसा से, ४ प्रतिशत आन्ध्र से और २ प्रतिशत गोंडवाना - क्षेत्र से कोयला निकलता है। बिहार में, मुख्यतः झरिया, बंगाल में, मुख्यतः रानीगंज में कोयले की खानें हैं। झरिया की खानों से सबसे अच्छा कोयला निकलता है। हैदराबाद में, कोयला की खान हैदराबाद से १४६ मील दूर सिंगरेनी नामक स्थान में है। सिक्कम की रांगित तराई में कोयले की नई खान का पता चला है। कोयले की खपत मुख्यतः भारत में ही होती है। कोयले की खानें लगभग एक हजार हैं, जहाँ ढाई लाख आदमी काम में लगे हुए हैं।

सन् १६४६ ई० में बिहार में झरिया के पास डिगवाडीह नामक स्थान में एक ईंधन-अनुसंधान-संस्थान ( फ्यूएल-रिसर्च-इन्स्टिट्यूट ) की स्थापना की गई है, जिसका काम कोयला-सम्बन्धी अनुसंधान तथा सर्वेक्षण करना है। इसके अतिरिक्त भारत-सरकार की ओर से कोयला-नियंत्रक ( कलकत्ता कोयला-मंडल, कलकत्ता), राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम लि० (राँची), नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०, कोल-कौंसिल ऑफ इण्डिया आदि संस्थान इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। भारत-सरकार के भू-गर्भ-विभाग ने हजार फीट नीचे ६० अरब टन कोयला होने का अनुमान किया है। मद्रास के वृद्धाचलम् और कुडालोर नामक स्थान में कोयले की खानें मिली हैं, जहाँ शीघ्र ही काम चालू होगा।

मैंगनीज—उपयोगिता में कोयला के बाद मैंगनीज का ही स्थान है। इसका सबसे अधिक काम इस्पात बनाने में होता है। बैटरी बनाने में तथा रासायनिक उद्योग-धन्धों में भी इसका उपयोग किया जाता है। रूस के बाद यह भारत में ही सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ कुल १८ करोड़

टन मैंगनीज के संचय का अनुमान लगाया गया है। मध्यप्रदेश के अलावा बम्बई, बिहार, उड़ीसा, मध्यभारत और मद्रास में भी यह पाया जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और संयुक्तराज्य अमेरिका यहाँ के मैंगनीज के ग्राहक हैं।

**सोना**—खनिज पदार्थों में तीसरा स्थान सोने का है। भारत का ६५ प्रतिशत सोना मैसूर के कोलार नामक स्थान से निकलता है। हैदराबाद के हुती, मैसूर के धारवार, मद्रास के अनन्तपुर आदि स्थानों में भी स्वल्प परिमाण में सोना मिलता है। सिंहभूमि और उड़ीसा की कुछ नदियों की बालू में भी सोना पाया जाता है। रूस को छोड़कर संसार का २ प्रतिशत सोना भारत में मिलता है। यहाँ १२½ लाख टन सोना मिश्रित धातु के संचय का अनुमान है। 'कोलार गोल्ड माइन्स एक्वीजिशन ऐक्ट, १९५६' के पास होने के बाद सभी सोने की खानों पर सरकार का अधिकार हो गया है।

**अबरख**—संसार का तीन-चौथाई अबरख भारत में पाया जाता है। इसके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं—बिहार (१,५०० वर्गमील), राजस्थान (१,२०० वर्गमील) और आन्ध्र (६०० वर्गमील)। बिहार में यह मुख्यतः हजारीबाग और गया जिले में मिलता है। भारत का लगभग ८० प्रतिशत अबरख यहीं से निकाला जाता है। ट्रावणकोर, मैसूर और उड़ीसा में भी इसके पाये जाने का अनुमान किया जा रहा है। इसका अधिक उपयोग बिजली आदि के सामान बनाने में होता है। खराब अबरख कागज, पेंट, रबर आदि बनाने में लगाया जाता है। लगभग २ करोड़ १७ लाख रुपये का ११,२५० टन अबरख भारत से बाहर भेजा जाता है।

**पेट्रोलियम**—संसार का सिर्फ १·१० भाग पेट्रोलियम भारत में पाया जाता है। यह आसाम के डिगबोई नामक स्थान में मिलता है। आसाम के नाहरकटिया और मोरन नामक स्थानों में इसकी खान का पता चला है; जहाँ १०,००० फुट की गहराई से तेल निकाला जा रहा है। पंजाब के ज्वालामुखी नामक स्थान तथा उसके आसपास के क्षेत्र, राजस्थान, गंगा की तराई, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, गुजरात के काम्बे और कच्छ, बिहार के चंपारन तथा मद्रास, आन्ध्र और केरल के कई स्थानों में मिट्टी तेल प्राप्त करने के लिए खोज की जा रही है। भारत-सरकार ने तेल-क्षेत्रों की खोज, प्राप्ति और शोध के लिए 'तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग' का गठन किया है। बम्बई के निकट ट्राम्बे में दो तथा विशाखापत्तनम् में एक तेल-शोध-कारखाने स्थापित किये गये हैं। भारत-सरकार की ओर से नूनमाटी, गोहाटी तथा बरौनी में भी तेल-शोध-कारखाने खुल रहे हैं। नूनमाटी-तेल-शोध-कारखाने का कार्य शुरू हो चुका है।

**लोहा**—भारत के लोहे की खान का भी संसार में एक विशेष स्थान है। सबसे अच्छे लोहे की सबसे बड़ी खान यहीं है। लोहे की चालू खानें बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आन्ध्र, हिमाचल-प्रदेश और मैसूर-राज्य में हैं। मध्यप्रदेश में बहुत थोड़ा लोहा मिलता है। सबसे अधिक और सबसे अच्छा लोहा बिहार के सिंहभूमि जिले में तथा उड़ीसा में ही पाया जाता है। जमशेदपुर के पास नोआमुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी खान है, जो टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लि० के अधिकार में है। जमशेदपुर के आस-पास दिन तथा दूसरी मुख्य खानें भी हैं। कहते हैं, भारत में सभी प्रकार के लोहे की खानों में ६७९ करोड़ टन लोहा संचित है।

**नमक**—भारत का दो-तिहाई नमक गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास के समुद्र-तट पर समुद्र-जल से बनता है। उड़ीसा-तट पर तथा कच्छ की खाड़ी में खरगोडा नामक स्थान में भी नमक बनाया जाता है। देश के भीतरी भाग के अन्दर राजस्थान की साम्भर झील में तथा उसके आस-पास नमक मिलता है। पश्चिमी पंजाब और कोटा की पहाड़ी में पाया जानेवाला सेंधानमक अब पाकिस्तान के हिस्से में पड़ गया है। भारत के अन्दर हिमाचल-प्रदेश के मंडी नामक स्थान से १ लाख मन सेंधानमक प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। नमक की खपत का अनुमान प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति १३ पौंड है। सन् १९५४ ई० में केन्द्रीय नमक-अनुसंधान-संस्थान की स्थापना की गई। आशा है, कुछ दिनों में भारत संसार का एक प्रमुख नमक-उत्पादक देश बन जायगा।

**अल्युमिनियम**—इसकी खान अभी कुछ ही वर्षों से चालू हुई है। यह केरल, बिहार और मध्यप्रदेश में पाया जाता है। कलकत्ता के पास बेलूर की रोलिंग मिल अल्युमिनियम की चीजें तैयार करती हैं। आसनसोल में 'अल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया' ने अपना काम शुरू किया है। बिहार के मुरी नामक स्थान में भी इसका कारखाना खुल गया है।

**इलमेनाइट**—इलमेनाइट के लिए भारत संसार में अग्रगण्य हो गया है। यह सबसे बढ़कर उजला पदार्थ है। उजले रंग के बनाने में यह लेड का स्थान लेगा। यह भारत के दक्षिण भाग में कुमारी अन्तरीप तथा केरल के पास के समुद्र-तट की बालू में पाया जाता है। भारत में इसका करीब ३,५०० लाख टन का संचय होने का अनुमान है।

**मोनेजाइट और जिरकोन**—ये दोनों केरल और मद्रास में कुमारी अन्तरीप की सामुद्रिक बालू से निकाले जाते हैं। संसार का ८८ प्रतिशत मोनेजाइट भारत देता है। केरल के अलवाए नामक स्थान में मोनेजाइट का कारखाना खोला गया है।

**क्रोमाइट**—यह मुख्यतः बिहार, उड़ीसा और मैसूर में पाया जाता है। भारत के कुल क्रोमाइट का ६५ प्रतिशत मैसूर में पाया जाता है। इसके बाद बिहार के सिंहभूमि का स्थान है। अनुमान है कि भारत में कुल ४८ लाख टन क्रोमाइट का संचय है।

**मैगनेसाइट**—यह मद्रास के सलेम जिले में तथा मैसूर, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा बिहार में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट, काँच, कागज, रबड़, हवाई जहाज आदि तैयार करने में होता है।

**बॉक्साइट**—यह भारत में मुख्यतः बिहार, जम्मू, मध्यप्रदेश, मद्रास और महाराष्ट्र में पाया जाता है, जहाँ इसके २५,०० लाख टन के संचय का अनुमान है। यह पेट्रोलियम साफ करने और फिटकिरी एवं अल्युमिनियम बनाने के काम में आता है।

**सीमेण्ट बनाने के खनिज**—सीमेण्ट बनाने का सामान यहाँ बहुत पाया जाता है। सीमेण्ट तैयार करने का मुख्य स्थान पोरबन्दर (गुजरात), कटनी तथा जबलपुर (मध्यप्रदेश), जपला और डालमियानगर (बिहार), लाखेरी (राजस्थान) और गुण्टूर (मद्रास) है।

**कैनाइट**—भारत में मुख्यतः यह बिहार के अन्दर सिंहभूमि जिले के सरायकेला और खरसावाँ में पाया जाता है।

**ताँबा**—भारत में यह मुख्यतः बिहार के ८० मील के क्षेत्र (सिंहभूमि और हजारीबाग जिले) में पाया जाता है। राजस्थान के अलवर जिले के दारिबों तथा झुनझुन जिले के खेतड़ी और आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के गनी क्षेत्र में ताँबे की जाँच-पड़ताल चल रही है। 'सिंहभूमि इण्डियन कॉपर-कारपोरेशन' इस दिशा में काम कर रहा है।

**चूना का पत्थर**—यह बिहार के रोहतासगढ़ और मध्यप्रदेश के कटनी, रीवा और महियार नामक स्थान में तथा राजस्थान के बूंदी, जोधपुर और सिरोही में पाया जाता है। यह चूना और सीमेण्ट बनाने के काम में आता है।

**जिप्सम**—भारत का ८० प्रतिशत जिप्सम राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर आदि स्थानों में पाया जाता है। यह गुजरात के काठियावाड़, मद्रास, पंजाब और उत्तरप्रदेश में भी मिलता है। इसका संचय जम्मू और कश्मीर में भी होता है भारत में कुल इसका संचय करीब १ अरब ४ करोड़ टन है। इसका उपयोग सीमेण्ट, प्लास्टिक-पेंट आदि बनाने में किया जाता है।

**स्टीटाइट**—इसे सोप-स्टोन और पॉट-स्टोन भी कहते हैं। चूर्ण के रूप में इसे 'फ्रेंश चॉक' कहा जाता है। यह जयपुर, गुण्टूर, जबलपुर तथा मैसूर और बिहार में मिलता है।

**कीमती पत्थर**—हीरा की खान मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में है। नील मणि कश्मीर के ऊँचे पहाड़ पर और लाल मणि राजस्थान के अजमेर जिले के किसुनगढ़ और बरवार में तथा जयपुर जिले में पाया जाता है।

**टिन, लेड और जिंक**—ये धातुएँ भारत में बहुत ही कम पाई जाती हैं। टिन बिहार की अवरख-खान के पास कभी-कभी मिलता है। लेड राजस्थान के जयपुर और उदयपुर जिलों में तथा बिहार के हजारीबाग जिले में पाया जाता है।

**साइक्लोटोन बेरिज**—यह खनिज पदार्थ अणु-बम तैयार करने और एक्स-रे के औजार बनाने के काम में आता है। यह संसार में एक हजार से दो हजार टन तक प्रति वर्ष निकलता है। भारत-सरकार के भूगर्भ-विभाग ने अभी हाल में ही राजस्थान के अजमेर जिले में ५० से १०० टन तक इसके मिल सकने का पता लगाया है।

**अन्य खनिज पदार्थ**—अन्य खनिज पदार्थ और उनके मिलने के स्थान पर इस प्रकार हैं—**फूलर मिट्टी**—मध्यप्रदेश, पंजाब और राजस्थान। **बैरिटस**—मद्रास और राजस्थान। **गेरू**—मध्यप्रदेश मद्रास, उड़ीसा और राजस्थान। **ग्रैफाइट**—मैसूर, मध्यप्रदेश और मद्रास। **टंग्सटेन**—राजस्थान का जोधपुर जिला। **ऐसबेस्टस**—उड़ीसा, मैसूर और राजस्थान। **फेलसपार**—मैसूर और **गेरनेटसैंड**—मद्रास। **वेण्टोनाइ**—राजस्थान का जोधपुर जिला। **अपेटाइट**—बिहार और मद्रास। **टैंटेलाइट**—मुँगेर (बिहार)।

★

## भारत के खनिज-उत्पादन का सूचनांक

(आधार १९५१ = १००)

| ईसवी-सन् | साधारण सूचनांक | कोयला | लोहा | क्रोमाइट | ताँबा | सोना | इलमेनाइट | वॉक्साइट | मैंगनीज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १९५६ | ११६·८ | ११३·७ | १३३·२ | ३१५·५ | १०४·६ | ९२·५ | १५०·० | १३६·१ | १३०·६ |
| १९५७ | १३२·८ | १२५·६ | १३८·४ | ४७०·३ | १०९·५ | ७९ २ | १३२·२ | १४४·३ | १२९·० |
| १९५८ | १२५·७ | १२८·४ | १६४·१ | ३६१·८ | १०९·८ | ७५·२ | ११८·० | २०४·२ | ९२·४ |
| १९५९ | १२५·६ | १३३·३ | २१२·५ | ५०२·२ | १०७·९ | ७३·१ | १३३·१ | १८५·६ | ८७ ९ |

## भारत का खनिज-उत्पादन

| वर्ष | सोना (किलोग्राम में) | जिप्सम (मैट्रिक टन) | मैंगनीज (०००मेट्रिक टन) | अबरख (०० क्विण्टल) | कीनाइट (टनों में) | ताँबा (टनों में) | वॉक्साइट (टनों में) | क्रोमाइट (टनों में) | इलमेनाइट (टनों में) | भवन निर्माण-सामग्री (रु० ०००) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १९५६ | ५,६३२ | ८,६३,२१६ | १,७१४ | २८५ | २०,४५८ | ३,८६,१९९ | ९१,२२५ | ५२,६८६ | ३,३५,४६० | ३७,००७ |
| १९५७ | ५,०८० | ९,३६,७६७ | १,६८१ | ३०९ | ४४,३३९ | ४,०३,९२. | ९६,७५० | ७८,५४२ | २,६६,२२१ | ४१,८३८ |
| १९५८ | ४,८२३ | ७,९४,४२९ | १,२७६ | ३३० | २६,०२७ | ४,०४,६९१ | १,३६,९०७ | ६२,६५० | ३,०९,१७५ | ४३,८६६ |
| १९५९ | ५,६८८ | ८,५६,६६० | १,१८७ | २८७ | १६,०१२ | ३,९७,३५२ | १,३४,४८६ | ८३,८७५ | २,९८,२५० | ४८,५९९ |

# बैंक

भारत में बैंकों का प्रचलन १८वीं शताब्दी में कलकत्ता तथा बम्बई में स्थापित 'ब्रिटिश एजेन्सी हाउस' से हुआ। १६वीं शताब्दी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में तीन प्रेसिडेन्सी बैंक की स्थापना हुई। सन् १६२१ ई० में इन प्रेसीडेन्सी बैंकों को इम्पीरियल बैंक के साथ संयुक्त कर दिया गया। इसी इम्पीरियल बैंक का नाम अब 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया' कर दिया गया है। सन् १६३५ ई० के अप्रैल महीने में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।

सन् १६४६ ई० में 'बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट' नामक एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार भारतीय बैंकों की देख-रेख एवं उनके नियंत्रण का सारा उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। तब से रिजर्व बैंक भारत के केन्द्रीय बैंक का कार्य सम्पादित करता रहा है। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—( क ) अन्य भारतीय बैंकों की देख-रेख और निरीक्षण; (ख) बैंकों को अनुज्ञा-पत्र प्रदान करना एवं नई शाखाओं की स्थापना पर नियंत्रण रखना; (ग) संयोजन एवं व्यवस्था की रूप-रेखा की परीक्षा करना एवं उन्हें स्वीकृति प्रदान करना; ( घ ) बैंकिंग कम्पनियों को दिवालिया करार देना; ( ङ ) बैंकों का विवरण प्राप्त कर उसकी छान-बीन करना और ( च ) सामान्य रूप से बैंकों को परामर्श देना तथा आपात-काल में उनकी सहायता करना।

## भारतीय बैंकों का वर्गीकरण

भारत के रिजर्व बैंक ने बैंकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है—

१. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया;

२. भारतीय व्यावसायिक बैंक—

(क) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक;

(ख) भारतीय अननुसूचित बैंक, और

(ग) स्टेट और सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक।

३. विदेशी बैंक, जिसके रजिस्टर्ड ऑफिस भारत के बाहर हैं।

**अनुसूचित बैंक**—इस कोटि में भारत में अपना कारोबार करनेवाले वे बैंक आते हैं—( क ) जिनके पास चुकता और सुरक्षित दोनों मिलाकर ५ लाख से कम की पूँजी न हो; (ख) जो नियमतः कम्पनी कारपोरेशन या इस कार्य के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत संस्था हों; ( ग ) जो अपने कारबार से रिजर्व बैंक को संतुष्ट रखते हों। अनुसूचित बैंकों के निम्नलिखित दो और भी प्रकार हैं—( क ) वे बैंक, जिनके निबंधित कार्यालय भारतीय संघ में हों तथा ( ख ) विदेशी अनुसूचित बैंक, अर्थात् वे बैंक, जिनके निबंधित कार्यालय भारत से बाहर हों।

सन् १६६१ ई० में भारत में अनुसूचित बैंकों की संख्या ६४ से घटकर ८४ हो गई। अक्टूबर, १६६० ई० में इसके कार्यालयों की संख्या ४,४१६ थी, जबकि अक्टूबर, १६६१ ई० में घटकर ४,३२६ हो गई।

**अननुसूचित (नन-शिड्यूल्ड) बैंक**—अननुसूचित बैंक चार प्रकार के हैं—ए-२, बी, सी और डी।

ए-२ बैंक वे हैं, जिनके पास चुकता तथा सुरक्षित पूँजी मिलाकर ५ लाख या उससे अधिक हो और जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार द्वितीय अनुसूचित में सम्मिलित नहीं किये गये हों। 'बी' बैंक वे हैं, जिनके पास चुकता और सुरक्षित पूँजी १ लाख और ५ लाख के

बीच हो। 'सी' बैंक, जिनके पास चुकता और सुरक्षित कुल मिलाकर ५० हजार से १ लाख के बीच पूँजी हो। 'डी' बैंक, जिनके पास चुकता और सुरक्षित कुल मिलाकर ५०,००० से कम पूँजी हो।

उपर्युक्त श्रेणियों के बैंकों के अतिरिक्त बैंकों द्वारा उद्योग-धन्धों के विकास के लिए भारत-सरकार ने कई अन्य संस्थानों की भी स्थापना की है। जैसे—(१) सन् १९४८ ई० में 'इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया'; (२) सन् १९५१ ई० में 'स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन'; (३) सन् १९५५ ई० में 'इण्डस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इनवेस्टमेण्ट कारपोरेशन' और (४) सन् १९५८ ई० में 'दी रीफाइनेंस कारपोरेशन प्राइवेट लि०'। ये संस्थान उद्योग के विकास के लिए उद्योगपतियों को ऋण देते हैं। सन् १९६१ ई० में रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे ६२ संस्थानों को स्वीकृति प्रदान की गई।

## रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना १ अप्रैल, १९३५ ई० को की गई। यह पहले विशुद्ध प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी था, किन्तु सन् १९४८ ई० में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। इसकी व्यवस्था के लिए 'सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स' की स्थापना की गई। इसका कार्य इन चार क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली। इन क्षेत्रों में केन्द्रीय बोर्ड के अधीन एक-एक स्थानीय बोर्ड स्थापित किये गये। इसका प्रमुख कार्य सरकार की आर्थिक नीति के अन्तर्गत देश की मुद्रा-प्रणाली का नियमन करना है। यह नोट निकालने का एकाधिकार तथा अपने पास देश की मुद्रा-सम्बन्धी स्थिरता बनाये रखने के लिए संचित कोष रखता है। यह व्यावसायिक बैंकों का भी बैंक है। यह बैंक रुपये का विदेशी विनिमय-मूल्य निर्धारित करता है।

## स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना जुलाई, १९५५ ई० में हुई। उसी समय इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का कुल कारबार इसमें मिला दिया गया। इसकी अधिकृत पूँजी २० करोड़ रुपये की और जारी की गई। पूँजी ५ करोड़ ६२½ लाख रुपये की है, जो इम्पीरियल बैंक के हिस्से के बदले में है। इसकी जारी की गई पूँजी का कम-से-कम ५५ प्रतिशत रिजर्व बैंक का होता है। रिजर्व बैंक चाहे, तो शेष ४५ प्रतिशत हिस्सा भी हिस्सेदारों को लौटा सकता है।

बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड के हाथ में है। इस बोर्ड के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन को भारत-सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से नियुक्त करती है। भारत-सरकार की स्वीकृति से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिक-से-अधिक दो प्रबन्ध-निर्देशक नियुक्त किये जाते हैं। हिस्सेदार ६ निर्देशकों को चुनते हैं। केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय और आर्थिक हितों के प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्व बैंक की सलाह से ८ निर्देशकों को मनोनीत करती है। एक निर्देशक भारत-सरकार और एक निर्देशक रिजर्व बैंक मनोनीत करता है। ये सभी केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य होते हैं।

स्टेट बैंक इम्पीरियल बैंक की ही तरह उद्योग-धंधों और वाणिज्य-व्यवसाय के लिए ऋण देता है। देश के अन्दर स्टेट बैंक की सैकड़ों शाखाएँ हैं। जहाँ रिजर्व बैंक की अपनी शाखा नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक ही उसके एजेण्ट की तरह काम करता है।

## ज्वायण्ट स्टॉक बैंक या अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक

रिजर्व बैंक स्टेट और बड़े विनिमय-बैंकों को छोड़कर अन्य बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, जो इण्डिया कम्पनी ऐक्ट के अनुसार निबन्धित (रजिस्टर्ड) होते हैं। इन्हें ज्वायण्ट स्टॉक

बैंक भी कहते हैं। न्यूनाधिक पूँजी के अनुसार ये चार श्रेणियों में विभक्त हैं। जिन बैंकों की चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख रुपये या इससे अधिक होती है, वे प्रथम श्रेणी में आते हैं।

अनुसूचित बैंक मुख्यतः व्यावसायिक बैंक हैं। ये लोगों के रुपये जमा रखते हैं। उनकी कोई वस्तु बन्धक रखते हैं, गल्ला, कपड़ा आदि की जमानत पर ऋण देते हैं, कम्पनी के हिस्सों की खरीद-बिक्री करते हैं, लोगों के आभूषण आदि अपनी हिफाजत में रखते हैं, बड़े-बड़े कृषकों या बगान-मालिकों के साथ कृषि-सम्बन्धी व्यवसाय तथा इसी प्रकार के अन्य कारबार भी करते हैं।

## विनिमय-बैंक

विनिमय-बैंक का प्रमुख कार्य वैदेशिक व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सभी विनिमय-बैंकों की स्थापना भारत के बाहर हुई है। ये विदेशी मुद्रा में हुण्डियाँ खरीदते हैं और जहाजरानी तथा दूसरे दस्तावेजों पर ऋण देते हैं। ये अन्तर्देशीय वाणिज्य के सम्बन्ध में भी, मुख्यतः मालों के आयात-निर्यात के सम्बन्ध में कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। अब ये बैंक लोगों के सेविंग्स एकाउण्ट भी रखने लगे हैं। इस प्रकार, इनके कार्य देश के भीतरी भागों में बढ़ रहे हैं। विनिमय-बैंक भारत एवं विश्व के वाणिज्य-व्यवसाय के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। जिस कार्य को सन् १८४२ ई० में ओरियण्टल बैंकिंग कारपोरेशन ने आरंभ किया था, वही कार्य अब ये बैंक करने लगे हैं।

## अननुसूचित बैंक

अननुसूचित बैंक के अन्तर्गत वे बैंक आते हैं, जो संयुक्त कम्पनी तो हैं, किन्तु साधारणतः उनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख से कम ही होती है। पूँजी के न्यूनाधिक्य के हिसाब से ये चार श्रेणियों में विभक्त हैं—प्रथम श्रेणी में वे बैंक आते हैं, जिनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख या उससे अधिक तो है, पर अन्य कई कारणों से वे अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। द्वितीय श्रेणी के बैंक वे हैं, जिनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी १ लाख से ५ लाख तक है। तृतीय श्रेणी के बैंक ५०,००० से १ लाख पूँजीवाले तथा चतुर्थ श्रेणी के बैंक ४०,००० से कम पूँजीवाले होते हैं।

## देशी तरीके के बैंक

उपर्युक्त श्रेणियों के बैंकों से सरकार के, बड़े-बड़े वाणिज्य-व्यवसायों के तथा बड़े-बड़े पूँजीपतियों के कारोबार चलते हैं। किन्तु, मध्यम या निम्न श्रेणी के व्यापारियों, छोटे पैमाने के उद्योगों के मालिकों, साधारण कृषकों आदि के कार्य वैयक्तिक रूप से काम करनेवाले महाजनों, सेठ-साहूकारों, शर्राफों आदि से चलते हैं। ये महाजन खेत, गहने तथा अन्य संपत्ति के बंधक पर ऋण दिया करते हैं। ये महाजन छोटी-बड़ी रकमों की हुण्डियाँ निकालते हैं।

## भूमि-बन्धक-बैंक

सन् १९५८ ई० के कृषि-सम्बन्धी कमीशन और सन् १९३० ई० की बैंकिंग इन्क्वायरी कमिटी की सिफारिशों के अनुसार भारत के अनेक भागों में सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर भूमि-बन्धक-बैंकों के स्थापन की आवश्यकता समझी गई है। इन बैंकों का उद्देश्य किसानों की भूमि और मकान को महाजनों के चंगुल से बचाने, उन्हें पुराने ऋण से विमुक्त करने, उनकी भूमि की जोत, खाद आदि द्वारा उन्नत बनाने, उनके लिए मकान बनवाने आदि की सुविधाएँ

प्रदान करना है। ये बैंक पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और आसाम में सहकारी आंदोलन के सिलसिले में कायम हुए हैं, किन्तु इनके कार्य अभी बहुत छोटे पैमाने पर चल रहे हैं।

### रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा वर्गीकृत बैंकों की संख्या

| | १९५६ | १९५७ | १९५८ | १९५९ | १९६० |
|---|---|---|---|---|---|
| १. भारतीय व्यावसायिक बैंक | | | | | |
| (क) अनुसूचित बैंक (ए—१) | ७२ | ७४ | ७७ | ७८ | ७७ |
| (ख) अनुसूचित बैंक (ए—२) | ५८ | ५५ | ४१ | ३९ | ३८ |
| ,, (बी) | १७० | १६३ | १५१ | १४८ | १४४ |
| ,, (सी) | ९३ | ७६ | ८४ | ७६ | ६९ |
| ,, (डी) | १२ | ४ | २ | २ | १ |
| कुल योग (क) और (ख) का | ४०५ | ३७२ | ३५५ | ३४३ | ३२९ |
| २. विदेशी बैंक | | | | | |
| (क) अनुसूचित बैंक | १७ | १७ | १६ | १६ | १६ |
| (ख) अननुसूचित बैंक | १ | १ | — | — | — |
| कुल योग १ और २ का | ४२३ | ३८९ | ३७१ | ३५९ | ३४५ |
| ३. सहकारी बैंक | | | | | |
| (क) स्टेट को-ऑपरेटिव | २४ | २३ | २१ | २२ | २२ |
| (ख) सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव | ४७८ | ४५१ | ३७६ | ३६९ | ३६८ |
| (ग) शहरी को-ऑपरेटिव | — | — | २७८ | २९७ | ३४४ |

★

## भारतीय बीमा

**बीमा का राष्ट्रीयीकरण**—भारतीय बीमा के इतिहास में संसार के अन्दर सर्वप्रथम भारत-सरकार ने ही सन् १९५६ ई० में जीवन-बीमा के व्यवसाय का राष्ट्रीयीकरण किया। सन् १९५६ ई० की १९ जनवरी को राष्ट्रपति ने एक आर्डिनेन्स निकालकर भारत में काम करनेवाली देशी और विदेशी सभी जीवन-बीमा-कम्पनियों का काम भारत-सरकार के हाथ सौंपा। उसी वर्ष 'भारत का जीवन-बीमा-निगम'-सम्बन्धी बिल २३ मई को पास हुआ और १ सितम्बर से इसका काम आरम्भ कर दिया गया। प्रधान कार्यालय बम्बई में रखा गया। इस निगम को पूरा अधिकार दिया गया कि वह जीवन-बीमा तथा अन्य बीमा—जैसे अग्नि, जहाज, मोटर आदि के बीमा का भी काम करे। निगम की स्थापना के बाद भारतीय अथवा विदेशी जीवन-बीमा-कम्पनियाँ भारत में अपने व्यवसाय के लिए अधिकृत नहीं रहीं। भारतीय जीवन-बीमा-कम्पनियों को विदेशों में भी काम करने का अधिकार नहीं रहा। हाँ, पोस्ट-ऑफिस-जीवन-बीमा-फंड तथा सरकारी कर्मचारी-वर्ग के लिए अनिवार्य जीवन-बीमा-योजना का काम पूर्ववत् चलता रहा। जीवन-बीमा-निगम ने देश की २४५ जीवन-बीमा-कम्पनियों (जिनमें तीन राज्य-बीमा-विभाग भी सम्मिलित थे) का कार्य अपने हाथ में ले लिया।

जीवन-बीमा-निगम को ५ करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूँजी सरकार द्वारा दी गई थी। इसका प्रबन्ध १५ सदस्यों की समिति के द्वारा होता है, जिसके चेयरमैन की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार

की ओर से होती है। निगम के संचालन के लिए इसकी एक कार्य-समिति, एक धन-विनियोग-समिति, प्रबन्ध-निर्देशक तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक हैं। इस कार्य के लिए देश पाँच क्षेत्रों में बाँटा गया है। इन क्षेत्रों के प्रधान कार्यालय बम्बई, दिल्ली, कानपुर, मद्रास तथा कलकत्ता में हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन कई डिविजनल कार्यालय और प्रत्येक डिविजनल कार्यालय के अधीन कई शाखा-कार्यालय (ब्रांच-ऑफिस) हैं।

३१ दिसम्बर, १६६१ ई० को निगम के ३५ डिविजनल ऑफिस, ३०६ शाखा-कार्यालय, १३१ उपशाखा-कार्यालय और १३३ विकास-केन्द्र थे।

**जीवन-बीमा का आयोजन तथा कार्य**—केन्द्रीय वित्त-मंत्रणालय के अन्दर आर्थिक विषयों का एक विभाग है और उसी की एक शाखा है—बीमा-शाखा (इन्श्योरेन्स डिविजन)। यह देश के अन्दर बीमा-सम्बन्धी सब प्रकार के कार्यों की देख-भाल करता है।

**बीमा की नवीन योजनाएँ**—निगम की स्थापना के पूर्व भारतीय और विदेशी बीमा की कम्पनियाँ लोगों की सुविधा के लिए बीमा-सम्बन्धी विभिन्न भाँति की नई-नई योजनाएँ समय-समय पर तैयार करती रहती थीं, जिनमें अधिकांश अब भी चालू हैं। इधर निगम ने तीन और भी नई योजनाएँ तैयार की हैं—जनता-योजना, सामूहिक बीमा और अधिवार्षिक योजना तथा वेतन-बचत-योजना। (१) जनता-योजना (जनता-स्कीम) वृहत्तर बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, दिल्ली, रोहतक, कानपुर, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, मद्रास, मदुराई, कोयम्बटूर तथा हैदराबाद के औद्योगिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

संयुक्त जीवन-बीमा-पॉलिसी को बन्द करना और स्त्रियों के बीमे पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना ये दो महत्त्वपूर्ण निर्णय, सन् १६६० ई० में, जीवन-बीमा-निगम ने लिये हैं। इस योजना के अन्तर्गत सन् १६५७ ई० में १६ करोड़ रुपयों का व्यवसाय हुआ था। सन् १६५८ ई० में ३२-७० करोड़ रुपयों का और सन् १६५६ ई० में ४७·५३ करोड़ रुपयों का व्यवसाय इसीसे प्राप्त हुआ। तो भी, इस योजना-सम्बन्धी, निगम का अनुभव कटु है।

**प्रगति**—सन् १६६२ ई० के लिए नई पॉलिसी का लक्ष्य ७०० करोड़ रुपया निर्दिष्ट किया गया है। निगम के अधिकारियों ने यह विश्वास दिलाया है कि सन् १६६३ ई० में नये बीमा-पत्रों का परिमाण वार्षिक १ हजार करोड़ रुपया तक पहुँच जायगा।

जनसाधारण में जीवन-बीमा के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के लिए दो बातों पर विशेष रूप से जोर दिया गया : एक है देहाती क्षेत्रों में नये बीमा-पत्र संग्रह करने के लिए विशेष आयोजन और दूसरी बिना डॉक्टरी परीक्षा के बीमा कराने की सुविधा। इसके फलस्वरूप नवम्बर से जनवरी तक इन तीन महीनों में कुल जीवन-बीमा में प्रति हजार २६३ भाग बीमा-पत्र देहाती क्षेत्रों से प्राप्त हुए। नये बीमा-पत्र प्राप्त करने में आवर्त्तक व्यय में भी ह्रास हुआ है। सन् १६५६ में ई० आवर्त्तक व्यय का अनुपात प्रतिशत १५·८७ था। सन् १६६० ई० में यह घटकर प्रतिशत १२ हो गया। सन् १६६१ ई० में इस संख्या में और कमी हुई है।

**सहायक संस्थाएँ**—भारत के जीवन-बीमा-निगम की सहायता के लिए दो और संस्थाएँ हैं—(१) इन्श्योरेंस एसोशिएसन ऑफ इण्डिया और (२) री-इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया। सन् १६५० ई० में भारत में काम करनेवाली सभी बीमा-कम्पनियों ने मिलकर इन्श्योरेन्स एसोशिएशन ऑफ इण्डिया की स्थापना की थी। इस एसोसिएशन की दो कौंसिलें थीं—

एक, लाइफ इन्स्योरेन्स कौंसिल दूसरी, जेनरल इन्स्योरेन्स कौंसिल। पहली, जीवन-सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख करती थी, तो दूसरी साधारण बीमा-सम्बन्धी कार्यों की। जीवन-बीमा-निगम की स्थापना के बाद लाइफ इन्स्योरेन्स कौंसिल की आवश्यकता नहीं रह गई। हाँ, दूसरी कौंसिल अपना काम पूर्ववत् कर रही है। भारत-सरकार से परामर्श कर साधारण बीमा का कार्य करनेवाली बीमा-कम्पनियों ने री-इन्स्योरेन्स ऑफ इण्डिया नामक संस्था की स्थापना की।

**बीमा करानेवाली अन्य संस्थाएँ**—जैसा पहले कहा जा चुका है, जीवन-बीमा-निगम के अतिरिक्त भी कुछ संस्थाएँ और सरकारी महकमे बीमा का काम करते हैं। सन् १८८३ ई० से डाक और तार-विभाग अपने विभाग के कर्मचारियों के जीवन-बीमा का काम करता आ रहा है। पीछे कुछ दूसरे लोगों के जीवन-बीमा का काम भी यह विभाग करने लगा। सन् १९४८ ई० से प्रतिरक्षा-विभाग के व्यक्तियों का भी यहाँ जीवन-बीमा होने लगा। आन्ध्र, केरल, मध्यप्रदेश, मैसूर, राजस्थान और उत्तरप्रदेश की सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए जीवन-बीमा का कार्य करती हैं।

**निगम की धन-विनियोग-नीति**—बीमा-किस्तों से सरकार को जो रुपये प्राप्त होते हैं, उनके विनियोग की नीति के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने सन् १९५८ ई० के २५ अगस्त को घोषित किया है कि कुल कोष का ५० प्रतिशत गवर्नमेण्ट सिक्युरिटी और गवर्नमेण्ट एप्रुव्ड सिक्युरिटीज में, ३५ प्रतिशत इन्स्योरेन्स ऐक्ट के अनुसार स्वीकृत विनियोगों में और १५ प्रतिशत अन्य विनियोगों में लगाये जाते हैं।

## कर्मचारी राज्य-बीमा-निगम

कर्मचारी राज्य-बीमा-निगम-सम्बन्धी ऐक्ट सन् १९४८ ई० में पास हुआ था और सन् १९५१ ई० में उसका संशोधन हुआ। सन् १९५२ ई० की फरवरी से योजना चालू की गई। यह योजना उन स्थायी फैक्टरियों पर लागू होती है, जहाँ विद्युत् का उपयोग होता है और कम-से-कम २० कर्मचारी काम करते हैं। ४०० रुपये तक मासिक वेतन पानेवाले मजदूर और क्लर्क लोग इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू है, वहाँ के १३,५,३,५०० व्यक्तियों को इससे लाभ पहुच रहा है।

इस योजना के अनुसार एक केन्द्रीय कोष कायम किया गया है। इस कोष में केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार, नियोक्ता तथा नियुक्त व्यक्ति—सभी कुछ-न-कुछ रकम देते हैं।

पिछले आठ वर्षों में जीवन-बीमा की प्रगति नीचे लिखे आँकड़ों से स्पष्ट होगी—

| वर्ष | भारत | | भारत के बाहर | |
|---|---|---|---|---|
| | बीमा पत्रों की संख्या | बीमा की गई राशि (लाख रुपयों में) | बीमा-पत्रों की संख्या | बीमा की गई राशि (लाख रुपयों में) |
| १९५४ | ७,४०,०९३ | २,३७,६० | ३२,६८२ | १७,६५ |
| १९५५ | ७,९६,०३० | २,४०,५१ | ३५,४६१ | २०,३३ |
| १९५६ | ५,४९,४०१ | १,८७,६९ | १७,९५६ | १२,५९ |
| १९५७ | ८,१०,७३८ | २,७७,६७ | ५,०५५ | ५,४० |
| १९५८ | ९,५४,७७१ | ३,३९,०६ | ५,३९९ | ५,६२ |
| १९५९ | ११,४३,३८७ | ४,१९,७० | ७,९१२ | ९,४७ |
| १९६० | १२,४९,८२१ | ४,८७,८४ | ७,७३६ | ९,७० |
| १९६१ | १४,६१,६०८ | ५,९८,७९ | ८,०५६ | १०,०३ |

★

पिछले चार वर्षों में भारत में और भारत के बाहर बीमा के कितने कार्य हुए, इसका व्योरा नीचे दिया जा रहा है—

| वर्ष | भारत में | | भारत के बाहर | | कुल योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बीमा-पत्रों की संख्या | बीमा की गई राशि तथा बोनस | बीमा-पत्रों की संख्या | बीमा की गई राशि और बोनस | बीमा-पत्रों की संख्या | बीमा की गई राशि और बोनस |
| | (लाख में) | (करोड़ रु० में) | (लाख में) | (करोड़ रु० में) | (लाख में) | (करोड़ रु० में) |
| १९५७ | ५४.१८ | १३.७४ | २·६५ | ९९ | ५६·८३ | १४·७३ |
| १९५८ | ५९.७४ | १५.८४ | २·६० | ९८ | ६२·३४ | १६·८२ |
| १९५९ | ६६.७३ | १८.५५ | २·५६ | १·३ | ६९·२९ | १९·५८ |
| १९६० | ७४.५६ | २१.७६ | २·५७ | १०९ | ७७·१३ | २२·८२ |

**विदेशों में कारोबार**—बीमा-निगम मुख्यतः अदन, फीजी, हाँगकाँग, केनिया, मलाया, मॉरिशस, सिंगापुर, टैंगनिका, उगांडा और जंजीबार में बीमा का कारोबार करता है।

**डिपॉजिट बीमा-निगम**—१ जनवरी, १९६२ ई० को भारत-सरकार ने डिपॉजिट बीमा-निगम की स्थापना की। यह निगम एक स्वशासी संस्था है और इसकी चुकता पूँजी एक करोड़ रुपया है। पूरी पूँजी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने लगाई है। निगम के निर्देशक-मंडल के पांच सदस्य हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं। देश के २९३ बैंकों ने, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया भी शामिल है, निगम में अपना नाम पंजीकृत करा लिया है। बैंकों को जमा धन पर पांच नये पैसे प्रति सैकड़ा के हिसाब से तिमाही किश्त देनी होगी। किसी भी बीमाशुदा बैंक के समापन पर निगम १५ हजार रुपये तक प्रति खातेदार के हिसाब से भुगतान देगा। आवश्यकतानुसार यह राशि बढ़ाई भी जा सकती है। इस निगम के बन जाने से बैंक-प्रणाली अच्छी और मजबूत होगी तथा इससे खातेदारों के हितों की रक्षा होगी। डिपॉजिट बीमा-निगम-अधिनियम के लागू होने से बैंकों में जमा लगभग ७५ प्रतिशत धन सुरक्षित रहेगा।

**सामान्य बीमा**—सामान्य बीमा के अंतर्गत आग, सामुद्रिक तथा अन्य विविध प्रकार के बीमा-व्यवसाय सम्मिलित हैं। यह व्यवसाय केन्द्रीय सरकार, भारतीय कम्पनियाँ तथा भारत-स्थित विदेशी कम्पनियाँ भी करती हैं। ३१ दिसम्बर, १९६१ ई० को ८२ भारतीय और ७३ विदेशी कम्पनियाँ सामान्य बीमा का कार्य कर रही थीं, जिनका व्योरा इस प्रकार है —

| बीमा-कार्य की श्रेणी या श्रेणियां, जिनके लिए पंजीकृत हुई हैं | भारतीय | विदेशी | कुल योग |
|---|---|---|---|
| अग्नि | २ | १२ | १४ |
| सामुद्रिक | १२ | ८ | २० |
| विविध | ११ | ४ | १५ |
| अग्नि और सामुद्रिक | — | ४ | ४ |
| अग्नि और विविध | ११ | ८ | १९ |
| सामुद्रिक और विविध | — | — | — |
| अग्नि, सामुद्रिक और विविध | ४६ | ३७ | ८३ |
| | ८२ | ७३ | १५५ |

इनके अतिरिक्त जीवन-बीमा-निगम भी सामान्य बीमा-कार्य के लिए अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और जीवन-बीमा के अतिरिक्त विविध बीमा का कार्य भी करता है। ३१ दिसम्बर, १९६० ई० को भारत की सामान्य बीमा-कम्पनियों की परिसम्पदा ६४ करोड़ थी।

# सिक्का एवं माप-तौल की नवीन दशमलव-पद्धति

## सिक्का

सन् १९५५ ई० में भारतीय संसद् ने दशमलव-पद्धति से सिक्का चलाने का विधान स्वीकृत किया। तदनुसार, अप्रैल, १९५७ ई० से रुपये में ६४ पैसे या १६ आने के स्थान में १०० नये पैसे चलाये गये। १, २, ५, १०, २५ और ५० नये पैसे के सिक्के ढाले गये और एक निश्चित अवधि तक के लिए उनका सम्बन्ध पुराने पैसे और आने से निर्धारित किया गया। मोटे हिसाब से एक पुराना पैसा १$\frac{9}{16}$ नये पैसे के बराबर होता है।

अगस्त, १९६१ ई० तक प्रचलन में दशमलव-पद्धति के सिक्के

| सिक्का | मूल्य (लाख रुपयों में) | सिक्का | मूल्य (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| १ नया पैसा | २००·८० | १० नये पैसे | ६३३·६८ |
| २ नये पैसे | २००·७० | २५ नये पैसे | ४,६४·४४ |
| ५ नये पैसे | ३,५७·८६ | ५० नये पैसे | १,४५·७५ |

दशमलव-पद्धति के रुपये अभी जारी नहीं किये गये हैं।

# माप-तौल

माप और तौल की दशमलव-पद्धति फ्रांस से आरम्भ हुई थी, इसलिए इस पद्धति को 'फ्रांसीसी पद्धति' भी कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार पृथ्वी के ध्रुव से विषुवत् रेखा तक की दूरी का एक करोड़वाँ हिस्सा मीटर कहलाता है। मीटर के दसगुना को डेकामीटर, सौगुना को हेक्टोमीटर, हजारगुना को किलोमीटर और दस हजारगुना को मीरियामीटर कहते हैं। इसी प्रकार मीटर *के दसवें भाग को डेसीमीटर, सौवें भाग को सेण्टीमीटर और हजारवें भाग को मिलीमीटर कहते हैं।* ग्रीक शब्द 'डेका' का अर्थ दस, 'हेक्टो' का अर्थ सौ, 'किलो' का अर्थ हजार और 'मीरिया' का अर्थ दस हजार होता है। इसी प्रकार, लैटिन शब्द 'डेसी' का अर्थ दशांश, 'सेण्टी' का अर्थ शतांश और 'मिली' का अर्थ सहस्रांश है। इसे सारणी के रूप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ डेकामीटर | = | १० मीटर | १ डेसीमीटर | = | $\frac{१}{१०}$ मीटर |
| १ हेक्टोमीटर | = | १०० मीटर | १ सेण्टीमीटर | = | $\frac{१}{१००}$ मीटर |
| १ किलोमीटर | = | १,००० मीटर | १ मिलीमीटर | = | $\frac{१}{१०००}$ मीटर |
| १ मीरियामीटर | = | १०,००० मीटर | | | |

क्षेत्र की माप की एक इकाई को 'अर' कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएँ दस-दस मीटर की होती हैं। तदनुसार—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ अर | = | १०० वर्ग मीटर | १ डेसी अर | = | $\frac{१}{१०}$ अर |
| १ डेकर | = | १० अर | १ सेण्टी अर | = | $\frac{१}{१००}$ अर |
| १ हेक्टर | = | १०० अर | | | |

तौल के लिए शुद्ध जल के एक घन सेण्टीमीटर को 'ग्राम' कहते हैं। तदनुसार—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ डेकाग्राम | = | १० ग्राम | १ डेसीग्राम | = | $\frac{१}{१०}$ ग्राम |
| १ हेक्टोग्राम | = | १०० ग्राम | १ सेण्टीग्राम | = | $\frac{१}{१००}$ ग्राम |
| १ किलोग्राम | = | १,००० ग्राम | १ मिलीग्राम | = | $\frac{१}{१०००}$ ग्राम |
| १ मीरियाग्राम | = | १०,००० ग्राम | | | |

एक घन डेसीमीटर जितने स्थान में रखा जा सकता है, उस इकाई को 'लीटर' कहते हैं। तदनुसार—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ डेकालीटर | = | १० लीटर | १ सेण्टीलीटर | = | $\frac{१}{१००}$ लीटर |
| १ हेक्टोलीटर | = | १०० लीटर | १ मिलीमीटर | = | $\frac{१}{१०००}$ लीटर |
| १ डेसीलीटर | = | $\frac{१}{१०}$ लीटर | | | |

भारत में माप-तौल की दशमलव-पद्धति का कानून, १९५६ ई० में बना तथा १ अक्टूबर, १९५८ ई० से लागू हुआ। इस कानून के अनुसार इस पद्धति की परीक्षणात्मक तथा परिवर्त्तनात्मक अवधि सन् १९५६ से १९६६ ई० तक दस वर्षों की रखी गई है। सन् १९६६ ई० के बाद पूर्ण रूप से केवल इसी पद्धति का कार्यान्वयन होगा।

तौल में अब तोला, छटाँक, अधवा, पौआ, अधसेरी, सेर, पसेरी और मन नहीं कहलाकर ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम आदि; माप में इंच, फुट, गज, मील आदि नहीं कहे जाकर मीटर, डेकामीटर आदि; क्षेत्रफल में वर्गइंच, वर्गफुट, वर्गगज, बीघा, एकड़ आदि नहीं कहे जाकर मीटर, हेक्टर आदि तथा धारण-क्षमता (कैपेसिटी) के सम्बन्ध में गैलन आदि नहीं कहे जाकर लीटर आदि कहे जायेंगे।

१ अक्टूबर, १९५८ ई० को ही सूती कपड़े, लोहा तथा इस्पात, अभियन्त्रण, रसायन पेट्रोलियम, वनस्पति तेल, सीमेण्ट, नमक, कागज, रबर, कहवा आदि के बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों में यह पद्धति लागू हो गई। डाक, तार, रेलवे, सामुद्रिक व्यापार आदि केन्द्रीय सरकार के विभागों में नवीन पद्धति का ही प्रयोग होता है।

अक्टूबर, १९६२ ई० से लम्बाई की माप भी व्यापारिक क्षेत्रों में अनिवार्य कर दी जायगी। धारण-क्षमता की माप के लिए भी अप्रैल, १९६२ ई० से कुछ क्षेत्रों में मेट्रिक प्रणाली आवश्यक कर दी गई है। उत्पाद-कर की वसूली के लिए राज्य-सरकारों ने भी अलकोहल तथा उससे उत्पन्न चीजों की माप के लिए मेट्रिक तौल की पद्धति को अपना लिया है।

## कुछ अँगरेजी तौल और माप का मेट्रिक माप और तौल में रूपान्तर—

**अँगरेजी तौल**

| | |
|---|---|
| १ ग्रेन = ०·००००६४७९९ | किलोग्राम |
| १ आउंस = ०·०२८३४९५ | ,, |
| १ पौंड = ०·४५३५९२४ | ,, |
| १ क्वार्टर = ५०·८०२ | ,, |
| १ टन = १०१६·०५ | ,, |

**भारतीय तौल**

| | |
|---|---|
| १ तोला = ०·०११६६३८ | किलोग्राम |
| १ सेर = ०·९३३१० | ,, |
| १ मन = ३७·३२४२ | ,, |

**अँगरेजी माप**

| | |
|---|---|
| १ इंच = ०·०२५४ | मीटर |
| १ फुट = ०·३०४८ | ,, |
| १ गज = ०·९१४४ | ,, |
| १ मील = १६०९·३४४ | ,, |

**क्षमता (कैपेसिटी)**

१ इम्पीरियल गैलन = ४,५४५९६ लीटर

## छटाँक का ग्राम में रूपान्तर—

| छटाँक | | ग्राम (लगभग) | छटाँक | | ग्राम (लगभग) | छटाँक | | ग्राम (लगभग) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | = | ५८ | ६ | = | ३५० | ११ | = | ६४२ |
| २ | = | ११७ | ७ | = | ४०८ | १२ | = | ७०० |
| ३ | = | १७५ | ८ | = | ४६७ | १३ | = | ७५८ |
| ४ | = | २३३ | ९ | = | ५२५ | १४ | = | ८१६ |
| ५ | = | २९२ | १० | = | ५८३ | १५ | = | ८७५ |

## सेर का किलोग्राम और ग्राम में रूपान्तर—

| सेर | | किलोग्राम | | ग्राम (१० ग्रामों के न्यूनाधिक्य में) | सेर | | किलोग्राम | | ग्राम (१० ग्रामों के न्यूनाधिक्य में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | = | — | = | ९३० | २१ | = | १९ | = | ६०० |
| २ | = | १ | = | ८७० | २२ | = | २० | = | ५३० |
| ३ | = | २ | = | ८०० | २३ | = | २१ | = | ४६० |
| ४ | = | ३ | = | ७३० | २४ | = | २२ | = | ३९० |
| ५ | = | ४ | = | ६७० | २५ | = | २३ | = | ३३० |
| ६ | = | ५ | = | ६०० | २६ | = | २४ | = | २६० |
| ७ | = | ६ | = | ५३० | २७ | = | २५ | = | १९० |
| ८ | = | ७ | = | ४६० | २८ | = | २६ | = | १३० |
| ९ | = | ८ | = | ४०० | २९ | = | २७ | = | ६० |
| १० | = | ९ | = | ३३० | ३० | = | २७ | = | ९९० |
| ११ | = | १० | = | २६० | ३१ | = | २८ | = | ९३० |
| १२ | = | ११ | = | २०० | ३२ | = | २९ | = | ८६७ |
| १३ | = | १२ | = | १३० | ३३ | = | ३० | = | ७९० |
| १४ | = | १३ | = | ६० | ३४ | = | ३१ | = | ७३० |
| १५ | = | १४ | = | — | ३५ | = | ३२ | = | ६६० |
| १६ | = | १४ | = | ९३० | ३६ | = | ३३ | = | ५९० |
| १७ | = | १५ | = | ८६० | ३७ | = | ३४ | = | ५२० |
| १८ | = | १६ | = | ८०० | ३८ | = | ३५ | = | ४६* |
| १९ | = | १७ | = | ७३० | ३९ | = | ३६ | = | ३९* |
| २० | = | १८ | = | ६६० | | | | | |

## मन का किलोग्राम में रूपान्तर—

| मन | | किलोग्राम | मन | | किलोग्राम | मन | | किलोग्राम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | = | ३७ | ८ | = | २९९ | १५ | = | ५६० |
| २ | = | ७५ | ९ | = | ३३६ | १६ | = | ५९७ |
| ३ | = | ११२ | १० | = | ३७३ | १७ | = | ६३५ |
| ४ | = | १४९ | ११ | = | ४११ | १८ | = | ६७२ |
| ५ | = | १८७ | १२ | = | ४४८ | १९ | = | ७०९ |
| ६ | = | २२४ | १३ | = | ४८५ | २० | = | ७४६ |
| ७ | = | २६१ | १४ | = | ५२३ | | | |

## सरल रूपान्तरण-सूची

### वजन

**टन से मेट्रिक टन**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टन ... | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| मेट्रिक टन .... | १.०२ | २.०३ | ३.०५ | ४.०६ | ५.०८ | ६.१० | ७.११ | ८.१३ | ९.१४ | १०.१६ |

**पौंड से किलोग्राम**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पौंड ... | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| किलोग्राम ... | ०.४५ | ०.९१ | १.३६ | १.८१ | २.२७ | १.७२ | ३.१८ | ३.६३ | ४.०८ | ४.५४ |

**तोला से ग्राम**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तोला ... | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| ग्राम .... | ११.६६ | २३.३३ | ३४.९९ | ४६.६६ | ५८.३२ | ६९.९८ | ८१.६५ | ९३.३१ | १०४.९७ | ११६.६४ |

**सेर से किलोग्राम**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सेर ... | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| किलोग्राम .... | ०.९३ | १.८७ | २.८० | ३.७३ | ४.६७ | ५.६० | ६.५३ | ७.४६ | ८.४० | ९.३३ |

**मन से क्विण्टल**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मन .... | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| क्विण्टल ... | ०.३७ | ०.७५ | १.१२ | १.४९ | १.८७ | १.२४ | २.६१ | २.९९ | ३.३६ | ३.७३ |

## लम्बाई

**माइल से किलोमीटर**

| माइल | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| किलोमीटर | १.६१ | ३.२२ | ४.८३ | ६.४४ | ८.०५ | ९.६६ | ११.२७ | १२.८७ | १४.४८ | १६.९ |

**गज से मीटर**

| गज | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मीटर | ०.९१ | १.८३ | २.७४ | ३.६६ | ४.५७ | ५.४९ | ६.४० | ७.३२ | ८.२३ | ९.१४ |

**इंच से मिलीमीटर**

| इंच | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मिलीमीटर | २५.४० | ५०.८० | ७६.२० | १०१.६० | १२७.०० | १५२.४० | १७७.८० | २०३.२० | २२८.६० | २५४.०० | २७९.४० | ३०४.८० |

## क्षेत्रफल

**एकड़ से हेक्टर्स**

| एकड़ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हेक्टर्स | ०.४० | ०.८१ | १.२१ | १.६२ | २.०२ | २.४३ | २.८३ | ३.२४ | ३.६४ | ४.०५ |

**वर्गगज से वर्गमीटर**

| वर्गगज | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ८ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्गमीटर | ०.८४ | १.६७ | २.५१ | ३.३४ | ४.१८ | ५.०२ | ५.८५ | ६.६९ | ७.५३ | ८.३६ |

## धारण-शक्ति या क्षमता ( कैपेसिटी )

**गैलन से लीटर**

| गैलन | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लीटर | ४.५५ | ९.०९ | १३.६४ | १८.१८ | २२.७३ | २७.२८ | ३१.८२ | ३६.३७ | ४०.९१ | ४५.४६ |

## उद्योग-धन्धे

सन् १९५८ ई० की भारतीय उद्योग-गणना के अनुसार भारत में ८,०५२ पंजीकृत कारखाने थे। इस गणना में जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा और अन्दमान तथा निकोबार-द्वीप-समूह सम्मिलित नहीं थे। इनमें से ६,६१७ कारखानों में कुल १२.१५ अरब रु० की पूँजी लगी हुई थी। इन कारखानों में काम करनेवाले व्यक्ति १८,२०,५३९ थे। जिसमें १५,९९,६०१ श्रमिक थे। इन उद्योगों में कुल १७.१७ अरब रु० के मूल्य का उत्पादन हुआ।

सन् १९५६ ई० में ३११ ज्वाइण्ट स्टॉक-कम्पनियों को कुल ३९ करोड़ ५८ लाख रु० का लाभ हुआ। सन् १९५५ ई० को आधार-वर्ष मानते हुए सभी उद्योगों के लिए सन् १९५९ ई० में औद्योगिक लाभ का संशोधित सूचनांक १३८.७ था। इसके अतिरिक्त कुछ महत्त्वपूर्ण उद्योगों के औद्योगिक लाभ के सूचनांक इस प्रकार थे: पटसन ६८४.९; कपास ८३.६; चाय १६५; चीनी १५८.१; कागज १५६.२; लोहा तथा इस्पात ८५.२; कोयला ११६.४ और सीमेंट ८२.४।

### औद्योगिक नीति

स्वतन्त्र भारत की औद्योगिक नीति सन् १९४८ ई० में घोषित की गई थी। इसमें एक मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य रखा गया था। इसके अन्तर्गत उद्योगों के आयोजित विकास तथा राष्ट्र के हित में उनके नियमन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर डाला गया। इस नीति में इस बात की व्यवस्था थी कि जनहित की दृष्टि से सरकार किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपने कब्जे में ले सकती है, तथापि इसमें निजी उद्यम के लिए यथोचित क्षेत्र सुरक्षित रखा गया था।

भारत में समाजवादी समाज की रचना करने की नीति स्वीकार किये जाने पर ३० अप्रैल, १९५६ ई० को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इसके अनुसार सरकारी क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया और उसमें आधारभूत तथा सामरिक महत्त्व के उद्योगों तथा लोकोपयोगी सेवाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। नये औद्योगिक प्रस्ताव में उद्योगों का वर्गीकरण दो अनुसूचियों में किया गया। अनुसूची 'क' के उद्योगों पर सरकार का पूरा नियन्त्रण रखा गया तथा अनुसूची 'ख' में सम्मिलित किये गये उद्योगों का स्वामित्व सरकार द्वारा क्रमशः लेने का निश्चय किया गया।

### उद्योगों का नियमन

सन् १९४८ ई० में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया और 'उद्योग (विकास तथा नियमन)-अधिनियम, १९५१' लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार सभी वर्त्तमान तथा नये औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उनके विस्तार के लिए लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया, और सरकार को किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान की जाँच-पड़ताल करने तथा यथावश्यक निदेश देने का अधिकार दे दिया गया। सरकार को यह अधिकार भी मिल गया कि यदि किसी उद्योग में कुव्यवस्था जारी रहे, तो उसका प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण वह अपने हाथ में ले ले। उद्योगों के विकास तथा नियमन के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार-परिषद् और भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग विकास परिषदें कायम की गईं। अभी इस अधिनियम के अन्तर्गत १६२ उद्योग आते हैं। विभिन्न उद्योगों का अध्ययन करने के लिए समय-समय पर कुछ विशेषज्ञ-समितियाँ तथा मण्डल

(पैनल) भी नियुक्त किये जाते हैं। जनवरी से नवम्बर, सन् १६६१ ई० की अवधि में इस अधिनियम के अनुसार १,११६ नये उद्योगों को लाइसेंस देने की स्वीकृति दी गई। छोटे-छोटे उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती।

जिन महत्त्वपूर्ण उद्योगों में निजी क्षेत्र पर्याप्त पूँजी लगाने को तैयार नहीं है, उनके विकास के लिए सरकार वित्तीय सहायता भी देती है।

## उत्पादकता

अक्टूबर-नवम्बर, १६५६ ई० में एक उत्पादकता-शिष्टमण्डल ने जापान की यात्रा की। इस देश में उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए इस शिष्टमण्डल की सिफारिशों के अनुसार फरवरी, १६५८ ई० में ऐक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् की स्थापना की गई। इस निकाय में सरकार, मालिकों, श्रमिकों आदि के प्रतिनिधि रहते हैं। पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भारत अप्रैल, १६६१ ई० में स्थापित एशिया उत्पादक-संघ का सदस्य बना है।

## उद्योग के लिए वित्त

जुलाई, १६४८ ई० में स्थापित औद्योगिक वित्त-निगम औद्योगिक संस्थानों को दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम धन के रूप में वित्तीय सहायता देता है। मार्च, १६६१ ई० तक निगम ने ६६ करोड़ ६७ लाख रु० के ऋणों के लिए स्वीकृति दी। 'औद्योगिक वित्त-निगम (संशोधन)-अधिनियम, १६५७' के अन्तर्गत नियम की संसाधन-सम्बन्धी स्थिति को सुदृढ बनाने तथा उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की व्यवस्था की गई।

सन् १६६० ई० के संशोधन में अन्य अनेक विषयों के अतिरिक्त वित्त-निगम को औद्योगिक संस्थानों का हिस्सा (शेयर) खरीदने का भी अधिकार दिया गया।

राज्यीय वित्त-निगम मध्यम तथा छोटे पैमाने के उन उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं, जो अखिलभारतीय निगम के क्षेत्र में नहीं आते। मार्च, १६६१ ई० तक विभिन्न राज्यीय वित्त-निगम ऋण अथवा अग्रिम धन के रूप में लगभग ३६ करोड़ १७ लाख रुपये की स्वीकृति दे चुके हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक कारखानों की सहायता के लिए जनवरी, १६५५ ई० में स्थापित भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग-निगम ने सन् १६६० ई० के अन्त तक अनेक उद्योगों के लिए ३१ करोड़ ४१ लाख रुपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी तथा वस्तुतः उन्हें १२ करोड़ ४६ लाख रुपये दिये।

योजना में सम्मिलित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए औद्योगिक संस्थानों को बैंकों के द्वारा दिये गये ऋणों के आधार पर फिर से ऋण देने के उद्देश्य से जून, १६५८ ई० में उद्योग-पुनर्वित्त-निगम (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना की गई। ये सुविधाएँ केवल उन्हीं औद्योगिक संस्थाओं को प्राप्त होंगी, जिनकी पूँजी तथा सुरक्षित राशि २.५ करोड़ रु० से अधिक नहीं है। मार्च, १६६१ ई० तक पुनर्वित्त-निगम द्वारा ७ करोड़ ६६ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।

सन् १६५४ ई० में स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम सूती वस्त्र तथा पटसन-उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा पुनस्संस्थापन के लिए सरकार की ओर से विशेष ऋण देने की व्यवस्था करता है।

सितम्बर, १९६१ ई० तक निगम ने इन उद्योगों के लिए २२ करोड़ २६ लाख रु० के ऋणों की स्वीकृति दी।

विदेशी पूँजी—उद्योगों के शीघ्र विकास के लिए पर्याप्त पूँजी की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने विदेशी सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया है। यह सहायता ऐसे उद्योगों के लिए प्राप्त की जाती है, जिनमें किसी वस्तु-विशेष का उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है या जिनके लिए विदेशी फर्मों से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

सन् १९५९ ई० में गैर-सरकारी (बैंकिंग से भिन्न), महाजनी तथा सरकार की विदेशी देनदारियाँ क्रमशः ६ अरब १० करोड़ ७० लाख; ६० करोड़ तथा ९ अरब ४४ करोड़ रु० की थीं। इस प्रकार, सन् १९५९ ई० में भारत में लगी हुई कुल विदेशी देनदारियों की राशि १६ अरब १४ करोड़ ७० लाख थी। विदेशों में लगी भारत की आदेय सम्पत्ति सन् १९५९ ई० में सरकारी क्षेत्र में ६ अरब ४५ करोड़ और बैंकिंग क्षेत्र में ५९ करोड़ थी। इन राशियों को बाद कर देने पर उक्त विदेशी देनदारियों की राशि ९ अरब, ११ करोड़ मात्र रह जाती है।

## औद्योगिक उत्पादन

भारत के कुछ प्रमुख उद्योगों का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

सूती वस्त्र—यद्यपि भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल सन् १८१८ ई० में कलकत्ता में स्थापित हुई थी, तथापि भारतीय प्रयत्न एवं पूँजी से इस उद्योग की वास्तविक नींव सन् १८५४ ई० में बम्बई में पड़ी। सन् १९४७ ई० में यहाँ ४२३ मिलें थीं, जिनमें १ अरब २९ करोड़ ६० लाख पौंड सूत तथा ३ अरब ७६ करोड़ २० लाख गज सूती कपड़े का उत्पादन हुआ था। सन् १९६० ई० में मिलों की संख्या ४७९ हो गई, जिनमें १ अरब ७१ करोड़ पौंड सूत तथा ५ अरब ४ करोड़ ६० लाख गज कपड़ा तैयार हुआ था। सन् १९६१ ई० के आरम्भ में मिलों की संख्या एक घटकर ४७८ हो गई। इस वर्ष उस उद्योग में लगभग १२२ करोड़ रुपये लगाये गये थे तथा ८ लाख ९० हजार व्यक्ति काम कर रहे थे।

भारत के निर्यात-व्यापार से जो विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, उसमें सूती कपड़े के निर्यात का एक प्रमुख स्थान है। संसार में सबसे अधिक सूती कपड़े का निर्यात करनेवाला देश जापान है। जापान संसार के बाजारों में सूती कपड़े की कुल माँग के पंचमांश की पूर्ति करता है। इसके बाद ही भारत का स्थान है। सन् १९६० ई० में जापान से १,४२,४६,००,३०० गज सूती कपड़े का निर्यात हुआ था और उसी वर्ष भारत से ७२,१८,९०,००० गज कपड़े का; अफ्रिका के बाजारों में भारतीय सूती वस्त्र की खपत क्रमशः कम हो रही है; क्योंकि यूरोप के बाजार में भारतीय वस्त्र की माँग क्रमशः बढ़ रही है।

भारतीय सूती वस्त्रों के प्रधान खरीदारों में इङ्गलैण्ड, ब्रिटिश पूर्व अफ्रिका, सूडान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलाया, सिंगापुर, ब्रिटिश पश्चिम अफ्रिका, अदन, अफगानिस्तान, बर्मा, कनाडा, इथोपिया, लंका, न्यूजीलैण्ड और सउदी अरब उल्लेखनीय हैं। सन् १९६० ई० में भारत ने इन सब देशों में ६४,६०,७०,००० रुपये के सूती कपड़ों का निर्यात किया। इनमें सबसे बड़ा खरीदार इङ्गलैण्ड है। सन् १९६० ई० में इसने भारत से ३ करोड़ २० लाख गज कपड़े खरीदे।

**पटसन (जूट)**—सर्वप्रथम जूट की मिल सन् १८५५ ई० में कलकत्ता के पास खुली थी। सन् १८७६-८० में भारत में जूट की २१ मिलें थीं। सन् १८६६-१६०० ई० में इन मिलों की संख्या ३६ हुई और सन् १६२५-२६ ई० में ६०।

सन् १६४६-४७ ई० में इनकी संख्या १०६ तक पहुँची, जिनमें ६६,००० तकुए तथा १२.६५ लाख करघे थे। सन् १६५७ ई० में हुई भारतीय उद्योगों की गणना के अनुसार यहाँ जूट की ११२ मिलें थीं, जिनमें से १०३ में (विवरण प्राप्त हुए) कुल मिलाकर ८६.५३ करोड़ रु० की पूँजी लगी हुई थी। सन् १६६० ई० (जुलाई से जून तक के जूट-वर्ष) में जूट से बनी १०.८५ लाख टन वस्तुओं का उत्पादन हुआ।

**चीनी**—सन् १६३१-३२ ई० में भारत में जहाँ चीनी की कुल ३२ मिलें थीं तथा १.६ लाख टन चीनी बनी थी, वहाँ सन् १६५६-५७ ई० में १४७ मिलें हुईं, जिनमें २० लाख २६ हजार टन चीनी तैयार हुई। सन् १६६०-६१ ई० में मिलों की संख्या १७५ हुई, जिनमें २५ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ।

**चीनी-व्यवसाय**—भारतीय चीनी-व्यवसाय में १०० करोड़ रुपये से अधिक की पूँजी लगी हुई है। इस व्यवसाय में १,४०,००० से अधिक श्रमजीवी तथा ३,६०० विश्वविद्यालय के उच्चशिक्षा-प्राप्त मनुष्य काम कर रहे हैं। इनकी कुल आय राष्ट्रीय मजूरी एवं वेतनों का प्रतिशत ५ है। दो करोड़ खेतिहरों का इसके द्वारा भरण-पोषण होता है। बृहत् भारतीय उद्योगों के उत्पादन के कुल मूल्य में इसका अंश प्रतिशत १२ है। राष्ट्रीय राजकोष में इसका अंशदान उद्ग्रहण (लेवी) के रूप में ६५ करोड़ रुपये से अधिक है। चीनी के निर्यात-व्यापार से १२ करोड़ रुपये होता है। चीन, मलाया, सिंगापुर, वर्मा, सिलोन, अदन, ईरान, सऊदी अरब, सूडान, पूर्वी अफ्रिका, इङ्गलैण्ड तथा अन्य देशों को चीनी का निर्यात होता है।

कुल उत्पादन का ५७ प्रतिशत उत्तरप्रदेश में, १४ प्रतिशत विहार में, ११ प्रतिशत महाराष्ट्र-गुजरात में, ४.१ प्रतिशत आंध्र में, ३.२ प्रतिशत मद्रास में और बाकी १०.६ भाग अन्यान्य राज्यों में तैयार होता है। सन् १६५६-६० ई० में २०.२६ लाख टन की प्रति एकड़ ईख का उत्पादन भारत में सबसे कम होता है। हवाई द्वीप में प्रति एकड़ ६२.०५ टन, जावा में ५६.२० टन, मिस्र में ३०.४२ टन, क्यूबा में २७.१२ टन और भारत में १४.०६ टन ईख उपजता है।

**सीमेंट**—पोर्टलैण्ड सीमेंट का उत्पादन १६०४ ई० में मद्रास में आरम्भ किया गया। इस उद्योग का वास्तविक विकास सन् १६१२-१३ ई० में, जबकि इसके लिए तीन कम्पनियाँ खोली गईं, हुआ। इस समय देश में सीमेंट के ३४ कारखाने हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता ६४.७ लाख मेट्रिक टन की है। आशा है, सन् १६६१-६२ ई० के अन्त तक यह क्षमता लगभग ६६.७ लाख मेट्रिक टन तथा कारखानों की संख्या ३५ हो जाने की बात है।

**कागज**—भारत में मशीन से कागज बनाने का काम सन् १८७० ई० में कलकत्ता के निकट, वाली में मिल की स्थापना के साथ, आरम्भ हुआ। दूसरे महायुद्ध में कागज बनानेवाली मिलों की संख्या बढ़कर १५ हो गई तथा सन् १६४४ ई० में कुल उत्पादन १,०३,८८४ टन हुआ है। सन् १६५० से इस उद्योग में बहुत प्रगति हुई। अब इसकी स्थापित क्षमता ३·२१ लाख टन है। सन् १६६१ ई० में लगभग ३ लाख ६४ हजार टन कागज बना।

सन् १६५६ ई० में ऐसा कागज भी बनना आरम्भ हुआ, जिसपर ग्रीस आदि का प्रभाव नहीं पड़ता।

भारत में समाचारपत्र-सम्बन्धी कागज बनाने का सबसे पहला कारखाना सन् १९४७ ई० में मध्यप्रदेश के नेपानगर में बना। सन् १९४८ ई० में मध्यप्रदेश-सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया। सन् १९५८ ई० में इसका पुनर्गठन हुआ और भारत-सरकार तथा मध्यप्रदेश-सरकार की इसमें क्रमशः २.५५ करोड़ रु० तथा १.७ करोड़ रु० की हिस्सा-पूँजी रही। इस कारखाने में कागज बनाने का काम जनवरी, १९५५ ई० में आरम्भ हुआ। इसकी कुल स्थापित क्षमता ३०,००० टन है, किन्तु इस समय देश को प्रतिवर्ष ८०,००० टन कागज की आवश्यकता है। सन् १९५५-५६ ई० में इस कारखाने में, ३,४५५ टन कागज बना। यह परिमाण सन् १९६०-६१ ई० में २३ ३९८ टन तक जा पहुँचा।

लोहा तथा इस्पात—आधुनिक ढंग से लोहा तथा इस्पात बनाने का पहला प्रयास सन् १८३० ई० में दक्षिणी आरकाट में किया गया। सन् १८७४ ई० में झरिया के निकट 'बराकर आयरन वर्क्स' नामक एक कारखाना खुला, जिसे सन् १८८९ ई० में 'बंगाल आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' ने अपने अधिकार में कर लिया। साकची (बिहार) में सन् १९०७ ई० में स्व० जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित 'टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' ने सन् १९११ ई० में कच्चा लोहा तथा सन् १९१२ ई० में इस्पात का उत्पादन आरम्भ किया। सन् १९०८ ई० में आसनसोल (बंगाल) के निकट हीरापुर में 'इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' तथा सन् १९२३ ई० में भद्रावती में 'मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स' (अब 'मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील वर्क्स)' की स्थापना हुई। सन् १९३९ ई० तक इस्पात का वार्षिक उत्पादन लगभग ८ लाख टन तक जा पहुँचा। दूसरे महायुद्ध-काल में इस उद्योग को और गति मिली। सन् १९५९ ई० तक इस्पात का उत्पादन बढ़कर १७ लाख ११ हजार टन हो गया। सन् १९६० ई० में कुल २२ लाख ६३ हजार टन तैयार इस्पात का उत्पादन हुआ।

सन् १९५८ ई० में देश में लोहा तथा इस्पात के बड़े तथा छोटे १९७ कारखाने थे, जिनमें लगभग १३१ करोड़ रु० की स्थिर पूँजी तथा ५२ करोड़ ७४ लाख रु० की चालू पूँजी लगी हुई थी। इन कारखानों में ९३,२८३ व्यक्ति काम करते थे, जिनमें ७५,९९७ श्रमिक थे।

इस्पात की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्त्तमान संयन्त्रों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिए सहायता देने के अतिरिक्त कुछ नये इस्पात-संयन्त्र भी स्थापित किये हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 'टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' का उत्पादन ८ लाख टन से बढ़ाकर १५ लाख टन तथा 'इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' का उत्पादन ३ लाख टन से बढ़ाकर ८ लाख टन करने का कार्य पूरा किया गया। इनपर पूँजीगत लागत क्रमशः ८४ करोड़ ६० लाख रु० तथा ४२ करोड़ ५० लाख रु० आई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में सरकारी क्षेत्र में दस-दस लाख टन सिल्लियों की उत्पादन-क्षमता के ३ इस्पात-संयन्त्र राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (मध्यप्रदेश) तथा दुर्गापुर (प० बंगाल) में स्थापित किये गये। इन तीनों इस्पात-संयन्त्रों की प्रबन्ध-व्यवस्था 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' द्वारा की गई है, जिनकी स्थापना सन् १९५३ ई० में की गई थी। यह संस्था पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में है। इसकी अधिकृत तथा चुकता पूँजी ३ अरब रुपये है।

'मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील वर्क्स' में भी १ लाख टन इस्पात तैयार करने की व्यवस्था रखी गई थी, जो तृतीय योजना-काल में पूरी होगी। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इन संयन्त्रों

की स्थापना का कार्य पूरा हो जाने पर इस्पात की सिल्लियों का वार्षिक उत्पादन बढ़कर ६० लाख टन हो जायगा, जिनसे ४६ लाख ८० हजार टन इस्पात तैयार किया जा सकेगा।

इस्पात का उत्पादन फरवरी, १६५६ ई० में राउरकेला में पहली धमन-भट्ठी के उद्घाटन के साथ आरम्भ हुआ। दूसरी भट्ठी का कार्य जनवरी सन् १६६० ई० में तथा तीसरी भट्ठी का कार्य सन् १६६१ ई० में चालू हुआ। सन् १६६१ ई० में ४,३८,८५५ टन पिग आयरन तथा ३,११,६०५ टन इस्पात की सिल्लियाँ तैयार हुईं।

भिलाई स्टील वर्क्स की कोयला-भट्ठियों, उपोत्पाद-संयन्त्रों तथा तीन धमन-भट्ठियों का उत्पादन-कार्य फरवरी, १६५६ तथा दिसम्बर, १६६० ई० के बीच आरम्भ हुआ। सन् १६६१ ई० में ६,५७,०६२ मेट्रिक टन पिग आयरन और ७,०१,६४७ मेट्रिक इस्पात की सिल्लियों का उत्पादन हुआ।

दुर्गापुर-संयन्त्र का उत्पादन-कार्य दिसम्बर, १६५६ ई० में आरम्भ हुआ। इसकी पहली धमन-भट्ठी सन् १६५६ ई० में तथा दूसरी धमन-भट्ठी सन् १६६१ ई० में चालू हुई। सन् १६६१ ई० में यहाँ ७,२१,३१२ मेट्रिक टन पिग आयरन और ३,६३,१६६ मेट्रिक टन इस्पात की सिल्लियो तैयार हुईं। बोकारो में भी एक नया इस्पात-कारखाना खोले जाने की आशा है, जिसकी उत्पादन-क्षमता आरम्भ में कम-से-कम १० लाख टन होगी। सरकारी क्षेत्र को लौह-संयन्त्रों को धोया हुआ कोयला सुलभ करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० ने दुर्गापुर और दुगदा में अपने कोयला-प्रक्षालन-कारखाने चालू किये हैं। भोजूडीह तथा पाथरडीह में भी ऐसे कारखाने शीघ्र ही खोले जायँगे।

मिश्रित धातुओं तथा विशेष इस्पात का एक संयन्त्र दुर्गापुर में लगाने का विचार है। इसमें प्रतिवर्ष ४८,००० टन के उत्पादन की क्षमता होगी।

इंजीनियरी—भारत-सरकार सन् १६४७ ई० से इंजीनियरी उद्योग के विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत स्वावलम्बी भी हो चुका है।

देश की औद्योगिक मशीनों की अधिकांश माँगों की पूर्त्ति अब देश में ही बनी मशीनों से हो सकती है। सन् १६५७ ई० में मशीनी औजारों का उत्पादन लगभग दुगुना हो गया तथा मेकेनिकल इंजीनियरी तथा रासायनिक इंजीनियरी में बहुत-सी नई चीजों का निर्माण किया गया। सन् १६५६ ई० में डीजल इंजिनों, मशीनी औजारों, चीनी बनाने की मशीनों तथा बिजली के सामान के उत्पादन में वृद्धि हुई। सन् १६५८ ई० की तुलना में मोटरगाड़ियों के उत्पादन में ३६ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। सन् १६६०-६१ ई० में मशीन-उद्योग और इंजीनियरी-उद्योग में पर्याप्त विकास हुआ। इस समय देश प्रतिवर्ष २ अरब रुपये का औद्योगिक मशीनरी उत्पन्न करता है—५५००० मोटर की सवारियाँ; २०,००० मोटर-साइकिल, स्कूटर, मोटर-रिक्शा; ६२५० डिजेल इंजिन; १,१४,५०० बिजली के पम्प तथा ४,१४,००० अश्वबल के इलेक्ट्रिक मोटर।

भारत-सरकार ने सन् १६५२ ई० में नाहन-फाउण्ड्री, जिसकी स्थापना १८७२ में सिरमौर-रियासत द्वारा की गई थी, अपने हाथ में ले ली तथा उसकी व्यवस्था एक सरकारी कम्पनी को सौंप दी। इसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ रु० है। फाउण्ड्री में मुख्यतः कृषि-औजार, रेलवे-स्लीपर आदि तैयार किये जाते हैं। सन् १६६०-६१ ई० में इस फाउण्ड्री में ३,१८२ टन सामग्री का

उत्पादन हुआ। एक विशेषज्ञ-समिति की सिफारिश के मुताबिक अब इस फाउण्ड्री का आधुनिकीकरण करके उसमें इलेक्ट्रिक मोटर आदि भी बनाये जायेंगे।

इस देश में खराद-मशीनें सबसे पहले मई, १९५६ ई० में बँगलोर के निकट जलाहाली में तैयार की गई। यह कारखाना अब भारत-सरकार के 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड' के अधीन है। सन् १९६१ ई० में इस कारखाने में ११९८ मशीनों का निर्माण हुआ। मई, १९६१ ई० में दूसरी फैक्टरी भी बन चुकी है, अब तीसरी बनाई जा रही है। उक्त कम्पनी एक जापानी संस्था के साथ मिलकर २.५ करोड़ रु० की लागत से एक घड़ी-कारखाना भी स्थापित करने जा रही है। हैदराबाद की प्राग टूल्स कारपोरेशन लि० ने केन्द्रीय सरकार और आन्ध्रप्रदेश-सरकार की अधिकांश पूँजी से सन् १९६०-६१ ई० में ४८ लाख टन के औजार बनाये।

टेलीफोन के तार के सम्बन्ध में डाक तथा तार-विभाग की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के निमित्त रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित 'हिन्दुस्तान केबुल्स फैक्टरी' का उत्पादन-कार्य सन् १९५४ ई० में आरम्भ हुआ। इस कारखाने में सन् १९६०-६१ ई० में १०७७ मील लम्बे केबुल तारों का निर्माण हुआ। कलकत्ता-स्थित 'नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स फैक्टरी' सन् १८३० ई० में कायम हुई थी। सन् १९५७ ई० में इस कारखाने को 'नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड' नामक सरकारी कम्पनी में परिवर्त्तित कर दिया गया है। इसमें २५० प्रकार के वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म औजार तैयार होते हैं। सन् १९६१ ई० में इस कारखाने में ५८ लाख २५ हजार रु० मूल्य के औजार बने। इस कारखाने में ऐनक के शीशे, कैमरा आदि भी बनाने की तैयारी है।

चित्तरंजन रेल इंजिन-कारखाने के विकास-कार्यक्रम में भारतीय रेलों की तत्सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्त्ति देश में ही हो सकेगी। वहाँ ७,००० टन की उत्पादन-क्षमतावाला एक ढलाई-कारखाना स्थापित किया जा रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर सरकारी क्षेत्र में कई मशीन-उद्योगों की स्थापना तथा 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी' के विस्तार की व्यवस्था थी।

बिजली के काम आनेवाले भारी उपकरणों के निर्माण के लिए अगस्त, सन् १९५६ ई० में 'हेवी इलेक्ट्रिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित हुई। तत्सम्बन्धी संयन्त्र भोपाल में लगाया जा रहा है। इसपर सात-आठ वर्षों के प्रथम चरण में २१ करोड़ रु० व्यय होंगे। उपनगर की लागत छोड़कर इसपर कुल व्यय लगभग ४५.५ करोड़ रु० तक हो सकता है। इस संयन्त्र में जुलाई, १९६० ई० से कार्य आरम्भ हो गया।

उद्योगों के उपयोगवाली भारी मशीनों के निर्माण की विशेष व्यवस्था अक्तूबर, १९५४ ई० में स्थापित एक सरकारी कम्पनी राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम कर रही है। सितम्बर, १९६१ ई० तक कई उद्योगों को २२ करोड़ ७९ लाख रु० के ऋण देने की स्वीकृति दी गई। बिहार में राँची के निकट हटिया में एक भारी मशीन-निर्माण-संयन्त्र तथा दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में एक कोयला-खनन-मशीन-संयन्त्र और चश्मों के शीशे बनाने का कारखाना स्थापित करने में सहायता प्राप्त करने के लिए सन् १९५७ ई० में रूसी सरकार के साथ एक इकरारनामा तैयार किया गया। भारी मशीन-संयन्त्र के पास ही चेकोस्लोवाकिया की सहायता से ढलाई-संयन्त्र भी लगाया जायगा। इन परियोजनाओं के प्रशासन के लिए दिसम्बर, १९५८ ई० में एक इंजीनियरी-निगम की स्थापना की गई है।

रेलवे-इंजिन तथा सवारी डिब्बे—रेल-इंजिनों के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होने के लिए रेल-मन्त्रालय के अधीन चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) में रेल-इंजिन बनाने का कारखाना खोला

गया है। अब इस कारखाने में प्रतिवर्ष डब्ल्यू० जी० किस्म के १६८ इंजिन तैयार किये जाते हैं, जो स्टैण्डर्ड किस्म के २०० से अधिक इंजिनों के बराबर होते हैं। सन् १९६०-६१ ई० में वहाँ १७३ इंजिन तैयार हुए थे। सरकारी सहायता-प्राप्त 'टाटा इंजीनियरिंग ऐण्ड लोकोमोटिव वर्क्स' में सन् १९५९-६० ई० में १०६ इंजिन बने तथा सन् १९६०-६१ ई० में ९९। सन् १९६०-६१ ई० में यहाँ १७३ इंजिन तैयार हुए थे।

पेराम्बूर-स्थित सरकारी जोड़हीन सवारी-डिब्बा कारखाने (इंटेग्रल कोच फैक्टरी) में उत्पादन-कार्य अक्टूबर, १९५५ ई० में आरम्भ हुआ। सन् १९५९-६० ई० में ४४८ अनुपस्कृत (अनफनिश्ड) सवारी-डिब्बे बने तथा सन् १९६०-६१ ई० में ५८३ सवारी-डिब्बे तैयार होने की आशा थी।

जहाजों का निर्माण—मार्च, १९५२ ई० में 'सिन्धिया स्टीमशिप नेविगेशन कम्पनी' से विशाखापत्तनम् का जहाज-निर्माणघाट खरीदकर उसका प्रबन्ध-भार 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड' को सौंप दिया गया, जो बिलकुल सरकारी संस्था है। यहाँ डीजल से चलनेवाले चार आधुनिक जहाज प्रतिवर्ष बन सकते हैं। इस कारखाने का बना पहला जहाज मार्च, १९४८ ई० में पानी में उतारा गया था।

इस कारखाने में अबतक २७ जलयान तथा ३ छोटी नौकाएँ (लगभग १,४५,३०४ टन भार) तैयार की जा चुकी हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ७५ से ९० हजार टन भार तक के जलयान तैयार करने का विचार था। इस कारखाने में प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में ५० हजार टन भार का और एक दूसरा जहाज-निर्माणघाट कोचीन में स्थापित करने की तैयारी हो रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए २० करोड़ रुपये दिये गये हैं।

हवाई-जहाज—बंगलोर-स्थित 'हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड' नामक कारखाने से सम्बद्ध विस्तृत विवरण 'प्रतिरक्षा' शीर्षक अध्याय में दिया जा चुका है।

रासायनिक पदार्थ तथा ओषधियाँ— प्रथम महायुद्ध के काल से भारतीय रसायन-उद्योग की बड़ी प्रगति हुई, तथापि द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ तक रासायनिक पदार्थों के लिए भारत आयात पर ही निर्भर करता था। इस महायुद्ध से इस उद्योग को और भी प्रगति मिली। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद रासायनिक उद्योग का बहुत विकास हुआ। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र में सिन्दरी कारखाने की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना रही। गैर-सरकारी क्षेत्र में सन् १९४६ से १९५० ई० तक देश में रसायन-उद्योग की ६० कम्पनियों की स्थापना हुई। सन् १९५४ ई० में देश में विभिन्न प्रकार के १३४ रासायनिक पदार्थों का उत्पादन हुआ, जिनमें से कुछ का निर्माण भारत में पहली बार किया गया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तरराष्ट्रीय बाल-संकट-कोष तथा विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की सहायता से भारत-सरकार ने दिल्ली में डी० डी० टी० बनाने का एक कारखाना स्थापित किया है, जिसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ रु० है। इस कारखाने का उत्पादन-कार्य अप्रैल, १९५५ ई० में आरम्भ हुआ तथा सन् १९५९-६० ई० में यहाँ १४९६ मेट्रिक टन डी० डी० टी० तैयार हुई। केरल-राज्य के अलवाए नामक स्थान में स्थापित दूसरे डी० डी० टी० कारखाने में भी अप्रैल, १९५८ ई० से कार्य आरम्भ हुआ। सन् १९५९-६० ई० में यहाँ से १,१०९ टन डी० डी० टी० तैयार हुई।

भारत-सरकार ने पूना के निकट पिम्परी नामक स्थान में एक पेनिसिलीन कारखाना स्थापित किया है। यहाँ उत्पादन-कार्य अगस्त, १९५५ ई० में आरम्भ हुआ। कारखाने की व्यवस्था एक सरकारी कम्पनी 'हिन्दुस्तान एँटीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के हाथ में है, जिसकी अधिकृत पूँजी ४ करोड़ रु० है। सन् १९६०-६१ ई० में यहाँ ४२७.९ लाख मेगा यूनिट पेनिसिलीन का उत्पादन हुआ। इस कारखाने में प्रतिवर्ष ४०-४५ टन स्ट्रेप्टोमाइसीन तथा डिहाइड्रोस्टेप्टोमाइसीन तैयार करने की भी व्यवस्था की गई है। इसका उत्पादन दूना कर देने का भी प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। टेट्रेसिक्लिन और ऑक्सीटेट्रेसिक्लिन तैयार करने के लिए भी कारखाने खुले हैं। कुछ ओषधियों के निर्माण के लिए रूसी सरकार ने ८ करोड़ रु० ऋण देने का वचन दिया है।

उर्वरक—सिन्दरी उर्वरक-कारखाने का उत्पादन-कार्य अक्टूबर, १९५८ ई० में आरम्भ हुआ। सन् १९६०-६१ ई० में इस कारखाने में ३,०५,२१८ टन अमोनियम सल्फेट तैयार किया गया। कोयला-भट्ठी-संयंत्र से प्राप्त होनेवाले गैस का उपयोग करके उत्पादन में ६० प्रतिशत वृद्धि करने की योजना पूरी कर ली गई है। सन् १९६०-६१ ई० में इस कारखाने में १०,६६६ मेट्रिक टन यूरिया तथा ३६,००० मेट्रिक टन डबल साल्ट तैयार हुआ। ३,६०,००० टन नाइट्रो-लाइमस्टोन तथा १४-१५ टन भारी पानी के वार्षिक उत्पादन के लिए एक कारखाना नंगल में स्थापित किया गया है। सन् १९६१ ई० में यहाँ से १,५२,४०९ टन कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट तैयार हुआ। असम ट्राम्बे, नइवेली तथा राउरकेला में भी नये उर्वरक-उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की तैयारी है। इन केन्द्रों की वार्षिक उत्पादन-क्षमता क्रमशः ७०,००० टन; ८०,००० टन; ६०,००० टन तथा ३२,५०० टन होगी। नइवेली में यूरिया तथा राउरकेला के कारखाने में नाइट्रो-लाइमस्टोन तैयार किया जायगा।

तेल—दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश को प्रतिवर्ष लगभग ७० लाख टन तेल की आवश्यकता होती थी, जिसमें ६६ लाख टन तेल बाहर से मँगाया जाता था। भारत में तेल पहले के केवल डिगबोई (असम) के आसपास पाया जाता था। परन्तु, अब नहरकटिया तथा मोरेन के आसपास के प्रदेशों में भी तेल मिला है। यहाँ खोदे गये तेल के कुछ कुओं से प्रतिवर्ष २५ लाख टन तक कच्चा तेल प्राप्त होने की आशा है। पूरा उत्पादन-कार्य होने पर यहाँ से प्रतिवर्ष ४५ से ५० लाख टन तेल मिलने लगेगा।

पंजाब के ज्वालामुखी तथा होशियारपुर-क्षेत्रों में असम में शिवसागर के निकट, गुजरात में खम्भात के निकट और बड़ौदा तथा अंकलेश्वर-क्षेत्रों में, उत्तरप्रदेश में उभनी (बदायूँ) में तथा पश्चिम बंगाल में (स्टैण्डर्ड वैकूम आयल कम्पनी की ओर से) भी तेल-क्षेत्रों की खोज की जा रही है। अन्दमान तथा निकोबार-द्वीप-समूह, असम, पश्चिम-बंगाल, बम्बई, केरल, पंजाब तथा राजस्थान के कुछ अन्य भागों में भी तेल-सम्बन्धी सर्वेक्षण किया जा रहा है। तेल की खोज करने में विदेशी सहायता भी ली जा रही है।

पहली पंचवर्षीय योजना में पेट्रोल साफ करने के तीन कारखाने स्थपित करने की स्वीकृति दी गई—दो ट्राम्बे में तथा तीसरा विशाखापत्तनम् में। इन सब कारखानों में कच्चे विधायित पेट्रोल की वार्षिक उत्पादन-क्षमता (सन् १९५७ ई० के अन्त में) लगभग ४२ लाख टन थी। इन कारखानों का वर्त्तमान उत्पादन लगभग ६० लाख टन है।

आसाम में नूनमाटी तथा बिहार में बरौनी नामक स्थान में तेल साफ करने के दो नये कारखाने खोलने के उद्देश्य से अगस्त, १९५८ ई० में ३० करोड़ रु० की अधिकृत पूँजी से 'इंडियन रिफाइनरीज (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। दोनों कारखानों की उत्पादन-क्षमता क्रमशः साढ़े सात तथा बीस लाख टन होगी। नूनमाटी का कारखाना जनवरी, १९६२ ई० से आरम्भ हो गया है। रुमानिया-सरकार से लिये गये दीर्घकालीन ऋण के आधार पर असम में तेल साफ करने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

सितम्बर, १९५९ ई० में 'इंडियन ऑयल कम्पनी लि०' नामक एक सरकारी कम्पनी १२ करोड़ रु० की पूँजी से स्थापित की गई है, जिसका काम पेट्रोलियम खरीदकर उसे देश में वितरित करना है। उसी वर्ष तेल की खोज और उत्पादन के लिए 'ऑयल इंडिया लि० कम्पनी' की भी स्थापना की गई है।

## बागान

सन् १८३४ ई० तथा सन् १८६५ ई० के बीच चाय का उत्पादन सरकारी बागानों में ही होता था। सन् १८६५ ई० से चाय-बागानों की व्यवस्था मुख्यतः यूरोपीय व्यापारियों के हाथ में आ गई। यहाँ सन् १९१० ई० में ५.६४ लाख एकड़ क्षेत्र में चाय की खेती होती थी और उत्पादन २६.३ करोड़ पौण्ड था। पर, सन् १९६० ई० में यहाँ ८.३२ लाख एकड़ क्षेत्र में ७०.६० करोड़ पौण्ड चाय का उत्पादन हुआ।

कहवा की खेती योजनाबद्ध रूप में सन् १८३० ई० में आरम्भ हुई। सन् १८६२ ई० में यह उद्योग अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुँचा। तभी विनाशकारी कीड़ों और ब्राजिल की कहवा की होड़ के कारण देश में इसकी प्रगति रुक गई। उसके बाद फिर अथक प्रयास किये गये और आज इस देश में कहवा की अच्छी खेती होती है। सन् १९५९ ई० में कहवा का उत्पादन १०,०५,७६,००० पौण्ड हुआ।

रबड़ के बागान अपेक्षया बाद में लगाये गये। अनुमान है कि सन् १९५९ ई० में लगभग ३ लाख एकड़ भूमि में रबड़ के बागान थे, जिसमें सवा पाँच करोड़ पौण्ड का उत्पादन हुआ।

चाय, कहवा तथा रबड़ के बागान देश की कृषि-भूमि के लगभग ०.४ प्रतिशत भाग में हैं और मुख्यतः उत्तर-पूर्व देश में तथा दक्षिण-पूर्वी समुद्र-तट पर स्थित हैं। इन रोजगारों में १२ लाख से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। १ अरब रु० की विदेशी मुद्रा चाय के निर्यात से ही प्राप्त होती है। आरम्भ में कहवा तथा रबड़ भी बाहर भेजा जाता था, परन्तु अब इनकी खपत देश में ही हो जाती है।

चाय, कहवा तथा रबड़-उद्योगों की विस्तृत जाँच-पड़ताल करने के लिए जो एक जाँच-आयोग नियुक्त किया गया, उसने सन् १९५६ ई० में अपनी रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की हैं। सितम्बर, १९५८ ई० में चाय पर निर्यात-शुल्क घटाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद-शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें निश्चित करने का निश्चय किया गया। मार्च, १९५९ ई० से निर्यात-शुल्क में पौंड पीछे २४ नये पैसे की कटौती हुई है। अक्टूबर, १९५९ ई० से भारतीय चाय-मण्डल, कछार तथा त्रिपुरा के चाय-बागानों को कुछ सहायता कर रहा है। कमजोर बागानों को संयन्त्र तथा मशीनों आदि की मरम्मत के लिए ऋण भी दिये जाते हैं। कहवा की बिक्री की जाँच-पड़ताल के लिए अगस्त, १९५८ ई० में एक विशेषज्ञ-समिति नियुक्त की गई थी; उसने सन् १९५९ ई० में अपनी रिपोर्ट दे दी। मार्च, १९६१ ई० से कहवा पर केन्द्रीय एक्साइज-ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कहवा-मण्डल की एक योजना के अनुसार अक्टूबर, १९५९ ई० तक

७,४२३ एकड़ भूमि में पुनः कृषि की गई तथा सहायता के रूप में १२.६ लाख रु० बाँटे गये। रबड़-मण्डल ने दुबारा पौधे लगाने की एक योजना सन् १९५७ ई० में लागू की। सन् १९५८ ई० में छोटे-छोटे बागानों को सहायता देने की शर्तें उदार कर दी गईं। रबड़ का एक कारखाना बरेली में खोला जा रहा है, जिसका उत्पादन-कार्य सन् १९६२ ई० में आरम्भ होने की आशा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में चाय, कहवा और रबड़ के उत्पादन के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है।

## लघु उद्योग तथा कुटीर-उद्योग

देश में बड़े पैमाने के उद्योगों का बहुत कुछ विकास हुआ है, तथापि भारत अभी तक मुख्य रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों का ही देश है। अनुमानतः, देश के लगभग २ करोड़ व्यक्ति कुटीर-उद्योगों में काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग ५० लाख व्यक्ति केवल हथकरघा-उद्योगों में हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों का संगठन करने का दायित्व मुख्यतः राज्य-सरकारों का है। छोटे पैमाने के उद्योगों के अन्तर्गत वे औद्योगिक कारखाने आते हैं, जिनकी पूँजी ५ लाख रु० से अधिक की नहीं है, उनमें श्रमिक चाहे जितने हों।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य-सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए अखिलभारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग; अखिलभारतीय हस्त-शिल्प-मण्डल; अखिलभारतीय हथकरघा-मण्डल; लघु उद्योग-मण्डल, नारियल-जटा-मण्डल तथा केन्द्रीय रेशम-मण्डल की स्थापना की है।

छोटे उद्योगों को सरकार तथा बैंक, दोनों ही वित्तीय सहायता देते हैं। सन १९६०-६१ ई० में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य-सरकारों को ७ करोड़ ७० लाख रु० के ऋण तथा अनुदान देने की स्वीकृति दी गई। अबतक १०५ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इन क्षेत्रों में उन छोटे औद्योगिक कारखानों को ले जाया जायगा, जो अभी नगरों में स्थित हैं और उन्हें वहाँ सब प्रकार की सुविधाएँ दी जायेंगी।

छोटे उद्योगों को प्राविधिक सहायता देने का एक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार ने 'औद्योगिक विस्तार-सेवा' के नाम से आरम्भ किया। अबतक १६ लघु-उद्योग-सेवा-संस्थान तथा ४ शाखा-संस्थान खोले जा चुके हैं। मार्च, १९६१ ई० तक ७२ औद्योगिक विस्तार-केन्द्र स्वीकृत किये जा चुके हैं। लघु उद्योगों को प्राविधिक मामलों में सहायता देने के लिए विदेशों से भी विशेषज्ञ बुलाये जाते हैं तथा भारतीय प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षणार्थ विदेश भेजा जाता है।

फरवरी, १९५५ ई० में राष्ट्रीय लघु उद्योग-निगम की स्थापना की गई। यह निगम सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करके छोटे कारखानों को ठीके आदि दिलवाने की व्यवस्था करता है। जनवरी, १९५६ ई० से यह निगम छोटे कारखानों को ऋण भी देता है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में चार सहायक निगम स्थापित कर दिये गये हैं। निगम को केन्द्रीय सरकार अनुदान तथा ऋण प्रदान करती है। सामुदायिक परियोजना-प्रशासन भी छोटे उद्योगों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए कुछ सामुदायिक विकास-क्षेत्रों में खण्ड-स्तर पर औद्योगिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

अखिलभारतीय हस्तशिल्प-मण्डल, जिसकी स्थापना सन् १९५२ ई० में हुई थी, हस्तशिल्प-वस्तुओं तथा उनकी बिक्री की समुचित व्यवस्था के लिए देश-विदेश में कार्य कर रहा है। अभी यह मण्डल उत्पादन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान आदि विभिन्न प्रकार के ३८ केन्द्र चला रहा है। अप्रैल, १९५८ ई०

में भारतीय हस्तशिल्प-विकास-निगम की स्थापना की गई। अब देश में करीब १ अरब रु० की हस्तशिल्प की चीजें प्रतिवर्ष तैयार होती हैं तथा लगभग ७ करोड़ रु० की चीजों का निर्यात किया जाता है।

नारियल-जटा-उद्योग भी मुख्यतः एक कुटीर-उद्योग है। अनुमान है कि १.२ लाख टन के वार्षिक उत्पादन में से लगभग ६० प्रतिशत उत्पादन केवल केरल में ही होता है।

औसतन ५० हजार टन नारियल-जटा तथा उससे बनी २१ हजार टन वस्तुओं का प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है। नारियल-जटा से बननेवाली वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनको प्रोत्साहन देने का कार्य नारियल-जटा-मण्डल को दिया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नारियल-जटा-उद्योग के लिए २.३ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। अब तृतीय योजना में ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

सन् १६६० ई० में भारत में १५ लाख किलोग्राम कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ। इसमें से लगभग आधा उत्पादन मैसूर-राज्य में हुआ। आसाम, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास में भी बड़े परिमाण में रेशम तैयार होता है। रेशम-उद्योग के विकास के लिए सन् १६४६ ई० में केन्द्रीय रेशम-मण्डल की स्थापना की गई और अप्रैल, १६५८ ई० में उसका पुनर्गठन हुआ। सन् १६४३ ई० में बरहमपुर (पश्चिम बंगाल) में एक केन्द्रीय रेशम-कीड़ापालन-अनुसंधान-केन्द्र कायम किया गया। इसकी एक शाखा कलिम्पोंग में है। रेशम-मण्डल ने मैसूर में एक अखिलभारतीय रेशम-कीड़ापालन-प्रशिक्षण-संस्थान तथा श्रीनगर में एक केन्द्रीय विदेशी रेशम-कीड़ापालन-केन्द्र भी स्थापित किया है। भारत में रेशम का कीड़ा पालने की समस्याओं पर सन् १६५७ ई० में एक जापानी विशेषज्ञ ने अध्ययन किया। तत्पश्चात् कोलम्बो-योजना के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए जापान से दो विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त की गईं।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगो पर लगभग २ अरब १८ करोड़ रु० व्यय किये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इनके लिए २ अरब ६४ करोड़ रु० की व्यवस्था है ग्रामोद्योग के क्षेत्र में विकास-सम्बन्धी सुझाव देने के लिए सन् १६५६ ई० में जापान से ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के विशेषज्ञों का एक शिष्ट-मण्डल भारत आया।

खादी-उद्योग—अखिलभारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग, सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थानों, राज्य-सरकारों तथा राज्य-सरकारों द्वारा स्थापित अनुविहित मण्डलों ( बोर्डों ) के माध्यम से खादी-उद्योग को वित्तीय सहायता देता है। सन् १६५६-६० ई० में परम्परागत चरखे के सूत से लगभग १३ करोड़ रु० की खादी तैयार हुई। प्रचार-प्रसार के लिए खादी तथा सिले-सिलाये कपड़ों पर काफी छूट दी जाती है।

अम्बर चरखा—सन् १६५६-५७ ई० में एक उन्नत प्रकार का चरखा (अम्बर चरखा) काम में लाने का निश्चय किया गया। इस चरखे में ४ तकुए होते हैं तथा एक व्यक्ति प्रतिदिन ८ घण्टे काम करके इससे ६ गुण्डी सूत कात सकता है। जून, १६६१ ई० तक ३,७८,३०६ अम्बर चरखे चालू किये गये। तृतीय पंचवर्षीय योजना में खादी-उद्योग को बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा।

सन् १६६१ ई० की जनवरी से सितम्बर तक भारत में १२५२ नई कम्पनियाँ गठित हुईं। इनके पूर्वी क्षेत्र में ३६२, पश्चिमी क्षेत्र में २८८, उत्तरी क्षेत्र में २७४ और दक्षिणी क्षेत्र में ३२८ नई कम्पनियाँ निबंधित (रजिस्टर्ड) हुईं। सन् १६६१ ई० में उद्योगों के उत्पादन में प्रतिशत १४ वृद्धि हुई।

## श्रम

भारत में संघीय क्षेत्रों और राज्यों के कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या सन् १९५९ ई० में ३६,३४,७१२ थी।

सन् १९६० ई० की पहली छमाही में कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में इस प्रकार थी—अण्डमन निकोबार १,७९६; आसाम ६१,५८४; आन्ध्र-प्रदेश २,२०,०४४; उड़ीसा २९,८०३; उत्तरप्रदेश २,९५,९०३; केरल १,५३,६०८; गुजरात ३,३९,२११; पंजाब १,१४,५२४; पश्चिम बंगाल ७,०४,०६९; बिहार १,८२,१०४; मद्रास ३,२२,६७८; मध्यप्रदेश १,४८,९०८; महाराष्ट्र ७,५६,०३२; मैसूर १,४८,८९७; राजस्थान ५५,३२०; दिल्ली ६६,६९८; हिमाचल-प्रदेश १,६३१ तथा त्रिपुरा १,०७०।

सन् १९६० ई० (अप्रैल) में कोयला-खानों में काम करनेवाले श्रमिकों की दैनिक औसत संख्या ३,९४,९९५ तथा समस्त खानों में काम करनेवाले श्रमिको की संख्या सन् १९६० ई० में ६,५२,०६९ थी। सूती वस्त्र-उद्योग में सन् १९६० ई० में कुल ८,९४,४०२ श्रमिक काम करते थे और उनकी दैनिक औसत संख्या ७,७२,३४५ थी।

## राष्ट्रीय नियोजन-सेवा

सन् १९४५ ई० में देश-भर में पहले-पहल नियोजन-केन्द्र (एम्प्लायमेण्ट एक्सचेंज) खोले गये। अब देश के सभी भागों में इन केन्द्रों का जाल-सा बिछ गया है। ये केन्द्र काम चाहनेवाले लोगों को काम दिलाने में सहायता प्रदान करते हैं। इनके अलावा ये केन्द्र अपने कुछ विशेष दायित्व भी निभाते हैं, जिनमें विस्थापित लोगों, कार्यमुक्त सरकारी कर्मचारियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार की व्यवस्था मुख्य है।

नवम्बर, १९६१ ई० के अन्त में देश में ३२२ नियोजन-केन्द्र तथा ५ विश्वविद्यालय-नियोजन-कार्यालय थे। अक्टूबर, १९६१ ई० तक इन केन्द्रों में २७,२८,७७७ व्यक्तियों के नाम लिखे गये, जिनमें से ३,३६,५१२ को काम दिलवाया गया।

नियोजन-केन्द्रों का प्रशासनिक नियन्त्रण १ नवम्बर, १९५६ ई० से राज्य-सरकारों को सुपुर्द किया गया है। अब केन्द्रीय सरकार केवल नीति-निर्धारण-कार्यों में समन्वय लाने तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने का कार्य करती है।

सन् १९५८ ई० में स्थापित केन्द्रीय नियोजन-समिति नियोजन-सम्बन्धी विभिन्न विषयों में भारत-सरकार को परामर्श देती है।

**कारीगरों का प्रशिक्षण**—कारीगरों को प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत देश में १६६ प्रशिक्षण केन्द्र खुल चुके हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में राष्ट्रीय-शागिर्दी प्रशिक्षण-योजना, औद्योगिक श्रमिकों को सायंकालीन कक्षाओं में प्रशिक्षण देने की योजना तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कुछ केन्द्र खोलने की संशोधित योजना आरम्भ की गई। कोनी-बिलासपुर (मध्यप्रदेश)-स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण-संस्था उठकर कलकत्ता चली गई है। औंध (बम्बई)-स्थित दूसरा केन्द्र भी शीघ्र बम्बई ले जाया जायगा। सन् १९६१ ई० में कानपुर में एक नई

प्रशिक्षण-संस्था स्थापित की गई। ३ नई प्रशिक्षण-संस्थाएँ मद्रास, लुधियाना तथा हैदराबाद में स्थापित की जायेगी और महिलाओं के लिए स्थापित नई दिल्ली की केन्द्रीय संशिक्षक-प्रशिक्षण-संस्था का विस्तार किया जायगा।

इसके अलावा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण-परिषद् भी स्थापित की गई है, जो सरकार को प्रशिक्षण-नीति-सम्बन्धी सभी समस्याओं पर परामर्श देने के अतिरिक्त कारीगरों को कार्य-दक्षता के प्रमाणपत्र भी देती है। निकट भविष्य में श्रम-सम्बन्धी विषयों पर अनुसंधान करने के लिए एक केन्द्रीय श्रम-शोध-संस्थान की स्थापना की जायगी।

## मजदूरी तथा आय

सन् १९५९ ई० में प्रतिमाह २०० रु० से कम आयवाले श्रमिकों की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय† आसाम में १,६०,७३ रु०, आन्ध्रप्रदेश में ८८५.१ रु०, उड़ीसा में १०७६.४ रु०, उत्तरप्रदेश में १,१२४.० रु०, पंजाब में ७६६.२ रु०, पश्चिम बंगाल में १,२२५.६ रु०, बम्बई (गुजरात और महाराष्ट्र) में १,४६६.८ रु०, बिहार में १,३५८.३ रु०, मध्यप्रदेश में १,२११.५ रु०, राजस्थान में ६१२.३ रु०; दिल्ली में १,३४५.४ रु०; त्रिपुरा में १,३४५.१ रु० और अन्दमान निकोबार-द्वीपसमूह में ६८२.४ रु० थी।

वास्तविक आय—उपभोक्ता-मूल्य-सूचनांक में वृद्धि को हिसाब में लेते हुए वास्तविक आय इस प्रकार बढ़ी:—

### श्रमिकों की वास्तविक आय का सूचनांक
(१९४७ = १००)

| | १९५७ | १९५८ | १९५९ |
|---|---|---|---|
| आय का सामान्य सूचनांक .... .... .... | १७० | १६८ | १७३ |
| अखिलभारतीय श्रमिक उपभोक्ता-मूल्य का सूचनांक | १२८ | १३३ | १३९ |
| वास्तविक आय का सूचनांक .... .... .... | १३४ | १२६ | १२४* |

**मजदूरी का नियमन**—मजदूरी का नियमन 'मजदूरी-अदायगी-अधिनियम, '१९३६' तथा 'न्यूनतम मजदूरी-अधिनियम, १९४८' और बाद को इनमें हुए संशोधनों के अनुसार किया जाता है।

मजदूरी-मण्डल—मजदूरी-मण्डल उचित मजदूरी के सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का एक ढाँचा स्थिर करता है। भारत-सरकार ने सूती वस्त्र, चीनी तथा सीमेण्ट-उद्योगों के लिए केन्द्रीय मजदूरी-मण्डल नियुक्त किये थे, जिनकी रिपोर्टें मिल गई हैं। पटसन-उद्योग, चाय, कॉफी और रबर के बागानों-सम्बन्धी उद्योगों के लिए भी मजदूरी-मण्डल स्थापित कर दिये गये हैं।

मजदूरी-गणना-योजना—इसका उद्देश्य बड़े कारखानों, खानों तथा बागानों में काम करनेवाले श्रमिकों की मजदूरी की दरों तथा उनकी आय के आँकड़ों का संग्रह करना था। जुलाई, १९५८ ई० में आरम्भ किये गये सर्वेक्षण में लगभग २,००० प्रतिष्ठानों से आवश्यक सूचनाएँ एकत्र

†अस्थायी आँकड़े।

*अस्थायी आँकड़ा, जिसमें मद्रास, आन्ध्र और पंजाब के आँकड़े नहीं हैं।

की गईं। इसके अलावा ओवर-टाइम की सीमा, बोनस-योजनाएँ आदि के सम्बन्ध में भी पेशावार आँकड़े संगृहीत हुए हैं। इनका सामान्य तथा उद्योगवार वर्गीकरण किया जा रहा है।

**स्थायी मजदूर-समिति**—यह समिति मजदूरी, उत्पादन तथा मूल्यों की प्रवृत्तियों का अध्ययन और आवश्यक सामग्री का उद्योगवार तथा प्रदेशवार वर्गीकरण करती है। इस समिति में केन्द्र, राज्य-सरकारों और श्रमिकों तथा मालिकों के प्रतिनिधि हैं।

**कोयला-खान-बोनस-योजनाएँ**—'कोयला-खान-भविष्य-निधि तथा बोनस-योजनाएँ-अधिनियम, १९४८' के अन्तर्गत तैयार की गई 'कोयला खान-बोनस-योजनाएँ' जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत की कोयला-खानों में लागू हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत आसाम के मजदूरों को छोड़कर शेष सभी कोयला-खान-मजदूरों को तिमाही बोनस के रूप में उनकी मूल आय की एक-तिहाई राशि प्राप्त करने का अधिकार है।

## मालिक-श्रमिक-सम्बन्ध

**औद्योगिक विवाद**—सन् १९६० ई० में देश में १,५५६ औद्योगिक विवाद उठे, जिनसे सम्बद्ध मजदूरों की संख्या ६ लाख, ८३ हजार थी। इन विवादों के कारण ६५ लाख १५ हजार मानव-दिनों की क्षति हुई।

**उद्योगों में रोजगार-सम्बन्धी स्थायी आदेश**—'औद्योगिक रोजगार-अधिनियम, १९४६' के अनुसार केन्द्र तथा राज्य-सरकारों ने उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ नियम बनाये हैं, जिनमें १०० अथवा उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। यह अधिनियम गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के उन सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू कर दिया गया है, जिनमें ५० अथवा उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। आसाम में यह अधिनियम उन्हीं प्रतिष्ठानों पर ( खानों, पत्थर-खानों, तेल-क्षेत्रों तथा रेलों को छोड़कर ) लागू होता है, जिनमें १० या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। मद्रास में यह कानून 'कारखाना-अधिनियम, १९४८' के अन्तर्गत उल्लिखित सभी कारखानों पर लागू होता है।

**उद्योगों में अनुशासन**—भारतीय श्रम-सम्मेलन तथा स्थायी श्रम-समिति की स्वीकृति से उद्योगों में कार्य-क्षमता बढ़ाने और अनुशासन रखने के लिए एक अनुशासन-संहिता बना दी गई है। इस संहिता की अवहेलना के मामलों की छानबीन एक त्रिदलीय समिति किया करेगी। इस संहिता के लागू किये जाने के बाद से नष्ट होनेवाले मानव-दिनों की संख्या में कमी हुई है। केन्द्र तथा राज्यों में गठित संगठनों द्वारा बहुत-से पुराने एवं उलझनपूर्ण झगड़े सुलझाये गये हैं।

**कार्य-समितियाँ**—सन् १९४७ ई० के 'औद्योगिक विवाद-अधिनियम' के अन्तर्गत सन् १९६० ई० की दूसरी तिमाही के अन्त में केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में ८४५ कार्य-समितियाँ कार्य कर रही थीं।

**त्रिदलीय व्यवस्था**—केन्द्र में भारतीय श्रम-सम्मेलन, स्थायी श्रम-समिति तथा औद्योगिक समितियाँ हैं। इनके अलावा एक श्रम-मन्त्री-सम्मेलन भी है, जो इसके साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। सन् १९६१ ई० के भारतीय श्रम-सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा की एक सम्मिलित

योजना तथा कार्य-क्षमता एवं कल्याण-संहिता के निर्माण-विषयक प्रस्ताव पर प्रमुख रूप से विचार-विमर्श हुए।

**समझौता-तन्त्र**—मुख्य श्रम-आयुक्त केन्द्र के क्षेत्र में पड़नेवाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में औद्योगिक सम्बन्धों पर दृष्टि रखता है। इसकी सहायता के लिए प्रादेशिक श्रम-आयुक्त, समझौता अधिकारी तथा श्रम-निरीक्षक आदि नियुक्त हैं। इसी प्रकार, राज्य-सरकारों में भी समझौता कराने की व्यवस्था है।

**अधिनिर्णयन ( एडजुडिकेशन) की व्यवस्था**—औद्योगिक विवादों के निर्णय के लिए भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है—श्रम-न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। विवादों की प्रारम्भिक सुनवाई का इन सबको अधिकार है। दिल्ली तथा धनबाद में एक-एक श्रम-न्यायालय है। धनबाद और बम्बई में एक-एक औद्योगिक न्यायाधिकरण है। दिल्ली में दिल्ली-प्रशासन के लिए एक औद्योगिक न्यायालय है। राज्यों के भी अपने-अपने न्यायाधिकरण तथा श्रम-न्यायालय हैं। ये आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय क्षेत्र के विवादों का निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरणों के रूप में बैठते हैं।

**उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों का योगदान**—सन् १९६० ई० में २९ औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध में श्रमिकों के योगदान की योजना लागू थी। इस योजना का विस्तार यथासम्भव अधिक-से-अधिक उद्योगों के लिए करने की दिशा में अब प्रयास किया जा रहा है। भारतीय श्रम-सम्मेलन की एक उपसमिति का एक स्वतन्त्र निकाय के रूप में पुनर्गठन किया गया है और इसका नामकरण श्रमिक-प्रबन्ध-सहयोग-समिति किया गया है। उक्त समिति इस दिशा में क्रियाशील है।

**श्रमिकों की शिक्षा**—केन्द्रीय श्रमिक-शिक्षा-मण्डल में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों, मालिकों के संगठनों तथा शिक्षाशास्त्रियों के प्रतिनिधि हैं। नवम्बर, १९६१ ई० तक १०० अध्यापक-प्रशासकों को प्रशिक्षित किया गया तथा ३७ प्रशिक्षण ले रहे थे। मण्डल ने देश में १४ श्रमिक शिक्षा-केन्द्र खोले हैं, जिनमें नवम्बर, १९६१ ई० तक १,५०२ कार्यकर्त्ता-अध्यापकों ने प्रशिक्षण ग्रहण किया तथा २६२ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

## श्रमिक-संघ

**पंजीकृत श्रमिक-संघ तथा उनकी सदस्य-संख्या**—भारत में सन् १९५८-५९ ई० में २८२ केन्द्रीय श्रमिक-संघ तथा ६,९४६ राज्यीय श्रमिक-संघ थे, जिनमें से सरकार को विवरण देनेवाले संघों की संख्या क्रमशः १६४ तथा ५,८७६ थी। विवरण देनेवाले इन संघों की सदस्य-संख्या क्रमशः २,६८,८९१ तथा ३३,४८,३३७ थी।

**अखिलभारतीय संगठन**—सन् १९६० ई० में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कोंगरेस से सम्बद्ध संघों की संख्या ८६० तथा सदस्य-संख्या १०,५३,३८६ हिन्द-मजदूर-सभा से सम्बद्ध संघों की संख्या १६० तथा सदस्य-संख्या २,८६,२०३; आल-इण्डिया ट्रेड यूनियन कोंगरेस से सम्बद्ध संघों की संख्या ८८६ तथा सदस्य-संख्या ५,०८,९६२ और युनाइटेड ट्रेड यूनियन कोंगरेस से सम्बद्ध संघों की संख्या २२९ तथा सदस्य-संख्या १,१०,०३४ थी। इस प्रकार, चारों संगठनों से सम्बद्ध संघों की कुल संख्या २,१६५ तथा सदस्य-संख्या १९,५८,५८४ थी।

## समाज-सुरक्षा

**कर्मचारी-राज्य-बीमा-योजना**—'कर्मचारी-राज्य-बीमा-अधिनियम, १६४८' ऐसे कारखानों पर लागू है, जो बारहों महीने चालू रहते हैं, जिनमें बिजली का उपयोग किया जाता है तथा जहाँ २० अथवा उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। इसका लाभ ४०० रु० तक मासिक पानेवाले सभी श्रमिकों तथा क्लर्कों आदि को दिया जाता है। मार्च, १६६१ ई० तक यह योजना गुजरात को छोड़कर संघीय क्षेत्र दिल्ली तथा सभी राज्यों के १६ लाख ७४ हजार औद्योगिक श्रमिकों पर लागू थी। सन् १६६०-६१ ई० के अन्त तक कर्मचारियों ने ५·०१ करोड़ तथा मालिकों ने ३·७५ करोड़ रुपये दिये। कर्मचारियों को लाभ के रूप में लगभग ३·४७ करोड़ रु० दिये गये। इस योजना के अन्तर्गत बीमाधारी व्यक्तियों के लगभग ५ लाख ७३ हजार परिवारों को चिकित्सा की सुविधाएँ दी गईं।

**कर्मचारी-भविष्य-निधि ( प्राविडेण्ट फण्ड )**—आरम्भ में 'कर्मचारी-भविष्य-निधि-अधिनियम, १६५२' छह मुख्य उद्योगों में लागू किया गया था, किन्तु सन् १६६१ ई० के नवम्बर के अन्त में अन्य उद्योगों में भी यह लागू हुआ। इसके अन्तर्गत वे कारखाने तथा प्रतिष्ठान आते हैं, जिनमें ५० अथवा उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं तथा जिनको काम करते तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं। जिन श्रमिकों ने एक वर्ष निरन्तर काम किया हो अथवा एक वर्ष में वस्तुतः २४० दिन से कम काम न किया हो तथा जिनका मासिक वेतन महँगाई भत्ता तथा खाद्य रियायत के नकद मूल्य-सहित ५०० रु० से अधिक नहीं हो, उन्हें अनिवार्य रूप से अपने मूल वेतन का सवा छह प्रतिशत चन्दा इस निधि में देना पड़ता है। मालिकों को भी इस निधि में इतना ही चन्दा देना पड़ता है। अगस्त, १६६१ ई०, के अन्त में यह योजना १५,२४२ प्रतिष्ठानों में लागू थी, जिनमें काम करनेवाले कुल ३०,२८,८५६ व्यक्ति इसके सदस्य थे। उस समय भविष्य-निधि में कुल २ अरब ६२ करोड़ ८४ लाख रु० जमा थे।

**कोयलाखान-भविष्यनिधि-योजनाएँ**—इनके अन्तर्गत श्रमिकों को अपनी कुल आय का सवा छह प्रतिशत भाग निधि में जमा कराना पड़ता है। ये योजनाएँ जम्मू और काश्मीर छोड़कर भारत के सभी राज्यों की कोयला-खानों में लागू हैं। सितम्बर, १६६१ ई० के अन्त में इस निधि की कुल राशि २५ करोड़ रु० थी और जमा करनेवालों की संख्या ४,००,३३५ थी।

**श्रमिकों को क्षतिपूर्त्ति**—'श्रमिक-क्षतिपूर्त्ति-अधिनियम, १६२३' के अनुसार काम के समय में दुर्घटना अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में श्रमिकों को क्षतिपूर्त्ति देने की व्यवस्था है।

**मातृत्व-लाभ**—प्रायः सभी राज्यों में मातृत्व-लाभ देने के कानून जारी हैं। तीन केन्द्रीय अधिनियमों—'खान-मातृत्व-लाभ अधिनियम, १६४१'; 'कर्मचारी-राज्य-बीमा अधिनियम, १६४८' तथा 'बागान-श्रमिक अधिनियम, १६५१'—के अन्तर्गत भी मातृत्व-लाभ देने की व्यवस्था की गई है। मातृत्व-लाभ के एक समान मानदण्ड निश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने सन् १६६१ ई० में मातृत्व-लाभ-अधिनियम बनाया है, जिसके अनुसार मातृत्व-लाभ की सुविधाएँ उन सभी खानों, कारखानों तथा बागानों में काम करनेवाली स्त्रियों को दी जायँगी, जहाँ कर्मचारी-राज्य-बीमा-अधिनियम लागू है।

## श्रम-कल्याण

'कारखाना-अधिनियम, १६४८', 'बागान-श्रमिक-अधिनियम, १६५१' 'खान तथा अधिनियम, १६५२' के अनुसार उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों के लिए कैण्टीनों, शिशुपाल-गृहों, विश्राम-गृहों, नहाने-धोने की सुविधाओं, चिकित्सा-सहायता तथा कल्याण-अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

**मोटर-ट्रान्सपोर्ट-कर्मचारी-अधिनियम**—सन् १६६१ ई० में मोटर-ट्रान्सपोर्ट-कर्मचारियों की सुविधाओं एवं कल्याण के लिए यह अधिनियम बनाया गया है।

**कोयलाखान-श्रम-कल्याण-निधि**—इस निधि द्वारा २ केन्द्रीय अस्पताल, ८ प्रादेशिक अस्पताल-सह-मातृ-शिशु-कल्याण-केन्द्र, २ दवाखाने तथा २ क्षय-उपचारालय संचालित हो रहे हैं। मलेरिया-उन्मूलन तथा बी० सी० जी० टीका-आन्दोलन का काम भी चालू है। इस निधि से प्रौढ़-शिक्षा-केन्द्र, महिला-कल्याण-केन्द्र तथा शिशु-उद्यान आदि भी चलाये जा रहे हैं। खान-श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है।

सहायता तथा ऋण-योजना के अनुसार ३,६६८ मकान बनाये गये हैं तथा ११५ मकान बनाये जा रहे हैं। नई आवास योजना के अन्तर्गत कोयला-खान-श्रमिकों के लिए ६,६८५ मकानों का निर्माण हो चुका तथा ७,३२२ मकानों का निर्माण-कार्य जारी है।

**अभ्रक-खान-श्रम-कल्याण-निधि**—इस निधि से अभ्रक-खानों के मजदूरों को चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाएँ दी जाती हैं। करमा (बिहार), कालिचेड़ु (आन्ध्रप्रदेश) तथा टिसरी (बिहार) में ३ अस्पताल स्थापित किये गये। एक अन्य अस्पताल गंगापुर (राजस्थान) में भी खोला जायगा। अभ्रक-खानों के श्रमिकों को अनेक दवाखानों से चिकित्सा की सुविधाएँ दी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में चलते-फिरते ६ औषधालय भी हैं। इस निधि से अनेक प्राथमिक विद्यालय चलाये जा रहे हैं। सन् १६६१-६२ ई० में आन्ध्रप्रदेश को ४ लाख ४० हजार रु०, बिहार को १४ लाख ६० हजार रु० तथा राजस्थान को ६ लाख १० हजार रु० दिये गये।

**लौह-खान-श्रमिक-कल्याण**—लोहा की खानों के श्रमिकों को सुविधा देने तथा उनके कल्याण के लिए सन् १६६१ ई० में 'लोहा-खान-श्रम-कल्याण-अधिनियम' बनाया गया है।

**बागान श्रमिकों का कल्याण**—'बागान-श्रमिक अधिनियम, १६५१' के अनुसार सभी बागानों के लिए अपने निवासी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के आवास-गृह और दवाखाने खोलना जरूरी है। बागानों में श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय भी खुले हैं। चाय-मण्डल की दान-राशि से कुछ चाय-बागानों में मनोरंजन तथा कला-कौशल सिखाने की सुविधाएँ हैं।

**केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की श्रम-कल्याण-निधियाँ**—श्रमिकों के कल्याण के लिए सन् १६४६ ई० में श्रम-कल्याण-निधियां चालू की गईं, जिससे कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएँ दी जा रही हैं।

**श्रम-कल्याण-केन्द्र**—अधिकांश राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की सरकार की ओर से अनेक कल्याण-केन्द्र चलाये जा रहे हैं, जिनमें मनोरंजन, शिक्षा तथा अन्य सांस्कृतिक सुविधाओं की व्यवस्था है।

★

# सहकारिता-आन्दोलन

इस देश में सहकारिता-आन्दोलन का प्रारम्भ सन् १६०४ ई० से माना जाता है, जब ग्रामीणों को ऋण-भार से मुक्ति दिलाने तथा ऋण-समितियों की स्थापना करने के लिए 'सहकारी ऋण-समितियाँ-अधिनियम' बना। सन् १६१२ ई० में उत्पादन, क्रय-विक्रय, बीमा, आवास आदि जैसे क्षेत्रों में ऋण-भिन्न सहकारिता तथा पारस्परिक नियंत्रण एवं लेखा-परीक्षा के लिए प्राथमिक सहकारी-समितियों के संघ बने। प्राथमिक समितियों को ऋण देने के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय बैंकों की विधिवत् स्थापना की गई। सन् १६१४ ई० में भारत-सरकार द्वारा नियुक्त मैकलेगन-समिति की सिफारिश के अनुसार सहकारिता-आन्दोलन में अधिक-से-अधिक गैर-सरकारी सहयोग लिया जाने लगा।

सन् १६१६ ई० के कानून के अनुसार सहकारिता को प्रान्तीय सरकार का विषय बना दिया गया। भारत-सरकार ने इस आन्दोलन के विकास के लिए सन् १६३५ ई० में रिजर्व-बैंक में एक कृषि-ऋण-विभाग खोल दिया। सन् १६४५ ई० में नियुक्त सहकारी योजना-समिति ने प्राथमिक समितियों को बहूद्देश्यीय समितियों में बदल देने की सिफारिश की तथा दस वर्ष की अवधि में ५० प्रतिशत ग्रामीण तथा ३० प्रतिशत नागरिक जनसंख्या को मान्यता-प्राप्त समितियों में लाने की सलाह दी। इस बात पर जोर दिया गया कि रिजर्व-बैंक सहकारी समितियों को और भी अधिक सहायता प्रदान करे।

रिजर्व-बैंक द्वारा सन् १६५१ ई० में एक निदेशन-समिति नियुक्त की गई, जिसने देश की ग्रामीण ऋण-व्यवस्था का सर्वेक्षण किया। इसकी रिपोर्ट दिसम्बर, १६५४ ई० में प्रकाशित हुई। सर्वेक्षण से पता चला कि किसानों को सहकारी-समितियों से केवल तीन प्रतिशत ही ऋण मिला और सरकार की ओर से भी करीब इतना ही ऋण दिया गया। उक्त समिति ने ग्रामीण ऋण-सम्बन्धी एक सम्मिलित योजना का भी सुझाव दिया, जिसकी मुख्य विशेषताएँ ये थीं—(१) सरकार सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं में हाथ बँटावे; (२) ऋण-सम्बन्धी तथा अन्य आर्थिक कार्यों, विशेषकर हाट-व्यवस्था और विधायन ( प्रासेसिंग ) के बीच पूर्ण समन्वय लाया जाय; (३) समर्थ प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों का विकास हो; (४) गोदामों आदि की व्यवस्था की जाय तथा (५) सभी प्रकार के सहकारिता-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाय। इस समिति ने इम्पीरियल-बैंक को भारतीय स्टेट-बैंक के रूप में भी बदल देने का सुझाव रखा, ताकि वह अपनी शाखाओं के माध्यम से सहकारिता और बैंकों को भुगतान आदि की और भी सुविधाएँ दे सके तथा सहकारी संस्थाओं की आवश्यकताएँ पूरी करने का प्रयत्न कर सके। 'भारतीय रिजर्व-बैंक-अधिनियम' में आवश्यक संशोधन करने तथा केन्द्र में एक राष्ट्रीय सहकारिता-विकास तथा गोदाम-मण्डल स्थापित करने की भी सिफारिश की गई। ऋण के ढाँचे का पुनर्गठन करने के लिए एक ओर जहाँ रिजर्व-बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देने का संकेत किया गया, वहाँ दूसरी ओर उत्पादन, विधायन, हाट-व्यवस्था तथा गोदामों आदि के क्षेत्र में सहकारी गतिविधियों को आयोजित ढंग से विकसित करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य-सरकारों को सौंपा गया।

इम्पीरियल-बैंक पर सरकार ने अधिकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप १ जुलाई, १६५५ ई० को 'भारतीय स्टेट-बैंक' की स्थापना हुई। बैंक से कहा गया था कि वह पाँच वर्षों में कम-से-कम अपनी ४०० शाखाएँ खोले। तदनुसार, बैंक ३१ मार्च, १६६१ ई० तक देश में अपनी ४३० शाखाएँ खोल चुका है।

फरवरी, १६५६ ई० में १० करोड़ रु० की प्रारम्भिक पूँजी से राष्ट्रीय कृषि-ऋण (दीर्घकालीन कार्य)-निधि की स्थापना की कई। मार्च, १६६१ ई० तक इसकी कुल प्रारम्भिक पूँजी ५० करोड़ रुपये थी। इस निधि में से (क) राज्य-सरकारों को दीर्घकालीन ऋण दिये जायेंगे, जिससे वे सहकारी ऋण-संस्थाओं की हिस्सा-पूँजी खरीद सकें; (ख) राज्य-सहकारिता बैंकों को कृषि के लिए मध्यम-कालीन ऋण दिये जायेंगे; (ग) केन्द्रीय भूमि-बन्धक-बैंकों को दीर्घकालीन ऋण दिये जायेंगे तथा (घ) केन्द्रीय भूमि-बन्धक-बैंकों के ऋण-पत्र (डिबेंचर) खरीदे जायेंगे। एक करोड़ रु० की प्रारम्भिक पूँजी से सन् १६५५-५६ ई० में राष्ट्रीय कृषि-ऋण (स्थिरीकरण)-निधि की स्थापना हुई, जिसने बाद के पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष १ करोड़ रु० के हिसाब से विनियोग किया। इस निधि में से राज्यीय सहकारिता-बैंकों को मध्यमकालीन ऋण दिये जा सकते हैं, जिससे वे सूखा तथा अकाल के समय लघुकालीन ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों में परिवर्तित करा सकें। रिजर्व-बैंक की दीर्घकालीन ऋण-निधि से २३ करोड़ ६६ लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति दी गई, जिसमें से ३१ मार्च, १६६१ ई० तक राज्यों ने २० करोड़ ६८ लाख रुपये का उपयोग किया।

रिजर्व-बैंक तथा भारत-सरकार द्वारा संस्थापित केन्द्रीय सहकारिता-प्रशिक्षण-समिति ने सहकारिता-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की एक योजना तैयार की है। सहकारिता-विभागों के उच्चाधिकारियों के प्रशिक्षण के निमित्त पूना में एक सहकारिता-प्रशिक्षण-कॉलेज स्थापित है। इस विभाग के मध्यवर्त्ती कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ५ प्रादेशिक प्रशिक्षण-केन्द्र तथा सामुदायिक विकास-खण्डों में काम करनेवाले सहकारिता-अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ८ प्रशिक्षण-संस्थाएँ खोली गई हैं। छोटे सहकारिता-अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में ६० प्रशिक्षण स्कूल चलाये जा रहे हैं।

पहले सहकारिता-आन्दोलन का सम्बन्ध केवल ऋणों तक ही सीमित था, किन्तु अब इसका संबंध हाट-व्यवस्था, विधायन, भाण्डार आदि से भी हो गया है। नवम्बर, १६५८ ई० में राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने यह निर्णय किया कि सहकारिता-आन्दोलन का विकास इस प्रकार किया जाय कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार इसके अन्तर्गत आ जायँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में सहकारिता-आन्दोलन की उपलब्धि तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके विकास के लक्ष्य नीचे दिये जा रहे हैं—

| | द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत में उपलब्धि (अनुमित) | तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य |
|---|---|---|
| प्राथमिक सहकारिता-समितियों की संख्या | २·१ लाख | २·३ लाख |
| सदस्यता | १·७ करोड़ | ३·७ करोड़ |
| सहकारी-आन्दोलन से लाभ प्राप्त करनेवाले गाँव | ——— | १०० प्रतिशत |
| कृषि-उत्पादन तक क्षेत्र-विस्तार | ३३ प्रतिशत | ६० प्रतिशत |
| सहकारी-समितियों द्वारा दिये जानेवाले ऋण— | | |
| (क) लघुकालीन एवं मध्यमकालीन | २ अरब | ५ अरब ३० करोड़ |
| (ख) दीर्घकालीन | ३५ करोड़ | १ अरब ५० करोड़ |

'कृषि-उत्पादन (विकास तथा गोदाम)-निगम अधिनियम' १ अगस्त, १९५६ ई० से लागू है, जिसके अधीन १ सितम्बर को राष्ट्रीय सहकारी-विकास तथा गोदाम-मण्डल स्थापित किया गया। उक्त अधिनियम के अंतर्गत एक केन्द्रीय गोदाम-निगम तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यीय गोदाम-निगम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। १० करोड़ रुपये की जारी हिस्सा-पूँजी के साथ केन्द्रीय गोदाम-निगम मार्च, १९६१ ई० तक ४० गोदाम स्थापित कर चुका है। इसके अलावा राज्यीय गोदाम-निगम भी स्थापित किये जा चुके हैं, जिनके द्वारा मार्च, १९६१ ई० के अन्त तक २९६ गोदाम बनाये जा चुके थे।

तृतीय योजना-काल में ६०० प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियां करने की व्यवस्था की गई है, जिनके द्वारा ८,२०० ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ६८० हाटों के पास बनाये जायेंगे, इसके अलावा एक कृषि-विकास-वित्त-निगम स्थापित करने का भी लक्ष्य है, जिसके द्वारा कृषकों को मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण दिये जायेंगे।

जुलाई, १९५९ ई० के राज्यीय सहकारिता-मंत्री-सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार कृषि-ऋण आदि की व्यवस्था में सुधार पर विचार करने के लिए श्रीवैकुण्ठलाल मेहता की अध्यक्षता में एक सहकारी ऋण-समिति गठित की गई थी। जिसने मई, १९६० ई० में भारत-सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया। जून, १९६० ई० में श्रीगर में हुए राज्यीय सहकारिता-मंत्री-सम्मेलन में समिति की सिफारिशों पर विचार हुआ तथा राज्य-सरकारों को सहकारिता के सम्बन्ध में नये आदेश दिये गये। सन् १९६०-६१ ई० में विभिन्न राज्यों के १४ चुने हुए जिलों में घनी खेती जिला-कार्यक्रम जारी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी आवश्यक साधनों को जुटाकर उपज में वृद्धि लाना है।

## सहकारी-समितियों की स्थिति

५ व्यक्तियों के एक औसत भारतीय परिवार को आधार मानकर अनुमान लगाया गया है कि मार्च, १९६० ई० के अन्त तक साधारणत: १५.१५ करोड़ व्यक्तियों अथवा ३८ प्रतिशत से कुछ अधिक भारतीय जनता को सहकारिता-आन्दोलन का लाभ मिलने लगा था।

सन् १९५९-६० ई० में देश में कुल ३,१३,४९९ सहकारी-समितियाँ थीं, जिनमें से प्राथमिक समितियों के सदस्यों की संख्या ३,४३,१२,६०६ और उनकी कुल कार्यचालन-पूँजी १० अरब ८३ करोड़ ४७ लाख रुपया थी। सन् १९५१-५२ ई० में इन समितियों की संख्या १,८५,६५०, प्राथमिक समितियों की सदस्य-संख्या १,३७,९१,६८७ तथा उनकी कुल कार्य-चालन पूँजी ३ अरब ६ करोड़ ३४ लाख रुपये थी।

सन् १९५१-५२ ई० तथा सन् १९५८-५९ ई० में विभिन्न सहकारी-समितियों द्वारा अर्जित लाभ का विवरण इस प्रकार है—

### सहकारी-समितियों द्वारा अर्जित लाभ

| | १९५१-५२ | १९५९-६० |
|---|---|---|
| राज्यीय तथा केन्द्रीय-बैंक | ८१,६०,००० | ३,५८,२८,००० |
| भूमि-बन्धक-बैंक | ६,८६,००० | ४७,२७,००० |
| प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियाँ | ६१,६७,००० | ३,४०,४२,००० |
| अनाज-बैंक | १५,१३,००० | १५,६१,००० |
| प्राथमिक कृषीतर ऋण-समितियां | १,१२,८६,००० | २,३०,७६,००० |
| राज्यीय तथा केन्द्रीय ऋणेतर समितियाँ | १,२६,३८,००० | — |
| प्राथमिक ऋणेतर समितियां | ६५,४३,००० | — |

## ऋण देनेवाली समितियाँ

इस देश में सहकारी-समितियों का प्रारंभ ऋण-समितियों से हुआ और आज भी ये ही सबसे महत्त्वपूर्ण समितियाँ हैं। ऋण-समितियाँ तीन स्तर पर हैं राज्य-स्तर पर राज्यीय सहकारी बैंक, जिला-स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा ग्राम-स्तर पर प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियाँ। कुछ राज्यों में अनाज-बैंक कृषकों को सामान के रूप में ऋण देते हैं। कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋण केन्द्रीय और प्राथमिक भूमि-बन्धक-बैंक देता है तथा नगरवासियों को बैंकिंग और ऋण की सुविधाएँ नागरिक बैंक और कर्मचारी-ऋण-समितियाँ देती हैं।

सन् १६५६-६० ई० में देश में २२ राज्यीय सहकारी-बैंक थे, जिनकी सदस्य-संख्या २१,००७ थी। इसी प्रकार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा उनके सदस्यों की संख्या क्रमशः ४०० तथा ३,६६,०३७ थी।

कृषि-ऋण-समितियाँ—जून, १६६० ई० के अन्त में, देश में, २,०३,१७२ कृषि-ऋण-समितियाँ थीं, जिनकी सदस्य-संख्या १,४४,२३,००० थी। सन् १६५६-६० ई० में इन समितियों ने १ अरब ६६ करोड़ ६ लाख रुपये ऋण दिये। इसकी कार्यकारी पूँजी २ अरब २३ करोड़ ७० लाख रुपये थी।

अनाज-बैंक—जून, १६६० ई० के अन्त में देश में ६,५५४ अनाज-बैंक थे, जिनकी सदस्य-संख्या ११.५१ लाख थी। सन् १६५८-५६ ई० में इन्होंने १ करोड़ २ लाख ७३ हजार रुपया ऋण के रूप में दिया।

केन्द्रीय भूमि-बन्धक-बैंक—केन्द्रीय भूमि-बन्धक-बैंक कृषकों को प्राथमिक भूमि-बन्धक-बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण देते हैं। केन्द्रीय भूमि-बन्धक-बैंक ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी करके पूँजी जुटाते हैं। सन् १६५६-६० ई० से १६ बैंकों में से ६ बैंकों ने ४ करोड़ २३ लाख १६ हजार रुपये के ऋण-पत्र जारी किये।

प्राथमिक भूमि-बन्धक-बैंक—सन् १६५६-६० ई० के अन्त में देश में ४०८ प्राथमिक भूमि-बन्धक-बैंकों में से २८६, अर्थात् ७० प्रतिशत बैंक आंध्रप्रदेश, मद्रास तथा मैसूर में थे। इनकी सदस्य-संख्या ५५०,३६५ थी तथा इन्होंने ५ करोड़ १० लाख रु० के ऋण दिये। इसकी कार्य-कारी पूँजी २० करोड़ २६ लाख रुपये थी।

कृषिभिन्न ऋण-समितियाँ—इनके अन्तर्गत नागरिक बैंक, कर्मचारी-ऋण-समितियाँ आदि आती हैं। जून, १६६० ई० के अन्त में देश में ऐसी ११,३७१ समितियाँ थीं, जिनकी सदस्य-संख्या ४२ लाख ३१ हजार थी। इनमें से कुछ समितियों ने ऋणेतर कार्य भी किया।

## ऋणेतर समितियाँ

जून, १६६० ई० के अन्त में देश में विभिन्न प्रकार की ऋणेतर समितियों की स्थिति इस प्रकार थी—

| समिति | संख्या | सदस्य-संख्या | कार्यचालन-पूँजी (रु० में) |
|---|---|---|---|
| हाट-व्यवस्था-समितियाँ | | | |
| राज्यीय | २१ | ४,७१६ | ८,०६,८६,००० |
| केन्द्रीय | ५११ | १,६३,८२० | १३,०७,०६,००० |
| प्राथमिक | २५०१ | ११,८३,६०७ | १८,५७,६२,००० |

| समिति | संख्या | सदस्य-संख्या | कार्यचालन-पूँजी (रु० में) |
|---|---|---|---|
| **गन्ना-उपलब्धि-समितियाँ** | | | |
| केन्द्रीय | ७३ | १०,२३७ | १,२८,८४,००० |
| प्राथमिक | ८,७०१ | २३,३४,१६६ | ६,६०,८४,००० |
| दुग्ध-संघ | ८६ | १२,०८१ | २,०६,२१,००० |
| दुग्ध-उपलब्धि-समितियाँ | २,७२४ | २,२१,१६६ | १,३८,४६,००० |
| कृषि-समितियाँ | ५,६३१ | २,७१,६७१ | ५,७६,४०,००० |
| सिंचाई-समितियाँ | १,६४१ | ५४,१३६ | २,०५,७४,००० |
| चीनी के कारखाने | ५७ | १,४६,१४६ | ४७,३६,१६,००० |
| कपास-समितियाँ | १२० | ४६,५२२ | ३,४०,२५,००० |
| अन्य विधायन-समितियाँ | १३४७ | ६३,७३६ | १,६४,४१,००० |
| **बुनकर-समितियाँ** | | | |
| राज्यीय | २१ | ८,४६४ | ६,६८,५२,००० |
| केन्द्रीय | १०८ | ८,१३२ | १,६८,६७,००० |
| प्राथमिक | ११,०८६ | १२,७२,११२ | १६,६७,८३,००० |
| बुनाई-मिलें | १६ | ८,८८३ | ३,७७,३२,००० |
| अन्य औद्योगिक समितियाँ | १७,८६६ | १०,०२,५६३ | १३,३०,६१,००० |
| **उपभोक्ता-समितियाँ** | | | |
| थोक | ६५ | १२,३८५ | ५८,४०,००० |
| प्राथमिक | ७,१६८ | १३,६०,२१६ | ८,८५,५६,००० |
| **आवास-समितियाँ** | | | |
| राज्यीय | ६ | १,८१२ | ६,६२,०६,००० |
| प्राथमिक | ५,५५८ | ३,२०,१८८ | ४८,६६,४२,००० |
| मछुआ-समितियाँ | २,१११ | २,२०,३५८ | १,३६,६८,००० |
| बीमा-समितियाँ | ६ | ८,२७१ | ५०,६८,००० |
| अन्य समितियाँ | १६,८६५ | १३,०६,८७५ | १७,७६,७६,००० |

## अन्य समितियाँ

**निरीक्षण संघ**—सन् १६५६-६० ई० में देश में १०३६ निरीक्षण-संघ थे, जिनसे ४६,६४१ समितियाँ सम्बद्ध थीं। इन समितियों को १४.०८ लाख रु० की आय हुई, जिसमें से सरकार की ओर से प्राप्त अनुदान की राशि २.२१ लाख रु० थी। इन संघों ने लगभग १२.१६ लाख रु० व्यय किया।

**राज्यीय संघ तथा राज्यीय संस्थान**—३१ मार्च, १६६० ई० को देश में ऐसे ३१ राज्य-सहकारी-संघ और संस्थान तथा १३३ जिला-सहकारी-संघ और संस्थान थे। इनसे सम्बद्ध सोसाइटी की संख्या क्रम से ४२,८५६ और ३२,८२४ थीं।

**दिवालिया-समितियाँ**—सन् १६५६-६० ई० के आरम्भ में १५,३२६ सहकारी-का समितियों दिवाला निकाला। सन् १६५६-६० ई० में परिसम्पदाओं के ७७ हजार मूल्य (एसेट) के रूप में ५४ लाख ५० हजार रु० मिला तथा देनदारियों की राशि ४६ लाख ७७ हजार रु० निकली।

### प्रशिक्षण

सहकारी-विभागों और संस्थानों के बड़े अफसरों के प्रशिक्षण के लिए पूना में सहकारी प्रशिक्षण-कॉलेज है। मध्यम दर्जे के कर्मचारियों के लिए ५ क्षेत्रीय प्रशिक्षण-केन्द्र और ब्लॉक-स्तर के सहकारी अफसरों के लिए ८ शिक्षण-संस्थाएँ हैं। छोटे अफसरों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों में ६२ प्रशिक्षण-विद्यालय हैं।

# वाणिज्य-व्यापार

## वैदेशिक व्यापार

सन् १९६०-६१ ई० की अवधि में भारत का वैदेशिक व्यापार, जिसमें आयात, निर्यात तथा पुनर्निर्यात भी सम्मिलित था, करीब १६ अरब, ५१ करोड़ ५३ लाख का हुआ। इसमें आयात १० अरब, ३ करोड़, २० लाख रु० का तथा निर्यात ६ अरब ४६ करोड़ रु० का था। सन् १९५०-५१ ई० की अवधि में १२ अरब, ५१ करोड़, ११ लाख रुपये का कुल वैदेशिक व्यापार हुआ था, जिसमें आयात की राशि ६ अरब ५० करोड़ ४ लाख तथा निर्यात की राशि ६ अरब ६८ लाख रुपये थी।

### चालू भुगतान-सन्तुलन

नीचे दी गई तालिका में सन् १९५८-५९ ई० से चालू भुगतान-सन्तुलन की स्थिति दिखाई गई है—

(करोड़ रु०)

| | १९५८-५९ | १९५९-६० | १९६०-६१ (प्रारम्भिक) | १९६१-६२ (अप्रैल-सित०) (प्रारम्भिक) |
|---|---|---|---|---|
| आयात (निजी तथा सरकारी) | १,०२९.९ | ९२४.५ | १,०८८,० | ४९२.० |
| निर्यात | ५७६.२ | ६२३.२ | ६३१.९ | ३२०.३ |
| व्यापार-सन्तुलन | −४५२.७ | −३०१.३ | ४५६.१ | −१७१.७ |
| सरकारी दान | ३५८ | ३७.१. | ४५.४ | १९.६ |
| अन्य अनमिलिखित मदें | ९०८ | ७५.७ | ४५. ६ | —६.६ |
| चालू भुगतान सन्तुलन (शुद्ध) | −३२६.१ | −१८२.८† | −३६५.१ | —१५८.७ |

सन् १९६०-६१ ई० में भुगतान-सन्तुलन की स्थिति में जो ह्रास देखा गया, उसका मुख्य कारण सरकारी तथा निजी क्षेत्र में आयुक्त की वृद्धि था। सन् १९६१-६२ ई० के प्रथमार्द्ध में व्यापार-सन्तुलन तथा भुगतान-सन्तुलन के घाटे में अनुपाततः अधिक कमी रही।

† ५.६ करोड़ रुपये मूल्य के सोने का मुद्रा-भिन्न आदान-प्रदान-सहित।

आयात—आयात पर रोक का विचार रखते हुए भी देश की बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण, सन १९५९-६० ई० की तुलना में सन् १९६०-६१ ई० में आयात के भुगतान की राशि ९ अरब २५ करोड़ से बढ़कर १० अरब ८८ करोड़ हो गई। धातुएँ, मशीन के सामान, वाहन आदि का निजी तौर पर काफी आयात किया गया तथा इनसे कुछ कम परिमाण में बिजली के सामान मँगाये गये। रासायनिक पदार्थ, रंग आदि जैसे कच्चे माल भी अधिक परिमाण में मँगाये गये। देश में रुई की उपज कम हो जाने के कारण अधिक रुई भी बाहर से मँगाई गई। उपभोक्ता-माल तथा अन्य विविध प्रकार की वस्तुएँ भी कुछ अधिक मँगाई गईं, किन्तु खनिज तेल के आयात $\frac{१}{२}$ की कमी हुई। सरकारी हिसाब में अनाज के आयात पर ८७ करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार, सन् १९६०-६१ ई० में सरकारी आयात की राशि ८० करोड़ बढ़ गई।

निर्यात—द्वितीय योजना-काल सन् १९५६-५७ ई० में निर्यात की राशि बढ़कर ६ अरब, ३५ करोड़ हो गई थी, किन्तु सन् १९६०-६१ ई० में वह घटकर ६ अरब ३२ करोड़ रह गई। निर्यात में पिछले वर्ष की अपेक्षा ८ करोड़ की जो वृद्धि हुई, वह अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं कही जा सकती; क्योंकि निर्यात में वृद्धि करने के अनेक उपाय किये गये थे तथा चीनी-प्रतियोगिता का भी अभाव था। निर्यात के फलस्वरूप इस वर्ष जूट से २५ करोड़ रुपये, कच्ची धातुओं से ६ करोड़ रुपये, मसालों से तीन करोड़ रुपये तथा काजू से २ करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए। निर्यात की अन्य सभी वस्तुओं में ह्रास रहा। तेलहन, खल्ली और वनस्पति तेल में से प्रत्येक के निर्यात में ६ करोड़ की कमी हुई। सूती वस्त्र में ७ करोड़ तथा रुई और रद्दी रुई तथा कच्चा चमड़ा के निर्यात में प्रत्येक में २ करोड़ का ह्रास हुआ।

### व्यापार-नीति

सन् १९६१-६२ ई० में निर्यात-वृद्धि पर जोर दिया जाता रहा। आयात-नियन्त्रण का भी उद्देश्य निर्यात में ही वृद्धि करना था। निर्यात में वृद्धि करना देश के लिए अत्यन्त महत्त्व रखता है; क्योंकि इसपर तृतीय योजना की बहुत-कुछ सफलता निर्भर करती है। बहुत-सी वस्तुओं, यथा भेड़, बकरियाँ, सफेद सीमेंट तथा जंगली जन्तुओं के निर्यात पर लगा नियन्त्रण उठा दिया गया। सामुद्रिक अतिनील रंग-जो पहले बाहर नहीं भेजा जाता था, उसके निर्यात के लाइसेंस की अबाध छूट दी जाती है। देश की आन्तरिक आवश्यकता की पूर्त्ति तथा मूल्य में वृद्धि नहीं होने देने के लिए बॉक्साइट, तसर-सिल्क की कतरनें, केला, हाथ-करघे के कपड़ों के निर्यात पर नियन्त्रण लगा दिया गया है।

आयात-नीति—सन् १९६१-६२ ई० में आयात के सम्बन्ध में रोक-थाम की नीति बनी रही। निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्ष तैयार माल के निर्यात की जगह कच्चे माल, पूँजीगत सामान, कल-पुर्जे, मशीनरी आदि के आयात के लाइसेंस दिये गये। अक्टूबर, १९५९—मार्च, १९६० ई० में चालू की गई लाइसेंस दुहराने की योजना जारी रखी गई। मूल्यों में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को कम करने के उद्देश्य से कुछ वस्तुओं का आयात सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जाता रहा। लाइसेंस देने के मामले में डालर तथा नर्म मुद्रा-क्षेत्र में जो विभेद रखा जाता था, उसे हटा दिया गया। अक्टूबर, १९६१ ई० से मार्च, १९६२ ई० की अवधि में १२० वस्तुओं के लिए सुव्यवस्थित आयातकों के कोटा में और भी कमी की गई तथा उनपर रोक लगी रही। बहुत-सी वस्तुओं के लिए आधारभूत अवधि में वृद्धि की गई।

अप्रैल—सितम्बर, १९६१ ई० में आयात के लिए दिये गये लाइसेंसों का कुल मूल्य ३ अरब, ८५ करोड़ था। मार्च, १९६२ ई० में सन् १९६२-६३ ई० के लिए जो नीति घोषित की गई है, वह आयात-निर्यात-नीति-समिति ( मुदालियर-कमिटी ) की सिफारिशों पर आधारित है।

**निर्यात-नीति**—विदेशी व्यापार तथा विशेषकर निर्यात-व्यापार में वृद्धि करने एवं तत्सम्बन्धी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से जून, १९५७ ई० में एक विदेशी व्यापार-मण्डल तथा एक निर्यात-व्यापार-वृद्धि-निदेशालय की स्थापना हुई। इस निदेशालय में अब ४ विभाग हैं। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में भी इसके एक-एक विभाग खुले हैं। निर्यात-व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने १२ विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्यात-वृद्धि-परिषदें भी बना दी हैं।

निर्यात-व्यापार-सम्बन्धी नीति तथा पद्धति के विषय में, परामर्श देने के लिए निर्यात-वृद्धि-परिषद् की स्थापना की गई है। अगस्त, १९५९ ई० में इसका पुनर्गठन करके इसमें व्यापार तथा अन्य हितों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये गये। सन् १९६१ ई० के कार्यों में 'फ्रेट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड' तथा आयात और निर्यात-नीति-समिति के निर्माण आदि मुख्य हैं।

२६ अगस्त, १९५९ ई० को परिषद् की स्थायी समिति बनाई गई, जो निर्यात सम्बन्धी समस्याओं पर सरकार को परामर्श देती है।

जुलाई, १९५७ ई० में एक विशेषज्ञ-समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार के नियंत्रण में एक निर्यात-बीमा-निगम स्थापित हुआ, जिसकी अधिकृत पूँजी ५ करोड़ रु० है। यह निगम बीमे की वे सब सुविधाएँ देता है, जो सामान्यतः व्यावसायिक बीमा-कम्पनियाँ नहीं देतीं। कलकत्ता तथा मद्रास में भी निगम के कार्यालय हैं। सन् १९६१ ई० में निगम ने १३ करोड़ २ लाख रु० की ४२६ पॉलिसियाँ जारी कीं।

प्रदर्शनी-निदेशक भारतीय सामान के लिए व्यावसायिक प्रचार की देखभाल करता है। सन् १९६१ ई० में उसने लिपजिग, कासाब्लैंका, पोजनान ( पोलैंड ), काबुल, दमिश्क, सिडनी, मोगाडिस्को ( सोमालिया ), जगरेब ( युगोस्लाविया ), लेवण्ट, बारी ( इटली ) में हुए अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त अंकारा, क्वालालम्पुर और सिंगापुर में भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनियाँ लगाई गईं। साथ ही, प्रसिद्ध विदेशी व्यावसायिक केन्द्रों में भारतीय सामान का बराबर प्रचार किया जाता रहा। दिसम्बर, १९५९ ई० में नई दिल्ली में निर्यात की वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए एक प्रयोगशाला सह-प्रदर्शन-कक्ष खोला गया। भारतीय राज्य-व्यापार-निगम ने लिपजिग, प्लावडिक और पोजनान के अन्तरराष्ट्रीय मेलों में भाग लिया।

## व्यापार-करार

सन् १९६०-६१ ई० में भारत का २६ देशों के साथ व्यापार तथा भुगतान-करार चालू था। सन् १९६० ई० में चिली, जोर्डन, ट्यूनीशिया तथा मोरक्को के साथ नये व्यापार-करार किये गये। मिस्री विदेश-व्यापार-कम्पनी ( इजिप्ट फारेन ट्रेड कम्पनी ) के साथ एक व्यापार तथा भुगतान-करार हुआ। अफगानिस्तान, इटली तथा यूनान के साथ किये गये करारों की अवधि बढ़ाई गई। पश्चिम जर्मन-सरकार के साथ भारतीय वस्त्र, सिलाई की मशीनें आदि वस्तुओं को लेकर इकरारनामा हुआ। एशिया तथा यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ निरन्तर बने हुए असन्तुलन को नियन्त्रित करने के लिए सन् १९५९ ई० में व्यापार की पद्धति बदलनी पड़ी। जर्मन-गणराज्य,

बल्गेरिया, युगोस्लाविया तथा हंगरी के साथ नये व्यापार तथा भुगतान-करार पर हस्ताक्षर हुए। वियतनाम-गणराज्य के साथ सितम्बर, १९५६ ई० में किया गया व्यापार-करार अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नेपाल तथा पाकिस्तान के साथ भी सन् १९६० ई० में व्यापार-करार किये गये। मिस्र और बर्मा के साथ भी इकरारनामे हुए।

सरकार-द्वारा सम्पन्न करारों के अतिरिक्त राज्यीय व्यापार-निगम के भी चेकोस्लोवाकिया, मंगोलिया, युगोस्लाविया तथा हंगरी के व्यापार-संगठनों के साथ चार इकरारनामे हुए।

## तटकर

सन् १९६०-६१ ई० में तटकर-आयोग ने १४ तटकर-जाँच करवाई। मूल्य के सम्बन्ध में भी दो चार जाँच हुई। जाँच उन वस्तुओं के सम्बन्ध में की गई, जिनका संरक्षण ३१ दिसम्बर, १९६० ई० को समाप्त हो रहा था। १३ उद्योगों के सम्बन्ध में आयोग की मुख्य सिफारिशें सरकार ने पूरी तरह मान लीं, पर अलमिनियम के सम्बन्ध की सिफारिशें अंशतः ही स्वीकार की गईं। तदनुसार, १ जनवरी, १९६१ ई० से कुछ उद्योगों पर से संरक्षण हटा लिया गया, और कुछ पर संरक्षण को दो-तीन वर्षों के लिए बढ़ाया गया।

## व्यापार की दिशा

ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका भारत के मुख्य ग्राहक तथा विक्रेता हैं। सन् १९६१ ई० में भारत के निर्यात-व्यापार में उनका भाग क्रमशः २४.७ तथा १७.३ प्रतिशत; तथा आयात-व्यापार में क्रमशः १७·६ तथा २३·६ प्रतिशत था।

भारत जिन देशों को निर्यात करता है, उनमें प्रमुख हैं—ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया, रूस, श्रीलंका, पश्चिम जर्मनी, कनाडा, बर्मा, मिस्र, फ्रांस, अर्जेन्टाइना, सूडान, सिंगापुर, नीदरलैंण्ड, केनिया-उपनिवेश, इटली, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान।

आयात मुख्यतः इन देशों से होता है ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, ईरान, जापान, इटली, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंण्ड, आस्ट्रेलिया, मलय, सऊदी अरब, कनाडा, पाकिस्तान, बर्मा, नीदरलैंण्ड, सिंगापुर, स्वीडन, कुवैत, मिस्र तथा केनिया-उपनिवेश।

## राज्य-व्यापार-निगम

मई, १९५६ ई० में सरकार के नियन्त्रण में एक व्यापार-निगम की स्थापना की गई। इसकी अधिकृत पूँजी ५ करोड़ रुपया है। निगम का प्रमुख कार्य है भारत के विदेशी व्यापार की वृद्धि करना। भारतीय व्यापार को बहुमुखी बनाना तथा भारत की परम्परागत तथा अपरम्परागत निर्यात-वस्तुओं के लिये नये बाजारों को ढूँढ़ना भी इस निगम का कार्य है। इसने भारत से निर्यात की जानेवाली वस्तुओं के बदले में आवश्यक पूँजीगत सामान तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री मँगाने के सम्बन्ध में कुछ देशों के साथ व्यवस्था की है। निगम ने पत्तन (बन्दरगाह) की सुविधाओं, खानों तथा परिवहन के विकास के क्षेत्र में भी एक महत्त्वपूर्ण भाग लिया है। अपने स्थापना-काल से सन् १९६०-६१ ई० के अन्त तक निगम ने १ अरब ८३ करोड़ रुपये के मूल्य का व्यापार किया। सन् १९६०-६१ ई० में निगम को ६५ करोड़ रुपये के मूल्य का व्यापार था, जिसमें ३७ करोड़ रुपये का निर्यात तथा २८ करोड़ का आयात था।

## १९६० तथा १९६१ में आयात की गई वस्तुएँ

(लाख रुपये में)

| वस्तुएँ | १९६० | १९६१ |
|---|---|---|
| मशीनें (बिजली की मशीनों को छोड़कर) | १,८३,७६ | २,३०,८९ |
| लोहा तथा इस्पात | १,१७,६३ | १,०२,१६ |
| पेट्रोल के उत्पादन | ५५,५५ | ४७,८८ |
| परिवहन का सामान | ६६,९३ | ५७,३८ |
| बिजली की मशीनें तथा उपकरण | ५४,६६ | ६३,४५ |
| कपास | ७५,२७ | ६९,३२ |
| गेहूँ | १,४८,६८ | ७३,०६ |
| पेट्रोल (कच्चा तथा अंशतः परिशुद्ध) | २२,८७ | ३१,६३ |
| रासायनिक तत्त्व तथा मिश्रण | ४०,७१ | ३५,७७ |
| धातु की बनी वस्तुएँ | १८,३७ | १७,६१ |
| सूत | १४,४५ | १३,३८ |
| युद्ध-उपकरण | ३,२७ | ३५ |
| ताँबा | २३,९२ | २०,५३ |
| चावल | २५,५४ | ११,२१ |
| औषधियाँ | १०,९७ | १०,७१ |
| ताजे फल आदि | १३,३२ | १३,३५ |
| कच्चा ऊन तथा बाल | १०,७० | ११,४० |
| कागज तथा गत्ता | ११,९१ | १३,४८ |
| तेलहन, गरियाँ आदि | १२,०३ | ९,६२ |
| कोलतार, रंग आदि | ९,१६ | ११,३८ |
| अल्युमीनियम | ७,२९ | ७,७६ |
| दूध तथा क्रीम (डिब्बा-बन्द) | ३,८७ | ६,४५ |
| विभिन्न रसायन तथा उनके उत्पादन | ९,२८ | ११ २३ |
| जस्ता | ८,८८ | ८,५० |
| कच्चा जूट | ७,९४ | ७,१८ |
| कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला, पेट्रोल, खाद तथा बहुमूल्य रत्नों-पत्थरों को छोड़कर) | ७,०७ | ७,११ |
| वनस्पति-तेल | ४,२६ | ४,२७ |
| कुल (अन्य वस्तुओं को मिलाकर) | १०,९१,९३ | १०,१४,६७ |

## १९६० तथा १९६१ में निर्यात की गई वस्तुएँ

( लाख रुपयों में )

| वस्तुएँ | १९६० | १९६१ |
|---|---|---|
| चाय | १,१९,९९ | १,२४,४५ |
| सूती कपड़ा | ५८,४७ | ५०,५४ |
| अन्य वस्त्र (सूती कपड़ों को छोड़कर) | ७६,०१ | ८३,९८ |
| कपड़े की बनी चीजें (पहनने के कपड़ों तथा जूतों को छोड़कर) | ५९,५७ | ६९,७७ |
| कच्ची अलौह धातुएँ | १६,५३ | १३,४१ |
| चमड़ा | २५,६२ | २५,९९ |
| कपास | १०,७५ | १८.६९ |
| ताजे फल आदि | २०,४३ | २१,१२ |
| कच्ची वनस्पतिजन्य सामग्री | १६,१३ | १५,९५ |
| कच्चा ऊन | ८,६६ | ९,२५ |
| चीनी | १,६६ | १५,५४ |
| खनिज लोहा आदि | १६,१३ | १८,०६ |
| कच्चा तम्बाकू | १४,६३ | १४,८० |
| वनस्पति-तेल | ९,९१ | ४,९२ |
| कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला, पेट्रोल, खाद तथा बहुमूल्य रत्नों को छोड़कर) | १२,३८ | १२,२३ |
| सूत | ११,१४ | १२,६० |
| सजावटी तथा फर्श पर बिछाने का सामान | ९,१२ | ८,७७ |
| लोहा और इस्पात | ८,२२ | ११,९९ |
| कहवा | ६,७० | ९,५० |
| चमड़ा तथा खालें (कच्चा) | १०,१४ | ८,०० |
| पेट्रोल के उत्पादन | ४,६१ | ३,४२ |
| कोयला, कोक तथा कोयला-चूरे की ईंटें | ४,११ | २,४५ |
| कुल ( अन्य वस्तुओं को मिलाकर ) | ६,२१,५८ | ६,५९,९५ |

## आन्तरिक व्यापार

### तटीय व्यापार

भारतीय तटों को ९ खण्डों में विभाजित किया जाता है—१. पश्चिम बंगाल; २. उड़ीसा; ३. आन्ध्रप्रदेश; ४. मद्रास; ५. केरल; ६. मैसूर; ७. बम्बई और ८. अन्दमान और निकोबार-द्वीप; ९. लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदिवी द्वीप। एक ही खण्ड में विभिन्न बन्दरगाहों के बीच किया जानेवाला व्यापार 'आन्तरिक व्यापार' तथा दो भिन्न खण्डों के बीच किया जानेवाला व्यापार 'बाह्य व्यापार' कहलाता है।

सन् १९६० ई० में २ अरब १४ करोड़ रुपया का आयात-व्यापार तथा २ अरब २१ करोड़ रुपया का निर्यात-व्यापार हुआ।

## अन्तर्देशीय व्यापार

भारत एक विशाल देश है। यहाँ भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु तथा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं। अतएव, यहाँ का अन्तर्देशीय व्यापार बाह्य व्यापार से कईगुना बड़ा होना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय आयोजन-समिति की एक व्यापार-उप-समिति की रिपोर्ट के अनुसार सन् १९४० ई० में देश का आन्तरिक व्यापार ७० अरब रुपये मूल्य का तथा बाह्य व्यापार ५ अरब रुपया के मूल्य का था। बहुत-सा व्यापार तो बैलगाड़ियों तथा छोटी-मोटी नौकाओं द्वारा होता है, जिसका हिसाब-किताब रखना आसान नहीं है। किन्तु, रेल तथा देशी जहाजों द्वारा होनेवाले व्यापार के आँकड़े प्राप्य हैं। अन्तर्देशीय व्यापार के आंकड़े तैयार करने के लिए अप्रैल, १९५५ ई० से देश ३६ व्यापार खंडों में बँटा है। ये खंड प्रायः भारत के पुराने प्रान्तों के आधार पर बनाये गये हैं। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, आन्ध्र, सौराष्ट्र जैसे प्रमुख बन्दरगाह भी एक-एक खंड मान लिये गये हैं।

# परिवहन

## रेलें

३५,३९५ मील क्षेत्र में फैली भारतीय रेलें विस्तार की दृष्टि से एशिया में पहला तथा एक अकेली रेलवे के रूप में संसार में दूसरा स्थान रखती हैं। यह राष्ट्रीयीकरण किया गया सबसे बड़ा उद्योग है। अनुमान है कि सन् १९६०-६१ ई० में प्रतिदिन औसतन ४४ लाख से अधिक व्यक्तियों ने रेलों से यात्रा की तथा ४ लाख टन माल ढोया गया। सन् १९६०-६१ ई० के अन्त में रेलों पर कुल १५ अरब २८ करोड़ रु० की पूँजी लगी हुई थी और उनसे ४ अरब ५९ करोड़ रु० की कुल आय प्राप्त हुई। उस वर्ष रेलों में ११,९६,४८२ व्यक्ति काम करते थे, जिन्हें वेतन के रूप में २ अरब ५ करोड़ रुपये दिये गये।

यहाँ सर्वप्रथम रेल-लाइन १६ अप्रैल, १८५३ ई० को चालू की गई थी। उस समय इसकी लम्बाई २० मील, उनमें लगी पूँजी का परिमाण ३८ लाख रुपये था। भारत-विभाजन के पश्चात् सन् १९४७-४८ ई० में भारतीय रेलों की लम्बाई ३३,९८५ मील तथा इनमें लगी पूँजी का परिमाण ७ अरब ४२ करोड़ २० लाख रु० था। सन् १९६०-६१ ई० में इनकी लम्बाई ३५,३९५ मील और इनमें लगी पूँजी १५ अरब २७ करोड़ ८३ लाख रु० थी। सन् १८७१ ई० में भारतीय रेलों से कुल १,९२,८३,००० व्यक्तियों ने यात्रा की तथा ३५.४२ लाख टन माल ढोया गया। सन् १९५९-६० ई० में भारतीय रेलों से लगभग १,५३,४०,३०,००० यात्रियों ने यात्रा की तथा १४,५४,७९,००० टन माल ढोया गया।

रेल-क्षेत्र—अगस्त, १९४९ ई० से पूर्व भारत में ३७ रेल-क्षेत्र थे। अब इनका नया वर्गीकरण कर इन्हें ८ रेल-क्षेत्रों में बाँटा गया है—१. दक्षिण क्षेत्र (मुख्यालय : मद्रास); २. मध्य क्षेत्र

(मुख्यालय : बम्बई); ३. पश्चिम क्षेत्र (मुख्यालय : बम्बई); ४. उत्तर क्षेत्र (मुख्यालय : (दिल्ली); ५. उत्तरपूर्व-क्षेत्र (मुख्यालय : गोरखपुर); ६. उत्तरपूर्व सीमान्त-क्षेत्र (मुख्यालय: पाण्डु); ७. पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय : कलकत्ता) तथा ८. दक्षिण-पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय : कलकत्ता)।

कुछ छोटी पटरी की रेल-लाइनों को, जिनकी लम्बाई ४५० मील थी और जो प्राइवेट कम्पनियों के अधिकार में थीं, पुनर्गठन-योजना में सम्मिलित नहीं किया गया।

## योजनाओं के अन्तर्गत विकास

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलों के पुनर्संस्थापन तथा विस्तार पर ४ अरब २३ करोड़ ७३ लाख रुपये खर्च हुए।

द्वितीय योजना की अवधि में रेलों के विकास के लिए ११ अरब २१ करोड़ ५० लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। उक्त व्यय से यात्री यातायात में ३ प्रतिशत की तथा माल-यातायात में १६.२ लाख टन की वृद्धि करनी होगी; ८०० मील लम्बी नई रेल-लाइनें बिछा देने; १,३०० मील लम्बी रेल-लाइनें दोहरी कर देने तथा ८८० मील लम्बी रेल-लाइनों पर बिजली की गाड़ियाँ चलाने की व्यवस्था करने और रेल-इंजिनों, सवारी-डब्बों तथा माल-डिब्बों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः १०,६००; २८,६०० तथा ३५,४१,००० कर देने की आशा की गई थी।

तीसरी योजना के विकास-कार्यक्रम में सन् १९६१—६६ ई० तक की अवधि में १३ अरब, २५ करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। (१) इससे उक्त अवधि में २४ करोड़ ५० लाख टन माल की ढुलाई हो सकेगी; (२) मुसाफिरों की यात्रा में १५ प्रतिशत की वृद्धि होगी; (३) १,७६४ रेल-इंजन और ७,८७६ सवारी डब्बे और १,१७,१४४ माल के डब्बे खरीदे जा सकेंगे। (४) १,७७० मीलों में रेल की दोहरी लाइनें बिछाई जा सकेंगी (५) ८,१२५ मीलों में लाइनों का नवीकरण होगा; (६) ११०० मीलों में बिजली की गाड़ियाँ चलेंगी; (७) १२०० मीलों में नई लाइनें बिछाई जायेंगी; (८) ५४,००० नये स्टाफ-क्वार्टर्स बनाये जायेंगे।

**नये निर्माण-कार्य**—प्रथम योजना-काल में पहले उखाड़ी गई ४३० मील लम्बी लाइनें फिर से बिछाई गईं, ३८० मील लम्बी नई लाइनें बिछाई गईं तथा ४६ मील लम्बी छोटी लाइनों को मध्यम लाइनों में बदला गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में ४०८ मील में बड़ी लाइनें तथा ३८२ मील में मध्यम नई लाइनें बिछाई गईं। योजना के अन्त में १६०० मील में बड़ी लाइनें और २५१ मील में मध्यम लाइनें बिछाई जा रही थीं।

**रेल-इंजिन, डिब्बे आदि**—पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में ४९६ रेल-इंजिन; ४,३५१ सवारी-डिब्बे तथा ४१,१९२ माल-डिब्बे बने।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेल-इंजिन, सवारी-डिब्बे तथा माल-डिब्बे नीचे लिखे अनुसार बने—

| | बड़ी लाइन | मध्यम लाइन | छोटी लाइन |
|---|---|---|---|
| इंजन | १,२२६ | ६४२ | २४ |
| सवारी-डब्बे | ४,१४६ | ३,१४६ | २१७ |
| माल-डब्बे | ६६,६६६ | ३६,३४० | १,६५८ |

**मरम्मत-कारखाने, संयंत्र तथा मशीनें**—चित्तरंजन, पेराम्बूर तथा रेलवे के अन्य छोटे-छोटे कारखानों में निर्माण तथा मरम्मत के कामों में विशेष प्रगति हुई है ।

**बिजली तथा डीजल की गाड़ियाँ**—भारत में बिजली की गाड़ियाँ सबसे पहले सन् १९२५ ई० में चलनी आरम्भ हुई । बिजली की गाड़ियाँ केवल कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के आसपास ही कुछ लाइनों पर चलती हैं । ३१ मार्च, १९६० ई० को देश में ३३०.६ मील मार्ग पर बिजली की गाड़ियाँ चलती थीं । सन् १९६०-६१ ई० में १३४.६ मीलों में बिजली की व्यवस्था की गई ।

कुछ रेल-मार्गों पर डीजल-चालित गाड़ियाँ भी चलती हैं । ३१ मार्च, १९६१ ई० को डीजल से चलनेवाले इंजिन की संख्या १८१ थी ।

**यात्रियों के लिए सुविधाएँ**—सन् १९५१-५२ से १९६०-६१ ई० की अवधि में यात्रियों, खासकर तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधाएँ देने के लिए अनेक सुधार-कार्य हुए । यथा, कुछ गाड़ियों में लम्बी यात्रा करनेवाले यात्रियों के लिए डिब्बे सुरक्षित करने का प्रबंध किया गया और कुछ नई गाड़ियाँ चलाई गईं तथा कुछ गाड़ियों का क्षेत्र-विस्तार किया गया । ५०० मील से ऊपर के यात्रियों के लिए अधिक शुल्क दिये बिना सोने की सुविधावाले ७५ डिब्बे लगाये गये, गाड़ियों में भोजन, पीने के पानी, पंखों आदि की भी व्यवस्था की गई । अनेक नये प्रतीक्षालय, पुल और प्लैटफार्म भी बनाये गये । जनता-गाड़ियाँ तथा वातानुकूलित गाड़ियाँ चालू हुईं । सन् १९६०-६१ ई० में तीन नये स्टेशनों में कैम्पिंग-कोच की सुविधाएँ बढ़ाई गईं । ऐसे स्टेशनों की संख्या अब १३ हो गई है ।

**कर्मचारी-कल्याण**—प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे कर्मचारियों के लिए ४० हजार और द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में ५७ हजार आवास-गृह बनाये गये । तृतीय योजनावधि में ५४ हजार आवास-गृह बनाने का लक्ष्य है । सन् १९६०-६१ ई० में कर्मचारियों के लिए ७७ अस्पताल और ४८० स्वास्थ्य-केन्द्र तथा दवाखाने थे । यक्ष्मा-रोगी की चिकित्सा के लिए उपचारालय खोले गये हैं । रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए ६४४ विद्यालय खोले गये । इनके अतिरिक्त १६ प्राथमिक तथा एक मिड्ल स्कूल खोले गये हैं । छात्रों की सुविधा के लिए १२ छात्रावास भी बनाये गये हैं । कर्मचारियों की सुविधा के लिए चल-पुस्तकालयों की भी व्यवस्था की गई है

**स्वावलम्बन**—भारतीय रेलें रेल-इंजिनों तथा सवारी-डिब्बों-सम्बन्धी आवश्यकता के सम्बन्ध में न केवल स्वावलम्बी हैं, बल्कि अब ये रेल-सामग्री के सम्बन्ध में पड़ोसी देशों की थोड़ी-बहुत सहायता भी दे सकती हैं । बिजली और डीजल से चलनेवाली रेल-इंजनों तथा अन्य सामान का निर्माण देश में ही प्रारम्भ हो चुका है । अभी तक इनमें से अधिकांश चीजों का आयात विदेशों से किया जाता रहा है । द्वितीय योजना-काल में रेलों की विदेशी विनिमय-सम्बन्धी आवश्यकता थी ३ अरब २० करोड़ रुपये की, किन्तु तीसरी योजना में यह आवश्यकता केवल १ अरब ८६ करोड़ की रह जायगी, ऐसा अनुमान है ।

## रेल-संबंधी आँकड़े

**यात्री-यातायात तथा आय**—सन् १९६०-६१ ई० में १,६१,५८,६३,८०० यात्रियों ने यात्रा की, जिनमें से वातानुकूलित (एयर-कण्डीशन) डिब्बों में यात्रा करनेवाले यात्रियों की

संख्या १,४७,३०० और पहले दर्जे, दूसरे दर्जे तथा तीसरे दर्जे में यात्रा करनेवाले यात्रियों की संख्या क्रमशः ३,४६,७४,५००; १,११,१६,३०० तथा १,५६,६६,५५,७०० थी। यात्रियों के किराये से रेल को १,३२,५१,७६,००० रु० की आय हुई।

विना टिकट यात्रा—विना टिकट के यात्रियों को कड़ा दण्ड देने के लिए २ मई, १६५६ ई० को 'भारतीय रेल-अधिनियम' में एक संशोधन किया गया। सन् १६५५-५६ ई० में ६६,०२,११४ व्यक्ति विना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये थे। सन् १६६०-६१ ई० में ८३,२३०६ व्यक्ति विना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये, जिनसे किराये तथा जुरमाना के रूप में १,८३,२३,३०६ रु० वसूल किये गये।

## किराया तथा भाड़ा

रेलवे में १५ सितम्बर, १६५७ ई० से दाशमिक सिक्के का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। १ अप्रैल, १६६० ई० से मैट्रिक माप-तौल की प्रणाली अपनाई गई। अब स्टेशनों की दूरी मीलों की जगह कीलोमीटर में मापी जाती है।

'रेल-यात्री-किराया-अधिनियम' १५ सितम्बर, १६५७ ई० से लागू है। २६—४६ कीलोमीटर तक के किराये पर ५ प्रतिशत, ५०—८०५ कीलोमीटर तक १५ प्रतिशत तथा ८०५ कीलोमीटर से ऊपर १० प्रतिशत कर लगाया जाता है। २५ कीलोमीटर तक की यात्रा पर कोई कर नहीं है।

वातानुकूलित तृतीय श्रेणी की गाड़ियों में यात्रा करनेवालों को सामान्य भाड़े के अतिरिक्त १ रुपया २५ नये पैसे प्रति मील के हिसाब से अधिक भाड़ा देना पड़ता है।

रेल-भाड़ा-जाँच-समिति की सिफारिश पर १ अक्टूबर, १६५८ ई० से संशोधित रेल-भाड़े लागू किये गये। १ जुलाई, १६६२ से रेल के किराये में पुनः वृद्धि हुई है।

### प्रशासन

रेलों का समस्त नियन्त्रण तथा प्रबन्ध रेल-मण्डल के हाथ में है, जिसकी स्थापना सन् १६०५ ई० में हुई थी। रेल-मण्डल में इस समय एक अध्यक्ष (केन्द्रीय रेल-मंत्रालय का पदेन महासचिव), एक वित्तायुक्त तथा तीन सदस्य हैं। ये सब रेल-मंत्रालय के सचिव-पद के व्यक्ति होते हैं। जनता तथा रेल-प्रशासन के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखने के लिए विभिन्न समितियाँ भी हैं।

## सड़कें

सन् १६४७ ई० से केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजपथों (सड़कों) के निर्माण और उनकी देख-भाल का दायित्व स्वयं सँभाल रही है। 'राष्ट्रीय राजपथ-अधिनियम, १६५६' के अनुसार राष्ट्रीय राजपथ केन्द्र के दायित्व में और राज्यीय राजपथ, जिलों तथा गाँवों की सड़कें राज्य-सरकारों के अधीन हैं।

प्रगति—नागपुर-योजना (१६४३) में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में हाल के वर्षों में सड़क-विकास के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई। नागपुर-योजना में १,२२,००० मील लम्बी पक्की तथा २,०८,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाने का लक्ष्य था। ३१ मार्च, १६६१ ई० तक लगभग १,४४,००० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा २,५०,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई गईं।

राष्ट्रीय राजपथ—१ अप्रैल, १९४७ ई० को लगभग १,६०० मील लम्बी सड़कों एवं हजारों पुलों के चिह्न तक शेष न थे। राष्ट्रीय सड़कों का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर आ जाने के बाद से सड़कों की अवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है। अनुमान लगाया गया है कि १ अप्रैल, १९४७ ई० से ३१ मार्च, १९५६ ई० तक ७४६ मील टूटी सड़कों का निर्माण किया गया, ३३ बड़े पुल बनाये गये और ४,६०० मील लम्बी वर्त्तमान सड़कों का सुधार किया गया।

अप्रैल, १९५६ ई० से मार्च, १९६१ ई० तक ६४० मील टूटी सड़कों का निर्माण किया गया, ४० बड़े पुल बने तथा ३५०० मील सड़कों का सुधार किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३५० मील लम्बी टूटी सड़कों की मरम्मत होगी, ६० बड़े पुल बनेंगे तथा १२०० मील लम्बी सड़कों का सुधार किया जायगा।

राष्ट्रीय राजपथों में ये सड़कें शामिल हैं—अमृतसर—कलकत्ता, आगरा—बम्बई, बम्बई-बंगलोर—मद्रास, मद्रास—कलकत्ता, कलकत्ता नागपुर-बम्बई, वाराणसी—नागपुर—हैदराबाद कुरनूल—बंगलोर—कन्याकुमारी अन्तरीप, दिल्ली—अहमदाबाद-बम्बई, अहमदाबाद-काण्डला बन्दर (जिसका निर्माण जारी है) तथा अहमदाबाद—पोरबन्दर, अम्बाला—शिमला-तिब्बत की सीमा, दिल्ली—मुरादाबाद—लखनऊ, लखनऊ—मुजफ्फरपुर—बरौनी (एक शाखा नेपाल की सीमा तक), आसाम-प्रवेश सड़क और आसाम ट्रंक सड़क (एक शाखा मणिपुर होते हुए वर्मा तक)।

अन्य सड़कें—भारत-सरकार राज्यों की कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिए सहायता देती है। ऐसी सड़कों में असम की पासी-बदरपुर सड़क और केरल, महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्यों की पश्चिमी तटवाली सड़कें उल्लेखनीय हैं। अप्रैल, १९५६ ई० से दिसम्बर, १९६१ ई० तक ४१५ मील लम्बी सड़कों का निर्माण या सुधार किया गया।

मई, १९५४ ई० में स्वीकृत विशेष कार्यक्रम के अनुसार अन्तरराज्यीय अथवा आर्थिक महत्त्व की कुछ चुनी हुई राज्यीय सड़कों के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ६२५ मील लम्बी सड़कों का निर्माण तथा १,६७५ मील लम्बी सड़कों का सुधार किया गया।

राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों के अन्तर्गत दूसरी योजना की अवधि में २२,००० मील लम्बी पक्की तथा ३७,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई गईं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत-सरकार द्वारा ५०० मील लम्बी सड़कों के निर्माण तथा १००० मील लम्बी सड़कों के सुधार का लक्ष्य रखा गया है। राज्य-सरकार द्वारा २५००० मील लम्बी सड़कें बनाने का विचार किया गया है।

बिंशवर्षीय योजना—सड़क-विकास के लिए एक नई दीर्घकालीन योजना विचाराधीन है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक गाँव को सड़कों से मिला दिया जायगा। यदि यह लक्ष्य पूरा हो गया, तो प्रत्येक १०० वर्गमील क्षेत्र में औसतन ५२ मील लम्बी सड़कें बन जायेंगी। इस समय इतने क्षेत्र में कुल ३१ मील लम्बी सड़कें हैं।

## सड़क-परिवहन

मोटरगाड़ियाँ—३१ मार्च, १९४७ ई० को भारत में कुल २,११,९४९ मोटरगाड़ियाँ थीं। ३१ मार्च, १९५० ई० को यह संख्या ५,६८,३८४ तक जा पहुँची। इनमें ६८,३६४ मोटरसाइकिलें;

४,६६० ऑटो-रिक्शा; २,४०,३७० प्राइवेट कारें; २६,२६० जीपें; ५०,७६७ सार्वजनिक गाड़ियाँ, १८,१४८ टैक्सियाँ, १,५२,६३८ भारवाहक (ट्रक आदि) तथा ३५,५४७ विविध गाड़ियाँ थीं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस मद में २६ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त रेलवे-योजना में भी सड़क-परिवहन-निगम के लिए १० करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस व्यय से ७५०० गाड़ियाँ खरीदी जायेंगी तथा कारखानों की मरम्मत की जायगी।

प्रशासन—केन्द्र में सड़क-परिवहन-सेवा के लिए कोई संगठन नहीं है। आन्ध्र, बिहार, महाराष्ट्र गुजरात, मैसूर, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हिमाचल-प्रदेश में राज्य सड़क-परिवहन-निगम कार्य कर रहे हैं। अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली और पूना में यह कार्य नगरपालिकाओं तथा नगर-निगमों द्वारा होता है। यात्री-परिवहन-उद्योग का २० प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीयीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत है। अन्तरराज्यीय सड़कों पर सड़क-परिवहन के विकास, समन्वयन तथा नियमन के लिए एक अन्तराज्यीय परिवहन-आयोग की स्थापना की गई है। विभिन्न प्रकार की परिवहन-सेवाओं तथा केन्द्रीय एवं राज्य-परिवहन-नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भारत-सरकार ने परिवहन-विकास-परिषद्, सड़क तथा अन्तर्देशीय जल-परिवहन-सलाहकार-समिति और केन्द्रीय-परिवहन-समन्वय-समिति की स्थापना की है।

## अन्तर्देशीय जलमार्ग

देश में नौका चलाने के योग्य जलमार्गों की लम्बाई लगभग ५,००० मील है। महत्त्वपूर्ण जलमार्गों में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी तथा कृष्णा और उनकी नहरें, केरल की नहरें, आन्ध्रप्रदेश और मद्रास की बकिंघम-नहर, पश्चिमी तट की नहरें तथा उड़ीसा की महानदी-नहरें उल्लेखनीय हैं।

गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में होनेवाले जल-परिवहन के विकास में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के पारस्परिक सहयोग से सन् १९५२ ई० में गंगा ब्रह्मपुत्र-जल-परिवहन-मंडल की स्थापना हुई।

तत्काल १,५५७ मील लम्बी नदियों में यन्त्रचालित छोटी नौकाएँ तथा ३,५८७ मील लम्बे नदी-मार्गों में बड़ी नौकाएँ चल सकती हैं। कम गहरे पानी में एक विशेष प्रकार की नौकाएँ चलाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में गंगा-ब्रह्मपुत्र-मंडल गंगा के ऊपरी भाग में एक परीक्षणात्मक परियोजना चला रहा है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जलमार्ग पर नौका चलाने के लिए केन्द्रीय परियोजना के अन्तर्गत ६ करोड़ ६ लाख रुपया और राज्यीय परियोजना के अन्तर्गत १ करोड़ ४८ लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य है।

## जहाजरानी

योजना-काल में प्रगति—पहली पंचवर्षीय योजना के पूर्व देश में ३,९०,७०७ टन के जहाज थे। योजना के अन्त में जहाज बढ़कर ६,००,७०७ टन के हो गये। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में ९,०५,००० टन के जहाजों की व्यवस्था की गई।

नवम्बर, १९६१ ई० के अन्त में भारत में ९.०५ लाख टन के १७५ जहाज थे, जिनमें से ३.४३ लाख टन के १०० जहाज तटीय व्यापार में तथा ५.६२ लाख टन के ७५ जहाज विदेशी

व्यापार में लगे थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जहाजरानी के लिए ६६ करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य है, जिसमें जहाजों में १·८ लाख टन की वृद्धि होगी।

**राष्ट्रीय जहाजरानी-मण्डल**—जहाजरानी के सम्बन्ध में नीति-विषयक बातों पर सरकार को परामर्श देने के लिए सन् १९६१ ई० में एक 'राष्ट्रीय जहाजरानी-मण्डल' स्थापित कर दिया गया है।

**जहाजरानी-निगम**—पूर्वी और पश्चिमी जहाजरानी-निगमों को मिलाकर अक्टूबर, १९६१ ई० में भारतीय जहाजरानी-निगम की स्थापना की गई है। इसकी अधिकृत पूँजी ३५ करोड़ रुपये है। इसके पास १५ माल ढोनेवाले जहाजों तथा दो माल और यात्री-वाहक जहाज और दो तटीय टैंकर जहाजों का एक बेड़ा है। माल ढोनेवाले जहाज इन मार्गों पर चलते हैं: भारत—अस्ट्रेलिया, भारत—सुदूर-पूर्व जापान, भारत—कालासागर, भारत का पश्चिमी तट, पश्चिमी पाकिस्तान—जापान; भारत—पाकिस्तान—ग्रेटब्रिटेन—यूरोप के अन्य देश तथा भारत—फारस।

यात्री और सवारी ढोनेवाले जहाज बम्बई और पूर्व अफ्रिका, मद्रास और सिंगापुर, भारत और अन्दमान-निकोबार द्वीप-समूह के बीच चलते हैं। टैंकर समुद्र-तटों पर ही चलते हैं। भारतीय जहाजरानी-निगम की सहायक कम्पनी, मुगल लाइन लि० के चार जहाज हैं, जो हज-तीर्थ-यात्रियों के उपयोग के लिए हैं।

**हिन्दुस्तान जहाज-निर्माणघाट**—मार्च, १९५२ ई० में भारत-सरकार ने सिन्धिया-कम्पनी से विशाखापत्तनम्-जहाज-निर्माणघाट खरीदकर उसकी व्यवस्था का भार 'हिन्दुस्तान-जहाज-निर्माणघाट' पर सौंप दिया। इसकी कुल हिस्सा-पूँजी सरकार के हाथ में है। इस कारखाने में तैयार प्रथम जहाज मार्च, १९४८ ई० में पानी में उतारा गया। इस जहाज-निर्माणघाट में वर्त्तमान समय में प्रतिवर्ष ४ जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। इस कारखाने में अबतक २७ समुद्री जहाजों तथा ३ छोटे जहाजों का निर्माण किया जा चुका है।

**दूसरा जहाज-निर्माणघाट**—दूसरा जहाज-निर्माणघाट, कोचीन में स्थापित किया जा रहा है, जहाँ प्रतिवर्ष ६० हजार टन वजन के जहाज बनेंगे। पीछे इसकी उत्पादन-क्षमता ८० हजार टन तक कर दी जायगी। यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में पूरा हो जायगा।

**प्रशिक्षण-संस्थान**—जून, १९६१ ई० में समाप्त होनेवाले वर्ष में प्रशिक्षणमूलक जहाज डफरिन में ८२ शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। ४,४२१ शिक्षार्थियों ने सितम्बर, १९६१ ई० के अन्त तक बम्बई के नाविक तथा इंजीनियरी-कॉलेज में उपलब्ध प्रशिक्षण का लाभ उठाया। सन् १९६१ ई० में कलकत्ता के समुद्री इंजीनियरी-कॉलेज की आठवीं टुकड़ी के शिक्षार्थियों में से ४६ शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

नाविकों को प्रशिक्षण देनेवाले मेखला, भद्रा तथा नवलक्ष्मी नामक जहाजों पर सितम्बर, सन् १९६१ ई० के अन्त तक १३,४,२९ शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

## बन्दरगाह

भारत में ६ मुख्य बन्दरगाह हैं—काण्डला, कलकत्ता, कोचीन, बम्बई, मद्रास तथा विशाखापत्तनम्। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों का प्रशासन अनुविहित बन्दरगाह-प्राधि-

कारियों के अधीन है तथा इनपर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है। काण्डला, कोचीन तथा विशाखपत्तनम् के बन्दरगाहों का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन है।

तीसरी योजना के अन्तर्गत ७५ करोड़ रु० के व्ययवाली योजनाओं में हल्दिया में गहरे पानीवाला बन्दरगाह बनाने तथा बम्बई-गोदी के आधुनिकीकरण की योजना भी है। भारत के समुद्र-तट पर लगभग २२५ छोटे बन्दरगाह हैं, जिनके प्रशासन का दायित्व राज्य-सरकारों पर है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन बन्दरगाहों के सुधार में केन्द्र की ओर से १० करोड़ ७६ लाख रुपये और राज्य की ओर से ४ करोड़ ६० लाख रुपये लगाये जाने की बात है।

**राष्ट्रीय बन्दरगाह-मण्डल**—बन्दरगाहों, विशेषकर छोटे बन्दरगाहों के समन्वित विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देने के लिए सन् १६५० ई० में राष्ट्रीय बन्दरगाह-मण्डल की स्थापना की गई।

## असैनिक उड्डयन

सन् १६६१ ई० में भारतीय विमानों ने कुल मिलाकर लगभग ३ करोड़ ३१ लाख मील की उड़ान भरी और वे १० लाख ६० हजार यात्रियों तथा लगभग १८ करोड़ २२ लाख पौण्ड माल और डाक लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को गये।

**विमान-निगम**—३१ मार्च, १६६१ ई० को इण्डियन एयरलाइन्स-कारपोरेशन के पास १० वाइकाउण्ट, ५ स्काइमास्टर, फौकर फ्रेण्डशिप्स तथा ५४ डकोटा-विमान थे। इसके विमान देश के मुख्य नगरों के बीच उड़ानें भरने के अतिरिक्त पास-पड़ोस के देशों—जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल को भी—अपनी सेवाएँ देते हैं।

एयर-इण्डिया-इण्टरनेशनल के पास ६ सुपरकान्स्टेलेशन विमान, ५ बोइंग, ७०७ जेट विमान तथा १ डी-सी ३ मालवाहक विमान हैं। इसके विमान १२१ देशों को आते-जाते हैं।

**प्रशिक्षण**—असैनिक उड्डयन-विभाग द्वारा संचालित इलाहाबाद-स्थित प्रशिक्षण-केन्द्र में उड्डयन-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। ३१ अक्तूबर, १६६१ ई० तक इस केन्द्र में २०६ शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया तथा ८६ शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

**उड्डयन-क्लब**—भारत में १७ सहायता-प्राप्त उड्डयन-क्लब, ३ सरकारी ग्लाइडिंग-केन्द्र तथा दो सरकारी सहायता-प्राप्त ग्लाइडिंग-क्लब हैं। सन् १६६१ ई० में नवम्बर के अंत तक इन उड्डयन-क्लबों में १४७ विमान-चालकों को प्रशिक्षण दिया गया।

**हवाई अड्डे**—इन दिनों भारत-सरकार के असैनिक उड्डयन-विभाग के नियन्त्रण तथा संचालन में ८६ हवाई अड्डे हैं। इनमें से कलकत्ता (दमदम), दिल्ली (पालम) तथा बम्बई सान्ता-क्रुज) के हवाई अड्डे अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व के हैं। रक्सौल तथा जोगवनी (बिहार) और बेहला (पश्चिम बंगाल) में नये हवाई अड्डों का निर्माण-कार्य चल रहा है। तुलीहाल (मणिपुर) और फूलबाग (हल्द्वानी; उत्तरप्रदेश) के नये हवाई अड्डे का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में असैनिक उड्डयन के विकास के कार्यक्रम रखे गये हैं।

**वायु-परिवहन-समझौते**—अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, इटली, ईराक, चेकोस्लोवाकिया, जापान, नीदरलैंड, पाकिस्तान, फ्रांस, फिलीपाइन, ब्रिटेन, मिस्र, रूस, श्रीलंका, सं० रा० अमेरिका, स्याम, स्विट्जरलैंड तथा स्वीडन के साथ वायु-परिवहन-समझौते हैं। ईरान, पश्चिमी जर्मनी तथा लेबनान के साथ हुए ऐसे समझौतों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।

## पर्यटन

**प्रशासन**—सन् १९४९ ई० में परिवहन-मन्त्रालय के अधीन एक पर्यटन-शाखा की स्थापना की गई। उसके बाद अबतक कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास-जैसे प्रसिद्ध नगरों में प्रादेशिक पर्यटन-कार्यालय और आगरा, औरंगाबाद, कोचीन, जयपुर, दार्जिलिंग, बंगलोर, भोपाल तथा वाराणसी में पर्यटन-सूचना-कार्यालय खोले जा चुके हैं। कोलम्बो, टोरण्टो, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, न्यूयार्क, मेलबोर्न, लन्दन और सानफ्रांसिस्को में भी भारत-सरकार के पर्यटन-कार्यालय हैं।

परिवहन तथा संचार-मन्त्रालय में एक पर्यटन-विभाग स्थापित किया गया है। सरकार को पर्यटन-सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देने के लिए एक पर्यटन-विकास-परिषद् कायम की गई है। देश के चार क्षेत्रों में प्रादेशिक सलाहकार-समितियाँ भी हैं।

**होटल**—भारत में होटलों के वर्गीकरण तथा मानकीकरण के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए सन् १९५७ ई० में एक होटल-मानक तथा दर-निर्धारण-समिति कायम की गई।

**पर्यटन-सम्बन्धी नियमों में छूट**—पर्यटन-व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए पुलिस, पंजीयन, मुद्रा, विनिमय-नियन्त्रण, चुंगी आदि से सम्बद्ध नियम कुछ ढीले कर दिये गये हैं। देशाटन को बढ़ावा देने के लिए रेल भी रियायती दरों पर टिकट जारी करती है। विद्यार्थियों, यात्रियों तथा ग्रीष्म-ऋतु में पहाड़ी स्थानों को जानेवाले पर्यटकों को भी विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। इस समय देश में पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत ४२ यात्रा-संस्थाएँ हैं।

**जानकारी**—पर्यटन-सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न भाषाओं में पथ-प्रदर्शक कार्ड आदि प्रकाशित किये जाते हैं तथा अँगरेजी में एक सचित्र मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है। विदेशों में प्रदर्शनार्थ पर्यटन-सम्बन्धी चलचित्र भी बनाये जाते हैं।

**पर्यटकों की संख्या**—भारत आनेवाले पर्यटकों की संख्या में दिन-दिन वृद्धि हो रही है। सन् १९५१ ई० में लगभग १६,८२९ पर्यटक भारत आये थे। सन् १९६१ ई० में यह संख्या १,३९,८०४ हुई।

**पर्यटकों से आय**—सन् १९६० ई० में पर्यटकों से लगभग २० करोड़ ६० लाख रुपये की विदेशी मुद्राएँ प्राप्त हुईं।

**विकास-योजनाएँ**—पर्यटन-व्यवसाय के विकास के लिए केन्द्र तथा कुछ राज्य-सरकारों ने योजनाएँ बनाई हैं। इनके अनुसार महत्त्वपूर्ण पर्यटन-केन्द्रों में अधिक-से-अधिक निवास-स्थानों, परिवहन तथा मनोरंजन की व्यवस्था की जायगी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की ओर से ३ करोड़ ५० लाख और राज्य-सरकारों की ओर से ४ करोड़ ५० लाख रुपये व्यय करने का विचार है।

**भारत में विदेशी पर्यटक**—गत कई वर्षों के अन्दर भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। पर्यटन से सन् १९५० ई० में अनुमानतः ४ करोड़ २० लाख रुपये की विदेशी

मुद्रा प्राप्त हुई थी। सन् १९५८ ई० में यह रकम बढ़कर १७ करोड़ ५ लाख हो गई। आभ्यन्तरिक पर्यटन में भी विशेष रूप से वृद्धि हुई है। सन् १९६१ ई० में लगभग १,३९,८०४ विदेशी भ्रमणकारी भारत आये। भ्रमणकारियों के द्रष्टव्य स्थान मोटामोटी तीन श्रेणियों में रखे जा सकते हैं: १. ऐतिहासिक स्थान, २. प्राकृतिक सौन्दर्य-युक्त स्थान और ३. योजनान्तर्गत विकासमूलक कार्यों के परिचायक उद्योग-केन्द्र, समाज-केन्द्र इत्यादि।

★

## संचार-साधन

भारतीय डाक-तार-सेवा रेलवे-विभाग के बाद, सरकार द्वारा संचालित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है।

३१ मार्च, १९६१ ई० को डाक-तार-विभाग के कर्मचारियों की संख्या ३,८२,०३२ थी तथा पूँजीगत व्यय १ अरब, ४१ करोड़ ४ लाख रु० था।

डाक-तार-विभाग का काम १४ क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा होता है, जिनमें १३ डाक-तार-केन्द्र तथा केवल दिल्ली के लिए एक डाक-केन्द्र है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के लिए तीन दूर-संचार इकाइयाँ हैं। दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर के लिए दो इकाइयाँ तथा अन्य बहुत-सी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। इस विभाग से सरकार को राजस्व के रूप में एक आय होती है। १ अप्रैल, १९६० ई० को इसकी कुल बचत २९ करोड़ ५८ लाख रुपये थी। इसका प्रशासन डाक-तार-मण्डल द्वारा होता है, जिसका गठन १४ दिसम्बर, १९५९ ई० को किया गया।

### डाक-व्यवस्था

सन् १९२१ ई० में डाक तथा तार-विभाग द्वारा डाक की १ अरब ४१ करोड़ वस्तुएँ ढोई गईं, जिनसे ५ करोड़ ८३ लाख रु० की आय हुई। सन् १९६०-६१ ई० में ४ अरब, २ करोड़ ९० लाख वस्तुएँ ढोई गईं और उनसे ४० करोड़ ७८ लाख रुपये राजस्व के रूप में मिले।

मार्च, १९६१ ई० में देश में कुल ७६,८६२ डाकघर थे। १ अप्रैल, १९६१ ई० तथा ३१ दिसम्बर, १९६१ ई० के बीच २,५३० नये डाकघर खोले गये।

**नगरों में भ्रमणशील डाकघर**—कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई और मद्रास में भ्रमणशील डाकघरों की व्यवस्था है। सामान्य डाकघरों के बन्द होने के बाद ये डाकघर निर्धारित समय पर नगर के विभिन्न स्थानों का चक्कर लगाते हैं। रविवार तथा अन्य छुट्टी के दिनों में भी इनका काम चालू रहता है। इन डाकघरों में मनीऑर्डर अथवा बचत बैंक का काम नहीं होता।

**हवाई डाक**—कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई और मद्रास-जैसे मुख्य नगरों में रात को हवाई जहाज से डाक लाने-ले जाने का प्रबन्ध है। देश में सब पत्रादि तथा मनीऑर्डर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सामान्यतः हवाई जहाज द्वारा पहुँचाये जाते हैं।

**हवाई पार्सल-सेवा**—भारत तथा अधिकांश बाहरी देशों के बीच हवाई डाक-सेवाओं की व्यवस्था है। इसके अलावा संसार के अनेक देशों में हवाई जहाज द्वारा साधारण पार्सल तथा बीमा किये हुए पार्सल और पत्र ले जाने तथा लाने की व्यवस्था है।

**डाकघर-बचत-बैंक (पोस्टल सेविंग्स बैंक)**—अधिकांश डाकघरों में बचत का धन जमा करने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बचत-बैंक में कोई व्यक्ति अधिक-से-अधिक १५,००० रु०

जमा कर सकता है तथा संयुक्त खाते में २०,००० रु० जमा हो सकते हैं। व्यक्तिगत तथा संयुक्त खाते में जमा क्रमशः १०,००० और २०,००० रु० तक की राशि पर प्रतिवर्ष २½ प्रतिशत तथा उससे अधिक राशि पर प्रतिवर्ष २ प्रतिशत ब्याज दिया जाता है।

सभी डाकघरों से, जो बचत-बैंक का काम करते हैं, सप्ताह में दो बार रुपया (अधिक-से-अधिक १,००० रु०) निकाला जा सकता है। सन् १९५८ ई० से चेक द्वारा रुपया जमा करने अथवा निकालने की प्रणाली भी चालू कर दी गई है। १ अगस्त, १९६० ई० से जमा-कर्ताओं को बचत-बैंक के लिए नाम निर्दिष्ट करने की भी सुविधा दी गई है।

डाक-जीवन-बीमा—सन् १९६०-६१ ई० में डाक तथा तार-विभाग के असैनिक डाक-बीमा-विभाग से ६८ लाख रु० के मूल्य की ४,७६६ पॉलिसियाँ जारी की गईं। इस अवधि में सैनिक डाक-बीमा-विभाग ने १५ लाख रु० के मूल्य की २७२ पालिसियाँ जारी कीं। अबतक असैनिक डाक-बीमा-विभाग २६ करोड़ ६६ लाख रु० के मूल्य की कुल १,४६,२०२ बीमा-पॉलिसियाँ तथा सैनिक डाक-बीमा-विभाग ६ करोड़ रु० के मूल्य की कुल ६,१६७ बीमा-पॉलिसियाँ जारी कर चुका है।

## तार-व्यवस्था

सन् १९६०-६१ ई० में देश में लाइसेंस-प्राप्त तारघर-समेत कुल ११,२२६ तारघर थे। इस वर्ष इन तारघरों के द्वारा ३ करोड़ ८१ लाख तार भेजे गये तथा इनको ७ करोड़ ५१ लाख रु० की आय हुई।

**हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तार-व्यवस्था**—हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था सर्वप्रथम १ जून, १९४९ ई० को आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गया, जबलपुर, नागपुर, पटना, लखनऊ तथा वाराणसी में प्रारम्भ की गई। इन दिनों देश में हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था लगभग १,६०० तारघरों (६० रेल-तारघर-सहित) में है। १० स्थानों में हिन्दी की मोर्स-प्रणाली के प्रशिक्षण की व्यवस्था है तथा अबतक ४,००० व्यक्ति प्रशिक्षित हो चुके हैं। तार किसी भी भारतीय भाषा में देवनागरी-लिपि में भेजा जा सकता है।

हिन्दी तारों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। सन् १९५०-५१ ई० में जहाँ हिन्दी में ५,७८४ तार भेजे गये थे, वहाँ सन् १९६०-६१ ई० में १,७४,९८३ तार भेजे गये।

**टेलिफोन-व्यवस्था**—सन् १९६०-६१ ई० में देश में ४,८१,००० टेलिफोन तथा ७,६७८ टेलीफोन-केन्द्र (एक्सचेंज) थे। इस वर्ष टेलिफोन से २६ करोड़ रु० की आय हुई। सन् १९५०-५१ ई० में १,६८,००० टेलिफोन तथा ३,७०० टेलिफोन-केन्द्र थे और टेलिफोन से ८ करोड़ ७ लाख रुपये की आय हुई।

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से अब तट से ५०० मील की दूरी के अन्दर के जहाज से भी टेलिफोन-सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

**टेलिफोन-उद्योग**—सन् १९६०-६१ ई० में बंगलोर के टेलिफोन-कारखाने द्वारा १,१४,०१४ टेलिफोन, ७४,२६५ स्वचालित एक्सचेंज-लाइनों आदि का निर्माण किया गया। इस कारखाने ने रेलवे के लिए कुछ नये प्रकार के उपकरणों का निर्माण प्रारम्भ किया है। इसने प्रियदर्शिनी नामक एक नये टेलिफोन-यंत्र का विकास किया है, जो वर्त्तमान यंत्र से श्रेष्ठ है।

## समुद्रपारीय संचार-व्यवस्था

१ जनवरी, १९४७ ई० को राष्ट्रीयीकृत समुद्रपारीय संचार-सेवा (ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस) भारत तथा विदेशों के बीच दूर-संचार-सम्बन्ध के संचालन तथा विकास का कार्य कर रही है। इसका मुख्यालय बम्बई में है। इसके द्वारा गत ९ वर्षों में २,७२,००,००० तार; २,५८,२० रेडियो टेलिफोन-कॉल तथा ३,७४४ रेडियो-चित्र भेजे या प्राप्त किये गये। सन् १९४७ ई० के पूर्व देश में केवल ६ प्रत्यक्ष रेडियो-सर्किट थे। सन १९६१ ई० के अन्त में २७ प्रत्यक्ष रेडियो-टेलिग्राफ-सर्किट, २६ प्रत्यक्ष रेडियो टेलिफोन-सर्किट तथा २० प्रत्यक्ष रेडियो-फोटो-सर्किट चालू थे।

**रेडियो-टेलिफोन-सेवा**—इन दिनों संसार के २१ देशों के साथ भारत का सीधा रेडियो-टेलिफोन-सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त ६९ प्रमुख देशों तथा भारत के बीच अन्तरराष्ट्रीय मार्ग से भारत के प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वारा रेडियो-टेलिफोन-सेवाएँ उपलब्ध हैं। भारत के ३५ जहाजों पर रेडियो-टेलिफोन की सुविधा है।

**रेडियो-टेलीग्राफ सेवा**—प्रत्यक्ष-रेडियो फोटो टेलिग्राफ-सेवा की सुविधाएँ नई दिल्ली से फ्रांस, पोलैंड, चीन और ग्रेट ब्रिटेन के लिए तथा लन्दन के मार्ग से अस्ट्रेलिया, बेलजियम, कनाडा, डेनमार्क, इटली, मिस्र, फिनलैंड, जर्मनी, यूनान, नारवे, पुर्त्तगाल, स्वीडन, स्वीट्जरलैंड, दक्षिण-अफ्रिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्राप्त हैं। इसी प्रकार, बम्बई में प्रत्यक्ष फोटो टेलिग्राफ-सेवा की सुविधाएँ सोवियत रूस, जापान, संयुक्तराज्य अमेरिका, चीन, ग्रेटब्रिटेन को तथा लंदन-मार्ग द्वारा अस्ट्रेलिया, बेलजियम, कनाडा, डेनमार्क, इटली, मिस्र, फिनलैंड, जर्मनी, यूनान, नारवे, पुर्त्तगाल, स्वीडन, स्वीट्जरलैंड और दक्षिण अफ्रिका को प्राप्त हैं।

**रेडियो फोटो-सेवा**—भारत और इटली, चीन, जर्मनी (संघीय गणराज्य), जापान, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-फोटो-सेवा की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भारत से लन्दन के मार्ग-द्वारा अस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, चेकोस्लोवाकिया, जमैका, डेनमार्क, दक्षिण-अफ्रिका, नाइजीरिया, नारवे, पुर्त्तगाल, फिनलैंड, बेल्जियम, मिस्र, यूनान, युगोस्लाविया, स्वीट्जरलैंड, संयुक्तराज्य अमेरिका, स्वीडन तथा सिंगापुर को भी फोटो भेजने की व्यवस्था है।

**अन्तरराष्ट्रीय टेलेक्स-सेवा**—यह सेवा १६ जून, १९६० ई० को बम्बई/अहमदाबाद तथा ब्रिटेन के बीच आरम्भ की गई थी। अब इसका विस्तार इन ३२ देशों तक कर दिया गया है—अमेरिका, आयरिश गणराज्य, अस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी-(लोकतान्त्रिक गणराज्य), जर्मनी, (संघीय गणराज्य), डेनमार्क, नार्वे, नीदरलैंड फ्रांस, फिनलैंड, बेल्जियम, यूनान, लक्जेमबर्ग, स्पेन, स्वीट्जरलैंड, स्वीडन तथा सोवियत रूस, अर्जेण्टाइना, अस्ट्रिया, ब्राजिल, ब्रिटेन, बलगेरिया, हाँगकाँग, हंगरी, जापान, केनिया, मलाया, पोलैंड, सिंगापुर। इस सेवा द्वारा सम्बद्ध देशों के ग्राहकों को टेलिग्राम अपने टेलिप्रिण्टरों पर मिल जायगा।

**अन्य सेवाएँ**—इस सेवा के अन्तर्गत विदेश-स्थित भारतीय वाणिज्य-दूतावासों को, उनके लाभ के लिए, भारत-सरकार की ओर से तथा भारत के बाहर के विभिन्न क्षेत्रों को कुछ समाचार-पत्र-समितियों की ओर से सामाचार भेजने की व्यवस्था है। भारत की १२ प्रमुख हवाई मार्ग-कम्पनियों के लिए पट्टों पर परिपथों (सर्किट्स) की भी व्यवस्था है।

*

# आकाशवाणी

देश के प्रायः सभी प्रमुख भाषा-क्षेत्रों में इस समय कुल मिलाकर २६ आकाशवाणी (रेडियो)-केन्द्र हैं। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित ४ अंचलों में किया गया है—

उत्तर—दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जालन्धर, जयपुर, शिमला, भोपाल, इन्दौर तथा राँची;

पश्चिम—बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद, पूना तथा राजकोट;

दक्षिण—मद्रास, तिरुचिरापल्लि, विजयवाड़ा, त्रिवेन्द्रम्, कोजीकोड, हैदराबाद, बंगलोर तथा धारवाड़;

पूर्व—कलकत्ता, कटक तथा गौहाटी।

इनके अतिरिक्त रेडियो-कश्मीर के भी दो केन्द्र जम्मू तथा श्रीनगर में हैं। गोआ-रेडियो पंजिम में है। दिसम्बर, १९६१ ई० को देश में ७७ सम्प्रेषण-यन्त्र, ३३ स्टुडियो-केन्द्र तथा २८ प्रापण (रिसीविंग) केन्द्र थे। सन् १९६१ ई० में प्रस्तुत विस्तार-योजना के अन्तर्गत ५६ नये सम्प्रेषण-यन्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। आशा है, इसके पूरा हो जाने के बाद मध्यम-तरंगीय प्रसार का क्षेत्र ३७ से बढ़कर ६१ प्रतिशत हो जायगा और कुल जन-संख्या के ७४ प्रतिशत लोग मध्यम तरंगीय कार्य-क्रम सुन सकेंगे।

**कार्यक्रम-रचना**—आकाशवाणी के प्रायः आधे कार्यक्रम संगीत के लिए निर्धारित हैं। शेष कार्यक्रमों में वार्त्ताओं, रूपकों, नाटकों, वाद-विवाद आदि का समावेश है, जिनके अन्तर्गत अनेक विषय आ जाते हैं। प्रत्येक बुधवार को राष्ट्रीय वार्त्ता-कार्यक्रम प्रसारित होता है, जिसके अन्तर्गत सुप्रसिद्ध विद्वान् कला, विज्ञान तथा साहित्य-सम्बन्धी अपनी वार्त्ताएँ प्रसारित करते हैं।

**विविध भारती**—अक्टूबर, १९६१ ई० में इस अखिलभारतीय कार्यक्रम ने अपना चौथा वर्ष पूरा किया। यह कार्यक्रम शनिवार, रविवार और अन्य प्रमुख पर्वों के दिन १० घण्टे से कुछ अधिक तथा सप्ताह के शेष दिन ६ घण्टे प्रसारित किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को रात के ६½ से ११ बजे तक राष्ट्रीय संगीत-कार्यक्रम के स्थान पर एक विशेष कार्यक्रम उन लोगों के लिए प्रसारित किया जाता है, जिनकी शास्त्रीय संगीत में रुचि नहीं है। २२ फरवरी, १९६० ई० से विविध भारती के कुछ कार्यक्रम दिल्ली के एक मध्यमतरंगीय केन्द्र से भी प्रसारित किये जाने लगे हैं। नई मध्यमतरंगीय योजना पूरी हो जाने पर प्रायः संपूर्ण देश में मध्यमतरंग पर विविध भारती के कार्यक्रम सुने जा सकेंगे।

**विशेष श्रोताओं के लिए कार्यक्रम**—ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रमों में ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं पर नाटक, वाद-विवाद, वार्त्ता, मौसम-समाचार आदि विभिन्न माध्यमों से प्रकाश डाला जाता है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता-सम्बन्धी कार्यक्रम देश की सभी प्रमुख भाषाओं और लगभग १०३ बोलियों तथा आदिमजातीय भाषाओं में प्रसारित करने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार की एक योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने के लिए विभिन्न राज्य-सरकारों को लगभग ७०,००० सामुदायिक रेडियो-सेट दिये गये हैं।

१७ नवम्बर, १९५६ ई० से देश-भर में आकाशवाणी-किसान-मण्डलों का कार्यक्रम चालू है। इन मण्डलों द्वारा प्रसारकों तथा श्रोताओं के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। गाँवों

में संगठित ये मण्डल साप्ताहिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करके आकाशवाणी-केन्द्र को अपने सुझाव देते हैं। सन् १९६१ ई० के अन्त तक देश के विभिन्न भागों में लगभग, ११२९ किसान-मण्डलों की स्थापना हो चुकी थी।

इन दिनों सप्ताह में दो से पाँच दिन २३ केन्द्रों से विद्यालयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। विद्यालयों को रेडियो-स्टेशन के निकट सम्पर्क में लाने के लिए विद्यालय-श्रोता-क्लबों की स्थापना की जा रही है। इन कार्यक्रमों के लिए १८ हजार से अधिक विद्यालय पंजीकृत हो चुके हैं।

विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रसारित होनेवाले कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम-सम्बन्धी विषयों पर वार्त्ताएँ तथा वाद-विवाद सम्मिलित रहते हैं। प्रतिवर्ष हिन्दी, अँगरेजी तथा अन्य भाषाओं में सामूहिक वाद-विवाद तथा रेडियो-नाटकों की अन्तर्विश्वविद्यालय-प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की जाती है।

आकाशवाणी के केन्द्रों से महिलाओं तथा बच्चों के लिए भी सप्ताह में दो या तीन दिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

अहमदाबाद, कलकत्ता, कोजीकोड, दिल्ली, नागपुर, बम्बई, बंगलोर, मद्रास, राँची, लखनऊ, इलाहाबाद, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम् से औद्योगिक मजदूरों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। गौहाटी से आसाम के चायबगान-मजदूरों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। सशस्त्र सैनिकों के लिए जम्मू, दिल्ली तथा श्रीनगर से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

**पंचवर्षीय योजना का प्रचार**—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रोताओं को योजना के कार्य में सहयोग देने के लिए अपनी सहायता आप करने की प्रेरणा दी जाती है। 'योजना में सहयोग दीजिए' विषय पर लोकप्रिय धुनों में विशेष गीतों की रचना की जाती है तथा उन्हें ग्रामीण कार्यक्रमों में प्रसारित किया जाता है। इसमें योजना की विभिन्न परियोजनाओं से सम्बद्ध लघु वृत्त-चित्रों का उपयोग होता है। सन् १९६१ ई० में योजना के विभिन्न पहलुओं से सम्बद्ध लगभग ४,५०० कार्यक्रम प्रसारित किये गये।

**स्वरांकन-कार्यक्रम (ट्रांसक्रिप्शन सर्विस)**—इस कार्यक्रम के अधीन प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषणों के रिकार्ड तैयार किये जाते हैं। इस विभाग के पास लोक-संगीत तथा सुप्रसिद्ध संगीतज्ञों के रिकार्डों का भी एक संग्रह है, जिसमें विभिन्न शैलियों तथा विभिन्न देशों के संगीत संगृहीत हैं। इस विभाग के अधीन एक केन्द्रीय टेप-बैंक भी कार्य कर रहा है।

**परामर्श-समितियाँ**—केन्द्रीय कार्यक्रम-परामर्श-समिति आकाशवाणी को अपने कार्यक्रम तैयार करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परामर्श देती है। संगीत-नीति निर्धारित करने के लिए एक केन्द्रीय संगीत-परामर्श-मण्डल है। शिक्षा, उद्योग तथा ग्रामीण समस्याओं से सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए भी परामर्श-समितियाँ हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार से जनमत संग्रह करके उसके अनुरूप ही कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है।

**कार्यक्रम-पत्रिकाएँ**—आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के कार्यक्रमों की सूचना श्रोताओं को देने के उद्देश्य से इन पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। आकाशवाणी (अँगरेजी), सारंग

(हिन्दी), नभोवाणी (गुजराती), वाणी (तेलुगु), वानोली (तमिल), बेतार-जगत (बँगला), आवाज (उर्दू) तथा आकाशी (असमिया)। 'आकाशवाणी' साप्ताहिक तथा शेष पत्रिकाएँ पाक्षिक हैं।

आकाशवाणी की बाह्य सेवा के कार्यक्रम भी विदेश-स्थित श्रोताओं को निःशुल्क भेजने के लिए अरबी, अँगरेजी, इण्डोनेशियाई, चीनी, तिब्बती, पश्तो, फारसी तथा बर्मी भाषाओं में पत्रिकाओं के रूप में मासिक कार्यक्रम का प्रकाशन होता है।

**समाचार-सेवाएँ**—आकाशवाणी द्वारा प्रतिदिन अँगरेजी तथा हिन्दी में चार बार; असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़ गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी और मलयालम में तीन बार; कश्मीरी और डोंगरी में दो बार तथा गोरखाली में एक बार समाचार प्रसारित किये जाते हैं। सेनाओं के लिए भी हिन्दी तथा गोरखाली में प्रतिदिन एक-एक बार समाचार प्रसारित होते हैं। उर्दू, कश्मीरी तथा बँगला में प्रतिदिन समाचार-टिप्पणियाँ भी प्रसारित की जाती हैं।

प्रतिदिन समाचार ६६ बार—देशीय कार्यक्रमों में ६६ बार तथा विदेशों के लिए कार्यक्रमों में ३३ बार प्रसारित किये जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक समाचार भी प्रसारित होते हैं। समाचार-दर्शन के कार्यक्रम प्रति-सप्ताह अँगरेजी में दो बार तथा हिन्दी में तीन बार प्रसारित किये जाते हैं। संसद् के अधिवेशनवाले दिनों में दैनिक कार्यवाही-सम्बन्धी 'संसद्-समीक्षा' का कार्यक्रम हिन्दी तथा अँगरेजी में प्रसारित किया जाता है।

**विदेशों के लिए कार्यक्रम**—अफ्रीका, अस्ट्रेलिया तथा यूरोप के भारतीय और विदेशी श्रोताओं के लिए रोज १७ भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। विदेशों में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिए हिन्दी, तमिल, गुजराती तथा कोंकणी में और अभारतीय श्रोताओं के लिए १२ भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।

**रेडियो-सेटों का उत्पादन**—३१ अक्टूबर, १६६० ई० को देश में कुल २,६८,००० रेडियो-सेट थे। सन् १६६१ ई० में जनवरी-जुलाई में ६०,१६३ रेडियो-सेट तैयार किये गये।

**टेलिविजन**—एक यूनेस्को-परियोजना के रूप में परीक्षणात्मक टेलिविजन का उद्घाटन १५ सितम्बर, १६५६ ई० को नई दिल्ली में हुआ। इसका कार्य एक अग्रयोजना के रूप में चल रहा है। दिल्ली में १२ से १५ मील की परिधि में इसके कार्यक्रम को देखा जा सकता है?

सन् १६६१ ई० में टेलीविजन-विभाग ने दो बड़ी परियोजनाएँ प्रारम्भ कीं—पहली यूनेस्को के सहयोग से तथा दूसरी फोर्ड-प्रतिष्ठान की सहायता से। यूनेस्को-परियोजना के अन्तर्गत समाज-शिक्षा-कार्यक्रमों का एक क्रमबद्ध साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन भारतीय प्रौढ-शिक्षा-संघ तथा शिक्षा-मन्त्रालय का राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र करेंगे। अमेरिका के फोर्ड-प्रतिष्ठान के सहयोग से प्रस्तुत परियोजना के अनुसार जुलाई, १६६१ ई० से दिल्ली के विद्यालयों के लिए नियमित टेलिविजन-कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है। १४४ विद्यालयों में लगभग २५० टेलिविजन-सेट लगा दिये गये हैं।

★

# आयोजन

आयोजन की आवश्यकता पर पहले-पहल श्री एम्० विश्वेश्वरैया ने प्रकाश डाला था, जब कि सन् १९३४ ई० में उन्होंने 'भारत के लिए आयोजित अर्थ-व्यवस्था' नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने समस्त देश के योजनानुसार आर्थिक विकास के लिए एक दशवर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सन् १९३८ ई० में भारतीय राष्ट्रीय काँगरेस ने एक राष्ट्रीय योजना-समिति नियुक्त की और उससे कहा गया कि वह भारत में योजनानुसार आर्थिक विकास की सम्भावनाओं का पता चलाकर इस सम्बन्ध में व्यावहारिक योजनाएँ प्रस्तुत करे। इस समिति ने एक प्रश्नावली जारी की और द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने पर योजना-सम्बन्धी कुछ अध्ययन प्रकाशित किये।

भारत-सरकार ने युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए जून, १९४१ ई० में अनेक पुनर्निर्माण-समितियाँ संगठित कीं तथा जुलाई, १९४४ ई० में योजना और विकास-विभाग स्थापित किया। उसी वर्ष प्रान्तीय सरकारों से कहा गया कि वे भी युद्धोत्तर विकास की योजनाएँ प्रस्तुत करें।

दूसरे विश्वयुद्ध के समय कुछ गैर-सरकारी योजनाएँ भी तैयार की गईं, जैसे—(१) मुख्यतः बम्बई के अर्थशास्त्रियों तथा उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई बम्बई-योजना; (२) श्री एम्० एन्० राय द्वारा प्रस्तुत जनता की योजना तथा (३) श्री श्रीमन्नारायण द्वारा तैयार हुई गान्धीवादी योजना।

स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् मार्च, १९५० ई० में भारत-सरकार ने एक योजना-आयोग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देश के संसाधनों का प्रभावशाली तथा सन्तुलित ढंग से उपयोग करने की एक योजना बनाना था। जुलाई, १९५० ई० में देश के आर्थिक विकास के लिए आयोग से एक ६ वर्षीय योजना बनाने को कहा गया। पीछे इस योजना को कोलम्बो-योजना में मिला दिया गया। जुलाई, १९५१ ई० में योजना-आयोग ने अप्रैल, १९५१ ई० से मार्च, १९५६ ई० तक की अवधि के लिए पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया। भारत की यह पहली पंचवर्षीय योजना दिसम्बर, १९५२ ई० में अन्तिम रूप से संसद् में उपस्थित की गई।

उद्देश्य—इस योजना का मुख्य उद्देश्य था—देश में विकास-कार्य आरम्भ करना, जिससे लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठ सके तथा उन्नत जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें नये अवसर प्राप्त हो सकें। योजना का उद्देश्य केवल संसाधनों का ही विकास करना नहीं, बल्कि मानवीय गुणों का भी विकास करना था और लोगों की आवश्यकता तथा भावनाओं के अनुरूप एक समाज का निर्माण करना भी।

विकास-कार्यों का दीर्घकालीन उद्देश्य था सन् १९७७ ई० तक प्रति-व्यक्ति आय को दुगुना करना पहली योजना की अवधि (सन् १९५१—५६ ई०) में राष्ट्रीय आय को ९० अरब रु० से बढ़ाकर लगभग १ खरब रु० (११ प्रतिशत वृद्धि) करने का लक्ष्य रखा गया। विचार था कि बचत की दर सन् १९५५-५६ ई० तक ६.७५ प्रतिशत, सन् १९६०-६१ ई० तक ११ प्रतिशत तथा सन् १९६७-६८ ई० तक २० प्रतिशत बढ़ जायेगी। द्रुत गति से बढ़ती हुई देश की जनसंख्या को

दृष्टि में रखते हुए तृतीय योजना द्वारा आगामी १५ वर्षों के लिए भी दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इसके अनुसार राष्ट्रीय आय में दुगुने से अधिक वृद्धि करने के लिए एकत्र वृद्धि की दर में लगभग ६ प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि की जायगी; प्रति-व्यक्ति आय को ६१ प्रतिशत बढ़ाया जायगा; कृषि से बाहर ४ करोड़ ६० लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी, ताकि कृषि पर निर्भर जनसंख्या का बोझ कम होगा तथा १४ वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायगी।

इसके अतिरिक्त एक खास अवधि तक जनसंख्या की वृद्धि में स्थिरता लाने का भी लक्ष्य है। वर्त्तमान राष्ट्रीय आय की शुद्ध विनियोग-दर को ११ प्रतिशत से बढ़ाकर तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम योजना के अन्त तक क्रमशः १४-१५ प्रतिशत, १७-१८ प्रतिशत तथा १९-२० प्रतिशत किया जायगा। आगामी १० वर्षों की अवधि में विदेशी सहायता पर निर्भरता की मात्रा में भारी कमी लाई जायगी।

## प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ

प्रथम पंचवर्षीय योजना (सन् १९५१-५२ से १९५५-५६ ई०) में कृषि, सिंचाई, शक्ति और परिवहन पर विशेष बल देते हुए भविष्य में आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति को अधिक तीव्र करने के लिए आधार तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। इस अवधि में समाज में परिवर्त्तन तथा संस्था-सम्बन्धी सुधारों द्वारा कुछ मूल-भूत नीतियों का सूत्रपात किया गया, जिनका और भी विकास द्वितीय योजना की अवधि में हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (सन् १९५६-५७ से १९६०-६१ ई०) ने राष्ट्र के समक्ष समाजवादी ढाँचे के समाज का लक्ष्य उपस्थित कर न केवल इन नीतियों को आगे बढ़ाया, बल्कि मूलभूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर भी जोर डाला। देश के आर्थिक विकास के लिए सरकारी क्षेत्र द्वारा किये जानेवाले कार्यों की भी इसमें परिभाषा दी। बहुत-से नये प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर लगाये गये। वित्तीय साधन-स्रोतों की कमी को कुछ तो हीन वित्त-व्यवस्था द्वारा तथा कुछ विदेशी सहायता द्वारा पूरा किया गया। द्वितीय योजना की अवधि में हीन वित्त-व्यवस्था की राशि लगभग ९ अरब ४८ करोड़ थी।

प्रथम तथा द्वितीय योजना के दस वर्षों की अवधि में प्रतिवर्ष औसत ४ प्रतिशत की दर से सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय में लगभग ४२ प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। प्रति-व्यक्ति आय लगभग १६ प्रतिशत बढ़ी।

वस्तुतः, इस दशक को औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ कहा जा सकता है। खास कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पाँच वर्षों में उद्योगों में हुई वृद्धि और भिन्न-भिन्न रूपों में विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक १० लाख टन क्षमता के तीन लोहे के कारखाने निर्मित हुए। निजी क्षेत्र के दो वर्त्तमान कारखानों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण हुआ, जिससे इनमें कुल तीस लाख टन लोहे की सिल्लियाँ तैयार हो सकें। भारी बिजली तथा मशीनों के औजार के उद्योग, मशीन-निर्माण तथा भारी इंजीनियरी की अन्य शाखाओं का शिलान्यास किया जा चुका है तथा कागज और सीमेंट-उद्योग के लिए आवश्यक कल-पुर्जों का निर्माण प्रारंभ हो गया है। रासायनिक उद्योगों में भी विशेष प्रगति हुई है।

औद्योगिक प्रगति तथा राष्ट्रीय आय की वृद्धि-दर और भी अधिक होती, किन्तु निम्नांकित कारणों से ऐसा नहीं हो सका—

१. कृषि उत्पादन की वृद्धि-दर में रुकावटें आती गईं, जिससे बढ़ते हुए उद्योगों तथा तथा निर्यात के संपोषण लिए यह अपर्याप्त रहा।

२. विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों से कुछ शक्ति-परियोजनाओं, उर्वरक-परियोजनाओं तथा भारी रासायनिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ।

३. पिछले दशक में भारत का निर्यात-व्यापार स्थित-सा रहा, क्योंकि निर्यात-वृद्धि को पंचवर्षीय योजनाओं का अन्तिम अंग नहीं माना गया।

४. प्रशासनिक अपर्याप्तता के कारण भी कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में बहुत-सी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

निम्नांकित तालिकाओं में प्रथम एवं द्वितीय योजना से सम्बद्ध आवश्यक ज्ञातव्य आँकड़े दिये जा रहे हैं—

## प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के उद्व्यय तथा विनियोग

( करोड़ रुपये में )

| | प्रथम योजना (१९५१-५६) | द्वितीय योजना (१९५६-६१) | कुल (१९५१-६१) |
|---|---|---|---|
| सरकारी क्षेत्र में व्यय ... | १,९६० | ४,६०० | ६,५६० |
| सरकारी क्षेत्र में विनियोग ... | १,५६० | ३,६५० | ५,२१० |
| निजी क्षेत्र में विनियोग ... | १,८०० | ३,१०० | ४,९०० |
| कुल विनियोग ... | ३,३६० | ६,७५० | १०,११० |

## उद्व्यय का वितरण (प्रथम और द्वितीय योजनाएँ)

| | प्रथम योजना | | द्वितीय योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | व्यय (करोड़ रुपयों में) | कुल व्यय का प्रतिशत | व्यय (करोड़ रुपये में) | कुल व्यय का प्रतिशत |
| कृषि तथा सामुदायिक विकास ... | २९१ | १५ | ५३० | ११ |
| बृहत् तथा मध्यम सिंचाई ... | ३१० | १६ | ४२० | ९ |
| शक्ति ... ... | २६० | १३ | ४४५ | १० |
| ग्रामीण तथा लघु उद्योग ... | ४३ | २ | १७५ | ४ |
| उद्योग और खनिज ... | ७४ | ४ | ९०० | २० |
| परिवहन और संचार-साधन ... | ५२३ | २७ | १,३०० | २८ |
| समाज-सेवा तथा विविध ... | ४५९ | २३ | ८३० | १८ |
| कुल ... | १,९६० | १०० | ४,६०० | १०० |

## सरकारी क्षेत्र में वित्तीय साधन ( प्रथम और द्वितीय योजनाएँ )

| | प्रथम योजना | | द्वितीय योजना | |
|---|---|---|---|---|
| | वास्तविक करोड़ रुपयों में | कुल व्यय का प्रतिशत | अनुमित करोड़ रुपयों में | कुल व्यय का प्रतिशत |
| योजना पर व्यय ... | १,९६० | १०० | ४,६०० | १०० |
| आन्तरिक साधन .... | १,७७२ | ९० | ३,५१० | ७६ |
| बाहरी सहायता ... | १८८ | १० | १,०९० | २४ |

## प्रथम और द्वितीय योजनाओं की उपलब्धियाँ

| | प्रथम योजना का आरम्भ (१९५०-५१) | प्रथम योजना का अन्त (१९५५-५६) | द्वितीय योजना का अन्त (१९६०-६१) | १९६०-६१ में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय आय (१९६०-६१ के मूल्यों पर करोड़ रुपये में)— | १,०२,४० | १,२१,३० | १,४५,०० | ४२ |
| जनसंख्या (लाख में) — | ३६,१० | ३९,७० | ४३,८० | २१ |
| प्रति व्यक्ति आय (१९६०-६१ के मूल्यों पर रुपये में)— | २८४ | ३०६ | ३३० | १६ |
| कृषि-उत्पादन का सूचनांक (१९४९-५० = १००) | ९६ | ११७ | १३५ | ४१ |
| खाद्यान्न-उत्पादन (लाख टन में) — | ५२२ | ६५८ | ७८,३ | ५२ |
| नेत्रजन-युक्त उर्वरक की खपत (नेत्रजन का हजारटन)— | ५५ | १०५ | २,३० | ३१८ |
| शुद्ध क्षेत्र सिंचित (लाख एकड़ में) — | ५,१५ | ५,६२ | ७,०० | ३६ |
| सहकारी आन्दोलन में कृषकों को अग्रिम (करोड़ रुपये में) | २२·९ | ४९·६ | २००·० | ७७३ |
| औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक (१९५०-५१ = १००)— | १०० | १३९ | १९४ | ९४ |
| उत्पादन | | | | |
| इस्पात की सिल्लियाँ (लाख टनों में)— | १४ | १७ | ३५ | १५० |
| अलमिनियम (हजार टन में) — | ३·७ | ७·३ | १८·५ | ४०० |
| मशीन-औजार (वर्गीकृत) (मूल्य करोड़ रुपयों में) | ०·३४ | ०·७८ | ५·५ | १,५१८ |

| | प्रथम योजना का आरम्भ (१६५०-५१) | प्रथम योजना का अन्त (१६५५-५६) | द्वितीय योजना का अन्त (१६६०-६१) | १६६०-६१ में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| गन्धकाम्ल (हजार टन में)— | ६६ | १,६४ | ३,६३ | २,६७ |
| पेट्रोलियम-उत्पादन (लाख टन में) | — | ३६ | ५७ | — |
| वस्त्र | | | | |
| मिल के बने (लाख गज) — | ३,७२,०० | ५,१०,२० | ५,१२,७० | ३८ |
| खादी, हाथ-करघे और विद्युत्-करघे से बने (लाख गज में) | ८६,७० | १,७७,३० | २,३४,६० | १६२ |
| कुल योग (लाख गज में)— | ४,६१,७० | ६,८७,५० | ७,४७,६० | ६२ |
| खनिज पदार्थ | | | | |
| कच्चा लोहा (लाख टन में) — | ३२ | ४३ | १,०७ | २३४ |
| कोयला (लाख टन में) | ३,२३ | ३,८४ | ५,४६ | ६६ |
| निर्यात (करोड़ रुपये में) — | ६,२४ | ६,०६ | ६,४५ | ३ |
| शक्ति—संस्थापित क्षमता (लाख किलोवाट में) | २३ | ३४ | ५७ | १४८ |
| रेलवे—ढोया गया माल (लाख टन में) | ६,१५ | ११,४० | १५,४० | ६८ |
| सड़कें—पक्की की गई—राष्ट्रीय राजपथ-सहित (हजार मीलों में)— | ६७·५ | १२२·० | १४४·० | ४८ |
| सड़क पर व्यावसायिक सवारियाँ (हजार में) | १,१६ | १,६६ | २,१० | ८१ |
| जहाजरानी (लाख टन में) | —३·६ | ४·८ | ६·० | १३१ |
| साधारण शिक्षा—स्कूलों में छात्र (लाख में)— | २,३५ | ३,१२ | ४,३५ | ८५ |
| प्राविधिक शिक्षा—इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी उपाधि प्राप्त (हजार में) — | ४,१ | ५,६ | १३,६ | २३६ |
| स्वास्थ्य | | | | |
| अस्पताल की शय्याएँ (हजार में)— | १,१३ | १,२५ | १,८६ | ६५ |
| डॉक्टरी करनेवाले (हजार में) — | ५६ | ६५ | ७० | २५ |
| उपयोग-स्तर | | | | |
| खाद्य (प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कैलोरी)— | १,८०० | १,६५० | २,१०० | १७ |
| वस्त्र (प्रति-वर्ष प्रति-व्यक्ति गज)— | ६·२ | १५·५ | १५.५ | ६८ |

## तृतीय पंचवर्षीय योजना

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार कुल ११६०० करोड़ रुपये के खर्च का उपबंध किया गया है, जिसमें सरकारी क्षेत्र में ७,५०० करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र में ४,१०० करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकारी क्षेत्र में ७,५०० करोड़ रुपयों में से ६,३०० करोड़ रुपये विनियोग में और १२०० करोड़ रुपये समाज-सेवा तथा अन्यान्य विकासमूलक कार्यों में आवर्त्तक व्यय के रूप में खर्च होंगे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रधान लक्ष्य—(क) राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, (ख) खाद्यान्न का उत्पादन स्वयं सम्पूर्ण तथा उद्योग एवं निर्यात के प्रयोजन की पूर्ति के लिए कृषिजात वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, (ग) इस्पात, रासायनिक द्रव्य, ईंधन और विद्युत्-उत्पादन के समान मूलभूत उद्योगों का विस्तार और आगामी दस वर्षों में देश की निज संपत्ति से अधिकतर औद्योगीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके लिए कल-पुर्जों के निर्माण की सामर्थ्य-वृद्धि, (घ) देश की जनशक्ति को यथासंभव कार्य-नियोजित करना और रोजगार की व्यवस्था का उल्लेखनीय रूप में विस्तार करना, (ङ) क्रमशः अधिकतर समान सुयोग-दान की व्यवस्था, आय एवं सम्पद् के क्षेत्र में विषमता का ह्रास तथा आर्थिक सामर्थ्य का अपेक्षाकृत समविभाजन।

तृतीय योजना में सन् १९६५-६६ ई० की अवधि में कई क्षेत्रों में निम्नलिखित लक्ष्य निर्दिष्ट हुए हैं—

(क) खाद्यान्न-उत्पादन १० करोड़ टन। सन् १९६०-६१ ई० में खाद्यान्न का उत्पादन ७ करोड़ ६० लाख टन हुआ था।

(ख) इस्पात-सिल्लियाँ ९२ लाख टन। सन् १९६०-६१ में उत्पादन ३५ लाख टन।

(ग) पेट्रोल से उत्पन्न द्रव्य ९९ लाख टन। सन् १९६०-६१ ई० में ५७ लाख टन।

(घ) मिल का तैयार कपड़ा—५८० करोड़ गज। सन् १९६०-६१ ई० में उत्पादन ५१२ करोड़ ७० लाख गज।

(ङ) हाथ-करघों तथा विद्युत्-चालित करघों से उत्पन्न वस्त्र और खादी ३५० करोड़ गज। सन् १९६०-६१ ई० में उत्पादन २३४ करोड़ ९० लाख गज।

कच्चा लोहा—३ करोड़ टन। सन् १९६०;६१ ई० में उत्पादन १ करोड़ ७ लाख टन।

कोयला—९ करोड़ ७० लाख टन। सन् १९६०-६१ ई० में ५ करोड़ ४६ लाख टन।

विद्युत्—१ करोड़ २७ लाख किलोवाट। सन् १९६०-६१ ई० में ५० लाख ७० हजार किलोवाट।

जहाज-निर्माण—१० लाख ९० हजार टन माल ढोने योग्य जहाज।
सन् १९६०-६१ ई० में ९ लाख टन माल ढोने योग्य जहाज निर्मित हुआ।
सन् १९६५-६६ ई० में निर्यात-व्यापार ८५० करोड़ रुपया मूल्य का।
सन् १९६०-६१ ई० में „ „ ६४५ „ „

सामान्य शिक्षा—विद्यालयों में छात्र-संख्या सन् १९६५-६६ ई० में ६३ लाख ९० हजार।
„ „ सन् १९६०-६१ ई० में ४३ „ ५० „

| | | |
|---|---|---|
| तकनीकी शिक्षा— | „ | सन् १९६५-६६ ई० में १९ हजार |
| इंजीनियरिंग और तकनीकी डिगरी स्तर तक— | „ | सन् १९६०-६१ ई० „ १३ हजार |
| स्वास्थ्य—अस्पतालों में रोगी-शय्या | | सन् १९६५-६६ ई० में २ लाख ४० हजार |
| „ „ | | सन् १९६०-६१ ई० में १ „ ८६ „ |
| पेशेवर डॉक्टर | | सन् १९६५-६६ ई० में ८१ हजार |
| „ „ | | सन् १९६०-६१ ई० में ७० „ |

| | | |
|---|---|---|
| उपभोग का स्तर—खाद्यान्न | | सन् १९६५-६६ ई० में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति २३०० कैलोरी |
| ,, | ,, | सन् १९६०-६१ ई० में २१०० कैलोरी |
| | वस्त्र | सन् १९६५-६६ ई० में प्रति व्यक्ति १७.२ गज |
| ,, | ,, | सन् १९६०-६१ ई० ,, ,, १५.५ ,, |

तृतीय योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत के निजी साधन-स्रोत से २४० करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। अतिरिक्त करारोप द्वारा और सरकारी उद्योगों में अतिरेक अर्थ से २२०० करोड़ रु० मिलेंगे—ऐसी आशा की गई है। इस प्रकार, कुल व्यय के परिमाण में ५५० करोड़ रुपये की कमी रह जायगी।

१७१० करोड़ रु० की आय तृतीय योजना-काल में अतिरिक्त करारोप से होगी। इस राशि में करारोप द्वारा केन्द्रीय सरकार ११०० करोड़ रु० और राज्य-सरकारें ६१० करोड़ रु० संग्रह करेंगी। विदेशों से भी आर्थिक सहायता मिलने की पूर्ण आशा है। अन्तरराष्ट्रीय बैंक के उद्योग से हाल में मित्र-राष्ट्रों की जो बैठक हुई थी, उसमें भारत को कुल १०८९ करोड़ रुपया सहायता देने का वचन दिया गया है। सोवियत रूस से २३८ करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके सिवा चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, पोलैण्ड और स्वीट्जरलैण्ड से कुल ६७ करोड़ रुपये मिलेंगे।

पहली और दूसरी योजनाओं के दस वर्षों में भारत की राष्ट्रीय और प्रतिव्यक्ति आय में क्रमशः ४७ और १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तीसरी योजना के अंत में राष्ट्रीय आय में और भी प्रतिशत ३० तथा प्रति व्यक्ति की आय में प्रतिशत १७ की बढ़ती होगी। खाद्यान्न का जो लक्ष्य निर्दिष्ट किया गया है, उसके अनुसार सन् १९६५-६६ ई० तक प्रति व्यक्ति पर खाद्यान्न की आपूर्ति वर्त्तमान १६ औंस से बढ़कर १७½ औंस हो जायगी। इस समय साल में प्रति व्यक्ति पर औसतन १५½ गज कपड़ा पड़ता है। तृतीय योजना के अंत में यह बढ़कर १७.२ गज हो जायगा।

भारतीय आर्थिक उन्नयन की गतिधारा को ध्यान में रखते हुए हिसाब करके देखा गया है कि राष्ट्रीय आय सन् १९६०-६१ ई० के मूल्य के आधार पर द्वितीय योजना के अंत में १४५०० करोड़ रुपया से बढ़कर तीसरी योजना के अन्त में १९००० करोड़ रुपया हो जायगी। चतुर्थ योजना के अन्त में यह परिमाण २५ हजार करोड़ रु० होगा। प्रतिवर्ष प्रतिशत २ के हिसाब से लोक-संख्या में वृद्धि होने के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय का परिमाण सन् १९६०-६१ ई० के अंत में ३३० रु० से बढ़कर सन् १९६६ ई० के अंत में ३८५ रु० हो जायगा।

बेकारी के सम्बन्ध में ठीक-ठीक आँकड़ों के नहीं मिलने पर भी द्वितीय योजना के अंत में लगभग ९० लाख मनुष्य बेकार रह जायँगे, ऐसा अनुमान किया गया था। तृतीय योजना-काल में नये कर्म-प्रार्थियों की संख्या लगभग १ करोड़ ७० लाख होगी।

तृतीय योजना-काल में अतिरिक्त १ करोड़ ४० लाख लोगों के लिए काम की व्यवस्था होगी। इनमें कृषि-कार्य में ३५ लाख तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में १ करोड़ ५ लाख लोगों के लिए काम जुटाये जा सकेंगे। फिर भी, ३० लाख बेकार रह जायँगे, जिनके लिए काम की व्यवस्था करनी होगी।

## तृतीय पंचवर्षीय योजना में विनियोग

(करोड़ रुपयों में)

| | सरकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र | कुल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| कृषि तथा सामुदायिक विकास ... | ६६० | ८०० | १,४०० | १४ |
| वृहत् तथा मध्यम सिंचाई ... | ६५० | — | ६५० | ६ |
| शक्ति ... ... | १,०१२ | ५० | १,०६२ | १० |
| ग्रामीण तथा लघु उद्योग ... | १५० | २७५ | ४२५ | ४ |
| संगठित उद्योग तथा खनिज ... | १,५२० | १,०५० | २,५७० | २५ |
| परिवहन तथा संचार-साधन ... | १,४८६ | २५० | १,७३६ | १७ |
| समाज-सेवा तथा विविध ... | ६२२ | १,०७५ | १,६६७ | १६ |
| विवरण-सूची (इन्वेण्टरीज) ... | २०० | ६०० | ८०० | ८ |
| कुल ... | ६,३०० | ४,१०० | १०,४०० | १०० |

## तृतीय योजना के उद्व्यय का वितरण

(करोड़ रुपयों में)

| | राज्य | संघीय क्षेत्र | केन्द्र | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|
| कृषि तथा सामुदायिक विकास | ९१६ | २४ | १२५ | १,०६८ |
| वृहत् तथा मध्यम सिंचाई | ६३० | २ | १८ | ६५० |
| शक्ति | ८८० | २३ | १०६ | १,०१२ |
| ग्रामीण तथा लघु उद्योग | १३७ | ४ | १२३ | २६४ |
| संगठित उद्योग तथा खनिज | ७० | — | १,४५० | १,५२० |
| परिवहन तथा संचार-साधन | २२६ | ३५ | १,२२५ | १,४८६ |
| समाज-सेवा तथा विविध | ८६३ | ८७ | ३५० | १,३०० |
| विवरण (इन्वेण्टरीज) | — | — | २०० | २०० |
| कुल | ३७२५ | १७५ | ३,६०० | ७,५०० |

## तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य

| | १९६०-६१ | १९६५-६६ | १९६ -६१ पर १९६५-६६ में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|
| कृषि-उत्पादन का सूचनांक (१९४९-५० = १००) | १३५ | १७६ | ३० |
| अन्नोत्पादन (लाख टन में) | ७,६३ | १०,०० | २६ |
| नेत्रजन-युक्त उर्वरक की खपत (हजार टन नेत्रजन) | २३० | १०,०० | ३३५ |
| सिंचित भूमि (कुल योग लाख एकड़ में) | ७०० | ६०० | २६ |
| सहकारिता आन्दोलन—किसानों को अग्रिम (करोड़ रुपयों में) | २०० | ५३० | १६५ |
| औद्योगिक उत्पादन का सूचनांक (१९५०-५१ = १००) | १९४ | ३२९ | ९० |

## प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं की अवधि में राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उद्व्यय

( करोड़ रुपयों में )

| राज्य | प्रथम योजना वास्तविक | द्वितीय योजना प्राक्कलित | तृतीय योजना (कार्यक्रम उद्व्यय) |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र | १०८ | १७५ | ३०५ |
| आसाम | २८ | ५१ | १२० |
| बिहार | १०२ | १६६ | ३३७ |
| गुजरात | २२४ (क) | १४३ | २३५ |
| जम्मू और कश्मीर | १३ | २५ | ७५ |
| केरल | ४४ | ७६ | १७० |
| मध्यप्रदेश | ६४ | १४५ | ३०० |
| मद्रास | ८५ | १६७ | २९०.९ |
| महाराष्ट्र | (ख) | २०७ | ३९० |
| मैसूर | ९४ | १२२ | २५० |
| उड़ीसा | ८५ | ८५ | १६० |
| पंजाब | १६३ | १४८ | २३१·४ |
| राजस्थान | ६७ | ९९ | २३६ |
| उत्तरप्रदेश | १६६ | २२७ | ४९७ |
| पश्चिम बंगाल | १५४ | १४५ | २५० (ग) |
| | १४२७ | १९८१ | ३८४७.३ |
| संघीय क्षेत्र | ३० | ६२ | १७४.८ (घ) |
| कुल सम्पूर्ण भारत | १४५७ | २०४३ | ४०२२·१ |

(क) सम्मिलित बम्बई-राज्य के लिए (ग) अन्तःकालीन

(ख) गुजरात में संकलित (घ) इसमें ४ करोड़ रु० की अनाबंटित राशि सम्मिलित है।

## ऐड इण्डिया क्लब

कई देशों ने एक साथ मिलकर भारत की तृतीय पंचवार्षिक योजना के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक ऋण देने का निश्चय किया है। इन सम्मिलित देशों को ऐड इण्डिया कण्ट्रीज नाम से अभिहित किया गया है। इनकी ओर से घोषणा की गई है कि तृतीय योजना के प्रथम दो वर्षों में लगभग १,१०० करोड़ रुपया ऋण दिया जायगा। इन देशों के नाम हैं: अमेरिका, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, इंगलैंड, जापान और फ्रान्स। प्रत्येक देश के ऋण-दान का परिमाण इस प्रकार है: अमेरिका १,०४५ मिलियन (१ मिलियन = १० लाख) डालर, इंगलैंड २५० मिलियन पौण्ड, कनाडा ५६ मिलियन डालर, फ्रान्स ३० मिलियन डालर, पश्चिम जर्मनी ४२५ मिलियन डालर, जापान ८० मिलियन डालर। विश्व-बैंक और अन्तरराष्ट्रीय विकास-परिषद् ४०० मिलियन डालर। अमेरिका के ऋण का परिशोध बहुत वर्षों में किया जा सकेगा। पश्चिम जर्मनी का १०० मिलियन डालर ऋण २५ वर्षों में चुकाना होगा।

## केन्द्रीय सरकार का बजट

वित्त-मंत्री श्रीमुरारजी देसाई ने गत २३ अप्रैल को सन् १९६२-६३ ई० का प्राक्कलित आय-व्ययक लोकसभा में उपस्थित किया, जिसमें कर एवं शुल्क-वृद्धि तथा नये करारोप द्वारा कुल ७१ करोड़ ७० लाख रुपया संग्रह करने का प्रस्ताव किया गया है। नये करों द्वारा सन् १९६२-६३ ई० के अवशिष्ट काल में सरकार को कुल ६८ करोड़ ८८ लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी और इसके फलस्वरूप गत मार्च महीने में बजट पेश करते समय राजस्व की मद में घाटा होने का जो अनुमान किया गया था, उसमें कमी होगी और राजस्व एवं मूलधन की मद में भी घाटे की रकम का १५० करोड़ रुपया घटकर ८६ करोड़ रुपया हो जायगा।

नई कर-वृद्धि के अन्तर्गत जो सब उपभोग्य पण्य आयेंगे, वे हैं दियासलाई, चाय, कपड़ा और तम्बाकू। जिन नौ नये द्रव्यों पर करारोप किया गया है, वे हैं पाट की बनी चीजें, कतिपय लौह और इस्पात, द्रव्य, बिजली के केबुल और तार, कतिपय एसिड और गैस, प्लाइउड, ऐसबेस्टस, सिमेंट की बनी चीजें, ग्रामोफोन और उसके पुरजे, ग्रामोफोन रेकर्ड, खनिज तेल और उससे उत्पन्न द्रव्य। इस नये करारोप द्वारा १५ करोड़ ४२ लाख रुपये की आय होगी। भारतीय संयुक्त कंपनियों के ऊपर लगनेवाले कर में ५ प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया। निर्यात-जनित आय को इस कर के अन्तर्गत छूट दी गई है। विभिन्न कंपनियों के बीच परस्पर के धन-विनियोग के ऊपर कर की दर में ह्रास किया जायगा।

व्यक्तिगत आय के सर्वोच्च स्तर पर आय-कर और सुपर टैक्स मिल कर प्रतिशत ८७ पहुँच जायगा। निम्न स्तर में वार्षिक पाँच हजार रुपया से कम आय के ऊपर कर की दर पूर्ववत् रहेगी। व्यय के ऊपर कर उठा देने से आय में ७० लाख रुपये की कमी होगी। संपत्ति-कर की दर में प्रतिशत २५ की वृद्धि होगी।

## बजट के अंतिम अनुमानों का सारांश

(लाख रुपयों में)

| राजस्व | बजट १९६१-६२ | संशोधित १९६१-६२ | बजट १९६२-६३ |
|---|---|---|---|
| सीमा-शुल्क | १८९६४ | १९९६० | १९९६० +७८०* |
| केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क | ४३२६३ | ४७०९५ | ४९२२८ +३०८०* |
| निगम-कर | १४१०० | १६००० | १६८०० +१०५०* |
| आय-सम्बन्धी कर | ५२२१ | ५८७३ | ५८३० +१०४०* |
| मृत-सम्पत्ति-शुल्क | ९ | १२ | १२ |
| सम्पत्ति-कर | ७०० | ७५० | ७०० +२००* |
| व्यय-कर | ८० | ८० | ८० (—)७०* |
| दान-कर | ८० | ८५ | ८५ |
| अन्य शीर्षक | १३३२ | १५४६ | १५८३ |
| ऋण-व्यवस्था | १३८४ | ११५८ | १६७५१ |
| प्रशासनिक सेवाएँ | ९७ | १११ | ६११ |
| सामाजिक और विकास-सम्बन्धी सेवाएँ | ४४७० | ४५५५ | ३५२९ |
| बहुप्रयोजनी नदी-योजनाएँ आदि | —१ | —१ | ३६ |
| सरकारी निर्माण-कार्य आदि | ३७६ | ३७४ | ४०२ |
| परिवहन और संचार | २४६ | २३८ | ६३० |
| मुद्रा और टकसाल | ६०६३ | ५३१५ | ६९५३ |
| विविध | २०९९ | २२९२ | २४५६ |
| अंशदान और विविध समायोजन | २२१२ | २१६८ | २४४१ |
| असाधारण मदें | १००० | १३०० | ४००० |
| जोड़—राजस्व | १०१७९५ | १०७९११ | १३२०८७ +६०८०* |

*बजट प्रस्तावों का प्रभाव।

सन् १९६२-६३ ई० वित्तीय वर्ष में सामान्य कार्य-संचालन-व्यय ३ अरब ८८ करोड़ २१ लाख रुपया कूता गया है। यह रकम वर्त्तमान संशोधित वजट के कार्य-संचालन-व्यय से १४ करोड़ ३६ लाख रु० अधिक है।

आगामी वित्तीय वर्ष में तृतीय योजना के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ११॥ करोड़ टन अधिक माल की ढुलाई की व्यवस्था की गई है। इस अतिरिक्त ढुलाई से मालभाड़े से २२ करोड़ ५० लाख रुपये की अतिरिक्त आय कूली गई है।

(करोड़ रुपये में)

| | १९६०-६१ वास्तविक हिसाब | १९६१-६२ वित्तीय वर्ष का वजट | १९६१-६२ संशोधित हिसाब | १९६२-६३ वित्तीय वर्ष का वजट, |
|---|---|---|---|---|
| यात्रा-किराया और मालभाड़ा वावत कुल आय | ४५६.८० | ४८८.०२ | ५०१.२४ | ५२४.१० |
| कुल का संचालन-व्यय | ३१३.२४ | ३३२.६७ | ३३०.५५ | ३८५.७४ |
| कुल प्रकीर्ण व्यय | १०.६६ | १४.८७ | १३.५१ | १६.३५ |
| क्षय-क्षति की संरक्षित निधि में | ४५.०० | ६५.०० | ६५.०० | ६७.०० |
| कुल | ३६८.९३ | ४१२.५४ | ४०९.०६ | ४२६.०९ |

रेलवे वजट

(करोड़ रुपये में)

| | १९६०-६१ वास्तविक आँकड़े | १९६१-६२ पुनरीक्षित हिसाब | मार्च (१९६२) में उपस्थापित १९६२ ६३ का वजट | १९६२-६३ में प्रत्याशित नया वजट |
|---|---|---|---|---|
| यात्री-भाड़ा व मालभाड़ा की मद में कुल आय | ४५६ ८० | ५०१.२४ | ५२४.१० | ५४५.०३६ |
| परिचालन-व्यय | ३१३ २४ | ३३०.५५ | ३४५.७४ | ३५६.०४ |
| विविध व्यय | १०.६६ | १३.५१ | १६.३५ | १६.३५ |
| टूट-फूट के संरक्षित कोष में जमा | ४५.०० | ६५.०० | ६७.०० | ६७.०० |
| कुल | ३६८.९३ | ४०९.०६ | ४२९.०९ | ४४०·२९ |
| शुद्ध (नेट) रेलवे राजस्व | ८७.८७ | ९२.१८ | ९५.०१ | १०५ ०७ |
| साधारण राजस्व का भुगतान : | | | | |
| (क) सन् १९६०-६१ ई० साल में प्रतिशत चार और सन् १९६१-६२ ई० में प्रतिशत ४.२५ की दर से रेलवे के मूलधन चार्ज (कैपिटल-रेट-चार्ज पर लाभांश) | ५५.८६ | ६३.२० | ६९.३५ | ६९.३५ |
| (ख) यात्री-भाड़ा कर की बावत | —— | १२.५० | १२.५० | १२.५० |
| शुद्ध बचत | ३२.०१ | १६.४८ | १३.१६ | २३.२२ |

गत १६ अप्रैल को रेल-विभाग के मंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने लोकसभा में सन् १६६२-६३ ई० का बजट पेश किया। बजट में आगामी १ जुलाई, १६६२ ई० से प्रथम श्रेणी के यात्री-भाड़ा में प्रतिशत १५ और द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के भाड़ा में १० प्रतिशत से किंचित् कम वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। रेल के सिजिन टिकट में मात्र ५ प्रतिशत की वृद्धि होगी।

रेलवे का अपना माल, डाक और सामरिक सामान तथा निर्यात के लिए खनिज मैंगनीज को छोड़कर और सब प्रकार के माल का भाड़ा ४० किलोमीटर तक प्रति मेट्रिक टन ५० नये पैसे की दर से और ८० किलोमीटर के बाद एक रुपया की दर से बढ़ेगा। मध्यवर्त्ती दूरी के लिए भाड़े की दर अनुरूप दर के हिसाब से बढ़ाई जायेगी। केवल खाद्य-पदार्थों के लिए १६० किलोमीटर की दूरी के बाद अतिरिक्त भाड़ा एक रुपया की दर से लिया जायगा।

रेलवे-मंत्री ने कहा कि इस नये प्रस्ताव के फलस्वरूप सन् १६६२-६३ ई० में २१ करोड़ २६ लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी। आलोच्य वर्ष में कुल आय का परिमाण ५४५ करोड़ ३६ लाख रुपया और इस वर्ष में कर्मियों को बढ़ी हुई दर से मँहगाई भत्ता देने के कारण साधारण परिचालन-व्यय बढ़कर ३६५ करोड़ ८० लाख रुपया हो जायगा। अनुमित बचत १३ करोड़ १६ लाख रुपये के बदले २३ करोड़ २२ लाख रुपये की होगी।

✽

## विदेशों में भारत के राज-प्रतिनिधि

(१ अप्रैल, १६६२ ई० की स्थिति)

### राजदूत (एम्बेसेडर)

| देश | प्रतिनिधियों के नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| अफगानिस्तान | जगन्नाथ धामीजा | राजदूत | भारतीय दूतावास, शहरे नाउ, काबुल। |
| अर्जेण्टाइना | मेजर जनरल टी० एस० वाल | राजदूत | भारतीय दूतावास, लेवेल २ (फ्लोर ५) ब्युनिसएरिज्। |
| आस्ट्रिया | आर्थर एस० लाल | राजदूत | भारतीय दूतावास, विएना १। |
| बेलजियम | के० वी० लाल | राजदूत (साथ ही लक्जमबर्ग के मिनिस्टर) | भारतीय दूतावास, ५८५, एवेन्यू लुइस, ब्रुसेल्स। |
| बोलिविया | पी० रत्नम् | राजदूत | सेण्टिआगो में राज-दूत आवासी, साथ ही वेनेजुएला के मिनिस्टर |

| देश | प्रतिनिधियों के नाम | पद | पता |
| --- | --- | --- | --- |
| ब्राजिल | एस० सेन<br>नामोद्दिष्ट | राजदूत | भारतीय दूतावास, रुआ - वराओ- डो. फलेमेंगो २२, एप्टॉस ८०१-८०२ राओडिजेनेरो। |
| बर्मा | आर० एस० मणि | राजदूत | भारतीय दूतावास, ओरियण्टल बिल्डिंग्स, ५४५-४७, मर्चेण्ट स्ट्रीट, रंगून। |
| कम्बोडिया | राजकुमार रघुनाथ सिन्हा | राजदूत | भारतीय दूतावास नोमपेन्ह, कम्बोडिया। |
| चिली | पी० रत्नम् | राजदूत (साथ ही बोलिविया और कोलंबिया के राजदूत) | भारतीय दूतावास, सेण्टिआगो |
| चीन | रिक्त | राजदूत (साथ ही मंगोलिया के भी राजदूत) | भारतीय दूतावास, ३२ टुंग चियाओ मिन् हूसियंग, पेकिंग। |
| चेकोस्लोवाकिया | एम० पी० माथुर | राजदूत साथ ही रूमानिया के भी राजदूत | भारतीय दूतावास, वाल्डस्टेजेन्स्का ६, प्राग ५। |
| क्यूबा | पी० एल० भंडारी | राजदूत | मेक्सिको नगर में आवासी राजदूत। |
| डेनमार्क | कंवल सिंह | राजदूत | स्टॉकहोम में आवासी राजदूत। |
| इथोपिया | राव राजा आर० जी० राजवाडे | राजदूत | भारतीय दूतावास, पोस्ट बॉक्स नं० ५२८, अदीस-अबाबा। |
| फ्रांस | अली यावरजंग | राजदूत | भारतीय दूतावास, १५, रू अल्फ्रेड, डेहोडेंक, पेरिस। |
| पश्चिम जर्मनी | पी० ए० मेनन | राजदूत | भारतीय दूतावास, २६२, कोब्लेन्जर-स्ट्रैसी, बोन। |

| देश | प्रतिनिधियों के नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| ग्रीस ( यूनान ) | जे० एन० खोसला | राजदूत | बेलग्रेड में आवासी राजदूत। |
| इण्डोनेशिया | अपा बी० पंत | राजदूत | भारतीय दूतावास, पो० बॉक्स नं० ११८—४४, केबन-सेरीह, जकार्त्ता। |
| ईरान | मिरजा रशीद अलीबेग | राजदूत | भारतीय दूतावास, एवेन्यू शाहरजा, तेहरान। |
| इराक | सादल अली खाँ | राजदूत | भारतीय दूतावास, २२/१२ अलट-वारी स्ट्रीट, वजिरिया बगदाद। |
| आयरलैंड | एम० सी० छागला | राजदूत (नामोद्दिष्ट लंदन के आवासी राजदूत) | भारतीय दूतावास, ६०, फिट्ज विलियम स्क्वायर, डब्लिन। |
| इटली | एस० एन० हक्सर | (साथ ही अलबानिया के मंत्री भी ) | भारतीय दूतावास, भाया, फ्रान्सिस्को डेन्ज, ३६, रोम। |
| जापान | लालजी मेहरोत्रा | राजदूत | भारतीय दूतावास, नैगाई बिल्डिंग, १/२ चोम कुद्रान, चिओड-कू, टोकियो। |
| मेक्सिको | पी० एल० भंडारी | राजदूत (साथ ही क्यूबा के भी राजदूत) | भारतीय दूतावास, एवन्यू जुआरेज नं० ६७, डी० पी०, मेक्सिको सिटी। |
| नेपाल | हरेश्वरदयाल | राजदूत | भारतीय दूतावास, काठमाण्डू। |
| नेदरलैंड | आर० के० टंडन | राजदूत | भारतीय दूतावास, बुइटेर्नरस्टदाग २, हेग। |

| देश | प्रतिनिधियों के नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| नारवे | वी० एम० माधवन नायर | राजदूत | भारतीय दूतावास, नं० १ कोलव्जर्नसेन्स गेट, ओसलो, नारवे। |
| लाओस | एम० एस० सैत | राजदूत | भारतीय दूतावास, विएण्टियाने। |
| मंगोलिया | रिक्त | ,, | आवासी राजदूत, पेकिंग। |
| मोरक्को | वी० के० आचार्य | ,, (साथ ही ट्युनिसियाके भी राजदूत) | भारतीय दूतावास, १०, प्रिंस मोहम्मद वी रैवट, मोरक्को। |
| फिलिपाइन्स | एस० एन० मैत्र | राजदूत | भारतीय दूतावास, १८५६, नेब्रास्का, मैलेट, मनिला। |
| पोलैंड | एल० आर० एस० सिंह | ,, | भारतीय दूतावास,नं० ३ अलेजीरोज, वारसा। |
| रूमानिया | एम० पी० माथुर | ,, | प्राहा में आवासी राजदूत। |
| सऊदी अरब | एम० एन० मसूद | ,, | भारतीय दूतावास, जेड्डा। |
| स्पेन | रिक्त | ,, | लंदन में आवासीय राजदूत, भारतीय दूतावास, अलफौन्सो १२, ४६ (फर्स्ट फ्लोर) मैड्रिड। |
| सूडान | डॉ० शौकत एस० अन्सारी | ,, | भारतीय दूतावास इस्माइल पाशा एवेन्यू, पो० बॉक्स, ७०७, खार्तुम। |
| स्विट्जरलैंड | एम० ए० रउफ | राजदूत (साथ ही वैटिकन के मिनिस्टर) | भारतीय दूतावास, २०, कलचिग वेग, वर्न। |
| स्वीडन | केवलसिंह | साथ ही डेनमार्क और फिनलैंड के भी राजदूत | भारतीय दूतावास, वी० ट्रैंड गार्डस्गटन १५, स्टॉकहोम। |

| देश | प्रतिनिधियों के नाम | पद | पता |
| --- | --- | --- | --- |
| थाईलैंड | निरंजनसिंह गिल | राजदूत | भारतीय दूतावास, १३६, पान रोड, बैंकाक। |
| ट्युनिशिया | आर० गोवर्धन | ” | रैबट में आवासी राजदूत। |
| टर्की | जयकुमार अटल | ” | भारतीय दूतावास, नं० ५०, किजिलिमार्क सोकॉक, कोस्टेपी, अंकारा। |
| संयुक्त अरब-गणराज्य | मुहम्मद अजीम हुसैन | राजदूत (साथ ही लीबिया के भी राजदूत) | भारतीय दूतावास, ५, शारिया माहद एल स्विसरी, पो० बॉक्स ७१८, जमालक, काहिरा। |
| संयुक्तराज्य अमेरिका | बी० के० नेहरू | राजदूत | भारतीय दूतावास, २१०७, मासेचुसेट्स एवेन्यू, एन्० डब्ल्यू०, वाशिंगटन ८, डी० सी०। |
| रूस | एस्० दत्त | राजदूत (साथ ही हंगरी के भी राजदूत) | भारतीय दूतावास, नं० ६ और ८, उलितिसा ओब्रूका, मास्को। |
| युगोस्लाविया | जे० एन० खोसला | राजदूत (साथ ही यूनान और बलगेरिया के भी राजदूत) | भारतीय दूतावास, ग्रोलेटरस्केह, ब्रिगेड, ६, बेलग्रेड। |

## उच्चायुक्त (हाइ-कमिश्नर)

| देश | उच्चायुक्तों के नाम | पद | पता |
| --- | --- | --- | --- |
| अस्ट्रेलिया | एस० सेन, आई० सी० एस० | उच्चायुक्त (साथ ही न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त) | ६३, मग्गावे, रेडहिल, कैनबेरा। |
| कनाडा | चन्द्रशेखर झा | उच्चायुक्त | २००, मैकलॉरेन स्ट्रीट, ओटावा। |
| श्रीलंका | बी० के० कपूर | ” | ७, स्टेशन रोड, कोल्लूपिटिया कोलम्बो ३। |

| देश | प्रतिनिधियों के नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| घाना | खूबचन्द | उच्चायुक्त साथ ही गिनी, माली और लाइबेरिया के भी राजदूत तथा सियरा लियोनि के उच्चायुक्त | पो० बॉक्स नं० ३०४०, अकरा । |
| मलाया | वाई० के० पुरी | उच्चायुक्त (साथ ही सिंगापुर के आयुक्त) | पो० बॉक्स नं० ५६, ४ गिनलेक रोड, क्वालालम्पुर। |
| न्यूजीलैंड | एस० सेन | उच्चायुक्त | ४६, विलिस स्ट्रीट, वेलिंगटन, कैनबेरा। |
| पाकिस्तान | राजेश्वरदयाल | उच्चायुक्त | ३, वानस रोड, कराची। |
| ग्रेट-ब्रिटेन | एम० सी० छागला | उच्चायुक्त ( साथ ही आयरलैंड के राजदूत ) | इंडिया हाउस, एल्डविक, लन्दन, डब्लू० सी० २। |
| नाइजीरिया | पी० एन० हक्सर | उच्चायुक्त | प्राइवेट मेल बैग, २३२७, लागोस । |
| सियरालियोनि | खूबचन्द | " | अकरा में आवासी उच्चायुक्त। |
| टैंगनिका | एम० ए० वेलोदी | " | २, इंगिल्स स्ट्रीट । दार-एस्सलाम। |

## उपराजदूत (लिगेट)

| देश | उपराजदूतों के नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| अलबानिया | एस० एन० हस्कर | मिनिस्टर | रोम में आवासी मिनिस्टर। |
| उरुगुए | तारासिंह बाल | " | ब्युनेसएरीज में आवासी मिनिस्टर । |
| वैटिकन | एम० ए० रऊफ | " | बर्न में आवासी मिनिस्टर। |
| वेनेजुएला | एस० सेन नामोद्दिष्ट | " | रायो-डी-जनेरो में आवासी मिनिस्टर। |

## विशेष दूत ( स्पेशल मिशन )

| देश | नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राष्ट्रसंघ | बी० एन० चक्रवर्ती | संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि | न्यू इंडिया हाउस, ३-ईस्ट, ६४ स्ट्रीट, न्यूयार्क । |

## आयुक्त ( कमिश्नर )

| देश | आयुक्तों के नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| अदन | जगतसिंह | आयुक्त | भारत-सरकार के कमिश्नर का कार्यालय, अदन । |
| ब्रिटिश पूर्व अफ्रिका | के० आर० एफ० खिलनानी | आयुक्त (सेण्ट्रल अफ्रिकन फेडरेशन के आयुक्त और रुआण्डा - उरुण्डी में कौंसल-जेनरल के रूप में) | जीवन भारती, कोरोनेशन एवेन्यू, पो० बॉ० न० ३०,०७४, नैरोबी (केनिया) । |
| ब्रिटिश वेस्ट इण्डीज ( जिसमें ब्रिटिश गायना सम्मिलित है ) | के० सी० नायर | आयुक्त (साथ ही सुरिनम के कौंसल जेनरल) | पो० बॉ० न० ५३०, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड सुरिनम । |
| सेण्ट्रल अफ्रिकन फेडरेशन (ब्रिटिश) | के० आर० एफ० खिलनानी | आयुक्त (नैरोबी में आवासी आयुक्त ) | सेंट वार वाराहाउस, ११५, मफ्फात स्ट्रीट, बेकर एवेन्यू, पो० बॉ० ३६१, सैलिसबरी । |
| फिजी | जे० के० गंजू | आयुक्त | नीना स्ट्रीट जी० पी० ओ० वाक्स ४०५, सूवा । |
| हांगकांग | एफ० एम० डी-मेलो कामथ | आयुक्त | टावर कोर्ट, फ्लोर ११, हयान एवेन्यू हाँगकाँग । |
| मॉरिशस | एम० के० किदवई | आयुक्त | फ्रेयरी फेलिक्स डी वेलियोज स्ट्रीट, पोर्ट लुई, मॉरिशस । |

| देश | आयुक्तों के नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| सिंगापुर | वाइ० के० पुरी | आयुक्त कुआलालम्पुर में आवासी आयुक्त | इंडिया हाउस, ३१ ग्रैंज रोड, सिंगापुर। |
| उगाण्डा | के० आर० एफ० खिलनानी | नैरोबी में आवासी आयुक्त | भारत के आयुक्त का कार्यालय, पो० बॉ० नं० ३,२६५, कम्पाला। |

## कॉन्सलेट जेनरल

| देश | नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| बर्लिन | महबूब अहमद | कॉन्सल जेनरल, | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इंडिया जोयचिमस्टेलर स्ट्रैसी, २८ (फर्स्ट फ्लोर), बर्लिन—१५, |
| कोपेनहेगेन | विक्टर वी० स्ट्रैण्ड | ऑनरेरी कॉन्सल जेनरल | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय दूतावास वी० ट्रैगार्डसगटन, १५ स्टॉकहोम। |
| फ्रैंकफर्ट | आर० डी० साठे | कॉन्सल जेनरल | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इंडिया, फ्रैंकफर्ट। |
| जेनेवा | ए० एस० मेहता | ,, | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इंडिया, २, प्लेस डी ईपक्स-वाइव्स जेनेवा। |
| हैम्बर्ग | डी० एस० कमटेकर | ,, | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इंडिया, १४ वर्चार्ड स्ट्रैसी, हैम्बर्ग। |
| हनोई | एस० कृष्णमूर्त्ति | ,, | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इंडिया, ५८, ट्रान-हुंग दाओ, हनोई। |
| लासा | ए० आर० देव | ,, | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इंडिया, लासा द्वारा राजनीतिक पदाधिकारी, सिक्किम, गंगटोक। |

| देश | नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| म्यूनिक | पी० एच० वी० मित्तरवालनर | ऑनरेरी कॉन्सल जेनरल | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इण्डिया, म्यूनिक। |
| मस्कट | डब्ल्यू० इ० इलिंग | कॉन्सल जेनरल | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इण्डिया, मस्कट। |
| न्यूयार्क | एस० के० राय | " | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इण्डिया, ३ ईस्ट ६४ स्ट्रीट, न्यूयार्क। |
| रुआंडा-उरुंडी | के० आर० एफ० खिलमानी | " | नैरोबी में आवासी कॉन्सल जेनरल। |
| साइगॉन | एम० एस० सैट | " | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इण्डिया, २१३, रुइ कैटिनैएट, साइगॉन। |
| सानफ्रांसिस्को | ए० जी० मेनेसेज | कॉन्सल जेनरल | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इण्डिया, ४१७ माण्ट-गोमरी स्ट्रीट, सान-फ्रांसिस्को। |
| शंघाई | एस० कृष्णस्वामी | " | कॉन्सलेट जेनरल ऑफ इण्डिया, ८१०, येनानलू, सेण्ट्रल शंघाई ६। |
| स्टटगार्ट | आर० किस्सेल | ऑनरेरी कॉन्सल जेनरल | कान्सलेट जेनरल ऑफ इण्डिया, स्टटगार्ट। |
| सूरिनम | के० सी० नायर | कॉन्सल जेनरल | ट्रिनिडाड में आवासी कॉन्सल जेनरल। |

## कॉन्सलेट

| देश | नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| एथेन्स | एल० इ० वफिआदिस | ऑनरेरी कॉन्सल | कॉन्सलेट ऑफ इण्डिया, एथेन्स। |
| वसरा | एम० पी० श्रीवास्तव | कॉन्सल | कॉन्सलेट ऑफ इण्डिया, वसरा। |
| कोवे | नरीन्दरनाथ | " | न० १/२, यामामोटो-डोरी ३, चोमी, इकूटकू कोवे। |
| खोर्रमशहर | डी० सारीन | " | कॉन्सलेट ऑफ इण्डिया, खोर्रमशहर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| मेदान | एस० एल० कौल किलम | कॉन्सल | कान्सलेट ऑफ इण्डिया, डी० जे० टिजोक्रोआमाइट, १६ मेदान। |
| सुरावाया | सम्पूरन सिंह | ,, | जलानराजा गुबेंग, ३२, सुरावाया। |

## वाइस कॉन्सलेट

| | | | |
|---|---|---|---|
| जलालाबाद | एच० एल० काश्यप | वाइस-कॉन्सल | वाइस-कॉन्सलेट ऑफ इण्डिया, जलालाबाद। |
| कन्धार | एस० प्रकाश | ,, | वाइस-कॉन्सलेट ऑफ इण्डिया, कन्धार |
| मांडले | एस० बनर्जी | ,, | वाइस-कॉन्सलेट ऑफ इण्डिया, मांडले। |
| जहिदन | वी० पी० सिंह | ,, | वाइस-कॉन्सलेट ऑफ इण्डिया, जहिदन (ईस्ट ईरान) वाया, तेहरान। |

## एजेन्सीज

| | | | |
|---|---|---|---|
| गर्टक | ए० के० बख्शी | ट्रेड एजेण्ट | इण्डियन ट्रेड एजेन्सी गर्टक (पश्चिमी तिब्बत) |
| ग्यांटसी | के० एल० एस० पंडित | ,, | इण्डियन ट्रेड एजेन्सी, ग्यांटसी, वाया सिलिगुड़ी |
| याटुंग | एल० एस० जंगपंगी | ,, | इण्डियन ट्रेड एजेन्सी, याटुंग (तिब्बत)। |

★

## भारत में विदेशों के राज-प्रतिनिधि

| देश | पद तथा नाम |
|---|---|
| अफगानिस्तान | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी सरदार अला जनरल मुहम्मद उमर; २४, रटेनडन रोड, नई दिल्ली। |
| अर्जेण्टाइना | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० रिकार्डो मास्क्वेरा इस्टमैन; १३७-ए, जोरबाग नर्सरी, नई दिल्ली। |
| अस्ट्रिया | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० जार्ज स्तनमवर्गर, ३७,४८ नया मार्ग, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली। |
| बेल्जियम | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० वेण्डेलेन; ७, गौल्फ लिंक्स, नई दिल्ली। |

| देश | पद तथा नाम |
|---|---|
| ब्राजिल | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी सेनहोर मेरियो दा कोस्टा गुइमारेंज; ८, औरङ्गजेब रोड, नई दिल्ली। |
| बर्मा | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी महा थिरी थुधामा डाव खिनकी, १०६,४८ चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। |
| कम्बोडिया | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी वारकमेत; २५ गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली। |
| चीन | चार्जद अफेयर्स, मि० येह चेंग-चाग; जिन्द हाउस, लिटन रोड, नई दिल्ली। |
| चेकोस्लोवाकिया | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० लेडीस्लाव सिमोविक; ४५/४६ सुन्दरनगर, नई दिल्ली। |
| चिली | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० सेनरल लुइस मेलो लेकारस; २७, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली। |
| कोलम्बिया | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० मिगुएल लोपेज पुमारजो, ३/३६ सरदार पटेल रोड नई दिल्ली। |
| क्यूबा | राजदूत, मि० मैनुएल स्टॉलिक नोविग्रोद ४०, रटेण्डन रोड, नई दिल्ली। |
| डेनमार्क | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी अर्ने बोघ एण्डरसेन; ६, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली। |
| इथोपिया | चार्जे द अफेयर्स, २६, हिज एक्सेलेन्सी मि० मेंगहिस्टू लेम्मा, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली। |
| फ्रांस | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० जिन पॉल गार्नियर; २, औरङ्गजेब, रोड, नई दिल्ली। |
| फिनलैंड | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० वेली हेलिनियस; ४३-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली। |
| जर्मनी (पश्चिम) | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० जार्ज फर्डिनेण्ड डकविट्ज ६ ब्लॉक, ५०-जी शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। |
| यूनान | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी निकोलस हेडजी वैसिसिल्यु, अशोक होटल, नई दिल्ली। |
| हंगरी | राजदूत हिज एक्सेलेन्सी डॉ० लाजलो रिंग्जी, १० पूसारोड ब्लॉक नं० ११, एन० ई० ए० नई दिल्ली। |
| इण्डोनेशिया | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० मोकाटो नॉटोविडिग्डो; ५०/ए चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। |
| ईरान | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० ए० मसूद अंसारी; १ हैली लेन, नई दिल्ली। |
| इराक | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० नूरी जमिल; २१ पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली। |

| देश | पद तथा नाम |
| --- | --- |
| इटली | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० जस्टो ग्युस्टी डेल गियरडिनो; ७, जोरबाग, नई दिल्ली। |
| जापान | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० कोटोमत्सुदैरा; चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। |
| लाओस | चार्ज द अफेयर्स, मि० सेचवंगलॉथी; चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। |
| मेक्सिको | चार्ज द अफेयर्स, मि० रोडल्फो जुरागो गुरमैन; १३६, गल्फ लिंक्स, नई दिल्ली। |
| मंगोलिया | चार्ज द अफेयर्स, मि० लुदेव डोरजियन खशवत, २१, पंचशील मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। |
| मोरक्को | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी डॉ० अहमद बेनाबूद; २०८, जोरबाग, नई दिल्ली। |
| नेपाल | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० नरप्रताप थापा, बड़ाखंभा रोड, नई दिल्ली। |
| नेदरलैंड | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० जोनखीर जेरार्ड विलेयर्टस वान ब्लॉकलैण्ड; रेटण्डन रोड, नई दिल्ली। |
| नारवे | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० हन्स ओल्व; कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली। |
| फिलिपाइन्स | चार्जद अफेयर्स, डॉ० रोमन वी० उवल्डो, थर्ड फ्लोर थापर हाउस, जनपथ, नई दिल्ली। |
| पोलैंड | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी जुलियज कट्जसुकी; २२ गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली। |
| रूमानिया | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० होरेसिउ इयांकू; ४८, गोल्फ लिंक्स नई दिली। |
| सऊदी अरब | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी शेख युसुफ अलफोजान; ६, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। |
| स्वीडन | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० लासबुक; नया मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। |
| स्विट्जरलैंड | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी जेक्स अलबर्ट कुटैट; थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली। |
| सूडान | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी सैयद अब्दुल करीम मीरगानी; १४७, सुन्दरनगर, नई दिल्ली। |
| स्पेन | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी सेनॉर डान पेलाइ गर्सिया; १२ पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली। |

| देश | पद तथा नाम |
|---|---|
| थाईलैंड | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० सुक्चि निम्मान्हेमिंडा; नया मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। |
| टर्की | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी नेक्डेट एच० केण्ट; २७, जोरबाग नई, दिल्ली। |
| संयुक्त अरब-गणतंत्र | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी मि० अहमद हसन एलफेकी; २६, जोरबाग, नई दिल्ली। |
| संयुक्तराज्य अमेरिका | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी जे० के० गालब्रेथ; शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। |
| सोवियत रूस | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी इवान एलेक्जेण्ड्रोविच बेनिडिक्टोम; शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। |
| युगोस्लाविया | राजदूत, हिज एक्सेलेन्सी दुसान क्वेदर; सुन्दरनगर, नई दिल्ली। |

## हाइ कमिश्नर

| देश | पद तथा नाम |
|---|---|
| अस्ट्रेलिया | ऐक्टिंग हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी मि० के० टी० केली; थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली। |
| कनाडा | ऐक्टिंग हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी मि० चेस्टर रोनिंग; ४ औरंगजेब रोड, नई दिल्ली। |
| श्रीलंका | हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी सर रिचार्ड एल्युव्हेयर; २२४, जोरबाग, नई दिल्ली। |
| घाना | हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी एस० के० अनथोंग; २, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली। |
| मलाया | हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी डाटो एस० चेल्वासिंगम, मेकलनहीरे मलाया हाउस, १५ जोरबाग, नई दिल्ली। |
| न्यूज़ीलैंड | हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी जी० आर० गुड पावेल्स; ३६, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली। |
| पाकिस्तान | हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी मि० आगा हिलाली; शेरशाह रोड, नई दिल्ली। |
| ग्रेटब्रिटेन | हाइ कमिश्नर, हिज एक्सेलेन्सी सर पॉल गोर-बुथ; ८, शान्तिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। |

## लिगेशन

| देश | पद तथा नाम |
|---|---|
| अलबानिया | असाधारण राजदूत तथा पूर्णाधिकार-प्राप्त मिनिस्टर, हिज एक्सेलेन्सी उलवी यूलो। |

★

# भारत तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठन

भारत-सरकार की अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों का संचालन भारतीय संविधान के एक निदेशक सिद्धान्त में निहित आचार-नियमों के आधार पर होता रहा है। सरकार का कर्त्तव्य यह है कि वह अन्तरराष्ट्रीय कानूनों तथा सन्धियों का पालन करे और अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए पंचनिर्णय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे।

सन् १६६१ ई० में भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उसके विशेष अधिकरणों और अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के सम्बन्ध में जो कार्य किया, उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है।

## संयुक्त राष्ट्रसंघ

सन् १६६१ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के सोलहवें सत्र में भारत की ओर से निम्नलिखित प्रतिनिधि-मण्डल ने भाग लिया —

**प्रतिनिधि**

वी० के० कृष्णमेनन (अध्यक्ष)
आर० एन० चक्रवर्ती
आर० वेंकटरमण
सी० एस० झा
जी० पार्थसारथी

**विकल्प-प्रतिनिधि**

एन० सी० कासलीवाल
मोइनुल हक चौधरी
सी० आर० पट्टाभिरमण
जे० एन० खोसला
जे० एन० साहनी

**संसदीय परामर्शदाता**

एन० एम० लिंगम्

**परामर्शदाता**

ए० वी० मटकमकर
एम० ए० वेलोडी
वी० ए० किदवई
एन० रसगोत्रा
के० नटवरसिंह
एस० एस० नाथ

**प्रधान सचिव**

एस० के० राय

**उपनिवेशवाद**—राष्ट्रसंघ की साधारण सभा द्वारा उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, उसकी पूर्ति कहाँतक हुई है, इस विषय की जाँच के लिए १७ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इन १७ सदस्यों में एक भारत भी था। उपनिवेशवाद के सम्बन्ध में उपयुक्त विशेष समिति के अध्यक्ष राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्रीचन्द्रशेखर झा निर्वाचित हुए।

**निरस्त्रीकरण**—सन् १६६१ ई० के अगस्त में साधारण सभा ने भारत द्वारा अनुमोदित एक संकल्प स्वीकृत किया, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि आणविक अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय वार्त्तालाप पुनः आरम्भ किये जायँ और सब राष्ट्रों से आग्रह किया जाय कि वे परीक्षण से विरत रहें। निरस्त्रीकरण के सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों का अध्ययन करने के लिए १० सदस्यों का एक समूह नियुक्त किया गया, जिसके एक

सदस्य श्री बी० एन० गांगुली थे। १४ मार्च, १९६२ ई० को जेनेवा में आरम्भ होनेवाले निरस्त्रीकरण-सम्मेलन में भारत की ओर से जो प्रतिनिधि-मंडल भेजा गया था, उसका नेतृत्व श्री वी० के० कृष्णमेनन ने किया।

**न्यास तथा अस्वशासित प्रदेश**—नौरू और न्यूगिनी, इन दो प्रदेशों की अवस्थाओं का दो मास व्यापक अध्ययन करने के लिए ४ सदस्यों का एक परिदर्शक शिष्टमण्डल नियुक्त किया गया, जिसका एक सदस्य भारत था।

**अणुशक्ति-अभिकरण**—सन् १९६१ ई० के सितम्बर-अक्टूबर में वियना में पाँचवाँ साधारण सम्मेलन हुआ, जिसके उप-सभापतियों में एक भारत भी था और सन् १९६१-६२ ई० के लिए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नियुक्त किया गया, उसकी सदस्यता के लिए भारत को पुनः नामोद्दिष्ट किया गया।

**राष्ट्रसंघ की विभिन्न संस्थाओं में नियुक्तियाँ एवं निर्वाचन**—कांगो के लिए १५ राष्ट्रों का जो संगठन-आयोग गठित किया गया था, उसका एक सदस्य भारत बना रहा। कांगो में राष्ट्रसंघ के सैनिक समादेश के मुख्य सेनापति कर्नल गुहा नियुक्त हुए और कटंगा में राष्ट्रसंघ की सेनाओं के सैनिक कमांडर ब्रिगेडियर के० ए० राजा।

राष्ट्रसंघ की प्रशासनिक एवं आय-व्यय-सम्बन्धी प्रक्रियाओं के परीक्षण के लिए १५ सदस्यों का जो एक कार्यवाहक दल नियुक्त किया गया था, उसके अध्यक्ष श्रीचन्द्रशेखर झा निर्वाचित हुए। अंशदान-समिति के अध्यक्ष भी वे ही निर्वाचित हुए। राष्ट्रसंघ प्रशासकीय अभिकरण में १ जनवरी, १९६२ ई० से काम करने के लिए श्री आर० वेङ्कटरमण आगे तीन वर्षों के लिए पुनः निर्वाचित हुए।

साधारण सभा के विषयों के उप-सचिव तथा महासचिव की मंत्रिपरिषद् के प्रधान श्री सी० वी० नरसिंहम् नियुक्त हुए। अविकसित देशों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए सात सदस्यों का जो बोर्ड कायम किया गया था, उसके एक सदस्य भी आप नियुक्त हुए।

**अन्तरराष्ट्रीय विधि-आयोग**—सन् १९६१ ई० के मई—जुलाई में जेनेवा में होनेवाले आयोग के तेरहवें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व श्रीराधाविनोद पाल ने किया। राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने श्रीराधाविनोद पाल को पाँच वर्षों के लिए आयोग का सदस्य निर्वाचित किया। एशिया-अफ्रिका विधि-परामर्शदात्री समिति के चौथे और पाँचवें सत्र टोकियो और रंगून में क्रमशः फरवरी, १९६१ ई० और जनवरी, १९६२ ई० में हुए। रंगून में होनेवाले सत्र के सभापति श्री एम० सी० सीतलवाद निर्वाचित हुए।

**आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्**—राष्ट्रसंघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के निम्नलिखित क्रियाशील आयोगों में भारत का प्रतिनिधित्व है—अन्तरराष्ट्रीय पण्य-व्यापार-आयोग, मानवीय अधिकार-आयोग, स्वापक औषध ( Narcotic Drugs ) आयोग और सांख्यिकी आयोग। सन् १९६१ ई० में भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् एवं जन-संख्या-आयोग का सदस्य निर्वाचित हुआ और मानवीय अधिकार-आयोग का पुनः सदस्य निर्वाचित हुआ। सन् १९६१ ई० के मई महीने में अन्तरराष्ट्रीय पण्य-व्यापार का जो नवाँ सत्र न्यूयार्क में हुआ था, उसमें भी भारत ने प्रतिनिधित्व किया था।

**स्वच्छन्द जानकारी-विषयक मानवीय अधिकार-विचारगोष्ठी**—सन् १९६२ ई० के फरवरी-मार्च में नई दिल्ली में राष्ट्रसंघ मानवीय अधिकार विचार-गोष्ठी का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के नेता श्रीअशोककुमार सेन विचारगोष्ठी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसमें एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग (E C A F E) अंचलान्तर्गत देशों के प्रतिनिधियों तथा अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों ने योगदान किया था। अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक-संघ और यूनेस्को के पर्यवेक्षक भी विचार-गोष्ठी में उपस्थित थे।

**एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग (E C A F E)**— सन् १९६१ ई० में २६ सितम्बर से ३ अक्टूबर तक एशियाई देशों के आर्थिक आयोजकों का प्रथम सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, जिसके अध्यक्ष श्रीगुलजारीलाल नन्दा निर्वाचित हुए। सड़क-यात्री-परिवहन के सम्बन्ध में एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग-विचारगोष्ठी की जो बैठक सन् १९६१ ई० के अक्टूबर में मद्रास में हुई थी, उसमें भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के नेता श्री एच० पी० सिन्हा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। व्यापार-प्रोन्नति के सम्बन्ध में एक विचारगोष्ठी सन् १९६१ ई० के नवम्बर-दिसम्बर में जयपुर में हुई।

**खाद्य एवं कृषि-संगठन (F A O)**—सन् १९६०-६१ ई० में उपर्युक्त संगठन द्वारा संयोजित सभी सम्मेलनों और महत्त्वपूर्ण बैठकों में भारत के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सन् १९६१ ई० के नवम्बर में रोम में होनेवाले खाद्य-कृषि-संगठन सम्मेलन के ग्यारहवें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व श्री एस० के० पाटिल ने किया। सन् १९६२ ई० के जनवरी में कुआलालम्पुर में होनेवाले खाद्य एवं कृषि-संगठन-सम्मेलन में भारत ने भाग लिया। सन् १९६१ ई० के सितम्बर में जेनेवा में होनेवाले राष्ट्रसंघ चीनी सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

**यूनेस्को (राष्ट्रसंघ शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन)**—सन् १९६१ ई० के जून महीने में यूनेस्को कार्यपालिका-बोर्ड का उनसठवाँ सत्र पेरिस में हुआ। सन् १९६१ ई० के सितंबर में एशिया के ६ समाचार-एजेन्सियों (Asian News Agencies) ने आपस में मिलकर एक परामर्श-परिषद् स्थापित की, जिसके कार्यपालिका-बोर्ड के अध्यक्ष श्री के० एन० रामनाथन् निर्वाचित हुए। यूनेस्को के राष्ट्रीय विज्ञान-कार्यक्रम में शोधविषयक अन्तरराष्ट्रीय सलाहकार-समिति का आठवाँ सत्र सन् १९६१ ई० के अक्टूबर में नई दिल्ली में हुआ। समिति के एक सदस्य श्री एम० एस० थैकर थे। सन् १९६१ ई० के नवम्बर में रामकृष्ण मिशन इन्स्टिच्यूट द्वारा आयोजित प्राच्य-प्रतीच्य सांस्कृतिक सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। सन् १९६१ ई० के नवम्बर में साहित्य-अकादमी द्वारा आयोजित एक अन्तरराष्ट्रीय पुस्तकालय-विचारगोष्ठी रवीन्द्र-शताब्दी-समारोह के अंग रूप में नई दिल्ली में संपन्न हुई।

**विश्व-स्वास्थ्य-संगठन (W H O)**—सन् १९६१ ई० में विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की कई-विज्ञ समितियों और सलाहकार-तालिकाओं के सदस्य भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त किये गये। सन् १९६१ ई० के सितम्बर में उटकमंड में दक्षिण पूर्व एशिया विश्व-स्वास्थ्य आंचलिक कमिटी का चौदहवाँ सत्र हुआ। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के नेता अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

**संयुक्तराष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय शिशु आकस्मिकता-निधि**—सन् १९६१ ई० में भारत को उपर्युक्त कोष से २,८५१,००० डालर की सहायता दी गई।

**संयुक्तराष्ट्र तकनीकी सहायता-कार्यक्रम**—सन १९६१ ई० के दिसंबर तक उपर्युक्त कार्यक्रम द्वारा भारत के लिए १,२३२ विज्ञों का उपबंध किया गया, विदेशों में अध्ययन के लिए १,१३३ भारतीयों को छात्रवृत्तियाँ दी गईं। सन् १९६१ ई० में भारत ने संयुक्तराष्ट्र के तकनीकी सहायता विस्तृत कार्यक्रम के लिए ३५.७१ का अंशदान किया और १० लाख विज्ञों के Living व्यय के लिए। २३ विभिन्न देशों में भारत के लगभग ७४० विज्ञ कार्य कर रहे हैं।

**अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-निधि (I M F)**—इस निधि का भारत एक प्रतिष्ठाता सदस्य है और निधि में उसका पाँचवाँ बृहत्तम अभ्यंश है। निधि से भारत ने सन् १९६१ ई० के दिसंवर तक २९२ करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी चल-मुद्राएँ खरीद कीं।

**पुनर्निर्माण एवं विकासार्थ अन्तरराष्ट्रीय बैंक (I B R)**—भारत इस बैंक का एक प्रतिष्ठाता सदस्य है और इसके मूलधन में उसका पाँचवाँ बृहत्तम अंश है। ३१ दिसंवर, १९६१ ई० तक भारत को सरकारी क्षेत्र में २४९ करोड़ और निजी क्षेत्र में १३१ करोड़ कुल मिलाकर ३८० करोड़ रुपये के ऋण मिल चुके हैं। इस राशि में २० करोड़ रुपये का उपयोग प्रथम योजना के पूर्व, १४ करोड़ का प्रथम योजना-काल और में २२३ करोड़ का द्वितीय योजना-काल में उपयोग किया गया। शेष १२३ करोड़ में २६ करोड़ का ३१ दिसम्बर, १९६१ ई० तक उपयोग किया जा चुका था।

बैंक के शासक-बोर्ड की १६वीं वार्षिक बैठक सन् १९६१ ई० के सितंबर में वियेना में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व केन्द्रीय वित्त-मंत्री ने किया था।

**अन्तरराष्ट्रीय विकास-समिति (I D A)**—अन्तरराष्ट्रीय विकास-संस्था आई० बी० आर० डी० से सम्बद्ध है। इसके द्वारा भारत को ६ ऋण कुल ५१ करोड़ रुपये के मिल चुके हैं।

**संयुक्तराष्ट्र विशेष निधि**—सन् १९६१ ई० में भारत ने उपर्युक्त निधि में १,७५,००० डालर (८३.३ लाख रुपया) का अंशदान किया। सन् १९६१ ई० में इस निधि से भारत को ३,४१७,३०० डालर (१६२.७३ लाख रुपया) की सहायता मिली।

**संयुक्तराष्ट्र के अन्य विशेष अभिकरण**—संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य विशेष अभिकरण, जिनके साथ भारत का सम्बन्ध है, निम्नलिखित हैं। सिविल एवियेशन ऑरगेनिजेशन (I C A); दि इण्टर नेशनल टेलिकम्यूनिकेशन यूनियन (I T C); दि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (U P U); दि वर्ल्ड मिटिरियोलॉजिकल ऑरगेनिजेशन (W M O)। वर्ल्ड मिटिरियोलॉजिकल ऑरगेनिजेशन के कमीशन फार इन्स्ट्रूमेंटस् ऐण्ड मेथडस् ऑफ आवजरवेशन का तीसरा सत्र सन् १९६२ ई० की जनवरी-फरवरी में नई दिल्ली में हुआ। भारतीय मिटिरियोलॉजिकल (आवह) विभाग के महानिदेशक श्रीएल० सी० माथुर कमीशन के सभापति निर्वाचित हुए। अहमदावाद भौतिक शोध-प्रयोगशाला के निदेशक श्री के० आर० रामनाथन् को सन् १९६१ ई० का अन्तरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान-संघटन (इन्टरनेशनल मिटिरियोलॉजिकल ऑरगेनिजेशन) पुरस्कार प्रदान किया गया।

## अन्यान्य अन्तरराष्ट्रीय संगठन

सन् १९६१ ई० के जुलाई-अगस्त में लंडन में प्रतिरक्षा-विज्ञान के सम्बन्ध में राष्ट्रमण्डल-सलाहकार-समिति का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत ने भाग लिया। सन् १९६१ ई० के

सितम्बर में अकरा में राष्ट्रमण्डल वित्तमन्त्री-सम्मेलन और राष्ट्रमण्डल आर्थिक परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व वित्तमन्त्री श्रीमोरारजी देसाई ने किया। राष्ट्रमण्डल समाचारपत्र-संघ ( प्रेस यूनियन ) के नवें पंचवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन २ नवम्बर, १९६१ ई० को नई दिल्ली में किया गया।

सन् १९६२ ई० में ११ जनवरी से २५ जनवरी तक नई दिल्ली में राष्ट्रमण्डल-शिक्षा-सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। श्री के० एल० श्रीमाली इस सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

**कलंबो-योजना**—कलंबो-योजना के आरम्भ से अबतक भारत ने विभिन्न देशों के १,६६४ शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की हैं। इनमें २५२ प्रशिक्षार्थियों ने सन् १९६०-६१ ई० में प्रशिक्षण-सुविधाएँ प्राप्त कीं। बर्मा, लंका, इंडोनेशिया, जापान, मलाया, नेपाल, फिलीपाइन, सरावक, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम से प्रशिक्षणार्थी आये थे। कलंबो-योजना की परामर्शदात्री समिति का तेरहवाँ सत्र कुआलालंपुर ( मलाया ) में हुआ। भारत की ओर से श्रीमती तारकेश्वरी सिंह ने इस सत्र में प्रतिनिधित्व किया।

आर्थिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को कुल १२·८ करोड़ रुपया अस्ट्रेलिया से, ११८·२ करोड़ ( जिसमें १५·७१ करोड़ का ऋण भी शामिल है ) कनाडा से और ३·४ करोड़ रुपया न्यूजीलैंड से अंशदान के रूप में मिला।

सन् १९६०-६१ ई० में भारत ने नेपाल को २·१ करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की।

**एशियाई रेलवे-सम्मेलन**—सन् ·९६१ ई० के १३ नवम्बर को नई दिल्ली में तृतीय एशियाई रेलवे-सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। एशिया और अफ्रिका के १५ देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। इनके सिवा इंगलैंड, फ्रांस और E C A F E की ओर से पर्यवेक्षक भी आये हुए थे। सम्मेलन ने भारतीय रेलवे-बोर्ड के अध्यक्ष श्रीकरनैल सिंह को अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया।

**शिक्षण-वृत्ति-संघटन विश्व-महासंघ**—सन् १९६१ ई० के जुलाई-अगस्त में नई दिल्ली में शिक्षण-वृत्ति-संघटन विश्व-महासंघ का दसवाँ सम्मेलन हुआ। सन् १९६१-६२ ई० के लिए संगठन का जो कार्य-क्रम स्वीकृत हुआ, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि विभिन्न देशों में राष्ट्रीय आधार पर शिक्षकों के वृत्तिमूलक संगठनों को सुदृढ बनाया जाय।

**वर्ल्ड काउन्सिल ऑफ चर्चेज की साधारण सभा**—वर्ल्ड काउन्सिल ऑफ चर्चेज की साधारण सभा का १७ दिवसव्यापी सत्र सन् १९६१ ई० के नवम्बर-दिसम्बर में नई दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड काउन्सिल ऑफ चर्चेज के ६ सभापतियों में एक भारत के श्री डेविड जी० मोजेज निर्वाचित हुए।

**अमेरिका का शान्ति के लिए खाद्य**—अमेरिका के राष्ट्रपति कनेडी के व्यक्तिगत प्रयत्न एवं उदारता द्वारा प्रवर्तित 'फूड फॉर पीस', अर्थात् शान्ति के लिए खाद्य-कार्यक्रम भारत में काफी लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। आज के इस प्रगतिशील विश्व में भी ३० करोड़ से ५० करोड़ तक ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हें उपयुक्त पौष्टिक खाद्य नहीं मिलता और लगभग १०० करोड़ मनुष्यों को अपौष्टिक खाद्य मिलता है। इस प्रकार के देशों में एक भारत भी है। इस विश्वव्यापी पुष्टिहीनता का प्रतिरोध करने में सबसे समर्थ देश अमेरिका है। अमेरिका के एक-एक किसान को अतिरिक्त खाद्यान्न इतना

होता है कि वह अपने अतिरिक्त अन्य २६ जनों को खिला सकता है। सन् १६५१ ई० से अबतक भारत अमेरिका से ३ करोड़ १० लाख टन खाद्यान्न प्राप्त कर चुका है, जिनका मूल्य १२६६.२ करोड़ रु०, अर्थात् प्रतिव्यक्ति पीछे ३० रु० पड़ता है। 'फूड फॉर पीस' कार्यक्रम के अनुसार मद्रास और केरल में प्रतिदिन २० लाख बच्चों को दोपहर में अमेरिका का खाद्य दिया जाता है। गत १५ फरवरी को पंजाब के अन्य ५० हजार बालक-बालिकाओं को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है। इस खाद्य के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। सम्बद्ध देश अपने यहाँ की मुद्रा में ही मूल्य चुका सकते हैं। एक और सुविधा यह है कि खरीदार देश विक्रय-मूल्य का प्रतिशत लगभग ८७ भाग अपने यहाँ उधार और साहाय्य-लेखा में रख लेते हैं और यह रकम अमरीकी सरकार के साथ राय-सलाह करके क्रेता देश के आर्थिक विकास में खर्च की जाती है।

**रूस-भारत सांस्कृतिक अनुबन्ध**—फरवरी, १६६२ ई० में भारत और सोवियत रूस के बीच सन् १६६२-६३ ई० के लिए एक सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सहयोगिता-सम्बन्धी अनुबन्ध सम्पन्न हुआ। इसके पहले सन् १६६० ई० में भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक सहयोगिता-सम्बन्धी एक अनुबन्ध सम्पन्न हुआ। पहले के अनुबन्ध की अपेक्षा वर्त्तमान अनुबन्ध का क्षेत्र विस्तृत है। सन् १६६० ई० के अनुबन्ध की अपेक्षा वर्त्तमान अनुबन्ध का कार्यक्रम व्यापक होने के कारण यह आशा की जाती है कि दोनों देशों के बीच मैत्री एवं सहयोगिता का आधार और भी सुदृढ होगा। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करते समय रूस के मन्त्री मिस्टर जुकफ ने कहा कि शीत-युद्ध को परास्त करने का सर्वोत्तम अस्त्र है विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक बन्धन स्थापित करना। यह बन्धन जितना ही प्रसारित होगा, जनता के बीच आपस की समझदारी उतनी ही बढ़ेगी। सन् १६६१ ई० में भारत से २० से अधिक भारतीय वैज्ञानिक, अध्यापक एवं सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों ने सोवियत रूस का परिभ्रमण किया। इसी प्रकार रूस से भी लगभग २० शिष्टमण्डल इस देश में आये थे, जिनमें वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, शिल्पी, खेलाड़ी इत्यादि थे। वर्त्तमान अनुबन्ध के अनुसार भारत से ६६ विद्यार्थी, वैज्ञानिक एवं गवेषक उच्चतर शिक्षा एवं गवेषणा के लिए छात्रवृत्ति लेकर रूस जायँगे। भारत महासागर में सामुद्रिक गवेषणा के लिए नियुक्त सोवियत जहाज पर एक भारतीय वैज्ञानिक को काम करने का मौका दिया जायगा। इसके सिवा लोक-स्वास्थ्य, खेल-कूद, रेडियो और टेलिविजन, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच शिक्षार्थियों का आदान-प्रदान होगा। रूसी वैज्ञानिक शान्तिपूर्ण कार्यों में अणु-शक्ति के व्यवहार की प्रयोग-विद्या में भारतीय वैज्ञानिकों के साथ सहयोग करेंगे। इस बीच भारत की विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कार्य करने के लिए आठ रूसी वैज्ञानिक भारत आ चुके हैं। जनता के मनोरंजन के लिए एक थियेटर-दल और एक सर्कस-दल भी भारत आयेंगे।

★

## वर्ष की प्रमुख घटनाएँ

## (१६६१-१६६२)

### अप्रैल, १६६१

१. भारत-सरकार की ओर से की गई एक घोषणा में बताया गया कि संघ के राजकार्य में अँगरेजी के अतिरिक्त हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रवेश के लिए कौन-कौन से उपाय काम में लायें जायेंगे।

२. सोवियत रूस का एक शिष्टमण्डल मि० सुसलव के नेतृत्व में नई दिल्ली पहुँचा।

३. स्वर्गीय नेता मोतीलाल नेहरू के जन्म-शताब्दी-समारोह का आगरा में उद्घाटन।

४. मैसूर के स्थानापन्न राज्यपाल के रूप में श्रीमंगलदास पकवासा ने शपथ-ग्रहण किया।

५. अमरीकी सरकार की ओर से एक ऋण-सम्बन्धी इकरारनामे की घोषणा, जिसके अनुसार डेवलॉपमेंट लोन-फंड (विकास ऋण-निधि) ने इण्डस्ट्रीज क्रेडिट ऐण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ५० लाख डालर या इसके समतुल्य ऋण देने का इकरार किया।

६. जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व शासक महाराजा हरिसिंह का वम्बई में देहान्त।

७. वोन (पश्चिम जर्मनी) में एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर, जिसके अनुसार भारत को तीसरी योजना के लिए ३३ करोड़ मार्क्स (जर्मन सिक्का) का ऋण दिया गया।

## मई, १९६१

१. इंगलैण्ड की सरकार की ओर से भारत को ५३ करोड़ रुपये का ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में नई दिल्ली में दो इकरारनामों पर हस्ताक्षर।

२. नई दिल्ली में रवीन्द्र-जन्म-शताब्दी-समारोह का आरम्भ।

३. भारतीय अभियात्री-दल ने २४,८५८ फुट ऊँचे अन्नपूर्णा पर्वत-शिखर पर सफल आरोहण किया।

४. रवीन्द्रनाथ ठाकुर एवं मोतीलाल नेहरू की जन्म-शताब्दियाँ देश में सर्वत्र मनाई गईं।

५. केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार-प्रशिक्षण-संस्थान की स्थापना के लिए भारत को फोर्ड फाउण्डेशन की ओर से ६ लाख डालर अनुदान देने की घोषणा।

६. कोहिमा में नागाभूमि के अन्तरिम शासन के प्रथम सत्र का आरम्भ।

७. दुर्गापुर में अखिलभारतीय काँगरेस-कमिटी का अधिवेशन।

## जून, १९६१

१. राष्ट्रीय विकास-समिति द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन।

२. वाशिंगटन में विश्व-वैंक ने घोषित किया कि ६ राष्ट्र और बैंक ने आगामी दो वर्षों में भारत को २ अरब २० करोड़ डालर ऋण देने का इकरार किया है।

३. अखिलभारतीय आकाशवाणी की रजत-जयन्ती मनाई गई।

४. अहमदाबाद के निकट कलोल में एक नया तैल-क्षेत्र का आविष्कार।

५. उड़ीसा-राज्य के मध्यवर्त्ती आम चुनाव के फल घोषित किये गये।

६. सभी भारतीय भाषाओं में व्यवहार के लिए परिनिष्ठित विधि-शब्दावली के निर्माण कार्य को ठीक तरह से आयोजित और कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत-सरकार ने विधि-विज्ञों का एक स्थायी आयोग गठित किया।

७. एक भारतीय पर्वतारोही-दल ने नीलकंठ पर्वत के २१,६४० फुट ऊँचे शिखर पर सफल आरोहण किया।

८. राष्ट्रीय प्राध्यापक और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी) के निर्देशक के० एस० कृष्णन का नई दिल्ली में देहान्त।

९. भाषा-समस्या को लेकर आसाम में उपद्रव।

१०. श्रीजयचामराज वाडियर ने मैसूर-राज्य के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया।

११. हिन्दुस्तान लड़ाकू एच० एफ० २४) सुपरसोनिक वायुयान का बंगलोर में प्रारम्भिक उड्डयन।

१२. वाशिंगटन में विकास ऋण-निधि द्वारा भारत को २ करोड़ डालर ऋण दिये जाने की स्वीकृति की घोषणा।

१३. भूतपूर्व प्रतिरक्षा-मंत्री सरदार बलदेव सिंह का नई दिल्ली में देहावसान।

## जुलाई, १९६१

१. विख्यात उद्योगपति पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास का बंबई में देहान्त।

२. एक भारतीय पर्वतारोही दल ने २३,३६० फुट ऊँचे त्रिशूल-शिखर पर सफल आरोहण किया।

३. ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव का बंबई में देहावसान।

४. अंकलेश्वर के निकट एक गाँव में भूमि के नीचे तैल-स्रोत का पता चला।

५. राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद की रुग्णावस्था में उपराष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन् ने राष्ट्रपति का कार्यभार सम्पन्न करने का शपथ-ग्रहण किया।

६. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी के दूसरे संयंत्र (प्लैंट) का बंगलोर में उद्घाटन।

७. नई दिल्ली में वयस्क-शिक्षा अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन।

८. चिकित्सा-विज्ञान की स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए भारत-सरकार ने एक कमिटी नियुक्त की।

१०. हिन्दी में वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शब्दावली के निर्माण के लिए भारत-सरकार ने एक स्थायी आयोग की स्थापना की।

## अगस्त, १९६१

१. मद्रास-विधान-सभा के अध्यक्ष यू० कृष्ण राव का परलोकवास।

२. दक्षिण अफ्रिका के प्रवासी भारतीयों की समस्या के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने संयुक्तराष्ट्र की साधारण परिषद् में एक संलेख पुरःस्थापित किया।

३. राज्य के मुख्य मंत्रियों एवं केन्द्रीय मंत्रियों के एक सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि होनी चाहिए और वह देवनागरी-लिपि हो।

४. नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकता-कमिटी की बैठक।

५. हंगरी से ६ सदस्यों का एक प्राविधिक शिष्ट-मण्डल नई दिल्ली पहुँचा।

६. अमेरिका से कुल ३० करोड़ रुपये के ऋण (तीन विद्युत्-परियोजनाओं के लिए) के सम्बन्ध में इकरारनामों पर हस्ताक्षर।

७. नई दिल्ली में अभियन्त्रण और प्रावैधिकी (दि इंजीनियरिंग ऐण्ड टेक्नोलॉजी) का एक कॉलेज खुला।

८. टोकियो में भारत और जापान के प्रतिनिधियों ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में जापान ने ८ करोड़ डालर मूल्य का जापानी सिक्का येन ऋण देना मंजूर किया।

९. राजनीतिक दलों के लिए एक आचार-संहिता प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में लखनऊ में द्विदिवसीय सम्मेलन की समाप्ति।

१०. नेपाल के महाराजा और महारानी का नई दिल्ली में आगमन।

## सितम्बर, १९६१

१. राष्ट्रपति ने महाराजा माधवराव जयाजीराव सिंधिया को ग्वालियर के शासक के रूप में मान्यता प्रदान की।

१. प्रधान मन्त्री नेहरू ने बेलग्रेड में होनेवाले तटस्थ देशों के शिखर-सम्मेलन में भाषण किया।

३. नई दिल्ली में मादक द्रव्य-निषेध-कार्यकर्त्ताओं का प्रथम अखिलभारतीय सम्मेलन आरम्भ।

४. भारत और सोवियत रूस के प्रधान मंत्रियों की एक संयुक्त विज्ञप्ति में यह घोषणा की गई कि इस समय विश्व के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न है सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण।

५. नदी-घाटी-परियोजनाओं के लिए अमेरिका द्वारा भारत को ४५ करोड़ रुपये का ऋण-दान के सम्बन्ध में इकरारनामा।

६. पश्चिम जर्मनी-सरकार द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए और भी सहायता देने के सम्बन्ध में, बोन में इकरारनामे पर हस्ताक्षर।

७. उटकमंड में दक्षिण पूर्व एशिया विश्व-स्वास्थ्य-संगठन का चौदहवाँ सत्र आरम्भ।

८. सर्वोच्च न्यायालय ने समाचारपत्र ( मूल्य एवं पृष्ठ ) अधिनियम और उसके अनुसार जारी किये गये आदेश को अवैधानिक एवं व्यर्थ घोषित किया।

९. संयुक्त अरब-गणराज्य का एक सरकारी व्यापार-शिष्ट-मण्डल, जिसमें पाँच सदस्य थे, नई दिल्ली पहुँचा।

१९. नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकता-सम्मेलन का उद्घाटन।

## अक्टूबर, १९६१

१. राजनीतिक दलों की आचार-संहिता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय एकता-सम्मेलन ने वक्तव्य का एक प्रारूप स्वीकृत किया।

२. नई दिल्ली में त्रिदिवसीय हिन्दू-सम्मेलन का आरम्भ।

३. मदुराई में अखिल भारतीय काँगरेस-कमिटी की बैठक में चुनाव-घोषणा-पत्र की स्वीकृति।

४. भारतीय रेल-मार्गों के विकास के लिए विश्वबैंक द्वारा ५ करोड़ डालर ऋणदान की घोषणा।

५. पोलैण्ड के प्रधान मन्त्री और भारतीय प्रधान मन्त्री के वार्त्तालाप की समाप्ति के बाद नई दिल्ली से एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित।

६. अखिलभारतीय प्राच्य-सम्मेलन का इक्कीसवाँ अधिवेशन श्रीनगर में आरम्भ।

७. दक्षिणभारत हिन्दी-प्रचार-सभा के रजत-जयन्ती-समारोह का तिरुची में उद्घाटन।

८. विख्यात हिन्दी-कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' का इलाहाबाद में देहान्त।

९. संस्कृत-शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भारत-सरकार ने तिरुपति ( मद्रास ) में एक केन्द्रीय संस्कृत-विद्यापीठ स्थापित करने का निश्चय किया।

१०. नई दिल्ली में सप्तम अन्तर-विश्वविद्यालय युवक-उत्सव का उद्घाटन।

११. द्वितीय अन्तरराष्ट्रीय फ़िल्म-उत्सव का नई दिल्ली में उद्घाटन।

१२. भारतीय दर्शन-सम्मेलन का ३६वाँ अधिवेशन शान्ति-निकेतन में आरम्भ।

१३. सिखों के विरुद्ध भेदभावमूलक बरताव करने के प्रश्न पर जाँच करने के लिए भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रीसुधीररंजन दास की अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति।

## नवम्बर, १९६१

१. वाशिंगटन में प्रधान मन्त्री नेहरू अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले।

२. केरलराज्य मुस्लिम-लीग की कार्यसमिति ने विधान-मंडल में कांगरेस और प्रजा-समाजवादी दल के साथ लीग का मैत्री-सम्बन्ध विच्छिन्न कर लेने का निश्चय किया।

३. भारतीय प्रधान मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के वार्त्तालाप की समाप्ति पर वाशिंगटन से एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुई।

४. संयुक्तराष्ट्र साधारण परिषद् में प्रधान मंत्री नेहरू का भाषण।

५. भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक वर्ष के लिए व्यापार-इकरारनामे पर हस्ताक्षर।

६. पाकिस्तान-सरकार ने भारतीय सैन्य-पदाधिकारी कर्नल डी० भट्टाचार्य को ढाका में आठ वर्षों का सश्रम कारावास का दण्ड दिया।

७. उड़ीसा की गणतन्त्र-परिषद् ने स्वतन्त्र दल में अपने को विलीन कर देने का निश्चय किया।

८. नई दिल्ली में भारतीय उद्योग-मेला का उद्घाटन।

९. बम्बई में चतुर्थ अखिलभारतीय लेखक-सम्मेलन का आरम्भ।

१०. भारतीय प्रधान मंत्री और मेक्सिको के राष्ट्रपति के बीच वार्त्तालाप समाप्त होने पर एक विज्ञप्ति प्रकाशित।

११. जापान के प्रधान मंत्री हेयाटो इकेदा का नई दिल्ली में आगमन।

१२. संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री नेहरू के बीच वार्त्तालाप समाप्त होने पर कैरो से एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित।

१३. भारत और जापान के प्रधान मंत्रियों की एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित।

१४. AVRO—७४८ वायुयान नई दिल्ली में पहली बार उड़ा।

## दिसम्बर, १९६१

१. अर्जेंटिना (दक्षिण अमेरिका) के राष्ट्रपति का नई दिल्ली में आगमन।

२. इन्दौर के महाराजा यशवंतराव होल्कर का बम्बई में स्वर्गवास।

३. भारत और एम० सी० सी० के बीच क्रिकेट मैच कानपुर में बराबर-बराबर रहा।

४. मलाया संघ के सर्व प्रधान शासक अपनी रानी के साथ नई दिल्ली पहुँचे।

५. भारतीय प्रधान मंत्री और अर्जेंटिना के राष्ट्रपति के बीच वार्त्तालाप समाप्त होने पर नई दिल्ली से एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित।

६. भारतीय पुरातत्त्व-सर्वेक्षण का शताब्दी-समारोह और एशियाई देशों का पुरातत्त्व अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ।

७. सोवियत रूस के राष्ट्रपति एल० आइ० ब्रजनेव का नई दिल्ली में आगमन।

८. गोआ की राजधानी पंजिम में पुर्त्तगालियों ने भारतीय सैन्य के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

९. दिउ तथा दामन पर भारतीय सेना का पूर्ण अधिकार। गोआ में सैनिक काररवाई के की समाप्ति की घोषणा।

१०. भारत और एम० सी० सी० के बीच तीसरा क्रिकेट मैच नई दिल्ली में बराबर रहा।

११. दिल्ली-विश्वविद्यालय के उपकुलपति निर्मलकुमार सिद्धान्त का भुवनेश्वर में स्वर्गवास।

१२. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने आरोग्य-लाभ के बाद राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण किया।

१३. मदनमोहन मालवीय जन्म-शताब्दी-समारोह का आरम्भ।

१४. डॉ० सम्पूर्णानन्द के नेतृत्व में गठित भावनात्मक एकता-समिति ने अपना प्राथमिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया।

१५. मद्रास के निकट अवाडी में भारी-यान कारखाने का शिलान्यास।

१६. राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में गोआ-सम्बन्धी इंगलैण्ड, अमेरिका और फ्रांस के प्रस्ताव के विरुद्ध रूस ने भारत के पक्ष में वीटो का प्रयोग किया।

## जनवरी, १९६२

१. प्रधान मंत्री नेहरू ने नूनमाटी में तेल-शोधनागार का उद्घाटन किया।

२. पटना, श्रीकृष्णपुरी में कांगरेस का ६७वाँ अधिवेशन।

३. भारत की तीन परियोजनाओं के लिए संयुक्तराष्ट्र विशेष निधि की शासी समिति ने २,०२५,००० डालर के आवंटन की घोषणा की।

४. भारत-सरकार ने श्री पी० सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में कापीराइट-बोर्ड का पुनर्गठन किया।

५. द्वितीय राष्ट्र-मण्डल शिक्षा-सम्मेलन के अधिवेशन की नई दिल्ली में समाप्ति।

६. कश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला, राजस्व-मंत्री मिर्जा अफजल बेग तथा अन्य २४ अभियुक्त षड्यंत्र करने के अपराधी निर्णीत हुए।

७. उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में लगभग १ अरब टन कोयला की खान का पता चला है।

## फरवरी, १९६२

१. पंजाब के सिक्खों के साथ भेद-भावमूलक बरताव किया जाता है—अकाली दल के इस आरोप की जाँच के लिए जो आयोग नियुक्त किया गया था, उसने अपना निर्णय देते हुए बतलाया कि भेद-भावमूलक बरताव नहीं किया जाता है।

२. मोगा (पंजाब) का संयंत्र जिसे भारत और स्वीट्जरलैंड ने मिलकर खड़ा किया है, घनीभूत दुग्ध का एशिया में सबसे पहला कारखाना है। उत्पादन आरम्भ हो गया है।

३. विज्ञान-शिक्षा को प्रोत्साहन देने और विभिन्न विश्वविद्यालयों में विज्ञान-विभागों की उन्नति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की यूनेस्को संस्था ने भारत को २५ लाख डालर ऋण देने की घोषणा की।

४. गुजरात-राज्य के बुलसर में ५० लाख रुपये की लागत पर एक संयंत्र सर्वप्रथम भारत में स्थापित हुआ है, जिसके द्वारा औरीआइसिन, एक्रोमाइसिन और लेडरमाइसिन—ये तीन अत्यावश्यक औषधियाँ प्रस्तुत की जायँगी।

५. अमेरिकी राजदूत मि० जे० गालब्रेथ ने भारत की पाँच परियोजनाओं के लिए संयुक्त अमेरिका द्वारा २५ करोड़ ३० लाख रुपये की और भी रकम दी जाने की घोषणा की।

## मार्च, १९६२

१. २ मार्च को श्री सी० वी० नरसिंहम् श्री एण्ड्रू कोर्डियर की जगह संयुक्त राष्ट्रसंघ के आमसभा-सम्बन्धी कार्यों के अवर सचिव बनाये गये।

२. इंडस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इनवेस्टमेण्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को विश्व-बैंक ने २ करोड़ डालर ऋण देने की घोषणा की।

३. गोआ, दामन और दिउ के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया गया।

४. १२५ डीजिल इंजिन खरीदने के लिए अमेरिका ने भारतीय रेल को १६ करोड़ ७० लाख रुपये का ऋण दिया।

५. संयुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कनेडी की पत्नी श्रीमती जेक्वेलाइन कनेडी १२ मार्च को १० दिनों की भारत-यात्रा के निमित्त नई दिल्ली पहुँचीं।

## अप्रैल, १९६२

१. १ अप्रैल को देश-भर में भारतीय वायुसेना की २९वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

२. २ अप्रैल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करनेवाली अन्तरराष्ट्रीय सहायता एजेन्सियों का सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ हुआ।

३. ४ अप्रैल को प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना और अपनी मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों का त्याग-पत्र राष्ट्रपति को दिया। राष्ट्रपति द्वारा पुनः श्रीजवाहरलाल नेहरू को प्रधान मन्त्री नियुक्त करने की घोषणा हुई।

४. ७ अप्रैल को कांगो में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना में एक वर्ष तक सेवा करने के पश्चात् कांगो से भारत लौटनेवाले १,७०० सैनिकों के पहले दल का बम्बई में स्वागत हुआ।

५. ९ अप्रैल को दिल्ली में नई केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् की घोषणा हुई।

६. १० अप्रैल को राष्ट्रपति-भवन, नई दिल्ली, में हुए एक समारोह में केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् ने शपथ-ग्रहण किया।

७. पुनर्वास-मन्त्रालय की समाप्ति। पुनर्वास-कार्य-निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय के अन्तर्गत पुनर्वास-विभाग को सौंपा गया।

८. १६ अप्रैल को दिल्ली में नई लोकसभा के प्रथम सत्र का समारम्भ हुआ।

—राष्ट्रपति ने ५ राज्यमंत्रियों और ११ उपमन्त्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

—श्रीविश्वनाथ दास, डा० सम्पूर्णानन्द और पी० सुब्बरायण ने, क्रमशः उत्तरप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के राज्यपाल-पद का शपथ-ग्रहण किया।

—द्विवार्षिक चुनाव के उपरान्त राज्यसभा का सत्र आरम्भ हुआ।

—सरदार हुकमसिंह सर्वसम्मति से नई लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

९. १८ अप्रैल को संसद् के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद का अभिभाषण हुआ।

१०. १६ अप्रैल को १६६२-६३ का रेलवे-बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

—श्रीमती वायलट अल्वा सर्वसम्मति से राज्यसभा के लिए उपसभापति निर्वाचित हुईं।

११. २३ अप्रैल को वित्तमन्त्री श्रीमोरारजी देसाई द्वारा १६६२-६३ का बजट संसद् में प्रस्तुत किया गया।

—प्रधान मन्त्री श्रीनेहरू और नेपाल के महाराजा महेन्द्र के बीच विचार-विमर्श के उपरान्त नई दिल्ली में एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ।

१२. २७ अप्रैल को काश्मीर-समस्या पर विचार करने के लिए न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा-परिषद् की बैठक हुई।

१३. ३० अप्रैल को राष्ट्रपति-भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार-वितरण-समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भारतीय सैन्य-दलों के ३५ व्यक्तियों को पदक प्रदान किये।

## मई, १६६२

१. २ मई को भारतीय सशस्त्र सेना के सूचना-अफसर ब्रिगेडियर श्रीनिवास ने समाचारपत्रों के निबन्धक का कार्यभार ग्रहण किया।

२. ७ मई को डा० जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए।

३. ६ मई को संवर्द्धित खाद्योत्पादन के लिए दिया जानेवाला ऑल-इण्डिया ट्रॉफी 'राष्ट्र-कलश' बिहार को समर्पित किया गया।

४. भूतपूर्व उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ११ मई को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और १३ मई को उन्होंने पद-भार ग्रहण किया।

५. १४ मई को कनाडा के भारतीय उच्चायुक्त श्री बी० एन० चक्रवर्त्ती संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए।

६. १५ मई को गोआ, दामन और दिउ में पुर्त्तगाली सिक्के का प्रचलन बन्द कर भारतीय सिक्का चालू किया गया।

७. तृतीय पंचवर्षीय योजना की आर्थिक सहायता के लिए ३ करोड़ २० लाख पौंड के ब्रिटिश सरकार के ऋण के निमित्त नई दिल्ली में राजीनामे पर हस्ताक्षर हुए।

## जून, १६६२

१. १ जून को भारत-सरकार ने चीन और पाकिस्तान को उनके द्वारा किये सीमा-सम्बन्धी समझौते का गंभीर परिणाम होने की चेतावनी दी।

२. २ जून को तिब्बत के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच हुए अष्टवर्षीय समझौते की अवधि समाप्त हो गई। दोनों देशों ने एक-दूसरे को अपनी-अपनी एजेन्सी बन्द करने की सूचना दे दी।

३. राष्ट्रीय एकता-परिषद् ने ३ जून को एक प्रस्ताव पारित किया कि विश्वविद्यालय के शिक्षा-स्तर पर छात्रों को अँगरेजी में अच्छी तरह काम करने की योग्यता के साथ-साथ अपेक्षाकृत हिन्दी की अधिक जानकारी होनी चाहिए।

४. ४ जून को चीन ने भारत के विगत १६ मई वाले उस विरोधपत्र को अस्वीकार कर दिया, जिसमें भारत-सरकार ने पेकिंग को चेतावनी दी थी कि चीन-पाकिस्तान-समझौते के फलस्वरूप जम्मू और काश्मीर-सम्बन्धी किसी अस्थायी या अन्य अभियोग के लिए भारत बाध्य नहीं होगा। भारत-सरकार के भूतपूर्व सूचना एवं प्रसार-मंत्री श्रीबालकृष्ण विश्वनाथ केसकर नेशनल बुक-ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त हुए।

५. ५ जून को भारत-सरकार के भूगर्भ-विभाग ने काँगड़ा घाटी के पार्वती नामक स्थान में ताँबा, यूरेनियम, कोबाल्ट और चाँदी की खान का पता लगाया।

६. ६ जून को श्री टी० टी० कृष्णमाचारी भारत-सरकार के निर्विभागीय मंत्री बनाये गये।

७. ८ जून को श्री टी० शिवशंकर ने गोआ, दामन और दिउ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद-भार ग्रहण किया और श्री बी० के० सन्याल वहाँ के सचिव बनाये गये।

८. ६ जून को नई दिल्ली में घोषणा की गई कि चीनियों ने उत्तरी लद्दाख के अधिकृत भारतीय क्षेत्र में अपने सैनिक अड्डों को मजबूत करने के लिए कुछ हल्के टैंक एवं शस्त्रास्त्रों से भरी गाड़ियाँ भेजी हैं।

—श्रीचन्द्रशेखर झा कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किये गये।

९. १६ जून को डा० हरेकृष्ण महताब और श्रीसुरेन्द्र मोहन घोष क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा के काँगरेस संसदीय दल के उपनेता ( डिप्टी-लीडर ) निर्वाचित हुए।

## जुलाई, १९६२

१. १ जुलाई को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री भारतरत्न डा० विधानचन्द्र राय का ८१ वर्ष की अवस्था में तथा काँगरेस के भूतपूर्व अध्यक्ष भारतरत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का ८० वर्ष की अवस्था में देहान्त।

२. ६ जुलाई को चीन द्वारा काश्मीर के ऊपर भारत की सार्वभौम सत्ता अस्वीकार। लद्दाख-क्षेत्र में चीन ने नये मार्गों और सामरिक अड्डों का निर्माण किया है—इस सम्बन्ध में चीन के विरुद्ध भारत का अभियोग।

३. ८ जुलाई को पश्चिम बंगाल के काँगरेस विधायक-दल ने सर्वसम्मति से श्रीप्रफुल्लचन्द्र सेन, खाद्य-मंत्री को अपना नेता चुना और वे मुख्य मंत्री-पद पर स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हुए।

४. १० जुलाई को लद्दाख में चीनी फौज ने भारतीय सामरिक अड्डे को घेर लिया।

५. १२ जुलाई को लद्दाख की गलवान उपत्यका में अवस्थित भारतीय सैनिक अड्डे को किसी प्रकार भी खाली नहीं किया जायगा—भारत-सरकार का दृढ़ निश्चय।

६. १७ जुलाई को लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में चीन ने कम-से-कम १३ नये सैनिक अड्डे स्थापित किये।

## अगस्त, १९६२

१. रूस के सहयोग से भारत-सरकार ने ५३ करोड़ रुपये की लागत से ओषध-द्रव्य प्रस्तुत करने की एक योजना बनाई है। इसके अनुसार हृषीकेश में ऐण्टीबायोटिक कारखाना, केरल में फाइटो-केमिकल कारखाना, हैदराबाद में सिन्थेटिकल कारखाना और मद्रास में सर्जिकल कारखाना खुलेंगे।

२. ४ अगस्त को आसाम के मुख्य मंत्री श्रीविमला प्रसाद चालिहा ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि पाकिस्तान से आये हुए लगभग ३ लाख मनुष्य गैरकानूनी रूप से आसाम में रह रहे हैं।

३. ६ अगस्त को चीन ने भारत-सरकार के पास एक पत्र भेजकर यह प्रस्ताव किया कि दोनों देशों के बीच सीमान्त-विवाद के सम्बन्ध में 'यथासंभव शीघ्र' फिर बातचीत शुरू की जाय।

४. कलकत्ता मोहनबागान ने दसवीं बार फुटबॉल लीग में इस्ट बंगाल को दो गोल से पराजित करके चैम्पियनशिप प्राप्त किया।

५. स्वतंत्र दल के सभापति प्रोफेसर श्री एन० जी० रंगा चित्तूर-केन्द्र से लोक-सभा के निर्वाचन में काँगरेसी उम्मीदवार श्री टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी को हराकर सदस्य निर्वाचित हुए।

६. भारतीय संघ के सोलहवें राज्य के रूप में नागाभूमि गठित करने के सम्बन्ध में लोक-सभा में संविधान-संशोधन विधेयक पारित। २९ अगस्त को लोक-सभा में नागाभूमि राज्य-विधेयक पारित।

७. भारत-सरकार ने राजस्थान में कोटा के निकट एक २०० मेगावाट शक्ति-संपन्न द्वितीय आणविक शक्ति-उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया।

## सितम्बर, १९६२

१. ९ सितम्बर को पटना में डा० राजेन्द्र प्रसाद (प्रथम राष्ट्रपति) की धर्मपत्नी श्रीमती राजवंशी देवी का ७६ वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास।

२. उत्तराञ्चल के राज्यों (पंजाब, राजस्थान, जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल-प्रदेश) को लेकर एक बृहत्तर प्रशासनिक अञ्चल गठित करने के सम्बन्ध में पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों का प्रस्ताव और काश्मीर के मुख्य मंत्री बख्शी गुलाम महम्मद द्वारा उसकी अस्वीकृति।

३. १९६१ की जनगणना की अन्तिम रिपोर्ट प्रकाशित। भारत की कुल जन-संख्या ४३ करोड़ ९२ लाख ३५ हजार ८२ (पुरुष २२,६२,९३,६२० और स्त्री २१,२९,४१,४६२)। नेफा के कामेंग सीमान्त में चीनी फौज का प्रवेश। भारतीय राइफल्स के एक दल को चीनी फौज ने घेर लिया।

४. लन्दन के एक पत्रकार-सम्मेलन में पंडित नेहरू ने बताया कि चीन-भारत-सीमान्त-विरोध गम्भीर रूप धारण कर रहा है। सहसा संघर्ष छिड़ जा सकता है।

५. वाशिंगटन में राष्ट्रपति कनेडी के साथ भारतीय शान्ति-मिशन के नेता श्रीराजगोपालाचारी की बातचीत। आणविक परीक्षण बन्द किये जाने का प्रस्ताव।

६. "पिछड़ी हुई जातियों के छात्रों के लिए स्थान-संरक्षण अवैध है"—भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। मैसूर-राज्य-सरकार का इस सम्बन्ध का आदेश रद्द।

७. नेफा सीमान्त में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच गोलियाँ चलीं।

## अक्टूबर, १९६२

१. ६ अक्टूबर को मद्रास में महाराष्ट्र के राज्यपाल डा० पी० सुब्बारायण की ७३ वर्ष की अवस्था में मृत्यु।

२. "पहले चीनी हमलावरों को हटाना होगा, तभी समझौते की बातचीत हो सकती है"—चीन के नोट के उत्तर में भारत-सरकार का पत्र।

३. पाकिस्तान से गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निकाल-बाहर किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री बी० एन० चक्रवर्त्ती का अभियोग।

४. न्यूयार्क में राष्ट्रसंघ के महामन्त्री यू० थान्त के साथ भारतीय शान्ति-मिशन के नेता श्रीराजगोपालाचारी की आणविक परीक्षण बन्द करने के सम्बन्ध में बातचीत।

५. नेफा इलाके में चीनियों ने प्रचण्ड रूप से गोलियाँ चलाईं।

६. 'नेफा में भारतीय इलाकों से चीनियों को हटा दो'—भारत-सरकार द्वारा भारतीय सेना को निदेश।

७. जलपाइगुड़ी जिला के दक्षिण भाग में पाकिस्तानी सैन्य-समावेश में वृद्धि और बेतार-के-तार के केन्द्र स्थापित।

८. २० अक्टूबर को नेफा और लद्दाख अंचलों में चीनी सेना ने एक साथ प्रचण्ड आक्रमण किया। नेफा में ढोला और खिंजमन तथा लद्दाख में दो सैनिक चौकियों पर चीन का कब्जा। लद्दाख और नेफा सीमान्त अंचलों में भारतीय सैनिकों का अविराम संग्राम। नामचूक नदी (नेफा) के उत्तर में एक चौकी तथा लद्दाख में दो और चौकियों का पतन।

९. चीनी सेना द्वारा कई नये स्थानों में मैकमेहन सीमा-रेखा का अतिक्रमण और तवांग की ओर बढ़ाव।

१०. "जबतक चीन आक्रान्त स्थानों को छोड़कर चला नहीं जाता तबतक समझौते की बातचीत सम्भव नहीं"—रूस के प्रधान मन्त्री ख़ुश्चेव को पं० नेहरू का उत्तर।

११. राष्ट्रपति कनेडी द्वारा भारत के सीमान्त पर चीनी आक्रमण की घोर निन्दा।

१२. भारत-चीन सीमान्त-संघर्ष के सम्बन्ध में भारत के पक्ष का ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मि० मैकमिलन द्वारा पूर्ण समर्थन।

१३. राष्ट्रपति नसीर ( संयुक्त अरब गणराज्य ) ने पं० नेहरू तथा चाउ-एन-लाइ के पास बीच-बिचाव करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव के साथ पत्र भेजा। राष्ट्रसंघ की साधारण परिषद् के अधिवेशन में अमेरिकी प्रतिनिधि मि० स्टिमिन्सन ने चीन के नग्न आक्रमण की चर्चा की।

१४. भारत-चीन सीमान्त-संघर्ष के सम्बन्ध में चीन के समझौता-प्रस्ताव का रूस के सरकारी पत्र 'प्रवदा' द्वारा समर्थन।

१५. २५ अक्टूबर को कई घंटों के प्रचण्ड युद्ध के बाद भारतीय सैनिक तवांग छोड़कर चले आये। यहाँ के नागरिकों को पहले ही वहाँ से हटा लिया गया था। तवांग एक मठ-नगर है।

१६. २६ अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान की ३५२ धारा के अनुसार देश में संकटकालीन अवस्था की घोषणा की। इसके साथ ही 'भारत रक्षा, १९६२' नामक एक अध्यादेश भी जारी किया गया। यह द्वितीय महासमर-कालीन भारत-रक्षा अधिनियम के अनुरूप है।

१७. २९ अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति कनेडी और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री मैकमिलन ने आश्वासन दिया कि चीन के विरुद्ध संग्राम में वे भारत की सब प्रकार से सहायता करेंगे।

१८. ३० अक्तूबर को रूस ने भारत और चीन के बीच संघर्ष का अंत करने के लिए शान्तिपूर्ण समाधान का प्रस्ताव किया और इसके साथ-साथ यह भी कहा कि 'इस विषय में किसी शर्त का पहले से रखा जाना उचित नहीं।'

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री हैरल्ड मैकमिलन ने पार्लियामेन्ट में भारत के ऊपर चीन के आक्रमण की तीव्र निन्दा की और कहा कि इस आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए भारत ब्रिटेन को जो कुछ करने लिए कहेगा, उसे वह करेगा।

१६. ३१ अक्तूबर को भारत-सरकार की ओर से घोषणा की गई कि राष्ट्रपति की ओर से एक अध्यादेश जारी करके सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि भारत में रहनेवाला कोई विदेशी यदि आक्रमणकारी देश के साथ सहयोग करेगा तो उसे गिरफ्तार और नजरबंद कर लिया जायगा। इस अध्यादेश के अनुसार धापा और टेंरा अचलों में हजारों चीनी अपने-अपने घरों में नजरबंद कर लिये गये।

## नवम्बर, १६६२

१. भारत-अवस्थित अमेरिकी राजदूत प्रोफेसर जे० के० गालब्रेथ ने २ नवम्बर को नई दिल्ली में यह घोषणा की कि चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत की सहायता करने के लिए अमेरिका द्वारा भेजे गये अस्त्र-शस्त्र ३ नवम्बर से कलकत्ता पहुँचने लगेंगे।

२. मलाया के प्रधान मंत्री टंकू अब्दुल रहमान ने २ नवम्बर को कुआलालम्पुर में यह विश्वास दिलाया कि यदि भारत और चीन में पूरी तरह से युद्ध छिड़ जायगा तो मलाया अस्त्र-शस्त्र से भारत की सहायता करेगा।

३. ८ नवम्बर को प्रतिरक्षा-उत्पादन-मंत्री श्रीकृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल की सदस्यता से पद-त्याग कर दिया।

४. मलाया के प्रधान मंत्री टंकू अब्दुल रहमान ने घोषणा की कि आवश्यकता पड़ने पर भारत की सहायता करने के लिए एक जनतंत्र-रक्षा-कोष खोला गया है। वे स्वयं उसके अध्यक्ष हैं।

५. दिल्ली में हुए मुख्य मंत्री-सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि सीमावर्त्ती राज्य पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर-प्रदेश, पंजाब और काश्मीर में सभी समर्थ पुरुषों को राइफल चलाने की शिक्षा दी जाय।

६. ७ नवम्बर को विभिन्न राज्यों में ४१ कम्यूनिष्ट नेता भारत-रक्षा-कानून के अनुसार नजरबंद किये गये।

७. मिस्र के राष्ट्रपति नसीर ने चीन के पास प्रस्ताव भेजा था कि भारत और चीन के बीच सीमान्त-संघर्ष का शीघ्र अंत हो जाय और चीन अधिकृत भारतीय क्षेत्र को छोड़कर ८ सितम्बर के पूर्व के स्थान पर चला जाय। चीन ने इस प्रस्ताव को नहीं माना।

८. 'भारत के ऊपर चीन का आक्रमण केवल भारत के लिए ही नहीं, सम्पूर्ण एशिया के लिए खतरा है।' —पं० नेहरू के पास पश्चिम जर्मनी के राष्ट्रपति डा० अदेनायर का पत्र।

९. पहले युद्ध-विराम और फिर विना शर्त गोलमेज बैठक—भारत और चीन के पास सोवियत कम्यूनिष्ट पार्टी के मुखपत्र 'प्रवदा' का प्रस्ताव।

१०. चीन-भारत-सीमान्त-संघर्ष का अंत करने के लिए चीन के प्रधान मंत्री ने अपने पुराने प्रस्ताव को नये प्रस्ताव के रूप में भेजा। एक दूसरे पत्र में उन्होंने ८ सितम्बर के पूर्व की अवस्था में लौट जाना मंजूर नहीं किया।

☆

# भारत के विभिन्न राज्य

## आन्ध्र-प्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१,०६,०५२ वर्गमील; जन-संख्या—३,५९,७७,९९९; शिक्षितों की संख्या—२०·८ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—३३९ प्रति वर्गमील; राजधानी—हैदराबाद; भाषा—अँगरेजी; प्रधान भाषा—तेलुगु; विश्वविद्यालय—उस्मानिया, आन्ध्र तथा वेंकटेश्वर; जिले—श्रीकाकुलम्, खम्माम, विशाखापत्तनम्, पूर्व-गोदावरी, पश्चिम-गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, कुड्डापाह, अनंतपुर, कर्नूल, हैदराबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, करीमनगर, वारंगल तथा नलगोण्डा।

इस राज्य का निर्माण सन् १९४८ ई० में हैदराबाद-रियासत के भारत में मिलाये जाने के पश्चात् किया गया। इसके उत्तर में महाराष्ट्र, दक्षिण में मद्रास और बंगाल की खाड़ी, पूरब में मध्यप्रदेश और उड़ीसा तथा पश्चिम में मैसूर-राज्य हैं।

कृषि—यहाँ के ८२ प्रतिशत व्यक्ति खेती पर निर्भर करते हैं। यहाँ के १९ प्रतिशतभाग मे जंगल है। पूर्वी घाटी के जंगल में मूल्यवान् लकड़ियाँ मिलती हैं। श्रीकाकुलम्, विशाखापत्तनम्, गोदावरी तथा कर्नूल जिलों में घने जंगल हैं। गोदावरी, कृष्णा तथा पेनार और इनकी सहायक नदियों से यहाँ सिंचाई होती है। यहाँ की उपज में धान, गेहूँ, दलहन, तेलहन, मूँगफली आदि प्रमुख हैं। यहाँ अभी नागार्जुन-सागर-योजना के द्वारा, जिसमें लगभग १२५ करोड़ रुपये लगेंगे, एक वृहत् बाँध बनाने का काम चल रहा है। इसके तैयार होने पर इससे लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—यहाँ कोयला, लोहा, अबरख आदि अधिक परिमाण में मिलते हैं। कोयला के सम्पूर्ण भारतीय उत्पादन का ४ प्रतिशत भाग यहाँ उपलब्ध होता है। बेरियम-सल्फेट के सम्पूर्ण भारतीय उत्पादन का ९५ प्रतिशत अंश आन्ध्र में मिलता है। अबरख-उत्पादन में विहार के बाद आन्ध्र का ही स्थान है। तम्बाकू, ऊख, आलू, कपास, जूट आदि की उपज यहाँ अधिक मात्रा में होती है। कोठागोदाम तथा तेन्दूर कोयला के भाण्डार हैं। रायलसीमा तथा तेलंगाना खनिज-सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ सोने तथा हीरे भी मिलते हैं। तम्बाकू के

उत्पादन में आन्ध्र भारत में सबसे आगे है। यहाँ कागज की दो मिलें हैं। इनमें पहली रिल्र पेपर मिल निजी तथा दूसरी आन्ध्र-पेपर मिल राजकीय मिलें हैं। यहाँ चीनी की दस मिलें हैं। भारत में केवल विशाखापत्तनम् में ही जहाज का निर्माण होता है। 'कॉल्टेक्स ऑयल रिफाइनरी' नाम का एक कारखाना भी विशाखापत्तनम् में ही स्थापित हुआ है। सिरपुर से सेरीसिल्क लिमिटेड द्वारा प्रतिदिन ५०,००० गज कृत्रिम रेशम का उत्पादन होता है। अविल्यन मेटल वर्क्स नाम का एक कारखाना रेलवे टब्बों का निर्माण करता है। यहाँ सीमेंट-उत्पादन के दो कारखाने हैं—१. आन्ध्र सीमेंट फैक्टरी तथा २. कृष्णा सीमेंट फैक्टरी।

बन्दरगाह—यहाँ के बन्दरगाहों में मुख्य हैं—विशाखापत्तनम् तथा कलिंगपत्तनम्। इनके अतिरिक्त और भी छोटे-छोटे बन्दरगाह हैं; जैसे—काकीनाद, मसूलीपत्तनम्, भीमुनीपत्तनम्, वादरेवू, नर्सपुर तथा कन्दलेरू।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल भीमसेन सच्चर; मुख्य न्यायाधीश पी० चन्द्र रेड्डी और मन्त्रिमण्डल के सदस्य एन० संजीव रेड्डी (मुख्य मन्त्री), एन० रामचन्द्र रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द रेड्डी, एम० पालम राजू, एम० चेन्ना रेड्डी, पी० वी० जी० राजू, ए० सी० सुधा रेड्डी, मीर अहमद अली खाँ, यू० शिवरामा प्रसाद और एम० एन० लक्ष्मी नरसियाह हैं।

## आसाम

क्षेत्र-विस्तार—८४,८६६ वर्गमील ( उत्तर-पूर्वी क्षेत्र-सहित ); जन-संख्या—९,१८,६०,०५६; शिक्षितों की संख्या—२५·८ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—२५२ प्रति वर्गमील; राजधानी—शिलौंग; प्रधान भाषाएँ—असमिया और बँगला; विश्वविद्यालय—गौहाटी; जिले ( कोष्ठ में मुख्यालय-सहित)—ग्वालपारा (धुबरी), कामरूप (गौहाटी), दारंग (तेजपुर), नौगाँव, शिवसागर (जोरहाट), लखीमपुर (डिबरूगढ़), कचार (सिलचर), गारो हिल्स, (तुरा), युनाइटेड खासी और जयन्तिया हिल्स (शिलौंग), युनाइटेड मिकिर और नॉर्थ कचार हिल्स (डीफू) और मिजो (ऐजल)। कोहिमा, मोकोकचुंग और त्वेनसांग जिलों को मिलाकर नागा-भूमि नामक राज्य का निर्माण हो रहा है।

आसाम-राज्य ब्रह्मपुत्र की घाटी, सुरमा की घाटी तथा इन घाटियों को उत्तर-पूर्व और दक्षिण की ओर से घेरकर अलग करनेवाले पहाड़ी स्थल से बना है। यह भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित है। इसके उत्तर में भूटान और तिब्बत तथा पूर्व में बर्मा हैं। गारो, युनाइटेड खासी-जयन्तिया, मिकिर, उ० कचार, लुशाई (मिजो) तथा नागा-पहाड़ियों से यह प्रान्त परिवेष्टित है। २६ जनवरी, १९५० ई० को २५ खासी पहाड़ी राज्य आसाम में मिला दिये गये और उनका जिला-रूप से नामकरण हुआ है—खासी-जयन्तिया हिल्स, जिसका क्षेत्रफल ६,०२७ वर्गमील है। भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा आसाम में जनजाति के लोग अधिक हैं। यहाँ उनकी संख्या ३४ प्रतिशत है। नॉर्थ-ईस्ट फ्रॉण्टियर (NEFA) और नागा हिल्स-त्वेनसांग एरिया—ये दोनों आसाम-प्रान्त के सामरिक सीमा-क्षेत्र हैं, जिनका प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि-रूप में आसाम-सरकार की ओर से आसाम का राज्यपाल ही करता है।

खेती—इस प्रदेश का आर्थिक आधार कृषि है तथा यहाँ के ७२ प्रतिशत व्यक्ति इसी पर अवलम्बित हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा इसी प्रान्त में होती है। यहाँ खेती के लिए सिंचाई की समस्या नहीं है। यहाँ प्रतिवर्ष ५० इंच से २५८ इंच तक औसत वर्षा होती है। खासी पहाड़ी के चेरापुंजी नामक स्थान में तो लगभग ५७० इंच तक वर्षा होती है। इतनी वर्षा संसार में और कहीं नहीं होती। यहाँ की मुख्य उपज धान, चाय, जूट, सरसों, ऊख, कपास, आलू, मकई, तम्बाकू आदि हैं। सिलहट, चेरापुंजी, छतक आदि स्थानों में नारंगी की खेती होती है।

खनिज पदार्थ एवं उद्योग-धन्धे—यहाँ के खनिज पदार्थ कोयला, चूना-पत्थर और पेट्रोल हैं। नाहरकटिया में मिट्टी तेल निकालने का काम हो रहा है। गारो पहाड़ी में कोयला अधिक मिलता है। चूना-पत्थर खासी और जयन्तिया की पहाड़ियों में पाया जाता है। पेट्रोल लखीमपुर और कछार में निकाला जाता है, किन्तु इसकी सफाई केवल लखीमपुर में होती है। डिगबोई में किरासन तेल की खान है।

ब्रह्मपुत्र की घाटी में अरण्डी और मूँगा नाम के रेशमी कपड़े तैयार किये जाते हैं। यहाँ घरेलू धन्धे के रूप में कपड़े बनते हैं। सुरमा घाटी में व्यावसायिक दृष्टि से कपड़े तैयार होते हैं। चाय का उत्पादन यहाँ का मुख्य उद्योग-धन्धा है। सिलहट में एक पारकर सीमेण्ट-फैक्टरी नाम का कारखाना है। धुबरी में दियासलाई का कारखाना है। इनके अतिरिक्त यहाँ चूने के कारखाने, नाव बनाने के कारबार, शोला हैट बनाने का व्यवसाय, लोहारी का काम, शंख की चूड़ियाँ बनाने का काम, चावल और तेल की मिलें, लकड़ी के कारखाने आदि कई तरह के उद्योग-धन्धे हैं।

भाषा—असमिया और बँगला के अतिरिक्त यहाँ बोली जानेवाली अन्य भाषाएँ हैं—हिन्दी, उड़िया, मुण्डारी नेपाली तथा तिब्बत-बर्मी।

## उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेंसी

इसका क्षेत्र-विस्तार ३२,६६६ वर्गमील और जन-संख्या ६ लाख हैं। इसका मुख्यालय शिलाँग में है।

यह एजेंसी भारत के उत्तर-पूर्व कोने में तथा बर्मा, चीन, तिब्बत और भूटान की सीमाओं पर स्थित है। इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में आसाम का राज्यपाल करता है। राज्यपाल की सहायता के लिए शिलाँग में एक परामर्शदाता रहता है। इस क्षेत्र में पाँच प्रशासनिक डिवीजन हैं—१. कामेन सीमान्त डिवीजन, २. सुवान सिटी सीमान्त डिवीजन, ३. त्रियांग सीमान्त डिवीजन, ४. लोहित सीमान्त डिवीजन तथा ५. तिरप सीमान्त डिवीजन। इनमें से प्रत्येक का प्रधान एक राजनीतिक अधिकारी होता है।

यहाँ के निवासी जन-जाति के हैं, जिनका मूल है—भारत-मंगोलियन। यहाँ के निवासियों के प्रधानतः दो वर्ग हैं—१. तिब्बत-मंगोलियन तथा २. ताई-चीनी। यहाँ की जन-जातियों में विशेषतः तिब्बत-बर्मी वर्ग की भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ की प्रधान जन-जातियाँ हैं—मोनपा, तैगिन, गैलोंग, डपतनी, मोंबा, पलिबो, रेमो, बोकार, चोरी तथा मिशमी।

## नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग-(नागालैंड)

इसके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण 'नागा-भूमि' शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है।

**प्रशासन**—आसाम के राज्यपाल विष्णु सहाय; मुख्य न्यायाधीश गोपालजी मेहरोत्रा और मंत्रिमण्डल के सदस्य विमलाप्रसाद चालिहा (मुख्य मंत्री), रूपनाथ ब्रह्म, फखरुद्दीन अली अहमद, कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी, मोइनुल हक चौधरी, महेन्द्रनाथ हजारिका, सिद्धिनाथ शर्मा, देवकान्त बरुआ, वैद्यनाथ मुखर्जी, और चित्रसिंह तेरोन हैं।

## उड़ीसा

**क्षेत्र-विस्तार**—६०,१६२ वर्गमील; **जन-संख्या**—१,७५,६५,६४५; **शिक्षितों की संख्या**—२१.५ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—२६२ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—भुवनेश्वर; **भाषा**—उड़िया; **विश्वविद्यालय**—उत्कल; **जिले**—बालासोर, बोलांगीर, कटक, धेनकानल, गंजाम, कालाहण्डी, क्योंझर, कोरापट्ट, मयूरभंज, फूलबनी, पुरी, संबलपुर तथा सुन्दरगढ़।

उड़ीसा के दक्षिण-पश्चिम में आन्ध्र-प्रदेश, पूरब में बंगाल की खाड़ी, उत्तर-पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पश्चिम में बिहार हैं। यहाँ की नदियों में महानदी, ब्राह्मणी तथा वैतरणी हैं, जो उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हैं।

उड़ीसा दो प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है—एक तो उत्तर का पहाड़ी और जंगली भाग तथा दूसरा, दक्षिण का समतल मैदान। यह प्रदेश राजनीतिक रूप से छिन्न-भिन्न था। २ अप्रैल, १९३६ ई० को बिहार-उड़ीसा प्रान्त से उड़ीसा कमिश्नरी के पाँच जिले—कटक, पुरी, बालासोर, अंगुल और संबलपुर; मध्यप्रान्त से रायपुर जिले की खरियार जमीन्दारी और मद्रास के गंजाम जिले का अधिकांश भाग तथा विजगापट्टम् की एजेंसी भाग को मिलाकर उड़ीसा-प्रान्त का निर्माण किया गया। उड़ीसा-प्रान्त के अन्दर २४ रियासतें थीं, जिनका शासन पूरब की अन्य रियासतों के साथ-साथ ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी द्वारा होता था। सन् १९४७ ई० में देश के स्वतंत्र होने पर मयूरभंज को छोड़ शेष सभी रियासतें १ जनवरी, १९४८ ई० को उड़ीसा-प्रान्त में मिल गईं। मयूरभंज भी १ जनवरी, १९४९ ई० को उड़ीसा में मिल गया।

उड़ीसा का प्राचीन नाम 'उत्कल' है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी पाया जाता है। ऐतिहासिक काल में इसे 'कलिंग' भी कहते थे। १२वीं शताब्दी में कलिंग-राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा से दक्षिण में गोदावरी तक था। यहाँ पुरी में जगन्नाथजी का मन्दिर, कोणार्क का सूर्य-मन्दिर, भुवनेश्वर का शिव-मन्दिर तथा कटक में महानदी और कठजोरी के पत्थर के बाँध प्राचीन जगत् में ही नहीं, अब भी अभियन्त्रण तथा वास्तु-कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में गिने जाते हैं।

**खेती और उद्योग-धन्धे**—उड़ीसा के समुद्रतटवर्त्ती प्रदेश का अधिकांश भाग महानदी, ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदियों के सम्मिलित डेल्टा से बना है। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई हैं, जिनमें केन्द्रपाड़ा, तालदोंका और मचंगा प्रसिद्ध हैं। बाढ़-नियन्त्रण के लिए मचकुण्ड तथा हीराकुड बाँध बनाये गये हैं। 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अनुसार सिंचाई के कुछ दूसरे

छोटे-छोटे प्रबन्ध भी किये जा रहे हैं। प्रान्तवासियों की मुख्य जीविका खेती है। सैकड़े करीब ८० व्यक्ति धान की खेती पर निर्भर हैं। गौण रूप में जूट, ऊख और दलहन की खेती भी होती है। समुद्र के किनारे नारियल की अच्छी पैदावार होती है।

**उद्योग एवं खनिज**—सैकड़े दस से भी कम व्यक्ति उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं। ये उद्योग-धन्धे भी अधिकतर घरेलू हैं; पर अब बड़े उद्योगों की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। चौदुआर और कपिलास में कपड़े की मिलें और बरहमपुर में वनस्पति घी का कारखाना खोला गया है। प्रान्त में कागज बनाने का एक बड़ा कारखाना ओरियण्ट पेपर-मिल है। बहुत-से नये-नये चीनी, सीमेंट, लोहे आदि के कारखाने खोलने की भी तैयारी हो रही है। मयूरभंज में लोहे की खान है। महानदी की घाटी, सम्बलपुर और तालचर में कोयले की छोटी-छोटी खानें हैं। इन खानों में मैंगनीज, चूना का पत्थर और चीनी मिट्टी मिलती है।

**प्रशासन**—यहाँ के राज्यपाल ए० एन० खोसला; मुख्य न्यायाधीश आर० एल० नरसिंहम् और मन्त्रिमण्डल के सदस्य विजयानन्द पटनायक (मुख्य मन्त्री), बीरेन मित्र, नीलमणि राउत राय, पवित्र मोहन प्रधान, सदाशिव त्रिपाठी, हरिहर सिंह मादराज तथा पी० वी० जगन्नाथ राव हैं।

## उत्तरप्रदेश

**क्षेत्र-विस्तार**—१,१३,४५४ वर्गमील; **जन-संख्या**—७,३७,५२,६१४; **शिक्षितों की संख्या**—१७.५ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—६५० प्रति वर्गमील; **राजधानी**—लखनऊ; **भाषा**—हिन्दी; **विश्वविद्यालय**—लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, रुड़की, कुरुक्षेत्र, वाराणसी हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी संस्कृत-विश्वविद्यालय; **कमिश्नरियाँ**—मेरठ, आगरा, रोहिलखण्ड, इलाहाबाद, झाँसी, वाराणसी, गोरखपुर, कुमायूँ, लखनऊ तथा फैजाबाद; **जिले**—आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अलमोड़ा, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाँदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, देहरादून, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हम्मीरपुर, हरदोई, जालोन, जौनपुर, झाँसी, कानपुर, खेरी, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, टेहरी-गढ़वाल, उन्नाव, उत्तर काशी तथा वाराणसी।

ब्रिटिश शासन के आरम्भ में यह प्रान्त उत्तर-पश्चिमी प्रान्त कहलाता था। सन् १८७७ ई० में आगरा और अवध नामक दो प्रान्तों को मिलाकर इसकी रचना की गई थी। सन् १९०२ ई० में इसका नाम अवध और आगरा का संयुक्तप्रान्त पड़ा, पर सन् १९३७ ई० के १ अप्रैल से यह केवल संयुक्तप्रान्त कहलाने लगा। सन् १९५० ई० की जनवरी से इसका नाम फिर बदलकर 'उत्तरप्रदेश' कर दिया गया है।

यह प्रदेश चार मुख्य प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है—१. हिमालय का भाग, २. हिमालय की तराई का भाग, ३. गङ्गा की समतल भूमि तथा ४. दक्षिण का कुछ पहाड़ी भाग। यह प्रदेश उत्तर भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसके उत्तर में तिब्बत और उत्तर-पूर्व में नेपाल-राज्य हैं। पूरब में बिहार, पश्चिम में हिमाचल-प्रदेश, पंजाब और राजस्थान

तथा दक्षिण में विन्ध्य-प्रदेश हैं। इसके उत्तर के पहाड़ी भाग में मंगोल और दक्षिण के पहाड़ी भाग में द्रविड़-जाति के लोग रहते हैं।

**खेती और उद्योग-धन्धे**—इस प्रान्त के ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं और ८ प्रतिशत के लिए यह एक सहायक धन्धा है। प्रान्त का अधिकांश भाग खूब उपजाऊ है। यहां के पहाड़ी भागों में ५०-७० इंच, वाराणसी और गोरखपुर-कमिश्नरियों ४० से ५० इंच तथा आगरा-कमिश्नरी में २५ से ३० इंच तक वर्षा होती है।

इस प्रान्त में खानें प्रायः नहीं हैं। थोड़ा कच्चा लोहा और तांबा हिमालय के पहाड़ी भागों में पाया जाता है। कोयले की एक छोटी खान मिर्जापुर जिले के संघरौली तहसील (सबडिवीजन) में रावी-रियासत के पास है। चूने का पत्थर हिमालय पहाड़ के इलाके तथा इटावा और बाँदा जिलों में मिलता है। मिर्जापुर जिले में पत्थर काटने का काम होता है।

सूत और कपड़ा तैयार करने के काम प्रान्त के पश्चिमी भाग में अधिक होते हैं। लगभग ७२ हजार व्यक्ति कपड़े की मिलों में और ३ लाख व्यक्ति करघे के काम में लगे हुए हैं। रेशमी कपड़ा वाराणसी में, आजमगढ़ जिला के संदीला और मऊ नामक स्थानों में तथा पीलीभीत जिला के बिलासपुर में बनता है। वाराणसी और लखनऊ में रेशमी कपड़ों पर जरी का काम भी होता है।

शीशा की चीजें बनाने के कारखाने बहजोई, बलावली, सासनी, हाथरस, हरनगऊ, शिकोहाबाद, मखनपुर, नैनी, गाजियाबाद और बनारस में हैं। फिरोजाबाद काँच की चूड़ी बनाने के लिए भारत में प्रसिद्ध है। प्रान्त के अन्दर चूड़ी के कारखाने ८० तथा शीशा के अन्य कारखाने ४१ हैं। केवल शीशा के व्यवसाय में प्रान्त-भर में लगभग ६० हजार मजदूर काम करते हैं।

मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, शामली (मुजफ्फरनगर) और बहराइच पीतल के बरतन के लिए प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद, पिलखावा (मेरठ) और मथुरा में छींट की छपाई होती है। आगरा में दरी, मारबल और उजले पत्थर की चीजें तैयार होती हैं। कुरजा में चीनी मिट्टी के बरतन और चुनार तथा मेरठ में मिट्टी के पॉलिश किये हुए सुन्दर बरतन बनते हैं। मिर्जापुर, भदोही, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद आदि में कम्बल बनते हैं। कानपुर, आगरा, लखनऊ तथा मेरठ में चमड़े की चीजें; टंडा (फैजाबाद) में कृत्रिम रेशम; अलीगढ़ में ताले; कायमगंज और हाथरस में हथियार; अलमोड़ा में ताँबे के बरतन; आगरा, कानपुर, बरेली और खैराबाद (सीतापुर) में दरियाँ; मेरठ में कैंचियाँ तथा लखनऊ में हाथी-दाँत की चीजें बनती हैं। कानपुर, यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। राज्य के अन्दर ७२ चीनी के कारखाने हैं। वनस्पति घी कानपुर, बेगमाबाद और गाजियाबाद में तैयार होता है। इस राज्य में २ करोड़ मन तेलहन की उपज है। यहाँ तेल की १४६ बड़ी मिलें और २५० छोटी मिलें हैं। इस राज्य में साबुन की २५ बड़ी फैक्टरियाँ और दर्जनों छोटी-छोटी फैक्टरियाँ हैं।

**प्रशासन**—यहाँ के राज्यपाल विश्वनाथ दास; मुख्य न्यायधीश एम० सी० देसाई और मन्त्रिमण्डल के सदस्य चन्द्रभानु गुप्त (मुख्य मंत्री), हुकुम सिंह विसेन, चरण सिंह, युगलकिशोर, हरगोविन्द सिंह, (श्रीमती) सुचिता कृपलानी, गिरधारी लाल, सैयद अली जहीर, कमलापति त्रिपाठी,

विचित्रनारायण दास, मुजफ्फर हसन, राममूर्त्ति, अलगूराय शास्त्री, चतुर्भुजदास, जगमोहन सिंह नेगी, फूलसिंह और महावीरप्रसाद श्रीवास्तव हैं।

**राज्यमंत्री**—मंगला प्रसाद, मुजफ्फर हसन, राममूर्त्ति, कैलासप्रकाश, डॉ० सीताराम।

## केरल

**क्षेत्र-विस्तार**—१५,००५ वर्गमील; **जन-संख्या**—१,६८,७५,१९९; **शिक्षितों की संख्या**—४६·२ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—११२५ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—त्रिवेन्द्रम्; **भाषा**—मलयालम; **विश्वविद्यालय**—केरल; **जिले**—अलेपी, कन्नानोर, एरनाकुलम्, कोट्टायम्, कोभीकोड, पालघाट, क्विलोन, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम्।

सन् १९४९ ई० की पहली जुलाई को दक्षिण की ट्रावणकोर और कोचीन रियासतों ने मिलकर एक राज्य-संघ की स्थापना की। पश्चात् भारतीय प्रान्त-निर्माण-योजना के अनुसार इसका प्रान्तीकरण हुआ। भारत के दक्षिण-पश्चिम कोने में स्थित यह केरल-प्रान्त इसके अन्य सभी प्रान्तों से विद्या और विकास की दृष्टि से बढ़ा-चढ़ा है। उत्तर में कासरगोड तथा दक्षिण में त्रिवेन्द्रम् तक लगभग ४०० मील के लम्बे क्षेत्र में यह प्रान्त विस्तृत है। इस प्रान्त के उत्तर-पूर्व में मैसूर, पूर्व और दक्षिण में मद्रास तथा पश्चिम में अरब समुद्र हैं।

**कृषि**—यहाँ की मुख्य उपज धान, सोयाबीन, चना, लाल मिर्च, अदरख, चाय, इलायची कहवा, ऊख आदि हैं। यहाँ नारियल, कटहल, आम आदि फल भी होते हैं।

**जंगल**—वन-सम्पत्ति में केरल-प्रान्त बहुत धनी है। लगभग ३,०५२ वर्गमील में जंगल सुरक्षित है। इस जंगल में टीक, आबनूस आदि मूल्यवान् लकड़ियाँ मिलती हैं।

**खनिज तथा उद्योग-धंधे**—खनिज सम्पत्ति में बिहार के बाद केरल का ही स्थान है। कुछ खनिज पदार्थ तो बिहार की अपेक्षा केरल में ही अधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ सामुद्रिक बालू से युद्ध-सामग्री बनती है। यहाँ रसायन, चीनी, सीमेण्ट, शीशा आदि के कारखाने हैं। तेल का उत्पादन, हाथ-करघे की बुनाई, हाथ-दाँत की चीजों पर खुदाई के काम, काष्ठ-वस्तु-निर्माण, मिट्टी के बरतन बनाना, चटाइयाँ बुनना आदि काम गृह-उद्योग के रूप में होते हैं। इस समय यहाँ सिंचाई की निम्नलिखित योजनाएँ चालू हैं, जिनसे लगभग २८१ लाख एकड़ भूमि में धान का अधिकाधिक उत्पादन होता है। कुछ मुख्य योजनाएँ इस प्रकार हैं—१. मलमपूजा-योजना, २. वालेयर जलाशय-योजना, ३. मंगलम् जलाशय-योजना, ४. पीची-योजना ५. चालकुडी-योजना, ६. वाजनी-योजना, ७. कुट्टानन्दन-योजना ८. नैय्यर-योजना, ९. पेरियर घाटी-योजना, १०. चीरकुजी-योजना तथा ११. मीनकर-योजना।

सन् १९५५ ई० के साधारण चुनाव के बाद केरल में कॉंगरेस और प्रजा-समाजवादी दल ने मिलकर मंत्रिमंडल कायम किया था। किन्तु, सन् १९५७ ई० में उस मंत्रिमंडल की हार हुई, जिसके फलस्वरूप अप्रैल में कम्युनिस्ट दल ने श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद के नेतृत्व में मंत्रिमंडल कायम किया। इस प्रकार, भारत में सर्वप्रथम केरल-राज्य में कम्यूनिस्ट सरकार कायम हुई। पर कम्युनिस्टों के कुछ कार्य ऐसे हुए कि राज्य में घोर उपद्रव छा गया, जिसके फलस्वरूप सन् १९५९ ई० के मध्य में कम्युनिस्ट-सरकार को भंग कर राष्ट्रपति ने यहाँ का शासन ३१ जुलाई,

१६५६ ई० को अपने हाथ में ले लिया। फरवरी, १६६० ई० में फिर सार्वजनिक चुनाव हुआ, जिसमें संयुक्त मोर्चा के ६४ (कांगरेस ६३, प्रजा-समाजवादी दल २० और मुस्लिम लीग ११), कम्युनिस्ट दल के २६, कम्युनिस्ट से सहायता-प्राप्त स्वतंत्र ३ एवं अन्य ३ उमीदवार विधान सभा के सदस्य चुने गये। विधान-सभा में बहुमत प्राप्त करने के कारण संयुक्त मोर्चावालों ने अपना मंत्रिमंडल कायम किया, किन्तु मुस्लिम लीगवाले इसमें सम्मिलित नहीं हुए।

प्रशासन—इस समय यहाँ के राज्यपाल वी० वी० गिरि; मुख्य न्यायाधीश एम० एस० मेनन और मंत्रिमंडल के सदस्य आर० शंकर ( मुख्य मंत्री ), पी० टी० चाको के० ए० दामोदर मेनन, के चन्द्रशेखरन, ई० पी० एलोज, के० टी० अच्युतन, पी० पी० उम्मर कोया, टी० दामोदरन पोट्टी, वी० के० वेलाप्पन और के० कुनहम्बु हैं।

## गुजरात

क्षेत्र-विस्तार—७२,२२६ वर्गमील; जन-संख्या—२,०६,२१,२८३; जन-संख्या का घनत्व—२८६ प्रति वर्गमील; शिक्षितों की संख्या—३०.३ प्रतिशत; राजधानी—अहमदाबाद; राजकीय भाषा—गुजराती; विश्वविद्यालय—गुजरात, महाराजा शिवाजी राव विश्वविद्यालय; सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ; जिले—बनासकंठ, साबारकंठ, मेहसाना, अहमदाबाद, खैरा, पंचमहल, बड़ौदा, भड़ौंच, सूरत, डांग्स, कच्छ, जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली।

१ मई, १६६० ई० को द्विभाषी बम्बई-राज्य दो राज्यों में बाँट दिया गया—गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात-प्रान्त में १७ जिले हैं। यह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब समुद्र, उत्तर-पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, दक्षिण में मेवाड़ की मरुभूमि तथा उत्तर-पूरब में आबू पहाड़ हैं। भौगलिक दृष्टि से इसे तीन प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है—१. कच्छ की खाड़ी और अरावली पहाड़ी से दमनगंगा तक फैली मुख्य भूमि, २. कच्छ और सौराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र तथा ३. उत्तर-पूरबी पहाड़ी स्थल। गुजरात के तटीय क्षेत्र का अधिक भाग पहाड़ियों से घिरा है। इसके स्थलीय भाग का सिंचन, बनास, सरस्वती, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती-जैसी बड़ी तथा अन्य छोटी नदियों से होता है।

कृषि—यहाँ की मुख्य उपज कपास, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दलहन और तम्बाकू है। यह प्रान्त अच्छी सिंचाई के लिए मशहूर है। यहाँ कुँओं से अधिक सिंचाई होती है।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—खनिज पदार्थों में लोहा सोना और मैंगनीज अधिक पाये जाते हैं। हाल ही में काम्बे और अंकलेश्वर में तेल का पता लगा है। सूती वस्त्रोद्योग की प्रधानता है।

बन्दरगाह—इसका समुद्री किनारा ६०० मील है, जहाँ ५२ बन्दरगाह हैं। कण्डला, भावनगर, वेदी, नवलाखी, ओखा, पोरबन्दर, मांडी और भड़ोंच यहां के मुख्य बन्दरगाह हैं।

संस्कृति—यहाँ के नृत्य-गीत और नाटक अपने-आप में पूर्ण विकसित हैं। लोक-नृत्यों में गरबा, गरबी और रास प्रमुख हैं। गरबा तो इस प्रान्त के नृत्य का प्राण ही है। प्रमुख तीर्थों में द्वारका, अम्बाजी, सिद्धपुर आदि प्रसिद्ध हैं।

**प्रशासन**— इस समय यहाँ के राज्यपाल मेंहदी नवावजंग; मुख्य न्यायाधीश सुन्दरलाल त्रिकमलाल देसाई और मंत्रिमण्डल के सदस्य डॉक्टर जीवराज मेहता ( मुख्य मंत्री ), रसिकलाल उमेदचंद पारीख, रत्तभाई मूलशंकर अदानी, हितेन्द्र कन्हैयालाल देसाई, ( श्रीमती ) इन्दुमती चिम्मनलाल, विजयकुमार माधवलाल त्रिवेदी, उत्तवभाई शंकरलाल पारीख और मोहनलाल पोपतलाल व्यास हैं।

## जम्मू और कश्मीर

**क्षेत्र-विस्तार**—८६,०२४ वर्गमील; **जन-संख्या**—३५,८३,५८५ (विदेशी अधिकृत भागों को छोड़कर); **जन-संख्या का घनत्व**—४२ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—श्रीनगर ; **प्रधान भाषाएँ**—काश्मीरी, उर्दू तथा डोगरी ; **विश्वविद्यालय**—जम्मू और कश्मीर। **जिले**—अनन्तनाग, अस्तोर, गिलगिट लीज्ड एरिया; गिलगिट एजेंसी, बारामुल्ला, जम्मू, कठुआ, लद्दाख, मीरपुर, डोडा, पूंच्छ, रजौरी, रियासी श्रीनगर तथा उधमपुर।

यह प्रान्त भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर है। भारत की सीमा पर रहने के कारण राजनीतिक दृष्टि से इसका महत्त्व बहुत अधिक है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पश्चिम में रूसी तुर्किस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान, रूस तथा चीन, उत्तर-पूर्व में तिब्बत तथा दक्षिण में पंजाब हैं। सम्पूर्ण प्रान्त पहाड़ियों से भरा है। भौगोलिक दृष्टि से इसका प्राकृतिक विभाजन तीन क्षेत्रों में किया जा सकता है—१. तिब्बती तथा अर्द्ध-तिब्बती क्षेत्र, जो उत्तर में है, २. लद्दाख तथा गिलगिट जिलों का क्षेत्र तथा ३. कश्मीर के मध्य भाग की कश्मीरी घाटी का शोभा-सम्पन्न क्षेत्र तथा जम्मू का क्षेत्र, जो दक्षिण में है। प्रान्त का उत्तरी भाग, जो पर्वतमय है, लगभग छह महीनों तक बर्फ से ढका रहता है, अतएव इस भाग में अन्न का उत्पादन बहुत कम होता है। चनाव, झेलम तथा सिन्ध नदियों की घाटियाँ घने जंगलों से आवृत हैं।

**शिक्षा**—भारत में केवल जम्मू और कश्मीर-राज्य ही ऐसा है, जहाँ प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय-स्तर तक की शिक्षा मुफ्त दी जाती है। सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय—कहीं भी शिक्षा-शुल्क नहीं लिया जाता है।

यहाँ कश्मीरी भाषा बोलनेवालों की संख्या १५ लाख से अधिक है और पंजाबी भाषा बोलनेवालों की संख्या दस लाख से अधिक। डोगरी तथा बाल्टी भाषाओं के बोलनेवाले क्रमशः लगभग ३० हजार तथा १० हजार हैं। यहाँ के कार्यालय की भाषा उर्दू है।

**जन-संख्या**—यहाँ के निवासियों में मुसलमान ७५ प्रतिशत, हिन्दू २० प्रतिशत, सिक्ख १.६ प्रतिशत, बौद्ध १ प्रतिशत तथा अन्य ०.११ प्रतिशत हैं।

**कृषि**—प्रान्त की प्रधान उपज धान, गेहूँ, मकई, जौ, सरसों, कपास, तम्बाकू आदि हैं। यहाँ खजूर, नासपाती, अनार आदि फल-मेवे अधिक परिमाण में होते हैं।

**खनिज तथा उद्योग-धन्धे**—यहाँ के खनिज पदार्थों में कोयला ताँबा, बॉक्साइट, मैंगनीज, मार्बल, स्लेट आदि हैं। ऊनी कपड़ा तैयार करने में यह प्रान्त सबसे आगे है। यहाँ की दरी, दुशाले आदि संसार में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के रेशमी कपड़े भी प्रसिद्ध हैं।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल युवराज करण सिंह; मुख्य न्यायाधीश जानकीनाथ वजीर और मन्त्रिमण्डल के सदस्य बख्शी गुलाम मुहम्मद (मुख्य मंत्री), शामलाल शर्राफ, दीनानाथ महाजन, चुन्नीलाल कोतवाल, मीर गुलाम मुहम्मद राजपुरी, दुर्गाप्रसाद धर, गुलाम एम० सादिक, गिरिधारी लाल डोगरा, सैयद मीर कासिम तथा शमसुद्दीन हैं।

राज्य-मंत्रियों में अमरनाथ शर्मा, भगत छाजूराम, कौशक बाकुला, गुलाम नबी बनी सोगमी, अब्दुल गनी त्राली और हरवंश सिंह आजाद हैं।

## पंजाब

क्षेत्र-विस्तार—४७,०८४ वर्गमील; जन-संख्या—२,०२,६८,१५१; जन-संख्या का घनत्व—४३१ प्रति वर्गमील; शिक्षितों की संख्या—२३.७ प्रतिशत; राजधानी—चंडीगढ़; प्रधान भाषाएँ—पंजाबी और हिन्दी; विश्वविद्यालय—पंजाब; जिले—अम्बाला, अमृतसर, भटिण्डा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, गुरगाँव, हिसार, होशियारपुर, जालन्धर, काँगड़ा, कपूरथला, कर्नाल, लुधियाना, महेन्द्रगढ़, पटियाला, रोहतक, संगरूर और शिमला।

पंजाब भारतीय संघ की उत्तर-पश्चिमी सीमा का प्रान्त है। यह सन् १९४७ ई० के मध्य में पंजाब के दो टुकड़े करने से बना है। सम्पूर्ण पंजाब में पाँच नदियाँ थीं, जिनके आधार पर इस प्रान्त का नामकरण हुआ। वर्त्तमान पंजाब-राज्य में सतलज और व्यास—ये दो नदियाँ रह गई हैं। प्रान्त के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में कश्मीर, हिमाचल-प्रदेश का एक खण्ड तथा तिब्बत एवं पूर्व में राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और दिल्ली हैं।

इस प्रान्त के उत्तर-पूर्व में शिवालक और काँगड़ा घाटी के पहाड़ी स्थल हैं। जालन्धर-कमिश्नरी की भूमि उपजाऊ है। अम्बाला कमिश्नरी के कुछ भाग में, अर्थात् हरियाना में, वर्षा बहुत कम होती है और वह भाग बहुत सूखा रहता है।

भाषा—पंजाब की मुख्य भाषाएँ पंजाबी और हिन्दी हैं। पंजाबी जालन्धर-कमिश्नरी में और अम्बाला जिले के कुछ हिस्से में बोली जाती है। हिन्दी अम्बाला कमिश्नरी की मुख्य भाषा है। इसके अलावा पूर्वी पहाड़ी भाषा गुरदासपुर, काँगड़ा और शिमला के पहाड़ी भागों में और राजस्थानी भाषा राजस्थान की सीमा पर हिसार जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाती हैं। प्रान्त के विभिन्न जिलों के सरकारी कार्यालयों के काम हिन्दी तथा पंजाबी में से किसी एक क्षेत्रप्रधान भाषा में होते हैं, जैसे गुरदासपुर, अमृतसर, भटिण्डा, जालन्धर, होशियारपुर, फिरोजपुर, लुधियाना, कपूरथला, अम्बाला ( रूपर तथा चण्डीगढ़ ऐसेम्बली कंस्टिच्युएन्सी ), पटियाला ( कन्याघाट तथा नलगढ़ तहसील छोड़कर), संगरूर (जिन्द तथा नरवाना तहसील छोड़कर) जिलों में पंजाबी भाषा तथा गुरुमुखी लिपि में काम होते हैं और काँगड़ा, शिमला, कर्नाल, रोहतक, गुरगाँव, हिसार, महेन्द्रगढ़, पटियाला ( केवल कोण्डाघाट तथा नलगढ़ तहसील में), अम्बाला ( रूपर तथा चण्डीगढ़ ऐसेम्बली कंस्टिच्युएन्सी छोड़कर ) तथा संगरूर ( केवल जिन्द तथा नरवाना तहसील में ) जिलों में हिन्दी में काम होते हैं।

कृषि—प्रान्त के ६६.५ प्रतिशत व्यक्ति खेती करते हैं। यहाँ लगभग डेढ़ करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है। यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ और चना हैं, जो ६० लाख एकड़ में

होते हैं। इसके बाद क्रमशः बाजरा, मक्ई, जौ, चावल, ज्वार और तेलहन का स्थान है। कम मात्रा में ऊख और रूई की भी खेती होती है।

उद्योग-धन्धे—सम्पूर्ण प्रान्त में लगभग ७०० फैक्टरियाँ हैं। इन फैक्टरियों में आधे से अधिक अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर में हैं। इनमें कपड़ा, गंजी, शीशा, कागज, रसायन आदि की फैक्टरियाँ मुख्य हैं। धारीवाल का ऊन का कारखाना भारत के दो सबसे बड़े कारखानों में एक है। भारत में जितना ऊनी कपड़ा बनता है, उसका चतुर्थांश यहीं तैयार होता है। गंजी, मोजा आदि तैयार करने में लुधियाना भारत में सबसे आगे है।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल पत्तम थानू पिल्लई, मुख्य न्यायाधीश डी० फलशॉ और मन्त्रिमण्डल के सदस्य सरदार प्रतापसिंह कैरों ( मुख्य मन्त्री ), मोहनलाल, ज्ञानी करतार सिंह, सरदार गुरवन्त सिंह, गोपीचन्द भार्गव, सरदार दरबार सिंह, ब्रषभान, रामशरण चन्द मित्तल, रणवीर सिंह और सरदार अजमेर सिंह हैं।

राज्यमंत्री यश, श्रीमती प्रकाश कौर, हरवंश लाल, निरंजन सिंह तालिब, ज्ञानी जेलसिंह, प्रेमसिंह 'प्रेम', रामकिशन, चन्दराम और भागवत दयाल हैं।

## पश्चिम बंगाल

क्षेत्र-विस्तार—३३,९२८ वर्गमील; जन-संख्या—३,४६,६७,६३४; शिक्षितों की संख्या—२६·१ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—१,०३१ प्रति वर्गमील; राजधानी—कलकत्ता; भाषा—बँगला; विश्वविद्यालय—कलकत्ता, विश्वभारती, यादवपुर तथा बर्दवान; जिले—बाँकुरा, वीरभूमि, बर्दवान, हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, पुरुलिया, कलकत्ता, कूचबिहार, दार्जिलिंग, पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, माल्दा, मुर्शिदाबाद, नदिया तथा चौबीस परगना।

प्रारम्भ में बंगाल-प्रान्त का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। समय-समय पर इसमें बहुत उलट-फेर हुए। सन् १८७४ ई० में आसाम इससे अलग कर दिया गया। सन् १९०५ ई० में बंगाल के दो टुकड़े हुए, किन्तु सन् १९११ ई० में वे दोनों टुकड़े फिर मिला दिये गये और बंगाल के प्रमुख शासक लेफ्टिनेण्ट गवर्नर की जगह गवर्नर बनाये गये। उसी वर्ष विहार और उड़ीसा दोनों प्रान्त बंगाल से अलग किये गये। भारत-पाकिस्तान बँटवारे के कारण सन् १९४७ ई० में बंगाल के पुनः दो टुकड़े हो गये। प्रान्त का उत्तरी भाग—दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिला तथा कूचविहार प्रान्त के दक्षिणी भाग से अलग हो गया था और बीच में दिनाजपुर जिले का पाकिस्तानी भाग पड़ गया था। इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए विहार से पूर्णिया जिले के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में मिलाये गये। साथ ही मानभूमि जिले का पूर्वी भाग भी बंगाल में मिला दिया गया है।

सम्पूर्ण प्रान्त में प्रधानतः बँगला भाषा बोली जाती है। मातृभाषा के रूप में लगभग ८४·६२ प्रतिशत तथा सह-भाषा के रूप में ३·४ प्रतिशत लोग बँगला भाषा बोलते हैं।

कृषि—इस प्रान्त की मुख्य उपज धान है। यहाँ जितनी उपजाऊ जमीन है, उसके लगभग ८८ प्रतिशत भाग में धान तथा ८ प्रतिशत भाग में जूट की खेती होती है। इन दोनों के बाद चाय का स्थान है, जिसकी खेती जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिलों में होती है। पश्चिम

बंगाल की लगभग १,७०,२६४ एकड़ भूमि में चाय की खेती होती है। यहाँ की अन्य फसलें जौ, गेहूँ, दलहन, तेलहन, तम्बाकू, रुई और रेशम हैं। पश्चिम बंगाल के लगभग ५,२५६ वर्गमील में जंगल है। रानीगंज में कोयले की खानें हैं।

**उद्योग-धन्धे**—भारत के उद्योग-धन्धों में पश्चिम बंगाल का प्रमुख स्थान है। भारत के निबन्धित कारखानों का २३ प्रतिशत पश्चिम बंगाल में ही है। अभी यहाँ ६० जूट की मिलें हैं, जिनमें कुल ३१ लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस उद्योग में लगाया गया मूल धन लगभग ४८ करोड़ है। भारत के कुल कोयला-उत्पादन का चौथा हिस्सा यही राज्य देता है। कलकत्ता से लगभग १६ मील के अन्दर ३२ सूती कपड़े की मिलें हैं। यहाँ कागज बनाने के अनेक कारखाने हैं तथा अभियन्त्रण के काम भी होते हैं। उत्तरपारा का 'हिन्दुस्तान मोटर-कारखाना' बहुत प्रसिद्ध है। अल्युमिनियम का उत्पादन प्रमुख रूप में पश्चिम बंगाल में ही होता है। इधर दुर्गापुर के कारखाने में लोहे का उत्पादन काफी मात्रा में होने लगा है।

**प्रशासन**—यहाँ के राज्यपाल सुश्री पद्मजा नायडू, मुख्य न्यायाधीश एच्० के० बोस और मन्त्रिमण्डल के सदस्य प्रफुल्लचन्द्र सेन ( मुख्य मन्त्री ), अजयकुमार मुखर्जी, खगेन्द्रनाथ दासगुप्ता, ईश्वरदास जालान, राय हरेन्द्रनाथ चौधरी, तरुणकान्ति घोष, कालीपद मुखर्जी, श्रीमती पूर्वी मुखोपाध्याय, श्यामदास भट्टाचार्य, जगन्नाथ कोले, जीवनरतन धर, श्रीशंकरदास वंद्योपाध्याय, शैला मुखर्जी, श्रीमती आभा माइती, एस० एम० फजलुर रहमान तथा विजयसिंह नाहर हैं।

राज्यमन्त्री सौरेन्द्र मोहन मिश्र, तेनजिंग वांगडी, समरजित वन्द्योपाध्याय, चारुचन्द्र महन्ती, चित्तरंजन राय, अर्द्धेन्दुशेखर नस्कर, आशुतोष घोष, विजेशचन्द्र सेन, प्रवोधकुमार गुहा, सुशील-रंजन चट्टोपाध्याय और प्रमथरंजन ठाकुर हैं।

## विहार

इसका विस्तृत विवरण चतुर्थ भाग में पृथक् दिया गया है।

## मद्रास

**क्षेत्र-विस्तार**—५०,१३२ वर्गमील; **जन-संख्या**—३,३६,५०,६१७; **शिक्षितों की संख्या**—३०·२ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—६७१ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—मद्रास; **भाषा**—तमिल; **विश्वविद्यालय**· मद्रास तथा अन्नामलाई; **जिले**—कन्याकुमारी, कोयम्बटूर मद्रास, मदुराई, नीलगिरि, चिंगलप्ट, नार्थ आर्काट, रामनाथपुरम् , सलेम, साउथ आर्काट, तंजोर, तिरुचिरापल्ली तथा तिरुनेलवेली।

सन् १९५६ ई० के राज्य-पुनर्संगठन के अनुसार संघटित मद्रास-प्रान्त के उत्तर में मैसूर तथा आन्ध्र-प्रदेश, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट है। भारतीय राज्य-संघ का यह सबसे दक्षिणी प्रान्त है।

**खेती और उद्योग-धंधे**—इस प्रान्त में ६८ प्रतिशत व्यक्तियों की जीविका खेती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा प्रान्त का सबसे अधिक उपजाऊ भाग है। यहाँ की बकिंघम-नहर प्रसिद्ध है। इस प्रान्त में १८,७७८ वर्गमील क्षेत्र का जंगल सरकार द्वारा सुरक्षित है। यहाँ की मुख्य उपज धान है। कपास और ऊख की खेती भी बड़े पैमाने पर

होती है। कपास लगभग १६ लाख एकड़ भूमि में बोई जाती है। दक्षिण भारत के युनाइटेड प्लैएट्स एसोसिएशन की ओर से कहवा, चाय, रबर आदि का उत्पादन भी होता है। सिद्ध चमड़ा और चीनी तैयार करने का काम भी इस प्रान्त का मुख्य व्यवसाय है। गृह-उद्योग के रूप में यहाँ दियासलाई बनाने के कई छोटे-छोटे कारखाने हैं। वनस्पति घी, साबुन, सीमेएट आदि का उत्पादन अधिक परिमाण में होता है। गृह-उद्योगों में करघे द्वारा बुनाई, मिट्टी के बरतन बनाना, अल्युमिनियम के बरतन, दियासलाई, छाता तथा स्लेट बनाने के कार्य मुख्य हैं। यहाँ से विदेशों में चमड़े का निर्यात अधिक मात्रा में होता है। हाथी-दाँत की बहुमूल्य चीजें बनती हैं। खनिज पदार्थों में सलेम में लोहा, विशाखापत्तनम् में मैंगनीज, त्रावणकोर में ग्रेफाइट और नेलोर जिले में अबरख पाये जाते हैं। संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, गान-विद्या आदि के क्षेत्र में यह प्रान्त अन्य भारतीय प्रान्तों की तुलना में अग्रणी है। कला की दृष्टि से गोपुरम्, महाबलीपुरम् तथा कांचीपुरम् महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। रामेश्वरम् हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल विष्णुराम मेधी, मुख्य न्यायाधीश एस० रामचन्द्र अ यर और मन्त्रिमण्डल के सदस्य के० कामराज नादर (मुख्य मन्त्री), एम० भक्तवत्सलम्, आर० वेंकटरमण, पी० कक्कन, वी० रामैय्या, श्रीमती ज्योति वेंकटाचलम्, नलसेनापति सरकाराय मानरेड्डियर, जी० बूवराघन् और एस० एम० अब्दुल मजीद हैं।

## मध्यप्रदेश

**क्षेत्र-विस्तार**—१,७१,२१० वर्गमील; **जन-संख्या**—२,२२,६४,२७५; **शिक्षितों की संख्या**—१६·६ प्रतिशत; **जन-संख्या का घनत्व**—१८६ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—भोपाल; **भाषा**—हिन्दी; **विश्वविद्यालय**—सागर, जबलपुर तथा विक्रम; **कमिश्नरियाँ**—बरार, नागपुर, छत्तीसगढ़ तथा जबलपुर; **जिले**—बालाघाट, बस्तर, बेतुल, भिलसा, भिन्द, बिलासपुर, छत्तरपुर, छिन्दवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, दुर्ग, ग्वालियर, गर्ड, गूना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, झबुआ, मण्डला, मन्दसोर, मोरेना, नरसिंहपुर पूर्व, निमार (खण्डवा), पश्चिम निमार, (खड़गगाँव), पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवाँ, सागर, सतना, सेहोर, सेउनी, शाहदोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिद्धि, सरगुजा, टीकमगढ़, उज्जैन तथा विदिशा।

इस प्रान्त का नामकरण वस्तुतः भारत के मध्य में होने के कारण हुआ है। यह प्रान्त छह प्रान्तों से परिवेष्टित है; जैसे—उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र, बम्बई तथा राजस्थान। एक तरह से इस प्रान्त को भारत का हृदय कहा जा सकता है।

क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से भारत के राज्यों में इसका प्रथम स्थान है। यह प्रान्त मोटे तौर पर तीन अधित्यकाओं में बाँटा जा सकता है, जिनके बीच में दो समतल मैदान हैं। उत्तर-पश्चिम की ओर विन्ध्य की अधित्यका है, जहाँ छोटे-छोटे जंगल हैं। यह अधित्यका दक्षिण की ओर ढालू होती हुई नर्मदा की घाटी में उतर गई है, जहाँ गेहूँ की खेती होती है। इसके बाद सतपुरा की ऊँची अधित्यका है, जहाँ जंगलों से भरी पहाड़ियाँ हैं। यह अधित्यका नीचे उतरकर नागपुर के समतल मैदान में पहुँचती है, जो इस प्रान्त का सबसे उपजाऊ भाग है और जहाँ की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए देश-भर में विख्यात है। इस समतल भूमि का पूर्वी आधा भाग वैनगंगा की घाटी में पड़ता है, जहाँ मुख्यतया धान की खेती होती है।

यहाँ आर्य-भाषा तथा अनार्य-भाषा—दोनों तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं। प्रान्त के उत्तर में तथा नर्मदा-घाटी में मुख्यतः आर्य निवास करते हैं एवं प्रान्त के दक्षिण और पूरब के भागों में आदिम जातियों की प्रधानता है। यहाँ के निवासियों में लगभग १४ प्रतिशत आदिवासी हैं, जो मुण्डा, बैगा, गोण्ड, मरिया, मरिड्या, भथरा, द्राविडियन आदि वर्गों में विभक्त हैं।

यहाँ की प्रधान भाषा हिन्दी है, जो सम्पूर्ण राज्य में बोली जाती है। यहाँ की स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषाएँ हैं—मालवी ( जो मालवा में बोली जाती है ), बुन्देलखण्डी ( जो नर्मदा-घाटी में बोली जाती है ), बघेलखण्डी (जो प्राचीन रेवा में बोली जाती है) तथा छत्तीसगढ़ी (जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है)।

कृषि—यहाँ के लगभग ५६ प्रतिशत भू-भाग में खेती होती है। प्रान्त के क्षेत्र-फल का २६ प्रतिशत भाग जंगलों से भरा हुआ है। वन-सम्पत्ति में आसाम के बाद इसी प्रान्त का स्थान है। यहाँ की मुख्य उपज है—धान, ज्वार, गेहूँ, दलहन, तेलहन, ऊख, रुई आदि। इस प्रान्त में नारंगी की भी खेती होती है।

खनिज तथा उद्योग-धंधे—मैंगनीज यहां का प्रमुख खनिज पदार्थ है, जो देश के अन्य सभी भागों से अधिक पाया जाता है। सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, छिन्दवाड़ा, सहडोल, सिद्धि, होशंगाबाद तथा बेतुल जिलों में कोयले की खानें हैं। दुर्ग, बस्तर, जबलपुर, छत्तरपुर तथा होशंगाबाद जिलों में लोहे की खानें हैं। मध्यप्रदेश देश के कुल कच्चे लोहे की जरूरत का ६५ प्रतिशत पूरा करता है। सीमेण्ट की मिट्टी भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। भारत के कुल हीरे के उत्पादन का ६० प्रतिशत विन्ध्यप्रदेश की खानों से प्राप्त होता है। हमी विशेषज्ञों के परामर्शानुसार पन्ना की और हीरे की खानों की खुदाई शीघ्र ही होनेवाली है। यहाँ बॉक्साइट की भी खानें हैं। इनके अलावा अबरख, ग्रेफाइट, चूना-पत्थर आदि खनिज भी पाये जाते हैं।

अखबारी कागज ( न्यूजप्रिंट ) के उत्पादन के लिए नेपा मिल्स है, जो देश की कुल जरूरत की एक तिहाई पूरी करती है। ब्रह्मपुर, महेश्पुर, उज्जैन, ग्वालियर, इन्दौर आदि में सूती कपड़े की मिलें हैं। कटनी के पास कैमूर का सीमेण्ट का कारखाना भारत का सबसे बड़ा सीमेण्ट-कारखाना है। भिलाई में लोहे का एक वृहत् कारखाना खोला गया है। इनके अलावा ग्वालियर में दरियाँ, और मिट्टी के सुन्दर बरतन बनते हैं। मन्दसोर में कंबल तैयार होते हैं। बैलघाट और छिंदवाड़ा में पीतल के काम होते हैं।

प्रशासन—यहां के राज्यपाल—एच० वी० पाटस्कर; मुख्य न्यायाधीश—पी० वी० दीक्षित और मन्त्रिमण्डल के सदस्य भगवन्तराय अन्नाभाऊ मंडलोई (मुख्य मन्त्री), तख्तमल, शम्भुनाथ शुक्ल, शंकरदयाल शर्मा, मिथीलाल गंगवाल, वेंकटेश विष्णु द्रविड, नरसिंहराव दीक्षित, केशोलाल गुमाश्ता, जगमोहन दास, मथुराप्रसाद दूबे और नरेशचन्द्र सिंह हैं।

उपमंत्री श्रीसज्जन सिंह विश्नार, गोविन्दनारायण सिंह, बसन्त राव उइके और श्रीमती चन्द्रकला सहाय हैं।

## महाराष्ट्र

क्षेत्र-विस्तार—१,१८,७४१ वर्गमील; जन-संख्या—३,९५,०४,२९४; शिक्षितों की संख्या—२९·७ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—३३२ प्रति वर्गमील; राजधानी—बम्बई; राजकीय भाषा—मराठी; विश्वविद्यालय—बम्बई, गुजरात, वल्लभभाई विद्यापीठ; जिले—वृहत्तर बम्बई, कोलाबा, रत्नगिरि, थाना, नासिक, पूना, अहमदनगर, कोल्हापुर, सतारा, शोलापुर, नागपुर, अकोला, अमरावती, भण्डारा, बुलदाना, चाँद, वर्धा, योतमाल, औरंगाबाद, भिड, उस्मानाबाद, परभानी, धुलिया, जलगाव, ननदेद और सांगली।

१ अप्रैल, १९६० ई० को बम्बई-राज्य के दो भागों में बंटने से इस राज्य का निर्माण हुआ। यह अरब समुद्र के किनारे पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में मध्यप्रदेश, उत्तर-पश्चिम में गुजरात, पश्चिम में अरब समुद्र, दक्षिण-पूरब में आन्ध्रप्रदेश तथा दक्षिण में मैसूर और गोआ हैं। किनारे पर १२०" से भी अधिक वर्षा होती है और कुछ स्थानों में २०" से भी कम।

कृषि—तेलहन और कपास इस प्रान्त के मुख्य पैदावार हैं। कुछ जिलों में चीनाबादाम की खेती होती है। नागपुर, अमरावती और वर्धा में नारंगी बहुतायत से पाई जाती है।

खनिज और उद्योग-धन्धे—भण्डारा और नागपुर में मैंगनीज; योतमाल और चांद में चूनापत्थर; नागपुर, चाँद और योतमाल में कोयला तथा रत्नगिरि में सीरा आदि पाये जाते हैं। यहाँ सूती कपड़े की मिलें अधिक हैं। बहुत बड़े पैमाने पर चीनी तैयार करनेवाले प्रान्तों में यह भी एक है।

ऐतिहासिक स्थान—महाराष्ट्र में बहुत-से सुन्दर दर्शनीय स्थल हैं। कुछ की अपनी ऐतिहासिक महत्ता है। कला और वास्तु-कला की दृष्टि से पर्यटकों के लिए अजन्ता और एलोरा की विश्वप्रसिद्ध गुफाएँ तथा बम्बई से कुछ मील दूर टापू में स्थित एलिफैण्टा गुफा दर्शनीय हैं। इसके अतिरिक्त मालाबार हिल, हैंगिंग गार्डेन, कमला नेहरू पार्क, मेरीन ड्राइव (बम्बई में), पूना का पार्वती-मन्दिर, सिंहगढ़ का किला (औरंगाबाद में), मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा निर्मित बीबी का मकबरा आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हैं।

प्रशासन—राज्यपाल—पी० सुब्बारायन; मुख्य न्यायाधीश—एच० के० चैनानी; मंत्रिमण्डल के सदस्य—वाई० बी० चवन ( मुख्य मन्त्री ), एम० एस० कन्नमवर, शान्तिलाल एच० शाह, वसन्तराव पी० नायक, डी० एस० देसाई, एस० के० वनखेडे, पी० के० सावंत, एस० बी० चवन, होमी जे० एच० तलेयरखान, डी० जेड० फलास्पागर, जी० बी० खेडकर, एस० जी० वार्वे, एस० अब्दुल कादर, श्रीमती निर्मला राजे भोंसले, एम० डी० चौधरी, एम० जी० माने और के० एस० सोनवाने।

उपमन्त्री—जी० डी० पाटिल, एन० एन० कैलास, वाई० जे० मोहिते, एन० एम० तिडके, एम० ए० वैराले, आर० ए० पाटिल, एच० जी० वार्त्तक, बी० जे० खटाल, आर० जकारिया, डी० के० खानविलकर, एस० एल० कदम, एन० एस० पाटिल, एस० बी० पाटिल और के० पी० पाटिल।

# मैसूर

क्षेत्र-विस्तार—७४,१६१ वर्गमील; जन-संख्या—२,३५,४७,०८१; शिक्षितों की संख्या—२५.३ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—३१८ प्रति वर्गमील; राजधानी—बंगलोर; भाषा—कन्नड; विश्वविद्यालय—मैसूर तथा कर्नाटक ( धारवार ); जिले—बंगलोर; बेलगाँव, बेलारी, बिदर, बीजापुर, चिक्कमागलुर, चित्तलदुर्ग, कुर्ग, धारवार, गुलबर्गा, हासन, उत्तर कनाडा, कोलार, मण्ड्या, मैसूर, रायचूर, सिमोगा, दक्षिण कनाडा तथा तुमकुर।

प्राचीन भारतीय साहित्य में मैसूर का उल्लेख कर्नाटक नाम से हुआ है। इसके उत्तर और उत्तर-पश्चिम भाग में बम्बई प्रान्त, पूरब में आंध्रप्रदेश, दक्षिण-पूरब में मद्रास, दक्षिण-पश्चिम में केरल तथा पश्चिम में समुद्र हैं।

कुर्ग अभी मैसूर का एक जिला बन गया है। इसका विस्तार १५८७ वर्गमील है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शनीय है। यहाँ के लगभग ५१७ वर्गमील में सर्वदा हरा रहनेवाला जंगल है। यहाँ के घने जंगल में बाघ, हाथी, हरिण आदि जन्तु रहते हैं। मैसूर का पूर्वी क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। पहाड़ी ढाल पर कहवा, इलायची, गोलमिर्च, नारंगी आदि अधिक मात्रा में उपजाये जाते हैं। भारत के कुल कहवा का तृतीयांश कुर्ग में ही होता है।

यहाँ की मुख्य उपज चावल, ऊख, कहवा, नारियल, कपास, सुपारी और शहतूत है। यहाँ लोहा, इस्पात, सीमेण्ट, कागज, चीनी, सूती-रेशमी कपड़े, साबुन, रसायन, चन्दन के तेल आदि के कारखाने हैं। यहाँ का चन्दन के तेल का कारखाना संसार का सबसे बड़ा कारखाना है। भारत में हवाई जहाज केवल बंगलोर में बनते हैं। चन्दन की लकड़ी का महत्त्वपूर्ण उत्पादन मैसूर में ही होता है। भारत के अन्दर सोना मिलने का भी मुख्य स्थान मैसूर ही है।

मैसूर की ६०,६१,६५३ एकड़ भूमि में जंगल है। यहाँ बाँस का उत्पादन बहुत होता है। उत्तर कनाडा जिला वन-सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। बंगलोर में चार महत्त्वपूर्ण औद्योगिक संस्थाएँ हैं, जिनका संचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है; जैसे—१. लाल बाग, २. इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स, ३. रमण रिसर्च-इंस्टिट्यूट तथा ४. मेण्टल हॉस्पिटल। यहाँ का श्रीरंगपत्तनम् का रंगनाथस्वामी का मन्दिर, चमुन्दी पहाड़ियाँ तथा वृन्दावन-बगीचा बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ की दर्शनीय वस्तुएँ हैं—बेलूर का चेन्नकेशव, हालेबिद हयसलेश्वर, नन्दी पहाड़ियाँ, एशिया-भर की सबसे बड़ी गौतम-मूर्त्ति, प्राचीन भारतीय आदिलशाही राजाओं की राजधानी बीजापुर के ऐतिहासिक भवन, जैसे—मुहम्मद आदिलशाह का गोल गुम्बज मकबरा आदि।

सिंचाई तथा विद्युत्-योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं; जैसे—भद्रा-जल-संरक्षण-योजना, भद्रा-जल-विद्युत्-योजना, तुंगभद्रा-जल-विद्युत्-योजना, नूगू-जल-संरक्षण-योजना, अम्बिगोला-जल-संरक्षण-योजना तथा सारावती घाटी जल-विद्युत्-योजना, घाटप्रभा-योजना आदि।

**प्रशासन**—यहाँ के राज्यपाल जय चामराजा वाडियर, मुख्य न्यायाधीश—एन० श्रीनिवास राव और मन्त्रिमण्डल के सदस्य एस० निजलिंगप्पा (मुख्य मन्त्री), एस० आर० कांठी, एम० वी० , एम० वी० रामाराव, आर० एम० पाटिल, श्रीमती यशोदारमा दासप्पा, के० मल्लप्पा, के०

नागप्पा अल्वा, वीरेन्द्र पाटिल और वी० रचैया हैं। उपमन्त्रियों में अब्दुल गफ्फार और मकसूद अली खाँ हैं।

## राजस्थान

क्षेत्र-विस्तार—१,३२,१५० वर्गमील; जन-संख्या—२,०१,४६,१७३; शिक्षितों की संख्या—१४·७ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—१५२ प्रति वर्गमील; भाषाएँ—हिन्दी तथा राजस्थानी; राजधानी—जयपुर; विश्वविद्यालय—राजस्थान (जयपुर); जिले—अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बुन्दी, चित्तौरगढ़, चूरू, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जेलोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नगौर, पाली, सवाई माधोपुर, सिकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर।

राजस्थान पहले राज्य-संघ के रूप में था, जिसकी स्थापना १८ अप्रैल, १९४८ ई० को हुई थी। उस समय इसमें केवल बांसवाड़ा, बुन्दी, डूंगरपुर, झालावाड़, किसनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और उदयपुर सम्मिलित थे। ३० मार्च, १९४८ ई० को बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर भी इसमें शामिल हुए। १५ मार्च, १९४८ ई० को अलवर, करौली, धौलपुर और भरतपुर ने मिलकर मत्स्य-राज्यसंघ की स्थापना की थी। १५ मई, १९४९ ई० को यह संघ भी राजस्थान-संघ में मिल गया। इस तरह १९ प्राचीन रियासतों का समुदाय सन् १९५६ ई० में द्वितीय श्रेणी के राज्य के रूप में परिणत हुआ। इस प्रान्त के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व तथा पूर्व में पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश एवं दक्षिण-पश्चिम में बम्बई हैं।

कृषि एवं उद्योग-धन्धे—यहां की मुख्य उपज बाजरा, ज्वार, गेहूं, मकई, जौ, चना आदि हैं। कुछ क्षेत्रों में धान का भी उत्पादन होता है। खनिज पदार्थों में चूना-पत्थर तथा बारिटबोरियम सल्फेट अत्यधिक परिमाण में मिलते हैं।

अन्य प्रान्तों की तुलना में यहाँ सिंचाई का विशेष प्रबन्ध है। राजस्थान के तलवाड़ा नामक स्थान में ३० मार्च, १९५८ ई० को एक बड़ी नहर बनाने का काम आरम्भ हुआ है। ४२९ मीलों में यह नहर बनाने की योजना है। निर्माण-कार्य सम्पन्न होने पर यह संसार की सबसे बड़ी नहर होगी। १. गंगा-नहर—यह नहर फिरोजपुर के पास सतलज नदी के बायें तट से निकली है तथा पंजाब में ७४ मील तक बहती हुई बीकानेर में प्रवेश करती है। २. भरतपुर-योजना द्वारा आगरा नहर से एक दूसरी नहर निकाली जा रही है, जिससे भरतपुर में कम-से-कम १८ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। ३. चम्बल-योजना द्वारा मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकार एक बहूद्देश्यीय योजना कार्यान्वित करनेवाली है। इसके अनुसार जल-संचय के लिए तीन बाँध तथा एक बराज का निर्माण होगा।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल डॉ० सम्पूर्णानन्द, मुख्य न्यायाधीश जे० एस० राणावत और मन्त्रिमण्डल के सदस्य मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री), हरिभाऊ उपाध्याय, नाथूराम मिरधा, हरिश्चन्द्र, मथुरादास माथुर, बी० के० कौल, भीका भाई और बरकतुल्ला खाँ हैं।

उपमंत्रियों में दौलाराम, श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती प्रभा मिश्र, पारसराम मदेरना, भवानीशंकर नन्दवाना, रामप्रसाद लाधा, चन्दनमल वैद्य, दिनेश राय डांगी, निरंजन नाथ आचार्य और भीमसिंह हैं।

★

# केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र

## अन्दमन तथा निकोबार-द्वीपसमूह

क्षेत्र-विस्तार—३,२१५ वर्गमील; जन-संख्या—६३,४३८; शिक्षितों की संख्या—२३·६ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—२० प्रति वर्गमील; राजधानी—पोर्ट-ब्लेयर।

यह द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है तथा बर्मा के केप-नेगराइस से १२० मील, कलकत्ता से ७८० मील तथा मद्रास से ७४० मील की दूरी पर स्थित है। बड़े-बड़े पाँच द्वीप परस्पर मिलकर 'ग्रेट अन्दमन' नाम से पुकारे जाते हैं। इसके दक्षिण में 'लिट्ल अन्दमन' है। यहाँ के सभी छोटे-छोटे द्वीपों की संख्या २०४ है। ये दो समूहों में बँटे हैं—१. रीची आर्चिकपेलागो तथा २. लेबिरिन्थ द्वीपसमूह। ग्रेट अन्दमन-द्वीपसमूह की लम्बाई २१६ मील तथा चौड़ाई ३२ मील है। यह जंगलमय है, जहाँ कड़ी तथा मुलायम दोनों तरह की मूल्यवान लकड़ियाँ मिलती हैं। कड़ी लकड़ियों में प्रसिद्ध हैं -पदौक अथवा अन्दमन लाल लकड़ी, गुरजान आदि। मुलायम लकड़िया अधिक मात्रा में मिलती हैं, जिनका उपयोग दियासलाई बनाने में अधिक होता है।

अन्दमन तथा निकोबार-द्वीपसमूह में अनेक बन्दरगाह हैं, जिनमें चार अधिक प्रसिद्ध हैं—१. पोर्ट-ब्लेयर, २. एलफिन्स्टन, ३. बोनिंग्टनन तथा ४. पोर्ट-कॉर्नवालिस। अन्दमन के निवासी अन्दमनी, ओंग, जरावा और सेंटिनेली जाति के हैं। निकोबार द्वीप-समूह के मूल निवासी निकोबरी और शॉम्पेन हैं। अन्दमन द्वीप-समूह के आदिवासी अपेक्षाकृत सबसे लम्बे होते हैं। नेग्रिटो जाति के लोग आकार में कुछ छोटे होते हैं। उनकी संस्कृति तथा मलाया के सामन और फिलीपाइन के बेट जातीय लोगों की संस्कृति में बहुत समानता है। वहाँ के आदिवासियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है—१. अन्दमानी, जो मध्य अन्दमन तथा उत्तर अन्दमन के तटों पर बसे हुए हैं; २. ओंगे, जो छोटे अन्दमन में निवास करते हैं; ३. जरवा, जो दक्षिण अन्दमन तथा मध्य अन्दमन में रहते हैं और सेंटिनेली, जो सेंटिनेली द्वीपसमूह में हैं। निकोबार के निवासियों के दो वर्ग हैं—निकोबारी तथा शॉम्पेन। नृतत्त्व-शास्त्र के अनुसार निकोबारी तथा हिन्द-चीनी जाति के लोगों में बहुत समानता है। अन्दमनी तथा हिन्द-चीनी जाति के लोगों में बहुत विषमता है। सभ्यता, संस्कृति, व्यवसाय, विचार आदि में निकोबारी जाति अन्दमनी जाति से बहुत बढ़ी-चढ़ी है।

नारियल, कहवा तथा रबर यहाँ की प्रधान उपज है। यहाँ धान की पर्याप्त उपज नहीं होती। इधर धान की पैदावार को बढ़ाने के प्रयत्न हो रहे हैं।

अन्दमन तथा निकोबार-द्वीपसमूह १ नवम्बर, १९५६ ई० से भारत-सरकार का केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र बन गया है। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त प्रशासन करते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत पाँच सदस्यों की एक परामर्शदात्री परिषद् है, जो मुख्य आयुक्त को परामर्श देती है। इस द्वीपसमूह से एक सदस्य का मनोनयन लोक-सभा के लिए भी होता है।

यहाँ के मुख्य आयुक्त बी० एन० माहेश्वरी हैं।

## त्रिपुरा

क्षेत्र-विस्तार—४,०३६ वर्गमील; जन-संख्या—११,४१,४६२; शिक्षितों की संख्या—२२·२ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—२८३ प्रति वर्गमील; राजधानी—अगरतला; प्रधान भाषा—बँगला; डिवीजन—अगरतला, अमरपुर, बेलोनिया, धर्मनगर, कैलासहर, कमलपुर, खोवाई, सवरूम, सोनमूरा तथा उदयपुर।

त्रिपुरा, आसाम-राज्य के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। सन् १६५१ ई० की जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल ४,०२२ वर्गमील तथा जन-संख्या ६,३६,०२६ है। यह वन तथा खनिज सम्पत्ति से परिपूर्ण है।

यहाँ की प्रमुख उपज धान, जूट, चाय, ऊख, कपास, तेलहन आदि हैं। नाना प्रकार के हाथ से बुने सूती कपड़ों के अतिरिक्त अन्य उद्योग-धंधों का यहाँ अभाव है। परिवहन का एकमात्र साधन आकाश-मार्ग है। हाल में एक लम्बी सड़क बनी है, जो आसाम होकर गई है। उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम में लगभग ७२० मीलों तक इस प्रदेश की सीमा पाकिस्तान की सीमा से संयुक्त है, जिससे पाकिस्तान द्वारा यहाँ अधिक उपद्रव होते रहते हैं। यहाँ आदिवासियों की संख्या अधिक है। चकमा, रियोंग, तिपरा, कुकी, मग प्रभृति आदिवासी यहाँ रहते हैं।

यहाँ के मुख्य आयुक्त एन० एम० पटनायक, आई० ए० एस० हैं।

## दिल्ली

क्षेत्र-विस्तार—५७३ वर्गमील; जन-संख्या—२६,४४,०५८; शिक्षितों की संख्या—३२,२४ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—३०,४४ प्रति वर्गमील; राजधानी—दिल्ली; प्रधान भाषाएँ—हिन्दी, उर्दू और पंजाबी; विश्वविद्यालय—दिल्ली।

अत्यन्त प्राचीन काल से दिल्ली अनेक राजवंशों की राजधानी रहती आई है। अब भी यह भारत की राजधानी है। दिल्ली तथा उसके समीपस्थ चारों तरफ के जिलों के प्रशासन का काम केन्द्रीय सरकार ने सन् १६१२ ई० में अपने हाथों में लिया। नई दिल्ली राजकीय पीठ के रूप में बसाई गई है। दिल्ली एक शहर, एक जिला तथा केन्द्र-शासित राज्य भी है। भारतीय राज्यों में दिल्ली सबसे छोटा राज्य है। इसका प्रशासन केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त एक मुख्य आयुक्त द्वारा होता है। राज्य-पुनस्संगठन-आयोग की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति ने दिल्ली के लिए एक परामर्शदात्री परिषद् बनाई है। इस परिषद् में गृह-मंत्री भी सम्मिलित रहते हैं। इस परिषद् में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करनेवाले सभी एम० पी०, दिल्ली के मुख्य आयुक्त, दिल्ली-विश्वविद्यालय के उपकुलपति, दिल्ली की म्युनिसिपल कमिटी के अध्यक्ष तथा नई दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी के प्रमुख उपाध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं। इसके अतिरिक्त दो और परामर्शदात्री समितियाँ हैं, जो जन-सम्पर्क तथा औद्योगिक कार्यों के सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त को परामर्श देती हैं।

समुद्र की सतह से दिल्ली ७०० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ लगभग २६" औसतन वर्षा होती है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है तथा चना, गेहूँ, बाजरा, जौ आदि की उपज होती है। ऊख, तम्बाकू, सरसों आदि की भी थोड़ी-बहुत उपज हो जाती है। सोना, चाँदी,

ताँबा आदि की वस्तुएँ, हाथी-दाँत के सामान, मिट्टी के बरतन आदि यहाँ बनते हैं। हाल में यहाँ रासायनिक पदार्थ भी तैयार होने लगे हैं। जलवायु मनोरम और स्वास्थ्यकर है।

यहाँ के मुख्य आयुक्त भगवान सहाय हैं।

## पाण्डिचेरी

क्षेत्र-विस्तार—१८६ वर्गमील; जन-संख्या—३,६६,०८३; राजधानी—पाडिचेरी; प्रधान भाषाएँ—फ्रेंच तथा तमिल; क्षेत्र-विभाजन—१. कारोमंडल-तट पर—(क) पांडिचेरी तथा उससे सम्बद्ध प्रदेश, जो आठ प्रखण्डों में विभक्त है। (ख) कारीकुलम तथा अधीनस्थ जिले, जो छह प्रखण्डों में विभक्त हैं। २. आंध्र-तट पर यनम तथा उसके आश्रित गाँव। ३. केरल-तट पर माही तथा उससे संयुक्त क्षेत्र।

फ्रांस की सरकार के साथ हुए एक करार के अनुसार १ नवम्बर, १९५४ ई० को भारत-सरकार ने भारत-स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया। इन बस्तियों में कारोमण्डल-तट पर स्थित कारीकुलम तथा पाण्डिचेरी; आन्ध्र-तट पर स्थित यनम और केरल-तट पर स्थित माही आते हैं। इन क्षेत्रों के भारत में मिला दिये जाने के सम्बन्ध में भारत तथा फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों ने २८ मई, १९५६ ई० को नई दिल्ली में एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये। फ्रांसीसी संसद् द्वारा इस सन्धि की औपचारिक रूप से पुष्टि अबतक नहीं हो पाई है। इसी बीच इस क्षेत्र का प्रशासन-कार्य भारत-सरकार की ओर से मनोनीत एक मुख्य आयुक्त द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ६ निर्वाचित पार्षदों का एक परामर्श-मण्डल होता है।

यहाँ के मुख्य आयुक्त एस० के० दत्त हैं।

## मणिपुर

क्षेत्र-विस्तार—८,६२८ वर्गमील; जन-संख्या—७,७८,३१८; शिक्षितों की संख्या—११.४१ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—६७ प्रति वर्गमील; राजधानी—इम्फाल; प्रधान भाषा—मणिपुरी; सब-डिवीज़न—१. पहाड़ी जिला, जिसमें चूड़चन्द्रपुर, माओ, उकरुल, तमेनलौंग तथा तेंगनौपल के क्षेत्र सम्मिलित हैं और २. मणिपुर का समतल जिला, जिसमें, जिरिवम, सदर तथा थौंनवल सम्मिलित हैं।

मणिपुर भारत के पूर्वी भाग में भारत-वर्मा की सीमा पर स्थित है। इस राज्य में दो क्षेत्र हैं—१. मध्य की घाटी, जिसका क्षेत्र-विस्तार ७०० वर्गमील है तथा २. चारों ओर के पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें राज्य का शेष क्षेत्रफल सम्मिलित है। 'राज्य-पुनर्गठन-अधिनियम १९५६' के अनुसार राष्ट्रपति ने १५ अगस्त, १९५७ ई० को मणिपुर-क्षेत्रीय परिषद् का निर्माण किया, जो यहाँ के प्रशासन के लिए नियुक्त मुख्य आयुक्त से संवद्ध है।

मणिपुर के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। गृह-उद्योगों में भी उनकी अधिक रुचि है। मणिपुर का हाथ-करघा-उद्योग अधिक उन्नत है। प्रायः सभी वर्ग की स्त्रियाँ हाथों की बुनाई का काम करती हैं। यहाँ के लगभग तीन लाख व्यक्ति, अर्थात् सम्पूर्ण जन-संख्या के ५० प्रतिशत व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं। रेशम के कीड़े पालना यहाँ का प्राचीन उद्योग है। इसके अलावा बढ़ईगिरि, लोहारी, ईंट बनाने का काम, चमड़ा, बाँस, बेंत आदि के काम कुटीर-उद्योग के रूप में प्रचलित हैं।

मणिपुर की मध्यवर्त्ती घाटी में मित्ती, मणिपुरी, मुसलमान, लोइस तथा अन्य छोटी-छोटी जातियाँ निवास करती हैं। हाल में यहाँ अन्य क्षेत्रों से आकर कुछ जन-जातियाँ बस गई हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लगभग ७,६०० वर्गमील में नागा, कुकी आदि जातियाँ रहती हैं, जो आकृति में मंगोल-जाति से मिलती-जुलती हैं। मित्ती जाति के लोग, नृत्य तथा संगीत को जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। उनका मणिपुरी-नृत्य भारत-विख्यात है। यहाँ के मुख्य आयुक्त जे० एम० रैना, आई० ए० एस० हैं।

## लक्कादीव, मिनीकॉय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह

क्षेत्र-विस्तार—११ वर्गमील; जन-संख्या—२४,१२८; शिक्षितों की संख्या १५.२३ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—१६१२ प्रति वर्गमील; राजधानी—कोभीकोड।

अरब समुद्र-स्थित इस द्वीप-समूह का शासन भारत-सरकार ने अपने हाथों में लिया तथा इसका अस्थायी मुख्यालय कोभीकोड को बनाया। यहाँ १६ द्वीप हैं, जिनमें केवल १० द्वीपों में ही लोग निवास करते हैं। वे द्वीप हैं—१. मिनिकॉय, २. कलपेनी, ३. कवरँथी, ४. अगथी तथा ५. ऐण्डोर्थ, जो लक्कादीव-वर्ग में पड़ते हैं, ६. अमीनी, ७. कदमथ, ८. किल्हन, ६. चेटलेथ तथा १०. बित्र, जो अमीनीदीवी वर्ग में पड़ते हैं। १ नवम्बर, १६५६ ई० के पूर्व यह द्वीप-समूह मद्रास प्रान्त के अन्तर्गत था। लक्कादीव मिनिकॉय-वर्ग मालाबार जिला के अन्तर्गत तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह साउथ कनाडा जिला के अन्तर्गत थे।

इसका प्रशासन-कार्य भारत-सरकार की ओर से एक प्रशासक करता है, जो कोभीकोड में ही रहता है।

यहाँ प्रधान रूप से केवल नारियल का ही उत्पादन होता है। नारियल के छिलके की वस्तुओं का निर्माण यहाँ का प्रधान उद्योग-धन्धा है।

इस द्वीप-समूह के निवासी मुसलमान जाति के हैं।

यहाँ के प्रशासक एम० रामुन्नी हैं।

## हिमाचल-प्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१०,८७६ वर्गमील; जन-संख्या—१३,४८,६८२; शिक्षितों की संख्या—१४.६ प्रतिशत; जन-संख्या का घनत्व—१२४ प्रति वर्गमील; राजधानी—शिमला; प्रधान भाषाएँ—हिन्दी तथा पहाड़ी; जिले—चम्बा, मण्डी, सिरमुर, महसू तथा बिलासपुर।

पूर्वी पंजाब की २१ रियासतों ने मिलकर १५ अप्रैल, १६४८ ई० को हिमाचल-प्रदेश का निर्माण किया। इनके नाम हैं—बाघल, बघात, बलसन, बाशहर, भाजी, बीजा, दरकोटी, धामी, जुब्बल, क्योंथल, कुमारसैन, कुनिहर, कुथार, महलोग, संगरी, मंगल, सिरमुर, थरोच, चम्बा, मण्डी और सुकेत। इस प्रान्त के पश्चिम में कश्मीर तथा पूर्व में उत्तरप्रदेश हैं। सम्मिलित रियासतों में मण्डी सबसे बड़ी रियासत है। सन् १६५३ ई० के हिमाचल-प्रदेश तथा बिलासपुर-अधिनियम के अन्तर्गत जुलाई, १६५४ ई० में बिलासपुर भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। बिलासपुर का क्षेत्रफल ४५० वर्गमील तथा जन-संख्या १,२६,०६६ है।

यहाँ के निवासियों का प्रधान व्यवसाय कृषि है। यहाँ के लगभग ६० प्रतिशत लोग कृषि पर अवलम्बित हैं। प्रायः पाँच सदस्यवाले परिवार को तीन एकड़ से अधिक जमीन नहीं है।

यहाँ की मुख्य उपज है—गेहूँ, मकई, जौ, धान, बूँट, ऊख, आलू आदि। कम परिमाण में चाय का भी उत्पादन होता है। सम्पूर्ण क्षेत्र का लगभग ३५ प्रतिशत भाग जंगलमय है। इस जंगल से आर्थिक आय बहुत है। लगभग ५ लाख आदमी साक्षात् अथवा परम्परागत जंगली उद्योग में लगे हुए हैं। आलू का उत्पादन यहाँ अत्यधिक मात्रा में होता है। वहाँ समशीतोष्ण पहाड़ी क्षेत्रों में सतालू, बेर, अनार आदि फल होते हैं। यहाँ के सुस्वादु तथा पौष्टिक सेव भारत-भर में प्रसिद्ध हैं। तिब्बती सीमा के चीनी क्षेत्रों में खजूर, अंगूर आदि सूखे फल भी अधिक मात्रा में होते हैं। यहाँ शुद्ध ऊन के वस्त्र बनते हैं। ऊन-उत्पादन-सामग्री के काम क्रमशः बढ़ाये जा रहे हैं।

यहाँ के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर राजा बजरंग बहादुर सिंह हैं।

## नागा-भूमि (नागालैण्ड)

भारत के उत्तर-पूर्व सीमान्त को नागा पहाड़ियाँ त्वेनसांग-क्षेत्र को अब नागा-भूमि के नाम से एक नया राज्य बनाया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल ६ हजार वर्गमील है। यह मुख्यतः एक पहाड़ी प्रदेश है। इसकी जन-संख्या पाँच लाख है, जो १४ प्रमुख जन-जातियों में बँटी हुई है। इन जन-जातियों में तीन प्रधान हैं—अंगामी ( जन-संख्या लगभग ३० हजार ), सेभा (जन-संख्या ४६ हजार) और आस ( जन-संख्या ५० हजार )। यहाँ लगभग आधा जन-समूह ईसाई-धर्मावलम्बी है।

सन् १८७० ई० के अधिनियम के अनुसार नागा क्षेत्रों को 'अप्रशासित' समझा जाता था, किन्तु यह आसाम-प्रान्त का एक भाग था। सन् १९१८ ई० के माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड शासन-सुधार में इन क्षेत्रों को 'पिछड़े हुए भूभाग' कहा गया था। सन् १९३५ ई० के भारत-शासन-अधिनियम ने इन 'पिछड़े हुए भूभागों' को 'प्रशासित' एवं 'अप्रशासित'—इन दो क्षेत्रों में विभक्त कर दिया था। कानून की दृष्टि में आसाम-प्रदेश के भाग बने रहे।

सन् १९४७ ई० में देश के स्वाधीन होने पर नागा पहाड़ियों से संलग्न अप्रशासित क्षेत्र उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी में मिला दिये गये और उनका नाम हुआ—'नागा जन-जाति-क्षेत्र'। बाद, यह नाम बदलकर 'तुएनसांग सीमान्त डिवीजन' हो गया। सन् १९५७ ई० के दिसम्बर में नागा पहाड़ी जिला और तुएनसांग सीमान्त डिवीजन—दोनों मिलाकर 'नागा-क्षेत्र' के रूप में गठित हुए। भारत के राष्ट्रपति के अभिकर्त्ता ( एजेण्ट ) के रूप में आसाम के राज्यपाल द्वारा इस क्षेत्र का प्रशासन होने लगा।

जिस समय सर अकबर हैदरी आसाम के राज्यपाल थे, नागा नेताओं के साथ एक समझौता हुआ था; जिसके अनुसार नागाओं को यह अधिकार दिया गया था कि यदि वे चाहें, तो अपने वैधानिक भविष्य के सम्बन्ध में दस वर्ष बाद एक नया इकरारनामा कर सकते हैं। किन्तु, नागा-नेता फिजो ने इसका यह अर्थ लगाने का आग्रह किया कि इकरारनामे से उसे पूर्ण स्वाधीनता की माँग करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए, समझौते के अनुसार कार्य सम्पन्न

नहींहुआ। सन् १६५२ ई० की जुलाई में फीजो प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले। नेहरूजी ने स्पष्ट कह दिया कि उनकी पूर्ण स्वाधीनता की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता।

इसके वाद से नागा-आन्दोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया और नागा राष्ट्रीय परिषद् के अधिकांश नेता, जिसमें फीजो भी थे, छिपकर काम करने लगे। सन् १६५४ ई० में हिंसात्मक संग्राम प्रचण्ड रूप से आरम्भ हुआ और कई नागा सरकारी कर्मचारियों और शान्तिप्रेमी ग्रामीणों की राजनीतिक हत्याएँ की गईं।

फीजो के कितने ही साथी नागा राष्ट्रीय परिषद् से पृथक् हो गये और एक नये दल का गठन किया। सन् १६५७ ई० के अगस्त में कोहिमा में एक सर्वजन-जाति-नागा-सम्मेलन हुआ। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा कहा गया कि आपस की वातचीत द्वारा नागा-राजनीतिक समस्या का समाधान किया जाय। दूसरे प्रस्ताव में यह माँग की गई कि जवतक नागा-समस्या का अन्तिम समाधान नहीं होता, तवतक के लिए आसाम के नागा पहाड़ी जिला, उत्तर तुएनसांग सीमान्त डिवीजन और उसके साथ संरक्षित जंगल—इन सबको मिलाकर एक प्रशासकीय ईकाई गठित की जाय।

सन् १६६० ई० की जुलाई में नागा-सम्मेलन में भारत-सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें परराष्ट्र-मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में नागा-भूमि के लिए एक पृथक् राज्य का सिद्धान्त स्वीकृत हुआ। कहा गया कि अन्तर्वर्त्ती अवधि में आसाम के राज्यपाल, जो नागाभूमि के भी राज्यपाल होंगे, नागाओं की विभिन्न उपजातियों द्वारा निर्वाचित ४५ प्रतिनिधियों के एक सलाहकार वोर्ड की सहायता से प्रशासन-कार्य चलायेंगे।

गत १८ फरवरी, १६६१ ई० को कोहिमा में स्वतंत्र नागा-राज्य की स्थापना हुई। इस दिन आठ हजार मनुष्यों की एक सभा में आसाम के राज्यपाल जेनरल श्रीनागेश ने औपचारिक रूप से नागा-भूमि का उद्घाटन किया। अन्तर्वर्त्तीकालीन परिषद् के ४२ सदस्यों ने भारतीय संविधान के प्रति आनुगत्य का शपथ-ग्रहण किया। शासन-समिति के ५ सदस्यों में कई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं; इसलिए उन्हें शपथ-ग्रहण नहीं करना पड़ा। नागा-भूमि अन्तर्वर्त्तीकालीन परिषद् के अध्यक्ष डॉ० इमकोनग्लीवा अओ निर्वाचित हुए। यह नवगठित नागाभूमि भारत-संघ-राज्य का १६वाँ राज्य है। जवतक इस राज्य की विधान-सभा गठित नहीं होती, तवतक यह अन्तर्वर्त्ती-कालीन संस्था शासन-समिति के माध्यम से राज्यपाल को शासन-कार्य में परामर्श देगी। आसाम के राज्यपाल ही नागा-भूमि के राज्यपाल होंगे।

२१ अगस्त, १६६२ ई० को नागाभूमि के सम्बन्ध में लोक-सभा में दो विधेयक उपस्थित किये गये—पहला, भारत के संविधान में संशोधन के निमित्त तथा दूसरा, भारत-संघ के अन्तर्गत नागाभूमि (नागालैंड) नामक पृथक् राज्य के निर्माण के निमित्त। भारतीय संविधान का यह तेरहवाँ संशोधन होगा। इस नये राज्य का निर्माण नागा-नेताओं तथा भारत-सरकार के वीच हुए राजीनामा के आधार पर किया जायगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से यह राज्य वनेगा। 'नागालैंड-विधेयक' में आसाम तथा नागाभूमि के लिए एक सम्मिलित उच्च न्यायालय की व्यवस्था रखी गई है।

इस राज्य में तीन जिले होंगे—कोहिमा, मोकोकचुंग और त्वेनसांग। इस नये राज्य से राज्य-सभा और लोक-सभा में एक-एक प्रतिनिधि रहेंगे। प्रारम्भ में यहाँ की विधान-सभा में ४६ सदस्य रहेंगे, जिनकी संख्या बाद को ६० हो जायगी।

नागालैंड-राज्य का अपना राज्यपाल होगा।

## गोआ, डामन और द्यू

स्थिति—भारत के पश्चिम समुद्र-तट पर; क्षेत्र-विस्तार—१,४२६ वर्गमील, जन-संख्या—(१९५१) ६,३७,५९१; राजधानी—पंजिम; भाषा—मराठी, कोंकणी और गुजराती।

गोआ, डामन और द्यू पहले भारत-स्थित पुर्त्तगाली उपनिवेश थे। गोआ बम्बई से २०० मील दक्षिण, डामन बम्बई से लगभग ११० मील उत्तर काम्बे की खाड़ी के द्वार पर तथा द्यू सौराष्ट्र प्रायद्वीप में बम्बई से लगभग २७५ मील दूर समुद्र में स्थित हैं। द्यू एक छोटा-सा द्वीप है, जो मुख्य भू-भाग से समुद्र द्वारा पृथक् होता है। दादर और नागर-हवेली नामक पुर्त्तगाली बस्तियाँ, जो डामन का भाग थीं, दमन के सवा चार मास पूर्व ही भारतीय प्रशासन के अंतर्गत आ गईं।

भारत के साथ पुर्त्तगाल का सम्पर्क सन् १४९८ ई० में स्थापित हुआ, जब पुर्त्तगाली जहाजी वास्कोडिगामा सामुद्रिक मार्ग की खोज में कालीकट पहुंचा था। तत्पश्चात् व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्त्तगाली व्यापारी यहाँ आने लगे। कालक्रम से उन्होंने कई स्थानों में अपनी कोठियाँ बनाईं और वे यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे। उनके इस प्रयत्न में यूरोप की दो अन्य जातियाँ—अँगरेज तथा डच—बाधक बन गईं, जिसके फलस्वरूप वे विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में विफल रहे। पुर्त्तगालियों ने सन् १५०९ ई० में बिजापुर के सुलतान से गोआ छीन लिया था। सन् १५१० ई० में सुलतान ने उन्हें वहाँ से मार भगाया, किन्तु उसी वर्ष के नवम्बर में उन्होंने पुनः उसपर अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने सन् १५४५ ई० में द्यू पर तथा १५५९ ई० में डामन पर अपना अधिकार जमाया। उन दिनों पुर्त्तगाल-अधिकृत क्षेत्र का विस्तार आज के क्षेत्र के ⅙ में ही था। बाकी ⅚ भाग उन्होंने १८वीं शताब्दी में मराठा-शासकों से प्राप्त किया।

गोआ में मराठी तथा कोंकणी भाषाएँ बोली जाती हैं। डामन और द्यू की भाषा गुजराती है।

कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है। यहाँ की मुख्य उपज में चावल, नारियल, काजू, सुपारी और फल हैं। मरमुगाओ यहाँ का मुख्य बन्दरगाह है।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारत ने पुर्त्तगाल-अधिकृत क्षेत्र का विलयन भारत में कर देने के सम्बन्ध में पुर्त्तगाल-सरकार से अनुरोध किया, किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। पुर्त्तगाल के इस दावे का खण्डन करते हुए कि गोआ पुर्त्तगाल का अभिन्न अंग है, भारत ने यह तर्क उपस्थित किया कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आदि सभी दृष्टिकोणों से यह क्षेत्र भारत का है।

सन् १९५४ ई० की जुलाई में पुर्त्तगाली क्षेत्र के निवासियों ने आन्दोलन प्रारम्भ किया और दादर तथा नागर-हवेली बस्तियों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार, भारत के अधिकार में १८८ वर्गमील का क्षेत्र आ गया। छह वर्षों तक इसके लिए अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलता रहा, जिसका सामना भारत को करना पड़ा।

अगस्त, १९५५ ई० में निरस्त्र भारतीयों ने गोआ की सीमा पर अपने अहिंसात्मक अभियान का प्रदर्शन किया, जिसका दमन पुर्त्तगाल सैनिकों ने गोलियाँ चलाकर किया। उक्त अभियान में १९ भारतीयों की जानें गईं। इसके पश्चात् भारत ने पुर्त्तगाल से अपना दौत्य-सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया। भारत की निराशा दिन-दिन बढ़ती ही गई। पुर्त्तगाल की हठधर्मी देखकर भारत की यह धारणा दृढ होने लगी कि शक्ति प्रयोग द्वारा ही पुर्त्तगाली शासन का अन्त संभव है। परिणाम-स्वरूप भारतीय सेना की टुकड़ियों ने १७ दिसम्बर, १९६१ ई० को डामन में तथा १८ दिसम्बर, १९६१ ई० को गोआ में प्रवेश किया। १९ दिसम्बर, १९६१ ई० को पुर्त्तगाली क्षेत्र की राजधानी पंजिम पर भारत का अधिकार हो गया। मेजर जेनरल के० पी० कैण्डेथ यहाँ के सैनिक प्रशासक नियुक्त हुए।

भूतपूर्व पुर्त्तगाली क्षेत्र गोआ, डामन और ड्यू के प्रशासन के लिए ५ मार्च, १९६२ ई० को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र संघीय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया। तत्पश्चात् भारतीय संविधान के १२वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश के अन्तर्गत की गई व्यवस्था को पुष्ट किया गया।

यहाँ का प्रशासन एक लेफ्टिनेण्ट गवर्नर द्वारा चलाया जा रहा है। इन दिनों यहाँ के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर टी० शिवशंकर हैं।

## दादर और नागर-हवेली

स्थिति—भारत का पश्चिमी समुद्र तट (काम्बे की खाड़ी के पास); क्षेत्रफल—१८९ वर्गमील।

यह भू-भाग ११ अगस्त, १९६१ ई० को भारत का केन्द्र-प्रशासित सातवाँ संघीय क्षेत्र बना। ये दोनों बस्तियाँ पहले भारत में पुर्त्तगाली-अधिकृत क्षेत्र डामन के अंतर्गत थीं। इसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक द्वारा होता है, जिसको परामर्श देने के लिए एक वरिष्ठ परिषद् है। न्याय के मामले में यह बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। इसका एक प्रतिनिधि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाता है।

★

# चतुर्थ भाग

## विहार

### भूमि और इसके निवासी

विहार इस समय भारत का एक वड़ा राज्य है। यह देश के पूर्वी भाग में २१°५८', २७°३१' उत्तरीय अक्षांश तथा ८३°२०' और ८८°३२' पूर्वीय देशान्तर के वीच स्थित है। इसकी राजधानी पटना गंगा-नदी के तट पर २५°३७' उत्तरीय अक्षांश और ८५°१०' पूर्वीय देशान्तर पर वसा हुआ है।

विहार-राज्य के उत्तर में एक स्वतंत्र देश नेपाल है। पहाड़ और नदियाँ इसे नेपाल से अलग करती हैं। जहाँ किसी तरह की प्राकृतिक सीमा नहीं है, वहाँ खाई और स्तम्भ सीमा का काम करते हैं। इसके पूरव की ओर पश्चिम वंगाल के पश्चिम दिनाजपुर, मालदह, मुर्शिदावाद, वीरभूमि, वर्द्धवान, पुरुलिया और मेदिनीपुर जिले हैं। दक्षिण में उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिले हैं। पश्चिम में मध्य प्रदेश के जसपुर और सरगुजा एवं उत्तरप्रदेश के मिरजापुर, वनारस, गाजीपुर, वलिया और गोरखपुर जिले पड़ते हैं।

यह राज्य न्यूनाधिक समानान्तर चतुर्भुज के आकार का है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिक-से-अधिक लम्बाई ३३२ मील और पूरव से पश्चिम तक इसकी अधिक-से-अधिक चौड़ाई २२८ मील है।

यह प्रदेश प्राकृतिक रूप से दो या तीन मुख्य भागों में वाँटा जा सकता है। गंगा नदी पूरव से पश्चिम की ओर वहती हुई इसे दो भागों में वाँटती है। उत्तरी भाग को उत्तर विहार और दक्षिणी भाग को दक्षिण विहार कहते हैं। दक्षिण विहार में भी गंगा-तट का समतल मैदान और छोटानागपुर की अधित्यका—ये दो प्राकृतिक भाग हैं। फिर, दूसरी तरह से भी प्रान्त के दो प्राकृतिक भाग वताये जा सकते हैं—गंगा-तट के दोनों ओर का समतल मैदान और छोटानागपुर की अधित्यका। इस समतल मैदान में खेती खूव होती है। गंगा के उत्तर चम्पारन जिले के उत्तर-पश्चिम कोने पर कुछ पहाड़ और जंगल हैं, शेष सारा भाग समतल मैदान है। किन्तु, गंगा के दक्षिण के समतल मैदान में हर जिले में जहाँ-तहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियाँ नजर आती हैं। गंगा के उत्तर गंगा, कमला, सरयू, मही, वड़ी गंडक, छोटी गंडक, वया, वागमती, तिलयुगा, कोशी और महानदी— ये मुख्य नदियाँ हैं। दक्षिण विहार की नदियों में सोन, पुनपुन, फल्गू, सकरी, कर्मनाशा, काओ, पंचाने, क्यूल, अजय, मणि, चानन, मोर, व्राह्मणी, वंसलोई और गुमानी मुख्य हैं। इनमें केवल सोन और पुनपुन में छोटी-छोटी नावें चलती हैं, शेष नदियाँ गरमी में सूख जाया करती हैं।

छोटानागपुर की अधित्यका दक्षिण-भारत की अधित्यका का पूर्वी भाग है। यह भाग पहाड़ों और जंगलों से भरा है। यहाँ के पहाड़ों में वहुत-से सुन्दर झरने और जलप्रपात हैं। राँची

बिहार प्रान्त
(राजनैतिक)
मापक
मील
ने पा ल
उ त र
प्रदेश
म ध्य
प्र दे श
प श्चि म
बं
गा
ल
उ
ड़ी
सा
पूर्वी पाकिस्तान
दार्जिलिंग
मुजफ्फरपुर
पुरुलिया
सीमा रेखा
जिले की सीमा
रेलपथ
नहर
नदी
पहाड़

जिले का हुण्डू-जलप्रपात इस प्रदेश का सबसे बड़ा और सुन्दर जलप्रपात है। समुद्र-तल से इस अधित्यका की औसत ऊँचाई दो हजार फुट है। इस भाग में अधिक उपज नहीं होती और यहाँ की आबादी बहुत कम है; किन्तु इस भाग में बहुत तरह के खनिज पदार्थ तथा अन्य वन-सम्पत्ति पाई जाती हैं। यहां बहुत-सी छोटी-छोटी पहाड़ी नदियाँ हैं, जिनमें उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, सुवर्णरेखा, दामोदर, बराकर, शंख, वैतरणी, उत्तर कारो, दक्षिण कारो, रोरो, देव, कोइना, मयूराक्षी आदि मुख्य हैं।

बिहार की जलवायु शुष्क और स्वास्थ्यप्रद है। साधारणतः गरमी में यहाँ का तापमान १००° से १०५° तक रहता है, पर कभी-कभी ११०° से ११४° तक भी चला जाता है। जाड़े के दिनों में गंगा के मैदान की अपेक्षा छोटानागपुर की अधित्यका में जाड़ा अधिक पड़ता है, पर गरमी के दिनों में यहाँ गरमी कुछ कम पड़ती है। यहाँ साल में करीब ७०-७५ इंच औसतन वर्षा होती है। प्रान्त के अन्दर वर्षा सबसे अधिक पूर्णिया जिले में होती है। हिमालय के निकट होने के कारण चम्पारन जिले के उत्तरी भाग में भी वर्षा अधिक होती है। प्रान्त के मध्य भाग में ४०-५० इंच और छोटानागपुर की अधित्यका में ५०-५५ इंच तक औसत वर्षा होती है। यहाँ साधारणतः पूर्वी और पश्चिमी हवा बहती है देवघर, राँची, राजगृह, कोइलवर (शाहाबाद सिमुलतला (मुंगेर) यहाँ के स्वास्थ्यप्रद स्थान हैं।

गंगा-तट के मैदान के निवासी आर्यवंश के लोग हैं, जिनमें मुसलमान भी सम्मिलित हैं। यहाँ आदिवासी बहुत कम और यत्र-तत्र ही पाये जाते हैं; किन्तु छोटानागपुर की अधित्यका में आदिवासियों की संख्या बहुत है। ये लोग जंगलों और पहाड़ों में भी रहते हैं। यहाँ के आदिवासियों में संताली, मुण्डारी, हो, खरिया, कोरवा, कुरमाली, बिरहोर, बिरजिया आदि मुख्य हैं।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वर्त्तमान बिहार-राज्य अनेक प्राचीन जनपदों के सम्पूर्ण या न्यूनाधिक भागों के मिलने से बना है। ये जनपद हैं—मिथिला, वैशाली, अंग, पुंड्रवर्द्धन, पूर्वकोसल, मगध, मलद, करुष, भर्ग, कर्कखंड या झारखंड आदि। इनमें से अंग, मिथिला, वैशाली और मगध भारत के बहुत प्रसिद्ध राज्य रहे और समय-समय पर इनके बहुत ही विस्तृत साम्राज्य भी कायम हुए, जिनकी चर्चा अनेक वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रन्थों में हुई है। यहां के प्रमुख प्राचीन जनपदों की गरिमा का उल्लेख नीचे किया जा रहा है—

मिथिला—प्राचीन मिथिला या विदेह-जनपद का अधिकांश नेपाल की तराई में पड़ता है, जहाँ आज रौतहट, सरलाही, सप्तरी, मोहतरी और मोरंग जिले हैं। बिहार के दरभंगा जिले का अधिकांश भाग एवं उसके आसपास के कुछ हिस्से इसके अन्तर्गत हैं। इस जनपद की राजधानी जनकपुर थी, जो वर्त्तमान बिहार की उत्तरी सीमा से लगभग ७-८ मील उत्तर है। यह राजधानी स्वभावतः इस जनपद के मध्य भाग में स्थित रही होगी।

पुराणों में लिखा है कि मनु के पौत्र और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने, जो पीछे विदेह कहलाये, इस जनपद की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर यहां के राजवंश का नाम 'विदेह' पड़ा। इन्हीं के पुत्र मिथि थे, जो 'जनक' भी कहलाये। मिथि के नाम पर ही इस जनपद का नाम

'मिथिला' पड़ा। मिथि से सीरध्वज जनक तक इस वंश में २१ राजे हुए, जिसका उल्लेख वाल्मीकिरामायण में किया गया है। सुप्रसिद्ध जनकनन्दिनी सीता सीरध्वज जनक की ही पुत्री थीं। सीरध्वज जनक बड़े विद्वान्, तत्त्वदर्शी और आत्मज्ञानी थे। इनके दरबार में सारे भारत के ऋषि-महर्षि एवं विद्वान् आया-जाया करते थे। इनके दरबारी पंडितों में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी गार्गी तथा मैत्रेयी थीं। याज्ञवल्क्य ने ही शुक्लयजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य-स्मृति और वाजसनेयिसंहिता की रचना की थी। कहा जाता है कि दसों उपनिषदों का प्रणयन राजर्षि जनक के ही राजत्व-काल में किया गया था। सीरध्वज जनक के बाद इस वंश के ३२ राजे हुए। कृति इस वंश का अन्तिम राजा हुआ। इसके बाद यह जनपद छिन्न-भिन्न हो गया।

मिथिला की शासन-सत्ता कभी बहुत प्रबल नहीं थी, किन्तु ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में इसकी प्रसिद्धि सदा देशव्यापी रही। भारतीय दर्शन के सांख्य, योग, मीमांसा न्याय और वैशेषिक की जन्मभूमि होने का श्रेय इसी पावन भूमि को है। इन शास्त्रों के प्रणेता क्रमशः कपिल, जैमिनि, गौतम और कणाद मिथिला में ही उत्पन्न हुए थे। बाद के काल में भी यहाँ मण्डनमिश्र, भारती, वाचस्पतिमिश्र, गङ्गेश उपाध्याय, पक्षधरमिश्र, मैथिलकोकिल विद्यापति आदि विद्वान् हुए।

**वैशाली**—कहा जाता है कि मनु के पुत्र नाभानेदिष्ट ने गंगा के उत्तर और सदानीरा (गंडक) से पूरब एक राज्य की स्थापना की। इनके कई पीढ़ियों बाद हुए राजा विशाल, जिनके नाम पर इस जनपद का नाम 'वैशाली' पड़ा। वाल्मीकिरामायण, वायुपुराण, विष्णुपुराण आदि ग्रन्थों में वैशाली-राजवंश का वर्णन आया है। इस वंश का दसवां राजा मरुत्त परम प्रतापी राजा हुआ। कहते हैं, इसने एक चक्रवर्त्ती राज्य की स्थापना की थी। इसी के पुरोहित संवत् का भतीजा दीर्घतमा था, जो पीछे अंग में जा बसा। मरुत् के बाद चौदहवें राजा विशाल हुए, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। विशाल के बाद नवें राजा सुमति हुए, जो मिथिला के सीरध्वज जनक और अंग के राजा लोमपाद के समकालीन थे।

विदेह-जनपद के छिन्न-भिन्न हो जाने पर वैशाली में वज्जि-संघ कायम हुआ। इस संघ में कई छोटे-छोटे गणराज्य सम्मिलित थे, जिनमें विदेह और लिच्छवि प्रमुख थे। भगवान् बुद्ध के समय में वज्जियों का संघ-शासन अत्यन्त शक्तिशाली था। मगध-सम्राट् अजातशत्रु अनेक छल-छन्द से वज्जि-संघ को अपने साम्राज्य में मिलाने में समर्थ हुआ। वैशाली और विदेह का सम्मिलित भू-भाग ही पाँचवीं सदी में 'तीरभुक्ति' या 'तिरहुत' कहलाया।

जैनधर्म के प्रवर्त्तक भगवान् महावीर को जन्म देने का श्रेय वैशाली को ही प्राप्त है।

**अंग-जनपद**—इस जनपद के अंतर्गत आज का न्यूनाधिक भागलपुर-कमिश्नरी का भाग था। गंगा के उत्तर के भाग को 'अंगोत्तराप' कहते थे। चम्पा या वर्त्तमान चम्पानगर (भागलपुर) अंग की राजधानी था। आगे चलकर अंग एक शक्तिशाली राज्य हुआ। इस प्राचीन जनपद की चर्चा अथर्ववेद, अथर्ववेद-परिशिष्ट, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक आदि वैदिक ग्रंथों; अनेक पौराणिक एवं स्मृति-ग्रंथों; रामायण, महाभारत आदि प्राचीन पुस्तकों तथा बौद्ध एवं जैनसाहित्य में की गई है।

कहते हैं, उत्तर-पश्चिम भारत के मानव-वंशी महामना के पुत्र तितिक्षु ने इस जनपद की स्थापना की थी। तितिक्षु के वंशोत्पन्न उपद्रथ अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र के और बलि कोसल-

नरेश सगर के समकालीन थे। बलि की पत्नी सुदेष्णा से महर्षि दीर्घतमा के अंग, बंग, कलिंग, सुह्म और पुण्ड्र—ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने-अपने नाम पर अलग-अलग राज्य कायम किये। ऋग्वेद में दीर्घतमा और उनकी शूद्रा स्त्री कक्षीवती के पुत्र कक्षीवन्तों के बहुत-से सूक्त हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दीर्घतमा ने शकुन्तला और दुष्यन्त के पुत्र भरत का राज्याभिषेक कराया था। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि राजा अंग ने समस्त पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध-यज्ञ किया था। अंग के वंशधर राजा लोमपाद अयोध्या-नरेश दशरथ के परम मित्र थे। राजा दशरथ अपनी रानियों एवं मंत्रियों के साथ स्वयं यहाँ आकर ऋष्यशृंग को अपना पुत्रेष्टि-यज्ञ कराने के लिए ले गये। लोमपाद के वंश में ही राजा चम्प हुए, जिनके नाम पर इस जनपद की राजधानी का नाम 'चम्पानगर' पड़ा। महाभारत के सुप्रसिद्ध वीर कर्ण को यहीं के राजा अधिरथ ने गंगा की जलधारा से शैशवावस्था में निकालकर अपना पोष्यपुत्र बनाया था। प्राचीन काल में अंग ने अपना उपनिवेश भी बसाया था। वायुपुराण आदि में अंगद्वीप का उल्लेख आया है। संभव है, यह अंगद्वीप हिन्दचीन-स्थित 'चम्पा' ही हो। ऐतिहासिक युग में मगध-सम्राट् बिम्बिसार ने इस राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। बुद्ध के समय में अंग भारत के १६ जनपदों में एक था तथा चम्पा एक वैभवशाली नगरी थी, जिसकी गणना तत्कालीन छह महानगरों में की जाती थी। जैनों के बारहवें तीर्थङ्कर वासुपूज्य यहीं हुए थे। बौद्धकाल में यहाँ का विक्रमशिला-विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था।

मगध—अति प्राचीन काल से जान पड़ता है कि मगध अनार्यों की भूमि था। इसी कारण प्राचीन आर्य-ग्रन्थों में मगध की निन्दा की गई है। फिर भी, रामायण-काल के बहुत पूर्व ही आर्य लोग यहाँ आ बसे थे। समय-समय पर मगध में प्रमुख राजनीतिक केन्द्र रहे हैं; जैसे—गया, गिरिव्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र। गया का राजा गय पौराणिक युग का चक्रवर्ती सम्राट् था। रामायण-काल में गिरिव्रज के राजा वसु तथा महाभारत-काल में राजगृह के राजा जरासंध परम प्रतापी थे। अपने जामाता कंस के मारे जाने पर जरासंध ने यदुवंशी श्रीकृष्ण पर बार-बार आक्रमण कर उन्हें द्वारका जाने को विवश कर दिया। ऐतिहासिक युग में बिम्बिसार और अजातशत्रु ने मगध-साम्राज्य को बढ़ाने का कार्यारंभ किया। इनकी राजधानी राजगृह में थी। बौद्ध और जैनधर्म के प्रवर्त्तक भगवान् बुद्ध तथा महावीर अजातशत्रु के समकालीन थे। अजातशत्रु का पुत्र उदयन अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र ले आया। इसके बाद यहाँ नन्द और मौर्य-वंश के साम्राज्य कायम हुए। मौर्य-वंश के राजाओं में चन्द्रगुप्त मौर्य तथा अशोक महाप्रतापी निकले। इनका साम्राज्य प्रायः सम्पूर्ण भारत में विस्तृत था। अशोक ने बौद्धधर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार कर उसका प्रचार एशिया के सभी प्रमुख देशों तथा दीप-द्वीपान्तरों तक किया। मौर्य-वंश के पतन के बाद यहाँ शुंग-वंश, कण्व-वंश, आंध्र-वंश तथा कुशान-वंश के राजाओं ने राज्य किया। इन राजवंशों के बाद मगध का शासन-सूत्र गुप्त-वंश के हाथों में रहा। चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के समय मगध का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर था। इस काल में हिन्दू-धर्म का पुनरुत्थान हुआ तथा यहाँ शिक्षा, साहित्य एवं कला की भी उन्नति हुई। इसके बाद पाल-वंश के समय में बौद्धधर्म का पुनः उत्कर्ष हुआ। इस समय यहाँ के नालंदा तथा विक्रमशिला-विश्वविद्यालय अपने चरम उत्कर्ष पर थे।

साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में मगध की देन अपूर्व रही है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बड़े-बड़े विद्वान् परीक्षा देकर अपने को धन्य मानते थे। यहाँ समय-समय पर वर्ष,

उपवर्ष, पिंगल, पाणिनि, पतञ्जलि, कात्यायन, चाणक्य, आर्यभट्ट, वाणभट्ट, वात्स्यायन आदि अपने-अपने विषय के मूर्धन्य विद्वान् हुए।

## मुस्लिम एवं ब्रिटिश शासन-काल

इस प्रदेश का वर्त्तमान 'बिहार' नाम मुसलमानों के आगमन के बाद पड़ा, जबकि आक्रमणकारियों ने पालवंशियों की मुख्य नगरी उदन्तपुरी विहार ( वर्त्तमान बिहारशरीफ ) को उजाड़कर वहाँ शासन करना आरम्भ किया और उस स्थान का नाम ही वहाँ के असंख्य विहारों के कारण 'बिहार' रखा। 'बिहार' कहने से सर्वप्रथम पटना जिले के आस-पास का ही बोध होता था, फिर धीरे-धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता गया। सर्वप्रथम प्रान्त के रूप में बिहार का नाम 'तबाकत-ए-नासिरी' नामक पुस्तक में मिलता है, जो १२६२ ई० के लगभग लिखी गई थी। उसके सौ-सवा सौ वर्ष बाद अवहट्ट भाषा में लिखित विद्यापति की कीर्तिलता में बिहार का उल्लेख हुआ। मुसलमानी शासन-काल में कभी यह एक स्वतंत्र प्रदेश रहता था, तो कभी बंगाल के साथ और कभी जौनपुर के साथ मिला दिया जाता था। दिल्ली का सम्राट् शेरशाह बिहार का ही एक छोटा जागीरदार था, जो क्रम-क्रम से उन्नति करता हुआ मुगल-सम्राट् हुमायूँ को परास्त कर दिल्ली के राज्य-सिंहासन पर बैठा। सहसराम (शाहाबाद) में इसका मकबरा अब भी वर्त्तमान है।

भारत में अँगरेजों के शासन प्रारम्भ करने पर जब यहाँ के लोगों ने विद्रोह खड़ा किया, तब उसके नेताओं में शाहाबाद के बाबू कुँवरसिंह अग्रगण्य थे। अँगरेजी शासन-काल में बिहार बंगाल के साथ था, किंतु सन् १९१२ ई० में 'बिहार-उड़ीसा' एक अलग प्रान्त बनाया गया। सन् १९३६ ई० में बिहार बिलकुल एक अलग प्रान्त बना दिया गया।

## क्षेत्रफल और जन-संख्या

सन् १९६१ ई० की पहली मार्च को जो जन-गणना हुई थी, उसके आँकड़े यहाँ दिये जा रहे हैं। ये आँकड़े 'अस्थायी' ( प्रॉविजनल ) माने जाते हैं, कारण विभिन्न स्तरों पर जो क्षेत्र-कार्य हुए थे, उन्हीं के आधार पर प्रस्तुत सारांशों से ये लिये गये हैं। अन्तिम आँकड़े जन-गणना-प्रतिवेदन में पुर्जियों की छँटाई और गिनती के बाद प्रकाशित होंगे, किन्तु विगत जन-गणना के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अस्थायी एवं अन्तिम आँकड़ों में विशेष भेद होने की संभावना नहीं है। अस्थायी आँकड़ों के अनुसार बिहार की जन-संख्या ४,६४,५७,०४२ है। सन् १९५१ ई० में यह संख्या ३,७७,८३,७७८ थी। गत दशाब्द (सन् १९५१–६१ ई०) में प्रतिशत जन-संख्या में १९·७८ की वृद्धि हुई है। इससे पहले के तीन दशकों में जन-संख्या में क्रमशः १०·२७ ( सन् १९४१–५१ ई० ), १२·२० ( सन १९३१–४१ ई० ) और ११·४५ ( सन् १९२१–३१ ई० ) की वृद्धि हुई थी।

सन् १९५१ ई० के आँकड़ों के अनुसार समस्त भारत की जन-संख्या की प्रतिशत १०·७४ जन-संख्या बिहार में है। जन-संख्या की दृष्टि से यह भारत का द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से नवाँ राज्य है। विश्व के देशों में केवल १० देश ऐसे हैं, जिनकी जन-संख्या बिहार से अधिक है।

जन-संख्या की सघनता ( अर्थात् प्रति वर्गमील पीछे मनुष्यों का वास ) इस समय प्रति वर्गमील ६६१ है। सन् १६५१ ई० में यह संख्या ५८० थी। भारत के राज्यों में केवल केरल, पश्चिम बंगाल और मद्रास की जन-संख्या की सघनता सन् १६५१ ई० में विहार से अधिक थी। सारे भारत में सन् १६५१ ई० में जन-संख्या की सघनता २८७ थी। सन् १६६१ ई० की जन-गणना के अनुसार आवादी की सघनता केरल और पश्चिम बंगाल में विहार से अधिक है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत की आवादी की सघनता ३८४ है। विहार की जन-संख्या की सघनता इंगलैण्ड, जर्मनी या इटली से अधिक और फ्रांस की लगभग तिगुनी है।

सघनता के आँकड़ों का हिसाब कुल जमीन के क्षेत्रफल पर लगाया गया है। किन्तु, इससे अधिक ठीक-ठीक हिसाब प्रति व्यक्ति पीछे कितनी जमीन पड़ती है, उसके अनुसार लगाया जा सकता है। सन् १६५६-६० ई० के कृषि-वर्ष में विहार में औसत वास्तविक जोती-बोई जानेवाली जमीन का क्षेत्रफल १६'७१ लाख था। यह क्षेत्रफल कुल भूमि का प्रतिशत ४६ भाग पड़ता है। विहार में जोती-बोई जानेवाली जमीन का प्रतिशत भाग भारत के अन्य किसी भी राज्य से बढ़कर है। अखिलभारतीय औसत केवल प्रतिशत ३३ है। विहार में प्रति व्यक्ति पीछे भूमि की प्राप्यता ०'७३ एकड़ ( सन् १६२१ ई० ) से घटकर ०'४३ एकड़ ( सन् १६५६ ई० ) हो गई है।

विहार के जिलों में दरभंगा की जन-संख्या सबसे अधिक और धनवाद की सबसे कम है। ८ जिलों की जन-संख्या प्रति जिला ३० लाख से अधिक और ५ जिलों की प्रति जिला २० लाख से ३० लाख तक और केवल ४ जिलों की जन-संख्या प्रति जिला २० लाख से कम है। ४ जिलों की जन-संख्या की सघनता प्रति वर्गमील १,३०० से अधिक है। ये जिले हैं— मुजफ्फरपुर ( १,३६४ ), पटना ( १,३६० ), सारन (१,३४३) और दरभंगा ( १,३२२ )। सन् १६५१ ई० में यह क्रम इस प्रकार था। सारन ( १,१८२ ), पटना ( १,१६८ ), मुजफ्फरपुर (१,१६७ ) और दरभंगा ( १,१२२ )।

अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विहार में समस्त गृह-परिवारों की संख्या ७७,०४,३६६ है। एक कुटुम्ब में रहकर जो लोग एक सामान्य भोजनशाला से भोजन करते हैं, उन्हें ही यहाँ परिवार माना गया है। एक-एक परिवार के सदस्यों की संख्या औसतन ६'०३ होती है। कम-से-कम लोगों का परिवार सिंहभूम जिले में ( ४'७७ ) और अधिक-से-अधिक लोगों का शाहाबाद ( ६'४४ ) में दर्ज किया गया है।

जन-संख्या में सबसे अधिक अनुपात में पूर्णिया जिले में वृद्धि (३७'०६) हुई है। इसके बाद दूसरा स्थान सहरसा (३१'६७) का है। धनवाद जिले में प्रतिशत २७'६० की वृद्धि हुई है। हजारीवाग जिले की जन-संख्या में भी अन्य राज्यों की तुलना में औसतन अधिक वृद्धि हुई है।

गया, शाहाबाद, चम्पारन, मुँगेर, भागलपुर और पलामू जिलों की जन-संख्या में जो वृद्धि हुई है, वह समस्त विहार-राज्य की जन-संख्या-वृद्धि के हिसाब से बहुत कुछ मिलती-जुलती है।

जिन जिलों की जन-संख्या में वृद्धि अपेक्षाकृत कम अनुपात में हुई है, वे हैं—दरभंगा (१७'३२), मुजफ्फरपुर (१६'६२), पटना (१६'३६), राँची (१५'५७), संतालपरगना (१५'१७)

और सारन (१३·६४)। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर, सारन और दरभंगा जिलों की जन-संख्या की सघनता उच्चतम है और इन्हीं तीन जिलों से खेतिहर मजदूर अन्य जिलों में और बिहार से बाहर भी प्रति वर्ष जीविका की खोज में जाया करते हैं।

समस्त राज्य में प्रति १ हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या ६६१ है। सन् १६५१ ई० में यह संख्या ६६० थी। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या १,६६,३१४ अधिक है। सारन, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। सन् १६५१ ई० में भी यही बात थी। इसका कारण यह हो सकता है कि इन तीन जिलों से बहुत-से पुरुष खेतिहर-मजदूर अपने जिलों से बाहर जीविकार्जन के लिए चले जाया करते हैं।

धनबाद जिले में प्रति १ हजार पुरुषों में केवल ७८६ स्त्रिया हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि बहुसंख्यक मजदूर जो कोयले की खानों में और दूसरे उद्योगों में काम करते हैं, अपने परिवार साथ नहीं रखते। खानों के अन्दर स्त्रियों के काम करने की मनाही है। पूर्णिया और सहरसा जिलों में और इसके बाद भागलपुर तथा सिंहभूम जिलों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की कम संख्या अधिक स्पष्ट है। गत जन-गणना में भी इसी प्रकार की न्यूनताएँ देखी गई थीं।

जन-गणना में शहर या नगर का अर्थ ऐसे स्थान से है, जहाँ नगरपालिका, अधिसूचित चेत्रफल-कमिटी या छावनी हो, या जिस जगह को शहर घोषित किया गया हो। नगर माने जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है—

(क) ५ हजार से अधिक की आबादी;

(ख) प्रति वर्गमील १ हजार से अधिक मनुष्यों की सघनता;

(ग) वहाँ की जन-संख्या के वयस्क पुरुषों में कम-से-कम ७५ प्रतिशत गैर-किसानी कामों में लगे हुए हों।

बिहार में गाँवों की संख्या ६७,६७० और नगरों की संख्या १०८ है। बिहार की कुल जन-संख्या ४ करोड़ ६४ लाख ५७ हजार में केवल ३६ लाख, अर्थात् कुल जन-संख्या का प्रतिशत ८·४ मनुष्य नगरों में रहते हैं। सारे भारत में नगर-निवासियों की जन-संख्या सन् १६५१ ई० में प्रतिशत १७·३ थी। इधर कुछ वर्षों में भारत के कुछ प्रमुख राज्यों एवं विश्व के कुछ प्रमुख देशों में नगरवासियों की संख्या प्रतिशत नीचे लिखे अनुसार थी—

| | वर्ष | प्रतिशत | | वर्ष | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| बम्बई | १६५१ | ३१·१ | आसाम | १६५१ | ४·६ |
| पश्चिम बंगाल | ,, | २४·८ | उड़ीसा | ,, | ४·१ |
| मद्रास | ,, | ३४·४ | अमेरिका | १६४० | ५६·५ |
| पंजाब | ,, | १८·७ | कनाडा | १६४१ | ५४·३ |
| उत्तरप्रदेश | ,, | १३·६ | फ्रांस | १६४६ | ५३·२ |
| मध्यप्रदेश | ,, | १२·० | जापान | १६४८ | ४६·१ |

बिहार के जिलों में धनबाद नगर में सर्वाधिक मनुष्य वास करते हैं। इसके बाद सिंहभूम और पटना का स्थान है। सहरसा जिले में इस समय भी और सब जिलों की तुलना में अधिकांश मनुष्य ग्रामवासी हैं। सारन और दरभंगा भी इसी क्रम में हैं।

जिस नगर की आबादी १ लाख से अधिक है, उसे 'सिटी' कहा जाता है। सन् १९५१ ई० में बिहार में पटना, जमशेदपुर, गया, भागलपुर और राँची—ये पाँच सिटी, अर्थात् बड़े शहर थे। इनके साथ और दो बड़े शहर मुजफ्फरपुर और दरभंगा भी गिने जायेंगे। इसके बाद दूसरी श्रेणी में वे शहर आते हैं, जिनकी जन-संख्या ५० हजार और १ लाख के बीच में है। ऐसे शहर ८ हैं। ये हैं - मुँगेर, बिहारशरीफ, आरा, छपरा, दानापुर, कटिहार, धनबाद और जमालपुर।

पटना शहर में गत दशाब्द के बीच जन-संख्या में २७·९९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे पहले के दशाब्द की तुलना में यह वृद्धि बहुत कम है। गत ४० वर्षों में पटना की जन-संख्या तिगुनी हो गई है।

गत दशाब्द में सर्वाधिक वृद्धि जमशेदपुर की जन-संख्या में हुई है। इसी अवधि में गया में १२·८५ प्रतिशत और राँची में ३०·५० प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि हुई है। दूसरी श्रेणी ५० हजार और १ लाख के बीच की जनसंख्या के ८ शहरों में सबसे अधिक धनबाद में प्रतिशत ६८·६६, फिर कटिहार में ४०·२५ और जमालपुर में २८·५९ की वृद्धि हुई है। ये सब उद्योग एवं वाणिज्य के केन्द्र हैं। अन्य नगरों की जन-संख्या में औसतन प्रतिशत १७ से २२ के बीच वृद्धि हुई है।

## साक्षरता

जनगणना में साक्षरता का अर्थ होता है—किसी भी भाषा में साधारण अक्षर पढ़ने और लिखने की योग्यता। इस दृष्टि से बिहार में सन् १९५१ ई० में जहाँ साक्षरों की संख्या प्रतिशत १२·१७ थी, वहाँ सन् १९६१ ई० में यह संख्या बढ़कर १८·२३ हो गई है। सन् १९५१ ई० में पुरुषों में साक्षरों की संख्या प्रतिशत २०·४८ थी। सन् १९६१ ई० में यह संख्या, २९·६० है। साक्षर स्त्रियों की संख्या इस समय भी बहुत कम है, प्रतिशत ६·७७, यद्यपि गत दशाब्द में प्रतिशत ८० वृद्धि हुई है। बिहार की अपेक्षा भारत के कई राज्यों में साक्षरता अधिक है। केरल में प्रतिशत साक्षरों की संख्या ४६·२; गुजरात में ३०·३; मद्रास में ३०·२०; महाराष्ट्र में २९·७०; पश्चिम बंगाल में २९·१०; आसाम में २५·८; मैसूर में २५·३ और पूर्व पंजाब में २३·७ है। अखिल भारतीय औसत २३·७ है।

बिहार में तीन सर्वाधिक साक्षर जिले हैं—पटना ( २८·२७ ), धनबाद (२५·४७) और सिंहभूम (२२·२४)। सन् १९५१ ई० में यह क्रम इस प्रकार था—पटना (२०·०९), सिंहभूम (१८·६७) और धनबाद (१६·००)। सभी जिलों में साक्षरता में वृद्धि हुई है। फिर भी,

विहार में तीन सर्वाधिक निरक्षर जिले हैं—चंपारन (१२·६६), पलामू (१३·३८) और सहरसा (१३·७५)। सन् १६५१ ई० में यह कम इस प्रकार था—चम्पारन (६·४८), पलामू ६·५८) और पूर्णिया (७·११)।

और सब जिलों में जहाँ सभी क्षेत्रों में साक्षरता में वृद्धि हुई है, वहाँ एकमात्र सहरसा ही ऐसा जिला है, जहाँ स्त्रियों की साक्षरता में ह्रास हुआ है। सन् १६५१ ई० में साक्षर की संख्या प्रतिशत ४·४७ थी, वह सन् १६६१ ई० में घटकर ३·८६ हो गई है। संतालपरगना में स्त्रियों की साक्षरता की संख्या प्रायः ज्यों-की-त्यों रही है।

## विहार के सात बड़े शहरों में प्रतिशत साक्षरता

| शहर | व्यक्ति | | पुरुष | | स्त्री |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | ५०·४४ | ··· | ६२·१० | ··· | ३५·३२ |
| जमशेदपुर | ५२·१२ | ···· | ६१·७३ | ··· | २६·७३ |
| गया | ४४·६६ | ··· | ५८·४४ | ··· | २८·८५ |
| भागलपुर | ४३·४० | ···· | ५४·७२ | ···· | २६·५५ |
| राँची | ५७·२४ | ···· | ६६·८५ | ··· | ४४·६६ |
| मुजफ्फरपुर | ५१·६८ | ··· | ६१·६४ | ··· | ३८·१३ |
| दरभंगा | ३६·६२ | ···· | ५४·३१ | ··· | २२·७० |

विहार में सर्वाधिक साक्षर शहर राँची है। इसके वाद जमशेदपुर और मुजफ्फरपुर का स्थान है।

## शहरों की जन-संख्या

सन् १६६१ ई० की जन-गणना में विहार के कुल शहरों की जन-संख्या ३६,०१,३३७ थी। अर्थात्, विहार की जन-संख्या ४,६४,५७,०४२ का प्रतिशत ८·४। सन् १६६१ ई० की जन-गणना में शहरों की सूची में ४७ नये स्थान आये हैं और पाँच पहले के शहर सूची से हटा दिये गये हैं।

सारे भारत में शहरों की आवादी की प्रतिशतता सन् १६६१ ई० के जनगणनानुसार १७·८४ है। कुछ राज्यों के तुलनामूलक आँकड़े इस प्रकार हैं—महाराष्ट्र २७·६२; मद्रास २६·७२; गुजरात २५·६१; मैसूर २२·०३ पूर्व पंजाव २०·१०; केरल ५·०३; मध्यप्रदेश १४·२६ और उत्तरप्रदेश १२·८५। इंगलैंड में सन् १६५१ ई० में शहरों की आवादी की प्रतिशतता ८०·८० और संयुक्तराज्य अमेरिका में सन् १६५० ई० में ६४·०१ थी।

## साक्षरता के आँकड़े

| जिला | सन् १९६१ ई० | | | साक्षर व्यक्ति प्रतिशत | | प्रतिशत साक्षरता पुरुष | | प्रतिशत साक्षरता स्त्री | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | साक्षर व्यक्ति | पुरुष | स्त्री | १९६१ | १९५१ | १९६१ | १९५१ | १९६१ | १९५१ |
| पटना | ८,३४,७९६ | ६,५४,२६२ | १,८०,५२४ | २८.३७ | २२.०६ | ४३.०४ | ३५.७४ | १२.६६ | ७.१० |
| गया | ७,०३,२१९ | ५,७५,८६६ | १,२७,३५३ | १९.२८ | १४.२४ | ३१.६५ | २४.६० | ६.६७ | ३.७६ |
| शाहाबाद | ६,९३,४८० | ५,७८,०७१ | १,१५,४०९ | २१.५२ | १५.६१ | ३५.६४ | २७.६१ | ७.२१ | ३.४९ |
| सारन | ६,५३,८८६ | ५,४५,९४१ | १,०७,९४५ | १८.२४ | ९.४४ | ३२.४६ | १७.१८ | ५.६७ | २.४० |
| चंपारन | ३,९०,९०८ | ३,२४,६९० | ६६,२१८ | १२.९९ | ६.४८ | २१.३६ | ११.०९ | ४.४५ | १.८२ |
| मुजफ्फरपुर | ७,०३,९७० | ५,६७,८५० | १,३६,१२० | १७.१० | ९.७६ | २८.१९ | १५.८३ | ६.४८ | ३.८६ |
| दरभंगा | ७,४३,५९३ | ६,१२,१९३ | १,३१,३८० | १६.८१ | ९.२० | २८.४७ | १३.१७ | ५.७८ | २.५३ |
| मुंगेर | ६,३३,९३० | ५,११,६९७ | १,२२,२३३ | १८.७३ | १२.१२ | ३०.०२ | १८.७३ | ७.२७ | ४.६३ |
| भागलपुर | ३,४१,६७८ | २,७०,३५२ | ७१,३२६ | १९.९२ | ११.३६ | ३०.७९ | १८.१६ | ८.५२ | ४.२६ |
| सहरसा | २,३६,७९० | २,०४,२१५ | ३२,५७५ | १३.७५ | ८.८६ | २३.०५ | १२.७३ | ३.८९ | ४.२७ |
| पूर्णिया | ४,८८,२४७ | ४,०६,४३३ | ८१,८१४ | १५.८१ | ७.११ | २५.३१ | ११.५९ | ५.५२ | २.२६ |
| संतालपरगना | ३,८६,३१३ | ३,२२,३९० | ६३,९२३ | १४.४५ | ८.२६ | २३.८५ | ११.६८ | ४.८३ | ४.७६ |
| पलामू | १,५९,११३ | १,३५,५८४ | २३,२२९ | १३.३९ | ६.५८ | २२.६१ | १०.४० | ४.०० | २.७० |
| हजारीबाग | ३,४६,१४५ | २,९३,०७८ | ५३,०६२ | १४.४६ | १०.१२ | २४.३६ | १५.७१ | ४.४६ | ३.३२ |
| रांची | ४,००,९५२ | ३,०७,१९९ | ९३,७८३ | १८.८२ | ९.८२ | २८.५६ | १४.६४ | ८.८७ | १.५२ |
| धनबाद | २,९४,८६६ | २,४०,७०० | ५४,१६६ | २५.४६ | १६.०० | ३७.१८ | २५.९५ | १०.६० | ४.९८ |
| सिंहभूम | ४,५८,५६७ | ३,५५,१५८ | १,०३,४०९ | २२.३४ | १८.६७ | ३३.९० | २६.१७ | १०.२९ | ११.२७ |
| समस्त बिहार-राज्य | ८४,७०,४२६ | ६९,०५,६४९ | १५,६४,७७७ | १८.२३ | १२.१७ | २९.६० | २०.४८ | ६.७७ | ३.७८ |

बिहार एवं उसके विभिन्न जिलों के क्षेत्रफल, सघनता, परिवारों की संख्या, कुल जन-संख्या और पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या, १९६१ ई०

| जिला | क्षेत्रफल (वर्गमील में) | सघनता | परिवारों की संख्या | कुल जन-संख्या | पुरुष | स्त्री |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | २,१६४ | १,३६० | ४,७०,६२० | २६,४२,६१४ | १५,२०,०१७ | १४,२२,५६७ |
| गया | ४,७६६ | ७६५ | ६,०५,७५४ | ३६,४७.२६८ | १८,१६,५६१ | १८,२७,७०७ |
| शाहाबाद | ४,४०४ | ७३२ | ५,००,१२५ | ३२,२२,४७६ | १६,२१.८३० | १६,००,६४६ |
| सारन | ?,६६६ | १,३४३ | ५,६७,५६० | ३५,८५,५३१ | १६,८२,०६८ | १६,०३,४२३ |
| चम्पारन | ३,५५३ | ८४७ | ५,४६,०५३ | ३०,०६,८४१ | १५,२०,१५४ | १४,८६,८७ |
| मुजफ्फरपुर | ३,०१८ | १,३६४ | ७,४०,०४४ | ४१,१६,३२० | २०,१४,७१० | २१,०१,६१० |
| दरभंगा | ३,३४५ | १,३२२ | ८,४३,४३८ | ४४,२२,३६३ | २१,५०,०८१ | २२,७२,२८२ |
| मुँगेर | ३,६७५ | ८५२ | ६,१७,५१४ | ३३,८४,८६७ | १७,०४,५२० | ८६१६,३७७ |
| भागलपुर | २,१७६ | ७८७ | ३,११,५२८ | १७,१५,१२८ | ८,७८ ०६६ | ८,३६,६६२ |
| सहरसा | २,०८८ | ८२५ | ३,१०,५१७ | १७,२२,५४६ | ८,८६,०१५ | ८,३६,०४३ |
| पूर्णिया | ४,२५७ | ७२५ | ५,७६,७२६ | ३०,८७,४२८ | १६,०५,८५६ | १४,८१,५७५२ |
| संतालपरगना | ५,४७१ | ४८६ | ४,१३,४७६ | २६,७४,३५४ | १३,५१,५६८ | १३,२२,७५६ |
| पलामू | ४,६३० | २४१ | २,३१,६२१ | ११,८७,६१४ | ५,६६,७६४ | ५,८८,१५० |
| हजारीबाग | ७,०१० | ३४२ | ४,३८,५२२ | २३,६४,३१७ | ११,०३,३१७ | ११,६१,००० |
| रांची | ७,०५२ | ३०२ | ४,०२,८४६ | २१,३३,१८० | १०,७५,४७६ | १०,५७,७०४ |
| धनबाद | १,११४ | १,०४० | २,३३,६६२ | ११,५८,३६३ | ६,४७,३३५ | ५,११,०२८ |
| सिंहभम | ५,२०४ | ३६४ | ४,३०,०८७ | २०,५२,४६६ | १०,४७,६८० | १०,०४,८१६ |
| बिहार-राज्य | ६७,१६८ | ६६१ | ७७,०४,३६६ | ४,६४,५७,०४२ | २,३३,२८,१७८ | २,३१,२८,८६४ |

# बौद्ध और जैनस्मारक

## बौद्धस्मारक

बिहार के साथ भगवान् बुद्ध का बड़ा ही घनिष्ठ एवं पुनीत सम्बन्ध रहा है। यहीं बोधि-वृक्ष के नीचे उन्हें दिव्य ज्ञानालोक प्राप्त हुआ था। उनके शिष्यों में सब वर्ग के लोग राजा से कृषक तक बिहार के ही थे।

### बोधगया

बौद्धधर्मावलम्बियों के लिए बोधगया पवित्रतम तीर्थ-स्थान है। स्वयं भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से कहा था कि चार पवित्रतम तीर्थों में बोधगया अन्यतम है। यहाँ वह बोधिवृक्ष है, जिसके नीचे भगवान् ने चरम ज्ञानालोक की उपलब्धि की थी। बोधिवृक्ष के पार्श्व में महाबोधि-मन्दिर है, जो भगवान् के भक्तों के लिए सर्वाधिक पूजा की वस्तु है। स्थापत्य-कला की दृष्टि से भी यह मन्दिर उत्कृष्ट है। बोधगया के कुछ तीर्थस्थान निम्नलिखित हैं—

**वज्रासन**—बोधिवृक्ष के नीचे का वह प्रस्तर का आसन, जिसपर बैठकर बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था।

**अनिमेष-चैत्य**—वह स्थान, जहाँ पर खड़े होकर भगवान् बुद्ध ने अपलक दृष्टि से बोधि-वृक्ष को देखा था।

**चंक्रमण चैत्य**—जहाँ ध्यानस्थ होकर सात दिनों तक भगवान् बुद्ध ने पाद-चारण किया था।

**रत्नागार-चैत्य**—जहाँ आसीनावस्था में उनके शरीर से श्वेत नील, रक्त, पीत एवं नारंगी रंग की किरणें प्रस्फुटित हुई थीं।

### राजगीर

वर्षाकाल में कुछ वर्षों तक भगवान् बुद्ध यहाँ रहे थे। उस समय यहाँ मगध का राजा बिम्बिसार की राजधानी थी। राजगीर इस समय भी अपने उष्ण जल के कुंडों के कारण प्रसिद्ध है। राजगीर के कुछ पवित्र स्थल इस प्रकार हैं—

**वेणुवन**—राजा बिम्बिसार ने भगवान् बुद्ध के निवास के लिए यहाँ एक मठ बनवाया था। सारिपुत्त और मोग्गलायन को इसी मठ में भगवान् ने दीक्षा दी थी।

**सप्तपर्णी गुहा**—बुद्ध के महानिर्वाण के बाद प्रथम बौद्धधर्म-परिषद् यहीं बैठी थी।

**पिप्पलीगुहा**—चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा-विवरण में इसका उल्लेख किया है। यह तपोनिष्ठ योगियों का समागम-स्थल था। अर्हतों ने यहाँ बैठकर ध्यान-धारणा की थी। महास्थविर महाकाश्यप बहुत दिनों तक इस गुहा में रहे थे।

**गृद्धकूट-पर्वत**—अपने राजगृह के प्रवास-काल में भगवान् बुद्ध ने इस पहाड़ी को आवास के लिए चुना था।

**मनियार-मठ** यहाँ के भवनों के अवशेषों से यह पता चलता है कि राजगृह और बोध-गया के बीच यह एक मठ का स्थल था।

## नालंदा

बौद्धधर्म से सम्बद्ध पवित्र स्थानों में नालंदा का स्थान महत्त्वपूर्ण है। यहाँ के एक आम्रकुंज में बुद्ध कुछ समय तक ठहरे थे। बाद में चलकर यहाँ एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कई वर्षों तक यहाँ रहकर अध्ययन किया था। उस महान् विश्वविद्यालय के विशाल ध्वंसावशेष और उसके प्राङ्गण में अवस्थित उच्च स्तूप नालंदा की अतीतकालीन महिमा की याद दिलाते हैं। पालि-भाषा एवं बौद्धधर्म-सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन एवं शोध के लिए सरकार ने यहाँ 'नवनालंदा-महाविहार' नाम से एक संस्थान की स्थापना की है।

## वैशाली

वैशाली भी एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। बुद्ध ने एकाधिक बार इस स्थान का परिदर्शन किया था। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में वे यहाँ थे और यहीं से कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया था। प्रस्थान करते समय अपने प्रिय शिष्य आनन्द से कहा था : 'आनन्द, यह मेरा प्रिय नगर है।' वैशाली के नागरिकों को स्मृति-चिह्न के रूप में उन्होंने अपना भिक्षापात्र दिया था। यहाँ पास के एक वन में कूटागारशाला नामक एक मठ था, जहाँ बुद्ध ने अवस्थान किया था। वैशाली की नगरवधू अम्बपाली ने, जो पीछे चलकर उनकी शिष्या हो गई, उनके लिए यहाँ एक मठ निर्मित कराया था।

अशोक-स्तम्भ—यह कोल्हुआ गाँव में अवस्थित है।

रामकुण्ड—यह एक छोटा-सा पोखरा है। कहा जाता है कि भगवान् बुद्ध के व्यवहार के लिए बंदरों ने इसे खोदा था।

स्तूप—वैशाली में दो स्तूप उल्लेखनीय हैं। पहला स्तूप ईसवी-सन् पूर्व पाँचवीं शती में और दूसरा उसके १५० वर्ष बाद निर्मित हुआ था। खुदाई में स्तूप के नीचे से सेलखड़ी की एक मंजूषा निकली है, जिसके सम्बन्ध में विश्वास किया जाता है कि कुशीनगर से बुद्ध के जो शरीरावशेष लाये गये थे, वे इसी मंजूषा में थे।

## विक्रमशिला

भागलपुर जिले में पथरघट्टा को प्राचीन विक्रमशिला के रूप में पहचाना गया है। पालवंश के राजाओं के समय में यहाँ एक बृहत् विश्वविद्यालय था।

## अन्य स्थान

बराबर पहाड़ की गुफाएँ और लौरिया-अरेराज, लौरिया-नन्दनगढ़ तथा रामपुरवा के अशोक-स्तम्भ बिहार के बौद्धधर्म-सम्बन्धी स्थलों में उल्लेखनीय हैं।

# जैनस्मारक

## वैशाली

यह जैनधर्म के चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर की जन्मभूमि है यहाँ उनकी जन्म-तिथि के अवसर पर एक महोत्सव होता है। यहाँ जैनधर्म एवं साहित्य के अनुसंधान के लिए एक प्राकृत, जैनशास्त्र और अहिंसा-शोध-संस्थान की स्थापना हुई है, जिसका कार्यालय इसके निजी भवन

वन जाने तक के लिए मुजफ्फरपुर में रखा गया है। यहाँ समस्त भारत के जैनधर्मावलम्बी तीर्थ के लिए आते हैं।

### पावापुरी

जैनधर्म के चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर का निर्वाण इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ दो मंदिर हैं—एक जल-मन्दिर दूसरा स्थल-मंदिर। कहा जाता है कि जहां भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ था, वहाँ स्थल-मंदिर और जहाँ उनका दाह-संस्कार किया गया था, वहा जल-मंदिर हैं। जल-मंदिर एक तालाब के अन्दर है। पावापुरी का पुराना नाम 'अपापापुरी' बताया जाता है।

### पारसनाथ

हजारीबाग जिले के दक्षिण-पूरब कोने पर यह एक पहाड़ी है, जिसकी ऊँचाई ४,४८१ फुट है। यह जैनों का एक प्रधान तीर्थ-स्थान है। कहते हैं कि जैनों के तेईसवें तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ अपने पूर्ववर्ती ९ तीर्थङ्करों के समान इसी पहाड़ी पर अपने तीस साथियों के साथ उपवास करते हुए कैवल्य प्राप्त किया था। यहाँ अनेक जैनमंदिर हैं, जिनमें एक मंदिर पर सन् १७६५ ई० अंकित है।

### भागलपुर

यहाँ जैनधर्म के बारहवें तीर्थङ्कर वासुपूज्य का जन्म हुआ था। इस समय यहाँ जैनों के दो सुन्दर मन्दिर हैं, जिनमें एक १९वीं सदी के प्रसिद्ध वणिक् जगतसेठ का बनवाया हुआ है।

## शिक्षा की प्रगति

बिहार-प्रान्त में सन् १९०० ई० में ५ कॉलेज थे—पटना-कॉलेज, पटना का बी० एन० ( बिहार नेशनल ) कॉलेज, भागलपुर का तेजनारायण जुबली कॉलेज ( अब तेजनारायण बनैली कॉलेज ), मुजफ्फरपुर का ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज ( अब लंगटसिंह कॉलेज ) और हजारीबाग का सेण्ट कोलम्बा कॉलेज। ये सभी डिग्री कॉलेज थे। सन् १९१० ई० में आकर कॉलेजों की संख्या ८ हुई। इस बीच मुंगेर में एक इण्टरमिडिएट तथा पटना में एक लॉ और एक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। उन दिनों कॉलेजों में बहुत थोड़े लड़के होते थे। सन् १९११-१२ ई० में बिहार-उड़ीसा के अन्दर आर्ट और साइन्स में युनिवर्सिटी की डिग्री लेनेवालों की संख्या केवल ८९ थी। उन दिनों इस प्रान्त के सभी स्कूल-कॉलेज कलकत्ता-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे।

सन् १९१२ ई० में बिहार-उड़ीसा प्रान्त बंगाल से अलग किया गया और नवम्बर सन् १९१७ ई० में पटना-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तबसे यहाँ की शिक्षा में कुछ अधिक प्रगति हुई। सन् १९२० ई० में एक और इण्टरमिडिएट कॉलेज खुलने से प्रान्त के कॉलेजों की संख्या ९ हुई। सन् १९३० ई० में कुल १३ कॉलेज हुए। इनमें ८ आर्ट्स और साइन्स के कॉलेज तथा ५ टेक्निकल कॉलेज थे। टेक्निकल कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा साइन्स कॉलेज नये खुले थे। सन् १९४० ई० तक कॉलेजों की संख्या १६ हुई; क्योंकि इस बीच आर्ट्स और साइंस के ३ और कॉलेज खुले थे। इसके बाद के

दस वर्षों में कॉलेजों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ी, इससे सन् १६५० ई० में स्वीकृत कॉलेजों की संख्या ४० हुई। इनमें ३४ डिग्री कॉलेज और ६ इण्टरमीडिएट कॉलेज थे। डिग्री कॉलेजों में २४ आर्ट्स और साइन्स के तथा १० टेक्निकल कॉलेज थे।

सन् १६१२ ई० में बिहार और उड़ीसा के अन्दर कॉलेजों के छात्रों की संख्या केवल १,४३० थी। पटना युनिवर्सिटी के खुलने पर सन् १६१७ ई० में यह संख्या २,५७५ तक पहुँची। सन् १६५१-५२ ई० में केवल बिहार के कॉलेजों के छात्र-छात्राओं की संख्या २८,८०६ थी।

प्रारम्भ में कॉलेजों के अन्दर प्रायः छात्राएँ नहीं रहती थी। सन् १६२२ ई० में बिहार और उड़ीसा के अन्दर कॉलेज की छात्राएँ केवल १२ थीं; पर सन् १६३१-३२ ई० में १४; सन् १६३४-३५ ई० में ३२; सन् १६३६-४० ई० में १२७ और सन् १६४०-४१ ई० में १६२ हुईं। सन् १६४२-४३ ई० में आकर कॉलेज की छात्राओं की संख्या २३५ हो गई। सन् १६५१-५२ ई० में केवल बिहार के कॉलेजों में ही छात्राओं की संख्या लगभग एक हजार तक पहुँची।

सन् १६५२ ई० में बिहार में दो विश्वविद्यालय हो गये—पटना विश्वविद्यालय और बिहार-विश्वविद्यालय। इनका सम्बन्ध केवल कॉलेजों से रहा, हाइ स्कूलों से नहीं। पटना-विश्वविद्यालय में केवल पटना-कारपोरेशन-क्षेत्र के कॉलेज रह गये। इस विश्वविद्यालय के काम शिक्षण और परीक्षण दोनों थे। बिहार के शेष कॉलेज बिहार-विश्वविद्यालय के अन्दर रखे गये। बिहार-विश्वविद्यालय का कार्यालय भी पटना में ही रहा। सन् १६६० ई० में एक नया अधिनियम पारित करके पटना तथा बिहार-विश्वविद्यालयों के स्थान पर चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालय पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राँची में आयोजित किये गये। सन् १६६१ ई० में एक दूसरा विश्वविद्यालय-अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार पटना-विश्वविद्यालय को पुनः आवासीय विश्वविद्यालय में परिवर्त्तित कर दिया गया और बिहार, भागलपुर और राँची—इन तीन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त एक और क्षेत्रीय विश्वविद्यालय मगध-विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। पटना निगम-क्षेत्र के कॉलेजों को छोड़कर पटना-प्रमंडल के शेष सभी कॉलेज मगध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। पटना-विश्वविद्यालय तथा चारों क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के सभी महाविद्यालयों में तीन वर्ष का डिग्री-पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है, जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग द्वारा अनुमोदित खर्च के राज्य-सरकार के हिस्से का ५० प्रतिशत अनावर्त्तक अनुदान भी स्वीकृत कर दिया गया है। द्वितीय योजना-काल में सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों की संख्या ५५ से बढ़कर १२४ हो गई। इनके अतिरिक्त इन १८ व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक महाविद्यालय एवं ६ शोध-संस्थान चल रहे हैं। इन सब महाविद्यालयों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या गत पाँच वर्षों में ४४ हजार से बढ़कर ६० हजार के लगभग हो गई है। इस अवधि में केवल विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या ६ हजार से बढ़कर २१ हजार के लगभग हुई है।

विश्वविद्यालीय शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने के लिए विश्वविद्यालय-विभागों और महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों का विस्तार, छात्रों के लिए छात्रावास तथा शिक्षकों के लिए आवास-गृह-निर्माण की व्यवस्था, गरीब तथा मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों तथा वृत्तिकाएँ इत्यादि योजनाएँ, जो द्वितीय योजना में चालू की गईं, वे सभी विस्तृत रूप में तृतीय-योजना में चालू रखी जायेंगी। तृतीय योजना में विज्ञान की पढ़ाई पर विशेष रूप से

ध्यान दिया जायगा। अभी विज्ञान पढ़नेवाले छात्रों की संख्या समस्त छात्रों की संख्या का २३·६ प्रतिशत है। तृतीय योजना-काल में इसे बढ़ाकर कम-से-कम ३० प्रतिशत कर देने का विचार है। इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की जायगी।

## बिहार के विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की संख्या

| | १९५०-५१ वास्तविक | १९५५-५६ वास्तविक | १९६०-६१ प्राक्कलित |
|---|---|---|---|
| (क) इंटरमीडिएट | | | |
| बालकों की संख्या | १४,५०५ | २६,८०२ | ६०,००० |
| बालिकाओं की संख्या | ५४१ | १,५०४ | ३,५०० |
| विज्ञान के छात्रों की संख्या | २,८२५ | ७,२६० | १६,००० |
| (ख) स्नातक-वर्ग | | | |
| बालक | ५,७४३ | १०,१०४ | २०,००० |
| बालिकाएँ | २३१ | ५६४ | १,५०० |
| विज्ञान के छात्र | ३६२ | १,३६३ | २,८०० |
| (ग) स्नातकोत्तर | | | |
| छात्र | ५५६ | २,०६२ | ३,६५० |
| छात्राएँ | ४४ | १५२ | ३५० |
| विज्ञान के छात्र | १८४ | ४२० | ६२० |

## प्रौद्योगिक शिक्षा की प्रगति

| | प्राक्-योजना काल | प्रथम योजना | द्वितीय योजना | तृतीय योजना लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| (क) डिग्री कॉलेजों की संख्या | ... १ | ३ | ४ | ५ |
| (ख) डिग्री कॉलेजों में छात्रों के लिए स्थान | ... ७२ | १६२ | १,०४८ | १,३६२ |
| (ग) स्कूल और डिप्लोमा प्रदान करनेवाले संस्थान | ... २ | ५ | १२ | २५ |
| (घ) उक्त स्कूलों और संस्थानों में छात्रों के स्थानों की संख्या | ...१०० | २६० | १,५६५ | २,६७५ |

## माध्यमिक (सेकेण्डरी) शिक्षा की प्रगति

| | प्राक्-योजना काल | प्रथम योजना | द्वितीय योजना | तृतीय योजना लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| (१) स्कूलों की संख्या .... | ६४३ | ८६३ | १,५१५ | १,८५० |
| (२) छात्रों की संख्या ... | १·०५ लाख | १·४७ लाख | ३·१ लाख | ५·० लाख |
| (३) मैट्रिकुलेट | | | | |
| (क) बालक | १३,६६३ | ३१,२२६ | ५०,००० | ७५,००० |
| (ख) बालिकाएँ | ७४२ | १,६४३ | ५,००० | १०,००० |
| | १४,४०५ | ३३,१७२ | ५५,००० | ८५,००० |
| (४) शिक्षकों की संख्या.... | ८,१०८ | १०,६६४ | १३,५०० | १८,००० |
| (५) प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या .... | १,२४४ | ४,२५५ | ७,००० | १२,००० |
| (६) ट्रेनिंग कॉलेजों की संख्या .... | १ | ५ | ५ | ५ |
| (७) ट्रेनिंग कॉलेजों से नियमित रूप में निकलनेवाले प्रशिक्षित ... | ६२ | ४६४ | ६०० | १,१५० |

## प्राइमरी और मिड्ल शिक्षा की प्रगति

| | प्राक्-योजना काल | प्रथम योजना | द्वितीय योजना | तृतीय योजना लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| (१) विद्यालयों की संख्या | २३,६६६ | २६,५४६ | ३८,००० | ४५,००० |
| (२) छात्रों की संख्या | १·६८ लाख | २१·५ लाख | ३७·५ लाख | ४८ लाख |
| (३) शिक्षकों की संख्या | ५८,११६ | ६८,०४० | ८७,३०० | १,३५,३०० |
| (४) प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या ... | २६,०५४ | ३६,६६१ | ६०,००० | १,००,३५० |
| (५) ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या ... | ६६ | ६४ | १०१ | १०१ |
| (६) ट्रेनिंग स्कूल से निकलनेवाले प्रशिक्षणार्थी | २,०४५ | ५,१८६ | ६,००० | ८,५०० |

## समाज और युवा-कल्याण

बिहार में सामाजिक या वयस्क-शिक्षा का कार्य मार्च, १६३८ ई० से आरम्भ हुआ था, जबकि साक्षरता के प्रचार के लिए एक योजना बनाई गई थी। सन् १६५० ई० और सन्

१९५२ ई० में इस योजना पर पुनः विचार किया गया और इसके लिए नवीन कार्यक्रम तैयार किये गये। इस कार्यक्रम के सात मुख्य अंग इस प्रकार हुए—(१) वयस्कों तथा स्कूल न जा सकनेवाले बच्चों की शिक्षा; (२) वैयक्तिक और सामाजिक स्वच्छता; (३) स्वास्थ्य, सफाई और चिकित्सा; (४) मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्य; (५) सामाजिक बुराइयों का निराकरण; (६) आर्थिक विकास तथा (७) प्रकाशन और प्रचार।

बिहार के १७ जिलों में सामाजिक शिक्षा के छोटे-छोटे कुल १,०८० केन्द्र हैं। इनमें अधिकांश राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखण्ड (N. E. S. Block) में हैं। ये ब्लॉक स्वतन्त्र रूप से भी कुछ केन्द्र चलाते हैं। कुछ केन्द्रों से सम्बद्ध १२३ भ्रमणशील पुस्तकालय हैं।

समाज-शिक्षा के लिए इन दिनों तीन जनता कॉलेज चलाये जा रहे हैं—(१) तुर्की (मुजफ्फरपुर), (२) रामबाग (बिहटा, पटना) और (३) नगरपारा (भागलपुर)। इनके अतिरिक्त दो सामाजिक कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-संस्थान हैं, जिनमें एक देवघर में (केवल महिलाओं के लिए) है। कुछ प्रमुख उच्च विद्यालयों एवं सुसंगठित पुस्तकालयों से सम्बद्ध २२७ समाज-शिक्षा-प्रशिक्षक हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखंड में दो समाज-शिक्षा-संगठनकर्त्ता हैं। जनता के मनोरंजन एवं समाज-शिक्षण के लिए संपूर्ण राज्य में चार मोद-मंडलियाँ, एक प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण-दल तथा पाँच यात्रा-पार्टियाँ हैं, जिनमें ६० कलाकार काम करते हैं।

समाज-शिक्षा के लिए १ फिल्म-लाइब्रेरी है, जिसमें २११ फिल्में संगृहीत हैं। समाज-शिक्षा के कार्य में लगी हुई संस्थाओं को ३५६ रेडियो-सेट और १०७ मैजिक-लैंटर्न दिये गये हैं। समाज-शिक्षा-परिषद् की ओर से एक ध्वनि-फिल्म और ८ न्यूज-रील तैयार किये गये हैं। परिषद् के अधीन श्रव्य-दृश्य-शिक्षा-परिषद् (ऑडियो-विजुअल एडुकेशन-बोर्ड) कायम है। इस योजना के अनुसार विभिन्न स्थानों में घूम-घूमकर गोष्ठियाँ की जाती हैं।

इस समय समाज-शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह 'जन-जीवन' नाम की पत्रिका निकल रही है। यहाँ से विभिन्न विषयों पर छोटी-छोटी सवा सौ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं।

१५ अगस्त, १९६२ ई० से शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत समाज और युवा-कल्याण नामक एक नये विभाग का संगठन हुआ है। इसके लिए स्थायी रूप से एक पृथक् निर्देशक की नियुक्ति की गई है। इस विभाग के अंतर्गत समाज-शिक्षा-सार्वजनिक पुस्तकालय-सेवा, सांस्कृतिक कार्य, युवा-कल्याण, खेल-कूद (स्कूल-कॉलेज के खेलों को छोड़कर,) वेश्यावृत्ति से उबारी गई स्त्रियों, अनाथ बच्चों, विधवाओं की सुरक्षा और देखभाल तथा इसी प्रकार के अन्य विषय रखे गये हैं। तत्काल इस विभाग को ३५ हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। श्रीनवलकिशोर गौड़ इसके प्रथम निर्देशक नियुक्त हुए हैं।

## आयुर्वेदिक और तिब्बी शिक्षा

पहले आयुर्वेदिक शिक्षा संस्कृत-एसोसिएशन की कुछ पाठशालाओं में और तिब्बी या हकीमी की तालीम मदरसों में दी जाती थी। सन् १९२६ ई० से इनके लिए अलग-अलग स्कूल खोले गये। दोनों स्वदेशी औषधि-विभाग की देखभाल के लिए सुपरिण्टेण्डेण्ट और डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट रहते हैं। इस समय सुपरिण्टेण्डेण्ट श्रीबिक्कू सिंह और डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट

श्री ए० अहमद हैं। दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए अलग-अलग परीक्षा-समितियाँ हैं। इस समय बिहार में निम्नलिखित पाँच आयुर्वेदिक कॉलेज और एक तिब्बी कॉलेज हैं—

१. आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना;
२. यतीन्द्रनारायण अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर;
३. अयोध्या-शिवकुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय (मुंगेर);
४. आयुर्वेदिक कॉलेज, मधुबनी (अस्वीकृत);
५. आयुर्वेदिक कॉलेज, मोतिहारी (अस्वीकृत);
६. तिब्बी कॉलेज, पटना।

## संस्कृत-शिक्षा

बिहार-उड़ीसा में संस्कृत-शिक्षा का प्रचार और प्रसार एवं उसकी परीक्षा आदि की व्यवस्था के लिए सन् १९१५ ई० में सरकार के प्रबन्ध में बिहारोत्कल-संस्कृत-समिति की स्थापना की गई थी। उस समय इसका कार्यालय मुजफ्फरपुर में रखा गया था; पर सन् १९२० ई० में यह पटना लाया गया। उड़ीसा की अपनी संस्कृत-समिति अलग बन जाने पर इस समिति का कार्य-क्षेत्र बिहार तक ही सीमित रहा और इसका नाम बिहार-संस्कृत-समिति या बिहार संस्कृत एसोसिएशन पड़ा। बिहारोत्कल संस्कृत-समिति पहले बंगाल की भाँति अन्तिम परीक्षा पर तीर्थ की उपाधि देती थी, पर सन् १९२० ई० में उपाध्याय की उपाधि और सन् १९२५ ई० से आचार्य की उपाधि देने लगी। सन् १९३३ ई० से आचार्य के नीचे शास्त्री की उपाधि देना भी आरम्भ किया गया है।

इन दिनों संस्कृत की चार परीक्षाएँ होती हैं—प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री और आचार्य। सन् १९५४ ई० से प्रत्येक परीक्षा प्राचीन एवं नवीन—इन पद्धतियों से होने लगी है। नवीन पद्धति में अनेक आधुनिक विषय भी हैं। प्रथमा परीक्षा के पूर्व एक प्रवेशिका परीक्षा का प्रबन्ध विद्यालय करता है। प्रतिवर्ष हजारों परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठते हैं।

बिहार में संस्कृत के १५ महाविद्यालय, लगभग चार सौ विद्यालय और सात-आठ सौ पाठशालाएँ हैं। विद्यालय में राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक राजकीय संस्कृत विद्यालय है, जहाँ नवीन पद्धति से पढ़ाई होती है।

जहाँ केवल प्रथमा तक की पढ़ाई होती है, उसे पाठशाला; जहाँ उससे ऊपर की शिक्षा दी जाती है, उसे विद्यालय और जहाँ कम-से-कम पाँच विषयों में शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई होती है उसे महाविद्यालय कहते हैं।

बिहार के नीचे लिखे १५ महाविद्यालयों में प्रथम चार राजकीय महाविद्यालय और शेष ११ राजकीय सहायता-प्राप्त महाविद्यालय हैं—(१) धर्म-समाज संस्कृत-कॉलेज, मुजफ्फरपुर; (२) पटना राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय; (३) भागलपुर राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय; (४) गणपति राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय, राँची; (५) महारानी रमेश्वरलता विद्यालय, दरभंगा; (६) महारानी महेश्वरलता विद्यापीठ, लहना रोड (दरभंगा); (७) हरिहर संस्कृत-कॉलेज, बकुलहर-मठ (चम्पारन); (८) सोमेश्वरनाथ संस्कृत-महाविद्यालय, अरेराज (चम्पारन); (९) रामनिरंजन दास मुरारका संस्कृत-महाविद्यालय; चौक, पटना सिटी; (१०) संस्कृत-कॉलेज, धानामठ, राजीपुर (पटना);

(११) राजेन्द्र संस्कृत-महाविद्यालय, तरेतपाली (पटना); (१२) ब्रजभूषण संस्कृत-कॉलेज, गया; (१३) अवधविहारी संस्कृत-कॉलेज, रहीमपुर (मुंगेर); (१४) मालान्द संस्कृत-कॉलेज, करनीबाद, देवघर और (१५) प्रतापनारायण संस्कृत कॉलेज लक्ष्मीपुर (भागलपुर)।

सन् १९६० ई० में दरभंगा में कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृत-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। दरभंगा के महाराजाधिराज डॉ० कामेश्वर सिंह ने इस विश्व विद्यालय के लिए बहुत बड़ी भूमि, कई भवन और पुस्तकालय का दान दिया है। इसके उप-कुलपति महामहोपाध्याय डॉ० उमेश मिश्र हैं।

सन् १९६० ई० से बिहार-संस्कृत-समिति का नाम बदलकर बिहार संस्कृत-शिक्षा-परिषद् रखा गया है। अब संस्कृत की विभिन्न परीक्षाएँ लेने का काम संस्कृत-विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है। बिहार-संस्कृत-शिक्षा-परिषद् का काम अब संस्कृत-विद्यालयों एवं महाविद्यालयों निरीक्षण करना, अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा सब प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था करना रह गया है।

## इस्लामी शिक्षा

बिहार में इस्लामी शिक्षा के लिए तीन तरह की संस्थाएँ हैं—मदरसा, मकतब और उर्दू प्राइमरी स्कूल। मदरसों और मकतबों को सरकार से या जिला-बोर्डों या म्युनिसिपैलिटियों से सहायता मिलती रही है।

सरकार द्वारा संगठित मदरसा-परीक्षा-बोर्ड द्वारा उस्तानिया, फौकानिया, मौलवी-आलिम और फाजिल नामक परीक्षाएँ ली जाती हैं। उस्तानिया सबसे छोटी परीक्षा है और फाजिल सबसे बड़ी। अन्तिम चार परीक्षाओं की पढ़ाई दो-दो वर्षों की है।

बिहार में स्वीकृत मदरसों की संख्या मार्च, १९५४ ई० तक ५८ थी। इनमें तीन मदरसों में फाजिल, ७ में आलिम; ७ में मौलवी, १० में फौकानिया और २० में उस्तानिया तक की पढ़ाई है। तीन फाजिल मदरसे हैं—मदरसा इस्लामिक शमशुल हुदा, पटना; मदरसा सुलेमानी, पटना सिटी और मदरसा अजीजिया, बिहारशरीफ। इनमें पहला मदरसा, इस्लामिक शमशुल हुदा सरकारी मदरसा है। प्रान्त में कई स्वतंत्र मदरसे भी हैं।

## अन्य प्रमुख शिक्षा-संस्थाएँ

**चित्र और मूर्त्तिकला-विद्यालय, पटना**—सन् १९३९ ई० में चित्रकला की शिक्षा देने के लिए पटना स्कूल ऑफ् आर्ट्स की स्थापना की गई थी। १९ नवम्बर, १९४८ ई० को यह सरकारी प्रबन्ध में आ गया और इसका नाम गवर्नमेण्ट स्कूल ऑफ् आर्ट्स ऐण्ड क्रैफ्ट्स रखा गया। इस समय इस विद्यालय में पाँच मुख्य विभाग हैं—ललित चित्रकला, व्यावसायिक चित्र कला, मूर्ति-निर्माण, शिल्प और प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम। सन् १९५६ ई० से यहाँ फोटोग्राफी-विभाग भी खुला है। यहाँ का पाठ्य-क्रम ६ वर्षों का है। अक्टूबर, १९५७ ई० से विद्यालय अपने नये भवन में आ गया है। यहाँ छात्रावास का भी प्रबन्ध है। यहाँ मई मास में छात्रों की वार्षिक परीक्षा होती है। इस समय यहाँ की चित्रशाला में साढ़े तीन सौ से अधिक चित्र हैं। इसके

पुस्तकालय में डेढ़ हजार से अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें बहुत-सी अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। यहाँ प्रतिवर्ष अखिलभारतीय कला-प्रदर्शनी होती है। यहाँ के प्राचार्य श्रीराधामोहन हैं। यह विद्यालय भारत के पाँच चित्रकला-विद्यालयों में एक है। चार विद्यालय क्रमशः कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लखनऊ में हैं।

**भारतीय नृत्यकला-मन्दिर, पटना**—बालिकाओं को संगीत और नृत्य की शिक्षा देने के लिए पटना में सन् १९४९ ई० में भारतीय नृत्यकला-मन्दिर की स्थापना हुई थी। अब इसका एक अपना भवन भी बन गया है। नृत्य में यहाँ मणिपुरी, कथाकली और भरतनाट्यम् की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त लोकनृत्य भी यहाँ सिखाया जाता है। संगीत में प्राचीन संगीत, रवीन्द्र-संगीत, भजन और गीत तथा वाद्य में मृदंग और वायलिन की शिक्षा दी जाती है। यहाँ की शिक्षा चार वर्षों की है। इस संस्था के निर्देशक श्रीहरि उप्पल हैं। करीब ढाई वर्षों से इस संस्था द्वारा बिहार के लोकनृत्य पर सर्वेक्षण एवं अनुसंधान-कार्य चल रहा है। सन् १९६०-६१ ई० के आर्थिक वर्ष में यहाँ के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न अवसरों पर अपनी नृत्य-संगीत-कला का प्रदर्शन किया।

**हिन्दी-विद्यापीठ, वैद्यनाथ-देवघर**—हिन्दी-विद्यापीठ का संगठन सन् १९२७ ई० में किया गया और इसकी ओर से स्वतन्त्र परीक्षाएँ चलाई गईं। ये परीक्षाएँ हैं—प्रवेशिका, साहित्य-भूषण और साहित्यालंकार। अब अहिन्दी-भाषा-भाषियों को हिन्दी की साधारण जानकारी की परीक्षा लेकर 'हिन्दी-विद्' का प्रमाण-पत्र भी दिया जाने लगा है। सन् १९४० ई० में बिहार-सरकार ने पूर्वोक्त तीनों परीक्षाओं को सरकारी विश्वविद्यालयों की क्रमशः मैट्रिक, आई० ए० और बी० ए० परीक्षाओं के समक्ष घोषित किया। इस समय भारत में इसके करीब छह सौ केन्द्र हैं, जिनमें लगभग डेढ़ सौ केन्द्र बिहार में हैं। संप्रति विद्यापीठ से भारत की १७ विभिन्न संस्थाएँ सम्बद्ध हैं। इसके वर्त्तमान उपकुलपति प्रिं० मनोरंजनप्रसाद सिंह हैं।

हिन्दी-विद्यापीठ के अन्तर्गत गोवर्द्धन-साहित्य-महाविद्यालय-विभाग, ग्राम-सेवाश्रम-विभाग तथा उद्योग-विभाग भी हैं। ग्राम-सेवाश्रम-विभाग के अधीन ५० केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध है तथा कुछ अन्य रचनात्मक कार्य भी होते हैं। विद्यापीठ के अपना प्रेस और प्रकाशन भी हैं।

**गुरुकुल-महाविद्यालय, वैद्यनाथधाम**—इसकी स्थापना पं० रामचन्द्र द्विवेदी द्वारा सन् १९२४ ई० में हुई थी। इसका उद्देश्य वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति के आधार पर बालकों को शिक्षा देकर उनका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नयन करना है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था है। गुरुकुल की ओर से छात्रों को 'विद्यारत्न' की उपाधि दी जाती है। यहाँ के छात्र शास्त्री, मैट्रिक और विशारद की परीक्षा में भी बैठते हैं। इसके अन्तर्गत कृषि-विभाग, उद्योग-शाला, गोशाला, औषधालय तथा पुस्तकालय और वाचनालय हैं। गुरुकुल के अधिकार में ६६ एकड़ भूमि है, जिसमें इसके विभिन्न विभागों के भवन बने हुए हैं। इसके मुख्याधिष्ठाता पं० श्रीमहादेवशरण हैं।

**नेत्रहीन-विद्यालय**—बिहार में तीन नेत्रहीन-विद्यालय हैं—पटना नेत्रहीन-विद्यालय, कदमकुआँ, पटना; एस० पी० जी० ब्लाइण्ड स्कूल, राँची और नेत्रहीन छात्र-विद्यालय, मुन्दीचक, भागलपुर।

मूक-बधिर-विद्यालय—बिहार में गूँगों और बहरों के लिए दो विद्यालय हैं—गूँगा-स्कूल पटना और क्षितीश बहरा-गूँगा-स्कूल, निवारणपुर, पो० हिनू, राँची।

उपर्युक्त शिक्षा-संस्थाओं के अतिरिक्त राँची में एक विकास-विद्यालय है, जो आवासीय विद्यालय है तथा अजमेर के सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ् सेकेण्डरी एडुकेशन से सम्बद्ध है। नेतरहाट (पलामू) में बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित नेतरहाट पब्लिक स्कूल नामक एक आवासीय विद्यालय है, जहाँ चुने-चुनाये छात्रों को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है। भागलपुर जिले में मन्दार पर्वत के निकट मन्दार विद्यापीठ नामक एक विद्यालय है, जहाँ भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा का विशेष प्रबन्ध है। लक्खीसराय (मुंगेर) में बालिका विद्यापीठ नामक एक स्वतंत्र विद्यालय है, जहाँ भारतीय पद्धति से छात्राओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है।

## द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में शिक्षा की प्रगति

सन् १९६१-६२ ई० में 'शिक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर १५,८४,६४,०००) रु० खर्च करने का प्रस्ताव था, जिसमें ३,४६,५७,५००) रु० तृतीय योजनाओं के अन्तर्गत रखे गये थे। इसके पूर्व के वित्तीय वर्ष में शिक्षा के अन्तर्गत १३,२०,४६,०००) रु० का उपबन्ध था। इस तरह सन् १९६१-६२ ई० में पिछले वर्ष से २,६४,४५,०००) रु० अधिक खर्च की व्यवस्था थी। सन् १९६१-६२ ई० में ८,४९,००,०००) रु० प्राथमिक शिक्षा के लिए; २,१६,३८,०००) रु० माध्यमिक शिक्षा के लिए; १,९२,९८,०००) रु० विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए और ३,२६,५८,०००) रु० अन्य प्रकार के शिक्षा-विषयों के लिए रखे गये थे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामान्य शिक्षा के विकास के लिए २० करोड़ ५० लाख ४० हजार रुपये की सीमा इस राज्य के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन इस मद में केवल १७ करोड़ रुपये ही शिक्षा-विकास-कार्यों के लिए प्राप्त हो सके। इनके अतिरिक्त करीब १ करोड़ रुपये केन्द्र-संचालित योजनाओं पर खर्च हुए हैं।

तृतीय योजना में शिक्षा के विकास के लिए ३४ करोड़ ९ लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है; जिसमें से विगत वित्तीय वर्ष में ४ करोड़ १८ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान था। इन चार करोड़ १८ लाख रुपये में से 'शिक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत ३ करोड़ ४६ लाख ५७ हजार ५ सौ तथा अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत ६८ लाख ४२ हजार ५ सौ रुपयों का उपबन्ध किया गया था।

### प्राथमिक, मिड्ल तथा बुनियादी शिक्षा

द्वितीय योजना के प्रारम्भ में प्राथमिक कक्षाओं में करीब १८ लाख ६० हजार छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सन् १९६०-६१ ई० के वित्तीय वर्ष के आरम्भ में उनकी संख्या बढ़कर करीब २९ लाख ३७ हजार हो गई थी, जो सन् १९६१-६२ ई० के अन्त तक करीब ३२ लाख हो गई। आज बिहार-राज्य में ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों की अनुमित संख्या ५७ लाख ६० हजार है, जिसमें ५५·३ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में भरती हैं। तृतीय योजना में ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए अपेक्षित सभी स्कूलों की स्थापना कर देना और उनमें से कम-से-कम ७५ प्रतिशत को स्कूलों में भरती करना है। बिहार-राज्य में ४५ हजार प्राथमिक स्कूलों की

आवश्यकता है, जिनमें २८ हजार से अधिक स्कूल अबतक खोले जा चुके हैं। शेष लगभग ७ हजार स्कूलों में अधिकांश शीघ्र ही स्थापित हो जायेंगे। तृतीय योजना के अन्त तक इस राज्य में ६ से ११ वर्ष के बच्चों की संख्या करीब ६४ लाख हो जाने की आशा है। इस अवधि के के अन्त तक करीब ४८ लाख बच्चे स्कूलों में शिक्षा पाने लगेंगे, जिनमें ३० लाख लड़के और १८ लाख लड़कियाँ होंगी। तृतीय योजना के अन्त तक इस उम्र के करीब ६३·५ प्रतिशत लड़के और ५६·४ प्रतिशत लड़कियाँ स्कूलों में पढ़ते रहेंगे। सन् १९६१-६२ ई० में साढ़े तीन लाख अतिरिक्त बच्चों को भरती करने का लक्ष्य रखा गया था।

द्वितीय योजना-काल में स्कूलों में ११ से १४ वर्ष के बच्चों की संख्या २ लाख ६१ हजार से बढ़कर साढ़े पाँच लाख तक पहुँच जाने की आशा की गई थी। तृतीय योजना-काल में इसे बढ़ाकर करीब ९ लाख २५ हजार करने का लक्ष्य है।। इस तरह तृतीय योजना के अन्त में इस उम्र के करीब २७·६ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में शिक्षा पाने लगेंगे, जबकि अभी केवल २० प्रतिशत ही बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। इस अवधि में मिड्ल स्कूलों की संख्या ३,८०० से बढ़कर ५,४०० हो जायगी। सन् १९६१-६२ ई० के वित्तीय वर्ष में ३०० नये मिड्ल स्कूल खोलने का प्रस्ताव था। उपर्युक्त लक्ष्यांकों की पूर्त्ति के लिए प्राथमिक स्कूलों में करीब ४० हजार और मिड्ल स्कूलों में ८ हजार अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे। सन् १९६१-६२ ई० में प्राथमिक स्कूलों में ८ हजार तथा मिड्ल स्कूलों में १,६०० नये शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। इन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सन् १९५९-६० ई० में २१ तथा सन् १९६०-६१ ई० में १७ नये प्रशिक्षण-विद्यालय खोले गये हैं। इस तरह अवर-स्नातक ( अण्डर-ग्रेजुएट ) शिक्षकों के लिए कुल १०१ प्रशिक्षण-विद्यालय हो गये हैं। तृतीय योजना-काल में करीब ४० हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। ये सभी प्रशिक्षण-विद्यालय बुनियादी शिक्षा की पद्धति पर संयोजित किये जा रहे हैं।

राज्य-सरकार ने प्राथमिक तथा मिड्ल स्तर पर बुनियादी शिक्षा की पद्धति अपनाने का फैसला किया है। तृतीय योजना-काल के अन्त तक सभी प्राथमिक एवं मिड्ल स्कूलों को इस योजना के दायरे में लाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त करीब ३ हजार मिड्ल धीरे-धीरे बुनियादी पद्धति में बदल दिये जायेंगे।

## उच्च माध्यमिक विद्यालय

माध्यमिक शिक्षा-आयोग की बहुत-सी सिफारिशों को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू कर दिया गया है। अभी तक लगभग १,५०० स्वीकृति-प्राप्त उच्च विद्यालयों में से, १८० विद्यालयों को बहूद्देश्यी या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित कर दिया गया है। तृतीय योजना-काल में करीब ६०० अतिरिक्त स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव है, जिनमें करीब ४० स्कूलों को बहूद्देश्यीय बनाया जायगा। सन् १९६१-६२ ई० में उत्क्रमित होनेवाले स्कूलों की संख्या करीब ७० थी। वर्त्तमान ६५ राज्य-साहाय्य-प्राप्त हाइ स्कूलों के विकास के अलावा संतालपरगना और छोटानागपुर के पिछड़े हुए इलाकों में ७५ नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जायेंगे—५० बालकों के लिए और २५ बालिकाओं के लिए। अब जितने नये स्कूल खुलेंगे, सब उच्चतर माध्यमिक ही होंगे। यह अनुमान किया जाता है कि

सरकार तथा जनता के सहयोग से तृतीय योजना के अन्त तक माध्यमिक स्कूलों की संख्या इस राज्य में करीब १,८५० हो जायगी, जिनमें करीब ६०० उच्चतर माध्यमिक या बहूद्देश्यीय विद्यालय होंगे।

द्वितीय योजना-काल में स्कूलों में शिक्षा पानेवाले १४ से १७ वर्ष के बच्चों की संख्या एक लाख ४७ हजार से बढ़कर तीन लाख १० हजार हो गई। तृतीय योजना-काल में एक लाख ६० हजार अतिरिक्त बच्चों को स्कूलों में भरती करने का लक्ष्य है। इस तरह सन् १९६५-६६ ई० तक इस उम्र के करीब १८ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में शिक्षा पाने लगेंगे, जिनमें ३१.४ प्रतिशत लड़के और ४.३ प्रतिशत लड़कियाँ होंगी। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय प्रतिशतता तृतीय योजना-काल के अन्त में क्रमशः ७८.८ प्रतिशत, २८.४ प्रतिशत और १५.१ प्रतिशत तक पहुँच जाने की आशा की जाती है। उपर्युक्त अवधि में बिहार में यह संख्या क्रमशः ६७.२ प्रतिशत, २६ प्रतिशत और १७.१ प्रतिशत होगी। द्वितीय योजना-काल में करीब १५० माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। तृतीय योजना-काल में २५० और विद्यालयों को इस मद में सहायता देने का प्रस्ताव है। माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य स्थिति में सुधार लाने के अलावा पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के विस्तार, साधारण स्नातक शिक्षकों की योग्यता बढ़ाने की सुविधाएँ तथा गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने की भी व्यवस्था है।

## स्त्री-शिक्षा

इस समय स्कूलों में ११ वर्ष के बच्चों में से तीन चौथाई लड़के और एक चौथाई लड़कियाँ हैं। ११ से १४ वर्ष के बच्चों में जहाँ आठ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ एक लड़की तथा १४ से १७ वर्ष की उम्र में जहाँ १४ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ एक लड़की पढ़ती है। तृतीय योजना-काल में लक्ष्य के अनुसार १६ लाख अतिरिक्त बच्चों में से १० लाख केवल लड़कियों को ही स्कूलों में लाना है। इस योजना के अन्त में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ५ और ३ का कर देने का प्रस्ताव है। इस तरह, ११ से १४ और १४ से १७ वर्ष की लड़कियों के क्रमशः ११.४ प्रतिशत तथा ४.३ प्रतिशत लड़कियाँ स्कूलों में पढ़ने लगेंगी। द्वितीय योजना-काल में ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में काम करनेवाली शिक्षिकाओं के लिए करीब १००० आवास-गृह निर्मित करने का लक्ष्य था। तृतीय योजना-काल में इस तरह के और दो हजार आवास-गृह बनेंगे। लड़कियों को ७वें वर्ग तक निःशुल्क शिक्षा दी जायगी।

## शारीरिक शिक्षा

शारीरिक उन्नति एवं स्वास्थ्य-शिक्षा के लिए सरकार ने पटना में एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा-बोर्ड की स्थापना सन् १९५३ ई० में की थी। इस बोर्ड के १४ सदस्य हैं। यह बोर्ड अखाड़ा, व्यायाम-शाला तथा शारीरिक सुधार के लिए काम करनेवाली अन्य संस्थाओं को अपने कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करता है। बिहार में दो शारीरिक शिक्षण-विद्यालय हैं—एक मुजफ्फरपुर में और दूसरा धनबाद में, जो बोर्ड से सम्बद्ध हैं। सन् १९५७ ई० के अगस्त महीने से स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एक महाविद्यालय स्थायी रूप में कार्य कर रहा है। इस महाविद्यालय के लिए राजेन्द्रनगर, पटना में भवन बन रहा है।

सन् १९६०-६१ ई० तक राज्य के ५७ महाविद्यालयों और १८४ स्कूलों में एन० सी० सी० इन्फैण्टरी की २१३ युनिटें क़ायम हो चुकी हैं। इनके अलावा ३५ लड़कियों की टुकड़ियाँ ६

टेक्निकल, १४ हवाई तथा १२ नौसेना की शाखाएँ भी इन महाविद्यालयों और स्कूलों में खोली जा चुकी हैं। करीब ८५० स्कूलों में २,३१० ए० सी० सी० की युनिटें कायम की गई हैं। एन० सी० सी० राइफल्स की २१ कंपनियाँ कायम की गईं, जिनमें करीब १८ हजार छात्र प्रशिक्षण पा रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कॉलेज के लड़कों के लिए एन० सी० सी० राइफल्स की १२० कंपनियाँ, लड़कियों के लिए ५ सब-ट्रूप्स, स्कूली लड़कों के लिए ए० सी० सी० के १०० ट्रूप्स और लड़कियों के लिए ३० ट्रूप्स तथा नौसेना और हवाई-प्रशिक्षण के प्रत्येक के १५ ट्रूप्स, टेक्निकल के १० ट्रूप्स एवं एन० सी० सी० की ५०० युनिटें कायम की जायेंगी।

## ग्रामीण उच्चतर शिक्षण-प्रतिष्ठान

भारत-सरकार द्वारा स्थापित 'नेशनल कौन्सिल फॉर रूरल हायर एजुकेशन' नामक संस्था के अधीन सारे देश में १० प्रतिष्ठान प्रयोग के रूप में चलाये जा रहे हैं। इनमें एक बिहार-राज्य के बिरौली (जिला दरभंगा) ग्राम में संचालित हो रहा है। यहाँ शिक्षक तथा छात्र एक साथ रहकर सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी इस प्रतिष्ठान में त्रिवर्षीय ग्राम्य सेवा का डिप्लोमा-पाठ्यक्रम चालू है। प्रत्येक छात्र के लिए उद्योग के काम, खेती तथा समाज-सेवा अनिवार्य हैं। प्रतिवर्ष ५० छात्र भरती किये जाते हैं। भरती होने की न्यूनतम योग्यता हायर सेकेण्डरी या पोस्ट-बेसिक परीक्षोत्तीर्ण होना है। ४० प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

## प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

विभिन्न स्तरों पर प्राविधिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए बिहार-राज्य में तीन भिन्न प्रकार के पाठ्य-क्रम प्रचलित हैं—स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रम, स्नातक पाठ्य-क्रम और उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) पाठ्य-क्रम।

बिहार इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिन्दरी में स्नातक-पाठ्यक्रम के अतिरिक्त वैद्युतिक एवं प्राविधिक इंजीनियरिंग के कतिपय विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रम की शिक्षा दी जाती है।

स्नातक-पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण निम्नलिखित शिक्षण-संस्थाओं में प्रदान किया जाता है—

(१) बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना;
(२) मुजफ्फरपुर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर;
(३) बिड़ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची;
(४) जमशेदपुर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर;
(५) भागलपुर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भागलपुर।

८ इंजीनियरिंग विद्यालय में डिप्लोमा-पाठ्यक्रम की शिक्षा सिविल, मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दी जाती है। तीन माइनिंग विद्यालयों में माइनिंग (खान-सम्बन्धी) की शिक्षा दी जाती है। ये सब डिप्लोमा-शिक्षण-संस्थाएँ स्टेट बोर्ड ऑफ टेकिनकल एडुकेशन से सम्बद्ध हैं। बोर्ड द्वारा ही इनकी परीक्षाओं का परिचालन होता है और वही उपाधि-पत्र प्रदान करता है। पाठ्य-क्रम तीन वर्षों का है।

बिहार-राज्य के अंतर्गत पटना, दरभंगा और राँची में एक-एक मेडिकल कॉलेज हैं। कृषि की उच्च शिक्षा के लिए सबौर (भागलपुर), कांके (राँची) तथा ढोली (मुजफ्फरपुर) के कृषि-

महाविद्यालय हैं। पशु-चिकित्सा की शिक्षा के लिए पटना वेटेरिनरी कॉलेज चल रहा है। दूसरा कॉलेज राँची में खोलने की व्यवस्था की जा रही है। अभी राँची वेटेरिनरी कॉलेज के छात्र भी पटना वेटेरिनरी कॉलेज में ही शिक्षा पाते हैं।

**कारीगरी विद्या-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम**—सन् १९६० ई० में बिहार में कुल १७ औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थान थे। बाद में दो और संस्थान—एक डालटनगंज और दूसरा लोहरदगा (राँची) में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। इन संस्थानों में प्रशिक्षण की अवधि डेढ़ वर्ष की है। इसके बाद छात्रों को किसी उद्योग में ६ महीने की शिशिक्षुता (अपरेंटिसगिरी) का प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। ये सब संस्थान नेशनल कौन्सिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स (National Council for Training in Vocational Trades) के साथ सम्बद्ध हैं। नेशनल कौन्सिल ही परीक्षाओं का परिचालन करती है और उपाधि-पत्र प्रदान करती है।

ऊपर जिन प्राविधिक संस्थानों का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा बिहार में भारत-सरकार द्वारा परिचालित प्रशिक्षण-संस्थान 'इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स ऐण्ड जियोलॉजी' (धनबाद) तथा रेल-विभाग और नेशनल कोल डेवलपमेण्ट के प्रशिक्षण-अधिष्ठान भी हैं। निजी उद्योगों में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

**डिप्लोमा के स्तर पर प्राविधिक शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्थाएँ**—(१) तिरहुत स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मुजफ्फरपुर; (२) राँची स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, राँची; (३) भागलपुर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर; (४) पटना स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, पटना; (५) धनबाद पोलिटेक्निक, धनबाद; (६) पूर्णिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, पूर्णिया; (७) स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, दरभंगा; (८) स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, गया; (९) पटना पोलिटेक्निक, गुलजारबाग, पटना; (१०) भागा माइनिंग स्कूल, भागा; (११) माइनिंग इन्स्टिट्यूट, कोडरमा; (१२) माइनिंग इन्स्टिट्यूट, धनबाद।

**कारीगरी विद्या की शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्थाएँ** (पाठ्यक्रम १६ महीना)—(१) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, दीघा (पटना); (२) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, राँची; (३) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल, कोडरमा; (४) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, दरभंगा; (५) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, भागलपुर; (६) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, डेहरी; (७) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, चाईबासा; (८) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, कटिहार; (९) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फरपुर; (१०) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, धनबाद; (११) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, गया; (१२) वेलफेयर टेक्निकल स्कूल, दुमका; (१३) वेलफेयर टेक्निकल स्कूल, राँची; (१४) मढ़ौरा टेक्निकल स्कूल, मढ़ौरा (छपरा); (१५) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, सुपौल; (१६) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, मोतिहारी; (१७) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, हजारीबाग; (१८) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (वेलफेयर), डालटनगंज; (१९) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (वेलफेयर), लोहरदगा, राँची।

★

# भाषाएँ और बोलियाँ

भारतीय आर्यभाषा हिन्दी के अन्तर्गत बिहार में मैथिली, अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी, मगही और नागपुरिया उपभाषाएँ या बोलियाँ हैं। बहुत-से लोग इन उपभाषाओं और बोलियों को स्वतन्त्र भाषाएँ ही मानते हैं। ये भाषाएँ क्रमशः प्राचीन जनपद मिथिला, अंग, वैशाली, भोजपुर, मगध और नागपुर या झारखण्ड की भाषाएँ या बोलियाँ हैं।

बिहार में बँगला और उड़िया-भाषाभाषी भी कई लाख की संख्या में हैं। पंजाबी, मारवाड़ी, नेपाली, गुजराती और मराठी भाषाओं में प्रत्येक के बोलनेवाले कई हजार व्यक्ति हैं। सिंधी और असमिया-भाषाभाषियों की संख्या भी हजार या हजार से ऊपर है। इनके अतिरिक्त मुंडा और द्रविड़ भाषा-श्रेणियों की कितनी ही भाषाएँ दक्षिण बिहार में और विशेषकर छोटानागपुर कमिश्नरी में बोली जाती हैं। इन सबका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है—

## मैथिली

बिहार की उपर्युक्त उपभाषाओं या भाषाओं में साहित्यिक दृष्टि से मैथिली का स्थान सबसे ऊँचा है। कहते हैं कि मैथिली का रूप दसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही स्थिर हो चुका था। इसकी पहली बड़ी रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर का 'वर्णरत्नाकर' है, जो तेरहवीं सदी के लगभग लिखा गया था। चौदहवीं सदी में इसके सर्वश्रेष्ठ कवि विद्यापति हुए, जो सूर, तुलसी, मीराँ और कबीर के भी पूर्ववर्त्ती बताये जाते हैं। विद्यापति के पदों का प्रचार समस्त पूर्वी भारत में हुआ। अब तो समस्त हिन्दी-क्षेत्र में इनका प्रचार है और विद्यापति हिन्दी के श्रेष्ठतम कवियों में एक माने जाते हैं। विद्यापति के बाद भी गोविन्ददास, रामदास, लोचन, उमापति उपाध्याय, रमापति, लाल कवि, नन्दीपति, कर्ण जयानन्द, भानुनाथ झा, बोधनारायण, महीपति, चतुर्भुज, सरसराम, जयदेव, केशव, भंजन, चक्रपाणि, मानबोध, हर्षनाथ झा, चन्दा झा, रघुनन्दन दास, लालदास आदि डेढ़ सौ से भी अधिक कवि और नाटककार हुए। ये सब प्रायः दरभंगा जिला और उसके आसपास के ही रहनेवाले थे। इस बीसवीं सदी में भी मैथिली के अनेक लेखक और कवि वर्त्तमान हैं। इन दिनों 'मिथिला-मिहिर' ( पटना ), 'मिथिला-दर्शन' (कलकत्ता), 'मैथिल-बन्धु' ( अजमेर ), 'बटुक' ( इलाहाबाद ), 'पल्लव' ( नेहरा, दरभंगा ), 'वैदेही' ( दरभंगा ) आदि पत्र-पत्रिकाएँ भारत के विभिन्न स्थानों से प्रकाशित हो रही हैं। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने मैथिली को एम० ए० तक की परीक्षा में स्थान दिया है। मैथिली भाषा नेपाल के भी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है।

मैथिली की अपनी एक पुरानी लिपि है, जिसका व्यवहार मिथिला में अब भी हो रहा है। मैथिली-लिपि में अनेक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। इस लिपि में कुछ नई पुस्तकें भी मुद्रित हुई हैं।

## अंगिका

अंगिका, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अंग-जनपद की भाषा है। न्यूनाधिक भागलपुर कमिश्नरी को ही लोग अंग-जनपद मानते हैं। अतः, अंगिका का दूसरा नाम भागलपुरी

भी है। इस भाषा का मूल रूप हम विक्रमशिला के ८वीं से ११वीं तक के सिद्धों की अपभ्रंश-रचनाओं में पाते हैं। १४वीं सदी के कवि विद्यापति के पदों में भी अंगिका-भाषा का प्रभाव देखा जाता है। अंगिका की अनेक संज्ञाओं, सर्वनामों और क्रियाओं का प्रयोग उनके पदों में हुआ है। १८वीं सदी के अन्त में फादर ऐण्टोनियो ने 'गोस्पेल ऐण्ड ऐक्ट्स' का अंगिका-भाषा में अनुवाद किया था। कहा जाता है कि उत्तर-भारत की भाषाओं में सर्वप्रथम इसी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ। जॉन क्रिश्चियन ने इस भाषा में बाइबिल के कुछ अंश का अनुवाद कर मुँगेर में लीथो से प्रकाशित किया था। सम्भवतः १८वीं या १९वीं सदी में रचित बिहुला-गीतिकाव्य का अंगिका-क्षेत्र में बहुत प्रचार है। कलकत्ता, बनारस आदि कई स्थानों में यह पुस्तक अबतक लाखों की संख्या में छपी है। २०वीं सदी में भी इस भाषा में गद्य और पद्य की पुस्तकें तथा स्फुट रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। इस भाषा और इसके साहित्य पर शोध-कार्य हो रहे हैं।

अंगिका की अपनी एक खास लिपि थी, जिसका उल्लेख छठी सदी के बहुत पूर्व लिखित 'ललितविस्तर' नामक संस्कृत बौद्धग्रन्थ में मिलता है। उसमें बिहार की दूसरी लिपियों, जैसे पूर्वविदेह-लिपि और मागधी-लिपि, का भी उल्लेख है।

## वज्जिका

वज्जिका या वृज्जिका, वृज्जि या वैशाली जनपद की बोली है। स्थूलतः मुजफ्फरपुर जिला तथा उसके आसपास की भूमि वैशाली जनपद समझी जाती है। सन् १९४१ ई० में 'विशाल भारत' में लिखते हुए महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने बिहार की जनपदीय भाषाओं, अंगिका, वज्जिका आदि की चर्चा की है। इसके प्राचीन साहित्य पर शोध-कार्य नहीं हुआ है, इससे लोगों को इसके विषय में विशेष पता नहीं है। वज्जिका में कुछ पुराने कवियों की छिट-फुट कविताएँ मिली हैं। प्रसिद्ध कवि मॅगनीराम की रचनाएँ वज्जिका-प्रभावित बताई जाती हैं। आज के कुछ व्यक्ति भी इस भाषा में गद्य-पद्य की रचनाएँ करने लगे हैं। इधर कुछ लोगों ने इस विषय पर अनुसंधान-कार्य करना आरम्भ कर दिया है। पटना के 'उत्तर-बिहार' और 'स्वतंत्रता' नामक पत्रों में वज्जिका के लेख और कविताएँ प्रकाशित होती हैं।

## मगही

मगही मागधी-अपभ्रंश से निकली है। साधारणतया पटना और गया जिले का क्षेत्र 'मगध' या 'मगह' कहलाता है। 'मगही' यहाँ की भाषा या बोली है। मगही में भी प्राचीन साहित्य प्राप्य नहीं है। सातवीं सदी के सुप्रसिद्ध भाषाकवि ईशान को लोग मगही का आदि-कवि समझते हैं। कई सिद्धों की रचनाओं में भी 'मगही' का प्रारम्भिक रूप देखने को मिलता है। अनुसंधान करने पर बहुत सम्भव है कि कुछ प्राचीन साहित्य मिले। सन् १८२६ ई० में ईसाइयों ने 'न्यू टेस्टामेंट' का और सन् १८९० ई० में सेंट मार्क ने 'रिवाइज्ड वर्सन ऑफ गोस्पेल' का 'मगही' में अनुवाद किया था। इधर कुछ लोगों ने इस भाषा पर कार्य करना आरम्भ किया है। अबतक इस भाषा में कुछ पुस्तकें और दो-एक पत्र-पत्रिकाएँ भी निकली हैं। कुछ लोगों का कहना है कि छोटानागपुर कमिश्नरी के विभिन्न जिलों में आदिम भाषाओं से भिन्न जो भाषाएँ बोली जाती हैं, वे मगही के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। साधारणतया इसे पूर्वी मगही भी कहते हैं।

## नागपुरिया

छोटानागपुर-कमिश्नरी में आदिम जाति की बोलियों से भिन्न जो बोली है, उसे कुछ लोग 'नागपुरिया' कहते हैं। कुछ लोगों ने इसका ही पूर्वी मगही नाम दिया है। इस बोली के भी कई भेद-विभेद बताये जाते हैं। राँची जिले के सिल्ली, बरंडा, रेढ़, बुन्डु और तमार—इन पाँच परगनों की बोली को 'पंचपरगनिया' कहते हैं। तमार में खास तौर से बोली जानेवाली बोली तमारिया कहलाती है। कुरमी लोगों की बोली को कुरमाली, कुरमालीथार, कोरथा, खत्ता या खत्ताही भी कहते हैं। नागपुरिया वास्तव में मगही, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बँगला और आदिम जातियों की भाषाओं की मिश्रित भाषा है। इ० एच० हिट्ली ने 'नोट्स ऑफ नागपुरिया हिन्दी' नामक पुस्तक लिखी थी। पी० इडनोज ने नागपुरिया में गोस्पेल का अनुवाद किया था। अब भी कुछ लोग इन बोलियों पर अनुसंधान-कार्य कर रहे हैं।

## भोजपुरी

भोजपुरी भोजपुर-क्षेत्र की भाषा या बोली है। पूर्वी बिहार एवं पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की लगभग ५० हजार वर्गमील भूमि 'भोजपुर' कहलाती है। साधारणतः, बिहार में शाहाबाद और सारन तथा पलामू और चम्पारन जिलों के अधिकांश भाग में भोजपुरी बोली जाती है। उत्तर-प्रदेश में यह बलिया, गाजीपुर ( पूर्वी अवध ), गोरखपुर ( सरयू और गंडक के बीच ), फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर ( पश्चिमी भाग ) और मिर्जापुर ( दक्षिणी भाग) जिलों में बोली जाती है। स्थान भेद से इस बोली के भी विभिन्न भेद बताये जाते हैं। साधारणतः, शाहाबाद, सारन और बलिया जिलों में तथा पलामू, चम्पारन, गाजीपुर और गोरखपुर जिलों के कुछ भागों में विशुद्ध भोजपुरी बोली जाती है।

कबीर, रविदास, दरियादास, धरनीदास आदि संत-कवियों की रचनाओं पर भोजपुरी का बहुत प्रभाव दीखता है। इनके बाद के कवियों में ठाकुर विश्रामसिंह, बाबा रामेश्वर दास, बाबा शिवनारायण, रघुवीर नारायण, रामकृष्ण वर्मा 'बलबीर', महादेव, तेग अली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इधर पन्द्रह-बीस वर्षों से लोग भोजपुरी की उन्नति के लिए अग्रसर हैं और इस भाषा में अच्छे-अच्छे विद्वान् गद्य-पद्य की पुस्तकें लिखने लगे हैं। समय-समय पर इस भाषा में दो-एक पत्रिकाएँ भी निकलती रही हैं, जिनमें 'भोजपुरी', 'अँजोर' तथा 'गाँव-घर' के नाम प्रमुख हैं।

## मुण्डा-भाषा-श्रेणी

मुण्डा भाषा-श्रेणी के अंतर्गत संताली, मुण्डारी, हो, खरिया, कोरवा, माहिली, भूमिज, बिरजिया, असुरी, तूरी, कुरमाली, कोरा, बिरहोर और अगरिया हैं। इन भाषाओं में संताली, मुण्डारी और हो बहुत प्रमुख हैं और इनमें से प्रत्येक के बोलनेवाले कई लाख की संख्या में हैं। इन भाषाओं में १९वीं शताब्दी के मध्य से ही अनुसंधान-सम्बन्धी कार्य हुए हैं।

**संताली**—इसके बोलनेवालों की संख्या लगभग २० लाख है। रोमन और देवनागरी-लिपि में संताली भाषा की दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। समय-समय पर इस भाषा में रोमन-लिपि में 'धरवक', 'इड-रड-बैसी', 'मलक', 'मारशल', 'पेड़ाहड़' और 'सागेन सकाम' नामक पत्रिकाएँ विभिन्न स्थानों से निकलती रही हैं। सन् १९४७ ई० से देवनागरी-लिपि में 'होड़-सोम्बाद' नामक

साप्ताहिक पत्रिका देवघर से प्रकाशित हो रही है। बिहार में माध्यमिक परीक्षा तक संताली को मान्यता प्राप्त है। इस भाषा की अपनी एक लिपि भी निकाली गई है।

**मुण्डारी**—मुण्डा-भाषाओं में संताली के बाद मुण्डारी का ही स्थान है। इसे मुण्डा-जाति के लोग बोलते हैं, जिनकी संख्या लगभग ६ लाख है। १९वीं सदी के अंत में ईसाइयों ने इस भाषा में कई व्याकरण और प्राइमर की रचना की थी। अँगरेजी में 'इनसाइक्लोपीडिया मुण्डारिका' दस जिल्दों में छपा हुआ है। इस भाषा में 'जगर सड़ा' नामक एक मासिक पत्र निकलता है। इस भाषा के माध्यम से मिड्ल तक की पढ़ाई की व्यवस्था है।

**हो**—इसे हो-जाति के लोग बोलते हैं। इसके बोलनेवाले लगभग ५ लाख हैं। यह मुण्डारी से बहुत मिलती-जुलती है, किन्तु व्याकरण और शब्दावली में अंतर है। सन् १८८६ ई० में इस भाषा का एक व्याकरण भी काशी से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद एक ईसाई पादरी ने एक बड़े व्याकरण की रचना की। इस भाषा को मिड्ल तक की शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त है।

### द्रविड़ भाषा-श्रेणी

द्रविड़ भाषा-श्रेणी के अंतर्गत उराँव, माल्टो, तेलुगु, तमिल, गोंडी, मलयाला, कनारी आदि भाषाएँ हैं। इनमें उराँव या कुड़ुँख बिहार में प्रमुख रूप से बोली जाती है।

**उराँव**—इसे उराँव-जाति के लोग बोलते हैं, जिनकी संख्या ५ लाख से अधिक है। इस बोली पर पहली पुस्तक सन् १८७४ ई० में प्रकाशित हुई थी। बाद को इसके व्याकरण और कोष भी बने। इस भाषा में देवनागरी-लिपि में बाइबिल का अनुवाद भी हुआ है। इस भाषा की एक पृथक् वर्णमाला और लिपि तैयार की गई है। सन् १९५२ ई० में राँची से इस भाषा में 'धुमकुरिया' नामक एक मासिक पत्र प्रकाशित हुआ था। इस भाषा के माध्यम से मिड्ल तक के स्कूल खोले जा सकते हैं।

## कृषि

बिहार मुख्यतया कृषि-प्रधान राज्य है। यहाँ की करीब ८६ प्रतिशत जन-संख्या कृषि पर निर्भर करती है, जबकि अखिलभारतीय औसत ६९·८४ प्रतिशत है। बिहार-राज्य के उत्तरी भाग में और गंगा की तराई में कृषि-योग्य भूमि अधिक है। यह भू-भाग खेती के लिए विशेष उपयोगी है और यहाँ पैदावार भी अधिक होती है। छोटानागपुर-भाग जंगलों और पहाड़ों से भरा होने के कारण कृषि के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। यह भाग खनिज-सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। बिहार भारत के अति समृद्ध एवं उर्वर भू-खंडों में एक है तथा यहाँ प्रायः सभी फसलें उपजाई जाती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें हैं—धान, ईख, मकई, गेहूँ, जौ, अरहर, जूट, तम्बाकू, मिर्च, आलू, सरसों, मटर, खेसारी आदि। दक्षिण-बिहार की भूमि उत्तर-बिहार की भूमि की तुलना में कम उपजाऊ है, फिर भी यहाँ धान, मकई, ज्वार, अरहर, ईख, तम्बाकू, गेहूँ, मिर्च, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि फसलें होती हैं। बिहार में फसलों के कटने के प्रमुख समय तीन हैं—बरसात, जाड़ा और वसन्त। बरसात में भदई फसल, जाड़ा में अगहनी फसल और वसन्त में रब्बी फसल होती है।

भदई की फसलें मई और जून में बोई जाती तथा अगस्त और सितम्बर में काटी जाती हैं। इस कोटि की फसलों में साठी चावल, मकई, ज्वार और जूट की फसलें प्रमुख हैं। मड़ुआ भी भदई की फसल के अन्दर आता है, जो निम्नकोटि की ज़मीन में होता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा जिलों में इसकी उपज होती है। गंगा के उत्तर का मैदान दक्षिण के मैदानों की अपेक्षा भदई की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। दियारा की भूमि में मकई की फसल का प्रचुर उत्पादन होता है। छोटानागपुर के क्षेत्र में साठी, ज्वार, उरीद, मूँग आदि फसलें भदई में आती हैं।

अगहनी फसलें जून के मध्य में बोई जाती हैं। जुलाई और अगस्त में धान के पौधों को एक खेत से उखाड़कर दूसरे खेत में रोपा जाता है। अगहन-पूस (नवम्बर-दिसम्बर) तक मुख्य अगहनी फसलें कट जाती हैं। इसी समय धान के अतिरिक्त दूसरी फसलें—जैसे ईख, तिल, ज्वार, कुल्थी आदि—भी कट जाती हैं। ईख फरवरी में बोई जाती है तथा नवम्बर से अप्रैल तक काटी जाती है।

बिहार में उपज की दृष्टि से चावल सबसे अधिक भू-भाग में उपजाया जाता है। गेहूँ, जौ, खेसारी, चना, मटर, तीसी, अरहर, राई, सरसों आदि रब्बी की फसलें हैं, जो आश्विन-कार्त्तिक में बोई जाती हैं तथा फाल्गुन-चैत्र महीने में काटी जाती हैं।

राज्य की कुल कृषि-योग्य भूमि के ५२ प्रतिशत में धान की खेती होती है। धान के अतिरिक्त गेहूँ, मकई, चना, जौ और ज्वार भी उपजाये जाते हैं। यहाँ के ८·६ प्रतिशत क्षेत्र में मकई की फसल होती है। दलहनों में खेसारी सबसे बड़े भू-भाग में पैदा की जाती है।

तेलहन के उत्पादन में भी बिहार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। खासकर, तीसी, सरसों, राई और रेंड़ी की यहाँ अच्छी उपज होती है। तीसी और तीसी के तेल के निर्यात में इस राज्य को प्रमुखता प्राप्त है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था में तेलहन का स्थान महत्त्वपूर्ण है।

ईख, जूट, तम्बाकू, मिर्च और आलू बिहार की मुख्य फसलें हैं, जिनसे नकद रुपये की प्राप्ति होती है। ईख-उत्पादन में उत्तर-प्रदेश के बाद बिहार का ही स्थान है। ईख की खेती में करीब ४ लाख व्यक्ति लगे हैं। ईख की उपज मुख्यतया चम्पारन, सारन, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में होती है। दक्षिण-बिहार के भी कुछ हिस्सों में यह उपजाई जाती है। ईख की उपज बढ़ाने तथा इसकी खेती को उन्नत करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। ईख की अच्छी उपज तथा किस्म के लिए पूसा में एक केन्द्रीय ईख-अनुसन्धानशाला तथा पटना में एक उप-अनुसन्धानशाला सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। मुजफ्फरपुर के पास मुसहरी नामक स्थान में ईख-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए एक अनुसन्धानशाला सन् १९३२ ई० में खोली गई थी। तम्बाकू और मिर्च की खेती मुख्यतः मुजफ्फरपुर, मुँगेर, पूर्णिया, दरभंगा और पटना जिलों में होती है। पूर्णिया और सहरसा जिलों में पाट की खेती की जाती है।

कृषि की उन्नति के लिए सरकार का एक अलग विभाग है। इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी निर्देशक तथा उनके अधीन एक संयुक्त निर्देशक तथा उपनिर्देशक होते हैं। बिहार-राज्य के अन्दर पटना, पूसा, सबौर तथा कांके में कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धान-शालाएँ हैं। अनुसन्धान-कार्य के संचालन एवं निर्देशन के लिए मुख्यालय में एक कृषि-अनुसंधान-संचालक की नियुक्ति की गई है। पूसा की अनुसन्धान-शाला सन् १९०४ ई० में कायम हुई थी। सन् १९३४ ई० के भूकम्प के बाद इसका अधिकतर महत्त्वपूर्ण भाग उठकर दिल्ली चला गया। फिर भी, इन दिनों यहाँ कई महत्त्वपूर्ण

अनुसन्धान-कार्य हो रहे हैं। धान और फलों के सम्बन्ध में अनुसन्धान के लिए सन् १९३२-३३ ई० में सबौर में अनुसन्धान-शालाएँ कायम की गईं।

मानभूम जिले के सिन्दरी नामक स्थान में कृत्रिम खाद के उत्पादन के लिए भारत-सरकार द्वारा जो कारखाना चलाया जा रहा है, वह अपने ढंग का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। इस कारखाने में उत्पादित बिजली से अन्य औद्योगिक कार्य भी होंगे।

कृषि-सम्बन्धी सरकारी कार्य के लिए सम्पूर्ण बिहार-राज्य चार भागों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक भाग में एक मुख्य केन्द्र, एक बड़ा फार्म और कुछ छोटे फार्म हैं। कुछ फार्मों में पशुओं के नस्ल-सुधार के भी कार्य किये जा रहे हैं। इन फार्मों में उन्नत बीजों, अच्छे ढंग के औज़ारों, सिंचाई की व्यवस्था और उपयोगी खादों के व्यवहार द्वारा खेती की जाती है तथा उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। कृषि-सम्बन्धी ये भाग, उनके केन्द्र एवं बड़े तथा छोटे फार्म निम्नांकित हैं—

| | भाग | केन्द्र | बड़े फार्म | छोटे फार्म |
|---|---|---|---|---|
| १. | तिरहुत | मुजफ्फरपुर | सेपाया (सारन) | मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, पूर्णिया और बिरौह (चम्पारन)। |
| २. | पटना | पटना | पटना | विक्रम (शाहाबाद), गया, नवादा और सिरीस (गया)। |
| ३. | भागलपुर | सबौर | सबौर | जमुई, मुंगेर, बाँका। |
| ४. | छोटानागपुर | काँके | काँके | पुरुलिया, चाईबासा, नेतरहाट और चियांकी (पलामू)। |

प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में खेतों की उपज की पूरी जानकारी एवं किसानों को कृषि-सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण कार्यकर्त्ता तथा तहसीलदार नियुक्त किये गये हैं। समय-समय पर वे कृषि-विनाशी कीटों एवं विभिन्न प्रकार के रोगों से फसलों की रक्षा करने के भी कार्य करते हैं। प्रत्येक थाने में एक कृषि-निरीक्षक तथा सबडिवीजनों एवं जिलों में कृषि-पदाधिकारी कृषि-सुधार एवं कृषि-विकास के लिए सरकार की ओर से नियुक्त हैं। ये लोग अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखण्ड की सहायता से कृषि के अतिरिक्त, दूसरे प्रकार के साहाय्य-कार्य भी करते हैं। ग्राम-पंचायतों की स्थापना के बाद पंचायत का मुखिया तथा ग्राम-सेवक इस कार्य में सरकारी कर्मचारियों एवं प्रभारियों की यथोचित सहायता करते हैं।

बिहार-राज्य की जन-संख्या ४ करोड़ ६५ लाख के लगभग है। सन् १९६६ ई० तक यह संख्या बढ़कर ५ करोड़ से अधिक हो जायगी। यदि प्रति व्यक्ति १७·५ औंस खाद्यान्न की खपत रखी जाय, तो राज्य में लगभग ७८·४२ लाख टन खाद्यान्न की जरूरत होगी। तृतीय योजना में २६·२७ लाख टन अतिरिक्त अन्न की उपज की संभावना है। इसमें २०·२७ टन खाद्यान्न होंगे। इस प्रकार, तृतीय योजना की समाप्ति पर राज्य में खाद्यान्न की उपज लगभग ८२·७३ लाख टन हो जायगी।

खाद्यान्नों के अतिरिक्त ऊख, तेलहन, फल, सब्जियाँ, पटसन आदि अन्य कृषि-उत्पादनों की वृद्धि का भी लक्ष्य रखा गया है। कृषि की परियोजनाओं पर राज्य में कुल १७ करोड़ ४७ लाख ६१ हजार का अनुमित व्यय रखा गया है।

पंचवर्षीय योजना शुरू होने के पहले बिहार में एक कृषि-कॉलेज सबौर में था। प्रथम योजना-काल में रांची में भी एक कृषि कॉलेज स्थापित हुआ। द्वितीय योजना-काल में ढोली (मुजफ्फरपुर) में एक और कॉलेज चालू कर दिया गया है। तीनों महाविद्यालयों में २०० विद्यार्थियों के लिए स्थान हैं। राज्य में बुनियादी कृषि-विद्यालयों में पाठ्य-क्रम बढ़ाकर दो साल का कर दिया गया है। ग्राम-सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिए चार केन्द्र खोले गये हैं। तृतीय योजना-काल में कृषिक शिक्षा का और भी विस्तार होगा।

तृतीय योजना-काल में बंजर भूमि को आबाद करने के लिए १ करोड़ ६८ लाख रुपये का खर्च रखा गया है। इस अवधि में कुल ७५ हजार एकड़ बंजर भूमि को आबाद करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम योजना की अवधि में १·६१ लाख एकड़ भूमि मानव-श्रम द्वारा और ७ हजार एकड़ भूमि ट्रैक्टर द्वारा आबाद की गई। द्वितीय योजना-काल में मानव-श्रम द्वारा १८ हजार और ट्रैक्टर द्वारा २६ हजार एकड़ भूमि आबाद की गई। राज्य में ४ सामुदायिक विकास-प्रखण्डों में—एकंगरसराय (पटना), सकरा (मुजफ्फरपुर), सबौर (भागलपुर) और तोपचाँची (रांची) में चकबन्दी का काम शुरू हो गया है। अभी तक ३० गांवों में यह योजना कार्यान्वित की गई है। दूसरी योजना के अंत तक ५० हजार एकड़ भूमि की चकबंदी हुई है। तृतीय योजना-काल में और ५ लाख एकड़ भूमि में चकबंदी की जानेवाली है। प्रथम योजना-काल में लघु सिंचाई योजनाओं से ७·७५ लाख एकड़ भूमि में खेती हुई है। सन् १९६०-६१ ई० में इसका क्षेत्रफल बढ़कर १७·७५ लाख एकड़ हुआ। आशा है कि तृतीय योजना की समाप्ति पर यह बढ़कर २२·७२ लाख एकड़ तक पहुंच जायगा।

छोटानागपुर-प्रमण्डल की उपत्यका, संतालपरगना जिला तथा भागलपुर, मुँगेर, गया और शाहाबाद जिलों के कुछ हिस्सों में भू-क्षरण की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। द्वितीय योजना-काल में इस समस्या की ओर ध्यान दिया गया और ६७,००० एकड़ ऐसी भूमि का संरक्षण-कार्य पूरा हो चुका है। इस मद में लगभग १६१·५६ लाख रुपया खर्च हुआ। तृतीय योजना-काल में भू-संरक्षण की मद में २५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं में कृषिक उपलब्धियाँ तथा तृतीय योजना के लक्ष्य नीचे दिये जा रहे हैं—

## उत्पादन

( पंचवर्षीय औसत लाख टनों में )

| | १९५१—५६ ( प्रथम योजना-काल ) | १९५६—६१ ( द्वितीय योजना-काल ) | तृतीय योजना लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| खाद्य-उत्पादन का स्तर— | ४६·०३ | ५६ | |
| अतिरिक्त खाद्योत्पादन की संभाव्यता— | ७·२२ | + ११·७ | +२०·२७ |

## बंजर भूमि-उद्धार

बिहार में कुल खेती-योग्य बंजर भूमि—३२ लाख एकड़

| | प्रथम योजना | द्वितीय योजना | तृतीय योजना |
|---|---|---|---|
| बंजर भूमि, जिसका उद्धार किया गया (लाख एकड़ों में) | १०६२ | ०·४४ | ०·७५ |

★

# सिंचाई और बिजली

## सिंचाई

बिहार में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। किन्तु, मौनसून की अनिश्चितता एवं वर्षा के न्यूनाधिक्य से यहाँ अच्छी उपज नहीं हो पाती। सर्वत्र समान रूप से वर्षा न होने से किसी भाग में सूखा रहता है, तो कहीं बाढ़ आती है। अतः, कृषि की अच्छी उपज के लिए सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था अनिवार्य है। सिंचाई के प्रमुख साधन हैं—नहर, आहर, बाँध, नाला, कूप, नल-कूप, पंपिंग सेट, बिजली आदि।

### नहरें

**सोन-नहर**—बृहत् सिंचाई-योजना के अन्तर्गत यह नहर सबसे बड़ी और पुरानी है। यह सन् १८७५ ई० में पूर्णतया तैयार हो गई थी। इसकी लम्बाई १,५८७ मील है, जिसमें ३६२ मील में मुख्य नहर एवं १,२२५ मील में शाखा-नहरें हैं। इसका ८५ प्रतिशत व्यवहार खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए होता है तथा १५ प्रतिशत रब्बी की फसलों की सिंचाई के लिए। सोन-नहर की वर्त्तमान सिंचन-प्रणाली से इस समय ८.५८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त बहे हुए जल से करीब ५ लाख एकड़ भूमि सींची जाती है। सोन-नहर-प्रणाली के नवीकरण एवं विस्तार से करीब ५ लाख एकड़ भूमि तथा नहर की सतह ऊँची कर देने से करीब २ लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी। सोन-नहर-बराज से विभिन्न उद्योगों के लिए करीब ७,००० किलोवाट बिजली ७ महीनों के लिए तथा १४,००० किलोवाट बिजली ५ महीनों के लिए निकालने की भी योजना है।

**त्रिवेणी-नहर**— उत्तर-बिहार में केवल यही एक बड़ी नहर-प्रणाली है। इस नहर की खुदाई का काम सन् १९१४ ई० में पूरा हो गया था। यह नहर २४६½ मील लम्बी है। इस नहर में ६१½ मील मुख्य तथा १८५½ मील की वितरक शाखाएँ हैं। इससे चम्पारन की करीब १,१६,००० एकड़ भूमि सींची जाती है। त्रिवेणी-नहर-विस्तार के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

**तेउर-नहर**—इस नहर की मुख्य शाखा अपनी १६ वितरक शाखाओं के साथ ६ मील लम्बी है। इससे चम्पारन जिले की करीब, ४,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होती है।

सोन और चम्पारन की नहरों से कुल १,०४३ लाख एकड़ भू-क्षेत्र में सिंचाई होती है।

**सारन की नहरें**—नील के पौधों की सिंचाई के लिए सन् १८७६ ई० में नील-उत्पादकों के साथ हुए समझौते के अनुसार ८ लाख रुपये की लागत से यह नहर खुदवाई गई थी। अनेक कारणों से सन् १८९८ ई० में इस नहर का काम बन्द कर दिया गया। अभी हाल में ४७४ लाख रुपये के व्यय से १०,९०० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए यह पुनः खोदी गई है।

**सकरी-नहर**—यह नहर सन् १९५० ई० में खोदी गई ३४ मील लम्बी वितरक शाखाओं के साथ इसकी लम्बाई १२ मील है। इस नहर द्वारा मुँगेर, गया और पटना की करीब ५० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

कमला-नहर—२२·५७ लाख रुपये की लागत से यह नहर कमला नदी से निकाली गई है, जिससे करीब ३,८०००० एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है।

## नल-कूप (ट्यूब-वेल)

कूपों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था बहुत पहले से होती आई है। किन्तु, नल-कूपों से सिंचाई का काम प्रयोगात्मक रूप में सन् १९३८-३९ ई० में आरम्भ किया गया।

## सिंचाई की नई उत्कृष्ट योजना

बिहार की कृषि-योग्य भूमि की सिंचाई के लिए एक उत्कृष्ट योजना तैयार की गई है। बिहार की कुल २५५·६० लाख एकड़ खेती-लायक जमीन में १०४ लाख एकड़ की निश्चित रूप में सिंचाई हो सकेगी।

दक्षिण-बिहार के मैदानों में सम्पूर्ण जलस्रोत १०२·९ लाख एकड़-फुट है, जिसमें ६५ लाख एकड़-फुट का उपयोग कुल खेती लायक जमीन, ७०·८९ लाख एकड़ में से २९ लाख एकड़ भूमि के पटाने में इस समय किया जा सकता है। छोटानागपुर और संतालपरगना के उपत्यका-क्षेत्र में सम्पूर्ण जल-स्रोत १६७ लाख एकड़-फुट है, जिसमें ३०·७ लाख एकड़-फुट का उपयोग कुल खेती-लायक जमीन, ८१·४४ लाख एकड़ में से १०·६० लाख एकड़ के पटाने में किया जा सकता है।

उत्तर-बिहार में नदियों की प्रचुरता है और विशाल जल-स्रोत हैं। वहाँ मुख्यतः बाढ़-नियंत्रण की समस्या है। सिंचाई की योजनाएँ परिकल्पित की गई हैं, जिनसे कुल १०३·४ लाख खेती-लायक जमीन में से ६४ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए १२२·४ लाख एकड़-फुट जल का उपयोग किया जा सकता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के पूर्व बिहार में कुल १०·२७ लाख एकड़ जमीन की निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त थीं। प्रथम योजना-काल के अन्त में २·१६ लाख एकड़ की सिंचाई का उपयोग किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६·७९ लाख एकड़ भूमि की अतिरिक्त सिंचाई की संभाव्यता का लक्ष्य रखा गया था।

## कोशी-परियोजना

पिछले १५० वर्षों में कोशी नदी क्रमशः दाईं ओर खिसकती हुई करीब ७० मील पश्चिम हटी है। इससे बिहार और नेपाल की करीब ८ हजार वर्गमील जमीन बंजर हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों से होती हुई यह नदी चतरा ( नेपाल ) के पास समतल भूमि में प्रवेश करती है। कोशी के प्रकोप से राष्ट्र को हर वर्ष १० करोड़ रुपये की क्षति उठानी पड़ी है। कोशी पर काबू पाने के लिए १४ जनवरी, १९५५ ई० को ४४ करोड़ ७६ लाख रुपये की एक परियोजना चालू की गई। इसकी बहती धाराओं के दोनों ओर करीब ७५-७५ मील के दो तटबन्धों ने कोशी के दायरे को ३ से १० मील के अन्तर्गत सीमित कर दिया है। इन दोनों तटबन्धों में पूर्वी तटबन्ध की ओर १६ मील तथा पश्चिमी तटबन्ध की ओर ४ मील आगे बढ़ाया जायगा। बराज के जलाशय से नहरों के लिए पानी मिलने लगेगा, जिससे करीब २५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। मुख्य पूर्वी नहर पर एक विद्युत्-उत्पादन-गृह बनाया जायगा, जिसकी अधिष्ठापित क्षमता ( इन्स्टॉल्ड कैपेसिटी )

२०,००० किलोवाट होगी। जितनी बिजली पैदा की जायगी, उसका आधा हिस्सा नेपाल को मिलेगा। बिहार और नेपाल की ८ हजार वर्गमील भूमि को कोशी की उच्छृङ्खलता से राहत मिली है। साथ ही, बिहार और नेपाल की करीब ६ लाख एकड़ खेती-लायक जमीन का बचाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। परियोजना के अनुमोदित कार्यक्रम में पूर्वी कोशी-नहर-प्रणाली बनाने की बात थी, जिसमें एक नहर, चार शाखा-नहरें और प्रशाखा-नहरें शामिल हैं। इन नहरों से पूर्णिया और सहरसा जिलों में १४ लाख एकड़ जमीन की फसलों की सिंचाई होगी।

नहरों की खुदाई २ अप्रैल, १६५७ ई० में शुरू की गई। इन नहरों से नहरी इलाकों में निश्चित सिंचाई के अलावा पूर्णिया तथा सहरसा जिले की करीब तीन लाख ५० हजार एक बंजर भूमि को आबाद करने में सहायता मिलेगी।

बराज के जलाशय से दो और सिंचाई-योजनाओं को कोशी-परियोजना के विस्तार के रूप में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है—१. पश्चिमी कोशी नहर-प्रणाली तथा २. राजपुर नहर-प्रणाली। पश्चिमी नहर-प्रणाली से दरभंगा जिले की ७ लाख २० हजार एकड़ जमीन की तथा राजपुर नहर-प्रणाली से सहरसा जिले की ४ लाख २० हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि की फसलों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

## गण्डक-योजना

गंडक नदी नेपाल की पहाड़ियों तथा वन-प्रान्तर से होती हुई, भारत-नेपाल-सीमा के पास चम्पारन जिले के त्रिवेणी नामक स्थान में समतल में प्रकट होती है। त्रिवेणी से पटना के सामने तक, जहाँ यह नदी गंगा में गिरती है, इसकी धारा १७३ मील लम्बी है, जिसमें से दाहिने तट का ११½ मील नेपाल को छूता है।

गंडक-घाटी, जिसमें प्रति वर्गमील १,०२० व्यक्ति निवास करते हैं, इस देश की सर्वाधिक घनी आबादीवाले क्षेत्रों में से है। साथ ही, यह उत्तर-बिहार और नेपाल के सर्वाधिक उर्वर तथा समृद्ध कृषि-क्षेत्रों में से है। इस सम्बन्ध का प्रथम सुसम्बद्ध योजना-प्रतिवेदन सन् १६५१ ई० में तैयार किया गया। सन् १६५६ ई० के ४ दिसम्बर को बराज-निर्माण के स्थान-सम्बन्धी नेपाल से समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। गण्डक-योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य होंगे—

१. वर्त्तमान त्रिवेणी नहर-प्रणाली के शीर्ष-नियामक (हेड-रेगुलेटर) से लगभग १ हजार फुट नीचे भैंसालोटन में सड़क-पुल के साथ २,७४६ फुट लम्बे बराज का निर्माण।

२. बिहार के सारन जिले में १४·०८ लाख एकड़ तथा उत्तरप्रदेश में ८·३१ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए जल-नियंत्रक बाँध से १५,८०० घनफुट प्रति क्षण जल-निःसरण के लिए मुख्य पश्चिमी नहर का निर्माण। मुख्य नहर की कुल लम्बाई १२० मील होगी, जिसमें से ११½ मील नेपाल में पड़ेगी, ६८½ मील गोरखपुर और देवरिया जिलों में और शेष बिहार के सारन जिले में।

३. मुख्य पूर्वी नहर का निर्माण, जिसमें नियंत्रक बाँध से १४,११० घनफुट प्रतिक्षण जल-निःसरण होगा। इससे बिहार के चम्पारन, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिलों में १७·५४ एकड़ भूमि और नेपाल के तीन जिलों में १,०३,५०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इस नहर की कुल लम्बाई १५५ मील होगी और यह चम्पारन, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों से होकर जायगी। इस योजना से बिहार में प्रति वर्ष २६·५२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

## बिजली

बिहार-बिजली-बोर्ड की ग्रामीण वैद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सन् १९६२-६३ ई० के वित्तीय वर्ष में २०७ गाँवों में बिजली लगेगी, जिनमें अधिकांश उत्तर बिहार के गाँव होंगे। कुल मिलाकर एक हजार गाँवों में तृतीय योजना-काल में बिजली लगेगी—प्रति वर्ष लगभग २०० गाँवों में। दूसरी योजना के अंत तक लगभग १८०० गाँवों में बिजली लग चुकी है। वर्त्तमान वर्ष में वैद्युतीकरण के कार्यक्रम में लगभग ५६·३० लाख रुपया खर्च किया जायगा। वर्त्तमान वर्ष में जिलेवार गाँव इस प्रकार लिये जायेंगे: दरभंगा ३५, सहरसा ७; मुजफ्फरपुर ३१; चंपारन २७; सारन २३; मुँगेर १६; पूर्णिया २६; शाहाबाद १५; पटना १४; संथाल-परगना ३ और पलामू २।

## जंगल

बिहार में जंगल का कुल क्षेत्रफल ७० हजार वर्गमील है, जिसमें सीमांकित जंगल-क्षेत्र १३,३१४ वर्गमील है। जंगली क्षेत्र प्रधानतः छोटानागपुर-प्रमण्डल में हैं। भागपुर-प्रमण्डल के भागलपुर, मुँगेर तथा संतालपरगना और पटना-प्रमण्डल के पटना, गया और शाहाबाद जिलों में कुल जंगली क्षेत्र हैं। उत्तर-बिहार में पूर्णिया और चम्पारन जिलों के कुछ हिस्सों में जंगल हैं, जिनका क्षेत्रफल ३६० वर्गमील है। शाल के उपवन के लिए भी ये स्थान बहुत उपयुक्त हैं।

जंगल से बिहार-सरकार को प्रतिवर्ष १६५·७५ लाख रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं। जंगलों से लोग बिना मूल्य जो लकड़ी और जलावन ले जाते हैं, उनका मूल्य ६६·८५ लाख और पशुओं को मुफ्त चराने का मूल्य ४० लाख रुपया कूता गया है।

१० वर्ष पूर्व सरकार ने जंगलों की व्यवस्था अपने हाथ में ली थी। वन-विभाग के मुख्य पदाधिकारी वन-परिरक्षक कहे जाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में जंगलों की व्यवस्था एवं उन्नति की विभिन्न मदों में १ करोड़ २५ लाख रुपये का खर्च रखा गया था। द्वितीय योजना-काल में १ करोड़ ७६ लाख रुपये से अधिक खर्च हुआ। नये जंगल लगाने के लिए २·०८ लाख एकड़ भूमि का सर्वेक्षण हुआ है। उत्तर और दक्षिण-बिहार की बंजर भूमि में जंगल लगाने के लिए २५ हजार एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया गया। २ हजार एकड़ भूमि में सलाई की लकड़ी के तथा १ हजार एकड़ भूमि में सागवान की लकड़ी के जंगल लगाये गये हैं। १, ३६५ मील लंबी सड़कें बनी हैं तथा आवास-गृहों एवं विश्राम-गृहों का निर्माण हुआ है।

इस बात की कोशिश की जा रही है कि तीसरी योजना के अन्त तक १० हजार एकड़ भूमि में सागवान के, १५ हजार एकड़ भूमि में बाँस के और १ हजार एकड़ भूमि में सलाई की लकड़ी के जंगल लगाये जायेंगे। तीसरी योजना की अवधि में राज्य-भर में ४१ हजार एकड़ भूमि में नये जंगल लगाये जायेंगे। सूखी लकड़ी की बिक्री के लिए दक्षिण बिहार में १७ और उत्तर बिहार में ३ डिपो खोले जानेवाले हैं।

वन-विभाग से सम्बद्ध कई उद्योग भी हैं। रामगढ़ में लकड़ी चीरने का एक कारखाना खुल रहा है, जिसमें पैकिंग-बक्स तैयार होंगे। इन बक्सों की कारखानों में बड़ी माँग है।

आदिवासी लड़कों को बढ़ईगिरी का प्रशिक्षण देने की भी एक योजना है। मधु, सेमल की रुई, आँवला, पशु के चारे की घास के उपयोग पर भी जोर दिया जाने लगा है। गत वर्ष लगभग २० हजार पाउण्ड मधु तैयार करके बिक्री के लिए भेजे जाने की बात थी। घास-संग्रह के लिए कई केन्द्र खोले गये हैं। इस प्रकार ५० से ६० लाख मन तक घास प्रतिवर्ष बाजार में भेजी जा सकती है। और इससे वन-विभाग को लगभग १० लाख की अतिरिक्त आय हो सकती है। उत्तर-विहार के वनरोपण-विभाग का प्रधान कार्यालय पूर्णिया से बेतिया आ गया है।

वन्य पशु—विहार के जंगलों में जो वन्य पशु पाये जाते हैं, उनमें सिंहभूम के हाथी; पलामू के अरना भैंसा और कोडरमा के साँभर प्रसिद्ध हैं। बाघ और चीता सर्वत्र जंगलों में पाये जाते हैं। चम्पारन में गैंड़े, पूर्णिया में जंगली भैंसे और शाहाबाद में काले मृग पाये जाते हैं। विभिन्न जातियों के तीतर पक्षी तथा अन्य पक्षी सिंहभूम, मुँगेर, हजारीबाग, पलामू, गया, राँची और शाहाबाद में मिलते हैं।

शिकार-आश्रय-स्थल—विहार में सर्वप्रथम सन् १६३२ ई० में सिंहभूम जिले के कोलहन वन-प्रमण्डल के बमिया-बूरू वन-प्रखण्ड में एक शिकार-आश्रय स्थल की सृष्टि की गई थी। इसके बाद क्रमशः पाँच और आश्रय-स्थल, कुल १७२ वर्गमील जंगली क्षेत्रों में, निर्मित हुए हैं। ये आश्रय-स्थल सिंहभूम जिले के सरंडा, बमिया-बूरू और सीगरा नामक स्थानों में, पलामू जिले के बरेसंड तथा हजारीबाग जिले के कोडरमा नामक स्थानों में हैं

नेशनल पार्क—हजारीबाग जिले में एक नेशनल पार्क विकसित किया गया है। तिलैया और कोनार बाँध, बोकारो थर्मल पावर-स्टेशन और पारसनाथ पहाड़ी के यह बहुत समीप है। नेशनल पार्क के अन्दर चुने हुए स्थलों में ऊँची मीनारें बनी हुई हैं, जहाँ से जंगली जानवरों को उनके स्वाभाविक परिवेश में देखा जा सकता है और मनोहर दृश्य-चित्र का आनन्द लिया जा सकता है।

## पशु-पालन

भारत-जैसे कृषि-प्रधान देश की अर्थ-व्यवस्था में पशु-पालन का विशेष स्थान है। सन् १६५५-५६ ई० की पशु-गणना के अनुसार भारत में २१ करोड़ ३० लाख मवेशी ( गाय, बैल और भैंस ), ४ करोड़ भेंड़, ५ करोड़ बकरियाँ तथा ७ करोड़ ३० लाख कुक्कुटादि थे।

पशुओं की नस्ल के सुधार के लिए राज्य को निम्नांकित चार प्रमुख पशु-प्रजनन अंचलों में विभक्त किया गया है—

१. बछौड़-अंचल—यह उत्तर-विहार में नेपाल की सीमा के समानान्तर फैला हुआ है। इस अंचल में चम्पारन जिला, मुजफ्फरपुर का सीतामढ़ी सब-डिवीजन, दरभंगा जिले के सदर और मधुबनी सब-डिवीजन, सहरसा जिला तथा कटिहार सब-डिवीजन को छोड़कर पूर्णिया जिले के अन्य सभी सब-डिवीजन पड़ते हैं। यहाँ की बछौड़-नस्ल के बैल खेती के लिए समस्त उत्तर विहार में उत्तम और प्रसिद्ध हैं।

२. हरियाना-अंचल—यह अंचल गंगा नदी के कछार से उसके दोनों तरफ फैला हुआ है। इस अंचल में पहाड़ी इलाके को छोड़कर शाहाबाद जिले का शेष भाग, पटना जिले का बाढ़ सब-डिवीजन, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र ( जमुई सब-डिवीजन ) को छोड़कर मुंगेर जिले के अन्य सभी सब-डिवीजन, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों ( बांका सब-डिवीजन ) को छोड़कर भागलपुर के अन्य सभी सब-डिवीजन, सारन जिला, मुजफ्फरपुर जिले के सदर और हाजीपुर सब-डिवीजन, दरभंगा जिले का समस्तीपुर सब-डिवीजन, पूर्णिया जिले का कटिहार सब-डिवीजन तथा संतालपरगना के दियारा-क्षेत्र पड़ते हैं। इस अंचल के पशुओं का पंजाब की प्रसिद्ध हरियाना-नस्ल के द्वारा विकास किया जा रहा है।

३. थारपारकर-अंचल—इस अंचल में बाढ़ सब-डिवीजन को छोड़कर पटना जिले के अन्य सभी सब-डिवीजन तथा ग्रैंड-ट्रंक रोड से उत्तर गया जिले के हिस्से पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में थारपारकर-नस्ल के द्वारा स्थानीय गायों की नस्ल को उन्नत किया जा रहा है।

४. (क) शाहाबादी-अंचल—इस अंचल में पलामू जिला, हजारीबाग जिला, ग्रैंड-ट्रंक रोड से दक्षिण, गया जिले का हिस्सा तथा नवादा सब-डिवीजन पड़ते हैं। यह अंचल शाहाबादी नाम की एक विशेष नस्ल के विस्तार के लिए उपयुक्त है, जो दुग्ध-उत्पादन और कृषि की दृष्टि से शाहाबाद और इसके निकटवर्त्ती क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय है।

(ख) लालसिन्धी अंचल—इस अंचल में राँची तथा सिंहभूम जिले पड़ते हैं।

पशुशालाएँ—उन्नत साँड़ों को पैदा करने के लिए उपर्युक्त अंचलों में निम्नांकित पशुशालाएँ ( कैट्ल फार्म ) खोली जा चुकी हैं— १. बछौड़ कैट्ल फार्म, पूसा, दरभंगा; २. हरियाना कैट्ल फार्म, डुमराँव, शाहाबाद; ३. राजकीय कैट्ल फार्म ( थारपारकर ), पटना; ४. राजकीय कैट्ल फार्म ( लालसिंधी ), गौरियाकरमा; ५. रेड पूर्णिया कैट्ल फार्म, पूर्णिया और ६. राजकीय कैट्ल फार्म ( शाहाबाद ), सरायकेला।

पशु-चिकित्सालय—अबतक इस राज्य में ४६४ पशु-चिकित्सालय खोले गये हैं। इनके अतिरिक्त १८ चल-चिकित्सालय भी हैं।

दुग्धशालाएँ—बरौनी में एक मक्खन-शाला का शिलान्यास ३० दिसम्बर, १९५६ ई० को राष्ट्रपति द्वारा सम्पन्न हुआ। इस दुग्धशाला में दूध से बने पदार्थों का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। पटना, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में दूध की आपूर्त्ति के लिए सहयोग-समितियाँ काम कर रही हैं।

## पशु-पक्षियों का विकास

कुक्कुटादि—कुक्कुटादि के विकास-सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए अबतक तीन कुक्कुट-शालाएँ दस कुक्कुट-विकास-केन्द्र, इक्कीस कुक्कुटादि प्रसार-केन्द्र तथा बयालीस अण्ड-जनन एवं एक अभिपोष्य केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानों में खोले जा चुके हैं।

बकरे-बकरियाँ—सरकार की ओर से यमुनापारी बकरे, विकास-खण्ड के उन ग्रामों में, जहाँ बकरियों की संख्या ज्यादा है, ग्राम-पंचायत के मुखिया या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास नस्ल-सुधार के लिए रखे जाते हैं। कृत्रिम प्रजनन-केन्द्रों में उन्नत बकरे कृत्रिम गर्भाधान के लिए रखे गये हैं। इन बकरों की सेवा निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। आदिवासी कल्याण-योजना के अन्तर्गत, आदिवासियों को उन्नत यमुनापारी बकरे मुफ्त देने की व्यवस्था है।

भेड़—भेड़ प्रधानतः छोटानागपुर-कमिश्नरी तथा दक्षिण-बिहार में ऊन-उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। सरकार की ओर से प्रतिवर्ष ५० बीकानेरी भेड़ गड़ेरियों के बीच मुफ्त बाँटे जाते हैं। गया में एक ऊन-विश्लेषण-प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। राज्य के विभिन्न स्थानों में चार ऊन-कतरन तथा चार ऊन-विकास-केन्द्रों की स्थापना की गई है।

सूअर—देहाती सूअरों के नस्ल-सुधार के लिए यार्कशायरी नामक सूअर की नस्ल के सूअरों के प्रजनन की योजना डुमरांव, पूसा तथा गौरीकरमा की पशु-शालाओं में चालू है। इस योजना के अन्तर्गत, आदिवासी क्षेत्रों में २० सूअर तथा २० उन्नत सूअरियाँ प्रतिवर्ष नस्ल-सुधार के लिए मुफ्त बाँटी जाती हैं।

## गोशालाओं का विकास

इस समय बिहार-राज्य में लगभग डेढ़ सौ गोशालाएँ हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य-सरकार ने गोशालाओं के विकास के लिए एक योजना तैयार की थी। इस योजना का उद्देश्य गोशालाओं के पास उपलब्ध साधनों, भू-सम्पत्ति, भवन आदि का अधिकतम उपयोग करते हुए गोशालाओं का विकास करना है, ताकि इन गोशालाओं से नागरिकों को दूध की आवश्यकता की पूर्ति होने के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में पशु-सुधार-कार्य के लिए कुछ संख्या में उत्तम नस्ल के साँड़ तैयार किये जा सकें।

इस योजना के अन्तर्गत (१) उन्नत नस्ल की दस गायें तथा एक साँड़, विकास-कार्य के लिए चुनी गई प्रत्येक गोशाला को दिये जाते हैं, बशर्ते कि उन्नत नस्ल की इतनी ही गायें और साँड़ गोशाला की ओर से भी दिये जायें। (२) दुधारू गायों के पालन-पोषण पर बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिए दो हजार रुपये वार्षिक की आवर्त्तक सहायता दी जाती है। (३) उन्नत नस्ल के साँड़ द्वारा प्रजनित प्रत्येक बाछा को उचित रूप से पोसने के लिए दस रुपये मासिक सहायता दी जाती है। (४) औजारों आदि की खरीदगी तथा मौजूदा मकान की मरम्मत और सुधार के लिए पाँच हजार रुपये की अनावर्त्तक सहायता दी जाती है।

गोशाला-विकास-योजना के अन्तर्गत सन् १६५६-६० ई० तक ५३ गोशालाओं को विकास-कार्य के लिए हाथ में लिया गया। इन गोशालाओं को वैज्ञानिक ढंग की व्यवस्था, शुद्ध दुग्धोत्पादन, पालन-पोषण एवं अभिजनन के सम्बन्ध में सलाह देने लिए राज्य-सरकार ने एक गोशाला-विकास-पदाधिकारी की नियुक्ति की है, जिसका कार्यालय पटना में है।

# खनिज पदार्थ

खनिज पदार्थ के मामले में बिहार भारत का सर्वाधिक सम्पन्न राज्य है। वर्त्तमान समय में बिहार भारत के कुल खनिज-उत्पादन के ४० प्रतिशत की पूर्ति करता है। यहाँ कई ऐसे खनिज पदार्थ पाये जाते हैं, जिनकी बिक्री द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में इसका योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यहाँ की खनिज समृद्धि को देखकर यह आशा की जाती है कि भविष्य में बिहार भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बन सकेगा।

अबतक राज्य-सरकार के अधीन खान एवं खनिज-पदार्थ-सम्बन्धी कार्यों के लिए एक छोटा-सा खान-विभाग है, जिसके प्रमुख प्रधान खान-पदाधिकारी (चीफ माइनिंग ऑफिसर) होते हैं। सन् १९४९ ई० में भारत-सरकार द्वारा खनिज-सुविधा-नियम (मिनरल्स कन्सेशन रूल्स) बनाये गये, जिनका उद्देश्य राज्य-सरकारों द्वारा दी जानेवाली लीज एवं अनुज्ञा-पत्र का नियमन करना था। प्रधान खान-पदाधिकारी तथा आठ जिला-खान-पदाधिकारियों के प्रमुख कार्य स्वीकृति के प्रमाण-पत्र के लिए दिये गये आवेदन-पत्रों की जाँच-पड़ताल तथा उनका नवीकरण एवं अनुज्ञा-पत्र तथा लीज के आवेदन-पत्रों की जाँच-पड़ताल एवं नवीकरण हैं। राजस्व-संग्रह के अतिरिक्त प्रधान खान-पदाधिकारी तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का कार्य यह निरीक्षण करना है कि खानों की खुदाई एतत्सम्बन्धी कानूनों, नियमों एवं आदेशों के अनुसार की जा रही है, अथवा नहीं। साथ ही, यह विभाग उन खानों की व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है, जिनकी खुदाई राज्य-सरकार द्वारा होती है। यह छोटे-मोटे खनिजों की खुदाई के लिए आदेशन-पत्र भी देता है।

केन्द्रीय सरकार के भूगर्भ-सर्वेक्षण-विभाग एवं भारतीय खान-विभाग द्वारा इस राज्य में भी खनिजों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य किये जाते हैं; जैसे—शाहाबाद जिले के अमजोर नामक स्थान में पाइराइट की खान का पता लगाना, बिहार की कोयला-खानों का विस्तृत सर्वेक्षण आदि। सन् १९५६ ई० में राज्य-सरकार ने भूगर्भ-शास्त्र का एक पृथक् निदेशालय (डायरेक्टरेट) खोला है। इसका मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के भूगर्भ-शास्त्रीय सर्वेक्षण-विभाग को खनिजों की खोज एवं सर्वेक्षण में सहायता प्रदान करना है। इसके लिए एक निदेशक, एक उप-निदेशक तथा आठ भूगर्भ-शास्त्रज्ञों के पद स्वीकृत किये गये हैं। सितम्बर, १९५८ ई० में माइनिंग और जियोलॉजी नामक दो विभाग उक्त निदेशालय में मिला दिये गये हैं।

बिहार के कुछ प्रमुख खनिज पदार्थ निम्नांकित हैं—

**कोयला**—यह भारत में सबसे अधिक परिमाण में पाया जानेवाला खनिज पदार्थ है। सम्पूर्ण देश के कुल कोयला-उत्पादन का लगभग ६६ प्रतिशत भाग बिहार ही देता है। इसके बाद क्रम से बंगाल और मध्यप्रदेश का स्थान है। बिहार में झरिया की खान से ही भारत को करीब ५० प्रतिशत कोयला प्राप्त होता है। यहाँ का कोयला सबसे अच्छी क़िस्म का है। यहाँ की खानों में ३३ अरब टन कोयला प्राप्त होने का अनुमान है। झरिया की खान के बाद बोकारो और करनपुरा कोयला-क्षेत्र का स्थान है। बोकारो का कोयला-क्षेत्र २२० वर्गमील में है। यहाँ १ अरब टन कोयला पाये जाने का अनुमान है।

उत्तरी और दक्षिणी करनपुरा के कोयला-क्षेत्र का क्षेत्रफल ६२० वर्गमील है। इसका कुछ भाग राँची जिला में और कुछ पलामू जिला में पड़ता है। यहाँ करीब ६ अरब टन कोयला होने का अनुमान किया गया है। अन्य छोटे-छोटे कोयला-क्षेत्र ये हैं—पलामू जिले में (१) डालटनगंज कोयला-क्षेत्र, (२) हुतार कोयला-क्षेत्र और (३) औरंगा कोयला-क्षेत्र; हजारीबाग जिले में (४) गिरिडीह कोयला-क्षेत्र और (५) चोप कोयला-क्षेत्र तथा संतालपरगना जिले में (६) जयन्ती कोयला-क्षेत्र, (७) साहोजोरी कोयला-क्षेत्र और (८) कुंडित कुरमियाह कोयला-क्षेत्र।

**लोहा**— इस कल-कारखाने के युग में लोहा का बहुत अधिक महत्त्व है। भारत के कुल लोहा का आधा से अधिक उत्पादन बिहार में ही होता है। यहाँ का लोहा बहुत अच्छी किस्म का है।

सिंहभूम जिले के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक और सबसे अच्छा लोहा पाया जाता है। टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी, इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के काम में लाये जानेवाले लोहे का अधिकांश भाग नोआमुंडी, गुआ और चीना नामक स्थानों से प्राप्त होता है। सिंहभूम जिले के भरवार, सारन्द (कौलहान), वड़ाबुरु, नोट्टबुरु, पनसिरा बुरु आदि स्थानों में भी लोहा मिलता है। लोहे का यह क्षेत्र दक्षिण की ओर बढ़कर उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर और बोनाय जिलों में चला गया है। विहार में ६ अरब टन कच्चा लोहा पाये जाने का अनुमान है। राँची, पलामू, हजारीबाग, सन्तालपरगना तथा दक्षिणी भागलपुर में भी लोहे की छोटी-छोटी खानें हैं।

ताँवा —भारत के कुल उत्पादन का अधिकांश ताँवा (ताम्र, तामा) मुख्यतः विहार में ही पाया जाता है। यहाँ पुराने जमाने में बहुतायत से ताँवा निकाला जाता था, जिसके चिह्न छोटानागपुर में जहाँ-तहाँ अब भी देखने में आते हैं। इस समय सबसे अधिक ताँवा सिंहभूम जिले में पाया जाता है, जहाँ इसकी खान ८० मील तक फैली हुई है। राधा, मोसाबोनी, धोबानी और बदरिगा में ताँबा की खानें हैं। मोसाबोनी से ६ मील दूर घाटशिला के पास मौभंडार नामक स्थान में ताँवा गलाने और शुद्ध करने का कारखाना है। खान से ताँबा आकाशी रस्सा-मार्ग द्वारा कारखाने तक पहुँचाया जाता है। तांबे में जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। हजारीबाग जिले के बरमुण्डा और गुलगी नामक स्थान में संतालपरगने के बैरकी और बौद्धबाँध में तथा पलामू जिले के कुछ भागों में भी ताँबे की खानें हैं।

अबरख—अबरख के लिए विहार भारत में ही नहीं, सारे संसार में प्रसिद्ध है। संसार के कुल उत्पादन का ७० प्रतिशत अबरख भारत पैदा करता है, जिसके कुल उत्पादन का ७५ प्रतिशत भाग विहार देता है। इस प्रकार संसार के कुल उत्पादन का ५२.५ प्रतिशत भाग अबरख विहार उत्पन्न करता है। विहार में अबरख की खानें ६० मील लम्बे और २० मील चौड़े भू-भाग में फैली हुई हैं। ये खानें गया जिले से हजारीबाग होती हुई मुँगेर और भागलपुर जिले तक चली गई हैं। हजारीबाग जिले का अबरख सबसे अच्छी किस्म का है। यहाँ का अधिकांश अबरख अमेरिका और इंगलैंड भेजा जाता है। अबरख की खानों से पिच-ब्लैंड नामक धातु निकाली जाती है, जिससे रेडियम तैयार किया जाता है। बिजली के यन्त्र, ग्रामोफोन के साउण्ड-बक्स, लालटेन के शीशे, आइने, एक प्रकार का चमकीला कागज आदि अबरख से तैयार होते हैं। झुमरी-तिलैया के पास 'माइका ऐण्ड माकेनाइट फैक्टरी' नामक एक कारखाना है, जहाँ प्रतिवर्ष तीन सौ टन अबरख के सामान तैयार होते हैं।

बॉक्साइट—यह राँची जिले के पकरीप और सेरेनडाग तथा पलामू जिले के नेतरहाट नामक स्थानों में पाया जाता है। इससे अल्युमिनियम नामक पदार्थ तैयार होता है। भारत में उच्च कोटि के बॉक्साइट की खानों में ढाई करोड़ टन बॉक्साइट पाये जाने का अनुमान है, जिसमें ६० लाख टन विहार में है। भारत में बॉक्साइट से अल्युमिनियम बनाने के कई कारखाने हैं। ये कारखाने प्रतिवर्ष ३-४ हजार टन अल्युमिनियम तैयार करते हैं। विहार की खानों में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट पाये जाने के कारण इसके उद्योग-धंधे बढ़ने की काफी गुंजाइश है।

चूना-पत्थर—चूना-पत्थर शाहाबाद, पलामू, हजारीबाग, राँची और सिंहभूम जिलों में पाया जाता है। सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। शाहाबाद जिले में रोहतास-अधित्यका की

दक्षिणी ढाल पर करीब ४० मील की लम्बाई में इसकी खानें फैली हैं। बंजारी, रोहतास और चौलिया के पास चूना-पत्थर का काम होता है, जहाँ कल्याणपुर लाइम सीमेंट-कम्पनी, सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट-कम्पनी और डालमिया सीमेंट-कम्पनी पोर्टलैंड सीमेंट तैयार करती है। इन स्थानों से पश्चिम अपेक्षाकृत चूना-पत्थर अधिक पाया जाता है, परन्तु यातायात की असुविधा के कारण उसके निकालने का काम नहीं हुआ है। सिंहभूम की खान से उत्पादित चूना-पत्थर से झिंकपानी की सीमेंट-फैक्टरी का काम चलता है। अन्य स्थानों की खानें अपेक्षाकृत छोटी हैं।

**चीनी मिट्टी**—चीनी मिट्टी मुख्यतः सिंहभूम, भागलपुर और संतालपरगना जिलों में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिट्टी बिहार ही पैदा करता है। चीनी मिट्टी से तरह-तरह के बरतन बनाये जाते हैं। कागज और कपड़े की मिलों में भी इसका उपयोग होता है, पर कपड़े की मिलें अधिकतर विदेशों से चीनी मिट्टी मँगाती हैं; क्योंकि यहाँ की मिट्टी अच्छी किस्म की नहीं होती।

**ईंट की मिट्टी**—झरिया, डालटनगंज, मुंगेर, संतालपरगना और सिंहभूम जिलों में एक विशेष प्रकार की ईंट की मिट्टी पाई जाती है। इससे पहले दरजे की बहुत अच्छी ईंटें बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग पुल वगैरह बनाने के काम में होता है।

**मैंगनीज**—यह लोहे की किस्म की एक धातु है, जिसका उपयोग बढ़िया इस्पात तथा रासायनिक पदार्थ तैयार करने में होता है। सिंहभूम जिले में उत्तम कोटि के मैंगनीज की खानें हैं।

**क्रोमाइट**—लोहे के उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसे लोहे में मिला देने से जंग नहीं लगता। रासायनिक पदार्थ बनाने के काम में भी इसका व्यवहार होता है। यह चाइबासा के कोलहान स्टेट के पोरबुरु और किमसी नामक स्थानों में मिलता है। भारत के कुल क्रोमाइट का २४ प्रतिशत भाग बिहार से प्राप्त होता है।

**ग्रेफाइट**—इस धातु का उपयोग पेन्सिल का लेड, पेण्ट आदि तैयार करने में होता है। यह डालटनगंज, मुंगेर जिले के बाघमारी तथा छोटानागपुर के अन्य कई स्थानों में पाया जाता है।

**केनाइट**—यह खनिज ताँबा की खानों से ही प्राप्त होता है। सिंहभूम जिले के लप्साबुरु, घागडीह और कन्यालुक नामक स्थानों में विशेष रूप से मिलता है। लप्साबुरु की खान दुनिया की सबसे बड़ी खान है। बिहार में भारत के कुल उत्पादन का ७५ प्रतिशत केनाइट मिलता है। इसका अधिकांश विदेशों को निर्यात होता है। इसका उपयोग धातु, सीसा, रसायन और विद्युत्-सम्बन्धी उद्योग-धन्धों में होता है।

**स्टीटाइट या सोपस्टोन**—यह छोटानागपुर के अनेक स्थानों में, विशेषकर सिंहभूम जिले के बेले पहाड़ी, दीघा, भीतरदारी और नुरदा नामक स्थानों में अधिक मिलता है। इससे खल्ली बनाई जाती है। शीशा और चमड़े को चिकना करने के काम में इसका उपयोग होता है। पेण्ट, कागज, कपड़ा, बर्नर, स्टोव आदि के कारखानों में भी इसका व्यवहार किया जाता है।

एपेटाइट—यह मुख्यतः सिंहभुम जिले के नन्दुप, पथरगारा, वदिया और सुनरगी नामक स्थानों में ताँवा की खानों के पास पाया जाता है। यह साधारणतः कृत्रिम खाद तथा लोहा तैयार करने के काम में व्यवहृत होता है।

पीराइट—गंधक तैयार करने के काम में इसका उपयोग होता है। शाहावाद जिले में इसकी खानें हैं। अनुमान है कि इस जिले के आमजोर नामक स्थान में ७५ हजार टन पीराइट संचित है।

मैग्नेसाइट—इस धातु का उपयोग मैग्नेशिया नामक औषध तैयार करने में होता है। यह सिंहभूम जिले के कोलहान स्टेट में पाया जाता है।

अण्टीमनी—यह सीसा के साथ हजारीवाग जिले के हिसातू नामक स्थान में मिलता है। इसकी कच्ची धातु से १२·२ प्रतिशत शुद्ध धातु तैयार होती है।

एस्बेस्टस—यह सिंहभूम जिले के वरवाना और सरंगपोसी नामक स्थानों में तथा मुँगेर जिले में पाया जाता है। सरंगपोसी एस्वेस्टस की सरकारी खान है।

यूरेनियम—यह एक ऐसी धातु है, जिसका उपयोग अणु-शक्ति-उत्पादन में होता है। गया, मुँगेर, राँची और हजारीवाग में यह मिलता है।

टुंग्सटेन—यह सिंहभूम जिले में जमशेदपुर के पास मिलता है। विजली-लैंप, टेलिग्राफ, रेडियो के औजार, ग्रामोफोन की सूई आदि वनाने में इसका उपयोग होता है।

टीन—हजारीवाग जिले के सिपरीतारी, पिपिहिरा, डोमचाँच, चप्पाटाँड़ और तुरगो नामक स्थानों में इसकी खानें हैं। यह राँगे की जाति की एक धातु है। इसमें जंग नहीं लगता।

जस्ता—संतालपरगना और हजारीवाग जिले में इसकी खानें हैं। यह वरतन आदि वनाने के काम में आता है।

सोना—यह राँची और सिंहभूम जिले में पाया जाता है। गरहा, शंख, दक्खिण कोयल, संजय, सोन और सुवर्णरेखा नदियों की वालू के कण से भी सोना निकाला जाता है, लेकिन दिन-भर के परिश्रम के अनुपात में इससे विशेष लाभ नहीं होता। सन् १६३५-३६ ई० में यहाँ कुल ३३ औंस सोना निकाला गया था।

स्लेट और अन्य पत्थर—मुँगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी के मारुक, सुखाल, गढ़िया, टिकाई अमरनी और सीताकोवर नामक स्थानों में छत और लिखने के स्लेट मिलते हैं। सिंहभूम में स्लेट-पत्थर पाया जाता है। शाहावाद, गया, मुँगेर और छोटा नागपुर के पहाड़ों में चक्की तथा मकान वनाने के काम में आनेवाले पत्थर मिलते हैं। गया, धनवाद और सिंहभूम जिलों के विभिन्न स्थानों में पत्थर की मर्त्तियाँ, खिलौने और वरतन वनाने के उद्योग-धंधे चलते हैं।

शीशा या काँच की वालू—शीशा या काँच वनाने लिए संतालपरगना के विभिन्न स्थानों में कई तरह की वालू मिलती है। काँच की कुछ अच्छी चीजें भी वनती हैं।

कसीस—कसीस शाहावाद जिले में मिलता है।

गेरू—यह लाल और पीले रंग का एक तरह का पत्थर है, जो रंग एवं दवा के काम में आता है। यह शाहावाद, मुँगेर और छोटानागपुर कमिश्नरी के जिलों में मिलता है।

गंधक—यह सिंहभूम जिले में पाई जाती है।

कीमती पत्थर—मुंगेर तथा छोटानागपुर के पठारों में विभिन्न रंगों के कीमती पत्थर मिलते हैं, जिनमें बेरिल, गारनेट, काइनाइट, टूरमलिन आदि मुख्य हैं।

लीथोग्राफ का पत्थर—शाहाबाद जिले के रोहतासगढ़ नामक स्थान में लीथोग्राफ के पत्थर मिलते हैं।

अन्य खनिज पदार्थ—उपर्युक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के खनिज यहाँ पाये जाते हैं, जिनका उपयोग दवा, रसायन आदि बनाने के भिन्न-भिन्न कामों में होता है; जैसे—कोरंडम, मोलिबडेनम, आर्सेनिक (संखिया विष), विसमुथ, फासफेट, सिलिका, वेगटोमाइट, कोलम्बाइट लेटराइट, लेपेराइट आदि।

खनिज जल—झरनों से निकलनेवाले जल में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिले रहते हैं। अतः, यह अनेक रोगों की दवा के रूप में काम आता है। ऐसा खनिज-जल बिहार के अनेक स्थानों में मिलता है, पर इसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता। सिर्फ कुछ कुंडों से दो एक कम्पनियाँ खारा और मीठा पानी तैयार करती हैं। ऐसे झरनों में मुख्य हैं—पटना जिले के राजगृह के झरने; मुंगेर जिले के सीता कुंड, पंचभूर, शृंगरिख, ऋषिकुंड, रामेश्वरकुंड, भुरका, जन्मकुंड और भीम बाँध के झरने; हजारीबाग जिले के लुरगुरथा, पिंडारकुंड, दोआरी, सूर्यकुंड, बेलकप्पी और केसोटी के झरने तथा संथालपरगना के भुमका, नुनबिल, सुमुमपानी, तापतपानी, ततलोई, झरियापानी, बरमसिया, लौलौंदह के झरने आदि।

## उद्योग-धन्धे

बिहार एक कृषि-प्रधान राज्य है। यहाँ के ८६·४ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। शेष लोग कृषि-भिन्न उत्पादन-कार्यों में या अन्य कार्यों में लगे हैं। उद्योग-धन्धों के विकास के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी प्रचुरता रहने पर भी इस राज्य में उद्योग-धन्धों का उतना विकास नहीं हो सका, जितना होना चाहिए। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयत्न होने लगे हैं। सन् १९३९ ई० में बिहार में जहाँ निबन्धित फैक्टरियों की संख्या ३३७ थी, वहाँ सन् १९५४ ई० में ४,१७७ हो गई। इस संख्या-वृद्धि का कारण बहुत बड़ी संख्या में कारखानों का बढ़ना तो था ही, साथ ही एक यह भी कारण हुआ कि नये फैक्टरी-ऐक्ट के अनुसार बहुत-सी साधारण फैक्टरियों को भी अपने को निबन्धित कराना पड़ा।

इन दिनों बृहत् एवं मध्यम पैमाने के उद्योग-धन्धों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण का काम चल रहा है। बिहार की औद्योगिक संभावनाओं के सम्बन्ध में प्राविधिक और आर्थिक सर्वेक्षण-कार्य भी हो रहा है।

### छोटे पैमानेवाले तथा कुटीर-उद्योग

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमानेवाले तथा कुटीर-उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया था। उद्देश्य था—

१. कम पूँजी की लागत से नई नियुक्तियों द्वारा बेकारी को कम करने का प्रयास करना;

२. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के कृषि से बचे हुए समय को उपयोग में लाना;

३. नष्ट होते शिल्पों और ग्रामीण उद्योग-धन्धों को जिलाना और उन्हें मजबूत करना;

४. उद्योग-धन्धों का अधिकतर विकेन्द्रीकरण और ग्रामीकरण;

५. स्वतंत्र रूप से काम करनेवाले कारीगरों को उन्नति करने का अवसर प्रदान करना और

६. तुलनात्मक दृष्टि से कम पूँजी की लागत से योजनान्तर्गत हुई आय के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपभोक्ता-सामग्री का उत्पादन।

राज्य के उद्योगों में लगे १२ करोड़ २३ लाख रुपये में से ६ करोड़ ६१ लाख रुपये कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए दिये गये थे।

## हाथ-करघा-उद्योग

बिहार में हाथ-करघा-उद्योग सबसे सुसंगठित उद्योग है। इसमें करीब दो लाख करघे हैं, जिनपर १० लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं। १,०३१ बुनकर-सहकारी-समितियों का संगठन किया गया है। सन् १९६०-६१ ई० में इस उद्योग पर लगभग २८ लाख रुपये खर्च किये गये। इस उद्योग-धन्धे की पूँजी कपड़े की मिलों पर लगे अतिरिक्त कर से और रिजर्व बैंक से मिलती है। इस उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष २५-३० लाख रुपये अनुदान-स्वरूप मिलते हैं। सूती कपड़े के हाथ-करघा-उद्योग के विकास के लिए १ करोड़ ४२ लाख तथा रेशमी एवं ऊनी कपड़े के करघों पर २० लाख रुपये लगाये गये हैं। आदिवासी बुनकरों को सरकार की ओर से विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। सारे राज्य में इस समय इस उद्योग द्वारा उत्पादित माल की बिक्री के लिए १०० बिक्री-केन्द्र खोले गये हैं। बुनकर-सहयोग-समितियों को सूत देने के लिए चार प्रधान बिक्री केन्द्र हैं। प्रान्त के बाहर एजेंटों एवं सहकारी दूकानों द्वारा हाथ-करघे के कपड़ों की बिक्री की व्यवस्था होती है। कलकत्ता और गौहाटी में इसके अपने इम्पोरियम हैं। गया, राँची, भागलपुर और सिवान (सारन) में छोटे-छोटे रँगाई-घर हैं। बिहारशरीफ और लहेरियासराय में मशीनों द्वारा रँगाई एवं सजावट के काम की व्यवस्था की गई है।

## विद्युत्-चालित करघे

इधर हाथ-करघा-बुनकरों को प्रयोगात्मक रूप से व्यवहार करने के लिए विद्युत्-चालित करघे दिये जा रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३,५०० विद्युत् चालित करघे चालू करने का विचार था। इनमें से ३०० विद्युत्-चालित करघे बिहारशरीफ और मानपुर (गया) के बुनकरों को दिये जा चुके हैं। सन् १९५९-६० ई० के आर्थिक वर्ष में इरबा (राँची), चम्पानगर (भागलपुर), महाराजगंज (सारन), चकिया (मोतिहारी), तिलौथू (शाहाबाद), नागरी (राँची), पंडौल (दरभंगा) और लहेरियासराय में ६०० विद्युत्-करघे स्थापित करने का निश्चय किया गया। एक हाथ-करघे से जहाँ ६—८ गज कपड़े बुने जाते हैं, वहाँ विद्युत्-चालित करघे से ३०—४० गज कपड़े बुने जायेंगे। इस विद्युत्-चालित करघों के कामों में सहायता पहुँचाने के लिए प्रत्येक ३००० विद्युत्-चालित करघों के समूह पर मशीन-युक्त एक विशेष संयंत्र रहेगा।

## तसर-कीट-पालन-उद्योग

भारत के तसर-उद्योग में बिहार सबसे आगे है। इस उद्योग की विभिन्न शाखाओं में लगभग एक लाख व्यक्ति लगे हैं। छोटानागपुर और संताल्परगने के आदिवासी तसर के कीड़े

पालते और उनके कोओं की बिक्री से अपनी जीविका चलाते हैं। इस उद्योग के विकास के लिए एक तो नीरोग अंडों को तैयार करना है और दूसरे, खरीद-बिक्री के बाजारों का निर्माण करना। पहले कार्य के लिए पहले से ३ केन्द्र और २ उपकेन्द्र चल रहे थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३ नये केन्द्र और १५ उपकेन्द्र कायम किये गये। अबतक आदिवासी लोग अपने कोए बुनकरों के हाथ नहीं बेचकर बीच के खरीदारों के हाथ बेचा करते थे, जिससे उचित मूल्य पर कोओं की खरीद-बिक्री नहीं हो पाती थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन बीच के खरीद-बिक्री करनेवालों को हटाकर सरकार द्वारा सिंहभूम एवं संतालपरगना जिलों में खरीद-बिक्री की व्यवस्था की गई।

## अण्डी-कीट-पालन-उद्योग

बिहार में अण्डी, अर्थात् रेंड़ी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अण्डी नामक रेशम का सूत इसी के पौधों पर पाले गये रेशम के कीड़ों से तैयार होता है। इसलिए, अण्डी की खेती करनेवाले किसानों को अतिरिक्त काम देने के लिए यहाँ इस उद्योग का विकास किया जा रहा है। राँची और बेगूसराय में अण्डी-रेशम के कीड़े पालने के केन्द्र खोले गये हैं। लोगों को जगह-जगह जाकर इस सम्बन्ध में शिक्षा देने के लिए २० प्रशिक्षकों की नियुक्ति हुई है।

## रेशम की बुनाई

भागलपुर रेशमी कपड़े की बुनाई का प्रधान केन्द्र है। संयुक्तराज्य अमेरिका के तसर के कपड़ों के आने से यहाँ के व्यवसाय को बहुत बड़ा धक्का लगा। इसीलिए, सरकार ने विदेशी माल का आना बन्द कर दिया। उसके बाद से इस उद्योग में फिर जान आई है और केवल भागलपुर से ही प्रतिमास एक लाख रुपये से अधिक का माल बाहर भेजा जाने लगा है। भागलपुर में इसके लिए एक बड़ी मिल की स्थापना की जा रही है। किन्तु, विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण यह काम अबतक पूरा नहीं हो सका है।

## हस्तशिल्प के काम

विभिन्न दस्तकारियों के विकास के लिए १५ योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—खिलौना-विकास-केन्द्र, राँची; कैलिको छपाई-केन्द्र, पटना सिटी; शीशा-चूड़ी-केन्द्र, मोतिहारी; सींक या सिक्की के सामान का केन्द्र, दरभंगा; वार्निश के सामान का केन्द्र, पटना; गुड़िया-केन्द्र, पटना और बाँस-केन्द्र, पटना। कागज की लुगदी की बनी चीजें, मिट्टी के चित्रित बरतन, लकड़ी की नक्काशी और पच्चीकारी आदि के भी केन्द्र खोले जा रहे हैं।

भारत में लाह की कुल पैदावार जितनी होती है, उसका प्रतिशत २१ भाग बिहार में पैदा होता है। इस व्यवसाय में छोटानागपुर और खासकर पलामू जिले के बहुत-से लोग लगे हैं।

## केन्द्रीय बहु-शिल्प-केन्द्र

पटना के कॉटेज इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट का नाम अब बदलकर पटना पॉलिटेक्निक (पटना बहु-शिल्प-केन्द्र) कर दिया गया है। इसके पुनस्संगठन का काम सन् १९५६-५७ ई० से चालू है। यह संस्था विभिन्न औद्योगिक विषयों पर छात्रों को प्रशिक्षण देकर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देती है। कपड़े की बुनाई और धातु एवं मिट्टी के समान बनाने के प्रशिक्षण पर डिप्लोमा दिया जाता है। बुनाई, रँगाई, छपाई, चमड़े का काम, दरी बनाने का काम, लकड़ी का काम, साबुन,

बूट-पॉलिश, मोमबत्ती, खिलौना, गंजी, मोजा आदि बनाने के काम, बेंत और बाँस का काम, लोहारी का काम, लोहा-खराद का काम, जोड़ाई का काम, मिट्टी का काम आदि विषयों पर सर्टिफिकेट देने का प्रबन्ध है।

## महिला औद्योगिक विद्यालय

राँची और मुँगेर के महिला औद्योगिक विद्यालय स्थायी बना दिये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, डालटनगंज और गया में चार और विद्यालय खोले जा चुके हैं। प्रत्येक विद्यालय में महिला-प्रशिक्षणार्थियों के लिए ६० स्थान रखे गये हैं। इन विद्यालयों में सिलाई, गंजी, मोजा आदि की बुनाई, कशीदा का काम, चमड़े का काम, बेंत और बाँस के काम आदि सिखाये जाते हैं। मार्च, १६६० ई० तक इन विद्यालयों में कुल ५५० महिलाएँ प्रशिक्षित हुईं।

## खादी और ग्रामोद्योग

अगस्त, १६५६ ई० में बिहार-सरकार ने बिहार खादी और ग्रामोद्योग-सम्बन्धी कानून बनाया और उसी मास में बिहार-राज्य खादी-बोर्ड की स्थापना हुई। दो-तीन मास बाद इसका काम चालू भी हो गया। अपनी स्थापना के प्रारम्भिक दो वर्षों में इसे सरकार से १,०७,०५,४४० रुपये अनुदान-स्वरूप प्राप्त हुए। अधिकांश रुपये सहकारी एवं पंजीबद्ध संस्थाओं को पहले से स्थापित उद्योग-धन्धों के विकास के लिए या नये उद्योग-धन्धे चलाने के लिए दिये गये हैं। यह बोर्ड अपनी ओर से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विक्रय-शाला, प्रशिक्षण-केन्द्र और संस्थान, आदर्श उत्पादन-केन्द्र तथा प्रदर्शन-केन्द्र चलाता है। बिहार में छह ऐसे केन्द्र हैं, जहाँ रूई का स्टॉक इसीलिए रखा जाता है कि पास के अम्बर-परीक्षणालय और खादी-केन्द्रों को कभी रूई का अभाव न होने पावे। कोल्हू का तेल तैयार करने के लिए राजस्थान से चार लाख रुपये का सरसों खरीदकर जिला और सबडिवीजन के केन्द्रों में रखा गया है। इसी प्रकार कुछ आवश्यक औजार भी खरीदकर केन्द्रों में रखे गये हैं, ताकि कारीगर आसानी से उन्हें प्राप्त कर सकें।

**खादी और ग्रामोद्योग-संघ**—अखिलभारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग-आयोग बिहार में (१) सीधे संघ द्वारा चलाये गये तिरिल (राँची), कौवाकोल (गया) और हंसा (दरभंगा) के घने विकास-क्षेत्र को आर्थिक सहायता पहुंचाता है तथा (२) पुराने ढंग की खादी और अम्बर-चर्खा के विकास के लिए खादी-ग्रामोद्योग-संघ को अतिरिक्त कार्यकारी पूँजी तथा अन्य प्रकार की सहायता (जैसे—छूट) देता है।

## प्रशिक्षण-कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदर्श कारखाने स्थापित करने और भ्रमणशील कारखाने खोलने के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-से प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्र कायम करना भी है। राज्य में इस समय २६ विभिन्न उद्योगों के ३५४ ऐसे केन्द्र कायम हो चुके हैं। इन उद्योग-धन्धों में लोहारी, बढ़ईगिरी, चर्म-शोधन, चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन, साबुनसाजी, विसंक्रामक पदार्थ बनाना, मधुमक्खी-पालन, बेंत और बाँस के काम, कपड़े की छपाई, खिलौने बनाना, सींक या सिक्की की वस्तुएँ बनाने आदि के काम शामिल हैं। द्वितीय योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं को सीना-पिरोना, कशीदाकारी करना और

गंजी-मोज़ा बुनना सिखाने का कार्य बहुत लोकप्रिय हो रहा है। प्रशिक्षण का अधिकतर कार्य सहकारी समितियों और पंजीवद्ध संस्थाओं द्वारा होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में हाथ-करघों तथा खादी और ग्रामीण उद्योग-धन्धों की समितियों के अतिरिक्त राज्य में ६७८ औद्योगिक सहकारी समितियाँ थीं। द्वितीय योजना-काल में और भी १५० कार्यशील सहयोग-समितियाँ स्थापित की गईं।

### सहकारी चीनी-मिलें

पूर्णिया जिले के वनमनखी नामक स्थान में एक सहकारी चीनी की मिल स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इसके लिए एक सहकारी समिति पंजीवद्ध हो चुकी है। समिति के एक उपनियम के अनुसार राज्य-सरकार द्वारा इसके संचालक-मण्डल का निर्माण भी किया जा चुका है। प्रस्तावित योजनानुसार समिति के सदस्यों को दस लाख रुपये की पूँजी खड़ी करनी थी, जिससे वे राज्य-सरकार से उतनी ही रकम ले सकें और केन्द्रीय सरकार से भी अन्य सुविधाएँ प्राप्त कर सकें। सन् १९५८-५९ ई० के अन्त तक योजना को पूरा कर देने का विचार था। इस योजना में राज्य की ईख-यूनियनों और ईख-समितियों का भी पूरा सहयोग रहा है।

## औद्योगिक प्रगति

### द्वितीय योजना-काल

विहार की कुल जन-संख्या के केवल लगभग ४ प्रतिशत लोग खेती के सिवा दूसरे रोजगारों से जीविका-निर्वाह करते हैं। इसलिए, द्वितीय योजना में विशेष रूप से उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को खेती के अलावा दूसरे रोजगारों में काम मिल सके। प्रथम योजना में उद्योगों के लिए केवल १·२६ करोड़ का उपवन्ध किया गया था, जबकि द्वितीय योजना में ११·६७ करोड़ का उपवन्ध किया गया। सन् १९५६ ई० में एक औद्योगिक विकास-परिषद् की स्थापना की गई। इस परिषद् की प्राविधिक समिति के अध्यक्ष श्री जे० जे० घांडी (ताता कम्पनी के) हैं, जो वृहत् उद्योगों के विकास से सम्बद्ध समस्याओं की जाँच-पड़ताल करते हैं।

अवरख-व्यवसाय के सम्बन्ध में सलाह लेने के लिए, राज्य-सरकार ने सन् १९५८ ई० में अवरख-सलाहकार-समिति का पुनर्गठन किया था। राज्य के खनिज-साधनों के विकास के लिए सन् १९६० ई० में एक खनिज-सलाहकार-समिति का गठन किया गया। इसी प्रकार, चीनी-व्यवसाय की उन्नति एवं विस्तार के सम्बन्ध में भी एक उच्चस्तरीय कमिटी गठित की गई। दूसरी योजना की अवधि में छोटे उद्योगों और हस्तशिल्पों के संगठन एवं विकास के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए एक वोर्ड गठित किया गया था।

वृहत् उद्योग के क्षेत्र में भारत-सरकार की ओर से राँची के निकट हटिया में एक भारी यंत्र-निर्माण-संयंत्र (हेवी मशीन विल्डिंग प्लैण्ट) और एक भारी ढलाई भट्ठी-संयंत्र (हेवी फाउण्ड्री-फोर्ज प्लैण्ट) क्रमशः सोवियत रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित हो रहे हैं। ये दोनों संयंत्र एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में काम करेंगे और प्रथम अवस्था में इनकी कुल उत्पादन-क्षमता ४५ हजार टन तैयार कल-पुरजों की, और द्वितीय अवस्था में ८० हजार टन कल-पुरजों की

होगी। भारी मशीन-निर्माण-परियोजना का कुल लागत-खर्च ८५ करोड़ रुपये और ढलाई-भट्ठी-संयंत्र का आनुमानिक व्यय १७६ करोड़ रुपये होगा। पिछला कारखाना तीन अवस्था-क्रमों में निर्मित होगा। ये संयंत्र मुख्य रूप से लोहा और इस्पात-उद्योगों के लिए कल-पुरजे और साज-सामान तैयार करेंगे। खनिज तेल-उद्योग, कोयला-खुदाई-उद्योग तथा इंजीनियरिंग व्यवसाय से सम्बद्ध अन्यान्य यंत्रों के प्रयोजनों की पूर्ति भी इनके द्वारा होगी। भारी मशीन-निर्माण-संयंत्र में प्रतिवर्ष अनुमानतः १० करोड़ रुपये मूल्य का सन् १९६५-६६ ई० में और ४२ करोड़ रुपये के मूल्य का चतुर्थ योजना के अन्त में उत्पादन होगा। इन दो संयंत्रों के लिए जो सुनिपुण प्राविधिक कर्मक-दल आवश्यक होंगे, उनके प्रशिक्षण के लिए भारत-सरकार दो प्राविधिक शिक्षण-संस्थाएँ राँची में खोलने का विचार कर रही है। हटिया की दोनों परियोजनाओं में प्रथम अवस्था में करीब १० हजार और द्वितीय अवस्था में करीब १५ हजार आदमी काम करेंगे।

भारत के चौथे इस्पात-संयंत्र के स्थान के लिए बोकारो को चुना गया है। इस कारखाने में १० लाख टन का उत्पादन होगा। तृतीय योजना में इसे समाविष्ट कर लिया गया है।

जमशेदपुर के आसपास भी कई नये-नये कारखाने खुलेंगे। टेलको द्वारा दो नये संयंत्र बैठाये जायेंगे—एक, लुगदी और कागज तैयार करनेवाले यंत्र-समुच्चय के निर्माण के लिए और दूसरा, खानों में मिट्टी हटानेवाले उत्खनकों (खुदाई करनेवाली मशीन) के निर्माण के लिए। सन् १९६१ ई० से इन संयंत्रों का उत्पान-कार्य आरम्भ हो गया है। एक दूसरे टाटा फर्म को एक नई झलाई मिल खड़ी करने के लिए लाइसेन्स दिया गया है। ब्रिटिश प्लेट कम्पनी को एक नई मिल खड़ी करके अपनी उत्पादन-क्षमता ७५ हजार टन से बढ़ाकर १,५०,०००टन तक ले जाने की अनुमति दी गई है।

इण्डियन स्टील ऐण्ड वायर प्रोडक्ट्स कम्पनी ने सन् १९६१ ई० में एक नई मिल खड़ी करके लोहे की छड़ें और डंडे उत्पादित करने की अपनी ६५ हजार टन की क्षमता को बढ़ाकर १,५०,००० टन कर दिया है।

इसके सिवा राज्य-सरकार की ओर से जमशेदपुर में और बहुत-से छोटे-छोटे उद्योग खुल रहे हैं, जो वहाँ के बड़े और मझोले उद्योगों के लिए अनुषङ्गी रूप में काम करेंगे। एक और क्षेत्र, जो बड़ी तेजी से विकसित होता हुआ औद्योगिक क्षेत्र में परिणत होने जा रहा है, वह है बरौनी। वहाँ जो तेल-शोधनशाला स्थापित हो रही है, उसमें सन् १९६३ ई० के अन्त तक अपरिष्कृत तेल से विभिन्न प्रकार की २० लाख टन पेट्रोलियम से बनी वस्तुओं का उत्पादन होगा। शोधनशाला की गैस तथा अन्य उपजात वस्तुओं से उर्वरकों तथा दूसरे प्रकार के रासायनिक द्रव्यों का निर्माण किया जायगा।

मेसर्स हिन्द इंजीनियरिंग कम्पनी बरौनी के निकट लोहे की ढलाई का एक कारखाना स्थापित करने जा रही है। इसके साथ ही एक टिन का कारखाना भी उक्त कम्पनी द्वारा वहाँ खोला जा रहा है, जिससे तेल-शोधनशाला के प्रयोजनों की पूर्त्ति हो सके।

बिहार-सरकार के पशु-संवर्द्धन-विभाग द्वारा अमेरिका के प्राविधिक सहयोग से बरौनी में एक मक्खन बनाने का कारखाना खोला गया है, जिसमें प्रतिदिन ५०० मन दूध का मक्खन तैयार किया जाता है।

तेल-शोधनशाला तथा अन्य उद्योगों के विद्युत्-शक्ति-सम्बन्धी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए बिहार-सरकार द्वारा बरौनी में एक थर्मल पावर-स्टेशन का अधिष्ठापन हो रहा है।

शाहाबाद जिले के अमझोर क्षेत्र की पहाड़ियों में पाइराइट नामक कच्ची धातु पाई जाती है। भारत-सरकार ने वहाँ एक कम्पनी खड़ी की है। यह कम्पनी नार्वे की एक कम्पनी के साथ मिलकर भारत में सर्वप्रथम गंधक तैयार करनेवाले संयंत्र संस्थापित करेगी। पाइराइट को पिघलाकर गंधक तैयार किया जायगा।

राज्य-सरकार की ओर से स्थापित सिन्दरी के सुपरफास्फेट कारखाने में प्रतिवर्ष १६ हजार टन सुपरफास्फेट तैयार होता है। इसकी उत्पादन-क्षमता को वार्षिक एक लाख टन तक बढ़ाने के लिए उपाय काम में लाये जा रहे हैं।

राज्य-सरकार द्वारा राँची में एक हाइटेन्सन इन्सुलेटर फैक्टरी की स्थापना की जा रही है। इसमें हर साल २४ हजार टन ऊँचे तनाव के इन्सुलेटर (विद्युत्-विसंवाहक) उत्पादित होंगे। चेकोस्लोवाकिया की एक कम्पनी के प्राविधिक सहयोग से इस फैक्टरी का निर्माण हो रहा है। मकान बनकर तैयार हो गया है तथा यंत्रों का संस्थापन आरम्भ हो चुका है।

सहकारी क्षेत्र में १२ हजार तकुओं की एक सूत कातने की मिल स्थापित हो रही है। इसकी अभिदत्त अंश-पूँजी २० लाख रु० की है, जिसमें १० लाख रुपये की अंश-पूँजी सरकार ने खरीद की है।

राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम (नेशनल कोल-डेवलॉपमेण्ट कारपोरेशन) द्वारा कोयला साफ करने का एक कारखाना करगली में और मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा इसी काम के लिए तीन कारखाने दुगदा, भोजूडीह और पाथरडीह में खुलने जा रहे हैं। राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम का प्रधान कार्यालय राँची में और हिन्दुस्तान स्टील लि० का कार्यालय राँची में अवस्थापित होगा।

अणु-शक्ति-आयोग ( एटॉमिक एनर्जी कमीशन ) सिंहभूम जिले के घाटशिला के निकट एक यूरेनियम-प्रोसेसिंग-प्लैण्ट स्थापित करने जा रहा है।

द्वितीय योजना-काल में निजी क्षेत्र में भी उद्योगों में बहुत-कुछ धन का विनियोग हुआ है। टाटा कम्पनी का विस्तार किया गया है, जिससे उत्पादन-क्षमता प्रतिवर्ष २० लाख टन इस्पात की हो गई है। इसी प्रकार, टेलको की उत्पादन-क्षमता में भी वृद्धि हुई है और यह कम्पनी बड़ी तादाद में डिजिल ट्रक और रेल-इंजन तैयार कर रही है।

हजारीबाग जिले के गोमिया की विस्फोटक द्रव्यों की फैक्टरी में उत्पादन आरंभ हो गया है। चीनी, सीमेण्ट और रिफ्रैक्टरी कारखानों ने द्वितीय योजना-काल में अपनी उत्पादन-क्षमता विस्तृत की है।

डालमियानगर के कागज के कारखाने का विस्तार हुआ है। कागज की एक बड़ी मिल खोलने के लिए लाइसेन्स जारी किये गये हैं। कागज की एक बड़ी मिल हायाघाट ( दरभंगा ) में स्थापित होगी और इसमें प्रतिदिन १०० टन कागज तैयार होगा। कागज की एक छोटी मिल

समस्तीपुर में खुल रही है। इसमें हर साल ३,६०० टन कागज तैयार होगा। इसी तरह की एक मिल डुमरांव (शाहाबाद जिला) में खुलने जा रही है।

ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्क्स ने मालगाड़ी का डिब्बा तैयार करने के लिए मोकामा में एक कारखाना खोला है। फुलवारीशरीफ की वाइसिकिल फैक्टरी का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ है। राज्य-वित्त-निगम द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करके बिहारशरीफ और पटना-क्षेत्रों में बहुत-से कोल्ड-स्टोरेज खुले हैं। इसी प्रकार, धनबाद में खनन-कार्य-सम्बन्धी सामग्री के निर्माण के लिए एक कारखाना खोला गया है।

पटना, बिहारशरीफ, राँची और दरभंगा में ४ औद्योगिक प्रक्षेत्र (इंडस्ट्रियल इस्टेट) प्रतिष्ठित किये गये हैं।

## पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र

पटना के औद्योगिक प्रक्षेत्र में एक कारखाना प्रतिष्ठित है, जिसमें औजार और रंग तैयार होते हैं। इसके सिवा एक कारखाना वाइसिकिल के विभिन्न कल-पुरजों को एकत्र करके वाइसिकिल तैयार करने का है। इस कारखाने में १५ हजार से ३० हजार तक वाइसिकिल प्रतिवर्ष तैयार करने का कार्यक्रम है। अभी तक २ हजार वाइसिकिल तैयार हो चुके हैं। प्रतिदिन ३० वाइसिकिल तैयार होते हैं। इस इकाई में करीब ३० आदमी काम करते हैं। इस इलाके में कितनी ही निजी औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं। सरकार द्वारा परिचालित लौह-भिन्न ढलाई का कारखाना रेडियो की संघटक इकाई, बिजली के उपसाधनों को निर्मित करने की इकाइयाँ, खेल-कूद के सामान, मोटर की बैटरी और कच्चे माल के डिपो इत्यादि इस इलाके में हैं।

## राँची औद्योगिक प्रक्षेत्र

इस इलाके में राज्य द्वारा परिचालित छोटे-छोटे औजार और खेल-कूद के सामान के निर्माण के लिए चार इकाइयाँ (युनिट), एक खिलौना-विकास-केन्द्र, एक बिजली द्वारा गिलट करने और काली कलई करने का केन्द्र अवस्थापित हैं। सब इकाइयाँ काम कर रही हैं। कुछ निजी उद्योगों में भी उत्पादन हो रहा है।

## दरभंगा औद्योगिक प्रक्षेत्र

इस प्रक्षेत्र में राज्य द्वारा परिचालित इकाइयों ने एक मॉडल लोहारी-कारखाना, एक यंत्रकृत बढ़ईगिरी इकाई तथा चमड़े के सामान और खेल-कूद के सामान बनाने के लिए दो इकाइयाँ अवस्थित हैं। इन सब स्कीमों में उत्पादन हो रहा है। इनके अलावा ६ निजी इकाइयों को घर आवंटित किये गये हैं, जिनमें तीन ने उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

## बिहारशरीफ-औद्योगिक प्रक्षेत्र

इस क्षेत्र में राज्य द्वारा परिचालित इकाइयों में एक लकड़ी का कारखाना, एक यांत्रिक व्यापारों के प्रशिक्षण का केन्द्र, वाइसिकिल के कल-पुरजे और खेती के औजार निर्मित करने की एक इकाई अवस्थित हैं। ये सब स्कीमें चालू हैं। सिलाई-मशीन के हिस्से बनानेवाली एक निजी इकाई ने काम शुरू कर दिया है। दूसरी निजी इकाई द्वारा हाथ से कागज बनाने का काम शीघ्र ही शुरू होनेवाला है।

## आदर्श कारखाने

आदर्श कारखाने खड़ा करने के लिए और शहरों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में विद्युत्-संचालित यंत्रों को चलाने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षण देना आवश्यक समझा गया है। इसके लिए १७ योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं, जिनमें लोहारी और बढ़ईगिरी की शिक्षा देने के लिए छह भ्रमणशील प्रदर्शन-गाड़ियों की व्यवस्था भी सम्मिलित है। इसके अलावा आदिवासियों के लिए भी तीन योजनाएँ हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत आदर्श कारखानों के लिए भवन-निर्माण-कार्य चल रहा है।

## औद्योगिक समूह-योजनाएँ

इस सम्बन्ध में १६ योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनके अन्दर मेहसी (चम्पारन) का बटन-उद्योग; बिहारशरीफ, पूसा, राँची और पटना-स्थित कच्चे माल की दूकान तथा मैथोन का सेण्ट्रल फिनिशिङ्ग वर्कशॉप हैं, जिनके काम चालू हैं। सबसे बड़ी योजना पटना के साइकिल-कारखाने की योजना है। छोटे छोटे इंजीनियरिंग के कारखानों की सहायता के लिए पटना में एक बड़ा कारखाना खोलना है अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बिजली के सामान, रेडियो के कल-पुरजे, खेल के समान, मोटर की बैटरी आदि का बनाना है। इनके कार्य भी शीघ्र ही चालू हो रहे हैं।

## वित्तीय सहायता

बिहार-राज्य वित्तीय निगम भी मझोले और लघु उद्योगों को लंबी मियाद पर रुपये उधार देता है। सन् १९६०-६१ ई० में लघु उद्योगों को लगभग ३० लाख रुपये ऋण दिये गये। सन् १९६१-६२ ई० में छोटी इकाइयों को ५० लाख रुपये तक ऋण के रूप में दिये जाने का लक्ष्य रखा गया था।

## औद्योगिक रूपांकन-संस्थाना

अप्रैल, १९५६ ई० में इस संस्थान की स्थापना राज्य-सरकार द्वारा पटना में हुई। इसके तीन अनुविभाग हैं: एक सूती कपड़े के लिए, दूसरा हस्तशिल्प के लिए और तीसरा लघु उद्योगों के लिए।

संस्थान के अनुविभाग ये हैं: १. वयन, २. रँगाई और छपाई, ३. साँचाढलाई, ४. बढ़ईगिरी, ५. मिट्टी का साँचा तैयार करना, ६. मिट्टी का बरतन, ७. वार्निश, ८. खिलौना, ९. काँसा, १०. बाँस, ११. यांत्रिक, १२. चमड़ा, १३. बेल-बूटे का काम, १४. मानचित्र-कर्म, १५. परंपरागत रूपांकनों के आधार पर नये-नये रूपांकनों को उद्विकसित करना, जो कला-संस्थान का मुख्य कार्य है।

सन् १९५९ ई० के जनवरी महीने से छह महीनों तक चलनेवाला प्रशिक्षण का एक वृत्तिकाग्राही (स्टाइपेण्डरी) पाठ्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार विभिन्न शिल्पों में निम्नलिखित संख्या में प्रशिक्षणार्थी लिये जायँगे—सूती कपड़ा १२; बाँस ६; खिलौना ४; मिट्टी का बरतन ४; चमड़ा ६।

वृत्तिकाग्राही पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ प्रशिक्षणार्थी बिना वृत्तिका के भी भरती किये जाते हैं। इस संस्थान के साथ एक लोक-कला-संग्रहशाला संलग्न है, जिसमें कारीगरों और परिदर्शकों के लिए शिल्प की वस्तुएँ रखी गई हैं।

## अग्रगामी परियोजना

अग्रगामी इकाइयाँ स्थापित करने का उद्देश्य है छोटे पैमाने के उद्यमों, खासकर लघु निर्माणकारी उद्योगों की प्राविधिक एवं आर्थिक व्यवहार्यता को सार्वजनिक प्रदर्शन द्वारा प्रमाणित कर

देना, जिससे उद्यमी व्यक्ति राज्य के अन्य भागों में इसी प्रकार के उद्योग शुरू कर सकें। इस प्रकार की १८ इकाइयों में ७ चालू हो गई हैं। बिहटा और सकरी की मॉडल चर्मशाला की योजनाएँ भी सन् १९६१ ई० के फरवरी महीने में चालू होनेवाली थीं।

द्वितीय योजना-काल में बिहारशरीफ, पूसा और राँची में तीन अग्रगामी परियोजनाएँ ( उद्योग ) आरम्भ की जा चुकी हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है इस बात की परीक्षा करना कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कौन-कौन-से लघु उद्योगों और घरेलू उद्योग-धंधों का विकास हो सकता है। बिहारशरीफ की अग्रगामी परियोजना में सन् १९५६ ई० के जुलाई से और पूसा तथा राँची की परियोजनाओं में मार्च, १९५७ ई० से काम चालू है। इन अग्रगामी परियोजनाओं में सन् १९६० ई० के मार्च तक ४३५ औद्योगिक सहकारी समितियों का संगठन हो चुका है। इनके कुल सदस्यों की संख्या १०,३२८ और प्रदत्त अंश-पूँजी की राशि २५४ लाख रुपया है। सन् १९६० ई० के मार्च तक कुल २४१ लाख रुपये के माल का उत्पादन हुआ और १६४ लाख रुपये के माल बाजार में भेजे गये।

★

## अनुसंधान-सम्बन्धी संस्थाएँ

**नवनालन्दा-महाविहार, नालन्दा**—सन् १९५१ ई० के २० नवम्बर को बिहार-सरकार द्वारा नवनालन्दा-महाविहार की स्थापना की गई। प्राचीन विश्वविद्यालय नालन्दा-महाविहार के नाम से विख्यात था। उसके खोये हुए गौरव के पुनरुद्धार के लिए नवीन संस्था की स्थापना की गई। अतः, स्वभावतः इसे नवनालन्दा-महाविहार की संज्ञा दी गई। पहले यह संस्थान राजगृह में था। इसका अपना भवन नालन्दा में बनकर तैयार हो जाने पर इसका सारा काम नालन्दा में ही होने लगा है।

नवनालन्दा-महाविहार में इस समय प्रायः साठ विद्यार्थी हैं, जिनमें से अधिकांश संसार के विभिन्न बौद्ध देशों से आये हैं। लंका, बर्मा, थाईदेश, कम्बोडिया, लाओस, वीतनाम, जापान, नेपाल तथा तिब्बत के विद्यार्थी यहाँ एक साथ रहकर अध्ययन करते हैं और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग तथा भ्रातृभाव का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कई विद्वानों ने अपने-अपने शोध-प्रबन्ध परीक्षणार्थ बिहार-विश्वविद्यालय को सौंप दिये हैं। महाविहार में पालि की एम० ए० स्तर की पढ़ाई होती है। किन्तु, मुख्य उद्देश्य बौद्धधर्म, दर्शन, साहित्य तथा संस्कृति के सम्बन्ध में शोध-कार्य करना है। पालि के अतिरिक्त अँगरेजी, हिन्दी, संस्कृत तथा चीनी-जापानी के अध्ययन-अध्यापन की भी व्यवस्था है। पुस्तकालय की सुन्दर व्यवस्था के लिए एक पुस्तकालयाध्यक्ष हैं। प्रशासनिक कार्य के लिए एक निबन्धक ( रजिस्ट्रार ) तथा एक निदेशक ( डायरेक्टर ) हैं। इस महाविहार की ओर से अबतक कई अनुसंधानात्मक ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है।

**प्राकृत जैनशास्त्र और अहिंसा-संस्थान**—प्राकृत जैनशास्त्र और अहिंसा-शोध-संस्थान, वैशाली ( मुजफ्फरपुर ) की स्थापना राज्य-सरकार द्वारा २५ नवम्बर, १९५५ ई० को हुई थी। इस संस्थान को स्थापित करने के निमित्त राज्य-सरकार को श्रीशान्तिप्रसाद जैन ने ( क ) आवर्त्तक व्यय की पूर्ति के लिए पाँच वर्ष की अवधि तक प्रति वर्ष २५ हजार रुपये तथा ( ख ) भूमि, भवन, पुस्तकालय और उपस्कर की मद में जो सम्पूर्ण अनावर्त्तक व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए पाँच लाख रुपये एक मुश्त दिये।

इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य है—इसे एक ऐसे विद्यापीठ के रूप में विकसित करना, जहाँ प्राकृत भाषाएँ एवं साहित्य, जैनधर्म और उसकी समस्त शाखाएँ, जैनदर्शन, इतिहास, साहित्य इत्यादि का सर्वाङ्गपूर्ण अध्ययन एवं शोध-कार्य हो सके। अहिंसा के सिद्धान्त एवं व्यक्ति और समाज के द्वारा उसके आचरण का अध्ययन तथा विभिन्न काल में विभिन्न समाजों द्वारा अहिंसा की प्रविधि का जो प्रयोग किया गया है, उसका तुलनामूलक अध्ययन। जिन छात्रों ने मान्य विश्वविद्यालयों की स्नातक ( बी० ए० ) परीक्षा पास की है, उनको इस संस्थान में शिक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट किया जाता है और उन्हें बिहार-विश्वविद्यालय की प्राकृत एवं जैनधर्म-विषयक स्नातकोत्तर उपाधि-परीक्षा की शिक्षा दी जाती है। संस्थान के अन्तर्गत एक प्रकाशन-विभाग भी है। इन दिनों संस्थान के प्राधिकारी हैं— १. अधिष्ठात्री परिषद् ( ३५ सदस्य ), २. मंत्रणा-मण्डल ( १५ सदस्य ), ३. प्रबन्ध-समिति ( ११ सदस्य ) और ४. प्रकाशन-समिति ( ५ सदस्य )। संस्थान का अवस्थान इस समय मुजफ्फरपुर में है। वैशाली में अपना भवन नहीं बन सका है।

**मिथिला-संस्कृत-विद्यापीठ, दरभंगा**—यह संस्था संस्कृत-भाषा एवं साहित्य की प्राचीन परम्परा को पुनरुज्जीवित करने के लिए सन् १९५१ ई० में स्थापित हुई थी। यहाँ प्राच्य विद्या-सम्बन्धी अनुसंधान-कार्य हो रहे हैं। यहाँ छात्र संस्कृत के विविध विषयों में एम० ए०, पी-एच० डी० और डी० लिट्० के लिए तैयार किये जा रहे हैं। यहाँ प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थों का अन्वेषण और प्रकाशन हो रहा है। यह संस्था बिहार-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

**अरेबिक ऐण्ड पर्सियन इन्स्टिट्यूट, पटना**—अरबी और फारसी के स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा पटना में सन् १९५५-५६ ई० से यह संस्थान चलाया जा रहा है। इस इन्स्टिट्यूट में छात्रों को अरबी और फारसी की उच्च शिक्षा दी जाती है तथा शिक्षोपरान्त उन्हें 'फाजिल' की उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अनुसंधान-कार्य की पर्याप्त सुविधा का प्रबन्ध है। अभी इन्स्टिट्यूट का कार्यालय एवं छात्रावास मदरसा इस्लामिया शमशुल हुदा के भवन में स्थित है। यहाँ से भी अरबी-फारसी साहित्य पर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

**बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना**—बिहार-सरकार ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए सन् १९५० ई० में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की स्थापना की थी। पहले इसका कार्यालय सम्मेलन-भवन, कदमकुआँ, पटना में था, किन्तु अप्रैल, १९६२ ई०से राजेन्द्रनगर स्थिति अपने भवन में आ गया है। शोध-कार्य और प्रकाशन के लिए परिषद् के ये विभाग हैं—प्रकाशन-विभाग, लोकभाषा-अनुसंधान विभाग, प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ-शोध-विभाग, बिहार का साहित्यिक इतिहास-विभाग, विद्यापति-विभाग, अनुसंधान-पुस्तकालय और शब्दकोश-विभाग। प्रकाशन-विभाग अपने यहाँ के शोध-ग्रन्थों के अतिरिक्त बाहरी विद्वानों के भी विशिष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन करता है। यहाँ प्रतिवर्ष पारितोषिक देकर विभिन्न विषयों पर विद्वानों के भाषण कराये जाते हैं। वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर भिन्न-भिन्न भाषाओं पर निबन्ध-पाठ होते हैं। विभिन्न विषयों के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थों पर बिहार के तथा बिहार से बाहर के विद्वानों को सहस्र-सहस्र रुपये के पुरस्कार दिये जाते हैं। बिहार के एक वयोवृद्ध और एक उदीयमान साहित्यकार को क्रमशः डेढ़ हजार रुपये और पाँच सौ रुपये के पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है तथा विभिन्न

विषयों पर लेख लिखाकर विद्यार्थियों को सौ-सौ रुपये के प्रतियोगिता-पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। साहित्यिक संस्थाओं को सद्ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए अनुदान देने की व्यवस्था है। रुग्ण और संकटापन्न साहित्य-सेवियों को राजेन्द्र-निधि से आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। परिषद् के प्रकाशन-विभाग द्वारा सन् १९६२ ई० के सितम्बर माह तक साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान के भिन्न-भिन्न विषयों पर ७५ उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। सन् १९६० ई० से 'भारतीय अब्दकोश' नामक एक वार्षिक ग्रन्थ प्रकाशित होता है। अप्रैल, १९६१ ई० से 'परिषद्-पत्रिका' नामक एक साहित्य-संस्कृति-साधना-प्रधान त्रैमासिक का प्रकाशन हो रहा है। परिषद् के प्रथम स्थायी संचालक आचार्य शिवपूजन सहाय हुए। वर्त्तमान संचालक, सन्त-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् डॉ० भुवनेश्वर-नाथ मिश्र 'माधव' एम० ए०, पी-एच० डी० हैं।

**अनुग्रहनारायण सिंह-समाजाध्ययन-संस्थान, पटना**—बिहार-सरकार की ओर से स्वर्गीय डॉ० अनुग्रहनारायण सिंह के स्मारक-स्वरूप पटना में सामाजिक अध्ययन के लिए जनवरी, १९५८ ई० में संस्थान की स्थापना की गई है।

इस संस्थान के उद्देश्य ये हैं—(१) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्यान्य विषयों में अन्वेषण एवं शोध का काम करना; (२) संघ-सरकार, राज्य-सरकार एवं स्थानीय सरकार द्वारा दी गई किसी निश्चित समस्या पर अध्ययन प्रस्तुत करना; (३) भाषण, विचार-गोष्ठी एवं सम्मेलनों का समय-समय पर आयोजन करना; (४) पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ एवं समस्याओं से सम्बद्ध विषयों पर पर्चा प्रकाशित करवाना; (५) उन कार्यों को भी सम्पादित करना, जिनसे इस संस्थान के उद्देश्यों की पूर्त्ति हो। इसके वर्त्तमान निर्देशक श्रीगोरखनाथ सिंहजी हैं।

**बिहार-रिसर्च-सोसाइटी, पटना**—सुप्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल के प्रयत्न से इस शोध-संस्था की स्थापना जनवरी, १९१५ ई० में हुई। इतिहास, पुरातत्त्व, मुद्राशास्त्र, मानव-विज्ञान और दर्शन-शास्त्र के सम्बन्ध में अनुसंधान करना इसका उद्देश्य है। यहाँ से 'जर्नल ऑफ दि बिहार-रिसर्च-सोसाइटी' तथा 'इण्डियन न्युमिसमेटिक क्रॉनिकल्स' नामक दो त्रैमासिक पत्रिकाएँ भी निकलती हैं। सोसाइटी की ओर से बहुत वर्षों तक मिथिला के संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज होती रही है, जिनकी विषयानुक्रम सूची भी कई जिल्दों में प्रकाशित हुई है।

सोसाइटी का कार्यालय और पुस्तकालय पटना-म्यूजियम के भवन में है। इसके पुस्तकालय में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत से लाई हुई बहुत-सी हस्तलिखित दुर्लभ प्राचीन पुस्तकें संगृहीत हैं।

**काशीप्रसाद जायसवाल इन्स्टिट्यूट, पटना**—स्वर्गीय डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल की स्मृति में बिहार-सरकार ने भारतीय इतिहास और संत संस्कृति-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए सन् १९५० ई० में इस संस्था की स्थापना की है। तत्काल यहाँ तीन प्रकार के कार्य हो रहे हैं—महापण्डित राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत से लाये गये संस्कृत ग्रन्थों का तिब्बती लिपि से नागरी-लिपि में रूपान्तरण; पुरातत्त्व-सम्बन्धी कार्य और भारतीय इतिहास पर शोध-कार्य। प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्त्तमान—इन तीन खण्डों में बिहार का इतिहास तैयार हो रहा है।

संस्थान ने तिब्बती-संस्कृत पुस्तकालय के अन्तर्गत पाँच तथा ऐतिहासिक ग्रन्थमाला में तीन ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं।

**नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर**—इसकी स्थापना सन् १९५० ई० के २६ नवम्बर को हुई। यह भारत-सरकार द्वारा स्थापित ११ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में एक है। इसका कार्य भिन्न-भिन्न धातुओं तथा अन्य खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में अनुसंधान करना है।

**नेशनल फूएल-रिसर्च इन्स्टिट्यूट दिघवाडीह, जमशेदपुर**—इसकी स्थापना २३ अप्रैल, १९५० ई० को हुई थी। यह भी भारत-सरकार द्वारा स्थापित ११ राष्ट्रीय अनुसंधान-शालाओं में एक है। यह धनबाद से १० मील दक्षिण की ओर है। यह संस्था सब प्रकार के ईंधन ( ठोस, तरल और गैस ) की समस्याओं पर अनुसंधान-कार्य करती है।

**इण्डियन लैक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नामकुम (राँची)**—लाह के गुण और उपयोगिता बढ़ाने, उसका उत्पादन-व्यय कम करने तथा शेलैक के उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए नामकुम ( राँची ) में इस संस्थान की स्थापना की गई है।

**कृषि-अनुसंधान-शालाएँ**—बिहार में कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धान-शालाएँ पटना, पूसा (दरभंगा), सबौर (भागलपुर) और काँके (राँची) में हैं। पूसा का ईख-अनुसन्धान-केन्द्र ईख-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर अनुसन्धान-कार्य करता है।

**संगीत-नृत्य-नाट्य-संस्थान, बिहार, पटना**—संगीत, नृत्य और नाट्य-संस्थान, बिहार (बिहार एकेडेमी ऑफ म्युजिक, डांस ऐण्ड ड्रामा) का उद्घाटन २७ जनवरी, १९५६ ई० को हुआ था। इसका उद्देश्य एक सरकारी रंगमंच स्थापित करना तथा बिहार के विभिन्न स्थानों में स्थापित संगीत, नृत्य और नाट्य-संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना है। अबतक बिहार के ५० से अधिक कला-केन्द्र इससे सम्बद्ध हो चुके हैं। यहाँ से 'बिहार थियेटर' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती है। स्वतन्त्रता-दिवस और गणतन्त्र-दिवस के अवसर पर दिल्ली और पटना में सरकार द्वारा आयोजित उत्सवों में इन संस्थाओं के लोग संगीत, नृत्य और अभिनय का प्रदर्शन करते हैं।

## पटना म्यूजियम तथा बिहार के अन्य म्यूजियम

पटना-म्यूजियम सन् १९१७ ई० के अप्रैल में स्थापित किया गया था। उस समय उसकी संगृहीत वस्तुएँ हाइकोर्ट के एक हिस्से में थीं। सन् १९२८ ई० में म्यूजियम का वर्त्तमान भवन बनकर तैयार हुआ, जो मुगल-राजपूत-स्थापत्य-कला का एक सुन्दर नमूना है। भवन और संगृहीत वस्तुओं की दृष्टि से पटना-म्यूजियम भारत का एक सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम माना जाता है। यहाँ मुख्यतः बिहार में मिली हुई प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है।

बिहार के अन्य म्यूजियम या संग्रहालयों में पटना का कमर्शियल म्यूजियम, नालन्दा का म्यूजियम, वैशाली का म्यूजियम, दरभंगा का चन्द्रधारी-म्यूजियम और बोधगया-म्यूजियम हैं।

★

# प्रमुख सार्वजनिक संस्थाएँ

## साहित्यिक एवं शैक्षिक संस्थाएँ

**बिहार-संस्कृत-संजीवन-समाज, पटना**—यह एक पुरानी संस्था है, जिसकी स्थापना स्व० पं० अम्बिकादत्त व्यास ने की थी। इसका उद्देश्य संस्कृत-शिक्षा की उन्नति करना है। इसके पाँच प्रकार के सदस्य हैं—प्रमुख संरक्षक, संरक्षक, पदमूलक सदस्य, साधारण सदस्य, और आजीवन सदस्य। पटना-डिवीजन के इन्सपेक्टर; सुपरिराटेराडेराट, संस्कृत स्टडीज, बिहार और पटना-कॉलेज के संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष इसके पदमूलक सदस्य होते हैं। इसकी एक प्रबन्धकारिणी समिति है, जिसकी बैठक दो-दो महीने पर हुआ करती है। समाज का वार्षिक अधिवेशन जनवरी में होता है। इसके पास १२ हजार रुपये का स्थायी कोष है, जिसके ब्याज से इसका खर्च चलता है। इसके वर्त्तमान सभापति न्यायाधीश श्रीसतीशचन्द्र मिश्र और मंत्री डॉ० श्रीनागेन्द्रपति त्रिपाठी हैं। यहाँ से अब 'संस्कृत-संजीवनम्' नामक एक संस्कृत मासिक पत्रिका निकलती है।

**बिहार प्रान्तीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन**—इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन २३-२४ मई, १९४६ ई० को पटना सिटी में हुआ था। इसका उद्घाटन जगद्गुरु श्रीशंकर अभिनय-तीर्थ श्रीसच्चिदानन्द महाराज द्वारा हुआ था। इसका कार्यालय संस्कृत-महाविद्यालय, पटना सिटी में है।

**आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा, आरा**—इस सभा की स्थापना १२ अक्तूबर, १९०१ ई० को हुई थी। इस सभा ने सबसे पहले सन् १९०१ ई० में अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन स्थापित करने का उद्योग किया था। अभी देश में जहाँ-तहाँ इसकी बीस शाखा-सभाएँ चल रही हैं। प्रारम्भ में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की भाँति ही इसने कई उच्च कोटि के साहित्यिक ग्रन्थ प्रकाशित किये। अब भी जब-तब इस संस्था द्वारा अच्छे ग्रंथ प्रकाशित होते हैं। दो बीघा जमीन में इसका विशाल, पर अधूरा भवन बना हुआ है। सभा के पुस्तकालय में अलभ्य प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों, मुद्रित पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की संख्या लगभग १५ हजार है। समय-समय पर इसे विभिन्न प्रान्तीय सरकारों और रियासतों से सहायता मिलती रही है।

**बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटना**—बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना सन् १९१९ ई० में हुई। इसके वार्षिक अधिवेशनों के द्वारा बिहार में हिन्दी का अच्छा प्रचार हुआ। प्रारम्भ में सन् १९३६ ई० तक इसका कार्यालय मुजफ्फरपुर में था, उसके बाद पटना आया। कदमकुआँ मुहल्ले में इसका एक विशाल भवन है, जिसमें इसके पुस्तकालय और वाचनालय हैं। इसका एक अनुशीलन-विभाग भी है। सम्मेलन के तत्त्वावधान में एक कला-केन्द्र भी चल रहा है, जहाँ बालिकाओं को संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती है। अभिनय-कला के उन्नयन के लिए एक नाट्य-परिषद् की भी स्थापना की गई है। इस संस्था के वर्त्तमान अध्यक्ष श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' तथा प्रधानमन्त्री पं० श्रीछविनाथ पाण्डेय हैं। यहाँ से 'साहित्य' नामक एक त्रैमासिक शोधपत्रिका निकलती है।

सन् १९५४ ई० में यहाँ आचार्य शिवपूजन सहाय के दान से उनकी स्वर्गीया पत्नी के नाम पर बच्चनदेवी-साहित्य-गोष्ठी की स्थापना हुई, जिसमें भाषा और साहित्य के महत्त्वपूर्ण विषयों पर विद्वानों के विचार-विनिमय होते हैं।

विभिन्न देशी और विदेशी भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन की समुचित व्यवस्था के लिए यहाँ मई, १९५६ ई० से **बदरीनाथ सर्वभाषा-महाविद्यालय** की स्थापना की गई है। इस महाविद्यालय में इस समय फ्रेंच, जर्मन, रूसी, तेलुगु तथा अहिन्दी-भाषा-भाषियों के लिए हिन्दी की पढ़ाई होती है।

**सुहृद-संघ, मुजफ्फरपुर**—इस साहित्यिक संस्था की स्थापना सन् १९३५ ई० में हुई थी। इसका वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष बड़े समारोह से मनाया जाता है। इसका अपना भवन और पुस्तकालय है। बिहार के अहिन्दी-भाषाभाषियों के बीच इसने हिन्दी-प्रचार का कार्य भी किया है। इसके संस्थापक और प्रधान मन्त्री श्रीनीतीश्वरप्रसाद सिंह हैं।

**मैथिली-साहित्य-परिषद्**—इस परिषद् की स्थापना सन् १९३९ ई० में हुई थी। इसके सभापति डॉ० गंगानाथ झा, डॉ० उमेश मिश्र, श्रीमान् कुमार गंगानन्द सिंह, श्रीजयानन्द कुमर आदि रह चुके हैं। प्रारम्भ में ९-१० वर्षों तक इसके प्रधान मन्त्री श्रीभोलालाल दास थे। परिषद् ने अनेक प्राचीन और नवीन मैथिली-ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। इसके उद्योग से मैथिली को विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक में स्थान मिला है।

**मगही-मंडल**—मगही-भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए कई वर्ष हुए, एक मगही-मंडल की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं में डॉ० विन्देश्वरी प्रसाद, डॉ० शिवनन्दन प्रसाद, श्री श्रीकान्त शास्त्री, प्रो० रामनन्दन शर्मा, श्रीरामबालक सिंह आदि हैं। ये लोग पहले 'मगही' नामक मासिक पत्रिका निकालते थे, अब 'बिहान' नामक मासिक पत्रिका निकाल रहे हैं।

**भोजपुरी-परिषद्**—यह संस्था भी बहुत वर्षों से कायम है। समय-समय पर इसकी जिला-सभाएँ एवं समस्त क्षेत्रीय सभाएँ हुआ करती हैं। पहले श्रीमहेन्द्र शास्त्री ने 'भोजपुरी' नामक एक मासिक पत्रिका निकाली थी, पीछे श्रीरघुवंशनारायण सिंह बहुत दिनों तक इस नाम की मासिक पत्रिका निकालते रहे। इस समय पटना से 'अँजोर' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका निकल रही है।

**अंगभाषा-परिषद्**—प्राचीन अंग-जनपद, अर्थात् न्यूनाधिक वर्त्तमान भागलपुर कमिश्नरी की भाषा अंगिका पर शोध-कार्य करने के लिए पटना में एक अंगभाषा-परिषद् की स्थापना हुई है, जिसके अध्यक्ष श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' और प्रधान मन्त्री श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ हैं। इस भाषा में हाल में दो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

## ऐतिहासिक संस्थाएँ

**वैशाली-संघ**—वैशाली-संघ की स्थापना सन् १९४५ ई० में हुई थी। इसके मुख्य दो उद्देश्य हैं—एक तो वैशाली के ध्वंसावशेषों को प्रकाश में लाना और दूसरे वैशाली के निवासियों में एक नवीन सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जाग्रत् करना। इसके लिए यहाँ खुदाई का काम, संग्रहालय स्थापित करने का काम, ऐतिहासिक अनुसन्धान का काम एवं ग्रामोत्थान के सब प्रकार के काम हो रहे हैं। संघ ने अबतक वैशाली के सम्बन्ध में सात पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

वैशाली-संघ के प्रयत्न से जैनधर्म और प्राकृत-साहित्य के अनुसंधान के लिए यहाँ एक प्राकृत-संस्थान की स्थापना की गई, जिसका भवन बन रहा है। तत्काल इसका कार्यालय

मुजफ्फरपुर में रखा गया है। भगवान् महावीर की जन्म-तिथि चैत्र सुदी त्रयोदशी को यहाँ प्रतिवर्ष महोत्सव मनाया जाता है। संघ के सभापति पं० विनोदानन्द झा, प्रधान मन्त्री श्रीजगदीशचन्द्र माथुर तथा मन्त्री श्रीजगन्नाथप्रसाद साहु, श्रीदिग्विजयनारायण सिंह और प्रो० योगेन्द्र मिश्र हैं।

## सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ

**आदिमजाति-सेवा-मंडल**—इसका प्रधान कार्यालय निवारण-आश्रम, पो० हिनू, जिला राँची है। इसके सभापति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, उपसभापति पं० विनोदानन्द झा और मन्त्री श्रीनारायणजी हैं। इसके द्वारा ढाई सौ से अधिक स्कूल चलाये जा रहे हैं। 'ग्राम-निर्माण' नामक एक मासिक पत्रिका भी निकलती है।

**इण्डियन कौंसिल ऑफ् पब्लिक एफेयर्स**—८ नवम्बर, सन् १९५२ ई० को पटना में श्रीप्रफुल्लरंजन दास (पी० आर० दास) के सभापतित्व में इण्डियन कौंसिल ऑफ् पब्लिक एफेयर्स, अर्थात् सार्वजनिक कार्य की भारतीय परिषद् नाम की एक संस्था कायम की गई। इस परिषद् का उद्देश्य दलगत राजनीति से सम्पर्क रखे बिना सार्वजनिक कार्यों का अध्ययन करना है।

**ईसाई मिशनरियाँ**—बिहार में अब भी कई विदेशी मिशनरियाँ काम कर रही हैं और ईसाइयों की संख्या बराबर बढ़ रही है। फलस्वरूप, बिहार में सौ में एक आदमी ईसाई हो गया है।

**भारत-सेवाश्रम-संघ**—बिहार में भारत-सेवाश्रम-संघ का आश्रम गया में है। इस आश्रम के संन्यासी हिन्दू-धर्म और संस्कृति का प्रचार तथा सामाजिक सेवा-कार्य करते हैं।

**रामकृष्ण-मिशन**—रामकृष्ण-मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानन्द ने सन् १८९७ ई० में की थी। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता के पास बेलूर नामक स्थान में है। बिहार में ७ स्थानों में मिशन के केन्द्र हैं। इन सभी केन्द्रों में धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध है तथा स्कूल, दातव्य औषधालय और पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं। इसका जमशेदपुर का केन्द्र सन् १९१९ ई० में खुला था। इसके बाद सन् १९२१ ई० में जामताड़ा (संतालपरगना) में तथा सन् १९२२ ई० में पटना और देवघर में केन्द्र खोले गये। कटिहार में सन् १९२६ ई० में और राँची में सन् १९२७ ई० में आश्रम खुले। मिशन ने सन् १९५० ई० में राँची से ८ मील पर डुँगरी नामक स्थान में यक्ष्मा के रोगियों के लिए एक चिकित्सालय खोला है।

**बिहार-आर्य-प्रतिनिधि-सभा**—स्वामी दयानन्द सरस्वती सन् १८७२ ई० के अन्त में चार-पाँच महीने तक बिहार का दौरा करते रहे। उन्होंने सर्वप्रथम आरा में एक हिन्दू-सुधार-सभा की स्थापना की। दानापुर में कुछ लोगों ने सन् १८८६ ई० में ही हिन्दू-सत्य-सभा की स्थापना की थी। सन् १८७८ ई० में वही सभा आर्य-समाज के रूप में परिणत कर दी गई।

बंगाल-बिहार आर्य-प्रतिनिधि-सभा की स्थापना सन् १९१०-११ ई० में हुई। उस समय उसका कार्यालय राँची में था। सन् १९२६ ई० में बिहार-आर्य-प्रतिनिधि-सभा अलग की गई और उसका कार्यालय दानापुर में रखा गया। सम्प्रति इसका कार्यालय इसके निजी भवन (श्रीमुनीश्वरानन्द-भवन, पटना) में है। इस समय प्रान्त के तीन सौ से अधिक स्थानों में आर्य-समाज के अपने भवन हैं। समाज की ओर से लड़के-लड़कियों के लिए लगभग १० हाइ स्कूल, १५ मिड्ल स्कूल, ५१ अपर प्राइमरी स्कूल, तीन गुरुकुल और एक डिग्री कॉलेज चलाये जा रहे हैं। इसके वर्त्तमान सभापति डॉ० दुखन राम, और प्रधान मन्त्री श्रीवासुदेव शर्मा हैं।

**बिहार-थियोसोफिकल फेडरेशन**—थियोसोफिकल सोसाइटी की बिहार-शाखा की स्थापना, पटना में सन् १९०२ ई० में हुई। सारे बिहार में इसके तीन दर्जन स्थानों में केन्द्र हैं। इनमें ७ स्थानों में इसके अपने भवन हैं। बिहार में इसके सदस्यों की संख्या चार सौ से अधिक है। प्रान्त में इसके कई स्कूल हैं और पटना में एक बृहत् छात्रावास है।

**बिहार-प्रान्तीय सेवा-समिति**—यह बिहार की एक बहुत पुरानी संस्था है। बिहार के अनेक प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्त्ता और नेता इसके सदस्य और पदाधिकारी रह चुके हैं। सोनपुर में इसके कार्यालय के लिए अपना एक भवन है।

**बिहार-महिला-परिषद्**—यह अखिलभारतीय महिला-परिषद् की शाखा है। इसकी स्थापना सन् १९२८ ई० में हुई थी। इसकी अध्यक्षा श्रीमती कमलकामिनी देवी हैं, जिनके निवास-स्थान कदमकुँआ, पटना में इसका कार्यालय है।

**बिहार-हरिजन-सेवक-संघ**—हरिजन-सेवक-संघ की बिहार-शाखा सन् १९३२ ई० से काम करती आ रही है। इसका कार्यालय एनीबेसेण्ट रोड, पटना में है। यहाँ से 'अमृत' नामक एक मासिक पत्रिका निकलती है। इसके सभापति आचार्य बदरीनाथ वर्मा और प्रधान मन्त्री श्रीनगेन्द्रनारायण सिंह हैं।

**संताल-पहाड़िया-सेवा-मण्डल**—सन् १९४४ ई० में इस सेवा-संस्था का पुनर्गठन वर्त्तमान रूप में हुआ। इसका उद्देश्य आदिम जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास कर, उन्हें देश के अन्य नागरिकों के स्तर पर लाकर भारतीय राष्ट्र का प्रधान अंग बनाना है। मण्डल द्वारा संचालित आदिवासियों के शैक्षिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत ठक्कर बापा-योजना है। इस योजना के अन्तर्गत २ उच्च विद्यालय, ४ माध्यमिक विद्यालय, ८ छात्रावास, ६ पहाड़िया-सेवा-केन्द्र तथा २४ प्राथमिक पाठशालाएँ संचालित हो रही हैं।

पहाड़िया-कल्याण-योजना के अन्तर्गत ३० पहाड़िया-कल्याण-केन्द्र हैं। इन कल्याण-केन्द्रों में पहाड़ियों, संतालों तथा पिछड़ी जातियों के बालक-बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक कल्याण-केन्द्र में कार्यकर्त्ता हैं, जो आसपास के ग्रामों में जाकर मुफ्त दवा वितरित करते हैं।

कुष्ठ-निवारण का कार्य योग्य डॉक्टरों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की सहायता से किया जाता है। फतेहपुर में कुष्ठरोगियों के लिए २० शय्यावाला एक अस्पताल है।

**कला-भवन, पूर्णिया**—११ जून, १९५५ ई० को श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' के प्रयास से श्रीरघुवंशप्रसाद सिंह की दी हुई भूमि पर कला-भवन, पूर्णिया की स्थापना हुई। यह एक सांस्कृतिक संस्था है। इसके उद्देश्य हैं—(क) ललित तथा उपयोगी कलाओं का विकास, प्रचार तथा प्रसार करना; (ख) ललित तथा उपयोगी कलाओं की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना; (ग) कला के प्रति प्रदर्शन तथा अन्य साधनों द्वारा जनता में अभिरुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना; (घ) कलाकारों को समय-समय पर सम्मानित और पुरस्कृत करना; (च) कलाकारों को उनकी कला की साधना में सहायता पहुँचाना; (छ) कलापूर्ण तथा ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओं का संग्रह करना।

कला-भवन का कार्यकर्त्ता-निवास, कार्यालय-भवन, गैलरी-सहित खुला रंगमंच और पुष्करणी तैयार हो चुकी है। पुस्तकालय और वाचनालय खोले जा चुके हैं। संग्रहालय और संगीत-कक्ष के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। यहाँ हिन्दी-विद्यापीठ, देवघर की परीक्षाओं का केन्द्र है।

कला-भवन की व्यवस्था के लिए ३१ सदस्यों की एक प्रवन्ध-समिति है। उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए कई विभागीय उप-समितियाँ हैं। सन् १९६१-६२ ई० में यहाँ संगीत की ५ और साहित्य की ८ गोष्ठियाँ हुईं। यहाँ वार्षिकोत्सव के अवसर पर निवन्ध और भाषण-प्रतियोगिता, संगीत-प्रतियोगिता, वाद्य-प्रतियोगिता, नृत्य-प्रतियोगिता, कुश्ती-दंगल, हाथी-दौड़, घुड़दौड़ और विविध भाँति की खेल-कूद-प्रतियोगिताएँ होती हैं तथा पदक, पुरस्कार आदि दिये जाते हैं। कला-भवन के पास लगभग ५० हजार की सम्पत्ति है। इसके वर्त्तमान सभापति श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' तथा मंत्री श्रीरूपलाल मण्डल हैं।

**भारत-जापान सांस्कृतिक संघ (कदमकुआँ, पटना ३)**—इस संस्था की स्थापना १० नवम्बर, १९५५ ई० को हुई। संघ की प्रथम अध्यक्षा श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा रह चुकी हैं। इस संघ का प्रमुख उद्देश्य है भारत और जापान के बीच, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा, सद्भावना की वृद्धि करना। राष्ट्रकवि श्रीरामधारीसिंह 'दिनकर' संघ के वर्त्तमान अध्यक्ष तथा श्रीअक्षयवटनाथ सिंह महामंत्री हैं।

**विन्ध्य-कला-मन्दिर, पटना**—इस संस्था की स्थापना सन् १९४९ ई० में हुई थी। यह छात्र-छात्राओं को संगीत, नृत्य, नाट्य एवं अन्य ललित-कलाओं का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसकी संस्थापिका श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी हैं। इस संस्था को भातखण्डे विद्यापीठ, लखनऊ, संगीत-नाटक अकादमी, दिल्ली और विहार-संगीत-नृत्य-नाट्य-कला-परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त है।

**रवीन्द्र-परिषद्, पटना**—यह संस्था मुख्यतया रवीन्द्र-साहित्य-संगीत-नृत्य-नाट्य एवं अन्य ललित-कलाओं के उन्नयन के उद्देश्य से स्थापित की गई है। इसके द्वारा समय-समय पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन हुआ करते हैं। इसका अपना एक विशाल भवन हाल ही निर्मित हुआ है।

**संगीत भारती महाविद्यापीठ, लहेरियासराय**—यह एक संगीत-कला-सम्बन्धी संस्था है। इसकी स्थापना सन् १९५९ ई० में की गई। यहाँ इस समय संगीत की विभिन्न शाखाओं में १८० छात्र-छात्राएँ शिक्षा पा रहे हैं। इसके संस्थापक पं० जीवनाथ झा 'तानराज' हैं।

## आर्थिक और व्यावसायिक संस्थाएँ

**विहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन**—इस औद्योगिक संघ की स्थापना सन् १९४३ ई० में हुई थी। इसका कार्यालय मजहरुलहक पथ, पटना में है।

**विहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स**—विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों की यह संस्था सन् १९२६ ई० में स्थापित हुई थी। इसका अपना भवन और कार्यालय बाँकीपुर फौजदारी कचहरी के पास हैं। यहाँ से 'प्रोसपरिटी' नामक मासिक पत्र निकलता है। सरकार ने इस संस्था को मान्यता दी है और अनेक संस्थाओं से इसके प्रतिनिधि लिये जाते हैं।

**विहार सूगर मिल्स एसोसिएशन**—इसे सन् १९५० ई० में विहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन से अलग कर एक स्वतन्त्र संस्था बनाया गया। इसका कार्यालय मजहरुलहक पथ, पटना में है।

**भारत स्काउट्स ऐण्ड गाइड्स**—भारत में पहले दो बालचर-संस्थाएँ थीं—ब्वॉय स्काउट्स एसोसिएशन और हिन्दुस्तान स्काउट्स एसोसिएशन। सन १९५० ई० में दोनों को

मिलाकर भारत स्काउट्स ऐण्ड गाइड्स नामक एक संस्था बना दी गई है। इसे सरकार से सहायता मिलती है। इसकी बिहार प्रान्तीय शाखा का अपना भवन बुद्धमार्ग, पटना में है। इस समय इसके अध्यक्ष प्रान्त के मुख्य मंत्री पं० श्रीविनोदानंद झा हैं।

## कृषि और पशुपालन-सम्बन्धी संस्थाएँ

**बिहार-उद्यान-समाज**—बिहार में उद्यान-विज्ञान की उन्नति और प्रचार के लिए सन् १९४४ ई० में भागलपुर जिलान्तर्गत सबौर नामक स्थान में उक्त संस्था की स्थापना की गई। इसकी ओर से प्रतिवर्ष उद्यान-प्रदर्शनी और फल-प्रदर्शनी होती है। सन् १९४४ ई० से यहाँ से 'हार्टिकल्चरिस्ट' नामक मासिक अँगरेजी पत्र निकलता था। वह सन् १९४६ ई० से हिन्दी में द्वैमासिक रूप में 'बागबान' नाम से निकलने लगा है।

**बिहार-गोशाला-पिंजरापोल-संघ**—इसकी स्थापना मार्च, १९४६ में हुई थी। इस संघ के साथ बिहार की करीब सवा सौ गोशालाएँ सम्बद्ध हैं। यहाँ से पहले 'नन्दिनी' नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी। स्थानीय नस्लं के गंगातीरी गोवंश के सुधार के लिए 'श्रीराजेन्द्र गोकुल' नामक प्रयोगशाला स्थापित करने के निमित्त बिहार-सरकार ने इसे १०० एकड़ भूमि और पौने दो लाख रुपये दिये हैं। इसका कार्यालय सदाकत आश्रम, पटना में है।

**बिहार-जीव-जन्तु-क्लेश-निवारिणी समिति (एस० पी० सी० ए०)**—यह संस्था सन् १९३९ ई० में स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य काम में लाये जानेवाले पशुओं के प्रति की जानेवाली निर्मम निर्दयता को दूर करना है। इसका कार्यालय सदाकत आश्रम, पटना में है।

## मजदूरों की संस्थाएँ

मजदूरों की भिन्न-भिन्न ट्रेड-यूनियनें भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के प्रभाव में हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार है—

**बिहार-ट्रेड-यूनियन काँगरेस**—यह अग्रगामी दल के प्रभाव से संगठित मजदूर-सभा है। इसकी शाखाएँ जमशेदपुर, झरिया, कटिहार, खेलाड़ी (राँची), बक्सर, कोडरमा, गिरिडीह और बनजारी (शाहाबाद) में हैं।

**बिहार नेशनल ट्रेड यूनियन काँगरेस**—यह काँगरेस-दल द्वारा संगठित मजदूर-सभा है। इसकी शाखाएँ बिहार के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में हैं।

**बिहार-हिन्द-मजदूर-पंचायत**—यह समाजवादी दल द्वारा संगठित मजदूर-सभा है। इसका प्रथम अधिवेशन सन् १९४९ ई० में हुआ था।

**संयुक्त ट्रेड यूनियन काँगरेस**—इसके सभापति समाजवादी क्रान्तिकारी दल के नेता श्रीरणेन्द्र चौधरी और मुख्य मंत्री श्री टी० परमानन्द रहे हैं।

## शिक्षकों की संस्थाएँ

बिहार में कॉलेज-शिक्षकों की संस्था बिहार कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन और हाइ स्कूल-शिक्षकों की संस्था बिहार सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन हैं। इसका 'इस्टर्न एजुकेशनिस्ट' नामक परमासिक पत्र निकलता है। प्राइमरी और मिड्ल स्कूलों के शिक्षकों की संस्था बिहार-शिक्षक-सम्मेलन है।

## पत्रकारों की संस्थाएँ

**बिहार-पत्रकार-संघ**— यह बिहार की सभी भाषाओं के पत्रकारों की संस्था है। इसके वर्त्तमान अध्यक्ष श्रीनिर्मलकुमार चौधरी और प्रधान मंत्री श्रीचन्द्रमोहन मिश्र हैं।

**बिहार प्रेस एसोसिएशन**—यह मुख्यतः प्रेस-रिपोर्टरों (संवाददाताओं) की संस्था है। इसके वर्त्तमान सभापति श्रीगोपालकृष्ण प्रसाद हैं।

**बिहार-हिन्दी-पत्रकार-संघ**—हिन्दी-पत्रकारों की यह संस्था सन् १६५० ई० से काम कर रही है।

## कानूनी पेशेवालों की संस्थाएँ

**बिहार मोख्तार-कान्फ्रेंस**—यह मोख्तारों का सम्मेलन है, जिसका अधिवेशन समय-समय पर हुआ करता है।

**बिहार लॉयर्स-कान्फ्रेंस**—यह वकीलों और बैरिस्टरों का सम्मेलन है। इसके भी अधिवेशन जब-तब हुआ करते हैं।

## चिकित्सकों की संस्थाएँ

**बिहार मेडिकल एसोसिएशन**—मेडिकल ग्रेजुएटों की यह संस्था, भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की शाखा है। सारे बिहार में इसकी लगभग ५० उप-शाखाएँ हैं। इसकी ओर से एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

**बिहार मेडिकल लाइसेन्सिएट एसोसिएशन**—यह मेडिकल स्कूल से एल० एम० पी० का प्रमाण-पत्र-प्राप्त डॉक्टरों की संस्था भारत मेडिकल लाइसेन्सिएट एसोसिएशन की बिहार-शाखा है।

**बिहार-वैद्य-सम्मेलन**—वैद्यों के इस सम्मेलन का कार्यालय कदमकुआँ, पटना में है।

**बिहार होमियोपैथिक सम्मेलन**—इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन सन् १६३१ ई० में गया में हुआ था। इसके उद्योग से सन् १६३२ ई० में अखिलभारतीय होमियोपैथिक सम्मेलन की स्थापना हुई। बिहार-सरकार ने इस चिकित्सा-पद्धति को मान्यता दी है।

# पंचवर्षीय योजनाएँ

उद्व्यय (करोड़ रुपयों में)

| प्रथम योजना | द्वितीय योजना | तृतीय योजना का उपबंध |
|---|---|---|
| ७३·२७ | १७६·७१ | ३३७·८० + ६·३३ (केन्द्रीय सरकार से विद्युत-शक्ति के विकास के कार्यक्रम में अंश-दान के रूप में) |

## तृतीय योजना के साधन-स्रोत

तृतीय योजना का उद्व्यय— ३३७ करोड़ ८० लाख रुपये

(१) राज्य के साधन-स्रोत

(क) करारोप के चालू स्तरों पर राज्य के साधन-स्रोत ७७ करोड़ ८० लाख रुपये

(ख) तृतीय योजना की कालावधि में अतिरिक्त करारोप द्वारा आनुमानिक प्राप्ति ४१ करोड़ रुपया

कुल ११८ करोड़ ८० लाख रुपया

(२) केन्द्रीय सरकार से सहायता— २१८ करोड़ रुपया

| | | |
|---|---|---|
| कोशी-परियोजना | (क) प्राकलित परिव्यय | ४४·७६ करोड़ रुपया |
| | (ख) समस्त क्षेत्रफल, जिसकी सिंचाई होगी— | १० लाख ४० हजार एकड़ |
| गंडक-परियोजना | (क) प्राकलित परिव्यय— | ३८·४५ करोड़ रुपया |
| | (ख) समस्त क्षेत्रफल, जिसकी सिंचाई होगी— | २ करोड़ १० लाख ६२ हजार एकड़ |
| सोन-बाँध-स्कीम | (क) कुल प्राकलित परिव्यय— | २०·६६ करोड़ रुपया |
| | (ख) क्षेत्रफल, जिसे लाभ पहुँचेगा— | ३·०७ लाख एकड़ |
| | (ग) सिंचाई के लिए अतिरिक्त क्षेत्रफल— | ३·०७ लाख एकड़ |
| | (घ) वर्त्तमान क्षेत्रफलों में सिंचाई का स्थायीकरण— | ७·३४ लाख एकड़ |

## योजना-काल में स्वास्थ्य, सड़क एवं पंचायत की प्रगति

### स्वास्थ्य

| | प्राक्-योजना-काल | प्रथम योजना | द्वितीय योजना | तृतीय योजना का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| अस्पतालों की संख्या | ७,२८ | ८१६ | १,००१ | |
| रोग-शय्या ... | ४,२५६ | ५,७०२ | ९,३८० | ३,६०० |

### सड़कें

| | प्राक्-योजना | प्रथम योजना | द्वितीय योजना | तृतीय योजना लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| (क) कुल मीलों की संख्या | ३,००० मील | ५,५४४ मील | ८,०६६ मील | +१,२५० मील |
| (ख) पक्की सड़कों की मील-संख्या | १,६५२ मील | ३,७०३ मील | ५,००० मील | |

### पंचायत

| | प्राक्-योजना-काल | प्रथम योजना | द्वितीय योजना | तृतीय योजना का लक्ष्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| पंचायतों की संख्या | १,४२४ | +५,६६८ | +३,१३३ | +२३६ | १०,७६१ |

## द्वितीय योजना की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार-राज्य में १७६ करोड़ ७१ लाख रुपये के अनुमित व्यय पर ४४८ विकास-योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जो वार्षिक व्यय अनुमानतः हुए हैं, उसका विवरण निम्नलिखित हैं। आँकड़े लाख रुपये में दिये गये हैं।

| | | | | अनुमित | अनुमित |
|---|---|---|---|---|---|
| | १९५६-५७ | १९५७-५८ | १९५८-५९ | १९५ ६० | १९६०-६१ |
| कृषि तथा सामुदायिक विकास | ६,३७ ८७ | ८,६६.६३ | १,०१९.८६ | १,२९८.२५ | १३,९३.३० |
| सिंचाई तथा बिजली ... | ८,८५.७४ | १०,२७.३६ | १०,६१.८३ | १३५४.२२ | १४,०५ |
| उद्योग ... | १,१४.५१ | १,६५.११ | १,६७.६२ | २३१.७६ | २,३२.०० |
| परिवहन तथा संचार ... | ३,२४ | २,६७.६० | २,८३.१३ | ३४९.६७ | ३,३५.५५ |
| शिक्षा ... | २,०८.३५ | २,४८.५० | ३,०१.७० | ४८४.७४ | ६,६४.०० |
| स्वास्थ्य .... | २,१९.०६ | १,८३.९५ | २,३१.१८ | ३५२.५१ | ३,५०.०० |
| गृह-निर्माण ... | ४३.८९ | ५३.४३ | ६६.३० | १०७.१८ | १,१०.०० |
| अन्य सामाजिक सेवाएँ ... | ५३.३३ | ७४.४० | ९७.०८ | १३१.७६ | १,५४.०० |
| विविध ... | ९.०४ | १३.८ | १५४७ | १५.०६ | १९.७५ |
| जोड़ ... | २५,१८.९१ | २९,०८.६२ | ३२,६४.१९ | ४३,१५.१५ | ४६,६४. |

### तीनों योजनाओं के क्षेत्रानुसार उद्व्यय

(करोड़ रुपयों में)

| शाखा-शीर्षक | प्रथम योजना-काल १९५१-५६ | | द्वितीय योजना-काल १९५६-६१ | | तृतीय योजना-काल १९६१-६६ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वार्षिक उद्व्यय | प्रतिशत | आनुमानिक उद्व्यय | प्रतिशत | अनुमोदित उद्व्यय | प्रतिशत |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १. कृषि और सामुदायिक विकास— | १६.०४ | २१.९ | ५४-८७ | ३१·० | ८२·४९ | २४·५ |
| २. सिंचाई | १२·९४ | १७·७ | २५·८२ | १४·६ | ७०·५७ (क) | २०·९ |
| ३. विद्युत्-शक्ति | ९·४६ | १२·९ | ३१·२४ | १७·७ | ७०·६२ (ख) | २०·९ |
| ४. उद्योग | १·०४ | १·४ | ९·०८ | ५·१ | १४·०३ | ४·२ |
| ५. परिवहन और संचार | १०·७८ | १४·७ | १३·६४ | ७·७ | २१·४० | ६·३ |
| ६. समाज-सेवाएँ | २१·१९ | २८·९ | ४१·४८ | २३·५ | ७६·७५ | २२·०० |
| ७. प्रकीर्ण | १·८२ | २·५ | ०·७४ | ०·४ | ८·१८ | १·२ |
| कुल जोड़ | ७३·२७ | १००·०० | १७६·८७ | १००·०० | ३३७·०४ | १०० |

★

# साधारण निर्वाचन, १९६२

## बिहार-विधान-सभा का निर्वाचन

कुल स्थान—३१८

निर्वाचकगण—२,२०,५८,१६८ कुल मतदान—१,०२,०६,६६०

मान्य मत (वोट)—९७,१७,५७२ अमान्य मत (वोट)—४,६२,४१८

| दल | कितने स्थानों के लिए चुनाव लड़े गये | कितने स्थान प्राप्त हुए | कितने मत (वोट) मिले |
|---|---|---|---|
| १. कोंगरेस | ३१८ | १८५ | ४०,४५,७३५ |
| २. स्वतन्त्र | २५६ | ५० | १७,००,११५ |
| ३. प्रजा-समाजवादी | १६६ | २६ | १३,६९,६६६ |
| ४. झारखंड | ७५ | २० | ४,३५,६६० |
| ५. कम्युनिस्ट | ८४ | १२ | ६,१६,४५८ |
| ६. समाजवादी | १३३ | ७ | ५,०५,०८३ |
| ७. जनसंघ | ७५ | ३ | २,५६,१५५ |
| ८. निर्दलीय | २२६ | १२ | ७,६१,६६७ |

४६१ निर्दलीय उम्मीदवारों ने, जिनमें रामराज्य-परिषद्, हिन्दू-महासभा, फारवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट युनिटी सेण्टर आदि के नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार भी शामिल थे, २२६ स्थानों के लिए चुनाव लड़े।

बिहार-विधान-सभा के सदस्यों का जिलेवार ब्योरा इस प्रकार है—

### सारन : स्थान—२६

कॉंगरेस—१८; प्रजा-समाजवादी—३; स्वतन्त्र—३; जनसंघ—१; कम्युनिस्ट—१

### चम्पारण : स्थान—२१

कॉंगरेस—१५; स्वतन्त्र—३; कम्युनिस्ट—२; प्रजा-समाजवादी—१

### मुजफ्फरपुर : स्थान—२६

कॉंगरेस—१७; प्रजा समाजवादी—५; समाजवादी—२; निर्दलीय—४; रिक्त—१

### दरभंगा : स्थान—३१

कॉंगरेस—२२; प्रजा समाजवादी—५; कम्युनिस्ट—३; स्वतन्त्र—१

### सहरसा : स्थान—११

कॉंगरेस—६; प्रजा-समाजवादी—२; समाजवादी—२; स्वतन्त्र—१

### पूर्णिया : स्थान—१८

कॉंगरेस—१०; प्रजा-समाजवादी—४; स्वतन्त्र—२; निर्दलीय—२

### संतालपरगना : स्थान—१६

कॉंगरेस—६; झारखंड—८; स्वतन्त्र—२; प्रजा-समाजवादी—१; कम्युनिस्ट—१

### भागलपुर : स्थान—१२

कॉंगरेस—१०; स्वतन्त्र—२

मुँगेर : स्थान—२३

कॉंगरेस—१८; समाजवादी—२; प्रजा-समाजवादी—१; कम्युनिस्ट—१; जनसंघ—१

पटना : स्थान—२१

कॉंगरेस—१५; प्रजा-समाजवादी—२; स्वतन्त्र—१; जनसंघ—१; समाजवादी—१; निर्दलीय—१

शाहाबाद : स्थान—२२

कॉंगरेस—१७; प्रजा-समाजवादी—३; कम्युनिस्ट—१; निर्दलीय—१

गया : स्थान—२५

कॉंगरेस—१६; स्वतन्त्र—५; प्रजा-समाजवादी—२; जनसंघ—१; निर्दलीय—१

हजारीबाग : स्थान—१६

कॉंगरेस—४; स्वतन्त्र—१२

धनबाद : स्थान—७

कॉंगरेस—४; स्वतन्त्र—३

सिंहभूम : स्थान—१४

कॉंगरेस—२; झारखंड—५; कम्युनिस्ट—३; स्वतन्त्र—१; गणतन्त्र-परिषद्—१; निर्दलीय—२

राँची : स्थान—१५

कॉंगरेस—२; स्वतन्त्र—६; झारखंड—७

पलामू : स्थान—८

कॉंगरेस—१; स्वतन्त्र—७

विधान-सभा में महिला-सदस्याओं की कुल संख्या २५ है। जिलेवार संख्या इस प्रकार है—

दरभंगा—४; मुजफ्फरपुर—३; सारन—३; चम्पारन—१; पूर्णिया—१; संताल-परगना—१; भागलपुर—१; मुँगेर—४; पटना—३; शाहाबाद—२; गया - १; हजारीबाग—१

## लोकसभा का निर्वाचन

| दल | कितने स्थानों के लिए चुनाव लड़े गये | कितने स्थान प्राप्त हुए | कितने वोट मिले |
|---|---|---|---|
| कॉंगरेस | ५३ | ३६ | ४१,१८,६६० |
| स्वतन्त्र | ४२ | ७ | १८,१७,५७४ |
| प्रजा-समाजवादी | ३१ | २ | १२,१६,०७० |
| समाजवादी | २५ | १ | ५,७५,६८५ |
| जनसंघ | १३ | — | १,८०,४२१ |
| कम्युनिस्ट | १६ | १ | ६,१६,४६४ |
| झारखंड | १० | ३ | ४६०,५१२ |
| निर्दलीय | २१ | ८ | ५,३२,३४७ |

कुल मतदान—१,०२,०६,६६०

मान्य मत—१,०१,१८,०६३

अमान्य वोट—६१,८६७

★

# शासन-प्रबन्ध

शासन का विकास—बिहार भारत का एक राज्य या प्रदेश है। अँगरेजी शासन-काल में, सन् १६१२ ई० में, बिहार-उड़ीसा बंगाल से अलग किया जाकर एक प्रान्त बनाया गया। पटना इसकी राजधानी हुआ। गरमी के दिनों के लिए राजधानी रही राँची। उस समय यहाँ का शासन-भार एक लेफ्टिनेण्ट गवर्नर के ऊपर रखा गया। शासन-सम्बन्धी कार्यों में परामर्श देने के लिए एक विधान-सभा गठित हुई, जिसके ४५ सदस्य थे। सन् १६१६ ई० के सुधार के अनुसार यह गवर्नर का प्रान्त बना और विधान-सभा की सदस्य-संख्या ४५ से बढ़ाकर १०३ की गई। इसके अधिकांश सदस्य निर्वाचन द्वारा आने लगे। गवर्नर की सहायता के लिए एक एक्जिक्यूटिव कौंसिल कायम की गई, जिसके एक भारतीय और एक अँगरेज सदस्य होते थे। इनके अतिरिक्त विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों में से गवर्नर दो व्यक्तियों को मंत्री (मिनिस्टर) नियुक्त करते थे। शासन के विषय दो भागों में बाँट दिये गये। एक भाग में संरक्षित विषय और दूसरे में हस्तान्तरित विषय रखे गये। गवर्नर संरक्षित विषयों का शासन एक्जिक्यूटिव के मेम्बरों की सहायता से और हस्तान्तरित विषयों का शासन मन्त्रियों की सहायता से करते थे। यह द्वैध शासन कहलाता था।

सन् १६२६ ई० के अप्रैल में उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया और सन् १६३७ ई० से नया शासन-विधान लागू हुआ। इसके अनुसार यहाँ एक के बदले विधान-संबंधी दो सदन कायम हुए। ऊपरी सदन विधान-परिषद् (लेजिस्लेटिव कौंसिल) और निचला सदन विधान-सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) कहलाये। विधान-सभा के १५२ सदस्य हुए, जिनमें सभी निर्वाचित थे। विधान-परिषद् के ३० सदस्य हुए, जिनमें २६ निर्वाचित और ४ मनोनीत थे। यहाँ का शासन पार्लमेंटरी ढंग से होने लगा। कानूनन गवर्नर को शासन में हस्तक्षेप करने का बहुत बड़ा अधिकार होते हुए भी उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के कार्यों में साधारणतया हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गवर्नर विधान-सभा के बहुमत-दल के नेता को बुलाकर उससे मंत्रिमंडल बनाने लगे। नेता अपने दल की राय से आवश्यकतानुसार मंत्री चुनने लगे और स्वयं मुख्य मन्त्री का काम करने लगे। बिहार में उस समय से अबतक विधान-मंडल में काँगरेस-दल का ही बहुमत होता रहा है। उसी समय से स्वर्गीय डॉ० श्रीकृष्ण सिंह राज्य के मुख्य मन्त्री होते रहे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या समय-समय पर बदलती रही। नवम्बर, १६३६ ई० से सन् १६४५ ई० तक द्वितीय विश्व-महासमर-काल में काँगरेस-दल शासन-कार्य से अलग रहा और गवर्नर ही शासन चलाते रहे। सन् १६४६ ई० में फिर काँगरेस-मंत्रिमंडल बना। सन् १६४७ ई० के १५ अगस्त को भारत पूर्ण स्वतन्त्र घोषित किया गया और सन् १६५० ई० की २६ जनवरी को यह सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया तथा भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ का शासन-कार्य किया जाने लगा।

राज्यपाल—सन् १६२० ई० में बिहार के प्रथम गवर्नर लार्ड सत्येन्द्रप्रसन्न सिन्हा हुए। अँगरेजी शासन-काल में समस्त भारत के अन्दर यही एक भारतीय गवर्नर हुए, जो सिर्फ एक ही वर्ष तक कार्य कर सके। इसके बाद सम्पूर्ण अँगरेजी राज्य-काल में अँगरेज ही गवर्नर होते रहे। स्वतन्त्र भारत में बिहार के गवर्नर या राज्यपाल क्रमशः श्रीजयरामदास दौलतराम, श्रीमाधव श्रीहरि अणे, श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर और डॉ० जाकिर हुसेन हुए। मई, १६६२ ई० से श्रीअनन्तशयनम् आयंगर राज्यपाल का कार्य कर रहे हैं।

**विधान-सभा और विधान-परिषद्**—स्वतन्त्र भारत में भारतीय संविधान के अनुसार सामान्य निर्वाचन सन् १९५२, सन् १९५७ और सन् १९६२ ई० में सम्पन्न हुए। सन् १९५२ ई० में विहार-विधान-सभा के ३३१ सदस्य थे। विहार के कुछ अंश बंगाल में चले जाने के कारण सन् १९५७ ई० में यहाँ केवल ३१९ सदस्य रह गये। सभा के ३१९ सदस्यों में २४६ सदस्य साधारण निर्वाचन-क्षेत्र से, ४० अनुसूचित जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र से, ३२ अनुसूचित जन-जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र से तथा एक मनोनीत होकर आये। सन् १९६२ ई० में विहार विधान-सभा में ३१८ सदस्य रहे, जिनका ब्योरा 'साधारण निर्वाचन, १९६२' शीर्षक अध्याय में दिया गया है। विहार-विधान-सभा के अध्यक्ष डॉ० लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं।

सन् १९५२ ई० में विहार-विधान-परिषद् के ७२ सदस्य थे और सन् १९५७ ई० में ९६ सदस्य हुए। इन ९६ सदस्यों में विभिन्न कमिश्नरियों के स्नातक-निर्वाचन-क्षेत्र से ८, शिक्षक-निर्वाचन-क्षेत्र से ८, स्थानीय प्राधिकार-क्षेत्र से ३४, विहार-विधान-सभा-क्षेत्र से ३४ और मनोनीत १२ सदस्य थे। सन् १९६२ ई० की स्थिति यही रही। विहार-विधान-परिषद् के वर्त्तमान अध्यक्ष श्रीरावणेश्वर मिश्र हैं।

**भारतीय संसद् में विहार के सदस्य**—इस समय भारतीय संसद् की राज्यसभा एवं लोकसभा में क्रमशः २२ और ५३ सदस्य हैं।

# विहार-सरकार

## राज्यपाल

श्री अनन्तशयनम् आयंगर

## मंत्रिमंडल

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | श्रीविनोदानन्द झा (मुख्यमंत्री) | .... | नियुक्ति तथा राजनीति (सूचना तथा परिवहन छोड़कर), मंत्रिमंडल, उद्योग तथा खान, सामुदायिक विकास तथा पंचायत। |
| २. | श्रीदीपनारायण सिंह | ... | वृहत् सिंचाई, बिजली तथा नदी-घाटी योजनाएँ। |
| ३. | श्रीभोला पासवान | .... | कल्याण, जनकार्य तथा जन-स्वास्थ्य (अभियंत्रण-विभाग)। |
| ४. | श्रीवीरचंद पटेल | .... | वित्त, कृषि तथा लघु सिंचाई। |
| ५. | श्रीसत्येन्द्रनारायण सिंह | .... | शिक्षा, स्थानीय स्वायत्त-शासन तथा आयोजना। |
| ६. | श्रीबदरीनाथ वर्मा | ... | आबकारी, खाद्य, आपूर्त्ति तथा वाणिज्य। |
| ७. | श्रीमहेश प्रसाद सिंह | .... | राजस्व, निबन्धन (रजिस्ट्रेशन), भूमि-सुधार, भूमि-अर्जन तथा प्राकृतिक विपत्ति-सहायता। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ८. | श्रीहरिनाथ मिश्र | .... | स्वास्थ्य, परिवहन, विधि (न्यायिक तथा विधायक सम्मिलित), पशुपालन तथा पशु-चिकित्सा। |
| ९. | श्रीअब्दुल कयूम अन्सारी | .... | कारा तथा पुनर्वास। |
| १०. | श्रीशामूचरण तुविद | .... | जंगल। |
| ११. | श्रीकृष्णवल्लभ सहाय | .... | सहकारिता तथा सहायता और अयोजना। |

## राज्य-मंत्री

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | श्रीअहद मुहम्मद नूर | .... | सूचना तथा पर्यटन। |
| २. | श्रीदारोगा राय | .... | श्रम तथा नियुक्ति। |
| ३. | श्रीगिरीश तिवारी | .... | धार्मिक न्यास। |
| ४. | श्रीनन्दकुमार सिंह | .... | गृह-निर्माण। |

## उपमंत्री

| | | | |
|---|---|---|---|
| १. | श्रीअम्बिकाशरण सिंह | .... | जनकार्य, जनस्वास्थ्य (अभियंत्रणा-विभाग) तथा वित्त। |
| २. | श्रीअब्दुल गफूर | .... | सामान्य प्रशासन, सामुदायिक विकास, ग्राम-पंचायत, स्वास्थ्य, परिवहन, विधि (न्यायिक तथा विधायिका सम्मिलित), कारा, पशुपालन तथा पशु-चिकित्सा। |
| ३. | श्रीलोकेशनाथ झा | .... | राजनीति, वृहत् सिंचाई, बिजली, नदी-घाटी योजनाएँ, सूचना तथा पर्यटन, श्रम तथा नियुक्ति। |
| ४. | श्रीकमलदेव नारायण सिन्हा | .... | शिक्षा, स्थानीय स्वायत्त शासन, आयोजना, उद्योग, गृह-निर्माण तथा धार्मिक न्यास। |
| ५. | श्रीमुंगेरी लाल | .... | आबकारी, खाद्य, आपूर्त्ति तथा वाणिज्य। |
| ६. | श्रीसहदेव महतो | .... | सहकारिता तथा सहायता और पुनर्वास। |
| ७. | श्रीनवलकिशोर सिंह | .... | राजस्व, निबन्धन (रजिस्ट्रेशन), भूमि-सुधार, भूमि-अर्जन तथा प्राकृतिक विपत्ति-साहाय्य। |

## संसद्-सचिव

१. श्रीवैद्यनाथ मेहता—शिक्षा
२. श्रीमती सुमित्रा देवी—स्वास्थ्य
३. श्रीमती मनोरमा पाण्डेय—मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध
४. श्रीहरदेव नारायण सिंह—सहकारिता
५. श्रीबालेश्वर राम—कल्याण
६. श्रीउमरलाल बैठा—सिंचाई

## मुख्य सचिव

१. श्रीसुधेन्दु ज्योति मजुमदार

मुख्य न्यायाधीश

श्री वी० रामास्वामी, आई० सी० एस०, बार-ऐट-लॉ

इस समय बिहार में ४ प्रमण्डल, १७ मण्डल, ५८ अनुमण्डल और ४६७ थाने हैं। इनके प्रशासन क्रमशः प्रमंडलाधीश (कमिश्नर), मंडलाधीश (कलक्टर), अनुमंडलाधीश (सब-डिवीजनल अफसर) और थानेदार द्वारा होते हैं। प्रशासन की सुविधाओं एवं विकास-कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिले कई अंचलों और प्रखण्डों (ब्लॉकों) में बाँटे गये हैं। प्रमण्डलों, मण्डलों और अनुमण्डलों के नाम 'क्षेत्रफल एवं जन-संख्या' शीर्षक अध्याय में दिये गये हैं।

## बिहार-सरकार का १९६२-६३ का बजट

राजस्व-आय (लाख रुपयों में)

| | | |
|---|---|---|
| (१) राज्य-कर-आय | .... | ३६,४८ |
| (२) अन्य राज्य-स्रोतों से आय : | | |
| (क) वन | | २,१२ |
| (ख) सिंचाई | | २,६८ |
| (ग) अन्य विभागीय आय | | १०,३४ |
| (घ) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा | | १६,३३ |
| (ङ) केन्द्रीय सरकार से साहाय्य-अनुदान | | १७,५६ |
| | कुल | ८८,८४ |

राजस्व-व्यय ( लाख रुपयों में )

| | | |
|---|---|---|
| (क) राजस्व-अर्जक विभाग | .... | ६,४१ |
| (ख) सुरक्षा-विभाग | .... | ११,६४ |
| (ग) राष्ट्र-निर्माण-विभाग | .... | ५०,६६ |
| (घ) दुर्भिक्ष-साहाय्य | .... | २,०० |
| (ङ) पेंशन | .... | १,०३ |
| (च) प्रकीर्ण अन्य विभाग | .... | १६,१८ |
| | कुल | ८८,२५ |

राज्य-कर-आय के विवरण (लाख रुपयों में)

| | १९६०-६१ लेखा | १९६१-६२ संशोधित | १९६२-६३ बजट |
|---|---|---|---|
| १. कृषि-आय-कर | ५१ | ४१ | ३६ |
| २. भू-राजस्व | ८,७६ | ६,१६ | ६,१७ |
| ३. शिक्षा-सेस | — | ४५ | ४५ |

| | १६६०-६१ लेखा | १६६१-६२ संशोधित | १६६२-६३ बजट |
|---|---|---|---|
| ४. राज्य-आबकारी | ५,७६ | ५,६८ | ५,६८ |
| ५. स्टाम्प | ३,११ | ३,४३ | ३,४० |
| ६. निबन्धन | ७८ | ८१ | ८१ |
| ७. गाड़ी-कर | १२ | १३ | १४ |
| ८. बिक्री-कर | १०,२४ | १०,६० | १०,७५ |
| ९. अन्य कर और शुल्क— | | | |
| (क) आमोद-कर | ५५ | ७० | ७५ |
| (ख) बिजली-शुल्क | ५७ | ५४ | ५४ |
| (ग) अन्यान्य | ३६ | १० | २० |
| योग | ३१,२४ | ३६,८५ | ३६,४८ |

## राजस्व-मद का व्यय-विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) राजस्व-अर्जक विभाग : | | | |
| (१) कृषि-आय-कर | १ | १ | १ |
| (२) भू-राजस्व | ४,१६ | ४,४४ | ४,३६ |
| (३) राज्य-आबकारी शुल्क | ४२ | ४० | ४० |
| (४) स्टाम्प-मुद्रांकन | ७ | ८ | ९ |
| (५) वन | १,२६ | १,१६ | ६६ |
| (६) निबंधन (रजिस्ट्रेशन) | १८ | १८ | १८ |
| (७) गाड़ी-कर | ५ | ६ | ५ |
| (८) बिक्री-कर | २१ | २३ | २४ |
| (९) अन्य कर और शुल्क | ७ | ८ | ६ |
| योग (क) | ६,४३ | ६,६४ | ६,४१ |
| (ख) सुरक्षा-विभाग : | | | |
| (१) सामान्य प्रशासन (कल्याण-रहित) | ३,३६ | ६,७४ | ३,४६ |
| (२) न्याय-प्रशासन | १,१२ | १,१५ | १,१५ |
| (३) कारा | १,३५ | १,३६ | १,३८ |
| (४) पुलिस | ५,६७ | ५,६८ | ५,६२ |
| योग (ख) | ११,५० | १२,२३ | ११,६४ |
| (ग) राष्ट्र-निर्माण-विभाग : | | | |
| (१) सामान्य प्रशासन—कल्याण | २,११ | २,७५ | २,८४ |
| (२) वैज्ञानिक विभाग | ७ | ६ | १२ |

| | १९६०-६१ लेखा | १९६१-६२ संशोधित | १९६२-६३ बजट |
|---|---|---|---|
| (३) शिक्षा | १३,२५ | १५,८३ | १७,०४ |
| (४) चिकित्सा | ३,३२ | ४,१५ | ४५० |
| (५) लोक-स्वास्थ्य | ३,२१ | ३,५१ | ४,३३ |
| (६) कृषि | ४,११ | ४,५० | ४,६७ |
| (७) पशुपालन | १,४६ | १,५६ | १,८३ |
| (८) सहयोग | २,८७ | ३,१३ | ३,५८ |
| (९) उद्योग और आपूर्त्ति | २,२६ | ३,१७ | ३ ५७ |
| (१०) सामुदायिक विकास-परियोजना, राष्ट्रीय विस्तार-सेवा और स्थानीय विकास-कार्य | ७,३७ | ६,७६ | ६,८३ |
| (११) पंचायत | ७९ | ९५ | १,०८ |
| योग (ग) | ४०,७२ | ४६,४४ | ५०,६९ |
| (घ) दुर्भिक्ष-साहाय्य | ५८ | .१८२ | २,०० |
| (ङ) पेंशन | | | |
| (१) वार्धक्य-निवृत्ति-भत्ते और पेंशन | ९१ | ९९ | १,०१ |
| (२) सामान्य राजस्व से अर्थप्रबंधित पेंशनों का रूपान्तरण | १ | २ | २ |
| योग (ङ) | ९२ | १,०१ | १,०३ |
| (च) प्रकीर्ण अन्य विभाग | १२,२५ | १३,७४ | १६,१८ |
| कुल जोड़ : राजस्व-लेखा मद में खर्च | ७२,४० | ८१,८८ | ८८,२५ |

# परिशिष्ट

## ( क ) विश्व

### विश्व की जन-संख्या की वृद्धि

सन् १८५० से १९५० ई० तक एक शताब्दी में पृथ्वी पर वसनेवाले मनुष्यों की संख्या ११७ करोड़ से वढ़कर २४० करोड़ हो गई, अर्थात् दुगुनी से अधिक। इसके सात वर्ष वाद, सन् १९५७ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ के आँकड़ों के अनुसार पृथ्वी की जन-संख्या में लगभग ४० करोड़ की वृद्धि हुई, अर्थात् जन-संख्या वढ़कर २७९·५ करोड़ हो गई। इस समय जन-संख्या में प्रतिवर्ष ६ करोड़ की वृद्धि हो रही है। भारत की जन-संख्या प्रतिवर्ष २ प्रतिशत की दर से वढ़ रही है।

### संसार के वड़े शहरों की जन-संख्या

संसार का सवसे वड़ा शहर जापान की राजधानी टोकियो है। इस शहर की जन-संख्या ८१ लाख ६१ हजार है। दूसरा स्थान अमेरिका के न्यूयार्क का है। इसकी जन-संख्या ७७ लाख ८१ हजार है। वृहत्तर अंचल-सहित टोकियो की जन-संख्या १ करोड़ १३ लाख ७० हजार ९९ है। वृहत्तर लंदन शहर की जन-संख्या ८२,२२,०४६ है। संसार के वड़े-वड़े शहरों की जन-संख्या का क्रम इस प्रकार है—सर्वप्रथम टोकियो, इसके वाद क्रमशः न्यूयार्क, शंघाई, मास्को, वंवई, पेकिंग, व्युनिसएरीज, साउपाओला (व्राजिल), शिकागो, लंदन, तिनसिम, रायोडिजेनेरो और कलकत्ता। कुछ वर्ष पहले तक भारत के नगरों में सवसे अधिक जन-संख्या कलकत्ता की थी। अव उसका स्थान वंवई ने ले लिया है। वृहत्तर अंचल को लेकर जन-संख्या की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान टोकियो का, उसके वाद क्रमशः न्यूयार्क, लंदन, लासएंजेल्स, शिकागो, कलकत्ता, पेरिस, फिलाडेलफिया, डेट्रॉयट और कैरो का है। यहाँ वंवई का स्थान नहीं है। केवल नगर के हिसाव से वंवई का स्थान पाँचवाँ और कलकत्ता का तेरहवाँ है, किन्तु वृहत्तर अंचल को लेने से कलकत्ता का स्थान छठा है।

### स्वतंत्र अलजीरिया

१३२ वर्षों के विदेशी शासन के वाद गत ३ जुलाई को अलजीरिया की स्वतंत्रता की घोषणा फ्रांसीसी सरकार ने विधिवत् की। घोषणापत्र पर राष्ट्रपति दगाल का हस्ताक्षर था। अलजीरिया की अस्थायी राष्ट्रवादी सरकार के प्रधानमंत्री श्री यूसुफ वेन खेदा स्वतन्त्रता की घोषणा के वाद विमान द्वारा ट्युनिश से अलजियर्स पहुँचे। स्वतन्त्रता की घोषणा के वाद एक समारोह में अलजीरिया-स्थित फ्रांसीसी उच्चायुक्त श्री क्रिश्चियन फौशेट ने अलजीरिया की अस्थायी कार्य-कारिणी के मुसलमान अध्यक्ष मुहम्मद अवदुर्रहमान फरेस को देश की शासन-सत्ता हस्तान्तरित कर दी। अलजीरिया में पहली जुलाई, १९६२ को जो जनमत ग्रहण किया गया था, उसके परिणामस्वरूप प्रतिशत ९९ से अधिक लोगों ने स्वभाग्य-निर्णय के पक्ष में अपना मत दिया। राष्ट्रपति कनेडी, प्रधानमंत्री नेहरू, रूस के प्रधान मंत्री ख्रुश्चेव और राष्ट्रपति नसीर ने अलजीरिया की स्वतंत्रता का अभिनन्दन किया और वहाँ की जनता को वधाई दी। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा

सभी प्रमुख राष्ट्रों ने स्वतंत्र अलजीरिया की सरकार को मान्यता प्रदान की है। यूसुफ बेन खेदा और बेन बेल्ला के विरोध के कारण अलजीरिया में एक भयावह गृह-युद्ध की आशंका की जा रही थी। किन्तु ७ अगस्त, १९६२ को प्रधान मंत्री बेन खेदा ने अकस्मात् अपने प्रतिद्वन्द्वी बेन बेल्ला के हाथ में अलजीरिया का समस्त शासनाधिकार सौंप दिया और स्वयं राजनीति से अलग हो गये। अपनी एक घोषणा में उन्होंने कहा है कि अलजीरिया की अस्थायी सरकार कागज पर कायम रहने पर भी उसके समस्त अधिकार अब बेन बेल्ला द्वारा गठित राजनीतिक संस्था (पॉलिट ब्यूरो) द्वारा प्रयुक्त होंगे।

## लाओस में संयुक्त सरकार

तेरह वर्ष के लगातार गृहयुद्ध, सामरिक अभ्युत्थान तथा विभिन्न प्रकार के विदेशी षड्यंत्रों के बावजूद १ जून, १९६२ को लाओस में युद्ध-विराम की घोषणा की गई। दक्षिणपंथी, वामपंथी (कम्युनिस्ट) और तटस्थ-पंथी—इन तीन राजनीतिक दलों के प्रधान तीन राजकुमारों ने एक संयुक्त सरकार कायम करने का निश्चय किया। लाओस के गृह-विवाद के साथ अमेरिका और रूस—ये दोनों ही राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप में सम्पृक्त थे, जिससे यह विवाद अबतक मिट नहीं रहा था। अब इन दोनों राष्ट्रों के बीच लाओस के सम्बन्ध में मोटा-मोटी तौर से एक समझौता होने के कारण ही वहाँ एक संयुक्त सरकार गठित की गई है। नई सरकार में १२ मंत्री लिये गये हैं और इसके प्रधान तटस्थ-पंथी राजकुमार सोवन्ना फौमा हैं

## तीन अफ्रिकी नये राष्ट्र

राष्ट्रसंघ के संरक्षण में बेलजियम द्वारा शासित रुआंडा और उरुंडी दो नये अफ्रिकी राज्य के रूप में २९ जून, १९६२ की रात को स्वतंत्र घोषित किये गये। स्वतंत्र होने के पूर्व दोनों एक राज्य के रूप में थे, अब उनका अस्तित्व पृथक्-पृथक् हो गया है। रुआंडा गणराज्य के राष्ट्रपति श्री केपीवंडा और राजधानी किगली है।

६८ वर्षों तक ब्रिटिश संरक्षण में रहने के बाद ९ अक्टूबर १९६२ को युगाण्डा पूर्ण स्वतंत्र घोषित हुआ। यह अफ्रिका महादेश का ३३वाँ स्वतंत्र राष्ट्र है। इसकी नई राजधानी कम्पाला बनी है।

## पश्चिमी न्यूगिनी (वेस्ट ईरियन)

१४ अगस्त, १९६२ को नेदरलैंड और इंडोनेशिया के बीच एक इकरारनामा औपचारिक रूप में हस्ताक्षरित हुआ, जिसके अनुसार पश्चिम न्यूगिनी ( पश्चिम ईरियन ) का शासन-भार पहली मई १९६३ के बाद किसी समय नेदरलैंड की सरकार इंडोनेशिया की सरकार के हाथ सौंप देगी।

## स्वतंत्र जमैका

३०७ वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद ५ अगस्त, १९६२ को मध्य रात्रि में जमैका एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। यह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहा।

## अंतरिक्ष-परिक्रमा

११ अगस्त, १९६२ को रूस ने तृतीय मस्टक नामक अंतरिक्ष-यान द्वारा मेजर आंद्रियन-निकोलायेफ को महाशून्य में प्रेषित किया। इसके २४ घंटे बाद एक और अंतरिक्ष-यान

चतुर्थ मस्टक को महाशून्य में भेजा गया। इसके आरोही थे कर्नल पावेल रोमोनोविच पोपोविच। दोनों अंतरिक्ष-यान साथ-साथ परिक्रमा कर रहे थे और दोनों के आरोही परस्पर सम्पर्क रखे हुए थे। महाशून्य की परिक्रमा करने का रेकर्ड कायम करके १५ अगस्त '६२ को दोनों आरोही पृथ्वी पर यान के साथ सकुशल उतरे। तृतीय मस्टक में निकोलायेफ ने ६० घंटे से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर ६३ या ६४ वार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। पोपोविच अंतरिक्ष में ७१ घंटे तक रहे और ४७ या ४८ वार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके निकोलायेफ के नीचे उतरने के ६ मिनट वाद उतरे। रूस के प्रथम अन्तरिक्ष-यात्री यूरी गैगारिन और द्वितीय अन्तरिक्ष-यात्री मेजर गेरमन टिटोव थे। ये दोनों महाकाश-यान से विच्युत होकर पाराशूट की सहायता से पृथ्वी पर उतरे थे। टिटोव ने १७ वार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी।

२० फरवरी, १९६२ को अमेरिकी अन्तरिक्ष-यात्री जॉन ग्लेन तीन-तीन वार सफलता-पूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा करके भूमि पर उतरे। कर्नल ग्लेन ने प्रति घंटा १७ हजार मील के गतिवेग से कुल ४ घंटा ५० मिनट में तीन वार परिक्रमा की थी। २० फरवरी '६२ को रात में ८ वजकर १८ मिनट (भारतीय समय) पर कर्नल ग्लेन १३० टन वजन के एटलास रॉकेट की सहायता से एक गोलाकार कैपसूल में वैठकर शून्य में उड़े और उनका कैपसूल पूर्व-निर्दिष्ट रात में १ वजकर १२ मिनट (भारतीय समय) पर अटलांटिक महासागर की ऊपरी सतह पर उतरा। इस कैपसूल से अन्तरिक्ष-विजयी ग्लेन हँसते हुए वाहर निकले और नोया नामक युद्ध-जलपोत के डेक पर आकर खड़े हो गये। इनसे पहले एलेन शेपर्ड नामक एक अन्य अमेरिकी ने कुछ क्षणों के लिए अन्तरिक्ष में आरोहण किया था, किन्तु संयुक्तराज्य अमेरिका में अंतरिक्ष-मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने का गौरव सर्वप्रथम ग्लेन को ही प्राप्त हुआ। इन दोनों से. पूर्व रूस के वैमानिक यूरी गैगारिन और टिटोव ने अन्तरिक्ष-यात्री के रूप में पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी। गैगारिन ने १२ अप्रैल, १९६१ को पौने दो घंटों में अन्तरिक्ष के पथ से पृथ्वी की एक वार पूर्ण और एक वार अर्ध-प्रदक्षिणा की थी। इसके वाद टिटोव ने ६ अगस्त, १९६१ को उनसे अधिक समय तक पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। टिटोव कुल २५ घंटे तक महाशून्य में रहे।

## संयुक्त राष्ट्रसंघ

**सदस्य-संख्या**—गत १८ सितम्बर को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामान्य परिषद् ने चार नये स्वतन्त्र राष्ट्रों की सदस्यता मंजूर की। पीछे दो और राष्ट्र इसके सदस्य हुए। इन छह राष्ट्रों को मिलाकर राष्ट्रसंघ के कुल ११० सदस्य हुए हैं।

**सामान्य परिषद् के नये अध्यक्ष**—१८ सितम्बर को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामान्य परिषद् का १७वाँ सत्र आरम्भ हुआ। पाकिस्तान के सर मुहम्मद जफरुल्ला खाँ सामान्य परिषद् के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इससे पहले ट्युनिशिया के मोंगी स्लिम अध्यक्ष-पद पर थे।

## विश्वव्यापी दरिद्रता और सामरिक व्यय

### सशस्त्र सेना

| पश्चिमी शक्ति-गुट—८६ लाख | कम्युनिस्ट शक्ति-गुट—९३ लाख |
|---|---|
| (अमेरिका २४ लाख, मित्रराष्ट्र ६२ लाख) | (रूस ४६ लाख, मित्रराष्ट्र ४७ लाख) |

### सामरिक वायुयान

पश्चिमी शक्ति-गुट—२६ हजार
(अमेरिका १७ हजार, मित्रराष्ट्र १२ हजार)
कम्युनिस्ट गुट—२५ हजार
(रूस १६ हजार, अन्य ६ हजार)

### लड़ाकू जहाज

पश्चिमी गुट—३,७००
(अमेरिका १,६००; मित्रराष्ट्र २,१००)
कम्युनिस्ट गुट—३,०००
(रूस २,३००; अन्य ७००)

### सामरिक व्यय
(डालर में)

| | | |
|---|---|---|
| अमेरिका | ४५,६० | करोड़ |
| रूस | ४०,०० | ,, |
| ब्रिटेन | ४२० | ,, |
| पोलैण्ड | ३८० | ,, |
| फ्रांस | ३४० | ,, |
| पश्चिम जर्मनी | २६० | ,, |
| कम्युनिस्ट चीन | २४० | ,, |
| कनाडा | १७० | ,, |
| चेकोस्लोवाकिया | १२० | ,, |
| इटली | १०० | ,, |
| युगोस्लाविया | ७० | ,, |
| रूमानिया | ६० | ,, |
| भारत | ६० | ,, |
| स्वीडन | ५० | ,, |

### तुलनामूलक हिसाब

सामरिक उद्देश्य के लिए संसार के देशों का कुल वार्षिक व्यय—१,१६,५० करोड़ डालर।

विश्व के पिछड़े हुए देशों की कुल वार्षिक आय—१,२५,०० करोड़ डालर।

तटस्थ देशों का सामरिक व्यय—३६० करोड़ डालर।

कम्युनिस्ट शक्ति-पुञ्ज का—४८,६० करोड़ डालर।

पश्चिमी शक्ति-पुञ्ज—६३,१० करोड़ डालर।

### धन-वैषम्य

श्री जे० पी० कोल ने अपनी पुस्तक 'ज्योग्राफी ऑफ् वर्ल्ड ऐफेयर्स' में संसार के ६३ देशों को सब प्रकार के आर्थिक विषयों में प्रतिव्यक्ति उत्पादन एवं पण्य-व्यवहार की दृष्टि से ५ अंचलों में विभक्त किया है। प्रथम अंचल में सबसे समृद्ध देश संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा हैं। इन दो देशों में पृथ्वी की समस्त जन-संख्या के लगभग ७ प्रतिशत मनुष्य वास करते हैं। दूसरे अंचल में ११ देश लिये गये हैं। इनके निवासियों के जीवन-यापन का मान प्रथम अंचल की अपेक्षा कुछ कम होने पर भी साधारणतः उन्नत है। इस विभाग में यूरोप, स्कैण्डेनेविया के कतिपय देश, २ कम्युनिस्ट देश, अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड हैं। इस अंचल में पृथ्वी की जन-संख्या के ८ प्रतिशत मनुष्य वास करते हैं।

## भारत में सेवा-नियोजन

भारत के कुल ५२,००० व्यवसाय-अधिष्ठानों में, जिनसे सूचना प्राप्त हुई है, १९६१ के मार्च में समाप्त होनेवाली तिमाही में कुल सेवा-नियुक्तों की संख्या १०२'२४ लाख से बढ़कर १०४'४ लाख हो गई। कुल वृद्धि प्रतिशत २'१ हुई।

५२ हजार व्यवसाय-अधिष्ठानों में ३३ हजार सरकारी क्षेत्र में थे, जिनमें १९६० के दिसंबर महीने के अंत में कुल सेवा-नियुक्तों की संख्या ६३'४२ लाख थी। सन् १९६१ ई० के मार्च के अंत में यह संख्या बढ़कर ६४'५० लाख हो गई; अर्थात् प्रतिशत १'७ की वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र के १९ हजार व्यवसाय-अधिष्ठानों में उपर्युक्त अवधि में सेवा-नियुक्तों की संख्या ३८'८२ लाख से बढ़कर ३९'८९ लाख हो गई। इस प्रकार २'८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। निजी व्यवसाय-अधिष्ठानों में वे ही अधिष्ठान लिये गये हैं, जिनमें २५ या इससे अधिक मनुष्य सेवा-नियुक्त हैं।

## अणु-अस्त्र-विरोधी सम्मेलन

१६ जून, १९६२ को नई दिल्ली के विज्ञान-भवन में गांधी-शान्ति-संस्थान के उद्योग से एक आणविक अस्त्र-विरोधी सम्मेलन आरम्भ हुआ और तीन दिनों तक चलता रहा। इस सम्मेलन का उद्घाटन भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने किया। सम्मेलन में संसार के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कुल प्रतिनिधियों की संख्या दो सौ थी। आणविक अस्त्रों के विरोध में केवल भाषण ही नहीं हुए, बल्कि आणविक युद्ध की संभाव्यता से विश्व को मुक्त करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में क्या व्यवस्था की जा सकती है, इसपर भी विचार किया गया और कई सुझाव पेश किये गये। राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्, उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन, प्रधान मंत्री पं० नेहरू, श्रीजयप्रकाशनारायण तथा देश-विदेश के अन्य कई प्रमुख व्यक्ति सम्मेलन में उपस्थित थे।

## कोलम्बो-योजना सलाहकार-समिति और भारत

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में भारत की आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में कोलम्बो-योजना से सम्बन्धित सलाहकार-समिति की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें बताया गया है कि उक्त वर्ष में उद्योगों के उत्पादन में प्रतिशत ११, कृषि के उत्पादन में प्रतिशत ८ और राष्ट्रीय आय में प्रतिशत ६½ की वृद्धि हुई है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में अधिकतर मूलधन का विनियोग किया गया है। दो योजनाओं की अवधि के गत दस वर्षों में कृषि के उत्पादन में प्रतिशत ४० और उद्योगों के उत्पादन में प्रतिशत ७५ की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति औसत आय में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में प्रतिशत ४२ और प्रतिव्यक्ति आय में प्रतिशत १७ की वृद्धि हुई है। द्वितीय महायुद्ध के समय से ही नये-नये उद्योगों की स्थापना होने लगी है। रेल-इंजिन, रेलगाड़ी के डब्बे, नाना प्रकार के कल-पुरजे, लोहा, इस्पात, रासायनिक द्रव्य, औषध इत्यादि प्रस्तुत हो रहे हैं।

## भारत की राष्ट्रीय आय

### केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय

| वित्तीय वर्ष | राष्ट्रीय आय (रुपयों में) १९४८-४९ के मूल्य के आधार पर (१०० करोड़ में) | प्रतिव्यक्ति आय (रुपये में) १९४८-४९ के मूल्य के आधार पर |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १९५०-५१ | ८८·५ | २४७·५ |
| १९५५-५६ | १०४·८ | २६७·८ |
| १९५६-५७ | ११०·० | २७५·६ |
| १९५७-५८ | १०८·९ | २६७·४ |
| १९५८-५९ | ११६·५ | २८०·२ |
| १९५९-६० (प्रारम्भिक) | ११७·६ | २७६·९ |
| १९६०-६१ (अन्तःकालीन) | १२५·३ | २८८·८ |

प्रथम योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में वास्तविक अर्थ में १८·४ और दूसरी योजना की अवधि में प्रतिशत १९·६ की वृद्धि हुई। गत १९६०-६१ में शुद्ध राष्ट्रीय आय में गतवर्ष की अपेक्षा प्रतिशत ६·५ की वृद्धि हुई है।

### वित्त-आयोग का परिनिर्णय

| वितरण | आय-कर में हिस्सा प्रतिशत | संघीय उत्पाद-शुल्क में हिस्सा प्रतिशत | संविधान के अनुच्छेद २७५(१) के अनुसार साहाय्य-अनुदान लाख रुपयों में | संचार की उन्नति के लिए विशेष अनुदान लाख रुपयों में |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ७·७१ | ८·२३ | ९०० | ५० |
| आसाम | २·४४ | ४·७३ | ५२५ | ७५ |
| बिहार | ९·३३ | ११·५३ | — | ७५ |
| गुजरात | ४·७८ | ६·४५ | ४२५ | १०० |
| जम्मू और काश्मीर | ·७० | २·०२ | १५० | ५० |
| केरल | ३·५५ | ५·४६ | ५५० | ७५ |
| मध्यप्रदेश | ६·४१ | ८·४६ | १२५ | १७५ |
| मद्रास | ८·१३ | ६·०८ | ३०० | — |
| महाराष्ट्र | १३·४१ | ५·७३ | — | — |
| मैसूर | ५·१३ | ५·८२ | ६२५ | ५० |
| उड़ीसा | ३·४४ | ७·०७ | ११५० | १७५ |
| पंजाब | ४·४९ | ६·७१ | — | — |
| राजस्थान | ३·९७ | ५·९३ | ४५० | ७५ |
| उत्तरप्रदेश | १४·४२ | १०·६८ | — | — |
| पश्चिम-बंगाल | १२·०८ | ५·०७ | — | — |
| कुल | | | ५२०० | ९०० |

## भारत में विदेशी नागरिक

१ अक्टूबर, १९६२ को स्वराष्ट्र-विभाग (भारत-सरकार) के राज्य-मंत्री श्री बी० एन० दातार ने राज्य-सभा में घोषणा की है कि १ अक्टूबर, १९६२ को भारत में ५८ हजार ६२६ रजिस्टर्ड विदेशी नागरिक थे, जिनमें से अधिकांश का ब्योरा इस प्रकार है—

| | |
|---|---|
| तिब्बती—१५,००९ | अमेरिकी—२,७२४ |
| चीनी—१०,७०० | बर्मी—१,६६२ |
| ईरानी—४,४७० | रूसी—१,४०५ |
| आदिवासी पठान—४,२३० | थाई—१,०५४ |
| अफगानी—३,६५० | इटली—१,०१५ |
| जर्मन—३,०३८ | ४८,६५७ |

## महाराष्ट्र के नये राज्यपाल

९ अक्टूबर, १९६२ को महाराष्ट्र के राज्यपाल डा० पी० सुब्बारायण के स्वर्गवासी होने से उस पद पर श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित की नियुक्ति हुई।

## महाराष्ट्र-मंत्रिमंडल में परिवर्त्तन

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री यशवन्तराव बलवन्त राव चव्हाण के भारत के प्रतिरक्षा-मंत्री हो जाने पर २० नवम्बर १९६२ को नया मंत्रिमंडल गठित किया गया, जिसके सदस्य पहले के मंत्री ही बने रहे। हाँ, पहले के उप-मुख्यमंत्री श्री एम० एस० कन्नमवर अब मुख्य मंत्री बनाये गये हैं और श्री पी० के० सावन्त उप-मुख्यमंत्री हुए हैं। उप-मन्त्रियों में एक नये उपमंत्री श्री टी० एस० जगताप बनाये गये हैं।

## केरल-मंत्रिमंडल

दिनांक ७-१०-६२ को प्रजा-समाजवादी दल की कार्य-समिति के निर्णयानुसार उसके दो मंत्री श्री के० चन्द्रशेखर और श्री डी० दामोदरन पोट्टी के त्याग-पत्र देने पर केरल के संयुक्त मंत्रिमंडल की समाप्ति हुई और वहाँ के मंत्रिमंडल में केवल काँगरेसी ही रह गये।

## भारत पर विदेशी ऋण

एक प्रश्न के उत्तर में भारत-सरकार के वित्त-मंत्री ने १५ नवम्बर, १९६२ को लोक-सभा में जो वक्तव्य दिया, उसके अनुसार ३० सितम्बर, १९६२ को विश्व के विभिन्न देशों का कुल १० अरब १८ करोड़ १० लाख रुपये का ऋण भारत पर था, जिसका ब्योरा इस प्रकार है—

| | |
|---|---|
| अमेरिका— | ५ अरब ४६ करोड़ २४ लाख रुपये। |
| ब्रिटेन— | १ अरब ५६ करोड़ ९८ लाख रुपये। |
| पश्चिम जर्मनी— | १ अरब ५६ करोड़ ६६ लाख रुपये। |
| सोवियत संघ— | ८९ करोड़ ३२ लाख रुपये। |
| कुवैत— | २८ करोड़ ६२ लाख रुपये। |
| जापान— | २४ करोड़ ६० लाख रुपये। |
| कनाडा— | ११ करोड़ ८२ लाख रुपये। |
| पोलैंड— | २३ लाख रुपये। |

कुल—१० अरब १८ करोड़ १० लाख रुपये।

इस ऋण पर सूद की अदायगी इस प्रकार हुई या होगी—

प्रथम-पंचवर्षीय योजना में ७ करोड़ ८७ लाख रुपये चुकाये गये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३८ करोड़ ४५ लाख रुपये की चुकती हुई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में २ अरब ३७ करोड़ ११ लाख रुपये चुकाये जायेंगे।

## केन्द्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्त्तन

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्रीयशवन्तराव बलवन्त राव चव्हाण ने भारत के प्रतिरक्षा-मंत्री के रूप में २१ नवम्बर को शपथ-ग्रहण किया।

प्रतिरक्षा-मंत्रालय के राज्यमंत्री श्री के० रघुरामैया प्रतिरक्षा-उत्पादन-मंत्री बनाये गये हैं। —निर्विभागीय मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी आर्थिक और प्रतिरक्षा-समन्वय-मंत्री के पद पर नियुक्त हुए।

—केन्द्रीय श्रम-विभाग के राज्यमंत्री श्री जयसुखलाल हाथी आर्थिक और प्रतिरक्षा-समन्वय मंत्रालय के आपूर्त्ति-मंत्री बनाये गये।

## भारत-चीन-सीमा-संघर्ष

भारत के उत्तरी सीमान्त-क्षेत्र पर कई वर्ष पूर्व से ही चीन की कुदृष्टि रही है और वह भारत को मित्रता के धोखे में रखकर सन् १९५८ ई० से ही अपनी प्रसारात्मक काररवाई करता आ रहा है। तिब्बत पर आक्रमण के समय चीनी सैनिक भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित लद्दाख होकर ही तिब्बत पहुँचे थे। इसके बाद सर्वप्रथम सन् १९५९ ई० में चीनियों ने भारत के हजारों वर्गमील क्षेत्र को अपने नक्शे में प्रदर्शित किया। चीन का दावा उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और वह प्रदर्शित क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए समय-समय पर आक्रमण भी करता रहा। २० अक्टूबर, १९६२ से उत्तरी सीमान्त के नेफा तथा लद्दाख-क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने भारी आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया तथा दोनों अंचलों की कई सैनिक चौकियों पर अधिकार कर लिया। इस संबंध में दिनांक २७ नवम्बर, १९६२ को भारत-सरकार के परराष्ट्र-विभाग ने निम्नाङ्कित आशय का वक्तव्य प्रकाशित किया, जिससे वस्तुस्थिति पर विशेष प्रकाश पड़ता है—

पिछले पाँच वर्षों में चीनी सेनाएँ लद्दाख-क्षेत्र में हमला करके घुसती चली आई हैं और एक युग से स्थापित सीमा को अपने इच्छानुसार बलात् बदलती रही हैं। सन् १९५७-५८ में चीनी सेनाएँ अक्साइ-चिन के उस भाग में दिखी, जहाँ वे एक सड़क बना रही थीं। सितम्बर, १९५९ के शुरू में चीनी सेनाएँ पश्चिम में और आगे चांग-चेनमो नदी-घाटी के कोंगका दर्रे तक पहुँच चुकी थीं। अक्टूबर, १९५९ में चीनी सैनिकों की, एक भारतीय गश्ती दल से मुठभेड़ हुई, जिसमें चीनियों ने गश्ती दल के नौ सैनिकों को मार गिराया और बाकी को गिरफ्तार कर लिया।

इन मुठभेड़ों के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों में जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसमें चीनी प्रधान मंत्री ने प्रथम बार ८ सितम्बर, १९५९ को भारत के ५० हजार वर्गमील प्रदेश पर अपना दावा जताया। इसके बाद भी हालांकि चीनी यह कहते रहे कि वे सीमा-विवाद को बातचीत द्वारा हल करना चाहते हैं, उन्होंने भारतीय प्रदेश पर गैरकानूनी ढंग से कब्जा करना जारी रखा।

अप्रैल, १९६० में जब भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई और निर्णय हुआ कि दोनों सरकारों के अधिकारियों में बातचीत होनी चाहिए, उस समय भी एक चीनी दल पर्गोंग झील-क्षेत्र के सुरियन नामक स्थान में घुस आया। जून में जब अधिकारियों की बातचीत चल ही रही थी, चीनी इसी क्षेत्र में फिर घुस आये। अक्टूबर, १९६० में चांग-चेनमो घाटी में हाट-स्प्रिंग्स के निकट एक सशस्त्र चीनी दस्ता मौजूद था।

लगभग १६६१ के मध्य तक चीनी सेनाएँ अपने १६५८ के ठिकाने से ७० मील दक्षिण-पश्चिम तक आगे बढ़ आई थीं। इसके बाद उन्होंने ऊपरी चिपचाप-घाटी, न्यागजू और डाम्बगुरू में अपनी चौकियाँ स्थापित कीं और इस क्षेत्र को दूर के अपने अड्डों से मिलाने के लिए सड़कें बनाईं। सन् १६६२ ई० में उन्होंने सुमदो के निकट एक सैनिक चौकी कायम की और कराकाश घाटी के किनारे-किनारे एक सड़क बनाई। इस क्षेत्र में जुलाई और सितम्बर १६६२ के बीच ३२ नई चौकियाँ स्थापित की गईं।

चीन-सरकार अपने वक्तव्य में स्वयं यह स्वीकार कर चुकी है कि इस क्षेत्र में ७ नवम्बर, १६५६ को अधिकृत स्थानों तक लौटने से उन्हें ६ हजार वर्गमील प्रदेश छोड़ना पड़ेगा।

८ सितम्बर, १६६२ को चीनियों ने पूर्वी क्षेत्र के भारतीय प्रदेश में भी घुस आना शुरू कर दिया, जहाँ अगस्त, १६५६ और अप्रैल, १६६२ में लौंगज क्षेत्र में प्रवेश के अतिरिक्त और कोई घटना नहीं घटी थी। पूर्वीय क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम कोने में पहली बार चीनी सैनिक थागला पहाड़ी के दक्षिण में घुस आये।

अन्त में २० अक्तूबर, १६६२ को चीनी सेनाओं ने भारतीय प्रदेश पर चढ़ाई कर दी और पश्चिमी तथा पूरबी दोनों क्षेत्रों में भारतीय चौकियों पर भारी आक्रमण करना शुरू कर दिया। पश्चिमी क्षेत्र में उन्होंने सभी भारतीय सुरक्षा-चौकियों पर कब्जा किया और पूरबी क्षेत्र में भारतीय प्रदेश के एक बड़े भाग पर अधिकार जमा लिया। गैरकानूनी ढंग से कब्जा करने की चीन-सरकार की नीति के कारण ही यह व्यापक और निर्लज्ज आक्रमण हुआ है।

२१ नवम्बर के चीनी वक्तव्य में चीनी सीमान्त-प्रहरियों द्वारा लड़ाई बन्द करने और वापस लौटने की बात कही गई है। ये सीमान्त-प्रहरी १६५८ के बाद से काफी दूरी तय कर चुके हैं। उस समय ये अक्साइ-चिन के उत्तर-पूर्वी कोने में सिक्यांग-तिब्बत मार्ग के उत्तरी छोर पर थे, जो अब बाकायदा सड़क बन चुकी है। इनके साथ चीन की सीमा भी आगे की ओर सरकती रही है।

दूसरी ओर, भारत-सरकार चीन की इन सब उत्तेजनाओं के बावजूद सदैव शांतिपूर्ण तरीकों से कोई हल निकालने का प्रयत्न करती रही और उसने बार-बार चीन-सरकार से कहा कि उसे सीमा पर यह तनाव कम करने के लिए राजी हो जाना चाहिए। चीनियों की दुरभिसंधि के कारण भारत-सरकार की सभी चेष्टाएँ निष्फल गईं और उसे निराशा ही हाथ लगी।

चीन-सरकार के अनवरत आक्रामक कार्यों के कारण ही हाल का व्यापक आक्रमण हुआ। इससे भारत-सरकार को, जो अबतक शांति के प्रयत्न में लगी थी, विवश होकर अपनी रक्षा के लिए तैयार होना पड़ा और चीनियों के खुले तथा बेशर्म हमले के विरुद्ध भारतीय प्रदेश की अखंडता की रक्षा के लिए मित्र-राष्ट्रों से शस्त्रास्त्र और सैनिक सामग्री की सहायता स्वीकार कर अपनी प्रतिरक्षा-व्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ा।

★

# परिषद् के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

१. हिन्दी-साहित्य का आदिकाल—आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। आदिकालीन हिन्दी-साहित्य का परिचय। पृष्ठ १३२। मूल्य—३·२५।

२. यूरोपीय दर्शन—महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा। आधुनिकतम पाश्चात्य दर्शन का वर्णन। पृष्ठ ११५। मूल्य—३·२५।

३. हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल। दो तिरंगे और १८८ इकरंगे ऐतिहासिक चित्र। पृष्ठ २७५। मूल्य—९·५०।

४. विश्वधर्म-दर्शन—श्रीसाँवलियाविहारीलाल वर्मा। विश्व के प्रमुख धर्मों का इतिहास और परिचय। पृष्ठ ५०३। मूल्य—१३·५०।

५. सार्थवाह—डॉ० मोतीचन्द्र। १०० ऐतिहासिक चित्र तथा दो दुरंगे मानचित्र। सर्वत्र प्रशंसित। पृष्ठ ३०२। मूल्य—११·००।

६. वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा—डॉ० सत्यप्रकाश (प्रयाग-विश्वविद्यालय)। गम्भीर गवेषणापूर्ण। पृष्ठ ५००। मूल्य—८·००।

७. सन्त कवि दरिया : एक अनुशीलन—डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री। सात तिरंगे और बारह इकरंगे चित्र। पृष्ठ ५००। मूल्य—१४·००।

८. काव्यमीमांसा (राजशेखर-कृत)—अनु० पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत। अपने विषय की अद्वितीय पुस्तक। पृष्ठ ४५०। मूल्य—९·५०।

९. श्रीरामावतार शर्मा-निबन्धावली—महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा। पाण्डित्यपूर्ण निबन्ध। पृष्ठ ३३६। मूल्य—८·७५।

१०. प्राङ्मौर्य बिहार—डॉ० देवसहाय त्रिवेद। प्राचीन बिहार के मानचित्र के साथ। ग्यारह इकरंगे ऐतिहासिक चित्र। पृष्ठ २३०। मूल्य—७·२५।

११. गुप्तकालीन मुद्राएँ—डॉ० अनन्त सदाशिव अलतेकर। प्राचीन मुद्राओं और लिपियों के सत्ताईस सविवरण फलक के साथ। पृष्ठ २५०। मूल्य—९·५०।

१२. भोजपुरी भाषा और साहित्य—डॉ० उदयनारायण तिवारी (प्रयाग-विश्वविद्यालय)। भाषाविज्ञान पर एक प्रामाणिक ग्रंथ। पृष्ठ ६२५। मूल्य—१३·५०।

१३. राजकीय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धांत—श्रीगोरखनाथ सिंह (भूतपूर्व शिक्षा-निदेशक, बिहार)। राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। पृष्ठ ४२। मूल्य—१·५०।

१४. रबर—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा, एम्० एस्-सी०। चित्र ६१। पृष्ठ २२६। मूल्य—७·५०।

१५. ग्रह-नक्षत्र—श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंह, आइ० सी० एस्०। खगोल-जगत् का अद्भुत दृश्य-दर्शक रोचक वर्णन। रेखाचित्र ५०। पृष्ठ ११८। मूल्य—५·२५।

१६. नीहारिकाएँ—डॉ० गोरखप्रसाद (प्रयाग-विश्वविद्यालय)। प्रस्तुत विषय का मनोहर साहित्यिक वर्णन। चित्र २१। पृष्ठ ७२। मूल्य—४·२५।

१७. हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ—श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंह, आइ० सी० एस्० । विद्वान् लेखक की मौलिक सूझ । पृष्ठ १३४ । मूल्य—३·०० ।

१८. ईख और चीनी—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा, एम्० एस्-सी० । हिन्दी-अँगरेजी तथा अँगरेजी-हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली की अनुक्रमणिका के साथ । चित्र १०४ । मूल्य—१२·५० ।

१९. शैवमत—(लन्दन-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस का हिन्दी-अनुवाद) मूल लेखक और अनुवादक—डॉ० यदुवंशी । पृष्ठ ३५० । मूल्य—८·०० ।

२०. मध्यदेश : ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिंहावलोकन—डॉ० धीरेन्द्र वर्मा (भू०पू० हिन्दी-विभागाध्यक्ष, प्रयाग-विश्वविद्यालय) । कई रंगीन मानचित्र, ऐतिहासिक महत्त्व के कलापूर्ण चित्र । पृष्ठ १९६ । मूल्य—७·०० ।

२१-२२. प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण—(पहला और दूसरा खंड) । सम्पादक—डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री । प्रत्येक का मूल्य—२·५० ।

२३-२४-२५-२६. शिवपूजन-रचनावली (४ भागों में)—आचार्य शिवपूजन सहाय । पहला भाग, पृष्ठ ४२६ ; मूल्य—८·७५ । दूसरा भाग, पृष्ठ ४७२ ; मूल्य—९·०० । तीसरा भाग, पृष्ठ ५२० ; मूल्य—१०·०० । चौथा भाग, पृ० ६६८ ; मूल्य—८·५० ।

२७. राजनीति और दर्शन—डॉ० विश्वनाथप्रसाद वर्मा । पृष्ठ ६०४ । मूल्य—१४·०० ।

२८. बौद्धधर्म-दर्शन—आचार्य नरेन्द्रदेव । पृष्ठ ८५० । मूल्य—१७·०० ।

२९-३०. मध्य एशिया का इतिहास (दो खंडों में)—महापंडित राहुल सांकृत्यायन । प्रथम खण्ड, पृष्ठ ५३३ ; चित्र २५ ; मूल्य—१२·२५ । द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ६७८ ; चित्र १९ ; मूल्य—८·५० ।

३१. दोहाकोश—मूल कवि : बौद्धसिद्ध सरहपाद । छायानुवादक—महापण्डित राहुल सांकृत्यायन । पृष्ठ ५५८ । मूल्य—१३·२५ ।

३२. हिन्दी को मराठी संतों की देन—डॉ० विनयमोहन शर्मा । पृष्ठ ५२० । मूल्य—११·२५ ।

३३. रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना—डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' । चित्र १५ । पृष्ठ ४७० । मूल्य—१०·२५ ।

३४. अध्यात्मयोग और चित्तविकलन—श्रीवेङ्कटेश्वर शर्मा (आन्ध्रराज्य-निवासी) । पृष्ठ २८२ । मूल्य—७·५० ।

३५. प्राचीन भारत की सांग्रामिकता—पण्डित रामदीन पाण्डेय, एम्० ए० । तिरंगे चित्र २७ । पृष्ठ १९८ । मूल्य—६·५० ।

३६. बाँसरी बज रही—श्रीजगदीश त्रिगुणायत । पृष्ठ ४३० । मूल्य—८·०० ।

३७. चतुर्दश भाषा-निबन्धावली—भारतीय संविधान-स्वीकृत चौदह प्रमुख भाषाओं के अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखित । पृष्ठ १८४ । मूल्य—४·२५ ।

३८. भारतीय कला को विहार की देन—डॉ० विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह । आर्ट पेपर पर चित्र १५८ । पृष्ठ २१९ । मूल्य—७·५० ।

३९. भोजपुरी के कवि और काव्य—श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह । संपादक—डॉ० विश्वनाथ प्रसाद । पृष्ठ ३९९ । मूल्य—५·७५ ।

४०. पेट्रोलियम—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा । पृष्ठ ३०० । चित्र ४० । मूल्य—५·५० ।

४१. नील पंछी—फ्रेंचभाषा के मूल-लेखक मॉरिस मेटरलिंक। अनुवादक—डॉ० कामिल बुल्के। पृष्ठ ८८। मूल्य—२.५०।
४२. लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ् मानभूम ऐण्ड सिंहभूम—डॉ० विश्वनाथ प्रसाद और डॉ० सुधाकर झा। पृष्ठ ४३३। मूल्य—४.५०।
४३. षड्दर्शन-रहस्य—पं० रंगनाथ पाठक। पृष्ठ ३६०। मूल्य—५.००।
४४. जातक-कालीन भारतीय संस्कृति—श्रीमोहनलाल महतो 'वियोगी'। पृष्ठ ४१८। मूल्य—६.५०।
४५. प्राकृत भाषाओं का व्याकरण—मूल-लेखक जर्मन विद्वान् रिचर्ड पिशल। अनु०—डॉ० हेमचन्द्र जोशी। पृष्ठ १००४। मूल्य—२०.००।
४६. दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा—म० म० पं० राहुल सांकृत्यायन। पृष्ठ ३७६। मूल्य—६.००।
४७. भारतीय प्रतीक-विद्या—डॉ० जनार्दन मिश्र। पृष्ठ ६१२। चित्र १६६। मूल्य—११.००।
४८. संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय—डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री। पृष्ठ ३५४। मूल्य—५.५०।
४९. कृषिकोश (प्रथम खण्ड)—सं० डॉ० विश्वनाथप्रसाद। पृष्ठ २००। मूल्य—३.००।
५०. कुँवरसिंह-अमरसिंह—मूल-ले० डॉ० कालीकिंकर दत्त। अनु०—पं० छविनाथ पाण्डेय। पृष्ठ २३८। मूल्य ५.००।
५१. मुद्रण-कला—पं० छविनाथ पाण्डेय। पृष्ठ ३५०। मूल्य—७.२५।
५२. लोक-साहित्य : आकर-साहित्य-सूची—श्रीनलिनविलोचन शर्मा। मूल्य—००.५०।
५३. लोककथा-कोश—श्रीनलिनविलोचन शर्मा। मूल्य—००.३२।
५४. लोकगाथा-परिचय—श्रीनलिनविलोचन शर्मा। मूल्य—००.२५।
५५. बौद्धधर्म और बिहार—पं० हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय'। पृष्ठ ४१२। दो मानचित्र। ७७ दुर्लभ चित्र। मूल्य—८.००।
५६. साहित्य का इतिहास-दर्शन—श्रीनलिनविलोचन शर्मा। पृष्ठ ३१२।
५७. मुहावरा-मीमांसा—डॉ० ओमप्रकाश गुप्त। पृष्ठ ४५४। मूल्य—६.५०।
५८. वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति—(अपने विषय का अद्वितीय ग्रंथ)—महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। पृष्ठ ३२६। [मू]ल्य—५.००।
५९. पंचदश लोकभाषा-निबन्धावली (१५ लोकभाषाओं पर लिखे निबन्धों का संग्रह)—पृष्ठ ३१२। मूल्य—४.५०।
६०. प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण (तीसरा खण्ड)—संपादक : श्रीनलिन-विलोचन शर्मा। पृष्ठ १००। मूल्य—१.२५।
६१. प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण (चतुर्थ खण्ड)—सं० श्रीनलिन-विलोचन शर्मा। पृष्ठ ८२। मूल्य—१.००।
६२. हिन्दी-साहित्य और बिहार (पहला खण्ड)—(बिहार का साहित्यिक इतिहास; सातवीं शती से अठारहवीं शती तक)—सं० आचार्य शिवपूजन सहाय। पृष्ठ ३००। मूल्य—५.५०।
६३. कथासरित्सागर—मूल-लेखक महाकवि सोमदेवभट्ट। अनु०—पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत। (प्रथम खण्ड; षष्ठ लम्बक तक) पृष्ठ ८४६। मूल्य—१०.००।

६४. भारतीय अब्दकोश (शकाब्द १८८२)—सं० श्रीजगन्नाथप्रसाद मिश्र तथा श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ । पृष्ठ ७५० । मूल्य—८.०० ।

## हमारे नवीन प्रकाशन

६५. अयोध्याप्रसाद खत्री-स्मारक ग्रंथ—सं० आचार्य शिवपूजन सहाय तथा श्रीनलिन-विलोचन शर्मा । पृष्ठ ३२० । चित्र १५ । मूल्य—५.०० ।

६६. सदलमिश्र-ग्रंथावली—सं० श्रीनलिनविलोचन शर्मा । पृष्ठ २०८ । मूल्य—५.०० ।

६७. वेणु-शिल्प—शिल्पाचार्य श्रीउपेन्द्र महारथी । पृष्ठ २४८ । आर्ट-पेपर पर चित्र-फलक २६ । साधारण चित्र २१४ । मूल्य—११.०० ।

६८. गोस्वामी तुलसीदास—(पुनर्मुद्रित) श्रीशिवनन्दन सहाय । पृष्ठ ३५० । मूल्य—५.५० ।

६९. रंगनाथ रामायण—(तेलुगु से अनूदित) अनु०—श्री ए० सी० कामाक्षि राव । पृष्ठ ५०२ । मूल्य—६.५० ।

७०. पुस्तकालय-विज्ञानकोश—श्रीप्रभुनारायण गौड़ । मूल्य—४.५० ।

७१. कथासरित्सागर (दूसरा खण्ड)—अनु० पंडित केदारनाथ शर्मा सारस्वत । मूल्य—१२.५० ।

७२. विद्यापति-पदावली (विभिन्न पाठभेदों तथा अर्थ के साथ) परिषद् के विद्यापति-विभाग द्वारा प्रस्तुत । मूल्य—७.५० ।

७३. दरिया-ग्रन्थावली (दूसरा खण्ड)—परिषद् के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ-शोध-विभाग द्वारा प्रस्तुत । सं० डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री । मूल्य—५.०० ।

७४. मगही-संस्कार-गीत (परिषद् के लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग द्वारा प्रस्तुत)—सं० डॉ० विश्वनाथप्रसाद । मूल्य—६.५० ।

७५. हस्तलिखित पोथियों का विवरण (पाँचवाँ खण्ड)—परिषद् के हस्तलिखित ग्रंथ-शोध-विभाग द्वारा प्रस्तुत । मूल्य—१.०० ।

७६. काव्यालंकार (भामह-कृत)—श्रीदेवेन्द्रनाथ शर्मा । मूल्य—५.०० ।

७७. राष्ट्रभाषा हिन्दी : समस्याएँ और समाधान—मूल्य—१.५० ।

७८. भारतीय अब्दकोश (१९६२ ई०)—पृ० ६२५ । मूल्य—८.०० ।

७९. पतञ्जलिकालीन भारत—डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री । मूल्य ११.०० ।

८०. कंब रामायण (भाग १ : बालकाण्ड से किष्किन्धाकाण्ड तक)—तमिल-भाषा से अनुवाद—अनु० श्री एन० वी० राजगोपालन । —६.७५ ।

८१. भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा—पं० बलदेव उपाध्याय । मूल्य ६.५० ।

८२. भारतीय संस्कृति और साधना—महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ कविराज । मूल्य ११.०० ।

## आगामी प्रकाशन

१. तांत्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि—म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज ।
२. हिन्दी-साहित्य और बिहार (दूसरा खण्ड)—सं० आचार्य शिवपूजन सहाय ।
३. कृषिविनाशी कीट और उनका दमन—श्रीशैलेन्द्रप्रसाद 'निर्मल' बी० एस्-सी० (कृषि) ।
४. मात्रिक छन्दों का विकास—डॉ० शिवनन्दनप्रसाद, एम्० ए०, डी० लिट्० ।
५. कहावत-कोश (परिषद् के लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग द्वारा प्रस्तुत) ।

★